संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड ४८

मंगलवार, ३० मार्च, सन् १९४८ ई० से
शनिवार, १ मई, सन् १९४८ ई० तक

इलाहाबाद
सुपरिंटेंडेंट, प्रिंटिंग व स्टेशनरी, संयुक्त प्रान्त (इण्डिया) के
प्रबन्ध से छपा, सन् १९५० ई०

[मूल्य ४ आना

विषय-सूची

खण्ड ४८

३० मार्च, सन् १९४८ ई०

३१ मार्च, सन् १९४८ ई०

१ अप्रैल, सन् १९४८ ई०

२६ अप्रैल, सन् १९४८ ई०

शासन

गवर्नर

हर एक्सिलेन्सी श्रीमती सरोजिनी नायडू।

सचिव परिषद्

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, प्रधान सचिव तथा सामान्य शासन सचिव।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, यातायात सचिव।

माननीय श्री सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, शिक्षा तथा श्रम सचिव।

माननीय श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, न्याय, वन तथा माल सचिव।

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी, बी० ए०, एल-एल० बी०, कृषि तथा पशुपालन सचिव।

माननीय श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प, जेल तथा मादक कर सचिव।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०, जनस्वास्थ्य तथा स्वशासन सचिव।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, रसद सचिव।

माननीय श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, एम० ए०, सूचना तथा अर्थ सचिव।

माननीय श्री लाल बहादुर, गृह (पुलिस) तथा वाहन सचिव।

माननीय श्री केशवदेव मालवीय, एम० एस-सी०, उद्योग तथा विकास सचिव।

सभा मंत्री

माननीय प्रधान सचिव के सभा मंत्री

१—श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०।

२—श्री गोविन्द सहाय, एम० एल० ए०।

माननीय यातायात सचिव के सभा मंत्री

१—श्री लताफत हुसेन, एम० एल० ए०।

२—श्री उदयवीर सिंह, एम० एल० ए०।

माननीय शिक्षा सचिव के सभा मंत्री

१—श्री महफूजुर्रहमान, एम० एल० ए०।

माननीय उद्योग सचिव के सभा मंत्री

१—श्री वहीद अहमद, एम० एल० सी०।

माननीय माल सचिव तथा कृषि सचिव के सभा मंत्री

१—श्री हरगोविंद सिंह, एम० एल० सी०।

माननीय स्वशासन सचिव के सभा मंत्री

१—श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

१—अचल सिंह, श्री	..	आगरा नगर।
२—अजित प्रताप सिंह, श्री	..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन।
३—अजित प्रसाद जैन, श्री	..	सहारनपुर-हरद्वार-देहरादून-मुजफ्फर नगर [३१-३-४८ को सदस्यता त्याग दी]।
४—अजीज अहमद खां, श्री	..	बरेली-पीलीभीत नगर।
५—अब्दुल गनी अन्सारी, श्री	..	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
६—अब्दुल बाकी, श्री	..	जिला आजमगढ़ (पूर्व)।
७—अब्दुल मजीद, श्री	..	मुरादाबाद, अमरोहा-चन्दौसी नगर।
८—अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री	..	अलीगढ़, हाथरस-मथुरा नगर।
९—अब्दुल वाजिद, श्रीमती	..	मुरादाबाद जिला (उत्तर-पूर्व)।
१०—अब्दुल हकीम, श्री	..	जिला बस्ती (दक्षिण-पूर्व)।
११—अब्दुल हमीद, श्री	..	जिला देहरादून और सहारनपुर (पूर्व)।
१२—अम्मार अहमद खां, श्री	..	जिला बुलन्द शहर (पूर्व)।
१३—अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स, श्री	..	संयुक्त प्रांतीय भारतीय ईसाई।
१४—अलगूराय शास्त्री, श्री	..	जिला आजमगढ (उत्तर-पूर्व)।
१५—अली जर्रार जाफ़री, श्री	..	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
१६—अल्फ्रेड वर्मदास, श्री	..	संयुक्त प्रांतीय भारतीय ईसाई।
१७—असगर अली खां, श्री	..	जिला मुजफ्फरनगर।
१८—अहमद अशरफ़, श्री	..	मेरठ-हापुड़-बुलन्द शहर-खुरजा-नगीना नगर।
१९—अक्षयवर सिंह, श्री	..	जिला गोरखपुर (पश्चिम)।
२०—आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री	..	फर्रुखाबाद-इटावा-झांसी नगर।
२१—आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री	..	संयुक्त प्रांतीय ऐंग्लो इंडियन।
२२—इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री	..	जिला गाजीपुर (पश्चिम)।
२३—इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती	..	लखनऊ नगर।
२४—ईश्वर शरण, श्री	..	जिला गोंडा (दक्षिण) [३१-३-४८ को सदस्यता त्याग दी]।
२५—उदयवीर सिंह, श्री	..	जिला बस्ती (दक्षिण)।
२६—ऐजाज रसूल, श्री	..	जिला हरदोई।
२७—कन्हैया लाल	..	जिला सीतापुर (दक्षिण) [३१-३-४८ को सदस्यता त्याग दी]।
२८—कमला पति तिवारी, श्री	..	जिला बनारस (पूर्व)।
२९—करीममुर्रजा खां, श्री	..	बदायूं-शाहजहांपुर-सम्भल नगर।
३०—कालीचरण टंडन, श्री	..	जिला फर्रुखाबाद (दक्षिण)।
३१—किशनचन्द पुरी, श्री	..	संयुक्त प्रांतीय चेम्बर आफ कामर्स तथा संयुक्त प्रांतीय मर्चेन्ट्स चेम्बर।
३२—कुंज बिहारीलाल शिवानी, श्री	..	जिला झांसी (उत्तर)।
३३—कुशलानन्द गैरोला, श्री	..	जिला गढ़वाल (उत्तर-पश्चिम)।
३४—कृपाशंकर, श्री	..	जिला बस्ती (दक्षिण)।
३५—कृष्ण चन्द्र, श्री	..	जिला मथुरा (पश्चिम)।
३६—केशव गुप्त, श्री	..	जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व)।
३७—केशवदेव मालवीय, माननीय श्री	..	जिला मिर्जापुर (दक्षिण)।
३८—खानचन्द गौतम, श्री	..	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)।

३९—खुदाबख्श राय, श्री ... जिला खीरी (उत्तर-पूर्व)।
४०—खुशीराम, श्री ... जिला अल्मोड़ा।
४१—खूब सिंह, श्री ... जिला बिजनौर (पूर्व)।
४२—गंगाधर, श्री ... जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)।
४३—गंगा प्रसाद, श्री ... जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
४४—गंगा सहाय चौबे, श्री ... जिला कानपुर (पश्चिम)।
४५—गजाधर प्रसाद, श्री ... जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
४६—गणपति सहाय, श्री ... जिला सुलतानपुर।
४७—गिरधारी लाल, माननीय श्री ... जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)।
४८—गोपाल नारायण सक्सेना ... जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)।
४९—गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री ... जिला बरेली पीलीभीत-शाहजहांपुर-बदायूं नगर।
५०—गोविन्द सहाय, श्री ... जिला बिजनौर (पश्चिम)।
५१—चतुर्भुज शर्मा, श्री ... जिला जालौन।
५२—चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री ... लखनऊ नगर।
५३—चन्द्रिका लाल, श्री ... जिला गोरखपुर (दक्षिण-पश्चिम) [३१-३-४८ को सदस्यता त्याग दी]।
५४—चरण सिंह, श्री ... जिला मेरठ (दक्षिण-पश्चिम)।
५५—चेतराम, श्री ... जिला बाराबंकी (उत्तर)।
५६—छेदालाल गुप्त ... जिला हरदोई (उत्तर-पश्चिम)।
५७—जगन्नाथ दास, श्री ... जिला सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)।
५८—जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री ... जिला सीतापुर (पूर्व)।
५९—जगन्नाथ बख्श सिंह, श्री ... अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन।
६०—जगन्नाथ सिंह, श्री ... जिला बलिया (उत्तर)।
६१—जगन प्रसाद रावत, श्री ... जिला आगरा (दक्षिण-पश्चिम)।
६२—जगमोहन सिंह नेगी, श्री ... जिला गढ़वाल (दक्षिण-पूर्व)।
६३—जमालुद्दीन अब्दुल वहाब, श्री ... जिला बाराबंकी।
६४—जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री ... अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स।
६५—जयपाल सिंह, श्री ... जिला फैजाबाद (पूर्व)।
६६—जयराम वर्मा, श्री ... जिला बाराबंकी (उत्तर)।
६७—जवाहर लाल रोहतगी, श्री ... (कानपुर नगर)।
६८—जहीरुल हसनैन, श्री ... जिला गोरखपुर।
६९—जहूर अहमद, श्री ... हाबाद-झांसी नगर।
७०—जाकिर अली, श्री ... गरा-फर्रुखाबाद-इटावा नगर।
७१—जाहिद हसन, श्री ... जिला सहारनपुर (दक्षिण-पश्चिम)।
७२—जुगुल किशोर, श्री ... मथुरा-अलीगढ़-हाथरस नगर।
७३—त्रिलोकी सिंह, श्री ... जिला लखनऊ।
७४—दयालदास, श्री ... जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)।
७५—दाऊदयाल खन्ना, श्री ... मुरादाबाद (पूर्व)।
७६—दामोदर दास, श्री ... जिला शाहजहांपुर (पूर्व) [३१-३-४८ को सदस्यता त्याग दी]।
७७—द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री ... जिला जौनपुर (पूर्व)।
७८—दीनदयालु अवस्थी, श्री ... जिला इटावा (पश्चिम)।
७९—दीप नारायण वर्मा, श्री ... जौनपुर-मिर्जापुर-गाजीपुर-गोरखपुर नगर।
८०—नफीसुल हसन, श्री ... जिला इटावा और कानपुर।

८१—नरेन्द्रदेव, श्री	फ़ैज़ाबाद–बहराइच–सीतापुर नगर [३१–३–४८ को सदस्यता त्याग दी]।
८२—नवाजिश अली खां, श्री ...	फ़ैज़ाबाद–सीतापुर–बहराइच नगर।
८३—नारायण दास, श्री ...	लखनऊ नगर।
८४—निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री ...	जिला मैनपुरी और एटा।
८५—निहालुद्दीन, श्री ...	जिला बदायूं (पूर्व)।
८६—परागी लाल, श्री ..	जिला सीतापुर (उत्तर–पश्चिम)।
८७—पुरुषोत्तमदास टंडन, माननीय श्री ..	इलाहाबाद नगर।
८८—पूर्णमासी, श्री ..	जिला गोरखपुर (उत्तर)।
८९—पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती ..	जिला फर्रुखाबाद (उत्तर)।
९०—प्रकाशवती सूद, श्रीमती ..	जिला मेरठ (उत्तर)।
९१—प्रागनारायण, श्री ..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन।
९२—प्रेम किशन खन्ना, श्री ..	जिला शाहजहांपुर (पश्चिम)।
९३—फखरुल इस्लाम, श्री ..	जिला जौनपुर और इलाहाबाद (उत्तर–पूर्व)।
९४—फजलुर्रहमान खां, श्री ..	जिला शाहजहांपुर (पश्चिम)।
९५—फतेह सिंह राणा, श्री ..	जिला मुजफ्फर नगर (पश्चिम)।
९६—फ़य्याज़ अली, श्री ..	जिला फ़ैजाबाद।
९७—फूल सिंह, श्री ..	जिला सहारनपुर (दक्षिण–पूर्व)।
९८—बदन सिंह, श्री ..	जिला बदायूं (पश्चिम)।
९९—बनारसी दास, श्री ..	जिला बुलन्दशहर (उत्तर)।
१००—बलदेव प्रसाद, श्री ..	जिला गोंडा (उत्तर–पूर्व)।
१०१—बलभद्र सिंह, श्री ..	जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम)।
१०२—बशीर अहमद अन्सारी, श्री ..	जिला बिजनौर (दक्षिण–पूर्व)।
१०३—बादशाह गुप्त, श्री ..	जिला मैनपुरी (उत्तर–पूर्व)।
१०४—बाबू राम वर्मा, श्री ..	जिला एटा (उत्तर)।
१०५—बृजमोहन लाल शास्त्री, श्री ..	जिला बरेली (दक्षिण–पश्चिम)।
१०६—भगवानदीन, श्री ..	कानपुर नगर।
१०७—भगवान दीन मिश्र, श्री ..	जिला बहराइच (दक्षिण)।
१०८—भगवान सिंह, श्री ..	जिला पीलीभीत (दक्षिण)।
१०९—भारत सिंह, श्री ..	जिला मैनपुरी (दक्षिण-पश्चिम)।
११०—भीमसेन, श्री ..	जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम)।
१११—भुवनेश्वरी नारायण वर्मा, श्री ..	जिला बांदा (उत्तर)।
११२—मलखान सिंह, श्री ..	जिला अलीगढ़ (पूर्व) [३१-३-४८ को सदस्यता त्याग दी]।
११३—मंगला प्रसाद, श्री ..	जिला रायबरेली (दक्षिण-पश्चिम)।
११४—मसुरियादीन, श्री ..	इलाहाबाद नगर।
११५—महफूजुर्रहमान, श्री ..	जिला बहराइच (दक्षिण)
११६—महबूब हुसेन खां, श्री ..	जिला सुल्तानपुर।
११७—महमूद अली खां, श्री ..	देहरादून–हरिद्वार–सहारनपुर–मुजफ्फरनगर नगर।
११८—महावीर त्यागी, श्री ..	जिला देहरादून [३–४–४८ को सदस्यता त्याग दी]।
११९—मिजाजी लाल, श्री ..	जिला मैनपुरी (उत्तर–पूर्व)।
१२०—मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री ..	जिला पीलीभीत (उत्तर)।

१२१—मुजफ्फर हसन, श्री ... लखनऊ नगर।
१२२—मुनफ़ैत अली, श्री ... जिला सहारनपुर (उत्तर)।
१२३—मुहम्मद असरार अहमद, श्री . जिला बदायूं (पश्चिम)।
१२४—मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री .. जिला गढ़वाल और बिजनौर (उत्तर-पश्चिम)।
१२५—मुहम्मद इसहाक खां, श्री .. जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व)।
१२६—मुहम्मद इस्माईल, श्री .. जिला मुरादाबाद (दक्षिण-पूर्व)।
१२७—मुहम्मद इस्माईल, श्री .. जिला सीतापुर।
१२८—मुहम्मद उबेदुर्रहमान खां, शेरवानी श्री .. जिला अलीगढ़।
१२९—मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री .. जिला मेरठ (पश्चिम)।
१३०—मुहम्मद नबी सैयद, श्री .. जिला मुजफ्फर नगर (पूर्व)।
१३१—मुहम्मद नजीर, श्री .. जिला बनारस और मिर्जापुर।
१३२—मुहम्मद फारूक, श्री .. जिला गोरखपुर (पश्चिम)।
१३३—मुहम्मद याकूब, श्री .. गाजीपुर और बलिया।
१३४—मुहम्मद यूसुफ, श्री .. जिला इलाहाबाद (दक्षिण-पश्चिम)।
१३५—मुहम्मद रजा खां, श्री .. जिला बरेली (पूर्व, दक्षिण और पश्चिम)।
१३६—मुहम्मद रिजवान अल्लाह, श्री .. गाजीपुर-जौनपुर-गोरखपुर नगर।
१३७—मुहम्मद शकूर, श्री .. बनारस-मिर्जापुर नगर।
१३८—मुहम्मद शमीम, श्री .. जिला रायबरेली।
१३९—मुहम्मद शौकत अली खां, श्री .. जिला बुलन्दशहर (पश्चिम)।
१४०—मुहम्मद सआदत अली खां, श्री .. जिला बहराइच (उत्तर)।
१४१—यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री .. जिला बनारस (पश्चिम)।
१४२—रघुकुल तिलक, श्री .. बुलन्दशहर-मेरठ-हापुड़-खुरजा-नगीना नगर [३१-३-४८ को सदस्यता त्याग दी]।
१४३—रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री .. जिला झांसी (दक्षिण)।
१४४—रघुवंश नारायण सिंह, श्री .. जिला मेरठ (पूर्व)।
१४५—रघुवीर सहाय, श्री .. जिला बदायूं (पूर्व)।
१४६—राजकुमार सिंह, श्री .. आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन।
१४७—राजाराम मिश्र, श्री .. जिला फैजाबाद (पश्चिम)।
१४८—राजाराम शास्त्री, श्री .. कानपुर औद्योगिक-श्रम।
१४९—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री .. जिला हरदोई (मध्य)।
१५०—राधामोहन सिंह, श्री .. जिला बलिया (दक्षिण)।
१५१—राधेश्याम शर्मा, श्री .. जिला बस्ती (पश्चिम)।
१५२—राजकुमार शास्त्री, श्री .. जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व)।
१५३—रामचन्द्र पालीवाल, श्री .. जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)।
१५४—रामचन्द्र सेहरा, श्री .. आगरा नगर।
१५५—रामजी सहाय, श्री .. जिला गोरखपुर (मध्य)।
१५६—रामधर मिश्र, श्री .. इलाहाबाद-लखनऊ तथा आगरा विश्वविद्यालय।
१५७—रामधारी पांडे, श्री .. जिला गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)।
१५८—रामनरेश सिंह, श्री .. जिला सुल्तान पुर (पूर्व) [३१-३-४८ को सदस्यता त्याग दी]।
१५९—रामनारायण, श्री .. अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स।

१६०—राममूर्ति, श्री .. जिला बरेली (उत्तर-पूर्व)।
१६१—रामशंकर लाल, श्री .. जिला बस्ती (दक्षिण-पूर्व)।
१६२—रामशरण, श्री .. मुरादाबाद-अमरोहा-सम्भल-चन्दौसी नगर।
१६३—राम स्वरूप गुप्त, श्री .. जिला कानपुर (दक्षिण)।
१६४—रामेश्वर सहाय सिंह, श्री .. जिला हरदोई (दक्षिण-पूर्व)।
१६५—रुक्नुद्दीन खां, श्री .. जिला प्रतापगढ़।
१६६—रोशन जमां खां, श्री .. जिला गोंडा (दक्षिण-पश्चिम)।
१६७—लक्ष्मी देवी, श्रीमती .. जिला फैजाबाद (पश्चिम)।
१६८—लताफत हुसेन, श्री .. जिला मुरादाबाद (उत्तर-पश्चिम)।
१६९—लाखन दास जाटव, श्री .. जिला बदायूं (पूर्व)।
१७०—लाल बहादुर, माननीय श्री .. जिला इलाहाबाद (गंगापार)।
१७१—लाल बिहारी टंडन, श्री .. जिला गोंडा (पश्चिम)।
१७२—लीलाधर अष्ठाना, श्री .. जिला उन्नाव (पूर्व)।
१७३—लुत्फअली खां, श्री .. जिला मेरठ (पूर्व)।
१७४—लोटन राम, श्री .. जिला जालौन।
१७५—वंशगोपाल, श्री .. जिला फतेहपुर (पूर्व)।
१७६—वंशीधर मिश्र, श्री .. जिला खीरी (दक्षिण-पश्चिम)।
१७७—विजयानन्द मिश्र, श्री .. जिला मिर्जापुर (उत्तर)।
१७८—विद्यावती राठौर, श्रीमती .. जिला एटा (दक्षिण)।
१७९—विनय कुमार मुकर्जी, श्री .. लखनऊ-आगरा-अलीगढ़-इलाहाबाद औद्योगिक मिल श्रम।
१८०—विश्वनाथ प्रसाद, श्री .. जिला मिर्जापुर (उत्तर)।
१८१—विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री .. जिला उन्नाव (पश्चिम)।
१८२—विष्णु शरण दुब्लिश, श्री .. जिला मेरठ (उत्तर)।
१८३—बीरबल सिंह, श्री .. जिला जौनपुर (पश्चिम)।
१८४—वीरेन्द्र शाह, श्री .. आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन।
१८५—वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री .. जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व)।
१८६—शंकर दत्त शर्मा, श्री .. जिला मुरादाबाद (पश्चिम)।
१८७—शिवकुमार पाण्डेय, श्री .. जिला इलाहाबाद (दुआबा)।
१८८—शिव दयाल उपाध्याय, श्री .. जिला फतेहपुर (पश्चिम)।
१८९—शिवदान सिंह, श्री .. जिला अलीगढ़ (पश्चिम)।
१९०—शिवमंगल सिंह, श्री .. जिला मथुरा (पूर्व) और जिला एटा (पश्चिम)।
१९१—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री .. जिला आजमगढ़ (दक्षिण)।
१९२—शीतलाप्रसाद सिंह, श्री .. सुल्तानपुर जिला (पश्चिम) [५-४-४८ से सदस्य नहीं रहे]।
१९३—श्याम लाल शर्मा, श्री .. जिला नैनीताल।
१९४—श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री .. जिला प्रतापगढ़ (पूर्व)।
१९५—श्रीचन्द सिंघल, श्री .. जिला अलीगढ़ (मध्य)।
१९६—श्रीपति सहाय, श्री .. जिला हमीरपुर।
१९७—सज्जन देवी महनोत, श्री .. बनारस नगर।
१९८—सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री .. बनारस नगर।
१९९—सरवत हुसैन, श्री .. जिला मुरादाबाद (उत्तर-पूर्व)।

२००—सर्वजीत लाल वर्मा, श्री	..	जिला फैजाबाद (पूर्व) [३१-३-४८ को सदस्यता त्याग दी]।
२०१—सलीम हामिद खां, श्री	..	जिला झांसी, जालौन और हमीरपुर।
२०२—साजिद हुसेन, श्री	..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन।
२०३—सालिगराम जायसवाल, श्री	..	जिला इलाहाबाद (यमुनापार)।
२०४—सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, श्री	..	जिला गाजीपुर (पूर्व) [३१-३-४८ को सदस्यता त्याग दी]।
२०५—सिंहासन सिंह, श्री	..	जिला गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)।
२०६—सिराज हुसेन, श्री	..	जिला पीलीभीत।
२०७—सीताराम अष्ठाना, श्री	..	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
२०८—सुचेता कृपलानी, श्री	..	जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व)।
२०९—सुदामा प्रसाद, श्री	..	जिला गोरखपुर (उत्तर)।
२१०—सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	..	जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)।
२११—सुल्तान आलम खां, श्री	..	जिला फर्रुखाबाद।
२१२—सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री	..	जिला उन्नाव (दक्षिण)।
२१३—सईद अहमद, श्री	..	जिला ननीताल, अल्मोड़ा और बरेली (उत्तर)।
२१४—हबीबुर्रहमान खां, श्री	..	जिला खीरी।
२१५—हरगोविन्द पन्त, श्री	..	जिला अल्मोड़ा।
२१६—हर प्रसाद (सत्यप्रेमी), श्री	..	जिला बाराबंकी (दक्षिण)।
२१७—हरप्रसाद सिंह, श्री	..	जिला बांदा (दक्षिण)।
२१८—हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री	..	जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम) [३१-३-४८ को सदस्यता त्याग दी]।
२१९—हरिहरनाथ शास्त्री, श्री	..	ट्रेड यूनियन निर्वाचन क्षेत्र।
२२०—हसन अहमद शाह, श्री	..	जिला फतेहपुर और बांदा।
२२१—हसरत मोहानी, श्री	..	कानपुर नगर।
२२२—हुकुम सिंह, माननीय श्री	..	जिला बहराइच (उत्तर)।
२२३—होती लाल अग्रवाल, श्री	..	जिला इटावा (पूर्व)।
२२४—हैदर बख्श, श्री	..	जिला मथुरा तथा आगरा।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

के

पदाधिकारी

स्पीकर

१—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, एम० ए०, एल-एल० बी०।

डिप्टी स्पीकर

२—श्री नफ़ीसुल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी०।

सेक्रेटरी

३—श्री कैलास चन्द्र भटनागर, एम० ए०।

असिस्टेंट सेक्रेटरी

४—श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए०।

सुपरिन्टेन्डेन्ट

५—श्री राधे रमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी०।

६—श्री सी० जे० एडम्स, बी० ए०।

संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

मंगलवार, ३० मार्च, सन् १९४८ ई०

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

सदस्यों की सूची
उपस्थित (१६६)

अजित प्रताप सिंह
अजित प्रसाद जैन
अब्दुल ग़नी अन्सारी
अब्दुल बाकी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल हमीद
अम्मार अहमद खां
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
उदयवीर सिंह
ऐजाज़ रसूल सैयद
कमलापति तिवारी
करीमुर्रज़ा खां
कुंजबिहारी लाल शिवानी
कृपा शंकर
कृष्णचन्द्र
केशव गुप्त
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
खानचन्द गौतम
खुशवक़्त राय
खुशीराम
खूब सिंह
गजाधर प्रसाद
गणपति सहाय
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्द सहाय
गङ्गाधर
गङ्गा प्रसाद
गङ्गा सहाय चौबे
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रिका लाल
चरण सिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ प्रसाद
जगन्नाथ सिंह
जगन्नाथ बख्श सिंह
जगन प्रसाद रावत
जगमोहन सिंह नेगी
जमालुद्दीन अब्दुल वहाब
जवाहरलाल
ज़ाहिद हुसन
ज़हीरुल हसनैन लारी
ज़हूर अहमद
ज़ाकिर अली
जैराम वर्मा
त्रिलोकी सिंह
दाऊ दयाल खन्ना
दामोदर दास

द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु
दीप नारायण वर्मा
धर्मदास, अल्फरेड
नफीसुल हसन
नरेन्द्रदेव
नारायण दास
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रागनारायण
परागीलाल
प्रेमकिशन खन्ना
फखरुल इस्लाम
फतेह सिंह राणा
फिलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल
फूल सिंह
फैयाज अली
बंश गोपाल
बन्शीधर मिश्र
बदन सिंह
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बलभद्र सिंह
बशीर अहमद
बादशाह गुप्त
विजयानन्द
बीरबल सिंह
बीरेन्द्र शाह
भगवानदीन मिश्र
भगवान सिंह
भारत सिंह यादवाचार्य
भीमसेन
भुवनेश्वरी नारायण वर्मा
मङ्गला प्रसाद
मलखान सिंह
मसुरिया दीन
महफूजुर्रहमान
महबूब हुसैन खां
महमूद अली खां
महावीर त्यागी
मिजाजी लाल
मुकुन्द लाल अग्रवाल
मुजफ्फर हसन
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इसहाक खां
मुहम्मद रजा खां
मुहम्मद इस्माइल (मुरादाबाद)
मुहम्मद नबी
मुहम्मद फारूक
मुहम्मद युसुफ
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुकुल तिलक
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुबीर सहाय
रघुवंश नारायण सिंह
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन राय
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार पांडे
रामकुमार शास्त्री
रामधर मिश्र
रामचन्द्र सेहरा
रामचन्द्र पालीवाल
रामजी सहाय
रामनरेश सिंह
राम मूर्ति
राम शंकर लाल
रामशरण
राम स्वरूप गुप्त
रामेश्वर सहाय सिंह

लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफ़त हुसेन
लाखन दास जादव
लालबहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लुत्फ़ अली खां
लोटनराम
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
विष्णु शरण दुब्लिश
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकर दत्त शर्मा
शिवकुमार पांडे
शिव दयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिवमंगल सिंह कपूर
शौकतअली खां, मुहम्मद
श्याम लाल वर्मा
श्यामसुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द्र सिंघल
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सर्वजीतलाल वर्मा
सरवत हुसैन काज़ी
सलीम हामिद खां
साजिद हुसैन राजा सैयद
सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह
सीताराम अष्ठाना
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सुल्तान आलम खां
सूर्य प्रसाद अवस्थी
सईद अहमद
हबीबुर्रहमान खां
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हरगोविन्द पन्त
हरप्रसाद सत्यप्रेमी
हरप्रसाद सिंह
हरिश्चन्द्र बाजपेयी
हसन अहमद शाह
हुकुम सिंह माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३० मार्च, सन १९४८ ई०

[सोमवार, २९ मार्च, सन १९४८ ई० के शेष प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

युक्त प्रान्त में प्राकृतिक चिकित्सा

*४७—श्री श्रीचन्द सिंघल (अनुपस्थित)—

प्राकृतिक चिकित्सा की उन्नति के विषय में सरकार क्या कर रही है ?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)—

अभी कुछ नहीं कर रही है।

*४८—श्री श्रीचन्द सिंघल (अनुपस्थित)—

अगर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो आगे इस सिलसिले में क्या करने का विचार है ?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव—

निकट भविष्य में किसी दशा में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

सेक्रेटेरियट के अनुवाद विभाग के सुपरिण्टेण्डेण्ट की हिन्दी की योग्यता

*४९—श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर—

क्या यह सत्य है कि सेक्रेटेरियट के अनुवाद विभाग के सुपरिण्टेण्डेण्ट हिन्दी नहीं जानते और हिन्दी शाखा के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट भी पर्शियन के ग्रेजुएट हैं ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मन्त्री (श्री गोविन्द सहाय)—

जी हां ! असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट यद्यपि फारसी के ग्रेजुएट हैं किन्तु उनको हिन्दी भाषा से पूरी जानकारी है।

श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर—

क्या सरकार को यह मालूम है कि ये सुपरिण्टेण्डेण्ट महोदय केवल हिन्दी ही नहीं जानते हैं, किन्तु हिन्दी के विरोधी भी हैं और उस स्थान पर रोमन-इंगलिश का प्रचार कर रहे हैं ?

श्री गोविन्द सहाय—

ऐसी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर—

क्या सरकार यह बतायेगी कि जब कि वे हिन्दी नहीं जानते हैं तो इनको किसी दूसरे उपयुक्त स्थान पर भेजने को क्यों नहीं सोचा गया ?

श्री गोविन्द सहाय—

जो उनके लायक होगा उसके मुताबिक उनको स्थान दिया जायगा।

सेक्रेटेरियट के अनुवाद विभाग में हिन्दी में कार्य की अधिकता

*५०—श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर—

क्या यह सत्य है कि अनुवाद विभाग में सरकार की वर्तमान "राज भाषा हिन्दी" की घोषणा के अनुसार उर्दू का कार्य न होने पर भी वहां उर्दू के अनुवादकों की एक बड़ी संख्या हिन्दी अनुवादकों के समान ही बनी हुई है ?

श्री गोविन्द सहाय—

जी नहीं, इस समय अनुवाद विभाग में उर्दू के अनुवादकों की संख्या केवल ४ है, जो कि किसी विशेष काम के लिये है और हिन्दी के अनुवादकों की संख्या २६ है। सम्भव है कि कुछ समय के बाद उर्दू के अनुवादकों की संख्या और भी घटा दी जाय।

*५१—श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर—

क्या यह सत्य है कि गजट के हिन्दी में छपने के कारण अनुवाद विभाग में हिन्दी का काम बढ़ गया है ? क्या वहां जब कोई हिन्दी अनुवादक छुट्टी में जाता है तो उसके स्थान में काम करने के लिये कोई अस्थायी आदमी नहीं रखा जाता ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री गोविन्द सहाय—

जी हां ! इस विषय में कोई विशेष नियम नहीं हैं, किन्तु साधारणतः थोड़े दिनों की जगहों में कोई आदमी नहीं रक्खा जाता।

श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर—

क्या सरकार ने एक आफ़िसर आन स्पेशल ड्यूटी अनुवाद विभाग की सहायता के लिये नियुक्त किया है ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लालबहादुर शास्त्री)—

जी हां, नियुक्त किया है और इसका काम बहुत बढ़ गया है। हिन्दी राज भाषा होने के कारण इसका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसमें बहुत से काम करने हैं, नयी शब्दावली बनानी है। इस वजह से एक नया ओ० एस० डी० मुकर्रर किया गया है और उनको एक सहायक भी दिया गया है और जैसा कि सूचित किया गया है, नये अनुवादक हिन्दी के रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि इससे अनुवाद विभाग का काम, जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं, उसके अनुसार होगा।

चेयरमैन डिस्ट्रीक्ट डेवलपमेंट असोसियेशन के अधिकार

* ५२—श्री वंशगोपाल—

चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट असोसियेशन के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं? क्या वह इस विभाग का एक्जीक्यूटिव प्रधान है?

माननीय पुलिस सचिव—

जिला सुधार संघ (डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट असोसियेशन) का चेयरमैन गैर सरकारी व्यक्ति होता है और वह सुधार संघों तथा समिति की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिये सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। नियमों में संशोधन होने तक चेयरमैन के कर्तव्य वे ही रहेंगे और उसका नियंत्रण उतना ही रहेगा जितना कि पुराने ग्राम सुधार संघ का था।

श्री वंशगोपाल—

क्या सुधार संघ जिला की बैठकों में अध्यक्षता करने के अलावा और कोई भी अधिकार चेयरमैन का है?

माननीय पुलिस सचिव—

जी हां, उनका अधिकार अफसरों के काम को देखना और अगर कोई खराबी हो, तो उसको सुधारना है।

श्री सुल्तान आलम खां—

क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि यह चेयरमैन नामजद होते हैं या इनका इन्तखाब होता है?

माननीय पुलिस सचिव—

गवर्नमेंट नामजद करती है।

श्री फखरुल इस्लाम—

क्या गवर्नमेंट यह बतलाने की मेहरबानी करेगी कि इन चेयरमैन का इन्तखाब नामजदगी के उसूलों पर होता है?

माननीय पुलिस सचिव—

जी हां! जिले के नामवर पब्लिक वर्कर्स से होता है यानी जिनके बारे में यह ख्याल होता है कि वह डेवलपमेंट के कामों में काफी दिलचस्पी लेते हैं और उसको वह अच्छी तरह से कर सकेंगे, तो इसी लिहाज से नामजदगी होती है।

* ५३—श्री वंश गोपाल—

डेवलपमेंट असोसियेशन की कार्य-कारिणी कमेटी के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं?

मानतीय पुलिस सचिव—

जिला सुधार संघों के कर्तव्य ता० १० जुलाई सन १९४७ ई० के सरकारी प्रस्ताव सं० ५७७—डी० सी०—२२९-४७, ता० १० जुलाई, १९४७ ई० के ४, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, में निर्धारित किये गये हैं और जैसा कि वह हाल के परिपत्रों (सर्क्युलरों) द्वारा संशोधित हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०३ पर)

* ५४—श्री वन्शगोपाल—

क्या यह ठीक है कि सन १९३७-३८ ई० में ग्राम सुधार बोर्ड के चेयरमैन को दफ्तर के क्लर्कों और आर्गनाइजरों पर पूर्ण अधिकार था ?

माननीय पुलिस सचिव—

जी नहीं, संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार विभाग के नियम समूह सन १९४३ ई० के नियम ८ के अनुसार कार्यकारिणी समिति बहुमत से आर्गनाइजर या जिला क्लर्क के चाल-चलन की जांच के लिये आदेश दे सकती थी और जांच होने तक उसको मुअत्तल कर सकती थी। जांच चेयरमैन एवं सेक्रेटरी के द्वारा की जाती थी। वे कार्यकारिणी समिति की राय लेकर अपनी जांच को सम्बन्धित डिवीजनल सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास भेज देते थे जिसको उस समय आर्गनाइजर और जिले के क्लर्क नियुक्त करने का अधिकार था। डिवीजनल सुपरिण्टेण्डेण्ट इस जांच को ऐसे परिवर्तन के साथ, जो आवश्यक हों, स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था और नियमों के अनुसार अपराधी व्यक्ति को दण्ड दे सकता था।

श्री वंशगोपाल—

क्या पुराने ग्रामसुधार संघ के चेयरमैन को यह अधिकार था कि वह अर्गनाइजर को सीधे हुक्म दे सके या उनसे काम ले सके और क्या यह अधिकार अब भी कायम है ?

माननीय पुलिस सचिव—

जी हां, पहले यह अधिकार था और अब भी वह उनसे काम ले सकते हैं, लेकिन जो जिले के अफ़सर हैं उनके द्वारा ही चेयरमैन को अब भी काम लेना चाहिए।

श्री वंशगोपाल—

क्या उनको काम करने के लिये वह डायरेक्ट हुक्म नहीं दे सकता ?

माननीय पुलिस सचिव—

मुनासिब तो यही होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट का इन्चार्ज हो उसके ही मातहत चेयरमैन अपना काम दूसरों से करावे।

श्री वंशगोपाल—

क्या यह अधिकार जो पहले था इस समय भी कायम है ?

मानननीय पुलिस सचिव—

जी हां !

*५५—श्री वंशगोपाल—

क्या सरकार को इस बात का पता है कि डेवलपमेंट कमिश्नर ने एक सर्क्युलर नं- ३, ता० २२ अगस्त सन १९४७ ई० को निकाला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिला सुधार संघ के अफसरों को फील्ड स्टाफ पर प्रबन्ध सम्बन्धी पूर्ण अधिकार होंगे और इन संघों को प्रत्यक्ष रूप से नौकरों पर कोई अधिकार न होगा, अगर किसी चेयरमैन या असोसियेशन के सदस्य को यह पता चले कि कोई फील्ड स्टाफ वाला ठीक रीति से काम नहीं कर रहा है, तो ठीक तरीक़ा यह होगा कि वह उसके कर्तव्यच्युत होने की बात उस विभाग के जिले के अफसर के नोटिस में लावे ?

माननीय पुलिस सचिव—

जी हां !

* ५६—श्री वंशगोपाल—

क्या यह सर्क्युलर माननीय मन्त्री, सुधार संघ की सम्मति से निकाला गया है ? यदि उत्तर "हां" में है तो इसका कारण क्या है कि चेयरमैन अथवा सुधार संघ को विभाग के नौकरों पर कोई अधिकार नहीं दिये गये ?

माननीय पुलिस सचिव—

जी हां, प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार चेयरमैनों को हस्तान्तरित करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इससे उनको वैभागिक कार्य में जुटना पड़ेगा और यह सम्भव है कि गैर सरकारी होने के कारण उनकी जो उपयोगिता है वह भी कम हो जायगी, इस हालत में चेयरमैन स्वयं सरकारी नौकर बन जायेंगे और सरकारी नौकरों पर जो प्रतिबन्ध लागू होते हैं वे सब उन पर भी लागू हो जायेंगे। सरकार इस बात को सबसे अधिक महत्व देती है कि संघ के गैर सरकारी मेम्बर और चेयरमैन सुधार की ऐसी सब कार्यवाहियों में, जो सुधार संघों के अन्तर्गत आती हैं, प्रत्यक्ष रूप से अधिक से अधिक दिलचस्पी लें और यदि आवश्यकता हो तो देख रेख करें।

श्री वंशगोपाल—

क्या गोरखपुर और लखनऊ में जिला सुधार संघों के चेयरमैनों की मीटिंगें हुई थीं और उनमें माननीय मिनिस्टर साहब ने यह आश्वासन दिया था कि चेयरमैनों के अधिकार बढ़ाये जायें ?

माननीय पुलिस सचिव—

माननीय सदस्य कहते हैं तो उन्होंने कहा होगा, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि जो उन्होंने वहां कहा उसके अनुसार बिल्कुल करते ही। यह सम्भव हो सकता है कि जो बातें कही गईं उनपर विचार करके वह अपनी राय बदल भी सकते हैं।

श्री वंशगोपाल—

क्या यह बात ठीक है कि उसके बाद फिर एक सर्क्युलर उसी डिपार्टमेंट की तरफ से गया और उसमें यह दिया हुआ था कि जो अख्तियारात पहले थे वही रहेंगे और अब बढ़ाये नहीं जायेंगे ?

माननीय पुलिस सचिव—

यह तो जवाब में बहुत साफ कर दिया गया है कि गवर्नमेंट यह उचित नहीं समझती कि गैर सरकारी चेयरमैनों को किसी को हटाने या मुअत्तल करने या निकालने के कामों में पड़ने की आवश्यकता है। मगर यह बात साफ है कि उनकी जो राय होगी उस राय के अनुसार डिस्ट्रिक्ट इन्चार्ज काम करेंगे और साथ ही साथ मैं यह भी बता दूं कि यह भी हिदायत दी गयी है कि जब कैरेक्टर रोल्स में वार्षिक एंट्री होगी, तो उसमें चेयरमैनों की राय मांगी जायगी और उसी के अनुसार उसमें लिखा जायगा।

श्री वंशगोपाल—

क्या यह भी आश्वासन दिया गया था कि चेयरमैनों को चपरासी और क्लर्क भी मिलेगा और वह अभी तक नहीं मिला है ?

माननीय पुलिस सचिव—

इस प्रश्न से यह बात उठती ही नहीं, लेकिन अगर मेम्बर साहब जानना चाहेंगे तो बाद को बतला दूंगा।

श्री वंशगोपाल—

क्या किसी चेयरमैन या संघ ने सरकार की इस नीति से विरोध प्रकट किया है ? यदि हां, तो कितनों ने ?

माननीय पुलिस सचिव—

चेयरमैनों की दो सभाओं में इस पर वाद विवाद हुआ था और साधारणतया यह बात मान ली गई कि चेयरमैनों के विचार मालूम किये जायेंगे और जिले के वैभागिक अफसरों के कार्य वार्षिक टीका टिप्पणी करते समय उन पर विचार किया जायगा।

श्री सुल्तान आलम खां—

क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतलायेगा कि चेयरमैनों की दोनों कान्फ्रेन्सों में, जो तजावीज सरकार के सामने रखी गयी थी, वह उसको मानती है या नहीं मानती है ?

माननीय पुलिस सचिव—

तजवीजें जो रखी गयी थीं वह गवर्नमेंट के विचार के लिए रखी गयी थीं और उन पर गवर्नमेंट ने गौर किया और जो जरूरत होगी आइन्दा गौर करेगी।

डिप्टी कमिश्नर, अल्मोड़ा के दफ्तर में सन १९४४ ई० से सन १९४६ ई० तक नियुक्तियाँ

*५८—श्री जगमोहन सिंह नेगी—

(क) क्या सरकार कृपया उन लोगों के नाम योग्यता सहित बतलायेगी जिनकी नियुक्ति डिप्टी कमिश्नर, अल्मोड़ा के दफ्तर में सन १९४४ व सन १९४५ व सन १९४६ ई० में की गई हो ?

(ख) उनमें से कितने व कौन-कौन अभी तक स्थायी कर दिये गये हैं ?

माननीय माल सचिव (श्री हुकुम सिंह)-

(क) निम्नलिखित व्यक्ति इस दफ्तर में सन १९४४-४५ और १९४६ ई० में नियुक्त किये गये:—

		नाम	योग्यता
१९४४ ई० में	१	चिन्ता सिंह नेगी	हाई स्कूल पास
	२	हरी शंकर पांडे	,,
	३	त्रिलोक चन्द्र जोशी	मिलिटरी सर्विस
१९४५ ई० में	१	विजय सिंह	हाई स्कूल
	२	धनी लाल	,,
१९४६ ई० में	१	हीरा सिंह	,,
	२	शिवदत्त जोशी	इन्टरमीडियेट
	३	देवी लाल वर्मा	हाई स्कूल

(ख) उपर्युक्त सभी व्यक्ति स्थायी कर दिये गये हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

क्या इस सूची के अन्दर वह क्लर्क्स भी शामिल हैं, जो डिप्टी कलेक्टर्स के यहां होते हैं ?

माननीय माल सचिव—

सवाल में जिन लोगों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कहा गया था वह ही शामिल हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो कलर्क्स डिप्टी कलेक्टस के यहां रहते हैं उनकी भर्ती डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से होती है ?

माननीय माल सचिव—

मैं इसका ठीक जवाब इस वक्त नहीं दे सकता।

श्री हर गोविन्द पन्त—

जो सूची इस प्रश्न के उत्तर में दी गई है क्या उसमें पेड अप्रेंटिसेज भी शामिल हैं या नहीं ?

मानतीय माल सचिव—

इसमें वह लोग भी शामिल हैं जिनकी नियुक्ति, जो साल दिये गये हैं, उनमें हुई थी।

* ५६—श्री जगमोहन सिंह नेगी—

(क) क्या यह सच है कि सन १९४४ ई० में जो आदमी भर्ती किये गये थे और भर्ती के समय जिनकी अवस्था नियमानुकूल थी उनको स्थायी न करके उन लोगों को स्थायी कर दिया गया, जो बाद में भर्ती किये गये थे ?

(ख) क्या यह भी सच है कि उन पहिले भर्ती किये गये लोगों में कुछ लोगों को ओवर एज करार कर दिया गया है ?

माननीय माल सचिव—

(क) ऐसा नहीं किया गया है।

(ख) ऐसा नहीं किया गया है।

*६०— श्री जगमोहन सिंह नेगी—

(क) क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि अल्मोड़ा, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में भर्ती के समय अवस्था क्या होनी चाहिये ?

(ख) क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि वे लोग, जो ओवर एज करार कर दिये गये हैं, उनकी अवस्था भर्ती के समय क्या थी ?

(ग) क्या यह सच है कि भर्ती के समय वे लोग हर प्रकार से योग्य थे और अवस्था-सम्बन्धी कोई भी अड़चन उस समय नहीं थी ?

माननीय माल सचिव—

(क) भर्ती शब्द का तात्पर्य स्पष्ट नहीं है। पेड अपरेंटिसों की नियुक्ति अधिक से अधिक २१ वर्ष की अवस्था तक की जाती है और स्थायी स्थानों पर २५ वर्ष तक नियुक्त किया जाता है।

(ख) कोई भी व्यक्ति ओवर एज नहीं करार दिया गया, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जो लोग भर्ती किये गये थे वे सब नियुक्ति के समय हर प्रकार से योग्य थे। योग्यता-सम्बन्धी कोई अड़चन उस समय नहीं थी।

राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेनेवाले व्यक्तियों के जुर्माने की वापसी

*६१—श्री खुशवक्त राय—

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि सन १९२१ ई० में व १९३० ई० में व १९३२ ई० में, जिन भाइयों ने सत्याग्रह किया था या उस समय की सरकार के खिलाफ बगावत का झण्डा ऊंचा किया था, उनको सजायें भी हुई थीं और उन पर जुर्माने भी हुए थे ?

(ख) क्या आधुनिक सरकार का बिचार है कि इन भाइयों के जुर्माने वापस कर दिये जायें ?

मानतीय पुलिस सचिव—

(क) जी हां।

(ख) १९२०-२१ ई० का आन्दोलन हुये बहुत समय बीत गया। उसके कागज आदि का पता लगाना भी सम्भव नहीं। इसलिये उस सम्बन्ध में कुछ कर सकना गवर्नमेन्ट के लिये कठिन ही है।

श्री खुशवक्त राय—

क्या सरकार इस बात को तैयार है कि जो तरीके गवर्नमेंट के पास हैं उनको पता लगाने में इस्तेमाल करे।

माननीय पुलिस सचिव—

जी हां, अगर माननीय सदस्य किसी खास मामले को पेश करेंगे, तो गवर्नमेंट उस पर विचार करने के लिए तैयार है।

श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी—

क्या गवर्नमेंट उन लोगों के कुल जुर्माने वापिस करने के लिए तैयार होगी जिनको सजा हुई है या जुर्माने हुए हैं, बिना किसी भेदभाव के या व्यक्ति पर ध्यान देकर वापिस करेगी ?

माननीय पुलिस सचिव—

सवाल स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री कुञ्ज बिहारी लाल शिवानी—

क्या सरकार उन सत्याग्रहियों के जुर्माने वापस करेगी जिन्होंने पिछले सत्याग्रह आंदोलनों सन १९२०-२१ तथा सन १९३० ई० में भाग लिया था और जिन पर जुर्माने हुए हैं या केवल व्यक्तियों पर ध्यान देकर वापस करेगी ?

माननीय पुलिस सचिव—

आपने जवाब में देखा होगा कि यह कहा गया है कि कागजात का मिलना बहुत कठिन है। इसलिए सन १९२०-१९२१ तथा १९३० ई० का प्रश्न ही नहीं आता। अगर किसी खास आदमी का मामला गवर्नमेंट के सामने लाया जायेगा, तो गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी। उसमें किसी भेद-भाव का सवाल पैदा नहीं होगा।

सन १९४२ई० के राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वालों के हथियारों की वापसी

*६२—श्री श्यामलाल वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सन ४१-४२ ई० के आन्दोलन के सम्बन्ध में जो बन्दूकें व अन्य शस्त्र जब्त किये गये थे, वापस कर दिये गये ?

नोट—तारांकित प्रश्न सं० ६२ से लेकर ६४ तक श्री जगमोहन सिंह नेगी ने पूछे।

मानननीय पुलिस सचिव—

सरकार ने हुक्म जारी कर दिया है कि वह हथियार, जो आन्दोलन में हिस्सा लेने के कारण जब्त कर लिये गये थे, यदि बिके न हों, तो उन्हीं व्यक्तियों को वापस कर दिये जायें बशर्ते कि वे आर्म्स ऐक्ट के अन्दर लाइसेंस के अधिकारी हों।

*६३—श्री श्यामलाल वर्मा (अनुपस्थित)—

इन जब्त किये गये शस्त्रों व बन्दूकों में से नैनीताल जिले में कितने बेंच दिये गये ?

माननीय पुलिस सचिव—

नैनीताल जिले में कुल २४ जब्त हथियार बेंचे गये। इनमें सन ४२ ई० से सम्बन्धित कितने थे, उसकी कोई सूचना अब नहीं है।

* ६४—श्री श्यामलाल वर्मा (अनुपस्थित)—

नैनीताल जिले में कितनी जब्त बन्दूकें व शस्त्रों के बिकने पर उनकी कीमतें वापस की गईं ?

माननीय पुलिस सचिव—

जब्त हथियारों में से किसी का मूल्य वापस नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बन्दूकों की कीमत वापस करने को तैयार है या नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—

जी हां ! जो पुरानी कीमत थी उसी पर।

श्री शिव मंगल सिंह कपूर—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन १९४१-४६ ई० में, जो बन्दूकें अधिकारियों ने ले ली हैं, उसके मुताबिक़ सरकार की क्या नीति है, वापस करने की ?

माननीय पुलिस सचिव—

हथियार जो हैं उनको कोई खरीद सकता है, इसमें सरकारी अफसरों की बात पैदा नहीं होती।

अल्मोड़ा ऊलन स्टोर के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

* ६५—श्री खुशीराम—

(क) अल्मोड़ा ऊलन स्टोर का सन १९४५-१९४६ व १९४७ ई० में तैयार किया हुआ कितनी कीमत का ऊनी माल, स्टोर में व भिन्न-भिन्न स्थानों में बकाया है ?

(ख) इस बकाया ऊनी कपड़ों में कौन से किस्म का कपड़ा सबसे अधिक बकाया है ?

(ग) यह कपड़ा जो सबसे अधिक बकाया है किस बिना पर तैयार किया गया ?

(घ) इस बकाया कपड़े की हालत कैसी है ?

(ङ) इस कपड़े को बेचने का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

(च) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष इस कपड़े की बिक्री के मूल्य पर २५ फी सैकड़ा की कमी की गई थी ?

(छ) क्या उद्योग विभाग इस कपड़े की बिक्री के मूल्य पर और भी कमी करने का विचार कर रहा है ?

माननीय पुलिस सचिव—

(क) यह मालूम नहीं हो सकता कि भिन्न-भिन्न वर्षों में तैयार किया हुआ कितना कपड़ा प्रत्येक स्टोर में बाकी है। इस समय जो स्टाक मौजूद है उसकी कीमत नीचे दी है:—

		रु०	आ०	पा०
अल्मोड़ा	...	३८,७६८	४	३
नजीबाबाद	...	३४,३२६	०	०
बागेश्वर	...	३,६४६	२	६
भुवाली	...	८,२६३	०	०
	योग	८५०६६	७	०

(ख) सादा कपड़ा सबसे अधिक परिमाण में स्टाक में शेष है।

(ग) चूंकि इस सादे कपड़े की मांग जन-समुदाय के अतिरिक्त सरकारी दफ्तरों में भी वर्दियों के लिये थी, इसलिये इसका उत्पादन अधिक परिमाण में कराया गया।

(घ) अधिकतर इस कपड़े की हालत अच्छी है केवल नजीबाबाद में कुछ झींगुर इत्यादि लग गये थे जैसा कि आमतौर से ऊनी कपड़ों में लग जाते हैं, परन्तु इससे कोई विशेष हानि नहीं हुई।

(ङ) इस कपड़े को सीधे स्टोर-सहकारी समितियों ने यू० पी० हैन्डीक्रैफट, लखनऊ के द्वारा बेचने का प्रबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री गान्धी आश्रम ने लगभग ५-६ हजार का कपड़ा बेचने के लिये लिया है।

(च) बाजार भाव के अनुसार २५ प्रतिशत कमी की गई थी।

(छ) अभी बिक्री के भाव में कमी करने का विचार नहीं है, परन्तु भविष्य में बाजार भाव के अनुसार भाव में कमी या बढ़ती की जायगी।

*६६—श्री खुशी राम—

(क) क्या यह सही है कि अल्मोड़ा ऊलन स्टोर में बना कपड़ा फिनिशिंग करने को नजीबाबाद भेजा जाता है ?

(ख) क्या अल्मोड़ा में ही फिनिशिंग करने के साधन प्राप्त नहीं किये जा सकते ?

(ग) क्या यह सही है कि नजीबाबाद में इस कपड़े में कीड़ा लग गया ?

(घ) क्या अल्मोड़े से ऊलन स्टोर के कुछ कर्मचारी इस कपड़े की परीक्षा करने के लिए इस साल नजीबाबाद भेजे गये ? क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी ?

(ङ) क्या नजीबाबाद से यह कपड़ा फिर अल्मोड़ा भेजा जा रहा है ?

(च) अल्मोड़ा से नजीबाबाद और फिर नजीबाबाद से अल्मोड़ा भेजने का कुल कितना खर्च इस कपड़े पर पड़ा ?

माननीय पुलिस सचिव—

(क) कुछ कपड़ा प्रयोग के लिये नजीबाबाद भेजा गया था।

(ख) चूँकि इस समय अल्मोड़ा में इतना कपड़ा नहीं बनता है कि फिनिशिंग प्लांट लगाया जाय।

(ग) कुछ कपड़ों में झींगुर लग गये थे जैसा कि बहुधा ऊनी कपड़ों में कुछ कीड़े लग जाते हैं।

(घ) जी हां, ऊलन स्टोर के स्पेशल डिजाइनर और सुपरिण्टेण्डेण्ट जांच के लिये उस स्थान पर भेजे गये थे। उन्होंने उसकी रिपोर्ट भेजी है।

(ङ) जी नहीं, यह कपड़ा नजीबाबाद से अल्मोड़ा नहीं भेजा जा रहा है।

श्री खुशी राम—

कितना नुकसान कीड़ों के लगने से हुआ होगा ?

माननीय पुलिस सचिव—

रकम तो नहीं मालूम है मगर बहुत साधारण नुकसान हुआ है।

*६७—श्री खुशी राम—

(क) अल्मोड़ा में ऊलन-स्टोर के लिये कितने मकान, किस किराये पर लिये हुये हैं ?

(ख) यह मकान किस-किस काम आ रहे हैं ?

(ग) क्या इन मकानों में कोई उद्योग विभाग के अफसरों के रहने के काम भी इस साल लाये गये ?

मानननीय पुलिस सचिव—

(क) तीन मकान किराये पर लिये गये हैं।

(ख) एक मकान में ऊन स्टोर के सुपरिएटेण्डेएट का दफ्तर और वर्कशाप है और दो मकान रंगाई ऊन तथा सूत गोदाम के लिये हैं।

(घ) इन मकानों में से कोई मकान उद्योग विभाग के अफसरों के रहने के लिये इस साल काम में नहीं लाया गया है।

*६८—श्री खुशी राम—

(क) ऊलन स्टोर के सुपरिएटेण्डेएट के टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या हैं?

(ख) क्या पिछले साल ऊलन स्टोर के सुपरिएटेण्डेएट तिब्बत भी भेजे गये?

(ग) तिब्बत में उन्होंने क्या काम किया और क्या उनके काम की कोई रिपोर्ट प्रकाशित हुई?

माननीय पुलिस सचिव—

(क) गवर्नमेंट सेन्ट्रल टेक्सटाइल इन्स्टीटयूट कानपुर के डिप्लोमा होल्डर हैं।

(ख) जी हां।

(ग) उन्होंने तिब्बत में ऊन बेचने वालों से ऊन मोल लेने के सम्बन्ध में बातचीत की, पर प्रान्तीय सरकार की आज्ञा के अनुसार वापस बुला लिये गये। इस सम्बन्ध में उनके काम की रिपोर्ट प्रकाशित कराने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

*६९—श्री खुशी राम—

(क) अल्मोड़ा ऊलन स्टोर के अन्तर्गत कितने कताई-केन्द्र हैं?

(ख) क्या इनमें कोई कताई-केन्द्र केवल स्त्रियों के लिये भी है?

(ग) क्या केवल स्त्रियों का कोई कताई-केन्द्र अल्मोड़े में था?

(घ) वह कब और क्यों तोड़ा गया?

माननीय पुलिस सचिव—

(क) अल्मोड़ा ऊलन स्टोर के अन्तर्गत १९ कताई-केन्द्र हैं।

(ख) इन कताई-केन्द्रों में कोई केन्द्र केवल स्त्रियों के लिये नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) पिछली लड़ाई के समय में जब कि स्त्रियों की संख्या बहुत कम हो गई, तो वह केन्द्र तोड़ दिया गया।

श्री खुशी राम—

इसका संचालन कौन करता था ?

माननीय पुलिस सचिव—

विभाग की ओर से इसका संचालन होता था ?

* ७०—श्री खुशी राम—

(क) पिछले अप्रैल से जून सन १९४७ ई० तक तीन महीनों में कुल कितना ऊन कताई-केन्द्रों में काता गया ?

(ख) इन तीन महीनों में कताई-केन्द्रों में वेतन, किराया आदि में कुल कितना व्यय हुआ ?

(ग) इन तीन महीनों में कतैयों को कुल उजरत कितनी मिली ?

(घ) क्या उद्योग विभाग इन कताई-केन्द्रों को ऊलन कोआपरेटिव सोसाइ-टियों के अन्तर्गत करना चाहता है ?

(ङ) क्या यह सही है कि ऊलन स्टोर ने कपड़ा बनाने का काम स्थगित कर दिया है ?

माननीय पुलिस सचिव—

(क) पिछले अप्रैल से जून सन १९४६ ई० तक तीन महीनों में लगभग १ मन २८ सेर १२ १/४ छटांक सूत कतैयों से प्राप्त किया गया। इस काल में योजना के काम कराने का ढंग बदल गया है और योजना का काम लोगों को कताई-बुनाई सिखाना था न कि कामर्शियल आपरेशन पर चलाने का।

(ख) अप्रैल से जून सन १९४७ ई० तक तीन महीने में कताई-केन्द्रों में वेतन इत्यादि में नीचे दिया हुआ खर्चा हुआ—

	रु०	आ०	पा०
वेतन	९६३	६	०
महंगाई	१३२०	०	०
पहाड़ी भत्ता	२४०	१३	०
अन्य व्यय (कन्टिन्जेन्सी)	५२	४	०
जोड़	२५७६	७	

(ग) इन तीन महीनों में कतैयों को कुल २८७ रुपये ९ आने मजदूरी दी गई जिनमें ऊन कताई गई, परन्तु अधिकतर कतैयों ने अपनी-अपनी ऊन काती।

(घ) नवीन योजना के अनुसार उद्योग विभाग, सहकारी समितियों को काम सीखने, सूत कातने, कपड़ा बनाने में सहायता देगा।

(ङ) नवीन योजना के अनुसार उद्योग विभाग कामर्शियल लाइन्स पर कपड़ा उत्पादन का काम नहीं करेगा वरन सहकारी समितियों को इस काम में सहायता देगा।

श्री रामस्वरूप गुप्त—

क्या गवर्नमेंट ने उन कर्मचारियों से उनका जवाब तलब किया जिन्होंने कतैयों की उजरत से दसगुना से ज्यादा अपनी तनख्वाह में खर्च कर दिया ?

माननीय पुलिस सचिव—

फिर से दोहरा दीजिये।

श्री राम स्वरूप गुप्त—

प्रश्न सं० ७० (ग) में जो दिया गया है उसमें करीब तीन हजार रुपया तनख्वाह के और २८७ रु० उजरत में दिये गये। इसके ऊपर कोई जवाब तलब किया गया ?

माननीय पुलिस सचिव—

जिन्होंने जितना काता होगा उसको उसी के हिसाब से मजदूरी दी गई होगी। जो काम करने वाले होते हैं उनको स्थायी रूप से कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। इसलिये जितना वह कातते हैं उसी के मुताबिक उनको मजदूरी दी जाती है।

* ७१—श्री खुशीराम—

(क) क्या यह सही है कि पिछले साल जब माननीय प्रधान मन्त्री महोदय ने डेवलपमेंट बोर्ड की एक बैठक अलमोड़े में बुलाई थी तब श्री बद्री दत्त पांडे, एम० एल० सी० ने ऊलन स्टोर की जांच करने की निस्बत मांग पेश की थी ?

(ख) क्या सरकार कोई ऐसी जांच कराना चाहती है ?

माननीय पुलिस सचिव—

(क) इस विभाग में इस बात की सूचना नहीं है।

(ख) ऐसी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती है। इस योजना को कोआपरेटिव लाइन पर काम करने के बारे में प्रान्तीय सरकार ने आज्ञा दी है और इस नये ढंग पर काम किया जा रहा है।

हरिजनों को व्यापार में सुविधायें

* ७२—श्री कृपाशंकर—

क्या सरकार का इरादा हरिजनों को और सुविधाओं के साथ व्यापार में कुछ सुविधा देने का है ?

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

हरिजनों की आर्थिक उन्नति के लिये सरकार सदा ही, जो कुछ भी सम्भव हो, करना चाहती है।

कन्ट्रोल्ड चीजों के लाइसेंसों के लिये बेसिक सालों के तिजारत की शर्त

* ७३—श्री कृपाशंकर—

क्या सरकार को मालूम है कि सभी कन्ट्रोल्ड चीजों के लाइसेन्स हासिल करने के लिए सन १९४० ई० से सन १९४४ ई० तक की बेसिक सालों के तिजारत की शर्त लगी हुई है ?

माननीय अन्न सचिव—

जी नहीं, विभिन्न वस्तुओं के लिये भिन्न-भिन्न आधारभूत वर्ग निर्धारित हैं।

*७४—श्री कृपाशंकर—

क्या सरकार को मालूम है कि पिछली लड़ाई के बाद जब कन्ट्रोल शुरू हुआ तो अधिकतर लाइसेन्स उन्हीं लोगों को मिले, जो उस समय अंगरेजी सरकार के मददगार थे ?

माननीय अन्न सचिव—

जी नहीं, लाइसेन्स केवल उन्हीं लोगों को दिये गये थे, जो आधारभूत वर्षों में किसी व्यवसाय विशेष में लगे थे।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कानपुर के अध्यापकों को वेतन मिलने में विलम्ब

* ७५—श्री रामस्वरूप गुप्त—

क्या यह सच है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कानपुर में अध्यापकों का वेतन प्राय: दो-तीन महीनों के बाद मिलता है ?

माननीय शिक्षा सचिव के सभा मन्त्री (श्री महफूजुर्रहमान)—

जी नहीं।

श्री रामस्वरूप गुप्त—

क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि मार्च सन १९४७ ई० का वेतन ५ महीने बाद दिया गया, अगस्त का वेतन ३ महीने बाद दिया गया, सितम्बर का वेतन ३ महीने बाद दिया गया और दिसम्बर सन १९४७ ई० का वेतन मार्च सन १९४८ ई० के पहले हफ्ते तक नहीं दिया गया था ?

श्री महफूजुर्रहमान—

जो तालिका आपके सामने रखी है उसके तफसीलात मौजूद ही हैं। आमतौर से ऐसा नहीं होता लेकिन कभी मजबूरी से इस किस्म की देर हो जाती है।

श्री रामस्वरूप गुप्त—

क्या गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को यह आदेश दिया है कि वह तनख्वाहों को ठीक समय पर दें उसमें देरी न करें ?

श्री महफूजुर्रहमान—

जी हां !

श्री रामस्वरूप गुप्त—

जिन बोर्डों ने इस पर अमल नहीं किया क्या गवर्नमेंट ने उनसे कोई जवाब तलब किया ?

श्री महफूजुर्रहमान—

उनको तवज्जह दिलाई है कि ठीक वक्त पर कागजात भेजें।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

क्या यह बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इन तनख्वाहों को देने में इसलिये देरी करते हैं कि गवर्नमेंट अपनी ग्राण्ट को बड़ी देर में भेजती है।

श्री महफूजुर्रहमान—

यह तो जवाब में ही कह दिया गया है कि वहां से कागजात आने में देर होती है।

श्री रामस्वरूप गुप्त—

क्या गवर्नमेंट ने कानपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ध्यान इस तरफ दिलाया था कि वह तनख्वाह देर में दे रहे हैं ?

श्री महफूजुर्रहमान—

हां, दिलाया गया होगा।

* ७६—श्री रामस्वरूप गुप्त—

यदि यह सच है, तो इसका क्या कारण है ?

श्री महफूजुर्रहमान—

जिला बोर्डों के प्रपत्र सं० १०७ तथा १०८ न भेजने से राजकीय अनुदान के तृतीय अंश के भुगतान में देर होने के कारण और हड़ताल आदि के कारण से भी अध्यापकों के वेतन मिलने में देर हुई।

* ७७—श्री रामस्वरूप गुप्त—

क्या किसी समय यह नियम बनाया गया था कि शिक्षा विभाग के क्लर्क अपना वेतन तब ले सकेंगे जब कि अध्यापकों का वेतन भेज दिया जायेगा ?

श्री महफूजुर्रहमान—

जी नहीं !

* ७८—श्री रामस्वरूप गुप्त—

यदि यह नियम बना था, तो उसका पालन कितने दिन हुआ और अब होता है या नहीं ?

श्री महफूजुर्रहमान—

उपर्युक्त उत्तर को देखते हुये इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

*७९—श्री रामस्वरूप गुप्त—

सन १९४६ ई० का और सितम्बर सन १९४७ ई० तक का मिडिल तथा प्राइमरी स्कूलों के प्रत्येक माह का वेतन किस माह में दिया गया ?

श्री महफूजुर्रहमान—

अभिवांछित सूचना को प्रदर्शित करने वाली तालिका उपस्थित है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०४ पर)

*८०—८२—श्री सुदामा प्रसाद—

स्थगित किये गये।

* ८३—श्री महावीर त्यागी (अनुपस्थित)—

स्थगित किया गया।

सरकारी नौकरियाँ योग्यता के आधार पर

*८४—श्री महावीर त्यागी (अनुपस्थित)—

(क) क्या यह सच है कि २५ अप्रैल, सन १९४७ ई० को पब्लिक सर्विस कमीशन ने समाचार-पत्रों में उस मुकाबिले के इम्तहान की फेहरिस्त छापी थी, जो उन्होंने मुन्सिफों की भर्ती के सिलसिले में लिया था ?

(ख) क्या सरकार ने कमीशन से कुल १० मुन्सिफों की मांग की थी जिनमें ५ हिन्दू मय एक किसान उम्मीदवार के, ३ मुसलमान मय एक किसान के, एक दलित जाति और एक अल्प संख्यक जाति के होने जरूरी थे ?

(ग) क्या यह सच है कि बाद को सरकार ने अपनी इस नीति की घोषणा कर दी थी कि आइन्दा से सरकारी नौकरियां साम्प्रदायिक आधार पर न दी जाकर केवल योग्यता के अनुसार दी जावेंगी ?

(घ) इस नीति की घोषणा के बाद भी क्या मुन्सिफों की नियुक्तियां योग्यता के अनुसार न करके साम्प्रदायिक आधार पर की गईं ?

(ङ०) क्या यह सच है कि योग्यतानुसार प्रथम १३ उम्मीदवारों को लेने के बजाय नं० २८, ४४ और ४७ के उम्मीदवार लिये गये ? यदि ऐसा हुआ, तो क्यों ?

(च) यदि कुछ उम्मीदवारों का चुनाव नैनीताल घोषणा (योग्यता-आधार) के पहले हो चुका था, तो उस लिस्ट में १ हिन्दू और १ मुसलमान किसान उम्मीवार को क्यों नहीं लिया गया था ?

(छ) क्या यह भी सच है कि उक्त उम्मीदवारों की नियुक्तियां अगस्त महीने में हुई हैं और योग्यता-आधार घोषणा १२ जुलाई को प्रकाशित हो चुकी थी ?

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—

(क) जी हां !

(ख) जी हां !

(ग) जी हां ! परिगणित जाति के उम्मीदवारों के लिये १० प्रतिशत जगहें सुरक्षित करके ।

(घ) जी नहीं, अल्पसंख्यक जातियों के उम्मीदवारों में से चुनाव सरकार की सरकारी नौकरियों में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की नई नीति के निर्णय के पूर्व हो चुके थे ।

(ङ) उम्मीदवार, जो २८, ४४ और ४७ वां स्थान प्राप्त किये थे, वे चुने नहीं गये । असल में जो उम्मीदवार २९, ४९ और ५२ वां स्थान प्राप्त किये थे वे चुन लिए गये । इनमें से पहले मुसलिम, दूसरा सिख और तीसरा परिगणित जाति का था । ये तीनों परीक्षाफल के आधार पर चुने गये थे और नई नीति के निर्णय के पूर्व चुनाव किये गये थे ।

(च) प्रारम्भ में सरकार की इच्छा थी कि किसान वर्ग में से उम्मीदवार एक हिन्दू और १ मुसलमान भर्ती किया जाय । यह नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार की राय में जो उम्मीदवार किसान वर्ग का होने का दावा करते थे, वे असल में किसान वर्ग के न थे । पी० एस० सी० ने दो उम्मीदवारों की सिफारिश उनके दावे के आधार पर की थी । यह दावा सरकार द्वारा ठीक नहीं माना गया और जांच का आदेश दिया गया । जांच का नतीजा सरकार को भेजे जाने के पूर्व सरकार ने नौकरियों में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व-सम्बन्धी अपनी नई नीति निर्धारित कर ली थी । चूंकि यह नीति थी कि चुनाव के विचाराधीन मामलों में पुरानी नीति का उपयोग न किया जाय । ऐसे कोई उम्मीदवार नहीं चुने गये ।

(छ) जी नहीं, जून सन् १९४७ ई० में उम्मीदवार चुने गये थे और ज्योंही मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट उपलब्ध हुई वे नियुक्त किये गये । शेष दो उम्मीदवार सितम्बर सन् १९४० ई० में चुने गये थे ।

नये पावर कनेक्शन देने में सरकार की नीति

*२५—श्री बनारसी दास—

क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि बिजली के नये पावर कनेक्शन देने के बारे में उसकी क्या नीति है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव के सभा-मन्त्री (श्री लताफत हुसैन)—

विद्युत शक्ति के नये कनेक्शन व्यावसायिक कार्य के लिये संयुक्त प्रान्त के इन्डस्ट्रीज और कामर्स के डाइरेक्टर की सिफारिश पर मांग की आवश्यकतानुसार दिये जाते हैं । ३० प्रतिशत ऐसे कनेक्शन प्रमाणित शरणार्थियों के निमित्त सुर-

चित हैं। भोजन बनाने, तापकारी यन्त्रों, रेफरीजेटर तथा अन्य अव्यावसायिक कार्यों के लिये कनेक्शन प्रार्थना-पत्रों की प्राथमिकता के आधार पर दिये जाते हैं।

श्री बनारसी दास—

ज़ब तक बिजली काफी तादाद में नहीं हो जाती क्या सरकार कनेक्शन्स केवल ट्यूबवेल्स को ही देने पर विचार कर रही है?

श्री लताफत हुसैन—

बिजली न होने पर कनेक्शन देने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री बनारसी दास—

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जब तक बिजली काफी तादाद में पैदा नहीं हो जाती तब तक कनेक्शन केवल ट्यूबवेल्स को ही देने पर गवर्नमेंट विचार कर रही है?

श्री लताफत हुसैन—

इस वक्त जो थोड़ी-सी बिजली है, उसे ट्यूबवेल्स को देने के मसले पर गवर्नमेंट गौर कर रही है।

*८६—श्री बनारसी दास—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सन १९४७ ई० में जिला मेरठ में कुल कितने बिजली के नये कनेक्शन्स या एक्सटेन्शन्स किन-किन को दिये गये तथा कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये और अस्वीकृत प्रार्थना-पत्रों में किस-किस उद्योग के लिये पावर मांगी गयी?

श्री लताफ़त हुसैन—

सन १९४७ ई० में मेरठ जिला में विद्युत-शक्ति के नये कनेक्शन या वर्तमान कनेक्शनों के भार में वृद्धि निम्न ८ व्यक्तियों को दिये गये:—

(१) श्री श्रीकृष्ण, ग्राम शिकारपुर,
(२) श्री प्यारेलाल, ग्राम धापा,
(३) श्री मङ्गल सिंह, ग्राम माभियाना किशनपुर,
(४) सर्व श्री गणेशीलाल बेनी सिंह, मुरलीपुर,
(५) श्री प्रेमचन्द जैन, मेरठ,
(६) श्री कैलाशचन्द शर्मा, मेरठ,
(७) श्री रघुकुल तिलक, मेरठ,
(८) श्री मुशीर अहमद, मेरठ।

५३८ प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये और अस्वीकृत प्रार्थना-पत्रों में आटा चक्की, तेल और गन्ने के कोल्हू, कुट्टी काटने और लकड़ी चीरने की मशीन, ट्यूबवेल इत्यादि के लिये विद्युत-शक्ति की मांग की गई थी।

*८७-९२—श्री हरगोविन्द पन्त—

[स्थगित किये गये]

गाजीपुर म्युनिसिपल बोर्ड की सदस्यता के लिये एक व्यक्ति की नामजदगी

*९३—श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि थोड़े दिन पहिले गाजीपुर म्युनिसिपल बोर्ड की सदस्यता के लिये किसी व्यक्ति को सरकार की तरफ से नामजद किया गया है ?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव के सभा-मन्त्री (श्री चरण सिंह)—

जी हां।

*९४—श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—

यदि उपरोक्त सवाल का जवाब हां में है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है ?

श्री चरण सिंह—

श्री कृष्ण प्रसाद वर्मा।

*९५—श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—

क्या सरकार को यह पता है कि उपरोक्त व्यक्ति "जिसे सरकार ने नामजद किया है" म्युनिसिपल बोर्ड के आम चुनाव में हार गया था और उसकी जमानत भी जब्त हो गई थी ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। सरकार को मालूम है कि यह व्यक्ति म्युनिसिपल बोर्ड के पिछले चुनाव में हार गया था। यह सरकार को नहीं मालूम है कि उसकी जमानत भी जब्त हो गई थी या नहीं।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कृष्णप्रसाद वर्मा के म्युनिसिपल चुनाव में हारने की खबर उनको किस जरिए से मिली ?

श्री चरण सिंह—

शुरू अक्तूबर में सन् १९४७ ई० में वहां से एक रिप्रैजेंटेशन आया था उस से मालूम हुआ।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किस अधिकारी की सिफारिश पर वह नामजद किये गये ?

श्री चरण सिंह—

कमिश्नर साहब ने दो नाम भेजे थे और कहा था कि अगर पहला व्यक्ति नामजद न कर सकें, तो दूसरा व्यक्ति यानी कृष्णप्रसाद वर्मा को नामजद कर दें।

*९९—श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—

क्या सरकार बतायेगी कि आम चुनाव में हारे हुए व्यक्ति की नामजदगी के क्या कारण हैं ?

श्री चरण सिंह—

मनोनीत करते समय सरकार को इस व्यक्ति के पिछले चुनाव में हार जाने का पता न था।

* ९७-१००—श्री रघुवीर सहाय—

[स्थगित किये गये]

बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन के अन्तर्गत गढ़वाल जिले में औषधालय

* १०१—श्री जगमोहन सिंह नेगी—

क्या गवर्नमेंट कृपा करके बतलायेगी कि बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन, यू० पी० ने गढ़वाल जिले में कितने औषधालय खोले हैं ?

श्री चरण सिंह—

कोई नहीं, बोर्ड औषधालय नहीं खोलता, केवल औषधालयों, वैद्यों तथा हकीमों को आर्थिक सहायता देता है।

* १०२—श्री जगमोहन सिंह नेगी—

(क) क्या गवर्नमेंट यह जानती है कि गढ़वाल जिला, जो करीबन। २०० मील लम्बा और १५० मील चौड़ा है उसके देहात में ५०-५० या ६०-६० मील की दूरी पर भी कोई अंग्रेजी या आयुर्वेदिक औषधालयों का प्रबन्ध नहीं है और लोग बिना इलाज मरते हैं ?

(ख) यदि हां, तो गवर्नमेंट इस दिशा में कौन-सा तुरन्त और क्रियात्मक कार्य कर रही है ?

श्री चरण सिंह—

(क) जी नहीं, गढ़वाल में शायद ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से ५० या ६० मील के अन्दर कोई अस्पताल नहीं है ।

(ख) २३ एलोपैथिक तथा १४ आयुर्वेदिक औषधालय इस जिले में हैं, और औषधालय अगले सालों में खोलने का विचार है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

क्या सरकार अगले साल एलोपैथिक डिस्पेंसरीज भी खोलने का विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह—

अगले साल डिस्पेंसरीज खुल जायेंगी या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाले सालों में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डिस्पेंसरीज खोलने का विचार है।

गढ़वाल जिले की सड़कों के बनाने में विलम्ब

*१०३—श्री जगमोहन सिंह नेगी—

क्या यह बात सही है कि पी० डब्ल्यू० डी० ने सन् १६४७-४८ ई० के बजट में गढ़वाल जिले में मन्जूर हुई सड़कों के बनाने के लिए टेण्डर बहुत पहिले मांग लिए थे, परन्तु अभी तक ठेकेदारों को काम करने का हुक्म नहीं दिया गया है ?

श्री लताफत हुसैन—

जी हां, चमोली जोशीमठ सड़क के सम्बन्ध में सड़क निकालने के लिये एक उचित मार्ग चुनना कठिन था, अब मार्ग निश्चित हो गया है। नये टेन्डर मांगे गये हैं और काम आरम्भ हो रहा है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

क्या किसी ऐसी सड़क पर नये एलाइनमेंट की मांग वहां के लोगों ने की है ?

श्री लताफत हुसैन—

जो एलाइनमेंट पहले तजवीज हुआ था उसके खिलाफ बहुत से रिप्रेजेंटेशन आये। ७-८ इसी तरह के एलाइनमेंट सामने थे जिनमें से नहीं कहा जा सकता था कि कौन सा एलाइनमेंट रखा जाय। अब यह चीज तय हो गई, इसलिये काम शुरू हो गया।

सुलतानपुर जिले के एक पुलिस कान्स्टेबिल के पास चोर बाजारी का कपड़ा

*१०४—श्री शीतला प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को मालूम है कि जिला सुलतानपुर के एक क्लाथ इन्स्पेक्टर ने एक पुलिस कान्स्टेबिल को चोर बाजारी का कपड़ा ले जाते हुए अगस्त या अक्तूबर सन् १६४७ ई० में पकड़ा था ?

माननीय अन्न सचिव—

क्लाथ इन्स्पेक्टर ने जिलाधीश को अक्तूबर १६४७ ई० में ऐसी रिपोर्ट की।

*१०५—श्री शीतला प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इस घटना की लिखितरिपोर्ट इन्स्पेक्टर महोदय ने जिलाधीश तथा जिला सप्लाई अफसर को की और उसने यह भी लिखा कि इस घटना की सूचना मैंने ठा० शीतलाप्रसाद सिंह, एम० एल० ए० को दी है ?

माननीय अन्न सचिव—

हां, इन्सपेक्टर ने अपनी रिपोर्ट की एक प्रति श्री शीतलाप्रसाद सिंह, एम० एल० ए० को दी और इसका उल्लेख जिलाधीश को प्रेषित रिपोर्ट में भी कर दिया।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या १०४-१०८ श्री गणपति सहाय ने पूछे

*१०६—श्री शीतला प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह भी मालूम है कि जिला सप्लाई अफसर ने उक्त क्लाथ इन्सपेक्टर पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने एक एम० एल० ए० जैसे ग़ैर अफसर को इस घटना की सूचना देकर अनुशासन भंग किया है, अतः उक्त क्लाथ इन्सपेक्टर क्यों न अपने पद से हटा दिया जाय ?

माननीय अन्न सचिव—

हां, इन्सपेक्टर ने गवर्नमेंट सर्वेन्टस कन्डक्ट रूल्स के विरुद्ध एक गैर सरकारी सज्जन को ऐसी सूचना दी, जो कि उनको अपने सरकारी कार्यकाल में प्राप्त हुई थी। इसलिये उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही जिलाधीश ने की पर वह चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

*१०७—श्री शीतला प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हो रही है ?

माननीय अन्न सचिव—

जिलाधीश ने सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस और जिला सप्लाई आफिसर से क्लाथ इन्सपेक्टर की रिपोर्ट पर विवरण मांगा पर चूंकि अभियुक्त पहिचाना और पकड़ा न जा सका और चूंकि इन्सपेक्टर के तलाशी लेने की कार्य-शैली कुछ दोषयुक्त थी, इसलिये इस रिपोर्ट पर जिलाधीश द्वारा कोई कार्यवाही न की जा सकी।

सरकार द्वारा सीधे नियुक्तियाँ तथा उनमें हिन्दू-मुसलमानों का अनुपात

*१०८—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[माननीय सदस्य का तारांकित प्रश्न संख्या १६, जिसका अन्तःकालीन उत्तर ता० २६ मार्च, १६४७ ई० को दिया गया था।]

[*१६—वह कौन सी सर्विसों की विभिन्न श्रेणियां हैं जिन पर सरकार ने खुद सीधे नियुक्तियां की हैं और जिन्हें उसने पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नहीं की हैं ? इनके लिए क्या योग्यतायें रक्खी गयी थीं और इन पदों पर भर्ती किये जाने वालों की कुल संख्या और मुसलमानों और गैर मुसलमानों की क्या फीसदी संख्या थी ? वह दशायें और कारण क्या थे जिनकी वजह से पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भर्ती नहीं हो सकी ?]

श्री गोविन्द सहाय—

(श्री मुहम्मद असरार अहमद के ता० २६ मार्च, १६४७ ई० के स्टार्ड प्रश्न सं० १६ के उत्तर में जैसा कहा गया था एक विवरण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है)

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०६ पर)

संयुक्त प्रान्तीय सरकार का रबी का अनाज उगाहने में खर्च

*१०६—श्री रामस्वरूप गुप्त—

[माननीय सदस्य के प्रश्न १२७ और १२८, जिनका अन्त:कालीन उत्तर ता० १६ अप्रैल, सन् १९४७ ई० को दिया गया था।]

[*१२७—क्या सरकार कृपा करके रबी का अनाज प्राप्त करने के बारे में (अनाज प्राप्ति की योजना के अन्तर्गत) कुल खर्च निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार बताएगी।

तनख्वाहें, भत्ते, खरीदने वाले एजेन्टों को कमीशन, गल्ले की ढुलाई तथा गोदाम में रखने का खर्च और विविध खर्चे ?

* १२८—क्या यह खरीद गल्ले की कुल कीमत के लिहाज से कितने प्रति· शत पड़ी ?]

माननीय अन्न सचिव—

(श्री रामस्वरूप गुप्त के ता० १६ अप्रैल सन् १९४७ ई० के स्टार्ड प्रश्न सं० १२७ और १२८ के उत्तर में, जैसा कि कहा गया था, एक सूचना प्रस्तुत की जाती है)

		रु०
वेतन	...	९,७१,९२४
भत्ते	...	६,१५,८७५
खरीदने वाले एजेन्टों का कमीशन	...	२०,१९,९३७
ढुलाई तथा गोदाम में रखने का व्यय	...	५८,०६,२१४
अन्य व्यय	...	५८,७१,२९२
	कुल योग	१,४८,८५,२४२

खरीदे हुए अन्न के मूल्य तथा उस पर होने वाले व्यय का अनुपात १६ : ७६ है।

श्री राम स्वरूप गुप्त—

क्या सरकार कृपा करके यह स्पष्ट करेगी कि फीसदी खर्च कितना हुआ ?

माननीय अन्न सचिव—

यह ३६ : ७६ हैं।

श्री रामस्वरूप गुप्त—

क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गल्ले के खरीद की कुल कीमत कितनी है ?

माननीय अन्न सचिव—

बिलकुल सही फीगर्स (आंकड़े) तो मेरे पास इस समय नहीं हैं, लेकिन करीब १० करोड़ रुपये का गल्ला खरीदा गया था।

श्री रामस्वरूप गुप्त—

उसकी फरोख्त की कीमत कितनी ?

माननीय अन्न सचिव—

वह अभी मंगाई नहीं गई है अगर आप चाहें तो दी जा सकती है।

कुमायूँ डिविजन में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अन्तर्गत विभिन्न कर्मचारी

*११०—श्री खुशीराम—

[माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न सं० ४६, ४७ और ४८, जिनका अन्तःकालीन उत्तर १६ मई, १९४७ ई० को दिया गया था।]

[* ४६—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय कुमायूँ डिवीजन में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मातहत कुल कितने सुपरवाइजिंग मिस्त्री और कुली, गैंग जमादार हैं और अपने काम के लिए उनकी क्या योग्यता रक्खी गयी है ?

* ४७—इन में कुमायूँ के शिल्पकारों की क्या संख्या है और इनका प्रतिशत कुल संख्या के साथ क्या पड़ता है ?

* ४८—(क) क्या सुपरवाइजिंग मिस्त्री और गैंग जमादारों की नियुक्ति करते समय पुश्तैनी कारीगरों (शिल्पकारों) का भी ख्याल किया जाता है ?

(ख) क्या सन् १९४६ ई० में, जो नियुक्तियां हुई थीं, उनमें भी यह ख्याल किया गया था ?

(ग) उपरोक्त वर्ष में कितने शिल्पकार और गैर-शिल्पकार ऐसे कर्मचारी रक्खे गये थे ?]

श्री लताफत हुसैन—

[श्री खुशी राम के ता० १६ मई सन् १९४७ ई० के स्टार्ड प्रश्न सं० ४६, ४७ और ४८ ई० के उत्तर में जैसा कहा गया था सूचना प्रस्तुत की जाती है]

*४६—कुमायूँ कमिश्नरी के सार्वजनिक निर्माण विभाग में १४७ देख-भाल वाले मिस्त्री नियुक्त हैं, उनको पढ़ा-लिखा और काम का अनुभव होना चाहिये और ६५ कुली दल के जमादार हैं जिनको हिन्दी पढ़े-लिखे और काम का अनुभव होना चाहिये।

*४७—उनमें ३१ देखभाल करने वाले मिस्त्रियों और १ कुली दल का जमादार है। कुल जन-संख्या में वे १२ प्रतिशत हैं।

※ ४८—(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) देखभाल करने वाले मिस्त्रियों में १३ शिल्पकार थे और ४४ गैर शिल्पकार थे। कुली दल के जमादारों में १ शिल्पकार और १ गैर शिल्पकार था।

श्री खुशी राम—

क्या शिल्पकारों का प्रतिशत बढ़ाना सरकार उचित समझती है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री लताफत हुसैन—

इस वक्त तो इत्तला नहीं है किन्तु अगर माननीय सदस्य चाहेंगे, तो इत्तला मुझे दे दें, मैं देख लूंगा ।

श्री खुशी राम—

वह क्या ख्याल किया जायगा ?

श्री लताफत हुसैन—

हर मुनासिब बात पर ख्याल किया जायगा ।

संयुक्त प्रान्त में देशी चिकित्सा के औषधालय तथा उनके कर्मचारी

*१११—श्री भगवानदीन मिश्र—

[माननीय सदस्य का प्रश्न सं० ६४, जिसका अन्तःकालीन उत्तर ता० १८ अप्रैल, १९४७ ई० को दिया गया था।]

[*६४—(क) क्या गवर्नमेन्ट यह बतलाने की कृपा करेगी कि सूबे में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड में कितने दवाखाने देशी चिकित्सा पद्धति के आधार पर चलाये जा रहे हैं ?

(ख) इनमें से कितने आयुर्वेदिक और कितने यूनानी हैं और उन पर सालाना खर्च क्या है ?

(ग) इनमें जो वैद्य या हकीम काम कर रहे हैं उनका मासिक वेतन आमतौर पर बोर्डस ने क्या मुकर्रर किया है और आजकल मंहगाई का भत्ता उनके लिए क्या रक्खा गया है ?]

श्री चरण सिंह—

[श्री भगवानदीन मिश्र के ता० १८ अप्रैल सन् १९४७ ई० के स्टार्ड प्रश्न सं० ६४ के उत्तर में जैसा कहा गया था एक सूचना प्रस्तुत है]

सूबे में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल-बोर्ड के ३२२ देशी दवाखाने हैं।

(क) इनमें से २७८ आयुर्वेदिक और ९१ यूनानी। इन दवाखानों का सालाना खर्च हर एक जिले में अलग-अलग है, जो ५०० रु० से लेकर २००० रु० तक होता है।

(ख) इन दवाखानों में काम करने वाले वैद्यों और हकीमों का वेतन और मंहगाई का भत्ता भी हरएक जिले में अलग-अलग है। मोटे तौर पर उनका वेतन ४० रु० मासिक है और मंहगाई का भत्ता ८ रु० मासिक है।

श्री भगवानदीन मिश्र—

क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह रकम, जो बतलाई गई है, उसमें पूरे कर्मचारियों और दवाओं का भी खर्च शामिल है ?

श्री चरण सिंह—

जी हां, ५०० रु० से २००० रु० तक सारा खर्च शामिल है।

श्री भगवानदीन मिश्र—

क्या सरकार को मालूम है कि बाज बोर्डों में वैद्यों और हकीमों का वेतन २५ से ३० रुपये तक और इससे भी कम है ?

श्री चरण सिंह—

बोर्ड में कम से कम ४० रु० है।

श्री भगवानदीन मिश्र—

क्या सरकार के यह आंकड़े सही जब कि यूनानी और आयुर्वेदिक दवाखानों का टोटल ३६६ आता है ?

श्री चरण सिंह—

जोड़ में कहीं गलती रह सकती है। मैंने तो आपको अलग-अलग बतला दिया था।

गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालज, इलाहाबाद लखनऊ, आगरा और बनारस के कर्मचारियों के संबन्ध में पूछ-ताछ

*११२—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न सं० ११, जिसका अन्तःकालीन उत्तर ६ नवम्बर सन् ४७ ई० को दिया गया था]

[*११—संस्थाओं (गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा और बनारस) के अमले में मुसलमानों, ईसाई, हरिजन, सवर्ण हिन्दू और दूसरे जाति के लोगों की कितनी संख्या है और क्या प्रतिशत है ? क्या सरकार मेज पर एक सूची रखेगी जिस में अमले के मेम्बरों के नाम, योग्यतायें और वेतन दिये हों और यह भी दिया हो कि उनकी नौकरी कितने साल की हुई और उनका पिछला रिकार्ड कैसा रहा ?]

श्री महफूजुर्रहमान—

सरकार की नौकरी करने वालों को धार्मिक और सामाजिक सम्बन्धों में अभिरुचि नहीं है और वह प्रश्न के प्रथम भाग में मांगी गई सूचना को एकत्र करना ठीक नहीं समझती।

एक नक्शा, जिसमें लड़कियों के ट्रेनिंग कालेज में नियुक्त व्यक्तियों के नाम, योग्यता, वेतन और उनकी नौकरी की अवधि दी गई है, माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११३ ग पर)

मेडिकल कालेज, लखनऊ के विद्यार्थियों का माननीय स्वास्थ्य मन्त्री को प्रार्थना-पत्र

*११३—श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैंथम (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि ७ अगस्त सन् १९४७ ई० को लखनऊ विश्वविद्यालय के किंग जार्ज मेडिकल कालेज के प्रथम वर्ष, अप्रैल मास की एम० बी०, बी० एस० परीक्षा के २२ अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की ओर से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री को एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था?

श्री चरण सिंह—

जी हां।

*११४—श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैंथम (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि उस प्रार्थना-पत्र में उन्होंने स्वतन्त्रता दिवस के उत्सव के उपलक्ष्य में परीक्षा-सम्बन्धी कुछ रियायतों की मांग की थी? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वे मांगें क्या थीं?

श्री चरण सिंह—

जी हां। वे मांगें निम्नलिखित हैं—

(१) विद्यार्थी जो अक्तूबर मास की द्वितीय वर्ष एम० बी०, बी० एस० परीक्षा में बैठने को थे, वे तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ कर दिये जायं।

(२) वे विद्यार्थी जिन्होंने चारों विषयों में पृथक-पृथक पास किया है, किन्तु कुल जोड़ में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं वे उत्तीर्ण घोषित कर दिए जायं तथा शेष विद्यार्थियों को तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की कक्षा में रख दिया जाय। यदि वे अक्तूबर मास की परीक्षा में पास हो जायं और अन्य विद्यार्थियों की तरह वे भी भविष्य में प्रति वर्ष अप्रैल की परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी हों।

*११५—श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम (अनुपस्थित)—

क्या यह भी सच है कि सरकार ने स्वतन्त्रता दिवस के शुभ अवसर पर एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित की थी और उसमें यह घोषणा की थी कि:—

"वे विद्यार्थी, जिन्होंने चारों विषयों में पृथक-पृथक पास किया है, परन्तु कुल जोड़ में पास नहीं हो पाये, वे पास घोषित किये जायें और तुरन्त ही तृतीय वर्ष की कक्षा में रख दिये जायें। शेष विद्यार्थियों को आज्ञा दी जाती है कि वे अक्तूबर की परीक्षा में सम्मिलित हों और जो पास हों उन्हें भी

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ११३ से लेकर १२२ तक श्री खानचन्द गौतम ने पूछे।

अप्रैल, सन १९४७ ई० के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की कक्षा में रख दिया जायगा और अन्य विद्यार्थियों को तरह वे भी भाग में प्रति वर्ष अप्रैल की परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी होंगे।"

श्री चरण सिंह—

जी हां।

*११६—श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फेन्थम (अनुपस्थित)—

क्या इस विज्ञप्ति की एक प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी गयी थी और क्या उनसे इस आज्ञा को कार्य रूप में परिणित करने के लिए कहा गया था?

श्री चरण सिंह—

यह विज्ञप्ति पत्रों में प्रकाशित कर दी गई थी, जो अवश्य ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने भी देखी होगी। इस विज्ञप्ति की आज्ञाओं को एक अर्द्ध सरकारी पत्र द्वारा कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय को भेजा गया था। विज्ञप्ति की प्रति भेजना आवश्यक नहीं समझा गया।

*११७—श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फेन्थम (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि मेडिकल कालेज से सम्बन्धित अधिकारियों ने अभी तक इस आज्ञा का पालन नहीं किया; यदि हां, तो सरकार कृपया बतायेगी कि इसका क्या कारण है?

श्री चरण सिंह—

विश्वविद्यालय ने श्रीमती गवर्नर महोदया की, जो विश्वविद्यालय की चांसलर हैं, आज्ञा लेकर इस पर उचित कार्यवाही की जिसके फलस्वरूप ६ विद्यार्थियों को रियायत मिली। इन विद्यार्थियों को रियायत देने में इस बात का ध्यान रक्खा गया कि जो रियायतें विश्वविद्यालय के दूसरे विभागों के विद्यार्थियों को मिली हैं वही मेडिकल विद्यार्थियों को मिले।

*११८—श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि मेडिकल कालेज के अधिकारियों की इस निष्क्रियता के कारण सम्बन्धित विद्यार्थी अभी तक दुविधा में पड़े हुए हैं और उन के पढ़ने का कार्यक्रम अगम्सा हो गया है?

* ११९—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह अपनी उपर्युक्त घोषणा का पालन करने के लिये प्रयत्न कर रही है? यदि हां, तो कब तक परिणाम की आशा की जाती है?

श्री चरण सिंह—

प्रश्न ११७ के उत्तर से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय ने उचित कार्यवाही कर दी। अतएव यह प्रश्न नहीं उठते।

*१२०—श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एम० बी० बी० एस० के चौथे वर्ष के विद्यार्थियों को, जो अपनी पढ़ाई छोड़ कर द्वितीय महासमर में चले गये, कुछ सुविधायें प्रदान की गयी थीं ? यदि हां, तो वे सुविधायें क्या थीं ? और किस के आदेशानुसार वे प्रदान की गयी थीं ?

श्री चरण सिंह—

एम० बी० बी० एस० के चौथे वर्ष का कोई भी विद्यार्थी द्वितीय महासमर में अपनी पढ़ाई छोड़ कर नहीं गया, अतएव यह प्रश्न नहीं उठता।

*१२१—श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ये उपलिखित सुविधायें मेडिकल कालेज के अधिकारियों द्वारा कार्य में परिणत की गयी थीं ? यदि हां, तो प्रश्न में कही हुई विज्ञप्ति के पालन करने में उन्हें क्या आपत्ति हुई ?

श्री चरण सिंह—

यह प्रश्न नहीं उठता।

*१२२—श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन विद्यार्थियों के विषय में, जो सरकारी घोषणा की अन्तिम आज्ञा मानकर इस आशा से कि उनको अगले क्लास में बैठने दिया जायगा, अक्तूबर की परीक्षा में नहीं बैठे और इस प्रकार ६ मास नष्ट कर चुके हैं, सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री चरण सिंह—

सब सम्बन्धित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के डीन ने सूचित कर दिया था कि मेडिकल कालेज में किसी भी विद्यार्थी को विशेष सुविधा प्रदान न की जायगी तथा उन्हें अक्तूबर की परीक्षा में बैठने का बार-बार परामर्श भी दिया गया था, जिसकी उन्होंने सदा अवहेलना की, अतः परीक्षा में न बैठने की जिम्मेदारी उन्हीं की है।

(प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने पर शेष प्रश्न अगले दिन के कार्यक्रम में रख दिये गये)

श्री अहमद असरफ के असेम्बली से अनुपस्थित रहने के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र पर विचार

माननीय स्पीकर—

अब कार्यक्रम के दूसरे मद पर आपको श्री अहमद अशरफ के प्रार्थना-पत्र पर विचार करना है। इसमें उन्होंने बीमारी के कारण छुट्टी की प्रार्थना की है। यह

पत्र कराची से आया है और आपके सामने (कार्यक्रम की) नत्थी (ग) में उसका हिन्दी अनुवाद दिया हुआ है। असल पत्र अंग्रेजी में है। इसका मतलब यह है कि मैं गत पन्द्रह दिन बीमार रहा हूँ और इस समय भी शैय्या पर बीमार पड़ा हूं। इस कारण मैं असेम्बली के वर्तमान अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो सकता। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी अनुपस्थिति नियमानुकूल क्षमा की जाय।

कराची, २ मार्च सन् १९४८

अब आपको उसपर फैसला करना है। उनकी गैरहाजिरी अब तक ५५ दिन हो चुकी है। वे बहुत दिन से नहीं आये। २३ मई सन् १९४७ ई०के बाद से वह नहीं आये हैं, ऐसा मुझे अपने कार्यालय से प्रकट होता है। नियम यह है कि ६० दिन तक जो सदस्य बराबर सभा की बैठकों में न आवे, तो इस भवन को अधिकार हो जाता है कि वह यह घोषित कर दे कि उसकी जगह रिक्त है।

श्री महावीर त्यागी—

यह आम तौर से मुनासिब-सा नहीं है कि किसी मेम्बर की दरख्वास्त बीमारी के मौके पर आवे, तो उसके खिलाफ कोई मेम्बर दूसरा साथी कुछ कहे। सब की सहानुभूति बीमार के साथ होती है, परन्तु इस दरख्वास्त के कुछ विशेष कारण हैं, चूंकि मै भी उस कमिश्नरी से आता हूं जहां से यह मेम्बर साहब चुनकर यहां आए थे। मैं हाउस को उनके प्रार्थना-पत्र पर विचार करते वक्त यह बताना चाहता हूं कि पिछले दंगे जब हुए तो उसमें देखा कि इन मेम्बर साहब की ख्वाहिश दंगों के दबाने में नहीं बल्कि उभाड़ने में रही। और वहां पर भी दंगों के सिलसिले में हिन्दुस्तान को छोड़ कर चले गये और वहीं से उनकी बीमारी के कारण से इस किस्म की दरख्वास्त आई है। मैं यह समझता हूं कि ऐसी हालत में जब वे ऐसे नाजुक वक्त में हिन्दुस्तान का साथ छोड़कर एक विदेशी मुल्क में चले गये, यहां पर वफादारी का हल्फ भी नहीं लिया तो उनकी दरख्वास्त मन्जूर करना मुनासिब न होगा। मैं ज्यादा वक्त न लेकर इस पर ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं और यह मुनासिब भी नहीं है कि एक मेम्बर की गैर हाजिरी में उनकी नुक्ताचीनी हो और मुझे भी अच्छा सा नहीं लगता, इसलिये मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि उनका जो यह प्रार्थना-पत्र आया है इसको अस्वीकृत किया जाय।

श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा—

मैं अपने माननीय भाई त्यागी जी की तजवीज की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो मेम्बर साहब हैं मैं इनसे जाती तौर पर वाकिफ हूं और मैं यह भी कह सकता हूं कि वह मेरे रिश्तेदार भी हैं। इसलिये गालिबन मैं अगर उनके मुताल्लिक कुछ कहूंगा तो वह कोई ऐसी बेकार सी चीज ख्याल नहीं की जायगी। मैं यह किसी और ख्याल से नहीं कह रहा हूं बल्कि यह एक उसूली बात कह रहा हूं। मुझे बहुत इस बात का दुख है कि बहरहाल जो कुछ था सो था लेकिन जो स्वयं

[श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा]

इनका सुनने में आया है ऐसा था कि जिसके मुतालिक इस हाउस के मेम्बरों को कोई भी शक व शुबहा नहीं है, इसलिये यह दरख्वास्त आज उनकी मंजूर करने के काबिल नहीं है। उनके भाई जो कि इलाहाबाद में बैरिस्टर थे, वह भी मय अपने सारे खान्दान के चले गये और उनके एक बहनोई हाजी मुहम्मद हुसेन साहब भी चले गये हैं। इस तरह यह सारा खान्दान चला गया है और अब यह ख्याल नहीं होता है कि वह दरअसल इसलिये गये हैं कि वह से वापस आयेंगे। यह तो एक जगह को बिला वजह खाली रखना है। ऐसी हालत में मैं अर्ज करूंगा कि इस दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए।

*श्री जहीरुल हसनैन लारी—

जनाब वाला, यह तो मुझे तवक्का थी कि ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब इस मासूम तजवीज की भी मुखालिफत कर सकते हैं। आपने फरमाया कि हाजी मुहम्मद हुसेन साहब तशरीफ ले गये हैं लेकिन मैं उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस करते छोड़ कर आया हूं। वह पांच रोज से एक क़त्ल के मुकदमे में बहस कर रहे हैं। (एक आवाज, वह कब आये?) जिस जमात से उनका ताल्लुक रहा है उसको तो वह भुला नहीं सकते। रहे हमारे दोस्त मिस्टर महावीर त्यागी, तो मैं यह अर्ज करूंगा कि यह मौका नहीं था कि वह इस पर एतराज करते। वह नैनीताल सेशन में आये थे। जब नवम्बर का सेशन हो रहा था तो वह डिटेन कर लिए गये थे। इसलिये जाहिर है कि वह नहीं आ सके। अगर आनरेबिल प्रीमियर साहब होते तो वह इस बात की ताईद करते, और मेरा ख्याल है कि आनरेबिल पुलिस मिनिस्टर भी उस वक्त मौजूद थे, उनसे यह कहा गया था कि उनके खिलाफ इस शर्त पर इन्जेक्शन वापस लिया जा सकता है कि वह मेरठ कमिश्नरी छोड़ कर चले जायं। पंत जी ने मुझसे खुद यह कहा था कि उन्होंने उनसे कहा था कि वह इस वक्त इस कमिश्नरी को छोड़ कर चले जायं। चूंकि यह शक्ल पैदा हुई और मुमकिन है कि चूंकि लीग कौंसिल का सेशन कराची में होने वाला था, उसमें शिरकत के लिए वह वहां चले गये। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पाकिस्तान कांस्टीटुएन्ट असेम्बली (विधान परिषद) के कितने ही मेम्बर कलकत्ते में रहते हैं। कोशिश दोनों तरफ से यह की जा रही है कि दोनों डोमीनियन्स में आना-जाना बना रहे। अगर यहां के एक मेम्बर को बीमारी पर भी छुट्टी न दी जायगी, इसलिए कि वह पाकिस्तान में रहते हैं, तो यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान कांस्टीटुएन्ट असेम्बली के मेम्बरान भी कलकत्ते में नहीं रह सकते। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मामले को उठाकर किसी शख्स को छुट्टी न देना मुनासिब

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई शख्स कैसे इस बात से इन्कार कर सकता है कि वह बीमार नहीं है। अखबारों में यह शाया हुआ था कि उन्होंने वहां जाकर यह कहा कि आल इन्डिया मुस्लिम लीग खत्म हो जानी चाहिए। मैं नहीं समझ सकता कि उसके बाद भी एक मामूली-सी बात पर यह एतराज क्यों उठाया जाता है। आजतक जब से मैं इस ऐवान का मेम्बर रहा हूँ इस किस्म की कई दरख्वास्तें आईं, सब साहबान ने उनको खामोशी से सुना और मन्जूर किया। यह एतराज पहली दफा किया गया है और मैं समझता हूं कि यह एतराज इस हाउस की डिगनिटी (प्रतिष्ठा) के खिलाफ है, मैं समझता हूँ कि इस दरख्वास्त को जरूर मन्जूर कर लेना चाहिए। दूसरे अगर उनको वापस न आना होता, तो वह दरख्वास्त ही क्यों भेजते। इसलिए जाहिर है कि कोई वजह नहीं कि यह दरख्वास्त क्यों न मन्जूर की जाय। अगर आप इस तरीके से चाहते हैं कि उनको यह मौका न दें और यह सीट खाली करा लें, तो फिर उसके लिए दूसरा शख्स भी खड़ा हो सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस मसले को बढ़ायेंगे।

*श्री मुहम्मद शौकत अली खां—

जनाब वाला, मसला तो बिल्कुल सीधा-सादा था। इस ऐवान के एक मेम्बर ने यह तहरीर भेजी है कि वह बीमार है और चारपाई पर पड़ा हुआ है, उसे छुट्टी दी जाय, हमें यह देखना है कि आया हम यह तरीका अख्तियार करें कि हम मेम्बर के उस बयान को झूठा समझें या यह कि मेम्बर के उस बयान को सही तसलीम कर लें। अशरफ साहब बुरे थे या अच्छे थे, यह खारिज अज बहस है। मुमकिन है कि किसी को उनसे इख्तिलाफ राय हो। पर उससे इस मुकाम पर कोई असर नहीं पहुंचता। अशरफ साहब का छुट्टी मांगना इस बात की दलील है कि उनके दिल में यह ख्वाहिश है कि वह आकर यहां रहेंगे, वरना कोई वजह नहीं समझ में आती कि वह छुट्टी क्यों मांगते। वह सीधे इस्तीफा दे सकते थे।

अगर अशरफ साहब वहां मुस्तकिल तौर से कयाम करेंगे, वहां के शहरी होना चाहेंगे, तो यह खुद ओटोमेटिकली (स्वतः) खत्म हो जायेंगे। महज इस बिना पर एक शख्स बाज मजबूरियों की वजह से यहां से चला गया या वह अपनी बाज कमजोरियों की वजह से चला गया। यह कमजोरियां थीं जिनका वह मुकाबला न कर सका और वह चला गया। अब उसको मौका मिला है सोचने-विचारने का। मुमकिन है, मैं नहीं कहता कि उनके दिली राज क्या हैं। मुझे उनके दिली राज नहीं मालूम हैं, लेकिन शायद उनके दिल में यह ख्याल हुआ हो कि अब इन्डियन यूनियन में हालत अच्छी हो गई है, इसलिए वापस चले चलो। आप इस तरह से एक ऐवान के मेम्बर को लूज (खोना) कर रहे हैं। अपनी डिगनिटी (प्रतिष्ठा) खो रहे हैं। आइन्दा अगर मैं बीमार होऊंगा तो कह दिया जायगा कि

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शौकत अली खां]

यह झूठा है। वे घर पर पड़ा रहता है। कोई वजह नहीं है कि छुट्टी दी जाए। मेरे ख्याल में हर एक मेम्बर की तौहीन है, अगर उसको झूठा समझा जाता है। ऐसी हालत में मैं सिफारिश करता हूँ कि उनकी छुट्टी मन्जूर कर ली जाए, अगर वह नहीं आएंगे तो हमारे दोस्तों का उनसे पीछा छूट जाएगा। बहुतों को अफसोस होगा और बहुतों को खुशी होगी। यही दुनिया की चाल है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

इस सभा की शान में मौजूं यह चीज है कि अगर कोई सभा का सदस्य बीमार पड़ता है और छुट्टी के लिए अपनी अर्जी भेजता है कि मेरी अनुपस्थिति माफ की जाए, तो इस सभा के सदस्यों को उसका यकीन करना चाहिए। इसी में उसकी शान है और सभा के सदस्यों की भी इसी में शान है और यही चीज इस सभा के लिए मौजूं भी है लेकिन यहां दुर्भाग्यवश एक सदस्य विशेष का प्रश्न है, जिनके ऊपर अशान्ति फैलाने का एक आरोप इस सूबे की गवर्नमेंट ने लगाया है, उनको गिरफ्तार किया गया और जेल में रखा गया। सभा के सम्मानित सदस्यों के अनुकूल उनका व्यवहार नहीं रहा, बल्कि उन नागरिकों में उनकी गिनती हुई जो समाज में विश्रृंखलता फैलाने और अशान्ति फैलाने में लगे हुए थे। यह एक बात है।

दूसरी चीज यह है कि जिस समय हुकूमत ने अशरफ साहब से कहा कि आप कमिश्नरी छोड़ दीजिए, तो यह नहीं कहा कि आप इस सूबे को छोड़ दीजिए या हिन्दुस्तान को छोड़ दीजिये। अगर सूबे की हुकूमत ने एक दो या तीन कमिश्नरी छोड़ने के लिए कहा था तो भी इस सूबे और हिन्दुस्तान में जगह थी लेकिन यहां न रहकर वह पाकिस्तान चले गये। पाकिस्तान ऐसी जगह है कि जिस देश की सेना हमारी सेनाओं से भिड़ रही है। दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। मेरे माननीय मित्र कराची में बीमार हैं। अगर मैं उनकी जगह होता और मुझे अपने देश से मुहब्बत होती, और अगर मेरी तन्दुरुस्ती इस योग्य होती कि मैं अपने देश वापस लौट सकता होता तो मैं कहता कि मैं अपने मुल्क के नागरिकों के बीच में आना चाहता हूं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रोज दिल्ली से इतने हवाई जहाज आते हैं जो परिवारों को यहां से ले जाकर वहां छोड़ते हैं और जो परिवार वहां फंसे हुए हैं उनको हिन्दुस्तान में लाते हैं लेकिन अशरफ साहब ने उनका भी फायदा नहीं उठाया। अगर उनकी बीमारी की हालत ज्यादा खराब है तो भी यह जरूरी है। खुदा न करे ऐसा हो, मगर बीमारी अगर संगीन है, तो अगर मैं उनकी जगह होता तो यह कोशिश करता कि इस वक्त बीमारी संगीन है जैसे बने वैसे अपने मुल्क में पहुंच जाऊं ताकि दम तोड़ते वक्त अपने देश की मिट्टी चूमूं। इस बात को भी उन्होंने नहीं सोचा और वह गैर मुल्क में हैं और यहां के कुछ साधनों को वह अब भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। उनका अतीत

निष्कलंक नहीं है, उनकी मनोवृत्ति सन्देह से दूर नहीं है। ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि सभा कोई खास अन्याय नहीं करेगी, अपनी शान में धब्बा नहीं लगायेगी अगर वह उनकी इस अर्जी को नामंजूर करती है और उनके स्थान को रिक्त घोषित करती है।

श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा--

यह जो कहा गया है कि हाजी मुहम्मद हुसेन साहब हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके मुताल्लिक एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन (वैयक्तिक स्पष्टीकरण) देना चाहता हूं। उनके एक अजीज जो यहीं लखनऊ में हैं, २२ तारीख को मुझको मिले थे, उनकी भी यही इत्तिला थी कि वह चले गये। बहुत से दोस्त जो मेरे भी अजीजों में से हैं जो चले गये हैं, लेकिन जायदाद की दिक्कतों से जैसे मकान वगैरह यहां हैं सोचते हैं रिक्वीजीशन हो जायगा इसकी वजह से बहुत से लोग वापस आ रहे हैं। लेकिन वह हरगिज नेकनियती से वापस नहीं आ रहे हैं।

श्री विष्णु शरण दुब्लिश--

श्रीमान जी, काफी बहस मुबाहिसा मिस्टर अशरफ के बारे में हो चुका है। दो एक बातें मैं भी कहना चाहता हूं। पहली यह कि शायद चौधरी खलीकुज्जमां के बाद अशरफ साहब ही मुस्लिम लीगर थे जिन्होंने खुली हुई पब्लिक मीटिंग में कहा था कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो पाकिस्तान का हम मुकाबला करेंगे। हम लोग समझते थे कि शायद उनकी हालत बदल गई है। लेकिन मैं हाउस को यह बतलाना चाहता हूं कि उनकी हालत नहीं बदली। वह इसलिए गिरफ्तार हुए कि पाकिस्तान की अथारिटीज (अधिकारियों) से खतोकिताबत कर रहे थे और उन्होंने जिन्ना साहब को तार दिया था कि यू० पी० में मुसलमानों की बहुत खराब हालत है और आप यहां के मुसलमानों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की फौज भेज दीजिए। इसके अलावा और भी ऐसी चीजें देखी गई। वह दो ढाई महीने के क़रीब जेल में रहे थे। जेल से छूटते ही वह पाकिस्तान फौरन चले गए। उनका मकान वगैरह भी रिक्वीजीशन (अधिकृत) कर लिया गया और उन्होंने यह भी नहीं लिखा कि मुझे फिर यू० पी० में रहना है मेरा मकान क्यों रिक्वीजीशन (अधिकृत) किया जा रहा है।

मेरे भाई लारी साहब ने जो कहा कि मुस्लिम लीग कौंसिल की मीटिंग अटेन्ड (उपस्थित होने) करने गये थे लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग कौंसिल की मीटिंग से २, ३ महीना पहले ही पहुंचि गए थे। ऐसी हालत में उनकी लायल्टी (देशभक्ति) सन्देहजनक है। यों तो कोई भी मेम्बर अगर अपनी बीमारी का सन्देसा भेजता है तो हाउस को बिना बहस के कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं मेरठ से आता हूं जहां से अशरफ साहब आते हैं, मैं जानता हूं कि उनकी लायल्टी पर बहुत ज्यादा डाउट (सन्देह) है इसलिए हाउस से रिक्वेस्ट (प्राथना) करूंगा कि उनकी दरख्वास्त को नामन्जूर कर दे।

*श्री फखरुल इस्लाम—

मैं अशरफ साहब के कारनामों के मुतालिक कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक पाकिस्तान में जाने का ताल्लुक है उन्होंने आल इन्डिया मुस्लिम लीग के सिलसिले में जो तकरीर की थी, अगर इस ऐवान के मेम्बरान उस तकरीर को पढ़े होते तो मालूम होता। फिर प्रेसीडेन्ट, मुस्लिम लीग ने जिस तरीके से उनकी तक़रीर को नापसन्द किया है वह अखबार में अच्छी तरह से शाया हो चुका है। उन्होंने इन्डियन यूनियन के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा बल्कि पाकिस्तान की पालिसी को क्रिटिसाइज (आलोचना) किया, इस पर वहां के लोगों ने कहा कि आप अपनी राय को बदलने की कोशिश करें। जहां तक उनके हिन्दुस्तानी होने का ताल्लुक है, जब हमारे देश ने खुद कहा कि तीन कमिश्नरियों में आपको रहने का हुक्म नहीं है। उसके बाद वह कुछ दिन तक इलाहाबाद में रहे। फिर उनकी सेहत यकीनी तौर पर खराब हो गई। उनके बच्चे सेन्टजोजेफ कालेज में अब भी पढ़ रहे हैं। उनकी बीबी यहीं पर है, हाजी मुहम्मद हुसेन भी मौजूद हैं। उनके पाकिस्तान जाने की कोई वजह नहीं थी जब वह तीन कमिश्नरियों से निकाल दिए गए तब वह बम्बई गए, वहां उनकी सेहत खराब हो गई, इसी (समुद्र) की आबोहवा उन्हें सूट न कर सकी। उन्होंने समझा कि करांची चले जाएं। हो सकता था इंगलैंड चले जाते। अगर आपको उनके करांची जाने के ऊपर रंज है तो इस तरह से तो बहुत से लोग अपनी सेहत के लिए इंगलैंड अमेरिका चले जाते हैं। और ऐसे वाकए अब भी आपको मिलेंगे कुछ ऐसे डाक्टर्स वहां अब भी मौजूद हैं जो अपना इलाज कराने के लिए उस एरिया में जाते ही हैं। (आवाज: उनको पाकिस्तान से खतोकितावत हुई थी या नहीं।) मुझे यह नहीं मालूम है। इतना मालूम है। कि उन्होंने यहां हाई कमिश्नर को टेलीग्राम किया था कि मेरठ में गुड़गांव के लोग हमला किया करते हैं। जाट भाइयों से हम लोग परेशान हो गये हैं। लेकिन यह कभी नहीं कहा था कि पाकिस्तान से फौज भेजिये। उनके बीबी बच्चे यहां मौजूद हैं। इन बातों को देखते हुये अगर कोई अपनी सेहत बनाने जाता है और जो हिन्दोस्तान में रहना चाहता है उसको क्यों निकाल रहे हैं? आप तो बड़े ऊंचे दिल वाले हैं। आप उनको मौका दीजिए कि वह यहां रहें। एक आदमी जिसके बीबी बच्चे यहां मौजूद हों और जो इस ऐवान का मेम्बर रहना चाहता है उसको आप एक मौका दीजिए।

* श्री सुलतान आलम खां—

जनाब वाला, अशरफ साहब की दरख्वास्त से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दरख्वास्त मन्जूर हो या न हो। मैं समझता हूं कि इस ऐवान के अन्दर जिन साहबान ने यह आरगूमेंट (दलील) पेश किया कि उनकी दरख्वास्त मन्जूर नहीं होनी चाहिए वह एक हद तक सही ख्याल रखते हैं। जो शख्श एक यूनियन का लायल (राजभक्त) होने की तवक्को नहीं रखता उसको उस यूनियन में नहीं

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]
रखा जा सकता। लेकिन उसके साथ ही साथ एक बात मुझे कहना है और वह यह कि इस गवर्नमेंट का अब तक यह ट्रेडीशन (परम्परा) रहा है कि जो शख्स बीमार हो गया हो उसकी जो दरख्वास्त आई है वह मन्जूर हो गई है।

हो सकता है अशरफ अहमद साहब में ऐसी खामियां हों कि जिनकी बिना पर जो बातें कही गई हैं वह सही हों और यह भी सही है कि अगर वह इस ऐवान के मेम्बर फिर बनकर आते हैं और फिर वही चीज करें तो हमको भरोस करना चाहिये कि हमारे पास कानून है उनकी ऐक्टीविटीज को बन्द करने के लिए। अगर वह फिर कोई ऐसी बातें करते हैं जो हुकूमत के खिलाफ हो, इन्डियन यूनियन के खिलाफ हों, तो कानून को जुम्बिश दी जा सकती है और उससे काम लिया जा सकता है और वह उससे रोके जा सकते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि यह मुनासिब न होगा बिल्खसूस उस तालीम के एतबार से, जो हमको मिली है कि महज इस वजह से कि एक शख्स बुरा आदमी रहा है उसको इन्तकानी जजवे के मातहत इस रियायत से महरूम कर दें जो दूसरे लोग हासिल किए हुये हैं इस लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त इस पर फिर से ठन्डे दिल से सोचें। अगर अशरफ साहब फिर से यहां पर आजायेंगे तो वह इस ऐवान का कुछ न बिगाड़ सकेंगे आपको फिर एक मरतबा सोचना चाहिये कि जो फैसला आपने किया है वह कहां तक मुनासिब है। अशरफ साहब में चाहे कितनी बुराइयां हों लेकिन इस ऐवान को अपनी शान नहीं खोना चाहिए। इन चन्द लफ्जों के बाद मैं खत्म करता हूँ।

* श्री जगन्नाथ बख्श सिंह-

स्पीकर महोदय, गोकि मुझे इस मामले से कोई जानकारी नहीं है लेकिन जो बातें इस तरफ से कही गई हैं अगर वह सही हैं तो मैं कहूँगा कि दरख्वास्त को मन्जूर नहीं करना चाहिये। मैं नहीं समझता हूं कि इस धारा सभा के किसी मेम्बर को ऐसी बातें करना चाहिए जो इन दोनों डोमीनियन्स के बीच में कोई खिंचाव पैदा करें, यह कहां तक ठीक है। इससे केवल इसी देश को नुकसान करना नहीं है बल्कि उस देश को भी नुकसान करना है। जो आदमी ऐसा करता है मेरे ख्याल में वह क़ाबिल माफी नहीं है, फिर अगर एक धारा सभा का मेम्बर ऐसा करे कि इस देश के हित के विरुद्ध वह दूसरे देश में जाकर ऐसी बातें करे जो सही हों या न हों लेकिन इस देश के आदमियों को या उनके कालीग्ज को सन्देह करने का मौका मिले तो यह बड़े खेद की बात होगी। अगर यह बातें सही हैं तो मैं इसकी कभी ताईद न करूंगा कि उनकी दरख्वास्त मन्जूर की जाय। कुछ लोगों ने इधर से कहा है कि उनकी दरख्वास्त

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ बख्श सिंह]

मन्जूर की जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जरूरी समझा जाय तो इसकी दोबारा जांच की जाय। अगर जांच के बाद यह बातें सही निकलती हैं, तो मैं पहला आदमी हूं कि इस दरख्वास्त को नामन्जूर करने के लिये आपसे निवेदन करूंगा, मैं जांच की जरूरत कभी न समझता अगर महज इस तरफ से आवाज उठती और दूसरी तरफ से न उठती। लेकिन जब मैं देखता हूं कि इस तरफ से भी आवाजें उठी हैं और दूसरी तरफ से भी उठी हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि दोबारा जांच की जाय। अगर इस तरफ के हमारे दोस्त उनकी दरख्वास्त को मन्जूर करने के लिये कहते हैं तो इसकी दो सूरतें हैं। एक तो यह कि उसकी जांच हो और अगर जांच की जरूरत न समझी जाय तो फिर अशरफ साहब को मौका दिया जाना चाहिये कि वह अपनी गलती की माफी मांगें। उससे बहुत भारी लाभ होगा उनके जो भाई होंगे वह यह समझेंगे कि आइन्दा ऐसा नहीं करना चाहिये। मैं इसी उद्देश्य से यह कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के दरमियान में खिंचाव बढ़े। मैं चाहता हूं कि अगर कोई आदमी गलती भी कर दे तो हमको ऐसा मौका देना चाहिए कि वह दोबारा अपनी गलती समझ कर उससे अलग हो जाय। इससे भी अच्छा असर पड़ेगा। दो में से जो बात मुनासिब समझी जाय वह हमारे लायक दोस्त अमल में लायें।

*श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—

श्रीमान स्पीकर महोदय, अशरफ साहब की गैरहाजिरी के मुताल्लिक जो कुछ दोनों तरफ से कहा गया उसमें एक बात जो अहम और काबिले गौर है वह यह है कि एक खिचाव पैदा किया जाता है जिससे कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की हुकूमत के दरमियान में एक गलतफहमी पैदा हो। मेरी गुजारिश यह है कि मैं आपको यह याद दिलाऊं कि हमारे बापू जी महात्मा गांधी ऐसे मामलात में कैसा दिल रखते थे। अगर वह यहां होते तो क्या यह खिंचाव जो हमारी गुफ्तगू से पैदा होता है उसको यह मुनासिब समझते। मैं यह अच्छे तरीके से जानता हूं कि अगर कोई बदला लेने की स्पिरिट या तरीका हमने अख्तियार किया तो उससे ज्यादा नुकसान होने का अन्देशा है। हमें अपने इस मुल्क से जो कि हमारी सरहद के ऊपर है, सदा दोस्ताना रखना है और इस वजह से कि उस मुल्क में हमारे यहां का एक ऐसा बाशिन्दा जो कि कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, अगर वह चला गया है तो हमको इस बात के ऊपर नाराज न होना चाहिए। मैं इस बात से कुछ ताल्लुक नहीं रखता कि यह दरख्वास्त मन्जूर की जाय या नामन्जूर की जाय मगर मैं इस बात से जरूर ताल्लुक रखता हूं कि दोनों मुल्कों में आपस में इसी तरह से ताल्लुक कायम रहे जैसे कि वाकई में दो पड़ोसी मुल्कों में होने चाहिए और हमारे सामने इस वक्त यह बात

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया

जो कि पश की जा रही है अगर वह नामन्जूर की गयी और पुराने कन्वेन्शन के खिलाफ यह काम किया गया तो बहुत सख्त अन्देशा है कि इससे ऐसा बीज बोया जाय जिससे कि दिक्कतें पैदा हो जायं। मैं आप सब साहबान के सामने सिर्फ यह इस्तदुआ करूंगा कि जब इसके ऊपर आप अपनी राय दें तो इन बातों को सामने रखें जिससे कि हम आइन्दा अपने को ऐसी दिक्कतों से बचा सकें।

श्री बनारसीदास—

अध्यक्ष महोदय, अशरफ साहब के प्रार्थना-पत्र पर दोनों पक्ष से काफी कहा जा चुका है। मैं चाहता था कि उस पक्ष से जो कुछ भी कहा गया है उससे हम लोग प्रभावित होते, लेकिन जो दलीलें दी गई हैं कि अशरफ साहब के प्रार्थना-पत्र पर विचार करते समय कुछ बदले की भावना इस पक्ष से है, मैं उसे गलती समझता हूँ। उनकी आदत का, व्यवहार का प्रश्न हमारे सामने नहीं है। साधारणतया यह प्रार्थना-पत्र है इसकी सत्यता के बारे में यदि हमें कोई सन्देह न होता तो उनका व्यवहार कुछ भी होता, यह हाउस किसी तौर पर भी उनके प्रार्थना-पत्र को अस्वीकृत करने के लिये न कहता। लेकिन हम जानते हैं कि पहले बहुत से कर्मचारियों ने पाकिस्तान में जाने के लिये अपनी राय दी, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से निश्चय किया गया कि बहुतेरे कर्मचारी इन्डियन यूनियन में रहें और वह पाकिस्तान का कार्य करें, तो उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया और उन्होंने जो बीमारी की यह दरख्वास्त दी है, मैं उसे एक राजनीतिक बीमारी समझता हूं। शायद अशरफ साहब यहां रहना चाहते हैं। मैं उनकी बीमारी को वास्तविक बीमारी नहीं समझता। वह इन्डियन डोमीनियन के साथ अपना सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं और वास्तव में पाकिस्तान की सेवा करना चाहते हैं। यह कहना कि वहां उन्होंने मुस्लिम लीग कौंसिल में हिन्दुस्तान के पक्ष का समर्थन किया लेकिन जब कि खलीकुज्जमां साहब ने भारत के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की और उसके बाद चुपके से जब वह पाकिस्तान चले गये, तो मुझे विश्वास नहीं रह जाता कि जिस प्रकार की मनोवृत्ति अशरफ साहब की रही है, हम उनके शब्दों पर किस प्रकार विश्वास करें। राजा जगन्नाथ बख्श सिंह जी ने इस सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किया है कि इसकी जांच की जाय, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि उनके विचारों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह होता तो मैं समझता हूं कि इसके लिये आवश्यकता होती कि इसके सम्बन्ध में जांच बैठाई जाती और जांच के बाद में इस बात पर कोई निर्णय किया जाता। लेकिन इस हाउस को तनिक भी सन्देह नहीं है कि अशरफ साहब जिस प्रकार के आदमी हैं, जिस प्रकार का उनका व्यवहार रहा है और जिस प्रकार की भाषा वह इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार सत्य और अहिंसा के प्रति उनके हृदय में सम्मान

[श्री बनारसी दास]

था, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की जांच की जरूरत है। फिलिप्स साहब ने जो प्रश्न यहां पर पैदा किया मैं समझता हूं कि उसका इस प्रार्थना-पत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। यहां पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के सम्बन्धों पर विचार नहीं करना है। यदि हम प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम पाकिस्तान के प्रति किसी प्रकार की शत्रुता का भाव प्रदर्शित करते हैं। यहां सवाल यह है कि एक व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र की सत्यता पर हमें संदेह है। यदि हमें इस प्रार्थना-पत्र की सत्यता पर संदेह न होता तो हम किसी प्रकार आक्षेप नहीं करते। लेकिन एक व्यक्ति का प्रश्न है और उस व्यक्ति के बारे में हमारा निश्चय है। वह बीमारी का बहाना लेकर इस हाउस से छुट्टी चाहते हैं। इसलिए मैं अपने साथियों का समर्थन करता हूं कि इस प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर दिया जाय।

श्री चरण सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब राय ले ली जाय। बहुत बहस हो चुका।

माननीय स्पीकर—

सवाल तो सीधा है। इसी के ऊपर आप को विचार करना है और इसी के ऊपर मुझे राय लेनी है कि उनको छुट्टी दी जाय या न दी जाय। बस यही सीधा सवाल है। अब यह प्रस्ताव हुआ है, बहस बन्द की जाय। लेकिन अगर गवर्नमेंट की ओर स कोई सचिव कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णानन्द)—

अध्यक्ष महोदय, आमतौर से इस भवन की परम्परा यही रही है कि यदि किसी सदस्य की छुट्टी की दरख्वास्त आई है तो वह स्वीकार की गई है। यद्यपि प्रोसीडिंग्ज को देखने से ऐसा पता चलता है कि एक आध मर्तबा इसका अपवाद भी हुआ है, बहरहाल अशरफ साहब का मामला इस किस्म के दूसरे मामलों से कई बातों में भिन्न है। हमारे पिछले कुछ दिनों का जो अनुभव हुआ है उससे तो हमें ऐसा जान पड़ता था कि अब इस भवन को उनकी कीमती राय से हाथ धोना पड़ेगा और उनके भाषणों के सुनने का मौका शायद हमको न मिलेगा। बहरहाल उनकी जो दरख्वास्त आई है, उस के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस मामले में कोई खास राय देना नहीं चाहती। भवन जैसा चाहे फैसला करे।

माननीय स्पीकर—

प्रश्न यह है कि इस विषय पर अब प्रश्न रखा जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय स्पीकर—

प्रश्न यह है कि सैयद अहमद अशरफ को बीमारी के कारण छुट्टी दी जाय।

श्री मुहम्मद शौकत अली खां—

इस तर्जुमे को हम नहीं समझ सके हैं। अगर उनके अल्फाज को पढ़ कर सुना दिया जाये तो यह मालूम हो कि किन अल्फाज में उनका खत है।

माननीय स्पीकर—

"I have been ill for the last fortnight and at the present time I am laid up in bed and therefore cant attend this session of the Assembly and therefore request that my absence from it may kindly be excused aeeording to the rules."

(मैं गत १५ दिनों से रुग्ण हूँ और इस समय शय्या पर लेटा हूँ। अतः मैं असेम्बली के इस अधिवेशन में उपस्थित न हो सकूंगा, इस कारण मेरी प्रार्थना है कि नियमानुकूल असेम्बली से मेरी अनुपस्थिति क्षमा की जाय)

यह पत्र दूसरी मार्च का लिखा हुआ है और हमारे दफ्तर में २३ मार्च को पहुंचा है।

(कुछ रुकने के बाद)

प्रश्न यह है कि श्री सैयद अहमद अशरफ को छुट्टी दी जाय।

प्रश्न उपस्थित किया गया और भवन के निम्नलिखित प्रकार से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में १६

अब्दुल गनी अन्सारी	मुहम्मद फारूक
अब्दुल बाकी	मुहम्मद इसहाक खां
ऐजाज रसूल	मुहम्मद शकूर
करीमुर्रजा खां	मुहम्मद शमीम
जमालुद्दीन अब्दुल वहाब	सलीम हामिद खां
जहीरुल हसनैन लारी	सईद अहमद
फखरुल इस्लाम	सैयद जाकिर अली
मुहम्मद असरार अहमद	हसन अहमद शाह

विपक्ष में १०१

अजित प्रताप सिंह	गजाधर प्रसाद
अजित प्रसाद जैन	गणपति सहाय
अदील अब्बासी	गोपाल नारायण सक्सेना
अब्दुल मजीद	गोविन्द सहाय
अब्दुल हमीद	गङ्गाधर
कमलापति त्रिपाठी	गङ्गाप्रसाद
कुन्जबिहारीलाल शिवानी	गङ्गा सहाय चौबे
कृष्णचन्द्र (मथुरा)	चतुर्भुज शर्मा

केशव गुप्त
खानचन्द गौतम
खुशवक्तराय
खुशीराम
खूबसिंह
दाऊदयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
धर्मदास अल्फ्रेड
नरेन्द्रदेव
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फतेह सिंह राणा
फिलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल
बदन सिंह
बन्शगोपाल
बन्शीधर मिश्र
बनारसी दास
बलदेवप्रसाद
बलभद्र सिंह
बशीर अहमद अन्सारी
बादशाह गुप्त
बीरबल सिंह
बीरेन्द्र शाह
भगवानदीन मिश्र
भगवान सिंह
भारत सिंह यादवाचार्य
भीमसेन
भुवनेश्वरी नारायण वर्मा
मङ्गला प्रसाद
मलखान सिंह
मसुरिया दीन
महमूद अली खां
महावीर त्यागी
मिजाजी लाल
मुकुन्द लाल अग्रवाल
चरण सिंह
जगन्नाथ प्रसाद
जगन्नाथ बख्श सिंह
जगन प्रसाद रावत
जगमोहन सिंह नेगी
रघुवन्शनारायण सिंह
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री
रामचन्द्र सेहरा
रामचन्द्र पालीवाल
रामजी सहाय
रामधर मिश्र
रामबली
राममूर्ति
रामशरण
राम स्वरूप गुप्त
रामेश्वर सहाय सिन्हा
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसेन
लाखन दास जाटव
लाल बिहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लुत्फ़ अली खां
लोटन राम
विजयानन्द मिश्र
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी
विष्णु शरण दुब्लिश
शंकर दत्त शर्मा
शिवकुमार पांडे
शिव दयाल उपाध्याय
शिवमंगल सिंह
श्याम लाल वर्मा
श्यामसुन्दर

मुहम्मद इस्माइल (मुरादाबाद)
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुनाथ बिनायक धुलेकर
रघुकुल तिलक
रघुवीर सहाय
हरगोबिन्द पन्त
हरप्रसाद सिंह
हरिश्चन्द्र बाजपेयी
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
साजिद हुसेन
सिद्धेश्वर प्रसाद
सीताराम अष्ठाना
सैयद मुजफ्फर हुसेन
हरिहर नाथ शास्त्री
होती लाल अग्रवाल

(इस समय एक बजे भवन स्थगित हुआ और २ बजकर २ मिनट पर डिप्टी स्पीकर के सभापतित्व में फिर भवन की कार्यवाही आरम्भ हुई।)

सन १९४७ ई० के संयुक्त प्रांतीय भूमि उपयोग सम्बन्धी बिल पर शुभ मूर्ति गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा

डिप्टी स्पीकर—

मैं घोषणा करता हूँ कि संयुक्त प्रान्तीय भूमि उपयोग सम्बन्धी बिल, सन १९४७ ई० पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी १० नवम्बर सन १९४७ ई० की बैठक में और संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल ने अपनी ६ दिसम्बर, सन १९४७ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्या गवर्नर की स्वीकृति २८ जनवरी सन १९४८ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का ५ वां ऐक्ट बन गया।

सन १९४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने का (दूसरा संशोधक) बिल

डिप्टी स्पीकर—

अब माननीय पुलिस सचिव के प्रस्ताव पर कि सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने के दूसरे संशोधक बिल, संयुक्त प्रान्त, सन १९४८ ई०, जैसा कि वह लेजिस्लेटिव कौंसिल से स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

*श्री मुहम्मद इसहाक खां—

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल के सिलसिले में जो मुझे उसूली एतराज करने हैं वे यह हैं कि गवर्नमेंट तमाम अख्तियारात अपने हाथ में ले रही है और जुडिशियरी को इस सूबे में बिलकुल इम्पोटेंट कर रही है। इससे पहले जब कभी सन १९४२ ई० में या सन ४२ से पहले डी० आई० आर० में जब कभी पुरानी गवर्नमेंट किसी तरीके के अख्तियारात अपने हाथ में लेती थी उस वक्त उन मेम्बरान की तरफ से जो उस तरफ बैठे हुये हैं, सदाए एहता-

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री मुहम्मद इसहाक खां]
जाज बुलन्द होता था। इस बिल में जो खास बात है वह यह है कि जायदाद लोगों की अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुर्क कर सकती है। और कौन साहब इसको तय करेंगे उसके लिये भी उन्होंने इस बिल के अन्दर यह रखा है —

If the Provincial Government is satisfied that the person to whom the property belongs has acted in a manner prejudicial to public safety.

(यदि प्रान्तीय सरकार को संतोष हो कि सम्पत्ति के मालिक ने इस प्रकार से कार्य किया है जिससे सार्वजनिक शान्ति के भंग होने की सम्भावना है।

तो ऐसी हालत में खुद कुजा व खुद कुजा गिरो व खुद गिले कुजा ; जिसको आप पकड़ना चाहें, जिसको आप फंसाना चाहें उस पर मुकदमा चला सकते हैं। किसी पुलिस के सब-इन्सपेक्टर ने किसी के ऊपर रिपोर्ट भेज दिया और प्राविन्शियल गवर्नमेंट उससे सैटिस्फाइड (सन्तुष्ट) हो गई और उसकी जायदाद कुर्क हो गई। कानून का तो तकाजा था कि ऐसी हालत में प्राविन्शियल गवर्नमेंट इस सूबे के मामलात को किसी जुडिशियल आफिसर के हाथ में देती और किसी जज के हाथ में देती कि अगर किसी शख्स की शिकायत है तो वह हाई कोर्ट के जज के सामने यह मसला पेश कर सकता है। हाईकोर्ट का जज अगर कागजात को देख कर सैटिस्फाइड हो और वह समझे कि इस पर कार्रवाई की जा सकती है तो इस पर मुझे कोई एतराज नहीं होता और मैं खुद इसकी ताईद करता कि गवर्नमेंट के हाथ और मजबूत किये जायं, लेकिन मेन्टिनेंस आफ पब्लिक आर्डर बिल के मुताबिक जो इस वक्त तक कायवाही हो रही है उससे तो यह उम्मीद पैदा नहीं होती कि वाकई मिनजानिब गवर्नमेंट आजादी के साथ मामला जायगा। मैं ऐवान की तवज्जह दिलाना चाहता हूं सेन्ट्रल असेम्बली की डिबेट की तरफ, जबकि डी० आई० आर० रूल्स के बारे में बहस हो रही थी, तो कांग्रेस की तरफ से ख्वाजा अहमद काजमी ने एक तहरीक पेश की थी कि इतने अख्तियारात गवर्नमेन्ट को न दिये जायं बल्कि जुडिशियल आफिसर और हाई कोर्ट के जज को वे अख्तियारात दिये जांये।

At the time when the Defence of India Rules were framed, probably the Government of India had some consideration for the highest tribunals of the Provinces and of India, but gradually I find that the Government have started more or less distrusting the highest judiciaries of the Provinces also. Instead of listening to the advice of the Federal Court and also to the advice of the Honourable Judges of the High Courts, instead of trying to rectify the errors, the Government have tried to invent certain other things to overcome those particular defects.

(उस समय जबकि भारत रक्षा कानून बनाया गया, संभवतः भारत सरकार प्रान्त की तथा भारत की ऊंची अदालतों का कुछ ख्याल रखती थी परंतु मैं देखता हूँ कि धीरे-धीरे सरकार ने प्रान्त के सर्वोच्च न्यायालयों पर भी अविश्वास करना आरम्भ कर दिया है। फेडरल कोर्ट की सलाह को या हाईकोर्ट के माननीय जजों की सलाह को सुनने के बदले, गलतियों को ठीक करने के बदले सरकार ने उन दोषों को दूर करने के लिये कुछ दूसरे कार्य करने आरंभ कर दिये हैं।)

इसके बाद वह कहते हैं—

"Then what is the use of having these courts of justice, the Federal Court and the High Courts, if these bodies are not to be trusted by Government."

(तब ऐसे न्यायालयों, फेडरल कोर्ट और हाईकोर्ट को रखने से क्या लाभ है, यदि सरकार इन पर विश्वास नहीं करती ?)

अपनी बहस के सिलसिले में उन्होंने यह भी कहा:—

"I do not want to bother the House by reading them at length, they cover more than 3 pages-you will find that the powers cover every possible aspect in which the executive government could stop people from carrying on anything which was against the peace and tranquillity of the country. But there was one thing which has upset them. The words are, "If the Central Government or the Provincial Government, if it has satisfied itself with respect to any particular person, with a view to prevent him from doing anything." The question was whether it was proved that the Government either Provincial or Central had been satisfied before an arrest was made. But really, it was not the case of satisfying the Government, it was only a question of the whims of the lowest paid agent, the police and the constables, etc.; it is this practice which has been prevalent throughout the whole period. If the Government found it difficult to prove before courts of justice that they were satisfied, and because they want to persist in that attitude and detain persons, without any satisfaction or without being able to prove any 'satisfaction' therefore they have taken the circuitous way of bringing about ordinance after ordinance to oust the jurisdiction of the courts of justice"

"Why distrust judicail courts and create your own machinery ? These are your own officials who have pointed out the way to do

[श्री मुहम्मद इसहाक खां]
the correct thing. Still you think that any one who interferes with your way of doing things must be condemned and deprived of his powers. If that is the way of the Government of India the judiciary in this country cannot exist and people can have no confidence in the laws that are made either by you or by this House."

"मैं उनको विस्तार पूर्वक पढ़कर भवन को कष्ट देना नहीं चाहता वे तीन पृष्ठों से अधिक में हैं। आप देखेंगे कि उन अधिकारों में वे सब सम्भव चीजों में जिनके द्वारा शासनारूढ़ सरकार देश की शान्ति भंग करने वाले किसी भी कार्य से लोगों को रोक सकती है। किन्तु एक चीज ने उनके कार्य में गड़बड़ी पैदा करदी है शब्द ये हैं "यदि केन्द्राय सरकार या प्रान्तीय सरकार ने, यदि किसी व्यक्ति विशेष के विषय में यह सन्तोष कर दिया है उसको किसी कार्य से रोकने के लिये" प्रश्न तो यह था कि क्या यह सिद्ध हो गया कि आया केन्द्राय या प्रान्तीय सरकार को गिरफ्तारी करने से पूर्व सन्तोष था किन्तु वास्तव में यह कोई सरकार के सन्तोप करने का मामला नहीं था, यह तो केवल सबसे कम वेतन पानेवाले एजेंट यानी पुलिस और सिपाहियों, आदि की सनक का प्रश्न था इस पूरी अवधि में यही तरीका चालू रहा है। यदि सरकार को अदालतों के सामने इसे सिद्ध करने में कठिनाई मालूम पड़ी कि उसे सन्तोष हो गया था औ क्योंकि वह अपनी उस प्रवृति पर अड़ा रहना चाहती है और बिना सन्तोप के या सन्तोप सिद्ध बिना लोगों को नजरबन्द करना चाहती है, इस कारण उसने न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को दूर करने के लिये आर्डिनेन्स के बाद आर्डिनेन्स निकाले।"

"आप न्यायालयों पर विश्वास क्यों नहीं करते और नया ढंग क्यों चलाना चाहते हैं? ये भी आपके कर्मचारी हैं जिन्होंने सही रास्ता आप को बता दिया है फिर भी आप सोचते हैं कि जो कोई भी आदमी आप के रास्ते में हस्तक्षेप करता है वह निन्दनीय है और उसका अधिकार शुन्य कर देना चाहिये यदि यह भारत सरकार का मार्ग है तो इस देश में न्यायालय नहीं रह सकते और लोगों को उन नियमों में कोई विश्वास नहीं होगा जो आपने या भवन ने बनाये हैं।")

यह मेरे अल्फाज नहीं हैं, यह उन मेम्बर साहब के अल्फाज हैं, जो कांग्रेस की तरफ से सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली में तकरीर कर रहे थे। आज म अपने लायक़ दोस्त पुलिस मिनिस्टर साहब से दरियाफ्त करूंगा कि क्या आज वह जुडिशियरी बदल गई। फारेन गवर्नमेंट के जमाने में निहायत आजादी के साथ निहायत बेबाकी के साथ वह इन्डिविजुअल लिबर्टी (वैयक्तिक स्वतन्त्रता) को बरक़रार रखती थी, वही जुडिशियरी हमारे इन मिनिस्टरान के तहत में काम कर रही है और अब तो फारेन अफसर की जगह पर हिन्दुस्तानी भाई बरसरे इक्तदार हैं। आज आप उन पर एतमाद नहीं करते। आपने क्या नहीं बिल

के अन्दर प्राविजन (व्यवस्था) रक्खा कि जब हाई-कोर्ट के जजान उन केसेज को देख लेंगे तो उन केसेज को देखने के बाद गवर्नमेंट को मशराति देंगे और गवर्नमेंट उस मशविरे के मुताबिक़ अमल करेगी। आप क्यों इनजुडिशियल अफसरों की राय को दूर रखना चाहते हैं। इसमें शक नहीं है कि आज मैं इस मौके पर अपोजीशन की तरफ से हिद्दये तशक्कुर व इत्मीनान पेश करूं कि सूबे की जुडिशियरी ने ख्वाह वह इलाहाबाद हाई-कोर्ट की हो ख्वाह अवध चीफ-कोर्ट की हो, निहायत ही तजुर्बे के साथ निहायत खूबी के साथ और निहायत बेबाकी से अपने काम का अन्जाम दिया है और इन्डिविजुअल लिबर्टी (वैयक्तिक स्वतन्त्रता) को क़ायम रक्खा है और हमको उन पर पूरा एतमाद और भरोसा है, क्योंकि निहायत ही उम्दा तरीके से उन्होंने अपने काम का अन्जाम दिया है। हमारा यह मतलब नहीं है कि अगर किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहती है या किसी इन्डिविजुअल क खिलाफ कोई कार्यवाही इसलिये करना चाहती है कि वह उसको पब्लिक सेफ्टी (जनरक्षा) के खिलाफ समझती है तो वह उसके खिलाफ कार्यवाही करे, वह गवनमेंट जरूर करे लेकिन हमारा कहना तो यह है कि गवर्नमेंट कान्स्टेबिल और सब-इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट पर क्यों अमल करने जा रही है। गवनमेंट को अगर अमल करना है तो उसके किसी जुडिशियल अफसर की रिपोर्ट पर अमल करना चाहिए। अगर हाई-कोर्ट के जजान न मिल सकें तो कुछ हाई-कोर्ट और कुछ जिलों की एक बेंच बनाई जाय, तो यह जज इस मसले पर निहायत ही उम्दा तरीके से काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट इलाहाबाद हाई-कोर्ट या अवध चीफ-कोर्ट के जजों से सलाह मशविरा लेकर, उनकी राय लेकर उसपर अमल करें और पब्लिक को पूरा एतमाद है। पब्लिक समझेगी कि पब्लिक के मफाद के लिए काम हो रहा है और इसमें कोई शुबहा नहीं होगा कि किसी पोलीटिक्स की वजह से इन्डिवीजुअल फ्रीडम को रोका जा रहा है और गवर्नमेंट बिला वजह दखल अन्दाज हो रही है। इसी सिलसिले में मैं अपने मुअज्जिज पुलिस मिनिस्टर साहब की तवज्जह अपने चीफ जस्टिस के उन रिमार्कस की तरफ दिलाऊंगा जिनमें उन्होंने कहा, दबी जुबान से नहीं, बल्कि खुले तौर पर किये हैं कि इस वक्त जजों को निहायत हिम्मत और आजादी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बिला वजह अख्तियारात अपने हाथ में ले रही है और सिंगिल पार्टी गवर्नमेंट होने की वजह से टोटलिटेरियन तरीके से काम करना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि लायक़ मुअज्जिज मिनिस्टर साहब उन अल्फाज को गौर से पढ़ें। इस वक्त न, पढ़ें बल्कि अपने कमरे में जाकर पढ़ें और कोशिश करें कि वह एक इनडिपेन्डेंट जुडीशियरी को इस सूबे में बरक़रार रखें ताकि कांग्रेस गवर्नमेंट कह सके कि हमने तुमको एक इन्डिपेंडेंट जुडीशियरी दी। जोकि सिविल लिबर्टीज को क़ायम रख सके। मैं आपकी तवज्जह आनरेबिल प्रीमियर पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त

[श्री मुहम्मद सईद खां]

के उस मेसेज की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि उन्होंने जुडीशियरी को भेजा था—

"The judiciary plays an important role in the development of an essentially just order in the free country and I have every hope that your service will make its full contribution and rise to still greater heights in free India. In this noble task you will receive every support from the Government which will continue to maintain your dignity and independence".

(स्वतन्त्र देश में शान्ति बनाये रखने के लिए न्यायालय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करता है और मुझे पूर्ण आशा है कि आपकी सेवा बहुत लाभदायक होगी और स्वतन्त्र भारत को और भी उच्च स्थान पर पहुंचा देगी। इस महान कार्य में आपको सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा जिससे आपका प्रभुत्व और स्वतन्त्रता बनी रहेगी।

तो मैं पूछता हूं कि सिर्फ मेसेज तक ही महदूद रखियेगा या अमल में भी लाकर दिखलाइयेगा। अगर आप वाक़ई ऐसा चाहते हैं तो आप खुद एक तरमीम लायें, अपोजीशन की तरफ से कोई एतराज नहीं होगा अगर हर केस में गवर्नमेंट हाईकोर्ट के जज की रिपोर्ट पर अमल करेगी। अगर आप यह चाहते हैं कि कोई वर्दी न पहने या बिल्ला न लगाये तो इससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों की जायदाद पर क़ब्जा करते हैं या लोगों को बन्द करते हैं तो ऐसी हालत में एक जज उन कागजात को पहले देख ले और उसके बाद वह अपनी रिपोर्ट दे। ऐसी हालत में पब्लिक को भी इत्मीनान होगा और गवर्नमेंट पर भी इल्जाम नहीं आयेगा।

मैं आप की तवज्जह अपने चीफ जस्टिस के उन अल्फाज की तरफ दिलाना चाहता हूं जोकि उन्होंने अपने खुतबए सदारत में कहे थे—

"Every one coming to a court of law is entitled to expect and to receive a decision on the merits alone, uninfluenced by any other consideration whatsoever. Real freedom means freedom from fear, freedom from oppression, freedom for the poor, freedom for the rich, both alike freedom for the weak against the strong. This can only be based on the rule of law. And the courts are established to maintain that freedom and enforce the law. At present we have practically a single party Government. At such a time the danger of inroads upon the independence of the judiciary is great. I have no doubt that they fully realise the importanceofa fearless, independent, impartial and incorruptible judiciary courts cannot properly and efficiently discharge their duties unless they are completely independent and are unfettered by interference by the executive. During

this period of transition when people being led away by zeal and misguided enthusiasm and view of what ought to be done by public officers, are apt to interfere with the work of such officers, the danger to their being able to discharge their duties fearless is great."

(जो कोई भी अदालत में आता है वह एक ऐसा निर्णय पाने की आशा से आता है जो मुकदमों के गुणों पर किया गया हो, जिस पर किसी अन्य बात का प्रभाव न पड़ा हो, और उसको ऐसा निर्णय पाने का अधिकार है। वास्तविक स्वतन्त्रता का अर्थ है कि भय न हो, डर न हो, गरीब लोग स्वतन्त्र रहें अमीर भी स्वतन्त्र रहें और बलवान लोग निर्बलों को न सता सकें। यह केवल क़ानून के राज्य में सम्भव है। अदालतें इसीलिए स्थापित की गयी हैं कि वह ऐसी स्वतन्त्रता को बनाये रखें और नियम को लागू रखें। इस समय हमारी सरकार में प्राय: एक ही दल है। ऐसे समय में न्यायालय अन्याय की आशंका अधिक रहती है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं, कि अदालतें निर्भय, स्वतन्त्र, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार रहित न्यायालय के महत्व को समझती हैं। अदालतें जबतक पूर्णतया स्वतन्त्र न हों और शासन प्रबन्ध की ओर से बाधा रहित न हों, तबतक वे अपने काय को उचित रूप से योग्यता पूर्वक नहीं कर सकतीं। इस परिवर्तन काल में जबकि लोग उत्साह और गलत पथ-प्रदर्शन से कुमार्ग में जा रहे हैं तथा यह विचार कर रहे हैं कि सार्वजनिक अफसरों को क्या करना चाहिये, वे साधारण तथा ऐसे अफसरों के कार्य में बाधा देते हैं और इससे यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि वे अफसर लोग निर्भय होकर अपना कार्य न कर सकेंगे।

मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तवज्जह इन अल्फाज की तरफ खास तौर से दिलाना चाहता हूं—

"We have jealously to guard our trust and to act in full conformity to its dictates. It surprises me when I find at times that things are done may be done unwittingly-laws are made or orders are issued which tend to restrict the jurisdiction of the courts or lower their prestige.

(हमें सतर्क होकर अपने कर्तव्य को निश्चित करना है और उसी की पूर्ति को ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्य करना है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि कभी कुछ कार्यों में असावधानी हो जाती है। ऐसे नियम बनाये जाते हैं या ऐसी आज्ञायें जारी होती हैं जिनसे अदालतों का कार्य-क्षेत्र संकुचित हो जाता है अथवा उनके मान को क्षति पहुंचती है।)

ऐसी हालत में जबकि हाईकोर्ट आफ जुडीकेचर के चीफ जस्टिस ने यह सदाये अहतिजाज बुलन्द की उन अख्तियारात पर जिनको आप ले रहे हैं और उनके मुताबिक फैसला करना चाहते हैं, तो क्या उस मेसेज के बाद जो कि मुअज्जिज प्रीमियर साहब ने जुडीशियरी को भेजा था यह मुनासिब नहीं है कि आप पब्लिक में कान्फी-

[श्री मुहम्मद इसहाक़ खां].
इंस पैदा करें और यह दिखलायें कि दरअस्ल डिमाक्रेटिक सिक्यूलर स्टेट (प्रजा' तांत्रिक सार्वभौमिक राष्ट्र) है और हम डिमाक्रेसी के ही उसूलों के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट(स्वतंत्र) फीयरलेस जुडीशियरी कायम करते हैं।

हमने अपोजीशन की तरफ से गवर्नमेंट को यह बतला दिया है कि न सिर्फ अपोजीशन के, बल्कि तमाम सूबे के रहने वालों को अपनी जूडीशियरी पर एत- माद है। यह एक छोटा सा मसला है। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इनको मंजूर करेगी।

अब इसके बाद इसी सिलसिले में मैं एक और दफा की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वह सेक्शन तीन है। मैं चाहता हूं कि इसके मुताल्लिक मुअज्जिज वजीर साहब वजाहत फरमा दें।

उसमें एतराज यह है कि पीरियड स्पेसीफाइड में "बी एक्स्टेंडेड फ्राम टाइम टु टाइम, नाट टु एक्सीड सिक्स मन्थ्स"। क्या इसका मतलब यह है कि ६ महीने के खत्म होने के बाद बार-बार वह ६ महीने तक बढ़ाते चले जायंगे। अगर यह मतलब नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर यह मतलब है कि किसी को एक महीने रखा, फिर दो महीने रखा, फिर तीन महीने रखा और ६ महीने कम से कम रखा, तो उसपर कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर इस दफा की ताबीर यह करना चाहते हैं कि ६ महीने को बराबर मुसलसल बढ़ाते चले जायं, तो यह गलती होगी। लायक वजीर साहब सर हिला रहे हैं गालिबन मैं समझता हूं कि यह मतलब नहीं है, तो ठीक है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस मौके पर चूंकि शहरी आजादी में इस क़दर मदाखिलत हो रही है, इसलिये हमारे प्रेस का भी यही मकसद हो कि वह बेबाकी के साथ अपने फरायज को अन्जाम दे। जिस तरह से मैंने जुडीशियरी का शुक्रिया अदा किया, मैं प्रेस का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि प्रेस ने भी आजादी के साथ अपने फरायज का अन्जाम दिया है और मैं चाहता हूं कि वह भी काफी एतराज करे।

मैं इन चन्द अल्फाज के साथ इस जनरल डिस्कशन के सिलसिले में अपने एतराजात को पेश करता हूं और मैं समझता हूं कि लायक वजीर साहब कम से कम इस तरमीम पर रजामन्दी देंगे कि हाई कोर्ट के सामने मामलात पेश हों और उनकी रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाय।

* श्री हरप्रसाद सिंह—

श्रीमान प्रेसीडेंट, मैं भी एक वकील हूं और शुरू से मेरी तो यह तारीफ है कि मैं इसी पर एतबार करूं कि हर एक काम जुडीशियल माइंड से किया जाय और जुडीशियरी के सामने वह मामला पेश किया जाय, मगर हुकूमत को कभी-कभी ऐसे मौके आ जाते हैं कि दरहकीकत उस हालत में अगर वह हर एक काम को बिल्कुल जुडीशियरी पर छोड़ दें, तो राज्य का प्रबन्ध ठीक तौर से नहीं हो सकता।

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

इसलिये ऐसे ग़ैरमामूली मेजर्स लेने पड़ते हैं। आप बहुत से साहबान मेरे साथ होंगे कि इस समय भी बड़े ग़ैरमामूली जमाने में हम लोग सफर कर रहें हैं। हमें अभी थोड़े ही दिन हुए कि जब स्वराज्य प्राप्त हुआ है, इस बीच में आपने देखा है कि हमने कैसे-कैसे मुश्किल मरहले तय किये हैं और उन्हें तय करने में हमें हजारों जानें कुर्बान करनी पड़ीं। और हम यह भी जानते हैं कि डिमोक्रेसी (जनतन्त्रता) में एक ऐब यह भी है कि शक्ति अगर एक पार्टी को हासिल होती है, तो दूसरी पार्टी इस बात के प्रयत्न में रहती है कि उस पार्टी को जायज़ और नाजायज़ तरीके से डिस्कार्ड (बदनाम) कर दे और उस हुकूमत को बदनाम करे और कोशिश यह करे कि उसे वह पामाल कर दे। इस सूबे में अगर राज्य के हाथ में ऐसी शक्तियां न होंगी कि वह फौरन उसका इन्तजाम कर सके और अगर वह इस बात का इन्तजार करे कि हर एक मसला हाईकोर्ट के जज या डिस्ट्रिक्ट जज, या दूसरे जुडीशियल आफिसर तय कर दिया करें तब उसके मुताबिक अमल करें, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इन्तजाम में किस कदर देरी होगी और किस कदर तवालत होगी। यह भी हम जानते हैं कि बावजूद इतना सब कुछ होते हुए पहले भी हमारे पास कुछ ऐसे तरीके थे कि जिनके जरिये से हम बदमाशों को, उन लोगों को, कि जो पब्लिक के अमन में खलल डालते थे, रोकने के लिये कानून बनाते थे। हमने कानून बनाये और उनका अमल बराबर होता रहा और जुडीशियरी को भी उसीके मुताबिक इंटरप्रेट करके अमल करना पड़ता रहा। आप प्रीवेंटिव मेजर्स (रक्षात्मक कार्य) में ले लीजिये दफा ११० है, दफा १०९ है, दफा १०८ है, कि जो जाब्ता फौजदारी में हैं। दफा ११० में तो जनरल रेप्यूट की शहादत ही काफी समझी जायगी।

आप जानते हैं कि जुडीशियरी में दफा ११० के मामले हजारों की तादाद में गये। इसके लिए नये-नये तरीके जुडीशियरी में इन्टरप्रेट किये जिसका नतीजा यह हुआ कि दफा ११० एक तरह से बिल्कुल बेकार हो गई और मुल्क के अन्दर कहना चाहिए कि गुन्डापन का राज्य बढ़ रहा है। यह भी हम समझ रहे हैं और आप देख रहे हैं। मेरे लायक दोस्तों ने अपनी आंखें बन्द नहीं कर ली होंगीं। हम देख रहे हैं कि गांवों और शहरों में खास करके गांव में हालत बहुत ज्यादा खराब है। लोग चरित्रहीन बन गए हैं, चोरी बढ़ रही है, जुआ बढ़ रहा है। इसके साथ-साथ व्यभिचार बढ़ रहा है, झूठ का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, रिश्वत खूब बढ़ रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं वह सब हमारे देश के अन्दर बढ़ रही हैं। हमारा फर्ज है कि हम जल्द से जल्द इनको दबायें और भी इस तरह से पब्लिक के अमन में खलल डालने के लिए सामान पैदा हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि ऐसी सूरत में हम जुडीशियल माइन्डेड होकर के हरएक इन्तजाम

[श्री हरप्रसाद सिंह]
को जो कि एक राज्य को अपने हाथ में लेना चाहिए सोच सकते हैं। अगर हम इसे जुडीशियरी के सुपुर्द करें तो क्या आप समझते हैं कि राज्य हो सकता है। अब इस जमाने में और उस जमाने में बहुत फर्क है। पहले हमारे ऊपर गैर मुल्क वालों का राज्य था। अब हमारा राज्य है। हमारे अन्दर जो प्रेजेन्ट गवर्नमेंट (वर्तमान शासन) बनी है या जो आइन्दा बनेगी उसे यह अहसास रहेगा और वह एक मिनट के लिये भी इसे नहीं भूल सकती कि उसको पब्लिक के साथ डील (बर्ताव) करना है। अगर वह इसे भूल जाती यानी ऐसा नहीं करती, तो नेक्स्ट इलेक्शन्स (आगामी चुनाव) में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। अगर वह ऐसे मेजर्स बनाएं जिससे देश के इन्तजाम में आसानी हो, तो वह कभी भी नाजायज नहीं हो सकते और उनके अन्दर वह बू नहीं आएगी, जो कि एक फारेनर्स (वैदेशिक) के बनाने में होती है। गवर्नमेंट में विश्वास रखना चाहिए। गवर्नमेंट कभी भी ऐसा कोई फेल नहीं करेगी जिससे बेकसूर आदमियों को नुक़सान पहुंचे। मगर गवर्नमेंट को इन्तजाम करना है और मैं आपको यह भी बतला देना चाहता हूँ कि अंग्रेजों का जस्टिस का तरीका, जिसके ऊपर हमारी तमाम कोर्टस मबनी हैं, उस तरीके में माफ कीजिये हमें परिवर्तन करने होंगे। अगर आपको मुल्क दुरुस्त करना है और मुल्क को इस पैमाने पर लाना है कि हम दरहक़ीक़त उस स्वराज को, जो हमें प्राप्त हुआ है, अपने अन्दर रख सकें, तो हमारे यहां से वह डिसरप्टिव एलीमेंट दूर होने चाहिए जिनकी वजह से देश को खतरा रहता है। इनके लिये हमें कानूनों में भी परिवर्तन करने होंगे। (एक आवाज—आपको जजों पर एतबार है?) जी हां, बिल्कुल एतबार है, मगर इसके यह माने नहीं हैं कि हम इन चीजों को बिल्कुल जुडीशियरी के ऊपर छोड़ दें। दूसरी बात यह भी है कि अदालतों में जाकर मामले में डिले होती है। इस बात का आपको यक़ीन रखना चाहिए "जस्टिस डिलेडइज़ जस्टिस डिनाइड" (न्याय में देर करना न्याय न करना है।) का सिद्धान्त है। इसलिए अगर आप इसको जुडीशियरी के ऊपर छोड़ देंगे तो इसके तय होने में महीनों का मसला चलेगा और जहां यह मसला महीनों चलेगा, तो इस वक्त जिस जरूरत के लिये यह मेजर्स लिये जा रहे हैं वह खत्म हो जाएगी और मतलब कभी भी हल नहीं होगा। इसलिये अख्तियारात जो इस अमेन्डमेन्ट (संशोधन) द्वारा लेना चाहते हैं वह बिल्कुल ठीक और मुनासिब हैं। आप लोग यक़ीन रखिये कि गवर्नमेंट इनको कभी भी बुरी तरह इस्तेमाल नहीं करेगी, इसे एब्यूज नहीं करेगी। हमें इनकी ईमानदारी पर विश्वास रखना चाहिए। यह भरोसा रखना चाहिये कि इन मेजर्स का यह कभी मिसयूज (दुरुपयोग) नहीं करेगी।

*श्री जहीरुल हसनैन लारी—

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे अफसोस है कि मैं इस तहरीक की ताईद नहीं कर सकता और मेरी पार्टी इस तहरीक के क़तअन खिलाफ है। मैं तो

यह समझता था कि सवा बरस तक इस तरह के अख्तियार गैरमुसूली काम में लाने के बाद हमारे वजीर साहब आज इस तहरीक के साथ एवान में आयेंगे कि अब हमें इस किस्म के अख्तियारात की जरूरत नहीं। लेकिन इस जम्हूरियत पर और तरीके हुकूमत पर क्या कहूं एक निहायत अफसोस का मुकाम है कि आज मिनिस्टर साहब इस एवान के सामने इस गरज से आते हैं कि उनको मजीद अख्तियारात दिए जांयें। जब यह कानून पहली दफा इस एवान के सामने आया था उस वक्त भी मैंने मुखालिफत पेश की थी और यह तजवीज पेश की थी कि राय आम्मा से पूछा जाय कि आया वह इस मसवदे कानून के मुआफिक भी हैं या नहीं। लेकिन हुकूमत ने अपनी जबरदस्त अक्सरियत से काम लेते हुए बिला पब्लिक से पूछे ही आर्डीनेन्स में कानून के तमाम जुजियात पहनाकर फिर उसके बाद असेम्बली के सामने रख दिया। जाहिर है कि पार्लियामेंट्री हुकूमत में एक कैबिनेट के फालोअर्स को यह गुन्जायश ही बाकी नहीं रह जाती कि इस आर्डीनेन्स के जारी हो जाने के बाद वह इन्कार कर सकें। चुनांचे यह कानून पास हुआ जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से मजीद तरमीम आज पेश की जा रही है।

पहली वजह मुखालिफत की यह है कि आज मुल्क आजाद है। जिस वक्त वह कानून आया था उस वक्त मुल्क आजाद न था, आज मुल्क आजाद है। अगर वह देखेंगे तो मालूम होगा कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर खुद दस्तूर के अन्दर फन्डामेन्टल राइटस (मौलिक अधिकार) के अन्दर यह तजवीज है कि कोई शख्स गिरफ्तार न किया जायगा विदाउट ड्यू प्रोसेस आफ ला। ड्यू प्रोसेस आफ ला के माने यह हैं कि कोई शख्स गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक उसके खिलाफ जो इल्जामात लगाये गये हैं, उनको मीट करने को वकला के जरिये से, बहस करके जब तक यह तमाम बातें साबित न हों। हुकूमत रूस में भी है, हुकूमत फ्रांको भी करता है, हुकूमत हिटलर भी करता था लेकिन जो फर्क है हिटलर की हुकूमत में, जो फर्क है अमेरिका की हुकूमत में, वह फर्क यह है कि वहां पर दस्तूर की बुनियाद शहरी लोगों की आजादी पर रखी गई है। लेकिन कोई कानून जिसका मकसद यह हो कि गवर्नमेंट महज अपने हुक्काम की रिपोर्ट पर किसी फर्द को गिरफ्तार कर ले और उसको अदालत में बिना पेश किये हुये ६ महीने, साल भर तक जेल में रखे, वह मैं समझता हूँ बुनियादी उसूलों के खिलाफ है और कोई जम्हूरी जमात इसको मन्जूर नहीं कर सकती। इसलिये मैं कहता हूँ कि वह कानून नापाक है। ऐसे अख्तियारात से बाज आइये और अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि जो दस्तूर साज असेम्बली हमारी है उसने भी यह रखा है। लेकिन बहरहाल वह तो एक अलग मसला

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री जहीरुल हसनैन लारी]

है। इसलिये मेरा पहला एतराज यह है कि यह जम्हूरी दस्तूरों के बिल्कुल खिलाफ है और इसको खत्म कर देना चाहिये।

दूसरी बात यह है। अभी कहा गया है कि अपनी हुकूमत है, जम्हूरी हुकूमत है उसके ऊपर एतबार करो। मैं कहता हूं कि जम्हूरी हुकूमत का फर्ज यह था कि वह शहरी हुकूक को सामने रखकर अपने अख्तियारात को काम में ले आये। मैं आपसे पूछताहूं क्या कोई जम्हूरी मिसाल इस सूबे में है। मैं कहता हूं कि यह कोई जम्हूरी गवर्नमेंट नहीं है पार्टी गवर्नमेंट है, टैरीटोरियल गवर्नमेंट है मैं इसके सबूत में सबूत ही नहीं पेश कर रहा हूं, बल्कि आप में से एक बहुत बड़े वजीर का बयान पेश कर रहा हूं, जिन्हें आप मिस्टर रफी अहमद किदवई कहते हैं। वह फरमाते हैं —

"The measures they propose to take go through all formalities to claim popular support and yet it should be a mistake to call the present rule a democratic rule."

(वे लोग जो कानून बनाने का विचार कर रहे हैं उसमें सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करने के लिए सभी नियमों का पालन हो जाता है, तथापि वर्तमान शासन को प्रजातन्त्र शासन कहना गलत होगा।)

मैं कहता हूँ आपके एक बहुत बड़े जिम्मेदार शख्स की तरफ से यह सर्टिफिकेट प्राविन्शियल गवर्नमेंट को मिला है। फिर आप किस बिना पर कह सकते हैं कि मैं गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ। इसलिए अब मैं अपने तजुर्बे पर नहीं जाऊंगा। अब आपके ही तजुर्बे पर कहूंगा। आपकी डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक जाल है और जितनी जल्दी उस जाल को तोड़ दिया जाय उतनी ही जल्दी मुल्क के लिए यह फायदेमंद होगा। (आवाज—ऐडमिनिस्ट्रेशन और चीज है और गवर्नमेंट और चीज है।) दूसरी बात यह है कि यह हुकूमत गलत अख्तियारात रखती है। पहले कहा जाता था कि जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब गलत कामकर दिया करते हैं। लेकिन आपके सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तमाम बातें गवर्नमेंट के सामने लाई गईं फिर भी गवर्नमेंट महीने डेढ़ महीने तक खामोश रही। इसलिए जिले के हुक्कामजिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि यह गवर्नमेंट जिम्मेदार है। मैं चन्द मिसालें दूंगा। खुद इसगवर्नमेंट का हामी, सरपरस्त अखबार नेशनल हेराल्ड अपने ६ मार्च, ७ मार्च और ११ मार्च सन १९४८ ई०में "Democracy in Action" (प्रजातंत्र कार्य रूप में) के मातहत चन्द मिसालें देता है। जरूरत अब यह है कि वह मिसालें इस ऐवान के जाब्ते में आ जायें, ताकि यह न हो कि एक अखबार था। उसको भूल गये। दुनिया यह समझे कि इस हुकूमत के दौरान में क्या-क्या ज्यादतियां की गईं। इसके बाद मैं अपनी मिसाल पेश करूंगा। पहली

मिसाल यह है। जगन्नाथ, एक रिफ्यूजी को कोई मकान रहने के लिये नहीं मिल रहा था। आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से शिकायत की। बजाय इसके कि वह उनकी शिकायत सुनते, हुक्म दिया कि इसी दम इसे गिरफ्तार करो। गिरफ्तारी ही तक नहीं, उनको हैंडकफ करके जेल के हवाले कर दिया। मैं पूछता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। तमाम ऐवान में कहा जाता है कि हम रिफ्यूजीज से हमदर्दी करते हैं। मैं पूछता हूं क्या गवर्नमेंट ने हमदर्दी की। उस पार्टी से पूछता हूं कि उस आफिसर के खिलाफ क्या कार्यवाही की, जिसने यह ज्यादती की। दूसरे आदमी जिन पर हाथ साफ किया गया वह भगवतप्रसाद मिलकोहा हैं। उन्होंने एक सब-इन्स्पेक्टर की शिकायत की। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनसे कहा कि अभी तुम समझदार नहीं हो, समझो। उन्होंने कहा कि मैं बरसों से इसी सियासत में घिस रहा हूं, मुझे क्या आप समझा रहे हैं। इस पर हुक्म हुआ कि इसे डिटेन (बन्द करना) करो और खुद फैसला करके जेल भेज दिया।

तीसरी मिसाल मुहम्मद मुश्ताक की है। यह कोई लीगी नहीं हैं। भले आदमी हैं। मेरठ के एक अच्छे कारकुन हैं और लीग के हमेशा खिलाफ रहा करते थे। आपने कुछ सी० आई० डी० के अफसरों के मुताल्लिक शिकायत की। शिकायतें करना था कि उनको भी मेंटेनेंस आफ पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट (जन-रक्षा कानून) के मातहत गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पास जो मिसाल हैं उसके सोर्स प्रिन्टेड नहीं हैं। इसके छापने वाले कांग्रेसी अखबार हैं।

एक दो मिसालें मैं और भी पेश करता हूँ। अभी इत्तफाक से मैं गाजीपुर गया था, पता नहीं कि जो मिसालें मैंने बताई हैं, जो नेशनल हेराल्ड ने दी हैं वह वजीर पुलिस और प्रीमियर साहब की इत्तिला में आई है या नहीं। अब मैं मिसालों को पेश करता हूँ, जो शायद आपकी इत्तला में हों।

पहली मिसाल मेरे एक दोस्त की है जो गोरखपुर के हैं। गोरखपुर के एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम जब्बारअली है जिनकी हस्ती क्या है यह मैं खुद नहीं बल्कि गजेटियर से पढ़कर सुनाता हूं ताकि असल वाकयात मालूम हो जांय। इस गजटियर के सफे २० पर लिखा हुआ है "एरिप्युटेड हेड आफ दी मुसलमान कम्यूनिटी इज दी मियां साहब एन एक्सटेनसिव प्रोप्राइटर बिलांगिंग टु ए लाइन आफ डिवोटीज टू हैन्ड डाउन दि प्रापरटी एन्ड ट्रेडीशन आफ प्यूपिल टु प्यूपिल"—"मुसलमान जाति का यशप्राप्त सरदार वह मियां साहब हैं, जो सम्पत्ति शाली है और भक्तों के सम्प्रदाय का है जिसका कार्य है कि सम्पत्ति और परम्परा को एक जन-समूह से लेकर दूसरे को दे दे।" यह है उस शख्स की शख्सियत। उसका यह ट्रेडीशन है कि वह आज तक गवर्नर या गवर्नर जनरल से मिलने अपने घर से बाहर नहीं गया। उससे दरबारी की दरख्वास्त दी गयी तो उसने रिजक्ट कर दिया। वह शख्स आज

[श्री जहीरुल हसनैन लारी]

तक किसी अफसर के घर पर नहीं गया, क्योंकि यहां का ट्रेडीशन है कि इस इमामबाड़े से बाहर न जायेंगे। मैं पार्लियामेंटरी बोर्ड का सेक्रेटरी था कुछ लोगों ने चाहा कि वह असेम्बली के मेम्बर हो जाय। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे घर का ट्रेडीशन है, इसलिये मैं बाहर नहीं जा सकता और इसी वजह से मैंने उन्हें लीग का टिकट देने में गुरेज किया। यह शख्स गिरफ्तार किया जाता है यह कहकर कि आप नेशनल गार्ड के आर्गनाइजर हैं। एक शख्स जो इमाम बाड़े से बाहर नहीं जाता उसको नेशनल गार्ड का आर्गेनाइजर कहा जाता है। फिर कहा जाता है कि उन्होंने मुस्लिम लीग को पैसा दिया। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग को पैसा दिया है इन बातों पर वह गिरफ्तार किये गये। हर वाकआ होम मिनिस्टर और प्रीमियर साहब को लिख कर दिया जाता है। कैसे गवर्नमेंट कह सकती है कि वह जिम्मेदार नहीं है कहा जाता है कि उनकी बीबी कराची में है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि उनकी बीबी कराची उस वक्त गई थी जब इन बातों का ख्वाब में भी ख्याल न किया गया था। यह मैंने एक मिसाल दी।

एक दूसरी जबर्दस्त मिसाल है। मैं गाजीपुर गया था। वहां एक मुकदमा चल रहा है जिसका नाम जवीना बम केस है। एक शख्स वहां है जिसका नाम है औसाफ अहमद। इससे पुलिस हमेशा नाराज रही है। उसने मुकदमा भी चलाया लेकिन उसमें भी छूट गया। इत्तिफाक से यह जो बम केस चल रहा है, इसमें मार्च की कोई तारीख थी। उसमें एक वकील साहब बीमार हो गये और दूसरे वकील साहब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मातहत गिरफ्तार कर लिये गये और दोपहर को मुलजिम ने बयान दिया और शाम को वह गिरफ्तार हो गया तो मैंने यह दो मिसालें आप को दी। (एक आवाज—सिर्फ दो मिसालें!) आइये जरा कमीशन बैठाइये तो आपके सामने वे मिसालें आयेंगी कि आप भी थर्रायेंगे। इस वक्त आप कहेंगे कि मैंने वक्त ज्यादा ले लिया। अगर सिर्फ गोरखपुर को ले लूं तो छियालिसियों मिसालें पेश कर सकता हूं और आप भी ताज्जुब करेंगे कि ऐसे-ऐसे वाकयात पेश आते हैं। मैं इन, मिसालों को इसलिये देता हूं कि उनका सोर्स सही हो, क्योंकि एक दफा मैंने मिसाल पेश की तो उस पर कहा गया कि इसमें तो लारी साहब का जाती ताल्लुक था। क्यों कि मेरे एक अजीज का मसला था। तो मैंने कहा कि ऐसी मिसालें पेश करूं जिनसे मेरा कोई जाती ताल्लुक न हो। सिर्फ एक लीडर की हैसियत से ताल्लुक रहा हो। दुनिया का दस्तूर यह है कि सैकड़ों हजारों बेगुनाहों का छूट जाना जायज है, लेकिन एक मासूम को भी जेल भेजना जुर्म है और इससे बड़ा जुर्म हुकूमत के लिये कोई नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि बुनियादी उसूल यह है कि कोई कानून ऐसा नहीं हो सकता कि बेगुनाह को सजा दी जाय और उसे जेल में सड़ाया जाय। दूसरे यह कहना कि जम्हूरी हुकूमत है, इसलिये अख्तियार दे दें, यह भी गलत है।

आप अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमने भरोसा किया मगर अब दीदोदानिस्ता भरोसा नहीं कर सकते। चौथी वजह यह है कि मिस्टर वान्छू जज हाई कोर्ट ने यह दिखला दिया है कि पिछले डी० आई० आर० और मौजूदा कानून में फर्क है। वह कानून यह था कि एक मजिस्ट्रेट किसी को छः हफ्ते के लिये गिरफ्तार कर सकता था लेकिन उसकी अपील हो सकती थी। केस जब गवर्नमेंट के पास जाता था और अगर वह समझती थी कि उसमें जान है तो वह छः हफ्ते की बजाय दो-तीन महीने कर देती थी। लेकिन मौजूदा ऐक्ट के मातहत खुद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट छः महीने के लिये गिरफ्तार कर सकता है। और रिपोर्ट किस से मांगी जाती है उन्हीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस से। अब आप समझ सकते है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फैसला होगा वही गवर्नमेंट का फैसला होगा। उस हिटलरशाही हुकूमत हैलट रिजीम में भी सिर्फ छः ही हफ्ते का अख्तियार दिया गया था लेकिन इससे ज्यादा अख्तियार अपने पास रखा था। जब आप का शोर ज्यादा बढ़ा तो उन्होंने कमिश्नर को अख्तियार दे दिया था। लेकिन कभी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अख्तियार नहीं था कि एक शहरी को छः महीने के लिये गिरफ्तार कर ले। (एक आवाज—लेकिन उस वक्त भी अख्तियार था कि पकड़ कर के जेल भेज दें) लेकिन जनाब, अगर आप डिटेन कर सकते हैं तो वहां जमानत की दरख्वास्त पड़ जाती है। पन्द्रह रोज के बाद छूट जाता है। बहरहाल आप उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको मुबारकबाद। मुझे उसमें कोई उज्र नहीं है। मैं सिर्फ यह दिखलाना चाहता हूं कि आप में और उनमें क्या फर्क है वर्ना नेचर में कोई फर्क नहीं है। आप सही जानशीन हैं। सिर्फ जगहों पर ही काबिज नहीं हैं, बल्कि राह पर भी काबिज हैं। बहरहाल आप यह देखेंगे कि यह ऐक्ट जो आप बना रहे हैं वह पहले ऐक्ट से भी ज्यादा जाबिराना है। खुशी है कि एक जमात आप ही में से निकली है। मुमकिन है कि वह आप को ज्यादा सही रास्ता दिखलाये। तो मैंने यह चार बातें आपके सामने भी पेश कीं। उस पर भी आप देखें कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेल में जाते हैं और एक कैदी से कहते हैं कि तुम या तो यहां हमेशा जेल में रहो या पाकिस्तान चले जाओ। मैंने कहा क्यों कर यह मुमकिन हो सकता है। लेकिन मुझे इत्तफाक से उसी जिले के एक एम०एल०ए० साहब मिले। मैंने पूछा कि क्या यह वाकया सही है, तो उन्होंने कहा कि वाकया सही है।

मैंने समझा कि वाकया तो सही है ही। चुनांचे हमने खुद बजरिये तार सूबे के मुहतरिम वजीर आजम साहब को इत्तिला दी कि जेल के एक कैदी से कलेक्टर ने क्या कहा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या स्टेप्स लिये गये और क्या कार्यवाई की गई। वाकयात सही हैं। उसकी ताईद में खुद एक कांग्रेसी एम० एल० ए० कहते हैं कि मेरे सामने यह कहा गया। मैं कहता हूं कि न तो आपके

[श्री जहीरुल हसनैन लारी]
अहलकारान इस क़ाबिल हैं कि आप उन पर भरोसा करें, न यह गवर्नमेंट इस कदर तेज है कि उसको अख्तियारात देना बेहतर मालूम हो। यह सही है कि पावर करप्ट्स ईविन ऐन आनेस्ट (अधिकार ईमानदार व्यक्ति को भी भ्रष्ट कर देता है)। पावर देने के माने यह है कि आप उसको भ्रष्ट करते हैं और मैं यह जानता हूं कि पावर मिलने का यह लाजिमी नतीजा हुआ करता है। इसलिये ही फन्डामेन्टल राइटस (मौलिक अधिकार) के बनाने वाले होशियार लोगों ने पहले ही लिख दिया था कि नो अरेस्ट ऐन्ड नो डिटेन्शन विदाउट न्यू प्रोसेस आफ ला। (बिना न्याय की विधियों के न कोई गिरफ्तार और न कोई नजरबन्दी) बेहतरीन से बेहतरीन दिमाग, सोबर से सोबर, गम्भीर से गम्भीर इन्सान जब ताक़त उसके हाथ में आई वह उसको करेप्ट कर ही डालता है। उस वक्त वह करे क्या। कभी किसी के मतालबे आते हैं और कभी किसी के। यह हालत पावर को पाने के बाद हो जाती है।

पांचवां एतराज मेरा यह है कि लोगों को डिटेन (बंद) करने के लिये, लोगों को सजा देने के लिये बजाय इसके कि आप अपने अमलों पर भरोसा करें, आप सी० आई० डी० से पूछिये कि तुम बतलाओ कि ६ महीने से उसके खिलाफ क्या रिपोर्ट हैं। आप क्या करते हैं। आप करते हैं कि एक पार्टी के आदमी को अगर सजा देनी है तो दूसरी पार्टी के आदमी से पूछते हैं कि बतलाओ किसको गिरफ्तार किया जाय। आपको याद होगा कि इसी ऐवान के अन्दर जब हमारे एक दोस्त, जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, शायद मिस्टर चन्द्रिकालाल ने यह कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और मासूमों को गिरफ्तार किया गया। तब मैंने यह समझा था कि एक इन्सान तो ऐसा निकला जो सही बात आज इस ऐवान में अपनी तरफ की कह रहा है। मैंने यह चाहा और कसदन ए० पी० आई० की रिपोर्ट पढ़ी, लेकिन अफसोस की बात है कि इन गिरफ्तारियों का उसमें कहीं तजकिरा भी नहीं आया, इसलिये मैंने जानबूझ कर पढ़ा है कि वह एक बहुत सच्ची चीज है, नुमाया बात है और अखबारों में इस पर कुछ नुमायां जगह दी जायगी। लेकिन मैंने जब ए० पी० आई० की रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे मायूसी हुई। खैर तो जो आखिरी बात मैं अर्ज करने जा रहा था कि उस वक्त जब मिस्टर चन्द्रिकालाल ने यह बात कही थी तो हमारे प्रीमियर साहब ने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यह बात कहता है कि मैंने फलां-फलां से पूछा और सात आदमियों के नाम उन्होंने गिना दिये, कोई कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट थे और कोई कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे, कोई एम० एल० ए० थे। उनसे पूछ कर उन लोगों की गिरफ्तारी कर दी गई है। एक तरफ यह कहा जाता था कि अदालत में जो इन्टरेस्टेड विटनेसेज (गवाह) हैं उनका कोई एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज एक और उन्हीं इन्टरेस्टेड विटनेसेज (गवाह) के कहने पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह मेरा एतराज है कि एक जमात अनलाफुल डिक्लेयर (अवैध) घोषित होती है। मैं पूछता हूँ कि यह क्या तरीका है

आप दूसरी पार्टी के लोगों से पूछते हैं कि कौन-कौन लोग गिरफ्तार कर लिये जायें और आप उन लोगों को गिरफ्तार करवा देते हैं। फिर जब आदमी के फन्डामेंटल राइट्स (मौलिक अधिकार) यह कहते हैं कि उसकी आजादी इस तरह खत्म नहीं की जानी चाहिये। विदाउट ड्यू प्रोसेस आफ ला, तब इस तरीके से गिरफ्तार करना और किसी की आजादी खत्म करना क्या मानी रखता है। यह वह तरीका अख्तियार किया गया है जो किसी मुल्क में, दुनिया की किसी मुअज्जिज हुकूमत ने अब तक अख्तियार नहीं किया होगा। दुनिया में यह हुआ है कि जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको पूरा मौका दिया जाता है। यहां यही चीज होनी चाहिये। जो गिरफ्तार किया जाय फौरन पांच रोज के अन्दर ट्रिब्यूनल उसका होगा जिसका सदर जज होगा उसके सामने आप सारी बातों को लाकर रखेंगे और तब इस तरीके में किसी को कोई उज्र नहीं होगा।

जिसको चाहे आप गिरफ्तार कीजिए और जिसकी चाहे जायदाद जब्त करें, लेकिन दुनिया के दस्तूर में यह दिया हुआ है कि दो या पांच रोज के बाद उसको जुडीशल ट्रिब्यूनल (अदालती पंचायत) के सामने लाकर रखिए कि यह मवाद है और अगर ट्रिब्यूनल (पंचायत) देखता है तो यकीनन आप उसको जेल में रखिए, उसकी जायदाद जब्त कीजिए। सरकार को उस वक्त हक है लेकिन यह तरीका गलत है, इसलिए मैं इसकी कतअन मुखालिफत करता हूँ और उम्मीद कि यह ऐवान इस आवाज को सुनेगा और अगर नहीं सुनेगा तो बाहर के लोग हैं तो जरूर सुनेंगे, मुमकिन है कि आवाज बाहर जाए और उसका असर हो और जो समझते हैं कि यह बिल राय आम्मा के माफिक है वह यकीनन नुकसान उठायें।

* श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमान्, मेरा यह दुर्भाग्य है कि यद्यपि मैं इस असेम्बली में बहुत चुप रहता हूं, लेकिन जब कभी लारी साहब और हमारे लायक दोस्त इसहाक साहब बोलते हैं तो उसके बाद खड़े होने का मुझे तुरन्त मौका मिल जाता है। मुझे दोनों साहबों के व्याख्यान सुनने का मौका मिला और मैं बड़ी नमरता से आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज लारी साहब का व्याख्यान मुझे जितना बेबुनियाद, बेदम और जितना गलत और उनकी लियाकत के जितना खिलाफ दिखलाई पड़ा उतना इससे पहले कभी नहीं दिखलाई पड़ा। जहां तक मेरे भाई इसहाक साहब का ताल्लुक है उन्होंने तो अपने पुराने ढंग को पकड़ा और मेरी समझ में उनकी बातें बहुत कम आती हैं, वह कुछ किताबों और अखबारों के कटिंग लाकर स्कूल के बच्चों की तरह रीडिंग कर दिया करते हैं और उसको सुना देते हैं कि आपके कांग्रेस के किसी नेता ने फलां मौके पर यह बात कही थी। श्रीमान, मालूम होता है कि उन बेचारों के पास कोई नई बात कहने के लिए नहीं और वह हमारे कांग्रेस के नेताओं की ही बातें दोहरा कर पेश कर देते हैं और न

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जाने कौन-कौन सा मतलब निकालना ही उनका तरीका रहा है! उनकी बातों का जवाब देना व्यर्थ है, लेकिन मेरे भाई लारी साहब बड़े काबिल आदमी हैं और वह बहस करने में भी काफी होशियार हैं, हाईकोर्ट में वकालत करते हैं मगर आज आप को भवन के सामने अपना केस उपस्थित करना था, तो आपको ज्यादा लियाकत, काबलियत और समझ-बझकर पेश करना चाहिए था। आपने माननीय रफी अहमद साहब के वक्तव्य को कोट कर दिया और कह दिया कि यह सरकार डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि रफी साहब कहते हैं कि इसको डेमोक्रेटिक रूल नहीं कहा जा सकता। और उसके हक में जो दलीलें आपने दीं वह ऐसी थीं जिनको सुनकर मेरे मन में शक होने लगा कि आया लारी साहब की समझ में यह बात आई या नहीं कि डेमोक्रेटिक रूल क्या चीज होती है, मैं समझता हूं कि वह पढ़े-लिखे आदमी हैं और जानते होंगे कि डिमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) किसको कहते हैं, हमारे सूबे में और देश में जो तरीका रहा है वह डेमोक्रेटिक है आपके पास दो चार दलीलें थीं कि किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आपके किसी दोस्त, अजीज या भले मानुस को हथकड़ी पहना दी। आप सुनते चलिए कोई कर्नल हो या जनरल हो,..............

डिप्टी स्पीकर—

आप मेरी तरफ तवज्जह रखिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, मैं आप से ही निवेदन कर रहा हूं। अच्छा था कि आप उधर की खींचातानी से मेरी सुरक्षा करते। किसी ने जेल में जाकर कह दिया कि क़ैद में रहोगे या पाकिस्तान चले जाओगे, किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने किसी आदमी के खिलाफ कार्यवाही कर दी और आपकी समझ में यह आया कि इस सूबे में डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) नहीं है। मैं तो यह समझता हूं और मैंने जाना है कि डेमोक्रेसी (प्रजातंत्र) का जो तरीका है और सरकार की हुकूमत का जो एक विधान है और एक स्वरूप होता है उसी के ढङ्ग से सरकार चला करती है, उसकी एक बुनियाद, सिद्धान्त, आदर्श और एक उसूल होता है जिन पर सरकारों का अस्तित्व स्थापित होता है और वही डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) कहलाती है। मैंने मोटे तौर पर यह समझा है कि जनता के हित में जनता द्वारा उसके प्रतिनिधियों के द्वारा जनता का ही जो शासन हो, वह डेमोक्रेसी कहलाती है, और मैं समझता हूं कि देश में जो विधान अब तक चल रहा है सन १९३५ ई० का विधान, यद्यपि वह पूर्णतः डेमोक्रेसी नहीं है परन्तु आधी डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र), जिसके मुताबिक हम जनता के प्रतिनिधि होकर आए हुए हैं और आप भी यहां चुन कर आये हैं और एक चुने हुये दल की सरकार मौजूद है, डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) हमेशा पार्टी की सरकार होती है चाहे आप की समझ में आये या न आये, डेमोक्रेसी कोई नई

चीज नहीं है वह पार्टी की हुकूमत है, हमने ऐसी सरकार नहीं देखी जहां डेमोक्रेसी चलती हो और पार्टी की हुकूमत न हो और कहीं भी इंगलैंड और अमेरिका में लोकतंत्र या जम्हूरी शासन है तो मैंने यही देखा है कि वह पार्टी और दल की ही हुकूमत होती है, वह दल जनता द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। यह नहीं है कि शस्त्रों द्वारा किसी अधिकार को छीन कर जबरदस्ती हम जनता की छाती पर बैठे हैं। तो मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह डेमोक्रेसी के खिलाफ कैसे हो गया। अभी लारी साहब भवन में भाषण कर रहे थे और सरकार की टीका-टिप्पणी कर रहे थे और वह विरोधीदल के नेता हैं और उनको ऐसी बातें कहने की हिम्मत है जिनके लिये आप स्वयं जिम्मेदार हैं और फिर भी आप कहें कि इस देश में और इस सूबे में डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) नहीं है। मैं समझता हूं कि यह एक अनुचित बात है। आपको डेमोक्रेसी का भ्रम हो गया। कल तक तो आप मुस्लिम लीग में थे, उसके बच्चे थे और आज उसी के पेट से जनता पार्टी पैदा हुई और इस सूबे की अभागी जनता के नाम पर आप जनता पार्टी के नेता बने हुए हैं। कल आप मुस्लिम लीग में थे और डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) के खिलाफ थे और आप तो कहा करते थे कि यहां डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती और वह यहां की जमीन के खिलाफ है और आपके बुजुर्ग क़ायदे आज़म यही कहा करते थे और मुस्लिम लीग की सारी सियासत की बुनियाद इस उसूल पर थी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में दिखाई पड़ रही है। मुस्लिम लीग के अगुवा, गवर्नर जनरल और वहां की कान्स्टीटुयेन्ट असेम्बली (विधान निर्मात्री परिषद्) के नेता पर ही उनकी सारी डेमोक्रेसी चल रही है। उस डेमोक्रेसी के भक्त जो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे वह आज आवाज उठाते हैं कि यह सरकार डेमोक्रेटिक नहीं है। इन बातों को देख कर मुझे सचमुच क्लेश हुआ और इसी कारण से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जहां तक इस बिल का सवाल है मैं समझता हूं कि कोई हुकूमत, ऐसी हुकूमत जो उस दल की है जिस दल ने देश औ जनता की सेवा में अपना समय लगाया हो और जिस दल की तपस्या से, त्याग से और कष्ट-सहन से स्वतन्त्रता का पौधा उपजा हो उस दल की सरकार आज इस प्रकार के बिलों और क़ानूनों को लाने में खुशी, प्रसन्नता और सन्तोष का अनुभव करेगी, मैं इस को स्वीकार नहीं करता। इस तरह के बिल आने पर खेद और दुःख, मैं सचमुच कहता हूं कि इस सरकार को और कांग्रेस दल को जितना है उतना किसी दूसरे के हृदय में नहीं हो सकता। हमें खुद इस बिल से शर्म आती है और लज्जा का अनुभव होता है कि अगर आज ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई कानून इस भवन में उपस्थित होता है, जो जनता के अधिकारों का अपहरण करता है, जो सरकार के हाथ में शक्ति केन्द्रित करता है, जो दमनात्मक शक्ति सरकार को देता है, ऐसे कानून को लाने पर हमारा हृदय दुखी होता है, हमारा सर लज्जा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

से झुक जाता है। हमने जीवन पर्यन्त उस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया, हमने ऐसे तरीकों के विरुद्ध बगावत की और उसी के द्वारा हम यहां तक पहुंचे। लेकिन आज जब उसी चीज़ को करने के लिए परिस्थितियां हमें बाध्य करती हैं तो हमें दुख होता है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ और खास कर जनता पार्टी के नेता से, श्रीमान्, आपके द्वारा, कि वे इस बात पर विचार करें कि आखिर इन परिस्थितियों को लाने के लिये ज़िम्मेदार कौन है? मै आपसे कहूँ कि दुनियां की तवारीख, सारे जगत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब उच्छृ़ खलता फैलती है, विश्रृंखलता होती है, उस व्यवस्था को चूर करने की चेष्टा की जाती है, जब हिंसा और घृणा से सारे सामाजिक जीवन में उथल-पुथल होने लगती है तो जो सरकार रहती है वह अपने हाथ में शक्ति केन्द्रित करती है। जब उच्छृ़ंखलता फैलती है और सरकार के हाथ में शक्ति केन्द्रित नहीं होती तो बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है। ऐसे समय में जनता की रक्षा करना बड़ा आवश्यक है जिसमें शान्ति भंग न होने पावे, समाजिक जीवन उच्छृ़ंखल न होने पावे, और अव्यवस्था न फैले, अशांति न फैले तो यह सरकार के लिये नैसर्गिक प्रवृति होती है। अनिवार्य परिणाम होता है कि शक्ति सरकार के हाथ में केन्द्रित हो। और जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन लोकतन्त्र उच्चादर्श उच्च सिद्धान्त, जनता के सामने आवेगा। जनता के अधिकारों का सबसे बड़ा शत्रु सामाजिक अव्यवस्था है, अशान्ति विश्रृंखलता, घृणा और द्वेप उत्पन्न करने की चेष्टा करना है। आज की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिस्थितियां इस प्रकार की हैं जिनके कारण इस प्रकार का कानून आ रहा है, उसके लिये भी जिम्मेदार वे ही हैं जिन्होंने देश में अशान्ति उत्पन्न की, जिन्होंने देश में हिंसा द्वारा साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा की, जिन्होंने घृणा की सियासत चलाई, जिन्होंने नफरत पैदा की, जिन्होने समाज में उथल-पुथल उत्पन्न की, जिन्होंने इस देश के सामाजिक जीवन में आग लगाने की चेष्टा की। अभी जनता पार्टी के नेता बाहर चले गये। मैं चाहता था कि वे मेरी बातों को सुनते और उसके ऊपर गौर करते। मैं समझता हूँ कि समाज का सबसे बड़ा शत्रु वही है जिसने ऐसे अपराध किये, ऐसे पाप किये। जिसने लोकतन्त्र की स्थापना के लिये अपने जीवन की बलि चढ़ादी, जिसने लोकतन्त्र की आवाज पर विद्रोह का झंडा ऊंचा किया और उसीके जरिये जिसने आजादी पाई आज उसीके खिलाफ इस तरह का कानून लाते हुये मेरा सर लज्जा से झुकता है। यह कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स (मौलिक अधिकार) में यह लिखा हुआ है कि कोई ऐसा कानून नहीं लाया जा सकता है। बेशक, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन वह भी हमारा ही निर्मित है। अब भी हम उसको जिस तरह से बनाना चाहें बना सकते हैं। जो सरकार फंडामेन्टल प्रिन्सिपिल्स (मौलिक नियम) को लेकर अपनी सरकार की स्थापना करती है वही सरकार फंडामेंटल राइट्स (मौलिक अधिकार)

की रक्षा भी कर सकती है। कोई भी सरकार हो उसको वैधानिक तरीके से उलटने का आपको अधिकार है, लेकिन हिंसा के द्वारा, शस्त्र के द्वारा, और षडयन्त्र के द्वारा किसी सरकार को उलटना ठीक नहीं होता है। जिस दिन कोई सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगी, और अपने कर्तव्य की अवहेलना करेगी उस दिन उसका अधिकार आपसे आप नष्ट हो जायगा। फंडामेंटल राइट्स (मौलिक अधिकारों) में फंडामेंटल डयूटी (मौलिक कर्तव्य) यह है कि वह समाज में शान्ति बनाये रखे, सामाजिक अव्यवस्था को रोके और समाज के अन्दर घृणा उत्पन्न न होने दे। लेकिन शस्त्र लेकर किसी सरकार को पलटने की, उसके विरुद्ध विद्रोह करने की, चेष्टा न करे।

जिस दिन आप इसकी फंडामेंटल ड्यूटी (मौलिक कर्तव्य) से इन्कार कर देते हैं और वास्तविक स्थिति को नष्ट करने के कार्य आप लोग करने लगते हैं तो उस दिन वह नैयक्तिक अधिकार भी लुप्त हो जाता है। आज देश में मैं आपसे कहता हूं कि यह जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, अगर यह व्यवस्था आई है तो क्या ऐसी स्थिति में कभी डेमोक्रेसी (प्रजातंत्र) चल सकती है? जब आप घृणा उत्पन्न करते हों, जहां पर महिलायें अपहृत होती हों, दिन दहाड़े हत्यायें होती हों, घरों में आग लगाई जाती हों, रात्रि में हाहाकार मचता हो, सड़कों पर खून की नदियां बहती हों, जब बड़े बड़े नेताओं पर गोलियां चलाई जाती हों, तो ऐसे अवसर पर अगर कोई राष्ट्रीय सरकार अपनी शक्ति को केन्द्रित न करे तो और क्या उसके लिये मार्ग अनुसरण करना रह जाता है? अभी मैं बनारस से आ रहा था तो एक पार्टी के नेता ने, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर ने, मुझ से यह कहा कि चीन की लड़ाई खत्म होते ही कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाई पंजाब और बंगाल से चलकर दक्खिन तक जायगी और पूरी प्रकार से शस्त्रों का प्रयोग होगा। मैं यह बात आप को एक कार्यकर्ता की कह रहा हूँ। तो जिस देश में यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो उसका जीवन, उसके समाज का जीवन, और उसके बच्चों का जीवन सुरक्षित न हो, जहां पर राष्ट्रीय सरकार के उलटने की चेष्टा हो रही हो, जहां वर्ग भेद फैलाया जा रहा हो, जहां पर घृणा और द्वेष की सियासत चल रही हो, जिस देश में जन साधारण के मध्य में साम्प्रदायिक भावना की आग लगाई जा रही हो, जिस देश में बटवारे के नाम पर देश के भाइयों का खून बहाया जा रहा हो, जहां बड़े-बड़े नेताओं की हत्यायें हो रही हों, और जहां पर महन्त और ऐसे लोग जो घरों से नहीं निकलते, जिनके चेले अधिक होते हैं वह अन्दर बैठे-बैठे ही षडयन्त्र रच रहे हों, उस देश में क्या कभी लोकतन्त्र शासन का महत्व उदय हो सकता है? आज जो परिस्थिति देश में उत्पन्न हो गई है उसमें सरकार का केवल लोकतन्त्र की रक्षा के लिये एक ही कर्तव्य शेष रह जाता है और वह यही है, कि जो शत्रु उत्पन्न हो गये हैं, जो शांति के घोर शत्रु हैं उनका दमन करे, जो शान्ति के नष्ट करने वाले हैं, जो व्यवस्था को छिन्नभिन्न करने पर उतारू हैं, जो नव-प्राप्त स्वतन्त्रता को नष्ट करने वाले हैं

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उनकी हिम्मत को नष्ट कर दे, उनको समूल नष्ट करने में लेशमात्र भी सरकार कमी न रखे। जो आज वर्ग, समाज और व्यक्ति के हित को बरबाद करने पर उतारू हैं उनको समूल नष्ट कर देना ही राष्ट्रीय सरकार का मुख्य कर्तव्य होना चाहिये तभी देशमें लोकतन्त्रकी रक्षा हो सकेगी और जन साधारण का जीवन तभी भयानक स्थिति से ऊपर आ सकता है और तभी प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सकती है और वह अपने अधिकारों का उपयोग भी कर सकता है और तभी प्रत्येक प्राणी समाज के अन्दर रहता हुआ अपनी रुचि के अनुकूल, अपनी योग्यता अनुरूप अपने जीवन को विकसित कर सकेगा। आज लोकतन्त्रीय-राष्ट्र की रक्षा के लिये इस प्रकार का नियन्त्रण अपने हाथ में लेना आवश्यक है।

जहां तक इस बिल के दो अंश का सम्बन्ध है कोई आदमी ऐसा न होगा कि जिसको इनसे कोई किसी प्रकार की आपत्ति न हो, लेकिन जैसा इस बिल के द्वारा यह अधिकार लिया जा रहा है तो सरकार जितना अधिक नियन्त्रण अपने हाथ में चाहे ले लेकिन अगर कोई सम्पति व धन सार्वजनिक हित के लिये प्रयुक्त होता हो तो उस प्रकार की व्यवस्था में सरकार अधिकार को अपने हाथ में ले सकती है। मैं सदा से इस बात का समर्थक रहा हूँ कि कोई शक्ति सरकार के हाथ में इस प्रकार की नहीं जानी चाहिये जो कि भयावह शक्ति हो और जिससे किसी प्रकार की हानि की सम्भावना प्रतीत होती हो, तो यह चीज़ भयानक होगी। मैं जानता हूँ कि सरकार के हाथ में शक्ति देना अनुचित होता है यदि वह बिल शक्ति लेने के लिये ही सभा के सामने लाया गया हो। मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं तो उस व्यक्ति के सिद्धान्त का अनुसरण करनेवाला हूं जो इस देश के दुर्भाग्य से चला गया किन्तु आज भी उसका प्रकाश चमकता है। जनता के जीवन के विकास के लिये शक्ति का केन्द्रीयकरण करना हानिप्रद है, वे कहा करते थे कि हिन्दुस्तान की शक्ति इसी में है कि सामूहिक शक्ति को, उनके सम्पूर्ण अधिकारों को, एक स्थान पर केन्द्रित न किया जाय। जब तक इस प्रकार से विकेन्द्रीयकरण नहीं किया जायगा तब तक जनता को सच्चा स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता। जो शक्ति आज किसी एक व्यक्ति के हाथ में है या किसी एक गुट के शासन के अन्तर्गत है वह वहां से हटे और पूर्ण जनता के हाथ में वह शक्ति जाये तभी सच्चे लोकतन्त्र की रक्षा हो सकती है और सामाजिक जीवन का विकास हो सकता है और तभी सच्चा समाजवाद स्थापित हो सकता है। तभी जन समाज की शक्ति का और सम्पति का विकेन्द्रीयकरण होता है। आज तो मैं देखता हूं कि दुनिया में जहां कहीं लोकतंत्र है वहां भी शक्ति का भी और सम्पत्ति का भी केन्द्रीयकरण हो रहा है। जहां समाजवाद है वहां भी शक्ति का, सम्पत्ति का, पूंजी का और प्रभुता का भयावना केन्द्रीयकरण हो रहा है, ऐसा केन्द्रीयकरण जैसा कि किसी फासिस्ट सरकार में भी न हुआ हो। आज समाजवाद की भी हत्या हो चुकी है और लोकतंत्र की भी हत्या हो चुकी है। इस देश को अब एक नये समाजवाद की, एक नये लोकतंत्र की, रचना करनी है

और वह वही रचना होगी जिसकी ओर बापू ने संकेत किया है अर्थात प्रभुता और शक्ति का विकेन्द्रीयकरण हो और सम्पत्ति और पूंजी का विकेन्द्रीयकरण हो। सारे सामाजिक जीवन में डिसेंट्रलाइजेशन विकेन्द्रीयकरण हो। विकेन्द्रीयकरण की बुनियाद पर जिस समाज को रहना होगा, जिस आर्थिक और राजनीतिक समाज का विकास होगा, वही सच्चा समाज होगा। जब मैं देखता हूं कि सरकारों के हाथों में, और खासकर उस सरकार के हाथ में जो सरकार गांधी जी के चरणों के पीछे चल कर आज सरकार बनी हुई है, जिस सरकार के लोगों ने जीवन पर्यन्त उनके पीछे चलने में अपने को धन्य समझा, तो मैं आपके द्वारा स्वयं अपनी सरकार को भी यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यद्यपि उसके सामने भयावह कठिनाइयां हैं, उसके सामने समाज के शत्रुओं के षड़यन्त्र हैं, उसके सामने विश्रृंखलता फैली हुई है और उसके सम्मुख देश में इस प्रकार की आग लगायी गयी है कि जिससे यदि उसने इस सूबे को न बचाया तो सारे राष्ट्र का भविष्य और हमारा राष्ट्र नष्ट हो जायगा, तथापि मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूँ कि कहीं वह स्वयं उस पथ से विचलित न हो जाय, शक्ति के केन्द्रित कर देने से वह कहीं विचलित न हो जाय और कहीं स्वयं पथभ्रष्ट न हो जाय। ऐसा न हो कि वह अपने उद्देश्य को ही हानि पहुंचा दे जिसके लिए उसने जीवन पर्यन्त अपनी शक्ति लगायी है और अपने खून से उस पौधे को सींचा है।

श्रीमान, मैं अधिक कहना नहीं चाहता। केवल इतना निवेदन और कर देना चाहता हूँ कि आज यह मौके नहीं हैं कि सरकारी शक्ति का जो केन्द्रीयकरण हो रहा है उसका कोई गहरा विरोध किया जाय। मैंने तो अपने नेत्रों से देखा है कि यदि सरकार ने कभी कार्रवाई नहीं की तो आवाज उठी कि सरकार ने कार्यवाही नहीं की और यदि सरकारने कार्यवाही की आवाज उठी है कि, सरकारने कार्यवाही क्यों की। हमारे देश का जीवन और हमारे सूबे का जीवन पूरी तरह डांवाडोल हो चुका है। हमें विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार से कहा जाता है कि तुम्हारी गवर्नमेंट डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। हमारे जनता पार्टी के नेता ने नाजी दल से हमारी तुलना की है।

श्री फखरुल इस्लाम—

आप उससे भी बढ़कर हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह सुनकर मुझे ताज्जुब होता है। आपने नाजी दल को समझा भी है? कभी आपने उनके तरीकों को देखा है? कभी आपने उनके उसूलों को देखा है? हां, जरूर वह उसूल कुछ हद तक पाकिस्तान में तो चल रहा है, परन्तु हमारा सूबा तो उससे पाक साफ है। आप नाजीवाद और हिटलरवाद की बात करते हैं। हमारे देश में इतना बड़ा उपद्रव होता है। हमारे देश में नेताओं की हत्या करने के कुचक्र

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

रचे जाते हैं। हमें याद है कि हिटलर पर एक बार एक बम्ब गिराया गया-था। वह एक भाषण करने के लिए गये हुऐ थे और उनके ऊपर एक बम्ब गिराया गया उनको उससे चोट भी नहीं आयी पर उसी रात उनके बड़े-बड़े दोस्तों, उनकी सरकार में काम करने वालों और उनके पुराने ६२ साथिय. को कत्ल कर दिया गया। जम न ब्लड बाथ प्रसिद्ध है। हमें याद है कि तुरकी में मुस्तफा कमाल के वक्त एक रात उनके तमाम विरोधी साफ कर दिये गये। उनकी गरदनें गायब कर दी गयीं। हमें याद है कि स्टालिन ने मास्को में अपने विरोधियों को एक या दो रातों में साफ करा दिया था और उनके विरोधी खत्म हो गये और उनसे आप तुलना करते हैं इस प्रांत की सरकार की जिसके नेताओं की हत्या हुई, जिसे उलटने के लिये एकतरफ राष्ट्रीय सेवक संघ और दूसरी तरफ कलकी मुस्लिमलीग जिसका भूत आज भी जिन्दा है, अस्त्र-शस्त्र एकत्र कर रही थी, देश में घृणा और विरोध पैदा कर रही थी और फिर भी हमसे कहा जाता है कि तुमने ६ महीने के लिए किसी को बन्द क्यों कर दिया।

मुझे खेद है कि इस प्रकार की बातों द्वारा, थोथी दलीलों द्वारा, बुनियादी चीजों को भूलकर के सरकारी कामों में रुकावट डालने और सूबे की जिन्दगी को खराब करने की चेष्टा की जाती है। श्रीमान, इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं।

* श्री अब्दुल बाकी—

अब यह मुल्क आजाद मुल्क है और १५ अगस्त से यहां की हुकूमत एक जदीद हुकूमत है और हुकूमत का और हम लोगों का यह दावा है कि यह जम्हूरी हुकूमत है, और जो क़ानून जम्हूरी हुकूमत लायेगी उसको इस निगाह से नहीं देखना है कि पहले क्या क़ानून था और पहले की साबिक गवर्नमेंट क्या करती थी। अब इस लिहाज से हर कानून को देखा जावगा कि अगर कोई बिल आता है या कानून बनता है तो मुल्क में उसका क्या असर पैदा होगा और अगर उसमें कोई खामी है तो उससे कोई फिरका, कोई जमात या तबका नाजायज फायदा तो नहीं उठा सकेगा। इस लिहाज से क़ानून को देखा जाएगा कि इस मुल्क में ऐसे कानून नाफिज किए जाते हैं तो उनसे आम पब्लिक को कितना नफा पहुंचता है और कहां तक उनका जरर उनपर आयद होगा। इन उसूलों के मातहत हमको जांचना है कि इस वक्त जो बिल इस ऐवान के सामने है वह मन्जूर किया जाय या काबिल मन्जूरी नहीं है। मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें न किसी तबके का सवाल है, न मुस्लिम लीग का और न किसी जमाअत का सवाल है। इसमें तन्हा सवाल यह है कि अगर हम आपको यह अख्तियारात देते हैं तो यह जायज तौर से मुल्क में इस्तेमाल होंगे या

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

नहीं और कहां तक इससे मुल्क में या सूबे में लोगों को फायदा पहुँचेगा और कहीं इस क़ानून के नाफिज होने के बाद ऐसा तो नहीं हो कि पुलिस या मुकामी हुक्काम ऐसी कार्यवाही नहीं करें जिससे इस मुल्क में बसने वालों को ज्यादा से ज्यादा नुक़सान पहुँचे। यह चीज अब पोशीदा नहीं है, नुमायां है और खुली हुई है। अगर आपका जरिया इत्तिला का जाती होता तो मैं इस बात की खुशी से रजामन्दी दे देता कि आप यकीनन जिन लोगों को जाती इत्तिला की बिना पर गिरफ्तार करना चाहते हैं या उनकी जायदाद रिसीवर के सुपुर्द करना चाहते हैं खुशी से कीजिए, मगर जो तजुर्बा बताता है और चंद महीने के हालात बताते हैं उससे तो यह मालूम होता है कि इत्तिलात पुलिस के जरिये से या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जरिये से आती हैं। यह कहने की चीज़ नहीं है कि इन लोगों ने अपने जाती असरात कहां तक इस्तेमाल किये हैं। और अपनी इनकी नफ़सानियत कहां तक असर रखती है और किसी तरह से वह हालत आप से छिपी नहीं है कि बहुत से बेगुनाह लोग दुश्मनी की वजह से, नाचाकी की वजह से, पार्टी फीलिंग्स (दलगत भावनाओं) की वजह से, या किसी और दीगर वजह से गिरफ्तार करके बंद कर दिये गये हैं और उन्हें कैदख़ानों में डाल दिया गया है। अगर फिजा साफ होती और आपके हुक्काम इन जरासीम से पाक और सुथरा होते, तो मैं यकीनन आपको मशविरा देता कि आपके हुक्काम अच्छे हैं और वह जानिब दारी नहीं करते, वह बेरूनी असरात से मुतास्सिर नहीं होते और जरूर आप को अख्तियार दिया जाय कि जिसकी जायदाद आप जब्त करना चाहते हों या रिसीवर मुक़र्रर करना चाहते हों, रिसीवर मुक़र्रर करदें। मगर यह चीज अभी ऐसी नहीं है, आपके हुक्काम अभी ऐसे नहीं हैं जिन पर पूरा एतमाद किया जाय। मुझे मिसाल देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मिसालें आपके पास काफी हैं और आपको इस बात की इत्तिला है कि आपके जिले में बहुत से मासूम पकड़े गये। उनके रिहा करने में जो कोताही हुई है या हो रही है वह काबिले बरदाश्त नहीं है। इस हालत में अगर आपके ज़राये इत्तिला सिर्फ उन्हीं अज्ञाला की पुलिस पर हैं तो मैं आप से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी हालत में यह दानिशमन्दी नहीं है कि आपको इतना बड़ा अख्तियार फिर दिया जाय। महज पुलिस की रिपोर्ट पर, बिला कोई ट्रिब्यूनल बैठाये, अगर आप किसी की जायदाद जब्त करते हैं तो वह जम्हूरियत के उसूलों के बिलकुल ख़िलाफ़ है। आपको चाहिये कि आप एक ट्रिब्यूनल क़ायम करें और उसको मौक़ा दें कि उसके सामने वह अपनी सफाई दे सके और यह साबित कर सके कि वह बेकुसूर है। इन हालात में मैं अर्ज करूंगा कि किसी तरह से यह मुनासिब नहीं है कि बिलाकंडीशन (प्रतिबन्ध) के आपको यह अख्तियारात दिये जायें। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि रिसीवर मुक़र्रर करने का अख्तियार आप जरूर ले लीजिये मगर इस शर्त के साथ लीजिये कि जिसकी जायदाद आप जब्त करना चाहते हैं या रिसीवर मुक़र्रर

[श्री अब्दुल बाकी]

करना चाहते हैं उसको मौक़ा दीजिये कि एक ट्रिब्यूनल के सामने अपने केस को रखे और अगर जजों ने यह तजवीज किया कि यकीनी वह सजा का मुस्तहक़ है तो उसकी जायदाद ज़ब्त कीजिये और जो भी मुनासिब कार्यवाही हो वह उसके ख़िलाफ़, कीजिये मगर खाली जिले की पुलिस हुक्काम पर एतमाद करना मुनासिब नहीं। वही जिले के हुक्काम हैं और पुलिस है, जिस पुलिस की आपने क़ब्ल हुकूमत सँभालने के बारहा शिकायत की। अभी उसका मिजाज जरूर कुछ बदला है मगर ज्यादा नहीं बदला है, इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि सिर्फ़ पुलिस के हुक्काम या मुकामी हुक्काम की सिफ़ारिश पर ऐसा न करें कि जिस शख्स की जायदाद चाहा आपने ज़ब्त करके रिसीवर के हवाले कर दिया।

एक चीज इसी सिलसिले में और अर्ज करूंगा। यह मालूम है कि आप कसरत तादाद में हैं और कसरत तादाद की बिना पर जो चाहेंगे पास कर लेंगे। मगर यह भी देखिये कि आपके सूबे वाले आपको क्या कहेंगे। जो अब महसूस कर रहे हैं कि हम आजाद मुल्क में हैं और आजाद हुकूमत में हैं, उनसे आप कोई नेकनामी नहीं हासिल करेंगे। इस सूबे के बाशिन्दगान यकीनन इस बिल को जैसी हालत में है एहतिशाम और खूबी की निगाह से नहीं देखेंगे। दूसरी दफ़ा जो यूनीफ़ार्म के मुताल्लिक है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जहां तक किसी के आज़ादी का ताल्लुक है, किसी शहरी की आज़ादी को जब तक वाक़ई तौर पर जुर्म साबित न हो जाये उसका ज़ब्त नहीं करेंगे। इस नज़रिये को सामने रखकर इस सिफारिश को मन्जूर कीजिये। जिस तरीके से बिल आपने अपने अल्फ़ाज़ में रखा है उसको ज़रूर तरमीम कीजिये। जब तक किसी शख्स का इल्जाम किसी जज या हाईकोर्ट के जज से साबित नहीं होता तब तक उसकी आज़ादी को सल्ब न कीजिये और उसकी जायदाद को ज़ब्त न कीजिये, इन चन्द अल्फ़ाज़ के साथ मैं इस बिल की मुख़ालिफ़त करता हूं और आपसे कहता हूँ कि इस हालत में क़तई आप इसको पास न कीजिये।

श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय—

श्रीमान डिप्टी स्पीकर साहब, आज एक बड़े महत्व का प्रश्न इस असेम्बली के सामने है। गवर्नमेंट चाहती है कि उपद्रवियों की जितनी जायदादें हों उनकी रक्षा के लिये रिसीवर मुकर्रर किया जाये और यूनीफार्म वग़ैरह पहनने के ऊपर रुकावट डाली जाये, यह प्रश्न बड़े महत्व का है आज से कुछ दिन पहिले जब हम बजट पर विचार कर रहे थे, इस भवन का हरएक सदस्य पुलिस मिनिस्टर और प्रधान मन्त्री की प्रशंसा कर रहा था और कह रहा था कि गवर्नमेंट ने बड़े महत्व का काम किया है। जिस समय चारों तरफ मुस्लिम लीग और आर० एस० एस० के लोग उपद्रव कर रहे थे केवल प्रीमियर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने शान्ति कायम रखी। इस प्रान्त में जितने मुस्लिम लीग और आर० एस० एस० के लोग

उपद्रव करना चाहते थे, यह गवर्नमेंट की संगठित शक्ति थी कि उनको समझा दिया कि इस तरह के काम से देश का कल्याण न होगा। मुस्लिम लीग कुछ सुधर गई, मगर अभी तक उसके चन्द गार्ड (रक्षक) शरारत करने से नहीं रुक रहे हैं, उसी तरह से आर० एस० एस० के मुखिया तो पकड़ लिये गये फिर भी पता लग रहा है कि नये नये ढंग से वे खिलाफत कर रहे हैं। जौनपुर का मुझे खुद पता है, जो गांधी जी को मारनेवाला है, वह जाकर वहां टिका उसकी इज्जत की जाती थी और उसको दावत दी गई। गोरखपुर में एक ऐसा व्यक्ति है, जो पूज्य महात्मा जी के क़त्ल में शामिल था उसका क़त्ल में बहुत खास हाथ था। इस तरह की स्थिति इन लोगों ने दुनिया में पैदा की कि महात्मा गाधी जैसी पवित्र आत्मा पर आघात हुआ। यह इसी प्रांत के आदमियों ने किया है, यह भी मैं कहता हूं। मैं अब भी कहता हूं कि अभी तक इस प्रांत के कोने-कोने में इस तरह के संगठन मौजूद हैं और उनको बनाकर लोग किसी न किसी तरह से मदद कर रहे हैं। वह चाहे यहां पर आकर मीठी मीठी बातें करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने के लिये अच्छी अच्छी बातें करें लेकिन फिर भी वह लोग गन्दे काम करते हैं।

डेमोक्रेसी (प्रजातंत्र) का बहुत ऊंचा स्थान है। डेमोक्रेसी (प्रजातंत्र) के महत्व के बारे में बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर हुआ करते हैं। डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) में जो मेजारिटी (बहुमत) होती है वहीं हुकूमत करती है एक अपोजीशन (विरोधीदल) भी इसमें रहता है। अपोजीशन (विरोधीदल) जो देखता है कि वह देश के लिये घातक है उसका विरोध करता है लेकिन इस तरह की बातें करके या यह कह करके नहीं कि मेजारिटी (बहुमत) की सरकार है यह लोग अनुचित काम कर रहे हैं। इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। पहले आप कहते थे कि उपद्रव शांत करने के लिये जितनी ताकत गवर्नमेंट चाहे उसको दी जाय। बजट के समय कोई भी ऐसा आदमी दिखाई नहीं दिया जो कि पुलिस मिनिस्टर के खिलाफ कहता। आज जब यह बिल पेश होता है तो आप कहते हैं कि आज दुनियां में बड़ी आफत हो गई है। मैं चाहता हूं कि देश में शांति रखनी चाहिये। इस तरह के अधिकारों को लेने के लिये आप लोगों ने गवर्नमेंट को बताया है। अब अगर आर० एस एस०, हिन्दू सभा, और मुस्लिम लीग की तरफ से ये काम न होते, तो आज यह नौबत पेश ही न होती। आज आपके नेता मिस्टर जिन्ना ने तमाम देश के कोने कोने में जहर का बीज बो दिया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग गांव गांव में कवायद करते थे और स्कूल के मास्टरों और लड़कों को सिखाते फिरते थे कि कत्ल करो, यह करो, वह करो। यह तो आप लोगों का बोया हुआ बीज पहले का ही है। एक दिन में तो शान्ति स्थापित की नहीं जा सकती है बल्कि इसके लिये कुछ समय लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि देश के लोग स्वतंत्रता का उपभोग करें और देश में जो गुन्डाशाही बढ़ रही है उसका दमन

[श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय]

हो तो आपको इस काम के लिये गवर्नमेंट को पूरी शक्ति देनी होगी। डेमोक्रेसी (प्रजातंत्र) के लिये आप एक तरफ कसम खाते हैं और दूसरी तरफ आप देश के कोने-कोने में गन्दे प्रचार करते हैं इस तरह से काम नहीं चल सकता। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि शांति हो और दूसरी तरफ आप लोगों से कहते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट को खूब अच्छी-अच्छी गालियां सुना दीं। फिर इसीलिये तो आप यहां कूद-कूद कर आते हैं और कहते हैं कि यह बुराई है, वह बुराई है। दूसरी तरफ आते हैं कि हमारे भतीजे को फलां जगह पुलिस में नौकर कर दीजिये। अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो विरोध अच्छी तरह से कीजिये, बुराई कीजिये, कुछ हर्ज नहीं है। अगर मेजारिटी की शक्ति है और गवर्नमेंट की ताकत पूरी है तो जरूर आपका मुकाबिला करेगी। अगर गवर्नमेंट कमजोर है और अनुचित कार्य करती है तो आप उसे दबा देंगे। लेकिन दोनों तरफ दोतर्फा बात करना अच्छा नहीं।

आप ४ रोज पहले कहते थे कि पुलिस मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने देश में शान्ति रखी और फिर जब वे चाहते हैं कि उस शान्ति को दृढ़ करने के लिये आप उनको अधिकार दें तो आप हाईकोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। हम भी जानते हैं कि वह बड़ी जुडीशियरी है, उसको बड़े अधिकार हैं, लेकिन वहां मुकदमे ले जाने में और वापिस आने में कितना समय लग जाता है, कितना वक्त जाया हो सकता है तब तक यदि एक जगह उपद्रव हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि और आग सुलगती रहे, शहादत मिलती हो तो न मिल सके। तब तक हाईकोर्ट का फैसला आ जाय। क्या आप नहीं जानते कि किस असाधारण स्थिति में यह देश है? असाधारण स्थिति में जब गवर्नमेंट पुलिस का खर्चा बढ़ाती है, तो आपका कर्तव्य है कि असाधारण स्थिति में गवर्नमेंट को पूरी मदद दें और जो-जो काम गवर्नमेंट उचित समझे देश की रक्षा के लिये, जो प्रचण्ड अग्नि पैदा हो गयी है उसको दबाने के लिये, हर एक तरह से गवर्नमेंट को मदद दी जाय और तभी देश समृद्ध बनेगा और तभी सुखी होगा और इसलिये हमें अन्याय और अत्याचार जो कुछ लोगों के प्रोपगन्डे (प्रचार) से देश में पैदा हो गया है, जितनी देश में गन्दगी हुई है और दुराचार का बीज बो दिया गया है उसको रगड़ने के लिये, कुचलने के लिये, हमेशा के लिये खत्म कर देने के लिये देश की गवर्नमेंट को पूरी-पूरी मदद देनी चाहिए। मैं ऐसे कानूनों का समर्थक नहीं हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्थिति ऐसी आ गयी है कि ऐसे कानूनों का बनाया जाना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि हजारों रुपया इसलिये गुंडों को दिया जा रहा है कि देश में जो गवर्नमेंट न्याय और शान्ति की स्थापना के लिये प्रयत्नशील है उसको बरबाद कर दिया जाय। हम चाहते हैं कि इस तरह की मनोवृत्ति को शुरू से आखिर तक जिस तरह से हो सके, जितनी शक्ति गवर्नमेंट में हो उससे वह कुचल दे अगर हमें देश में राज्य रखना है तो इस तरह की गुंडाशाही देश में न होने पाये, इसलिये हम

चाहते हैं कि यह अधिकार आप गवर्नमेंट को दें और उसका पूरा समर्थन करें। यदि आपकी अन्तरात्मा यह स्वीकार करती है कि ऐसा करने से देश में शान्ति होगी तो आपको उसका समर्थन अवश्य करना चाहिए। यह नहीं कि मीठी मीठी जबान से इधर उधर की बातें कर दीं और बाहर यह समझा दिया कि हमने तो गवर्नमेंट का विरोध किया। ध्यानपूर्वक देखिये, छाती पर हाथ रख कर सोचिये कि आज किस तरह की भावना व्यक्तियों में फैल गयी है। उनके पास जरा सी भी ताक़त आयी तो वे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो चौथे रोज़ उपद्रव करने के लिये तैयार हो जायेंगे। ऐसे आदमियों को हम चाहते हैं कि उनको देश में जिन्दा न रहने दिया जाय, उनकी सम्पत्ति नष्ट कर दी जाय और उनको अगर इस देश से मुहब्बत नहीं है, तो पाकिस्तान जो कि उपद्रवी गवर्नमेंट है वहां जाकर बैठें। अभी मैंने सुना, लारी साहब कह रहे थे, कि किसी अधिकारी ने किसी साहब से कहा कि तुम से नहीं जाया जाता पाकिस्तान। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा जरूर कहा जाय। जो व्यक्ति देश में उपद्रव पैदा करना चाहते हैं, इस प्रकार की नालायकी करना चाहते हैं अगर मैजिस्ट्रेट लाचार होकर उनको जेल भेजने पर मजबूर हो, तो उसका फर्ज है कि वह उससे यह कह दें कि अगर तुम बदमाशी या गुंडाशाही करना चाहते हो तो उसके लिये तुम्हारा पाकिस्तान बना है, खुशी से जा सकते हो। आजकल हम अखबारों में सुन रहे हैं कि कई हजार गुंडे जो पाकिस्तान गये थे वह वापिस आना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है और कर्तव्य है कि ऐसे आदमी को कभी भी इस देश में न रहने दिया जाय। हम गुंडों से मुहब्बत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अगर भले आदमी अच्छी तरह से बर्ताव करेंगे तो सभ्य समाज में उनकी गणना होगी। आपके पाकिस्तान के रेडियो के भाषण को आपके लीडर बहुत चाव से सुनते हैं और सैकड़ों आदमी वहां से आते हैं और कहते हैं कि हम अच्छे आदमी हैं।

लेकिन हर एक का विश्वास भी एकदम नहीं कर लेना चाहिये। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मेरा कहना यह है कि अगर गवर्नमेंट का हाथ मजबूत करना है तो इससे १० गुना और १०० गुना भी ताक़त उनकोदेनी होगी ताकि गवर्नमेंट अपने कर्तव्य को पूरा करने में सफल हो सके और देश का उन्नति मार्ग प्रशस्त हो।

*श्री सुल्तान आलम खां—

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल इस वक्त हमारे सामने जेरे बहस है उसमें बहुत सी तक़रीरें उस तरफ़ से और इस तरफ़ से हुई हैं। बहुत से दोस्तों ने पाकिस्तान का हवाला दिया तो बहुत से दोस्तों ने जम्हूरियत की तारीफ़ कीऔर बहुत सी ऐसी बाते कही गई जो एक हद तक ग़ैर मुतालिक़ थीं और जिनका असल मामले से कुछ ताल्लुक़ न था और एक गरमागरमी बेकार की पैदा होगई। जहां तक इस बिल

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

का ताल्लुक़ है वह बहुत साफ़ ऐसा मामला है कि एक आर्डीनेन्स पारसाल जारी किया गया था इसके बाद वह एक बिल की सूरत में इस ऐवान के सामने आया और हुकूमत की जरूरियात को देखते हुए इस ऐवान ने इस बिल को क़ानून की सूरत में तब्दील कर दिया और उस वक्त से अबतक वह इस सूबे में लागू है। आज हमारे सामने उस ऐक्ट की एक तरमीम एक दूसरे बिल की सूरत में आई है और आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब यह चाहते हैं कि इसको मन्जूर करके गवर्नमेंट के अख्तियारात में कुछ और इजाफा कर दिया जाय। मैंने जहां तक इस बिल को पढ़ा है इसमें दो साफ बातें कही गई हैं। एक बात तो यह कही गई है कि आम लोगों को वर्दी के पहनने पर पाबन्दी कर दी जाय। जहां तक इस मामले का ताल्लुक़ है अभी तक किसी ने अपनी तक़रीर में इसके खिलाफ़ कोई बात नहीं कही है। और मैं समझता हूं कि इस मामले में हम लोगों में कोई दो रायें नहीं हैं और हुकूमत ने जो चीज़ हमारे सामने रखी है उसमें किसी को एतराज नहीं है। इसके अलावा दूसरी तजवीज़ जो इस बिल के जरिये। इस भवन के सामने पेश की गई है उसमें कुछ एतराज है और उसमें दो रायें है। वह दूसरी तजवीज़ यह है कि हुकूमत यह चाहती है कि उसको ये अख्तियारात भी मिल जायं और वह लोगों की जायदादों को कुर्क़ कर सकें और रिसीवर मुक़र्रर कर सके और कुर्क़ की हुई जायदाद की आमदनी से जायज्ञ पुलिस भी क़ायम कर सके। मेरा ख्याल है कि अगर यह तरमीम जो इस वक्त हमारे सामने आई है पिछले साल जब ओरिजिनल (मौलिक) बिल हमारे सामने आया था अगर उसी वक्त हमारे सामने यह चीज ला दी जाती, तो गवर्नमेंट को एक हद तक यह कहने का हक़ होता कि मुल्क बहुत खराब जमाने से गुजर रहा है। उसके सामने बहुत सी दुश्वारियां हैं और पेचीदगियां हैं और उन पर काबू पाने के लिये गवर्नमेंट अपने आपको पूरे अख्तियार से मुसल्ला करना चाहती है। हो सकता था कि उस वक़्त इस दलील से ऐवान मुतास्सिर हो सकता और ऐवान इस मांग को मन्जूर कर लेता। लेकिन आज हम देखते हैं कि जहां तक इस सूबे की हुकूमत का ताल्लुक है उसने अपने साथ अख्तियार रखना ही चाहा है। इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता कि सूबे में जहां तक अमनो-अमान का ताल्लुक़ है उसने इस सूबे में एक बड़े हद तक तरक्की कर ली है। मैं इसके लिये मिनिस्टर साहब की खिदमत में पुलिस के बजट के मौक़े पर भी अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश कर चुका हूँ और अब फिर उस मुबारकबाद को दुहराता हूँ कि वाक़ई हुकूमत ने उस पिछले जमाने में बड़ी कोशिश की और बहुत हद तक कामयाब हुए लेकिन सूबे में हर तरफ़ अमन क़ायम हो चुका है और इस बला से बहुत हद तक पाक हो चुका है और इसका सबूत हर तरफ से मिला है। इस तरीके पर जो मुखालिफ़ जमाअत है और जिसकी बुनियाद अब तक फिरकेवाराना हैसियत से थी और इस ऐवान के अन्दर भी और इस के बाहर भी यह महसूस किया जा रहा है कि

पन्द्रह अगस्त के बाद मुल्क की हालत में तब्दीली हो चुकी है और हिन्दुस्तान में बसने वाले हर शख्स और हर जमात को इन बदले हुये हालात में अपने को ऐडजस्ट(ठीक) करना पड़ेगा। जब ऐसी सूरत हो गई है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे मौक़े पर उस कानून को, जो पिछले साल पेश हुआ था, जो अपनी जगह पर काफी सख्त है उसको और ज्यादा मजबूत करने की क्या जरूरत है। मैंने इसके स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स (उद्देश्यों की व्याख्या) को जब पढ़ा तो मुझे कोई इस में ऐसी बात नहीं मिली जिससे गवर्नमेंट यह जस्टिफिकेशन (औचित्य) न दे सके कि मजीद अख्तियारात हासिल करने की जरूरत है। एक बात मैं और गवर्नमेंट को याद दिलाना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस बात की पूरी कोशिश की कि पिछले साल जो कानून पास हुआ था उसको ज्यादा से ज्यादा ईमान्दारी और ज्यादा से ज्यादा इन्साफ़ के साथ चलाया जाय। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जब कभी हंगामी सूरतें पैदा हुई हैं, और इस किस्म के हंगामी कानून पेश किये जाते हैं तो उनमें इस बात की गुंजायश रह जाती है कि उनका इस्तेमाल करने वाले नाजायज़ तौर पर लोगों को तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं। यह हो सकता है कि इस कानून के जरिये से लोगों को कुछ तकलीफ़ पहुंची हो। तो यह मुसल्लिमा अम्र है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जब यह सूरत मौजूद है तो क्या जरूरत है कि इसमें एक ऐसी तरमीम की जाय जिसमें उन आफिसर्स के हाथ में मजीद अख्तियारात पहुँचाये जायं, जिससे यह एहतमाल हो सकता है कि वह उसका नाजायज तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर एक ऐसी गवर्नमेंट के लिये, जिसकी बुनियाद जम्हूरियत पर हो, कभी भी यह बात मुनासिब नहीं हो सकती कि वह हंगामी क़ानूनों के जरिये से अमन व अमान क़ायम करें। हो सकता है कि जम्हूरी हुकूमत को भी इस किस्म का अख्तियार लेना पड़े और ऐसा हुआ भी है कि उसने ऐसा अख्तियार अपने हाथ में लिया है। लेकिन उसी के साथ-साथ अगर सिचुएशन (दशा) बेहतर हो रही है, तो गवर्नमेंट के लिए मुनासिब है कि इस किस्म के हंगामी क़ानूनों की गिरफ्त ढीली करे। इसके मुताल्लिक़ कोई दो राएं नहीं मिल सकतीं कि सिचुएशन (हालत) बेहतर हो रही है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि गवर्नमेंट विजीलेंट (सतर्क) न रहे और अपने तमाम अख्तियारात अपने हाथ से जाने दे। लेकिन इसी के साथ-साथ गवर्नमेंट को यह भी चाहिए कि जब कि सिचुएशन (हालत) बेहतर हो तो कोई वजह नहीं है कि वह ऐसी सूरत में ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात हासिल करे और अपने को ज्यादा से ज्यादा मज़बूत बनाये, क्योंकि जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं मुमकिन है कि इन अख्तियारात को एब्यूज (दुरुपयोग) किया जाय और वह एजेन्सी जो इन क़ानूनों का नाजायज इस्तेमाल करती है वह आम मखलूक़ के सामने जिम्मेदार नहीं होती है, आम मखलूक़ के सामने तो सिर्फ गवर्नमेंट होती है जो इस बात के लिये मजबूर हो सकती है कि वह जवाबदेह हो

[श्री सुल्तान आलम खां]

कि जो क़ानून जारी किया गया है उस पर सही स्पिरिट में अमल किया गया।

जनाब वाला, मैं कुछ और ज़्यादा न कह कर सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट को इस मसले पर फिर ग़ौर करना चाहिए और महज़ इस वजह से कि यह बिल पेश हो चुका है यह इस बात की दलील नहीं हो सकती कि अगर उसकी ज़रूरत नहीं तो भी इस ऐवान के सामने पेश किया जाय। मेरी जाती राय यह है कि अगर हुकूमत मुनासिब समझे तो इसे वापिस ले ले या इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दें। और इससे बेहतर यह होता कि राय आम्मा के लिये यह गज़ट में छपवा दिया जाय, जो कि एक सही रास्ता अवाम की राय मालूम करने का है। एक ऐसा बिल जो कि मखलूक़ के मुताल्लिक पेश किया जाय, तो मुनासिब यह है कि उसके मुताल्लिक़ आम राय भी मालूम कर ली जाय।

इन चन्द अल्फाज़ के साथ मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि वह इस बिल को वापस ले ले।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस पर बहस समाप्त की जाय।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि इस पर बहस समाप्त की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय पुलिस सचिव—

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि विरोधी दल से इस बात की शिकायत न होनी चाहिये कि उन्हें इस सिलसिले में बोलने का क़ाफी मौक़ा नहीं मिला। लारी साहब ने इस सिलसिले में जितना मुमकिन हो सकता था कह दिया और जितना वह सुना सकते थे अपना जी भर के उसे सुनाया। इसके बाद अब और साहबान के दिल में इस बात का ख्याल न होगा कि इससे ज़्यादा बातें वह सुना सकते हैं। मुझको लारी साहब की आज की तक़रीर सुनकर मायूसी हुई। उनका पार्टी के डिप्टी लीडर ने अपनी तक़रीर में कुछ बातें कहीं, जो कहने में माकूल बातें थीं और जिन पर गौर किया जा सकता है। विरोधी दल के नेता से ज्यादा बेहतर तक़रीर की उम्मीद थी लेकिन उसमें मुझे मायूसी हुई। लारी साहब ने अपनी तक़रीर में जो कुछ कहा उसका खुद उनके दिल में पूरा इत्मीनान नहीं। उनकी बातें वाकयात से दूर थीं और वे सिर्फ दुनिया की आवाज को अपने माफिक बनाने के लिये कही गई। उनके जैसे जिम्मेदार शख्स के लिये यह मुनासिब नहीं है कि वह लोगों के सामने जो अभी शिक्षित नहीं हैं ऐसी बातें रखें जिन्हें वह अच्छी तरह नहीं समझते और जिससे वह धोखे में पड़ जायें। विरोधी दल के सदस्यों का यह फर्ज है कि वे देखें कि जनता सही रास्ते पर जाती है, और उनको चाहिये कि वे बातें जनता को सही बतलायें। अगर गवर्नमेंट कोई गलती करती है, तो गवर्नमेंट को उसकी गलती बताना चाहिये। लेकिन

गवर्नमेंट की सही बात को आप गलत तरीके पर रखते हैं। मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट से गलती नहीं हो सकती। गलती हो सकती है लेकिन किसी गलती को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करना लोकतन्त्र के उसूल के खिलाफ है। इंगलैंड और बड़े देशों में जहां पर लोकतन्त्र है वहां पर विरोधी दल अपनी जिम्मेदारी को समझता है और विरोधी दल ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे जनता के गुमराह होने की सम्भावना हो, हालांकि वहां के लोग काफी शिक्षित हैं और धोखे में नहीं पड़ सकते, इस वजह से जैसा कि मैने कहा, मैं उम्मीद करता था कि बजाय इधर-उधर के दो-चार मिसालें पेश करने के विरोधी दल के नेता ने यह देखा होता कि संशोधन क्या है, किस के लिये पेश हुआ है और इसमें पहले कानून से क्या फर्क किया जा रहा है। मुझे ताज्जुब है कि आज से तीन महीने पहले इसी हाउस ने बगैर किसी खास मुखालिफत के इस कानून को मंजूर किया था और अब मैं उसमें एक-दो बातें सुधार के तौर पर पेश करना चाहता हूँ, जिसमें लोगों को सहूलियत मिलने की गुंजायश हो तो आज उसकी मुखालिफत की जाती है। सिर्फ एक बात महज इसमें नयी बढ़ाई गई है, जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है और वह वर्दी के सिलसिले में है। जो फौजी वर्दी पहनते हैं, उनके ऊपर कुछ पाबन्दी लगाने की बात उसमें रखी गई है। सिर्फ यही एक नई बात है। और मैं समझता हूं कि इससे किसी को इन्कार नहीं है, क्योंकि विरोधीदल के नेता और हर मेम्बर ने बुलन्द आवाज में यह कहा था कि नेशनल गार्ड वगैरह तो अब खतम हो ही गया है, इन की अब कोई जरूरत भी नहीं है,अगर अब भी कोई फौजी वर्दी पहन कर उसमें दखल देता है, फौजी कार्यवाही करता है तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्यवाही कीजिए। लेकिन आज आप इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, अगर आपको मुखालिफत करना ही था तो शुरू से ही करते। आपको इस बिल की मुखालिफत उस वक्त करनी चाहिये थी जिस वक्त कि यह पेश हुआ था। जब हमने देखा कि हाईकोर्ट के एक फैसले में यहां तक करीब-करीब नौबत आ गई ६ महीने से कम सजा किसी को नहीं दे सकते तो हमने देखा कि अगर किसी शख्स के साथ ज्यादती हो रही हो, अगर किसी को एक महीने के लिये ही बन्द करना हो, किसी को दो महीने के लिये ही बन्द करना हो तो क्यों मजबूर किया जाय कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको छः महीने तक बन्द करने का हुक्म दे। इसी को सुधारने के लिये यह संशोधन पेश किया गया है ताकि अगर हम किसी को कम सजा देना चाहें तो कम सजा दे सकें।

श्री मुहम्मद शकूर—

क्या मैं वजीर मुताल्लिका से यह जान सकता हूं कि दुनिया में कहीं भी ऐसा कानून है कि जो खुद मुस्तगीस हो वही खुद मुन्सिफ भी हो ?

माननीय पुलिस सचिव—

इसका जवाब मैं बाद में दे दूंगा। जैसा कि मैं कह रहा था, एक तो यह कि

[माननीय पुलिस सचिव]
उसमें कोई खास तब्दीली नहीं की गई है। दूसरी बात महज जबान बदलने की थी ताकि उसकी जबान अच्छी मालूम हो। जबान के बदलने से कोई खास फर्क नहीं आता है। मुझे अफसोस है कि श्री कमलापति त्रिपाठी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जहां तक कि जायदाद लेने की बात है, वह पहले कानून में भी थी। वह इस समय पेश नहीं हुई है। जो नया संशोधन है, उससे गालिबान उनको गलतफहमी हो गई है कि गवर्नमेंट ये नये अख्तियार ले रही है। हम तो ये अख्तियार पहले ही ले चुके हैं। इस संशोधन के जरिये हम महज यह चाहते हैं कि अगर किसी की जायदाद एक जिले में हो और उसी की जायदाद दूसरे जिले में भी हो, तो दोनों के लिये एक ही रिसीवर मुकर्रर किया जाय, और वही दोनों जिलों में काम करे। सिर्फ यही फर्क इसमें किया गया है। जहां तक जायदाद लेने की बात है, मैं इस हाउस में पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहना चाहता हूं कि हमने निहायत संजीदगी के साथ इस कानून का इस्तेमाल किया है, इस का सबूत सिर्फ इसी बात से हो सकता है कि आज तक सिर्फ दो आदमियों के खिलाफ जायदाद लेने की कार्यवाही की गई। और जिसके बारे में माननीय प्रधान मंत्री ने जब इस हाउस में ऐलान किया तो बड़े जोरों से तालियां बजाई गई थीं। जब कोई कार्यवाही हिन्दू महासभा या आर० एस० एस० के खिलाफ की जाती है तब तो आप तालियां बजाते हैं, लेकिन जब किसी मुस्लिम लीगी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती है तो आप मुखालिफत करते हैं। जब जौनपुर के राजा और महन्त दिग्विजय नाथ की जायदाद जब्त होने का एलान किया गया, तो आप को निहायत खुशी हुई और आपने बड़े जोरों से तालियां बजाईं।

श्री जहीरुल हसनैन लारी—

जनाब वाला, यह कहा जा रहा है कि हम ने बिल की ताईद की। लेकिन मैं यह कहता हूं कि हमने अवाम की राय जानने के लिये एक तरमीम पेश की थी।

माननीय पुलिस सचिव—

मैं यह कह रहा था कि जिस वक्त माननीय प्रधान सचिव ने एलान किया तो उस वक्त आप लोगों को बड़ी खुशी हुई थी। मेरे दोस्त फखरुल इसलाम साहब इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री फखरुल इसलाम—

यह वाक़या कहा जाता है कि राजा साहब जौनपुर और महन्त दिग्विजय नाथ महात्मा जी के कत्ल में शरीक थे लेकिन कहां तक यह सही है, मैं नहीं जानता। इसी बिना पर अपोजीशन की तरफ से यह बात कही गई थी और कोई वजह इसकी न थी।

माननीय पुलिस सचिव—

डिप्टी स्पीकर साहब, यह तो कोई निजी सफाई की बात नहीं थी। यह तो एक बहुत बड़ा सवाल है। यह कहना कि उनका कोई हाथ क़त्ल में था या नहीं

इस तरह की बातें जिस वक्त मामला सामने आयगा, उस वक्त मालूम होंगी। इस वक्त यहां उस पर कुछ कहना मुनसिब नहीं है, वह मामला अभी जांच के अन्दर है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह साबित हो गया है, इस सिलसिले में चाहे किसी वजह से हो कि आपने इस बिल के उसूलों को माना और मंजूर किया कि जो कार्यवाही जौनपुर की बाबत या महन्त जी की बाबत की गई, वह ठीक थी। आपने इस कानून की तारीफ की। अगर यह कानून न होता तो उनका सामान वगैरह जब्त नहीं हो सकता था, इसलिये इस तरह की बातें कहने से कोई फायदा नहीं है। अगर किसी आदमी के खिलाफ कोई कार्यवाही किसी कानून के मातहत की जाती है और उस कार्यवाही को ठीक बताया जाता है तो साफ है कि उस कानून की तारीफ है जिसके मातहत वह काम किया गया। अगर ऐसा कानून न होता तो उनके सामान जब्त करने में कठिनाई होती। इसलिये मैं आपसे यह दरख्वास्त करता हूं कि कानून में यह जो संशोधन पेश किया गया है, यह बिल्कुल मामूली सा संशोधन है, यह उसी कानून में है, जिसको आप पहले मंजूर कर चुके हैं। अब एक वर्ष के लिये यह लगाया जा रहा है। यह नहीं है कि यह हमेशा के लिये लाया जा रहा हो, ऐसा जरूरत पड़ने पर ही किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह कहना कि पूरा कानून खत्म कर दिया जाय, यह गैर जिम्मेदारी की बात है।

मुझे विरोधी दल के नेता से ऐसी उम्मीद नहीं थीं, जब हाउस इस चीज को एक बार मंजूर कर चुका है तो विरोधी दल के नेता जिन्होंने इस बात की ताईद की कि इस कानून के जरिये इस सूबे में शान्ति और लोगों की रक्षा करना जरूरी है, इसलिये इस तरह की बातें करना ग़लत मालूम होता है।

इस सम्बन्ध में एक सुझाव यह रक्खा गया है कि रिवीजन के बाद गवर्नमेंट गिरफ्तारी का हुक्म निकाले। यह सुझाव कानून की मंशा के बिल्कुल खिलाफ है। इस कानून में डिटेंशन (नजरबन्द) को न रक्खें। यह बात तो समझ में आ सकती है लेकिन यह कहना कि हर एक मामला जजों के सामने पेश हो और जब जज साहबान रिपोर्ट देख लें तब उसके बाद गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया जाय, तो यह बात बिल्कुल डिटेंशन कानून के खिलाफ है।

श्री जहीरुल हसनैन लारी—

मैंने यह कहा था कि गिरफ्तारी गवर्नमेंट करे लेकिन २-३ रोज़ के बाद मेटीरियल पेश करे।

माननीय पुलिस सचिव—

फखरुल इसलाम साहब ने कहा था कि जब हर एक मामला जजों के सामने आ जाय, उसके ऊपर फैसला हो जाय, तब कार्यवाही करनी चाहिये, मगर विरोधी दल के नेता तो मेरी मदद ही कर रहे हैं। आपने इतना मंजूर किया कि गिरी·

[माननीय पुलिस सचिव]

फ्तारी की जा सकती है और गिरफ्तारी होने के बाद आप जजों के सामने पेश करें। आप एक कदम आगे बढ़ें। मुझे खुशी है कि आपने इस कानून को मान लिया। इस कानून के सिलसिले में मैं आप से केवल यह कहना चाहता हूं कि यह कोई ऐसा कानून नहीं है जो सिर्फ हमारे मुल्क में लागू किया जा रहा है। इसकी मिसाल इङ्गलैंड में है। अभी लड़ाई के जमाने में इङ्गलैंड में जोकि एक जनतन्त्र कहा जाता है, एक रेगुलेशन ऐक्ट लागू किया गया। इस ऐक्ट के मुताल्लिक सन् १९४५ ई० में वहां पर काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, उन दिनों इङ्गलैंड की हालत ऐसी थी, जिसमें वहां की हुकूमत ने यह मुनासिब समझा कि इस तरह के डिटेंशन (नज़रबन्दी) के कानून बनाये जायं। वहां महज़ आइडेंटिटी कार्ड (परिचय-पत्र) के न दिखला सकने पर लोग गिरफ्तार कर लिये जाते थे और सजायें होती थीं। अभी विरोधी दल के एक मेम्बर ने पूछा कि दुनिया में इसकी कहीं मिसाल है, तो मैंने इङ्गलैंड की मिसाल उनके सामने रखी। वहां यह कानून था और इसलिये था कि वहां उसकी जरूरत समझी गई।

श्री जहीरुल हसनैन लारी—

सिर्फ सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट गिरफ्तार कर सकता था।

माननीय पुलिस सचिव—

लेकिन वह एक छोटा-सा मुल्क है, हमारे सूबे के भी बराबर नहीं। अभी तो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ही सब मामलात को देखें। कुछ दिनों बाद आप कहेंगे कि केन्द्रीय सरकार से सब हुक्म आया करें। पर यहां इस बड़े मुल्क में हमें अधिकारों को बांट कर चलना पड़ता है।

श्री महावीर त्यागी—

उनकी मंशा यह है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा ताक़त हो, जजेज को और मजिस्ट्रेट को न हो।

माननीय पुलिस सचिव—

हम इस बात को ईमानदारी से देखते हैं। मैं कहता हूँ कि गिरफ्तारियां हुईं। लेकिन शायद मुश्किल से हमारे साथियों ने हजारों में से एक के लिए भी यह कहा हो कि यह आर० एस० एस० में नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों से तो यह इत्तिला मिली कि दस-बारह गलत आदमी गिरफ्तार हो गये। क्योंकि नाम वगैरह एक ही था, लेकिन यहां मैंने जिनसे पूछा उन्होंने सिर्फ यही कहा कि अमुक आदमी शामिल तो थे लेकिन उन्होंने अब छोड़ दिया है और पश्चात्ताप करते हैं। तो मैं पूछता हूं कि कितनी गलत गिरफ्तारियां हुईं। मैं बतलाना चाहता हूं कि आम गिरफ्तारी के तीसरे दिन इस सूबे के चार सौ आदमी छोड़ दिये गए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से चार सौ को उनके अफसोस

ज़ाहिर करने पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने तीसरे दिन छोड़ दिया। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उन छुटे हुए लोगों में से कुछ लोग छिपे हुए तरीके से कार्यवाहियां कर रहे हैं

श्री महावीर त्यागी—

क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी रिपोर्ट है और अगर ऐसी रिपोर्ट तो क्या गवर्नमेंट उसके लिए कोई इन्तज़ाम कर रही है ?

माननीय पुलिस सचिव—

कार्यवाही तो सरकार करेगी लेकिन अगर हमारे विरोधीदल के नेता की तरह के लोग उनकी मदद करते रहे तो कार्यवाही करना सरकार लिये मुश्किल होगा।

मैं इसहाक़ साहब का मामला आप से कहता हूं। वह गिरफ्तार हुए और दूसरे रोज यहां थे। उनकी रिहाई के लिये वायरलेस गया। मैं पूछता हूँ कि कोई मिसाल आप इस किस्म की दूसरे मुल्कों में बतला सकते हैं ? हम इसको महसूस करते हैं कि अगर कोई आदमी गलती कर देता है तो उसे अफसोस ज़ाहिर करना चाहिये। हमसे गलती हो जाती है तो हम उससे इन्कार नहीं करते। कहीं एक या डेढ़ दिन के अन्दर रिहाई होती है ? आज करीब एक महीने के अन्दर दो हज़ार के क़रीब आदमी छोड़े गये हैं। हम तीन-चार दिन के अन्दर उम्मीद करते हैं कि हर एक जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे पास रिपोर्ट भेजें कि उनके यहां कितने आदमी छोड़ने लायक़ हैं और जिनको वह नहीं छोड़ना चाहते उनके खिलाफ क्या शिकायतें हैं। हम चाहते हैं कि हम पूरी कार्यवाही चार दिन के अन्दर कर दें। मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि इस कानून को इसलिये रखा गया है कि इसकी जरूरत है। मुझे इस बात का पूरा इत्मीनान है कि इस कानून की ज़रूरत है। मेरा दिल इससे घबराता नहीं है। हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हम किसी की तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। अगर हमको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है तो इस कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं हो सकता। आज हमारे मुल्क की हालत, इङ्गलैंड की जो हालत लड़ाई के ज़माने में थी उससे कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। सारी हालत उलट-पुलट गयी है। लोगों के तमाम ख्यालात और विचार बदल रहे हैं।

लोगों के अन्दर हिंसा की भावना है। लोग हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब इस तरह की हालत हो, उस वक्त आपका यह कहना कि हमें जो ताक़त इस हाउस ने दी है, उसे न लें तो मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है अलग अलग मामलों के जितने सवाल उठाये गये हैं, उन सबका अगर मैं जावब दूं तो काफी समय लगेगा। गोरखपुर का मामला जिसे लारी साहब ने पेश किया है, उसके बारे में मैं यह नहीं कहता कि लारी साहब ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ग़लत था लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि एक मामले में दो आदमियों की राय

[माननीय पुलिस सचिव]

ईमानदारी से अलग-अलग हो सकती है। अगर वहां के अफसरान की राय एक है और लारी साहब की दूसरी है तो यह भी मुमकिन हो सकता है कि मेरी राय बीच की हो लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि राय जो उन्होंने क़ायम की, वह बिल्कुल गलत थी। अगर बिक्री के कुछ ट्रांजैक्शन्स (सौदे) के सिलसिले में देर लग गई हो तो आप यह कहें कि किसी खास वजह से यह हो रहा है या कोई समझता है कि पाकिस्तान जाने की वजह से हो रहा है। इस पर दो मुख्तलिफ रायें हो सकती हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके बारे में कुछ ऐसे काग़जात भी मिले, जिसका मुमकिन है कि मियां साहब को पता न रहा हो और वह अलग रहे हों।

श्री फखरुल इस्लाम—

मैं सवाल करना चाहता हूं। पण्डित जी ने कहा कि पाकिस्तान जाना चाहिए तो मैं कहूंगा कि वह पाकिस्तान जाकर के वहां के हालात देख आयें।

माननीय पुलिस सचिव—

जो काग़जात मिले मुमकिन है कि उनसे मियां साहब का कोई ताल्लुक़ न रहा हो जैसा कि लारी साहब ने फरमाया है। लेकिन उन्होंने यह तो कहा है कि वह रुपया-पैसा काफी देते रहते थे और अब तक देते रहे हैं।

श्री जहीरुल हसनैन लारी—

मुस्लिम लीग को देते रहे थे ?

माननीय पुलिस सचिव—

मुस्लिम लीग और नेशनल गार्ड्स में बराय नाम फर्क था। मियां साहब के यहां से ऐसे काग़जात मिले, जिनमें लिखा हुआ है कि उनका ताल्लुक़ खास-खास बातों से रहता है, चाहे वह इस दायरे में होता हो या और कहीं इस इलाके में होता हो, उनके मकान में या उनके अहाते के अन्दर यह चीज होती थी। बहरहाल यह रिपोर्ट है और इस सिलसिले में इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। जब लारी साहब ने इस तरफ तवज्जह दिलाई तो हमने दूसरे या तीसरे दिन मुकामी अफसरान को बुलाकर जांच-पड़ताल की और आज माननीय प्रधान मन्त्री वहां गए हुए हैं। इसके बतलाने की मुझे जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने इसलिए बता दिया है कि आप लोगों को मालूम हो कि हमारे काम का ढङ्ग क्या है ? जब आप किसी बात की तरफ तवज्जह दिलाते हैं तो हम उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और जहां हम अपने को मजबूर पाते हैं, वहां मजबूर हो जाते हैं। आपने दूसरे केस में जस्टिस इस्माइल के भाई की मिसाल दी कि उनको बाद में छोड़ दिया गया। आखिर जब हमने उनको रोका और बाद को छोड़ दिया तो इसमें कोई वजह होगी। उनको रिहा किया जा सकता था लेकिन उनके खिलाफ ऐसी बातें भी थीं कि उनके इत्मीनान करने की जरूरत

थी, इसलिए उनकी रिहाई में देर हुई। यह शिकायत करना कि एक आदमी को बिला वजह बन्द कर रखा है बेइन्साफी है, जब कि काफी लोग छोड़े जा चुके हैं।

(एक आवाज—तो क्या आप तब छोड़ेंगे, जब वह खाक हो जायेंगे ?) मैं नहीं समझता कि हमारे और आपके अन्दर इतनी कमजोरी है कि १५ दिन या महीने भर में खाक़ हो जायेंगे। बार-बार बाकी साहब का जिक्र किया गया। विरोधी दल के नेता और इसहाक़ साहब ने यह ख्याल नहीं किया है कि जिस वक्त यह पेश हो रहा था उस वक्त मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी की थी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट भेजी। हम लोगों ने उसको देखा और देखने के बाद उसमें लिख दिया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ख्वाहिश पर यह बात छोड़ दी जाती है, वह जब चाहें बाकी साहब को रिहा कर दें। मुझे मालूम हुआ कि विरोधी दल के कुछ मेम्बरों को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर ज्यादा भरोसा था, यह मुझे बाद में मालूम हुआ। उनको इत्मीनान था कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में छोड़ दिया जायगा तो ज्यादा मुनासिब होगा। वह हुक्म मैं पहले ही दे चुका था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जबतक उनको गिरफ्तार रखना मुनासिब समझा, रखा और उसके बाद छोड़ दिया। उसका हम को इस वजह से उस वक्त पता नहीं लगा कि हमारा हुक्म पहले उनके पास जा चुका था। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई नामुनासिब बात नहीं हुई। मैं ज्यादा न कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नजरबन्दी का क़ानून हमारे मुल्क के क़ानून और उसके बुनियादी उसूलों के खिलाफ जो जाता है, हर आदमी को अदालत में अपनी गवाही (शहादत) देने का, बहस करने का मौक़ा होना चाहिये। इस उसूल को मानते हुये जैसा कि मैं कह रहा हूं, इस वक्त हमारे मुल्क की हालत गैर मामूली है। इस असाधारण हालत में हमें इस बात की जरूरत है कि गवर्नमेंट अपने हाथ में कुछ ऐसी ताक़त रखे जिसे वह जरूरत पर इस्तेमाल कर सके। मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी की हत्या के बाद अगर यह क़ानून हमारे हाथ में न होता तो हम परिस्थिति का मुकाबला कैसे कर सकते थे (एक आवाज—था) यह क़ानून तो था लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर यह क़ानून न होता तो क्या होता ?

(एक आवाज—और क़ानून मौजूद हैं।) जी, उनको कब्जे में करने के लिये वे काफी न होते। मुझे माफ कीजियेगा, दुनिया को दिखलाने के लिये यह चीज पेश की जाती है क्योंकि कहने में अच्छी लगती है। लिहाजा आप ने सोचा कि नाम कमाने का यह एक अच्छा मौका है। हम विरोधी दल का स्वागत करते हैं और इस बात की हमें खुशी है कि कोई विरोधी दल बनने जा रहा है और गालिबन आप साहबान भी उसमें शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। उस का भी मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि विरोधी दल जनतन्त्र की जान है, अगर विरोधी दल ठीक रास्ते पर चलता गया तो हम मजबूर होंगे लेकिन विरोधी दल

[माननीय पुलिस सचिव]

को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। आज के जमाने में विरोधी दल दुश्मनी की भावना से काम नहीं कर सकता। आज अगर आप चाहते हैं कि आजाद हिन्दुस्तान में मजबूत गवर्नमेंट बने, कम से कम कुछ वर्षों के लिये, तो अब आप को मौक़ा है। कौन इस पार्टी को कह सकता है कि हम हमेशा के लिये यहां क़ायम रहने वाले हैं। हां, अगर हम गरीबों का दुख दर्द दूर करेंगे तो जरूर रहेंगे, नहीं तो दूसरे आयेंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप महज़ विरोध के लिये विरोध न कीजिये। इससे तो आप जनता में गलत बातें पैदा करते हैं और एक मजबूत गवर्नमेंट बनाने में रोड़ा डालते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिये और फिर टीका टिप्पणी जो आप कर सकते हों वह करिये, क्योंकि आलोचना और समालोचना ही से तो गवर्नमेंट बनती है। आपने एक मिसाल के लिये आनरेबिल रफी अहमद किदवाई की बात पेश कर दी। जब वह होम मिनिस्टर थे, तब ही यह क़ानून बना। इसके मानी यह कि वह सारे क़ानून को मंजूर करते हैं। हां, डिटेल्स (विस्तार) में दो, एक गल्तियां हैं, आप उनको बतलाइये, हम उनको दुरुस्त करेंगे। अगर आप ईमानदारी से काम करें तो यह कानून हमें विश्वास है कि कभी गलत नहीं होगा और हमारे सूबे में हमेशा अमन चैन रहेगा।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—

श्री सुलतान आलम खां ने तजवीज़ की थी कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाये और पब्लिक ओपीनियन इस पर हासिल की जाये।

डिप्टी स्पीकर—

ऐसी कोई तजवीज़ भवन के सामने नहीं आई थी

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—

यह तजवीज़ अब मैं पेश करना चाहता हूँ। आपके जो अमेण्डेड रूल्स हैं, सफा नं० १० पर उसमें तजवीज को पेश करने की कहीं मुमानियत नहीं है।

डिप्टी स्पीकर—

आप तजवीज नहीं पेश कर सकते, क्योंकि अब तजवीज के पेश करने का मौका नहीं है, जब बिल बहस के लिये सामने था, उस वक्त पेश कर सकते थे। अब मैं इजाजत नहीं दे सकता।

सवाल यह है कि सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने के (दूसरे संशोधक) बिल संयुक्त प्रान्त, सन् १९४८ ई० पर, जैसा कि वह लेजिस्लेटिव कौन्सिल से स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन १६४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने व (दूसरा संशोधक) बिल

धारा २

सन् १६४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने (दूसरे संशोधक) ऐक्ट [United Provinces Maintenance of Publi Order Second Amendment Act, 1947], जिसको इसके बाद मूल ऐक्ट कहा गया है, की धारा (Section) ३ की उपधारा (१) [sub-section (1)] के वाक्यखण्ड (clauses) (g) और (h) निकाल दिये जायं, और उक्त उपधारा (१) [sub-section (1)] के बाद नीचे लिखी हुई नई उपधारा १-क [sub-section (1-A)] रक्खी जाय:—

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० ४ सन १६४७ ई० की धारा ३ में संशोधन।

"(1-A) The Provincial Government, if satisfied that any property, moveable or immoveable or any portion thereof, wherever situated in the United Provinces, belonging to, or held or managed by any person or class of persons is being used or is likely to be used for purposes prejudicial to the public safety, or the maintenance of public order, or communal harmony, may by general or special order direct:

(a) that such property shall be attached or put in charge of a receiver by the District Magistrate specified in that behalf for such period as may be specified in the order:—

(b) that such additional police as may be specified in the order may be quartered in any area or place and the whole or part of the cost of such additional police shall be recovered from the property attached or put in charge of a receiver under clause (a)

Provided that an order under clause (b) shall not be made unless the Provincial Government is satisfied that the person to whom the property belongs or who owns any share or interest therein, has acted or is about to act in a manner prejudicial to the public safety, or the mainterance of public order or communal harmony."

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि धारा २ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ३

३—(१) मूल ऐक्ट की धारा ४ में शब्द "Period" के बाद "of six months from the date of such order", शब्दों के बजाय निम्नलिखित शब्द रक्खे जायेंगे :—

संयुक्त प्रांत के ऐक्ट नं० ४ सन १६४८ ई० की धारा ४ में संशोधन

"not exceeding six months as may be specified in the order or, if no period is specified, for six months from the date thereof."

(२) मूल ऐक्ट की धारा ४ में प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित दूसरा प्रतिबन्ध जोड़ा जायगा :—

"Provided further that the period specified may be extended from time to time so as not to exceed six months."

*श्री फखरुलइस्लाम—

धारा ३ हमारे सामने है। मुझे मिनिस्टर साहब की मासूमियत पर बड़ा अफसोस होता है कि धारा ३ के पेश करते वक्त बहुत ही संजीदगी से यह अर्ज कर दिया कि हमने तो पब्लिक के हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक ऐसी तरमीम कर दिया मुझे अफसोस है कि बात कुछ दूसरी है। धारा ३ जो आप तब्दील कर रहे हैं, इससे आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के पावर को बढ़ा रहे हैं न कि कम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह रखा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को यह हक़ हासिल नहीं है कि अगर एक शख्स को आप यह कह कर डिटेन करें कि तुमको फलां वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है और साल या दो साल के लिये गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद वह यह कहें कि चार महीने के लिये और गिरफ्तार किया जाता है। मैं समझता हूँ कि यह इन्साफ बुनियादी का उसूल है कि अगर आप मुझे डिटन करेंगे या किसी एक्स, वाई, जेड को डिटेन करेंगे तो वह उतने ही दिनों के लिए डिटन किया जा सकता है, जितने के लिए लिखा गया है, यह नहीं हो सकता है कि यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की स्वीट विल (निजी इच्छा) पर हो कि वह फिर जितना चाहे बढ़ा दें। हाई कोर्ट ने यह सख्त मतालबा किया था कि यह कानून ग़लत है। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह ब्लैक ला (काला कानून) है और हेबियस कारपस में टेक्निकल ग्राउंड पर छोड़ सकते हैं।

माननीय पुलिस सचिव—

मुझे ताज्जुब है कि आप वकील होकर हेबियस कारपस की बात करते हैं। हेबियसकारपसमें तो सिर्फ फिजिकल ग्राउंड्स पर ही छोड़ सकते हैं।

श्री फखरुल इस्लाम—

इस मसले पर भी मैं शास्त्री साहब की तवज्जह दिलाऊंगा कि उनकी बोनाफाइडी भी जज की जा सकती थी। आपके इस क़ानून से बोनाफाइडी का कोई सवाल ही नहीं होता है। हाईकोर्ट ने आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ सेंश्योर पास किया था। आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के खिलाफ स्ट्रिकचर्स पास किया है। आप इसको देख सकते हैं, रूलिंग में यह मौजूद है।

माननीय पुलिस सचिव—

यह बात नहीं है कि यह पासकिया है कि एक आदमी जिस का वारंट मिर्जापुर में है और वह इलाहाबाद पहुंच गया, फिर वह उसीवारंट से गिरफ्तार कर लिया जाय तो वह गैर कानूनी होगा। यह नहीं कि उसकी गिरफ्तारी गलत है।

श्री महावीर त्यागी—

मैं प्वाइंट आफ आर्डर (वैधानिक प्रश्न) पर कुछ कहना

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

चाहता हूं। चूंकि यह बिल क्लाज़ बाइ क्लाज़ (धारा-धारा करके) लिया जा रहा है, इसलिये इस वक्त इस बात का सवाल पेश करना इर्रेलीवैंट (अर्थहीन) है कि उसकी कार्यवाही कैसे हुई। देखना तो यह है कि जो सेक्शन तरमीम किया जा रहा है उसकी वजह से बिल में या क़ानून में नुक्सान पहुचता है। अब यह बहस करना कि इसका इस्तेमाल क्या हुआ था, यह आउट आफ आर्डर है।

श्री फखरुल इस्लाम--

मैं त्यागी जी की खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि क़ानून क्या है। अभी तक यह भी आप नहीं समझ रहे हैं। अभी तक दफा ४ मौजूद थी। इस दफा ३ के जरिये से दफा ४ में यह लिखा हुआ था कि प्राविंशियल गवर्नमेंट को अख्तियार होगा कि वह ६ महीने तक किसी आदमी को डिटेन कर ले। अब दफा ३ के अन्दर यह लिख दिया गया है। हाई-कोर्ट की रूलिंग की बिना पर अगर मैं उसका जिक्र करूं तो आप उसे ऐप्रीशियेट (प्रशंसा) नहीं कर सकते कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कह यह रहा हूँ कि अभी आप यह कहते हैं कि हम दफा ३ के अन्दर यह इजाफा चाहते हैं। बहुत से केसेज में आपने यह देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और ऐडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट घबराये हुये होते हैं। उनके सामने कोई सवाल नहीं होता। उन्होंने लिख दिया कि डिटेंड फार वन मंथ (एक माह के लिए हवालात में बंद) कहीं दो महीने के लिये डिटेन कर लिया। आप जो यह दफा बना रहे हैं उसकी रू से आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी यह डिस्क्रीशन (अख्तियार) और पावर (शक्ति) देते हैं कि अगर वह नहीं लिखता कि यह हमने दो महीने के लिये डिटेन किया तो वह ६ महीने के लिये हो जायगा। एक ऐसी ताक़त आप दे रहे हैं, जो किसी तरह से मुनासिब और बेहतर नहीं है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि गवर्नमेंट को तो ६ महीने का अख्तियार देने में कोई बात नहीं है। पुलिस मिनिस्टर साहब और दूसरे मिनिस्टर साहब जो यहां जनता की तरफ से चुन कर आये हैं, वे तो जनता के नुमाइंदे हैं, वह सोच सकते हैं, लोग उनसे मिल सकते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो गुड ऐडमिनिस्ट्रेशन (अच्छा शासन) के मालिक हुआ करते हैं। अगर उनको इतने वसीह अख्तियार दे दिये जांय तो इन्सान की जिन्दगी बहुत खतरे में पड़ जाती है। मैं तो आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर यह ख्याल लोगों के दिलों में है कि जेल जाना बहुत मुज़िर है और जेल जाने से लोग डरते हैं तो वह ग़लती करते हैं। आपने इतना बड़ा नानकोआपरेशन (असहयोग) का मूवमेंट (सत्याग्रह) चलाया। आप खुद क्लेम (दावा) करते थे कि हां हमने तकरीरें की हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ की हैं और उसमें कोई बुराई नहीं समझते थे, पेटीशन नहीं देते थे। सवाल इसका नहीं है कि आप जेल किनको भेजते हैं। सवाल यह है कि एक बेगुनाह

[श्री फ़खरुल इस्लाम]

शख्स बन्द किया जाता है। दूसरा आदमी नेचुरली फील (कुदरती तौर पर महसूस) करता है कि अंग्रेज़ी राज्य में ज्यादतियां इस तरह की होती रही हों लेकिन अगर इस ज़माने में ज्यादतियां होती हैं, जबकि पब्लिक के सही नुमाइंदे मौजूद हैं, गवर्नमेंट में, जिनको देश-भक्त कहा जाता है तो वह महसूस करता है कि वह आज़ाद नहीं है। अगर किसी आदमी को कम्यूनल ग्राउन्डस (साम्प्रदायिक कारणों) पर गिरफ्तार करते हैं। तो वह ख्याल करता है कि आपने उसकी तौहीन कर दी। मै इस पार्टी की तरफ से अर्ज कर दूँ कि जब हम मुस्लिम लीग में थे, उस वक्त हमने हिन्दू जनता के खिलाफ कोई नारा बुलन्द नहीं किया। हां, हिन्दू इन्टेलिजेंशिया (हिन्दू मनोवृत्ति) के ख़िलाफ जरूर आवाज़ बुलन्द की थी। मै हिन्दुओं को बतलाना चाहता हूँ कि यह आपके मिनिस्टर, यह आपकी पुलिस, यह लोग अमन क़ायम नहीं कर सकते हैं, अगर यहां की हिन्दू जनता हमें रहने नहीं देती और इत्तहाद का हाथ नहीं बढ़ाती। मैं आपकी इस गवर्नमेंट की ताक़त पर या पुलिस की ताक़त पर या आपके भरोसे पर इस सूबे में जिन्दा नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तो हिन्दू अवाम की गुड विल (प्रेममयी भावना) पर जिन्दा रहना चाहता हूँ और जब तक वह साथ है तक तब हम रहेंगे। उसकी ताक़त को मैं ताक़त समझता हूँ। मै उनके दिलों को अपने दिल से मिलाना चाहता हूँ। मै आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी की अर्थी आ रही है, हमारे शहर में इस कानून के मातहत सैकड़ों आदमी गिरफ्तार कर लिये गये। उसमें हिन्दू मुसलमान दोनों थे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अर्थी गुजर चुकी, कोई झगड़ा नहीं, कोई फिसाद नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने चूंकि उनको डिटेन कर दिया, इस वजह से वह पड़े हुए हैं। यह चीजें आप इस कानून के जरिये से कैसे जायज़ रख सकते हैं। कोई भी कह सकता है कि यह पापुलर गवर्नमेंट (जनप्रिय सरकार) रिप्रेजेंटेटिव (गवर्नमेंट प्रतिनिधि सरकार) है, डेमोक्रेटिक (जनतन्त्र) गवर्नमेंट है। हमारे बुजुर्ग साठ साल के हो चुके हैं लेकिन मैं अर्ज करता हूँ कि पार्टी गवर्नमेंट के यह मानी नहीं होते। पार्टी गवर्नमेंट के मानी जम्हूरी निजाम के हैं, और उसमें जो मुख़ालिफ पार्टी होती है, वह यह महसूस करती है कि उसकी आवाज़ को बंद नहीं किया जायगा। जो लोग झगड़ा करना चाहते हैं, आप उनको जरूर गिरफ्तार कीजिये। उसके लिये मै समझता हूँ कि इंडियन पेनल कोड की दफा १०७, ११०, १०६ और दीगर बहुतसी दफात मौजूद हैं। आनरेबिल पुलिस मिनिस्टर ने अपनी तक़रीर में फरमाया था कि जो लोग डिटेन (बन्द) हैं, उनकी फाइलें मंगाई जायगी और उनको बहुत ही लीनिएन्टली ट्रीट(सरलता से व्यवहार) किया जायगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि हम फाइलें ही नहीं भेजेंगे। तो उस कानून के जरिये से आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इतना बड़ा अख्तियार दे रहे हैं कि जिस को चाहे छः महीने के लिये बंद कर

सकता है। जो आदमी खराब होंगे बन्द हो ही जायेंगे लेकिन जिस तरह से आज आपने देखा कि किसी ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ तकरीर किया तो वह गिरफ्तार कर लिया गया। अगर किसी लीडर ने तकरीर की, तो उन्होंने कहा कि यह तो गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत है,और उसे गिरफ्तार कर लिया। मेरा आप यकीन न कीजिये। हमारा तो ज़माना गुजर चुका। हम पर जितना होना था हो चुका। लेकिन आप उस वक्त को डरिये जब उन बेंचेज पर, जिन पर आप बैठे हैं, आप के दूसरे भाई बैठेंगे, आप यह न समझिये कि हमेशा आप इन बेंचेज पर रहेंगे, तो आपके दूसरे भाई उन बेंचेज पर आएंगे तो आपको मालूम होगा वह भी कहेंगे कि जब आप इन बेंचेज़ पर थे तो आपने सोशलिस्ट्स को, कम्यूनिस्ट्स को, लेबर को डिटेन किया है, तो हमें भी इसका अख्तियार है। तो मैं यह चाहता हूं कि सूबे के अन्दर यह रीति न कायम हो। हमारे दोस्त ने इंगलिस्तान की मिसाल पेश की कि वहां तो बहुत अच्छा जम्हूरी निजाम चलता है। वह शहनशाहियत की राज चलाने वाली हुकूमत उनके ख्याल में हो सकती है। शायद वह अंग्रेजों से दोस्ती क़ायम करने के लिये ऐसा ख्याल करते हों। उस पर मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन उनकी इत्तला के लिये मैं बतलाना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने जम्हूरी निजाम हैं, उनमें सब स्वीटजरलैंड और न्यूफाउन्डलैंड के मुक़ाबिले में कोई मुल्क नहीं आ सकता। जो पार्टी गवर्नमेंट अमेरिका की है वह इनसे नीचे दर्जे पर आती हैं। अगर आप मिसाल पेश करना चाहते हैं तो, स्वीटजरलैंड की मिसाल दीजिये। हमको और आपको मुल्क की हालत सुधारना है और उसको आगे बढ़ाना है, इसी तरह से हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है, इसी तरह से हमारे मुल्क की भलाई हो सकती है, गवर्नमेंट की भलाई हो सकती है और अवाम की भलाई हो सकती है। जब हम आपकी नुक्ताचीनी करते हैं तो हमारी यह नीयत थोड़े ही होती है कि हम आपकी बुराई करें और अवाम भी आपको बुरा कहे। हमारे कहने से थोड़े ही वह आपको बुरा कहने लगेगे। लेकिन आप सड़कों पर देखिये, रेलों में देखिये कि वह आपके मुताल्लिक क्या राय रखते हैं, हमारे कहने से कुछ थोड़े ही हो सकता है, प्रेस हमारी स्पीचेज का वह हिस्सा छापेंगे ही नहीं, गायब कर देंगे। कैपिटलिस्टों (पूंजीपतियों) के इतने आर्गेनाइज्ड (संगठित) प्रेस हैं कि वह हमारी बातों को कब बाहर आने देंगे। आप घबड़ाइये नहीं, हमारी बात बाहर नहीं जायगी। फिर इसके अलावा अगर हम आपकी गल्तियां दिखलाते हैं, तो कोई दुश्मनी तो नहीं है। आप हमारे बड़े भाई हैं, और हम छोटे भाई के नाते अपना फर्ज समझते हैं कि आपको समझा सकें कि आप गल्ती न करें, क्योंकि आपकी भलाई में हमारी भी भलाई है, आपकी सरबुलन्दी में हमारी भी सरबुलन्दी है और आपकी ऊंचाई में हमारी भी ऊंचाई है। इसलिये ही हम आप से कहते हैं कि अवाम के अन्दर ला ऐंड आर्डर (कानून) की

[श्री फखरुल इस्लाम]

रेस्पेक्ट (आदर) बढ़ाइये, उसके बढ़ाने की कोशिश कीजिये और कम्युनल हारमनी (साम्प्रदायिक शान्ति) और सोशल आर्डर (सामाजिक व्यवस्था) को बढ़ाने की कोशिश कीजिये, उसी के बढ़ाने से ही इस सूबे के लोग अच्छे लोग हो सकते हैं और उसी में हमारा और आपका भला है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि माननीय पुलिस मन्त्री की वह अपील, जो उन्होंनें अपोजीशन (विरोधी) दल के लिये खासतौर से की थी, वह इतनी जबरदस्त अपील हैऔर वह इतनी दिल को खींचने वाली है और उन्होंने इतनी संजीदगी और ईमानदारी से अपनी बात कही है कि उसको सुनकर मेरा ऐसा ख्याल था कि अपोजीशन के मेम्बर साहबान उसी स्प्रिट (भावना) में इस बिल पर और इस बिल की धाराओं पर बहस करेंगे, जिस स्प्रिट में उन्होंने उनसे अपील की थी, लेकिन मुझे खेद हुआ कि मेम्बर साहबान अपोजीशन का रवैया तो एक ऐसा रवैया रहा है, जो किसी तरह से भी न तो वह अपील से, न कोई दलील से, और न किसी तरह से भी बदला जा सकता है। मुझे यह अफसोस हुआ कि आज अगर किसी सुधार के लिये भी कहा जाता है या जो पुरानी कुछ गलतियां हैं, उनको सुधारने के लिये कहा जाता है, तो अपोजीशन (विरोधी दल) के मेम्बर साहब अपोजीशन (विरोध) करते हैं और ऐसा अपोजीशन करते हैं कि जिससे आम बहस करके लेक्चर देने का और गवर्नमेंट को नसीहत देने का मौका मिले। मैं इस बात को बुरा नहीं मानता, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि अच्छी बात है, आप हमें नसीहत दीजिये, लेकिन मेहरबानी करके जो आप नसीहत देते हैं, तो खुद उन नसीहतों पर चलिये और चलना सीखिये। मुझे आज यह सुन कर खुशी हुई कि आज मेरे एक मित्र यह कह रहे थे कि वे कानून की हिफाजत में नहीं रहना चाहते, बल्कि जो बहुमत है उसके साथ मिल कर रवादारी से रहना चाहते हैं। बहुमत का जो उन्होंने नाम लिया वह हिन्दू बहुमत का था। मैं तो यह चाहता हूं कि अब आपने अपना नाम बदल दिया है। पुरानी लीग पार्टी अब जनता पार्टी हो गई है और वह यह कहती है कि वह जनता की हिफाजत करना चाहती है और वह यह कहती है की वे जनता की गुडविल पर रहना चाहते हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जनता की गुडविल हासिल करने का तरीका यह नहीं है कि आप फिरकेवाराना दिमाग रखें और फिरकेवाराना बातचीत करें। आप यह कहते थे कि आप आगे चल कर इस सीट पर नहीं बैठेंगे। मैं कहता हूँ कि आप फिर आयेंगे लेकिन जरूरत यह है कि आप अपनी जहनियत को छोड़ दें। जिस जहनियत को आप गवर्नमेंट को सिखाना चाहते हैं, उसी को अपनाइये, आप जरूर आयेंगे, मगर आप को ८० फीसदी जनता की गुडविल हासिल करनी

चाहिये। दो बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। आपकी यह तो जहनियत है और फिर आपकी यह मांग थी कि मुसलमानों के लिये सुरक्षित सीटें रक्खी जायं और साथ ही मुस्लिम लीगियों को सेपरेट एलेक्टोरेट (पृथक चुनाव) दिया जाय जिसकी बिना पर वे यहां चुन कर आये थे। बहुत अच्छा होता, अगर आपकी जहनियत तब्दील हो जाती और आपकी पार्टी सचमुच सही अर्थों में जनता की पार्टी बनती। अच्छा होता कि जनता पार्टी बनने के नाते आप अपनी सीटों से रिजाइन (इस्तीफा) करते और एलान करते कि हमने गलती की, जो सेपरेट एलेक्टोरेट (पृथक निर्वाचन) पर आये और ८८ फीसदी जनता को अपना दुश्मन बनाया और अलहदगी का विष फैलाया। यह नतीजा हुआ उस नारे का कि "हंस के लेंगे पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिन्दुस्तान"। और हिन्दुस्तान में वह जहर फैलाया कि उस जहर से हिन्दुओं में वह मनोवृत्ति फैली कि आर० एस० एस० का संगठन पैदा हुआ और मुसलमानों को इसका जवाब दिया। यह आपकी उस जहनियत का जवाब था। हम कांग्रेस वाले इस साम्प्रदायिक जहनियत को आज हिन्दुओं और मुसलमानों से खत्म करना चाहते हैं और उसे खत्म करने के लिये यह कानून बनाया गया। मेरे दोस्त ने कहा कि हमें कानून की जरूरत नहीं है और गवर्नमेंट से अपील की कि वह इस कानून को पास न करावे। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि वे डरें नहीं। अगर उनकी मनोवृत्ति बदल जाय और जनता की सेवा करने की भावना उनमें पैदा हो जाय और वह उस जनता की सेवा करने लग जाय जिसको इन्होंने दुश्मन बनाया था और जिनको हिन्दू और काफिर और दुश्मन कह कर पुकारा था और उनको दुश्मन बनाया था, उनके सामने वे अपना प्रोग्राम पेश करें। वे तो अभी सेपरेट एलेक्टोरेट (पृथक निर्वाचन) से चुनी हुई सीटों पर बैठे हुये हैं और अपनी गलती को तसलीम नहीं करते हैं। आप अपनी गलती को तसलीम कीजिये और जनता के सामने अपना प्रोग्राम रखिये। जैसे सोशलिस्ट पार्टी कर रही है कि वह इस गवर्नमेंट से मुतय्यन नहीं है और उनके ख्याल में जनता का हित नहीं हो रहा है। चाहे उन का यह ख्याल सही हो या गलत हो, वे अपनी सीटें छोड़ कर जा रहे हैं और जनता के सामने अपना प्रोग्राम रख रहे हैं। अब फिजा बदल गई है, अब पाकिस्तान बन गया है। आपने हिन्दुस्तान में वफादार रहने का अहद किया है। उस वफादारी का आप यह सबूत देते हैं, जो आप कहते हैं कि हमें कानून की हिफाजत की जरूरत नहीं है। अगर आप जनता की सेवा करते और हिन्दू-मुसलमानों का फर्क न करते, आप इलाहाबाद के रहने वाले हों या गोरखपुर के रहने वाले हों, यहां के हिन्दू-मुसलमानों की बराबर खिदमत करते, तो मैं आपसे वादा करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आप फिर इस जगह पर आ सकते थे। मगर आपके दिल में सेवा का ख्याल नहीं है। आप तो जनता की मखौल करना चाहते हैं। जनता के लोग मरते हैं और आप लाशों के ढेर को देख कर हंसते हैं और मखौल करते हैं और यहां असेम्बली में गम्भीर अवसर पर भी ऐसी बातें कहते हैं

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

जो न कहना चाहिये। यह कानून आपकी रक्षा के लिये पेश किया गया है। आप कहते हैं कि हमें रक्षा की जरूरत नहीं है। यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आपके कहने से गवर्नमेन्ट इसे नहीं छोड़ सकती। एक रोगी कहता है, मुझे बीमारी है लेकिन इलाज नहीं करना चाहता। वह वैद्य से यह बात कहता है। वैद्य उससे कहता है तुम्हारी नब्ज खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हें दवा दूंगा। रोगी की मर्जी पर छोड़ा नहीं जा सकता। आप भी रोगी हैं। हम समझते हैं, गवर्नमेंट समझती है कि आपको दवा की जरूरत है, इस कानून की जरूरत है। आपकी क्या हालत होती, अगर यह कानून न होता, आप के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है। आर० एस० एस० की गिरफ्तारियां न होतीं, तो यहां दूसरी हालत होती। आप उसको नजर अन्दाज करते हैं। अगर आप ईमानदारी और सही तरीके से कोई बात पेश करते, तो मैं उसकी कदर करता। आप जो मिसालें देते हैं वह मुसलमानों की देते हैं। किसी हिन्दू की कोई मिसाल नहीं देते। अभी आपकी पुरानी मनोवृत्ति नहीं बदली है और आप कहते हैं कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी (जनतन्त्र) से काम नहीं करती।

श्री फखरुल इस्लाम—

ये आनरेबिल मेम्बर हैं, जिन्होंने जनरल डिस्कशन (साधारण विवाद) के वक्त क्लोजर मूव (बहस बन्द करने की तजवीज) किया था। अब ये आम बहस कर रहे हैं, क्या यह मुनासिब है ?

डिप्टी स्पीकर—

आपने जो बातें छेड़ दी थीं, उसी का जवाब दे रहे हैं। आप तशरीफ रखिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमान जी, मैं अर्ज कर रहा था कि ईमान्दारी और सही तरीके से किसी बात को फील (अनुभव) करते हैं, तो उसे पेश कीजिये। हमारी पार्टी में गांधी जी राष्ट्रपिता थे, उन्होंने अपनी हमदर्दी आप लोगों के साथ दिखलाई और छोटे आदमियों में हमारे भाई महावीर त्यागी ने भी आप लोगों को बचाने की कोशिश की। मैं दावे से कहता हूँ कि साम्प्रदायिकता का जहर आप लोगों ने फैलाया और बढ़ाया है और हमने उसको मिटाने की कोशिश की और आपको बचाने की। मैं अर्जा करूंगा कि डेमोक्रेसी में मज़हब के नाम पर पार्टियां नहीं बना करती हैं।

डिप्टी स्पीकर—

आप इसी धारा पर बोलिये जो पेश है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे विरोधी दल के भाई हमारी बातों को मानने के लिये तैयार नहीं हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि खुद आप इस पर अमल

करें। "दीगर नसीहत खुदरा फजीहत दीगरां नसीहत" की बात आप न करें। मैं समझता हूँ कि जो धारा पहली है, उसमें गलती थी कि ६ महीने से कम का डिटेंशन (रोकना) नहीं हो सकता। इसलिये उसको सुधारने के लिये यह अमेंडमेंट पेश किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छी धारा है और इसको पास किया जाय।

श्री जहीरुल हसनैन लारी—

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं वजीर साहब तवज्जह दफा ३ की तरफ दिलाना चाहता हूं और यह दरख्वास्त करता हूँ कि वे इस पर गौर करें। आया जो तरमीम पेश की जा रही है वह बेहतर है या नहीं। अगर पहले क्लाज में आप देखेंगे तो मालूम होगा कि दफा ४ में यह कहते हैं कि कोई आर्डर जो प्राविंशियल गवर्नमेंट जारी करे, अगर उसे कब्ल मन्सूख न किया जाय तो वह ६ महीने तक कायम रहेगा। दूसरे यह कि अगर कोई मजीद और नया आर्डर गवर्नमेंट पास करना चाहती है तो यहां उस के रास्ते में रुकावट न होगी। हाई-कोर्ट ने यह रूलिंग दी कि अगर एक दफा प्राविंशियल गवर्नमेंट का कोई आर्डर डिटेंशन का ख्वाह वह एक महीना के लिये हो, डेढ़ महीने के लिये हो या दो महीने के लिये हो, किसी पीरियड के लिये हो, पास होता है और गवर्नमेंट यह चाहती है कि दो महीने के लिये मजीद पीरियड बढ़ा दिया जाय तो उनको फ्रेश आर्डर नया हुक्म देना पड़ेगा। यानी उनका फर्ज होगा कि वह तमाम मेटीरियल फिर देखें और इस नतीजे पर पहुंचें कि उनका डिटेंशन इतने महीने के लिये बढ़ाया जाय या नहीं। अब जो तरमीम लाई जा रही है उसका लाजिमी नतीजा यह है कि अगर वजीर साहब और प्राविंशियल गवर्नमेंट किसी शख्स को दो महीने के लिए डिटेन करना चाहती है या वह चाहती है कि ६ महीने का पीरियड और बढ़ा दिया जाय तो उनको अख्तियार है और हाई-कोर्ट की रूलिंग बिलकुल कलअदम हो जायगी और डिटेंड परसन (नजर बन्द आदम) का फायदा जायल हो जायगा। हाईकोर्ट का मंशा यह था कि प्राविंशियल गवर्नमेंट किसी को एक दफा किसी पीरियड के लिये डिटेन कर दे और उसके पीरियड को मजीद बढ़ाना चाहे तो प्राविंशियल गवर्नमेंट को आटोमेटिकली (अपने आप) यह अख्तियार नहीं होगा। उसको आर्डर देना पड़ेगा, तमाम मेटीरियल देखनी पड़ेगी, उसके बाद कोई आर्डर देना होगा। अगर प्राविंशियल गवर्नमेंट किसी को ६ महीने तक रखना चाहे तो इस तरीके से वह नहीं रख सकती है। इस तरह से किसी को डिटेन करना तो नाजायज है। हाईकोर्ट का कहना है कि इस तरह का आर्डर तो वेग ((अस्पष्ट) है। जब आपने कोई खास पीरियड स्पेसिफाइड 'निर्धारित' कर दिया उसके बाद किसी बात को बिना अपने दिमाग से समझे हुये किसी को डिटेन करना और हाईकोर्ट को मजबूर करना मुनासिब नहीं मालूम होता है। आप जो यह तरमीम करने जा रहे हैं इससे गवर्नमेंट फायदा हासिल कर रही है। अगर आप फौरन किसी को छोड़ना

[श्री जहीरुल हसनैन लारी]
नहीं चाहते हैं तो आप फिर उसके ऊपर गौर कर सकते है । आप यह दफा किसी को दो महीने के लिये या चार महीने के लिये या ६ महीने के लिये पीरियड (समय) तय कर लेने के बाद फिर उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी शख्स को न छोड़ा जाय तो फिर उसके तमाम कागजात को देखें, इस पर अपनी राय कायम करें, उसके बाद कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह से आप हाई-कोर्ट की बिलावजह कलअदम न करें, बेकार न करें । मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि कैसे वजीर साहब ने फरमाया कि वह इसी के जरिये से यह करना चाहते हैं। मै आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि क्लाज २ को इसमें से निकाल दिया जाय। इसलिये कि हाई-कोर्ट की नजीरों को देखते हुये किसी को आटोमेटिकली डिटेन नहीं कर सकते हैं, बल्कि उस पर फिर से गौर करना पड़ता है और उसके लिये फ्रेश आर्डर इशू (नये हुक्मजारी) करना पड़ता है। मै यह अर्ज करता हूँ कि किसी शख्स को आप दो महीने, तीन महीने के लिये डिटेन करें लेकिन उसका मामला आप के सामने आना चाहिये जिसमें आप उसको कन्सीडर (विचार) कर सकें और दुबारा उस पर आर्डर कर सकें। इसका फोर्थ प्राविजो नहीं होना चाहिये, क्योंकि इसमें तरमीम की जरूरत है। "एज इन दि प्राविजो" इन लफ्जों को आप न रक्खें और साथ ही इफ नोट दि... यह भी गलत है, आप यह कहिये और उसका प्राविजो आगे दे दें और जो प्राविजो में कहा गया है वह स्पेसिफिक होना चाहिये। आप अगर नहीं करते तो जब यह मामला हाई-कोर्ट में जायगा तब वहां पर जो आपका ला (कानून) कहता है, वह किसी सूरत से मुनासिब नहीं होगा। जिस क्लाज में आपने ६ महीने कहा है, उसको आप २ महीने रहने दें और इसको आप वापस ले लें, और इस प्राविजो का वापस लेना ही वाजिब है। मैं यही समझता हूँ कि आप इसको वापस ले लेंगे क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही बाकी न रह जायगी।

माननीय पुलिस सचिव—

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं नहीं समझता था कि इन क्लाजेज पर इतनी जल्दी बहस हो जायगी। फखरुल इसलाम साहब के दिल में जो आया उन्होंने कह दिया। उन्होंने सोचा कि इस दफा के सिलसिले में उनकी तबियत में जो कुछ आये वह सब इसी के ऊपर कह डालें और यहां तक पहुंचे कि शायद डोमिनियन स्टेटस की वजह से कुछ-समझौते की तैयारी की जा रही है। मैं तो यह समझता हूँ कि उनको गलतफहमी होने की वजह से वह कहां से कहां पहुंच गये, जो उनकी समझ में आया कह दिया। कहां तो यह सूबा और कहां इंगलैंड के समझौते की बात ? और फिर यह मसला तो हमारे सूबे का नहीं है, यह मामला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कनस्टीट्यूएंट असेम्बली का है, और कांग्रेस-आर्गनाइजेशन (दल) का है। इस सूबे से उस मसले का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है—फखरुल इसलाम साहब ने इंगलैंड को पूंजीवाद का मुल्क कहा, लेकिन मै यह कहना चाहता हूँ कि इंगलैंड आज योरप के थोड़े से मुल्कों में है जहां जनतन्त्र की सच्ची

मिसाल हमें देखने को मिलती है। यूरोप में इंगलैंड और फ्रांस ही ऐसे दो मुल्क हैं कि जहां पर बाहरी मुल्कों के लोगों को अपनी जान बचाने का मौका मिला, वहां जाकर रहे और अपनी बातों का प्रचार किया, अभी हालही में ट्राट्स्की इंगलैंड में रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका की हालत इस वक्त क्या है? इन नीग्रोज की हालत वहां पर क्या है और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? फखरुल इसलाम साहब अमेरिका की ओर ज्यादा रुजू मालूम होते हैं यह सब गैर जरूरी बातें हैं, उस पर मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। वहां पर जनतन्त्रवाद है या नहीं, यह सब सोचने की बात है। उस पर अलग-अलग रायें हो सकती हैं। जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है, इसके बारे में यह कहना है कि ६ महीने की मियाद रख दी गयी है, मगर आम तौर पर तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोई न कोई वक्त मुकर्रर करेंगे ही, यह तय बात है। कभी गल्ती से यह बात रह जाती है और मियाद मुकर्रर नहीं की जाती। अगर कोई ऐसा हुक्म हो गया तो फिर उसका नतीजा यह होता है कि वह हुक्म ही गलत साबित हो जाता है। इसलिए महज एहतियात के ख्याल से ६ महीने का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन आमतौर पर मियाद मुकर्रर होती है। आप इसकी स्प्रिट (भावना) पर जाइये, लेटर पर न जाइये। अगर यह सुधार न हो तो नतीजा यह होगा कि आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ६ महीने के लिये डिटेंशन करेंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मौका दें कि एक महीने के बाद वह मियाद बढ़ा सकते हैं, डेढ़ महीना कर सकते हैं, दो या तीन महीना कर सकते हैं, तो आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक महीना के लिए भी कर सकते हैं, डेढ़ महीना के लिए भी कर सकते हैं। जहां तक सवाल बिल्कुल आटोमैटिक होने का है, तो वह आटोमैटिक तो हो जायगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मौका देंगे तो वह एक महीने के लिये कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यह लोगों को दिक्कत या परेशानी पैदा करने के लिए नहीं है।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि धारा ३ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ४

संयुक्त प्रांत के ऐक्ट न० ४, सन १६४७ ई० में नयी धारा ८-क (8-A) का बढ़ाया जाना

४—मूल ऐक्ट की धारा ८ के बाद नीचे लिखी हुई धारा ८—क ("8-A") रक्खी जायगी—

"8-A. (1) If the Provincial Government is satisfied that—

(a) the wearing in public of any dress or article of apparel resembling any uniform or part of a uniform required to be worn by a member of the Forces of the Indian Union or by a member of any official Police Force or

of any force constituted under any law for the time being in force.

(b) the wearing or display in public of any distinctive dress or article of apparel or any emblem, would be likely to prejudice the public safety or the maintenance of public order, or communal harmony, the Provoinial Government may, by general or special order, prohibit or restrict the wearing or display in public of any such dress, article of apparel or emblem.

(2) For the purposes of this rule, a dress, an article of apparel or an emblem shall be deemed to be worn or displayed in public if it is worn or displayed so as to be visible to a person in any place to which the public have access.

(3) If any person contravenes any order made under this section, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both."

डिप्टी स्पीकर—

धारा ४ में एक तरमीम की इत्तला मुझे श्री महावीर त्यागी की तरफ से दी गयी है। इस धारा की उपधारा ३ में जो सजा तीन बरस तक के लिए है, उसके बजाय वह यह चाहते हैं कि एक बरस की कर दी जाय।

इसकी इत्तला मुझे अभी दी गयी है। मैं इस भवन से जानना चाहता हूँ कि इस तरमीम को पेश करने में किसी को एतराज़ तो नहीं है?

(कोई एतराज नहीं किया गया)

श्री महावीर त्यागी—

मैं यह तरमीम पेश करता हूँ कि धारा ४ में जो संशोधन पेश किया गया है उसकी उपधारा (३) की अन्तिम लाइन में Three years (तीन वर्ष) की जगह One year (एक वर्ष) कर दिया जाय।

इसका मतलब यह है कि जो तरमीम पेश हो रही है, उसमें वर्दी वगैरह पहिनना नाजायज करार देने का हुक्म हो चुका है या गवर्नमेंट के फोर्सेज पुलिस वगैरह से मिलती-जुलती वर्दी पहिन कर निकलना नाजायज क़रार दे दिया है या तमगे वगैरह पहिन कर निकलना ऐसे जुर्म करने वालों को तीन साल की सजा हो सकती है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि वर्दी पहिन कर या तमगे पहिनकर निकलना इतना भयकर जुर्म नहीं है कि तीन साल की सजा दी जाए और यह जंचती भी नहीं है। मैंने एक साल की सजा की तरमीम पेश की है। इसकी एक

वजह यह भी है कि जब से यह आर्डिनेंस निकला है, तब से वर्दी वगैरह पहिन कर निकलने के जुर्म में मैजिस्ट्रेटों ने साल भर से ज्यादा सजा नहीं दी है यानी वह या तो आमतौर से छूट गये हैं या कोई दूसरे मुकदमे उनके पीछे लगे हैं। बहरहाल पहले भी तीन साल की सजा नहीं होती थी। इससे पहले सेक्शन ८ इस तरह से था—

"8-A. (1) If the Provincial Government is satisfied that—

(a) the wearing in public of any dress or article of apparel resembling any uniform or part of a uniform required to be worn by a member of the Forces of the Indian Union or by a member of any official Police Force or of any force constituted under any law for the time being in force;

(b) the wearing or display in public of any distinctive dress or article of apparel or any emblem, would be likely to prejudice the public safety or the maintenance of public order, or communal harmony, the Provincial Government may, by general or special order, prohibit or restrict the wearing or display in public of any such dress, article of apparel or emblem.

(2) For the purposes of this rule, a dress, an article of apparel or an emblem shall be deemed to be worn or displayed in public if it is worn or displayed so as to be visible to a person in any place to which the public have access.

(3) If any person contravenes any order made under this section, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both."

जब शुरू-शुरू में यह निकला था तब भी हथियार लेकर कोई जमात कानून तोड़ती हो तो भी ऐसे भयंकर जुर्म में एक ही साल की सजा रखी गई थी, ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि अगर वर्दी पहन कर निकलना सूबे में जुर्म है तो ३ साल की सजा ठीक नहीं मालूम होती, मामूली तमगा वगैरह पहनना तो दूर की बात है। मैं समझता हूँ कि इसमें हाउस की राय भी इतनी सजा देने की नहीं और गवर्नमेंट की मंशा भी नहीं है। वह भी चाहती है कि मैजिस्ट्रेट अपने अख्तियारात इस्तेमाल कर सकें मामूली मामला देखें तो महीने भर या १०,१५ रोज की सजा दे दें। इसलिये भी तीन साल की सजा रखना मकसूद नहीं है। जब रायफल वगैरह लेकर परेड करने पर एक साल की सजा दी जा रही है तो फिर आर० एस० एस० या नेशनल गार्ड का तमगा वगैरह पहन कर या वर्दी पहन कर निकलने पर इतनी सजा देना जंचता नहीं है। मैं तरमीम करता हूँ और वजीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जमात के मेम्बर होने की वजह से या वर्दी वगैरह पहनने के

[श्री महावीर त्यागी]
जुर्म में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वह नजरबन्द किये गये हों, चाहे जैसे भी हों, जिन पर मुकदमा चलाना हो या जिन पर मुकदमा चलाने के सबूत हों, उनको छोड़ कर बाकी सबको ८, १ और १५ रोज के अन्दर रिहा कर दिया जाय क्योंकि अब मुसीबत का वक्त निकल गया है। वजीर साहब भी समझते हैं, और हाउस भी समझता है कि गवर्नमेंट की नीयत साफ है कि हम धमकी और सजाओं से अमन क़ायम रखना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस को बड़ा अफसोस है कि उसकी मर्जी के खिलाफ लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा, उनके साथ सख्ती करनी पड़ी और मुकदमे चलाने पड़े। हम लोगों का असली हथियार तो मोरल अर्मामेंट (चरित्र-बल)है, यह हमारा दावा है। उस समय हम संभल नहीं पाये थे, लेकिन अब हम अपने मोरल अर्मामेंट की वजह से हजारों कानूनों के होते हुए कभी उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऐसे मौके कभी नहीं आने देंगे। चाहे अपने प्रोपेगेण्डा से नी त से नहीं आने देंगे कि किसी जमाअत के खिलाफ इन कानूनों का इस्तेमाल करना पड़े। ऐसा हमारा दावा है और इसका अमल हम करके दिखा देंगे। इस कानून का इस्तेमाल इन्शाअल्ला कभी नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि यह सज़ा जो भद्दी मालूम होती है, अवश्य दूर कर दी जायगी।

माननीय पुलिस सचिव—

यह जो तीन साल की सजा क़ानून में रखी गयी वह मैक्जीमम (ज्यादा से ज्यादा) है। इसके माने यह नहीं हैं कि आमतौर से तीन साल की सजा होना चाहिये। आमतौर से ६, ४ या २ महीने की सजा जैसी चाहें दें, इसका अख्तियार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या उन अफसरान को दिया गया है जो इसका फैसला करते हैं। इसलिये मैक्जीमम सजा कोई मजबूरी की बात नहीं है। दूसरे यह भी ख्याल पैदा हुआ कि इस समय वालंटियर आर्गेनाइजेशन्स का खास तौर से हथियारों में दिलचस्पी रखना एक शौक हो गया है, इसलिए सख्त सजा की बात सोची गयी थी। मगर जैसा कि त्यागी जी ने कहा कि यह हाउस की भी ख्वाहिश है और उनकी भी यह ख्वाहिश है तो मुझे इसके मानने में कोई इन्कार नहीं, क्यों कि एक साल की भी सजा इस लिहाज से काफी है। हम चाहते हैं कि एक साल की भी नौबत न आये। इसलिये मुझे इसके मन्जूर करने में कोई एतराज नहीं है।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि धारा ४ की उपधारा (३) की अन्तिम लाइन में Three years (तीन साल) की जगह One year (एक साल) कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर

धारा ४ पर किसी और संशोधन की इत्तला नहीं है।

सवाल यह है कि संशोधित धारा ४ बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ५

५—"मूल ऐक्ट की धारा" १३—क (13-A) में अंक १० (10) के पहले अंक और अक्षर "८,क" ("8-A") रक्खे जायेंगे।

डिप्टी स्पीकर—

मैं यह जानना चाहता हूँ कि धारा ५ पर कोई सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

हां साहब, हम जरूर बोलेंगे।

सन १९४८-४९ के लिये आर्थिक समिति के चुने गये सदस्यों के नामों की घोषणा

डिप्टी स्पीकर—

इसके पहले कि हम उठें मुझे कुछ एलान करना है; वह मैं कर दूं।

जैसा कि मैंने कल एलान किया था कि फाइनेंस कमेटी के लिये १६ नाम आये थे। जगहें १४ थीं। आज श्री वंशीधर मिश्र और श्री मुहम्मद असरार अहमद ने अपने नाम वापस ले लिए हैं और अब सिर्फ १४ माननीय सदस्यों के नाम रह गये हैं और उनके नाम मैं पढ़ता हूँ और एलान करता हूँ कि फाइनेंस कमेटी के वह मेम्बर चुन लिये गये:—

१—श्री राम मूर्ति

२—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल

३—श्री अलगू राय शास्त्री

४—श्री श्रीचन्द सिंघल

५—श्री बीर बल सिंह

६—श्रीमती सुचेता कृपलानी

७—श्री महमूद अली खां

८—श्री जयपाल सिंह

६—श्री राजा जगन्नाथ बख्श सिंह

१०—श्री फखरुल इस्लाम

११—श्री मुहम्मद इसहाक़ खां

१२—श्री मंगला प्रसाद

१३—श्री मलखान सिंह

१४—श्री हसन अहमद शाह

विधान निर्मात्री परिषद् के लिये चुने गये सदस्यों के नामों की घोषणा

डिप्टी स्पीकर—

माननीय श्रीकृष्णदत्त पालीवाल के त्याग-पत्र दे देने पर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्धारित समय के भीतर चार नामांकित पत्र प्राप्त हुए यह सब श्री सतीशचन्द्र के पक्ष में आये हैं। निर्धारित समय के अन्दर यह नाम वापस नहीं हुआ। इसलिये मैं एलान करता हूँ कि श्री सतीशचन्द्र विधान परिषद् कांस्टीटूएन्ट असेम्बली के चुने हुये सदस्य हो गये।

आगमी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

डिप्टी स्पीकर—

परसों के कार्यक्रम में संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिये (ऋण देने के) बिल, सन १९४८ ई- पर विचार किया जायेगा और यह भी प्रस्ताव पेश किया जायगा, कि वह बिल स्वीकार किया जाये।

(इसके बाद भवन ५ बजकर २७ मिनट पर बुधवार ३१ मार्च सन् १९४८ ई०, ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ
३० मार्च, १९४८

कैलाश चन्द्र भटनागर,
मन्त्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त।

नत्थी 'क'

(देखिये २६-३-४८ के स्टार्ड प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर
पीछे पृष्ठ ७ पर)

सरकारी प्रस्ताव सं० ५७७ डी सी-२२६, ४७७, ता० १० जुलाई सन् १६४७ ई० के उद्धरण

विषय—जिला सुधार संघों, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट असोसियेशन का निर्माण कर्त्तव्य ग्रामसुधार संघ के नीचे लिखे कर्तव्य होंगे—

१—प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार कार्य के लिये ब्लाकों या भूभागों क चुनाव करने और उनकी सीमा निर्धारित करने में सहायता देना।

२—कार्यान्वित करने व सम्बद्धता, कोआर्डिनेशन में तथा कार्यदक्षता प्राप्त करना।

३—ऐसे विवरण-पत्र तैयार करना जिनमें ग्रामसुधार कार्य से सम्बन्धित विभागों की वर्तमान योजनाओं का कार्यक्रम दिया गया हो, जो उनके जिलों में चल रहे हों।

४—उन कार्यों के सुधार अथवा विस्तार के लिये सुझाव प्रस्तुत करना।

५—जिले में जितनी योजनायें लागू हों उन सब को अपने फअसरों द्वारा उचित और नियमित निरीक्षण और देख रेख इस प्रकार कराना कि ये योजनायें यथोचित रूप में कार्यान्वित हो सकें और जिन विभागों द्वारा वे चलायी जा रही हों उनसे निकटतम सम्पर्क बनाये रखना।

६—ऐसी सब योजनाओं को कार्यान्वित करना और ऐसे सब कोषों को व्यय करना, जो जिला संघों को सौंपे गये हों।

७—ऐसी योजनाओं पर सोच विचार करना, उनकी रूप रेखा तैयार करना और उन्हें सम्बन्धित विभागों को अथवा डेवलपमेंट कमिश्नर को भेजना, जिन्हें जिला सुधार संघ जिले की भलाई, उन्नति और विकास के निमित्त जनहित के लिए आवश्यक समझे।

पैरा १ और ७ के उद्धरण—

८—चेयरमैन, सेक्रेटरी की सहायता से संघ के प्रस्तावों को यथासम्भव कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा। वे इस योजना को समुचित रूप में सम्पादित करने तथा उसके प्रभाव पूर्ण देख-रेख के लिये भी उत्तरदायी होंगे जिसे कार्यकारिणी (एक्जीक्यूटिव) समिति ने स्वीकृत किया हो।

६—चेयरमैन, सेक्रेटरी तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे ग्रामसुधार योजना के अन्तर्गत आने वाले गांवों में इतनी बार जायेंगे और उन में चलने वाले कार्य का इतनी बार निरीक्षण करेंगे जितनी बार ऐसा कर सकना सम्भव होवे, इस योजना के अन्तर्गत चलने वाले स्कूलों, चिकित्सालयों, पुस्तकालयों, बीज तथा औद्योगिक गोदामों जैसी ग्रामसुधार संस्थाओं के कार्यों की भी देख रेख करेंगे

नत्थी 'ख'

('देखिये २९-३-४८ के स्टार्ड प्रश्न संख्या ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर)

पाठशालाओं के भेद	उन महीनों के नाम जिनका वेतन देय था	वे तिथियां, जिनमें भुगतान का चेक प्रसारित किया गया	विशेष विवरण
मिडिल स्कूल	जनवरी, १९४६	१- -४६	
प्राइमरी ,,	,, ,,	८-२-४६	
मिडिल ,,	फरवरी, ,,	८-३-४६	
प्राइमरी ,,	फरवरी, ,,	१४-३-४६	
मिडिल ,,	मार्च, ,,	३०-४-४६	
प्राइमरी ,,	,, ,,	२७-४-४६	
मिडिल ,,	अप्रैल, ,,	२७-५-४६	
प्राइमरी ,,	,, ,,	७-५-४६	
मिडिल ,,	मई ,,	२१-६-४६	
प्राइमरी ,,	,, ,,	१९-६-४६	
मिडिल ,,	जून, ,,	२४-७-४६	
प्राइमरी ,,	,, ,,	१८-७-४६	
मिडिल ,,	जुलाई ,,	१९-९-४६	अध्यापकों की हड़ताल तथा विद्यालय-निरीक्षक के यहां से अगस्त सन १९४६ ई० के अन्त में आदेश प्राप्त होने के कारण विलम्ब हुआ।
प्राइमरी ,,	,, ,,	१९-९-४६	
मिडिल ,,	अगस्त, ,,	२७-९-४६	
प्राइमरी ,,	,, ,,	१६-१०-४६	
मिडिल ,,	सितम्बर, ,,	१६-१०-४६	
प्राइमरी ,,	,, ,,	१८-१०-४६	
मिडिल ,,	अक्तूबर, ,,	२०-१२-४६	अल्प अवशेष के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ।
प्राइमरी ,,	,, ,,	१४-१२-४६	
मिडिल ,,	नवम्बर, ,,	६-१-४७	तदैव।
प्राइमरी ,,	,, ,,	२०-१२-४६	
मिडिल ,,	दिसम्बर ,,	३१-१-४७	
प्राइमरी ,,	,, ,,	३०-१-४७	

राजकीय अनुदान प्राप्त करने की तिथियां

अंश	वे महीने जिनमें अंश प्राप्त किये गये
प्रथम ...	मई, १९४६ ई०
द्वितीय ...	अगस्त, ,,
तृतीय ...	दिसम्बर, ,,
चतुर्थ ...	मार्च, १९४७ ई०

समिति द्वारा शिक्षा-धन में दिया गया अंश-दान

महीना	राशि
	रु०
मई, १९४६ ई०	२३,२३०
अक्तूबर, ,,	२३,२३०
दिसम्बर, ,,	३३,०७१
मार्च, १९४७ ई०	२४,८१५

उन महीनों के नाम जिनमें वेतन देय था		तिथियां जिनमें भुगतान का चेक प्रसारित किया गया था	विशेष विवरण
जनवरी, १६४७		३१–३–४७ (२ महीने)	अध्यापकों की हड़ताल तथा विद्यालय निरीक्षक, इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के यहां से आदेश देर में प्राप्त होने के कारण।
फ़रवरी, "		३१–३–४७	
मार्च, "		३·–८–४७ (५ महीने)	
अप्रैल, "		२७–५–४७	
मई "	प्राइमरी	२५–६–४७	
	मिडिल	५–६–४७ (१ महीना)	
जून "		२१–७–४७	
जुलाई "		२०–६–४७ (१ महीना)	
अगस्त "	प्राइमरी	२७–१ –४७ (२ महीने)	अल्प अवशेष के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ
	मिडिल	२६–११–४७ (३ महीने)	
सितम्बर "	प्राइमरी	४१–२–४७ (२ महीने)	
	मिडिल	२६–११–४७ (२ महीने)	
अक्तूबर "	प्राइमरी	दिसम्बर, ४७ (२ महीने)	
	मिडिल	तद्देव	
नवम्बर "		दिसम्बर, ४७	
दिसम्बर "		फरवरी, ४७ (१ महीना)	

राजकीय अनुदान प्राप्त करने की तिथियां

अंश		वे महीने, जिनमें अंश प्राप्त किये गये	
प्रथम	...	मई,	१६४७
द्वितीय	...	अगस्त,	१६४७
तृतीय	...	दिसम्बर,	१६४७

समिति द्वारा शिक्षा धन में दिया गया अंशदान

महीना			राशि
			रु०
सितम्बर,	१६४७	...	४२,७१६
नवम्बर,	१६४७	...	४०,०००
दिसम्बर,	१६४७	...	१३,०००
फरवरी,	१६४७	...	२५,०००

नत्थी "ग"

(देखिये २१-३-४८ के तारांकित प्रश्न सं० १०८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर)

विवरण-पत्र जिसमें नौकरियों के ऐसे विभिन्न वर्ग दिये गये हैं जिनमें सरकार ने सीधे नियुक्तियां की थीं—

नौकरी का नाम	योग्यतायें	नियुक्तियों की संख्या		मामले जिनके सम्बन्ध में कमीशन का परामर्श नहीं लिया गया
		गैर मुसलमान	मुसलमान	
		१—नियुक्ति विभाग		
		६		
१—अस्थायी मुन्सिफ	क़ानून के ग्रेजुयेट	४	२	नियुक्तियां अस्थायी थीं, जो एक असाधारण स्थिति के कारण की गयी थीं और ऐसे मामलों में कमीशन का परामश लेना आवश्यक नहीं है।
		३२		
२—रेवेन्यू अफ़सर	(१) कानूनी पेशा करने वाले व्यक्ति, (२) अवसर प्राप्त सरकारी कर्मचारी, जिसने अपने कार्यकाल में न्यायाधीश विषयक (जुडीशियल) अधिकारों का प्रयोग किया हो अथवा ऐसे भूतपूर्व तथा वर्तमान आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर, जिन के पास कानून की डिग्री भी हो।	२५	७	ये नियुक्तियां असाधारण स्थिति के कारण की गयीं और गवर्नमेंट के पास समय इतना कम था कि उनके संबंध में पब्लिक सर्विस कमीशन का परामर्श लेना न तो आवश्यक ही था और न सम्भव ही।

३—डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर (टेक्निकल) रीजनल इन्सपेक्टर्स तथा असिस्टेन्ट रीजनल इन्सपेक्टर्स	टेक्निकल	*२—ट्रान्सपोर्ट विभाग* १२		
		११	१	युद्ध-जनित परिस्थितियों में नियुक्तियां अस्थायी पदों पर की गई थीं। सरकार का विचार इन नौकरियों की योग्यताओं के आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन के मार्फत पुर्नसंगठन का है।
		३—ग्राम सुधार विभाग ३		
४—ग्राम सुधार अफ़सर	रिटायर्ड अफ़सर	१	...	ये नियुक्तियां विगत सरकार द्वारा की गई थीं, अब इन पदों पर नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं।
५—ग्राम सुधार अफ़सर से सम्बद्ध आफ़िसर आन स्पेशल ड्यूटी	"	१	...	
६—असिस्टेंट ग्राम सुधार अफ़सर	पदोन्नति द्वारा	...	१	पहले इस पद पर सहकारिता विभाग के सीनियर इन्सपेक्टर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये जाते थे। बाद में यह पद स्थायी बना दिया गया और गज़टेड घोषित कर दिया गया।
		४—सूचना डाइरेक्टोरेट ३०		
७—अंग्रेजी हिन्दी तथा उर्दू के इन्चार्ज अफ़सर	शिक्षा—सम्बन्धी तथा पत्रकार की हैसियत से कार्य करने का अनुभव	२२	८	चूंकि ये पद असामान्य प्रकार के थे और उन पर नियुक्ति के समय कुछ विशेष बातों का विचार रखना आवश्यक था, इसलिये इन पदों पर नियुक्ति के संबन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन का परामर्श नहीं लिया गया। ये सब राजनीतिक नियुक्तियां हैं और वर्तमान पदाधिकारियों का सेवाकाल मन्त्रिमण्डल के साथ-साथ समाप्त हो जायेगा।

नौकरी का नाम	योग्यतायें	नियुक्तियों की संख्या		मामले जिनके सम्बन्ध में कमीशन का परामर्श नहीं लिया गया
		गैर मुसलमान	मुसलमान	
८—रूरल पब्लिसिटी अफ़सर	पत्रकार की हैसियत से कार्य करने का अनुभव			
९—टेक्नीकल अफसर				
१०—फील्ड पब्लिसिटी अफसर	अच्छी शिक्षा-सम्बन्धी योग्यतायें, जन-सेवा कार्य, समाज-सेवा कार्य किये हों, सावजनिक सभाओं में भाषण दिये हों तथा सार्वजनिक विषयों का भर पूर ज्ञान हो।			
		३४		
		५—खाद्य तथा रसद (ग) विभाग		
११—असिस्टेंट टाउन राशनिंग अफसर असिस्टेंट सप्लाई अफसर	विश्वविद्यालय की डिग्री ...	२९	५	
		४०		
१२—खांडसारी अफसर		३१	९	वर्तमान असाधारण खाद्य स्थिति के कारण ये नियुक्तियां अस्थायी रूप से की गई हैं नवम्बर सन १९४६ ई० के अन्तिम सप्ताह में इन पदों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों को चुनने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया था।
१३—रीजनल मार्केटिंग अफसर	संयुक्त प्रान्तीय कृषि सर्विस द्वितीय श्रेणी	६		
१४—अतिरिक्त रीजनल मार्केटिंग अफसर।	...	३		
		४०		
१५—डिप्टी रीजनल मार्केटिंग अफ़सर	सीनियर मार्केटिंग अफसरों में पदोन्नति द्वारा	३५	५	

६— उद्योग (ख) विभाग

पद	योग्यतायें			टिप्पणी
		१०		
१६—सुपरिण्टेण्डिङ्ग इन्जीनियर मिकेनिकल विभाग, असिस्टेंट वर्क्स मनेजर, असिस्टेंट इन्जीनियर	योग्यतायें निर्धारित नहीं हैं	९		इन पदों पर सर्विस कमीशन के परामर्श के बिना युद्धकाल में नियुक्तियां की गई थीं।
१७—डिप्टी रजिस्ट्रार, डिहाइड्रेशन।	एम० ए० तथा प्रान्तीय सिविल सर्विस के अफ़सर	१		
		२		
फरुखाबाद तथा लखनऊ की गवर्नमेंट डिहाइड्रेशन फैक्टरियों में मैनेजर,	ग्रेजुएट	१	१	
फतेहगढ़ की सरकारी डिहाइड्रेशन फैक्टरी का इन्चार्ज असिस्टेंट मैनेजर।	इण्टरमीडियेट			
फरुखाबाद के इलेक्ट्रिकल तथा मिकेनिकल इन्जीनियर			१	
फरुखाबाद की सरकारी डिहाइड्रेशन	श्रम विभाग में ब्वायलरों के इन्सपेक्टर के पद से पदोन्नति द्वारा	१		युद्ध-जनित असाधारण स्थिति के कारण यह अस्थायी नियुक्ति की गयी।
फैक्टरी का डिप्टी मैनेजर	एम० ए०, एल०-एल० बी०	१		
नान गजटेड कोआपरेटिव सोसाइटियों के रजिस्ट्रार का टेक्निकल तथा टान्सपोर्ट विषयक परामर्शदाता	इलेक्ट्रिकल तथा मिकेनिकल इन्जीनियरिंग सम्बन्धी अनुभव	१		
		६		
असिस्टेण्ट मैनेजर	उच्च शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें	३	३	
		९		
इन्सपेक्टर	शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें	४	५	

नौकरी का नाम	योग्यतायें	नियुक्तियों की संख्या		मामले जिनके सम्बन्ध में कमीशन का परामर्श नहीं लिया गया
		ग़ैर मुसलमान	मुसलमान	
आडीटर	योग्यता प्राप्त आडीटर	६		सब के सब विभाग के योग्यता प्राप्त आडीटर थे, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चुने गये थे।
		४	२	
रसज्ञ (केमिस्ट)	एम० एस-सी०	४		भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्लानिंग अफ़सर के परामर्श से नियुक्तियां की गई थीं।
		३	१	
लखनऊ तथा फतेहगढ़ के मेकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर	टेकिनकल स्कूलों में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति	२		
गोरखपुर लेबर (श्रम) डीपो के लिये देखरेख करने वाला (सुपरवाइजरी) अमला	कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है।	१,५१५		
		८३४	६८१	
		७—श्रम विभाग		
हेड असिस्टेण्ट प्रिंटिंग	एकाउन्टस तथा आधुनिक व्यावसायिक व्यवहार का ज्ञान	१	१५	यह पद गजटेड नहीं है।
कन्सीलिएशन आफ़िसर		२		पद अस्थायी है।
श्रम (लेबर) आफ़िसर		१		पदोन्नति द्वारा।

अनुसन्धान अफसर		१	
एकाउन्ट्स अफसर		१	
मजदूर संघों का असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार		१	
श्रमिकों के इन्सपेक्टर		६	पद अस्थायी है
लेब : असिस्टेंट्स		३	पदोन्नति द्वारा
		८—राजस्व (फाइनेन्स) विभाग	
रीजनल एकाउण्ट्स अफसर	हिसाब-किताब रखने व एकाउन्टेन्सी का ज्ञान।		इन पदों पर तुरन्त नियुक्तियां करना अति आवश्यक था। अतः पब्लिक सर्विस कमीशन का परामर्श लेने के लिये समय न था।
		३०३	
असिस्टेन्ट्स रीजनल एकाउण्ट्स अफसर असिस्टेन्स एकाउण्ट्स अफसर रीजनल के कार्यालयों में चीफ एकाउण्टेन्ट एकाउण्टेन्ट सीनियर तथा जूनियर एकाउण्ट्स क्लर्क।	हिसाब-किताब रखने के कार्य के सम्बन्ध में अनुभव ग्रेजुएट हाई स्कूल	२६६ ३४	
		६—पशुपालन विभाग	
		६	
फिशरीज डेवलपमेंट अफसर	एम० ए० पी०एच० डी०		पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा उपयुक्त व्यक्ति चुने जाने तक इन पदों पर अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं।
फिशरीज बायोलोजिस्ट		१	

नौकरी का नाम	योग्यतायें	नियुक्तियों की संख्या		मामले जिनके सम्बन्ध में कमीशन का परामर्श नहीं लिया गया
		गैर मुसलमान	मुसलमान	
गौशाला डेवलपमेंट अफ़सर	डेयरी का डिप्लोमा अथवा पशुचिकित्सा (वेटेरिनरी) अथवा कृषि का ग्र जुयेट	१		
कानपुर दूध सप्लाई योजना का डेयरी मैनेजर।	...	१		
रोग—निरूपण (इनवेस्टीगेशन) अफ़सर, संयुक्त प्रान्त	...	१		
घी डेवलपमेंट तथा मार्केटिंग अफ़सर।	...	१		
एकाउन्ट्स अफ़सर	एस० ए० एस० परीक्षा अथवा एकाउन्ट्स जनरल की डिविनज़ल टेस्ट परीक्षा पास	१		पब्लिक सर्विस कमीशन से इस पद के लिये एक उपयुक्त उम्मीदवार चुनने के लिये कहा गया था, किन्तु कमीशन को उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल सका।

		१०—सार्वजनिक निर्माण विभाग			
संयुक्त प्रान्तीय इंजीनियरिंग सर्विस द्वितीय श्रेणी भवन तथा सड़क शाखा	नियमानुसार निर्धारित	१२५	१२१	४	युद्धकाल में यह असाधारण पद घोषित किये गये थे।
संयुक्त प्रान्तीय इंजीनियरिंग सर्विस द्वितीय श्रेणी सिंचन शाखा	...	३१	३०	१	
संयुक्त प्रान्तीय इंजीनियरिंग सर्विस द्वितीय श्रेणी (जल विद्युत) सिंचन शाखा		१५	१५	०	
		११—शिक्षा (ख) विभाग			
सबार्डिनेट एजूकेशनल सर्विस गज़टेड में नार्मल स्कूलों के हेडमास्टर	ग्रेजुएट एल० टी० अथवा डिप्लोमा इन टीचिंग।	१७	१३	४	अस्थायी नियुक्तियां।
एस० एस० इ० एस० में असिस्टेंट मास्टर	पोस्ट ग्रेजुएट ...	२२	५	१७	
बनारस तथा आगरा के ट्रेनिंग कालेजों में लेक्चरार,		६	४	२	
ट्रेनिंग ग्रेजुयेटों के ग्रेड में असिस्टेण्ट मास्टर	ग्रेजुएट	२६	२०	६	

नौकरी का नाम	योग्यतायें	नियुक्तियों की संख्या		मामले जिनके सम्बन्ध में कमीशन का परामर्श नहीं लिया गया।
		गैर मुसलमान	मुसलमान	
देशी भाषाओं के अध्यापक तथा हिन्दी और संस्कृत	ट्रेन्ड ग्रेजुएट एल० टी० तथा वर्नाक्यूलर्स टीचर्स सर्टिफिकेट	५		अस्थायी नियुक्तियां
देशी भाषाओं के अध्यापक अरबी, फ़ारसी तथा उर्दू ।	...	४		
		१	३	
असिस्टेन्ट मास्टर शारीरिक शिक्षा	...	१४		अस्थायी
हैन्डीक्राफ्ट टीचर्स तथा असिस्टेन्ट हैन्डीक्राफ्ट टीचर्स	...	२		पदोन्नति द्वारा
	...	३		अस्थायी
असिस्टेंट अध्यापिका, ३०—२—४०—४—५२	हिन्दुस्तानी टीचर्स सर्टिफिकेट	१०		
		७	३	
असिस्टेन्ट अध्यापिका, १५—१—२५—१—३५	...	१		
		०	१	

बालिकाओं के लिये सरकारी हिन्दुस्तानी स्कूलों में असिस्टेंट अध्यापिका १५-१-३५ रु० के वेतनक्रम में	मिडिल का सर्टिफिकेट	१०		
		९	१	
संयुक्त प्रान्तीय शिक्षा सर्विस द्वितीय श्रेणी में स्कूलों के असिस्टेंट इन्सपेक्टर	पोस्ट ग्रेजुएट		१	
डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, गजटेड सबार्डिनेट ऐन्ड नेशनल सर्विस ।	ट्रेन्ड ग्रेजुएट		२	
सब डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स सबार्डिनेट एजूकेशनल सर्विस	..	१४		
		१०	४	
बालिकाओं के स्कूलों की असिस्टेंट इन्सपेक्ट्रेस सबार्डिनेट एजूकेशनल सर्विस ।	हाई स्कूल ई० टी० सी०	२		
कुल नियुक्तियां	...	२.३६३		
		१.५५२ अर्थात् ६५.६ प्रतिशत हिन्दू	८१२ अर्थात् ३४.४ प्रतिशत मुसलमान	

नत्थी 'घ'

(देखिये २९-३४-८ के स्टार्ड प्रश्न संख्या ११२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२ पर)

लड़कियों के गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद एवं लखनऊ के कर्मचारियों का विशेष विवरण—

नाम	योग्यता	वर्तमान वेतन	नौकरी की अवधि
लड़कियों का गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज़ इलाहाबाद			
१—श्रीमती जी० सी० जोशी प्रिन्सिपल।	एम० ए०, एल० टी० टीचर्स डिप्लोमा लन्दन	३२० रु०	८ वर्ष ७ मास
२—श्रीमती एस० त्रिपाठी वाइस प्रिन्सिपल	एम० ए०, एल० टी० गणित में विशेष योग्यता	२३० रु०	७ वर्ष ३ मास
३—श्रीमती के० नारायण लेक्चरार	एम० ए०, डी० टी० भूगोल में विशेष योग्यता	१५० रु०	६ वर्ष ३ मास
४—कुमारी सीरिया चौहान, लेक्चरार	एम० एस०, सी० एल० टी०	१५० रु०	२ वर्ष ८ मास
५—कुमारी एस० खान, लेक्चरार	बी० ए०, एल० टी०	१५० रु०	४ वर्ष १ मास
६—कुमारी राधावती सिंह, लेक्चरार	एम० ए०, एल० टी०	१५० रु०	१ वर्ष १ मास
७—कुमारी लीला ओलगापन्त, लेक्चरार	बी० ए०, एल० टी० बेसिक बुक क्रैफ्ट में विशेष योग्यता	११५ रु०	५ वर्ष ३ मास
८—कुमारी कमला चौधरी लेक्चरार	बी० ए०, एल० टी० बेसिक आर्ट में विशेष योग्यता।	१०० रु०	१ वर्ष १० मास
९—कुमारी सी पी० अरोरा, संगीत अध्यापिका	हाई स्कूल और इंटर संगीत में डिप्लोमा और संगीत प्रभाकर	४० रु०	१ वर्ष ३ मास

लड़कियों का गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ

नाम	योग्यता	वर्तमान वेतन	नौकरी की अवधि
१. कुमारी के० डी० खन्ना, लेडी प्रिन्सिपल	एम ए०, टी०डी०, लन्दन	४४० रु०	१७ वर्ष ३ मास
२. श्रीमती एस० त्रिपाठी वाइस प्रिंसिपल	एम० ए०, एल०टी०	२३० रु०	७ वर्ष ३ मास
३. कुमारी जेड खातून लेक्चरार	बी० एस-सी, एल-टी०	२०० रु०	३ वर्ष ४ मास
४. श्रीमती आर० कक्का	एम० ए०, एल-टी० एम० एडिनबरा	२०० रु०	३ वर्ष ४ मास
५. श्रीमती एन० स्टीफेन्स	एम० ए०, एल-टी०	२०० रु०	५ वर्ष ४ मास
६. कुमारी के० श्रीवास्तव	बी० ए०, एल.टी०	२०० रु०	४ वर्ष ३ मास
७. कुमारी इन्द्र जंग पगी	बी० ए०, एल-टी०	२०० रु०	४ वर्ष २ मास
८. कुमारी शान्ति देवी मिश्र	बी० ए०, एल-टी०	१२० रु०	३ मास
९. श्री बी० एन० श्रीवास्तव संगीत अध्यापक	बी० ए०, एल-टी०	५० रु०	१० मास

-:o:-

संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली की कार्यवाही

बुधवार, ३१ मार्च, सन् १९४८ ई०

असेम्बली की बैठक कौंसिल चेम्बर, लखनऊ, में ११ बजे दिन से आरम्भ हुई।

अध्यक्ष—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन

सदस्यों की सूची

उपस्थिति ([illegible])

अजित प्रसाद मिश्र	[illegible]
अजित प्रसाद जैन	[illegible]
अब्दुल हकीम अंसारी	[illegible]
अब्दुल बाकी	गजाधर प्रसाद
अब्दुल मजीद	गणपति सहाय
अब्दुल गनी, ख्वाजा	गिरधारीलाल, माननीय श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती	गोपाल नारायण सक्सेना
अब्दुल हमीद	गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
असरार अहमद	गोविन्द सहाय
अक्षयवर सिंह	गंगाधर
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री	गंगा प्रसाद
इन्द्रदेव त्रिपाठी	गंगा सहाय चौबे
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती	चतुर्भुज शर्मा
ईश्वर शरण	चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
उदयवीर सिंह	चन्द्रिकाराम
एजाज रसूल	चरण सिंह
कन्हैयालाल	चेतराम
कमलापति तिवारी	छेदालाल गुप्त
करीमुर्रजा खां	जगन्नाथ प्रसाद, उर्फ मन जगन
कालीचरण टण्डन	जगन्नाथ सिंह
कुंजबिहारीलाल शिवानी	जगन्नाथ बख्श सिंह
कृपाशंकर	जगन प्रसाद रावत
कृष्ण चन्द्र	जगमोहन सिंह नेगी
केशव गुप्त	जमशेद अली खां, मुहम्मद
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री	जमालुद्दीन अब्दुलवहाब

जवाहर लाल
ज़ाहिद हसन
ज़हूर अहमद
ज़ाकिर अली
जुगल किशोर
जै राम वर्मा
त्रिलोकी सिंह
दाऊ दयाल खन्ना
दामोदर दास
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु
ीप नारायण वर्मा
धर्मदास, एल्फ्रड
नफ़ीसुल हसन
नरेन्द्रदेव
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रागनारायण
परागीलाल
प्रेमकिशन खन्ना
फ़ज़लुल इस्लाम
फ़तेह सिंह राणा
फैन्थम, आर्चिबाल्ड जेम्स
फ़िलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल
फूल सिंह
फ़ैयाज़ अली
बदन सिंह
बंश गोपाल
बंशीधर मिश्र
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बलभद्र सिंह
बादशाह गुप्त
बिजयानन्द
बीरबल सिंह
बीरेन्द्र शाह
भगवानदीन मिश्र
भगवान सिंह
भारत सिंह
भीमसेन
मंगला प्रसाद
मलखान सिंह
मसुरिया दीन
महफ़ूज़ुर्रहमान
महमूद अली खां
महावीर त्यागी
मिजाजी लाल
मुकुन्द लाल अग्रवाल
मुकर्जी, विनय कुमार
मुज़फ्फर हसन, सैयद
मुहम्मद रजा खां
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इसहाक खां
मुहम्मद इस्माईल (मुरादाबाद)
मुहम्मद नबी
मुहम्मद फ़ारूक
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुकुल तिलक
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुबीर सहाय
रघुवंश नारायण सिंह
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन राय
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री
रामचन्द्र सेहरा
रामचन्द्र पालीवाल

रामधर मिश्र
रामजी सहाय
रामधारी पांडेय
रामनरेश सिंह
राम मूर्ति
राम शंकर लाल
रामशरण
राम स्वरूप गुप्त
रामेश्वर सहाय सिंह
रुक्नउद्दीन खां
रोशन ज़मां खां
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन
लाखन दास जाटव
लालबहादुर शास्त्री, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लुत्फ़ अली खां
लोटनराम
वर्मा, भुवनेश्वरी नारायण
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
विष्णु शरण दुबलिश
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकर दत्त पांडेय
शंकर दत्त शर्मा
शिव दयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिव मंगल सिंह
शिव मंगल सिंह कपूर
शौकत अली खां
श्याम लाल वर्मा
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द्र सिंघल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सर्वजीतलाल वर्मा
सरवत हुसैन
सलीम हामिद खां
साजिद हुसैन
सिद्धेश्वर प्रसाद
सिंहासन सिंह
सीताराम अष्ठाना
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सुल्तान आलम खां
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी
सैयद अहमद
हबीबुर्रहमान खां
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हरगोविन्द पन्त
हरप्रसाद सत्यप्रेमी
हरप्रसाद सिंह
हरिश्चन्द्र बाजपेयी
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल

नोट—माननीय अर्थ सचिव श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३१ मार्च, सन् १९४८ ई०

ताराङ्कित प्रश्न

पुलिस विभाग में परिगणित जातियों का प्रतिशत

*१—श्री सुदामा प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि आया उसने कोई ऐसा आदेश जारी किया कि पुलिस की नौकरी में कम-से-कम १० फीसदी जगह परिगणित जाति के लिए रक्खी जायें ? यदि हां, तो कब ?

*२—इस आदेश के जारी होने के बाद कितने आदमी परिगणित जाति के पुलिस में भर्ती किये गये ?

*३—किन किन जिलों के पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टों ने इस आदेश का पालन किया ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लाल बहादुर)—सरकार को दुःख है कि जनता के हित में यह मुनासिब नहीं है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती इत्यादि के सम्बन्ध में साम्प्रदायिक बातों को उठाने वाले प्रश्नों का उत्तर दिया जाय। सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति पहले ही से स्पष्ट शब्दों में निर्धारित कर चुकी है। उसको इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना है।

*४—श्री रामचन्द्र सेहरा (अनुपस्थित)—क्या सरकार हरिजन जाति के लोगों की, जो पुलिस में भर्ती हुए हैं, जिलेवार तादाद बताने की कृपा करेगी ?

माननीय पुलिस सचिव—सरकार को दुःख है कि जनता के हित में यह मुनासिब नहीं है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती इत्यादि के सम्बन्ध में साम्प्रदायिक बातों को उठाने वाले प्रश्नों का उत्तर दिया जाय। सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। उसको इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना है।

*५-६—श्री शीतला प्रसाद सिंह [स्थगित किये गये]

जिला आजमगढ़ के कुछ गाँवों में मुसलमानों के घरों की तलाशी

*७—श्री अब्दुल बाकी—क्या हुकूमत को यह इत्तला है कि मौजा गोडियह, हलका कोतवाली शहर आजमगढ़ के मुल्हकह मवाजियात मसलन बलनाडियह वगैरह के हिन्दू कुर्बानी के दिन गोडियह के मुसलमानों को लूटना चाहते थे मगर कोतवाल के इन्तजाम की वजह से फसाद नहीं हुआ ?

माननीय पुलिस सचिव—सरकार को सूचना मिली है कि यह गलत है कि गोडियह गांव के मुसलमानों को आस-पास के गांवों के हिन्दू पिछले बकरीद के दिन लूटना चाहते थे।

*८—श्री अब्दुल बाकी—क्या हुकूमत को इत्तला है कि किसी हिन्दू के घर हथियार की तलाशी नहीं हुई और गोडियह और डगडवा के मुसलमानों के घरों में पुलिस ने हथियार की तलाशी की ?

माननीय पुलिस सचिव--यह गलत है कि केवल मुसलमानों के घरों की तलाशियां ली गयी। गोडियह में मुसलमानों के घरों की तलाशी में नाजायज हथियार बरामद हुए।

श्री अब्दुल वाकी--क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि मौजा गोडियह और डगडवा में या उसके आस-पास किसी ऐसे घर की तलाशी हुई जो गैरमुस्लिम था?

माननीय पुलिस सचिव--किसी खास गांव की तो नहीं मगर आजमगढ़ शहर में बाल्मीकि उपाध्याय की तलाशी हुई।

श्री अब्दुल वाकी--यह जो कहा गया है कि मौजा गोडियह और डगडवा में तलाशी हुई और नाजायज असलहा निकले तो क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि कौन कौन से असलहा बरामद हुए?

माननीय पुलिस सचिव--भाला, तलवार और दूसरे असलहा मिले।

श्री अब्दुल वाकी--और दूसरे हथियार जो बताये गये, क्या उनकी तफसील भी मालूम हो सकेगी?

माननीय पुलिस सचिव--अगर आप पूछना चाहेंगे तो दरियाफ्त कर के बताया जा सकता है।

९--श्री अब्दुल वाकी--क्या हुकूमत को यह खबर है कि पुलिस ने गोडियह और डगडवा में हथियार की जो तलाशी ली वह हाकिम परगना और डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट की बिला इजाजत के किया? इसकी क्या वजह थी?

माननीय पुलिस सचिव--हल्का इन्सपेक्टर ने डगडवा और गोडियह गांवों में हथियारों के लिए तलाशी आर्म्स ऐक्ट के १७८ (२) नियम के अन्तर्गत ली. डी. एम. या एस. डी. एम. की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी?

१०--श्री अब्दुल वाकी--क्या हुकूमत को मालूम है कि बकरीद के दिन करीब पन्द्रह हजार हिन्दू जमा हुए और मौजा गाडियह, इलाका थाना मऊ, जिला आजमगढ़ के मुसलमानों को भैंसा की कुर्बानी से जबर्दस्ती रोक दिया और कोई कुर्बानी नहीं हुई?

माननीय पुलिस सचिव--पिछले बकरीद के दिन ग्राम रेकवारडीह थाना मऊ में हिन्दू बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे लेकिन यह असत्य है कि हिन्दुओं ने बल-पूर्वक मुसलमानों को भैंसे की कुर्बानी करने से रोका। वास्तव में मुसलमानों ने खुद ही किसी तरह की कुरबानी न करने का निश्चय कर लिया था। हिन्दुओं के इकट्ठा होने का कारण यह था कि बकरीद के एक दिन पहले मुसलमानों ने अपने लिए डर प्रकट किया था, इस पर एक आर्म-गार्ड वहां भेज दिया गया था। उस गार्ड के पहुँचने से आस-पास के हिंदुओं को यह भ्रम हुआ कि गार्ड के बल पर कुरबानी की जायेगी। इस पर वह लोग इकट्ठा हो गये मगर जब उनको यह बता दिया गया कि कुरबानी न करने का फैसला मुसलमान खुद ही कर चुके हैं तो हिंदू लौट गये।

श्री अब्दुल वाकी--क्या यह गवर्नमेन्ट बतलायेगी कि जहां जो लोग इकट्ठे हो गये थे, गोडियह में उनके इकट्ठा करने के कौन आदमी वायस थे ?

माननीय पुलिस सचिव--इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री अब्दुल वाकी--क्या गवर्नमेंट को यह खबर है कि किसी जानवर की कुर्बानी मुसलमानों को करना जरूरी है ?

माननीय पुलिस सचिव--हां, लेकिन अगर मुसलमान फैसला करें कि कुर्बानी नहीं करेंगे तो उसका जवाब बिल्कुल साफ है और उसे आप भी महसूस करेंगे।

श्री अब्दुल वाकी--क्या गवर्नमेंट यह बतायेगी कि इन लोगों ने जो कुर्बानी तर्क की यह मजबूरी की वजह से या खुशी से ?

माननीय पुलिस सचिव--मैं समझता हूं कि आनरेबिल मेम्बर को यह मालूम होगा कि यहां पर मुस्लिम लीग के लीडरान ने फैसला किया था और बखुशी किया था कि हमारे आपस के ताल्लुकात अच्छे हों इस लिए कुर्बानी रोक दी जाय। यही फैसला वहां के मुसलमानों ने किया, यह आप सब को अच्छी तरह से मालूम होगा।

श्री अब्दुल बाकी--क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि कुर्बानी वहां गाय की नहीं होती थी बल्कि बकरी या भैंसे की हुआ करती थी ?

माननीय पुलिस सचिव--यह तो जवाब में लिखा ही है।

श्री शिव मंगल सिंह कपूर--क्या यह सच है कि गोडियह के मुसलमान एक परिगणित जाति की लड़की को छुपाकर रखे हुए थे और इसी सिलसिले में वहां आदमी इकट्ठे हुए थे ?

माननीय पुलिस सचिव--इसकी तो खास इत्तिला नहीं है। मगर मुसलमानों को अन्देशा हमले का था इस वजह से, और इसके अलावा ऐसी इत्तिला दी गयी कि गार्ड वहां पहुंच गया था, हिन्दुओं ने समझा कि जबरदस्ती कुर्बानी होगी, यही गड़बड़ी हुई।

*११--श्री अब्दुल वाकी--क्या हुकूमत ने उन हिन्दुओं के खिलाफ कोई कार्यवाही की जो इस नाजाएज मजमे के बानी थे ?

माननीय पुलिस सचिव--यह प्रश्न नहीं उठता।

सूत के बदले में कपड़े का वापस करना

*१२--श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)--क्या यह गवर्नमेंट को मालूम है कि बनारस की काटन यार्न कमेटी ने यह तै किया है कि आइन्दा सूत उन्हीं बिनने वालों को दिया जाये जो सूत के बदले में कपड़ा वापस करें ?

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--जी हां।

*१३--श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी फरमा कर बताएगी कि इस फैसले के खिलाफ बनारस के सूती बिनने वालों की कोई दरख्वास्त इसके पास पहुँची है ? और अगर है, तो गवर्नमेंट इस मामले में क्या फैसला करना चाहती है ?

तारांकित प्रश्न १२ से १४ तक श्री मुहम्मद शकूर ने पूछे

माननीय अन्न सचिव --जी हां, अब यह योजना इस प्रकार संशोधित की गयी है कि जो जुलाहे अपने कुटुम्ब वालों के परिश्रम से कपड़ा तैयार करते हैं उन्हें तैयार किया हुआ कपड़ा रजिस्टर्ड नहीं करना होगा। जिले के जुलाहों के समस्त संगठन इस योजना से सहमत हैं।

*१४--श्री मुहम्मद नज़ीर (अनुपस्थित)--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके इस सूबे के उन जिलों का नाम बताएगी जहां यह तरीका मुकम्मल तौर पर राएज है?

माननीय अन्न सचिव--यह योजना केवल प्रयोगात्मक रूप से बनारस में चालू की गयी है।

*१५--श्री भीमसेन --[स्थगित किया गया]

गोरखपुर जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त गाँवों को बीज देना

*१६--श्री सुदामा प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस साल गोरखपुर जिले में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी?

माननीय माल सचिव (श्री हुकुम सिंह)--जी हां।

*१७--श्री सुदामा प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस बाढ़ ने कितने गांवों को क्षति पहुँची थी?

माननीय माल सचिव--बाढ़ का प्रभाव १०५६ गावों पर पड़ा।

*१८--श्री सुदामा प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि सरकार ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त गांवों को गल्ला भेजा था क्योंकि इन गांवों की बाढ़ क्षति के अतिरिक्त गत रबी फस्ल भी खराब हो गयी थी?

माननीय माल सचिव--जी हां।

*१९--श्री सुदामा प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि जिले के अधिकारियों ने बाढ़-पीड़ित गांवों को बीज देने का आश्वासन दिया था और उसी सम्बन्ध में बीज का एक नकशा भी बनाया था?

माननीय माल सचिव--जी हां।

श्री रामजी सहाय--क्या सरकार ने कोई सहायता बाढ़-पीड़ित क्षेत्र को ग्रेजुइटी स्वरूप में भी प्रदान की है?

माननीय माल सचिव--बहुत कुछ रिलीफ दिया गया। आस्टेरिटी प्राविजन भी वहां अप्लाई किया गया और काफी तादाद में गल्ला भी बांटा गया और कुछ बीज भी बांटे गये।

*२०--श्री सुदामा प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि ठीक बीज बोने के समय सरकार ने बीज देने से इन्कार कर दिया?

माननीय माल सचिव--जी नहीं।

*२१--श्री सुदामा प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि बाढ़ पीड़ित गांवों के किसान बीज न मिलने के कारण बहुत परेशान हैं और उनके बहुत से खेत बिना बोये रह गये?

---

*तारांकित प्रश्न १६ से २१ तक श्री रामजी सहाय ने पूछे।

माननीय माल सचिव--कोई खेत बिना बोया नहीं रहा यद्यपि किसानों को स्थानीय तौर पर बीज पाने में कुछ कठिनाई हुई।

श्री रामजी सहाय--क्या सरकार को ज्ञात है कि यह सहायता उपयुक्त समय पर न देकर फरवरी महीने में की गयी है?

माननीय माल सचिव--महीना तो मुझे याद नहीं लेकिन हां कुछ देरी जरूर हुई।

श्री खानचन्द गौतम--क्या गवर्नमेंट के पास वह नकशा आ गया है जिसके अनुसार यह दर्ज हो कि उस तमाम इलाके में किन-किन खेतों में क्या-क्या बोया गया है और कितने खेतों में बोया गया है?

माननीय माल सचिव--वह नकशा नहीं आया।

*२२-२३--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--[वापस लिए गये]

१९४२ के आंदोलन में भाग लेने वाले जौनपुर जिले के लोगों को मुआवजा

*२४--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार जौनपुर जिले के उन व्यक्तियों की एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी जिनको सन् १९४२ ई० के आन्दोलन में नुकसानों का मुआवजा दिलाया गया हो मय उस रकम के जो उनको दिलाई गई हो?

माननीय पुलिस सचिव--प्रश्न में पूछी गई सूचना मेरी मेज पर रक्खी हुई सूची में दी हुई है और माननीय सदस्य उसे देख सकते हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय सचिव कृपा करके इस सूची की एक प्रति प्रश्नकर्ता को भी देंगे?

माननीय पुलिस सचिव--वह सूची बहुत लम्बी-चौड़ी है, नकल करना बेकार होगा। उसे आप देख सकते हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह जानती है कि कुल कितना रुपया दिया गया है जौनपुर जिले में?

माननीय पुलिस सचिव--जब पूरी सूची आपके सामने होगी तो आप उसमें सब कुछ देख सकते हैं, पूरी रकम भी देख सकते हैं।

युक्त प्रांत में युद्ध का चन्दा

*२५--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--(क) पिछली सरकार ने लड़ाई के लिए सूबे भर से चन्दे की कुल कितनी रकम वसूल की थी?

(ख) सरकार ने उस रुपये के बारे में क्या निश्चय किया है?

माननीय अर्थ सचिव (श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल) (क) लड़ाई के काम के लिए सरकार ने कोई चन्दा वसूल नहीं किया था पिछले गवर्नरों ने लड़ाई के काम के लिए कुछ चन्दे वसूल कराये थे, परन्तु शासनाधिकार बदले जाने से पहले ही उन फण्डों के कागज-पत्रों में से अधिकांश गवर्नर के कार्यालय में नष्ट कर दिये गये।

(ग) लड़ाई के काम के लिए सरकार द्वारा इकट्ठा किये गये किसी चन्दे को काम में लाने का प्रश्न नहीं उठता।

जिलों से पूछ-ताछ की जा रही है कि गवर्नर या जिलाधीशों द्वारा जमा किये

गये फण्डों में से कुछ रुपये और बचा हुआ है। उन बचे हुए रुपये को काम में लाने के सम्बन्ध में सरकार मुनासिब समय आने पर तै करेगी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फण्ड की कोई रकम बाकी है या सब रकमें जिस तरह से कागज-पत्र नष्ट कर दिये गये, वह भी नष्ट कर दी गई।

माननीय अर्थ सचिव—मैंने अभी इत्तला दी कि रकमों के बारे में जिलाधीशों से पूछा गया है कि उनके पास कोई रकम बाकी है या नहीं। उनका जवाब आने पर मालूम हो सकता है।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या यह सही है कि भूतपूर्व अर्थ मंत्री की आज्ञा से यह रकमें जिलाधीशों ने कुछ लोगों की कमेटी बना कर बांट दीं?

माननीय अर्थ सचिव—जहां तक मेरी इत्तला है ऐसा नहीं। आपका ख्याल शायद कलेक्टिव फाइन वगैरह के बारे में हो। उसका इससे कोई तात्लुक नहीं है।

*२८-२९—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य [वापस लिए गये]

ग्राम पंचायतें बनाने के संबन्ध में सरकारी कार्रवाई

*३०—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—(क) ग्राम पंचायतों के बनाने के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है?

(ख) पूरे सूबे में कब तक पंचायतों के बन जाने की आशा है?

माननीय स्थानिक स्वाशासन सचिव के सभा मन्त्री (श्री चरण सिंह)—(क) जिलाधीशों को गांव सभाओं के बनाने, गांवों की जन-गणना करने और सदस्यों के रजिस्टर तैयार करवाने के बाबत आवश्यक आदेश दिये जा चुके हैं। उपर्युक्त कार्य प्रगोन्नति पर हैं।

(ख) आगामी जून तक ऐसी आशा की जाती है।

खुर्जा में मरदाना अस्पताल बनाने के लिए जमीन की प्राप्ति

*३१—श्री भीमसेन—क्या सरकार खुर्जे में मरदाने अस्पताल बनाने के लिए जमीन प्राप्त कर रही है?

श्री चरण सिंह—जी हां।

श्री बलभद्र सिंह—क्या सरकार यह बता सकेगी कि यह जमीन कब तक ले ली जायेगी?

श्री चरण सिंह—मुकामी अफसरान को हिदायत दी गई है कि बहुत जल्द कार्यवाही की जाय।

*३२—श्री भीमसेन—यदि हां, तो कितनी जमीन इस काम के लिए ली जा रही है?

श्री चरण सिंह—२१ बीघा १० बिस्वा।

श्री भीमसेन—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो २१ बीघा १० बिस्वा जमीन ली जा रही है उससे कम जमीन लेने में सरकार को कोई बाधा है?

श्री चरण सिंह—जितनी जमीन ली जा रही है उतनी की ही जरूरत है।

*३३—श्री भीमसेन—क्या इस सिलसिले में गरीब कोरियों तथा पासियों की झोपड़ियां ली जा रही हैं?

श्री चरण सिंह--कुछ कोरियों तथा पासियों की झोपड़ियां इस जमीन पर आ जाती हैं।

श्री भीमसेन--तो क्या सरकार ने इन कोरियों और पासियों की झोपड़ियों को हटाना मन्जूर किया है?

श्री चरण सिंह--जब सरकार ने सार्वजनिक हित के लिए अस्पताल बनाना मन्जूर किया है तो उन बेचारों की झोपड़ियों को मजबूरन हटायेगी ही।

श्री बलभद्र सिंह--यह जो झोपड़ियां हटाई जा रही हैं क्या उन लोगों के लिए मुआवजे की शक्ल में कोई मकान वगैरह बनवाने का गवर्नमेंट इन्तजाम कर रही है?

श्री चरण सिंह--मकान बनवाने का इंतजाम तो नहीं कर रही है लेकिन मुआवजा जरूर दिया जायगा।

श्री खान चन्द गौतम--क्या गवर्नमेंट बतलाने की कृपा करेगी कि जमीन को हासिल करने की कार्यवाही कब से शुरू हुई है?

श्री चरण सिंह--इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री महावीर त्यागी--क्या गवर्नमेंट इन झोपड़ियों के हटाने के बाद उन झोपड़ियों में रहने वालों को दूसरी जगह बसाने का इन्तजाम कर रही है?

श्री चरण सिंह--गवर्नमेंट जब सार्वजनिक कार्य के लिए जमीन लेती है तो जिन लोगों की जमीनें ली जाती हैं उनके लिए इन्तजाम करने के लिए बाध्य नहीं है। कानूनन उसको अधिकार है कि वह सार्वजनिक कार्य के लिए कोई भी जमीन ले सकती है। लेकिन इसके साथ ही मुकामी हुक्कामान को हिदायत दे दी जा सकती है कि वे जहां तक हो सके उनको दूसरी जमीन हासिल करने में प्राइवेट तरीके से इमदाद पहुंचावें।

श्री महावीर त्यागी--जब तक दूसरी जगह झोपड़ियों के बनने का इन्तजाम होता है उस वक्त तक क्या गवर्नमेंट उनको उसी पुरानी जमीन में बने रहने देगी?

श्री चरण सिंह--यह अस्पताल के नक्शे पर है। जिधर वे बसे हुए हैं अगर उधर ही अस्पताल बनाना जरूरी हुआ तो उधर ही शुरू होगा। लेकिन यह सिविल सर्जन और पी. डब्लू. डी. के दूसरे अधिकारियों को यह हिदायत दे दी गई है कि जहां तक हो सके उनकी झोपड़ियों को सब से बाद में हटाया जाय।

*३४--श्री भीमसेन--क्या सरकार यह जानती है कि इन लोगों के पास रहने के लिए और कोई स्थान नहीं है और आबादी के करीब इनको और कोई अच्छी तथा सस्ती जगह मिलनी मुश्किल है?

श्री चरण सिंह--इन लोगों को खुर्जा के पास ही जगह मिल जाना सम्भव है।

श्री बलभद्र सिंह--यह सरकार की तरफ से बताया गया है कि उनका प्रबन्ध किया जायगा तो क्या उनके लिए भूमि आदि का प्रबन्ध सरकार की तरफ से किया जायगा या वे स्वयं ही करेंगे।

श्री चरण सिंह--यह नहीं कहा गया है कि सरकार की तरफ से प्रबन्ध किया जायगा। यह आशा है कि उन्हें भूमि मिल सकती है।

थाना रौनापुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ में फसल काटने की वारदातें

*३५--श्री अब्दुल बाकी--क्या गवर्नमेंट को इत्तिला है कि थाना रौनापुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के इलाके में फसल कटने की वारदात बहुत ज्यादा हो रही है?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां।

*३६--श्री अब्दुल बाकी--क्या फसलों के काटनेका वाक्या सही है, तो गवर्नमेंट ने उनके रोकने का क्या इन्तजाम किया है या करना चाहती है?

माननीय पुलिस सचिव--आजमगढ़ तथा आस-पास के जिलों मे फसल कटन की वारदात रोकने के लिए खास प्रबन्ध किया गया। आजमगढ़ जिले मे एक (फ्लाइंग-पुलिस स्क्वएड) पुलिस का एक विशेष जत्था एक सरकिल इन्सपेक्टर के आधीन इसी काम के लिए अलग कर दिया गया है। इस इन्तजाम की कामयाबी इससे जाहिर होती है कि पिछले तीन महीनों के अन्दर आजमगढ़ जिले मे फसल कटने की १०२ वारदातों की रिपोर्ट दर्ज हुई और इनमे ५५ चालान हुए और ३१ वारदातों की जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध मे १६४ आदमी गिरफ्तार किये गये। इसके अलावा दंड विधान संग्रह की दफा १०७।११७ के अन्दर ६३६ आदमियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिन आदमियों का चालान किया गया उनमें से कितने सजायाब हुए?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां। कुछ के खिलाफ कार्यवाही हुई है और जांच हो रही है इस वक्त ठीक पता नहीं है कि कितने को सजा हुई है।

*३७-४०--श्री राधा मोहन सिंह (अनुपस्थित)--[स्थगित किये गये]

सन् १९४६ ई० में जिला बलिया से चोरी से बाहर भेजे गये तेल के सम्बन्धमें पूछताछ

*४१--श्री राधामोहन सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि जिला बलिया मे सन १९४६ ई० मे चोरी से बहुत सा तेल वगैरह बाहर भेजा गया? सरकार ने इसके मुताल्लिक क्या कार्यवाही की?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां। स्थानीय पुलिस तथा एण्टी स्मगिलग सप्लाई इंस्पेक्टरों की सहायता से बलिया जिला से सरसों के तेल तथा अन्य नियंत्रित पदार्थो की चोरी रोकने के लिए हर-एक कोशिश की गयी। लश-मात्र शंका मे भी व्यापारियों के लाइसेन्स रद्द कर दिये गये एवं चोरी के अभियोग मे पकड़े गये व्यक्तियों को उचित दण्ड दिया गया।

*४२-४५--श्री राधामोहन सिंह (अनुपस्थित)--[स्थगित किये गय]

रसड़ा, जिला बलिया में दुकानों की जाँच

*४६--श्री राधामोहन सिंह (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार को मालूम है कि ५ जुलाई को बलिया जिले में रसड़ा की एक दूकान की जांच हुई थी?

(ख) क्या यह सच है कि ४०० गज कपड़ा कम मिला था?

(ग) क्या यह सच है कि उक्त दूकान से तहसीलदार साहब, रसड़ा, बिना परमिट के ११२½ गज कपड़ा ले गये थ?

(घ) क्या यह सच है कि कुल मामला नायब जिला सप्लाई अफसर ने पकड़ा था? उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की ? यदि कोई नहीं, तो क्यों नहीं ?

माननीय अन्न सचिव--(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, तहसीलदार ने यह सोच कर कपड़ा ले लिया था कि एक विशेष परमिट अनुमति पत्र मिल ही जायगा, और बाद में उनके स्थान पर होने वाले एक विवाह के सम्बन्ध में उनका यह परमिट मिल भी गया था।

(घ) जी हां। उस फुटकर व्यापारी का लाइसेन्स रद्द कर दिया गया।

*४७--श्री राधामोहन सिंह (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार को मालूम है कि तारीख २२ जून को रसड़ा की एक दूकान से ८५ बोरा नमक पकड़ा गया था ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गयी ?

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त नमक को तहसीलदार रसड़ा ने अपने लिखित आर्डर द्वारा ४ पैसे सेर के बजाय तेरह पैसे सेर बेचने की इजाजत दी थी ?

माननीय अन्न सचिव--(क) जी हां। क्योंकि वह डिनेचर्ड (कच्चा) नमक था जो कि चमड़ों व खाल के काम के लिए था और नियंत्रित नमक नहीं था इस कारण तहसीलदार ने उसे बाजार में स्वतन्त्रता से बेचे जाने की आज्ञा दे दी।

(ख) जी हां। उसके पश्चात् मूल्य बदल कर १ आना प्रति सेर कर दिया गया।

मैनपुरी में गर्ल्स नार्मल स्कूल की आवश्यकता

*४८--श्री गजाधर प्रसाद--क्या गवर्नमेंट मैनपुरी में गर्ल्स नार्मल स्कूल खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

माननीय शिक्षा सचिव के सभा मन्त्री (श्री महफूजुर्रहमान)--(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) मैनपुरी की लड़कियां आगरा-बदायूं के गर्ल्स नार्मल स्कूलों में भर्ती की जाती हैं और यह काफी है।

*४९--श्री गजाधर प्रसाद--क्या गवर्नमेंट को पता है कि मैनपुरी, एटा, इटावा और फर्रुखाबाद में गर्ल्स नार्मल स्कूल नहीं है ?

श्री महफूजुर्रहमान--जी हां

*५०-५१--श्री गजाधर प्रसाद--[स्थगित किये गये]

झाँसी जिले में बुनकरों और करघों की संख्या तथा सूत का वितरण

*५२--श्री कुंज बिहारीलाल शिवानी--झांसी जिले में बुनकरों की क्या संख्या है और वहां कितने करघे हैं ?

माननीय अन्न सचिव--१९,९४८ बुनकर ६,९१५ करघे।

श्री कुंज बिहारीलाल शिवानी--क्या सरकार को मालूम है कि एक करघ पर काम करने के लिए कितने बण्डलों की आवश्यकता होती है ?

माननीय अन्न सचिव--सूत का जो वितरण अब तक रहा है वह काफी

संतोषजनक नहीं है उसका जिक्र इन उत्तरों में बता दिया। माननीय सदस्य इत्तला चाहते हैं तो मैं उनसे कह सकता हूँ कि जितना सूत सरकार की ओर से दिया जाता है वह काफी होता है और उससे अधिक सूत की आवश्यकता नहीं होती है।

*५३—श्री कुंज बिहारीलाल शिवानी—सरकार ने प्रति करघे के लिए कितना सूत प्रति मास देने का प्रबन्ध किया है?

माननीय अन्न सचिव—मई सन १९४७ ई० तक प्रतिमास प्रति करघा २ बण्डल दिया जाता था लेकिन अब चूंकि करघों की संख्या बढ़ गयी है इस लिए औसत घट कर केवल १ बण्डल प्रतिमास हो गया है।

*५४—श्री कुंज बिहारीलाल शिवानी—झांसी जिले में पिछले ६ महीनों में कितनी सूत की गांठें आईं और कितनी गांठें बुनकरों को बांटी गयीं?

माननीय अन्न सचिव—

मास	गांठ जो आयीं	गांठ जो बांटी गयीं
अगस्त १९४७ ई०	३१६	२३९
सितम्बर १९४७ ई०	२५२	२७२
अक्टूबर " "	१०६ ११२	१६३
नवम्बर " "	१८७	१९४
दिसम्बर " "	१४१	१७९
जनवरी १९४८ ई०	२९३	१६७

*५५—श्री कुंज बिहारीलाल शिवानी—क्या सरकार को विदित है कि जितना सूत प्रति मास झांसी जिले में आता है वह प्रति करघे पर २ बण्डल प्रति मास के हिसाब से भी काफी नहीं होता?

माननीय अन्न सचिव—जी हां।

श्री महावीर त्यागी—झांसी और दूसरे जिलों में जो सूत दिया जाता है उसका बटवारा किस आधार पर किया जाता है?

माननीय अन्न सचिव—सूत का बँटवारा तो बुनकरों की संख्या के हिसाब से जो सन १९४२ में इकट्ठी की गयी थी उसी के अनुपात से होता है। वह संख्या जो इकट्ठी की गयी थी उससे अब वह बढ़ गयी है। जितने सूत की उन बुनकरों को जरूरत होती है उतना उनको प्राप्त नहीं होता। मैं समझता हूँ कि सूत का कन्ट्रोल हट जायगा तो सूत के वितरण का जो सवाल है उससे सरकार अपना हाथ खींच लेगी और सूत के वितरण की जो समस्या है, इसमें जो दिक्कतें हैं वे पैदा नहीं होंगी।

*५६—श्री कुंज बिहारीलाल शिवानी—आज कल यह सूत क्या कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा वितरण किया जाता है?

माननीय अन्न सचिव—हां। कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल फेडरेशन के द्वारा सूत आता है और बांटा जाता है।

श्री कुंज बिहारीलाल शिवानी—क्या सरकार को मालूम है कि कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के बजाय बुनकरों ने दरख्वास्त दी है कि उनको पुराने व्यापारियों के जरिये सूत वितरण किया जाय?

माननीय अन्न सचिव--जब कण्ट्रोल सूत का हट जायगा तब किस तरह से सूत बांटा जाय यह सवाल उठता ही नहीं।

*५७--श्री कुंज बिहारीलाल शिवानी--क्या सरकार को यह मालूम है कि आस-पास के जिलों और रियासतों से झांसी जिले में आकर बहुत ज्यादा सूत चोर-बाजारी से बिकता है?

माननीय अन्न सचिव--सरकार को इसका ठीक पता नहीं है।

श्री कुंज बिहारीलाल शिवानी--क्या सरकार को मालूम है कि झांसी के आस-पास के जिले और रियासतों में अधिक सूत जाता है और वहां की आवश्यकता से अधिक होने के कारण वहां से आकर झांसी में ब्लैक मार्केटिंग में बेचा जाता है।

माननीय अन्न सचिव--रियासतों को जो सूत मिलता है उसका वितरण हमारे द्वारा नहीं होता। यदि वहां पर सूत अधिक मात्रा में वहां के हिसाब से मिलता है तो टेक्सटाइल कमिश्नर अपनी आज्ञा से उनको सूत देता है और वह सूत यहां पर आकर बेंचा जाता है।

*५८--श्री कुंज बिहारीलाल शिवानी--क्या सरकार झांसी जिले में अधिक सूत प्रतिमास भेजने का प्रबन्ध करने पर विचार कर रही है?

माननीय अन्न सचिव-- जी नहीं। क्योंकि ऐसा करने से दूसरे जिलों के सूत के कोटे में कमी करनी होगी जो उचित नहीं है।

*५९--श्री कुंज बिहारीलाल शिवानी--क्या सरकार को यह मालूम है कि जब से कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ने बुनकरों को सूत बेचना शुरू किया है तब से बुनकरों को ।) से लेकर ।।।) प्रति बण्डल तक अधिक दाम देना पड़ता है?

माननीय अन्न सचिव--फेडरेशन सिर्फ उतना ही दाम लेता है जितना कि कानून के अनुसार उचित होता है।

श्री कुंज बिहारीलाल शिवानी--क्या यह फेडरेशन जो कानून के अनुसार उचित दाम मुकर्रर किया गया है, उस दाम से जो पहले सूत के व्यापारी बुनकरों से लिया करते थे चार आने से लेकर बारह आने तक फी बंडल अधिक दाम लेता है?

माननीय अन्न सचिव--हमारे पास सरकारी तौर पर इसकी कोई इत्तिला नहीं है। माननीय सदस्य से जब मैं दस-बारह रोज पहले मिला था तो उन्हीं से मुझे यह इत्तिला मिली थी कि शायद फेडरेशन वहां पर चार आने से १२ आने तक फी बण्डल अधिक दाम लेता है। इस बात की सूचना हमने फिर वहां से मंगाई है और माननीय सदस्य को वह सूचना आने पर दे दी जायगी।

देहाती क्षेत्रों में सीमेंट दिये जाने की व्यवस्था से असन्तोष

*६०--श्री राजाराम मिश्र--क्या सरकार जानती है कि इस प्रांत के देहाती क्षेत्रों के अन्दर सीमेंट दिये जाने की व्यवस्था से यहां की जनता में असन्तोष फैला हुआ है?

माननीय अन्न सचिव--जी हां।

*६१--श्री राजाराम मिश्र--क्या यह सत्य है कि कानपुर में सीमेंट के "परमिट" दिये जाने में भ्रष्टाचार और घूसखोरी प्रचलित है? यदि हां, तो क्या सरकार इस भ्रष्टाचार को दूर करने का यथेष्ट प्रबन्ध कर रही है?

माननीय अन्न सचिव--कोई खास शिकायतें नहीं की गई हैं परन्तु भ्रष्टाचार रोकने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न किया जा रहा है।

*६२--श्री राजाराम मिश्र--क्या यह सही है कि शहरी रकबे के अन्दर सीमेंट के "परमिट" दिये जाने के कुछ अधिकार सरकार ने जिले के मैजिस्ट्रेटों तथा सप्लाई आफिसरों को दिये हैं? यदि हां, तो क्या वह अधिकार सरकार प्रांत के देहाती क्षेत्रों के अन्दर सीमेंट के परमिट दिये जाने के विषय में जिला मैजिस्ट्रेटों और सप्लाई आफिसरों को देने के लिए विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

माननीय अन्न सचिव-- जी हां। सीमेंट के लिए परमिट जारी करने के सम्बन्ध में देहात और शहर में कोई भेद नहीं किया जाता।

श्री राजाराम मिश्र--देहाती और शहरी रकबे के अन्दर सीमेंट किस अनुपात से दिया जाता है?

माननीय अन्न सचिव-- सीमेंट का कण्ट्रोल प्रांतीय सरकार के द्वारा नहीं होता है। सीमेंट का वितरण गवर्नमेंट आफ इंडिया के नियुक्त किये हुये कण्ट्रोलर आफिसर के द्वारा होता है। इस लिए अनुपात का सवाल ही नहीं उठता।

श्री राजाराम मिश्र--क्या सरकार जानती है कि देहाती रकबे के अन्दर सीमेंट के लिए परमिट देने की दरख्वास्त सीधे कानपुर जिले को भेजी जाती है?

माननीय अन्न सचिव--अक्सर जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया है कि सीमेंट का वितरण कंट्रोलर के द्वारा होता है। जो कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से नियुक्त होता है। कल ही केन्द्रीय सरकार से यह आज्ञा प्रान्तीय सरकार को मिली है कि अब वितरण प्रांतीय सरकार द्वारा हुआ करेगा। कल ही प्रान्तीय सरकार ने उसके लिए एक कमेटी बनाई जिसमें सीमेंट के व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले आदमी भी रखे गये हैं। उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी कि कोई ऐसा तरीका सीमेंट के वितरण का निकाला जाय और उम्मीद है कि अगले महीने से वह स्कीम चालू हो जायगी। आशा की जाती है कि जब वह स्कीम चालू हो जायगी तो वितरण की जो समस्या है उसमें जो कठिनाइयां और दिक्कतें हैं वे सब दूर हो जायेंगी।

*६३--श्री राजाराम मिश्र--क्या यह सही है कि फैजाबाद जिले के अन्दर गोसाईगंज स्थान पर लगभग ८०० बोरी सीमेंट मौजूद है परन्तु जनता को एक बोरी भी नहीं मिल रही है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

माननीय अन्न सचिव--जी नहीं।

लोहे का सामान मिलने में जनता को कष्ट

*६४--श्री राजाराम मिश्र--क्या सरकार जानती है कि लोहे के सामान मिलने में भी जनता को अत्यंत कष्ट हो रहा है? क्या सरकार जनता के इस कष्ट को निवारण के हेतु शीघ्र-से शीघ्र कोई उचित प्रबन्ध करने का इरादा रखती है?

माननीय अन्न सचिव--जी हां। इमारत बनाने के सामान को इकट्ठा कर उचित रूप से वितरण की एक योजना सरकार के विचाराधीन है। लोहा और इस्पात की सप्लाई को बढ़ाने के लिए कलकत्ता और कानपुर में लेजान अफसर नियुक्त किये गये

है इसके अतिरिक्त प्रान्त भर में झूठे फर्मों को खत्म करने के लिए जांच की जा रही है। यह आशा की जाती है कि ये कार्रवाइयां में नयी योजना के, जब यह चालू होती है , जनता को कुछ आराम मिलेगा।

श्री राजाराम मिश्र--यह झूठी फर्मों की जांच करने की कार्यवाही कब से शुरू की ?

माननीय अन्न सचिव--यह कार्यवाही झूठी फर्मों की जब की गई थी जब मैं दिसम्बर में कानपुर गया था तो मैंने यह आज्ञा दी थी कि इन फर्मों के लाइसेन्स कैन्सिल कर दिये जायें और इन फर्मों की नये तरीके से जांच की जाय। अब इन फर्मों की जांच हो गयी है और उन नई फर्मों को लोहा मिलना चाहिए तो इस वजह से इनकी लिस्ट चीफ कण्ट्रोलर के पास भेज दी गयी है।

रजिस्ट्रेशन विभाग में इन्स्पेक्टरों के रिक्त स्थानों की पूर्ति

*६५--श्री राजाराम मिश्र--स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग में इस समय कुल कितने इंसपेक्टर हैं और वह किन किन श्रोतों में से लिए गये हैं ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मन्त्री (श्री गोविन्द सहाय)-- रजिस्ट्रेशन विभाग में इस समय स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टरों की कुल संख्या सात है। इनमें से २ बाहर से नियुक्त हुए, चार सब-रजिस्ट्रारों में से लिए गये तथा एक रेवन्यू बोर्ड के स्टाम्प विभाग से लिया गया।

*६६--श्री राजाराम मिश्र--क्या यह सही है कि अभी तक कोई मुन्सरिम या स्टाम्प रिपोर्टर रजिस्ट्रेशन मुहकमे के इंस्पेक्टर के पद पर नहीं लिया गया है ?

श्री गोविन्द सहाय--जी हां।

*६७--श्री राजाराम मिश्र--(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष रजिस्ट्रेशन विभाग में कोई स्थान इन्सपेक्टर का रिक्त हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि सरकार ने उपरोक्त स्थान की पूर्ति के लिए सब-रजिस्ट्रारों तथा मुन्सरिम व स्टाम्प रिपोर्टरों दोनों श्रेणियों से नाम मांगे हैं ?

श्री गोविन्द सहाय--(क) जी हां। श्री जे. पी. सिंह और श्री यू. एस. गुप्ता के इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन और चीफ इंस्पेक्टर आफ आफिसेज तथा चीफ इंस्पेक्टर इण्टरटेनमेंट व बेटिंग टैक्स के पद पर क्रमानुसार नियुक्त होने के कारण दो स्थान रिक्त हुए।

(ख) जी हां। सब श्रोतों से अर्थात्, सब-रजिस्ट्रार, स्टाम्प रिपोटर तथा मुन्सरिम इत्यादि से नाम मांगे गये थे

श्री राजाराम मिश्र--जो स्थान रिक्त हो गये थे उनकी पूर्ति के लिए कितने ऐसे आदमियों की दरख्वास्तें आईं जो मुन्सरिम थे और इसके लिए उपयुक्त थे।

श्री गोविन्द सहाय--इसके लिए नोटिस की जरूरत होगी।

*६८--श्री राजाराम मिश्र--क्या सरकार के पास कोई अनुरोध पत्र सरकार के रिक्त स्थान पूर्ति के तरीके के विरोध में आये हैं ? यदि हां, तो सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गोविन्द सहाय-- जी हां । अवध सिविल कोर्ट मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के असोसियेशन से एक अनुरोध पत्र इस विषय पर आया था कि इस बार जिस रिक्त स्थान के लिए नाम मांगे गये है उस स्थान की पूर्ति केवल स्टाम्प रिपोर्टर तथा मुन्सरिम से होनी चाहिए। चुनाव हो चुका है और पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति के पश्चात् एक सब-रजिस्ट्रार तथा एक रेवेन्यू बोर्ड के स्टाम्प विभाग का कर्मचारी स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टरों के दो रिक्त स्थानों पर नियुक्त किये गये।

गोंडा जिले के केन डेवलपमेंट आफिस में अछूतों की संख्या तथा सी० डी० ओ० के वेतन और भत्ते के सम्बन्ध में पूछ ताछ

*६६--श्री गंगा प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले मे केन डेवलपमेंट के आफिस में कितने क्लर्क, कितने सुपरवाइजर और कितने कामदार है, और उनमें अछूतों की संख्या क्या है?

माननीय कृषि सचिव (श्री निसार अहमद शेरवानी)--

ओहदा	स्वीकृत संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जो दलित जाति के है
क्लर्क	१६	"
सुपरवाइजर	७१	१
कामदार	१६२	१६

*७०--श्री गंगा प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सी० डी० ओ० साहब गोंडा का वेतन क्या है? और उन्हें महंगाई का भत्ता कितना मिलता है?

माननीय कृषि सचिव--गोंडा के केन डेवलपमेंट अफसर को रु० २५०-२५-४०० दक्षता रोक ३०-७०० दक्षता रोक ५०-८५० के नये वेतन क्रम में २५० रु० प्रति मास मिलता है। उनको कोई महंगाई का भता पाने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनको नये दोहराये हुये वेतन क्रम में वेतन मिलता है।

*७१--श्री गंगा प्रसाद (अनुपस्थित)--सी० डी० ओ० साहब को दौरे के दिनों में फी मील कितना भत्ता दिया जाता है?

माननीय कृषि सचिव--सरकारी दौरे के दिनों में केन डेवलपमेंट अफसर को अपनी मोटर व किराये की मोटर से सफर करने के लिए आठ आना प्रति मील और दूसरी सवारियों से सफर के लिए तीन आना प्रति मील भत्ता पाने का अधिकार है।

*७२--श्री गंगा प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सी० डी० ओ० साहब महीने में कितने दिन तक आफिस में रहते है और कितने दिन दौरे पर?

माननीय कृषि सचिव--केन डेवलपमेंट अफसर हर महीने औसतन १५ दिन हेडक्वार्टर में और १५ दिन दौरे पर रहते है।

संयुक्त प्रांत से मुसलमानों का पाकिस्तान जाना

*७३--श्री गंगा प्रसाद (अनुपस्थित)--(१) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि संयुक्त प्रांत से कितने मुसलमान पाकिस्तान चले गये?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ६६ से ७३ तक श्री ज्ञानचन्द्र गौतम ने पूछे।

(२) ऐसे चले जाने वालों की जिलेवार संख्या कितनी है ?

श्री गोविन्द सहाय--ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना जिससे कि साम्प्रदायिक प्रश्न उठे ठीक नहीं है परन्तु यदि माननीय सदस्य इस प्रश्न का उत्तर चाहते ही हैं तो सूचना एकत्रित की जा सकती है।

श्री बलभद्र सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो साहब पाकिस्तान चले गये हैं उनकी सम्पत्ति के सिलसिले में क्या नीति है ?

श्री गोविन्द सहाय--जो लोग मुस्तकिल तरीके पर पाकिस्तान चले गये है उसके लिए ऐक्ट बना हुआ है उसके ज़रिए से ही उनकी देख-भाल होती है।

श्री खान चन्द गौतम--क्या गवर्नमेंट की जानकारी में यह बात आई है कि कुछ आदमी यहां से पाकिस्तान अवश्य गये हैं।

श्री गोविन्द सहाय--जी हां, कुछ लोग पाकिस्तान अवश्य गये हैं।

श्री खानचन्द गौतम--क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि इन जाने वालों की सम्पत्ति की जब तलाशी ली गयी तो उसमें सार्वजनिक सम्पत्ति, हथियार, आवश्यक इस्तमाल के फौजी नक्शे और दुर्लभ मशीनें भी पाई गईं ?

श्री गोविन्द सहाय--पायी गयी होंगी। मेरा ख्याल है कि माननीय मेम्बर को याद होगा कि जब इस किस्म का प्रश्न इससे पहले पूछा गया था तो माननीय पुलिस सचिव ने काफी साफ तौर से उत्तर दे दिया था कि क्या-क्या चीजें पायी गयीं।

श्री खान चन्द गौतम--क्या गवर्नमेंट को इस बात की सूचना भी मिली है कि यहां से गये हुए आदमियों म से कुछ आदमी लौट कर वापस भी आये हैं ?

श्री गोविन्द सहाय--आये होंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा न हुआ हो।

श्री खान चन्द गौतम--क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि इन आने वालों के सामान की तलाशी ली गयी थी। उसमें हथियार, षड़यंत्र सम्बन्धी पत्र और सन्देह-जनक साहित्य मिला ?

श्री गोविन्द सहाय--इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर--क्या सरकार ने उन लोगों की कोई फेहरिस्त बनाई है जो खुद और अपने बाल बच्चों को लेकर और अपनी पूरी सम्पत्ति लेकर पाकिस्तान चले गये हैं, और क्या वह मुस्तकिल पाकिस्तान जाने वालों में दर्ज कर दिये गये हैं ?

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)--जिनके पास सम्पत्ति थी उसके बारे में ऐक्ट के अनुसार ब्यौरा लिखा गया है। जिनके पास कुछ नहीं था उनके बार में कुछ नहीं लिखा गया !

जिला बरेली में स्टाकमैनों का काम

*७४--श्री खान मुहम्मद रजा खां (अनुपस्थित)--क्या हुकूमत बराह मेहरबानी मुत्तला करेगी कि जिला बरेली में कितने स्टाकमैन हैं और वह किन किन मुकामात पर तैनात हैं और हर-एक स्टाकमैन के सुपुर्द कितने मवाजियात हैं ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९७ तक श्री सैयद अहमद ने पूछे।

मानीय कृषि सचिव--जिला बरेली में चार स्टाकमैन हैं। एक स्टाकमैन बरेली के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेन्टर) में तैनात हैं और तीन स्टाकमैन भिण्डोलिया, बिजौरिया और भमोरा के पशु हित यूनिट (कैटिल-वेलफेयर यूनिट) में तैनात हैं। भिण्डोलिया के स्टाकमैन के सुपुर्द सत्ताईस मवाजियात हैं। छब्बीस मवाजियात बिजोरिया के और तेरह मवाजियात भमोरा के स्टाकमैन के सुपुर्द हैं।

श्री फखरुल इस्लाम--जो यह कम तादाद स्टाकमैनों की किसी-किसी जिले में है उसके मुताल्लिक क्या गवर्नमेंट सोच रही है कि उनकी तादाद ज्यादा हो?

माननीय कृषि सचिव-- जी हां।

*७५--श्री मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित)--क्या जिला बरेली में मजीद स्टाकमैन तैनात करने का इरादा है?

माननीय कृषि सचिव--जी हां, एक स्टाकमैन फरीदपुर तहसील जिला बरेली में तैनात करने का निश्चय किया गया है।

जिला बरेली में विटरनरी अस्पताल की आवश्यकता

*७६--श्री मुहम्मद रजा खां (अनुपस्थित)--क्या जिला बरेली में हुकूमत कोई नया विटरनरी अस्पताल खोलने का इरादा रखती है?

माननीय कृषि सचिव--इस समय कोई नया अस्पताल जिला बरेली में खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

*७७--श्री मुहम्मद रजा खां (अनुपस्थित)--सन् १९४६ व सन् १९४७ ई० में बरेली के सरकारी मवेशी अस्पताल में अलहदा-अलहदा कितने शहर और देहाती मवेशी बगरज इलाज दाखिल हुए?

माननीय कृषि सचिव--सन् १९४६ ई० व सन् १९४७ ई० में बरेली के सरकारी मवेशी अस्पताल में नीचे लिखे हुए शहर और देहात के मवेशी बगरज इलाज दाखिल हुए:--

अवधि	शहर के रोगी मवेशी	देहात के रोगी मवेशी
१. ४. ४६ से ३१. ३. ४७ तक	३६६०	१०९०
१. ४. ४७ से ३१. १. १९४८ तक	२६६३	१४१९

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि इसकी क्या वजह है कि इन अस्पतालों में गांव के रोगी जानवर कम आये और शहर के बहुत ज्यादा?

माननीय कृषि सचिव--मैं वजह अगर बताऊँ तो कयास होगा।

*७८--श्री मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित)--क्या सूबे में कोई गश्ती मवेशी अस्पताल है?

माननीय कृषि सचिव--जी हां। सूबे में तीन गश्ती मवेशी अस्पताल हैं।

*७९—श्री मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित)—डाक्टर मवेशी अस्पताल, बरेली ने जुलाई, अगस्त, सितम्बर, सन् १९४७ ई० में तहसील बरेली के देहात मे कितने दिन दौरा किया ?

माननीय कृषि सचिव—डाक्टर मवेशी अस्पताल, बरेली ने तहसील बरेली के देहातों में जुलाई सन् १९४७ मे आठ दिन, अगस्त सन् १९४७ में दो दिन और सितम्बर सन् १९४७ में तेरह दिन दौरा किया।

जून, सन् १९४७ से अक्तूबर, सन् १९४७ तक अखबारात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

*८०—श्री मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित)—क्या हुकूमत बराह करम मुत्तला करेगी कि जून सन् १९४७ ई० से अक्तूबर, सन् १९४७ ई० तक कितने अखबारात के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई की गई ?

माननीय अर्थ सचिव—प्रान्तीय सरकार ने "शफक" के प्रकाशक और जिस प्रेस में यह पत्र छपता था उसके मालिक से दो-दो हजार की जमानत मांगी थी। कराची मे मुद्रित एवं प्रकाशित होने वाले उर्दू के "कंदील" नामक समाचार-पत्र के संयुक्त प्रान्त में आने पर, २० अक्तूबर सन १९४७ ई० से, रोक लगाने के आदेश जारी किये गये थे।

*८१—श्री मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित)—क्या हुकूमत ने यू० पी० में सहाफती मुशावरती कमेटी बनाई है ?

माननीय अर्थ सचिव—जी हां।

*८२—श्री मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित)—क्या इस सहाफती कमेटी ने हुकूमत के साथ सूबे में अमन कायम करने में इश्तराक अमल का यकीन दिलाया है ?

माननीय अर्थ सचिव—जी हां।

*८३—श्री मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित)—क्या इस कमेटी के मेम्बर सूबे के तमाम अखबारात के मेम्बर है ?

माननीय अर्थ सचिव—प्रश्न का अर्थ स्पष्ट नहीं है। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि समिति के जो सदस्य है वे सब किसी न किसी समाचार-पत्र से सम्बन्ध रखते हैं, तो सूचना विभाग के प्रतिनिधि को छोड़कर उसका उत्तर 'हां' में है।

*८४—श्री मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित)—क्या हुकूमत इस कमेटी के मेम्बरान की फेहरिस्त मेज पर रक्खेगी ?

माननीय अर्थ सचिव—समिति के सदस्यों की नामावली मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १९२ पर)

*८५—श्री मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित)—क्या हुकूमत के अराकीन भी इस कमेटी में शिरकत करते है ?

माननीय अर्थ सचिव—सूचना विभाग का एक प्रतिनिधि इस समिति का सदस्य है और वह समिति की बैठकों में भाग लेता है।

*८६—श्री मुहम्मद रज़ा खाँ (अनुपस्थित)—इस कमेटी ने हुकूमत को सूबे में अमन कायम रखने में क्या-क्या इमदाद अब तक की है?

माननीय अन्न सचिव—समिति ने प्रांत के समाचार पत्रों से विभिन्न अवसरों पर अपीलें की हैं कि वे संयम से काम लें और ऐसी चीजें लिखने या प्रकाशित करने की चेष्टा न करें जिससे हिंसा फैलने की आशंका हो।

*८७—श्री मुहम्मद रज़ा खाँ (अनुपस्थित)—क्या हुकूमत अखबारात के खिलाफ कार्रवाइयां इस कमेटी के मशवरे से करती है?

माननीय अर्थ सचिव—समाचार-पत्रों से सम्बन्धित सभी मामलों में जहां तक सम्भव होता है समिति से राय ली जाती है। खास मामलों में सरकार स्वयं कार्रवाई करती है। समिति ने एक प्रस्ताव पास करके यह बात सरकार पर छोड़ दी है कि वह ऐसे समाचार-पत्रों या पत्र-पत्रिकाओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करे जो हिंसात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहन देते या भड़काते हैं।

*८८—श्री मुहम्मद रज़ा खाँ (अनुपस्थित)—क्या सूबे के तमाम अखबारात हुकूमत को मौसूल होते हैं?

माननीय अर्थ सचिव—प्रेस ऐन्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट १८६७ की धारा ११ ए तथा विज्ञप्ति नं० १३६-यू० ओ० । ८, तारीख १५ फरवरी १९४७ ई० के अनुसार संयुक्त प्रान्त के प्रत्येक समाचार-पत्र के मुद्रक को, अपने समाचार पत्र के प्रकाशित होते ही, उसकी दो प्रतियां डाइरेक्टर आफ इन्फार्मेशन, जनरल सेक्रेटेरिएट, संयुक्त प्रान्त, लखनऊ को मुफ्त भेजनी चाहिए। प्रान्त में प्रकाशित होने वाले अधिकांश समाचार-पत्र सरकार के पास आते हैं।

सरकार द्वारा देहाती रकबे और शहरों को रेडियो सेट देना

*८९—श्री मुहम्मद रज़ा खाँ (अनुपस्थित)—क्या हुकूमत बराह करम मुत्तला करेगी कि सूबे में कितने रेडियो सेट देहाती रकबे में हुकूमत की तरफ से दिये गये और कितने रेडियो शहरों को दिये गये?

माननीय अर्थ सचिव—अब तक गांवों में ६५ और शहरों में २४ रेडियो सेट लगाये गये हैं। इन्हें छोड़कर शरणार्थियों के कैम्पों को ११ और श्रीमती मीराबेन के किसान आश्रम को ४ रेडियो सेट दिये गये हैं।

श्री फखरुल इस्लाम—क्या गवर्नमेंट उन जिलों के अलावा, जिनमें देहात में इस वक्त रेडियो लगाया जा रहा है, और जिलों को भी इस रेडियो लगाने वाली स्कीम में शामिल करने पर गौर कर रही है?

माननीय अर्थ सचिव—जी हां, गवर्नमेंट का विचार तो है। लेकिन जो गांव लखनऊ से ५० मील से ज्यादा दूर पर है वहां यहां लखनऊ के ट्रान्समिटर अधिक ताकतवर न होने की वजह से खबर नहीं पहुँच पाती है। जब तक इसका इंतजाम नहीं होगा तब तक वहां रेडियो सेट्स लगाना आसान नहीं है।

श्री फखरुल इस्लाम—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि लखनऊ के ट्रान्समिटर से जो आजकल देहाती प्रोग्राम होती है वह दूर के देहात में भी १००, १५० मील के दूर पर सुनाई जाती है?

माननीय अर्थ सचिव—गवर्नमेंट की इत्तला इसके बिल्कुल खिलाफ है।

श्री फखरुल इस्लाम—क्या गवर्नमेन्ट को मालूम है कि लखनऊ रेडियो ट्रान्समिटर से बहुत फासले तक खबर पहुँचती है और लोग बराबर अपने रेडियो पर सुनते हैं ?

माननीय अर्थ सचिव—इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि गवर्नमेंट की इत्तला इसके खिलाफ है।

*९०—श्री मुहम्मद रज़ा खाँ (अनुपस्थित)—जिला बरेली के शहर और देहात में अलहदा-अलहदा कितने रेडियो सेट दिये हैं और किस-किस जगह वह रेडियो सेट मौजूद हैं ?

माननीय अर्थ सचिव—बरेली में अभी तक कोई रेडियो सेट नहीं लगाया गया। बरेली शहर के लिए बिजली के ५० रेडियो सेट देने का विचार है।

*९१—श्री मुहम्मद रज़ा खाँ (अनुपस्थित)—(क) यू० पी० में कुल कितने सरकारी रेडियो सेट हैं ?

(ख) देहात में कितने हैं ? और शहर में कितने नस्ब हैं ?

माननीय अर्थ सचिव—(क) कृपा करके प्रश्न संख्या ८९ का उत्तर देखिये !

(ख) सब भारतीय आल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन के पास के जिलों को रेडियो सेट दिये जाने के लिए जो योजना बनाई गई है उसके अनुसार शहरों को बिजली के ३०० रेडियो सेट और गांवों को बैटरी के २१५, रेडियो सेट दिये जायेंगे।

जिला बरेली के देहाती रकबे में चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स और जनाना अस्पतालों की आवश्यकता

*९२—श्री मुहम्मद रज़ा खाँ (अनुपस्थित)—जिला बरेली के देहात में कितने चाइल्ड वेल्फेयर सेण्टर हैं और बरेली शहर में कितने सेण्टर हैं ?

श्री चरण सिंह—सात बरेली शहर में और चार बरेली जिले के नोटीफाइड और टाउन एरियाओं में।

*९३—श्री मुहम्मद रज़ा खाँ (अनुपस्थित)—जिला बरेली के देहात में कितने जनाने अस्पताल हैं ?

श्री चरण सिंह—एक।

*९४—श्री मुहम्मद रज़ा खाँ (अनुपस्थित)—क्या हुकूमत को इन मुश्किलात का इल्म है जो देहाती रकबा, जिला बरेली में जनाना अस्पताल न होने की वजह से पब्लिक महसूस करती है ?

श्री चरण सिंह—सरकार के सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, जिससे यह प्रकट हो कि देहात की जनता अधिक जनाने अस्पताल न होने के कारण कोई खास कठिनाई अनुभव करती है।

*९५—श्री मुहम्मद रज़ा खाँ (अनुपस्थित)—क्या हुकूमत के सामने कोई ऐसी तजवीज है कि जिला बरेली के देहात में जनाना अस्पताल की कमी को पूरा किया जा सके ?

श्री चरण सिंह—सरकार के सामने एक जनाना अस्पताल बरेली के देहात में खोलने का प्रस्ताव है जिसे यथा-शक्ति जल्दी पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा।

*९६—श्री मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित)—क्या हुकूमत जिला बरेली के देहात में चाइल्ड वेल्फेयर सेण्टर खोलने का इरादा रखती है?

श्री चरण सिंह—सरकार का विचार उन चार वर्तमान केन्द्रों के प्रबन्ध को, जो जिले के नोटीफाइड और टाउन एरियाओं में स्थित है, अपने हाथ में लेने का है। सरकार नये केन्द्र खोलने के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

*९७—श्री मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित)—क्या शहर बरेली के चाइल्ड वेल्फेयर सेण्टरों के मुलाजिमान देहाती रकबे में भी दौरा इस सिलसिले में करते हैं?

श्री चरण सिंह—पहले डाक्टरनी जो शहर के केन्द्र में काम करती थीं अक्सर देहात के केन्द्रों का भी मुआयना किया करती थीं, परन्तु यह पिछले कुछ समय से नहीं किया जा सका है। शहर में इतना काम है कि डाक्टरनी के लिए इस प्रकार के दौरे करना सम्भव नहीं है।

*९८-१००—श्री खुशीराम [स्थगित किये गये]

अप्रैल १, सन् १९४६ से एक साल पूर्व और १ अप्रैल, सन् १९४६ से सरकार के सूचना विभाग की ओर से प्रकाशित साहित्य

*१०१—श्री मुहम्मद असरार अहमद—अप्रैल १, सन् १९४६ ई० से एक साल पहिले और १ अप्रैल, सन् १९४६ ई० से अब तक संयुक्त प्रांतीय सरकार के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित और जारी किये हुए कुल बुलेटिन, पत्रिकायें और अन्य प्रकाशनों इत्यादि के नाम और उनके प्रकाशित और जारी होने की तारीखें क्या हैं? इनमें से कितने अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू भाषाओं में प्रकाशित किये गये? हर भाषा म छापे गये हुए हर बुलेटिन, पत्रिकायें और अन्य प्रकाशनों इत्यादि की संख्या क्या है? इनकी प्रतियां मेज पर रख दी जायें?

*१०२—जारी किये हुए हर प्रकाशन, बुलेटिन इत्यादि पर सरकार का कितना खर्च हुआ?

*१०३—इनमें से कौन-कौन से प्रकाशन विभाग द्वारा (क) धारा सभाओं के सदस्यों और (ख) जनता को दिये गये हैं?

माननीय अर्थ सचिव—१ अप्रैल १९४६ के एक वर्ष पूर्व तथा अप्रैल १९४६ से लेकर ३१ मई १९४७ तक सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित साहित्य के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना की तालिका मेज पर रख दी गयी है। कुल २७२ प्रकाशन हुए जिनमें ३८ अंग्रेजी में, ११० हिंदी में, ११७ उर्दू में और ७ द्विभाषी यानी हिन्दी उर्दू में हैं। उपलब्ध प्रकाशनों की प्रतियां† मेज पर रख दी गयी हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट यह बतलाने की मेहरबानी करेगी कि यकुम अप्रैल के बाद जितने पब्लिकेशन्स इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट से हुए हैं उनमें से ज्यादातर माननीय सदस्यों को नहीं भेजे गये?

---

†प्रतियां छापी नहीं गयीं।

माननीय अर्थ सचिव—उन पब्लिकेशन्स में से जिनके भेजने की जरूरत समझी गयी वह सब माननीय सदस्यों के पास भेजे गये।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि वह माननीय सदस्यों को पब्लिक से अलावा समझती है ?

माननीय अर्थ सचिव—जी हां। उनकी पब्लिक से ज्यादा हैसियत होती है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि यह पब्लिकेशन्स किस गरज से की गयी थीं।

माननीय अर्थ सचिव—पब्लिक को जरूरी इत्तिला देने के लिए और जानकारी कराने के लिए।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—गवर्नमेंट ने माननीय सदस्यों को जानकारी कराने के लिए क्या कार्यवाही की ?

माननीय अर्थ सचिव—मैंने बताया कि माननीय सदस्यों को जो पब्लिकेशन्स भेजना जरूरी समझे गए वह सब भेजे गये। तीनों समाचार-पत्र हिन्दी उर्दू और अंग्रेजी के भेजे जाते हैं। हर पैम्फलेट के भेजे जाने की जरूरत नहीं समझी जाती क्योंकि वह २०० से भी ज्यादा हैं।

*१०४-११०—**श्री सर्वजीत लाल वर्मा** [स्थगित किये गये]

असेम्बली के कुछ सदस्यों का असेम्बली से त्यागपत्र

श्री नरेन्द्र देव—माननीय स्पीकर महोदय, मैंने और मेरे ग्यारह साथियों ने आज असेम्बली से त्याग-पत्र देने का निर्णय कर लिया है और आज कांग्रेस असेम्बली पार्टी के नेता को अपना त्याग-पत्र दे दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस से पृथक होने का यह निर्णय हमारे जीवन का सब से कठिन निर्णय है। बिना पूर्व विचार के हमने यह निर्णय सहसा नहीं किया है। कठोर कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर ही तथा अपने आदर्शों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम इस निर्णय पर पहुंचने के लिए विवश हुए हैं। इस निर्णय पर पहुँचने में हमने काफी समय लिया है। हम देश की वर्तमान स्थिति से भलीभांति परिचित हैं। हम मानते हैं कि देश संकट की अवस्था से गुजर रहा है किंतु हम इन संकटों की सूची में अपनी संस्कृति तथा जनतंत्र को भी शामिल करते हैं। आज जनतंत्र तथा हमारी संस्कृति भी खतरे में है। यह निर्विवाद है कि जनतन्त्र की सफलता के लिए एक विरोधी दल का होना आवश्यक है। एक ऐसा विरोधी दल, जो जनतन्त्र के सिद्धांत में विश्वास रखता हो, जो राज्य को किसी धर्म विशेष से सम्बद्ध न करना चाहता हो, जो गवर्नमेंट की आलोचना केवल आलोचना की दृष्टि से न करे तथा जिसकी आलोचना रचना और निर्माण के हित में हो, न कि ध्वंस के लिए।

हम इस अत्यन्त आवश्यक कार्य को पूरा करना चाहते हैं। हम इस बात को कहने के लिए क्षमा चाहते हैं कि इस कार्य की पूर्ति हमारे ही द्वारा हो सकती है। दुर्भाग्यवश जनतन्त्र की कोई परम्परा हमारे देश में नहीं है। तथा साम्प्रदायिकता का इस समय प्राधान्य है। हम जनतन्त्र के अभ्यस्त नहीं हैं। इस कारण रचनात्मक विरोध के अभाव में अधिनायकत्व की मनोवृत्ति का पनपना सुगम है। केवल साम्प्रदायिकता का विरोध करने से जनतन्त्र की स्थापना नहीं होती।

इस सम्बन्ध में मैं कहूँगा कि माननीय पुलिस सचिव ने (क्या ही अच्छा होता यदि माननीय पुलिस सचिव हमारे गृह-सचिव होते) अपने कल तथा बजट के भाषण में जिन सिद्धांतों का निरूपण किया है और जिस प्रकार जनतन्त्र की रक्षा के लिए जनतन्त्र की आवश्यकता प्रतिपादित की है, उससे हम पूर्णतः सहमत हैं। हम आशा करते हैं कि यह नीति केवल उनकी व्यक्तिगत राय ही न होगी, किन्तु गवर्नमेंट की स्थिर नीति होगी। यदि ऐसा है, तो हम आशा कर सकते हैं कि हमारा दल गवर्नमेंट का पूरक होगा और अपने महत्वपूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त करेगा।

वियोग सदा दुःखदायी होता है। इस बिछोह का हमको कोई कम दुःख नहीं है। हमको इससे मार्मिक पीड़ा पहुँची है। किन्तु संस्थाओं तथा व्यक्तियों के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, जब उनको अपने आदर्शों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग करना पड़ता है। हम सन्तप्त हृदय से अपना पुराना घर छोड़ रहे हैं। किन्तु जो अपनी पैतृक सम्पत्ति है, उससे हम दस्तबरदार नहीं हो रहे हैं। यह सम्पत्ति भौतिक नहीं है। यह आदर्शों तथा पवित्र उद्देश्यों की सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति का उत्तराधिकारी न केवल जेष्ठ पुत्र होता है और न इस रिक्थ का सम विभाग ही होता है। धार्मिक समुदायों का पर्सनल ला अर्थात् व्यक्तिगत विधान इस पर लागू नहीं होता। इस सम्पत्ति का दावेदार वही हो सकता है, जो अपने आचरण और विश्वास से अपने को उसका अधिकारी सिद्ध कर सके। इसमें मिथ्या गर्व नहीं है। हम अपनी सीमाओं को जानते हैं। हम अपनी कमजोरियों से भी परिचित हैं। किन्तु हम यह कहना अवश्य चाहते हैं कि हम इसका अधिकारी बनने का प्रयत्न करेंगे।

ब्रिटिश पार्लियामेंट तथा अन्य व्यवस्थापिका सभाओं का इतिहास बताता है कि ऐसे अवसर पर लोग त्यागपत्र भी नहीं देते। हम चाहते तो इधर से उठ कर किसी दूसरी ओर बैठ जाते। किन्तु हमने ऐसा करना उचित नहीं समझा। ऐसा हो सकता है कि आपके आशीर्वाद से निकट भविष्य में हम इस विशाल भवन के किसी कोने में अपनी कुटी का निर्माण कर सकें। किन्तु चाहे यह संकल्प पूरा हो या नहीं, हम अपने सिद्धांतों से विचलित न होंगे। हम जानते हैं कि हमारे देश का यह युग निर्माण का है, न कि ध्वंस का। अतः हमारी आलोचना सदा किसी उद्देश्य से होगी। हम व्यक्तिगत आक्षेपों से सदा बचने का प्रयत्न करेंगे और हम किसी ऐसे विवाद में भी न पड़ेंगे। राजनीतिक जीवन को स्वस्थ और नीतिपूर्ण बनाने में हम अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं। इन बातों में महात्मा जी का उपदेश हमारा पथ-प्रदर्शन करेगा। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमने किसी विद्वेष और विरोध के भाव से प्रेरित हो कर यह कार्य नहीं किया है। हममें किसी प्रकार की कटुता नहीं है। हमारे बहुत से साथी और सहकर्मी कांग्रेस में हैं और उनके साथ हमारा सम्बन्ध मधुर रहेगा। हम जानते हैं कि उनको भी हमारे अलग होने से दुःख पहुँचा है। हमारे समान राजनीतिक आदर्श तथा हमारी समान निष्ठा अब भी हमको एक प्रकार से एक सूत्र में बांधे रहेगी।

[श्री नरेन्द्रदेव]

माननीय स्पीकर महोदय, आप एक कुटुम्ब के सम्मानित सदस्य होते हुए भी इस भवन के अन्य कुटुम्बों के अधिकारों की रक्षा करते आये हैं। अतः हम आप से

आशा करते हैं कि आप हमको आशीर्वाद देंगे कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफलता प्राप्त करें। हम आप के प्रति तथा कांग्रेस असेम्बली पार्टी के नेता माननीय पं० गोविन्द वल्लभ पन्त के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं।

माननीय प्रधान सचिव—श्रीमान स्पीकर साहब, मुझे अपने मित्र आचार्य नरेन्द्र देवजी के भाषण को सुनकर, यद्यपि हम लोगों को यह मालूम था कि ऐसी घटना घटने वाली है, फिर भी हार्दिक वदना है। हम लोग वर्षों से साथ काम करते आये हैं। आचार्य जी शायद इस भवन में हरगोविन्द जी को छोड़कर, वह महापुरुष हैं, जिनसे मेरा सम्बन्ध सब से पुराना है। ४० वर्ष से ज्यादा से हम एक दूसरे से सम्बन्ध रखते आये हैं और अहमदनगर के किले में करीब ३ साल तक हम लोग एक ही मकान में रहे। राजनैतिक बातों में भी जहां तक मेरी पुरानी याद है—उस वक्त भी जब कि सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था—हमें सुझाव देते थे। आज किसी भी ढंग से हमारी कांग्रेस पार्टी से उन जैसे मित्रों का यहां से अलग हो जाना—मेरे लिए बड़े दुःख की बात है। उनके साथी भी ऐसे रहे हैं जिनका नाम यहां लिया गया है- उनकी मेरे ऊपर विशेष कृपा रही है। इस कारण से भी मुझे वेदना है और इससे अधिक सार्वजनिक कार्यों में दुख है। हम लोगों को अभी स्वतन्त्रता मिली है, जो नवजात शिशु की तरह है और हम सब का यह धर्म है कि उसका पालन-पोषण करें। हम सब मिलकर अभी तक अपनी शक्ति नहीं लगा सके और एक दूसरे के विरोध म किसी भी ढंग से हम लग जायें—मेरी समझ में नहीं आता कि इसका क्या परिणाम होगा। हमारा देश अब भी संकटों में है। हमारे पड़ोस में जो पाकिस्तान है, वह बराबर इस तरह की बातें कहा करता है कि हम दुश्मन से भिड़े हुए हैं। जिससे मालूम होता है कि क्या भाव उनके हैं। संसार में लड़ाई के बादल उमड़ रहे हैं। हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा—क्या नहीं होगा। परन्तु इसके साथ-साथ मैं यह भी सोचता हूं कि जहां तक किसी आइडियालोजी (आदर्श) का ताल्लुक है कांग्रेस के तथा और मित्रों के बीच में वास्तव में क्या कोई भी भेद है? अभी थोड़े ही दिन हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपना स्टेटमेंट (बयान) पालिसी (नीति) और प्रोग्राम (कार्यक्रम) निकाला था जिसमें सोशलिस्ट पार्टी वाले और कांग्रेस वाले सब मिलकर एक मत थे कि यह प्रोग्राम और पालिसी होनी चाहिए फिर जब इस तरह से एक मत हों तो फिर क्यों हम एक दूसरे से अलग हों? यह भी मेरी समझ में नहीं आता और मैं इससे लाभ भी नहीं देखता। इसके अतिरिक्त जहां तक इस प्रांत के शासन का ताल्लुक है, गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हमने तो हमशा बगैर इस विचार के कि कौन किस किस्म की भावना रखता है एक होकर काम करने का अपना नियम बनाया है। जो कुछ भी हमने आज तक यहां पर काम किया है उसमें सोशलिस्ट पार्टी का भी सहयोग रहा है, उनकी भी उसमें अनुमति और सम्मति रही है। ऐसा सब कुछ होते हुए भी, फिर कोई कारण नहीं था कि क्यों हम एक दूसरे से पृथक हों इस लिए मैं समझता हूं कि यह एक दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना घटी।

इसके साथ अपोजीशन (विरोध) की बात कही है, डिमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) की बात कही जाती है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि क्या कोई ऐसी स्थिति रही है कि जिसमें यहां पर अपोजीशन (विरोध) नहीं रहा। मुस्लिम लीग का

अपोजीशन, जमींदार पार्टी का अपोजीशन, इन्डिपेन्डेंट्स पार्टी का अपोजीशन रहा है और हमारी पार्टी के मेम्बरों ने खुद एक डिसपैशनेट (शांत) तरीके पर डिटैच्ड व्यू (पृथक करने का विचार) लेने की कोशिश की और अपने विचारों को प्रकट करने में किसी तरह से अपने को दबाया नहीं और फिर ऐसे भी अवसर हुए जब कि हमारे भाइयों ने वह बातें कही हैं जिनको सुनकर, जो हमारे अपोजीशन में थे, उनको काफी सन्तोष हुआ।

इसके बाद हमको सोचना यह है कि दरअस्ल अपोजीशन (विरोध) के माने क्या होते हैं। अगर आप देखें तो मालूम होगा कि सरकार के जितने काम होते ह उसमें ९० फी सैकड़ा ऐसे होते हैं कि जिसमें इस हाउस के बीच किसी मेम्बर में कोई अन्तर नहीं हो सकता है। कुछ थोड़े ऐसे काम होते हैं जिनमें पोलिटिकल (राजनैतिक) बतें आती हैं और उनमें कुछ भेद हो सकता है। जहां पर डेमोक्रेसी परिपक्व हो जाती है वहां पर एक फार्मल (नियमानुसार) तरीके पर अपोजीशन (विरोध) हो सकता है। उस समय हर एक आदमी समझता है कि वह हितकारक हो सकता है। परन्तु जहां पर इस तरह के भेद-भाव हों, जहां पर साम्प्रदायिक झगड़े हों या और तरह की बातें हों और जिस देश में १०० में ९० लोग ऐसे हों जो लिखना पढ़ना न जानते हों, जहां सड़कें न हों, जहां पर अन्न की कमी हो, जहां पर पैदावार कम हो वहां इस तरह के फार्मल अपोजीशन (रस्मी मुखालफत) के जिक्र में पड़कर क्या यह अन्देशा नहीं होता कि जिन बातों को करके हमें आगे बढ़ना है, जैसे लिट्रेसी (साक्षरता) को बढ़ाना, सड़कों का बनाना, अस्पतालों का बनाना है, जनता के आध्यात्मिक, बौद्धिक और मानसिक विचारों को ऊँचा उठाना है, वहां हम इस तरह ी पाश्चात्य देशों की उलझनों में फँस जायें तो उससे क्या हम आगे बढ़ सकेंगे? इस तरह की दिक्कतें होंगी। इस तरह की शंकायें मेरे मन में उठती हैं।

मगर मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी होना है होगा, मैं तो केवल विनय ही कर सकता हूँ। जो मित्र जा रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि चाहे वह यहां रहें, चाहे वह कहीं रहें उनकी उदारता मुझपर, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों पर नित्य बनी रहेगी

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—जनाब स्पीकर साहब, आनरेबिल प्रीमियर साहब ने आचार्य नरेन्द्रदेव जी की बाबत जिन ख्यालात का इजहार किया है अपोजीशन का, हम लोगों का, उससे पूरा इत्तफाक है। हमें इस वक्त उन झगड़ों से मतलब नहीं कि किन प्रिंसपिल्स (सिद्धांतों) पर और आइडियालाजीज (आदर्शों) की वजह से इस वक्त इख्तलाफात पैदा हुए हैं। आचार्य जी इस एवान के बहुत पुरान मेम्बर हैं। हमें इसका फख्र हासिल है कि सन् १९३७-३८ और ३९ में हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। आप एक बुलन्द पाया सियासी मुकर्रिर हैं और एक बहुत ही बड़े मुहिब्बे कौम हैं। आपने जब कभी एवान की डिबेट में हिस्सा लिया है तो निहायत बेबाकी से हिस्सा लिया है और कभी उन्हों ने ख्याल नहीं किया कि सिर्फ पार्टी कंसीडरेशन (जमात की तरफदारी) की वजह से वह अपने एतराजात को पेश करें। हमें निहायत अफसोस है कि आज वह हम लोगों से जुदा हो रहे हैं लेकिन हमें कभी उम्मीद है

[श्री मुहम्मद इसहाक खाँ]
कि वह फिर इस एवान में वापिस आयेंगे और उनके साथ-साथ हमारे वह तमाम दोस्त जो आज इस्तीफा दाखिल कर रहे हैं वह भी यहां वापिस आयेंगे। हमें बहुत मसर्रत होगी अगर वह अपोजीशन में और अपोजीशन के बेंचेज पर रह कर सही तरीके से गवर्नमेन्ट के उन तमाम मामलात को जांचेंगे जिसकी डिमाक्रेसी में बहुत सख्त जरूरत है। मुझे बहुत नहीं कहना है। मैं तो चाहता हूं कि इस मौके के ऊपर हम लोग इख्तलाफ वाली जो बातें हैं उनका ज्यादा जिक्र न करें बल्कि यह उम्मीद करें कि आप जो अलहदा हो रहे हैं कौम के फलाह और बेहबूद के लिए अलहदा हो रहे हैं और वापिस आयेंगे तो कौम के फलाह और बेहबूद के लिए वापिस आयेंगे।

*श्री जगन्नाथ बख्श सिंह--माननीय स्पीकर महोदय, दो भाइयों का बिछोह है। किसी को भी संतोष नहीं हो सकता, किसी को भी इससे सुख नहीं होता, इससे शांति नहीं होती कि एक घर में दो भाई जो बहुत दिनों से साथ रहे, जिन्हों ने देश के हित के लिए ऐसे ऐसे आत्म-त्याग साथ किये और वह इस समय वियोगी हुए और अलग हुए। अगर कोई भी यह समझे कि विरोधी दल के बैठने वाले किसी पार्टी या ग्रूप (दल) को इससे कोई संतोज हो सकता है कि एक घर से उनके दो भाई जुदा हों तो वह केवल भूल है। आप तो यह जानते हैं कि आचार्य नरेन्द्र देव हमारे ही अवध प्रांत के निवासी हैं जिनसे स्वयं, जिनके घर से और जिनके पूज्य भाई और पूज्य पिता से मैं भली प्रकार परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि किस तरह से आप आदर्शों के पक्के अपने आदर्शों के पीछे आत्म-त्याग करने के लिए तैयार मनुष्यों में से हैं। मैं जानता हूँ कि कितने ही कांग्रेस के नेता और कितने ही सज्जन आत्म-त्याग के सिद्धांतों से भरेपूरे हैं। लेकिन उनमें आचार्य नरेन्द्र देव को मैं किसी से कम नहीं समझता। जब मैं देखता हूँ कि उच्चादर्श और अपने सिद्धांतों के हेतु कोई मनुष्य किसी बलिदान के लिए तैयार है तो, प्रभो, मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है कि उसके प्रति संतोष हो। रामचन्द्र जी की बन-यात्रा से किसी को संतोष प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु यह देखते हुए कि उनको अपने आदर्श की पूर्ति करना है और भारत की संस्कृति का पुनस्संगठन और पुनरुद्धार करने के लिए उन्हों ने अपने पिता के जीवन तक का भी विचार नहीं किया, तो क्यों न उनके प्रति संतोष, श्रद्धा और भक्ति बढ़े। यह कुछ रामचन्द्र जी के प्रति ही श्रद्धा और भक्ति नहीं है, बल्कि जो भी अपने आदर्शों के लिए त्याग करेगा उसके प्रति जनता की श्रद्धा बढ़ेगी। इसमें किसी स्वार्थी का स्वार्थ या किसी विरोधी की कोई श्लाघा नहीं है। यह मनुष्य का स्वभाव है। जब मैं इस दृष्टि से देखता हूँ तो मैं इसको कभी छिपाना नहीं चाहता कि मैं कांग्रेस की जमीन्दारी नीति का कितना ही विरोध क्यों न करता हूँ लेकिन कांग्रेस के आदर्शों से मुझको उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रही है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री प० गोविंदवल्लभ पंत के नेतृत्व में सरकार अच्छा कार्य कर रही है, उनकी नैतिकता, उनकी शासन योग्यता के सम्बन्ध में सामान्य शासन विभाग के अनुदान में निवेदन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मनुष्य की प्रकृति है कि वह पदाधिकार पाने पर

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

अपने स्थान से विचलित हो जाय या कोई भी सरकार अधिकार पाने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाय, यह एक स्वाभाविक गुण मनुष्य, या मनुष्यों के समूह का है, जो कि सरकार के रूप में है। इसके सुधारने के लिए यदि समाजवादी और उनके इस सभा के सभासद अलग हो रहे हैं या कोई यहां आता है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनके निर्णय की सराहना करता हूँ।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—श्रीमान सभापति महोदय, मैं तो इस हाउस का नया मेम्बर हूँ। लेकिन जब यहां आया और जब नरेन्द्रदेव जी का नाम पढ़ा और उनके भाषण पढ़े और उनके ख्यालात से जब वाकफियत हुई तो इन सब को देखते हुए, दीगर अकलियतों की तरफ से मैं बिल्कुल आज़ादी के साथ यह कह सकता हूँ कि हम लोग हमेशा इस बात का एहसास करते रहें कि इस कदर संजीदा खुशमिजाज, खुशतरीका लोग, जैसे वह है, कम पाये गये।

इस हाउस का मेम्बर होने के बाद मुझे आचार्य जी से दो-तीन मरतबे तबादिले ख्याल व बातचीत करने का मौका हुआ। मैंने उनको वैसा ही पाया जैसा कि हमेशा सुनता रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे प्रीमियर साहब और दीगर और वज़ीर साहबान जो यहां तशरीफ रखते हैं और बहुत से मेम्बर साहब जिनके वे पुराने साथी हैं उनको उनके जाने के बाद उनके छूटने का बहुत रंज है। लेकिन यह भी बिल्कुल सही है कि वह सब लोग जो उनको इस एवान में जानते हैं उनको भी उनके जाने का उतना ही सदमा है जितना कि और सब को है। उनके सही तरीकों के ऊपर चलने से, उनके सही ख्यालात को मालूम करने से हम सब को इतनी खुशी और तकवीयत होती थी जिससे आम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता था। हम आपको इस बात के लिए कि आप यहां से एक अच्छे ख्याल और इरादे के साथ बाहर जा रहे हैं, मुबारकबाद देते हैं और हम यह चाहते हैं कि आप इसी शान के साथ फिर इस हाउस में वापिस आवें और उस अपोज़ीशन को जिसके मुताल्लिक आपका ख्याल है कि कायम करेंगे वह यहां पर आ करके बनायें और गवर्नमेंट को काफी अच्छे सुझाव दे करके और अच्छे रास्तों पर चलावें। हम आपको मुबारकबाद कहते हैं।

*श्री सुल्तान आलम खाँ—जनाब स्पीकर साहब ! इस एवान के अन्दर आज यह तारीखी लमहा है जिसके मातहत हमारे पुराने और कदीमी बुजुर्ग और इस सूबे बल्कि इस मुल्क के बड़े मुहिब्बे वतन आचार्य नरेन्द्रदेव जी और उनके काबिल साथियों ने यह फैसला किया है कि वह इस असेम्बली से बाहर चले जायें। कुदरतन ऐसे मौकों पर जब पुराने साथी और खिलखलूस बुजुर्ग अपने से अलग हों तो उस वक्त इंसान बड़ी तकलीफ महसूस करता है। मैं जब आनरेबिल प्रीमियर साहब की तकरीर सुन रहा था तो मुझे इस बात का अहसास हो रहा था कि हकीकत में इस किस्म का सदमा उनसे ज्यादा किसी दूसरे को नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ यह भी सही है कि इंसान जिन उसूलों के खातिर काम करता है, जिन उसूलों की खातिर वह अपनी जिंदगी वक्फ करता है उन उसूलों को छोड़कर कोई फैसला नहीं किया जा सकता और न उनका और न उनके साथियों का यह फर्ज है कि वे उन उसूलों को जिन उसूलों

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]
को खातिर उन्होंने इतना बड़ा ईसार किया है छोड़ दे। यह भी ठीक नहीं है कि हम उससे उनको रोकने के लिए मशविरा दें। जाहिर है कि आचार्य जी अपने अन्दर कौम और मुल्क का जज्बा रखते हैं और जिन उसूलों की खातिर उन्होंने कांग्रेस जमाअत के अन्दर अपना काम किया और जिन उसूलों की खातिर वे इस बात को महसूस करते हैं कि वे उस काम को अब सही तौर पर उसी वक्त अन्जाम दे सकते हैं जब वे उस जमात से बाहर आ जायें। हो सकता है कि बहुत से लोगों को इख्तिलाफ हो लेकिन अगर जम्हूरियत की तारीख को देखा जाय तो इसमें शक नहीं है कि सही तौर पर जम्हूरी हुकूमत उसी वक्त चल सकती है कि जब अच्छी बाउसूल मुखालिफ जमाअत इस एवान के अन्दर मौजूद हो। हमारे सूबे की कुछ ऐसी बदकिस्मती रही है कि अब तक जो मुखालिफ जमाअत थी वह सिर्फ फिरकेवाराना जमाअत की हैसियत से काम करती थी। मैं समझता हूँ कि यह तारीखी लम्हा है और यह ऐसी चीज है कि जिस पर हम सब को एक बड़े इत्मीनान की सांस लेनी चाहिए कि अब हम उस जमाने में कदम रखते हैं कि जब सही किस्म की मुखालिफत हमें इस असेम्बली के अन्दर मिल सकती है। आचार्य नरेन्द्र देव जी इस्तीफा देकर बाहर जा रहे हैं। हम सब की यह ख्वाहिश है और हम सब को यह इत्मीनान है कि वे फिर इस ऐवान में आकर बैठें और अपने कंस्ट्रक्टिव सजेशन्स (रचनात्मक सुझावों) के जरिए से हुकूमत की पूरी-पूरी मदद करें और उनका साथ वह लोग जो अब तक उनके साथ काम करते रहे थे उन्हें इस बात का मौका दें कि व सही तौर पर इस मुल्क की खिदमत अन्जाम दे सकें।

माननीय स्पीकर--जो भय एक बादल की तरह हमारे सामने कुछ दिनों से मंडरा रहा था आज उसने एक निश्चित रूप बनाया है। आचार्य नरेन्द्र देव और उनके साथ हमारे कई पुराने साथी, सहयोगी और स्नेही आज न केवल इस भवन से किन्तु कांग्रेस दल से, जिसके वास्तविक शासन में यह भवन है, हट रहे हैं इससे स्वभावतः मुझे खेद हो रहा है। साथ चलने वाले साथी जब अलग रास्ते पकड़ते हैं, मोड़ के ऊपर, चौराहे पर, जब एक दूसरे को बिदायी देते हैं तो मनुष्य की प्रकृति के अनुसार खेद होता ही है। आज वही स्थिति हम सबों के सामने है। मैं तो यही चाहता था कि यह भाई अभी इस प्रकार से कांग्रेस से हट कर न जाते। परन्तु राजनीति अजीब वस्तु है। राजनीति विभाजन करने वाली वस्तु होती ही आई है। इस लिए मुझे बहुत आश्चर्य भी नहीं होता कि जिस स्थिति में हमारा देश पिछले एक साल से चल रहा है उसमें समाजवादी दल का अलग होना आवश्यक हो गया। राजनीति सागर में कुछ समय से गहरा मन्थन हो रहा है, बहुत विष निकला है। समुद्र मन्थन से विष पैदा होता है, साथ ही पुरानी कथा के अनुसार अमृत भी पैदा होता है। इस मन्थन में अमृत निकला है। आज बड़ा भय है कि कहीं अमृत भांड को हमारी मूर्खताओं से ऐसा धक्का न लग जाय कि वह फूट जाय। हमें उस अमृत के घड़े को संभालना है, उसकी रक्षा करनी है, जिससे राहु और केतु उसको लेकर न भागें। इसकी रक्षा के लिए देवताओं को शक्तिशाली होकर तैयार रहना है।

आचार्य जी ने एक विरोधी दल में आने की भावना की चर्चा की। विरोधी

दल कुछ बातों के लिए अच्छा होता है परन्तु हमें इस देश में पश्चिमी राजनीति का अक्षरशः अनुसरण नहीं करना है। हमारा अपना विकास अपने ढंग से होगा। पग-पग पर वहां के प्रजातन्त्र में जो बातें हुई वही हमारे यहां भी हों, हमारे यहां भी विरोधी दल बिल्कुल आवश्यक हो, इस विषय पर भी हमें सोच विचार करना होगा। मुख्य बात सिद्धांतों की है। यदि सिद्धान्त नहीं मिलता तब विरोधी दल स्वाभाविक है। यदि आप समझते हैं कि हमारे देश की राजनीति उन विचारों से पृथक किसी नीति पर चलनी चाहिए जो आज हमारी गवर्नमेन्ट की है या कांग्रेस गवर्नमेंट की है तो अवश्य उचित होगा कि आप का दल दूसरे दल से अलग हो जाय। परन्तु केवल विरोधी दल बना कर हम यहां बैठे, यह तो मेरा नम्र निवेदन है कि कोई आदर्श नहीं हो सकता। मैं तो अनुमान करता हूं कि यद्यपि आप ने विरोध में आने की बात कही है तथापि आदर्श तो आप का यही होगा कि विरोध में आकर विरोध की सीढ़ी को काम में लाकर के आप फिर स्वयं शासन का अधिकार अपने हाथ में ले। यह आदर्श होना स्वाभाविक है और मैं समाजवादी दल या किसी दूसरे दल को ऐसा आदर्श रखने के लिए दोष नहीं दूंगा। आज समाजवादी दल अलग हो रहा है। बहुत सम्भव है कि आदर्शों के संघर्ष में दूसरे कई दल भी बनें। क्योंकि राजनीति का प्रश्न आज कई पहलुओं का प्रश्न है। यह पहलू उसका आर्थिक तथा सामाजिक है। साथ ही उसका एक बहुत बड़ा पहलू सांस्कृतिक है। आचार्य जी ने संस्कृति की बात कही मुझे यह सुनकर सन्तोष हुआ। आज सांस्कृतिक प्रश्नों पर आर्थिक तथा सामाजिक प्रश्नों से भी कहीं अधिक वास्तविक मतभेद है। आर्थिक और सामाजिक शब्दावली उसको ढांप नहीं सकती। मेरी स्वभावतः शुभ कामना आचार्य जी और उनके साथियों के साथ है। वे हमारे पुराने सहयोगी हैं। केवल इतना ही मैं उनके इस भवन से जाते समय कहना चाहता हूँ कि आप दल अवश्य बनावें, आप संघर्ष करें। संघर्ष जीवन की शक्ति है और कुछ अर्थों में जीवन का अमृत है परन्तु संघर्ष में हम अपने देश की पद्धति न भूलें। पश्चिमी पद्धतियों का अनुसरण आवश्यक नहीं है। बहुत सम्भव है कि हमारे यह भाई जो आज बाहर जा रहे हैं और जिनके साथ हमारी शुभ कामनायें हैं संघर्ष में उन लोगों के सामने आवें जिनके साथ वे पहले काम कर चुके हैं। हमारे साथियों का दल एक तरफ हो, एक तरफ हमारी सेना हो, और दूसरी तरफ उनकी सेना हो। विचार युद्ध, मत युद्ध और मतदाताओं के बीच युद्ध, यह भविष्य में आने वाला ही है। मेरा कथन यह है कि यह जो कुछ भी आवे उसमें हमारे व्यवहार में माधुर्य रहे और उससे भी ऊपर हम सब नैतिकता की ओर ध्यान रखें। आज सब से बड़ी कमी मुझको राजनीतिक सागर के मन्थन में यह दिखाई पड़ रही है कि जो साम्प्रदायिक विष निकला और जिसके कारण विभाजन हुआ उसके अतिरिक्त नैतिकता की कमी का भी विष बहुत उभरा है। जब-जब चुनाव की बात होती है तब मेरे सामने वे सब रूप आ जाते हैं जिनके द्वारा पदाभिलाषी अपनी इच्छायें प्रकट करते हैं। पदाभिलाषी, मताभिलाषी स्वभावतः राजनीति में आते हैं परन्तु पदों के अभिलाषी अथवा मतदाताओं के मत की अभिलाषा में हम नैतिकता के चट्टान पर दृढ़ रहें यह मेरा नम्र निवेदन है। मैं जानता नहीं कि आगे क्या सूरतें आयेंगी। परन्तु युद्ध यदि होना है तो हमारे

[माननीय स्पीकर]
अपने देश की शैली के अनुसार हो। अर्जुन ने भीष्मपितामह पर वाण छोड़ा था। विचारों का मतभेद था और अर्जुन के लिए आवश्यक हुआ कि वाण छोड़ें परन्तु पहला बाण जब उन्हों ने छोड़ा तो पितामह के चरणों पर छोड़कर प्रणाम किया और प्रतिरात्रि को अर्जुन और उनके साथी भीष्मपितामह से सत्य-नीति और जीवन के अनुभवों में शिक्षा लेते थे। हमारी नैतिकता का आदर्श हमारे देश में युद्ध के समय भी रहा है। हम कांग्रेसजनों को या दूसरे जो राजनैतिक क्षेत्र में आये हैं उनको उस नैतिकता के आधार को न भूलने की समय-समय पर चेतावनी देते रहने की आवश्यकता है। हमारे नेतागण को इस नैतिकता का यदि सदा स्मरण रहे तो हमारे जीवन का स्तर ऊँचा होगा, क्योंकि जब वे स्तर से उतरते हैं तब उनके साथियों का तो ठिकाना नहीं रह जाता। मुंह से तो हम सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं और भी लोग कहते हैं परन्तु व्यवहार में हम पदों के या मतों के पीछे पड़कर नैतिकता को हटने न द इस बात की आवश्यकता है। मैं इतना निवेदन कर फिर अपने जानेवाले भाइयों के साथ अपनी शुभकामना प्रकट करता हूं।

संयुक्त प्रांत के म्युनिसिपैलिटियों के (संशोधन) बिल पर निर्वाचित समिति की रिपोर्ट उपस्थित करने के समय में वृद्धि

*माननीय स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यतः संयुक्तप्रान्त के म्युनिस्पैलिटियों के (संशोधन) बिल पर निर्वाचित समिति की रिपोर्ट के, जो असेम्बली के ६ मार्च सन् १९४८ ई० के निर्णय के अनुसार एक महीने के भीतर असेम्बली में उपस्थित होनी चाहिए थी, ६ अप्रैल सन् १९४८ तक तैयार होने की संभावना नहीं है इस लिए असेम्बली निर्वाचित समिति की रिपोर्ट उपस्थित करने की तारीख ३१ मई, सन् १९४८ ई० तक बढ़ाती है।"

यह प्रस्ताव उक्त समिति की अनुमति से मैं इस भवन के सामने पेश कर रहा हूं। मुझे आशा है कि यह स्वीकार किया जायेगा।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि "यतः संयुक्तप्रांत के म्युनिसिपैलिटियों के (संशोधन) बिल पर निर्वाचित समिति की रिपोर्ट जो असेम्बली के ६ मार्च, सन् १९४८ ई० के निर्णय के अनुसार एक महीने के भीतर असेम्बली में उपस्थित होनी चाहिए थी उसकी ६ अप्रैल, सन् १९४८ ई० तक तैयार होने की सम्भावना नहीं है इस लिए असेम्बली निर्वाचित समिति की रिपोर्ट उपस्थित करने की तारीख ३१ मई, सन् १९४८ ई० तक बढ़ाती है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने का (दूसरा संशोधन) बिल

धारा ५

माननीय स्पीकर—कल सन् १९४८ ई० के संयुक्तप्रांत के सार्वजनिक शांति बनाये रखने के (दूसरे संशोधक) बिल पर जैसा कि वह लेजिस्लेटिव काउंसिल से स्वीकृत हुआ है विचार हुआ था, और उस बिल की चार धारायें, पहली धारा को छोड़कर, स्वीकृत हो चुकी हैं आज अब हमें पांचवीं धारा लेनी है।

*माननीय सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

धारा ५ यह है कि मूल ऐक्ट की धारा १३-क- (13-A) में अंक १० (10) के पहले अंक और अक्षर, "८ क' (8-A) रखे जायेंगे।

प्रश्न यह है कि धारा ५ बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा-६

६--इस धारा के अन्तर्गत सार्वजनिक शांति बनाये रखने के (संशोधक), संयुक्त प्रान्त के आर्डिनेन्स संयुक्त प्रान्त सन् १९४८ ई० [United Provinces Maintenance of Public Order (Amendment) Ordinance 1948] की धारायें २ और ३ फिर से बनाई जाती हैं।

आर्डिनेन्स नं० १, सन् १९४८ ई० की धारा २ और ३ का फिर से बनाया जाना।

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि धारा ६ बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा-१

छोटा नाम और प्रारम्भ।

१--(१) इस ऐक्ट (Act) का नाम सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने का (दूसरा संशोधक) ऐक्ट सन् १९४८ ई० [United Provinces Maintenance of Public Order (Second Amendment) Act, 1948] होगा।

(२) यह तुरन्त लागू होगा।

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि धारा १ बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

भूमिका

कुछ उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक शांति बनाये रखने के (अस्थायी) ऐक्ट, संयुक्त प्रान्त, सन् १९४७ ई० [United Provinces Maintenance of Public Order (Temporary) Act] में और संशोधन करने के लिए।

चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि उन उद्देश्यों के लिए जो इसके बाद दिये हुए हैं सार्वजनिक शांति बनाये रखने के (दूसरे संशोधक) ऐक्ट [United Provinces Maintenance of Public Order (Second Amendment) Act, 1948] में और संशोधन किया जाय,

इस लिए नीचे लिखा हुआ विधान बनाया जाता है :--

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि भूमिका इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय पुलिस सचिव--मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने का (दूसरा संशोधक) बिल जैसा कि वह लेजिस्लेटिव काउंसिल से स्वीकृत हुआ है, स्वीकार किया जाय।

माननीय स्पीकर महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ ज्यादा नहीं कहना है। कल इस पर काफी बहस हो चुकी है और इस पर विरोधी दल के मेम्बरों और दूसरे सदस्यों ने अपनी राय का इजहार किया है और मैं भी उसके सम्बन्ध में जो गवर्नमेंट की तरफ से कहना था कह चुका हूँ। इस लिए मुझे इस सम्बन्ध में और अधिक नहीं कहना है।

श्री जमालुद्दीन अब्दुल वहाब—जनाबवाला, मेरी पार्टी की तरफ से कल इस बिल में जो तरमीमें हुई उन पर जो ख्यालात ज़ाहिर किये गये थे, मुझे अफसोस है कि उनका जवाब नहीं दिया गया और सही तौर पर इसकी रिपोर्ट भी अखबारों में नहीं दी गयी है। इसकी वजह से बहुत सी ऐसी बातें हो गयी हैं जिनको आज मैं छेड़ना नहीं चाहता। समझा यह गया है कि इस पार्टी ने इस बिल के दफात पर जितने एतराज़ात पेश किये थे वह इसलिए कि मुस्लिम लीग के सिलसिले में जो लोग पकड़े गये थे उनकी तरफ से नुमाइन्दगी करनी है। जो तकरीरें इस पार्टी की तरफ से की गयी थीं वह किसी फिरकेवाराना या सियासी जमात की तरफ से नहीं की गयी थीं वह सिर्फ उसूलन की गयी थीं। लेकिन जो जवाब वज़ीर साहब श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था उसमें उन्होंने भी इसका तज़किरा किया। मैं समझता हूँ कि यह तरीका खतम हो जाना चाहिए।

माननीय पुलिस सचिव—मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी। आप शायद गलत कह रहे हैं। अखबारों में रिपोर्ट गालिबन गलत निकली है।

श्री जमालुद्दीन अब्दुल वहाब—मुझे यह सुन कर खुशी हुई है कि अखबारों में गलत रिपोर्ट की गयी है। मैं यही एतराज़ करना चाहता हूँ कि जब इस पार्टी के लोगों ने एक रवैया अख्तियार किया है, उसका इज़हार भी किया है और इस पर कायम रहने की कोशिश कर रहे हैं और यह दिखाया भी है कि इस बात पर कायम रहती है तब इसके बाद बार-बार यह छेड़ना और शक व शुबह करना अच्छा नहीं है। जहां तक कहा गया है कि इस बिल में जो तरमीम की गयी है उससे यह नरम होगा, यह सही नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुद्दत के मुताल्लिक जो दफा है उसमें जो गवर्नमेंट की तजवीज़ है वह मान ली जाय तो उससे यह नरम नहीं होती बल्कि सख्त हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इसके मुताबिक हुक्काम अमल नहीं करते। हुकूमत इस बात को मानती है। पहले दिन इस पार्टी की तरफ से जो बहस की गयी थी वह किसी फिरकेवाराना जमात की तरफ से नहीं की गयी थी। वह इस लिए की गयी थी कि जो लोग पहले मुस्लिम लीग के मेम्बर थे वह ऐसी हालत में गिरफ्तार किये गये थे जब कि मुल्क में फिरकेवाराना ख्यालात का बुरा असर पड़ा था। "कुछ अर्ज़े तमन्ना में शिकवा न सितम का था। मैंने तो क्या कहा और आपने क्या समझा।" इस एवान में जो बहस की गयी है उसका असर यही हुआ कि बातें गलत समझी गयीं और कोई माकूल जवाब इस बहस में नहीं दिया गया। यह आखिरी वक्त है जब हम इस बिल की मुखालिफत करेंगे। मैं आप से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आप को इस वक्त मुल्क में अमन आमान और इन्तज़ाम कानून के ज़ोर से करना है, या उसूली बिना पर काम करना है। सोच लीजिए कि जितने लोग इस तरफ बैठने वाले हैं वह सच्चे नहीं हैं। फर्ज़ कर लीजिए कि वह सच्चे नहीं हैं। क्या इस बात से आप को भी गलत रास्ते पर चलना चाहिए? आप ने यह कहा है कि मुल्क में फिज़ा जो अच्छी हुई है वह किसी कानून की वजह से नहीं हुई या हुकूमत के ज़ोर से नहीं हुई बल्कि किसी आदमी की कुर्बानी की वजह से हुई है, किसी आदमी के जान देने की वजह से हुई है, किसी शख्स की अच्छी बातों से हुई है। जब आप यह मानते हैं तो आप

को बजाय आर्डिनेन्स के कवानीन के उसूलों की बिना पर, अच्छी-अच्छी बातों की बिना पर लोगों को हुकूमत का हमदर्द बनाना चाहिए। बद-किस्मती से इस वक्त हम लोगों की हालत यह है कि हम फिर भी मुनासिब और माकूल तजवीज हुकूमत के सामने क्यों न पेश करें जवाब हमें एक ही मिलता है और वह यह होता है कि "न हम बदले न तुम बदले न दिल की आरजू बदली, मैं कैसे एतबारे इन्कलाबे आसमां कर लूं"। जब आप ही नहीं बदल सकते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि हम हर मौके पर मुनासिब बात इस मुल्क के बाशिन्दों के फायदे की और आप की हुकूमत को अच्छी बनाने की अर्ज कर दिया करें। बदकिस्मती से मैं कल बहस के वक्त यहां मौजूद नहीं था। मैंने अखबारों में रिपोर्ट पढ़ी। हमारी पार्टी के मेम्बरों की हालत यह है कि आप बहुत सी बातें उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया करते हैं जो उनकी नीयत या जुबान पर नहीं हुआ करती हैं। "इधर वह बदगुमानी है इधर यह नातवानी है न बोला जाये मुझसे न पूछा जाये जारो"। एक अजीब तरह इस एक बात की ओर हज्बे मुखालिफ की है। आपने कहा है कि सोशलिस्ट पार्टी इधर आ जायेगी तो यह मुश्किल दूर हो जायेगी। हमें एतराज नहीं। हम इनको खाली करने के लिए तैयार हैं।

मैं आप से इलतजा करता हूं कि इस कानून के सिलसिले में जो तरमीमें की हैं उनसे कानून अच्छा नहीं बन रहा है मुमकिन है कि मामूली इस्लाहात हो जायें लेकिन जहां तक सजा का ताल्लुक है इस कानून के जरिये से ज्यादा सजा और ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा।

दूसरी चीज यह है कि आप के हुक्कामान किस तरह अमल करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ अगर मवाजना किया जाए, तौला जाए, तो इस सूबे में सब जगह के हुक्कामान के मुताल्लिक आज भी मेरी यह राय है कि इस सूबे के हुक्कामान को जिम्मेदारी का बहुत कम अहसास है। बावजूद इसके कि हुकूमत के इल्म में यह बात है कि बाज ऐसे अजला हैं जहां के हुक्कामान ने बिना किसी माकूल सबब के महज शिकायतों पर या किसी और वजह से लोगों को पकड़ लिया है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मैं आप की तवज्जह एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं और आप ने भी उसे तस्लीम किया है कि जहां तक मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स का ताल्लुक है वह खत्म हो चुकी है। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ अजला में मुस्लिम लीग नेशनल-गार्ड के बहुत से मेम्बर वे लोग बने थे जिन्होंने इलेक्शन के जमाने में रजाकारों में अपना नाम दे दिया था और उसके बिल्ले लगा लिए थे। अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो मैं उसकी कद्र करता हूँ। इंसाफ तो यह था कि बाराबंकी के दो गरीब मुसलमानों को, मैं जिनका नाम नहीं लूंगा, बल्कि दो गरीब इंसानों को गिरफ्तार करने के बजाय मुझे गिरफ्तार करते। जिन्हों ने महज इलेक्शन के जमाने में नेशनल गार्ड का बिल्ला लगा लिया था, वे कम कसूरवार हैं। मैं समझता हूँ कि यह निहायत गलत है कि जिन गरीब मुसलमानों ने जिन्दगी भर कभी भी शिरकत करके इसका काम नहीं किया था महज इलेक्शन के जमाने में वो बैज लगा लिए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक उनकी तहकीकात

[श्री जमालुद्दीन अब्दुल वहाब]
नहीं की गई। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अपना कोई रवैया इख्तियार कर लीजिए। कोई मामला हो चाहे पब्लिक मेन्टीनेन्स आफ पीस (जन सुरक्षा और शांति) का हो चाहे कोई हो आप एक उसूल तै कर लीजिए। इसके बाद अगर हम उस पर अमल न करें तो आप हमारी शिकायत करें। मैं बदकिस्मती से देख रहा हूँ कि इस एवान के लीडर में और उसके पीछे बैठने वालों में बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। लीडर कुछ कहता है और पीछे बैठने वालों के जज़बात कुछ और हैं। यह ठीक नहीं है। इससे मुखालिफ पार्टी को और सूबे के बाशिन्दगान को तो नुकसान पहुँच ही रहा है और पहुँचेगा ही लेकिन बड़ा नुकसान हुकूमत को और आपकी जमाअत को पहुँचेगा। आप पहले अपने में इत्तिहाद पैदा कीजिए। आप अगर गिरफ्तारी के मुतालिल्क तै करते हैं तो वैसा कीजिए। आप अगर बज़ोर कानून मुल्क से वह चीज़ खत्म कर देना चाहते हैं जिनको आप नापसन्द करते हैं तो आप पहले अपने तमाम आदमियों को मुत्तफिक कीजिए।

अगर आप यह चाहते हैं कि जो लोग किसी वजह से आप की राय से इख्तिलाफ रखते हैं वे भी इस मुल्क में आराम से रहें तो आप उन लोगों को जो उनको परेशान करना चाहते हैं उनको मजबूर कीजिए कि अपनी जबान बन्द रखें। मैं समझता हूँ कि इस कानून में भी, इस इख्तिलाफ को देखते हुए एक तरफ हुकूमत है जो यह समझती है कि इस कानून की सख्त जरूरत है क्योंकि महज इस कानून की बिना पर ही इस सूबे में अमनो आमान कायम किया जा सका है और दूसरी तरफ खुद आप की पार्टी की अक्सरियत है जो समझती है कि इस कानून का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है। खुद मेरे लायक दोस्त महावीर त्यागी जी का ख्याल था कि इस कानून का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है। आप हमको अपने जवाब से खामोश कर सकते हैं लेकिन सूबे में अमन नहीं ला सकते हैं। मैं आप से यह ख्वाहिश नहीं करता कि आप हमारी ख्वाहिशात को पूरा कर दीजिए। या हम जैसा चाहते वैसा ही हो जाये। लेकिन कम-से-कम जैसा आप के लोग चाहते हैं वैसे तो हो जाने दीजिए। अगर आप वैसा नहीं कर सकते जैसा कि गांधी जी खुद चाहते थे तो कम-से-कम आप की पार्टी के सब मेम्बर एक मर्तबा बैठ कर यह तय कर लें कि उनकी उन मामलात में क्या पालिसी होगी।

मैं आप से फिर अपील करता हूँ कि इस कानून का जो गलत इस्तेमाल हुआ है उसको आप दुरुस्त करें और जो लोग जेल में बन्द हैं वह राष्ट्रीय स्वयम् सेवक के जुर्म में पकड़े गये हों या हिन्दू महासभा के जुर्म में पकड़े गये हों या मुस्लिम नेशनल गार्ड के जुर्म में पकड़े गये हों आप उनके साथ इन्साफ करने की कोशिश कीजिए। इसको आप सुन लीजिए कि जो हुकूमत रहम करना नहीं जानती वह कायम नहीं रह सकती और यह आप याद रखिये कि इंसाफ ज़ालिम भी कभी-कभी करता है। लेकिन रहम में एक ऐसी सिफत है जो सिर्फ रहमान ही करता है। अगर आप इस हुकूमत को चलाना चाहते हैं इसकी बुनियाद रहम पर रखना चाहते हैं तो आप का फर्ज है कि आप सैकड़ों उन गरीबों को जिनको महज आप के हुक्कामान ने खफा हो कर पकड़ लिया है उनको छोड़ दीजिए और

यह साबित कीजिए कि जो तरमीम आप ला रहे हैं वह लोगों की सियासी आजादी को कुचलने के लिए नहीं है। अपने मुखालिफीन को खामोश करने के लिए नहीं है बल्कि इस मुल्क को अच्छा मुल्क बनाने के लिए है। इस मुल्क के बाशिन्दों को अच्छा बनाने के लिए है। इस नीयत के साथ अगर आप का यह बिल आता तो मैं आप को यकीन दिलाता हूँ कि इतना इख्तिलाफ हमारी पार्टी की तरफ से न किया जाता।

(इसके अनन्तर १ बज कर ५ मिनट पर भवन जल-पान के लिए स्थगित हो गया और २ बज कर दस मिनट पर पुनः डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही आरम्भ हुई)

जनाब डिप्टी-स्पीकर साहब, मैंने जो कुछ बातें इसके पहले की थीं, उसमें दो तीन बातें और कहना है। मैं यह मानता हूँ कि इस बिल में बहुत सी तरमीमें ऐसी की गयी हैं जिनसे बजाहिर कानून की सख्ती कम हो जायेगी और यही हुकूमत की तरफ से कहा जाता है। एक दफा के मुताल्लिक हम लोगों को इख्तिलाफ है और उसमें "हुकूमत के इत्मीनान" के अलफाज के बजाय हाई-कोर्ट क इतमीनान कर दिया जाये। जिस वक्त पहली मर्तबा यह कानून असेम्बली में पेश हुआ—यह समझा जाता था कि इस मुल्क में अमनोमान कायम करने के लिए और ऐसे लोगों को सजा देने के लिए जो हिन्दू—मुस्लिम या और कोई जजबात पैदा करना चाहते हैं यह कानून बनाया गया है। उस वक्त कहीं पर सियासी मसायल का तजकिरा नहीं था। मेरा इशारा इस तरफ है कि लोग पाकिस्तान जायें या इस तरफ आयें या फिफ्थ कालम-निस्ट का इल्जाम उस वक्त मौजूद भी नहीं था जिस वक्त यह कानून पास किया गया था। हमें इस कानून के अन्दर इसी एक बहुत अहम चीज पर गौर करना है और मैं आप को इसकी तरफ तवज्जह करने के लिए दावत देता हूँ। इसके तेहत में बहुत सी गरम बातें हुई हैं। जो पाकिस्तान जाने वाले हैं या पाकिस्तान से यहां साजिश करने वाले हैं—इस मामले में मैं चाहता हूँ कि हुकूमत और जितने लोग हुकूमत के साथ हैं—वह अपनी पालिसी और अपनी राय तय कर लें। शुरू में यहां से कुछ आदमी पाकिस्तान चले गये। उसके बाद बहुत से ताजिर यहां से चले गये अगर यहां के हुकूमत की मन्शा यह थी जो लोग किसी जमाने में यहां फिरकेवार जमातों की पार्टों में शरीक रहे हैं चले जायें। तो जब वह चले गये तब यह एतराज था कि यह वहां गये हैं इस लिए कि वहां से इस मुल्क की मुखालिफत करते रहें। जब वह चले आये तब यह एतराज है कि वह वहां से कोई साजिश करने के लिए आये हैं अगर कोई शख्स नहीं गया है न वापस आया है लेकिन किसी ऐसी जमात में रहा है तब आप का यह ख्याल होता है कि यह दोनों से ज्यादा चालाक है और पाकिस्तान से हमदर्दी रखता है इसका नतीजा यह होता है कि हाकिम जिला ऐसे आदमियों को गिरफ्तार कर लेता है। कोई आदमी जाता है तो गिरफ्तार हो जाता है और आता है तो गिरफ्तार हो जाता है। मैं समझता हूँ कि यह कानून इस काम के लिए नहीं। इस बात के लिए तो बहुत सख्त कानून की जरूरत है और वह इन्टरनेशनल ला (बैनुल-अकवामी कानून) में मौजूद है। जब किसी आदमी को आप ट्रेटर (गद्दार) कहते हैं तो आप के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है कि आप इसको साबित कर। यह दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता कि अगर किसी आदमी को गद्दार समझा जाय तो यह कहा जाय कि तुम यहां से चले जाओ। और न यह होता है कि बाज लोग जो तकरीर करते हैं

[श्री जमालुद्दीन अब्दुल वहाब]

या जो मजामीन छापते हैं उनके कहने से आप किसी के शहरी हकूक छीन लें। लिहाजा जिन-जिन जगहों पर और जिन-जिन अशखाश को इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया कि उनका रिश्ता पाकिस्तान से है वह गिरफ्तारियां गलत हुई हैं। आप अपने यहां के बाशिन्दों को वफादार बनाने के लिए ऐसी बातें कहते हैं कि जिससे लोग होशियार हो जाते हैं मगर आप यह नहीं देखते हैं कि उसका कितना बुरा नतीजा होता है, उसका व्या रिऐक्शन (प्रतिक्रिया) होता है उसकी आप को परवाह नहीं होती है। मैं जानता हूं कि गोरखपुर में एक ऐसे साहब कैद किये गये थे जिनके मुताल्लिक यह शुबहा था कि वह अपना रुपया पाकिस्तान मुन्तकिल कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि इस कानून के मातहत में उनको गिरफ्तार करना ठीक था या गलत था। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि पाकिस्तान जाने से हैजान पैदा हो जाता है। बहुत खूब। अगर यह मान लिया जाय तो उनको सफाई का मौका तो देना चाहिए। मान लीजिए कोई आदमी यहां से वहां तिजारत करने जाता है और उसकी वह नियत नहीं है जो आप समझते हैं और आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं तो क्या आप उसके साथ इंसाफ करते हैं? आप के ऊपर एसी जिम्मेदारी है कि आप ऐसा कानून बनावें कि जिससे दुनियां को जाहिर हो कि आप का जम्हूरी तरीका है। आप जम्हूरियत के हामी हैं। इसके अलावा मैं आप से अर्ज करता हूँ कि फिरके-वाराना मामलों में दो-तीन किस्म के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। एक वह जो सियासत में फिरकेवारियत पैदा करते हैं, दूसरे वह जो मजहब के लिए लड़ते हैं, तीसरे वह जो किसी जाती मामले के लिए लड़ते हैं और उसका असर बुरा पड़ता है। आप किस किस्म की फिरकेवारियत इस मुल्क से खत्म कर रहे हैं। अगर आप यह तवक्को करें कि जो लोग मजहब मानते हैं वह छोड़ दें तो यह गैर-मुमकिन है। हम यह चाहते हैं कि कोई आदमी ऐसी बातें न करे कि जिससे खून-खराबी हो। अगर यह वजह गिरफ्तार करने की है तो ठीक है। उससे फिरकेवाराना फसादात नहीं होते बल्कि अगर उसकी सफाई कर दी जाती तो वह खत्म हो जाते और लोगों में इश्तआल खत्म हो जाता। इसके सिवा और भी बहुत सी ऐसी बातें गिरफ्तारियों के सिलसिले में हुईं और मैं यह भी अर्ज कर दूं कि जब मैंने नाम लिया राष्ट्रीय स्वयं-सेवक-संघ का तो मेरे बाज दोस्त तन्कीद करते हैं कि आप खड़े हो कर उनकी सफाई कर रहे हैं। मैं किसी जमाअत की सफाई नहीं कर रहा हूं। मैं आपको दावत दे रहा हूं कि जो बेगुनाह हैं, जो मुजरिम नहीं हैं उनको आप मौका दें कि वह अपनी सफाई कर सकें। आप राय देते हैं आप उन्हें गिरफ्तार कराते हैं और आप के हुक्काम उनसे बदसलूकी करते हैं। आप की राय उनकी गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं है। यह जुर्म है इंसाफ नहीं। आप एक चीज और भी सोचिए कि यह गिरफ्तारियां जो गांधी जी के वाकया के बाद की गयीं वह कितनी बुरी हैं और कितनी नामुनासिब हैं। आप को इसका एहसास नहीं है और आप न मानें लेकिन मैं आप को यकीन दिलाता हूँ कि जिन लोगों को आप ने पकड़ा अगर वह बाहर होते तो वह अपने अमल की ऐसी सजा पाते। एक आम फिजा मुल्क में फिरकेवाराना जमाअत के खिलाफ गांधी जी के

वाकये से पैदा हो गई थी। आप ने लोगों को पकड़ कर, लोगों को गिरफ्तार करके उस फिजा को खत्म कर दिया और बिल्कुल दूसरा मसला पैदा कर दिया। बहरहाल आप यह दावा कर रहे हैं कि यह कानून जो आप बना रहे हैं यह पुराने कानून में इस्लाह के लिए है। मुझे इस वादे पर एतबार इस लिए नहीं है कि आप नर्म कानून बनायें या सख्त कानून बनायें, आप के वह लोग जो कानून पर अमल करते हैं वह तो ऐसी गलतियां करते हैं, वह ऐसे काम करते हैं कि जिससे सूबे की फिजा मुफ्त में खराब होती है। मैं आप से अपनी तकरीर खत्म करते हुए यह इल्तजा करता हूँ कि आप अच्छा कानून बनाने के बजाय यह कोशिश करें कि आप के हुक्काम अच्छे बन जायें और वह इस कानून पर अच्छाई से अमल करें और दूसरे आप जरायम के लिए सजा तजवीज कीजिए। जरायम जिन चीजों का करार दिया जाय उसके लिए सजा तजवीज कीजिए। यह अंधाधुंध गुल शोर मचाना, हर चीज को ट्रीजन कहना, हर बात के ऊपर दूसरे मुल्कों का हवाला देना, हर एक मसला दूसरों से मिला देना इससे सिर्फ उनके लिए मुश्किलात नहीं आती है जिनको आप बन्द कर रहे हैं बल्कि यह हुकूमत चलाने वालों के रास्ते में आप खलल डाल रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं और इसका अंजाम अच्छा कानून या उम्दा अमन नहीं है बल्कि इसका अंजाम लाकानूनियत और बदअमनी होगा। लिहाजा आप को दूसरों के ऊपर तन्कीद करने के जोश में और किसी फिर्केवाराना जमाअत को बुरा कहने के जोश में बह न जाना चाहिए, अपने फरायज को भूल न जाना चाहिए। आप खुशी-खुशी इस कानून को पास कर दीजिए, लेकिन आप का फर्ज है कि आप अपनी जगह पर एक मजबूत पालिसी बना लीजिए, पाकिस्तान के मुताल्लिक एक नई पालिसी बना लीजिए, मुस्लिम लीग के मुताल्लिक एक नयी पालिसी बना लीजिये। उन लोगों के मुताल्लिक जो अब तक मुसलिम लीग में रहे हैं उनके मुताल्लिक एक नयी पालिसी बनाइए, एक मजबूत रविश अख्तियार कर लीजिए उन लोगों के साथ जो आप के ख्याल के कोई फिरकेवाराना बात यहां करना चाहते हैं और जो कोई मजबूत पालिसी बनाइये तो पहले उसके ऊपर अपने को अच्छी तरह से तोल लीजिए कि आप उसमें फिट होते हैं, आप उस पर चल सकते हैं। उसके बाद दूसरों को दावत दीजिए। जो न आये तो जो सजायें आप ने तहरीर की हैं उनको [illegible] जाए। कितने अफसोस की बात है कि आप की नशिस्तों पर बहुत से लोग बैठे जिन्हों ने महज फिर्कापरस्त जमाअतें बनाई हैं जैसे आल-इन्डिया मुस्लिम मजलिस और शिया पोलिटिकल कान्फ्रेंस। क्या यह फिरकापरस्त जमाअतें न थीं। आप की नशिस्तों पर ऐसे लोग बैठ कर फिर्कापरस्तों को गाली देते हैं। हम लोगों से तो सिर्फ यह जुर्म हुआ है कि पीपुल्स पार्टी बना कर बैठे हैं और उधर जो लोग बैठे हैं उनकी नस्बत क्या राय है। आप बिगड़िए या खुश होइए लेकिन सबूत मौजूद है। गरदन झुकाइए तो आप को मेरी तकरीर में जो दावा है उसका मुकम्मिल सबूत मिल जायगा।

श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा—अगर हम गरदन झुकाएँ तो आप वार कर दें।

श्री जमालुद्दीन अब्दुल वहाब—यह तो अनपार्लियामेंटरी (अवैधानिक) बात होगी

[श्री जमालुद्दीन अब्दुल वहाब]
अगर मैं ऐसा कर दूं। लेकिन जब हम तै करते हैं कि इस मुल्क में एक नया माहौल हो और हम सब लोग मिल कर माज़ी (भूतकाल) के बजाय मुस्तकबिल (भविष्य) की बात सोचें तो आप को इस बात का मौका देना चाहिए कि मुसलमान आप के रहम व करम पर नहीं बल्कि मुल्क के कानून पर चलकर एक शहरी की तरह यहां रह सकें। यह गलत है कि जिससे आप खुश हों वह यहां रहे, जिससे आप खुश हों वह वफ़ादार समझा जाय, और जिससे आप नाराज हों वह यहां न रह सके, वह बदअमनी फैलाने वाला समझा जाय, फिरकापरस्त समझा जाय, ट्रेटर (राष्ट्रद्रोही) समझा जाय। अगर किसी दूसरी वजह से, किसी जुर्म में कोई आदमी गिरफ्तार कर लिया जाता, तो मैं आप का इतना ज्यादा वक्त न लेता। इस कानून के मातहत अगर आप किसी आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो इसके मानी हैं कि आप उस को फसादी करार देते हैं, यानी जेल से बाहर आने पर भी उसकी जिन्दगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और समझा जाता है कि वह फसादी है। सिर्फ हुक्काम की राय पर, हुक्काम की रिपार्ट पर, कोई फसादी बने यह गलत बात है। मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ और आप से फिर अपील करता हूँ कि आप ने जो उसूल बनाये हैं, उन उसूलों को आप आजमाइए और जो लोग उस पर चलते हैं उनको इंसाफ के साथ मौका दीजिए कि वह आप के दिल को मोह सकें आप को हमदर्द बना सकें और आप का एतमाद हासिल कर सकें। एतमाद हासिल करने का यह तरीका नहीं जो कि आज आप के हुक्काम अख्तियार कर रहे हैं और न वह अन्दाज़ अच्छा है जो आप के दिये हुये अख्तियारात के इस्तेमाल करने में वह बरतते हैं। इन चन्द अलफ़ाज़ के साथ मैं फिर इस बिल की तरमीमों की मुखालिफत करता हूँ।

माननीय पुलिस सचिव--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात की तरफ आप का ध्यान में दिलाना चाहता था कि जिस वक्त मैंने यह बिल पेश किया था कि यह मंजूर किया जाय मैंने यह कहा था कि जैसा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मंजूर हुआ है। लेकिन यहां चूंकि एक संशोधन हो गया है तो यह कर दिया जाय कि जैसा कि इस भवन ने संशोधित किया है।

श्री महफूजुर्रहमान--जनाब वाला, जिस बिल के ऊपर कल से बहस हो रही थी अगर इस बिल की मंशा को सामने रखकर तकरीरें की गयी होतीं तो मुझे इस सिलसिले में कुछ बोलने की जरूरत न पेश आती। लेकिन यह देखकर कि बिल का मंशा क्या है वह किस लिए पेश किया गया है उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके ऐसी बहसें छेड़ी गयीं जिनका कोई ताल्लुक नहीं और उनका मकसद सिर्फ यह है कि गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इल्जामात रखे जायं। इसलिए मुझे इस सिलसिले में बोलने की जरूरत पेश आयी। अपोजीशन का यह मतलब नहीं है कि जो बात भी इधर से पेश की जाय ख्वाह वह कितनी ही अच्छी से अच्छी हो मगर उसकी मुखालिफत जरूर की जाय। लेकिन यहां जो अपोजीशन है जो पहले लीग के नाम से था और अब दूसरे नाम से है उसका रवइया यही है कि जो बिल इधर से पेश किया जाय चाहे वह उन्हीं के मफाद के लिए क्यों न हो मगर वह यह समझते हैं कि उस पर तनकीद करना और इस सिलसिले में गवर्नमेंट को कुछ सलवातें सुना देना जरूरी है।

मुझे अर्ज यह करना है कि यह असली बिल जो पहले पास हो चुका है और जो अब तरमीम के बाद हाउस में पेश है, और जिस किस्म की तकरीरें इस पर की जा रही हैं यही तकरीरें उस वक्त भी करीब-करीब की गयी थीं।

यह अजीब बात है कि जब अमनो अमान के नाम से कोई बिल पेश किया जाता है और गवर्नमेंट किसी अकदाम का इरादा करती है तो उस वक्त हमारे ये भाई यह समझने लगते हैं कि यह हमीं लोगों की गिरफ्तारी के वास्ते है, हमीं लोगों को दबाने के वास्ते है, और हमीं लोगों को कुचलने के वास्ते है। पहले भी यह बात की गयी है और अब भी उन्हीं बातों को दुहराया जा रहा है। हालां कि अगर गवर्नमेंट का मंशा यह होता कि इस कानून से सिर्फ पार्टियों को कुचला जाय या अपने हरीफों को दबाया जाय और उनकी रायों को खत्म किया जाय और अगर गवर्नमेंट इस मंशा से इस कानून पर अमल करती तो उसका नतीजा यह होता कि आज जो हमारे सामने मेम्बरान दिखाई देते हैं शायद वह यहां पर मौजूद न होते बल्कि वह किसी और जगह पर मौजूद होते। लेकिन यह नहीं है बल्कि गवर्नमेंट के ऊपर फर्ज है कि हर सूरत में अमनो अमान को कायम रखे। जैसी मुल्क की हालत होगी वैसे ही कानून बनते जायंगे। अमन हो, किसी फिरके से किसी को कोई खतरा न हो उस वक्त किसी कानून के बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर अमनो अमान नहीं है या अगर फिरकेवाराना झगड़े उठ रहे हैं जितने फसाद ज्यादा उठ रहे हों तो कानून बनते जायंगे उनके रोकने के लिए और जितनी ज्यादा फिजा बिगड़ती जायगी उतने ही कानून सख्त से सख्त बनते जायंगे और गवर्नमेंट सख्त से सख्त होती जायेगी। पहले जो हंगामे हुए हैं और जिस वक्त पहले यह कानून पास हुआ उस वक्त की हालत आप खुद जानते हैं। लोग समझते थे कि ये मामूली सी बातें हैं। यह एलेक्शन का बहुत मामूली सा गुबार है निकल जायेगा उसके बाद लोग चुप हो जायंगे। लेकिन उसके बाद फिजा खराब होती ही गयी उसके बाद बड़ी-बड़ी बातें सामने आयीं। महात्मा जी का कत्ल हुआ। इसके बाद जो बातें जिलों-जिलों से मालूम हुई कि इस तरह के गिरोह बन रहे हैं उन तमाम चीजों के बाद हमारे भाइयों को यह समझना चाहिए था कि ऐसी नाजुक हालत है और यह कानून आना ही चाहिए यह समझना कि ऐसे आर्गनाइजेशन अपने बुरे इरादे तर्क कर चुके हैं यह चीज गलत है। जो जमाअतें किसी बुरे इरादे को लेकर चलती हैं वह दबाये से दबती नहीं। यह हो सकता है कि थोड़ा सा दब जायं लेकिन मौका पाकर फिर उभरती हैं और कोशिश करती हैं कि अमनो अमान को गारत कर दें और अपने बुरे मकसद को पूरा करें। इन तमाम चीजों के आने के बाद आपको जरूरत इन चीजों की महसूस होनी चाहिए थी कि जितने ज्यादा से ज्यादा सख्त कानून बनाये जा सकते हों उतने कानून बनाये जायं और हर तरीके से इन फसादों को कुचल जाय। लेकिन इस सिलसिले में जो खास चीज मालूम हुई है वह यह है कि जितने हंगामे हुए उनके पीछे ज्यादातर सरमायेदार हैं। बड़े-बड़े मिलों के मालिक हैं। उन लोगों ने खुद जिम्मेदार लोगों से बयान किया पब्लिक वर्करों से बयान किया कि इन काम करने वालों को पनाह इन्हीं सरमायेदारों के यहां मिला करती है। और यह जो कुछ फितना और फिसाद करते हैं इन्हीं सरमायेदारों की सरपरस्ती से करते हैं। देखा

[श्री महफूजुर्रहमान]
यह जाता है कि ये मामूली सजाओं या जुर्मानों से बाज नहीं आते। और जरूरत है कि इन चीजों को बंद किया जाय। यह सरमायेदार इस शेर के मिसदाक हैं।

शेर:— गर जां तलबी मुजायका नेस्त।
गर जर तलबी सखुन दर आं नेस्त।

यानी अगर बावजूद जेल के भी इन लोगों को अहसास न हो तो इस सिलसिले में उनकी जायदाद भी जब्त हो सकती है, माल भी जब्त हो सकता है, पूरा का पूरा इलाका भी जब्त हो सकता है यह अहसास अगर उनको हो जाय तो वह शायद रुक सकें। लिहाजा जो कुछ भी इसमें आपके सामने रखा गया है सख्त से सख्त अकदाम लिये गये हैं और मुल्क की हालत को देखकर यह चीज बिलकुल बेजा है। गवर्नमेंट के सामने किसी की तफरीक नहीं है। वह इससे बिलकुल आजाद है कि ख्वाह मुसलिम लीग वालों ने किया हो, जनता पार्टी के लोगों ने किया हो और ख्वाह खुद कांग्रेसियों ने किया हो अगर वह कानून की खिलाफवरजी करेगा या कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे खतरात यकीनी हों उसके खिलाफ हुकूमत जरूर कार्यवाही करेगी।

इसमें किसी पार्टी और जमाअत का सवाल नहीं है। आप ने चन्द बातें इस तरफ यह कहीं कि साहब यह अजीब बात है कि हम बदल गये फिर भी हमारे साथ वही बात की जा रही है, वही सलूक किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो बात सामने आती है वही कहनी चाहिए! आप क्यों कर बदल सकते हैं जो लोग कहते हैं कि हम बदल गये वह मेरी समझ में नहीं आता। पालिसी बदलती है रवैया बदलता है। दुनियावी उसूल बदल जाया करते हैं लेकिन मजहब नहीं बदलता है दीन नहीं बदलता है। दीन और मजहब बड़ी मुश्किल से बदलता है किसी मजहब से कोई शख्स बेजार होता है उस वक्त वह उसे बदलता है पाकिस्तान के क्या मानी हैं आप कहते थे "ला इलाहा इलल्लाह" मैं कैसे बावर कर लूं कि "ला इलाहा इल अल्लाह" से आप मुसलमान हो कर मुनकिर हो गये यह कैसे हो सकता है। यह चीज साफ कर दी जाय तो मेरी समझ में आये। आप तो कहते थे कि पाकिस्तान में खालिस इस्लामी कुरानी और खुदाई हुकूमत होगी आज आप उस कुरानी और खुदाई हुकूमत के कैसे मुखालिफ हो गये। आप ने जो शुबहे पैदा किये हैं आप के बदलने का यकीन क्यों कर आ सकता है। आप के गलत नारों का नतीजा है इसको साफ कीजिए आप पाकिस्तान के बनाने में मुइन व मददगार थे। पाकिस्तान के माने आप कहा करते थे 'ला इलाहा इल अल्लाह" है। आप ने उसे मजहबी चीज बनाया था अब हर शख्स उसी पर यकीन करेगा जो आप कहा करते थे अगर आप उसकी तरदीद करते हैं तो अवाम में जाकर समझाइये और कहिए कि वह नारा गलत था। मजहब वोट लेने के लिए था। अब हम उसकी तरदीद करते हैं और यह कि पाकिस्तान के मानी "ला इलाहा इल अल्लाह" नहीं है। तो खैर मैं मान लेता हूँ।

श्री फखरुल इस्लाम—ला इलाहा इलल्लाह कुरानी हुकूमत यह पाकिस्तान के दस्तूर में कहां है मुझे नहीं मालूम शायद आप ने बनाया हो।

श्री महफूजुर्रहमान—यह तो आप की दीदा दिलेरी है। आप की इस बात को सुन कर हाउस झूम उठा होगा तमाम अखबारात की फाइलें और लखनऊ के गली

कूचे इसकी शहादत देंगे मुझे, इसके जवाब देने की जरूरत नहीं है खैर इसको मान भी लूं कि आप बदल गये हैं और तसलीम कर लिया कि आप के दावे गलत थे, लेकिन जरा आप इसको खुद महसूस कीजिए कि अपोजीशन में होते हुए भी महज इसलिए कि आप लीग से ताल्लुक रखते हैं उसकी बिना पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। महज लीग में होने से अगर कोई कार्यवाही होती तो जितने भी लीग के मेम्बरान थे चाहे वह एम० एल० ए० हों एक-एक कर के गिरफ्तार कर लिए जाते। ऐसा नहीं हुआ है। यह आग आप की लगाई हुई है। उसी से दिलों में नफरत पैदा हुई है और उसी का रद्दे अमल है कि हिन्दू जहनियत बदली और राष्ट्रीय स्वयं-सेवक-संघ की जमात पैदा हुई। नफरत का जवाब नफरत है। आप की तलखी ने तलखी फैलायी है। उसका यह नतीजा निकाला है। आप अपने दौर को खत्म कर चुके। आप की बातें खत्म हो गयीं। अब आप के वह दिलो-दिमाग नहीं हैं मगर आप ने जो आग लगाई है उस आग की गरमी बाकी है। आप ने जहर फैलाया है वह जहर मौजूद है। जिसकी वजह से सारे फितना व फसाद होते हैं। गवर्नमेन्ट ने उसको रोकने के लिए गिरफ्तारियां कीं अचानक एक बहुत बड़ा हादिसा हो जाता है अगर गवर्नमेन्ट ने आम गिरफ्तारियां इस सिलसिले में शुरू न की होतीं तो न मालूम क्या होता।

यह होता है कि जिस वक्त कोई अहम काम किया जाता है तो उस वक्त कोशिश यह होती है कि जिस किसी के मुताल्लिक जरा सा भी शुबहा हो उसको पकड़ लिया जाय। जिनके मुताल्लिक जरा सा भी शुबहा हुआ कि इनसे अमन व अमान में खलल पड़ने का अन्देशा है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यह कहना कि पुलिस बिना बुनियाद के ही किसी को गिरफ्तार कर लेती है यह मुनासिब नहीं है। पुलिस को जब शुबहा होता है कि फलां शख्स से फसाद बढ़ने का अन्देशा है और जब उसको ऐसा शुबहा हुआ तो उसने बहुत से लोगों को एकबारगी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस बुनियाद पर नहीं कि लीग के मेम्बर होने की वजह से या पाकिस्तानी ख्यालात के होने की वजह से किसी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि जिससे किसी किस्म का खतरा हो सकता था ख्वाह वह हिन्दू था या मुसलमान था बिना इसका ख्याल किये हुये सब को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर ऐसी बात न होती तो आज बहुत से कांग्रेसी लोग भी जेल में न पड़े होते, जमीयतउल-उलेमा के लोग जेलों के अन्दर बन्द नहीं होते। कांग्रेस वालों की और जमीयतउल उलेमा वालों की भी गिरफ्तारियां हुईं। इससे साफ पता चलता है कि महज इस लिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया कि वह लीगी था या पाकिस्तान से हमदर्दी रखता था। जिस किसी से भी खतरे का अन्देशा हुआ उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अगर इस पर भी मेरे दोस्त कहते हैं कि अन्धेर है तब तो मुझे यह शेर याद आता है—

शेर—— दोगूना रंजो अजाब अस्त जाने मजनूं रा।
बलाए सुहबते लैला व फुरकते लैला॥

अगर गवर्नमेन्ट लोगों को नहीं पकड़ती है तो आप यह कहते हैं कि गवर्नमेन्ट

[श्री महफूज़ुर्रहमान]
नेकर्म्मी है। लेकिन आप तो हर सूरत में तरदीद ही करेंगे चाहे कोई भी काम गवर्नमेंट करे आप उसकी मुखालिफत ही करेंगे। गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि वह अपने काम को सही तौर पर अन्जाम दे। अब तक जितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं उनमें से बहुत से अब तक छोड़ भी दिये गये है। जब गवर्नमेंट को लोगों से मालूम हुआ कि फलां शख्स बेगुनाह है उसको रिहाई उसी वक्त कर दी गयी। आप देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि अब तक बहुतों की रिहाई हो चुकी है और कितनों की रिहाई की बात अभी गवर्नमेन्ट के जेरे गौर है। इतना होते हुए भी अगर आप कहते हैं कि गिरफ्तारियों का करना जुल्म है।

श्री फखरुल इस्लाम—अहमदाबाद में हजारों ऐसी गिरफ्तारियां हुई।

श्री महफूज़ुर्रहमान—अगर आप मुर्दा होकर हजारों कहते हैं तो मैं क्या कहूँ लेकिन जनाब ने कितनों को छुड़ाया ?

डिप्टी स्पीकर—मैं आप से दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी तकरीर मेरी तरफ मुखातिब होकर करें। मैं आपस में गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री महफूज़ुर्रहमान—बहरहाल गवर्नमेन्ट की यह कतई पालिसी नहीं रही है कि किसी बेगुनाह को गिरफ्तार कर ले। जिस वक्त किसी के ऊपर शुबहा हुआ कि वह फसाद करने वाला है उसको गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मालूम होता जाता है कि फलां शख्स बेगुनाह है उसकी रिहाई होती जाती है। बहुत लोगों की रिहाई हो चुकी है और एक हफ्ते में आप देखेंगे कि बहुत थोड़े लोग जेलों के अन्दर रह जायेंगे। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस किस्म से तरदीद करना आसान है और किसी पर इल्जाम लगाना बहुत सहल है। लेकिन यह जो बिल है उसको सामने रखकर उसकी हकीकत को देखें तो यह आप की ही मुहाफिजत के लिए है आप के लिए जो खतरे हैं उन्हीं को मिटाने के लिए है। जम्हूरियत की हिफाजत करने के लिए है। लिहाजा आप अपने शुबहात को दूर कर दीजिए और इस बिल को पूरे इत्तिफाक और पूरी खुशी के साथ मंजूर करना चाहिए।

श्री राधेश्याम शर्मा—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय! मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बहस अब बन्द की जाय।

डिप्टी स्पीकर—मैं श्री फिलिप्स को बोलने का मौका दूंगा और तब आप के प्रस्ताव पर राय लूंगा।

श्री आर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसा मालूम होता है कि अपोजीशन के दिल में कुछ शकूक हैं। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं खड़े होकर बोलूं लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि उन शकूक को जरूर रफा कर दूं जो कि अपोजीशन के दिल में हैं मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि कोई कानून जो एडमिनिस्ट्रेशन (शासन) के हाथ में अभी तक रहा ऐसा नहीं है कि जिससे शिकायत न रही हो अगर कोई हो तो मैं उन मेम्बर वकील सज्जन से जो इस एवान में तशरीफ रखते हों इस वक्त मुकाबिला करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरी खिदमात भी बहैसियत पब्लिक प्रासिक्यूटर के बहुत अरसे तक रही और हाईकोर्ट तक मैंने अपने मुकदमात पेश किये। मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई कानून

ऐडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में अभी तक ऐसा नहीं रहा जिससे पब्लिक को शिकायत किसी न किसी तरीके से न हुई हो। और इन सब के होते हुए भी इस बात की हमेशा जरूरत महसूस हुई है कि गवर्नमेंट के पास कुछ ताकत इस तरीके की रहे जिससे वह अपने देश का इन्तजाम सही तरीके पर कर सके। यह जो शकूक आपके दिल में पैदा हुए क्यों पैदा हुए। मैं यह पूछता हूँ कि क्या ताजीरात हिंद के दफा ३०२ में चालान नहीं हुए या १०७, १०६, ११० जाबता फौजदारी में चालान नहीं हुए। मगर यह क्यों हुए यह तो सब उस वक्त की जरूरत के मुताबिक हुए। उस वक्त मुल्क आजाद नहीं था और अब इस वक्त यह मुल्क आजाद हुआ तो कुछ दिक्कतें इस तरीके की पैदा हुई जिससे कि जरूरत गवर्नमेंट को हुई कि उसके हाथ में ज्यादा अख्तियार हों। इसको इस शकूक की नजर से नहीं देखना चाहिए कि इस अख्तियार से ऐसा किया जायगा या वैसा किया जायगा। हिन्दुस्तान को बीच में लाकर या पाकिस्तान को बीच में लाकर अपनी गुफ्तगू से इस किस्म के फिसे पैदा करना जिससे कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रंज पैदा हो जाय। यह तरीका मेरी राय में बिलकुल नाकिस और गलत है। सही बात तो यह है कि यह मुमकिन हो सकता है कि कुछ बातें उसमें ऐसी हैं जो कि सेलेक्ट कमेटी में जाने से ठीक हो सकती हैं माइल्ड (नम) हो सकती हैं लेकिन इस ऐक्ट में जो तरमीम पेश की गयी है वह नाकिस है वह नहीं होनी चाहिए। मैं इसका हामी नहीं हूँ। मैं यह सोचता हूँ कि जो बिल हमारे सामने इस वक्त पेश है और उस पर जो तरमीम पेश की जा रही है उसके लिए हमको यह देखना चाहिए कि हम अब एक ऐसे जमाने में हैं कि जब गवर्नमेंट को हर तरीके के इन्तिजामी अख्तियारात को हाथ में रखने की जरूरत है और अगर गवर्नमेंट ऐसी ताकत आप से चाहती है तो आप उनको यह ताकत दे दें। आपको गवर्नमेंट से सिर्फ डरना नहीं चाहिए और न कोई दिक्कत पेश करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी अपने भाषण में कहा था कि ऐसी बात हो सकती है कि कहीं पर ओवरडूइंग (अति) हुआ हो। बहैसियत पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट के मुझको काम करना पड़ा है। मैं आपको बताता हूँ कि कई मौकों पर ओवरडूइंग (बहुत ज्यादा) होता है लेकिन वह सब पब्लिक के इंटरेस्ट (हित) के लिए होता है। तो आप इस किस्म की तरमीम पेश करके क्यों बदमजगी पैदा करते हैं। मैं मानता हूँ अपोजीशन निहायत उम्दा चीज है। अपोजीशन की इमदाद के बगैर उम्दा कानून गवर्नमेंट नहीं बना सकती है क्योंकि अपोजीशन की जहां कमी होती है वहां पर उसको पूरा करने में मदद करती है और गवर्नमेंट को ठीक रास्ते पर चलाती है लेकिन मैं अपने ३४ साल के तजुर्बे की बिना पर कहता हूँ कि अगर आप कानून सही तरीके पर बनाएं तो शिकायत कम से कम होगी यह तो मैं नहीं कह सकता कि शिकायत नहीं होगी। शिकायत तो जरूर होगी। अच्छे काम के करने में भी शिकायतें होती हैं, लेकिन यह कि शिकायत न हो या बहुत कम हो इसका मौका इसी तरीके से हो सकता है कि गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जह करे कि जब इस ऐक्ट पर तरमीमात के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या और अफसरान अमल दरामद करें तो वह उस किस्म के काम न करें जिस तरीके की चन्द बातें यहां पेश

[श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स]

की गयी है। मै उनको दुहराना नहीं चाहता। मगर इस बात को जरूर जांच लिया जाय कि वह उन्दगी के साथ हर एक चीज को देखे ताकि सही तरीके पर इस कानून का इस्तेमाल हो। यह चन्द अल्फाज मै आप साहिबान की खिदमत मे पेश करके यह कहता हूँ कि मैं इस तरमीम का हामी नहीं हूँ।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि इस मसले पर अब बहस खत्म की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय पुलिस सचिव—मैं हाउस का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मै चाहता हूँ कि और दूसरे बिल जो यहां पेश है उन पर जल्दी गौर हो और काम खत्म किया जाय। मुझे उम्मीद है कि हाउस के सब मेम्बरान इसमे गवर्नमेंट की मदद करेंगे, और दूसरे कानूनों को जल्द से जल्द पास करने की मेहरबानी करेंगे। इसमें तकरीरें और व्याख्यान अगर कम हों तो बेहतर ही होगा। मुझे अफसोस है कि हमारे दोस्त अनरार अहमद साहब इस पर बोलना चाहते थे। मैने कहा भी था कि अगर वह बोलना चाहते है तो बोले, लेकिन अपनी तकरीर पांच मिनट मे खत्म कर दे। लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। अभी जो दूसरा बिल पेश होगा शायद उनको उस पर बोलने का मौका मिल जायगा, पर शायद वह उस पर बोलने से डर रहे है।

मे नहीं चाहता कि कल जो बाते मैने कही थीं उनको फिर दुहराऊँ। जैसा कि मै कल कह चुका हूँ इस संशोधन की मंशा यही है कि अफसरान को इस बात का मौका मिले कि जिनके खिलाफ वे कार्रवाई करते है वह कार्रवाई सख्त न हो यही इसकी मंशा है। और अगर यह न हो तो आम तौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ६ महीने से कम की सजा या नजरबंदी न करेंगे। जब ऐसी सूरत है तो हमे चाहिए कि हम अफसरान को ऐसा मौका दे कि अगर वह चाहे तो किसी को एक महीने के लिए नजरबंद करें या अगर चाहे तो एक महीने से दो या तीन महीने बढ़ाकर कर सके या अगर बीच मे छोड़ना चाहे तो छोड़ सके। ऐसी सूरत मे मे नहीं समझता कि इस संशोधन की मुखालिफत क्यों की जाती है।

जमाल साहब ने बहुत से सवाल उठाये है। अगर मुझे वक्त होता तो मे उनमे से एक-एक का जवाब देता लेकिन मे समझता हूँ कि उन्होंने जो बाते कही है वह ठीक पैराये मे नहीं है और न मै समझता हूँ कि कल जो बाते हो चुकीं उनके बाद उनको उठाने की जरूरत है। यह कहना गलत है कि हमने जो गिरफ्तारियां की है उनमे ज्यादती हुई है या सख्ती हुई है या जो गिरफ्तार हुए उनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था। भारतीय सरकार ने उन सारी जमाअतों को गैरकानूनी करार दिया। जो लोग इन जमाअतों के मेम्बर थे उनको गिरफ्तार किया गया अब उसके बाद जो उनसे अपना ताल्लुक नहीं रखना चाहते और उनसे अलग होना चाहते है उनको छोड़ने के लिए हम हमेशा तैयार है और मै यह पहले ही कह चुका हूँ कि हमने काफी आदमियों को छोड़ा है। मै फिर इस बात का इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि इस सिलसिले मे जो आदमी अब भी बन्द है उनमे से अगर कोई अब भी चाहेगा और कहेगा कि हमारा ताल्लुक इन जमाअतों से नहीं

है तो हम उसके बारे में गौर करने के लिए और उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं।

मैं मानता हूं कि हर एक आदमी की आजादी की रक्षा करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि किसी आदमी को गिरफ्तार करने से उसको पकड़ लेने से उसको चोट पहुँचती है तकलीफ होती है। मगर हर आदमी जो कोई काम करता है उसके लिए तकलीफ उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस और फिर दूसरी पार्टियों ने भी इसी तरीके को अपने सामने रखा। इस तरह से जेल जाने से परेशानी या सख्ती की बात मेरी समझ में नहीं आती। कुछ लोग गलती से पकड़ लिए गये है। इसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया था कि उस गलती को सुधारने की कोशिश की गयी है और सुधार भी किया गया है लेकिन इस बात पर बार-बार चर्चा करना ठीक नहीं है। मैं इस हाउस को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि किसी जमात के खिलाफ कोई कार्यवाही ऐसी नहीं होगी जिससे किसी को शिकायत करने का मौका मिले। लेकिन अगर कोई आदमी कानून के खिलाफ काम करेगा तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार अमल किया जायगा। कानून इसके लिए बना हुआ है। यह नजरबन्दी का कानून भी इसी हालत में इस्तेमाल किया जायगा।

श्री अब्दुल बाकी--मैं एक सवाल करना चाहता हूँ वह यह है कि जिन लोगों को छोड़ देने के बारे में कहा गया है क्या वह लोग किसी शर्त पर छोड़ दिये जायेंगे या बगैर किसी शर्त के छोड़ दिये जायंगे। जहां तक मुझे मालूम है आम तौर से लोग एक बंड देने के बाद छोड़ दिये जाते हैं।

माननीय पुलिस सचिव--दोनों बातें होंगी। जिन लोगों के बारे में इस बात का पूरा इत्मीनान नहीं है कि वह बाहर निकल आने के बाद भी कायदे के अन्दर काम करेंगे तो उन लोगों से जमानत भी ली जा सकती है। अगर उनका रवैया बदल गया तो जमानत खतम भी हो सकती है।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि सार्वजनिक शांति बनाये रखने का (दूसरे संशोधक) बिल, संयुक्त प्रांत, सन् १९४८ ई० [U. P. Maintenance of Public Order (Second Amendment) Bill 1948] जैसा कि वह लेजिस्लेटिव काउन्सिल से स्वीकृत होने के बाद इस भवन से संशोधित हुआ है मंजूर किया जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रांत का साम्प्रदायिक झगड़ों को रोकने का बिल

डिप्टी स्पीकर--माननीय प्रधान सचिव के प्रस्ताव पर कि संयुक्त प्रान्त के साम्प्रदायिक झगड़ों के रोकने के बिल, सन् १९४८ ई० पर जैसा कि वह लेजिस्लेटिव काउन्सिल से स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय, विचार जारी रहेगा। इस पर श्री खानचन्द गौतम पिछले दिन तकरीर कर रहे थे और तकरीर खतम नहीं हो पायी थी कि भवन स्थगित हो गया था। अब वह अपनी तकरीर जारी करेंगे।

*श्री **खानचंद गौतम**--अभी-अभी माननीय पुलिस मंत्री ने ऐसी इच्छा प्रगट की है कि कार्यवाही जल्द से जल्द खत्म की जा सके तो अच्छा है और मैं भी उनकी इस इच्छा का लिहाज करता हूं। इस लिए जहां तक सम्भव होगा बहुत संक्षेप में

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बालचंद गोतम]

मैं अपने विचार आपके सम्मुख प्रगट करूँगा और जल्द से जल्द अपने भाषण को समाप्त करने की कोशिश करूँगा ।

परसों जब इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार आप के सम्मुख रख रहा था तो मैं जिक्र कर रहा था कि इस दुखद स्थिति में जिसमें से कि हमारा प्रान्त गुजर रहा था हमें क्या करना पड़ा वह इस नीयत से कह रहा था कि एक छोटा सा बिल हमारे सम्मुख है उसमें क्या त्रुटियां हैं मैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ। इसका जिक्र करते हुए मैं मुनासिब समझता हूँ कि इसमें क्या कमी रह गयी है इसका भी जिक्र कर दूं। इस लिए मैं यह जानना चाहता हूं कि जो विशेषाधिकार हमने इस बिल के द्वारा सरकार को दिये थे वह कैसे थे और किस परिस्थिति में दिये थे और इस समय की परिस्थिति में कहां तक इन अधिकारों का रहना मुनासिब है और उन अधिकारों का कैसा प्रयोग हुआ ।

मान्यवर हम लोगों को एक मजबूरी में लोकतन्त्र शासन में ऐसा करना पड़ा कि हमारे यहां के नागरिकों की स्वतन्त्रता पूरी की पूरी छिन गई थी, नागरिक यह कह सकते थे कि वह सन्देह में जेलखाने नहीं जा सकते, नागरिक बिना वारन्ट के पकड़े जा सकते थे उनके जाने-आने में प्रतिबन्ध लगा हुआ था बगैर वारन्ट के उनकी तलाशी ली जा सकती थी। उनको बिना किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये एक लम्बे अर्से तक जेलखाने में रखा जा सकता था। चलते-फिरते आदमियों पर प्रतिबन्ध लग सकता था । बहुत बड़े-बड़े जुरमाने वसूल किये जा सकते थे। ऐसे अधिकार गवर्नमेन्ट को दिये गये थे। मामूली तौर से सभ्य समाज में न्याय के जो उसूल प्रचलित हैं उनके आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था को कोई भी आदमी सही नहीं कहेगा। डिक्टेटरशिप के दौरान में जिस तरह शासन चलता है, जिस तरह के अधिकार डिक्टेटर्स बरतते हैं उसी प्रकार के अधिकार हमारी गवर्नमेन्ट के हाथ में रहे। जिस समय यह अधिकार दिये जा रहे थे तो विरोधी पक्ष की तरफ से मुखालिफत की गयी थी क्योंकि उनको भय था कि उनके ही विरुद्ध इसको इस्तेमाल किया जायगा। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिन्होंने इस ऐक्ट का समर्थन किया था और यह कहा था कि जिस किसी भी व्यक्ति को इस बात का सदेह होता है, यानी जिस व्यक्ति को यह भरोसा नहीं है कि वह इत्मीनान के साथ यह कह सके कि मेरे खिलाफ इनके इस्तेमाल का भय नहीं हो सकता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके खिलाफ उनके इस्तेमाल किये जाने की गुंजायश है और उसके खिलाफ वह इस्तेमाल होंगे। जिस स्थिति में से प्रान्त गुजर रहा था उसको समझ कर हमने अपनी सरकार को निरंकुश अधिकार दे दिये थे कि किसी तरह से आज का समाज इससे विश्रृंखल हुए बगैर गुजर जाये। सभ्यता के सिद्धांत हमारे लिए आवश्यक हैं। स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक हैं लेकिन जब जीवन का ही खतरा हो तो फिर बड़े-बड़े सिद्धांत किसके लिए रहेंगे। उस समय हमने गवर्नमेन्ट को अधिकार दिये और उनका प्रयोग हुआ लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इन अधिकारों को बरते जाने में जितनी सावधानी बरती जानी चाहिए थी उतनी नहीं बरती गई और उसमें कमी रह गई ।

जिस समय हम किन्हीं अधिकारियों को ऐसे निरंकुश शासन के अधिकार देते हैं तो हम यह समझ कर देते हैं कि इतना खतरनाक हथियार कभी लापरवाही के साथ इस्तेमाल नहीं किया जायगा। उसके प्रयोग में बहुत एहतियात बरती जायगी और इसके द्वारा ऐसा नहीं होगा कि असाधारण स्थिति को काबू में करने के लिए जो अधिकार हम उन्हें दे रहे है उनके द्वारा नागरिक के ऊपर बेजा ज्यादती हो जाय। मै यह उम्मीद करता था कि इस दौरान में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे नियम लागू होंगे जिनके द्वारा जिले के अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश होंगे कि वह उसी मात्रा मे उन अधिकारों का इस्तेमाल करें जितनी कि आवश्यकता हो। जहां दमन की आवश्यकता हो दमन हो, मगर केवल उसी मात्रा में जितना आवश्यक हो। नागरिक जिस हद तक दबाये जाने के बाद ठीक मनोवृत्ति में आजावें उससे अधिक और दबाना और विद्रोह पर आमादा करना ठीक नहीं है और न होना चाहिए। जो विचार मै गवर्नमेन्ट के समक्ष रख रहा हूँ उसको स्पष्ट करने के लिए एकाध मिसाल देना चाहता हूँ। मेरे जिले में गिरफ्तारियां हुई हथियारों के सम्बन्ध में बहुत से गांवों में तलाशियां हुई। यह तलाशियां इस अवस्था मे ली गई जब कि जिले के अधिकारी बहुत पहले से यह जानते थे कि उन गांवों में हथियार थ बारूद से चलने वाले बहुत से हथियार मेरे जिले मे पहुँचे थे और गवर्नमेन्ट जो भी साधन उनको निकालने के लिए इस्तेमाल करती हम उनमें उसकी सहायता करते। मगर ऐसी चीजें रखना जैसे छुरे, चाकू, सांड़ भगाने के बल्लम, और वह बल्लम जिनको साधारण लोग रखते हैं रखना जुर्म नहीं है। हुक्काम दौरे पर गये और रात म किसी गांव के पास वह ठहरे तो देखा कि बीस-बीस आदमी बल्लम लिये हुए अपने उस गांव में पहरा दे रहे हैं। वह जानते थे कि उस समय यह आवश्यकता थी क्योंकि हम उनकी रक्षा के लिए पुलिस नहीं लगा सकते थे। उन्होंने स्वयं चाहा था कि नागरिक इकट्ठा होकर अपनी रक्षा करें यह उन हुक्काम की जानकारी में था लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस गांव की तलाशी ली तलाशी में यह स्वाभाविक था कि लाठी बल्लम निकलें जो वह पहले से इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने उन पहरेदारों को मौजूदा कानून के अधीन पकड़ लिया और जेल मे लाये। उनके देखने की चीज यह थी कि यह तमाम लोग हमला करने के लिए किसी दूसरे गांव पर नहीं जा रहे थे जो चीजें गवर्नमेंट की जानकारी में उस गांव की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो रहीं थीं उस पर इस प्रकार का बरताव करना गैरमुनासिब है। उनको पकड़ा गया, कानून का तकाजा था ठीक किया, मगर उसके बाद उनको तुरन्त कोशिश करनी चाहिए थी कि दो-तीन चार महीने तक उन्हें जेलखाने में न पड़ा रहना पड़ता। जब मैंने देखा कि गिरफ्तार व्यक्तियों में करीब ४०० ऐसे आदमी हैं जिनके पास सिर्फ कहीं चाकू निकला है कहीं बल्लम कहीं चारा काटने का गँड़ासा तो मैंने यहां गवर्नमेंट में आकर यह सुझाव रखा कि यह नामुनासिब होगा कि उन लोगों को तीन तीन साल की सजा दी जाय। यहां मै कई मिनिस्टर्स से मिला। मुझे इस बात की खुशी है कि जिनके सम्मुख मै गया उन्होंने इसको स्वीकार किया कि मेरा कहना ठीक है और यह मुनासिब है कि उन लोगों को तीन-तीन साल की सजायें न हों।

[श्री खानचंद गौतम]

मगर इन सब के बाद भी यहां पर कुछ नहीं हुआ और मैं यहां से नाउम्मीद चला गया। हफ्तों इंतिजार करने पर भी जिला अधिकारियों के पास कोई हुक्म ऐसा नहीं पहुँचा कि उन लोगों के साथ उस सीमा तक सख्ती न की जाये जिस कानून का संशोधन आज हम करने जा रहे हैं उसमे एक धारा है। उसके तहत मे जो आदमी पकड़ा जाता है, अगर वह जमानत चाहे तो उसके लिए दो शर्तें हैं। एक तो पुलिस के हुक्काम को मौका मिले कि वह उसके जमानत की मुखालिफत कर सके। दूसरी शर्त यह है कि न्यायाधीश को यह इतमीनान हो जाये कि वह आदमी निर्दोष है। तब उसकी जमानत मन्जूर हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब किसी न्याया-धीश को यह इतमीनान हो जायगा कि वह निर्दोष है तब वह क्यों जमानत पर जाना चाहेगा। और जब वह फिर मुकदमे के लिए पेश होगा तब न्यायाधीश किस मुह से उसका मुकदमा करेगा। यह कानूनी नुक्सा मुझे मालूम हुआ। वहां के जेल का मैं निरीक्षक हूँ। बीच-बीच मे मैं वहां गया। वहां नागरिकों को देखकर मेरी तबियत पर जो असर हुआ है मैं चाहता हूँ कि सभा के सदस्य भी उसमे भाग बँटा लें ताकि जो लोगों को तकलीफ है उससे न्याय हो सके।

कुछ गिरफ्तारशुदा आदमियों की आंखे अन्धी है। ८० वर्ष का एक बूढ़ा शख्स महज इस बिना पर पकड़ा गया कि एक मसजिद मे एक भाला मिला था। मसजिद मे सुबह से शाम तक चार पांच चार लोग आते है और नमाज पढ़ते हैं। कौन जानता है कि किसने भाला डाल दिया। आर्म्स ऐक्ट के दफा १० मे भी दिया है कि अगर किसी मकान मे कोई असलहा निकलता है तो सिर्फ एक आदमी सजा का अधिकारी नहीं है बल्कि हर एक वह जो उस मकान मे रहता है सजा का मुरतहक है। उसमें ऐसे भी आदमी हैं जिनको लरजा आता है जो सीधे खड़े नहीं हो सकते जिसकी रीढ़ सीधी नहीं है जो लाठी या भाले को कसकर पकड़ भी नहीं सकते। मैंने इस चीज के लिए अधिकारियों से कहा। (आवाजः—षड़यंत्र कर सकता है)। षड़यंत्र की जांच होनी चाहिए और मुकदमा चलाना चाहिए। षड़यंत्र चलाने के लिए बहुत बड़े मसाले चाहिए। अगर हम षड़यंत्र करते है तो षड़यंत्र के लिए जो कानूनी कार्यवाही मुनासिब हो वह गवर्नमेंट को करना चाहिए। षड़यंत्र का केस ऐसा होता है कि उसमे बहुत थोड़े आदमी सजा पाते हैं। षड़यंत्र किसी अकेले के बस का नहीं है। यह आपको देखना चाहिए कि इसकी बुद्धि कितनी है। कितने इसके रिलेशंस (सम्बन्ध) हैं। आपको फिर देखना चाहिए कि जिले के अधिकारियों ने कितना न्याय उनके साथ किया हैं अब आप देखिए कि यह लोग जो जेलखाने मे पकड़ कर आये थे ये हफ्ते या दस दिन के लिए थे मगर तीन-तीन चार-चार महीने वहां पड़ रहे इन्होंने दरख्वास्त दी मगर काम इतना था कि उन दरख्वास्तों पर गौर नहीं हो सका। शायद जिला अधिकारियों ने तो कहा ही होगा और मैंने भी कहा कि कुछ अधिकारियों को बढ़ा दे। कुछ आद-मियों को भेज दे ताकि जो नागरिक आप के पास अर्जी भेजता है उस पर गौर करने का या उसको पढ़ने का प्रबन्ध हो तो हो जाय। मगर उसका प्रबन्ध नहीं हो सका। बहुत मुमकिन है कि गवर्नमेन्ट के पास ऐसी मजबूरियां रही हों जिनकी

वजह से वह भेज नहीं सके मगर ऐसे कठोर अधिकार लेने के बाद और उनका निरन्तर प्रयोग होते रहने के समय यह जरूरी हो जाता है कि हम ऐसा प्रबन्ध करें कि इन अधिकारों का दुरुपयोग न होने पावे। मेरे जिले के जितने हिन्दू मुसलमान प्रतिनिधि हैं उनके घरों को लोग घेरे रहते थे और चाहते थे कि जमानत हो जाय लेकिन उसमें इस बात की गुंजायश न थी कि कोई जमानत ली जा सके या जल्द से जल्द मुकदमात हो जायें। इस संशोधन के सिलसिले में जितनी देर हुई है और इसी कठोर अधिकार का इस्तेमाल करने में जो असावधानी हुई है उसकी ओर मैं माननीय प्रीमियर का ध्यान इस विनय के साथ आकर्षित करता हूँ कि यह कानून जारी रहने वाला है, इन अधिकारों का प्रयोग किया जायगा इस लिए इसके साथ-साथ इस बात का प्रबन्ध जरूर रहना चाहिए कि केवल उतनी सख्ती हो जितनी जरूरी है उससे ज्यादा न हो क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग अच्छे बनें और कहीं वह अत्यधिक दमन के कारण और अधिक बुरे न बन जांय। गवर्नमेन्ट से इस बीच कुछ सवाल पूछे गये थे कि जिनसे प्रगट हुआ कि गवर्नमेन्ट को अभी स्थिति के बारे में इत्मीनान नहीं है इस लिए इन अधिकारों का जारी रहना जरूरी है। यदि वास्तव में अभी गवर्नमेन्ट को शान्ति सुरक्षा के सम्बन्ध में इत्मीनान नहीं है तो उसके लिए जरूर कठोर अधिकार लिए जायें और जहां पर आवश्यक हो वहां पर उनका बहुत निर्भय होकर इस्तेमाल किया जाय। मगर मैं देखता हूँ कि किसी परिस्थिति के उत्पन्न होने पर दमन के साधन तो हैं और उनसे दमन किया जाता है। पंत से आदेश होते हैं और जैसे-जैसे वह नीचे के अधिकारियों के पास जाते हैं वह उतने ही सख्त होते जाते हैं। आदेश जारी करने वाले का जितना मंशा सख्ती का होता है उससे कई-कई गुना अधिक सख्ती नीचे के अधिकारी करते हैं और परिस्थिति को रोकने के लिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना देना चाहिए। मिसाल के तौर पर आज दिन की बात का जिक्र करता हूँ। कुछ सवाल पूछे गये थे। हुकूमत को मालूम है कि हमारे यहां के मुसलमानों को बरगलाया गया। बरगलानेवाले लोग आज यहां पर नहीं हैं। वे पाकिस्तान में बड़े-बड़े ओहदों पर हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे देश का युद्ध चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र-संघ में हमारा मामला पेश है। उनके यहां से रोजमर्रा इस प्रकार की बरगलाने वाली चीजें होती हैं जो यहां के मुसलमानों को सन्देह का पात्र बना देती हैं। फिर पाकिस्तान और हमारे बीच में ऐसे लोगों का आना-जाना जारी है कि जिनके पास से हथियार पकड़े गये हैं, फौजी नकशे पकड़े गये हैं। ऐसा सामान पकड़ा गया है जो सन्देहास्पद है। ऐसे लोगों के आने जाने पर प्रतिबन्ध नहीं लग रहा है।

मुझे बड़ी हंसी आयी थी जब एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि उनको मालूम नहीं है कि इस प्रकार का सामान पकड़ा भी गया है या नहीं। जो आदमी सूबे में अखबार पढ़ता है वह सब जानता है। उसे सब मालूम है कि इसी लखनऊ शहर में ४० डिब्बे मालगाड़ी के तलाश किये गये थे। और दूसरों जिलों से बहुत सा सामान इस किस्म का निकला था। उन्होंने जरूर इसको पढ़ा होगा। मगर वह भूल गये होंगे। वहां से आने वाले लोगों की तलाशियां हुई हैं। हवाई जहाज से लोग उतरे हैं। उनके बहुत से सबूत पकड़े गये हैं

[श्री ज्ञानचंद गौतम]

और उनके पास षड्यंत्रकारी बहुत से डाकूमेंटस (विवरणपत्र) और कागजात निकले हैं अखबारों में इसकी खबर निकली है। अधिकारियों के पास उनकी रिपोर्ट आयी है। मिनिस्टरों तक वह मामला पहुँचा होगा, मगर गवर्नमेन्ट की तरफ से कहने वाले महाशय कह उठे कि उनकी जानकारी में ऐसी चीज नहीं है। अगर जानकारी हुकूमत को नहीं है तो मुझको हैरत है। हमारे सूबे की बेस (आधार) अन्तर देश के साथ विद्रोह करने वाले लोग अगर पाकिस्तान आये-जायें और यहां के गुप्त भेद उधर दें और उसका हमारी गवर्नमेन्ट को पता तक न हो और इस सम्बन्ध में कुछ पता न चले जब कि बातें ऐसी हो गयी हों और लोग पकड़े गये हों तब तो बड़ी परेशानी की बात है। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर परिस्थिति को बिगड़ने से रोक नहीं सकते हैं तो फिर दमन के ज़रिये तबाही लाना काफी नहीं है। वह समाज के लिए श्रेयस्कर भी नहीं है। अपने सूबे मुसलमानों की मुस्लिमलीग के लोगों की मनोवृत्ति बदल रही है उनको मौका देना चाहिए कि वह बदली हुई परिस्थिति में ईमानदारी से यह साबित कर सकें कि वह यहां के वफादार हैं। मैं सिफारिश करता हूँ कि बावजूद इसके कि चाहे आप कितनी ही कड़ी निगाह उन पर रखें, और रखनी चाहिए इस सम्बन्ध में भी किसी क़िस्म की बेजा सख्ती नहीं होनी चाहिए, मेरी यहां पर ऐसी मांग उपस्थित है। यहां लोग बहुत बड़ी तादाद में पकड़े गये। एक फौज का दस्ता कभी कहीं से गुजरा, ४०,५० आदमियों को पकड़ा और पकड़कर जेलखानों में ठूंस दिया। कमसे कम उनको दण्ड देने के बाद छूट कर अपने घर जाना चाहिए ताकि वह अपने *कामकाज में लगें। यह नहीं कि जेलखानों में बार बार केवल गुटबन्दियां करें और वहां से जब लौटें तो समाज में एक तो असंतोष है ही और दूसरा भी असंतोष पैदा हो। यह समाज के हित की दृष्टि से अच्छी बात नहीं है और फिर उन लोगों के मुतअल्लिक मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जिनके पास छोटे छोटे हथियार निकले, जैसे कि ६ इंच का चाकू, ऐसे लोग सजा पा गये हैं। उनके लिए इस संशोधन में प्रधान मंत्री ने फरमाया था कि उनकी सजायें माफ कर देंगे। मैं इस तरीके को बहुत मुनासिब नहीं समझता। गवर्नमेन्ट में यहां आ कर किसी काम पर गौर कर लेना और उस काम को करा लेना कितना मुश्किल है और उसमें कितनी देर लग सकती है इसका तजुर्बा हम लोगों को भी है जिनको यहां, इस सेक्रेटेरियट में आने जाने में कोई रोक-थाम नहीं है।

मगर उन लोगों के लिए जिनके यहां कोई पुरसां हाल नहीं है जिनकी अर्जी को लेकर कोई पहुँचने वाला नहीं है, जिनकी अर्जी किसी दफ्तर में दब गई तो वहां से निकलवाने वाला कोई नहीं है उनके प्रति अन्याय होना कितनी खराब बात है। ऐसी सूरत में कहीं ज्यादा सख्ती न हो जाय इसका प्रबन्ध किसी अदालत के द्वारा गवर्नमेन्ट करे। मैं तो यह सिफारिश करता हूं कि गवर्नमेन्ट ने जिसके यहां से चार पांच इंच का चाकू निकला या वह हथियार निकले जिनको काश्तकार शायद रोज रखता है और वह भी इस सूरत में निकले जब कि वह हमला करने नहीं जा रहा था उन पर मुकदमा कायम है और मुकदमा चलने वाला है या चल रहा है या जो दो या तीन या चार महीने सजा पा चुके हैं और उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे

अगर है तो वे उठा लिए जायें क्योंकि जो सजा वह भोग चुके है वह बहुत काफी है। मै सिफारिश करता हूँ कि गवर्नमेन्ट उनके खिलाफ जो मुकदमे है उन्हे वापिस ले क्योंकि वे काफी सजा पा चुके है।

अन्त मे मै गवर्नमेन्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से जो अधिकार उनके नीचे के अधिकारियों को हस्तांतरित किये जायें उन पर ध्यान रखा जाय कि उनका बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो जाता है मसलन ऐसी नौबत भी आई कि कहीं ज्यादा कोई गड़बड़ी हुई कि बस हुक्म हुआ कि दो लाख का जुर्माना और वह भी चार दिन मे वसूल किया जाय, दो लाख का जुर्माना और चार दिन मे वसूल होने के मानी क्या है। अगर आप वहां के बाशिन्दों की खाल को भी खींच डाले तो भी वह वसूल नहीं हो सकता। वहां उनकी वसूलयाबी के लिए जानवरों को हांक-हांक कर कांजीहाउस में बन्द कर दिया गया, उनकी जमीन कुर्क कर दी गई और उनको मजबूर किया गया कि वे कर्ज लेकर अपनी गर्दन फँसाकर फौरन का फौरन अदा करे। उन्हे इसका भी मौका नही मिलता कि वे वाजिब सूद पर कर्ज ले सके और अपना गला छुड़ा सके। मै समझता हूं कि यह सख्ती निहायत नामुनासिब है। मै अर्ज करता हूं कि जिन अधिकारियों को अधिकार हस्तांतरित हुए है उन्होंने आदेश दिये है कि तीन लाख और चार लाख रुपये चार दिन मे वसूल करने है। ऐसी सख्तियां हुईं। उनकी वजह से ऐसी तबाही हुई है कि माननीय पुलिस मंत्री जब मेरे जिले मे दौरा करने गये तो ऐसी स्थिति में और ऐसे गांवों मे उन्हें गुजरना पड़ा कि जिनमे मर्दों में गिनने के लिए कोई आदमी नहीं था। सिर्फ छोटे-छोटे बच्चे और औरते थीं क्योंकि आदमी गिरफ्तार हो चुके थे और औरतें ऐसी-ऐसी बाते रोती बिलखती आकर कहती थीं कि माननीय पुलिस मंत्री को धैर्य रखना मुश्किल हो गया। इस किस्म की ज्यादती? जहां लोक-तन्त्र है वहां के लोगों को इस बात की शिकायत होने लगे कि आप के अधिकारियों ने संयम के साथ काम नहीं किया है ठीक नहीं है। हमारी मौजूदा गवर्नमेन्ट के सम्बन्ध मे इस प्रकार का सन्देह होना बड़े अपमान की बात है। लोक-तन्त्र हिमायती और नागरिक स्वतन्त्रता के हिमायती जिन्होंने नागरिक स्वतन्त्रता के लिए ही वर्षो जेलखाने काटे हों और ऐसी सख्तियां सही हों और जिसमे से निकल आने के बाद उनके स्वास्थ्य हमेशा के लिए टूट गये हों और अपने बहुत से साथियों को जेलखाने मे गवां कर आये हों, उन लोगों के खिलाफ यह आवाज लगना कि नागरिक स्वतन्त्रता के अपहरण करने मे वे झिझके नहीं है और जिन प्रतिबन्धों के साथ उन अधिकारों का उपयोग करना चाहिए था उनका वे उपयोग नहीं कर सके है जिस संयम के साथ उन्हे अधिकारों का उपयोग करना चाहिए था वे उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सके यह बात तो हमारे शान मे नहीं बैठती।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मै गवर्नमेन्ट को आगे के लिए इन अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध मे सचेत करते हुए गवर्नमेन्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि इस बिल में जो आवश्यक सुधार बाकी रह गये है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाय जिसमें कम से कम जितना समय हो सके जुर्म को देखते हुए जितना समय आवश्यक है उससे ज्यादा किसी हालत मे जेल मे कोई न रहे। उसके बाद ही वह बाहर आ जाय और इसमे

किसी किस्म की बाधा न आ पड़े ।

*श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने तो पहले यह तय किया था कि पहला बिल जो था और आज का जो बिल है उस पर कोई तकरीर न करूँ लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी बिना पर मुझे बोलना ही पड़ा । यह बिल जो पेश किया गया है वह इस गरज से बनाया गया था कि फिरकेवाराना फसादात को रोका जाय । लेकिन मेंटीनेंस एक्ट में भी बहुत क्लाजेज थे और इसमें भी बहुत से क्लाजेज हैं । मेंटीनेंस ऐक्ट की मातहत में गवर्नमेंट के कार्यकर्त्ताओं ने अगर कुछ किया तो बावजूद इसके उनको इसमें सैकड़ों अख्तियारात दिये गये थे लेकिन सीधा सा अख्तियार डिटेंशन नजरबंदी का उन्होंने इस्तेमाल किया । इसके अलावा गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में किसी अखबार के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिसने कि झूठी खबरें फैलाईं और एक फिरके की दूसरे फिरके के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की । मैं इस गवर्नमेंट को और इस हाउस के मेम्बरान को यह बतलाना चाहता हूँ कि अगर सही तरीके से हर बात का वह जायजा लें तो मालूम होगा कि इन अखबारात ने मुख्तलिफ किस्म की चीजें मुख्तलिफ शक्ल में मुख्तलिफ तरीके से पेश करने की कोशिश की और जो जुर्म और गुनाह हम पर गवर्नमेंट लगाती है वह गालिबन इसी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में पलने वाले अखबारात ने सबसे जबर्दस्त पैदा की । लेकिन मैं नहीं देखता और न मुझे इल्म है कि गवनमेंट ने उनके खिलाफ कोई काररवाई की कि उन्होंने क्यों गलत खबरें शाया कीं । मिसाल के तौर पर मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि मेरे ही जिले में बहुत सी खबरें गलत छापी गयीं जिनका इसी गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हर दूसरे तीसरे रोज कंट्रैडिक्शन (विरोध) किया । लेकिन यह चीज क्या गवर्नमेंट के इल्म में नहीं थी और उनके खिलाफ या उनके करेसपांडेंट (सम्वाददाताओं) के खिलाफ जिन्होंने यह.........

माननीय प्रधान सचिव—यह सब बातें बहुत अच्छी हैं और हम लोगों को इससे बहुत सा सबक सीखने का मौका मिल सकता है लेकिन बदकिस्मती से इस बिल का दायरा बहुत महदूद है और वह सिर्फ इतना ही है कि सजा को कम करने का डिस्क्रीशन (स्वेच्छा) दिया जाय या न दिया जाय तो इसमें यह चीजें कहीं नहीं आती हैं । चूंकि वक्त कम है इसलिए मुझे यह मजबूरन कहना पड़ा ।

डिप्टी स्पीकर—मेहरबानी करके आप अपनी तकरीर बिल तक ही महदूद रखिये ।

*श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब वाला, जो बिल हमारे सामने पेश है मैं यह समझता था कि इस सिलसिले में हमें जनरल पालिसी पर बहस करने का हक था । लेकिन चूंकि डिप्टी स्पीकर साहब ने हुक्म दिया है तो मानने की कोशिश करूँगा । मेरा मतलब यह है कि यही तरमीम इस एवान में हमारी तरफ से पेश हुई थी तो दूसरी शक्ल में उसकी मुखालिफत की गयी । मैं इसको कबूल करता हूँ कि हमने जहर बोया, जहर का खमियाजा भुगता और भुगत रहे हैं । लेकिन यह तो समझाइये कि अगर आप जो चीजें सबसे अच्छी समझते हैं और हर किस्म की नफरत मिटाने के लिए इन चीजों को हाउस में पेश किया करते हैं, क्या यहीं के रिपोर्टर्स ने आज

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

के अखबार में एक क्लास को दूसरे क्लास के खिलाफ हेटरेड (घृणा) पैदा करने की कोशिश नहीं की। जिस चीज को आप मिटाना चाहते है वही चीज पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके बाद मुझे यह बात कहनी है कि जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है कि तीन साल को एक साल कर दिया जाय, मुझे यह तो बतलाया जाय कि इस आजादी के जमाने में आपके डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन (जिला शासन) में पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों में कितना कोआपरेशन होता है। जिसकी बिना पर इस बिल के जरिये से और इसके पहले बिल के जरिये से जो मुसीबतें जिनका जिक्र हमारे दोस्त ज्ञानचन्द गौतम ने किया है जिनका फलाव हर जिले में हो रहा है, कैसे दूर हो सकती हैं। कितनी अफसोसनाक बात यह है कि इस आजाद मुल्क में एक सरकार का मुलाजिम दूसरे आदमी को जिसके खिलाफ अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज न हो अपनी बन्दूकों और लाठियों से मारता हुआ ले जाय और साथ ही साथ उनको बुरी नजर से देखे, यह सरकार बरतानिया के जमाने मे हो सकता था।

डिप्टी स्पीकर—मुझे अफसोस है कि आप बिल से बिल्कुल गैरमुताल्लिक जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि जो बिल आपके सामने है उसी के मुताल्लिक आप अपनी बहस महदूद रखेंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब वाला, मुझे जो कुछ अर्ज करना है वह इस बिल के सिलसिले में ही अर्ज करूंगा। गलती से बहक गया हूँ और आइन्दा बहकने से गुरेज करूँगा। इस एवान में इस बिल पर इस किस्म की तकरीर अभी एक दोस्त ने एक घंटे तक की और मुताल्लिक बातें कहीं। मै यह समझा कि गालिबन यह हक मुझको भी पहुँचता है। मैं समझता हूँ कि इस बिल को सही तरीके पर चलाया जाता और इस चीज के जरिये से फिरकेवारियत को दूर करना था तो इसमें एक तरमीम यह जरूर होती कि अगर कोई मुसलमान पकड़ा जाय और कोई हिंदू जमानत करे तो उसको छोड़ दिया जाय और अगर कोई हिंदू पकड़ा जाय और कोई मुसलमान उसकी जमानत करे तो उसको भी छोड़ दिया जाय। गालिबन इससे फिजा बहुत अच्छी पैदा हो सकती थी। ऐसी हालत में हम यह महसूस करते कि हिंदू मुसलमान दो नहीं हैं एक ही हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते। मुझे अफसोस है कि मै इस किस्म की तरमीम या नया इलाज इसमें नहीं देखता। जब आज यह हमारी स्पिरिट (भावना) हो चुकी है कि हिन्दुस्तानी एक कौम है और एक फर्द दूसरे फर्द का बराबर का भाई है अगर इसमें यह चीज रख दी जाती तो गालिबन इस बिल के पास करने से हम अवामुन्नास की ज्यादा खिदमत कर सकते थे। ऐसी सूरत म जो बहुत सी सख्तियां थीं उनको दूर कर सकते थे। सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुँचाने की कोशिश हो रही है, जिनके खिलाफ मुकदमात हों, या आइन्दा मुकद्दमा चले मुकद्दमा चल कर जिनको सजा हो चुकी है उनके मामलात और उनकी सजाओं को कम करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें है जिनसे आप शहरियों के हकूक छीनते हैं। जिनको ६ महीने की सजा हुई है वह किसी चीज में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर हम उनकी सजाओं को रेमिट (कम) कर दें और वह छूट भी जायं तब भी वह अपने बहुत से हकूक से हमेशा के लिए दस्तबरदार हो जायंगे और एक अरसे और एक वक्त के लिए जरूर ही हो जायेंगे तो

[श्री मुहम्मद असरार अहमद]
इस बिल में यह चीज तजबीज कर दी जाती तो अच्छा था। जिन लोगों को सजाएं हो चुकी हैं उनके केसेज को सरकार अपने सामने रखे और उनकी सजाएं कम कर दी जायें। सरकार खुद इन मामलात की जांच करे और स्पेशल जुडिशियल पावर (विशेष न्यायाधिकार) देकर अपने आदमी मुकर्रर करे। ऐसी सूरत में हमारे मुल्क में जो आदमी अब तक पकड़े जा चुके हैं और जायज या नाजायज तरीके पर जो नफरत फैल चुकी है वह कम हो जाती है और जो बिल लाया गया है वाकई हरकतो नाकश की बहबूदी के लिए लाया गया है तो उसमें यह चीज जरूर होती। आजकल एक जमात के लोगों के पकड़े जाने की वजह से और आइन्दा लोगों के पकड़ने से, क्योंकि आज भी आपकी पार्टी से लोग अलहदा हो गये हैं उनको इत्मीनान रहे कि यह बिल हर एक के फायदे के लिए होगा। लेकिन मैं यह देखता हूँ कि इस चीज की इसमें कमी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर अब भी वजीर आजम साहब चाहें तो तरमीम ला सकते हैं क्योंकि मुझे मालूम हुआ था और गालिबन वह तरमीम मेरे सामने ही लिखी गयी थी। श्री अजित प्रसाद जी जैन ने इस सिलसिले में तरमीम दी थी और उन्होंने गालिबन उसको नोटिस भी दे दी थी। लेकिन इस समय तो वह तरमीम मेरी नजर में नहीं आई जिसके जरिये यह कोशिश की गयी थी कि गवर्नमेन्ट ऐसे तमाम केसेज को जो तय हो चुके हैं किसी हाईकोर्ट के जज या किसी के पास फौरन भेज दे ताकि वह तय हो जाय।

रहा दूसरा रेमिशन 'कमी' का सवाल अगर गवर्नमेन्ट कोशिश भी करेगी हर जिले से मंगाने की कि किसी को ६ महीने की सजा हुई है या नहीं और उसको रोक कर सिर्फ दो-चार रोज की सजा ही हो तब तक जो उसकी सजा के रेमिशन का सवाल होगा उससे ज्यादा वह भुगत चुका होगा। बेहतर तो यह था कि किसी शक्ल में ऐसा अमेंडमेंट (संशोधन) होता जिससे फौरन ही फायदा होता। अगर गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि उन केसेज को जिसका जिक्र श्री खानचन्द गौतम ने किया था कि जेनरल ऐमनेस्टी (आम छूट) की शक्ल में कोई ऐसा आर्डर पास करके उसको किसी जुडीशियल औथोरिटी (न्यायाधिकारी) के पास भेजने के बजाय उनका रेमिशन खत्म करने की कोशिश करें।

इसके अलावा मुझे यह अर्ज करना है कि जब कभी किसी एरिया को कम्यु-नली डिस्टर्बड एरिया (साम्प्रदायिक उपद्रवी क्षेत्र) करार दिया गया तो एक ही वक्त में एक ही समय में, एक ही घंटे के अन्दर अगर कुछ लोग पकड़े गये तो कुछ पर ५ रु० और दूसरे पर जो फौरन ही आया उस पर ५० रुपया जुर्माना हुआ। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह भी मैंने देखा है कि जब पुलिस किसी जगह पर पहुंची तो उसने लोगों की बहुत ज्यादा बेइज्जती की। उसका पुलिस में रेकार्ड होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी मालूम होगा। लेकिन कोआपरेशन (सहयोग) न होने की वजह से लोगों के कहने की बिना पर जबर्दस्ती लोगों को पकड़ लिया गया। ये सारी बातें एक ही जिले में नहीं हुई, बहुत से जिलों में हुई हैं, जैसा कि अभी कहा गया कि लोगों को तीन साल तक की सजा दी गयी। जो बिल गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया गया है उसकी मैं पूरी तौर पर ताईद करता हूं। लेकिन इस सिलसिले

में जो कुछ कहा गया, लोगों को गलत तरीके से जो सजायें दी गयीं, जो लोग पकड़कर लाये जाते हैं उनको नफरत की निगाह से देखा जाता है, चाहे वे किसी जमात से ताल्लुक रखते हों उन सब की तरफ मैं गवर्नमेन्ट की तवज्जह दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नमेन्ट इस बात की कोशिश करे कि इस तरह की बातें न होने पावें। ऐसी चीजें आजाद जमाने में, जब कि उन पकड़ने वालों को यह समझना चाहिए कि वे उनकी खिदमत करने वाले हैं, वे उनको अपना गुलाम समझने की कोशिश करते हैं। उनको तरह-तरह से दिक करने की कोशिश करते हैं। मुझे अफसोस के साथ यह भी कहना पड़ता है कि जब इस मुल्क में अब एक कौम हैं, दो कौमें नहीं हैं तो, एक फिरके को यह कहना कि वह स्टेट का लायल (राज्यभक्त) नहीं है और वह लायलिटी (राज्यभक्ति) का सबूत दे मुनासिब नहीं है। अगर ऐसी चीज जारी रहेगी तो जो लोग डिसलायल (अराजभक्त) नहीं हैं उनके भी स्टेट का डिसलायल होने का अन्देशा रहेगा। जब कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट यह कोशिश कर रही है कि उसके चारों तरफ जो मुल्क हैं उनको अपना दोस्त बनावे तो फिर यह मुनासिब नहीं मालूम देता कि इस किस्म के सवालात पैदा करें जिससे आपस में नफरत पैदा हो, घृणा पैदा हो और एक दूसरे के खिलाफ जज़बात पैदा हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेन्ट इन तमाम बातों पर गौर करने की कोशिश करेगी।

*श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा—जनाबवाला, इस बिल पर काफी बहस हो चुकी है लेकिन अभी मेरे अमेंडमेंट के पेश होने की नौबत नहीं आई। अगर आप की इजाजत हो तो मैं इसी अपनी तकरीर के सिलसिले में अपना अमेंडमेंट भी पेश कर दूं।

डिप्टी स्पीकर—इस वक्त उसका मौका नहीं है इसके पेश करने का मौका आएगा। इस वक्त तो मसला यही है कि यह बिल जैसा कि कौंसिल से पास हो कर आया है उस पर विचार किया जाय। इसके बाद आप को मौका दिया जायगा कि अपना अमेंडमेंट पेश करें। इस वक्त कोई मौका नहीं।

श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा—तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है और हर शख्स इस बात से मुत्तफिक मालूम होता है कि जो बिल इस वक्त हमारे सामने पेश किया गया है उसको मंजूर किया जाय। मगर जो तकरीरें इस वक्त हुई हैं उनसे मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अभी कुछ ऐसी शिकायतें मौजूद हैं जिसके लिए यह ख्वाहिश है कि वह रफा कर दी जांय और यह कहना कि शुरू में ही गलती हुई तो यह गो वक्त की बात है। इस सिलसिले में कोई और बात कहना या बहस करने का मौका नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ कि जहां तक इस हाउस का ताल्लुक है हमको मौजूदा गवर्नमेन्ट और खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इस बिल को गालबन यहां लाने की मेहरबानी की क्योंकि पहले जो आर्डिनेन्स पास हुआ था उसमें बहुत सी चीजें रह गई थीं जो गलत कही जाती थीं उनका इस बिल में सुधार कर दिया गया है। अब थोड़ी बातें रह गई हैं उनको इस बिल के जरिए दूर कर दिया जायगा। खासकर जब मेरा अमेंडमेंट

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा]
हाउस के सामने आयेगा मुझे यकीन है कि तमाम शिकायत उससे रफा हो जायगी क्योंकि जितनी तकरीरे हुई है उनका लुब्बोलुबाव मै यही समझता हूँ कि उसमें जो कसर बाकी है वह दूर हो जाय। इसने जो तकरीरे की जा रही है कि सजा बजाय तीन साल के ५ वर्ष की कर दी गई है वह दूर हो जाय। अगर उसको मंजूर कर लिया जाय तो नतीजा यह होगा कि ५ वर्ष के बजाय ३ वर्ष की सजा हो जायगी। जहां तक इस बिल को मंजूर करने का ताल्लुक है मै हाउस से और जनाब से दरख्वास्त करूँगा कि इन तकरीरों को मुख्तसर किया जाय और मेरी तरमीम ले ली जाय। उसके सिलसिले मे जो तकरीर होगी उससे मसला ज्यादा साफ हो जायगा।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे सामने हमारे लायक दोस्त खानचन्द गौतम साहब ने जो तकरीर की वह बहुत साफ और खुले हुए अलफाज मे थी जिसमे गवर्नमेन्ट के सामने एक सुझाव पेश किया गया है। मै उसकी पूरे तरीके से ताईद करता हूँ और थोड़े से शब्द उसमे और शामिल कर देना चाहता हूँ। वह यह है कि यह जो बातें इस कानून के मुताल्लिक हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई ऐसी जगहों से जहां कि मालिक मकान को किसी तरह से इल्म नहीं हो सकता था वहां से बरामदगी असलहा वगैरह की हुई। वैसे तो बहुत मामूली बरामदगी थी बल्लम, बरछी, छुरी वगैरः गैर महफूज मुकाम से बरामद हुई तो उनको गिरफ्तार किया गया और वे बेचारे महीनों तक जेलों मे रहे और उनकी कोई जमानत नहीं हुई और हमारे एम० एल० ए० साहबान की कोशिश भी बेकार हुई। मै सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूँ कि ऐसे मुकद्दमे एडीटरों (सम्पादकों) के खिलाफ व और आदमियों के खिलाफ हमने देखे। अभी हाल ही मे ऐसा मुकद्दमा एक अपने लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर के खिलाफ भी हमने देखा मै यह मिसालन आप के सामने बतलाता हूँ। उन मुकद्दमात का क्या सही है और क्या गलत है। यह कहना ठीक नहीं क्योंकि वह अदालतों में जेर तजवीज है। मै यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे वाकयात बहुत से पेश आये है और पेश आने का और ज्यादा अंदेशा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रधान मंत्री साहब इस बात के ऊपर तवज्जह करेंगे कि इस बात की तरमीम होना जरूरी है जिससे कि इस बिल के पास हो जाने के बाद पब्लिक को दुख न हो। अगर आप अभी से इसकी हिफाजत कर देंगे तो यह दुख जनता को नहीं पहुँचेगा। हमे मालूम है कि गवर्नमेन्ट ने ऐसे आर्डर भेजे है जिनसे कि अब कुछ जमानतें होने लगी हैं लेकिन कानूनी नुक्तेनजर से वह आर्डर बिल्कुल बेकार है। अगर कोई अदालत उनको देखने से इन्कार कर दे तो कोई इसरार नहीं हो सकता कि इस गवर्नमेन्ट आर्डर की रू से किसी शख्स को जमानत पर छोड़ दिया जाय। मै इस मामले को बहुत लम्बा नहीं बयान करना चाहता। मै सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री साहब उन तरमीमों का, जो कि श्री अजित प्रसाद जैन साहब ने आप को दी है और जिनको सिर्फ इस वजह से कि उनको अभी ४८ घन्टे नहीं हुए इस वक्त आज पेश नहीं किया जा रहा है, लिहाज करेंगे, और इन्साफ यही होगा कि आपके सामने जो पुकार है उसको आप सुनें और इन्साफ के साथ इस बिल को मुनासिब तरमीम

के साथ पास कराये, क्योंकि कोई आप को रोक नहीं रहा है कि आप बिल पास न करायें। हर शख्स यह कहता है कि जो आप पास करायें उसे इन्साफ के साथ कीजिए ताकि जो दुःख पब्लिक को इसकी वजह से पहुँच सकता है वह न पहुँचे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ।

श्री राधेश्याम शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विषय पर वादविवाद बंद किया जाय।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि इस मसले पर बहस खत्म की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय प्रधान सचिव—बिल तो बहुत सीधा है और जहां तक इस बिल के प्राविज़न्स (शर्तो) का ताल्लुक है उनसे किसी को कोई उज्र भी नहीं है। बहुत सी बातें और कही गयी हैं। कुछ तो उज्र इस किस्म का किया गया कि अब तो मजिस्ट्रेट ऐसे हैं कि उनके लिए किसी तरह का मिनीमम (अल्पतम) को प्रेस्क्राइब (निश्चय) करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वह तो सही बात ही करेंगे, लिहाजा पहले से यह गलती हुई जो कि मिनीमम रखा गया। मजिस्ट्रेटों पर बहुत कुछ भरोसा किया जा सकता है। कुछ ऐसे उज्र हुए कि मजिस्ट्रेट बहुत ज्यादतियां करते हैं। इन बातों को सामने रखने से यह पता चलता है कि कभी कोई बात बजा हुई हो लेकिन आम तौर पर मजिस्ट्रेटों के रवये से यह इत्मीनान है कि जितने अख्तियारात उनको दिये गये हैं उनको बजाय घटाने के बढ़ाना चाहिए। अगर यह इत्मीनान है तो यह जाहिर है कि बहुत ज्यादतियां नहीं हुई हैं। मगर खैर मैं यह समझता हूँ कि जिस जमाने से हम गुजरे हैं उस जमाने में जिस तरह का कानून बना हुआ था वह उस वक्त के लिए शायद जरूरी था। जितनी सख्ती उस कानून में रखी गयी थी उसमें भी लोगों को यह ख्याल रहता था कि यह तो सख्ती काफी नहीं है, इससे ज्यादा होनी चाहिए और अगर उस पर कुछ तरमीम चाहते थे तो यह कि जितनी सख्ती रखी गयी है यह काफी नहीं है और इससे ज्यादा होनी चाहिए और खासकर हथियारों के मामले में यह फिजा थी क्योंकि बहुत से हथियार छुपे हुए थे लिहाजा लोग यह चाहते थे कि जिनके पास वह मिले उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उस वक्त के टैम्पर (वातावरण) के मुताबिक जो कम से कम बात की जा सकती थी वह इस कानून में रखी गयी। मगर उसके बाद जिस वक्त भी यह मौका आया कि अब तरमीम करने की गुंजाइश है तो उसकी सख्ती को कायम रखना गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा। फौरन ही गवर्नमेंट ने जो कुछ इस पर कार्रवाई कर सकती थी वह की और उन्होंने मजिस्ट्रेटों को इस किस्म की बातें जो सख्ती की इस कानून में हैं उनके मुताल्लिक हिदायतें दीं। इस तरह गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती थी वह उसने किया।

अब यह आपके सामने कानून की शक्ल में रखा गया है ताकि किसी किस्म की गलतफहमी आयन्दा न रहे। इस क्लाज के बारे में कोई दो रायें नहीं हैं कि इसमें जो हर हालत में तीन साल तक की सजा दी जाय उसके बजाय मजिस्ट्रेट को यह अख्तियार होना चाहिए कि वह चाहे एक दिन की सजा दे चाहे एक रुपया जुर्माना करे और चाहे तो मामले के मुताबिक ज्यादा सख्त सजा दे। मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई ज्यादा बहस की जरूरत रह जाती है।

[माननीय प्रधान सचिव]

पहले जो कमियां बतलाई गयीं सो कुछ कमियां हुई होंगी, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से और अधिक मजिस्ट्रेटों को भी रखने की कोशिश की गयी मगर फिर भी काफी तादाद में नहीं रखे जा सके। आप जानते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी रखे गये थे, डिप्टी कलक्टर्स की भी तादाद काफी बढ़ाई गयी। लेकिन बावजूद इन सब बातों के जो मामले थे वह आसानी से नहीं हल हो सके और उनके हल करने में एक गैरमामूली जमाने में दिक्कतें हुईं और खासकर कुछ जिलों में तो हजारों की तादाद में इस किस्म की बातें की गयीं कि जिनको रोकने में पूरी ताकत लगानी पड़ी। एक गैरमामूली जमाने में जो बातें होती हैं उनको बिना एक गैर-मामूली तरीके के रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं उसूलन इस बात को मानता हूँ कि कभी सख्ती जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोगों को समझा बुझा कर रख सकें और आपस में अच्छा मेल कायम कर सकें और गवर्नमेंट के बारे में जैसे पहले कहा गया हम रिप्रेशन (दबाना) तो चाहते ही नहीं। रिप्रेशन लफ्ज तो हमारे लिए एक ऐसा लफ्ज है कि जिसको हम नफरत से देखते हैं, सिर्फ जरूरत के मुताबिक कानून का निफाज करना चाहिए और सख्ती करना हमें न तो पसन्द है और न हम करना चाहते हैं। लेकिन किसी आदमी को एक साल की सजा देकर अगर हम २०० आदमियों को और बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा सकते हैं तो वह सख्ती नहीं है। आम लोगों के लिए इस किस्म का काम करना पब्लिक इंटरेस्ट (जनहित) में जरूरी हो जाता है।

यह भी कहा गया कि कुछ लोग बहुत दिनों से जेलों में पड़े हुए हैं। यह भी सही है कि सब के मुकद्दमे जितने जल्दी होने चाहिए थे नहीं हो पाये। हमने कोशिश की और मजिस्ट्रेटों को भी इस बात का सुझाव दिया कि जो लोग छोटे छोटे मामलों में पकड़े गये हों उनको जहां तक हो सके छोड़ दिया जाय ताकि ज्यादा दिनों तक लोगों को जेलों में न रहना पड़े और उसके मुताबिक काफी तादाद में लोग छोड़े गये हैं और अब भी हमारी कोशिश यह है कि जो लोग टेक्निकल आफेंसेज (खास अपराधों) के सिलसिले में पकड़े गये हों उनको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दिया जाय और उनके साथ किसी किस्म की सख्ती न हो।

जहां तक इस कानून का, जिन लोगों को सजा हो चुकी है उनसे ताल्लुक है, यह बिल आपके सामने लेजिस्लेटिव काउन्सिल में पास होकर आया है और इसको तो हमें पास करना है। और फिर इस किस्म के मामलों में अगर कोई बात हुई है तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास दरख्वास्तें आवेंगी तो उनको रैमिट (कम) करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करेगी। इस मामले को अदालत के सामने लाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड के मुताबिक भी यह बात नहीं हो सकती और मुझे नहीं मालूम कि किन हालतों में वह हो सकता है। कम से कम इसके लिए कोई दूसरा जरिया नहीं मालूम होता है। मैं समझता हूँ कि जब कोई दूसरा जरिया नहीं है तो इस पर अमल करना ही पड़ेगा। अगर कोई साहब इस पर दूसरा तरीका बता सकते हैं तो उस पर भी गौर किया जायगा। मैं समझता

हूँ कि ऐसी हालत में जो बिल काउन्सिल से आया है उसको वैसे ही पास करना बहतर होगा। आज का काम हो जायगा और मुमकिन हो तो कल का काम भी पूरा कर सकेंगे और यह सेशन खत्म हो जायगा।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि संयुक्तप्रान्त के साम्प्रदायिक झगड़ों को रोकने के बिल, सन् १९४८ ई० पर जैसा कि वह लेजिस्लेटिव कांउसिल से स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

धारा--२

ऐक्ट नं० २४ सन् १९४७ ई० की धारा १० में संशोधन

२--संयुक्तप्रान्त के साम्प्रदायिक झगड़ों रोकने के ऐक्ट सन् १९४७ ई० (The United Provinces Communal Disturbances Prevention Act, 1947), जिसको इसके बाद मूल ऐक्ट कहा गया है--की धारा १० की जगह नीचे लिखी धारा रखी जायगी:--

"10. Notwithstanding anything in the Arms Act, 1878, or any other law for the time being in force, if after any area has been declared a communally disturbed area, any unlicenced arms found in the custody of or in the premises occupied by any person in such area, he shall, unless he proves that its existence was not within his knowledge and he had taken due care and precaution to prevent its existence in such premises, be punished on conviction with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine or with both."

डिप्टी स्पीकर--ख्वाजा साहब आपकी जो तरमीम है वह असल मे दफा २ के बारे में है। आपने दफा १० लिखी है। वह दफा १० असल ऐक्ट का है। और इस बिल में दफा २ मे आपकी तरमीम होगी।

श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा--जनाब वाला, आपका कहना मैं मानता हूँ और इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने जो तजवीज लिखकर भेजी थी वह असल में यह थी कि दफा २ में जो बात इसमें कही गयी है वह तरमीम की जाय जैसा कि एजेंडा मे मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि यह एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया जाय।

"Explanation: For the purpose of this section, knives, gandasas, choppers or any other weapons used or intended to be used for bona-fide domestic Agricultural or industrial purposes shall not be deemed to be arms."

[श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा]

इसकी दो वजह हैं। यूनाइटेड प्राविंसेज आर्डिनेंस II जो पेश हुआ था उसमें यह था और जो असल ऐक्ट में तरमीम हुई थी उसमें से यह छूट गया है।

डिप्टी स्पीकर—आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी दूसरी तरमीम है और वह इस दफा में नहीं आ सकती है। आप एक नई दफा जोड़ना चाहते हैं।

श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा—असल ऐक्ट में यह बात दफा १० में थी। यह लफ्ज बिल्कुल वही है। इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ दो ही फर्क हैं। पहला है, इसमें यह अल्फाज थे कि With imprisonment for a term which may extend to 5 years और असल में है With a clear minimum which shall be 3 years and a maximum of 9 years. ऐसा था। अगर वह इस तरह कर दिया जायगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि बिला किसी बहस के सब इससे इत्तफाक करेंगे।

मेरी गुजारिश यह है कि जो एक्सप्लेनेशन (परिभाषा) आर्डिनेंस में रखी गयी थी उसकी वजह से लोगों को यह मालूम हो गया था कि इस ऐक्ट में एक्सप्लेनेशन की जगह और गुंजाइश है लेकिन जब अमेन्डमेंट बिल पेश किया गया तो उसको निकाल दिया गया। मैं इस बारे में प्रीमियर साहब से मिला था और उनसे अर्ज किया था। उन्होंने एक हद तक मेरी तसल्ली की और फरमाया कि हमने इसको इसलिए निकाल दिया है कि जो असल ऐक्ट है उसमें एक्जम्पशन्स (छूट) मौजूद हैं। मेरी गुजारिश यह थी कि अदालतों को गलतफहमी होगी। जब आर्डिनेंस में यह नहीं रखा गया है तो लेजिस्लेटिव असेम्बली की प्रोसीडिंग्स (कार्यवाही) अदालत के सामने नहीं होगी और न अदालतें उनको पढ़ सकती हैं। बहुत मुमकिन है कि बाज अदालतें गलतफहमी में पड़ जायं। इस एक्सप्लेनेशन (परिभाषा) का जो इजाफा किया गया था वह आर्डिनेंस में से जानकर निकाला गया है यानी आर्म्स की डेफीनेशन अदालतों में वही मानी जायंगी जो पहले थीं। मुझसे प्रीमियर साहब ने वायदा फरमाया था कि अगर ऐसा है तो हमारा कोई हर्ज नहीं है हम इसमें यह रहने देंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर वह मंजूर फरमा लें तो मुझे बहस करने का मौका नहीं रहेगा। मैं जनाब वाला के जरिये से आनरेबिल प्रीमियर साहब की तवज्जह दिला सकता हूँ कि अगर वह मंजूर फरमा लें तो बहस की जरूरत नहीं है।

माननीय प्रधान सचिव—आप की जो गरज है उसको और जो इसके असली मतलब हैं उसको मैं मानने के लिये तयार हूँ यह एक्सप्लेनेशन जो नहीं रखा गया उसकी यह वजह थी कि नोटिफिकेशन (घोषणा) ईशू कर (निकाल) दिया गया है। जिसके मुताबिक इस किस्म के हथियारों को मुस्तसना कर दिया गया है यानी उनके रखने के लिए लायसेंस नहीं चाहिए तब इसके अन्दर यह चीज नहीं आती है इस लिए इसका सवाल ही नहीं रहता है इस लिए इसको नहीं रखा गया है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रहता है अगर आप कहें बेकार चीज है लेकिन इत्मीनान हो इस लिए रख दी जाए तो यह कानून के

लिए दिक्कत की बात होती है कि गैर जरूरी चीजें उसमें रखी जाएँ। आपको तो इत्मीनान हो ही गया है। इसके मायने यह हैं कि जो रिजोल्यूशन निकाला जाता है जिनमें लायसेन्स नहीं है इस दफा के अन्दर नहीं आते हैं। अगर कोई गलतफहमी की गुंजायश होगी तो हम उसे ठीक कर देंगे। मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं है जहां तक सब्सटेंस (सार) की बात है मैं उससे इत्तफाक करता हूं यह बिल अपर हाउस से पास हो चुका है अगर हम इसमें कोई तरमीम करेंगे तो फिर इसको दुबारा अपर हाउस में भेजना पड़ेगा।

श्री अल्नेट माइकेल फिलिप्स—अगर आप कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन वापिस कर लें तो फिर इसका क्या असर होगा?

माननीय प्रधान सचिव—मैं इतना कह सकता हूँ कि नोटिफिकेशन को हम हाउस की रजामन्दी के बगैर वापिस नहीं लेंगे।

श्री खानचंद गौतम—जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार हथियार रखने के लायसेन्स की जरूरत नहीं है और जो लोग इस सिलसिले में गिरफ्तार किये गये हैं या जिन पर जुरमाने हुए हैं क्या वह छोड़ दिये जायेंगे और जुरमाने हटा लिए जायेंगे?

माननीय प्रधान सचिव—वह तो एक्सप्लेनेशन (परिभाषा) के असर में भी नहीं आता है। आपका जो अमेंडमेंट (संशोधन) है उसके बारे में है। नोटिफिकेशन निकल गया है कि जो हथियार डोमेस्टिक यूज (पारिवारिक उपयोग) में आते हैं उनके लिए लायसेंस की जरूरत नहीं है जहां तक कन्विक्शन (सजा) का सवाल है इससे कोई ताल्लुक नहीं है!

श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा—जनाबवाला! पांच छः वर्ष तक कानून पढ़कर और ४० वर्ष तक वकालत करने के बाद मेरी गलतफहमी उम्र के साथ बढ़ती जाती है। मैंने अदालतों को बहुत बार समझाने की कोशिश की है लेकिन बाज अदालतें नहीं मानती हैं वह कहती हैं कि यह समझ में नहीं आता। वह कहती है कि नोटिफिकेशन इसके पहले का है। इसलिए यह आर्डिनेन्स में क्यों रखा गया और जैसा कि कहा गया है नोटिफिकेशन बिल में और ऐक्ट में एक कानूनी फर्क है और इसलिए मैं अपने प्रधान मंत्री जी से दस्तबस्ता यह अपील करूँगा जैसा कि उन्होंने मान लिया है, बूढ़े या न समझने वाले आदमी के लिए ही सही, अगर इसको मान लें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा।

माननीय प्रधान सचिव—अगर मैं नहीं मान रहा हूँ तो न समझने की वजह से। आप तो जानते हैं कि अदालतें इतनी बेवकूफ होती हैं और बावजूद आप के समझाने के वह न समझेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप और हम मिलकर उनको समझाने में मदद करेंगे।

श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा—जनाबवाला, मैं तो, जैसा कि हाउस के मुख्तलिफ अतराफ से मेरे कान में आवाज आई है कि वापस ले लिया जाय।

डिप्टी स्पीकर—अगर आप को वापस लेना है तो मुझे इत्तला दे दें। और कुछ कहने का आपको मौका नहीं है, जवाब देने का आपको मौका अब मिल गया। अब मैं सिर्फ आपकी ख्वाहिश जानना चाहता हूँ कि वापस लेंगे या नहीं।

श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा—मैं इसे माननीय प्रधान मंत्री के ऊपर छोड़ता हूँ वापस लेना चाहें तो ले लें।

माननीय प्रधान सचिव—आप के बदले में वापस लेने के लिए दरख्वास्त करता हूँ।

(भवन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा २ इस बिल का हिस्सा मानी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा-३

ऐक्ट नं०२४ सन् १९४७ ई० की धारा १२में संशोधन

३—मूल ऐक्ट की धारा १२ में शब्द 'into any" और "area" के बीच शब्द "communally disturbed" रखे जायेंगे; और उक्त धारा का प्रतिबन्धात्मक वाक्य-खण्ड (proviso) निकाल दिया जायगा।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ३ इस बिल का हिस्सा मानी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा-४

ऐक्ट नं० २४ सन १९४७ ई० की धारा १८ में संशोधन।

४—मूल ऐक्ट की धारा १८ की जगह नीचे लिखी हुई धारा रखी जायगी:—

"18. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1898, a Magistrate of first class shall be deemed to have been invested with powers to try as a Magistrate all offences under this Act or any offence committed in connexion with or in the course of or due to any communal disturbance except those punishable with death, and to impose any sentence authorised by law except a sentence of death or transportation."

*श्री फखरुल इस्लाम—जनाबवाला, दफा ४ को हक हासिल है। कोई मजिस्ट्रेट जो फर्स्टक्लास की पावर रखता है वह इन दफात के मुकदमों का फैसला कर सकता है मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि हरएक फर्स्टक्लास का मजिस्ट्रेट इस काबिल नहीं होता कि वह इन मुकदमात का और मौजूदा हालत में सही तौर पर फैसला कर सके। इस लिए उन फर्स्टक्लास के मजिस्ट्रेटों ने जो बहुत एक्सपीरियन्स्ड (अनुभवी) हों और जो पुराने तजुर्बेकार हों उनको ऐसे अख्तियारात दिये जाये, जिन्हें एक्साइज ऐक्ट या फर्स्ट अफेन्डर्स (प्रथमापराध) के सिलसिले स्पेशल पावर्स (विशेषाधिकार) दिये जाते हैं और जिनका तजुर्बा भी अच्छा होता है वह संगीन मुकद्मात

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

का सही तौर पर और हालात को देख कर, समझ कर फैसला करते हैं। इस जमाने में बहुत से नौजवान ऐसे मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं जिनके ऊपर मुल्क की आबोहवा का काफी असर पड़ा है। अगर उन्हें संगीन मुकदमात के फैसले करने का अख्तियार दिया जाता है तो हो सकता है कि वे जजबात की रौ में बह जायें। इसीलिए सीनियर फर्स्टक्लास पावर (प्रथमोच्च अधिकार) अगर स्पेशल गवर्नमेन्ट पावर (विशेष सरकारी अधिकार) हो जाय तो मैं समझता हूँ कि श्री अजित प्रसाद जैन की जो मन्शा है वह पूरी हो जाये। अगर यह मान लिया जाय कि प्राविन्शियल गवर्नमेंट का एक मजिस्ट्रेट जो विशेष रूप से अधिकृत हो और ऐसे मुकदमात का फैसला करेगा तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—श्रीमान् महोदय, अगर यह ओरीजनल पावर (मूल शक्ति) जज को दे दी जाये, बजाय इसके कि मजिस्ट्रेट के पास हो, तो अच्छा होगा। मैं जानता हूँ कि मजिस्ट्रेट साहबान जो काम करते है, उसमें उनके सामने इन्तिजाम जरूर रहता है। चाहे जो कुछ भी आप उनसे कहिए, वह न्याय जो करते हैं उसमें इस बात को सामने रख कर करते हैं कि हमें इन्तिजाम भी रखना है। ऐसी सूरत में अगर यह डाइरेक्ट पावर (सीधी शक्ति) जज साहब को होती तो बहुत उम्दा होता। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेन्ट श्री फखरुल इस्लाम साहब के अमेन्डमेन्ट (संशोधन) को मंजूर करेगी।

माननीय प्रधान सचिव—इसमें कोई अमेन्डमेन्ट तो है नहीं। यह कोई नया क्लाज नहीं है जो पुराना क्लाज था उसमें कुछ अन्देशा हो सकता था। उसको दूर करने के लिए यह क्लाज बनाया गया है। श्री फखरुल इंस्लाम ने जो कुछ कहा है वह काबिले गौर है और उस पर सोचा जायगा।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ४ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा—१

छोटा नाम तथा प्रारम्भ। १—(१) इस ऐक्ट का नाम संयुक्त प्रान्त के साम्प्रदायिक झगड़ों को रोकने का (संशोधक) ऐक्ट, सन् १९४८ ई० [The United Provinces Communal Disturbances Prevention (Amendment) Act, 1948] होगा।

(२) यह तुरन्त लागू होगा।

अब्दुल मजीद ख्वाजा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १ की उपधारा (२) में पूर्ण विराम (फुल स्टाप) को हटा कर उसके बाद यह शब्द जोड़ दिये जायें "एण्ड शेल हैव रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट।"

डिप्टी स्पीकर—लेकिन असली बिल तो हिन्दी में है और आप चाहते हैं कि अंग्रेजी अल्फाज जोड़ दिये जायें। इसमें लिखा है कि तुरन्त लागू होगा। अगर आप किसी की मदद लेकर उसकी हिन्दी पेश करना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा--हुजूरवाला, अगर मेरी जबानी बात आप लिख लें तो बोल देता हूँ। इसका तर्जुमा किये देता हूँ हिन्दी में "यह उस तारीख से लागू समझा जायगा जब कि मूल ऐक्ट पास हुआ था।"

डिप्टी स्पीकर--आप की तरमीम यह है कि यह उस तारीख से लागू समझा जायगा जिस दिन से मूल ऐक्ट पास हुआ है। इसके खिलाफ यह आपने रखा है कि यह तुरन्त लागू होगा।

श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा--यह तो अंग्रेजी कानून की गड़बड़ है। मैने इसका तर्जुमा यह कर दिया है कि तुरन्त लागू होगा। मैं इस तरमीम को वापिस लेता हूँ।

डिप्टी स्पीकर--क्या भवन की इजाजत है कि यह तरमीम वापिस ली जाय?

(भवन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया)

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा १ इस बिल का हिस्सा मानी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

भूमिका

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० २९, सन् १९४७ ई०।

संयुक्त प्रान्त के साम्प्रदायिक झगड़ों को रोकने के ऐक्ट, सन १९४७ ई० (The United Provinces Communal Disturbances Prevention Act, 1947) में संशोधन करने के लिए।

चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि कुछ उद्देश्यों के लिए संयुक्त प्रान्त के साम्प्रदायिक झगड़ों को रोकने के ऐक्ट, सन् १९४७ ई० (The United Provinces Communal Disturbances Prevention Act, 1947) में संशोधन किया जाय।

इस लिए नीचे लिखा हुआ कानून बनाया जाता है:--

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि भूमिका या प्रस्तावना इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय प्रधान सचिव--मैं तजवीज करता हूँ कि युनाइटेड प्राविंसेज कम्युनल डिस्टरबेंसेज प्रीवेन्शन अमेंडमेंट बिल १९४८ (१९४८ का संयुक्तप्रान्त का साम्प्रदायिक झगड़ों को रोकने का बिल) जैसा कि उसे लेजिस्लेटिव कौंसिल ने स्वीकृत किया है मंजूर किया जाय। मैं समझता हूँ कि हाउस के सामने काफी बहस इस बारे में हो चुकी है और हाउस बिल इत्तिफाक अब इस बिल को मंजूर कर लेगा।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स--डिप्टी स्पीकर महोदय यह बिल तो पास हो जायगा और पास हो जाना भी चाहिए लेकिन जो चन्द बातें यहां पेश की गयीं उसमें से एक तो ऐसी निकली जिसके बारे में नोटीफिकेशन ईशू हो गया है और चन्द मुश्किलात जो हैं उनके मुताल्लिक गवर्नमेंट ने अपने मजिस्ट्रेट साहबान को ऐसे अहकाम जारी कर दिये या कर देने का वायदा किया है जिनसे इस किस्म की दिक्कतों का जो अन्देशा है वह पैदा न होंगी। यह बहुत उम्दा हुआ लेकिन चन्द बातों के मुताल्लिक

तरमीमें यहां पेश नहीं हुई इसलिए कि उनके पास होने के बाद इस बिल को कौंसिल के सामने फिर जाना पड़ता और उसमें देरी होगी। इसलिए मैं यह अर्ज करता हूँ कि उनके लिए भी कोई तरीका अख्तियार किया जाय जिससे वह मतलब हासिल हो जाय जो तरमीमों से होना है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूँ।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि १९४८ का संयुक्तप्रान्त का साम्प्रदायिक झगड़ों को रोकने का बिल (यूनाइटेड प्राविंसेज म्यूचुअल डिस्टरबेंसेज प्रिवेंशन बिल १९४८) जैसा कि उसे लेजिस्लेटिव कौंसिल ने स्वीकृत किया है मंजूर किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

१९४८ का दीवानी विधि संग्रह (संयुक्त प्रांतीय संशोधन) बिल

माननीय माल सचिव--श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं दीवानी विधि संग्रह (संयुक्तप्रान्तीय संशोधन) बिल सन् १९४८ को पेश करता हूँ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ .... पर)

माननीय माल सचिव--मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दीवानी विधि संग्रह संयुक्तप्रान्त संशोधन बिल सन् १९४८ ई० पर विचार किया जाय।

इस सिलसिले में मैं दो एक बातें मुख्तसरन अर्ज करना चाहता हूँ। यह बिल ऐसा बिल है जिससे काश्तकारों का हित होगा। अभी तक साम्प्रदायिक झगड़ों के रोकने के बारे में हम लोगों ने इन्तजाम किया है अब काश्तकारों के हकों की रक्षा के लिए यह बिल इस भवन के सामने लाया गया है और मैं यह समझता हूँ कि यह पार्टी भी और जनता पार्टी भी इस बिल के पास करने में हमारी मदद करेगी। इसकी मंशा यह है कि दफा ६० जाब्ता दीवानी के सब क्लाज (सी) में काश्तकारों के मकानात और कुछ चल और अचल सम्पत्तियां मुस्तस्ना कर दी गयी हैं कि वह डिग्री में नीलाम न हों लेकिन बड़ी-बड़ी अदालतों में इख्तिलाफ राय इस विषय में पैदा हो गयी है। एक राय यह है कि मकानात यदि रेहन है तो नीलामी डिग्री में नीलाम हो सकता है दूसरी राय इसके विपरीत है। ऐसा मतभेद न्यायालयों के मध्य में है। हम इसको साफ कर देना चाहते हैं कि चाहे काश्तकारों के मकानात रेहन भी हों तो रेहन की डिग्री में भी नीलाम न हों क्योंकि मकानात काश्तकार के लिए निहायत जरूरी है। छोटी मोटी झोपड़ी होती है। जब सब चीजें नीलाम होकर खतम हो जाती हैं तो रहने के लिए जगह नहीं रह जाती। लिहाजा यह जरूरी है कि इन्सान के रहने के लिए कोई जगह हो। और हम समझते हैं कि इस ऐवान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो किसानों के साथ हमदर्दी न रखे और मुझसे भी हमदर्दी न रखे। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हाउस इस बिल को मंजूर कर लेगा।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स--मैं एक सवाल यह करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री यह बतलावें कि जिनके पास रेहन है उनका रुपया कहां से वसूल होगा।

माननीय माल सचिव--इसके लिए बहुत से तरीके कानून में हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मालूम हो जायगा।

[श्री मुहम्मद रजा खां]

श्री मुहम्मद रजा खाँ—जनाबवाला, आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवन्यू को इस बिल के लाने पर मैं मुबारकबाद देता हूं। यह एक ऐसा सवाल है जिससे काश्तकारों की बहुत बड़ी तबाही हुई है। जमींदारों के मुतालिल्क तो हमेशा यह कहा गया कि वे काश्तकारान को तबाह करते हैं लेकिन नहीं, काश्तकारान के घरों की जो तबाही होती है, फसलों की जो तबाही होती है असल में महाजनों के जरिये ही होती है। मैंने भी देखा है कि बरसात के महीने में काश्तकार के मकान पर अगर लकड़ी की कड़ी भी पड़ी है तो उनको नीलाम करा लिया गया और आठ-आठ दिन तक बावजूद कोशिश के भी वे अपने घरों पर छप्पर नहीं डाल सके। मैं समझता हूँ कि इसकी बात जरूरत थी और आज वह जरूरत पूरी हो रही है। इसके अलावा और भी चीज काश्तकारों की बहबूदी के लिए है जिसकी तरफ गवर्नमेंट को तवज्जह करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि उनकी तरफ भी तवज्जह की जायगी। मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूं और यह समझता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसकी बहुत बड़ी जरूरत थी।

***श्री फखरुल इस्लाम**—जनाबवाला, जो तकरीर मैंने वजीर साहब की सुनी उसको सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ कि काश्तकारों की हमदर्दी में उन्होंने चन्द अलफाज कहे। बावजूद इसके कि वे काश्तकारों के हिमायती बनने की जुर्रत करते हैं इस बिल से ऐसी कोई चीज नहीं पैदा होती। जब यह मालूम है कि अब तक यह कानून था कि इस सूबे के काश्तकारों के जो मकानात देहातों में बने होते थे उस जमीन का मालिक जमींदार ही हुआ करता था लेकिन इससे पहले आपने एक ऐसा कानून बना दिया है जिससे यह हक जमींदारों से ले लिया गया। अब जमीन के मालिक जमींदार नहीं होंगे। बल्कि काश्तकार ही होंगे। इसलिए जहां तक तजुर्बा है वह यह है कि अब तक कोई भी महाजन (लेनदेन करने वाला) देहातों के मकानात पर रुपया नहीं दिया करता था। जहां तक तजुर्बा है ऐसी कोई मिसाल कहीं पर कोई नहीं आई। लेकिन बहरसूरत जब कि ओरिजीनल कानून बदल चुका और काश्तकार जमीन के मालिक हो गये तो मैं समझता हूँ कि उस कानून की बिना पर इसकी जरूरत महसूस की गयी और उस जरूरत की बिना पर आप ऐसा कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि जरूरत की बिना पर इस बिल को ला रहे हैं न कि इसलिए कि आप काश्तकारों के हमदर्द हैं और जनता पार्टी से यह मतालबा करना कि वह मुखालिफत न करेगी मुनासिब बात नहीं है। बल्कि सही चीज जो है उसे मिनिस्टर आफ जस्टिस को सामने रखना चाहिए कि कानून की सूरत यह आ गयी कि मकानात की वैल्यू (मूल्य) अब हो गई, छोटे मोटे जो मकानात हैं उनकी हैसियत अब हो गयी और उनका कुछ मूल्य हो गया इसीलिए आप यह अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन उनकी हमदर्दी के सिलसिले में मैं नहीं समझता यह कहना आपको जेबा देता है। यह आप जबानी कह दें इससे कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता। सही चीज आप सामने रखें तो हम समझ लेंगे। आपको भी समझना चाहिए कि यह है

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

और इस तरीके से आपको भी संतोष हो जायेगा और हमको भी इसमें बेहतरी मालूम देगी।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि दीवानी विधि संग्रह संयुक्तप्रान्तीय संशोधन बिल सन् १९४८ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा--२

धारा ६० की उपधारा (१) में स्पष्टीकरण (१-क) का बढ़ाया जाना।

२--दीवानी विधि संग्रह सन् १९०८ ई० (कोड आफ सिविल प्रोसीड्यर सन् १९०८ ई०) की धारा ६० की उपधारा (१) के स्पष्टीकरण (१) एक्सप्लेनेशन (१) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण (१-क) एक्सप्लेनेशन (१-ए) बढ़ा दीजिए--

Explanation (I-A)—Particulars mention d in clause (*c*) are exempt from sale in execution of a decree whether passed before or after the commencement of the Code of Civil Procedure (United Provinces) (Amendment) Act,1948, enforcement of a mortgage or charge thereon."

श्री गणपति सहाय--डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूँ कि धारा २ के अन्तर्गत शब्द इन्फोर्समेंट ---- के पहले शब्द 'फार' जोड़ दिया जाय।

माननीय माल सचिव--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस संशोधन को मंजूर करता हूँ कि इसको यहां पर जोड़ दिया जाय।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा २ के अन्तर्गत जहां पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसकी अन्तिम पंक्ति में शब्द इन्फोर्समेंट- --- के पहले शब्द 'फार' जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि संशोधित धारा २ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा--१

छोटा नाम, प्रारम्भ और विस्तार।

१--(१) यह ऐक्ट कोड आफ सिविल प्रोसीड्यर (यूनाइटेड प्राविन्सेज) (अमेंडमेंट) एक्ट, सन् १९४८ ई० कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त लागू होगा।

(३) यह समस्त संयुक्त प्रान्त में लागू होगा।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा १ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

भूमिका

यतः दीवानी विधि संग्रह सन् १९०८ ई० कोड आफ सिविल प्रोसीड्यर

१९०८ ई० (ऐक्ट नं०५, सन् १९०८ ई०) की धारा ६० की उपधारा (१) के प्रतिबंधात्मक वाक्य (प्रोवाइजो) के वाक्य खण्ड (क्लाज) (सी) के वास्तविक अर्थ के सम्बन्ध में शंकाएँ उत्पन्न हुई हैं।

और यतः उन शंकाओं को दूर करना आवश्यक है,

अतः निम्नलिखित कानून बनाया जाता है :—

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि भूमिका इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय माल सचिव—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दीवानी विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल, सन् १९४८ ई०, जैसा कि इस भवन ने इसको संशोधित किया है स्वीकार किया जाय।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि दीवानी विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल, सन् १९४८ ई० जैसा कि इस भवन ने इसको संशोधित किया है स्वीकार किया जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने का (संशोधक) बिल

माननीय माल सचिव—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने के (संशोधक) बिल, सन् १९४८ ई० को पेश करता हूँ।

(देखिए नत्थी ग' आगे पृष्ठ ...... पर)

माननीय माल सचिव—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने के (संशोधक) बिल, सन् १९४८ ई० पर विचार किया जाय।

इस बिल के सम्बन्ध में मैं चन्द बातें अपने मित्रों के सामने अर्ज करना चाहता हूँ।

जहाँ तक क्लाज २ का ताल्लुक है महज लफ्जी तरमीम है, और क्लाज ३ मे मियाद ६ महीने की पुराने ऐक्ट में थी उसको इस बिल की रू से ३१ दिसम्बर सन् १९४८ तक बढ़ाया जा रहा है। क्लाज ४ में कुछ अल्फाज बढ़ाना चाहते है जिससे कि अर्थ साफ हो जाय और गलतफहमी की गुंजाइश न रहे। पुराने ऐक्ट मे जो लफ्ज कोर्ट दिया हुआ है उसके बाद वह अल्फाज जो कि क्लाज ४ में दिये है उनका भी इस्तेमाल होना निहायत जरूरी था, वरना गलतफहमी होने की बड़ी गुंजाइश थी। इस वजह से उस त्रुटि को दूर करने के लिए यह तरमीम की जा रही है और उसके बाद कुछ कांसीक्वेंशियल अमेंडमेंट्स (पारिणामिक संशोधन) है वह भी इस बिल में रखे गये है।

एक जरूरी तरमीम क्लाज ६ मे है। ऐक्ट की धारा ६ की उपधारा ३ जो मौजूदा शक्ल में है उससे बाज मामलात साफ नहीं होते है। इसमें गलतफहमी की बड़ी गुंजाइश है। लिहाजा जो धारा ६ मे उपधारा ३ बनाकर रखना चाहता हूँ उससे वह गलतफहमी दूर होती है और इसमें जो एक मिसाल दे दी गयी है उससे असली मंशा उपधारा ३ का साफ साफ जाहिर हो जाता है। अभी तक मौजूदा ऐक्ट के जरिये से इस बात की सफाई नहीं होती है कि यदि किसी के जुरमाने के एवज

में उनका मकान नीलाम हुआ और नीलाम के खरीददार ने उसको किसी दूसरे के हाथ बेच दिया और जो असली मालिक था उसने उसको रहन भी कर रखा था और जरे-रहन का बार उस पर था। अगर वह मकान वापस दिया जाता है तो मौजूदा एक्ट की रू से यह साफ नहीं है कि जरे-रहन की अदायगी का जिम्मेदार कौन होगा। यह बात साफ नहीं थी लिहाजा इसको साफ करने के लिए यह नयी उपधारा रखी गयी है। इस कानून का मन्शा था, कि सन् १९४२ के सिलसिले में जिन लोगों की जायदादें, मकानात वगैरह नीलाम हो गये थे उनको वह वापस दे दिये जाय और अगर नीलाम के बाद वह मुन्तकिल कर दी गयी हैं या उनके ऊपर कोई चार्ज था या वह रहन थीं तो किसी का नुकसान न हो, स्तर को मेनटेन (रक्षित) हो जाय, यह मंशा है इसके लिए जो मौजूदा सबक्लाज ३ था उससे यह मन्शा साफ नहीं होता था। लिहाजा उसी को साफ करने के लिए यह नयी तरमीम लायी गयी है। मुझे उम्मीद है कि यह भवन इस बिल को मंजूर करेगा जिससे जो तकलीफ इस वक्त पड़ रही है वह मिट जाय।

*श्री कमलापति त्रिपाठी--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह बिल जो अभी न्याय मंत्री ने हमारे सामने पेश किया है इसके संबंध में एक दो बातें में उनसे निवेदन करना चाहता हूं। जो संशोधन इस भवन के सम्मुख उपस्थित हैं वे तो मुनासिब ही हैं और कानून को सुधारते हैं। लेकिन इस कानून में दो तीन बात हम लोगों के सामने आयी है जो मैं समझता हूं कि माल मंत्री से निवेदन कर दूं सम्भव है उनके संबंध में कोई उपाय वह कर दें।

यह कानून इस ख्याल से पास किया गया और बनाया गया कि सन् ४२ के आंदोलन के सिलसिले में यदि कुछ लोगों के घर और मकान, जर और जमीन बेदखल हो गयी हो या नीलाम हो गयी हो तो वह उनको वापस कर दी जायं। इस कानून का यह मंशा रहा है। हमारे यहां बनारस के जिले में सन् ४२ के आंदोलन में एक बहुत बड़ा कांड धानापुर का हुआ जहां पर पुलिस के कांस्टेबिलों के ऊपर सख्ती भी हुई, थाना भी जला और बहुत से लोगों की जमीन वगैरह भी जब्त की गयी। जब पहले यह कानून यहां पेश हुआ था, अपने मूल रूप में, उस समय हमारा यह माल का विभाग माननीय रफी अहमद किदवई साहब के हाथों में था। धानापुर में जिस समय सन ४२ का आंदोलन चल रहा था तो वहां बंदोबस्त हो रहा था, उस सेटिलमेंट के होने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से लोगों की जमीनों पर जो उस वक्त फरार थे, दूसरे लोगों का नाम लिख गये। तो जब यह कानून बन रहा था तो मैंने निवेदन किया था कि आपके इस कानून के मुताबिक उस तरह की बातें कवर नहीं होतीं जैसी कि धानापुर में हुई हैं और उन्होंने मेरी बात सुन कर कृपा करके मूल ऐक्ट के सेक्शन ६ में यह संशोधन कर दिया कि जो लोग अपनी जमीनों से बेदखल किये गये हैं, किसी भी वजह से, आर अदरवाइज, ऐसे शब्द उन्होंने जुड़वा कर कि किसी भी वजह से जो बेदखल किया गया है वह उसे वापस कर

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

दी जाय। कानून तो उस समय बन गया और आज आप संशोधन भी पास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और आप से पूछना चाहता हूं कि क्या इस कानून के मुताबिक इस सूबे में कुछ मुकदमे चले हैं और क्या उनमें कोई फैसला हुआ है कि जिससे जमीनें लोगों को वापस की गयी हों। मेरे यहां तो मेरे जिले के धानापुर के लोगों की ओर से जो मुकद्दमात दायर हैं वह आज ६ महीने से चल रहे हैं और उनमें एक पेशी भी नहीं हुई। लोगों को परेशानी इस तरह से होती है कि तारीखें पड़ती हैं, किसान आते हैं, अपने आदमियों को लेकर आते हैं और फिर दूसरी तारीख डाल दी जाती है और उसकी वजह यह बतायी जाती है कि इस कानून में कुछ खामियां हैं जिसके कोई माने अदालत के समझ में नहीं आते। उन खामियों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक खामी तो यह है कि इस कानून में लिखा है, कि एबस्कांडिंग टेनेन्ट (भागने वाला काश्तकार) पर यह लागू होगा। एबस्कांडिंग टेनेंट की परिभाषा भी दी हुई है। ऐसे बहुत से आदमी हैं जो टेनेंट नहीं हैं, जमींदार हैं, छोटे मोटे जमींदार हैं जिनके पास १०, २० बीघा जमींदारी है और १०, २० बीघा काश्तकारी भी है। अगर किसी वजह से इन लोगों की जायदाद नीलाम हो गयी है या बेदखल हो गये हैं तो बदकिस्मती से जमींदार होने की वजह से उनको कुछ फायदा नहीं पहुँचता है। वह किसान नहीं हैं। अदालत यह कहती है कि वह जमींदार हैं किसान नहीं हैं इसलिए ऐसे केसेज को यह कानून कवर नहीं करता है। यह एक खामी है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का मंशा यह कभी नहीं रहा कि इन लोगों को फायदा नहीं पहुँचना है। गवर्नमेंट का मंशा यही होगा कि जो लोग बेदखल हुए हैं, अगर बहुत छोटा जमींदार हो, तब भी उनको जायदाद वापिस मिलना चाहिए। यह बात कानून से साफ नहीं होती है जिसकी ओर मैं माननीय सचिव का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरी बात जो इस सिलसिले में अर्ज करनी है वह यह है। धारा ६ में "आर अदरवाइज" (अथवा नहीं तो) लिखा हुआ है। जैसा मैंने कहा है बनारस में इसके मुताबिक बहुत से मुकदमे दायर हो चुके हैं। जैसा मैंने धानापुर के बारे में कहा था बहुत से केसेज ऐसे हैं कि जिनमें सेटिलमेंट के कागजात जल जाने के कारण बहुत से लोग जो जमीन के हकदार नहीं थे अपने अपने नाम से जमीन लिखवा लिया है और असली मालिक के हाथ से चली गयी है। लेकिन अदालत यह कहती है "आर अदरवाइज (अथवा किसी प्रकार से) के शब्द इन केसेज को कवर नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे डिस्पोसेस्ड हो गये हैं। सेटिलमेंट के कागजात जल जाने की वजह से बहुत से लोगों ने तिकड़म से झूठ मूठ जमीन अपने नाम में लिखा ली और गरीब किसान अपनी जमीन से हाथ धोकर बैठ हैं। लेकिन अदालत तो यही कह रही है कि ये केसेज तो इसके अन्दर नहीं आ सकते।

तीसरी खामी यही है कि जो कानून के अनुसार नोटिस जारी किये जाते हैं उसका खर्चा कौन देगा। यह एक बुरी शक्ल में अदालतों के सामने है। जो गरीब

किसान दरख्वास्त देता है वह समझता है कि हमारे साथ हमारी सरकार रियायत कर रही है इसलिए हमें सिर्फ दरख्वास्त देना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन अदालत यही समझती है कि जो दरख्वास्त देता है वही उसका खर्चा देगा। गवर्नमेंट ने यह कह दिया है कि जो जमीन से बेदखल हुआ है या निकाल दिया गया है वह अदालत में एक दरख्वास्त दे दे तो अदालत दूसरे पक्ष को तलब करेगी और फैसला करके जमीन वापस कर देगी। आपने इस कानून के अन्दर रूल्स तो नहीं बनाये हैं। नतीजा यह हुआ है कि जो बेदखल हुआ है वह दरख्वास्त देता है और अदालत नोटिस जारी करके मुद्दई मुद्दाअलेह को बुलाकर तलब करती है और फैसला करती है उसमें जो कुछ खर्चा पड़ता है उसको कौन देगा ? इसका नतीजा यह होता है एस० डी० ओ० के यहां से ए० डी० ओ० के यहां फिर ए० डी० ओ० के यहां से एस० डी० ओ० के यहां चलता जाता है और मुकदमे ६, ६ महीने ८, ८ महीने लटके रहते हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आपने तो कोई रूल नहीं बनाया है सरकार ने यह कहा था कि जब रूल्स बनाये जायेंगे उसमें उन केसेज को भी कवर करने के लिए, जिनको ऐक्ट कवर नहीं करता है, रूल्स बनाये जायेंगे। मैं अपने मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वह इस तरफ ध्यान दें और जो कुछ मुनासिब समझें वैसा संशोधन कर दें ताकि ऐसे केसेज को भी कवर कर दिया जाय और जो ६, ८ महीने से मुकद्दमे लटके रहते हैं उनको कम से कम जल्दी तै कर दें। मैं समझता हूँ कि आपको इस तरफ कुछ करना है जिससे यह मामलात जल्दी खत्म हो जायंगे

*श्री फखरुल इस्लाम--जनाबवाला, अपने लायक दोस्त की तकरीर सुनकर ताज्जुब हुआ कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह कहां तक इस बिल से ताल्लुक रखता है। यह कानून सिर्फ इसलिए पेश किया जा रहा है कि सन् १९४२ में जो लोग बेदखल हो गये हैं, जिन लोगों के मकान वगैरह नीलाम कर दिये गये हैं उनको वह वापस मिल जायं। और साथ साथ यह भी है जैसा वजीर साहब ने कहा है कि जिन लोगों को वापस किया जाता है अगर उनमें कोई रेहन हो और लोग जेल चले गये हों और अब उनको वापस दिया जाता है तो वह रेहन बदस्तूर कायम रहना चाहिए। इस तरह से इन्साफ होता है।

मैं समझता हूँ कि वह जायज और मुनासिब है लेकिन जो सवाल इस बात का उठाया है कि सैटिलमेन्ट के कागजात सही मुरत्तिब नहीं हुए उसकी जिम्मेदारी इस कानून की नहीं है। अगर उन्होंने किदवई साहब से कह कर कुछ तरमीम करा ली हो तो वह उनको मदद नहीं दे सकेगी। दूसरे कानून के मुताबिक अगर सैटिलमेंट के कागजात जाया हो जाते हैं तो उस मुताबिक अमल होना चाहिए। अगर गल्ती से कागजात जल जायें तबाह हो जायें या सही रिकार्ड मौजूद न हो तो दूसरा सैटिल-मेन्ट हो सकता है इससे जिनके साथ ज्यादती हुई है वह दूर हो सकती है। इस कानून के अन्दर किसी तरह से भी खींच-तान करके गवर्नमेन्ट ऐसा नहीं कर सकेगी और न गवर्नमेन्ट को ऐसा करना चाहिए। जो सुझाव हमारे दोस्त ने रखा है उस पर गौर नहीं होना चाहिए बल्कि कानून की दफा मौजूद है कि अगर किसी शहर का

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री फखरुल इस्लाम]
रिकार्ड जल जाये तो क्या होगा वह तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कोई नई सूरत पैदा नहीं होती। गवर्नमेन्ट को एक मशीनरी सेटअप (स्थित) करना चाहिए जो अपना काम शुरू करे और जिन लोगों को तकलीफें हैं उनको रफा करे। मेरे लायक दोस्त ने जो सुझाव इस हाउस के सामने और आनरेबिल वजीर साहब के सामने रखा है उसकी मैं मुखालफत करता हूँ।

माननीय माल सचिव—जनाब डिप्टी स्पीकर महोदय, हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने दो तीन एतराज और दो तीन खामियां इस ऐक्ट में बतलाई। हाला कि इस बिल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है फिर भी मैं यह अर्ज कर देना जरूरी समझता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा मतलब फखरुल इस्लाम साहब ने गलत समझा है और गलत तरीके से मुखालिफत की है। जहां मैंने सैटिलमेंट का जिक्र किया है कि सन् ४२ के आन्दोलन के सिलसिले में सैटिलमेंट के कागजात जला दिये गये और गायब कर दिये गये और उससे नुकसान उन लोगों को हुआ जो उस वक्त एब्सकान्ड कर रहे थे वह मौजूद नहीं थे। दूसरे कागजात गलत ढंग से बने उनमें किसी का किसी के बजाय किसी दूसरे का नाम दर्ज कर दिया गया और वह कुछ नहीं कर सके क्योंकि वह एब्सकान्ड कर रहे थे। यह कानून एब्सकान्डर्स के लिए है। इस लिए मैंने निवेदन किया है।

माननीय माल सचिव—त्रिपाठी जी का पहला एतराज यह था कि बनारस जिले में कुछ अदालतें ऐसी हैं जिनकी राय यह है कि यह ऐक्ट काश्तकारों पर ही लागू होता है जमींदारों पर नहीं। गालिबन इस ऐक्ट के प्रीएम्बिल को पढ़ा नहीं गया। आप की इजाजत से मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। इससे मामला बिल्कुल साफ हो जायगा और यह बिल्कुल सिद्ध हो जायगा कि यह कानून जमींदारों और काश्तकारों दोनों पर लागू होता है।

"To provide for the restoration to certain persons of lands and houses which were sold in consequence of the political movement started in August 1942 and for the reinstatement of certain tenants who were ejected from their holdiogs in consequence of such movement.

Whereas certain persons were convicted and fined for the commission of any offence connected with the Political Movement started in August, 1942, and their lands and houses were sold for the realization of such fines;

And whereas certain persons were absconding on account of their participation in the political movement started in August, 1942, and in consequence thereof their lands and houses were sold under section 88 of the Code and Criminal procedure, 1898;

And whereas certain tenants who were absconding were deprived of their holdings;

And whe eas it is expedient to provide relief to such persons and tenants—

It is hereby enacted as follows:—

इसके अलावा दफा ३ भी आपकी इजाजत से मैं पढ़ना चाहता हूं।

Any original holder of an auctioned property (hereinafter referred to as "the applicant") may, within six months from the date of the commencement of this Act, apply in the form given in the Schedule to the Court or other authority which imposed the fine or ordered the sale of such property that the sale be set aside and the property be restored to him, and if such court has ceased to exist or the anthority has ceased to function, he may apply to the Sub-divisional Magistate within whose jurisdiction such property is situated.

लफ्ज प्रापर्टी (जायदाद) इसमें इस्तेमाल है। इसका मतलब महेज टेनेन्ट से ही नहीं हो सकता। इसमें जमींदार और टेनेन्ट हर जमात के लोग आ सकते हैं। हां अदालत मातहत आपत्ति करे तो बोर्ड आफ रेवन्यू तक जाना चाहिए या हाईएस्ट ट्रिब्यूनल (उच्चतम् पंचायात) तक जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगर हाइयस्ट ट्रिब्यूनल तक जाया जायगा तो इसके वही माने लगाए जायेंगे जो मैं लगाता हूँ। दूसरी बात दफा ६ के मुताल्लिक कही गई है। लफ्ज कुछ हो लेकिन इन्टेन्शन वही है जो त्रिपाठी जी ने बताया। क्योंकि बहुत से लोग आन्दोलन के सिलसिले में मफरूर थे और उनकी अदम मौजूदगी का नाजायज फायदा उठाकर और वहां सैटिलमेंट रेकार्ड जल जाने के कारण नाजायज फायदा उठाकर कुछ चालाक और चतुर आदमियों ने अपना नाम दर्ज करा लिया और उनको बेदखल करा दिया। दूसरी बात त्रिपाठी जी ने तलबाने के बारे में कहा। इसको अगर मैं मान लेता हूँ तो गोरखपुर और देवरिया के किसान बहुत नाराज होते हैं। वहां भी जमीन वापस करने का हक दिया गया है, लेकिन तलबाना वगैरा सब देते हैं लिहाज जब जायदाद मिलता है तो तलबाना देना चाहिए। इसको अगर हम माफ कर देते हैं तो पंक्तिभेद होता है। लिहाजा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

इस बिल का जहां तक ताल्लुक है हमारे दोस्त फजलुल इस्लाम साहब ने जब ताईद कर दी तो मुझे भरोसा हो गया और यकीन हो गया कि यह एवान इसको मंजूर करेगा।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्तीय भूमि तथा घरों के वापस करने का संशोधक बिल सन् १९४८ ई० पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २ से ६ तक

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० १७, सन् १९४७ ई० की भूमिका में संशोधन।

२—संयुक्त प्रान्तीय भूमि तथा घरों के वापस करने का ऐक्ट, सन् १९४७ ई० (जिसे इसके पश्चात "मूल ऐक्ट" कहा जायगा), के प्रथम वाक्य-समूह में शब्द "any offence" के स्थान पर शब्द "offences" रक्खा जायगा।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० १७, सन् १९४७ ई० की धाराओं ३ तथा ९(१) का संशोधन।

३—मूल ऐक्ट की धारा ३ और धारा ९ की उप-धारा (१) में शब्द "Within six month form the date of cemmen.ement of this Act" जहां कहीं भी ये आवें, के स्थान पर शब्द "at any time not leter than December 31, 1948" रक्खे जायेंगे।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० १७, सन् १९४७ ई० की धाराओं ४, ५ तथा ६ का संशोधन।

४—(१) मूल ऐक्ट की धारा ४ की उप-धारा (१) में निम्नलिखित शब्दों को शब्द "court" के पश्चात् बढ़ाया जावेगा:—

"The authority or the sub-Divisional Magistrate, as the case may be, (hereinafter referred to as" "the appropriate authority")

(२) मूल ऐक्ट की धारा ४ की उप-धारा (३) अथवा धाराओं ५ और ६ में जहां कहीं भी शब्द "court" आया हो उसके स्थान पर शब्द "the appropriate authority" रक्खे जायेंगे।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १७, सन् १९४७ ई० की धारा ६ (१) का संशोधन।

५—धारा ६ की उप-धारा (१) में शब्द और अंक "subsection (2)" के स्थान पर शब्द और अंक "sub-section (2) and (3)" रक्खे जायेंगे।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १७ सन् १९४७ई० की धारा ६ (३) का संशोधन।

६—मूल ऐक्ट की धारा ६ की उप-धारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रक्खी जायगी.—

"(3) (*a*) If the compensation assessed under item (1) of clause (*b*) of sub-section (1) exceeds the amount realized by sale by the Provincial Government the applicant shall pay the amount, if any, received by him from the Provincial Government after the sale and the Collector shall pay the balence less the amount mentioned in item (iii) of clause (*b*) in cases

where such amount is included in item (i) of clause (*b*) to such trensferee:

The amount paid by the Collector (which is in excess of the amount realized by the Provincial Government as fine or under section 88 of the Code of Criminal Procedure, 1898,) shall be realized by him as arrears of land revenue from the auction purchaser or any other person who may have received the whole or part of such excess amount.

Illu'tration—*A* was fined Rs. 100 and his house was sold at auction for Rs. 500 to *B*. The Collec· tor took Rs. 100 in realization of the fine and paid Rs. 400 to *A*. On the date of the sale, the house was subject to a mortgage of Rs. 1,000. B, the auction purchaser, sold the house to *C* for Rs. 2,100 free from encum- brances, *A* shall pay Rs. 400 and the Collector shall pay Rs. 700 (Rs. 1,700 less Rs. 1,000). *A* shall pay Rs. 1,000 as specified in item (iii) of clause (*b*) of sub-section (*?*). The Collector shall realize Rs. 600 from *B*.

(*b*) If the compensation assessed under item (i) of clause (*b*) of sub-section (1) does not exceed the amount realized by the Provincial Gov- ernment, the apportionment of such amount shall *mutatis mutandis* be made as specified in sub-section (2)".

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० १७, सन् १९४७ ई० की धारा ६ (४) का संशोधन।

७—मूल ऐक्ट की धारा ६ की उप-धारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रक्खी जायगी—

"(4) The Collector shall also pay the amount of encumbrances, if any, created on the auctioned property by the auction purchaser or the transferee and shall realize such amount as

arrears of land revenue from the auction purchaser or the transferee or any other person who may have received the whole or part of such amount."

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १७, सन १६४० ई० की धारा १२ का संशोधन।

८—मूल ऐक्ट की धारा १२ की उप-धारा (१) में शब्द "court" तथा "s" के मध्य में "or appropriate authority" रक्खे जायेंगे तथा मूल ऐक्ट की धारा १२ की उप-धारा (२), (३) एवं (४) में जहां पर कहीं शब्द "court" आया हो वहां पर शब्द "or the appropriate authority, as the case may be" बढ़ाये जायेंगे।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १७, सन् १६४८ ई० की धारा १४ का संशोधन।

६—मूल ऐक्ट की धारा १४ में शब्द "court" के पश्चात् शब्द "or the appropriate authority" बढ़ाये जायेंगे।

डिप्टी स्पीकर—दफा ६ तक किसी तरमीम की इत्तिला नहीं है अगर भवन को पसंद होतो मैं यह सभी दफाएँ एक सवाल के ज़रिए पेश कर दूं।

सवाल यह है कि दफा २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६, इस बिल का हिस्सा मानी जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा-१०

संयुक्त प्रांतीय एक्ट नं० १७, सन् १६४७ ई० की धारा १७ का संशोधन।

१०—मूल ऐक्ट की धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रक्खी जायगी:—

"17. (1) The Provincial Government may make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power the Provincial Goverment may frame rules providing for any matter for which the Act makes no provision or insufficient provision and provision is in the opinion of the Provincial Government necessary"

डिप्टी स्पीकर—दफा १० के मुताल्लिक एक तरमीम की इत्तिला है और वह तरमीम श्री राधामोहन सिंह की तरफ से है। यह चाहते हैं कि दफा १० हटा दी जाए। चूंकि इस वक्त जब धारावार किसी बिल पर विचार किया जाता है

तो जिस धारा पर विचार होगा उसके मुताल्लिक यह माना जाता है कि भवन के सामने यह प्रस्ताव है कि यह धारा बिल का हिस्सा मानी जाय इस लिए जो तरमीम श्री राधामोहन सिंह पेश करना चाहते हैं वह तरमीम नहीं है। बल्कि असली प्रस्ताव की मुखालिफत करना है। इस लिए तरमीम की हैसियत से मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता। माननीय सदस्य इस धारा का विरोध कर सकते हैं।

(इसके बाद भवन ५ बज कर १७ मिनट पर बृहस्पतिवार १ अप्रैल, १९४८ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलाश चन्द्र भटनागर,
मन्त्री लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त

लखनऊ,
३१ मार्च, १९४८

नत्थी (क)

नक्शा जिसका हवाला ३१ मार्च, सन् १९४८ ई० के तारक प्रश्न सं० ८४ के उत्तर में दिया गया है।

(देखिये पीछे पृष्ठ १३२ पर)

समाचार-पत्र परामर्शदात्री समिति

१. चेयरमैन: श्री हरिशंकर विद्यार्थी, प्रताप, कानपुर।

२. सेक्रेटरी: मि० आर० एल० पुरी, असोसियेटेड प्रेस आफ इंडिया के रिप्रेजेण्टेटिव, लखनऊ।

मेम्बर्स

३ मि० चेलापति राउ, नेशनल हेरल्ड, लखनऊ।

४, मि० एस० एन० घोष, पायोनियर, लखनऊ।

५. एडीटर, लीडर, इलाहाबाद।

६. मि० जानकी जीवन घोष, अमृत बाजार पत्रिका, इलाहाबाद।

७. चौधरी मुशफीक्कजमान, तनवीर, लखनऊ।

८. मि० हमीदुल अन्सारी, गाजी, मदीना, बिजनौर।

९. मि० अनिस अहमद अब्बासी, हकीकत, लखनऊ।

१०. मि० अब्दुल रऊफ अब्बासी, हक, लखनऊ।

११. श्री कमलापति त्रिपाठी, सन्सार, बनारस।

१२. श्री श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार, आज, बनारस।

१३. श्री जीवाराम पालीवाल, सैनिक, आगरा।

१४. श्री श्रीनाथसिंह, दीदी, इलाहाबाद।

१५. मि० एस० पी० भट्टाचार्य, यूनाइटेड प्रेस आफ इंडिया, लखनऊ।

१६. मि० अमीन सलोनवी, इंडिपेन्डेन्ट न्यूज सरविस, लखनऊ।

१७. श्री बी० के० मिश्र, नेशनल प्रेस आफ इंडिया, लखनऊ।

१८. एडीटर, जागरण, झांसी।

१९. श्री सैयद आजम हुसेन, एडीटर, सरफराज, लखनऊ।

२०. मि० पी० एन० भाटिया, कारस्पान्डेन्ट, स्टेट्समेन, लखनऊ।

२१. सूचना विभाग के प्रतिनिधि।

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ १७६ पर)

दीवानी विधि संग्रह संयुक्त प्रान्तीय (संशोधन) बिल, सन् १६४८ ई०

दीवानी विधि संग्रह, सन् १६४८ ई० (कोड आफ सिविल प्रोसीड्यर १६०८) को, जैसा कि वह संयुक्त प्रान्त मे लागू होता है, संशोधित करने के लिए

एक

बिल

यतः दीवानी विधि संग्रह, सन् १६०८ ई० [कोड आफ सिविल प्रोसीड्यर १६०८ ई० (ऐक्ट नं० ५, सन् १६०८ ई०)] की धारा ६० की उप-धारा (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य (प्रोवाइजो) के वाक्य-खण्ड (क्लाज) (सी) के वास्तविक अर्थ के सम्बन्ध में शंकाये उत्पन्न हुईं हैं।

और यतः उन शंकाओं को दूर करना आवश्यक है,

अतः निम्नलिखित कानून बनाया जाता है:—

छोटा नाम, प्रारम्भ और विस्तार।

१—(१) यह एक्ट कोड आफ सिविल प्रोसीड्यर (यूनाइटेड प्राविंसेज) (अमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् १६४८ ई० कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त लागू होगा।

(३) यह समस्त संयुक्त प्रान्त में लागू होगा।

धारा ६० की उपधारा (१) में स्पष्टीकरण (१-क) का बढ़ाया जाना।

२—दीवानी विधि संग्रह सन् १६०८ ई० (कोड आफ सिविल प्रोसीड्यर सन् १६०८ ई०) की धारा ६० की उपधारा (१) के स्पष्टीकरण (१) [एक्सप्लेनेशन (१)] के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण (१-क) [(एक्सप्लेनेशन (१-ए)] बढ़ा दीजिए:—

"*Explanation.* (1-A)—Particulars mentioned in clause (*c*) are exempt from sale in execution of a decree whether passed before or after the commencement of the Code of Civil Procedure (United Provinces) (Amendment) Act, 1948, enforcement of a mortgage or charge thereon."

उद्देश्यों और कारणों का विवरण।

दीवानी विधि संग्रह की धारा ६० के आदेशों के अधीन ऐसे घरों और दूसरे भवनों और अन्य चल सम्पत्तियों को नीलाम से मुक्त कर दिया गया है जो कृषकों की सम्पत्ति हों या उनके अधिकार में हों। किसी काश्तकार के बंधक किये हुए घर को बंधक सम्बन्धी डिग्री के अधीन नीलाम से मुक्त करने पर उक्त आदेश के परिवर्तन के सम्बन्ध में न्यायालयों मे विभिन्न मत प्रकट किये हैं।

२—इसलिए दीवानी विधि संग्रह की धारा ६० में इस आशय का संशोधन करना आवश्यक है। यह बात स्पष्ट कर देनी है कि कृषकों के घर चाहे कृषकों ही ने उनको बंधक किया हो नीलाम से उसी प्रकार मुक्त रहेंगे जैसे वह घर जो इस प्रकार बंधक न किये गये हों, और बंधक या भार पर निर्भर डिग्रियों की दशा में भी इस प्रकार परिवर्तन होगा।

३—यह ऐसे प्रत्येक नीलाम पर लागू होगा जो इस ऐक्ट के लागू होने के बाद किया जाय चाहे उससे सम्बन्धित डिग्री इस ऐक्ट के लागू होने की तिथि से पहले या उसके पश्चात् दी गयी हो। इस बिल द्वारा दीवानी विधि संग्रह से इसलिए संशोधन किया जा रहा है कि उन कृषकों को भी सुविधा दी जा सके जिनके घर बंधक (मारगेज़) कर दिये गये हैं।

हुकुम सिंह विशेन,
न्याय सचिव।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ १८२ पर)

संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने का संशोधक (बिल)

एक

बिल

संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने का ऐक्ट, सन् १९४८ ई० को उसके पश्चात प्रत्यक्ष हुए उद्देश्यों के कारण संशोधन के लिए।

क्योंकि संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने के ऐक्ट, सन् १९४७ ई० में कुछ अशुद्धियों को दूर करना तथा कुछ उद्देश्यों के लिए इसमें संशोधन करना उचित और आवश्यक है

अतः निम्नलिखित कानून बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह ऐक्ट संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने का (संशोधक) ऐक्ट, सन् १९४८ ई० कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त लागू होगा।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १७, सन् १९४७ ई० की भूमिका में संशोधन।

२—संयुक्त प्रांतीय भूमि तथा घरों को वापस करने का ऐक्ट सन् १९४७ ई० (जिसे इसके पश्चात "मूल ऐक्ट" कहा जायगा), के प्रथम वाक्य-समूह में शब्द "any offence" के स्थान पर शब्द "offences" रक्खा जायगा।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० १७, सन् १९४७ ई० की धाराओं ३ तथा ९ (१) का संशोधन

३—मूल ऐक्ट की धारा ३ और धारा ९ की उप-धारा (१) में शब्द "within six months from the date of commencement of this Act" जहां कहीं भी ये आवें, के स्थान पर शब्द "at any time not later than December 31, 1948" रक्खे जायेंगे।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १७, सन् १९४७ ई० की धाराओं ४, ५ तथा ६ का संशोधन

४—(१) मूल ऐक्ट की धारा ४ की उप-धारा (१) में निम्नलिखित शब्दों को शब्द "court" के पश्चात बढ़ाया जावेगा :—

"The authority or the Sub-Divisional Magistrate, as the case may be, (hereinafter referred to as "the appropriate authority".)

(२) मूल ऐक्ट की धारा ४ की उप-धारा (३) अथवा धाराओं ५ और ६ में जहां कहीं भी शब्द "court" आया हो उसके स्थान पर शब्द "the appropriate authority रक्खे जायेंगे।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० १७ सन् १९४८ ई० की धारा ६ (१) का संशोधन।

५—धारा ६ की उप-धारा (१) में शब्द और अंक "sub-section (2)" के स्थान पर शब्द और अंक "sub-section (2) and (3)" रक्खे जायेंगे।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० १७, सन् १९४७ ई० की धारा ६ (३) का संशोधन

६—मूल ऐक्ट की धारा ६ की उप-धारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रक्खी जायगी :—

"(3) (*a*) If the compensation assessed under item (1) of clause (*b*) of sub-section (1) exceeds the amount realized by sale by the Provincial Government the applicant shall pay the amount, if any, received by him from the Provincial Government after the sale and the Collector shall pay the balance [less the amount mentioned in item (iii) of clause (*b*) in cases where such amount is included in item (i) of clause (*b*)] to such transferee.

The amount paid by the Collector (which is in excess of the amount realized by the Provincial Government as fine or under section 88 of the Code of Criminal Procedure, 1898,) shall be realized by him as arrears of land revenue from the auction purchaser or any other person who may have received the whole or part of such excess amount.

Illustration.—*A* was fined Rs. 100 and his house was sold at auction for Rs. 500 to *B*. The Collector took Rs. 100 in realization of the fine and paid Rs. 400 to *A*. On the date of the sale, the house was subject to a mortgage of Rs.1,000. *B*, the auction purchaser, sold the house to *C* for Rs. 2,100 free from encumbrances, *A* shall pay Rs. 400 and the Collector shall pay Rs. 700 (Rs. 1,700 less Rs.1,000). *A* shall pay Rs.1,000 as specified in item (iii) of clause (*b*) of sub-section (?). The Collector shall realize Rs.600 from *B*.

(*b*) If the compensation assessed under item (i) of clause (*b*) of sub-section (1) does not exceed the amount realized by the Provincial Government, the apportionment of such amount shall *mutatis mutandis* be made as specified in sub-section (2)."

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० १७, सन् १९४७ ई० की धारा ६ (४) का संशोधन।

७—मूल ऐक्ट की धारा ६ की उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रक्खी जायगी :

"(4) The Collector shall also pay the amount of encumbrances, if any, created on the auctioned property by the auction purchaser or the transferee and shall realize such amount as arrears of land revenue from the auction purchaser

or the transferee or any other person who may have received the whole or part of such amount,."

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० १७, सन् १९४७ ई० की धारा १२ का संशोधन।

८—मूल ऐक्ट की धारा १२ की उप-धारा (१) में शब्द "court" तथा "is" के मध्य में शब्द "or appropriate authority" रक्खे जायेंगे तथा मूल ऐक्ट की धारा १२ की उप-धारा (२), (३) एवं (४) में जहां कहीं शब्द "court" आया हो वहां पर शब्द "or the appropriate authority, as the case may be" बढ़ाये जायेंगे।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० १७, सन् १९४८ ई० की धारा १४ का संशोधन

९—मूल ऐक्ट की धारा १४ में शब्द "court" के पश्चात् शब्द "or the appropriate authority" बढ़ाये जायेंगे।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० १७, सन् १९४७ ई० की धारा १७ का संशोधन।

१० –मूल ऐक्ट की धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रक्खी जायगी :

"17. (1) The Provincial Government may make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power the Provincial Government may frame rules providing for any matter for which the Act makes no provision or insufficient provision and provision is in the opinion of the Provincial Government necessary."

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने के ऐक्ट, सन् १९४७ ई० म कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है, जिनको एक संशोधक बिल द्वारा उपस्थित करने का प्रस्ताव किया जाता है। पूर्व-नियुक्ति अवधि तथा उक्त विधान के ध्येयों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार के नियम बनाने के अधिकार को विस्तृत करने का प्रस्ताव भी किया जाता है।

हुकुम सिंह,
माल सचिव।

आज्ञा से,
सी० बी० दुबे,
सेक्रेटरी।

संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

बृहस्पतिवार, १ अप्रैल, सन् १९४८ ई०

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ में, ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।

स्पीकर--माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१३०)

अजित प्रताप सिंह
अजित प्रसाद जैन
अब्दुल गनी अन्सारी
अब्दुल बाकी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल हमीद
असरार अहमद
अक्षयबर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
उदयवीर सिंह
उबेदुर्रहमान खां शेरवानी
ऐजाज रसूल
कमलापति तिवारी
करीमुर्रजा खां
कुंजबिहारी लाल शिवानी
कृपाशंकर
कृष्णचन्द्र
केशव गुप्त
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
खानचन्द गौतम
खशवक्त राय
खुशीराम
गणपति सहाय
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्द बल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय
गंगाधर
गंगा प्रसाद
गंगा सहाय चौबे
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चरण सिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ प्रसाद, अग्रवाल
जगन्नाथ सिंह
जगन्नाथ बख्श सिंह
जगन प्रसाद रावत
जगमोहन सिंह नेगी
जमशेद अली खां
जमालुद्दीन अब्दुल वहाब
जवाहर लाल
जाहिद हसन
जहूर अहमद
जाकिर अली
जैराम

त्रिलोकी सिंह
दाऊ दयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु
दीप नारायण वर्मा
धर्मदास, अलफ्रेड
नफीसुल हसन
नारायण दास
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
परागीलाल
प्रेमकिशन खन्ना
फज़लुल इस्लाम
फतेह सिंह राणा
फैन्थम, आर्चिबाल्ड जेम्स
फिलिप्स, ई० एम०
फूल सिंह
बंशगोपाल
बंशीधर मिश्र
बनारसी दास
बदन सिंह
बलदेव प्रसाद
बादशाह गुप्त
बिजलानन्द
बीरबल सिंह
बीरेन्द्र शाह
भगवान दीन मिश्र
भगवान सिंह
भुवनेश्वरी नारायण वर्मा
भारत सिंह
भीमसेन
मंगला प्रसाद
मलखान सिंह
मसुरिया दीन
महफूजुर्रहमान
महबूब हुसैन खां
महमूद अली खां
महावीर त्यागी
मिजाजी लाल
मुकुन्द लाल अग्रवाल
मुज़फ्फर हसन
मुनफैयत अली
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इसहाक खां
मुहम्मद इस्माईल (मुरादाबाद)
मुहम्मद नबी
मुहम्मद फारूक
मुहम्मद याकूब
मुहम्मद रज़ा खाँ
मुहम्मद शौकत अली खां
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुकुल तिलक
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुबीर सहाय
रघुवंश नारायण सिंह
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन सिंह
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री
रामधर मिश्र
रामचन्द्र सेहरा
रामचन्द्र पालीवाल
रामजी सहाय
रामधारी पांडे
राम मूर्ति
राम शंकर लाल
रामशरण
राम स्वरूप गुप्त
रामेश्वर सहाय सिन्हा

रुक्नउद्दीन खां
रोशन जमा खां
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसैन
लाखन दास जाटव
लालबहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लुत्फ अली खां
लोटनराम
विनय कुमार मुकर्जी
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ प्रसाद
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
विष्णु शरण दुबलिश
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकर दत्त शर्मा
शिवकुमार पांडे
शिव दयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिव मंगल सिंह
शिवमंगल सिंह, कपूर
श्याम लाल वर्मा
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द्र सिंघल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सरवत हुसैन
सलीम हामिद खां
साजिद हुसैन,
सिंहासन सिंह
सीताराम अष्ठाना
सुदामा प्रसाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सुल्तान आलम खां
सूर्य प्रसाद अवस्थी
सईद अहमद
हबीबुर्रहमान खां
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हरगोविन्द पन्त
हरप्रसाद
हरप्रसाद सिंह
हसन अहमद शाह
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल

माननीय अर्थ-सचिव श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल भी उपस्थित थे :

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १ अप्रैल, सन् १९४८

ताराङ्कित प्रश्न

गढ़वाल जिले में खानों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*१--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि गढ़वाल जिले में किन-किन धातुओं की खानें है ?

माननीय उद्योग सचिव (श्री केशवदेव मालवीय)--गढ़वाल जिले में लोहे और तांबें की खानें पाई जाती हैं। अलखण्डा, पिण्डर आर सोन नदी की बालू में सोना भी पाया जाता है।

*२--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या यह सत्य है कि लड़ाई के जमाने में गढ़वाल के कुछ भागों में से लोहा निकला जाता था और वह हंसिया, फावड़ा और हल के फाल बनाने के काम में लाया जाता था ?

माननीय उद्योग सचिव--यह ठीक है कि लड़ाई के समय में गढ़वाल के कुछ भागों में लोहा निकाला जाता था और इससे हँसिया, फावड़ा और हल के फाल बनाये जाते थे।

*३--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय-- क्या लड़ाई समाप्त होते ही उन खानों से लोहा निकालने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

माननीय उद्योग सचिव--लोहा निकालने की आज्ञा इस शर्त पर दीगयी थी कि लड़ाई के बाद ऐसी आज्ञा रद्द समझी जायगी, परन्तु वहां का लोहे का उद्योग निम्नलिखित कारणों से स्वयं समाप्त हो गया :--

रेलवे हो जाने से यातायात में सुगमता हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि दूसर प्रान्तों के बने हुए औजार लोगों को सुविधापूर्वक मिलने लगे। ये औजार सस्ते और अच्छे होने के कारण लोकप्रिय हो गये और उस स्थान के बने हुए औजारों का मूल्य कम हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि यहां के लुहारों ने अपना काम बन्द कर दिया और दूसरे काम करने लगे। कुछ विशेष जगहों में, जहां स्वदेशी वस्तुओं को लोग अधिक पसन्द करते हैं, अब भी कुछ औजार बनाये जाते हैं।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार यह कृपा करके बतलायेगी कि लड़ाई के बाद यह लोहा तांबा निकालना बन्द क्यों कर दिया गया ?

माननीय उद्योग सचिव--उस समय सरकार की नीति यही रही होगी पर इस वक्त वह विभिन्न लोगों के द्वारा यह चीजें निकालने की तजवीज भी कोई बहुत उपयोगी नहीं समझती है।

*४—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार इस बात की जांच पड़ताल उपयुक्त व्यक्ति द्वारा कराने का इरादा रखती है ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हां। सरकार एक भूगर्भ शास्त्र वेत्ता नियुक्त करने का प्रबन्ध कर चुकी है आशा है कि वह जल्द ही इस प्रदेश में जांच पड़ताल शुरू कर देंगे।

*५—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार को यह मालूम है कि गढ़वाल जिले के तल्ला पैखंडा बांद बिरही नदी के पास, धनपुर रानीगढ़ इत्यादि स्थानों पर तांबे की खानें है ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हां। देवगढ़ परगने के अन्तर्गत धनपुर और धोबरी गांवों में कहीं-कहीं तांबा पाय जाता है। इसके अलावा रामगंगा के किनारे अपरशिस गुगली, केसवारा, राजचौक, कुबेर चौक मौलगिरी, बंगताल, इत्यादि स्थानों में भी तांबा ऊपरी सतह पर पाया जाता है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जब कि गवर्नमेण्ट को मालूम है कि वहां इन चीजों की खानें हैं तो गवर्नमेन्ट इन चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है ?

माननीय उद्योग सचिव—गवर्नमेण्ट बुनियादी तौर पर अनुसंधान करने का प्रयत्न कर चुकी है और आशा है कि शीघ्र ही वे अनुसंधान पूरे हो जायेंगे और जब यह हो चुकेंगे तब एक मुकम्मिल स्कीम इस बात के लिए प्रस्तुत की जायगी।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार पेश्तर इसके कि इन खानों को काम में लाये और अपनी स्कीम के मुताबिक काम करे, वह यातायात की सुविधाएँ जिससे यह चीजें बाहर निकल सकें, देने का विचार कर रही है ?

माननीय उद्योग सचिव—माननीय सदस्य ने बहुत ही मुख्य प्रश्न पर ध्यान दिलाया है। असल बात यह है कि जब तक यातायात का प्रबन्ध ठीक न हो सके तब तक विस्तृत रूप से लोहा, तांबा और दूसरी धातुएँ निकालने का प्रश्न पैदा नहीं होता। सरकार का ध्यान यातायात के प्रबन्ध की ओर लगा हुआ है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार विद्युत-शक्ति, जिसके द्वारा आसानी से काम हो सकता है, प्रयोग करने का इरादा रखती है ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हां।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इन चीजों के लिए गवर्नमेण्ट ने क्या क्रियात्मक कदम उठाया है ?

माननीय उद्योग सचिव—कोई नहीं। लेकिन विचार है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या गवर्नमेण्ट एक बड़ी योजना को ही लेकर काम करना चाहती है और छोटी-छोटी योजनाओं पर, जिससे विद्युत-शक्ति उत्पन्न की जा सके, विचार कर रही है ?

माननीय उद्योग सचिव—इन सब प्रश्नों पर सरकार विचार कर रही है।

*६—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार को मालूम है कि पहिले जमाने में लोग इन खानों से तांबा, लोहा निकाल कर अपने व्यवहार की चीजें बनाते थे ?

माननीय उद्योग सचिव--जी हां। सरकार को यह मालूम है कि लोग कहीं कहीं लोहा तांबा निकाल कर काम में लाते थे।

*७--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार ने उन खानों से धातुएँ निकालने के लिए कोई प्रतिबन्ध लगाया है?

माननीय उद्योग सचिव--अंग्रेजी राज्य में खुले तौर पर कभी भी यह चालू नहीं रही है। हमेशा इन पर प्रतिबन्ध रहा।

*८--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार को मालूम है कि अपर गढ़वाल में लोहा और तांबे के अतिरिक्त, गन्धक,अभ्रक, सुरा, संखिया श्वेत, और काला भी प्राप्त हैं?

माननीय उद्योग सचिव--जी हां। उत्तरी गढ़वाल में लोहा और तांबा के अलावा गन्धक, अभ्रक सुरा संखिया भी कहीं-कहीं मिलता है।

*९--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या ऊपर लिखी धातुओं के अतिरिक्त अन्य धातुएँ भी उत्तरी गढ़वाल, खुसूसन केदारनाथ के समीप पायी जाती हैं?

माननीय उद्योग सचिव--उत्तरी गढ़वाल में इन धातुओं के अतिरिक्त गंधक भी मिलता है, और यह अनुमान है कि केदारनाथ की लाइन और त्रियुगी नारायण के बीच में पारा भी निकल सकता है।

केदारखंड विद्यापीठ गढ़वाल की औद्योगिक योजना की जाँच

*१०--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या केदारखण्ड विद्यापीठ गढ़वाल के मंत्री ने तारीख २७ अगस्त, सन् १९४७ ई० को माननीय मंत्री डेवलपमेंट के सामने एक मांग औद्योगिक विभागों के लिए पेश की थी?

माननीय उद्योग सचिव--जी हां।

*११--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार ने इलाका हाकिम चमोली गढ़वाल के द्वारा केदारखण्ड विद्यापीठ की औद्योगिक योजना की जांच करवायी थी?

माननीय उद्योग सचिव--जी हां

*१२--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इलाका हाकिम चमोली ने इस पर क्या रिपोर्ट दी है?

माननीय उद्योग सचिव--इलाका हाकिम चमोली की रिपोर्ट है कि जनता की वास्तविक उन्नति के लिए कई तरह की कला सम्बन्धी संस्थायें आवश्यक हैं और यह भी सिफारिश की है कि सरकार ऐसी संस्थायें जल्दी से जल्दी स्थापित करे।

*१३--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि केदारखण्ड विद्यापीठ की औद्योगिक मांग अभी तक क्यों पूरी नहीं की गयी?

माननीय उद्योग सचिव--कुमायूं डेवलपमेन्ट बोर्ड और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट एसोसियेशन और डायरेक्टर शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। सेक्रेटरी विद्यापीठ से भी आयुर्वेदिक इन्स्टीटयूट की स्थापना के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सूचना आना बाकी है। इन सब रिपोर्टों के आने के बाद सरकार विद्यापीठ की मांगों पर विचार करेगी और शीघ्र उचित कार्यवाही करेगी।

कांचन गंगा में सोने के कणों की उपलब्धि

*१४—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार को मालूम है कि कांचनगंगा में, जो बद्रीनाथ से तीन मील नीचे की तरफ है, सोने के कण उपलब्ध होते हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हां कहीं-कहीं कांचनगंगा में सोने के कण मिलते हैं।

*१५—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या कभी इसकी जांच की गई थी कि इसकी रेत में सोना कितनी तादाद में मिलता है ?

माननीय उद्योग सचिव—जी नहीं। अभी तक कांचनगंगा के रेत की जांच नहीं की गई है।

*१६—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार को मालूम है कि कुछ लोग इस सोने के कणों को बालू से छान कर एकत्रित करके बेचते हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—जी नहीं। धोबी लोग हरिद्वार से ऊपर सोने के कणों को बालू से छान कर एकत्रित करके बेचते हैं।

*१७—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करके वहां की तमाम धातुओं के विषय में खोज करने का इरादा रखती है ?

माननीय उद्योग सचिव—विशेषज्ञ नियुक्त करने का प्रबन्ध करीब-करीब हो चुका है। जैसे ही उनका कार्यक्रम बन जायेगा, वे वैसे ही उस ओर जांच पड़ताल करने के लिए भेजे जायेंगे।

गढ़वाल में गर्म पानी के सोते

*१८—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार को मालूम है कि गढ़वाल में गर्म पानी के सोते भी हैं ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों में ?

माननीय स्वशासन सचिव के सभामंत्री (श्री चरण सिंह)—जी हां। गढ़वाल में दो गर्म पानी के सोते हैं। इनमें से एक गौरीकुंड में है और दूसरा बद्रीनाथ में है।

*१९—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार को मालूम है कि बद्रीनाथ धाम में एक गर्म जल का कुंड है, जहां की ऊँचाई १०,००० फीट से ऊपर है और पानी की गर्मी १३० डिग्री है ? क्या सरकार वैज्ञानिकों द्वारा इस बात की जांच कराने का इरादा रखती है कि ऐसा क्यों है ?

श्री चरण सिंह—जी हां। बद्रीनाथ के मन्दिर से जो समुद्र के धरातल से १०२८० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। कुछ ही दूर नीचे तप्त-कुण्ड नाम का एक गर्म पानी का श्रोत है। ग्रीष्म ऋतु में उस गर्म पानी के सोते का तापमान लगभग १२० डिग्री फारेनहाइट रहता है। सरकार का इतने ऊँचे तापमान के कारण के सम्बन्ध में खोज कराने का कोई विचार नहीं है।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार इन श्रोतों के पानी का रसायनिक परीक्षण कर रही है ?

श्री चरण सिंह—अभी तक तो ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—इस पानी के सोतें से बहुत सी व्याधियां दूर हो

सकती हैं इस कारण क्या सरकार इसका मेडिकल कालिज द्वारा परीक्षण कराने का प्रयत्न करेगी ?

श्री चरण सिंह—जैसा मैं अर्ज कर चुका, इस वक्त कोई विचार नहीं है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सरकार को इस जांच कराने में कौन सी आपत्ति है ?

श्री चरण सिंह—फिलहाल गवर्नमेंट तो इस नतीजे पर पहुँची ही नहीं है कि इसमें कोई लाभ है अथवा नहीं। अगर कोई माननीय मेम्बर लाभ की ओर गवर्नमेंट का ध्यान खींचें तो इस पर विचार हो सकता है।

वैद्यक ग्रंथों में वर्णित जड़ी बूटियों का गढ़वाल में पैदा होना

*२०—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार को यह मालूम है कि चरक और सुश्रुत आदि वैद्यक ग्रंथों में वर्णन की हुई अष्टवर्ग, मेघा, महा मेघा, ब्राह्मी, कापली, इन्द्रदन्ती, बज्रदन्ती, दुधिया आदि हजारों की संख्या में जड़ी बूटी गढ़वाल के भिन्न भिन्न तापमान में पैदा होती हैं ?

श्री चरण सिंह—जी हां।

*२१—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि बहुत सी प्रयोगशालाएं इन जड़ी बूटियों के प्राप्त न होने के कारण इनके स्थान पर दूसरी वस्तुएं काम में लाती हैं ?

श्री चरण सिंह—सम्भव है असली जड़ी बूटियों के न मिलने पर प्रयोग-शालाएं दूसरी वस्तुएं इस्तेमाल करती हों।

*२२—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार इन औषधियों की रक्षा और अन्वेषण के लिए कोई प्रबंध करने की तजवीज कर रही है ?

श्री चरण सिंह—इस प्रश्न पर आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा प्रणाली के पुनस्संगठन समिति की सम्मति आने पर पूर्ण विचार किया जायगा। इस साल सरकार ने कुछ संस्थाओं को जड़ी बूटी पैदा करने के लिए कुछ मदद दी है और अगले साल कुछ और देने का विचार है।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार इन जड़ी बूटियों के लिए कोई संग्रहालय या उद्यान सुरक्षित रखेगी जिसमें ये जड़ी बूटियां अच्छी तरह से रखी जा सकें ?

श्री चरण सिंह—जिस कमेटी का मैंने सवाल के जवाब में जिक्र किया है उसकी रिपोर्ट आने का इन्तजार है। तीन संस्थाओं को रुपया दिया गया है। उनके अपने अपने निजी हर्बेरियम मौजूद हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार को मालूम है कि वहां पर एक सज्जन ने बड़ा अच्छा अनुसंधान इन चीजों का किया है जिसका नाम भैरव दत्त अष्टवर्गी है ?

श्री चरण सिंह—नहीं।

*२३—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—[स्थगित किया गया।]

जिला गढ़वाल में पाठशालाओं तथा पुस्तकालयों की संख्या

*२४—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार बतलायेगी कि गढ़वाल जिले में कुल कितने पुस्तकालय हैं और उनको सरकार क्या सहायता देती है ?

मानवीय शिक्षा सचिव के सभा-मंत्री (श्री महफूजुर्रहमान)—गढ़वाल जिले में निम्नलिखित ३१ पुस्तकालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है—

१—शिक्षा प्रसार पुस्तकालय संख्या में कुल १६ हैं। प्रत्येक को ४० रु० की पुस्तकें, १ साप्ताहिक और एक मासिक पत्र प्रति वर्ष दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ६ रु० प्रति मास पुस्तकाध्यक्ष को पारिश्रमिक के रूप में २।। रु० प्रति मास सार-व्यय के लिए दिया जाता है।

२—ग्राम सुधार पुस्तकालय संख्या में कुल ६ हैं। उनमें से प्रत्येक पुस्तकालय को लगभग ५० रु० की पुस्तकें, १ मासिक तथा २ साप्ताहिक पत्र पत्रिकायें दिये जाते हैं। इन पुस्तकालयों को पारिश्रमिक तथा सार-व्यय नहीं दिया जाता है।

३—सहकारी पुस्तकालय संख्या में कुल ६ हैं। इन्हें निम्नलिखित आर्थिक सहायता दी जाती है—

२ को ३६ रु० प्रति वर्ष प्रति पुस्तकालय

२ को ६० रु० प्रति वर्ष प्रति पुस्तकालय

२ को ६६ रु० प्रति वर्ष प्रति पुस्तकालय

इस सहायता का १।३ तो नकद में दिया जाता है और शेष २।३ की पुस्तकें दी जाती हैं।

इसके अतिरिक्त जिले भर में ५० वाचनालय हैं। ये वाचनालय उन्हीं पुस्तकालयों से संबंधित हैं। प्रत्येक वाचनालय को एक साप्ताहिक तथा एक मासिक पत्र दिया जाता है। वाचनालयों में पुस्तकें भी संबंधित पुस्तकालयों से दी जाती हैं जो पढ़ने के बाद पुस्तकालयों को लौटा दी जाती हैं। वाचनालयाध्यक्षों को १ रु० प्रति मास प्रति वाचनालय पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—उन मासिक-पत्र और साप्ताहिक पत्रों के क्या नाम हैं?

श्री महफूजुर्रहमान—इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इन पुस्तकालयों में से कितने ऐसे पुस्तकालय हैं जहां कि ६ महीने तक बरफ गलती है और ६ महीने तक पानी रहता है?

श्री महफूजुर्रहमान—इसके लिए भी नोटिस की जरूरत है।

*२५—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार यह कृपया बतायेगी कि गढ़वाल में कुल कितनी प्रौढ़ पाठशालाएं हैं?

श्री महफूजुर्रहमान—३७।

केदारखण्ड विद्यापीठ, गुप्तकाशी में हाईस्कूल और इण्टरमीडियेट कक्षाओं का खोला जाना

*२६—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार को यह मालूम है कि केदारखण्ड विद्यापीठ, गुप्तकाशी में हाईस्कूल और इण्टरमीडियेट की कक्षाएं खोली गयी हैं?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हां, परन्तु बिना सरकारी स्वीकृति के।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या इन कक्षाओं के खुलने के बाद इस संस्था सरकारी स्वीकृति के लिए प्रार्थनापत्र दिया है और अगर दिया है तो उस पर क्या

हुआ ?

श्री महफूजुर्रहमान--इसका जवाब २२ वें सवाल के जवाब में मौजूद है ।

*२७--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार को मालूम है कि उस विद्यापीठ ने शिक्षा स्वीकृति के लिए मंत्री, शिक्षा विभाग से प्रार्थना की है ? सरकार उस पर क्या विचार कर रही है ?

श्री महफूजुर्रहमान--जी नहीं । शिक्षा विभाग में ऐसा कोई भी प्रार्थनापत्र केदारखण्ड विद्यापीठ, गुप्तकाशी, गढ़वाल से नहीं आया है ।

विद्यापीठ, गुप्तकाशी, गढ़वाल की ओर से आयुर्वेदिक रसायनशाला खोलने के लिए सरकार को प्रार्थनापत्र

*२८--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या विद्यापीठ गुप्तकाशी, गढ़वाल ने आयुर्वेदिक रसायनशाला खोलने और आयुर्वेदिक अन्वेषणों के लिए सरकार के पास ता० २७ जुलाई, सन् १९४७ ई० को एक प्रार्थनापत्र भेजा था, जिसके फलस्वरूप इलाका हाकिम चमोली से इस विषय की जांच करायी गयी थी ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस मामले में क्या निर्णय हुआ ?

श्री चरण सिंह--हां । अभी कोई निर्णय नहीं हुआ । विषय विचाराधीन है ।

केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों का प्रबन्ध

*२९--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर का सदाव्रत फण्ड कितना-कितना है और किसके अधीन है ? वह किन-किन कामों में व्यय होता है ?

श्री चरण सिंह--बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के सदाव्रत फण्ड का प्रबंध गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर करते हैं । इनकी सालाना आय करीब १९,६०० रु० है और यह मुख्य रूप से उन गांवों के भू-आगम से होती है जो बहुत समय पहले इन मंदिरों को धर्मार्थ अर्पित कर दिये गये थे । यह आय मार्ग की सफाई और वहां के अस्पतालों तथा धर्मशालाओं को ठीक दशा में रखने में खर्च की जाती है ।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार को यह मालूम है कि यह रुपया जिस काम के लिए दाताओं ने दिया है उसके लिए उपयोग नहीं होता ?

श्री चरण सिंह--सरकार को यह मालूम है कि बहुत कुछ दुरुपयोग होता है ।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--जिस सदाव्रत के लिए रुपया दिया जाता है वह मेडिसिन वगैरह के कामों में क्यों लिया जाता है ?

श्री चरण सिंह--यदि यह धन अस्पताल के काम में आता है तो उसे धार्मिक इस्तेमाल समझना चाहिए ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या इस कार्य के लिए डिप्टी कमिश्नर दान-दाताओं की ओर से नियुक्त होता है या गवर्नमेंट की तरफ से ?

श्री चरण सिंह--गवर्नमेंट की तरफ से ।

*३०--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार को मालूम है कि गत वर्ष जुलाई में श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, महारानी मन्दोदरी के पास मंदिर केदारनाथ

के सुप्रबन्ध के लिए एक डेपुटेशन आया था ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरण सिंह—हां, यह ठीक है कि केदारनाथ मंदिर के सुप्रबंध के लिए एक डेपुटेशन जुलाई, १९४९ में श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित के पास आया था। सरकार केदारनाथ मंदिर के सुप्रबंध के लिए एक कानून बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट की ही तरह बनाने का विचार कर रही है।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—अब इस संबंध में क्या हो रहा है ?

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णानन्द)—यह कानून कौंसिल में तो कल पास भी हो गया और मौका आने पर असेम्बली के सामने भी आ जायेगा।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—केदारनाथ मंदिर अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में खुलेगा, क्या इसके पहले ही यह कानून लागू हो जायगा ?

माननीय शिक्षा सचिव—अगर असेम्बली इसके पहले रही और असेम्बली के सामने बिल आया और हाउस ने पास कर दिया तो जरूर लागू हो जायगा।

गढ़वाल में मोटर की सड़कों का निर्माण तथा उन पर व्यय

*३१—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गढ़वाल में अभी कुल कितनी मील लम्बी मोटर सड़क बनी है और कितने मील तक मोटर चलती है ?

माननीय निर्माण सचिव के सभा मंत्री (श्री लताफत हुसैन)—गढ़वाल में अब तक १६३ मील लम्बी मोटर की सड़क बनायी गयी है। चमोली के समीप ७ मील सड़क को छोड़कर शेष सारी सड़क पर मोटर चला करती है।

*३२—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस सड़क पर अभी तक कुल कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री लताफत हुसैन—अब तक उक्त मोटर की सड़क पर ४९,५६,९६२ रु० खर्च हो चुके हैं।

*३३—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार को मालूम है कि चमोली तक मोटर सड़क सन् १९४५ ई० में तैयार हो चुकी थी ? इसका क्या कारण है कि सन् १९४५ से गढ़वाल में मोटर सड़क चमोली से आगे अभी तक नहीं बढ़ाई गयी है ?

श्री लताफत हुसैन—इस सड़क का वह भाग जो नन्दप्रयाग और चमोली के बीच है चालू आर्थिक साल में तैयार किया गया है। चमोली से आगे सड़क बनाने का काम पहिले इस लिए आरम्भ न किया जा सका क्योंकि जियालॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से पहाड़ी भागों के सम्बन्ध में रिपोर्ट न मिलने तक सड़कों के योजना चित्र (नकशा) का प्रश्न तय न किया जा सकता था। अब इस विषय में निर्णय किया जा चुका है और इक्जिक्यूटिव इन्जीनियर को आदेश दिया गया है कि वे काम आरम्भ कर दें।

*३४—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी कुल कितने मील दूर है ?

श्री लताफत हुसैन--रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी के बीच २४ मील की दूरी है।

*३५--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पुरी केदारनाथ और पुरी बद्रीनाथ तक मोटर सड़क कितने वर्षों तक तैयार हो जायगी ?

श्री लताफत हुसैन--केदारनाथ तक जाने वाली मोटर की सड़क गुप्तकाशी तक एक कच्ची सड़क बनाई जा रही है जो यद्यपि तंग होगी किन्तु उसमें ऐसे चढ़ाव उतार होंगे जो मोटर की सड़कों मे होते है और उसे बन कर तैयार होने मे ३ वर्ष लगेगे। गुप्तकाशी से आगे का रास्ता एक कठिन प्रदेश से होकर जाता है और उसे बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बद्रीनाथ जाने वाली मोटर की सड़क--जोशी मठ तक एक ऐसी प्रान्तीय कच्ची सड़क बनाई जा रही है जिसमे ऐसे चढ़ाव उतार है जो मोटर की सड़क के लिए उपयुक्त होते है। इस सड़क को और आगे बढ़ाने के प्रश्न पर सड़कें बनाने के युद्धोत्तर कार्यक्रम के दूसरे दौर मे विचार किया जायगा। पीपलकोटी तक शुरू की दस मील सड़क काम करने के तीन मौसमों मे बन कर तैयार हो जायगी।

*३६--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार को यह मालूम है कि गढ़वाल में वर्षा अधिक होने से मोटर की कच्ची सड़कें टूट जाती है ? क्या सरकार ने इस मोटर लाइन को पक्की बनाने की कोई तजवीज की है ?

श्री लताफत हुसैन--पहिला भाग - जी हां।

दूसरा भाग -- जी नहीं क्योंकि पहाड़ की सड़कों मे जो टूट फूट होती है इसके कारण उनके स्थिर होने मे समय लगता है।

*३७--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--जिले गढ़वाल में कुल कितने ओवरसियर्स है ? और एक-एक ओवरसियर के अधीन कितने मेट और कुली रहते है।

श्री लताफत हुसैन--गढ़वाल जिले में १८ ओवरसियर्स है। प्रत्येक ओवरसियर के अधीन औसतन ४ मेट और ४० कुली स्थायी रूप से काम करते है।

*३८--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार को यह मालूम है कि गढ़वाल की सड़कों मे मील, संख्या और स्थान का नाम सूचना वगैरह किस भाषा के अक्षरों में लिखी जाती है ?

श्री लताफत हुसैन--मील के पत्थर इत्यादि पर मील की संख्या, स्थान का नाम इत्यादि आजकल अंग्रेजी में लिखे हुए है।

*३९--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सड़कों में मील वगैरह हिंदी भाषा के अक्षरों में सरकार लिखवाने का विचार कर रही है ?

श्री लताफत हुसैन--जी हां। जब कि मील के पत्थर दुबारा रंगे जायँगे।

*४०--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--[स्थगित किया गया।]

सरकार का श्री केदारनाथ विद्यापीठ की मांगों पर विचार

*४१--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि श्री केदारखण्ड विद्यापीठ ने कृषि उन्नति और नर्सरी की कोई मांग की थी ? यदि हां, तो सरकार उसमे क्या कार्रवाई कर रही है ?

माननीय माल सचिव—(श्री हुकुम सिंह)—जी हां। सरकार विद्यापीठ की मांगों पर विचार कर रही है। कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड से इन मांगों के प्रति अपनी राय प्रकट करने के लिए प्रार्थना की गयी है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

गढ़वाल में विद्युत पैदा करने की योजना

*४२— श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गढ़वाल में कितने जलप्रपातों को बांध कर विद्युत पैदा करने की योजना की गई है और यह स्कीमें कितने दिनों में चालू हो जायंगी ?

श्री लताफत हुसैन—जिला गढ़वाल में नीचे लिखी हुई चार नदियों पर बांध बांध कर बिजली पैदा करने की योजना की जा रही है।

१— नायर नदी में मरोरा और ब्यास घाट के करीब।

२— रामगंगा नदी में कालागढ़ के करीब।

३— पिन्डर नदी में कर्ण प्रयाग और ग्वाल डाम के बीच में।

४— रवोह नदी में एक दोगड्डा के करीब और एक कोटद्वार के पास।

काम के शुरू होने के नो साल के अन्दर पहिली स्कीम से और पांच साल के अन्दर दूसरी स्कीम से बिजली मिलने की उम्मीद है। तीसरी और चौथी स्कीम के बारे में ज़रूरी जांच की जा रही है।

*४३—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या गुप्तकाशी के समीप कालीमठ के करीब विद्युत पैदा करने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

श्री लताफ़त हुसैन—जी नहीं। खास उस जगह की बाबत अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

*४४— श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—[स्थगित किया गया।]

गढ़वाल जिले में मोटर कापनियों की संख्या

*४५— श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार बतलावेगी कि गढ़वाल जिले में कितनी मोटर कम्पनियां काम कर रही है ?

माननीय उद्योग सचिव—दो।

गढ़वाल में मोटर दुर्घटनायें

*४६— श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या यह सत्य है कि गढ़वाल की मोटर सड़कों में इस वर्ष बहुत सी लारियां खड्ड में गिर गईं और सैकड़ों यात्रियों की जान चली गईं ? इसका क्या कारण है ?

श्री लताफत हुसैन—जहां तक मालूम हुआ है सन् १९४७ ई० में गढ़वाल मोटर रोड पर ३ दुर्घटनायें हुईं जिनमें चार व्यक्ति मरे और ९ व्यक्ति घायल हुए। दुर्घटनायें या तो मोटर गाड़ियों के कल-पुर्जों में खराबी आ जाने के कारण या उन्हें असावधानी से चलाने के कारण हुईं।

*४७— श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार आगामी यात्रा सीज़न के पहिले इन सड़कों और पुलों को यातायात के लिए पक्का बनाने का इरादा रखती है ?

श्री लताफत हुसैन--चूंकि पहाड़ी भागों में नई सड़कों के किनारे की भूमि टूटती रहती है और उसमें स्थिर होने में समय लगता है इस लिए आगामी तीर्थयात्रा से पहिले गढ़वाल की मोटर सड़क पक्की नहीं की जा सकती। इस सड़क में चार स्थलों पर नदियां पड़ती हैं इन स्थलों पर पुल बनाने के लिए कार्यवाहियां की जा रही हैं। लेकिन इस वर्ष बरसात से पहिले केवल नन्दप्रयाग का पुल ही तैयार हो सकेगा।

लखनऊ लासा रोड बनाने में खर्च

*४८-- श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लखनऊ लासा रोड को बनाने और यातायात के योग्य रखने में अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है?

श्री लताफत हुसैन--लखनऊ लासा सड़क को बनाने में ६१, ७६, ३३२ रु० लगा है। उक्त सड़क को ठीक दिशा में रखने में ७,८६,५७९ रुपया सालाना लगा है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या यह सड़क लखनऊ से लासा (तिब्बत की राजधानी) तक बनाई जायगी?

श्री लताफत हुसैन--लासा तक जाती है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या मैं जान सकता हूँ कि लासा कौन सी जगह है?

श्री लताफत हुसैन--मुझे सही नहीं मालूम।

*४९-- श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस सड़क के कितने हिस्से पक्के सीमेंट के या अलकतरे के बनाये गये हैं? वह किन-किन जिलों में होकर गये हैं? क्या इस सड़क का कुछ हिस्सा जो बिजनौर जिले से होकर गया है वह सीमेंट का बनाया गया है और गढ़वाल का पूरा हिस्सा कच्चा रक्खा गया है?

श्री लताफत हुसैन--जिन विभिन्न जिलों से होकर यह सड़क जाती है उनमें कितने मील सड़क पर कंकड़ है, कितने पर पत्थर है, कितने पर सीमेंट कंक्रीट है और कितनी मील सड़क काले गोले की है यह नीचे दिये हुये नक्शे में दिखाया गया है।

लम्बाई मीलों में

जिले का नाम	कच्ची	कंकड़	पत्थर	काले गोले	सीमेंट कंक्रीट
लखनऊ	..	..	..	४	१५
सीतापुर	..	२८	..	..	२७
खीरी	..	१३	..	..	..
हरदोई	..	५	..	..	..
शाहजहांपुर	..	२६	..	..	१०
बरेली	..	३०	..	१५	२
रामपुर	..	१२	..	..	..
मुरादाबाद	..	३६	..	११	..
बिजनौर	..	९	५०	..	..
गढ़वाल	१२५ गाड़ी का और ७५ घोड़े जाने का मार्ग	..	६	११	..

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बिजनौर में ५६ मील सड़क यानी सब से ज्यादा बनाई गई इसका क्या कारण है ?

श्री लताफत हुसैन—बिजनौर का जिला उन जिलों में था जिनमे पहले से सड़कें बहुत कम थीं। अब जिस रेशियो (अनुपात) से सड़कें वहां होनी चाहिए थीं उसी रेशियो से वहां बनाई गई है, और उतना ही हिस्सा उसको मिला है।

गढ़वाल में रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और स्टेट चमोली तक मोटर की सड़क

*५०—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और स्टेट चमोली तक मोटर रोड बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ? क्या सरकार बतायेगी कि उसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्री लताफत हुसैन—माननीय सदस्य का ध्यान प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है। गुप्तकाशी से चमोली तक मोटर की कोई सीधी सड़क बनाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

*५१-५३—श्री अलगूराय शास्त्री—[स्थगित किये गये।]

*५४—श्री जगमोहन सिंह नेगी—[स्थगित किया गया।]

प्रांत में सड़कों के किनारे की भूमि प्राप्त करने के लिये सरकार की विज्ञप्ति

*५५—श्री कालीचरण टण्डन (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि पी० डब्लू० डी० की ओर से नेशनल हाईवेज की दोनों तरफ को दो-दो फर्लांग की जमीन प्रान्तीय सरकार के कण्ट्रोल में लेने की सूचना देने से उसका क्या उद्देश्य है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)—संयुक्त प्रान्त के सड़क के किनारों की भूमि के नियन्त्रण ऐक्ट, सन् १९४५ ई० की धारा ३ (२) के अधीन विज्ञप्ति जारी की गई है। उद्देश्य यह है कि सड़कों के दोनों किनारों पर मकान आदि के निर्माण की रोक थाम की जाय ताकि सड़कों पर भीड़-भाड़ न हो और आगे चल कर जब कभी यातायात के बढ़ने के कारण सड़कों को चौड़ा करने और सुधारने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़े तो उसे प्राप्त करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े और उसकी प्राप्ति के लिए भारी मूल्य न चुकाना पड़े।

*५६—श्री कालीचरण टण्डन (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि जनता में उपरोक्त विज्ञप्ति से बहुत हलचल व गलतफहमी फैल रही है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—जी नहीं।

*५७—श्री कालीचरण टण्डन (अनुपस्थित)—यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—प्रश्न पैदा नहीं होता।

गोला, जिला खीरी में स्वतन्त्रता दिवस को ध्वजारोहण के समय सभापति नोटीफाइड एरिया कमेटी की अनुपस्थिति

*५८—श्रीमती लक्ष्मी देवी (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि स्वतंत्रता दिवस (१५ अगस्त, १९४७) को टाउन एरिया दफ्तर गोला, जिला खीरी पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था ?

(ख) इस झंडे को किसने लहराया था ? और उस समय कौन-कौन उपस्थित थे ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५८ तथा ५९ श्री खुशवक्त राय ने पूछे।

(ग) क्या यह सच है कि इस ध्वजारोहण के समय चेयरमैन साहब उपस्थित न थे ?

(घ) क्या इस अनुपस्थिति का कारण यह था कि वह एक कांग्रेस विरोधी संस्था के सदस्य हैं ?

श्री चरण सिंह--(क) १५ अगस्त, सन् १९४७ ई० को झंडा नोटीफाइड एरिया की इमारत पर फहराया गया था ।

(ख) गोला हिन्दुस्तान शुगर मिल्स के जनरल मैनेजर श्रीयुत आनन्द किशोर निवातिया ने झंडा फहराया था । निम्नलिखित व्यक्ति उत्सव में उपस्थित थे:--

१--श्रीयुत नानकचन्द, उपसभापति (वाइस चेयरमैन)

२--श्रीयुत मोहन लाल, सदस्य

३--एम० मुजीब उल्लाह खां, सदस्य

४--श्रीयुत शिव चन्द्र, सदस्य

५--एम० अब्दुल रौफ, सदस्य

६--श्रीयुत जमुना प्रसाद, सदस्य

७--श्रीयुत जयचन्द, सदस्य

८--श्रीयुत देवीदीन, सदस्य

९--कमेटी के समस्त कर्मचारी

१०--श्रीयुत आनन्द किशोर निवातिया और कस्बे के प्रतिष्ठित व्यक्ति ।

(ग) जी हां ।

(घ) ध्वजारोहण उत्सव में सभापति के सम्मिलित न होने का कारण मालूम नहीं है किन्तु प्रश्न में जो कारण बताया गया है वह उनकी अनुपस्थिति का एक कारण हो सकता है ।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार को अब भी इसका कारण मालूम है ?

श्री चरण सिंह--मैंने इसका जवाब दे दिया है कि जिला मजिस्ट्रेट के पास से जो सरकार के पास रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि कारण मालूम नहीं है । उसमें देर लगती और मेम्बर साहब को एतराज होता कि सवालों का जवाब देर में आया इसलिए फिर जिला मजिस्ट्रेट से नहीं कहा गया । अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो फिर जिला मजिस्ट्रेट से पूछा जा सकता है ।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उनको इस कमेटी से हटा दिया जाय ?

श्री चरण सिंह--नहीं ।

गोला नोटीफाइड एरिया के चेयरमैन का स्थानीय पे कमेटी का सदस्य मनोनीत किया जाना

*५९--श्रीमती लक्ष्मी देवी--क्या टाउन एरिया कमेटी, गोला, जिला खीरी के चेयरमैन साहब स्थानीय बोर्डों के नौकरों की जो पे कमेटी सरकार ने बनाई है, मेम्बर नामजद किये गये हैं ?

श्री चरण सिंह--नोटीफाइड एरिया कमेटी के सभापति (चेयरमैन) उल्लिखित कमेटी के सदस्य मनोनीत किये गये हैं ।

*६०-६१—श्रीमती लक्ष्मी देवी--[स्थगित किये गये ।]

*६२-६७—श्री कालीचरण टण्डन (अनुपस्थित)--[स्थगित किये गये ।]

बरेली के मुन्सिफ द्वारा बरेली कालेज के कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को मनादी का आदेश

*६८—श्री राम मूर्ति—क्या सरकार को मालूम है कि बरेली कालेज के कंट्रोल बोर्ड के सदस्य श्री ए० के० मुकर्जी ने शहर बरेली के मुंसिफ से इस आशय का इन्जक्शन प्राप्त किया था कि बोर्ड के चेयरमैन सरकार के आज्ञानुसार पुनर्निमित की बैठक नहीं बुला सकते ?

श्री महफूजुर्रहमान—सरकार को विदित है कि मुंसिफ ने चेयरमैन को एक अस्थायी मनादी का आदेश देकर उन्हें सरकार द्वारा नवनिर्मित बोर्ड आफ कंट्रोल की मीटिंग के करने की आज्ञा दी । फिर यह अस्थायी मनादी की आज्ञा रद्द कर दी गयी ।

*६९—श्री राम मूर्ति—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि उपरोक्त श्री मुकर्जी ने एक शिकायत शहर मुंसिफ की अदालत में पेश की थी जिसमें श्री रघुकुल तिलक भूतपूर्व पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के विरुद्ध आपत्तिजनक बात कही थीं ?

श्री महफूजुर्रहमान—श्रीयुत रघुकुल तिलक के विरुद्ध (जिनका नाम केवल एक बार अभियोग-पत्र के सातवें पैराग्राफ में आया है ।) स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक बातें नहीं कही गयी हैं ।

*७०—श्री राम मूर्ति—क्या यह सही है कि यद्यपि उपरोक्त मुंसिफ ने अपने पूर्व इन्जक्शन को, जिसमें उन्होंने कंट्रोल बोर्ड की बैठक न बुलाने की हिदायत दी थी, रद्द कर दिया, तब भी सदस्यों की ओर से दिये गये नियमित रिक्वीजीशन के बावजूद चेयरमैन बैठक बुलाने से टाल रहे हे ?

श्री महफूजुर्रहमान—(क) यह बात गलत है कि मुंसिफ न मनादी के आदेश को, जिसके द्वारा बोर्ड आफ कंट्रोल की मीटिंग न करने का आदेश दिया गया था, पूर्णरूपेण रद्द कर दिया है । मामला अभी मुंसिफ की अदालत में विचाराधीन है और मुंसिफ द्वारा मनादी के आदेश रद्द करने के विरुद्ध अपील की गयी है ।

(ख) अभी तक मीटिंग बुलाने के लिए कोई नियमित प्रस्ताव चेयरमैन के पास नहीं भेजा गया है।

श्री राम मूर्ति—क्या सरकार को विदित है कि बरेली कालेज के बोर्ड आफ कंट्रोल के ११ सदस्यों ने एक रिक्वीजीशन (आदेश-पत्र) कमिश्नर साहब के पास भेजा कि वह मीटिंग बुलाएं और उसकी सूचना सरकार के पास भजी ?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हां ।

श्री राम मूर्ति—क्या सरकार को यह भी विदित है कि जब ११ सदस्यों ने रिक्वीजीशन (आदेश-पत्र) भजा तो उस पर कमिश्नर ने यह फरमाया कि चूंकि दो मेम्बरों के हस्ताक्षर पढ़ने में नहीं आते इसलिए ११ सदस्य मेरे बँगले पर हाजिर हों ।

श्री महफूजुर्रहमान—जी हां, उनको बुलाया था । कारण यह था कि उसमें दो मेम्बरों के नाम लिस्ट में दर्ज नहीं थ । लिहाजा ९ मेम्बरों के रिक्वीजीशन पर बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलायी जा सकती थी ।

श्री राम मूर्ति--क्या सरकार को यह भी विदित है कि इस पर फिर ११ मेम्बरों ने रिक्वीज़ीशन भेजा ?

श्री महफूज़ुर्रहमान--जी हां, भेजा और तीन मेम्बरों ने अपना नाम वापस ले लिया ।

*७१-८३--श्री कृपाशंकर--[वापस लिये गये ।]

यमुना और बेतवा के बीच के भाग का क्षेत्रफल और आबादी

*८४--श्री हरप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हमीरपुर जिले के उस भाग का जो बेतवा और यमुना के बीच मे है क्षेत्रफल और जनसंख्या क्या है ? और इस जिले के शेष भाग का क्षेत्रफल और जनसंख्या क्या है ?

माननीय माल सचिव--हमीरपुर जिले के उस भाग का रकबा जो बेतवा और यमुना के बीच में है ८९,०३६ एकड़ है और उसकी आबादी ४३,५२० है । जिले के शेष भाग का रकबा १४,७४,४८४ एकड़ और आबादी ५,३२,०१८ है ।

यमुना और बेतवा की बाढ़ से हमीरपुर शहर को क्षति

*८५--श्री हरप्रसाद सिंह--क्या यह सच है कि हमीरपुर शहर जो कि जिले का हेड-क्वार्टर है वह हर वर्ष यमुना और बेतवा नदियों द्वारा कट रहा है ?

माननीय माल सचिव--जब बाढ़ जोर की आती है तब भूमि कट जाती है । यह जरूरी नहीं है कि हर साल कटे । बेतवा पर जहां बांध बना दिया गया है वहां कटान रुक गया है ।

श्री हरप्रसाद सिंह--क्या यह पक्का बांध पूरी बेतवा नदी पर है जो हमीरपुर शहर के किनारे किनारे गई है ?

माननीय माल सचिव--इसके लिए नोटिस की जरूरत है ।

श्री हरप्रसाद सिंह--क्या सरकार के पास ऐसा कोई रेकार्ड है जिससे यह मालूम होवे कि पिछले दो सर्वे (भूमिमाप) के दरमियान में कितनी जमीन इन दोनों नदियों ने हमीरपुर की काटी है ?

माननीय माल सचिव--अनुमान है कि पता लगाने से इसका पता चल जाय ।

*८६--श्री हरप्रसाद सिंह--क्या यह सच है कि सन् १९१६ ई० और सन् १९४७ ई० की बाढ़ में हमीरपुर शहर को जलमग्न हो जाने का भय उत्पन्न हो गया था ?

माननीय माल सचिव--ऐसा कोई खतरा पैदा नहीं हुआ था । बाढ़ आ जाने से नीचे की भूमि में कहीं कहीं पानी अवश्य भर गया था ।

*८७--श्री हरप्रसाद सिंह--क्या यह सत्य है कि वर्षा ऋतु में हर वर्ष हमीरपुर नगर पहुँचने और वहां से वापस लौटने में हमीरपुर जिले वालों को बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है ?

माननीय माल सचिव--बरसात में हमीरपुर आने और वहां से लौटने में नाव से पार होना पड़ता है । खर्चा सदा की भांति ही पड़ता है । कोई ऐसा बड़ा कष्ट तो नहीं होता । बरसात में यात्रा में कठिनाई होती ही है ।

श्री हरप्रसाद सिंह--क्या सरकार को इस बात का इल्म है कि जिस वक्त हमीरपुर में बाढ़ आती है यमुना या बेतवा में तो नाव का उतारा ६,७ घंटा ले लेता है और उसकी उतराई का टैक्स भी आठ आना से १ रुपया तक केवट को देना पड़ता है।

माननीय माल सचिव--उतराई के मुतालिलक तो कोई इत्तिला नहीं है लेकिन इस बात की सम्भावना है कि एक: उस पार जाने में काफी वक्त लगता होगा।

श्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार को मालूम है कि बरसात में बेतवा का पाट कहीं कहीं ५ मील तक चौड़ा हो जाता है ?

माननीय माल सचिव--कोई वजह नहीं मालूम होती कि मैं आपकी बात न मानूं।

श्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार बेतवा नदी पर पुल बनवाने का विचार रखती है ?

माननीय माल सचिव--अभी तक तो विचार नहीं हुआ है। अब इस पर गौर किया जायगा।

*८८-९१--श्री हरप्रसाद सिंह--[स्थगित किये गये।]

*९२--श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--[स्थगित किया गया।]

सालाना लोकल रेट्स का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जनरल एकाउन्ट में जमा करना

*९३--श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--क्या सरकार को यह भी मालूम है कि सालाना लोकल रेट्स अप्रैल और अक्तूबर के महीनों में हस्बदस्तूर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जनरल एकाउन्ट में जमा नहीं किया गया ? अगर यह सही है तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री चरण सिंह--जी हां। इस मामले के कागज पत्रों में कुछ गलतियां पायी गयी थीं जिन्हें पहले ठीक कर लेना आवश्यक था। बचा हुआ रुपया अब जिला बोर्ड को चुकाया जा रहा है।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कागज पत्रों को गलत करने वाले कौन थे और किस तौर पर वह गलत हुए ?

श्री चरण सिंह--सन् १९४२ ई० में यह सेस रजिस्टर जल गये थे तो उसके मुताबिक नये सेस रजिस्टर तैयार करने का हुक्म दिया गया लेकिन फिर बाद में मालूम हुआ कि जो यह नये रजिस्टर तैयार किये गये थे उनके आंकड़े सही न थे तो गवर्नमेंट ने उन आंकड़ों को सही करने का हुक्म दिया तब वे सही किये, इस तरह पर जो लोकल रेट्स थे वह बोर्ड को दिये गये।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन रजिस्टरों के न होने के कारण जिला बोर्डों के हजारों स्कूलों के मास्टरों को ४ महीने की तनख्वाह नहीं दी जा सकती ?

श्री चरण सिंह--गवर्नमेंट को नहीं मालूम। रुपये की कमी होने की वजह से ऐसा हुआ होगा।

*९४-९६--श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--[स्थगित किये गये।]

जिला अल्मोड़ा में राम गंगा नदी पर पुल की आवश्यकता

*९७--श्री खुशी राम--(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला अल्मोड़ा में

[श्री खुशीराम]

इलाका पाली के पटटी पल्ला, मल्ला, तल्ला, व.ला, चारों शल्टों के बीच एक रामगंगा नाम की नदी बहती है ?

(ख) क्या यह सच है कि इस नदी में बरसात के दिनों में पानी बढ़ जाने के कारण सिवाय तुम्बियों के और किसी प्रकार भी नदी पार नहीं जाया जा सकता ? क्या यह भी सच है कि तुम्बियों से नदी के आर पार जाने के कारण कई बार आदमी व जानवर बह चुके हैं ?

(ग) क्या सरकार इस नदी पर उचित स्थान पर पुल बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लताफत हुसैन—(क) जी हां।

(ख) गवर्नमेंट को कोई ऐसी इत्तिला नहीं है।

(ग) इस वक्त इस जगह कोई पुल बनाने की तजवीज गवर्नमेंट के सामने नहीं है।

श्री खुशीराम—क्या पहले भी इस नदी के पुल बनाने का सवाल पेश हुआ था ?

श्री लताफत हुसैन—मुमकिन है हुआ हो।

श्री खुशीराम—बरसात मे जब पानी पूरा चढ़ जाता है तो उस पार जाने का क्या साधन है ?

श्री लताफत हुसैन—किश्ती भी हो सकती है और पुल तो जरूरी है ही।

श्री खानचन्द गौतम—क्या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब के जवाब का मैं यह मतलब समझूं कि पहाड़ों की नदियों पर जानवरों को किश्ती से पार कराया जाता है ?

श्री लताफत हुसैन—कहीं कहीं ऐसा भी जरूरी होता है कि जानवर भी किश्ती से पार कराये जाते हैं।

हरदोई एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में पूछताछ

*९८—श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा—क्या यह ठीक है कि हरदोई एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी सड़कों पर व बिजली लेने वाली जनता को पिछले ४ वर्ष से केवल कभी कभी बिजली दिया करती है ?

श्री लताफत हुसैन—जी हां।

*९९—श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा—क्या यह ठीक है कि कम्पनी अपने लायसेन्स के अनुसार पूरे नगर को बराबर २४ घंटा बिजली देने के लिए बाध्य है ?

श्री लताफत हुसैन—जी हां।

*१००—श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा—क्या यह ठीक है कि कम्पनी का बिजली घर पिछले ४ वर्षों से जब कभी काम करता है तो केवल ६–७ घंटा काम करता है और उससे भी नगर के केवल एक हिस्से को बिजली दी जाती है ?

श्री लताफत हुसैन—जी हां। पहले तो तेल की कमी और मशीन पुरानी होने के कारण ऐसा करना जरूरी था। बाद में मशीन अधिक काम करने लायक नहीं रही।

श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा—क्या गवर्नमेन्ट को यह मालूम है कि कम्पनी बराबर २४ घंटे काम करने के लिए बाध्य है, पर कम्पनी अब भी चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं देती है ?

श्री लताफत हुसैन--गवर्नमेन्ट की इत्तिला है कि कम-से-कम आठ घंट तो बिजली देनी

श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा--जब इस कम्पनी का काम पिछले चार वर्षो से बराबर खराब होना चला आया है तो क्या सरकार यह सोच रही है कि इस कम्पनी का लायसेन्स जब्त कर ले ?

श्री लताफत हुसैन--कम्पनी को इससे पहले नोटिस दिया गया था। उसने अपना पहला स्टाफ जो मौजूदा स्टाफ के मुकाबले में ज्यादा होशियार नहीं था अलहदा कर दिया है और नया इन्जीनियर बुलाया है। वह ज्यादा होशियार है। उसनें मशीन की हालत भी पहले से बेहतर कर दी है। इस लिए कम्पनी को मौका दिया जा रहा है और अगर वह ठीक काम कर पाती है तो लाइसेन्स जब्त करने का सवाल पैदा नहीं होगा

*१०१-- श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा--क्या यह ठीक है कि बाजार का फीडर महीना में १५ दिन के लिए काट दिया जाता है ?

श्री लताफत हुसैन--बाजार का फीडर तथा कुछ और फीडर लगभग आठ दिन हर महीने में काट दिये जाते है। बाजार के फीडर को बिजली का ज्यादा भार उठाना पड़ता है। जब यह भार मशीन की ताकत से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके सिवाय और कोई चारा भी नहीं है।

*१०२-- श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा--क्या यह ठीक है कि हरदोई नगर की जनता ने सरकार के पास इस विषय में प्रार्थनापत्र भेजे थे और सरकार ने यह आज्ञा दी थी कि बाजार का फीडर बिना जिला मैजिस्ट्रेट की लिखित आज्ञा के कभी न काटा जाव ?

श्री लताफत हुसैन--जी हां। ऐसा हुक्म एलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर ने सरकार और जिला मैजिस्ट्रेट की सम्मति से जारी किया था

*१०३--श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा--क्या यह ठीक है कि कम्पनी इस आज्ञा का बराबर उल्लंघन कर रही है ?

श्री लताफत हुसैन--जी हां। जैसा कि प्रश्न सख्या १०१ के उत्तर में निवदन किया गया है इसके सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं है।

*१०४-- श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा--क्या यह ठीक है कि बिजली घर में अब तक कोई योग्य इन्जीनियर नहीं है जैसा कि लायसेन्स व नियमों के अनुसार होना चाहिए और इसकी रिपोर्ट एलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर न भी की है ?

श्री लताफत हुसैन--फरवरी सन् १९४८ से मिस्टर स्मिथ ने चार्ज ले लिया है जो तजुर्बेकार इन्जीनियर हैं। इस तौर पर एलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट और लायसेन्स की शर्तों की तामील हो गई है।

*१०५-- श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा--क्या यह ठीक है कि कम्पनी के बोर्ड आफ़ डाइरेक्टर्स के चेयरमैन व म्यूनिसिपल बोर्ड हरदोई के चेयरमैन एक ही सज्जन है ?

श्री लताफत हुसैन--जी हां।

श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा—क्या सरकार को यह मालूम है कि कम्पनी के चारों इंजिन अब मरम्मत के काबिल नहीं रह गये हैं ?

श्री लताफत हुसैन—पहले मशीनें खराब थीं। उसके बाद उनको देशी पुर्जे लगा कर ठीक कर लिया गया। वह ऐसा काम तो नहीं दे सकतीं जैसा काम विलायती पुर्जों से दे सकती थीं पर वह बिल्कुल बेकार नहीं हैं।

*१०६—श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा—क्या यह ठीक है कि हरदोई नगर की सड़कें तथा गलियां वर्ष के अधिकांश हिस्से में नितान्त अंधेरी पड़ी रहती हैं और म्यूनिसिपल बोर्ड ने अभी तक कोई भी कार्यवाही कम्पनी के खिलाफ नहीं की है ?

श्री चरण सिंह—जी हां। कम्पनी की मशीनें पुरानी हो जाने के कारण अक्सर बिगड़ जाती हैं। कम्पनी उनकी मरम्मत का बहुत उपाय कर रही है। ऐसी अवस्था में म्युनिसिपैलिटी के लिए कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं मालूम होता है।

*१०७— श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा—क्या यह ठीक है कि जनता ने कई बार जिला मैजिस्ट्रेट से इस विषय में शिकायतें कीं ? यदि ठीक है, तो जिला मैजिस्ट्रेट ने क्या किया ?

श्री चरण सिंह—जी हां। जिला मैजिस्ट्रेट ने कम्पनी को कई बार चेतावनी दी कि यदि कम्पनी ठीक रोशनी देने का प्रबन्ध नहीं करेगी तो वह कम्पनी के लायसेन्स को रद्द करने के लिए गवर्नमेन्ट को लिखेंगे। इसके पश्चात् सरकारी एलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर को इस बात की सूचना दी। इन्स्पेक्टर ने रिपोर्ट की है कि कम्पनी मशीनों की मरम्मत करा रही है और एक नई मशीन लगाने का प्रबन्ध कर रही है। आशा है कि इसके हो जाने के बाद जनता का कष्ट दूर हो जायगा।

*१०८— श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा—क्या जिला मैजिस्ट्रेट ने इस विषय में कोई रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को भेजी, और यदि भेजी तो उस पर सरकार ने क्या किया ?

श्री चरण सिंह—कोई रिपोर्ट नहीं भेजी।

सरकारी संस्थाओं के शिक्षकों के बच्चों को ट्यूशन फीस की माफी

अ.दि संख्या *३४ तारीख १-३-४८ *९१ १६-३-४८

*१०९—श्री हसन अहमद शाह (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेन्ट कृपा करके बतायगी कि क्या शिक्षकों को जो गवर्नमेन्ट इन्स्टीट्यूशनों में नौकर हों और २०० रु० माहवार से कम वेतन पाते हों और अन्य सरकारी कर्मचारियों (मिनिस्टीरियल और मीनियल) को जो वहां के दूसरे शिक्षा सम्बन्धी दफ्तरों में नौकर हों, अपने वार्डो की जो उस जगह, उसी के या दूसरे इन्स्टीट्यूशनों में पढ़ते हों, ट्यूशन फीस माफ कर दी गई है ?

माननीय शिक्षा सचिव—यह रियायत अध्यापकों को केवल उन संस्थाओं में मिलती है जिनमें वे पढ़ाते हैं। सरकारी क्लर्कों और चपरासियों को यह रियायत सब स्थानीय शिक्षा संस्थाओं में मिलती है।

*३५ १-३-४८ *९२ १६-३-४८

*११०—श्री हसन अहमद शाह (अनुपस्थित)—क्या यह रियायत उन शिक्षकों के वार्डों को भी प्राप्त होंगी जो गवर्नमेन्ट नार्मल स्कूल (लड़कों और लड़कियों के)

और गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज और गवर्नमेंट हाई स्कूल में नौकर हों और अपने वार्डों को उस जगह के गवर्नमेंट या self हाई स्कूल या इन्टरमीडियेट कालेज में पढ़ने के लिए भेजें? अगर नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय शिक्षा सचिव—१—सरकारी नार्मल स्कूलों के अध्यापकों के उन बच्चों के लिए जो सरकारी हाई स्कूल या इन्टरमीडियेट कालेजों में पढ़ाते हैं उन रियायतों के देने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

२—सरकारी ट्रेनिंग कालेजों के अध्यापकों को यह रियायत नहीं मिलेगी।

३—सरकारी हाई स्कूलों के अध्यापकों को यह रियायत केवल उन्हीं स्कूलों में जहां वे काम करते हैं मिलेगी। अन्य संस्थाओं में नहीं, चाहे वे सरकारी हों या गैर-सरकारी।

४—सरकारी हाई स्कूलों की अध्यापिकाओं को यह रियायत उस जगह के सब सरकारी स्कूलों और कालेजों में मिलेगी।

कृषि विभाग में कामदारों तथा डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्टों की नियुक्तियों

आदि संख्या *६२ तारीख १-३-४८ *६३ १६-३-४८

*१११—श्री मुहम्मद असरार अहमद—बदायूं के डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ एग्रीकल्चर के अधिकार में कृषि विभाग के जो कामदार काम कर रहे हैं उनके नाम क्या हैं? उनकी योग्यतायें, नौकरी की अवधि और वेतन क्या है?

माननीय माल सचिव—एक नक्शा माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८१ पर)

*६३ १-३-४८ *६४ १६-३-४८

*११२—श्री मुहम्मद असरार अहमद—कृषि विभाग में कामदार की नियुक्ति के लिए कम-से-कम योग्यताएँ क्या हैं?

माननीय माल सचिव—कामदारों के कृषि-विभाग में नौकरी पर रखे जाने के सम्बन्ध में कोई शिक्षा सम्बन्धी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। परन्तु उन कामदारों को विशेषता दी जाती है जिन्होंने वर्नाक्यूलर फाइनल परीक्षा पास की हो।

*६४ १-३-४८ *६५ १६-३-४८

*११३—श्री मुहम्मद असरार अहमद—बरेली के प्रत्येक डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ एग्रीकलचर (कृषि) के डिवीजन में उनके नाम, योग्यतायें, वेतन, नौकरी की अवधि और नियुक्ति की तारीख क्या है? सन् १९३७ ई० से सन् १९४७ ई० के अन्तर्गत प्रत्येक वहां कितने समय तक रहा?

माननीय माल सचिव—एक नक्शा माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २८४ पर)

*६५ १-३-४८ *६६ १६-३-४८

*११४—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या यह सच है कि जब ये स्थान खाली हुए तो कामदार के स्थान पर कोई मुसलमान नियुक्त नहीं किया गया? सन् १९३७ ई० से सन् १९४७ ई० तक प्रत्येक साल में कितने स्थान खाली हुए और प्रत्येक साल उन स्थानों पर किस जाति के लोग रक्खे गये?

माननीय माल सचिव—एक नकशा माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २८५ पर)

आदि संख्या *६६ तारीख १-३-४८ *९७ १६-३-४८

*११५—श्री मुहम्मद असरार अहमद—बदायूं जिले में जो कामदार काम कर रहे हैं उनमें मुसलमानों, हरिजनों, ईसाइयों, सिक्खों, परिगणित जातियों और अन्य जातियों की संख्या क्या है ?

माननीय माल सचिव—मांगी हुई सूचना नीचे हैः—

जिला बदायूं में काम करने वाले कामदारों की संख्या	हिन्दू	मुसलमान	हरिजन	सिक्ख	परिगणित जातियां
८६	६१	१९	..	.	६

*६७ १-३-४८ *९८ १६-३-४८

*११६—श्री मुहम्मद असरार अहमद—संयुक्त प्रान्त में काम करने वाले कृषि विभाग के सम्पूर्ण डिवीजनल सुपरिण्टेण्डेण्टों के नाम, वेतन, नौकरी की अवधि और योग्यतायें क्या हैं ? उनके हेडक्वार्टर्स (सदर मुकाम) कहां हैं ? प्रत्येक के काम करने का क्षेत्र कितना है ? उनके काम और कर्तव्य क्या हैं ? प्रत्येक डिवीजन में वे कब से काम कर रहे हैं ? क्या वे अस्थाई हैं या स्थाई ?

माननीय माल सचिव—एक नकशा माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ २८६ पर)

बदायूं जिले के बीज गोदामों के संबंध में पूछ तांछ

*६८ १-३-४८ *९९ १६-३-४८

*११७—श्री मुहम्मद असरार अहमद—बदायूं जिले में जो बीज के गोदाम हैं उनके नाम क्या हैं, और उनमें कितना बीज रक्खा जा सकता है और उनमें से प्रत्येक का हलका कितना है ? कितने कृषि विभाग के अधीन हैं और उनमें से कितने अन्य विभागों के अधीन हैं ? उन अन्य विभागों के नाम क्या हैं ?

माननीय माल सचिव—इस प्रश्न के पहले भाग में मांगी हुई सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८८ पर)

बदायूं जिले में कृषि विभाग के बीजो के गोदामों की संख्या २४ है और बीजों के केवल २ गोदाम ही—जिनमें से एक बिसौली में है, दूसरा सदपर मे—सहकारी समिति विभाग के अधीन हैं

*६९ १-३-४८ *१०० १६-३-४८

*११८—श्री मुहम्मद असरार अहमद—बदायूं जिले में जिन बीज गोदामों की पक्की इमारतें हैं उनके नाम क्या हैं और जिनकी कच्ची इमारतें हैं उनके नाम क्या है ? जो बीज गोदाम किराये की इमारतों पर हैं उनके नाम क्या हैं और इन मकान मालिकों के नाम तथा उनका माहवारी किराया क्या है ?

माननीय माल सचिव—एक नकशा जो कि बदायूं जिले के केवल कृषि विभाग के बीज-गोदामों के सम्बन्ध में है, माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है। बिसौली और सदपर के दो सहकारी बीज-गोदाम दो किराये की इमारतों में है जिनके

मालिक क्रमशः लाला [illegible] लाल और श्री आगा अली हैं। बिसौली में १२ रु० प्रति महीना किराया दिया जाता है और सैदपुर में १२ रु० प्रति महीना। बीजों के डिपार्टमेंट के छूटने पर ये दो इमारतें बदल दी गई हैं उनमें इस समय क्रमश १५०० मन और १००० मन बीज रखे जा सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २९० पर)

आदि संख्या *७० तारीख १-३-४८ *१०१ १६-३-४८

*११९—**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—क्या यह सच है कि ये बीज गोदाम सब या उनके बड़े भाग को सहकारी समितियों के पास तब्दील किये जाने की सम्भावना है? सहकारी समितियों के पास इस प्रकार की तब्दीलियों के लिए क्या शर्तें हैं? यदि प्रश्न के प्रथम भाग का जवाब 'हां' में हो, तो कब ये गोदाम सहकारी समितियों के पास तब्दील किये जायेंगे?

माननीय माल सचिव—जी हां। यह सम्भावना है कि इन बीज गोदामों में से अधिकतर गोदाम सहकारी बिक्री संघ (कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन) संयुक्त प्रान्त को ३० जून सन् १९४८ ई० तक दे दिये जायेंगे। इन गोदामों के उक्त संघ को दिये जाने की शर्तों पर और उससे सम्बन्धित दूसरी बातों पर विचार किया जा रहा है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि जब कि जून में यह गोदाम फेडरेशन को देना है तो यह गौर कब तक खतम हो जायेगा?

माननीय माल सचिव—बहुत जल्द।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट इस गोदाम को प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटीज को भी देना पसन्द करती है या देगी?

माननीय माल सचिव—अभी इस पर कोई आखिरी निर्णय नहीं हुआ है।

*७१ १-३-४८ *१०२ १६-३-४८

*१२०—**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—बदायूं जिले में काम करने वाली विभिन्न कोआपरेटिव सोसाइटियां, कोआपरेटिव यूनियन और कोआपरेटिव फेडरेशन कहां स्थित हैं और उनकी रजिस्ट्री किस तारीख को हुई और ये सोसाइटियां किस प्रकार की हैं? इन सोसाइटियों के प्रेसिडेन्टों, सेक्रेटरियों या सरपञ्चों के क्या नाम हैं?

माननीय माल सचिव—मांगी हुई सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(नकशा जिसमें सूचना थी छापा नहीं गया)

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि नक्शे में सोसायटीज की जो तादाद दी गई है उसमें कितनी चालू हैं और कितनी गैर-चालू हैं?

माननीय माल सचिव—मैं सवाल समझा नहीं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—प्रश्न १२० में नक्शे में सोसायटीज की जो तादाद दी गई है उनमें से कितनी चालू हैं और कितनी गैर-चालू हैं?

माननीय माल सचिव—इसके लिए मुझे नोटिस की जरूरत है।

सन् १९४७ ई० के संयुक्त प्रांत से घर छोड़कर निकले हुए लोगों की (सम्पत्ति के प्रबन्ध के) बिल के संबंध में शुभमूर्ति गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा

माननीय स्पीकर--मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९४७ ई० के संयुक्तप्रान्त से घर छोड़कर निकले हुए लोगों की (सम्पत्ति के प्रबंध के) बिल पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी १० नवम्बर सन् १९४७ ई० की बैठक में और संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल ने अपनी ८ दिसम्बर सन् १९४७ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, शुभमूर्ति गवर्नर की स्वीकृति ५, फरवरी सन् १९४८ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का दसवां ऐक्ट बन गया।

सन् १९४८-४९ ई० के व्यय के प्रमाणित परिशिष्ट की प्रतिलिपि का मेज पर रखना

माननीय माल सचिव--मैं आपकी आज्ञा से आर्थिक वर्ष सन् १९४८-४९ ई० के व्यय के प्रमाणित परिशिष्ट की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

संयुक्त प्रांतीय मोटर गाड़ियों के नियमों में किये गये संशोधनों की प्रतिलिपियों का मेज पर रखना

माननीय शिक्षा सचिव--आपकी आज्ञा से मैं मोटरगाड़ियों के ऐक्ट सन् १९३९ ई० की धारा १३३ (३) के अनुसार संयुक्त प्रान्तीय मोटर गाड़ियों के नियम ३१ तथा २१३ में किये गये संशोधनों की प्रतिलिपियां मेज पर रखता हूं।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण बिल की विशिष्ट समिति की रिपोर्ट उपस्थित करने के समय में वृद्धि

माननीय माल सचिव--प्रान्तीय असेम्बली ने दिनांक ९ मार्च सन १९४८ की बैठक में संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण बिल, सन् १९४८ ई० को एक निर्वाचित समिति के सुपुर्द किया था और यह आदेश दिया था कि समिति की रिपोर्ट एक महीने में प्रस्तुत की जाय क्योंकि इस समय में यह रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकती है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि १५ जून सन् १९४८ ई० तक बढ़ा दी जाय।

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण बिल पर जिसे इस असेम्बली ने निर्वाचित समिति के सुपुर्द किया था रिपोर्ट देने की तारीख १५ जून सन् १९४८ ई० तक बढ़ा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय भूमि और घरों को वापस करने का (संशोधन) बिल (जारी)

धारा १०(जारी)

***श्री राधा मोहन सिंह**--श्रीमन् अध्यक्ष महोदय कल शाम को इस भवन में हम संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने के (संशोधन) बिल सन् १९४८ ई० की धारा १० पर विचार कर रहे थे। . . इस धारा को इस बिल से निकाल

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[illegible] के लिए [illegible] पेश करने [illegible] थी लेकिन किन्हीं कारणों के [illegible] वह स्वीकार नहीं [illegible] मैं भी इस धारा के विरोध मे कुछ निवेदन करने के लिए उपस्थित [illegible] हूँ कि यह धारा इस बिल [illegible] अंग न बनायी जाय क्योंकि [illegible] गवर्नमेंट को दिया जा रहा है वह इतना विस्तृत है और [illegible] कि उसको हम देना मुनासिब नहीं समझते हैं [illegible] भवन [illegible] नहीं है कि अपने कानून बनाने के अधिकार को [illegible] दे। जो [illegible] हमारे सामने उपस्थित [illegible] उनको पढ़ने से मालूम होगा [illegible] जरिये सरकार को ऐसे अधिकार दिये जा रहे जो इस बिल के [illegible] नहीं [illegible] समझता हूँ कि यह मुनासिब नहीं [illegible] ऐसी कोई [illegible] चीज है कि जिसका कोई अवश्यकीय प्रयोजन जो [illegible] उसके [illegible] बनाने की जरूरत समझी जाय तो गवर्नमेंट को फिर से इस हाउस के सामने [illegible] रखना चाहिए। अतः मैं समझता हूँ कि इन थोड़े से शब्दों के [illegible] के बाद यह भवन और हमारी सरकार भी इस विरोध को स्वीकार करेगे और इस धारा को इस बिल का अंग न बनायेंगे।

श्री गणपति सहाय--माननीय [illegible] महोदय, अभी जो प्रस्ताव इस भवन मे माननीय सदस्य श्री [illegible] ने पेश किया है मैं उस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूँ और मेरे विरोध [illegible] का कारण यह है कि जो (संशोधन) बिल इस भवन के सामने उपस्थित किया गया है उसमें बहुत सी त्रुटियाँ हैं। उन त्रुटियों और बिल के मूल ऐक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए यह धारा इस बिल में रखी गयी थी। [illegible] कल [illegible] को इस बिल पर विचार करते हुए हमारे माननीय सदस्य श्री त्रिपाठी जी ने कहा था कि जो मूल ऐक्ट है उस मूल ऐक्ट [illegible] उन लोगों के वास्ते कोई भी [illegible] नहीं है और कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया [illegible] जो कि सन् १९४२ ई० के आन्दोलन में [illegible] करार दिये गये थे और जिनके घरों पर या जमीन पर [illegible] लोगों ने कब्जा कर लिया था।

यह भी बताया गया था कि कुछ जिलों में जहाँ पर कि सरकारी कागजात, पटवारी के कागजात या और लोगों के कागजात जब्त हो गये हैं या जला दिये गये हैं और जिनकी वजह से इस बात का पता नहीं चलता कि इस भूमि का या उस मकान का पहले कौन मालिक था और [illegible] वजह से गैर लोगों ने जो उसके हकदार नहीं थे अपना नाम दर्ज करा लिया है और उस पर काबिज हो गये हैं, उनके लिए कोई भी सुभीता इस मूल ऐक्ट में नहीं दिया गया है। कल जब बहस हुई थी तो उस वक्त माननीय माल सचिव ने यह बतलाया कि इसकी दफा ९ में यह लिखा है--"If after August, 1942, an absconding tenant was, from the whole or part of his holding ejected for any arrears of rent, or dispossessed otherwise etc etc.

माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

(यदि अगस्त, १९४२ के बाद किसी भागे हुए किसान को उसकी पूरी जोत या उसके किसी भाग से बकाया लगान के कारण बेदखल किया गया हो, या किसी दूसरी तरह उसका कब्जा न रहा हो, इत्यादि)

[श्री गणपति सहाय]

उनके कहने का मतलब यह था कि इसमें यह बात आ जाती है कि अगर किसी कागजात के जलने की वजह से किसी की जमीन या किसी का घर दूसरे ने ले लिया है तो वह इस धारा ९ का फायदा उठा सकता है। मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि दफा ९ में तो केवल जो ऐब्सकांडिंग टेनेन्ट (भागा हुआ काश्तकार) है वही फायदा उठा सकता है। अगर ऐब्सकांडिंग जमींदार (भागा हुआ जमींदार) हो तो वह दफा ९ का फायदा नहीं उठा सकता है और इस वास्ते ऐसी सूरत के लिए कि जिन सूरतों के वास्ते इस मूल ऐक्ट में कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है उनके वास्ते इस दफा १७ का इस संशोधित बिल में होना आवश्यक था। अगर यह दफा १७ नहीं रखी जाती तो ऐसे लोग जो सन ४२ से ऐब्सकांड (भागे) हुए थे अपनी जमीनों से हाथ धो बैठते हैं और जो काश्तकार नहीं थे उनको इस एमेन्डिंग बिल (संशोधन बिल) से कोई फायदा नहीं पहुँचता है। अगर यह दफा कायम रहेगी और प्राविंशियल गवर्नमेंट (प्रान्तीय सरकार) यह कायदा बना देगी कि जो जमीन के मालिक थे और वह उस आंदोलन में किसी तरीके से अपनी जमीन से हाथ धो बैठे हैं चाहे कागजात के खो जाने से चाहे दूसरे की जबरदस्ती के कारण तो उनको भी इस ऐक्ट से फायदा पहुँच सके। इस वास्ते मैं अनुरोध करता हूँ कि यह धारा बहुत ही जरूरी है और इस संशोधित बिल में रहना चाहिए।

* श्री कृष्णाचंद्र—माननीय स्पीकर महोदय, मेरे पूर्व वक्ता गणपति सहाय ने जो कुछ कहा है वह अपने पक्ष पर बिलकुल ठीक है, जो वह चाहते हैं, और उनकी जो ख्वाहिश है वह बहुत उचित है और वह होनी चाहिए लेकिन जैसा कि राधा मोहन सिंह जी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जो इस असेम्बली के अधिकार हैं उन अधिकारों के बिना पर किन चीजों पर गवर्नमेंट नियम बना सकती है किन चीजों पर नहीं यह बड़ा खतरनाक उसूल है और मैं समझता हूँ कि यह लोकतंत्र की भावना के बिलकुल प्रतिकूल है। अगर इस धारा को पढ़ा जाय तो इस धारा में साफ लिखा है कि इस बिल में जिन बातों का समावेश बिलकुल नहीं है उनके लिए भी गवर्नमेंट नियम बनाकर उनको कानून का रूप दे सकती है। आज तक जितने ऐसे बिल इस भवन में आये हैं उनमें जितनी बातों का समावेश होता है उनके हर एक से नियम बनाने का अधिकार गवर्नमेंट को दिया जाता है लेकिन ऐसा अधिकार किसी बिल में नहीं है कि जिन बातों का समावेश बिल में न हो उनके बनाने का अधिकार गवर्नमेंट को हो। केवल जिन बातों का समावेश बिल में होता है उन पर ऐक्ट बनाने का अधिकार गवर्नमेंट को होता है लेकिन जिन बातों का समावेश करतई न हो उनके लिए नियम बनाने का अधिकार देना, यह जरा उचित नहीं है। यह हो सकता है कि माननीय सचिव के ध्यान में या गवर्नमेंट के ध्यान में जब उन्होंने यह बिल बनाया वह बातें न आई हों जि

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

बातों का रखना वह इस बिल में जरूरी समझते थे। मैं यह कहूँगा कि अगर ऐसी बात है जो गवर्नमेंट के ध्यान में नहीं आई जिसको वह कानून का रूप देना चाहते थे तो गवर्नमेंट की यह कमी है कि उसको वह सोच नहीं सकती और आगे बढ़ नहीं सकती अगर आपके ध्यान में वे चीजें नहीं आई हैं तो उनके लिए हमेशा यह रास्ता खुला हुआ है कि जब कभी कोई ऐसी दिक्कतें उनके सामने आए तो वह कोई दूसरा कानून ला सकते हैं कि यह दिक्कतें हमारे सामने आई है, और जिस वक्त हमने पहला बिल पेश किया था उस वक्त उनका हमें आभास नहीं था और इस वास्ते अब उन दिक्कतों को दूर करने के लिए यह एक दूसरा कानून बनाया जाय। मैं समझता हूँ कि ऐसा करना मुनासिब है और माननीय सचिव खुद ही इस बात पर गौर करेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि इस भवन का माननीय सचिव पर कोई विश्वास नहीं है। विश्वास का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि लोकतंत्र की जो परम्परा है उसके जो तरीके हैं उन तरीकों के यह खिलाफ है। अगर यह अख्तियार भवन दे दे कि गवर्नमेंट जो चाहे नियम बना सकती है तो फिर इस भवन की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक यह कानून बना दिया जाय कि इन विषयों पर गवर्नमेंट को अधिकार दिया जाता है, और जैसी जरूरत उनके सामने आवे, वैसा वह नियम बनाएं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे भाई ठाकुर राधा मोहन सिंह ने उचित ही किया कि उन्होंने इस तरीके के ऊपर अपना विरोध प्रगट किया। मैं समझता हूँ कि माननीय सचिव इस बात को स्वीकार करेंगे।

माननीय माल सचिव--श्रीमान् स्पीकर महोदय, मैं इसके कब्ल ही उठ करके अपना विचार जाहिर करना चाहता था लेकिन हमारे भाई बाबू गणपति सहाय जी खड़े हो चुके थे, वरना हमारे मित्र प्रोफेसर साहब को ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत ही न पड़ती। हमारे मित्र को कदाचित् मेरी राय भी मालूम हो कि मैं कभी यह नहीं चाहता कि जरूरत से ज्यादा अख्तियारात गवर्नमेंट को दे दिये जांय। हमारे भाई जी ने जो राय जाहिर की कि यह धारा १० इस बिल से निकाल दी जाय क्योंकि इसमें वह अधिकार मांगा जा रहा है जो कि इस बिल में नहीं है, मैं जरूर उस राय का स्वागत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर यह धारा निकाल दी जायगी तब भी गवर्नमेंट के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं पेश आयेगी। हमारे भाई गणपति सहाय जी ने बताया है कि ऐब्सकांडिंग जमींदार (भागा हुआ जमींदार) का केस जो मूल ऐक्ट है उससे कवर (अन्तर्निहित) नहीं होता है और हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने कल कुछ बातें बतलायी थीं। उन्होंने ऐब्सकांडिंग टेनेंट (भागे हुए काश्तकार) की बात बताई। तो ऐब्सकांडिंग टेनेंट (भागे हुए काश्तकार) का केस तो कवर (अन्तर्निहित) हो जाता है। उन्होंने यह बात बताई थी कि कुछ जमींदार ऐसे हैं जिनकी जमींदारी जुर्माने की इल्लत में नीलाम हो गई उनका केस तो कवर हो जाता है।

लेकिन जहां तक मुझे याद है ऐब्सकांडिंग जमींदार (भागा हुआ जमींदार) का कोई केस नहीं बताया गया। ऐसी सूरत में अगर जमींदार की जायदाद नीलाम हो सकती है तो वह तो इसमें कवर हो सकती है। लेकिन न कोई ऐसा केस बताया गया

[माननीय माल सचिव]
और न हमारे सामने है और न किसी के सामने है कि एक जमींदार के मफरूर हो जाने के बाद उसकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। ऐसा कोई केस इसमें कवर नहीं होता। न हमारे सामने कोई ऐसी चीज है न उसकी तरफ तवज्जह दिलाई गयी।

लिहाजा मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। जितने की मैं जरूरत समझता हूं उतना काम इस मौजूदा ऐक्ट के प्राविजन्स (व्यवस्थाओं) से निकल जाता है। लिहाजा मुझे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती अगर धारा १० निकाल दी जाय।

माननीय स्पीकर--क्या आप भवन से यह अनुमति चाहते हैं कि विधान की धारा १० को आप वापिस ले सकें ?

माननीय माल सचिव--जी हां।

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि इस विधान की धारा १० को वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा-१

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ १--(१) यह ऐक्ट संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने का (संशोधन) ऐक्ट सन् १६४८ ई० कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त लागू होगा।

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि धारा १ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

प्रस्तावना--क्योंकि संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने के ऐक्ट, सन् १६४७ ई०, में कुछ अशुद्धियों को दूर करना तथा कुछ उद्देश्यों के लिए इसमें संशोधन करना उचित और आवश्यक है।

अतः निम्नलिखित कानून बनाया जाता है।

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय माल सचिव--माननीय स्पीकर महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने के (संशोधन) बिल, सन् १६४८ ई०, को स्वीकार किया जाय।

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि सन् १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापिस करने का (संशोधन) बिल स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १६४८ का संयुक्त प्रांत के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का (द्वितीय संशोधन) बिल

माननीय स्वशासन सचिव--(श्री आत्माराम गोविन्द खेर) श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के (द्वितीय संशोधन) बिल, सन् १६४८ ई०, पर जैसा कि वह निर्वाचित समिति से संशोधित हुआ है विचार किया जाय।

जब मने यह बिल [illegible] भवन के सामने पेश किया था उस वक्त इस बिल के उद्देश्यों के सम्बन्ध में और उस दिन जो जो [illegible] रखी थीं उसके सम्बन्ध में काफी जिक्र कर दिया था। उसके बाद निर्वाचित समिति के सामने यह बिल भेजा गया था, उसने जो सुधार इसमें मंजूर किये वह उसकी रिपोर्ट में दर्ज है। उस रिपोर्ट के साथ-साथ बिल फिर से छप कर इस भवन के सदस्यों को दे दिया गया है और जहां कहीं सुधार किये गये हैं उसके नीचे लकीर लगी हुई है और जिन शब्दों के नीचे लकीर बना दी गई है वह सुधार निर्वाचित समिति ने किये हैं, उनके विषय में मैं इस भवन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं समझता हूँ कि भवन के सदस्यों ने उसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा।

इसलिये पर भी दो चार मुख्य बातों में जो निर्वाचित समिति ने सुधार किये हैं उनके सम्बन्ध में कुछ बातें आप के सामने पेश करना चाहता हूं। एक तो इस बिल का मुख्य उद्देश्य यह था कि मेम्बरान की तादाद बढ़ जाने के कारण कार्य का अच्छी तरह से संचालन करने के हेतु एक कार्यकारिणी समिति डि० बोर्ड को बना देना चाहिए। उसका संगठन क्या हो, और क्या क्या अधिकार हों, इस विषय में बिल में जिक्र किया गया था। निर्वाचित समिति ने उसके संगठन में परिवर्तन कर दिया। उस पहले बिल में यह तजवीज थी कि उसके मुख्य पदाधिकारी डि० बोर्ड के हों और वह इस समिति में मेम्बर की हैसियत से रहें लेकिन इस सिद्धांत को समिति ने मंजूर नहीं किया कि डि० बोर्ड के मुख्य-मुख्य पदाधिकारी भी उसमें शामिल हों। यह फर्क उसमें कर दिया। इस उसूल को न मानने के कारण २,३ और मेम्बर इस समिति में दर्ज कर लिए गए और सेक्रेटरी डि० बोर्ड को इस कार्यकारिणी समिति का मंत्री करार दे दिया गया। इसके बाद दूसरा परिवर्तन उनके अधिकारों के विषय में किया गया है। पहले बिल जो मैंने भवन के सामने पेश किया था और जो अधिकार चेयरमेन को या बोर्ड को नहीं है वैसी रेजीडुएरी पावर (स्थायी अधिकार) एक्जीक्यूटिव कमेटी (कार्यकारिणी समिति) को दे दिये गये थे। अलावा उन अधिकारों को जिनके बारे में परिशिष्ट में जिक्र किया गया है लेकिन निर्वाचित समिति ने यह निश्चय किया कि जो चेयरमैन के अधिकार हैं वह कार्यसमिति को न दिये जायँ। क्योंकि चेयरमैन अध्यक्ष चुनाव में लाखों की संख्या द्वारा चुने जाने वाले हैं इस लिए उनके अधिकार सुरक्षित रखना चाहिए और इस लिए निश्चित किया गया कि सब के अधिकार परिशिष्ट में अलग-अलग रख दिये जायें कि किस-किस के और एक्जीक्यूटिव कमेटी (कार्यकारिणी समिति) के क्या अधिकार होंगे और इस भवन के सदस्य परिशिष्ट देखकर निर्णय कर सकेंगे कि कार्यकारिणी समिति के क्या-क्या अधिकार होंगे और उनके अलावा इस समिति के वह भी अधिकार होंगे जिनको बोर्ड अपने अधिकारों में से डेलीगेट (अधिकृत) कर दे। यह उनके अधिकारों के विषय में परिवर्तन किया गया है।

तीसरा एक मौलिक परिवर्तन यह भी किया गया है कि पहले बिल में जिस तरह से एजूकेशन कमेटी, स्थानिक कमेटी को खत्म कर दिया गया था और उसके एवज में शिक्षा कमेटी और जो बोर्ड की साधारण कमेटियां हुआ करती हैं उन्हीं

[माल व स्वशासन सचिव]
की श्रेणी में इसी प्रकार रख दिया गया है। निर्वाचित कमेटी ने फाइनेंस कमेटी (अर्थसमिति) को भी भंग करने का निश्चय किया है और जो विशेष अधिकार रखे गये हैं उनको एक्जीक्यूटिव कमेटी (कार्यकारिणी समिति) ही किया करे जिससे फाइनेन्स कमेटी (अर्थसमिति) और कार्यकारिणी कमेटी में किसी तरह का मतभेद न हो और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कार्य संचालन उसकी नीति के अनुसार कार्य-कारिणी समिति चलाती रहे और कोई मतभेद की गुंजायश न हो। यह मौलिक सुधार इस कार्यकारिणी समिति के सम्बन्ध में हुआ है।

इसके अलावा एक महत्व का सुधार इस विषय में किया गया है। मूल आलेख जो इस भवन के सामने पेश किया था उसमें जो टैक्स जमींदारों के ऊपर लगाया गया था वह नौ सही तीन बटा आठ यानी ६ पैसा फी रुपया के हिसाब से पड़ता था और जमींदारों को यह अधिकार था कि दो पैसा किसान से वसूल करें और चार पैसा खुद दें। लेकिन निर्वाचित समिति ने निश्चय किया कि किसानों के ऊपर पचायतों के जरिये से भी थोड़ा सा बोझा पड़ेगा और वह काफी गरीब हैं इस लिए चूंकि उनकी जमींदारी खत्म ही हो रही है तो उनके लिए ज्यादा बोझ न मालूम होगा लेकिन जो आगे जिन्दगी पाने वाले हैं और जो दबाये गये हैं और जिनको जमीनों की तरक्की के लिए रुपये की जरूरत है उनपर ज्यादा बोझा पड़ना ठीक नहीं है। इस लिए दो पैसे के बजाय एक पैसा कर दिया गया है और आधी रकम कर दी गई है।

इसके अलावा फुटकर जो सुधार किये गये हैं वह शाब्दिक हैं जैसे "रखा जायगा" की जगह पर "रखे जायेंगे"। इसी तरह से एक जगह "चेयरमैन" की जगह 'प्रेजीडेन्ट' कर दिया गया है और एक विशेष अधिकार दफा ८१ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो दिया गया था उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया गया है। इतना ही सुधार किया गया है।

इसके ढांचे में भी थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता हुई। परिशिष्ट को हमने नये सिरे से जांच कर तैयार किया है और उसके दूसरे खाने में यह अधिकार कौन इस्तेमाल करेगा और बोर्ड के अधिकार के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। उनके लिए निर्दिष्ट कर दिया गया है कि कार्यसमिति को अधिकार होगा कि जब बोर्ड चाहे अपने अधिकार कार्यसमिति को दे दे। इस तरह से नये परिशिष्ट में यह परिवर्तन हुआ है। मुझे आशा है कि निर्वाचित समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो सुधार आलेख में हुआ है उस पर यह भवन विचार करेगा और अवश्य ही मंजूर भी करेगा।

*श्री कृष्ण चन्द्र--माननीय स्पीकर महोदय, माननीय स्वशासन सचिव ने जो निर्वाचित समिति द्वारा संशोधित बिल पेश किया है और पेश करते हुए उन्होंने, निर्वाचित समिति ने जिन-जिन बातों में संशोधन किया है, उनका स्पष्टीकरण किया है वह बातें सब ठीक हैं। लेकिन माननीय सचिव ने यह नहीं बतलाया कि यह जो संयुक्त प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का द्वितीय संशोधन बिल है इसकी बुनियाद क्या है,

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

यह क्यों इस भवन के सामने लाये गये, क्यों [illegible] म [illegible] जरूरत नहीं [illegible] जो वर्तमान कानून है उसमें संशोधन किया जाय। [illegible] मैं यह [illegible] करना चाहता हूं कि ऐसा आम ख्याल लोगों का था, जनसाधारण का था कि [illegible] स्थानिक स्वशासन संस्थाएं है वे ठीक तरह से अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रही [illegible] यह ख्याल आज का नहीं [illegible] बहुत अरसे से जनता में यह ख्याल चला आ रहा है [illegible] पहले जो हमारी परदेशी हुकूमत थी उसने जहां तक उससे हो सका [illegible] ख्यालात को जनता [illegible] में मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने यह दिखाने की [illegible] चेष्टा की कि [illegible] स्थानिक संस्थाएं अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ [illegible] इनमें बहुत खराबियां [illegible] पक्षपात [illegible] और इनमें योग्यता नहीं है। इस तरह से [illegible] निरन्तर परदेशी शासन की तरफ से यह [illegible] चार रहा है, यह कोशिश रही है कि जितने अधिकार इन संस्थाओं को दिये गये है उन अधिकारों का वहां दुरुपयोग हो रहा [illegible] और [illegible] वास्ते यह जरूरी है कि उन अधिकारों को छीन लिया जाय। महोदय, इस भवन में और इससे पहले जो भवन था उसमें परदेशी शासन की तरफ से कितने ही [illegible] कैसे कानून लाये गये है, ऐसे संशोधन बिल लाये गये है जिनके द्वारा इन स्थानिक स्वशासन संस्थाओं के अधिकार छीनने की कोशिश की गयी। जनता का यह ख्याल था और उचित ख्याल था, और हम लोगों को भी यह आशा थी, कि लोकप्रिय सरकार के आने पर ये तरीके बन्द हो जायंगे और इन स्थानिक स्वशासन संस्थाओं को [illegible] अधिकार दिये जायगे जिनके वे न्यायपूर्वक अधिकारी है। लेकिन हम देखते है कि आज भी वही मनोवृत्ति सरकार की है, वही तरीका जो कि पुराने जमाने में परदेशी शासन ने संचालित किया है, आज भी उसी तरीके पर हमारी लोकप्रिय सरकार भी अमल कर रही है। आज भी उनका वही ख्याल है, उनकी वही धारणा है कि [illegible] जो स्थानिक स्वशासन संस्थाएं है ये अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही [illegible] और उन कामों को भी उनसे छीन लिया जाय और उनको प्रान्तीय सरकार अच्छे ढंग से जनता के हित में सुचारु रूप से चला सकती है। चुनांचे इस लोकप्रिय सरकार ने ऐसे कितने ही अधिकारों को, जिनके छीनने का साहस आज तक परदेशी सरकार भी नहीं कर सकी थी, उनसे छीन लिया।

आज हमारा सौभाग्य कि माननीय शिक्षा सचिव भी इस भवन में इस वक्त मौजूद है और उन्होंने सबसे पहले कुठाराघात इस संबंध में किया है। उन्होंने प्राइमरी (आरम्भ) की जो शिक्षा है, जो प्रारम्भिक शिक्षा पुराने जमाने से इन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के अधिकार में चलती आ रही थी उन्होंने इन अधिकारों से भी उनको वंचित कर दिया। यह तो उनकी बात ठीक है, और सराहनीय है, कि उनके दिल में यह भावना आई कि हम शिक्षा का प्रसार करें, प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूल ज्यादा से ज्यादा इस प्रान्त के अन्दर खोल ताकि इस प्रान्त में जनता को शिक्षित बनाया जा सके, जो निरक्षर है उनको साक्षर बनाया जासके। चूंकि पिछले वर्ष २२०० स्कूल चलाये गये इस साल ४४०० स्कूल खोलने का उनका विचार है। लेकिन जो स्कूल उन्होंने पिछले वर्ष में चालू किये और जो स्कूल इस वर्ष चालू करने का उनका विचार है वे सब स्कूल सरकार प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रबंध में रखेगी। उनका नियंत्रण वह खुद करेगी। जिला बोर्डों का उन स्कूलों के प्रबंध से कोई संबंध नहीं रहेगा। जितने प्रारम्भिक स्कूल जिला

[श्री कृष्ण चन्द्र]

बोर्डों की तरफ से अभी तक चल रहे हैं उन स्कूलों पर हमेशा के लिए नियंत्रण जिला बोर्डों का रहेगा। इस तरीके से अब हर जिले में हमारे जो प्रारम्भिक स्कूल हैं वह दो प्रकार के स्कूल रहेंगे। एक तो वह स्कूल रहेंगे जिन पर जिला बोर्डों का नियंत्रण होगा चाहे वह थोड़े हों या कम हों। दूसरे स्कूल वह रहेंगे जो प्रत्यक्ष रूप से प्रान्तीय सरकार के नियंत्रण में होंगे। धीरे-धीरे ये स्कूल बढ़ते जायंगे। नतीजा यह होगा कि प्रारम्भिक स्कूल बहुत पुराने जमाने से जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में चलते आ रहे हैं वह उनके अधिकार से अधिकांश रूप से निकल जायंगे। यह कहा जा सकता है और हमारे माननीय सचिव का ख्याल है और बहुत हद तक सही भी है कि जिला बोर्ड शिक्षा का प्रबंध और इन स्कूलों का नियंत्रण सुचारु रूप से नहीं कर रहे थे। उनके नियंत्रण में कमी थी, खामी थी। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर उनके अन्दर खामी थीं, उनके अन्दर कोई कमियां थीं तो आपको यह हक नहीं था कि उनको जिला बोर्ड से निकाल लिया जाय। उनकी खामी की क्या वजह थी, किन कारणों से जिला बोर्ड उनका नियंत्रण सुचारु रूप से करने में असफल रहे थे उनकी अगर जांच की जाती, उन कारणों को दूर करने की कोशिश की जाती तो अच्छा था। इस बिल के द्वारा जो आज इस भवन के सामने पेश है माननीय सचिव ने यह कोशिश की है कि उन खामियों को दूर किया जाय लेकिन वह अधूरी कोशिश है। उस कोशिश के अन्दर भी ऐसा मालूम होता है कि खुले दिल से सरकार का यह इरादा नहीं है कि हम इन स्वशासित संस्थाओं को वह अधिकार दे दें जो स्वाभाविक रूप से उनका होना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि शिक्षा और इसी प्रकार के प्रबंध की उन्नति के जो और तरीके हैं उनको तेजी से चलाने, उनको प्रगति देने, का काम यहां प्रान्तीय सरकार की तरफ से ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। सही बात है कि अगर सत्ता का केन्द्रीयकरण एक जगह पर हो, सत्ता एक हाथ में हो और दूसरे को किसी को कुछ कहने का अधिकार न हो तो संतोष की बात है। मगर उसकी नीयत ठीक हो, सत्ता चलाने की नीयत ठीक हो, उसमें योग्यता हो तो वह चीज अच्छे तरीके से चलेगी। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि फिर आपको एक तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। केन्द्रीयकरण के साथ तानाशाही आ जाती है। केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीयकरण यह दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं। केन्द्रीयकरण तो रूस की तरह से करना पड़ेगा और जहां तक रूस में केन्द्रीयकरण किया गया है वहां तो वह केन्द्रीयकरण ठीक तरह से चल सकता है। लेकिन यहां वह केन्द्रीयकरण ठीक तरह से हर्गिज नहीं चल सकता। केन्द्रीयकरण वहां पर जो है तो वहां पर एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता है। वहां पर उस सत्ता में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। वह जो चाहे सो कर सकता है, जो चाहे सो कानून बना सकता है और जिस तरह का चाहे दमन कर सकता है तो वहां तो यह ठीक चल रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप चाहें कि इधर तो आप धारा सभा रखें, धारा सभा की राय लें, जनमत की राय लें, और उधर आप चाहें कि आप यहां से ड्राइव देंगे (चलाएं) और अपने अफसरों के मातहत उस चीज को करायेंगे तो यह

फेल होगा, और मैं आपके सामने, मैं इस भवन के सामने, पिछले जो तजुर्बे, जो अनुभव, इस संबंध में किये गये हैं उनको पेश करना चाहता हूँ।

आज यह नया जमाना नहीं है कि जो हमारी सरकार यह कह रही है कि शिक्षा को धीरे-धीरे जिला बोर्डों से छीन लिया जाय। एक जमाना पहले भी ऐसा आया था कि जब अंग्रेजी सरकार के जमाने में प्रान्तीय सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा को जिला बोर्डों के हाथ से छीन लिया था। वह जमाना आया। बहुत से स्कूल प्रान्तीय सरकार ने कायम किये। उनका नियंत्रण सीधा अपने हाथ में रखा। सात आठ साल बाद एक कमेटी मुकर्रर हुई और उस कमेटी ने जांच की और यह देखा कि प्रारम्भिक शिक्षा का इन्तजाम ठीक है या नहीं है और उस शिक्षा कमेटी की, गवर्नमेंट की मुकर्रर की हुई कमेटी की, यह रिपोर्ट थी कि जब से शिक्षा का नियंत्रण प्रान्तीय सरकार ने सीधा अपने हाथ में लिया है तब से उसका खर्चा बहुत बढ़ गया है, आनुपातिक खर्चा बहुत बढ़ गया है। पहले जितना खर्चा था प्रोपोर्शनेटली (आनुपातिक रूप से) उसका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। खर्चा बढ़ गया तो कोई मुजायका नहीं था, कोई दुख की बात नहीं थी, अगर साथ ही साथ विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ जाती। लेकिन कमेटी ने यह भी साथ साथ रिपोर्ट की कि खर्चा तो अनुपात के हिसाब से बढ़ गया लेकिन विद्यार्थियों की संख्या उलटे कम हो गयी। तो यह नतीजा यह अनुभव पहले देखा जा चुका है कि प्रान्तीय सरकार के सीधे नियंत्रण में लेने से स्कूलों का खर्चा बढ़ा और दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या कम हुई। नतीजा यह हुआ कि उस पुरानी गवर्नमेंट को उस परदेशी सरकार को भी उन स्कूलों को फिर से जिला बोर्ड के नियंत्रण में देना पड़ा। यह मैं नहीं कहता हूँ कि जिला बोर्डों का नियंत्रण बहुत उत्तम ही था और आज भी उत्तम है लेकिन यह अनुभव ने बताया कि चाहे उनका नियंत्रण निर्दोष न हो, लेकिन प्रान्तीय सरकार का नियंत्रण जो था वह उससे भी खराब था। वह उतना ही अच्छा इन्तजाम नहीं कर सके, और यह स्वाभाविक भी है। प्रान्तीय सरकार अपने अफसरों के मार्फत इंन्तिजाम करती है या तो वह अपने अफसरों की सख्या, जिम्मेदार अफसरों की संख्या जो ऊँची तनख्वाह वाले अफसर हों, इतनी ज्यादा बढ़ा दे कि दो-दो स्कूलों की एक-एक अफसर निगरानी करे और नहीं तो कोई तरीका उनके पास नहीं है कि वह इस बात की देख भाल कर कि स्कूल ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जहां स्कल चल रहे हैं उन गांवों के लोगों का कोई सम्पर्क उन अफसरों के साथ नहीं रहता। उन लोगों की राय का कोई प्रभाव सरकारी इन्तिजाम पर नहीं पड़ता और इस कारण वे लोग भी इस बात की कोशिश नहीं करते हैं कि उन स्कूलों की खामियां सरकार को बताएं। यह स्वाभाविक ही है।

मैं आज भी कहता हूँ कि हमारे माननीय शिक्षा सचिव अपने दिल में चाहे इस बात का ख्याल करें लेकिन अगर वह मेरे साथ चलें और किसी स्कूल को सरप्राइज विजिट (अकस्मात निरीक्षण) दें तो जैसा कि बजट के दौरान में कहा गया था, जैसा हमारे मित्र तिलक जी ने कहा था, तो आपको स्कूलों में न विद्यार्थी ही मिलेंगे और न स्कूलों का इक्विपमेंट (सामान) ही दिखायी देगा। होता क्या है, कि जब कोई अफसर देखने आता है तो लड़के बुलाकर इकट्ठे कर लिए जाते हैं और सामान इधर-उधर से मंगा लिया जाता है तो इस तरह से जो हमारी प्रान्तीय

[श्री कृष्ण चन्द्र]
सरकार के नियंत्रण में चलने वाले स्कूल हैं वहां जो काम करने वाले हैं वह सरकार की आंखों में धूल डालते हैं और प्रान्तीय सरकार यह समझती है कि हमारे स्कूलों में सब काम ठीक से चल रहा है।

तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इस बिल का उद्देश्य है कि स्वशासित संस्थाओं को शक्ति दें, उनको ठीक करें। इस बिल में यह कोशिश की गयी है। ख्याल यह था कि जो बड़े बोर्ड हैं उनके हर एक मेम्बर के हाथ में सुव्यवस्था करने के लिए अधिकार हो, रोजमर्रा के प्रबंध में दखल देने का अधिकार हो। ख्याल यह था कि दैनिक प्रबंध में दखल देने के लिए हर एक मेम्बर को अधिकार है। इस वास्ते शायद दैनिक प्रबंध ठीक तरह से नहीं चल रहा है। तो इस बिल के अन्दर यह रखा गया है जिला बोर्ड में उनके हाथ में यह प्रबंध का अधिकार नहीं रहेगा बल्कि उसके लिए एक कार्यकारिणी समिति होगी और उसमें कुछ सदस्य रहेंगे और इस एक छोटी सी समिति के हाथ में प्रबंध का अधिकार रहेगा। इस तरह से इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं इस संबंध में यह बता देना चाहता हूँ कि जो खास चीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अन्दर थी जितनी स्थानिक स्वशासन संस्थाएं हैं उनमें जो खराब इन्तिजाम हो रहा था उसका जो मौलिक कारण था, जो बुनियादी वजूहात थे उनको इस बिल में दूर नहीं किया गया है। बुनियादी वजूहात यह थीं, मैं समझ सकता हूँ और हर एक मेम्बर आसानी से समझ सकता है, वे यह हैं कि इन स्थानिक स्वशासन संस्थाओं का नियंत्रण उनकी देखभाल, और उनको सजा देना कमिश्नर या कलक्टर के हाथ में था। कमिश्नर या कलक्टर इन संस्थाओं का इन्तजाम, इनकी देखभाल, उनमें जो खराबियां थीं उनको निकालने का इन्तजाम, उनके चेयरमैन या किसी मेम्बर को सजा देना यह सब कुछ कर सकते थे। उनको तो इन बोर्ड्स के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार था, उनको सजा देने का अधिकार था, उनके काम में दखल देने का अख्तियार था, लेकिन दूसरी तरफ कमिश्नर या कलक्टर की यह जिम्मेवारी नहीं थी कि वह ऐसा इन्तिजाम करे कि इन संस्थाओं का काम ठीक तरह से हो सके। उनमें इन्तिजाम ठीक करने के लिए, उनमें सुव्यवस्था कायम करने के लिए, कोई जिम्मेवारी कलक्टर या कमिश्नर के ऊपर नहीं थी। यह सिद्धांततः गलत बात है। यह कहा जाता है कि यह सिद्धांत है कि अगर किसी शख्स को अधिकार दिया जाता है तो उस अधिकार के साथ-साथ उनके कुछ कर्त्तव्य भी हो जाते हैं। यहां पर यह बात थी कि उनको अधिकार था कि वह सजा दे सकते थे, लेकिन उनको ठीक रखने के लिए कोई कर्त्तव्य उनके ऊपर नहीं था।

(इस समय १ बजे भवन स्थगित हो गया तथा २ बज कर १० मिनट पर भवन की कार्यवाही डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में पुनःआरम्भ हुई)

श्री कृष्ण चन्द्र—मैं जिक्र कर रहा था कि कमिश्नर और कलक्टरों के हाथमें वह अधिकार दिये गये और वे अब भी मौजूद हैं। वे इन स्वशासित संस्थाओं की निगरानी करे उन पर नियंत्रण रखें, उनके मेम्बरों और चेयरमैनों की जांच करें और कुछ प्रतिबंधों के साथ उनको सजा भी दे। लेकिन उनकी जिम्मेवारी नहीं रही कि वह इन संस्थाओं

का काम सुचारु रूप से चलाने के जिम्मेदार हों। कमिश्नर अपनी रिपोर्ट जो इन संस्थाओं के संबंध में देते थे प्रायः उनका तरीका और उनके अधिकार यह होते थे कि वह स्वशासित संस्थाओं के ऊपर जितने भी आरोप ला सकते थे लाते थे और आम तौर पर जितनी भी रिपोर्ट आती थीं उनमें यह लिखा रहता था कि बोर्डों में दलबंदी का दौर-दौरा है। दलबंदी के कारण कोई काम होने नहीं पाता। इस तरह से वह बोर्डों की स्वशासित संस्थाओं की जितनी भी बुराई उनसे हो सकती थी वह बराबर अपनी रिपोर्ट में किया करते थे और आज भी वह तरीका चालू है। उनको बुरा से बुरा दिखाने की वह कोशिश करते थे। कोई गवर्नमेंट उनसे यह जवाब तलब नहीं करती थी कि आपको इतने अख्तियारात दिये गये हैं उनके ऊपर आपने क्या कोशिश की, क्या तरीका अख्तियार किया जिससे उनका काम ठीक तरह से होने लगे। फिर जब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि उनका झुकाव इस तरफ था कि वह इन बोर्डों को, इन संस्थाओं को बदनाम कर दें और बदनाम करके साबित कर दें कि जितने जनसाधारण हैं, जितने गैर सरकारी लोग, वह अपना इन्तजाम करने के कत्तई अयोग्य हैं। इसलिए उनको कोई अधिकार नहीं दिये जाने चाहिए बल्कि सारे अधिकार सरकारी वेतनभोगी आफिसरों के हाथ में रहने चाहिए, यह उनका झुकाव था। यह कुदरती बात है कि सारे अधिकार सरकारी आफिसरान अपने हाथ में केन्द्रित करने की अभिलाषा रखते हैं और वह अभिलाषा रखते थे। गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की रुकावट नहीं की गयी कि वह इन संस्थाओं की बजाय बुराई करने के, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। मैं एक दो मिसालें आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये सरकारी आफिसर्स, कमिश्नर, कलक्टर वगैरह और उनके मातहत जिनके हाथ में वह अपना काम सिपुर्द कर देते हैं चाहते रहे कि इन स्वशासित संस्थाओं में काम खराब हो, उनका कोई काम ठीक न हो और सारा काम धींगामुस्ती से चले। इस तरह की उनकी कोशिश रहती थी।

मेरे यहां भी एक किस्सा हुआ जिसकी तरफ मैंने माननीय सचिव का ध्यान आकर्षित किया। एक टाउन एरिया है। उस टाउन एरिया का चेयरमैन मुद्दत के बाद एक प्रगतिशील मनुष्य नियुक्त हुआ। वह कुदरती तौर पर वहां के जो कलेक्टर साहब थे उनकी खुशामद नहीं कर सकता था। वह अपने तरीके पर वहां के इंतजाम को चलाता था और कोशिश करता था कि अपनी संस्था को जहां तक भी हो सके स्वतन्त्र रखे और जो उसके मेम्बर हैं उनकी राय से उसके काम को चलाए। चुनान्चे उसको परेशान करने की बेतहाशा कोशिशें की गईं ताकि वह अपना रास्ता बदले। आखिर में जब कोशिशों से काम न चला तो कानून का उल्लंघन करके, मैं इस भवन को बतलाना चाहता हूं, यह इल्जाम लगाया जाता है कि यह नियमों का उल्लंघन करके स्थानीय स्वशासन की संस्था के नियमों का उल्लंघन करता है। यह बात सही हो या न हो लेकिन यह जरूर सही है कि यह कलेक्टर, कमिश्नर और उनके मातहत अपनी मनमानी करते हैं या किसी कानून का, किसी नियम का, कोई लिहाज नहीं करते। तो इस टाउन एरिया के चेयरमैन के लिए क्या किया गया? उसके ऊपर टाउन का टैक्स नहीं था और वह उसी जगह का निवासी था। गरीब आदमी था। लेकिन सार्वजनिक सेवा भावना थी इस वास्ते उसको तमाम लोगों ने मिल कर चुना

[श्री कृष्ण चन्द्र]

था। १० वर्ष से किसी कमेटी ने उस पर टैक्स तजवीज न किया था। टाउन मेजिस्ट्रेट ने क्या किया कि उसके ऊपर अपने अधिकार से टैक्स तजवीज किया। चूंकि नया चुनाव होने जा रहा है नए टाउन एरिया का कानून बन रहा है। उसमें बहुत कुछ अधिकार चेयरमैन और टाउन एरिया में जा रहे हैं। इस लिए टाउन मैजिस्ट्रेट साहब को यह भी ख्याल हुआ कि ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए कि अगले टाउन एरिया के अन्दर यह चेयरमैन चुना ही न जा सके। उसके ऊपर ऐसा प्रतिबन्ध लगाया जाय कि जनता भी चाहे तो उसको चेयरमैन न चुन सके। टाउन एरिया नियम जो है उनमें एक धारा है कि फलां तारीख तक टैक्स तजवीज हो सकता है और फलां तारीख तक अपील हो सकती है। उन्होंने टैक्स तजवीज किया उस तारीख से बाहर और उस तारीख से बाहर तजवीज करके जब उसकी उसने अपील की तो अपील की सुनवाई चार महीने बाद की। इससे उस तारीख के बिल्कुल बाहर हो गया। और यह भी देखा उन्होंने क्योंकि नए टाउन एरिया में यह रखा गया है कि एक साल से ज्यादा का टैक्स अगर हो तब वह चुनाव मे खड़ा न हो सके। इस लिए उन्होंने यह भी किया कि उससे पहले साल का भी टैक्स उन्होंने तजवीज कर दिया, जिसके लिए कोई नियम न था। अब उसको अपील करने का कोई मौका नहीं रहा। नतीजा यह हुआ कि उसने कलेक्टर साहब के यहां निगरानी की। कलेक्टर साहब ने कहा कि कोई निगरानी का मौका नहीं है। वह खारिज कर दिया। यह एक मिसाल है, ऐसी कितनी ही मिसालें हैं जिसमें उन लोगों ने कोशिश की कि प्रगतिशील व्यक्तियों को जिनको जनता चाहती है उनको आगे न बढ़ने दिया जाय। यह मुतवातिर उनकी कोशिशें रही हैं। फिर अच्छे आदमियों को यह आने नहीं देते। एक तरफ तो अच्छे आदमियों को ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके चुनाव में आने से रोकते हैं— दूसरी तरफ स्वशासित संस्थाओं के ऐब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इन्तिजाम को छीना जाये यह हमारी परदेशी सरकारने कोशिश की थी—लेकिन उन पर इनका प्रभाव चल जाता था। आज जो हमारी लोकतन्त्र सरकार है— उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। इन्होंने स्कूल कतई छीन लिया। यह कहा जाता है कि वह माननीय शिक्षा सचिव का था और उन्होंने छीन लिया। अगर हमारे स्वशासन सचिव अपने विभाग के लिए जोर लगाते और शिक्षा सचिव को अपने कार्य क्षेत्र पर आक्रमण न करने देते तो हम बहुत खुश होते। लेकिन उन्होंने इस आक्रमण को रोका नहीं या उसके रोकने में असफल रहे।

दूसरा जो उनका अस्पतालों का विभाग है यानी अपने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के सुपुर्द जो काम था—वह एक प्रारम्भिक शिक्षा थी और थोड़ा बहुत दवा दारू का इन्तजाम उनके सुपुर्द था। सार्वजनिक सुव्यवस्था का काम नाम के लिए उनके सुपुर्द था। तीसरा काम सड़कों का उनके सुपुर्द था यानी अपने जिले की सड़कों को ठीक हालत में रखना। यह तीनों काम अपनी लोक-तन्त्र सरकार के जमाने में धीरे-धीरे निकाल लिए जा रहे हैं। अब मैं अस्पतालों के बारे में बतलाता हूँ। पहले परदेश की सरकार ने कोशिश की थी कि जो जिलों के अन्दर छोटे छोटे अस्पताल चल रहे हैं और जिनका इन्तिजाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में है वह इन्तिजाम धीरे-धीरे]

वह छीन ले। लेकिन उस सरकार को यह साहस नहीं होता था— क्योंकि जनता उनके साथ नहीं थी। जब कभी वह ऐसी चीज लाते थे तो कौन्सिल के अन्दर बहुत बड़ा विरोध होता था। पहली सरकार ने साफ तरीके से अस्पतालों को उनसे छीना नहीं—बल्कि उन्होंने यह किया कि उन अस्पतालों में अपने डाक्टर मुकर्रर कर दिये और उनको ग्रांट भी कुछ दे दिया। इस तरह से धीरे-धीरे जब मेडिकल आफिसर्स मुकर्रर हो गये—तब उनके जरिये से उनका इन्तिजाम भी अपने हाथ में ले लिया। अपरोक्ष रूप में पहली सरकार ने कोशिश की कि अस्पतालों का इन्तिजाम उसके हाथ में आ जाये। हमारी सरकार ने प्रत्यक्ष रूप में अस्पतालों को अपने हाथ में ले लिया। आपके यहां बजट में जितने अस्पताल हैं— सब का प्रान्तीयकरण हो रहा है। प्रान्तीयकरण इस माने में है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की आर्थिक हालत खराब है। इस माने में प्रान्तीयकरण कीजिए कि उसका खर्चा प्रान्तीय सरकार खुद बरदास्त करे। जहां तक उनकी व्यवस्था है—उनका इन्तिजाम है, वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में बराबर रख सकते हैं। सड़के भी धीरे-धीरे करके उनके हाथ से निकाली जा रही हैं। जितनी सड़के प्रान्तीय सरकार बनवा रही है—वह प्रान्तीय सड़कें हो जायेंगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में सड़कें बहुत कम रह जायेंगी। एक तरफ हमारे माननीय सचिव इस बिल को इस भवन में लाकर कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इन्तिजाम को दुरुस्त कर रहे हैं। जो यह स्थानीय सुव्यवस्था चल रही है—वह सुचारु रूप से चले इस लिए हम उनकी व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं—ताकि उनकी खराबी दूर हो जाये। मैं माननीय सचिव से विनय के साथ निवेदन करूंगा कि किसी संस्था को अगर आपको ठीक करना है, सुचारु रूप से उसको चलाना है, उसको जीवन देना है, तो उसका तरीका यह नहीं होता है कि एक तरफ तो उसको निर्जीव कर दीजिये, उसका अंग भंग कर दीजिये और दूसरी तरफ दवा दारू देकर कोशिश कीजिये कि वह ठीक तरह से चलने लगे। अगर आपको स्वशासित संस्थाओं को सजीव बनाना है, उनको अच्छे ढंग पर चलाना है तो सबसे जरूरी बात यह है कि उनको जीवन दीजिये, उनके अधिकार बढ़ावें, उनका कार्यक्षेत्र बढ़ावें, उनकी जो आर्थिक दिक्कतें हैं उनको दूर कीजिये और फिर ऐसा तरीका अख्तियार कीजिये कि जिससे आप उनको मजबूर कर सकें या उनको प्रोत्साहन दे सकें कि वह अपना-अपना काम ठीक से चलावें। ऐसे बहुत से तरीके हैं, और वह दूसरे मुल्कों में निकाले गये हैं कि किस तरह से संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे वह अपना काम ठीक तरह से चलाने लगें। दूसरे मुल्कों के सामने भी यह बातें आई हैं। इंगलैंड के सामने ऐसे सवाल पेश हुये और वहां भी वैसे ही हुआ जैसे यहां हैं, क्योंकि नेचर (प्रकृति) सब जगह एक सी होती है। हर जगह दलबंदी का दौर दौरा रहता है। इंगलैंड के अन्दर भी इन स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं का इन्तजाम मुद्दत तक खराब रहा है और बार-बार कमीशन बैठे और यह तहकीकात किया कि किस हद तक इन्तजाम खराब है और आगे क्या कार्यवाही की जाय कि आगे इन्तजाम ठीक हो सके। वहां किसी कमीशन की रिपोर्ट पर गवर्नमेंट ने यह कदम नहीं उठाया कि चूंकि संस्था ठीक तरह से काम नहीं चला रही है इसलिए यह

[श्री कृष्ण चन्द्र]

काम उनसे छीन लिया जाय । वह जानते थे कि इस तरह से संस्थाएं निर्जीव हो जायंगी । उन्होंने उन संस्थाओं को जिनके इन्तजाम खराब थे ऐसा प्रोत्साहन देने की कोशिश की कि जिससे हर एक संस्था अपना काम ठीक करके चलाये या जो उसके एलेक्टोरेट हैं वही उसको भला बुरा कहने लगें कि तुम्हारा इन्तजाम खराब है और तुम्हारा इन्तजाम खराब होने से हमारा नुकसान हो गया । ऐसी उन्होंने कोशिश की वह कोशिश थी ग्रान्ट-इन-एड (सहायता के लिए स्वीकृति) की । इस ग्रान्ट-इन-एड सिस्टम (सहायता के लिए स्वीकृति का तरीका) का नक्शा हमारे यहां के बहुत से स्कूलों में आज भी चल रहा है । उनका इन्तजाम प्रबंधक-कमेटी के सुपुर्द है । वही स्कूल कायम करती है और वही खर्च चलाती है और वही उसका संचालन करती है । लेकिन गवर्नमेंट उनको इमदाद देती है ग्रान्ट-इन-एड सिस्टम (सहायता के लिए स्वीकृति) पर और उसके कुछ कायदे हैं कि जिन पर वह नाप तौल करती है कि किस स्कूल को कितनी आर्थिक सहायता दीजिये । आज हम देखते हैं कि उन स्कूलों में कुछ खराबियां आ गयी हैं क्योंकि उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है इन स्कूलों के अध्यापकों की योग्यता अगर निर्धारित है तो उनके ऊपर उनको ग्रान्ट दी जाय । उन स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, और कितने वह लोकप्रिय हैं और कई बातें और थीं जिनका मतलब यह था कि यह जांचा जाय कि यह स्कूल लोकप्रिय है या नहीं, वहां की सेवा कर रहा है या नहीं। जितना यह लोकप्रिय है उतनी ही उसको ज्यादा ग्रान्ट दी जाय उनको प्रोत्साहन दिया जाता था । पिछली सरकार ने यह तरीका चलाया । लेकिन चूंकि उसकी देख भाल नहीं की गयी इसलिए जो उसका उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो पाया । और हुआ यह कि जिन स्कूलों ने तिकड़म भिड़ा लिया, खुशामद की और दौड़ धूप की उनको तो ज्यादा मदद दे दी गयी और जिन स्कूलों ने कोई दौड़ धूप नहीं की जिनकी कहीं ज्यादा पहुँच और पूछ नहीं थी उन स्कूलों का अच्छा इन्तजाम होने पर भी उनकी ग्रान्ट कम हो गई है और कम है । तो अगर गवर्नमेंट इस सूबे में ग्रान्ट-इन-एड का सिस्टम ठीक चलाये तो हर स्कूल अपना इन्तजाम ठीक करेगा और उसको यह ख्याल होगा कि अगर हमारा इन्तजाम ठीक है लोकप्रिय है तो हमें ज्यादा ग्रान्ट मिलेगी । किसी आदमी को ठीक ढंग पर चलाने के लिए दो ही तरीके होते हैं-एक तरीका यह होता है कि सजा दी जाय और दूसरा तरीका इनाम देने का होता है । सरकारी अफसरों से आप कैसे काम लेते हैं ? सरकारी अफसरों से काम लेने के दो ही तरीके हैं—एक तो यह कि अगर गलती करते हैं तो आप सजा देते हैं और दूसरा तरीका यह है कि अगर ठीक काम करते हैं तो आप उनको इनाम देते हैं, उनको उससे ऊँचा पद देते हैं। यह अनुभव से देखा गया कि सजा देने के बजाय इनाम और प्रोत्साहन देना ज्यादा सफल होता है। इंगलैंड के अन्दर जितने कमीशन आये उन्होंने इस चीज को समझा और उन्होंने स्वशासित संस्थाओं के कामों को सुचारु रूप से चलाने के लिए ग्रान्ट इन-एड का सिस्टम निकाला । आप छोटे-छोटे प्राइमरी स्कूल भी उनसे छीन रहे हैं, छोटे-छोटे अस्पताल भी छीन रहे हैं । लेकिन वहां पर क्या किया है ? वहां पर बड़े-बड़े इन्तजाम जो सरकार के हाथ में हैं हम तो उनकी

कल्पना भी नहीं कर सकते, आज वह बड़ी बड़ी-चीजें स्वशासित संस्थाओं के हाथ में हैं। हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी पुलिस का इन्तजाम भी इन स्थानिक स्वशासन संस्थाओं के हाथ मे सिपुर्द किया जा सकता है। लेकिन वहां लंदन की जो पुलिस है और जो चारो तरफ दुनिया भर मे बहुत योग्य और अच्छी समझी जाती है वह वहां की स्वशासित संस्थाओं के नियंत्रण के अन्दर है। वही उसका इन्तजाम करती है। वहां के लोग कोई हमसे ऊपर नहीं हैं। कोई नया दिमाग लेकर नहीं आये हैं। पहले उनकी हमसे खराब हालत थी। वहां की सरकार ने धीरे-धीरे उनके अधिकार बढ़ाये। पहले उन्होंने ऐसा ढंग चलाया ताकि वह अपना काम अच्छी तरह से कर सके। उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया कि जो अच्छा काम करेगा उसको यह मिलेगा। अगर हम देखे तो यह सीधी सी बात है। वहां पर उनको पुलिस के लिए इमदाद दी जाती है। पुलिस की एफीसेन्सी (कार्य कुशलता) देखी जाती है, उसकी जांच के लिए उन्होंने बहुत से तरीके बना रखे हैं। जिनकी एफीसेन्सी ज्यादा होगी उनको ज्यादा ग्राण्ट मिलेगी। लेकिन यहां तो आप एक तरफ स्थानिक स्वशासन संस्थाओं के जो आर्थिक साधन है उन पर आक्रमण कर रहे हैं उनको नंगा कर रहे हैं कि उनके पास पैसा न रहे और दूसरी तरफ उनके अधिकार और उनका कार्य-क्षेत्र घटा रहे हैं। और फिर यह कहते है कि इस कानून के जरिये से हम उनके शासन को ठीक तौर पर लायेंगे। अगर आप यह कहें कि अस्पतालों को आप ले लेंगे, आप ले लीजिए, आप अपने डाक्टर भेज दीजिए और उनके ऊपर से निगरानी कीजिए। यह सब आप कीजिए जिससे कोई अफसर बरखास्त न किया जा सके लेकिन साथ ही उनका नियंत्रण उन्हीं के हाथों में रहने दीजिए और यह कीजिए कि जो आपका खर्च है वह ग्रांट के रूप में एक मुश्त रकम न दीजिए। आप तरीके बना दीजिए। यह कह दीजिए कि जिसके यहां ज्यादा संख्या बीमारों की होगी, आपके यहां अच्छे डाक्टर्स होंगे, और आपका इन्तिजाम अच्छा होगा। बीसों तरीके है आप उनसे जांच कीजिए और कहिए कि जितना ही अच्छा अस्पताल होगा उतनी ही अधिक ग्रांट मिलेगी। मै कहता हूँ कि अगर आप इस तरीके को चालू करें तो ये स्वशासित संस्थायें अपना इन्तजाम खुद बखुद ठीक करने की कोशिश करेंगी, एक दूसरे में उतरा-चढ़ी होगी कि हमारा इन्तजाम अच्छा रहे, हमारे अस्पताल अच्छे रहें, हमारे स्कूल अच्छे रहें क्योंकि वे यह जानते होंगे कि अगर उनका इन्तजाम ठीक न हुआ, अगर उनका प्रबन्ध ठीक न हुआ तो उनको आप के यहां से रुपया नहीं मिलेगा और जिसके न मिलने के कारण उनके अस्पताल बन्द हो जायेंगे और अगर अस्पताल बन्द होते हैं तो जो उनके निर्वाचक हैं वे उनसे रूठ पड़ेंगे। यही लोक-तन्त्र का तरीका होता है। यही सही तरीका होता है। आप उनके ऊपर लोक-तन्त्र के तरीकों से नियन्त्रण कीजिए। मैं समझता हूँ कि आप इसी तरीके से कामयाब होंगे। मैं यह मानता हूँ कि आप ने कमिश्नर और कलक्टरों को बदलने की कोशिश की। आप भी इसका अनुभव कर रहे हैं कि आपके कलेक्टर्स और कमिश्नर्स इस काम को नहीं चला सकते। आप ने कोशिश की है कि आप कलेक्टर्स और कमिश्नर को बदलें लेकिन आप के पास कोई दूसरी एजेन्सी नहीं है जिसके सुपुर्द आप इस काम को कर दें। आपने इस

[श्री कृष्ण चन्द्र]

बिल में कर दिया है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) लेकिन प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) क्या होगी, यह कुछ पता नहीं। वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) तो वही होगी जिसे आप बाद को मुकर्रर कर देंगे। यह बात सही है कि आप के दिमाग में कोई बात हो हमें नहीं मालूम। मैं मानता हूँ कि यह अच्छी बात होगी कि कलेक्टर्स और कमिश्नर्स की जगह पर अच्छे आदमियों को ले सकें। मुमकिन है कि आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड को लायेंगे जिसका जिक्र आपने कहीं-कहीं पर किया है। लेकिन भवन तो आपसे यह चाहता है कि आप साफ तौर पर बतायें कि वह कौन सी चीज है जिसे आप कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के बदले में लाना चाहते हैं। लेकिन आपने भवन के सामने कोई पूरी तस्वीर इस बात की नहीं रखी कि कौन शख्स होगा, कौन व्यक्ति होगा जो कमिश्नर्स और कलेक्टरकी जगह लेकर इन संस्थाओं को आगे चलकर नियंत्रण करेगा। यह कहा जा सकता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल हम जल्द लायेंगे और उससे वह तस्वीर साफ हो जायगी लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल जिसमें इनका पूरा चित्र था वह बिल इस भवन के सामने आता ताकि इस भवन के सदस्यों को उस पूरी तस्वीर का आभास हो जाता कि क्या चीज आने वाली है और आइन्दा इन स्थानिक स्वशासन संस्थाओं का प्रबन्ध किस तरह से चलने वाला है। अगर पूरा चित्र सामने आजाता तो वह राय दे सकते। यह चीज थी जिसकी तरफ मुझे आप का ध्यान दिलाना था। मेरी प्रार्थना यह है कि आप इस पर ध्यान दें। जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है वह बहुत अच्छा है। आप इस बिल के द्वारा अवश्य यह कोशिश करेंगे कि इनके इन्तजाम को आप ठीक करें। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ग्रांट-इन-एड को कम करते हैं। मेरा कहना यह है कि जितनी सड़कें आप चाहें तैयार करा लीजिए और तैयार करने के बाद आप उनका नियन्त्रण कराके उनके हाथ में रख दें और उनका इन्तजाम उन्हीं के सुपुर्द कर दिया जाय। आप सिर्फ ग्रान्ट देते रहिए। अगर सड़कें खराब हों तो आप ग्रान्ट बन्द कर दीजिए और उन्हें चेतावनी आपके ग्रान्ट बन्द करने से मिलेगी। जब ग्रान्ट बन्द होगी और उनका काम नुकसान होगा तो निर्वाचक उनसे पूछेंगे कि आपको हमने इस लिए नहीं भेजा था। आप अपना इन्तजाम ठीक कीजिए।

दूसरी तरफ आपके जो सरकारी अफसर हैं उनकी अफसरी न हो। यह चीज न आए जैसा आज हो रहा है। आज सरकारी अफसर उनके अफसर हैं। दुनियां के परदे में कहीं नहीं है जहां सरकारी तनख्वाहदार अफसर चुने हुए चेयरमैनों के ऊपर हों। आपके यहां के जो सरकारी अफसर हैं वे अपने आपको चेयरमैन से ऊँचा समझते हैं और अपने आपको चेयरमैन का अफसर समझते हैं और जब कभी मौका पड़ता है कि चेयरमैन ने उनकी बात नहीं मानी है, क्योंकि कायदे में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर वे कानूनी अधिकार रखते हैं कि अपने अधिकार का उपयोग करें, वहां पर वे तरह-तरह से दबाव डालकर चेयरमैन को परेशान करने की कोशिश करते हैं। दूसरे देशों में चेयरमैन का पद मेयर का पद बड़ा ऊँचा समझा जाता है।

आज सरकार उसकी प्रतिष्ठा को कम करती है। दुनिया में उसको ऊंचा व्यक्ति मानते हैं, लेकिन आज यहां उसके विपरीत हो रहा है। यह क्या चीज है? मैं अपने माननीय स्वशासन सचिव को बता रहा हूं कि बहुत सी चीजें आप के यहां ऐसी की जा रही हैं खराब तरीके पर कि उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपने उन चेयरमैनों की जो प्रतिष्ठा है, स्थानिक स्वशासन संस्थाओं की जो प्रतिष्ठा है कम कर दिया तो आप याद रखिये कि आप कितनी भी कोशिश करें आप उनका इन्तजाम दुरुस्त नहीं कर सकते। आप अपने अफसरों के द्वारा उन्हें और उनका इन्तजाम दुरुस्त नहीं कर सकते। आज क्या होता है कि अगर आपके पास किसी चेयरमैन की शिकायत आती है तो आप फौरन उस शिकायत को उस जिले के कलेक्टर के पास भेज देंगे जहां के चेयरमैन के बारे में शिकायत है और उसको हुक्म देंगे कि इसकी तहकीकात की जाय। कलेक्टर साहब क्या करते हैं। कलेक्टर साहब किसी डिप्टी कलेक्टर के, उस छोटे से अफसर को उसकी तहकीकात सुपुर्द कर देंगे। दुनिया में कहीं भी चेयरमैन के मुकाबले में डिप्टी-कलक्टर कोई चीज नहीं समझा जाता। वह डिप्टी कलेक्टर जाता है और चेयरमैन को बिना खबर किये हुए, जैसे कि चेयरमैन ने चोरी की हो, या डाका डाला हो, दफ्तर में घुस जाता है और जितने कागजात होते हैं उन्हें छीन ले जाता है। मैं पूछता हूं कि क्या इस तरह का इन्तजाम किसी सभ्य मुल्क में चल सकता है? कहीं भी आप ने नहीं सुना होगा कि कोई बाहरी आदमी जाकर किसी के दफ्तर में घुसकर उसके सारे कागजात को उठा ले और निकाल ले और ले कर चल दे। कानून भी इजाजत नहीं देता, आपके कानून में साफ तौर से लिखा हुआ है कि अगर कोई कागज आप इन स्थानिक स्वशासन संस्थाओं से चाहें तो इन कागजात को आप तलब करें और आप उन कागजात को चेयरमैन से तलब कर सकते हैं। चेयरमैन उन कागजात को आपके पास भेज देगा। अगर नहीं देता है तो कहिए कि क्यों नहीं देते हो। लेकिन आपके आदमी जाते हैं और उससे जबरदस्ती छीन लेते हैं और इस तरीके से उनकी प्रतिष्ठा को भंग कर रहे हैं और उनके द्वारा कम करा रहे हैं। याद रखिये कि आपको इसका अख्तियार नहीं है। कानून के अन्दर भी आपको यही अख्तियार है कि आप चेयरमैन से कागजात को तलब कर लें। अगर कोई ऐसी चोरी की हो तब आप पुलिस से इन्क्वायरी कराइये। जो पुलिस के पावर्स (अधिकार) हैं उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ सकती है, किसी व्यक्ति की तलाशी ले सकती है। लेकिन उसके लिए आप के पास सबूत होना चाहिए कि उसने वाकई गबन किया है। लेकिन इस तरह से म्युनिसिपल ऐक्ट का या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट का सहारा लेकर आप अपने कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर भेज दें यह ठीक नहीं है। आप याद रखिये कि इस तरीके से आप कभी भी उसको ठीक नहीं कर सकते और कभी भी अच्छा इन्तजाम नहीं कर सकते।

मैं एक मिसाल और आपको दूंगा कि किस तरह से इन संस्थाओं पर अन्याय हो रहा है। और वह यह है कि आप जितना अपना इन्तजाम कर रहे हैं उतना इन स्वशासित संस्थाओं का नहीं कर रहे हैं। आपने अभी सेल्स टैक्स पास किया। आपने बिक्री-कर बिल पास

[श्री कृष्ण चन्द्र]

कराया। उसमें आपने यह भी रखा कि जो इस सेल्स टैक्स ऐक्ट का उल्लंघन करेगा, जो कर ठीक-ठीक नहीं देगा, जो गलत कागजात पेश करेगा, बनावट या जालसाजी करेगा उसपर मुकदमा चलाने का भी अख्तियार आपको है। वे मुकदमे कहां जायंगे आपने उसकी अलग एजेन्सी कायम की है। आपके नहर विभाग के जो नियम हैं और उनका यदि कोई उल्लंघन करता है जैसे पटरी तोड़ता है तो वह मुकदमे नहर के मजिस्ट्रेट के यहां जाते हैं। वह मजिस्ट्रेट आपका डिप्टी कलक्टर है और आपका तनख्वाहदार नौकर है। लेकिन नहर के महकमे वाले आपके मजिस्ट्रेट का विश्वास नहीं करते, बल्कि उनका अलग मजिस्ट्रेट है जो उनके महकमे का इन्तजाम और रक्षा करता है इसलिए कानून में यह व्यवस्था की गयी है कि नहर के महकमे के अफसर के यहां ही तमाम चालान जायंगे तो वह अफसर नहर के विभाग की रक्षा करेगा लेकिन इसके साथ आपने क्या किया है। आपने अख्तियार दिया है कि सड़क को कोई न घेरे और कोई एन्क्रोचमेंट (अनधिकार) न करे, मकान न बनाए और अगर कोई बना लेता है बिना इजाजत के तो उनके पास कोई तरीका नहीं है सिवा इसके कि आपके यहां मुकदमा भेज दें। मुकदमा आपके मजिस्ट्रेट के पास कचहरी में जायगा और वह आपको बदनाम करना चाहते हैं कि इन सार्वजनिक संस्थाओं का इन्तजाम खराब है। एक सड़क घेरी गयी, एक नहीं मैं कितनी ही मिसालें बतला सकता हूं कि एक शख्स ने मकान खड़ा कर लिया और उसके बाद मजिस्ट्रेट के यहां मुकदमा पहुंचा उनको तो म्यूनिसिपल बोर्ड का इन्तजाम ठीक होने की कोई फिक्र नहीं थी न कोई जिम्मेदारी थी बस दो रुपया जुर्माना कर दिया। आप सोचिये कि इतना बड़ा उल्लंघन हुआ कि एक शख्स ने सड़क घेर ली और डिप्टी साहब ने दो रुपया जुर्माना कर दिया। दूसरी तरफ लोग शिकायत करते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी का इन्तजाम खराब है सड़क घेरी जाती है रास्ता नहीं है मकान बनवा दिये और वही कलक्टर साहब जिनके मातहतों ने मदद दी है वही म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ रिपोर्ट करते हैं कि उसका इन्तजाम खराब है। एक तरफ तो आपके और आपके अफसरों के कारनामों की वजह से सड़क घिरती है और दूसरी तरफ आपको बदनाम करते हैं। आप भी उन अफसरों की बुराई नहीं करते बल्कि म्यूनिसिपैलिटी को बदनाम करते हैं कि उसका इन्तजाम खराब है। यह मेरी शिकायत ही नहीं है बल्कि आपके बड़े-बड़े अफसरान जैसे डायरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ की शिकायत है कि घी में, दूध में मिलावट होती है और वह साबित हो जाती है तो आपके मजिस्ट्रेट जुरमाना करते हैं ५ या १० रुपया। डी० पी० एच० शिकायत करते हैं कि सजाएं कम दी जाती हैं मैं भी कहता हूं और मैं भी लिखता हूं लेकिन मेरी कहां चलती है। फिर एक तरफ आपके डिप्टी कलक्टर इन्तजाम खराब करते हैं जो आपके तनख्वाहदार नौकर हैं और उसका खमियाजा म्युनिसिपल बोर्ड को देते हैं। मैं एक हाल की मिसाल देता हूं कि आपके यहां से एक सरकुलर जारी हुआ कि क्योंकि बीमारियां फैल रही हैं इसलिए खाने पीने की चीजों को ढकने के लिए आपने रूल्स बना दिये कि उनके जरिए से खाने पीने की चीजें उघड़ी न रहें। मेले के जमाने में आपने यह रूल बनाया। डी० पी० एच० की चिट्ठी आई

मने उनसे कहा कि मजिस्ट्रेट को लिख दिया जाय कि मेले के मुकदमे फौरन ले लिये जायं । मे आपको सबूत दे सकता हूँ कि आपके डिप्टी कलक्टर ने उन मुकदमों को ३ महीने के बाद लिया । एक तरफ तो आप नियम बनाते है और दूसरी तरफ आप पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारियां म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को देते है और आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मदद नहीं करते और बदनाम करते है । मै अर्ज करूँगा कि आपने जो कुछ बिल मे किया है वह सही और ठीक किया है । लेकिन जिन कारणों से आपका नियंत्रण बोर्डों पर नहीं है वह यह है कि वह उन लोगों के हाथ मे है जिनको सजा देने का अख्तियार नहीं है लेकिन जिनके ऊपर आपने इन्तजाम की जिम्मेदारी नही दी है और जब तक आपका यह इन्तजाम कायम रहेगा तब तक यह ठीक नही हो सकता । अन्त मे मै आपसे यह निवेदन करूँगा कि जो कुछ भी बिल आप लाये है यह एक अधूरा बिल है हालांकि तरक्की के रास्ते पर है । जब तक दूसरा बिल न आ जायगा जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बिल आने वाला है जिसमें यह चित्र इस भवन के सामने आयेगा कि आगे चलकर इन संस्थाओं पर नियंत्रण करने का अधिकार किस एजेन्सी के हाथ मे रहेगा, उस वक्त यह बिल अधूरा रहेगा । इन शब्दों के साथ मै इस बिल की ताईद करता हूँ ।

सचिवों की स्थायी परामर्शदात्री समितियां

माननीय प्रधान सचिव (गोविन्द वल्लभ पन्त)--डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपकी इजाजत से एक प्रस्ताव, जिसके बारे मे मै उम्मेद करता हूँ कि कोई इख्तलाफ राय नहीं है, पेश कर दूं ।

डिप्टी स्पीकर--इस बहस के दौरान मे माननीय प्रधान सचिव एक प्रस्ताव स्थायी कमेटियों के सिलसिले मे पेश करना चाहते हैं । इसकी वजह यह है कि गालिबन आज के बाद असेम्बली न होगी और अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो कमेटियो के लिए नामजदगी लेने का मौका हो जायगा । मै दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि किसी माननीय सदस्य को कोई एतराज तो नही है ।

*माननीय प्रधान सचिव--मै यह प्रस्ताव करता हूँ कि सचिवो को परामर्श देने वाली स्थायी समितियां स्थापित करने के लिए ये नियम स्वीकार किये जायं इसमे इस ढंग से बतलाया गया है कि भिन्न-भिन्न विभागों के लिए यह स्थायी समितियां निर्वाचित की जायं जो सचिवों को इन लिखे हुए विषयो मे परामर्श दे ।

निर्वाचन के नियम, मै समझता हूँ कि हाउस के सामने है । मै उनको प्रजेन्ट (उपस्थित) किये देता हूँ और उनके पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है । इसके मुताबिक २३ स्टैंडिंग कमेटियां (स्थायी समितियां) बनेगी, और हर एक मे १३ चुने हुए सदस्य होंगे जिनमे से १० इस भवन के और ३ कौंसिल के होंगे और उस विभाग से संबंध रखने वाले सचिव होंगे और यदि उस विभाग से संबंध रखने वाले कोई पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी होंगे तो वह भी होंगे । इस तरह से यह कमेटियां बनाई जायगी और उनके अधिकार भी इसमें लिखे गये है † और वे कमेटियां अपना परामर्श और सम्मति देंगी । हर एक के लिए १० सदस्य इस भवन से चुने जायं जिस ढंग से डिप्टी स्पीकर साहब या स्पीकर साहब मुनासिब समझें और सालों के लिए तो यह रखा

*माननीय प्रधान सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । † छापे नहीं गये ।

[माननीय प्रधान सचिव]

गया है कि सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट (एकाकी हस्तान्तरीय मत) के द्वारा चुने जायंगे मगर इस वर्ष वह चुनाव इस ढंग से होगा जैसा डिप्टी स्पीकर साहब या स्पीकर साहब उचित समझें। इसलिए मैं डिप्टी स्पीकर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि अब की चुनाव मामूली ढंग से करा दें और मैं समझता हूं कि आज ही न हो तो डाक के द्वारा भी हो सकता है, यानी एक हफ्ते, १० दिन के भीतर सब कमेटियां पूरी बन जायं ताकि उस पर काम करने लगें। यह तजवीज मैं आपके सामने पेश करता हूं। और जब बजट पर बहस हो रही थी तब भी मैंने यह कहा था कि हमारा इरादा है कि स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी समिति) इस हाउस में बनायी जायं ताकि हर मुहकमे को हाउस के मेम्बरों से पूरी तरह मदद मिल सके और उनके ख्यालात और तजुर्बे से फायदा गवर्नमेंट को मिल सके। अगर इस तरह की कमेटियां बन जायंगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आइन्दा इन्तजाम करने में सहूलियत होगी और हाउस और गवर्नमेंट को और भी करीब आकर मिलकर काम करने की गुंजायश बढ़ेगी।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह--माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं माननीय प्रधान मंत्री से दो प्रश्न इस प्रस्ताव के विषय में पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि नं० ११ पर कृषि तथा पशुपालन और नं० २२ पर विकास है। क्या कृषि के विकास की योजनाएं नं० ११ में होंगी अथवा विकास की सब योजनाएं नं० २२ में होंगी?

दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि जो नियम उन्होंने उपस्थित किये हैं क्या उन पर इस भवन को विचार प्रकट करने का कोई अवकाश होगा।

माननीय प्रधान सचिव--जहां तक नं० ११ और २२ का संबंध है उनके लिए दो अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। तो जो सवाल नं० ११ कृषि और पशुपालन के संबंध में है यानी जो एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बेंडरी (पशुपालन) के भीतर का होगा वह तो नं० ११ के अन्दर आयेगा और नं० ११ के जो सचिव हैं वे ही उनका काम करेंगे। वस्तुतः जितनी चीजें कृषि और पशुपालन से संबंध रखने वाली उन कामों को बढ़ाने वाली, उनको सुधारने वाली होंगी, ऐसी जितनी बातें होंगी वे सब उसी के अन्दर आयेंगी। नम्बर २२ में प्लानिंग (योजना) वगैरह किसी डेवलपमेंट (विकास) के मामले, इस किस्म की चीजें डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो डेवलपमेंट मिनिस्टर के जरिए होती हैं जो काम उनके दायरे के अन्दर होगा वह नं० २२ के अन्दर आवेगा इसमें हर डिपार्टमेंट का कुछ न कुछ ताल्लुक विकास डिपार्टमेंट से रहता है। जैसा कि राजा साहब ने कहा कार्यशैली निश्चित करने की कुछ बातें इसके अन्दर हैं। जब जैसी आवश्यकता होगी वैसा किया जायगा। लेकिन कृषि और पशुपालन का विशेष प्रश्न नं० ११ के अन्दर ही आवेगा। इसके अलावा राजा साहब ने जो राय जाहिर करने की बात पूछी है तो इस भवन को पूरा अधिकार है कि वह उस पर अपनी राय जाहिर करे। लेकिन इस नियम के बन जाने पर स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी समिति) हो जाय तो कुछ न कुछ काम होने लगेगा। इसके बाद फिर अगले साल यह है उसके सामने आयेगा। इसकी एक-एक साल की मियाद रखी गयी है। फिर जब यह आवेगा तो उस वक्त तजुर्बे की बिना पर आप चाहें तो इस नियम को बदल सकते हैं। दूसरा

[illegible] लगते हैं। इसलिए अगर [illegible] जो मंजूर किया जाय तो काम की [illegible] [illegible] शुरू हो जायगी।

डिप्टी स्पीकर—मैं उस [illegible] की इत्तला के लिए यह बताना चाहता हूं कि लिस्ट नं० में फुटनोट पर जहां पर नम्बर १ का पद इबारत छपी है वहां आखीर में यह ज्यादा [illegible] नहीं [illegible] है जो अभी माननीय प्रधान सचिव ने आपके सामने पढ़ा है। वह यह है : 'प्रस्तावित यह है कि आर्थिक वर्ष सन् १९४८-४९ ई० की असेम्बली द्वारा चुनी गई समिति का निर्वाचन माननीय स्पीकर द्वारा निश्चित ढंग पर किया जायगा।'

माननीय प्रधान सचिव—नम्बर १६ पर जो अर्थ छपा हुआ है वह कमेटी तो पहले से ही बनी हुई है इस लिए उसके लिए चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है।

डिप्टी स्पीकर—प्रश्न यह है कि यह असेम्बली सचिवों की स्थायी परामर्श समितियों के निर्वाचन, विधान तथा कार्य प्रणाली के नियंत्रण के निमित्त बने हुए नियमों को स्वीकार करती है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर—मैं इसकी नामजदगी के लिए समय आज ४ बजे तक का मुकर्रर करता हूं।

माननीय प्रधान सचिव—अगर मुनासिब समझा जाय तो सेक्रेटरी को अथारा-राइज कर (अधिकार दे) दिया जाय कि वह एक सप्ताह के अन्दर मेम्बरों से डाक के जरिये नामजदगी मंगा ले। फिर अगर जरूरत से ज्यादा नामजदगी आवें तो फिर वह नाम चुनकर मेम्बरों को इसकी खबर दे दे। इस तरह से ३ हफ्ते के अन्दर यह कमेटी बन जायगी।

डिप्टी स्पीकर—मैं यह समझता हूं कि मैं खतों के जरिये से तमाम माननीय सदस्यों को इसकी इत्तला भिजवा दूंगा और उसी में एक वक्त मुकर्रर होगा कि किस वक्त तक नामजदगी के पर्चे आयें, किस वक्त तक नाम वापस लिए जायेंगे। ज्यादा नाम होने की सूरत में माननीय सदस्यों के यहां चुनाव के पर्चे भेज दिये जायेंगे और वे उन पर अपनी राय तहरीर करके भेज देंगे।

श्री फखरुल इस्लाम—मुझे यह अर्ज करना है कि कुछ जिले ऐसे भी होंगे कि जहां एक ही मेम्बर होगा। वह किस तरीके से नामजदगी करायेंगे और किस तरह से उसे सेकेन्ड (समर्थन) करायेंगे, उसके लिए यह बड़ी जहमत की बात होगी।

डिप्टी स्पीकर—इसके लिए मैं यह गुंजाइश किये देता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य इसके बाद अपनी नामजदगी अभी मेरे पास भेज देंगे तो मैं उसको जायज करार दे दूंगा।

श्री फखरुल इस्लाम—मैं यह तजवीज पेश करता हूं कि पार्टियां आपस में तै कर लें और अपने-अपने नाम भेज दें।

डिप्टी स्पीकर—यह तो आप आपस में कर सकते हैं। मेरे लिए ऐसा करने की गुंजाइश नहीं है। मगर मैं बतला देना चाहता हूं कि आज इस वक्त के बाद जिस वक्त भी कोई नामजदगी स्थायी कमेटी के लिए आयेगी वह जायज समझी जायगी।

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रांत के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का (द्वितीय संशोधन) बिल

श्री महावीर त्यागी—श्रीमान जी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के सिलसिले में मैं थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूँ और उनमें से पहली यह है कि जो बड़े-बड़े मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने आजादियां पाने के बाद लोगों की हुकूमतें कायम की हैं उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट (स्वशासन) की तरफ खास ध्यान दिया है। हमारे हिन्दुस्तान में लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट (स्वशासन) के मानी आमतौर से सड़कों पर लालटेन जलाने के या डिस्ट्रिक्टबोर्डों में कांजीहौज वगैरह के इन्तिजाम करने के या कच्ची पक्की सड़कें बनाने के रहे हैं। अंग्रेजों ने जब देखा कि उनके खिलाफ बहुत बेचैनी पैदा हुई है तो उन्होंने इस किस्म के थोड़े-थोड़े अख्तियारात लोकल लीडर्स को देकर फुसला लिया। अब जब कि आजादी आगई है तो लोगों का तकाजा है कि उस आजादी की कुछ बूंदें उनको भी मिलें। अगर आजादी इसी तरीके से चली जैसा कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह लोगों तक न पहुँच सकेगी। आजादी के मानी यह है कि हर शख्स को राजपाट के काम में थोड़ा सा हाथ बंटाने का मौका हो। लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट (स्वशासन) का जो बिल इस वक्त पेश है मेरी राय में वह नाकाफी है। बेहतर होता अगर गवर्नमेन्ट इस बिल को वापस लेकर एक दूसरा ऐसा बिल लाती जिसके मानी यह होते कि स्थानीय लोगों को वाकई कुछ अख्तियारात मिलते। लेकिन डिस्ट्रिक्टबोर्ड में एक कमेटी बनाना, जो कि सड़कों के बारे में फैसला करेगी या कांजी हौज में मुंशियों का तबदला करेगी या मुदर्रिसों का तबादला करेगी, एक खिलौना सा है, इससे आजादी गांवों तक नहीं पहुँच सकती। जब से मैं इस असेम्बली में आया हूँ तब से इस वक्त तक लगातार कोशिश करता रहा हूँ कि जो अख्तियारात केन्द्र में हैं उनका विकेन्द्रीयकरण किया जाय और लोगों को भी स्वराज्य में हिस्सा मिले। जब तक यह न होगा तब तक हमारा (एडमिनिस्ट्रेशन) शासन अच्छी तरह नहीं चल सकता। आजकल डिस्ट्रिक्टबोर्डों को कोई अख्तियारात नहीं हैं।

मैं फिर एक बार तकाजा करना चाहता हूँ कि जब तक अधिकार यहां हैं उस समय से एडमिनिस्ट्रेशन (शासन) अच्छी तरह से नहीं चल सकता। यह जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं उनको कोई अख्तियारात हासिल नहीं है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को अख्तियार देना चाहते हैं, ऐसा इन्तिजाम कीजिए जिससे जिलों में वह रिपब्लिकन हुकूमत बना सकें। मेरे दिमाग में यही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स न हों लेकिन छोटी छोटी रिपब्लिक्स हों जो अपना अपना इन्तजाम अपने आप करें, सिर्फ कान्जीहाउस का नहीं बल्कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन (शासन) चलाने के लिए जो चैनल्स एडमिनिस्ट्रेशन (शासन) के हैं जिनके जरिये अंग्रेज लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे उन पुराने चैनल्स को बदल देना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इन्कलाबी तरीका यही है, क्रांतिकारी रूप यही है कि उन पुराने चैनल्स की परवाह न करके हम इस आजादी की चैनल्स नयी बना लें। आजादी के स्रोत और धारा उनके द्वारा बहें जिससे लोग महसूस करेंगे कि तब्दीली हुई है, क्रान्ति हुई है। जो पुराने डिस्ट्रिक्टबोर्डस् हैं वह कमजोर हैं। उनमें लोगों को दिलचस्पी नहीं है पहले तो लोग कलेक्टर साहब से मिलने के लिए इसको एक रास्ता समझते थे, उन लोगों को खिताब मिलने की उम्मीद थी लेकिन आजकल यह भी नहीं है। डिस्ट्रिक्टबोर्डस् बहुत

कमजोर हैं। इस लिए मेरी दरख्वास्त यह है कि आप फिर एक बार सोच लें और अगर कोई रास्ता निकल सके जिससे कि आप डिस्ट्रिक्टबोर्ड्स् को ताकतवर बना सकें तो उसके लिए कोशिश कीजिए। रूस के अन्दर डिस्ट्रिक्टबोर्ड्स छोटी-छोटी बनी हुई हैं जो मामूली संस्थायें हैं पर वे अपने अपने यहां के इन्तजाम करते हैं यहां तक कि छोटे छोटे मुकदमें फैसला ही नहीं करते बल्कि कतल का फैसला करने का अख्तियार भी उन्हीं पर है। अंग्रेज लोग तो हम पर यकीन नहीं करते थे। अब तो हमारी गवर्नमेंट है, आपको तो अपने आदमी पर यकीन होना चाहिए। आप ऐसा कीजिए जिससे लोग यह महसूस करेंगे कि हमें आजादी मिल गई है। हमारी सरकार हमारे ऊपर यकीन करती है, हमारे ऊपर एतबार है। आपको तो यह एतबार करना चाहिए कि लोग इन अख्तियारात को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फैसला आप यहां बैठे बैठे देहरादून के मुताल्लिक करेंगे वह मैं देहरादून का रहने वाला आपसे अच्छा कर सकता हूँ। पंचायत ऐक्ट तो बना हुआ है उसमें आप इस लिए अख्तियारात देते हैं कि लोग मुतमईन हो सकें कि उनको कुछ अख्तियारात मिले। इस लिए जो अख्तियारात आप डिस्ट्रिक्टबोर्ड्स को देते हैं वह केवल तमाशा न हों। गांव पंचायतों को यह अख्तियारात दे रहे हैं कि वह जंगलात पर अधिकार रख सकते हैं और मैजिस्टीरियल (मजिस्ट्रेटों के) केसेस भी ट्राई कर सकते हैं और उनको पुलिस भी दिया जा रहा है लेकिन जो अख्तियारात डिस्ट्रिक्टबोर्ड्स को देते हैं वह कुछ भी नहीं है। जो अख्तियारात दे रहे हैं वह यह है कि उनको कांजीहाउस के बारे में अख्तियार दे रहे हैं जो मवेशी भटकते हुए आते हैं उनको पकड़कर बन्द किया जाय। रूस में छोटे छोटे तबके को बड़े बड़े अख्तियारात दिये गये हैं। इस लिए मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी अख्तियारात नहीं दे रहे हैं। वह लोग जो जानते हैं कि स्वराज्य आया है यह भी महसूस करते हैं उनको नये अख्तियारात मिल जायेंगे। अगर आप उन्हें कुछ भी अख्तियारात नहीं देंगे तो वह खुद आपसे छीन लेंगे। यहां आकर छीन लेंगे। इस लिए मेरा कहना यह है कि जो कुछ मुनासिब हो उनको दे दीजिए। लोगों के ऊपर एतबार कर लीजिए। आप अगर यह समझते हैं कि वे मिसयूज (दुरुपयोग) करेंगे तो आप क्या यूज (उपयोग) करते हैं? अगर वे खराब हैं तो आपसे मिलकर सब खराबियों को दूर कर देंगे। आपकी कमियों को वे महसूस करेंगे। आप यहां बैठकर जो फैसला देते हैं वह वे भी दे सकते हैं। यहां तो फाइल्स पर 'रेड-टेप' का असर ज्यादा हुआ है। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में आन जाने में तीन तीन महीने लग जाते हैं। हमारी सरकार से कहना यह है कि इसके लिए कोई रेडिकल (क्रांतिकारी) तरीका निकाल दीजिए, कोई इन्कलाबी तरीका इसके लिए निकाल दीजिए, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको इन्कलाबी तरीके से तब्दील कीजिए। कांग्रेस गवर्नमेंट का फर्ज है कि इस तरह से क्रांति का लाभ उठावे।

आम जनता को स्वराज्य देने के लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं एक तो कंस्ट्रक्शनल चेन्ज सरकारी ढांचे का पुनर्निर्माण और दूसरी गवर्नमेंट के हुक्मनामों और फैसला करने के तरीकों में बदलाव। अंग्रेजों का हम पर शुबा था। जब ही तो एक अफसर के ऊपर उन्होंने दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा अफसर रखा था। एक के नोटिंग करने के

[श्री महावीर त्यागी]

बाद दूसरा करता था और दूसरे के बाद तीसरा । इस ढंग से काम करने वाले को काबिल समझा जाता है । आजकल भी ऐसा ही है । इसलिए मेरी तजवीज है कि नये सिरे से जांच करके "रेड-टेप" की रीति को बन्द किया जाय वर्ना हम फाइल पर नोटिंग करते ही रह जायेंगे और दुनिया आगे निकल जायगी । इन्किलाब का तकाजा है कि आप तगय्युर कीजिये । स्वराज्य को आगे जाने दीजिये इस काम म नोटिंग की जरूरत नहीं है । उसको ऊपर ही छतरी लगाकर रोकिये नहीं । उसको नीचे आने दीजिये

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट को इस तरह से तबदील कीजिए कि मुकामी लोग भी अपने अधिकारों को महसूस कर सकें । मुकामी नेता जो हजारों की तादाद मे उठ रहे हैं उनको भी तो आप काम दीजिये। दुनिया उठ रही है । तालीम फैल रही है । इस भवन की तकरीरों को पढ़कर के हजारों नौजवान लड़के उठ रहे हैं । वे मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन (शासन) में अपना हाथ बंटाना चाहते हैं । लाखों हाथ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि स्वराज्य के काम में मदद करें । हमारी नाकाम-याबी का बाईस यही है कि हम उन पर एतबार नहीं करते हैं । हम डरते हैं कि वे इन अधिकारों का दुरुपयोग कर देंगे । यह डर अंग्रेजों ने डाल दिया है । इसलिए लाखों हाथ जो मदद करने के लिए तैयार हैं उन्हें पुलिस के तरीकों से गांवों की हिफाजत करन में काम लाइये। आप उनसे काम लें । आप गांवों में दो चार राइफलें बांट दें तो देखिए कि डकैतियां नामुमकिन हो जायंगी। आपकी राइफलें थानों में रहती हैं और डकैतियां गांवों में पड़ती हैं। डाकुओं को लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं है और शरीफ आदमी बिना लाइसेंस के बन्दूक रख नहीं सकते हैं। यानी जो ला-एबाईडिंग" (कानून पर चलने वाले) आदमी हैं उनके लिए अपनी हिफाजत करने का कोई इन्तजाम नहीं है । बदमाशों को लाइसेंस की जरूरत नहीं । अगर आप एक गांव मे ५० राइफलें भी बांट दें तो भी उनका दुरुपयोग नहीं होगा । आप राइफलों से डरते ह लाठी से क्यों नहीं डरते? लाठी से भी तो आदमी मर सकता है फिर क्यों नहीं लाठियां लोगों से छीन लेते ? अगर सारा मुल्क क्रिमिनल हो जाय तो लाठियों से भी एक दूसरे को मारा जा सकता है । जब आप लाठी और तलवार नहीं छीनते हैं तो फिर यह समझना बेकार है कि बन्दूक देने से लोग एक दूसरे को शूट कर देंगे । यह आपकी गलतफहमी है । मैं आप से अर्ज करता हूँ कि गांव के तथा जिले के लोगों पर एतबार किया जाय । उनको ज्यादा अख्तियारात दिये जायं । उनको डिफेन्स (सुरक्षा) के अख्तियारात दिये जायं तो पुलिस की कम जरूरत होगी । मैंने सुना है और अखबारों में भी पढ़ा है कि प्रान्त में एक रक्षा दल बना है । उसका इन्तजाम होगा और वह शायद गांवों की हिफाजत करे लेकिन उसके कायदे कानून अभी हमारे सामने नहीं आये हैं । उसके चलाने की जिम्मेदारी यहीं मिनिस्टर साहब के पास है न मालूम उनकी क्या नीति होगी। वह न जाने सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस के मातहत काम करेगा या कैसे। गांव के रक्षा दल को गांवों की पंचायतों के सुपुर्द करें। मुकामी लोगों पर एतबार करके मुकामी अख्तियारात देना चाहिए ? अगर वे इन अख्तियारात का दुरुपयोग भी करते हैं तो आपका क्या बिगाड़ते हैं । वे तो उनके ही हासिल किये हुए अख्तियारात हैं चाहे व उनका दुरु-

पयोग करें चाहे कुछ भी करें आ का क्या ? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। शायद मैं आखिरी बार इस असेम्बली में बोल रहा हूँ। इसके बाद मुझे मौका नहीं होगा। मैं चलते वक्त कहे देता हूँ कि अगर ऐसा इन्तजाम नहीं किया गया कि जिससे वराज आम लोगों में पहुँचे तो आम लोग जबरदस्ती स्वराज को आप से छीन लेंगे और आप देखते रह जायंगे। इतना कहने के बाद मैं आपका और इस भवन के साथियों का मशकूर हूँ उन इनायतों के लिए कि जो आप लोग मेरे ऊपर बरसाते रहे हैं। इतना कहकर मैं हमेशा के लिए आप से बिदा चाहता हूँ। नमस्ते !

*श्री मुहम्मद शकूर—मोहतरम डिप्टी स्पीकर ! कब्ल इसके कि मैं इस मजमून पर कुछ कहूँ अपने डिप्टी स्पीकर साहब का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक दिन की जद्दोजहद के बाद आज मुझे मौका दिया कि मैं भी अपने नाचीज ख्यालात का इजहार करूँ।

मैं वजीर मुतालिलका को मुखातिब करते हुए, जो बिल आपने एवान में पेश किया है उसकी और उसमें जो तरमीम है उसकी मुखालिफत करता हूँ। और लफ्ज बलफ्ज अपने दो मेम्बर साहबान की, जो एवान में तकरीर के जरिये से अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं, ताईद करता हूँ। मैं वजीर मुतालिलका से एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने तालीम के मियार को इतना बुलन्द कर दिया कि तरबियत के मियार को उसके सामने कुछ न समझा। आप जो डि० बोर्ड के अख्तियारात उनसे खुद लेना चाहते हैं किसी ऐसे इमकान के जरिये से जिसमें सिर्फ तालीम ही तालीम हो और तरबियत का नामोनिशान न हो। ऐसी सूरत में मैं यह अर्ज करूँगा कि तालीम के साथ साथ जब तक तरबियत न हो वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की इस्लाह नहीं कर सकते और ऐसे आदमियों के हाथ से उनके अख्तियारात को लेना जिनमें तालीम के साथ साथ ऐसी तरबियत है ठीक न होगा। आपको मानना पड़ेगा कि जब मुल्क आजाद हो गया है हमें अवाम पर भरोसा करना ही होगा। अब भी हम वही चालें चल रहे हैं—आजाद तो हो गये हैं—मगर गुलामों से बदतर है।

दर कफस के हैं खुले,
कूवते परवाज नहीं।

बन्द रहते रहते कूवते परवाज सल्ब हो जाती है। हमारे ख्यालात में अभी वह बलन्दी नहीं आई है। अब हमको सोचना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्यूनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों को आजादी के बाद मियार ऊँचा करना होगा। अब तक तो जो मेम्बरान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्यूनिसिपल बोर्ड में जाते थे वह यह समझते थे कि कूड़ा करकट साफ कर देंगे, रोशनी कर देंगे। मगर आजादी के बाद जो हमारी कमेटियां या बोर्ड बनेंगे उनके ख्यालात बड़े बुलन्द होंगे। कोई होशमन्द शख्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्यूनिसिपल बोर्ड की मेम्बरी पर इस पाबन्दी के साथ हर्गिज जाना पसन्द न करेगा जो अपनी तरमीम के जरिये से आप रख रहे हैं। वजीर साहब मुतालिलका जरा मेरे इस सवाल का जवाब अपनी जवाबी तकरीर में फरमा दें कि तालीम के मुकाबले

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शकूर]
दें तरबियत याफ्ता को झुकाना किस हद तक रवां होगा, जब कि इस एवान में वजीर आजम ने यह फरमा दिया कि आगे जगहों पर हम उसी शख्स को रखेंगे जो तरबियत याफ्ता हैं। जब तक हम उसकी तरबियत का इम्तहान न ले लेंगे तब तक उसको हम उन जगहों पर न रखेंगे जो तरबियत की मोहताज हैं और इस किस्म की तरमीम के जरिये जो आपने रखा है सरासर उन लोगों के हक पर डाका मारना है। मैं आपकी नेक-नीयती पर हमला नहीं करता हूं। वक्त हुआ करता है जो इन्सान को इन्सान बना देता है। हम अभी गुलामी से निकले हैं। हमारे ख्यालात दूसरों के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम नहीं समझते कि हमें मुल्क में किस तरह से काम करना चाहिए। आइन्दा जो नस्लें आने वाली हैं अगर इसी तरह से उनको दबा-दबा कर सुलाया गया तो बजाय इसके कि हमारी आगे आने वाली नस्लें बहादुर हों, जब कभी दुश्मन या गनीम से मुकाबला होगा, उसके सामने उसका मुकाबला करने के लिए बजाय मुंह फेरने के उनकी पुश्त फिर जायगी। लिहाजा ऐसी चीजों को जिनसे मियारे इन्सानियत बुलन्द होती है उनको बुलन्द रखना चाहिए और तरमीम को हटा देना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अख्तियारात में ज्यादा इजाफा कर दिया जाये। मिसाल के तौर पर अर्ज करूंगा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या नोटीफाइड एरिया हैं आपको मालूम होना चाहिए कि बाद गुलामी आप अपने ऊपर भी भरोसा करें और इन संस्थाओं पर भी भरोसा करें। यह नहीं कि जो आपको अच्छा लगे वह अच्छा है। बल्कि जो अवाम को अच्छा लगे वह अच्छा होना चाहिए।

लिहाजा इन चन्द जुमलों के बाद मैं, प्रोफेसर साहब और त्यागी जी ने जो तकरीर की हैं और जो ख्यालात जाहिर किये हैं, उनकी ताईद करता हूं और बिल की जो तरमीम है उसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री रामस्वरूप गुप्त—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब मुझे ज्यादा इस पर बहस नहीं करना है मगर कुछ चीजों पर जिनकी जरूरत है उनकी तरफ अगर इस एवान का ध्यान आकर्षित न कराऊं और उसकी तरफ अगर सरकार ध्यान न दे तो बड़ी गलती है। हम स्वराज्य के बाद जिस तरह की स्थानीय स्वशासित संस्था बनना देखना चाहते थे—मुझे इस बिल को देखकर उस संबंध में बड़ा भरोसा हुआ था। सचमुच हम यह समझते थे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था, जो हुकूमत का और मुल्क के इन्तजाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वह कुछ दूसरी शक्ल में और ज्यादा उम्दा शक्ल में हमारे सामने आयेगी—लेकिन इस अधूरे बिल से वह तस्वीर जो हमने अपने दिमाग में स्वशासित संस्थाओं की खींची थी, वह किसी तरह से पूरी नहीं होती है। एक तरफ हम मंजूर कर रहे हैं ग्रामपंचायत के सिद्धान्त को जिसमें हमें गांव का न्याय, पुलिस और शिक्षा का सारा अधिकार दिया जाता है। ग्रामपंचायत ऐक्ट जो हमने इस प्रान्त में पास किया है सचमुच हमारे लिए वह गर्व की बात है। उस पर हम जनता की स्वतन्त्रतापूर्वक प्रबन्ध करने की ताकत को बढ़ाने की बुनियाद डालते हैं। और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो सारे जिले के इन्तजाम करने की एक संस्था है उसको हम पहले से भी ज्यादा अपंग कर देते हैं। मेरे लिए तो दोनों

[illegible] बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ हैं। अगर हम यह सिद्धांत स्वीकार करते हैं कि [illegible] ने अपना इन्तजाम करने की ताकत बढ़े और ज्यादा से ज्यादा इन्तजाम उनके सुपुर्द किया जाय तो यह सिद्धांत जिस मात्रा में हम लागू करें उससे ऊपर [illegible] संस्था में तो और बड़े पैमाने पर लागू करना चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं उसके बरखिलाफ। इस बात पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाला है कि किस तरीके से हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से सारे ही अधिकार खींच लिए हैं। कहा जाता है कि [illegible] तजुर्बे [illegible] हमको ऐसा परिवर्तन करना पड़ा। लेकिन बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अभी चल रहे थे उनका चुनाव १९३५ में हुआ था उस वक्त कांग्रेस का [illegible] उतना ज्यादा नहीं था। उसके काम करने का जो काल रहा है, १०-१२ साल का, वह जमाना रहा है जब हमारे ऊपर विदेशी शासन का दमनचक्र चल रहा था और कोई भी संस्था आजादी के साथ काम नहीं कर सकती थी। इसी लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी फेल हुए लेकिन इसके माने यह नहीं है कि हम उनको [illegible] कर दें। यह तो एक प्रतिक्रियावादी बात है। नये चुनाव होने जा रहे हैं उनमें नये तरह के लोग आवेंगे हम उनसे आशा करते हैं कि वे अपने यहां का इन्तजाम करने की पूरी योग्यता रखते होंगे हमको इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को एक अच्छी [illegible] देना चाहिए और भरोसा करना चाहिए था कि अब नये मेम्बर जो वहां जायेंगे वे अपने काम को सम्हालेंगे।

दूसरी चीज जिसपर मुझे बराबर ताज्जुब हो रहा है वह यह है कि हमारे शासन प्रबन्ध में द्वैध शासन की नीति बरती जा रही है, अभी वही काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करते थे और अब वही काम आप करते हैं हम देखते हैं कि जो स्कूल सरकार की तरफ से चलते हैं उनका प्रबन्ध अलग और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से चलाये जाते हैं उनका काम अलग। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह कैसे होता है। सारी शिक्षा का काम एक ही हाथ में और एक ही रूप में होना चाहिए और उसमें हमको भरोसा भी करना चाहिए। मुझे यह मालूम होता है कि अब हम अपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की शिक्षा के इन्तजाम को १५ साल पहले की लाइन पर ले जा रहे हैं। जब पहला एक्ट हमने बनाया था उसमे हमने संशोधन करके शिक्षा कमेटी को एक तरह से आटोनोमस बाडी (स्वतन्त्र संस्था) बनाया था। इसके पहले हमारी शिक्षा कमेटी का जो रूप था उसी रूप में हम अपनी शिक्षा कमेटी को इस नये अमेंडिंग बिल के अनुसार लिए जा रहे हैं। मुझे तो यह चीज एक पीछे जाने (प्रतिक्रिया) सरीखी जचती है। इस लिए मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां स्वराज्य एक बड़ी चीज है वहां स्वराज्य के वे रूप जिनको लोकल सेल्फ गवर्नमन्ट (स्वशासन) के रूप में हम जनता तक पहुँचाते हैं वह इससे भी बड़ी चीज है। इस लिए स्वशासन के सम्बन्ध का जो कानून हम बनाये उसको बहुत व्यापक बनायें, बहुत सोच समझकर बनाएं और उसमें जल्दबाजी न करें। सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आई है। हमारे सदस्यों में बहुतों के दिमाग में कुछ सुझाव थे जो अमेंडमेंट की शक्ल में लाते। उन सदस्यों को अपने सुझाव देने के वे सारे मौके हमारे हाथ से निकले जाते अगर हम जल्दबाजी में इस ऐक्ट को पास करते हैं। इस लिए और ज्यादा न कह कर तो केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर व्यवस्थापिका सभाओं से कुछ

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

लाभ, अगर सदस्यों के सुझावो से, उनके विचारो से कुछ लाभ हम उठाना चाहते है तो किसी कानून को हम जल्दबाजी मे पास न करे कि उनको मौका ही न मिले। हमने पिछले तजुर्बे से देखा कि जो कानून हमने जल्दबाजी मे पास किये एक हफ्ते के अन्दर स्वयं हमे उनमें तरमीमे लानी पड़ी, कौंसिल मे तरमीमे हुई। फिर उसके बाद भी हमें तरमीमे करनी पड़ीं। इस लिए कुछ मौका तो सदस्यों को मिलना ही चाहिए जिसमे वे अपने सुझाव देकर किसी कानून को सम्यक बना सके और उसका पूरा फायदा उठा सकें।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मै प्रस्ताव करता हूँ कि अब इस पर विवाद बन्द कर दिया जाय।

डिप्टी स्पीकर—मै आप के इस प्रस्ताव पर राय नहीं लूंगा, क्योंकि अभी बहुत से आनरेबिल मेम्बरान बाकी है जिनको अपने ख्यालात का इजहार करना है।

श्री सुल्तान आलम खाँ—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पेश्तर इसके कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दूसरे अमेंडमेंट बिल के मुताल्लिक अपनी कुछ राय का इजहार करूँ मै आनरेबिल मिनिस्टर साहब की खिदमत मे एक प्रोटेस्ट (विरोध) पेश करना चाहता हूँ और वह यह है कि इस बिल के ऊपर जब सेलेक्ट कमेटी बैठी और उसने अपना फैसला दिया तो उसका इजलास इस तरीके पर तलब किया गया कि बाज मेम्बरान को उसकी कतई इत्तला नहीं हुई। पहली मर्तबा जब यह कमेटी बैठी तो तै यह हुआ कि आइन्दा सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग २२ तारीख को होगी, लेकिन २२ तारीख को जब मै कमेटी की शिरकत के लिए पहुँचा तो मुझे इत्तिला यह की गयी कि कमेटी का इजलास तो २१ तारीख को हो गया और सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी उसी दिन पेश होकर खत्म हो गई।

मै आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूँ कि मै एक प्रोटेस्ट (विरोध) पेश कर रहा हूँ। आनरेबिल मिनिस्टर साहब उसे सुन नही सके। इस लिए मेरा कहना बेकार है।

जनाबवाला, मै अर्ज यह कर रहा था कि पेश्तर इसके कि मे बिल के मुताल्लिक अपनी राय का कुछ इजहार करूँ आनरेबिल मिनिस्टर साहब की खिदमत मे मुझे एक अहतिजाज या प्रोटेस्ट (विरोध) पेश करना है और वह यह है कि सेलेक्ट कमेटी जिसकी मीटिंग पहले २२ तारीख को बुलाई जाने वाली थी वह न मालूम क्यों २१ तारीख को बुला ली गयी और उसकी इत्तिला कम से कम मुझे नही पहुँची। जब मै २२ तारीख को मीटिंग मे शिरकत के लिए गया तो मालूम हुआ कि मीटिंग एक रोज पहले खत्म होगयी। मुझे इस तर्जेअमल पर बहुत अफसोस है और मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब इस मामले की जांच करेंगे और देखगे कि यह शिकायत की वजह क्यों पैदा हुई। और मै समझता हूँ कि वह और इस एवान क हर मेम्बर मुत्तफिक होगा कि इस किस्म की शिकायत बाकी नहीं रहना चाहिए वर्ना मेम्बरों के सेलेक्ट कमेटी में रहने और उनके आकर काम करने से क्या नतीजा निकल सकता है। इन अल्फाज के साथ मै बिल के मुताल्लिक चंद बाते अर्ज करना चाहता हूँ।

मै समझता हूँ कि सबको याद है कि सन् १६३८ ई० मे एक लोकल

सेल्फ–गवर्नमेन्ट कमेटी बिठाई गई थी और उसने एक बहुत मुकम्मिल रिपोर्ट पेश की थी जो गवर्नमेन्ट के सामने पहुँची। लेकिन उस रिपोर्ट के पहुँचने के वक्त इस गवर्नमेन्ट ने इस्तीफा दे दिया था और उस रिपोर्ट की सिफारिशात पर न तो गवर्नमेन्ट गौर कर सकी और न कुछ अमल कर सकी। लेकिन इस हुकूमत ने दोबारा चार्ज लेने के बाद इस रिपोर्ट को निकाला और उसके ऊपर अमल किया है। इससे पहले यानी गुजिस्ता साल में डि० बोर्ड अमेंडमेंट बिल ऐक्ट की सूरत में पास हो चुका है और उसके जरिये से डि० बोर्डों को कुछ अख्तियारात दिये गये हैं। इसी किस्म का दूसरा बिल आज हमारे सामने पेश है मुझे इस सिलसिले में यह अर्ज करना है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट की इमारत इतनी पुरानी और फरसूदा हो चुकी है कि उसको एक दम मुनहदम करके एक नई इमारत बनानी है। और जब तक नई इमारत नहीं बन जाती और उसकी मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने नहीं आ जाती यह हमारे लिए मुश्किल है कि हम उसके ऊपर किसी नये लेजिस्लेशन (कानून) के मुताल्लिक कोई राय का इजहार कर सके। हमे यह मालूम है कि इस लोकल सेल्फ–गवर्नमेन्ट कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर पंचायत राज बिल ऐक्ट की सूरत में मंजूर हो चुका है और वह पंचायतें कायम की जा रही है। इस लिए हमें यह सोचना है कि इन पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के दर्मियान किस तरीके पर पावर्स की तकसीम की जाय और उनको डिजाइन किया जाय। हमारे सूबे में एक अर्से से डेवलपमेन्ट बोर्ड काम कर रहा है और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो लोकल सेल्फ–गवर्नमेन्ट (स्थानिक स्वशासन) की तस्वीर पंचायत राज ऐक्ट बिल मे, और डि० बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड की सूरत में हमारे सामने है जिनकी तरमीमें भी हो रही है, यह तमाम चीज जब तक हमारे सामने न आएँ तब तक इस चीज का फैसला करना बहुत मुश्किल है कि किन-किन अख्तियारात को लोकल बोडीज (स्थानिक संस्थायें) को देने की जरूरत है। जनाबवाला, जो चीजें बहुत ही नुमायां हैसियत से रही है और जिनके मुताल्लिक मुझसे पहले बाज मुकर्रिर साहबान ने इशारा भी किया है वह गौरतलब है। सब से पहला मसला यह है कि हमें लोकल बाडीज की तरमीम में यह देखना है कि हम कहां तक उसको सेंट्रलाइज (केन्द्रीयकरण) या डिसेंट्रलाइज (विकेन्द्रीयकरण) कर सकते है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत यह बात मान चुकी होगी कि लोकल सेल्फ बाडीज (स्थानिक संस्थायें) को डिसेंट्रलाइज (विकेन्द्रीयकरण) करना ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं समझता हूँ कि पंचायत राज बिल जिस सूरत में हमारे सामने आया है वह इस सूरत में न आया होता। पंचायत राज बिल के पास होने के बाद डि० बोर्ड के पास मौजूदा ऐक्ट के मातहत जो अख्तियारात रह जाते हैं वे बहुत ही कम हैं। इस मौजूदा ऐक्ट के जरिये से मैं यह भी देख रहा हूँ कि डि० बोर्डों को मजीद आमदनी हासिल करने के लिए टैक्स को बढ़ाने का भी अख्तियार दिया जा रहा है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि जो पंचायतों को सड़कों के, प्राइमरी एजूकेशन के और दूसरे जरूरी चीजें जिनका अब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सुपरविजन (देखरेख) करते थे वह पंचायतों में जा रहे हैं, तो अब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का क्या फंक्शन बाकी रह जाता है और अगर रह जाता है तो उसको रखने

[श्री सुल्तान आलम खां]
की जरूरत भी है? तो इसको मौजूदा अमेंडमेंट के अन्दर ही पूरा किया जा सकता है या उसके लिए हमें और ज्यादा आमदनी हासिल करने के लिए जराये और अख्तियारात देने पड़ेंगे? यह तमाम बातें तै होनी हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया था लोकल सेल्फ-गवर्नमेन्ट (स्थानिक स्वशासन) की पूरी तस्वीर जब तक नहीं आती। मुझे यह मालूम है कि मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में यह फरमाया है कि लोकल सेल्फ-गवर्नमेन्ट (स्थानिक स्वशासन) के मुताल्लिक एक कम्प्रीहेन्सिव (विस्तृत) बिल इस एवान के सामने आने वाला है। मैं अर्ज करूंगा कि जब इस किस्म का कम्प्रीहेन्सिव (विस्तृत) बिल इस एवान के सामने अनकरीब लाया जाने वाला है तो इसकी क्या जरूरत थी? यह बिल, डि० बोर्ड एमेंडमेंट बिल, जो बिलकुल एक बीच के मेजर की हैसियत रखता है वह एवानके सामने पेश किया जा रहा है।

इसके अलावा इस बिल के जरिये से जो २-३ बातें डि० बोर्ड को दी जा रही हैं उनके मुताल्लिक भी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे इस बात के मुताल्लिक यह कहना है कि डि० बोर्ड के लोकल रेट्स के अख्तियार बढ़ाये जा रहे हैं। मुझे उसमें उसूली इख्तलाफ है। वैसे तो जिलों ने डि० बोर्डों को वाकई रुपये की जरूरत है तो इसके लिए आपने इजाजत दी है और दूसरे जराये भी मोहय्या किये जा सकते हैं लेकिन सवाल यह है कि इन महदूद रूल्स के अन्दर इस चीज की कितनी जरूरत है और मजीद रुपये की जरूरत है। पंचायत राज में जो अख्तियारात डि० बोर्ड से लेकर पंचायतों को दिये गये हैं इसके बाद जरूरत यह थी कि हम इस पर नजर करते कि सूबे के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन (केन्द्रीय शासन) में कौन-कौन से अख्तियारात हो सकते हैं जिनको हम आहिस्ता-आहिस्ता डि० बोर्ड की तरफ मुन्तकिल कर सकते हैं ताकि डि० बोर्ड में भी लोग इसका तजुर्बा हासिल कर सकें और एडमिनिस्ट्रेशन (शासन) तालीम, सैनीटेशन (सफाई) वगैरा के लोगों में हिस्सा ले सकें। जैसा कि मेरे दोस्त प्रोफेसर साहब ने फरमाया था, डि० बोर्ड और लोकल बोर्ड को यह अख्तियारात हासिल हों कि वह पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन (शासन) और मशीनरी अपने हाथ में लें। जहां तक कि टैक्सेशन (करबन्दी) का मामला है उसके मुताल्लिक मुझको यह कहना है कि अगर वाकई डि० बोर्ड को पूरे अख्तियारात देने हैं और उनको बड़े पैमाने पर पब्लिक एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के काबिल बनाना चाहते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि डि० बोर्ड की आमदनी किस तरीके से बढ़ायें और क्या-क्या रिसोरसेज (साधन) हों जो देने पड़ेंगे।

इस सिलसिले में मैं एक चीज यह अर्ज करूंगा कि सन् १२ में सेंट्रल गवर्नमेंट में, इम्पीरियल कौंसिल में, एक रेजोल्यूशन आनरेबिल गोखले की तरफ से पेश हुआ था, उसमें सरकार से मुतालबा किया गया था कि वह डि० बोर्ड और लोकल बोर्ड्स को अख्तियार देकर और उनकी एक्टिविटीज को बढ़ा कर ऐसा बना दें कि वह सही खिदमात अन्जाम दे सकें और जिसको उस वक्त की गवर्नमेंट ने मंजूर नहीं किया। मि० गोखले ने जो तकरीर की है और जो फिगर (आंकड़े) बतलाए हैं मैं समझता हूं कि वह बहुत पुराने हो गये हैं और ३० साल से ज्यादा वक्त हो गया लेकिन इस वक्त के हालात के

मुताल्लिक उनका जायजा लें तो अब भी वह पूरे उतरते हैं। जहां तक आमदनी का ताल्लुक है और टैक्सेशन (करबन्दी) लगाये जाने का ताल्लुक है इंगलिस्तान, फ्रांस और योरोप के किसी बड़े से बड़े मुल्क में टैक्स के मामले को देखते हैं तो उसकी निस्बत हमारा हिन्दुस्तान तकरीबन बराबर है। आदादो शुमार से पता चलता है कि इंगलिस्तान में जो टैक्स लोकल बोर्डों को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है वह आमदनी का तकरीबन ११ फीसदी है। अगर आदादो शुमार देखे जायं तो हिन्दुस्तान में यही देते हैं। पता चलता है कि एक जगह लोकल बाडीज वसूल करते हैं और एक जगह गवर्नमेंट। इसकी तकसीम इस तरह से की जाती है कि एक तो लोकल-बाडीज खुद वसूल करती हैं लेकिन सरकार की तरफ से ग्रान्ट-इन-एड (सहायता के लिए स्वीकृति) की सूरत में लोकल बाडीज को दिया जाता है। जहां तक मुझे इल्म है इंगलिस्तान में तकरीबन ५० फीसदी दिया जाता है और तमाम काम वे करते हैं। इसके अलावा पुलिस के और बड़े-बड़े दूसरे अख्तियारात इन बोर्डों के सुपुर्द हैं अगर वाकई हम भी ऐसे ही काम चलाना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि वह रिसोरसेज (साधन) हासिल करें और उनको डि० बोर्ड के हवाले करें। सूबे की रेवेन्यू में से कितना हिस्सा हम उनको ग्रान्ट-इन-एड (सहायता के लिए स्वीकृति) की सूरत में दे सकते हैं? मुझे मालूम है कि ग्रान्ट-इन-एड के जरिये से भी डि० बोर्ड को कुछ आमदनी दी जाती है। जैसा अभी एक दोस्त ने बतलाया, तालीम के महकमे में भी एक बड़ी रकम दी जाती है लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया इंगलिस्तान में ५० फीसदी लोकल बोर्डों की एक्टिविटीज के लिए दिया जाता है। अगर हम उन लोकल बोर्डों को जो हमारे सूबे में काम कर रहे हैं अगर हम उनको उसी मियार पर लाना चाहते हैं और उनसे वही काम लेना चाहते हैं और उन्हें सच्चे तरीके से लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट (स्थानिक स्वशासन) के काबिल बनाना चाहते हैं तो हमें इस बात पर यकीनन गौर करना पड़ेगा कि प्राविन्शियल रेवेन्यू (प्रान्तीय मालगुजारी) से कितना हिस्सा बोर्डों को दें ताकि वह अपने कामों को चला सकें। यह चीज उसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब पूरी तसवीर हमारे सामने आ जाय। उस वक्त या तो यह फैसला किया जाय कि डि० बोर्ड की जरूरत नहीं है और पंचायत राज की सूरत में बिल्कुल बेकार हो गये हैं या यह तै करें कि डि० बोर्ड वाकई जरूरी इन्स्टीट्यूशन्स (संस्थाएं) हैं और उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि उनके अख्तियारात कितने बढ़ाये जायं और क्या रिसोरसेज (साधन) उनको फराहम कराएं।

जनाबवाला, नये बिल में एक अख्तियार और भी डि० बोर्ड को दिया गया है और वह यह है कि वह कर्ज ले सकते हैं। जहां तक कि डि० बोर्ड को अख्तियारात देने का ताल्लुक है मैं हमेशा इस चीज का हामी रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात दिये जायं लेकिन इस मखसूस अख्तियार के मुताल्लिक जो कि दिया गया है, मेरे दोस्त हंस रहे हैं और मुझे कुछ भी अफसोस हो रहा है कि मैंने जो कुछ कहा था उससे अलग होकर एक बात कह रहा हूं लेकिन उसके कहने के चन्द वजूहात हैं मेरा ख्याल यह था और मैं ऐसी डि० बोर्ड की तसवीर देखना चाहता था कि आप उनको ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात दें। आप उनको पूरे तौर पर मालिक बना दें और

[श्री सुल्तान आलम खां]

पूरी देख भाल करें लेकिन इस बात की जरूरत है कि उनकी दबी हुई हालत में उनको उभार। मौजूदा ऐक्ट में यह है और आइन्दा भी होगा। इसलिए मैं चहता था कि फाइनेंस (अर्थ) का मसला ऐसा है कि जिसकी बिना पर ८० या ९० फी सदी बोर्ड सुपरसीड होते हैं इसलिए इस मामले में जो कदम उठायें अहतियात से उठायें। अगर आप इस वक्त मुल्तबी कर देते और आइन्दा आखिरी मंजिल पर जब हम तमाम काम देख लेते उस वक्त हम अख्तियारात देते तो मुझे कोई एतराज न होता लेकिन अंदेशा यह होता है कि इस किस्म के अख्तियारात देने के बाद आप जो नया तजुर्बा सूबे में करने जा रहे हैं उसमें रुकावटें और दुश्वारियां हैं वे न हों और नाकामयाबी न हो और हमारी तमाम उम्मेदों पर पानी न फिर जाय।

जनाबवाला, मैंने इससे पहले जो सेन्ट्रेलाइजेशन (केन्द्रीयकरण) और डिसेन्ट्रेलाईजेशन (विकेन्द्रीयकरण) के बारे में जिक्र किया है उसके मुताल्लिक इससे पहले भी एक साहब ने तकरीर की थी। मैं उनकी इस बात की ताईद करता हूँ। जो अख्तियारात लोकल बोर्ड को मुन्तकिल कर दिये गये हैं उनमें गुंजायश हो सकती है लेकिन किसी सूरत से भी यह मुनासिब न होगा और बिलखसूस इस जमाने में जब कि पापुलर गवर्नमेंट (लोकप्रिय सरकार) यहां मौजूद है।

तालीम के महकमे के मुताल्लिक मुझे एक शिकायत है कि तालीम के महकमे की तरफ से जो प्राइमरी स्कूल खोलने का इन्तजाम किया जा रहा है वह एक बड़ी हद तक उस स्पिरिट के मातहत नहीं है जिसके मातहत लोकल बोर्ड कायम हैं। अगर गवर्नमेंट इस बात की ख्वाहिशमन्द है कि तालीम की तरक्की की जाय, फ्री एजुकेशन हो, कम्पलसरी एजुकेशन (अनिवार्य शिक्षा) हो तो इसमें कोई शक नहीं कि ये तमाम इन्तजामात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये ही होना चाहिए था। यह कहां तक मुनासिब और मुमकिन मालूम होता है कि कुछ स्कूल का तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इंतजाम करें उनकी मातहती में चले और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बराहरास्त चलें। इसी तरह से अस्पतालों का मामला भी है। बहुत से अस्पताल प्राविन्सियलाइज (प्रान्तीयकरण) किये गये। उन अस्पतालों में कुछ इस किस्म की दुश्वारियां थीं, उनमें कुछ इस किस्म की खामियां और खराबियां थीं जिनकी वजह से गवर्नमेंट को यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया था कि अब वक्त आ गया है कि हम सब इस मामले के मुताल्लिक डिसाइड (फैसला) कर लें क्लीअर कर लें कि हम आगे क्या करने हैं। जहां तक अस्पतालों, रोड्स (सड़कें) और एजुकेशन का ताल्लुक है, उसमें बहुत सी खामियां रहीं लेकिन इन खामियों की जिम्मेदारी सिर्फ यह कह देना कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर रही है मैं समझता हूँ सही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्डस पिछले जमाने में जिन दुश्वारियों से गुजरती रहीं उनका नतीजा यही होना ही चाहिए था जो कि दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब हम एक नये दौर से गुजर रहे हैं अब हम आजाद फिजा में हैं और ऐसे मौके पर हमको इस बात की तवक्को होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो पब्लिक के नुमाइन्दे होंगे वे सही नुमाइंदे होंगे और बराहरास्त उसका चेयरमैन डाइरेक्ट एलेक्शन (सीधे चुनाव) से आयेगा और वह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेगा। मैं सिर्फ यही कह कर अपनी तकरीर खतम कर दूंगा कि अब वक्त आ गया है

जब कि आनरेबिल मिनिस्टर इस मसले पर फिर से गौर करें और डेमाक्रेटिक स्पिरिट (प्रजातंत्र की भावना) से लोकल सेल्फ बाडीज (स्वशासन संस्थाएं) डिसेन्ट्रेलाइजेशन (विकेन्द्रीयकरण) का जो मकसद है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो रिसोर्सेज (साधन) हैं उनको देखें और और जल्द से जल्द एक कम्प्रीहेन्सिव (विस्तृत) बिल लावें जिससे हम तमाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और लोकल बोर्ड्स के ऊपर गौर कर सकें कि कहां तक इनके अख्तियारात को बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि उनके जितने अख्तियारात बढ़ाये जायंगे, गवर्नमेंट को उतनी ही रिलीफ (आराम) मिलेगी। जिस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्यूनिसिपैलिटीज जितनी कि इस मुल्क के अन्दर हैं सब ऑटानामस बाडीज (स्वतंत्र संस्था) के तौर पर काम करने लगेंगी और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्टरफियरेंस (हस्तक्षेप) नहीं होगा उसी वक्त इसका मकसद पूरा होगा। इन मुख्तसर अल्फाज के साथ मैं इस बिल को जिसको आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने पेश किया है जो कि नामुकम्मिल है, जाती तौर पर मैं उसकी ताईद करता हूं क्योंकि इसका कदम जो है वह आगे तरक्की की तरफ है।

*श्री खानचन्द्र गौतम--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, इस सूबे में इस समय जिस राजनैतिक दल की हुकूमत है उस दल के लोगों ने जिस दिन से राजनैतिक बोझ को संभाला है स्वराज्य शब्द के अर्थ के ऊपर चलते रहे हैं। इस शब्द के ऊपर कुछ लोगों ने बड़े-बड़े सपने हमारे मन में पैदा किये और इन सपनों पर जब हम लोग बाहरी क्षेत्र में काम करते रहे और जब विदेशी शासन के अन्दर जेलखाने काटते रहे तब भी ये सपने लोगों के जारी रहे। इन सपनों में देहली, लखनऊ, नागपुर, बम्बई, मद्रास, पटना, कलकत्ता ये शहर भी लोगों के मन में रहे। बहुत से लोगों के ये सपने प्रधानतः इन शहरों तक ही रहे हैं लेकिन बहुत से लोगों के सपने में उन लाखों गांवों की तसवीर थी जिनके लिए स्वराज्य की कल्पना की जा रही थी। हमारी हुकूमत आई और अगले रोज हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि हमारे स्वराज्य का सपना किस हद तक सच्चा हो रहा है। हम जनता के प्रतिनिधि होकर यहां पर आये। हम यह भी महसूस करते हैं कि कभी कभी हमें गवर्नमेंट को सलाह भी देने का मौका मिलता है और हमसे गवर्नमेंट को सलाह मिलती है। हमने अपने अस्तित्व को केवल इस तरह से समझा और जो हमारे मन में हिन्दुस्तान के स्वराज्य के माने आये वह यही कि हमारे ही साथी यहां के शासन में हैं। मगर जिस देहाती के लिए, जिस गांव वाले के लिए, स्वराज्य की आवश्यकता थी आज वह पूछता है कि अगर स्वराज्य आया है तो उसकी शक्ल क्या है, उसका भाग उसमें क्या है, उसे अपने नजदीक स्वराज्य नहीं दीखता। उसके जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इस दौरान में जो प्रगति हुई है, वह शासन को बिखरा कर साधारण नागरिक के हाथ में अधिकार देने की तरफ नहीं चला है। किन्तु यदि वह चला है तो सब प्रकार से समेट कर केन्द्रीयकरण करने की तरफ चला है यह स्वराज्य की प्रगति नहीं है। स्वराज्य की यह कल्पना उन लोगों के मन में नहीं थी। श्रीमान, अधिकारों को खींचकर केन्द्रीयकरण करना, केन्द्रित करके

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया

[श्री खान चन्द गौतम]

एक जगह रखना यह किसी प्रकार से किसी प्रगतिशील समाज के लिए अभीष्ट नहीं हो सकता। अधिकार अगर नागरिक के हाथ में अपने ऊपर हुकूमत, अपने हित के लिए हुकूमत करने के लिए होता है तो वह ठीक है। मगर अधिकार एक केन्द्र में सब प्रकार से होना, संचित करके एक जगह रखना सिद्धान्ततः गलत है। उसका दुरुपयोग होता है, समाज की प्रगति नहीं होती। इस बेजा तरीके से अकूत सा रुपया इकट्ठा करने वाले को चोरबाजारी कहते हैं। महात्मा गान्धी के शब्दों में आवश्यक रुपया कमाने वाले को स्तेय व्रत का भंग करने वाला चोर कहा गया है और यदि अधिकार की शक्ति को अपने हाथ में अधिकाधिक संचित करते जायें तो शासन सिद्धान्ततः ठीक नहीं चलाया जा सकता। उसी प्रकार से अधिकाधिक शक्ति को केन्द्रित करना भी महात्मा गांधी राष्ट्र-पिता के शब्दों में चोरी कही जायगी। देखने में क्या है कि जहां पर अधिकाधिक शक्ति का केन्द्रीयकरण हो जाता है, जहां पर शक्ति अधिकाधिक केन्द्रित हो जाती है और शासन भार एक जगह पर थोड़े व्यक्ति, जहां पर बैठते हैं, सम्भालते हैं तो इन सद्भावना में, शासन के नियन्त्रण करने वालों में जो हमको देखने को मिलता है उनमें यही दोष आता है। श्रीमान्, जब ये लाल फीते की फांसी में फंस जाते हैं, जब हमारे शासन-सूत्र के संचालकों के गले में यह फीता फंस जाता है तो ज्यों-ज्यों दिन बीतते हैं त्यों-त्यों यह लाल फीता हमारे उन शासकों के गले में अधिक कड़ा होता जाता है और शासन निष्प्राण होता जाता है। यह अप्रासंगिक न होगा यदि मैं यह कहूं कि अभी इस समय प्रान्त में जो स्थिति उत्पन्न होती जा रही है इस व्यवस्था के कारण मैं उसकी तरफ दो शब्दों में संकेत करना चाहता हूं। हमारे यहां अभी कल समाजवादी साथी इस भवन को छोड़कर चले गये। आज हमारे एक माननीय मित्र अपने स्थान से अपना त्याग-पत्र घोषित कर गये। जहां तक मेरी जानकारी है महावीर त्यागी समाजवादी सदस्य नहीं थे। परन्तु क्या कारण हो गया कि वह इस भवन से उठकर चले गये? इसका कारण यही है कि हम शासनसूत्र उस प्रकार से नहीं संभाल पाये हैं कि जिससे उनको सन्तोष हो। मैं अपने मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि थोड़े दिन पहले उन्होंने लोकल सेल्फ (स्वशासन) के बारे में अपने व्याख्यान में कहा था कि हम शक्ति का विकेन्द्रीयकरण करके जिलों को आत्मनिर्भर बनायें ताकि वहां के नागरिक अपने ऊपर अपने ढंग से शासन करके सुखी बनें और अपना शासन कर सकें। श्री महावीर त्यागी उन व्यक्तियों में से यहां थे कि अकेले होते हुए भी किसी समय उन्होंने निःसंकोच उन सिद्धांतों का सुतर्क से समर्थन किया कि जो उस समय बहुत लोकप्रिय भी नहीं मालूम होते थे पर प्रगतिशील थे। वह मित्र आज यह देखते-देखते कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस रफ्तार से चल रहे हैं और जिस तौर तरीके के शासन को चला रहे हैं उसमें प्राण नहीं है, उसमें प्रगति नहीं है, उसमें गुंजाइश नहीं है किसी आदमी को ज्यादा सहायक होने की। ऐसी खुराफात में हमारा एक साथी चला गया। किस हद तक उनकी यह बात ठीक थी या गलत थी इसमें मैं नहीं जा रहा हूं, मगर ऐसी स्थिति पैदा होती जा रही है और हमारे स्वशासन विभाग के सचिव को तो खास तौर पर इस चीज पर ध्यान

देखा है कि जैसा यह भाव उत्पन्न किया जा रहा है कि जो स्वराज्य की भावना लेकर हम आगे बढ़े थे वह स्वप्न सच्चे होते नहीं दीख रहे हैं। लोग निराश होकर निकले चले जा रहे हैं और वह स्थिति होती जा रही है कि हमारी राष्ट्रीय प्रगति का भाले [illegible] है और यह केवल ६ करोड़ जनता को हांकने के लिए एक डंडा रह गया है जिसका प्रयोग कर सकते हैं। यह अच्छा लक्षण नहीं है। मैं आपके सामने [illegible] सन् १९२८ ई० की प्रोसीडिंग्स (कार्यवाही) की ओर ध्यान दिलाता हूं।

एक आवाज—वह भी बहुत पुरानी है।

श्री खानचन्द गौतम—जरूर बहुत पुरानी है और इसीलिए आज मैं उसको लाया हूं उनके लिए जो कि [illegible] पुरानी हैं जो वजह से यह बातें जिनको सिखा गया हम ठीक कहते हैं जिन्हें लेकर हमने अपनी [illegible] उन्हीं जिनको लेकर हमने विरोधियों को फटकारा, केवल पुरानी होने की वजह से वह बुराई वाली चीज नहीं है। आज हम जिस बात का तकाजा करते हैं वह बात २४ वर्ष बाद पुरानी तो जरूर हो जायगी, मगर वह अवश्य ही गलत हो जायगी, उसका सिद्धान्त २४ वर्ष में बदल जाना, यह जरूरी नहीं है। जिस समय सन् १९२८ ई० में प्रान्तीय सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तमाम सड़कों को लेने का आग्रह कर रही थी उस समय हमारे माननीय नेता पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त जी ने उन बेंचेज से गवर्नमेंट पर एक बड़ा दोषारोपण किया था, उनको बड़े जोर से फटकारा था और यह तकाजा किया था कि यह किसी प्रकार से न्यायसंगत नहीं हो सकता कि आप लोकल बाडीज से अधिकार छीन कर प्रान्त के हाथ में दे दें और लोगों को शासन में हाथ न बटाने दें। तमाम सभा ने बड़े जोर से इसका समर्थन किया था। उस समय की जो डिबेटें मौजूद हैं उनमें मैं देखता हूं कि उस समय कितनी भावुकता के साथ हमने इस चीज पर जोर दिया था, पर हम देखते हैं कि इस समय स्वयं हमने उन तमाम सड़कों को डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के हाथों से लेकर सूबे के केन्द्रीय शासन के सुपुर्द कर दिया है। इसका क्या कारण है? क्या वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या स्थानीय बोर्ड इस योग्य नहीं हैं कि उस काम को कर सकें? यही एक कारण हो सकता है कि माननीय मंत्री और उनके साथी इस बात के लिए बाध्य हुए हैं कि वह प्रान्तीय शासन में उन सब सड़कों को ले लें। मगर अगर वह इन सड़कों का इन्तिजाम करने के योग्य नहीं है, अपने स्कूलों का इन्तिजाम करने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि शहर के लोग अपना इन्तिजाम करने के योग्य नहीं हैं, गांवों के लोग पंचायतों का इन्तिजाम करने के योग्य नहीं हैं तो स्पष्ट है कि चूंकि हमारी चुनाव की क्वालीफिकेशन (योग्यता) दर्जा चार का पास होना है तो हम सूबे का इन्तिजाम करने के योग्य नहीं हैं। तो फिर उठाइये एक डिक्टेटर बना दीजिए जो हममें योग्यतम हो और वही शासन चलाये। यदि हम स्वराज्य चाहते हैं, यदि हम विकेन्द्रीयकरण चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नागरिक अपना ऊपर, अपने हित के लिए अपने आप शासन करें, तो हम चाहिए कि हम उसके ऊपर जिम्मेदारी डालें और उसको मदद करें और उसको अपने ऊपर शासन करने के मार्ग में ले जाकर छोड़ें। स्वराज्य के लिए यह अधिकार होना चाहिए कि अगर आदमी एक बार भूल करता है तो भूल करके सीखे। हम भी कोई चरम सीमा

[श्री खान चन्द गौतम]

की योग्यता लेकर यहां नहीं आये हैं। इस लिए यह कहना ठीक नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से अधिकाधिक अधिकार लेकर हम ज्यादा योग्यता से उनका प्रबन्ध कर सकते है: लोकल बाडीज़ यह नहीं कर सकते हैं। जहां तक योग्यता से प्रबन्ध करने की बात का सवाल है अभी बजट सेशन खत्म हो चुका है, लगभग इस एक महीने के दौरान में मुझको एक दिन भी ऐसा याद नहीं है कि जिस दिन किसी विभाग पर दस, बीस, या पचास आक्षेप लापरवाही के, बदइन्तिज़ामी के न होते रहे हों। जब इस किस्म के इल्ज़ाम रोज हम यहां पा रहे हैं तो मेरी राय यह है कि हम क्यों न मौका दें उन लोगों को कि वह भी ज़रा अपनी योग्यता लगाकर देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में जो आदमी चुनकर जा रहे हैं वह किसी मानी में हम लोगों से खराब नहीं हैं। हम लोगों का तो शायद यहां के लिए चुनते वक्त यह ख्याल था कि यहां थोड़े से आदमी काम चलायेंगे, बाकी और सब तादाद पूरी करते रहेंगे, मगर जिले के जिन आदमियों को डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिए चुनकर भेजा जा रहा है उनको जिम्मेदारी से भेजा जा रहा है और अगर वह जिले में ठीक प्रबन्ध नहीं करते तो चुनने वालों को बदनामी का डर है। इस लिए लाजिमी तौर पर वह सभी अच्छे आदमियों को चुनकर भेज रहे हैं। ऐसी सूरत में कोई वजह नहीं है कि आप उनको कोई अधिकार न दें। अगर जरूरत हो तो आप उनको सलाह दें, मशविरा दें। जितना रुपया है वह तमाम अपने साथ रखते हैं और उनको कुछ नहीं देते हैं। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर स्थानीय संस्थाओं को बड़ी-बड़ी लिबरल (उदारतापूर्ण) और अच्छी ग्रान्ट-इन-एड (सहायता के लिए स्वीकृति) या सहायता नहीं देते हैं। हमारे मित्र लै० सुल्तान आलम खां ने अपने सुन्दर भाषण में बिस्तार के साथ यह बतलाया था कि कहां कहां और कितनी ग्रान्ट दी जा सकती है। इंगलैंड में ४० से लेकर ६० फी सदी तक सड़कों के ऊपर खर्च करने के लिए लोकल बाडीज (स्थानिक संस्थाएं) को गवर्नमेंट देती है। कनाडा में ५० से लेकर ७५ फी सदी तक टोटल (कुल) खर्चे को गवर्नमेंट लोकल बाडीज (स्थानिक संस्थाएं) को गवर्नमेंट देती है। इस प्रकार सब देशों में अपने यहां के आदमियों को अधिकार देते हैं। यहां ऐसा मालूम होता है कि आप उन स्थानिक संस्थाओं के हाथ में बागडोर नहीं देना चाहते हैं। अगर उन लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, उनको रुपया नहीं देते हैं, तो वह कैसे खर्च कर सकते हैं? आप कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के हाथ से शिक्षा को हम ले लेंगे। वहां कोई ठीक इन्तजाम नहीं होता है। आप उनको इतना पैसा नहीं देते हैं जिससे वह कोई इमारत बना सकें या कोई अच्छा मास्टर रख सकें मैं बुलन्दशहर जिले से आता हूं। जहां तक मुझे याद है मेरे जिले के शिक्षा के खर्चे में से करीब बीस बाईस फीसदी ग्रान्ट-इन-एड (सहायता के लिए स्वीकृति) देते हैं। और खुशकिस्मती से लखनऊ को ६० फी सदी मिलती है। लखनऊ के रहने वालों का मैं कायल हूं, लखनऊ की हैसियत से मैं बहुत कायल हूं। लेकिन जिस जगह से मैं आता हूं वहां गरीब इन्सान रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती हैं, उनके खर्चे ज्यादा होते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है। आपने इस बिल में टैक्सेज बढ़ाने की

व्यवस्था की है। अभी इसके संबंध में सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो हमारे सामने है उसको मैंने देखा उसमें एक नोट आफ डिसेन्ट (असहमतिसूचक लेख) है उस पर मेरी नजर आयी।

उसमें उनका सुझाव था कि जब तक गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरा न करे, मामूली ग्रान्ट-इन-एड (सहायता के लिए स्वीकृति) इन स्थानीय समितियों को देकर, तब तक इस प्रकार के टैक्सेज लगाने की कोशिश न करे। यह तरीका माकूल तरीका नहीं है। ५ फीसदी से ६ फीसदी तक बढ़ाने से कोई माकूल रकम हासिल नहीं कर सकते हैं जिससे वह अपना इन्तजाम कर सकें। इससे कोई काफी रकम नहीं पहुंचेगी और किसी प्रकार से प्रबंध करना नामुमकिन है। इस सूरत में अगर आप यहां से ग्रान्ट-इन-एड (सहायता के लिए स्वीकृति) में उनको अधिकार दें, उनको प्रबंध करने का मौका दें तब टैक्सेज बढ़ा करके उनके कामों को पूरा करने में सुविधा हो सकती है। मैं समझता हूँ कि हमारे मंत्री महोदय कुछ आश्वासन देंगे। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय को मुखातिब करके यह याद दिलाना चाहता हूँ कि बार-बार आश्वासन तो मिलता जाता है लेकिन मदद मिलने में देर हो जाती है।

मैं उनसे विनय करता हूँ कि वह इस संबंध में खास तौर से ग्रान्ट-इन-एड (सहायता के लिए स्वीकृति) के प्रश्न को लेकर अपने जवाब के दौरान में इतना फरमा दें कि जो आपने आश्वासन दिया है उसके पीछे आपके साथियों का भी समर्थन है या वह केवल आपकी राय है जो पीछे खटाई में पड़ सकती है या विचाराधीन रह सकती है मानी जाय या न मानी जाय। अगर समिति बनने वाली है तो वह कब तक बनेगी और इस समिति की जो रिकमेंडेशंस (सिफारिश) होंगी उनको किस सीमा तक आप मानने को बाध्य होंगे, कितने अधिकार आप उनको देंगे। कृपा करके आप इसका जिक्र कर दें।

माननीय स्वशासन सचिव---बाध्य तो हाउस होगा

श्री खान चन्द गौतम---आप कितनी हद तक कमिटेड (बाध्य) हैं मैं इसके सम्बंध में जानना चाहता हूँ। श्रीमान मैं भवन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। केवल अन्त में एक वाक्य कह कर अपनी वक्तृता समाप्त कर दूंगा। जिस प्रकार बाहर मूढ़ों का शासन चल रहा है या यहां के लोगों में भी यह भावना जड़ पकड़ती जा रही है कि सब कुछ खैरियत से नहीं चल रहा है, असंतोष पैदा हो गया है, बुद्धि भेद और विग्रह पैदा हो गया है। बाहर जितना खतरनाक वक्त है वह हम लोगों की निगाह से छिपा नहीं है। ऐसे में बुद्धिभेद और विग्रह पैदा होने का फल क्या निकल सकता है इसको हमारे योग्य मंत्रियों से अधिक कोई नहीं जान सकता है। से संकट काल में अगर हमारी प्रगति धीमी हुई या हमने प्रगति का सिद्धान्त न अपनाया तो हम लोग इस समय के इतिहास में प्रतिक्रियावादियों में गिने जायेंगे। जहां इतिहास की पुनरुक्ति का जिक्र आता है हम लोगों की उपमा कंस वगैरह से दी जायगी और न जाने हम लोगों को क्या क्या नाम दिये जायेंगे जब कि हमारे बीच का एक अंग उन्हीं के नारों के ऊपर जिन पर कि हम लोग यहां आये हैं बाहर कहने को तैयार [है कि हमारी प्रगति रुक गयी है। हम दलदल में फँस गये हैं। खास तौर से हमें इस

[श्री लाल चन्द नौतन]
बात का खयाल रखना चाहिए कि हमें प्रतिक्रियावादी या अप्रगतिशील कहलाने का मौका लोगों को न मिले ।

(उपरोक्त भाषण के मध्य में ४ बजकर २ मिनट पर माननीय स्पीकर ने अध्यक्ष का आसन पुनः ग्रहण किया ।)

श्री राम कुमार शास्त्री--मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस प्रश्न पर अब ज्यादा वादविवाद न हो ।

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि इस प्रश्न पर अब बहस बन्द की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

माननीय स्वशासन सचिव--अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के सदस्यों का काफी आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसे ख्यालात इस भवन के सामने रखे जिनसे बहुतों से मैं सहमत हूँ। अभी-अभी तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मेरी ही आवाज दूसरे शरीर में से बोल रही है। यह इसी बेस की बात थी। कायदा यह होता है कि अगर कोई गहरे कुएं में आवाज करे तो जिस तरह से पानी की आवाज बार-बार सुनाई देती है, उसी तरह से जो लोग अपने विचार यहां पर जाहिर कर रहे हैं उनमें से अधिकांश विचार मेरे प्रकट पहले भी हो चुके हैं और उनका यहां जिक्र सदस्यों ने काफी तौर से किया है। सेलेक्ट कमेटी के जो लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट (स्वशासन) की बैठी थी उसमें मैंने अपने विचार केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीयकरण के विषय में रखे थे। और उसी को सामने रखते हुए पहुत से आक्षेप किये गये हैं। मैं अपने दोस्तों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रश्न उन्होंने उठाये हैं उनका सम्बन्ध इस बिल से नहीं है। जिस वक्त इन विचारों को अमल में लाने का समय आयेगा तब मैं उसके लिए एक कानून, विकेन्द्रीयकरण के सिलसिले में स्थानिक संस्थाओं को संगठित करने के लिए, और जनता में यह शक्ति फैला देने के सम्बन्ध में, लाने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन अब आप प्रश्न पूछेंगे कि यह कानून बार-बार टुकड़ों में जो लाया जा रहा है उसमें विकेन्द्रीयकरण क्यों नहीं दिखाई देता। तो मैं इस प्रश्न पर स्पष्टीकरण करते हुए यह कहूँगा कि विकेन्द्रीयकरण और केन्द्रीयकरण दोनों की भावना हमारे मुल्क में मौजूद है। यह भावना योरप में और पाश्चात्य देशों में मौजूद है। जहां तक स्थानिक स्वराज्य के अधिकारों का सम्बन्ध है एक तरफ यह संस्थायें चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा अधिकार उनको प्राप्त हों दूसरी तरफ एक संघर्ष यह चलता है कि जो केन्द्रीयकरण रहता है वह समय-समय पर स्थानिक संस्थाओं के अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करता है। एक तरह से यह विरोध दुनिया भर के इतिहास में आप को दिखाई देता है। इंगलैंड के और योरप के दूसरे देशों के इतिहास में आप इसी तरह से देखेंगे कि एक तरफ लोग कहते , अगर केन्द्रीयकरण सख्त नहीं होता है तो जो बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं, कारखाने हैं सीमेंटेड सड़क बनाना यह सब केन्द्रीयकरण से नहीं हो सकता। स्कूलों का स्तर ऊँचा करना केन्द्रीयकरण से नहीं हो सकता। यह भावना दुनिया में दिखलाई देती है। दूसरी तरफ प्रजातन्त्र के जो मौलिक सिद्धान्त हैं उन सिद्धान्तों को मानने वाले चन्द लोग यह खिचाव करते हैं कि केन्द्रीयकरण करते

है तो जनतन्त्र पर कुठाराघात होता है दूसरी तरफ यह खिचाव होता है कि जनता में शक्ति न जाना चाहिए। इन दो खिचाओं के बीच मे दुनिया बराबर कशमकश करती रहती है। कभी-एक तरफ झुकाव लोगों का होता है कभी दूसरी तरफ। इसका मतलब यह है कि जनता मे ऐसी संस्थायें मौजूद नहीं है जो शक्ति का इस्तेमाल पूरे तौर से करें। मै मिसालन आप को बतलाना चाहता हूँ कि आप ने पुलिस विभाग के विषय में बहुत कुछ विचार किया और आप ने देखा कि पुलिस मंत्री साहब ने उसका जिक्र किया और आप के सामने आया तो जब इसका प्रश्न आगे लाया गया तब केन्द्रीयकरण का काम किया गया। इसी तरह से सड़कों के काम का केन्द्रीयकरण होने की तरफ प्रवृत्ति जनता की हुई। इस प्रवृत्ति का मानने वाला मै नहीं था, लेकिन इस भवन के सदस्य बहुमत में थे उनके विचार मे यही हो गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का इन्तिज़ाम खराब है फलां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सस्पेंड (स्थगित) कर दिया जाये। ऐसी शिकायतें हमारे पास आईं। क्यों ऐसा हुआ, उस जमाने में ऐसे लोग डिस्ट्रिक्ट मे आ गये थे कि वह ठीक तरह से काम नहीं करते थे। इस भवन में प्रश्न पूछा गया कि आप ने कौन-कौन जिला के अस्पतालों को प्राविन्सलाइज़ (प्रान्तीयकरण) किया। फिर कहा गया कि क्यों न सब को प्राविन्सलाइज़ (प्रान्तीयकरण) कर लिया जाये। किसी ने यह जिक्र नहीं किया कि किसी को प्राविन्सलाइज़ (प्रान्तीयकरण) न किया जाये। इसका मतलब यह था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चलाये हुए अस्पताल इतने खराब हो गये थे कि आप महसूस करने लगे कि इनको प्राविन्सलाइज़ (प्रान्तीयकरण) कर लिया जाये। (आवाज़-इस लिए कहा गया कि आप ने रुपया पैसा नहीं दिया)। आप खामोशी से अगर सुनेंगे तो मालूम होगा कि मेरी और आप की राय में फर्क नहीं है। मेरा यह कहना है कि यह भाव बराबर दोनों तरफ इस भवन के, इस तरफ भी और उस तरफ भी दिखाई देते थे। एक तरफ केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति थी-दूसरी तरफ विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति थी। केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति आज के समय में दिखाई दी। आज के दिन श्री महावीर त्यागी जी जो मेरे पुराने दोस्त है किसी वजह से उन्होंने कल तय किया कि मै भी इस्तीफा देकर जाऊँगा। इस बिल के सिलसिले में विकेन्द्रीयकरण के बारे मे उन्होंने भी कहा। अगर वह चले भी गये तो भी जो उनकी भावना है वह मेरे हृदय में सदैव कायम रहेंगी। विकेन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में मेरा निश्चय था कि विकेन्द्रीयकरण हो जाये। लेकिन बीच में खिचाव, एक तरफ और दूसरी तरफ से होते रहे। मुझसे कहा गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट (स्वशासन) की शक्ति लोगों में बांट दी जाये। प्रान्तीय सरकार को यह शक्ति न दी जाये। मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त हम सब इस भवन के चुनाव में खड़े हुए थे उस वक्त क्यों नहीं यह कहा गया कि पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट (स्वशासन) पर कब्जा कर लिया जाये। फिर प्रान्तीय सरकार पर कब्जा करें। आपने पहले नहीं सोचा कि पहले प्रान्तीय असेम्बली में नहीं जाना चाहिए, बल्कि इन संस्थाओं पर कब्जा करना चाहिए, और वहां जाकर जनता की सेवा करनी चाहिए। यह दो खिचाव हमारे सामने रहे। इन दोनों भावनाओं के बीच में हम जनता के चुने हुए नुमाइन्दे यहां आ गये हैं। इसलिए में यह चाहता हूँ कि हमारे जरिये जनता का भला होना

[माननीय स्वशासन सचिव]
चाहिए और जनता का काम अच्छे ढंग पर होना चाहिए।

हमने कितनी सड़कें बनवाईं। ५ हजार मील सड़कें बनवाईं या कुछ अस्पताल खोल दिये और आज जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में लोग मौजूद हैं उनमें कांग्रेस के अधिक प्रगतिशील लोग नहीं हैं और उनके हाथ में अगर हम ज्यादा कुछ दे देंगे तो वह अच्छी तरह से उसको न चला सकेंगे। मुझे मालूम है कि यह भावना यहां के इधर के और उधर के कुछ मेम्बरों की थी। मैं उसका जवाब देता हूँ, सब से पहले इन संस्थाओं में प्रगतिशील लोगों को भेज दिया जाय। सब से पहला कदम जो हमने उठाया है वह यह कि पहले वहां भी प्रगतिशील लोग पहुँच जाय जैसे यहां पर हैं और तब उनको अख्तियारात दिये जायें। इसीलिये मैंने पहला कदम यह रखा कि यह बिल लाया और उसके जरिये से यह सोचा कि पहले चुनाव में प्रगतिशील लोग वहां पहुँच जायें तब लोगों को यह कहने का मजाल न होगा जैसा कि अभी आप लोगों ने कहा कि पहले के लोग बड़े स्वार्थी थे और कोई इन्तिजाम नहीं किया। जब वहां और यहां प्रगतिशील लोगों की आवाज बुलन्द होगी उसके बाद उन संस्थाओं को आप मजबूत बना सकेंगे, जिस वक्त यहां पर और वहां पर एक ही आवाज होगी उस वक्त विकेन्द्रीकरण के लिए आसानी होगी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को किस तरह से इन्तिजाम करना चाहिए इसके सम्बन्ध में विचार किया जायगा ताकि उसकी खराबियां दूर की जा सकें। इतना मैं आप से कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप ने यहां चुनाव के बाद प्रान्तीय सरकार को मजबूत बनाया उसी तरह से आप वहां पर जाकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मजबूत करें, म्युनिसिपैल्टी में जाकर उसको मजबूत करें। लेकिन आज कुछ लोगों का विश्वास है और कुछ लोगों का नहीं कि इस नये चुनाव में ऐसे प्रगतिशील लोग आयेंगे। यह भी कहा गया है कि ग्रांट काफी नहीं दी जाती है। मेरे पास इस किस्म की बहुत सी शिकायतें आई हैं और बुलन्दशहर से भी आई हैं। जिस वक्त तिवारी जी ने इस प्रश्न को उठाया था मैंने उसका जवाब उसी वक्त दिया था और वही फिर कहता हूँ कि हम उस कमेटी के जरिये से जानना चाहते हैं कि कहीं हम अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। जिस अनुपात से उनको मिलना चाहिए कहीं उससे कम तो नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से विचार करने की उस पर गुंजायश होगी। जो कमेटी से तय होगा जैसा जनतन्त्र का कायदा है कि हम अपने विचारों को यहां पेश करते हैं और सदस्यों की जो राय होती है वही रवैय उन कामों के करने में हम बरतते हैं। यह नहीं हो सकता है कि बहुमत की राय गवर्नमेंट न माने लेकिन बहुमत आगे क्या होगा उसके लिए मैं कोई सूचना नहीं दे सकता। मैं स्वयं नहीं जानता हूँ कि भवन की उस समय क्या राय होगी लेकिन मैं आप को विश्वास दिलाता हूँ कि हम बहुमत पर चलना चाहते हैं और जो बहुमत होगा उसमें काम करने के लिए तैयार होंगे। जो सिफारिशात कमेटी करेगी वह अच्छी होगी।

एक सदस्य—यह कमेटी कब तक मुकर्रर होगी?

माननीय स्वशासन सचिव—यह कमेटी शीघ्र ही बनाने का विचार है, शायद दो

चार रोज ही में हो जाय। तो मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कदम उठाया वह इसलिए कि इन बोर्डों को पहले मजबूत बनाकर अच्छे ढंग का बना दिया जाय। दूसरी बात आपकी नीयत के बारे में, विकेन्द्रीयकरण के बारे में जो नीति हो सकती है तो वह तो विकेन्द्रीयकरण होगा देहाती रकबे में। जो ५० हजार पंचायतें बनेंगी वही सच्चा विकेन्द्रीयकरण होगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो गैर एक जिले की छोटी सी संस्था है, उसे आप चाहे कितना ही महत्व दे दें लेकिन २०, २५, ३० आदमियों के नुमाइंदे वहां चुनकर आते हैं और १६००, १८०० गांवों का इन्तजाम कैसे कर सकते हैं। सच्चा विकेन्द्रीयकरण स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं से ही होगा। उस तरफ सरकार ने कदम उठाया है और उनको काफी अधिकार दिये हैं। उनके लिए भी काफी रकम दिलाने के लिए, उनके जरिये से काफी निर्माण का काम करने के लिए शिक्षा के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, अस्पतालों के ऊपर, छोटे-छोटे अस्पतालों के ऊपर जो देहात में होंगे, नियंत्रण करने के लिए उसमें प्रोविजन (व्यवस्था) रखा गया है। यह विकेन्द्रीयकरण का सबसे बड़ा नमूना होगा आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में देखें कि हमने पुरानी एजुकेशन कमेटी को खत्म करने के बाद जनतंत्र में शामिल करने के लिए यहां पर हमने एजुकेशन कमेटी को खत्म किया, स्टेटुटरी कमेटी (वैधानिक समिति) को बन्द किया, उसको खत्म किया, फाइनेंस कमेटी (अर्थ समिति) को खत्म किया। तो यह बिल्कुल प्रगतिशील तरीके से विकेन्द्रीयकरण के सिद्धान्त की तरफ ले जाने वाली चीजें हमने कर दी है। मुझे आशा है कि आप इस भ्रम में न पड़ेंगे, इस भूल में न पड़ेंगे कि विकेन्द्रीयकरण नहीं आया। इस बिल का मकसद तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ताकि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपना प्रबंध ठीक तौर से कर सकें इसी तरफ हमने तवज्जह दी है। इसलिए आप भी इस तरफ ही अपनी तवज्जह सीमित रखें और इस बिल को पास करें।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि सन् १९४८ ई० के संयुक्तप्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के द्वितीय (संशोधन) बिल, पर जैसा कि वह निर्वाचित समिति से संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा १० का संशोधन।

२—संयुक्त प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के ऐक्ट, सन् १९२२ ई० (United Provinces District Board Act, 1992 (जिसे आगे चलकर "मूल एक्ट" कहा गया है) की धारा ३ में वाक्य-खण्ड (५) के बाद निम्नलिखित नया वाक्य-खण्ड (5-A) रक्खा जाय, अर्थात्:—

"(5-A) (i) "Prescribed" means prescribed by or under this Act or rules made thereunder or by or under any other law.

(ii) "prescribed authority" means any person or persons constituting a corporate body appoint-

ted in this behalf by the Provincial Government as prescribed authority."

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा २ बिल का अंश मानी जाय।

श्री फखरुल इस्लाम—जनाब वाला, यह बिल जो ५$\frac{1}{3}$ करोड़ इन्सानों के वास्ते बनाया जा रहा है, उसके मुताल्लिक मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि....

माननीय स्पीकर—आपको इस समय सिर्फ धारा २ के बारे में कहना है।

श्री फखरुल इस्लाम—मैं धारा २ के ही मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूँ।

माननीय स्पीकर—आप क्या इसका विरोध करना चाहते हैं?

*श्री फखरुल इस्लाम—जी हां। जिस जल्दी और तेजी के साथ यह काम किया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि किसी तरीके से जायज और मुनासिब है। अभी सुल्तान आलम खां ने कहा कि इसके लिए सेलेक्ट कमेटी में भी जहमतें पेश आयीं कि एक तारीख मुकर्रर की गयी और उसके पहले ही दूसरी तारीख मुकर्रर कर दी गयी और इस तरीके से उस तारीख पर जिस तारीख के लिए पहले मेम्बरान को मालूम था वह उन तारीखों पर नहीं पहुँच सके। इसलिए यह बिल जो सेलेक्ट कमेटी से भी तैयार होकर हमारे सामने आया है मैं समझता हूँ कि सिर्फ ७ आदमियों की राय इसमें है और वह किसी तौर से भी इस काबिल नहीं है कि वह जिस तौर से हमारे सामने है बावजूद इसके कि आनरेबिल वजीर ने यह ख्वाहिश जाहिर की है और अपनी मजबूरियों का इजहार किया है, यह भवन उन्हें इजाजत दे दे कि वह इस बिल को चन्द मिनटों के अन्दर मंजूर करा लें। मैं चाहता हूं कि इस मसले पर हमारे वजीर साहब फिर गौर कर लें और इस तरह का मौका दें कि भवन इन मसायल पर कुछ सोच समझ कर अपना फैसला दे। आप कानून बनाइये और आप को कानून बनाना भी चाहिए लेकिन आप अपनी जल्दी में यह न करें कि जो कुछ जहमत बाकी रह जाय वह बदस्तूर कायम रहे। दफा २ के अन्दर आपने प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) का जिक्र किया है। इसके पहले भी आप को याद होगा कि एक साल पहले भी आप ने इसी प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी (नियत अधिकारी) का जिक्र पंचायत राज बिल के सिलसिले में किया था और इस हाउस के अन्दर आप से बार-बार यह सवाल किये गये थे, आप से पूछा गया था कि वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) क्या होगी। आया यह कोई नया शख्स बनाया जायगा, कोई कमेटी बनाई जायगी या मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ही होंगे या कोई ऐसे डिप्टी कलेक्टर्स मुकर्रर किये जायेंगे। लेकिन आप ने उस वक्त जवाब देते हुए यह कहा था कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) के बाबत गवर्नमेंट बहुत कुछ सोच रही है और ऐसा तरीका अख्तियार किया जायगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर और उनके हुक्काम जो और दीगर कामों में मशगूल रहते हैं वे सही तौर से म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

के कामों की निगरानी सही तौर से नहीं कर सकते। इसलिए हम एक ऐसी पार्टी बनायेंगे जो उन कामों को देख सकेगी। लेकिन जब आज हम पंचायत राज्य कानून की दफाओं के मातहत यह देखते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) पंचायत राज्य के लिए कहीं तहसीलदार मुकर्रर किये जाते हैं और कहीं-कहीं तो नायब तहसीलदार भी मुकर्रर किये गये हैं तो हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) का जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं हो सकता है कि उसका वही मतलब हो जो कि पंचायत राज्य ऐक्ट के अन्दर है। और इस चीज को देखते हुए हम किसी भी हालत में तैयार नहीं है कि आप की उस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) को मान लें। हमें नहीं मालूम कि आप की प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्या माने रखती है। और क्योंकर मंजूर की जा सकती है जब तक आप इसकी वजाहत नहीं करते। अगर आप ने वह उसूल, जो पंचायत राज्य कानून में रखा है, रखा तो मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि आप के कलेक्टर्स क्या-क्या काम अन्जाम देंगे? आप ने उनके पास सभी काम दे रखे हैं चाहे वह बोर्ड आफ रेवन्यू (माल का बोर्ड) का हो चाहे एजूकेशन का हो, चाहे जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन (शासन) का हो चाहे लोकल सेल्फ-गवर्नमेन्ट (स्व-शासन) का हो, चाहे रोजाना की सप्लाईज का हो तो वह बेचारा कितना काम अन्जाम दे सकेगा। यह जरा सोचने की बात है। आप को मालूम है कि आप के इस सूबे में सिर्फ पांच कमिश्नर्स थे और जैसी हमेशा इस भवन की आवाज रही है कि कमिश्नरों की जगह बेकार है। हो सकता है कि आप कमिश्नरों को और मुकर्रर कर दें लेकिन इस वक्त आप खुद सोचिए, खुद गौर कीजिए कि अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) को आप ने कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया तो उसका क्या नतीजा होगा। किस तरह से काम हो सकेगा यह मेरी समझ में नहीं आता। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड के बजट कमिश्नर के पास जाते हैं और वे महीनों कमिश्नर के बंगले पर और दफ्तर में पड़े रहते हैं और वह किसी तरह से उसको देख नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि एक कमिश्नर के लिए नामुमकिन है कि १५ जिले के म्यूनिसिपल बोर्ड को देखे और पास करके भेज दे। मैं नहीं समझता कि आप क्योंकर इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) लफ्ज के जरिये से ये अख्तियार उन्हें दे सकेंगे और क्योंकर सही तरीके से आप इन बोर्डों की, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्यूनिसिपल बोर्डों की निगरानी कर सकते हैं। अगर हमारे सामने सबूत मौजूद न होता तो भी हम सोच सकते थे लेकिन पंचायत राज्य कानून के मातहत आप ने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को जब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) माना है तो मैं समझता हूँ कि किसी तरह से यह ठीक नहीं है और इसलिए जो आप यह अमेंडमेंट लाये उसकी मैं मुखालिफत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि भवन मेरा साथ देगा और इसे इतनी जल्दी बगैर सोचे समझे कानून नहीं बनने देगा। मैं तो कहता हूँ कि डिमोक्रेसी बड़ी बुलन्द चीज है, ऐसी ऊँची चीज है कि दुनिया के खास स्टैन्डर्ड को ऊँचा करती है लेकिन मैं आप को यकीन दिलाता हूँ कि डिमोक्रेसी इज-बाई इनकम्पीटेन्स (प्रजातन्त्र अयोग्यता पर है)। मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि वह डिमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) का राज्य अच्छा राज्य नहीं जो इनकम्पीटेन्स (अयो-

[श्री फ़ारुल इस्लाम]
ग्या) की बुनियाद पर हो चाहे वह हममे हो, आप में हो, जनता मे हो, हो सकता है कहीं पर हो।

आप इस पर गोर करे और जब आप उन चीजों पर गोर करेंगे और अपना पूरा ध्यान देंगे तभी में समझता हूँ कि आप सही राय पर पहुँच सकते है। इसमें बहुत ही रेवोल्यूशनरी क्लाजेज (क्रांतिकारी धाराएं) आ रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो चेयरमैन मुन्तखिब होगा वह जनता की राय से मुन्तखिब होगा। उसकी बहुत बड़ी ताकत होगी। इसी तौर से जो मेम्बर अब आ रहे है वह बड़ी फ्रेन्चाइज पर आ रहे हैं। में कहता हूँ कि इसके बाद अब जुलाई में बैठक होगी उस वक्त आप इसे पास कर सकते हैं। मई और जून मे कोई काम उनका रुक नही जायगा। कोई कमेटियां किसी को कायम करना नही है। सप्लीमेंट्री बजट (अनुपूरक बजट) नवम्बर मे पेश होगा। जुलाई के अन्दर आप का कानून पास हो जायगा। फिर नये कानून के मातहत सप्लीमेंट्री ग्रांट (अनुपूरक अनुदान) के सिलसिले में अमल होगा। मै समझता हूं कि कोई बहुत बड़ी बुराई या भलाई नहीं होगी। इस लिए मै इस क्लाज की पूरी ताकत के साथ मुखालफत करता हूँ।

*श्री अब्दुल बाकी—सदर मुहतरम, म खड़ा हुआ हूँ और मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। दफा तीन में यह एक इजाफा किया जा रहा है......

माननीय स्पीकर—इस वक्त आपके सामने दफा २ है और उसमें कोई इजाफा नहीं है।

श्री अब्दुल बाकी—ओरिजिनल क्लाज (मूल धारा) तीन है। उसमें कुछ इजाफा है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि असली कानून की दफा तीन तारीफात की है। मैं जब इस तरमीम को पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि दो अल्फाज इसमें बताये गये है। "प्रेस्काइब्ड" (नियत) और "प्रेस्काइब्ड अथारिटी" (नियत अधिकारी) जिनको मिलाकर पढ़ने से यह बात पैदा होती है कि प्रेस्काइब्ड पता नहीं क्या चीज होगी इसलिए जहां तक इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मौजूदा कानून के रूल या दफा का ताल्लुक है जो प्रेस्काइब्ड (नियत अधिकारी) है वही तो समझा जा सकता है तो अगर कोई और कानून है जिसके मातहत प्रेस्काइब्ड (नियत) के माने मुताइयन किये जा सकें तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की तरमीम हरगिज न मंजूर होनी चाहिए जिसमें हमें पता नहीं है कि प्रेस्काइब्ड (नियत) का क्या मफहूम होना चाहिए। दूसरा अल्फाज जो 'प्रेस्काइब्ड अथारिटी' (नियत अधिकारी) है उसके मुताल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि अभी हम एक तरमीम असली कानून में कर चुके है और यह दूसरी तरमीम है। मालूम होता है कि जो लोग तरमीम का मसविदा लाते हैं वह मौजूदा कानून पर गौर करके नहीं लाते हैं। थोड़े थोड़े से वाकयात उनके पेशेनजर होते है और एक तरमीम जल्दी से लाते हैं। मैं समझता हूं कि अब मुल्क की हालत बहुत कुछ बदल चुकी है। अब हमको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में जो तरमीमात करनी है, वह ऐसी तर-

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मौभान करती हैं जो मुश्किल हैसियत रखती हो और जो वोटर और उम्मीदवार हों वह भी एक मुताइयन जगह मालूम कर सकें कि हमको आइन्दा क्या करना है। अगर हम इसी तरीके से हर ६,९ और १२ महीने बाद करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि वोटर न किसी सही राय पर आ सकेंगे और न वह लोग जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम करते हैं। अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) कोई चीज है तो अगर उसे एमेंड (संशोधित) करना था तो उसे मुताइयन हो जाना चाहिए था ताकि वह अपनी राय कायम कर सकें। जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) होगी उसके कायम हो जाने पर इन्तखाब हो जाने के बाद जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इन्तजाम पर और रूल्स (नियम) पर क्या असर पड़ेगा ताकि हम सही राय कायम कर सकें कि ऐसी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) मुनासिब है या नहीं। इस तरमीम के पढ़ने के बाद एक अजीब मसला पैदा होता है कि जिन लोगों ने तरमीम पेश की है उनके सामने कोई ख्याल नहीं है कि कौन सी अथारिटी (अधिकारी) होगी और कैसे इन्तखाब होगा। वह वोटरों में से होगा या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के काम करने वालों में से या गवर्नमेंट खुद होगी। ऐसी मुबहम चीज का आप कोई ताईयुन नहीं कर सके और तरमीम करने वालों के जहन में भी नहीं है। ऐसी चीज दफात में लाना निहायत ही बेमानी चीज है। जब हम तरमीम करने जा रहे हैं और असल कानून की दफा ३ में इजाफा करने जा रहे हैं जिस तरह से दफा ३ में तारीफात की सराहत है और बाजे मफहूम है इसी तरह से तमाम चीजें मुताइयन होतीं और मानी साफ होते। मौजूदा तरमीम के पढ़ने के बाद तसरीह नहीं मालूम होती कि सरकार क्या करने जा रहा है जिससे लोग कुछ राय कायम कर सकें। इसलिए मैं समझता हूँ कि असली कानून में दफा २ में इस गैरमानी चीज के साथ किसी तरह इजाफा करना मुनासिब नहीं है इन अल्फाज के साथ इस दफा २ की जो तरमीमी है मुखालिफत करता हूँ। मेरी राय में किसी हालत में भी इस दफा २ को मंजूर न होना चाहिए।

माननीय स्वशासन सचिव—अध्यक्ष महोदय, इस धारा पर जो एतराज किये गये हैं मैं समझता हूँ कि उनमें कोई तत्व नहीं मालूम होता। मैंने पहले भी कह दिया था कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) का जो शब्द आ गया है उसके माने कलक्टर, कमिश्नर से है और एक कोई ऐसा अधिकारी मुकर्रर करना चाहते हैं या कोई अधिकारी समिति कायम करना चाहते है जिसके हाथ में वह अधिकार हों लेकिन चूंकि उसके बनाने में समय लगेगा और इस बीच में हम कलक्टर और कमिश्नर को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) बनाना चाहते हैं यह सब सफाई देने के बाद भी ख्याल होता है कि शक व शुबह के बिना पर यकीन दिलाना मेरी ताकत के बाहर है। अगर कोई साहब यकीन करना नहीं चाहते तो मैं कैसे विश्वास दिला सकता हूँ और आइन्दा जो लोकल गवर्नमेंट का स्वरूप होने वाला है उसके इंस्पेक्टर मुकर्रर होने वाले हैं। मुझे आशा है कि मेम्बर साहब इस तरमीम को वापिस ले लेंगे।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा २ बिल की अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—३

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा १५ का संशोधन

३—मूल ऐक्ट की धारा १५ की उपधारा निम्नलिखित नया वाक्य-खण्ड (d) बढ़ा दिया जाय, अर्थात्

"(d) that such person was not qualified to be nominated as a candidate for election or that the nomination paper of the petitioner was improperly rejected."

श्री [illegible] इस्लाम—जनाबवाला, इस सेक्शन में भी एक नई दफा इस तौर से बढ़ाई जा रही है कि अगर किसी उम्मीदवार की नामज़दगी का पेपर (नामांकन पत्र) रिजैक्ट (खारिज) हो जाता है तो एलेक्शन पैटीशन (निर्वाचन सम्बन्धी प्रार्थनापत्र) दाखिल किया जा सकता है। यह एक ऐसी बुनियादी दफा थी जो पहले ही से इस कानून में होना चाहिए थी और अगर यह इज़ाफ़ा अब किया जा रहा है उससे सफाई पैदा हो जाती है लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मसले पर अगर आनरेबिल वज़ीर साहब इस तौर से गौर करें कि यह एलेक्शन पैटीशन (निर्वाचन सम्बन्धी प्रार्थनापत्र) नामिनेशन (नामांकन) की बिना पर रिजैक्ट किया जाय तो एलेक्शन न होना चाहिए जब तक कि नामिनेशन पेपर (नामांकनपत्र) का फैसला नहीं होता कि जो रिजैक्ट (खारिज) हुआ है वह सही है या गलत। यह एक बड़ी मामूली सी बात है। एलेक्शन पैटीशन (निर्वाचन सम्बन्धी प्रार्थनापत्र) के रिजैक्शन (खारिज) पर किसी कानून की जरूरत नहीं है बल्कि टैक्निकल ग्राउण्ड पर जज अपनी राय एक दो दिन या एक हफ्ते में दे सकता है। मैं समझता हूँ कि आप इसके लिए इतना मौका दें कि नामिनेशन पेपर के रिजैक्शन के पेपर के बाद एलेक्शन पैटीशन (निर्वाचन सम्बन्धी प्रार्थनापत्र) पर कोई असर न होगा बल्कि जो नामिनेशन पेपर (नामांकनपत्र) रिजैक्ट (खारिज) किये जायें उनको हक हासिल हो कि एक हफ्ते के अन्दर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपनी अपील दायर करें और उसके फैसले के बाद वह पेपर रिजैक्ट (खारिज) हो जायेंगे या वैलिड (वैध) रहेंगे। लेकिन यह तरीका कि एलेक्शन की प्रासेस (कार्यप्रणाली) हो जाने के बाद और खास तौर से अब जो चेयरमन का एलेक्शन होगा और वह आप जानते है कि वह एलेक्शन उस तरह का नहीं होगा कि जैसा अब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में होता आया है कि चन्द पचीस, सैंतीस या चालीस मेम्बर बैठकर उसका इंतखाब कर लें बल्कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन के सिलसिले में एक चेयरमैन को तमाम जिले के अन्दर जो १५,१६ लाख की आबादी होगी वह चुनेगी। आप जानते हैं कि पार्टी लाइन्स पर सैकड़ों कान्सटीटुएन्सीज़ (निर्वाचन क्षेत्र) होंगी और हजारों रुपये खर्च होगा इसके बाद अगर आप टैक्निकल ग्राउण्ड पर नामिनेशन (नामांकन) के रिजैक्शन (अस्वीकृति) के सिलसिले में पूरा एलेक्शन नलिफाई (नकारात्मक) करेंगे तो आप गैर-इंसाफी करेंगे और इस तरह से पार्टीज़, पब्लिक और जनता का काफी वक्त और रुपया बरबाद होगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस दफा को इस तरह से तरमीम करदें कि एलेक्शन पैटीशन जरूर होगा लेकिन एलेक्शन पैटीशन (निर्वाचन सम्बन्धी प्रार्थनापत्र) का फैसला जज एक हफ्ते में कर दें।

इस तरह से आप मकान और पार्टीज को सारा बरबाद होने से बचा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यह एक माकूल बात है और आप इस पर गौर करेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं इस क्लाज की मुखालफत करता हूँ।

माननीय स्वायत्त शासन सचिव—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि फखरुल इस्लाम साहब ने कतई मुनासिब कहा है कि इस बिल पर नामिनेशन पेपर (नामांकन-पत्र) रिजेक्ट (खारिज) हो जाय इस लिए इसका इन्तजाम होना चाहिए कि नाजायज तौर से नामिनेशन पेपर रिजेक्ट न हो लेकिन वह चाहते हैं कि ऐसी सूरत में एलेक्शन भी रोक दिये जाय। ऐसे मौके पर एलेक्शन का रोकना तो एक एब्सर्ड सी बात है जहां तक नामिनेशन (नामांकन) रिजेक्ट खारिज करने के बाद अगर किसी को शिकायत हो तो एलेक्शन पेटीशन (निर्वाचन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र) का अख्तियार देना चाहिए क्योंकि वह नाजायज तौर पर रिजेक्ट खारिज हुआ है गैर-वाजिब तौर पर किसी तरह एलेक्शन पेटीशन (निर्वाचन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र) नहीं लाया जा सकता है क्योंकि उसके लिए काफी इन्तजाम कर दिया गया है। उसके लिए काफी रुपया जमा करना पड़ता है सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अगर एलेक्शन पेटीशन (निर्वाचन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र के लिए इतनी दिक्कतें रखी गई हैं तो कोई खतरा नहीं हो सकता है। बहुत से एलेक्शन पेटीशन (निर्वाचन सम्बन्धी-प्रार्थना-पत्र) हो सकते हैं इस तरह का इनका एतराज गलत है।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ३ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—४

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १० सन् १९२२ ई० की धारा १९ का संशोधन

४—मूल ऐक्ट की धारा १९ की उप-धारा (२) में पूर्णविराम के स्थान पर अल्पविराम रक्खा जाय और तदुपरान्त निम्नलिखित शब्द बढ़ाया जाय:—

"or by a person who claims that his nomination paper was improperly rejected".

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ४ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—५

संयुक्तप्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा १९ का संशोधन।

५—मूल ऐक्ट की धारा १९ की उप-धारा (२) के वाक्य-खण्ड (e) के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य-खण्ड रक्खा जाय:—

"e During the hearing of the case the Court may refer a question of law to the Hlgh Court under Order XLVI of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908, but there shall be no ap-

peal either on a question of law or of fact and no application in revision against or in respect of the decision of the Court.

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ५ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—६

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा ३१ का संशोधन।

६—मूल ऐक्ट की धारा ३१ की उप-धारा (१) में निम्नलिखित नया वाक्य-खण्ड (f) बढ़ाया जाय, अर्थात्:—

"(*f*) or has permanently abandoned or transferred his residence from the area of district concerned unless the member himself resigns his seat with in three months of such abandonment or transfer."

* श्री फखरुल इस्लाम—जनाब वाला, इस क्लाज में एक नयी दफा बढ़ायी गयी है कि अगर कोई शख्स रहता है और अपने रहने की जगह से जहां का वह रहने वाला है हट जाय या दूसरे जिले में रहने लगे तो फिर वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर नहीं हो सकेगा। और उसको गवर्नमेंट चाहे तो तीन महीने के अन्दर निकाल देगी। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि आखिर इस नई दफा को बढ़ाने की क्या जरूरत गवर्नमेंट को पेश आयी। अगर वहां की पब्लिक जहां से वह खड़ा होता है उसे उस सदस्य पर एतमाद है, भरोसा है और वहां का मेम्बर हो जाता है, और वहां का रहने वाला भी नहीं है तो आप यह क्योंकर कह सकते हैं कि वह उसका मेम्बर न रहे। और उसे गवर्नमेंट तीन महीने के अन्दर निकाल दे। इस भवन के मेम्बर अपनी कांस्टीटुएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) के रहने वाले नहीं होते लेकिन उन्हें यह हक हासिल है कि वे जिस कांस्टीटुएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) से चाहें खड़े हो सकते हैं तो मै नहीं समझता कि यह दफा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर क्योंकर है। इसलिए कि अब सवाल अफराद का नहीं है। जब इस मुल्क के अन्दर जम्हूरियत का निजाम चालू नहीं था और विदेशी हुकूमत कायम थी और पार्टी गवर्नमेंट का वजूद नहीं था तब तो आप कह सकते थे कि ऐसी दफा की जरूरत है।

लेकिन जब आप यह देख रहे हैं कि एलेक्शन इनफरादी तरीके पर नहीं होगा, पार्टी से होगा चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो या और कोई दूसरी पार्टी हो। तो फिर ऐसी सूरत में आप यह ऐसी दफा क्यों रखना चाहते हैं। अपने सवालों के बारे में उसकी जाती जिम्मेदारी नहीं है, एक मेम्बर ने क्या काम अंजाम

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

दिया यह आप पहले ही उससे सवाल करना चाहते हैं । इस एवान के अन्दर उस तरफ के बैठने वाले सैकड़ों मेम्बर ऐसे हैं जिन्होंने आज न अपने जबान से कुछ कहा और न किसी मसले पर अपनी राय का इजहार किया । तो क्या आपके कहने के मुताबिक उनकी कान्स्टीटूएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) उनसे यह मतालबा कर सकती है कि जनाब आपको हमने मेम्बर बनाकर वहां पर भेजा और आप इतने वर्षों तक वहां पर रहे तो आप ने कोई लफ्ज भी हमारे भले के लिए नहीं कहा और आप ने कोई भी हमारी मुश्किल इस भवन के सामने या इस गवर्नमेंट के सामने नहीं रक्खा । आपके कहने के मुताबिक अगर वह मेम्बर यहां से अपना ताल्लुक जारी रखता है तो वह अपनी कान्स्टीटूएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) से अलग हो सकता है । मैं समझता हूँ कि जो वह जवाब देगा वह यही होगा कि अगर मैं खामोश रहा तो इससे आप लोगों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मैं इनफरादी तरीके पर तो वहां पर गया नहीं था मैं तो कांग्रेस टिकट पर वहां पर चुन कर गया था । कांग्रेस मिनिस्ट्री के काम को देख कर और गवर्नमेंट ने जो काम किया उससे मुझको तसल्ली थी अगर हमको काम का यकीन हो जाय तो बेहतर है हम उसको वोट अपना दें । जिस पार्टी की सेवा की, बहुत बड़ी खिदमत का अंजाम दिया तो इस तौर पर हमको वोट मिलना चाहिए । इसलिए यह उसूल आपको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर भी लागू करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि यह मुनासिब और सही है। यह तरीका नहीं है कि अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से नैनीताल या गढ़वाल के जिले में या फतेहपुर का रहने वाला एक आदमी किसी दूसरी जगह चला जाता है उस कस्बे में बीमारी की वजह से वह दूसरी जगह जाता है तो आप उसको कह दें कि नहीं आप इसके मेम्बर नहीं हो सकते। मैं यह समझता हूँ कि यह बात बिलकुल गलत है और किसी तौर से मुनासिब नहीं है और यह किसी तरीके से बेहतर न होगा । इस-लिए आप ने जल्दबाजी में यह तमाम काम किया है, सेलेक्ट कमेटी में सिर्फ ७ मेम्बर साहबान ने इस पर नजरसानी की है । इसलिए मैं समझता हूँ कि यह क्लाज आपका निहायत नामुनासिब है । आप उसी तरह पर इस बिल को तैयार करें कि जिससे वह इस बात पर राजी हो सकें और तमाम पब्लिक आंख मूंदकर इस बिल को मंजूर करे । साढ़े पांच करोड़ आदमियों की सियासी जिन्दगी का दारोमदार इस पर मुनहसिर है । इसलिए म इसको मुखालिफत करता हूँ ।

श्री जमशेद अली खाँ—जो तरमीम इस वक्त एवान के सामने है । मुझे अफसोस है कि मैं उससे इत्तफाक नहीं करता । इसके अन्दर तो साफ दिया हुआ है कि जो आदमी मुस्तकिल तौर पर अपनी सकूनत नहीं छोड़ता तो उसको वहां से खड़े होने का अख्तियार है और अगर मुस्तकिल तौर से छोड़ देता है तो वहां से खड़ा नहीं हो सकता । और यह जो मिसाल मेरे पहले के मुकर्रिर साहब ने दी है कि इस भवन के मेम्बर एक जिले के रहने वाले होते हुए भी दूसरे जिले से खड़े हो सकते हैं और दूसरी कान्स्टीटुएन्सी से चुनकर यहां पर आते हैं । तो यह बात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मामले में नहीं चल सकती इस वास्ते कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए लाजिम है कि वह वहां का रहने वाला हो ताकि वहां की मुकामी हालात से वह बखूबी वाकिफ हो । यहां पर एवान में जो मेम्बर दूसरी कान्स्टीटुएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) से खड़े होकर आते

[श्री जमशेद अली खां]

हैं तो यहां पर तो यह बात ठीक हो सकती है इस सूरत से कि तमाम सूबे का इन्तजाम उनके सामने पेश होता है वह किसी सूरत से भी किसी दूसरे जिले से मुन्तखिब होकर आवें लेकिन जब इस एवान के सामने आवेंगे तो सूबे के मुताल्लिक जो भी होगा उस सबकी मालूमात उनको होती रहेगी। बरखिलाफ इसके अगर कोई आदमी किसी दूसर जिले में जाकर रहने लगता है तो वह उन मुकामी हालात से वाकिफ नहीं रहेगा जो कि बहैसियत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर होने के उसको जरूरी हैं और फिर वह सही तरीके पर अपने काम अंजाम नहीं दे सकेगा।

जो तरमीम पेश की गयी है हालांकि मैं उसकी मुखालिफत करता हूँ मगर इसके यह मानी नहीं हैं कि बिल में जो चीजें हैं मैं उन सब की मुखालिफत करता हूँ। बाज चीजें ऐसी हैं जिनसे मैं इत्तिफाक करता हूँ। जो तरमीम मुफ्ती फखरुल इस्लाम साहब ने पेश की है मैं उसकी मुखालिफत करता हूँ।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ६ बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—७

७—मूल ऐक्ट की धारा ३३ और धारा ३४ से शब्द "or of the Education Committee" निकाल दिये जायें।

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा ३३ और ३४ का संशोधन।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ७ बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—८

८—मूल ऐक्ट की धारा ४० में—

वाक्य-खण्ड (a) म शब्द और अंक "except as provided by section 82-A" निकाल दिये जायें।

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा ४० का संशोधन।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ८ बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—९

९—मूल ऐक्ट की धारा ४१ के वाक्य-खण्ड (e) में शब्द "under this Act" जो अन्त में आये हैं, के बाद शब्द "or any other law" बढ़ा दिये जायें।

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा ४१ का संशोधन।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ९ बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—१०

१०—मूल ऐक्ट की धारा ५६ (१) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रक्खी जायः—

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा ५६ का संशोधन।

56. (*a*) There shall be an executive committee of the Board consisting of (i) the president of the board, (ii) vice-presidents of the board, (iii) three members of the board elected by the board and (iv) the presidents of such committee established by the board under provisions of section 56(2) as may be notified by the Government.

(*b*) The Secretary of the board shall be the ex-officio Secretary of such executive committee.

(*c*) The Executive Committee may exercise and shall perform or discharge such powers, duties and functions as are—

(*i*) specified in column 2 of Schedule J and against which the words "shall be exercised by the Executive Committee" have been entered in column 3 of the Sehedule, and

(*ii*) delegated to the Executive Committee by the Board under section 68:

Provided that the Executive Committee may delegate such of its powers, duties or functions to a Tahsil Committee, or any officer of the board as may be prescribed.

(*d*) Notwithstanding anything contained in this Act, the Executive Committee shall perform all the functions of the Finance Committee laid down by this Act,.

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा १० इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—११

११—मूल ऐक्ट की धारा ५८ में प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा ५८ का संशोधन

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ११ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—१२

१२—मूल ऐक्ट की धारा ५९ की उप-धारा (१) में शब्द

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट

"except the Finance Committee' की जगह "except the Executive Committee" लिखा जाय। नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा ५९ का संशोधन

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा १२ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—१३

१३—मूल ऐक्ट की धारा 63-A के स्थान पर निम्नलिखित लेख रक्खा जाय, अर्थात्:— संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा ६३-क का संशोधन।

"63-A. The provisions of this Act with regards to committees of the board established under sub-section (2) of section 56 shall apply to education committee:

Provided first, that in educational matters all powers, duties and functions with the exception of those relating to financial matters vested in or assigned to the Secretary under the Act shall be exercised or performed by the deputy inspector of schools or the sub-deputy inspector of schools in-charge in the district in which there is no deputy inspector, notwithstanding any provision to the contrary in the Act and the Secretary shall be divested of such powers, duties or functions:

Provided secondly, that an appeal shall lie to the President of the Education Committee from all orders passed against a servant of the Board by the deputy inspector of schools, or the sub-deputy inspector of schools incharge in the district in which there is no deputy inspector, in the exercise of his powers under this section within one month from the date on which the order is communicated to such servant:

Provided thirdlly, that the board shall co-opt as a member of the Education Committee a teacher whom the district board teachers of the district may nominate in the prescribed manner."

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा १३ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—१४

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा ६५ का संशोधन।

१४—मूल ऐक्ट की धारा ६५ की उप-धारा (३) के अन्त में निम्न लिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"Provided that unless and until the contract has been duly executed in writing, no work-including collection of materials in connection with the said contract shall be commenced."

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा १४ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—१५

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा ६५–क का मन्सूख किया जाना।

१५—मूल ऐक्ट की धारा 65-A निकाल दी जाय।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा १५ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—१६

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा ६८–क का संशोधन।

१६—मूल ऐक्ट की धारा 68-A के स्थान पर निम्नलिखित धारा रक्खी जाय अर्थात:—

Disputes regarding assignment of powers, duties and functions.

"68-A. In case any doubt arises as to whether the board, the president or the Secretary of the board, the tahsil committee, the executive committee, the deputy inspector of schools or the sub-deputy inspector of schools incharge in the district in which there in no deputy inspector, the district medical officer of health, or the board engineer, if any, is the proper authority for the exercise of any power, the performance of any duty or the discharge fo any function under this Act, the matter shall be referred to the Provincial Government

whose decision shall be final,"

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा १६ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—१७

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन १९२२ ई० की धारा ७४ क संशोधन।

१७—मूल ऐक्ट की धारा ७४ के वाक्य-खण्ड (a) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा १७ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—१८

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा ८२ का संशोधन।

१८—मूल ऐक्ट की धारा ८२ में, (१) शब्द और अंक "72 and 82-A" के स्थान पर शब्द और अंक "and 72" रख दिये जायें (२) अंक "25" के स्थान पर अंक "40" रख दिये जायें;।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा १८ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—१९

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा ८२—क क संशोधन।

१९—मूल ऐक्ट की धारा ८२-क निकाल दी जाय।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा १९ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—२०

२०—मूल ऐक्ट की धारा ८३ में शब्द "other than such as are employed solely or mainly in the educational work निकाल दिये जायें।

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० ई० की धारा ८३ का संशोधन।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा २० इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—२१

२१—मूल ऐक्ट की धारा ९१ में निम्नलिखित वाक्य-खण्ड "(dd)" बढ़ा दिया जाये, अर्थात्:—

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ ई० की धारा ९१ का संशोधन।

"(*dd*) The establishment, management, maintenance or assistance to and inspection of centres of physical culture, cottage industries and other development activities."

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी--मुझे एक थोड़ी सी तरमीम पेश करनी है वह यह है कि मूल ऐक्ट की धारा ९१ में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--(क) मूल ऐक्ट की धारा ९१, उपधारा (c) में शब्द hospital के बाद शब्द "maternity centres and children's clinics" जोड़ दिये जायं।

मुझे एक और तरमीम पेश करनी है। वह यह है कि मूल ऐक्ट की धारा ९१ (dd) में शब्द "activities" के बाद शब्द "and to organize, subject to rules prescribed, Village Volunteer Corps, which already exist under Gaon Panchayats." जोड़ दिये जायं। मुझे इस पर ज्यादा कहना नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि माननीय सचिव महोदय इसको मंजूर कर लेंगे।

माननीय स्वशासन सचिव--मैं इन दोनों तरमीमों को मंजूर करता हूँ।

माननीय स्पीकर--इस समय जो सुझाव श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने रखा है उसको इस धारा में जोड़ने का प्रस्ताव है। आप किस तरह से इसको मिलायेंगे। इसका एक रूप होकर आना चाहिए क्योंकि श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी का जो सुधार है वह धारा ९१ में है। वह आपकी नयी धारा २१ के बारे में नहीं है जो आप ने नयी बनायी है।

माननीय स्वशासन सचिव--धारा ९१ में 'हास्पिटल्स' के बाद 'मैटरनिटी सेन्टर्स एण्ड चिल्ड्रेन्स क्लिनिक्स' जोड़ देना है। मुझे कोई एतराज नहीं है।

माननीय स्पीकर--आप अच्छी तरह से देख लीजिये। मैं सभा को स्थगित करता हूँ। धारा २१ भवन के सामने अभी नहीं रख रहा हूँ, जिसमें ऊबड़ खाबड़ चीज न आ जाये, जिससे बाद को परेशानी हो।

सन् १९४८-४९ ई० के लिये लाइब्रेरी कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा

माननीय स्पीकर--मैं बिला अगली बैठक का समय निश्चित किये हुए आज इस सभा को स्थगित करूँगा परन्तु इसके पहले कि आप लोग उठें मैं एक छोटी सी घोषणा करना चाहता हूँ। आर्थिक वर्ष सन १९४८-४९ के लिए एक लाइब्रेरी कमेटी निम्नलिखित सदस्यों की मैंने बनायी है।

१. श्री वेंकटेश नारायण तिवारी
२. श्री खानचन्द गौतम
३. श्री कमलापति त्रिपाठी
४. श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी
५. श्रीमती अब्दुल वाजिद
६. श्री जैपाल सिंह
७. श्री मुहम्मद शौकत अली खां
८. श्री धर्मदास
९. श्री जगन्नाथ बख्श सिंह

[माननीय स्पीकर]

१०. श्री चन्द्रभाल

११. श्रीमती ऐजाज रसूल

१२. श्री आर० सी० गुप्ता

अब अनिश्चित समय के लिए बैठक स्थगित की जाती है।

(इसके बाद भवन ५ बजकर २४ मिनट पर अनिश्चित समय के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ—

१ अप्रैल, सन् १९४८ ई०

कैलास चन्द्र भटनागर,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त।

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ २२१ पर)

नक्शा जिसका हवाला १ अप्रैल, '४८ के स्टार्ड प्रश्न नं० १११ के उत्तर में दिया गया।

क्रम संख्या	कामदार का नाम	नौकरी की अवधि	योग्यता	जाति	वेतन	वि० वि०
१	२	३	४	५	६	७
					रु०	
१	हिमायत हुसेन	१०॥ वर्ष	उर्दू मिडिल	मुस्लिम	१५	
२	हरपाल सिंह	२॥ "	८वें दर्जे तक	हिन्दू	१५	
३	चन्दन सिंह	२॥ "	उर्दू मिडिल	"	१५	
४	मसूद इलाही	४॥ "	अशिक्षित	मुस्लिम	१५	
५	जाफर हुसेन	२ "	उर्दू मिडिल	"	१२	
६	हरनन्दन स्वरूप	३ "	"	हिन्दू	१५	
७	भगवती प्रसाद	६॥ "	"	"	१५	
८	रामभरोसे लाल	६ "	हिंदी मिडिल	"	१५	
९	अब्दुल शकूर	६ "	उर्दू मिडिल	मुस्लिम	१५	
१०	देवेन्द्रपाल सिंह	४ "	"	हिन्दू	१२	
११	नौबत राय	६ "	हिं० व उ० मिडिल	परिगणित जाति	१५	
१२	मुन्ना लाल	५ "	हिंदी मिडिल	हिन्दू	१५	
१३	जौहरी लाल	४ मास	मिडिल तक	परिगणित जाति	१५	
१४	जियाउद्दीन	२ वर्ष	उर्दू मिडिल	मुस्लिम	१२	
१५	बन्शी सिंह	२ "	हिंदी मिडिल	हिन्दू	१५	
१६	दीपचन्द	६ "	हिंदी मिडिल	हिन्दू	१२	
१७	लाखन सिंह	४ "	हिंदी जानता है	परिगणित जाति		
१८	मद्दू खां	४ "	अशिक्षित	मुस्लिम	१२	
१९	अब्दुल कद्दूस	२ "	उर्दू मिडिल	"	१५	
२०	राम अवतार	४ मास	"	हिन्दू	१२	
२१	साधू राम	२॥ मास	हिंदी मिडिल	"	१२	
२२	रामेश्वर दयाल	३ मास	"	"	१५	
२३	श्याम लाल	३॥ मास	हिंदी उर्दू मिडिल	"	१५	
२४	गोविन्द सिंह	२॥ मास	मिडिल तक	"	१२	
२५	ननशे खां	४॥ मास	चौथा दर्जा	मुस्लिम	१२	
२६	मुरारी लाल	१० मास	मिडिल	हिन्दू	१५	
२७	अइनुद्दीन	१॥ मास	"	मुस्लिम	१२	
२८	छैल बिहारी लाल	१॥ मास	उर्दू मिडिल	हिन्दू	१२	
२९	सूरज नरायन	१॥ मास	हिंदी मिडिल	"	१२	
३०	हिन्दू सिंह	२॥ मास	उर्दू मिडिल	"	१५	

३१	इन्द्र सहाय	८ वर्ष	उर्दू मिडिल	हिन्दू	१५
३२	ज्योति स्वरूप	३ "	"	"	१२
३३	गोपीनाथ	१ "	चौथा दर्जा	"	१२
३४	कुंवरपाल सिंह	१$\frac{1}{3}$ "	उर्दू मिडिल	"	१५
३५	झंडू सिंह	१ "	अशिक्षित	"	१५
३६	हरपाल सिंह	३ "	उर्दू मिडिल	"	१५
३७	बाबूराम	१॥ "	उर्दू हिंदी मिडिल	"	१५
३८	गौरी सिंह	३॥ "	चौथा दर्जा	"	१२
३९	रामलाल	४ "	हिंदी जानता है	"	१५
४०	भीकम सिंह	५$\frac{1}{3}$ "	"	"	१५
४१	इजाजुद्दीन	२ "	उर्दू जानता है	मुस्लिम	१२
४२	रफीक अहमद	६$\frac{1}{3}$ "	उर्दू मिडिल	"	१२
४३	बनवारी लाल	४ "	हिंदी मिडिल	हिन्दू	१२
४४	विश्वम्भर दयाल	२ "	"	"	१२
४५	सियाराम सहाय	३ "	उर्दू मिडिल	"	१५
४६	रामेश्वर दयाल	७ "	उर्दू मिडिल	"	१५
४७	उधल राय	१$\frac{1}{3}$ "	चौथा दर्जा	"	१२
४८	सुखलाल	$\frac{1}{2}$ "	उर्दू मिडिल	"	१५
४९	नाजिर उद्दीन	२ "	अंग्रेजी जानता है	मुस्लिम	१२
५०	राम सिंह १	३ "	उर्दू मिडिल	"	१५
५१	रामसिंह २	३ "	हिंदी मिडिल	हिन्दू	१५
५२	अशर्फी लाल	४ "	उर्दू मिडिल	"	१५
५३	अब्दुल रऊफ	८ "	उर्दू जानता है	मुस्लिम	१५
५४	सरफुद्दीन	१॥ "	"	"	१५
५५	कुंवर बहादुर	३ "	उर्दू मिडिल	परिगणित जाति	१२
५६	नौबत राम	३३ "	हिंदी जानता है	हिन्दू	१२
५७	मुंशी सिंह	१ "	मिडिल पास	"	१२
५८	हर प्रसाद सिंह	१॥ "	उर्दू मिडिल	"	१२
५९	मालखन सिंह		हिंदी जानता	"	१२
६०	अशर्फी लाल	२ "	हिंदी मिडिल	"	१२
६१	शिव सहाय	५ "	"	"	१२
६२	कल्यान	३ "	हिंदी जानता है	"	१२
६३	चौपट राम	१ "	"	"	१२
६४	भवानी सिंह	२ "	उर्दू मिडिल	"	१२
६५	सियाराम	२ "	हिंदी मिडिल	"	१२
६६	सरफुद्दीन	६ "	उर्दू मिडिल	मुस्लिम	१५
६७	नरायन दास	५ "	हिंदी मिडिल	हिन्दू	१२

६८	सलाहुद्दीन	२	"	उर्दू मिडिल	मुस्लिम	१५
६९	भगवान दास	३	"	हिंदी मिडिल	हिन्दू	१५
७०	धरम सिंह	१२	"	हिंदी जानता है	"	१५
७१	अयूम खां	२	"	उर्दू जानता है	मुस्लिम	१२
७२	रामेश्वर प्रसाद	३	"	हिंदी मिडिल	हिन्दू	१२
७३	जगदीश सिंह	३	"	उर्दू मिडिल	"	१२
७४	छोटे लाल	१	"	हिंदी मिडिल	"	१२
७५	शिव सहाय	२	"	"	"	१२
७६	राम सिंह	२	"	"	"	१२
७७	इमनियाजुद्दीन	३	"	उर्दू जानता	मुस्लिम	१२
७८	रामबिहारी लाल	७	मास	उर्दू मिडिल	हिन्दू	१२
७९	जगन सिंह	४	"	हिंदी मिडिल	"	१२
८०	जैद अली	३	"	उर्दू जानता है	मुस्लिम	१२
८१	राम प्रसाद	२	"	हिंदी जानता है	हिन्दू	१२
८२	मुहम्मद युनुस	५	"	उर्दू मिडिल	मुस्लिम	१२
८३	सोहन सिंह	४	"	हिंदी मिडिल	हिन्दू	१२
८४	गंगा राम	२	"	"	"	१२
८५	मगेन्द्र नाथ	६	"	उर्दू मिडिल	"	१२
८६	भगवान स्वरूप	१॥	"	"	"	१२

टिप्पणी—प्रत्येक कामदार ३) रु० साइकिल अलाउन्स और १४) रु० मँहगाई के भत्ता के रूप में पाता है ।

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ २२१ पर)

नक्शा जिसका हवाला स्टार्ड प्रश्न संख्या ११३ के उत्तर में दिया गया है ।

क्रम संख्या	नाम	योग्यता	वेतन	नौकरी की अवधि	डिवीजन में नियुक्ति की तारीख	सन् १९३७-४७ के अन्तर्गत कृषि का प्रत्येक डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट कितने समय तक डिवीजन में रहा	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८
१	मिस्टर सुल्तान सिंह	कृषि कालेज कानपूर का पुराना वर्नाक्यूलर कोर्स पास है ।	संशोधित (सन् १९४७) वेतन का क्रम २५०–२५–४०० योग्यता संबंधी रोक ५०–८५० अब तक वेतन का क्रम निम्नलिखित था २००–२५–३८०–२०–५००–२६–६५०	लगभग २९ वर्ष	३० सितम्बर १९४३ ई० से २२ दिसम्बर सन् १९४५ ई० तक	लगभग दो वर्ष और दो माह	कृषि के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट बरेली के पद का निर्माण सितम्बर सन् १९४३ में हुआ था और वह पद १ मई सन् १९४७ ई० तक रहा
२	मिस्टर जौहरे कैस नकवी	एल० रजा	जैसा ऊपर दिया हुआ है	लगभग २१ वर्ष	२३ दिसम्बर सन् १९४५ ई० से ३० अप्रैल सन् १९४७ ई० तक	लगभग १ वर्ष और ४ माह	

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ २२१ पर)

नक्शा जिसका हवाला स्टार्ड प्रश्न नं० ११४ के उत्तर में दिया गया है।

सर्किल	कामदार के रिक्त स्थानों की संख्या		जातियां जिनके सदस्य रिक्त स्थानों पर नियुक्त किये गये।		
			मुसलमान	हिंदू	परिगणित जातियां।
शारदा सर्किल	सन् १९३७-४७ ई०	६७७	१५९	४७८	४०
पश्चिमीय सर्किल	"	१९७	१७	१७७	३
पूर्वीय सर्किल	"	४७९	७४	३८८	१७
उत्तर-पूर्वीय सर्किल	"	३४०	६०	२७२	८
रोहेलखण्ड और कुमायूं सर्किल	"	५६०	१८८	४१८	२०
बुंदेलखण्ड सर्किल	"	४४९	७४	३७५	–
		२७०२	५०६	२१०८	८८

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ २२२ पर)

नकशा जिसका हवाला स्टार्ड प्रश्न संख्या ११६ के उत्तर में दिया गया है।

क्रम संख्या	एग्रीकल्चर के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्टों (जिन्हें अब १।५।४७ से गजटेड डि० एग्रीकल्चरल अफसर कहा जाता है) के नाम	योग्यता	वेतन	नौकरी की अवधि	हेड क्वार्टर	कार्य क्षेत्र	कार्य तथा कर्त्तव्य	कब से अपने वर्तमान जिले में कार्य कर रहा है (अब कोई डिवीजन नहीं है)	स्थायी या अस्थायी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	श्री ब्रह्म सिंह	बी० एस० सी० (एजी.) एम० ए०	बी	लगभग ८ वर्ष	रायबरेली	खाना ६ मे बनाये हुए प्रत्येक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट	संबंधित जिले के समस्त कृषि संबंधी विकास के इंचार्ज होते हैं। जिसमे बीज गोदामों फार्मों प्लाटों आदि का निरीक्षण भी सम्मिलित है। अपने जिले के आर्थिक लेन देनों के संबध मे वे रुपया निकालने तथा उसके वितरण करने के पदा-	मई सन् १९४७ से	अस्थायी
२	" सद्दीक अहमद सिद्दीकी	एल० एजी०	ए	१८ "	उन्नाव	"		"	"
३	" एजाज हुसेन	बी० एस० सी० (एजी) एसोसियेशन	बी	९ "	हरदोई	"		"	"
३	" बीर सिंह	आई० ए० अ र० आई०	ए	२१ "	खेरी	"		"	"
५	" वासुदेव सहाय	एल० एजी०	ए	२९ "	बदायूं	"		"	"
६	" जोहर कैन नकवी	एल० एजी०	ए	२१ "	पीलीभीत	"		"	"
७	" ए० एस० भटनागर	एल० एजी०	ए	७ "	मुरादाबाद	"		"	"
८	" जे० एन० मिश्रा	बी० ए.स० सी० (एजी.) एसोसियेशन ग्रेजुएट ((नयी दिल्ली)	बी	८ "	भवाली	"		"	"

९	" एच० डी० नैथाली	बी० एस० सी० (एजी). एसोसियेशन आई० ए० आर० आई०	बी	८"	गढ़वाल	"	धिकारी की हैसियत से भी कार्य करते हैं देखिए	"	"
१०	" रईस दुल्हा खां	बी० एस० सी० (एजी.) एसोसियेशन आई० ए० आर० आई०	बी	४"	फैजाबाद	"	सरकारी आर्डर सं० २५९७ का। १२क २३०।४७	"	"
११	" विष्णु शर्मा		जेड	१७ "	सुल्तान पुर	"	ता० १८ अप्रैल ४७	"	स्थायी
१२	" फिदा अली खां		बी	६"	बनारस	"	"	"	"
१३	" विष्णुनाथ सिंह		ए	"	मिर्जापुर	"	"	"	अस्थायी
१४			बी		इलाहाबाद	"	"	"	"
१५			ए	११"	बुलन्दशहर	"	"	"	"
१६	" भूप सिंह	कानपुर कृषि-कालेज का पुराना वर्नाक्यूलर कोर्स	ए	३० "	सहारनपुर	"	"	"	"
१७	" आर० एम० अरोरा	एम० एस० सी० एसोसियेशन आई० ए० आर०आई०	बी	५ "	मथुरा	"	"	"	"
१८	" नरायन सिंह	एस० एजी.	ए	२७ "	बांदा	"	"	"	"
१९	" इब्राहीम किदवई	कानपुर कृषि-कालेज का पुराना वर्नाक्यूलर कोर्स	ए	३१ "	एटा	"	"	"	"
२०	" जै विशुन लाल	एस० एजी.	ए	१२ "	मैनपुरी	"	"	"	"
२१	" विशेश्वर दयाल	एल० एजी.	ए	११ "	बस्ती	"	"	"	"
२२	" आर० बी० राव	एल० एजी.	ए	२१ "	गोंडा	"	"	"	"
२३	" हमी उद्दीन	बी० एस० सी० (एजी) एम० एस० सी०	ए	२६ "	आजमगढ़	"	"	"	"
२४	" हसन लुकमान	असोसिएशन आई० ए० आर० आई०	बी	२ "	देवरिया	"	"	"	"

नोट:—*— इनकी भरती सीधे सीधे की गयी वेतन:—शरह (जेड)—२५०—२५—७५० रु० (ए)—२००—१५—३८०—२०—५००—२५—६५० रु० (बी)—१७५—१२—२७५—१५—४७५—२५—५००रु० १-४-४७ से वेतनकी शरह—२५०—२५—४०० कार्यदक्षता का प्रतिबंध—३०—७०० कार्यदक्षता का प्रतिबंध—५०—७५० रु०

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ २२२ पर)

नकशा जिसका हवाला स्टार्ड प्रश्न नं० ११७ के उत्तर म है

क्रम संख्या	गोदामों का नाम	कितना बीज रखा जासकता है—मनों में।	क्षेत्र जहां प्रयोग किया किया जाता है।
		मन	
१	बदायूं	२,८००	
२	उझानी	२,५००	पांच मील के घेरे के
३	रेवनाई	२,३००	भीतर का क्षेत्र
४	कुमारगांव	२,२००	
५	सराय बलोरिया	२,२००	
६	गोन्त्रा	२,०००	
७	बिल्सी	२,६००	
८	आसफपुर	२,४००	
९	अल्लाहपुर	१,९००	
१०	हदाइन	२,६००	
११	कासिमपुर	२,४००	
१२	इस्लाम नगर	२,३००	
१३	बिसोली	३,०००	
१४	वजीरगंज	१,८००	
१५	रिसोली	२,४००	
१६	फैजगंज	२,४००	
१७	सिकरी कासिमपुर	२,२००	
१८	दातागंज	२,४३०	
१९	घाटपुरी	३,१६५	
२०	किसरवा	३,५९५	
२१	कचला	१,८२२	
२२	निजामाबाद	१,९९५	
२३	सहसवान	२,०४०	
२४	गुन्नौर	१,८२२	

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ २२३ पर)

नक्शा जिसका हवाला स्टार्ड प्रश्न नं० ११८ के उत्तर में दिया गया है।

क्रम संख्या	गोदाम का नाम	किराये पर और सरकारी	मासिक किराया	पक्का या कच्चा	इमारत के मालिक का नाम
			रु०		
१	बदायूं	किराये पर	२०	पक्का	लक्ष्मी नरायन
२	उझानी	,,	३०	,,	गुलजारी लाल
३	रेवनाई	,,	१०	कच्चा	जगन्नाथ प्रसाद
४	कुमार गांव	,,	१५	,,	देवकी नन्दन
५	सरायबलोरिया	,,	१०	,,	भाजन सिंह
६	गोन्त्रा	,,	१२	,,	दया कृष्ण
७	बिल्सी	,,	१५	पक्का	मूलचन्द
८	आसफपूर	,,	१०	,,	ज्ञानसिंह
९	अल्लाहपुर	,,	१५	कच्चा	गंगादीन
१०	रुदाइन	,,	१०	,,	राधेलाल
११	कासिमपुर	,,	१०	पक्का	अब्दुल हसन
१२	इस्लाम नगर	,,	१५	,,	किशोरी लाल जैन
१३	बिसोली	सरकारी	—	,,	सरकारी केन्द्रीय बीज गोदाम
१४	वजीरगंज	किराये पर	१२	,,	मोहन लाल
१५	रिसोली	,,	१०	कच्चा	ओम् प्रसाद सिंह
१६	फैजगंज	,,	१०	,,	ठाकुर दास
१७	सिकरी कासिमपुर	,,	१५	,,	सुलतान सिंह
१८	दातागंज	,,	१०	पक्का	सीता राम
१९	घाटपुरी	,,	१५	कच्चा	सुलतान सिंह
२०	किसरवा	सरकारी	—	पक्का	गवर्नमेंटफार्मबिल्डिंग
२१	कचला	किराये पर	१२	,,	दानधरमजी भागीरथी
२२	निजामाबाद	,,	१५	,,	सुलतान सिंह
२३	सहसवान	,,	१५	,,	बाबूराम सिंह
२४	गुन्नौर	,,	१२	,,	उदय नारायन

संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, सन् १९४८ ई०

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१६२)

अचल सिंह
अजित प्रताप सिंह
अब्दुल गनी अंसारी
अब्दुल बाकी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अलगू राय शास्त्री
असगर अली खां
अक्षयबर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
उदयवीर सिंह
ऐजाज रसूल
कमलापति तिवारी
कालीचरण टण्डन
कुंजविहारी लाल शिवानी
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्ण चन्द्र
केशव गुप्त
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
खानचन्द गौतम
खशवक्त राय
खुशीराम
खूबसिंह
गणपति सहाय
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय
गंगाधर
गंगा प्रसाद
गंगा सहाय चौबे
चतुर्भुज शर्मा
चरण सिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
जगन्नाथ बख्श सिंह
जगन प्रसाद रावत
जमालुद्दीन अब्दुल वहाब
जवाहर लाल रोहतगी
जाहिद हसन
जहीरुल हसनैन लारी
जहूर अहमद
जाकिर अली
जयपाल सिंह
जय राम वर्मा

त्रिलोकी सिंह
दयालदास भगत
दाऊदयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीनदयालु अवस्थी
दीप नारायण वर्मा
धर्मदास, अल्फ्रेड
नफीसुल हसन
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रागनारायण
परागी लाल
प्रेमकिशन खन्ना
फखरुल इस्लाम
फतेह सिंह राणा
फैन्थम, आर्चिबाल्ड जेम्स
फिलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल
फूलसिंह
फैयाज अली
बदन सिंह
बंशीधर मिश्र
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बलभद्र सिंह
बशीर अहमद अंसारी
बादशाह गुप्त
बीरबल सिंह
भगवानदीन
भगवानदीन मिश्र
भगवान सिंह
भारत सिंह यादवाचार्य
भीमसेन
भुवनेश्वरी नारायण वर्मा
मसुरिया दीन
महमूद अली खां
भिखाजी लाल
मुकुन्द लाल अग्रवाल
मुकर्जी, विनय कुमार
मुजफ्फर हसैन
मुनफैत अली
मुहम्मद अदील अब्बासी
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इसहाक खां
मुहम्मद इस्माईल (मुरादाबाद)
मुहम्मद फारूक
मुहम्मद याकूब
मुहम्मद रज खां
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुवीर सहाय
रघुवंश नारायण सिंह
राज कुमार सिंह
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधा कृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन सिंह
राधेश्याम शर्मा
शिव कुमार पाण्डे
रामधर मिश्र
रामचन्द्र सेहरा
रामचन्द्र पालीवाल
रामजी सहाय
रामधारी पाण्डे
राममूर्ति
रामशंकर लाल
रामशरण
रामस्वरूप गुप्त
रामेश्वर सहाय सिंह
रुकनुद्दीन खां
रोशनजमा खां

लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लाखन दास जाटव
लालबहादुर, माननीय श्री
लालबिहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लुत्फ अली खां
लोटन राम
विजयानन्द
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ प्रसाद
विष्णुशरण दुब्लिश
वीरेन्द्र शाह
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकरदत्त शर्मा
शिवदयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिव मंगल सिंह
शिव मंगल सिंह कपूर
शौकत अली खां, मुहम्मद
श्यामलाल वर्मा
श्यामसुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द्र सिंघल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सरदार हुसैन
सर्जन हामिद खां
साजिद हुसैन
सिंहासन सिंह
सुदामा प्रसाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सूर्यप्रसाद अवस्थी
सईद अहमद
हबीबुर्रहमान अंसारी
हर प्रसाद सत्यप्रेमी
हसन अहमद शाह
हसरत मुहानी
हुकुम सिंह, माननीय श्री

माननीय अर्थसचिव श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल भी उपस्थित थे।

सदस्यों का शपथ ग्रहण करना

श्री मुहम्मद अदील अब्बासी ने शपथ ली।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, सन् १९४८ ई०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

मेडिकल रिआर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट

*१--श्री अलगूराय शास्त्री (अनुपस्थित)--क्या सरकारने कोई मेडिकल रिआर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई थी?

माननीय स्वशासन सचिव के सभा मंत्री (श्री चरणसिंह)--जी हां।

*२--श्री अलगूराय शास्त्री (अनुपस्थित)--क्या उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की है? यदि हां, तो क्या सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट के मुख्य मुख्य सुझाव इस सभा के समक्ष उपस्थित करने की कृपा करगी?

श्री चरण सिंह--कमेटी की रिपोर्ट और उसके सुझाव की प्रतियां धारा सभा के सब मेम्बरों को भेज दी गयी हैं।

*३--श्री अलगूराय शास्त्री (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने कमेटी के मुख्य मुख्य सुझावों को कार्यान्वित करन के लिये कोई कदम उठाया है? यदि हां, तो क्या? नहीं तो, क्यों नहीं?

श्री चरण सिंह--स्वशासन सचिव ने अपनी बजट स्पीच म बतलाया था कि उन सुझावों पर क्या कार्यवाही हो रही है।

ऐंटी ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन की प्रांतीय शाखा

*४--श्री अलगूराय शास्त्री (अनुपस्थित)--क्या ऐंटी ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन की कोई प्रांतीय शाखा सूबे में नहीं है?

श्री चरण सिंह--जी ह।

*५--श्री अलगूराय शास्त्री (अनुपस्थित)--क्या सरकार इस एसोसिएशन को सहायता देती है?

श्री चरण सिंह--जी हां।

*६--श्री अलगूराय शास्त्री (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि इस एसोसियेशन की कोई सब कमेटी हाल म इस सूबे में नियुक्त हुई थी?

श्री चरण सिंह--जी हां।

*७--श्री अलगूराय शास्त्री (अनुपस्थित)--क्या उक्त सब-कमेटी ने कोई सुझाव सरकार के सामने रखे थे? वे सुझाव क्या हैं?

श्री चरण सिंह--जी हां। कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है। उसका अनुवाद किया जा रहा है, जो बाद में भेजा जायगा।

*८—श्री अलगूराय शास्त्री (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—प्रान्तीय सरकार ने एक कमेटी से जिसमे निम्नलिखित सदस्य हैं, प्रान्त मे तपेदिक के रोग को दूर करने के लिए एक योजना बनाने के लिए कहा है और उनसे यह भी कहा है कि वे अपनी योजना बनाने के समय टी० बी० एसोसियेशन के सुझावों पर भी विचार करे।

१. डाइरेक्टर आफ मेडिकल ऐंड हेल्थ सर्विसेज

२. डाक्टर आर० एन० टण्डन।
मेडिकल आफिसर इंचार्ज टी० बी० अस्पताल, लखनऊ।

३. एक सदस्य टी० बी० एसोसियेशन का।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में गाय की बलि पर हिन्दुओं की आपत्ति

*१—श्री अब्दुल बाकी—क्या गवर्नमेंट ने इस साल हुक्काम जिला आजमगढ़ को कोई ऐसी हिदायत भेजी थी कि गाय की कुर्बानी का रिवाज भी हो, मगर हिन्दू फसाद के लिए आमादा हों, तो कुर्बानी रोक दी जाय ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लाल बहादुर)—जी नहीं।

*२—श्री अब्दुल बाकी—अगर गवर्नमेण्ट ने ऐसी हिदायत नहीं जारी की है, तो क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतायेगी कि—

(क) हाकिम परगना सगरी ने मौजा अहरूली, थाना जीवनपुर की कुर्बानी गाय बावजूद कदीमी रिवाज के क्यों इस साल रोक दी ?

(ख) मौजा अहरूली मे कुर्बानी गाय पर किन खास हिन्दुओं को एतराज था और वह आमादा फसाद थे ?

(ग) जिन हिन्दुओं की तरफ से फसाद और नुक्से अमन का अन्देशा, था वह अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किये गये और उनके घर म हथियारों की तलाशी क्यों नहीं ली गई ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) जी हां। इसलिए कि हिन्दुओं को यह आपत्ति थी कि पुलिस रिकार्ड गलत है। पिछले साल एक गांव मे धारा १४४ के हुक्म के खिलाफ एक कुर्बानी की गई थी, जिससे इस साल भी बड़ी बेचैनी थी और शांति भंग हो जाने का डर था।

(ख) मौजा अहरूली म गाय की कुर्बानी पर कुछ खास हिन्दुओं को नहीं बल्कि अहरूली मौजा और उसके आस-पास के गांव की आम हिन्दू जनता को आपत्ति थी।

(ग) किसी खास हिन्दू की ओर से झगड़े या शांति भंग होने का डर नहीं था इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। यह सन्देह करने का भी कोई कारण नहीं नहीं था कि हिन्दुओं ने बिला लाइसेंस के हथियार रख छोड़े है इस लिए हथियारों की तलाशी बेकार थी, पर लाइसेंस वालों के हथियार ले लिए गये थ।

*३—श्री अब्दुल बाक़ी—क्या गवर्नमण्ट को इत्तला है कि:—

(क) इस साल मौजा नत्थोंपुर, थाना जीवनपुर, जिला आजमगढ़ के मुसलमान दफा १०७। ११७ जाब्ता फौजदारी गिरफ्तार थे, ताकि गाय की कुर्बानी न करे ?

(ख) जब मुसलमानों को पूरा इत्मीनान दे दिया गया कि गाय, भैंसों की कुर्बानी नहीं करेंगे, तो बकराईद के एक रोज पहले रिहा कर दिये गये?

(ग) बकराईद की सुबह को उनके मकानात की तलाशी पुलिस ने शुरू कर दी और उनको तमाम बकराईद की तयारी का मौका नहीं दिया?

(घ) पुलिस की तलाशी के बाद जब वह ईदगाह की तरफ चले तो नमाज खतम हो चुकी थी और वह लोग नमाज न पढ़ सके?

माननीय पुलिस सचिव--(क) हां, कुछ मुसलमान दण्ड विधि संग्रह (जाब्ता-फोजदारी) की धारा १५१ के अधीन गिरफ्तार किये गये थे, क्योंकि उनके द्वारा गाय की कुर्बानी होने का भय था। पिछले साल धारा १४४ के विरुद्ध यहां एक कुर्बानी की गई थी।

जी हां

(ग) सुबह आठ बजे से पहले ही पुलिस ने कुछ मकानों की तलाशी ली क्योंकि पिछले साल का अनुभव अच्छा नहीं था। यह गलत है कि लोगों को नमाज से रोका गया। हो सकता है कि कुछ लोग खुद ही न गये हों।

(घ) हो सकता है कुछ लोग तलाशी के बाद खुद ही देर से गये हों।

अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधियों के संबंध में आदेश

*४--श्री श्यामलाल वर्मा (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि सरकार ने १५ अगस्त सन् १९४७ ई० से भारतीय स्वातन्त्र्योदय के साथ-साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गयी उपाधियों को मानना छोड़ दिया है?

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविंद वल्लभ पन्त)-- हां।

*५--श्री श्यामलाल वर्मा (अनुपस्थित)--यदि यह सत्य है, तो क्या सरकार ने आवश्यक आदेश-पत्र राजकीय पत्रों में इन उपाधियों का कहीं और कभी भी उल्लेख न करने के लिए निकाल दिये हैं?

माननीय प्रधान सचिव--अगस्त १९४७ में प्रान्तीय सरकार ने यह आदेश निकाल दिया था कि १५ अगस्त १९४७ के बाद सरकारी पत्र व्यवहार में उन उपाधियों का, जो पिछली सरकार द्वारा दी गई थीं, उल्लेख न होगा।

*६--श्री श्यामलाल वर्मा (अनुपस्थित)--क्या इसी आशय के आदेश-पत्र प्रान्त के सभी स्थानीय बोर्डों को भी भेजे जा चुके हैं?

माननीय प्रधान सचिव--हां।

नैनीताल जिले में बनैले हाथियों को नाश करने के आदेश

*७--श्री श्यामलाल वर्मा (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार ने नैनीताल जिले के सरकारी तराई भाबर इलाके में बनैले हस्ति समूह द्वारा फसलों के उजाड़ को रोकने के हेतु इन हाथियों को मारने के अभिप्राय से जिलाधिकारियों को कोई आदेश दिया था?

(ख) यदि यह सत्य है, तो अभी तक कितने हाथी मारे जा चुके हैं?

माननीय माल सचिव (श्री हुकुम सिंह)--(क) जी हां। कुछ खास चुने

हुए शिकारियों को जंगली हाथियों का नाश करने के लिए हथियारों के लाइसेंस देने के लिए आज्ञा जारी की गयी थी।

(ख) किन्तु वास्तव में कोई लाइसेंस नहीं दिया गया और एक भी हाथी नहीं मारा गया।

*८—श्री श्यामलाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि अब सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि इन हाथियों को मारने की अपेक्षा इन्हें पकड़वा लिया जावे? यदि हां, तो यह निश्चय किनकी सम्मति से किया गया और अभी तक कितने हाथी पकड़े गये?

माननीय माल सचिव—एक सम्मेलन (conference) में, जिसमें माल बोर्ड के सीनियर मेम्बर, पश्चिमी सर्किल के कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स, कमायूं के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर तराई और भावर के सरकारी लाकों (Govt. Estates) के सुपरिण्टेण्डेण्ट और पण्डित प्रेमशंकर पेन्याल उपस्थित थे। यह निश्चय किया गया था कि हाथियों को मारने की अपेक्षा जिन्दा ही पकड़ लिया जाना चाहिए। तदनुसार पश्चिमी सर्किल के कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स जेल पद्धति से हाथियों को पकड़ने के लिए कुछ प्रान्तों और भारतीय देशी राज्यों के साथ वार्ता चला रहे हैं। इस पद्धति से काम अभी आरंभ नहीं हुआ और अभी तक एक भी हाथी नहीं पकड़ा गया है।

*९—श्री श्यामलाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि इन हाथियों का विनाशकारी उपद्रव इस वर्ष अभी से (नवम्बर) प्रारम्भ हो चुका है और बहुत से गांवों की खड़ी फसल उजड़ चुकी है?

माननीय माल सचिव—जो रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, उनसे पता चलता है कि वर्तमान रबी की फसल में १३ गांवों को क्षति पहुँची है। अधिकांश में यह क्षति धान और ईख की खेती को ही पहुँची और वह भी कोई बहुत अधिक नहीं थी।

*१०—श्री श्यामलाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इन उजाड़ों के कारण कितने तराई के गांव पिछले ५ सालों में विनष्ट हो चुके हैं?

माननीय माल सचिव—३५।

सदस्यों की स्टैण्डिंग कमेटियाँ बनाने की योजना

*११—श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास कोई योजना है, जिसके अनुसार माननीय मंत्रियों को सलाह देने के लिए असेम्बली के सदस्यों की अलग-अलग स्टैंडिंग कमेटियां बनाई जायें?

माननीय माल सचिव—हां। इस विषय की एक योजना प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली व कौंसिल के सामने उपस्थित की जा चुकी है।

मथुरा जिले के थानों में पुलिस रिपोर्टस का हिन्दी में लिखा जाना

*१२—श्री कृष्ण चन्द्र—क्या गवर्नमेन्ट यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब से हिन्दी में पुलिस रिपोर्ट लिखी जाने की सुविधा सम्बन्धी गवर्नमेन्ट के आदेश जारी हुए हैं, मथुरा जिले के पुलिस थानों में कुल कितनी पुलिस रिपोर्टें दर्ज हुई और उनमें कितनी हिन्दी में लिखी गई?

माननीय पुलिस सचिव—मथुरा जिले के पुलिस थानों में अक्टूबर १९४७ से कुल १९८२ रिपोर्टें दर्ज हुईं जिनमें से १४५६ हिन्दी में लिखी गईं

वृन्दावन में चोरी तथा कत्ल की घटना

*१३—श्री कृष्ण चन्द्र—पिछले छः महीनों में बृन्दावन नगर में कितनी वारदातें चोरी तथा कत्ल की हुई और उनमें से कितनों में पुलिस माल व मुल्जिमों का पता लगाने में सफल हुई ?

माननीय पुलिस सचिव—पिछले छः महीनों में बृन्दावन नगर में चोरी की २५ वारदातें हुईं, जिनमें से केवल ९ वारदातों में माल बरामद हुआ और मुल्जिम पकड़े गये। पिछले छः महीनों में बृन्दावन में कत्ल की कोई वारदात नहीं हुई।

श्री कृष्ण चन्द्र—क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि यह ६ महीने किस तारीख से किस तारीख तक है ?

माननीय पुलिस सचिव—मैं समझता हूँ कि जब से आनरेबिल मेम्बर ने यह सवाल पूछा होगा, उसके पहले से होगा।

*१४—श्री कृष्ण चन्द्र—क्या कोई ऐसी भी शिकायत ऊँचे अफसरों को की गयी कि पुलिस ने बृन्दावन की कितनी ही चोरियों की रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया ?

माननीय पुलिस सचिव—जी नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र—क्या यह सही नहीं है कि ऐसी शिकायत सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस के दफ्तर में मेरी तरफ से तथा और लोगों की तरफ से की गयी थी ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हां, शिकायत की गई थी और आप की तरफ से खत भी गया था।

बृन्दावन थाने में रिपोर्ट का उर्दू में लिखा जाना

*१५—श्री कृष्ण चन्द्र—क्या यह सही है कि बृन्दावन में उर्दू लिखने पढ़ने वाले नहीं के बराबर हैं, फिर भी वहां के थाने में पुलिस रिपोर्टों के हिन्दी में लिखे जाने का अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं है और उर्दू ही में अधिक रिपोर्टें अभी तक लिखी जा रही हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—जी नहीं। बृन्दावन के थाने में पुलिस का सारा काम पहली दिसम्बर सन् १९४७ से हिन्दी में ही हो रहा है।

आगरा म्युनिसिपैलिटी के प्रबन्ध के लिये एक गैर सरकारी कमेटी की नियुक्ति

*१६—श्री कृष्ण चन्द्र—क्या सरकार ने आगरा म्यूनिसिपैलिटी के भावी प्रबन्ध के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटर को हटाकर एक गैर सरकारी चेयरमैन तथा एक कमेटी नियुक्त की है ?

श्री चरण सिंह—सरकार ने केवल एक गैर सरकारी कमेटी नियुक्त की है।

* १७—श्री कृष्ण चन्द्र—इस गैर-सरकारी चेयरमैन और कमेटी के अलहदा अलहदा क्या अधिकार हैं ? कमेटी के कार्य-संचालन और उसके तथा चेयरमैन के पारस्परिक सम्बन्ध को निर्धारित करने के लिए क्या गवर्नमेन्ट ने कोई नियम बनाये हैं ? क्या उन नियमों को गवर्नमन्ट बताने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—कमेटी से पृथक चेयरमन का कोई विशेष अधिकार नहीं।

कमेटी के कार्य-संचालन और उसके तथा चेयरमैन के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में सरकार ने कोई नियम नहीं बनाये ।

श्री कृष्ण चन्द्र--यदि सरकार ने कोई नियम नहीं बनाये है तो किस तरह से काम चलता है? क्या वह मीटिंग मेम्बरान करते है और मीटिंग की कार्यवाही किस तरह से की जाती है?

माननीय स्वशासन सचिव (श्री आत्मा राम गोविन्द खेर)--जी हां, मेम्बर लोग मीटिंग करते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र--मै यह पूछना चाहता हूँ कि मेम्बर्स मीटिंग्स करते है तो मीटिंग करने के सम्बन्ध मे म्यूनिसिपल ऐक्ट मे बहुत से नियम हे, कितने दिन पहले सवाल देना चाहिए, कितने दिन पहले रेजोल्यूशन आना चाहिए। लेकिन इस संबंध मे कोई नियम नहीं है तो किस तरह से काम चलता है?

माननीय स्वशासन सचिव--उन कमेटियों को पूरा अधिकार दिया गया है कि वह अपने मीटिंग के प्रोसीजर तय कर सकती हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र--क्या कमेटी ने अपनी मीटिंग के लिए कोई प्रोसीजर तय कर लिया है कि कौन मेम्बर कौन सा काम करेगा?

माननीय स्वशासन सचिव--अवश्य किया होगा। इसके बारे मे कोई मालूमात नहीं है और अगर मेम्बर साहब जानना चाहते है तो तहकीकात के बाद मे जवाब दे सकूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र--क्या यह सही है कि हर एक मेम्बर ने मिनिस्टर की तरह से स्वतन्त्र चार्ज हर एक विभाग का लिया हुआ है?

माननीय स्वशासन सचिव--जी नहीं। हर एक विभाग किसी मेम्बर के हाथ मे नहीं है। जो मेम्बर कोई कार्यवाही करते है वह कमेटी के सामने पेश होती है और कमेटी उसकी मंजूरी देती है।

म्युनिसिपैलिटियों तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के वैधानिक कार्य बन्द करने के सम्बन्ध में जानकारी

१८--श्री कृष्ण चन्द्र--सयुक्त प्रान्त मे इस वक्त कितनी म्यूनिसिपैलिटियां तथा डिस्ट्रिक्टबोर्ड है, जिनका वैधानिक काम बन्द कर दिया गया है और जिनका प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया है? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनका वैधानिक कार्य कब-कब बन्द किया गया?

श्री चरण सिंह--युक्त प्रान्त मे इस समय निम्नलिखित पांच डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और तीन म्यूनिसिपैलिटियां ऐसी है, जिनका वैधानिक कार्य बन्द कर दिया गया है और जिनका प्रबन्ध सरकार ने उनके सामने दी हुई तिथियों से अपने हाथ मे ले लिया है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम	वैधानिक कार्य बन्द करने की तिथि
१. हमीरपुर	१२ फरवरी सन् १९४०
२. फर्रुखाबाद	२९ जून सन् १९४०
३. बांदा	१३ जुलाई सन् १९४०
४. मुरादाबाद	२६ अगस्त सन् १९४०
५. शाहजहापुर	११ मार्च सन् १९४३

म्यूनिसिपैलिटियों के नाम	वैधानिक कार्य बन्द करने की तिथि
१. आगरा	२० मार्च सन् १९४३
२. मंसूरी	१७ अप्रैल सन् १९४३
३. गोरखपुर	२६ जनवरी सन् १९४४

*१६—श्री कृष्ण चन्द्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह ऐसे बोर्डों के सम्बन्ध मे जनता द्वारा चुनाव क्यों नहीं करा रही है ?

श्री चरण सिंह—प्रश्न संख्या १८ के उत्तर मे दिये हुये डिस्ट्रिक्ट बोर्डो का जनता द्वारा चुनाव अन्य डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव के साथ शीघ्र ही होने वाला है। म्यूनिसिपैलिटियों मे चुनाव म्यूनिसिपैलिटियों के संशोधन बिल के पास हो जाने के पश्चात् शीघ्र ही होना निश्चय हुआ है। इस कारण प्रश्न संख्या १८ के उत्तर मे दी हुई म्यूनिसिपैलिटियों का चुनाव भी तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र—क्या गवर्नमेंट यह बतायेगी कि उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्यूनिसिपैलिटियो के, जो कि सन् १६४३ और १६४४ मे मुअत्तल की गयी थीं, चुनाव इतने लम्बे अरसे तक क्यो नहीं किये गये ?

माननीय स्वशासन सचिव—इसलिए नहीं किये गये थे कि उस वक्त कानून म सुधार की आवश्यकता था और नये चुनाव से कोई अच्छा परिणाम नही होता है।

श्री कृष्ण चन्द्र—गवर्नमेंट को कैसे पता लगा कि नये चुनाव से, जिसमे जनता के प्रतिनिधि आते, उनसे कोई अच्छा परिणाम नही निकल सकता ?

माननीय स्वशासन सचिव—यही पुराने बोर्डों का तजुर्बा था और पुराने जो एलेक्टोरेट थे, उनका तजुर्बा गवर्नमेंट के पास मौजूद था और इसीलिए यह ख्याल किया गया कि नये एलेक्टोरेट जब बना दिये जायंगे उसके बाद चुनाव होना अच्छा होगा।

म्युनिसिपल बोर्डों के सम्बन्ध में नया कानून

*२०—श्री कृष्ण चन्द्र—क्या सरकार बतायेगी कि वह म्युनिसिपैलिटियो के संबंध में नया कानून कब पेश करने वाली है ?

श्री चरण सिंह—म्युनिसिपैलिटियों के संबंध मे संशोधक बिल धारा सभा मे पेश किया जा चुका है।

पिछड़ी जातियों के उत्थान के सम्बन्ध में सरकारी योजना

*२१—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार के सामने पिछड़ी जातियों के सामाजिक उत्थान के लिए कोई योजना है ? यदि है, तो क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना बनाने को तैयार है ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मन्त्री (श्री गोविन्द सहाय)—जी हां। पिछड़ी हुई जातियों को उभारने के लिए जो योजना बनाने का सरकार विचार कर रही है, वह सरकारी आज्ञा-पत्र नं० ५३,५०८ तारीख ५ जनवरी, सन् १६४८ ई० मे दी हुई है और उसकी एक कापी मेज पर रख दी गयी है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७५ पर)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार ने पिछड़ी हुई जातियों की कोई फहरिस्त बनायी है ?

श्री गोविन्द सहाय—जी नहीं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—जो जवाब दिया गया है, उसमें पिछड़ी हुई जातियों के बारे में जो बाते कही गयी है, वह किन जातियों को सरकार समझती है ?

श्री गोविन्द सहाय—जहां तक पिछड़ी हुई जातियों का ताल्लुक है उसके बारे मे जवाब में कहा गया है ।

श्री फखरुल इस्लाम—क्या गवर्नमेंट अहीर, कुर्मी और गड़रिया को पिछड़ी हुई जातियों में समझती है ?

माननीय प्रधान सचिव—गवर्नमेंट सब कम्यूनिटीज को फारवर्ड कम्यूनिटी समझती है । लेकिन जहां तक तालीम का ताल्लुक है, जिसको मदद की जरूरत है उसको देना चाहती है ।

श्री फखरुल इस्लाम—गवर्नमेंट पिछड़ी हुई जातियों की तालीम के बारे में किस तरीके से तवज्जह करना चाहती है ? क्या उसकी कोई स्कीम है ?

माननीय प्रधान सचिव—गवर्नमेंट से जितनी भी मदद हो सकती है और जिन लोगों को मदद का खास जरूरत है, उनको मदद देना चाहती है।

पिछड़ी जातियों की शिक्षा में सुधार

*२२—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या अछूतों की शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने एक स्पेशल सुपरवाइजर नियुक्त किया है ? क्या पिछड़ी जातियों की शिक्षा सुधार के लिए भी सरकार एक स्पेशल सुपरवाइजर रखने का इरादा करती है यदि हां, तो वह कब तक रक्खा जायगा ?

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णानन्द)—कोई स्पेशल सुपरवाइजर अछूतों की शिक्षा में सुधार के लिए नियुक्त नहीं किया गया है और न सरकार अछूत या पिछड़ी जातियों के सुधार के लिए नियुक्त करने का विचार कर रही है ।

जिला जौनपुर के थाना जलालपुर में रिपोर्टों का देवनागरी में लिखा जाना

*२३—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—जिला जौनपुर, थाना जलालपुर, में अक्टूबर १९४७ ई० मे कितनी रिपोर्ट देवनागरी में लिखी गयी और कितनी उर्दू में ?

माननीय पुलिस सचिव—जिला जौनपुर, थाना जलालपुर मे अक्टूबर १९४७ ई० कल ३८ रिपोर्ट लिखी गयी थीं जिनम ३१ देवनागरी लिपि में, ६ उर्दू में और एक अंग्रेजी में लिखी गयी थी

बनारस में नूरउद्दीन शहीद के मकबरे से करोट बाजार को आने वाली सड़क की शोचनीय दशा

*२४—श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला बनारस में जो कच्ची सड़क कन्टून्मेंट के करीब से नूरउद्दीन शहीद के मकबरे से होती हुई करोट बाजार को जाती है, चन्द नालों की वजह से जिन पर पुल नहीं है, नाकाबिल गुजर और निहायत खराब हालत में है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)—जी हां

*२५—श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि उन लोगों ने जिनका ताल्लुक इस सड़क से है, अपने मुकामी एम० एल० एज० साहबान की मारफत ६ महीने से ज्यादा होता है, इस सड़क की दुरुस्तगी के लिए आनरेबिल मिनिस्टर आफ कम्युनिकेशन की खिदमत में एक दरख्वास्त भेजी थी ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या २४ से २६ तक श्री मुहम्मद शकूर ने पूछे ।

मानतीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--कुछ लिख कर नहीं दिया गया, जबानी कहा हो तो याद नहीं ।

*२६--श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतायेगी कि इस दरख्वास्त पर क्या कार्यवाही की गयी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--यह सवाल पेश नहीं होता, इसलिये कि यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की है ।

सिकन्दराबाद म्युनिसिपैलिटी के एक्जीक्यूटिव आफिसर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*२७--श्री बलभद्र सिंह--क्या यह ठीक है कि करीब दो वर्ष हुए, सिकंदराबाद म्युनिसिपल बोर्ड के एक्जीक्यूटिव आफिसर के चरित्र व व्यवहार के खिलाफ जनता की ओर से कुछ शिकायतें अधिकारियों को प्राप्त हुईं तथा दो सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में जांच हुई और उन्होंने बहुत अंश तक उन शिकायतों को ठीक पाया ?

श्री चरण सिंह--जी हां । सिकंदराबाद म्युनिसिपल बोर्ड के एक्जीक्यूटिव आफिसर के विरुद्ध दो तीन वर्ष हुये कुछ शिकायतें हुई थीं और उन पर एस० डी० एम० द्वारा जांच हुई थी । प्रार्थना पत्र म प्रार्थियों के नाम या तो कल्पित थे या थे ही नहीं और उनमें जो शिकायतें थीं, वह अधिकतर प्रमाणित नहीं हुईं । बाकी शिकायतों के संबंध में दुबारा तहकीकात की जा रही है ।

श्री बलभद्र सिंह--जिन शिकायतों के बारे में दुबारा तहकीकात की जा रही है, वह किस तरह की शिकायतें हैं ?

श्री चरण सिंह--एक रेस्टरां लड़ाई के जमाने म सैनिकों की इमदाद के लिए खोला गया था तो उसका हिसाब अभी तक नहीं मिला है । उसके हिसाब म एक्जीक्यूटिव आफिसर ने कुछ गड़बड़ी की है । उसके मुताबिक दुबारा तहकीकात हो रही है ।

श्री बलभद्र सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में हिसाब के रजिस्टर्स किसके कब्जे में हैं ? अभी तक म्युनिसिपल एक्जीक्यूटिव आफिसर के कब्जे में हैं या उनसे ले लिये गये हैं ?

श्री चरण सिंह--गवर्नमेंट के पास जो सूचना है, उससे तो यह मालूम होता है कि अभी तक कोई रजिस्टर नहीं मिला है । इसलिये दुबारा जांच करने में देरी हो रही है ।

*२८--श्री बलभद्र सिंह--क्या सरकार उन तहकीकाती रिपोर्टों का सारांश बताने की कृपा करेगी ?•

श्री चरण सिंह--प्रार्थना पत्र अधिकतर झूठे प्रमाणित हुए ।

*२९--श्री बलभद्र सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि इस संबंध में आग और क्या कार्वाही हुई ?

श्री चरण सिंह--यह प्रश्न नहीं उठता ।

*३०-३५--श्री बलभद्र सिंह--[स्थगित किये गये ।]

स्वामी मग्नानन्द जी को तहसीलदार खागा द्वारा गालियाँ दने, बन्द रखने तथा मारने के सम्बन्ध में जानकारी

*३६ श्री वंशगोपाल (अनुपस्थित)--क्या यह ठीक है कि स्वामी मग्नानन्द

जी सदस्य, प्रा० का० कमेटी उप-प्रधान, जिला कांग्रेस कमेटी, फतेहपुर ने सरकार के पास शिकायत की है कि तहसीलदार खागा, जिला फतेहपुर ने उनको ५ जून, सन् १९४७ ई० को गालियां दीं, बन्द रक्खा और मारा ?

माननीय माल सचिव--जी हां ।

*३७--श्री वंशगोपाल (अनुपस्थित)--क्या स्वामी मग्नानन्द जी तथा जिले के असेम्बली के एक सदस्य ने सरकार से प्रार्थना की कि कोई पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी महोदय मामले की जांच करने के लिए नियुक्त कर दिये जायें ?

माननीय माल सचिव--श्री वंशगोपाल जी एम० एल० ए० ने एक ऐसी प्रार्थना की थी।

*३८--श्री वंशगोपाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि श्री शम्भूनाथ एडवोकेट से जिला कमेटी ने जांच भी कराई और जांच के बाद उन्होंने रिपोर्ट की कि मामला सच्चा था ?

माननीय माल सचिव--श्री शम्भूदयाल एडवोकेट ने जो जांच की थी, उसके बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

*३९--श्री वंशगोपाल (अनुपस्थित)--क्या यह ठीक है कि कमिश्नर ने इस मामले की जांच की ? यदि हां, तो उन्होंने कितने गवाहों के बयान लिए ?

माननीय माल सचिव--कमिश्नर ने जांच की और दो गवाहों के बयान लिए।

*४०--श्री वंशगोपाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार को कमिश्नर के रिपोर्ट की नकल मिल गई ? यदि मिल गई है, तो उसकी एक नकल मेज पर रखने की की कृपा की जावेगी ?

माननीय माल सचिव--सरकार को कमिश्नर की रिपोर्ट मिल गई है, पर खेद है कि इसे मेज पर रखना जनता के हित में ठीक नहीं है।

*४१--श्री वंशगोपाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्यवाही की है या करने का विचार है ? अगर अभी तक कुछ नहीं किया गया, तो सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

माननीय माल सचिव--श्री मग्नानन्द जी ने जो शिकायत की है, उससे पता चलता है कि वह एक फौजदारी का अपराध है और यदि वे चाहें तो किसी अधिकार प्राप्त न्यायालय में दावा कर सकते हैं। मैं स्वयं इस मामले की छान-बीन कर चुका हूँ और तहसीलदार से मिल चुका हूँ, जो अब खागा से बदल दिये गये हैं।

ग्राम गोकम तहसील गाजीपुर के १६ आदमियों का एक कांस्टेबिल पर हमला करने पर चालान

*४२--श्री वंशगोपाल (अनुपस्थित)--क्या यह ठीक है कि ग्राम गोकम, तहसील गाजीपुर में पुलिस ने १६ आदमियों का चालान इस इल्जाम पर किया है कि उन्होंने एक कांस्टेबिल पर हमला किया था ? क्या सरकार बतायेगी कि उस कांस्टेबिल को कितनी चोट आई ?

माननीय पुलिस सचिव--सरकार को सूचना मिली है कि तहसील अथवा जिला गाजीपुर में "गोकम" नामक कोई ग्राम नहीं है और न वहां पर इस प्रकार की कोई घटना हुई।

*४३—श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल—[स्थगित किया गया ।]

मौजा मुहम्मदपुर जिला बनारस के कब्रिस्तान की जमीन के सम्बन्ध में तथा वहां के मुसलमानों को दूसरी जमीन देने के संबन्ध में जानकारी

*४४—श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेन्ट को मालूम है कि मौजा मुहम्मदपुर थाना रोहनियां, जिला बनारस के कब्रिस्तान की जमीन तखमीनन २ एकड़ अरसा तखमीनन ४ साल का हुआ कि गवर्नमेन्ट ने रेलवे लाइन को डबल करने के लिए इस शर्त पर ली थी कि आराजी नं० १४४-बी०, नं० १६३-बी०, नं० १४६, जो इसके करीब है, कब्रिस्तान के लिए लेकर मौजा मुहम्मदपुर के मुसलमानों को दी जायेगी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—४ एकड़ कब्रिस्तान की जमीन सवाल मे बयान किये हुए काम के लिए हासिल की गई थी लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि इस जमीन के बदले मे नं० १४४ अ, १६३ ब और १४६ दिये जायेगे, बल्कि तजवीज यह थी कि नं० १४४,१८३ और १८६ दिये जायें। मगर इन जमीनों मे खेती हो रही थी, इस लिए यह ठीक नहीं समझा गया कि इस नाज की कमी के समय मे इस जमीन को किसी और काम मे लाया जाय। इस लिए यह जमीन नहीं ली गई।

*४५—श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेन्ट को मालूम है कि अभी तक यह जमीन कब्रिस्तान के लिए मुसलमानों को नहीं दी गई ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—आनरेबिल मेम्बर का ध्यान सवाल नं० ४४ के जवाब की तरफ दिलाया जाता है।

*४६—श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेन्ट को मालूम है कि इतने दिनों के बाद दूसरी जमीन देने की तजवीज की जा रही है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—दूसरी जमीन देने का फैसला मई, १९४६ ही में कर लिया गया था।

*४७—श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेन्ट को मालूम है कि इस नई जमीन पर चन्द पेड़ है, जिनकी मिल्कियत गवर्नमेन्ट मुसलमानों को देना नहीं चाहती ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—जी हां, मगर पेड़ तो दूसरे लोगों की मिल्कियत है।

*४८—श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेन्ट को मालूम है कि मुसलमानों ने इस जमीन को लेने से इन्कार किया ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—जी नहीं।

*४९—श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेन्ट मेहरबानी करके यह बतायेगी कि कब तक इसका फैसला होगा, ताकि उस मौजे के मुसलमानों की तकलीफ दूर हो ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—जमीन को लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में लेने की कार्यवाही की जा रही है, चूंकि कब्रिस्तान में काफी जगह है, इसलिए मुसलमानों को मुर्दों के दफन करने मे कोई दिक्कत न होगी।

नोट—तारांकित प्रश्न सं० ४४ से ४९ तक श्री मुहम्मद शकूर ने पूछे।

*५०-५६—श्री श्यामलाल वर्मा—[स्थगित किए गये]

*५७-५८—श्री महावीर त्यागी—[त्याग पत्र दे दिया]

जौनपुर में १९४२ के आंदोलन के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति का ब्यौरा

*५९—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—जौनपुर जिले में सन् १९४२ ई० के आन्दोलन के क्षति स्वरूप कुल कितना रुपया दिया गया? क्या सरकार इस क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में ब्यौरेवार नकशा निम्नरूप में मेज पर रखने की कृपा करेगी?

१	२	३	४	५	६
नाम जिसको क्षति का रुपया दिया गया	ग्राम	तहसील	जात	तादाद रुपया	नाम अदालत जिसने रुपया दिया

माननीय पुलिस सचिव—जौनपुर जिले में सन् १९४२ ई० के आन्दोलन के क्षति स्वरूप कुल ३,०७,५१० (तीन लाख सात हजार पांच सौ दस रुपया) दिया गया है। इस क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में ब्यौरेवार नकशा नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३८१ पर)

श्री दीपनारायण वर्मा—क्या सरकार ने इस क्षतिपूर्ति की दरख्वास्त देने के लिए कोई मियाद मुकर्रर की है?

माननीय पुलिस सचिव—जी हां।

श्री दीपनारायण वर्मा—क्या गवर्नमेंट को यह पता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो समय पर दरख्वास्त नहीं दे सके और अब देना चाहते हैं, उनको कोई मौका दिया जायगा?

माननीय पुलिस सचिव—दरख्वास्त देने की एक तिथि मुकर्रर की गई थी उसके बाद वह फिर बढ़ाई गई थी, उसमें कई महीने का मौका दिया गया। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि उस दरमियान में लोगों ने क्यों नहीं दरख्वास्त दी! ६ करोड़ रुपये का मुआविजा हम दे चुके हैं और अब भी सैकड़ों आदमी हैं; जो दरख्वास्तें देना चाहते हैं। गवर्नमेंट के लिए यह बड़ी दिक्कत की बात है कि फिर हजारों दरख्वास्तें नये तौर पर लें और उन पर गौर करें।

*६०—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—सूबे भर में कुल कितना रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया?

माननीय पुलिस सचिव—सूबे भर में कुल लगभग सात लाख रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया है।

फौज की भर्ती के लिए कुछ जातियों पर सरकार द्वारा रोक

*६१—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार बतलायेगी कि फौज की भर्ती में सरकार ने कुछ जातियों के लिए रोक लगा दी है? यदि हां, तो किन जातियों पर और क्यों?

श्री गोविन्द सहाय--सेना में भर्ती केन्द्रीय सरकार नियमित करती है, जो रक्षा सम्बन्धी नौकरियों पर नियंत्रण रखती है और यह विषय प्रान्तीय सरकार के अन्तर्गत नहीं आता है।

जौनपुर जिले की तहसील मड़ियाहूँ के बीज गोदाम के गबन के सम्बन्ध में जांच

*६२--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या जौनपुर जिले में मड़ियाहूं तहसील के बीज गोदाम के किसी मामले में गबन की जांच डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर महोदय, जौनपुर के सुपुर्द हुई थी, और उन्होंने गबन की ताईद में अपनी रिपोर्ट दी? सरकार उस मामले में क्या कर रही है? क्या वह मामला एंटीकरप्शन कमेटी के सुपुर्द किया गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय कृषि सचिव (श्री निसार अहमद शेरवानी)--जी हां, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर की रिपोर्ट अभी अपूर्ण है क्योंकि कुछ कर्मचारियों और अन्य लोगों के बयान लेना आवश्यक है, जो कि मामले पर प्रकाश डालेंगे। अब जांच का कार्य पूर्वी मण्डल के डिप्टी डायरेक्टर ने अपने हाथ में ले लिया है और शीघ्र ही रिपोर्ट पूर्ण हो जायेगी। मामला एंटी करप्शन कमेटी के सुपुर्द नहीं किया गया क्योंकि अभी डिपार्टमेंट स्वयं जांच कर रहा है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितना अरसा हुआ कि यह जांच शुरू हुई?

माननीय कृषि सचिव--यह मामला मई, सन १९४७ में डिपार्टमेंट के सामने आया था। चूंकि वहां से जो लोग इसमें इनवाल्व्ड थे, उनका तबादला हो गया था, इस लिए इस जांच मे देर हुई।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कब तक यह जांच पूरी होने की आशा है?

माननीय कृषि सचिव--बहुत जल्द।

तिलकधारीसिंह क्षत्रिय कालेज जौनपुर को डिग्री कालेज बनाने के संबंध में सरकार को आवेदन पत्र

*६३--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या श्री तिलकधारी सिंह क्षत्रिय कालेज, जौनपुर की मैनेजिंग कमेटी ने कालेज को डिग्री कालेज बनाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई आवेदन पत्र दिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

माननीय शिक्षा सचिव--(क) जी हां।

(ख) इस पर विचार हो रहा है।

मंत्रियों के पास सरकारी कर्मचारियों द्वारा मांग रखने के संबंध में सरकारी नीति

*६४--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारी सीधे अपने विभाग के मंत्री के पास अपने ऊँचे अधिकारियों की शिकायत या अपनी उचित मांग रख सकते हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपनी वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन करना चाहती है या करने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री गोविन्द सहाय--जी नहीं।

अनुशासन के हित में।

जी नहीं।

इंटर क्लास को पढ़ाने वाले संस्कृत के आचार्य और संस्कृत में एम० ए० अध्यापकों का वेतन

*६५--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार बतलायेगी कि संस्कृत के आचार्य और संस्कृत में एम० ए० अध्यापक जो इंटर क्लास को संस्कृत पढ़ाते हैं, उनका अलग अलग वेतन कितना है? यदि उनके वेतन में भिन्नता है, तो इसका कारण क्या है?

माननीय शिक्षा सचिव--सरकारी विद्यालयों में इस श्रेणी के अध्यापकों का वेतन कमेटी के बाद अभी निश्चय नहीं हुआ है। प्रश्न विचाराधीन है।

सहायता प्राप्त विद्यालयों में एम० ए० जो इंटर कक्षाओं को पढ़ाते हैं, उनका वेतन १५०-१०-१६०-१५-२५० है। आचार्यादि का वेतन १२०-६-१६८-८-२०० है।

विद्यालयों के लिए किस प्रकार के अध्यापक सामान्यतः अधिक उपयोगी होते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर यह भेद रक्खा गया है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या गवर्नमेन्ट यह बताने की कृपा करेगी कि एम०-ए० अध्यापकों की योग्यता किस बात में आचार्य वालों से अधिक है?

माननीय शिक्षा सचिव--मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर इस हाउस में कम-से-कम १५-२० बार दे चुका हूँ। मैं निवेदन कर चुका हूँ कि एम० ए० वाले कई विषयों के जानने वाले होते हैं और आचार्य वाले किसी एक विषय के जानकार होते हैं, इस लिए एम० ए० वाले अधिक उपयोगी पाये जाते हैं।

पुलिस इन्सपेक्टर्स तथा कोर्ट इन्सपेक्टर्स के भत्ते में विभिन्नता

*६६--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार बतलायेगी कि पुलिस इंसपेक्टरों और पुलिस कोर्ट इन्सपेक्टरों के दौरे का अलग-अलग क्या भत्ता दिया जाता है? क्या सरकार भत्ते के दर में कोई परिवर्तन करना चाहती है या इस प्रश्न पर विचार कर रही है?

माननीय पुलिस सचिव--माननीय सदस्य का ध्यान फाइनेन्शल हैण्डबुक (तृतीय जिल्द) की ओर दिलाया जाता है। इस पुस्तक में भत्ते संबंधी सभी कायदे दिये हैं। इन कायदों को बदलने का कोई विचार नहीं है।

सीर की बेदखली के मुकदमों को रोकने की घोषणा

*६७--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय माल सचिव श्री हुकुम सिंह जी ने जौनपुर में जब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा उनको मानपत्र दिया जा रहा था उपस्थित जनता के समक्ष यह घोषणा की थी कि सीर की बेदखली के मुकदमे अविलम्ब रोक दिये जायेंगे? यदि हां, तो क्या कारण है कि वे अब तक नहीं रोके गये?

माननीय माल सचिव--माल सचिव के कहने का आशय यह था कि सरकार सीर के आसामियों से संबंधित बेदखली की कार्यवाहियों को स्थगित करने के प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। सरकार अन्तिम निर्णय भी करीब-करीब कर चुकी है। शीघ्र घोषणा कर दी जायगी।

शरणार्थियों को बसाने तथा धंधे में लगाने के लिये सरकारी योजना

*६८—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—(क) क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि शरणार्थियों को फिर से बसाने तथा उन्हे धन्धे से लगाने की वह क्या योजना कर रही है ?

(ख) सरकार ने अब तक शरणार्थियों के ऊपर क्या खर्च किया है ?

श्री गोविन्द सहाय—(क) एक पुस्तिका की एक प्रतिलिपि जिसका शीर्षक "संयुक्तप्रान्त मे शरणार्थियों का स्वागत, सहायता तथा पुनर्वास" है, मेज पर रख दी गयी है। इसमें सब आवश्यक सूचना दी गयी है।

(ख) दिसम्बर सन् १९४७ ई० के अन्त तक सरकार ने संयुक्त प्रान्त मे शरणार्थियों की सहायता पर ७,५५,७०४ रु० ५ आ० ३ पा० व्यय किया है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए कोई नयी बस्तियां बनवाई जा रही है ?

श्री गोविन्द सहाय—जी हां।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—यह बस्तियां कहां बनवाई जा रही है ? इसकी योजना क्या है ?

श्री गोविन्द सहाय—जो पुस्तिका दी गयी है उसमे यह सब लिखा हुआ है तीन चार जिलों मे काम हो रहा है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या यह सही है कि लखनऊ मे अमीनाबाद पार्क और अमीनुद्दौला पार्क मे शरणार्थियों के लिए दुकाने बनवाने की कोई योजना चल रही है ?

श्री गोविन्द सहाय—जी हां।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या यह सही है कि इस योजना के कारण लखनऊ के दुकानदारों को बड़ी भारी दिक्कत पहुँच रही है ?

श्री गोविंद सहाय—जी नहीं।

शिक्षण संस्थाओं में ईश्वर प्रार्थना रखी जाने के विषय में सरकारी नीति

*६९—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि ईश्वर प्रार्थना के लिए सरकारी तोर पर शिक्षण संस्थाओं मे इस तरह की प्रार्थना रक्खी जाय—जिसमें साम्प्रदायिकता की झलक न हो ?

माननीय शिक्षा सचिव—अभी नहीं।

*७०—८३—श्री कृपाशंकर—[स्थगित किये गये।]

मेसर्स मार्टिन कम्पनी कलकत्ता को संयुक्त प्रांत के नगरों में बिजली की सप्लाई का ठेका

*८४—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मेसर्स मार्टिन कम्पनी, कलकत्ता वालों का बिजली की सप्लाई का ठेका इस प्रान्त मे किस-किस शहर में है ? और किस-किस शहर मे बिजली सप्लाई कम्पनी के मैनेजिंग एजेण्ट है ?

*८५—इन ठेकों और मैनेजिंग एजेंसियों की अलग अलग अवधि क्या है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--एक नक्शा जिसमे मांगी हुई सूचना दी गयी है, आनरेबिल मेम्बर (माननीय सदस्य) की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ग' पृष्ठ ४०३ पर)

मार्टिन कम्पनी के स्टाफ में युक्तप्रांत के निवासियों के सम्बन्ध में जानकारी

*८६--श्री राधा कृष्ण अग्रवाल--मार्टिन कम्पनी के स्टाफ मे और उन कम्पनियों के स्टाफ मे जिनके कि वे मनेजिंग एजेन्ट है, इस प्रान्त के रहने वाले कहां-कहां सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, रेजिडेंट इन्जीनियर और असिस्टेंट रेजिडेंट इन्जीनियर है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--यह सूचना इकट्ठा की जा रही है और जब मिलेगी तो आनरेबिल मेम्बर (माननीय सदस्य) की मेज पर रख दी जायगी।

श्री राधा कृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न नं० ८६ के संबंध मे जो सूचना मांगी गयी है, वह कब तक प्राप्त हो सकेगी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--अगले सेशन तक मिल जायगी।

*८७--श्री राधा कृष्ण अग्रवाल--क्या यह सही है कि मार्टिन कम्पनी वाले इस प्रान्त वालों को खास-खास जगहों पर नियुक्त नहीं करते है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--जी नहीं।

मार्टिन कम्पनी द्वारा इस प्रांत के विद्यार्थियों को बिजली के काम में व्यावहारिक तथा प्रबन्ध सम्बन्धी शिक्षा देने की सुविधा

*८८--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--मार्टिन कम्पनी ने इस प्रान्त के विद्यार्थियों को बिजली के काम में व्यवहारिक शिक्षा तथा प्रबन्ध सम्बन्धी शिक्षा देने की क्या-क्या सुविधा दे रक्खी है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--जब कभी भी सरकार ऐसा आदेश देती है, मेसर्स मार्टिन एन्ड कम्पनी युक्त प्रान्त के मिकेनिकल एन्ड एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्कूलों ओर कॉलेजों से पास होने वाले विद्यार्थियों को आवश्यक ट्रेनिंग के लिए ले लेती है और जब कभी कोई पद रिक्त होता है तो उनको स्थायी पदों पर नियुक्त किया जाता है, बशर्ते कि वे काम कर सकने के योग्य हों।

*८६--६१--श्री कृपाशंकर--[स्थगित किये गये।]

बस्ती में ड्रेनेज स्कीम

*६२--श्री कृपाशंकर--क्या सरकार को मालूम है कि बस्ती मे ड्रेनेज स्कीम चल रही है और इसके लिए युक्त प्रान्तीय सरकार २ लाख रुपया ग्रान्ट तथा इतनी ही रकम कर्जे मे दे रही है ?

श्री चरण सिंह--पानी की निकासी की योजना (ड्रेनेज स्कीम) तैयार करने के सम्बन्ध मे बस्ती शहर टाउन की नाप जोख (सवे) की जा रही है। इस योजना के तैयार हो जाने पर आर्थिक सहायता या कर्जा देने का सवाल तय किया जायगा।

*६३--श्री कृपाशंकर--क्या इस कार्य के लिए बस्ती में श्री ए० के०

राय, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, पब्लिक हेल्थ विभाग, तीसरे डिवीजन, के द्वारा ड्रेनेज का प्लान तैयार करने के लिए सर्वे आफिसर तथा ओवरसियर भेजे गये हैं ?

श्री चरण सिंह—जी हां। श्री ए० के० राय, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, थर्ड डिवीजन, की देख रेख में एक सर्वेयर काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर ओवरसियर और दूसरे कर्मचारी भेजे जाते हैं।

६४—श्री कृपाशंकर—क्या यह सच है कि कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मंत्री ने मि० ... श्री ए० के० राय से कई बार प्रार्थना की गयी है कि ड्रेनेज प्लान बनाते समय भविष्य में बनने वाले मकानों का जिसका ऊपर वर्णन किया गया है, ध्यान में रखें ?

श्री चरण सिंह—जी हां।

९५—श्री कृपाशंकर—क्या यह सच है कि बस्ती में भेजे गये सर्वे आफिसर और ओवरसियर ने इस भविष्य में बनने वाले मकानों का कोई ध्यान न करते हुए लगभग ६० प्रतिशत सर्वे ... कर ली है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। इस समय केवल नाप जोख का काम किया जा रहा है। इसके पूरा हो जाने पर ... (पानी की निकासी) के सम्बन्ध में योजनायें तथा अनुमान तैयार किये जायेंगे और भविष्य में जिन मकानों के बनाये जाने की आशा है, उनके गन्दे पानी की निकासी की ओर पूरा ध्यान दिया जायगा।

९६—श्री कृपाशंकर—क्या सरकार विचार कर रही है कि इस ड्रेनेज स्कीम को पूरा करने से पहिले बस्ती में कोई टाउन प्लानिंग आफिसर भेज दिया जाय जिससे सरकार द्वारा जो रुपया ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च किया जा रहा है, उसका पूरा सदुपयोग हो ?

श्री चरण सिंह—इस समय कोई भी टाउन प्लानिंग अफसर (नगर निर्माण-कर्ता अफसर) नहीं है। परन्तु यदि योजनाओं और अनुमानों के तैयार होने के समय तक कोई ऐसा अफसर नियुक्त किया गया तो उन्हें यह आदेश दिया जायगा कि वे उनकी जांच-पड़ताल करें।

सर्किल इंस्पेक्टर महाराजगंज के विरुद्ध कार्यवाही

९७—श्री सुदामा प्रसाद—[माननीय सदस्य का स्टार्ड प्रश्न संख्या १९ जिसका अन्तःकालीन उत्तर तारीख २२ मई, सन् १९४७ ई० को दिया गया था।]

*१९—मार्च ११ सन् १९४७ ई० के मेरे अनस्टार्ड सवाल नं० ७-१० के जवाब के हवाले के साथ क्या गवर्नमेन्ट कृपा करके बतायेगी कि उसने सर्किल इन्सपेक्टर महाराजगंज जिला गोरखपुर के खिलाफ क्या कारवाही की है ?

माननीय पुलिस सचिव—मुस्तगीस ने स्वयं दफा ४११ ताजीरात हिंद, चोरी का माल लेने का एक मुकदमा सरकिल इंस्पेक्टर पर चलाया था, जिसमें मजिस्ट्रेट ने सर्किल इंस्पेक्टर को जुर्म से बरी कर दिया। अदालत से छूट जाने के कारण डिपार्टमेण्टल कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री सुदामा प्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ११ मार्च, सन् १९४७ के अनस्टार्ड सवाल नं० ७ से १० के जवाब में आज के जवाब के प्रतिकूल सरकार ने यह किस आधार पर जवाब दिया था कि सब-इंस्पेक्टर ने चोरी का माल नहीं लिया।

माननीय पुलिस सचिव--जो पहले तफतीश हुई थी और मुकदमा चला था, उसमें यह साबित हुआ था कि वह भैंस थानेदार ने चुराई थी, लेकिन उसके बाद फिर दूसरी दफा में दावा दायर किया गया और उसमें यह साबित हुआ कि वह थानेदार जिम्मेदार नहीं था। लिहाजा पहले जो जवाब दिया गया था और आज के जवाब में फर्क होना स्वाभाविक है।

श्री सुदामा प्रसाद--क्या सरकार को यह मालूम है कि इस केस के सम्बन्ध में एक दूसरे मैजिस्ट्रेट ने यह फैसला दिया था कि सब इंस्पेक्टर ने चोरी का माल चुराया है?

माननीय पुलिस सचिव--यह तो मैंने आप से खुद जवाब में कहा।

श्री खानचन्द गौतम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिपार्टमेंटल सजा देने के सम्बन्ध में उनकी नीति क्या यह है कि जहां अदालत में जुर्म साबित हो जाय तब डिपार्टमेंटल सजा दी जाती है?

माननीय पुलिस सचिव--ऐसा तो नहीं है, लेकिन जहां अदालत से छूट जाय उसके बाद डिपार्टमेंटल कार्रवाही काफी समझ-बूझ के साथ करनी पड़ती है।

श्री खानचन्द गौतम--इस केस में महाराजगंज तहसील के सब-इंस्पेक्टर के सिलसिले में जब गवर्नमेन्ट के पास यह सूचना थी और तहकीकात में साबित हुआ कि वह चोरी की साजिश में शरीक थे तो डिपार्टमेण्टल सजा देने में क्या दिक्कत है?

माननीय पुलिस सचिव--जैसा मैंने कहा कि जब तक डिपार्टमेण्टल कार्रवाही की बात चली तब तक दूसरा मुकदमा दायर कर दिया गया और उस मुकदमे में थानेदार बरी कर दिया गया था, इस लिए यह कठिनाई पड़ी और डिपार्टमेण्टल कार्रवाही नहीं की जा सकी।

श्री खानचन्द गौतम--क्या मैं यह समझूं कि अदालत से बरी हो जाने के बाद यह सब-इंस्पेक्टर सरकार का पूर्णतया विश्वास-पात्र अफसर समझा जा रहा है?

माननीय पुलिस सचिव--यह बात एक वर्ष से ज्यादा पुरानी हो चुकी है और जब तक उसका कोई काम गलत नहीं होता, तब तक उसका विश्वास करना ही पड़ेगा।

*९८--श्री सर्वजीत लाल वर्मा--[जब त्याग-पत्र दे दिया।]

प्रांत के सरकारी और इमदादी टेकनिकल और शिक्षा संस्थाओं में पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा

*९९--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--[माननीय सदस्य के प्रश्न संख्या ९, १०, ११, और १३ जिनका अन्तःकालीन उत्तर तारीख ५ जून सन १९४७ ई० को दिया गया था।]

*९--क्या सरकार कृपा करके इस प्रान्त के सरकारी और इमदादी,

टेक्निकल और शिक्षा संस्थाओं में पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों की फीसदी बतायेगी ?

*१०—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस प्रान्त में सरकारी और इम्दादी, टेक्निकल और शिक्षा संस्थाओं में पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को कितने फी सदी फ्रीशिप और हाफ फ्रीशिप दी गई ?

*११—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस प्रान्त के सरकारी और इम्दादी टेक्निकल और शिक्षा संस्थाओं में पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों के लिए कितनी फी सदी जगहें सुरक्षित हैं ? क्या सरकार ने इस बारे में कुछ हिदायतें जारी की हैं ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

*१३—क्या गवर्नमेंट कृपा करके नीचे लिखे हुए शीर्षकों के मातहत हाउस के लिए एक ऐसा नक्शा मेज पर रखेगी, जिसमें संयुक्त प्रान्त की पिछड़ी हुई जातियों के बारे में सूचना दी गयी हो ?

विद्यार्थी का नाम वजीफा और दर्जा	जाति	रकम	जिला और पता	संस्था का नाम	टेक्निकल या तालीमी	कैफियत एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल तादाद

माननीय शिक्षा सचिव—सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों का प्रतिशत प्रान्त भर में १३ के लगभग है।

सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त शिल्प संस्थाओं में यह प्रतिशत ६ से ८५ तक है।

सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में पूरी या आधी वृत्तियों का पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों के लिए कोई विशेष नियम नहीं है।

सरकारी शिल्प संस्थाओं में इस प्रान्त के विद्यार्थियों से, वे चाहे किसी भी जाति के हों, कोई फीस नहीं ली जाती। सरकारी सहायता प्राप्त शिल्प संस्थाओं में पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क तथा अर्धशुल्क वृत्तियों का प्रतिशत ५ और ७५ के बीच रहता है।

शिक्षा संस्थाएं (क) सरकारी तथा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों के लिए जगहों का कोई भी प्रतिशत सुरक्षित नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) क्योंकि शिक्षा संस्थाओं में पिछड़ी हुई जातियों के प्रवेश के बारे में कोई विशेष आपत्ति नहीं की जाती।

शिल्प संस्थाएं—(क) सरकारी शिल्प संस्थाओं में पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के लिए जगहों का कोई भी प्रतिशत सुरक्षित नहीं किया गया है, किन्तु उनके प्रवेश को कम से कम २५ प्रतिशत (१) लीविंग स्कालरशिप, (२) जनरल स्कालरशिप और (३) आर्टीजन स्कालरशिप सुरक्षित रखकर, प्रोत्साहित किया जाता है।

(ख और ग)—पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों के लिये जगहें सुरक्षित रखने के संबंध में सरकार ने कोई भी आदेश नहीं जारी किये हैं, किन्तु उनके लिए जो सुविधाएं दी गयी हैं उनकी सूचना संस्थाओं के अध्यक्षों द्वारा किया जाता है।

सहायता प्राप्त शिल्प संस्थाओं में पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित जगहों का प्रतिशत ५ और ७५ के बीच रहता है।

"इस प्रकार का नकशा तैयार करने में बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और नकशे के श्रम के अनुरूप लाभ नहीं होगा। परन्तु, अगर माननीय सदस्य किसी विशेष स्थान के बारे में सूचना चाहते है तो वह जरूर एकत्र कर दी जायंगी।

परतावपुर शकर फैक्टरी में हड़ताल तथा मजदूरों पर जुल्म

[आदि संख्या] *१३ तारीख २-३-४८ *९५ १७-३-४८

*१००—श्री गंगा सहाय चौबे—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि परतावपुर शकर फैक्टरी में तालाबन्दी की घोषणा की है जो अब भी जारी है?

माननीय शिक्षा सचिव—इस फैक्टरी में ५ मार्च १९४७ को एक अवैधानिक हड़ताल हुई जिसके फलस्वरूप मिल मालिकों ने पिछले साल फैक्टरी बंद कर दी। इस साल भी फैक्टरी बंद रही है। परन्तु अभी मजदूरों और मिल मालिकों में एक समझौता हो गया है जिसके अनुसार यह आशा थी कि फैक्टरी तुरन्त चालू हो जायगी। परन्तु इस क्षेत्र में गन्ने की कमी के कारण यह सम्भव न हो सका।

*१४ २-३-४८ *९६ १७-३-४८

*१०१—श्री गंगा सहाय चौबे—क्या इस तालाबंदी से इस बात का डर है कि फैक्टरी के रिजर्वड् जोन (सुरक्षित-क्षेत्र) में पांच लाख मन गन्ना खराब हो जायगा?

माननीय शिक्षा सचिव—मार्च १९४७ ई० में फैक्टरी बंद होने के कारण जो गन्ना पेरा नहीं जा सका उसका ठीक-ठीक अनुमान करना सम्भव नहीं है। परन्तु जांच करने पर यह ज्ञात हुआ है कि जो गन्ना मिल को न ले जाया जा सका वह कोल्हुओं में पेर डाला गया है और इस प्रकार साधारणतः कोई हानि नहीं हुई है।

*१५ २-३-४८ *९७ १७-३-४८

*१०२—श्री गंगा सहाय चौबे—क्या यह सच है कि परतावपुर शकर फैक्टरी के १६ मजदूर ६ मार्च की सुबह को गिरफ्तार किये गये थे, क्या यह भी सच है कि इनमें से ५ आदमियों का ५ मार्च को आराम (रेस्ट) का दिन था? गवर्नमेंट को कैसे मालूम है कि वह भी ६ मार्च को हड़ताल करेंगे?

माननीय शिक्षा सचिव—इस प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर "हां" है। यह ज्ञात नहीं हो सका है कि पकड़े गये व्यक्तियों में से ५ व्यक्ति ५ मार्च १९४७ को मिल में काम पर नहीं थे।

*१६ २-३-४८ *९८ १७-३-४८

*१०३—श्री गंगा सहाय चौबे—क्या यह भी सही है कि १६ आदमी फैक्टरी इन्जीनियर के रहने के क्वार्टर के एक छोटे से कमरे में ४८ घंटे तक बंद रखे गये थे और जब कभी वे नित्यक्रिया के लिए बाहर निकलते थे उन्हें हथकड़ियां डाल दी जाती थीं?

माननीय शिक्षा सचिव—इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर "हां" है और दूसरे भाग का "नहीं" है।

*१७ २-३-४८ *९९ १७-३-४८

*१०४—श्री गंगा सहाय चौबे—क्या यह सही है कि मिल की बिजली की रोशनी इन मजदूरों के लिए बंद कर दी गयी थी और राशन की दूकान बंद हो गयी थी?

आदि संख्या *१८ तारीख २-३-४८ *१०० १७-३-४८

माननीय शिक्षा सचिव--जी नहीं। फैक्टरी के बंद होने के कारण मजदूरों को बिजली का प्रकाश एक ट्रैक्टर चलाकर दिया गया जो कि मिल मालिकों के पास था।

*१०५--श्री गंगा सहाय चौबे--इन मजदूरों के क्वार्टरों को घेरने के लिए कितनी पुलिस और फौज तैनात की गयी थी ?

माननीय शिक्षा सचिव--कोई सेना नहीं भेजी गयी थी। परन्तु थोड़े से पुलिस के आदमी शांति स्थापित रखने के लिए नियुक्त किये गये थे। पुलिस वालों ने मजदूरों के घरों को घेरा नहीं था और न ऐसा करने की आवश्यकता ही थी।

*१९ २-३-४८ *१०१ १७-३-४८

*१०६--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या यह सही है कि (मिल के) प्रबंध विभाग ने मुस्तकिल कर्मचारियों को यह आज्ञा दी है कि वे अपने रहने के क्वार्टरों को १२ घन्टे और २४ घन्टे की नोटिस पर खाली कर दें ?

माननीय शिक्षा सचिव--हां। फैक्टरी के कुछ कर्मचारियों से कहा गया था कि एक निश्चित समय के अन्दर अपने घर खाली कर दें।

*२० २-३-४८ *१०२ १७-३-४८

*१०७--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या यह सही है कि गिरफ्तार किये गये इन १६ मजदूरों के विरुद्ध मुकदमे अभी तक देवरिया की अदालत में विचाराधीन है।

माननीय शिक्षा सचिव--जी नहीं। इन मुकदमों का अब निर्णय हो चुका है।

*२१ २-३-४८ *१०३ १७-३-४८

*१०८--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या यह सच है कि यूनाइटेड प्राविंसेज और बिहार चीनी मिल मजदूर फेडरेशन और परतावपुर चीनी मिल यूनियन के द्वारा हड़ताल का नोटिस फैक्टरी में फरवरी १२, सन् १९४७ ई० को दिया गया था ?

माननीय शिक्षा सचिव--जी हां।

*२२ २-३-४८ *१०४ १७-३-४८

*१०९--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या यह सही है कि परतावपुर शुगर फैक्टरी के मजदूर मार्च ४, सन् १९४७ ई० को सुबह ८ बजे हड़ताल करने वाले थे, लेकिन मैनेजर के प्रार्थना करने पर उन्होंने उसे महान क्षति से बचाने के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा है, २४ घंटे के लिए हड़ताल स्थगित कर दी ?

माननीय शिक्षा सचिव--जी हां। उन लोगों ने ५ मार्च १९४७ से हड़ताल कर दी थी।

*२३ २-३-४८ *१०५ १७-३-४८

*११०--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या यह ठीक है कि उन ११ प्रश्नों का निर्णय करने के लिए, जो परतावपुर यूनियन द्वारा ३१ जनवरी, सन् १९४७ ई० को पेश किये गये मांगों के आधार पर तैयार किये गये थे, ८ फरवरी, सन् १९४७ ई० को एक मध्यस्थ द्वारा निर्णय करने का आदेश (एडजुडिकेशन आर्डर) दिया गया था ?

माननीय शिक्षा सचिव--जी हां।

*२४ २-३-४८ *१०६ १७-३-४८

*१११--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या यह सच है कि इस फैसले को पहले मार्च २५, १९४७ ई० तक समाप्त कर देने का आदेश दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट के तारीख १५ फरवरी, सन् १९४७ ई० के हुक्म के द्वारा चीनी के कारखानों में, मजदूरों के झगड़ों के साथ विचाराधीन फैसले मार्च १, सन् १९४७ ई० तक समाप्त करने का आदेश दिया गया ?

माननीय शिक्षा सचिव--जी हां।

*११२--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या यह सच है कि फरवरी १२, सन् १९४७ ई० को परताबपुर चीनी मिल मजदुर यूनियन ने जनवरी ३१, सन् १९४७ ई० को पेश की गई मांगों के नोटिस को वापस ले लिया और मैनेजर को सूचित कर दिया कि फैसलों की कार्रवाइयों को मंसूख किया गया समझना चाहिए ?

आदि संख्या *२५ तारीख २-३-४८ *१०७ १७-३-४८

माननीय शिक्षा सचिव--जी हां। लेबर कमिश्नर के पास इस प्रकार का नोटिस गया था।

*११३--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या यह सच है कि वापस ले लेने की इस नोटिस का जवाब न तो फैक्टरी के मैनेजर ने दिया और न लेबर कमिश्नर ने? क्या यह सच है कि १२ फरवरी, सन् १९४७ ई० को फैक्टरी के मैनेजर ने मि० विश्वनाथ श्रीवास्तव, सेक्रेटरी, से जबानी बात चीत मे यूनियन द्वारा वापस ले लेने की नोटिस पर हर्ष प्रकट किया और उससे सहमत हुए ?

*२६ २-३-४८ *१०८ १७-३-४८

माननीय शिक्षा सचिव--जी नहीं। देवरिया के जिलाधीश और निर्णायक ने परताबपुर चीनी मिल मजदूर यूनियन को यह सूचना दे दी थी कि निर्णय कराने की आज्ञा मे कोई परिवर्तन नहीं होगा। सरकार को यूनियन के मंत्री और फैक्टरी मैनेजर के बीच मे हुई बातों का कोई ज्ञान नहीं है।

*११४--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या यह सच है कि ८ फरवरी, सन् १९४७ ई० के एडजुडिकेशन के हुक्म में दी हुई एडजुडीकेशन की कार्रवाईयां मार्च १, सन् १९४७ तक शुरू नहीं की गई थीं ?

*२७ २-३-४८ *१०९ १७-३-४८

माननीय शिक्षा सचिव--जी हां।

*११५--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या यह सच है कि मेसर्स बेग सदरलैण्ड कम्पनी ने फैक्टरी के बन्द करने का कारण ईंधन की कमी बताया ?

*२८ २-३-४८ *११० १७-३-४८

माननीय शिक्षा सचिव--जी हां।

*११६--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या यह सच है कि परताबपुर यूनियन ने केन कमिश्नर और प्रधान मंत्री को यह तार दिया था कि फैक्टरी म जो ईंधन मौजूद है उससे वह चौबिस घण्टे के भीतर ईख पेरने के काम को शुरू करने की जिम्मेदारी लेती है और इस बातकी भी जिम्मेदारी लेती है कि बाकी कुल ५ लाख मन ईख की खोई और उस ईंधन से पेरेगी जो आस-पास से मिल सके ?

*२९ २-३-४८ *१११ १७-३-४९

माननीय शिक्षा सचिव--इस विषय पर कोई सही सूचना उपलब्ध नहीं है।

*११७--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या यह सच है, परताबपुर शुगर फैक्टरी ने अपने यहां काम करने वाले एक हजार आदमियों को यह नोटिस दी है कि उसे इस समय उनके काम की जरूरत नहीं है ?

*३० २-३-४८ *११२ १७-३-४८

माननीय शिक्षा सचिव--फैक्टरी वालों ने अपने मजदूरों को एक बड़ी संख्या को मार्च १९४७ म अवैधानिक हड़ताल करने के कारण अलग कर दिया था। अब मिल मालिकों और मजदूरों में इस झगड़े का समझौता हो गया है जिसके फलस्वरूप मजदूरों को उपयुक्त हरजाना दिलाया गया है।

*११८--श्री गंगा सहाय चौबे--सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार कर रही है ?

*३१ २-३-४८ *११३ १७-३-४८

मानतीय शिक्षा सचिव--पिछले वर्ष सरकार ने फैक्टरी के प्रबन्ध-कर्ताओं पर मुकदमा चला दिया था। परन्तु मजदूरों और मिल मालिकों में समझौता होने के फलस्वरूप और विशेषतः लेबर यूनियन की प्रार्थना पर यह मुकद्दमा अब वापस ले लिया गया है इस प्रकार अब यह झगड़ा आपस के समझौते से पूर्ण रूप से निपट गया है।

श्री शीतला प्रसाद सिंह के निधन पर शोक संवाद

माननीय प्रधान सचिव--माननीय स्पीकर महोदय, मुझे खेद है कि जब हमारा असेम्बली का आखिरी इजलास खत्म हुआ था उसके बाद हमारे एक साथी श्री शीतला प्रसाद सिंह का स्वर्गवास हो गया। वह सुलतानपुर से हमारे यहां के सदस्य थे और हमारी पार्टी के सदस्य थे। वे ठोस काम करने वाले थे और देश की आजादी की जंग में उन्होंने काफी कुरबानी की, हमेशा उसमें आगे रहे और हमारे देश में १५ अगस्त से जो आजादी आई उसके हासिल करने में उनका बराबर पूरा सहयोग रहा। उन्होंने हर तरह से उसके लिए तकलीफ बरदास्त की और उन्हें कम-से-कम अपनी जिन्दगी में उस आजादी के दिन को देखने का मौका मिला। वह हमारे एक बहुत माननीय सदस्य थे। खेद है कि कुछ दिनों की बीमारी के बाद उनका बहुत जल्द बिना किसी पहले के आसारों के देहान्त हो गया। मैं हाउस की तरफ से, जो कि तकलीफ उन्हें पहुँची है उस पर अफसोस जाहिर करता हूँ और आप से निवेदन करता हूँ कि उनके कुटुम्बियों को हमारी तरफ से सहानुभूति पहुँचा दें।

श्री जहीरुल हसनैन लारी--मोहतरिम स्पीकर साहब, अभी पिछली बैठक में हमने सुलतानपुर के मोअज्जिज मेम्बर महबूब हुसेन साहब की वफाअत पर ताजियती रेजोल्यूशन पास किया था। यह सुलतानपुर की बदकिस्मती है कि उसके दूसरे मेम्बर भी इस दरमियान में फौत हो गये। वह इस एवान म बहुत खामोश रहते थे लेकिन अपने हल्के के अन्दर जो उन्होंने काम किया और जिसका तजकिरा हमारे वजीर आजम साहब ने फरमाया, उससे मालूम होता है और हर शख्स जानता है कि वह निहायत ठोस काम करते थे। हमें उनके पसमांदगान के साथ पूरी हमदर्दी है और जिन जजबात का इजहार हमारे वजीर आजम साहब ने किया है मैं उसकी पूरी ताईद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी तरफ से और नीज एवान की तरफ से जनाब स्पीकर साहब हमारे हमदर्दी के पैगाम उनके पसमांदगान तक पहुँचा देंगे।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह--श्रीमान्, प्रधान मंत्री के सहानुभूति के शब्दों का मैं अपने सहानुभूति के शब्दों से अनुमोदन करता हूँ। मुझे आशा है कि हम सब की ओर से उनके दुखित परिवार को हमारी सहानुभूति की सूचना भेज दी जायगी।

माननीय स्पीकर--स्वर्गीय श्री शीतला प्रसाद सिंह को मैं निजी रीति से जानता था। मेरे साथ वे सन् १९४२ के आन्दोलन में जेलखाने में रहे थे। वे बहुत सीधे आदमी थे। बहुत कम बोलते थे, लेकिन मेरे हृदय में यह विश्वास था कि वे बहुत अच्छे, सच्चे और नेक काम करने वाले हैं। मैंने जब समाचार पत्रों में पढ़ा कि उनका स्वर्गवास हो गया है तो स्वभावतः मेरे हृदय को बहुत क्लेश हुआ। जो शब्द अभी प्रधान सचिव ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहें है उनके साथ मैं सहमत हूँ और आप की आज्ञा के अनुसार मैं इस सभा का शोक उनके कुटुम्बियों तक पहुँचा

दूंगा । मेरा निवेदन है कि सब सदस्य एक मिनट के लिए खड़े होकर अपना शोक प्रकट करें ।

(सब सदस्य एक मिनट के लिए खड़े हो गये)

श्री आर० डी० भारद्वाज के निधन पर काम रोको प्रस्ताव

माननीय स्पीकर—मेरे पास श्री जमालुद्दीन अब्दुल वहाब साहब का एक प्रस्ताव आया है जिसमें उन्होंने इस सभाके काम को रोके जाने की प्रार्थना की है, उनका कहना है कि—

"मेरा निवेदन है कि नीचे लिखे मसले पर जो फौरी और अवामी अहमियत रखता है बहस करने के लिए असेम्बली का जलसा मुल्तवी किया जाय । विषय यह है कि देहरादून में आर० डी० भारद्वाज की ऐसी हालत में गिरफ्तारी जब कि वह सख्त बीमार थे और उनकी नजरबन्दी जिसकी वजह से वह जेल में मर गये ।"

***श्री जमालुद्दीन अब्दुल वहाब**—जनाब वाला, मैंने यह तहरीकेइल्तवा इस लिए पेश की है कि देहरादून में एक बीमार सयासी कारकुन जो कम्यूनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखता था, मिस्टर भारद्वाज, जिनसे एवान के तमाम लोग वाकिफ हैं और वह लोग ज्यादा वाकिफ हैं जो हुकूमत में बैठे हैं । उनको ४ अप्रैल को ऐसी हालत में गिरफ्तार किया गया जब कि वह १०४ डिग्री बुखार में पड़े थे और वह दो तीन दिन के बाद ही जेलखाने में गुजर गये । यह हादसा एक शख्स के साथ पेश आया लेकिन उसने बहुत से मसले पैदा कर दिये हैं । इससे मालूम होता है कि गिरफ्तार करते वक्त किस कदर बेरहमी की जाती है और नजरबन्दों के साथ जेल में कैसा सलूक होता है और यह भी जाहिर होता है कि जो लोग जेल में नजरबन्द होते हैं और बीमार होते हैं तो उनको क्या-क्या सहूलियतें दी जाती हैं और क्या डाक्टरी इंतजाम होता है ।

माननीय स्पीकर—इस वक्त आप सिर्फ इसी पर बोलिये कि यह मसला क्यों जरूरी है ?

श्री जमालुद्दीन अब्दुल वहाब—वह तो मर चुके हैं लेकिन इस मसले की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि जो जेलों में हैं और जिनकी जानें खतरे में हैं और अगर वही सलूक औरों के साथ होगा, जो मिस्टर भारद्वाज के साथ हुआ, तो उनके लिए भी खतरा होगा । इसलिए बहस करने के लिए यह वाकयात इतने काफी हैं कि हमें आज पहले उन पर बहस करना चाहिए कि वह क्यों गिरफ्तार किये गये । कुछ दिन हुए कि वजीरेदाखिला ने तहकीकात करने का वादा किया था लेकिन मैं अर्ज करता हूँ कि—

मुकर जाने का जालिम ने निराला ढंग निकाला है,
सभों से पूछता है किसको किसने मार डाला है ।

आप उनके वारण्ट और गिरफ्तारी के लिए दस्तखत करें और गिरफ्तार करने के बाद मुकर जायं तो—

माननीय स्पीकर—इस वक्त आप सिर्फ इस बात पर बोलिए कि इस वक्त इस मसले पर बहस करना मुनासिब है । इस वक्त तो मैंने आपको इसीलिए बुलाया है और अगर मंजूर हो जाय तो उस वक्त आप ज्यादा ब्यौरे के साथ बोल सकते हैं ।

---

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

श्री जमालुउद्दीन अब्दुल वहाब--मैं समझता हूं कि यह वाकया सख्त और फौरी अहमियत रखता है और इस पर बहस आज ही होनी चाहिए।

माननीय प्रधान सचिव--मैं मोहरिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होने यह मामला यहां पेश किया है। जहां तक एडजर्नमेंट मोशन (काम रोको प्रस्ताव) का ताल्लुक है उसमे यह नहीं आता क्योंकि उनकी वफात हो गयी और एक कानून के मुताबिक उनका डिटेन्शन हुआ और वह कानून यहां से पास हो गया। मगर मैं बहुत सख्त इजहारे अफसोस करता हूँ कि भारद्वाज की इस तरह वफात हुई जिसका मुझको, सरकार को और हम सब लोगों को बड़ा रंज है। हममे से बहुत से भारद्वाज को खुद जानते थे ओर उनसे हमारे जाती ताल्लुकात भी थे। मै भारद्वाज के उन कामों की कद्र करता हूँ जो उन्होने पब्लिक के लिए किये। ऐसे नौजवान का इस तरह से मर जाना अफसोस की बात है और मै उनके घर वालों से भी और छोटे बच्चों से, बेवा से, काफी हमदर्दी रखता हूँ। जहां तक इस मसले का ताल्लुक है, वह कम्यूनिस्ट पार्टी के एक लीडिंग मेम्बर थे ओर उस पार्टी ने कुछ इस किस्म की कार्यवाही की, खास तौर से आखीर मे जो उनका जलसा हुआ उसमे उनके पहले सेक्रेटरी भी बदल गये। उनका तरीका यह नहीं था कि लोगों की तकलीफों को दूर कराय बल्कि मुल्क की नाजुक हालत मे इस किस्म की हालत का पैदा करना जिससे तमाम काम रुक जायें, अराजकता फैल जाय और जो भूख और नंगेपन की तकलीफ है वह दूर होने के बदले बढ़ जायें। इन सब बातों की वजह से सेन्ट्रल गवर्नमन्ट और हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि कम्यूनिस्ट पार्टी के लीडरों को पकड़ना लाजिमी है नहीं तो शांति नहीं रह सकती। ऐसी हालत में हमने उनको गिरफ्तार किया और कोई ज्यादा नहीं कुल १७ आदमियों के वारण्ट निकले जिनमे एक भारद्वाज भी थे और वह कम्यूनिस्ट पार्टी के खास काम करने वाले थे। जहां तक हमारी इत्तला थी देहरादून मे जलसा हुआ था उसमे भी वह थे। हमे जो इत्तला मिली उसी के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी की हिदायते हुईं। उसमे बहुत से कम्यूनिस्ट अन्डर ग्राउन्ड चले गये, पकड़े नहीं गये और अब तक भी कई नही पकड़े गये है जिनके ऊपर बहुत पहले ही से वारण्ट जारी है। श्री भारद्वाज उस वक्त जरूर बीमार थे मगर ऐसे बीमार नहीं थे। मालूम होता है कि जिस वक्त वहां वालों ने समझा कि ऐसा अञ्जाम हो सकता है। ७ तारीख को भारद्वाज ने एक दरख्वास्त दी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे भुवाली भेजा जाय और उसी दिन वहां के कलक्टर ने, उससे पहले दिन ही उन्होंने खत भेजा कि इनको भुवाली भेजा जाना चाहिए। खत ७ तारीख को पहुँचा मगर ८ तारीख को उनका इन्तकाल हो गया, इस वजह से कोई कार्यवाही न हो सकी। मुझे भी जैसा कि मैंने कहा सख्त अफसोस है कि इस किस्म की बात हुई और मैं यह समझता हूँ कि इस वाकये से यह जरूरी मालूम होता है कि ज्यादा एहतियात की जरूरत है और ज्यादा एहतियात होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि इन वजहात से इस किस्म का अञ्जाम हुआ और इसके लिए मैं अपनी तरफ से काफी तकलीफ और गम का इजहार करता हूँ और समझता हूँ कि जहां तक इसके ऐडजर्नमेन्ट मोशन का ताल्लुक है उसके लिए कानूनन कोई गुंजायश नहीं है और अगर होती भी तो गवर्नमेन्ट से इससे ज्यादा उम्मीद कोई क्या करता, यह मेरी समझ मे

नहीं आता। लिहाजा मैं समझता हूं कि यह ऐडजर्नमेंट मोशन स्वीकृत नहीं होना चाहिए।

*श्री जहीरुल हसनैन लारी—मोहतरम स्पीकर साहब, जो बात जनाब वजीर आजम साहब ने कही उसमें उन्होंने यह तसलीम कर लिया कि जब मरहूम भारद्वाज गिरफ्तार किये गये तो वह बीमार थे और टी० बी० के मरीज थे। इस वक्त सवाल यह है कि असेम्बली ने एक्जीक्यूटिव को पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट के मातहत बहुत से अख्तियारात दे रखे हैं उसी का यह एक नमूना है। उन अख्तियारात को इस्तेमाल करने में एक ऐसा सानहा होता है जिससे एक शहरी की जान चली जाती है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा अहम मसला है कि जिस पर एवान को गौर करना जरूरी है। इसका असर सिर्फ जेलखाने के ऊपर ही नहीं पड़ता। आप देखेंगे कि इसके मातहत कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, हुई हैं और आइन्दा होने का इमकान है। यह इन्सीडेन्ट (घटना) अपनी जगह पर आइसोलेटेड (अकेली) नहीं है। यहां पर तो पालिसी का सवाल पैदा होता है। एक्जीक्यूटिव को जो अख्तियारात दिये गये हैं वे किस तरीके से बरते जाते हैं और उनको बरते जाने का एक्जीक्यूटिव के जरिये गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है इसको जानते हुए भी सिर्फ जाहिरा अफसोस से उस उसूल के मुताल्लिक कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अर्ज यह करना है कि यह डेफिनिट (निश्चित) अरजेंट (आवश्यक) और पब्लिक इम्पार्टेंस् (जनता के महत्व) की चीज है। डेफिनिट इसलिए है कि शहरी की जिन्दगी की बात है, पब्लिक इम्पार्टेंस् इसलिए है कि ऐसे अख्तियारात इस्तेमाल किये जाते हैं जिसमें ५० सूरतों में से एक सूरत यह भी है जिसकी वजह से एक शहरी की वफात हुई। इस लिहाज से यह पब्लिक इम्पार्टेंस् रखता है। अब रहा स्वाल (अर्जेंट) का, वह इसलिए है कि जितनी गिरफ्तारियां इस कानून के मातहत हुई हैं और रोजाना होती हैं और अगर जनाब स्पीकर साहब ने अखबारों में देखा होगा कि आज शिकायतें जेलों के अन्दर हो रही हैं कि किस तरह से उनको रखा जाता है गर्मी के जमाने में इलाहाबाद में उन लोगों को मजबूर किया जाता है कि वे कमरे में सोवें। आज इस तरीके से कानून के इस्तेमाल करने से सिर्फ शहरी के आराम पर ही इसका असर नहीं पड़ता। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह ऐडजर्नमेंट मोशन (काम रोको प्रस्ताव) डेफिनिट, अर्जेंट और पब्लिक इम्पार्टेंस का है और इस पर इजाजत होनी चाहिए।

माननीय स्पीकर—क्या माननीय प्रधान सचिव के बयान देने के बाद भी श्री जमालुद्दीन साहब इसकी जरूरत समझते हैं कि वे अपने प्रस्ताव पर राय की मांग करें और उसे वापस न लें?

(कामरोको प्रस्ताव के पक्ष में समुचित सदस्य न होने के कारण प्रस्ताव गिर गया।)

सन् १९४७ ई० के रुड़की विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) बिल पर शुभमूर्ति गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा

माननीय स्पीकर—मैं यह घोषित करता हूं कि रुड़की विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी)

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[माननीय स्पीकर]
बिल, सन् १९४७ ई० पर जिसे संयुक्तप्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी ७ नवम्बर सन् १९४७ ई० की बैठक में और संयुक्तप्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल ने अपनी २ दिसम्बर सन् १९४७ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, शुभमूर्ति गवर्नर की स्वीकृति ७ फरवरी सन् १९४८ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४८ ई० का संयुक्तप्रान्त का नवां ऐक्ट बन गया।

सन् १९४७ ई० के मोटर गाड़ियों के (संयुक्त प्रांतीय संशोधन) बिल पर शुभ मूर्ति गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा

माननीय स्पीकर—मैं यह घोषित करता हूँ कि मोटरगाड़ियों के (संयुक्तप्रान्तीय संशोधन) बिल सन् १९४७ ई० (Motor Vehicles United Provinces Amendment Bill, 1947.) पर जिसे संयुक्तप्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल ने अपनी २० सितम्बर सन् १९४७ ई० की बैठक में और संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली न अपनी ६ नवम्बर सन् १९४७ ई० की बैठक में स्वीकार किया था शुभमूर्ति गवर्नर जनरल की स्वीकृति १२ फरवरी सन् १९४८ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४८ ई० का संयुक्तप्रान्त क ११वां ऐक्ट बन गया।

सन् १९४८ ई० के यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (फर्स्ट जनरल एलेक्शन) डिटरमिनेशन आफ कांस्टीटुएंसीज आर्डिनेन्स का मेज पर रखा जाना

माननीय स्वशासन सचिव—मैं यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स् (फर्स्ट जनरल एलेक्शन) डिटरमिनेशन आफ कान्स्टीटुएन्सीज आर्डिनेंस सन् १९४८ ई० की प्रतिलिपि मेज पर रखत हूँ।

सन् १९४८ ई० के यू० पी० रिफ्यूजीज रिहैबिलिटेशन (लोन्स) आर्डिनेन्स का मेज पर रखा जाना

माननीय प्रधान सचिव—मैं यू० पी० रिफ्यूजीज् रिहैबिलिटेशन (लोन्स) आर्डिनेंस सन् १९४८ ई० की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूँ।

सन् १९४८ ई० के श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधक) बिल का मेज पर रखा जाना

माननीय शिक्षा सचिव—मैं श्री बद्रीनाथ टैम्पिल (संशोधक) बिल सन् १९४८ ई० की प्रतिलिपि, जैसा कि वह संयुक्तप्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल से स्वीकृत हुआ है, मेज पर रखता हूँ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४०३ पर)

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय विद्युत (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार सम्बन्धी संशोधन) बिल का मेज पर रखा जाना

माननीय शिक्षा सचिव—मैं संयुक्तप्रान्तीय विद्युत (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार संबंधी संशोधक) बिल, सन् १९४८ ई० की प्रतिलिपि, जैसा क वह संयुक्तप्रान्त लेजिस्लेटिव काउन्सिल से स्वीकृत हुआ है, मेज पर रखता हूँ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४०६ पर)

सन् १९४८ ई० का दंड विधि संग्रह (संयुक्त प्रांतीय संशोधन) बिल

माननीय माल सचिव—मैं दंड विधि सग्रह (संयुक्तप्रान्तीय शोधन) बिल, सन् १९४८ ई० को उपस्थित करता हूँ

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४०८ पर)

माननीय माल सचिव--मैं दण्ड विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल, सन् १९४८ ई० पर विचार करने का प्रस्ताव पेश करता हूँ। श्रीमान् की आज्ञा से मैं चन्द बातें इस सम्बन्ध में कह देना चाहता हूँ ताकि हमारे मित्र लारी साहब को उससे वाकफियत हो जाय। यह आम जनता की मांग थी कि जुडिशियल को एक्जीक्यूटिव से जुदा किया जाय और बजट के सम्बन्ध में बहस होते हुए इस भवन के हमारे बहुत से मित्रों ने यह भी मांग पेश की थी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों या अन्य मजिस्ट्रेटों से अपील सुनने के अधिकार लेकर डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज को दिये जायें। लिहाजा उस मांग की पूर्ति के लिए यह बिल इस एवान के सामने लाया गया है और यह जुडिशियल और एक्जीक्यूटिव को अलहदा करने के लिए एक लम्बा कदम है और बहुत से साहबान की मर्जी के मुताबिक यह बिल तैयार कर के बिला ज्यादा विलम्ब किये हुए इस एवान के सामने मैंने पेश किया है।

इस बिल के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दफात ४०६ अलिफ, ४०७, ४०८ और ४०९ मे संशोधन करना निहायत आवश्यक था ओर इन संशोधनों के फलस्वरूप कुछ छोटे छोटे और संशोधन करने पड़े ओर शिड्यूल (परिशिष्ट) में भी कुछ तरमीमात करने की जरूरत पड़ी। इन्हीं तरमीमात को इस बिल में लाकर इस एवान के सामने पेश किया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह एवान इस बिल को स्वीकार करेगा।

*श्री जहीरुल हसनैन लारी--मोहतरिम स्पीकर, मैं इस मसविदे कानून को खुशामदीद करता हूँ। यकीनन इन्तजामी और अदालती शोबों की अलहदगी के सिलसिले में यह एक कदम है, लेकिन हमारे वजीर साहब की तरफ से, मेरे ख्याल में यह मुगालते से फरमाया गया है कि यह बहुत बड़ा कदम है, यह बहुत ही छोटा कदम है जो उन्होंने उठाया है। लेकिन बहरहाल यह कदम अच्छे मंजिल की तरफ है, इसलिए हम इसको खुशामदीद कहते है।

सवाल यह नहीं है कि अपील सुनने वाले सिर्फ वह हों जिनका ताल्लुक जुडिशियल डिपार्टमेण्ट से हो, बल्कि असली मसला यह है कि जो मुकदमात इब्तदाई स्टेज पर सुनें और फैसला करें उनका कोई ताल्लुक इन्तजामी शोबे से नहीं होना चाहिए। इसके मानी यह नहीं है कि हम समझते है कि जब तक ऐसा न किया जाय तब तक अपीलों के अख्तियारात भी उन्हीं के पास रहे। इस लिए हमें खुशी है कि जहां तक अपीलों का ताल्लुक है आपने इस मसविदे कानून में यह रखा है कि आइंदा से जो अपीलें हैं वह मैजिस्ट्रेटों के पास नहीं जावेंगी बल्कि सेशन जजों के पास होंगी।

लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि बेहतर यह है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि इस बिल को वाकयता मुफीद बना सकें। मुफीद मैं इस लिए कहता हूँ कि मैं यह जानता हूँ, कुछ जुडीशियल अफसर मुकर्रर किये गये हैं। अव्वलन तमाम मुकदमात जुडीशियल अफसरों के सामने नहीं जाते हैं। अभी दो-तीन महीने हुए मुझे प्रतापगढ़ जिले में एक मुकदमा करने का इत्तफाक हुआ। वह मुकदमा काफी मालियत का था बहुत से मुल्जिम थे। लेकिन वह गया एक ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास जो तहसीलदारी से मैजिस्ट्रेटी पर आये थे।

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री जहीरुल हसनैन लारी]

वह जुडीशियल अफसर नहीं थे। उन्होंने यह मुकदमा तीन महीने किया और हमेशा उसको दौरे पर रखा, सड़क से दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह मील दूर पर। वह मुकदमा जो चन्द दिनों में हो सकता था उन्होंने उसको इस कदर तूल दिया कि उसमें उन्होंने तीन महीने लगाये और जितना रुपया मुल्जिम का उसमें इन्वाल्व (लगा) नहीं था, उससे ज्यादा खर्च करना पड़ा। उन्होंने उसका समरी ट्रायल किया और हर एक वाकिफकार जानता है कि समरी ट्रायल में तीन महीने से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन जब उन्होंने फैसला सुनाया तो हर एक को एक-एक साल की सजा दे दी। मुल्जिम बेचारा अपील भी नहीं कर सका। बाद को अपील मंजूर हुई, तो मुल्जिम रिहा हो गया। लेकिन आप गौर कीजिये कि एक मुल्जिम चार महीने जेल में रहा, तो कानून के लिहाज से तीन महीने से जो ज्यादा रहा, वह रांगफुल कनफाइनमेंट (अनुचित कारावास) था और अगर उस मुल्जिम के पास दौलत होती तो गालिबन वह उस मैजिस्ट्रेट पर मुकदमा फौजदारी दायर करता। मैंने तो वह मिसाल दी है जो अभी हुई है। पुरानी मिसाले मैं लाना नहीं चाहता। मैंने यह मिसाल इस वजह से दी कि यह तमाम इस किस्म के मुकदमात जुडीशियल अफसर नहीं करते है, बल्कि ऐसे एस० डी० ओ० के पास जाते हैं जिनके पास काम नहीं है, दूसरे वह मुकदमात दौरे पर करते हैं और अपने अख्तियारात से बाहर भी सजा दे दिया करते हैं। इस किस्म के जुडीशियल अफसर, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मातहत है, उनको इंतजामी मामलात को भी देखना पड़ता है। इसलिए जब तक आप इंतजामी शोबे और अदालती शोबे की अलहदगी नहीं करते हैं जो अदालतें वाकयतन मुकदमात की समाअत करतीं हैं, उनको आप इंतजामी शोबे से बिलकुल अलहदा नहीं करते हैं, आप यह नहीं करते हैं कि सिर्फ जुडीशियल अफसर ही मुकदमात करेंगे और वह जुडीशियल अफसर डि० मैजिस्ट्रेट के ताबे में नहीं होंगे, उनकी तरक्की, तबादला, और रुखसत वगैरह सेशन जज के मातहत होगी—उसी वक्त मुमकिन है कि आप सूबे में इंडिपेंडेंट जुडीशियरी (स्वाधीन-न्यायालय) कायम कर सकें। इसलिए मेरी तजवीज यह है कि यह मसविदा सेलेक्ट कमेटी (विशेष समिति) के सुपुर्द कर दिया जाय तो इसके मकसद को और तौसीह कर सही मानों में इसको मसविदा कानून बना दें जिससे शुरू से आखीर तक अदालती और इंतजामी शोबों में बिल्कुल अलहदगी हो जाय और सही तौर पर इस सूबे में इंसाफ हो सके। मैं इन अल्फाज के साथ जहां तक इस बिल के उसूल का ताल्लुक है उससे मुआफिकत करता हूँ, लेकिन साथ ही इस्तदुआ करता हूँ कि यह जिस हालत में है, उस हालत में न पास किया जाय। सिर्फ एक नुमायश तो हो सकती है, लेकिन सही इलाज नहीं हो सकता। जो रेजोल्यूशन कांग्रेस ने सन् १८८८ में पास किया था उसकी ईफा आज सिर्फ इस हद्द तक की जा रही है। बड़े-बड़े मुकदमों की अपील तो सेशन जज के यहां हुआ करती है। अगर सिर्फ आपको जनता को खुश ही करना है कि हमने इब्तदा कर दी है तो आप इस मसविदा कानून को इसी तरीके से रख सकते हैं। मगर बेहतर यह है कि इसे आप सेलेक्ट कमेटी को सिपुर्द कर दें और सही मानों में यह एक्जीक्यूटिव (शासन) और जुडीशियरी (न्याय) का

सेपरेशन (पार्थक्य) हो सके और वह उसी वक्त हो सकता है जब कि आप अदालती अख्तियारात को महदूद कर देंगे कि कोई एग्जीक्यूटिव अफसर मुकद्दमात नहीं कर सकता। बहुत सी जगहों में यह कानून मौजूद है कि कोई एक्जीक्यूटिव अफसर किसी किस्म का अदालती फर्ज अन्जाम नहीं दे सकता। एक दफा बजट के दौरान में वजीर आजम ने फरमाया था कि हम इस किस्म का कोई बिल नहीं ला सकते। मैं नहीं समझता कि यह उन्होंने कैसे फरमा दिया। बिल की एक प्रीवियस सैंक्शन (अग्रिम स्वीकृति) की जरूरत होगी। रोजाना आप ऐसा करते हैं, मंजूरी हासिल करते हैं। और फिर तो यह एक ऐसा उसूल है जो मुसल्लिमा तौर पर हर शख्स तस्लीम करता है। इस लिए मैं अर्ज करूँगा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को सिपुर्द कर दिया जाय। स्टुअर्ट कमेटी की रिपोर्ट मौजूद ही है, काटजू साहब ने एक स्कीम बनाई थी वह भी मौजूद है। इस लिए दो-तीन दिन सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को पूरा कर के सही मानों में मसविदा कानून बना कर, एवान के सामने पेश कर दें। इन अल्फाज के साथ मैं यह तजवीज पेश करता हूँ कि यह सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय।

श्री अब्दुल बाकी--सदरे मोहतरिम, यह चीज दरहकीकत काबिले मुबारकबाद है। एक कदम उठाया गया है कि मुकदमात जिनकी समाअत ऐसी अदालत में हुआ करती थी कि अगर सही मानों में कहा जाय तो उसकी कोई अहमियत नहीं रखती थी। मगर जब कोई तरमीम करना हो तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कानून में तरमीम जल्द जल्द करना मुनासिब नहीं है। कानून को हमेशा एक मुस्तकिल सूरत अख्तियार करना चाहिए और जो कानून जारी हो अवाम को सूबे के रहने वालों और जिन लोगों का उससे ताल्लुक है उनसे उनको हालात से वाकिफ होना चाहिए। जल्द तगय्युर करने की वजह से कानून की जो नौइयत होती है या जो असरात होते हैं या जो नतायज होते हैं वह हमेशा खराब होते हैं। इसलिए जहां मैं एक तरफ मुबारकबाद देना चाहता हूँ वहां मैं यह भी समझता हूँ कि उनको एक ही कदम नहीं उठाना चाहिए था बल्कि दोनों कदम उठाने चाहिए। यकीनन यह पहला कदम है जिससे अदालतों की और एक्जीक्यूटिव साईड (शासन विभाग) की अलहदगी होती है। मगर इससे कतअन कोई फायदा नहीं है। आज कानून में इस बात की जरूरत नहीं है कि उसके जारी होने के बाद आइन्दा भी जल्द तरमीम की जाय। जहां तक मिनिस्टर साहब की तकरीर से मैं समझ सका हूँ और वह भी इकरार करते है कि जिस चीज का तकाजा है जिस चीज की डिमान्ड (मांग) मुल्क भर में है उसकी तरफ लंगड़ा कदम उठाया गया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे कदम का उठाया जाना मुनासिब नहीं है। जैसा कि मेरे लायक दोस्त ने अभी कहा है कि वक्त की ज्यादा बरबादी होती है ऐसी जगहों पर तारीखें डाली जाती हैं जहां पर पहुँचने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है और सर्फा भी बहुत ज्यादा होता है। जहां मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ वहां यह भी मुनासिब समझता हूँ कि उनको एक कदम नहीं उठाना चाहिए था बल्कि दोनों कदम उठाने चाहिए थे। तजवीज ऐसी नामाकूल होती है जिनको कोई संजीदा आदमी पसंद नहीं कर सकता। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि इससे क्या फायदा कि आप थोड़ी सी तरमीम कर दें, एक तमाशा दिखा दें, एक नुमायश करें कि जिस चीज की डिमाण्ड (मांग) मुल्क

[श्री अब्दुल बाकी]

को थी उसको हमने पूरा कर दिया। वाकई आपने उसको पूरा नहीं कर दिया बल्कि उसकी शुरूआत की है। लेकिन कानून में शुरूआत करने के मानी कोई नहीं हैं। जो कुछ आपको करना हो जुर्रत के साथ कीजिये, हिकमत के साथ कीजिये और पूरी चीज को सामने लाइये। आज एक तरमीम करेंगे और दो एक महीने बाद दूसरी तरमीम करेंगे तीन चार महीने बाद तीसरी तरमीम करेंगे इससे कोई फायदा नहीं है। मुल्क वाले समझते हैं कि अर्से से हमारा तकाजा रहा है कि एक्जीक्यूटिव (शासन) को जुडीशियरी (न्याय) से अलहदा कर दिया जाय तो मेरे ख्याल में हिम्मत से काम लेना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो आपने बिल रक्खा है जो तरमीम रक्खी है वह बहुत मुख्तसर सी है और मुल्क के तकाजे को पूरा नहीं कर रही है। अर्से से डिमाण्ड (मांग) चली आ रही है लेकिन उसकी तकमील नहीं हो रही थी। इसलिए जरूरत यह है कि इसको दूसरी शक्ल दी जाय और जो बिल आये वह मुकम्मिल शक्ल में आये ताकि जो मुल्क का तकाजा है वह पूरा हो सके। इसलिए मेरी भी मुस्तकिल राय यह है कि कब्ल इसके कि इस पर बहस मुबाहिसा हो सके इसको सेलेक्ट कमेटी को रेफर (भेज) कर दिया जाय। मैं अर्ज करूंगा कि सरेदस्त इस पर कोई बहस नहीं होना चाहिए बल्कि इस बिल को एक नान आफिशियल शेप (गैर सरकारी शक्ल) देने के लिए सेलेक्ट कमेटी (विशिष्ट समिति) को रेफर कर देना चाहिए। मुल्क का तकाजा क्या है, किस कदर तरमीम होनी चाहिए, किस शक्ल में यह तरमीम आनी चाहिए, क्या रद्दोबदल होना चाहिए इस पर गौर करने के बाद इसको एवान के सामने बहस मुबाहिसे के लिए आना चाहिए इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इसको सेलेक्ट कमेटी को सिपुर्द कर देना चाहिए और इस पर कतई राय लेकर एवान के सामने लाना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने की ताईद करता हूँ।

माननीय प्रधान सचिव—यह बिल बहुत मुख्तसर है और जो बातें इस बिल के मुतल्लिक कही गयी हैं और जो साहेबान इस पर बोले हैं, उन्होंने इसका इस्तकबाल ही किया है। उनमें से कुछ तमाशबीनी चाहते हैं क्योंकि उन्होंने तमाशबीनी अल्फाज का बहुत इस्तेमाल किया है। लेकिन हमें तो तमाशा देखना है नहीं बल्कि काम करना है और काम किया जाता है मंजिल ब मंजिल। यह बिल इस वजह से पेश किया गया है कि कुछ आगे बढ़ें। मैंने पहले बजट के दौरान में भी इसके मुतल्लिक अर्ज किया था कि हम इस तरफ गौर कर रहे हैं। अगर सेलेक्ट कमेटी के सामने आप इसको भेजते हैं तो इसके मानी यह हैं कि इसके प्रिन्सिपल (नियम) को आप मानते हैं जो प्रिंसिपल इसका हैं वह इसके प्रीएम्बिल (प्रस्तावना) में है और पीछे भी दिया हुआ है—

"There has been a general demand for the separation of executive and judicial functions of magistrates and it has beeu decided to withdraw from district magistrates and other magistrates appellate judicial work."

("यह एक साधारण मांग रही है कि मजिस्ट्रेटों के पास जो शासन प्रबंध तथा न्याय कार्य है अलग अलग होने चाहिए और यह निश्चित किया गया कि जिला मजि-

स्ट्रेटों तथा अन्य मजिस्ट्रेटों से न्याय कार्य हटा लिया जाय।")

जुडीशियरी को मजिस्ट्रेसी से अलहदा करने के लिए यह बिल पेश किया गया है इसकी गर्ज सिर्फ इतनी ही है और इससे ज्यादा इस बिल के अन्दर और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। जहां तक इसका ताल्लुक है यह कोई नहीं कह सकता कि जो प्रावीजन (व्यवस्था) इसमें है वह ठीक नहीं है या उनसे यह मकसद हल नहीं होता। इसलिए जहां तक इस बिल का तालुक है इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने से कोई फायदा नहीं होगा। हां सिर्फ इतना नुकसान हो सकता है कि यह बिल अगर फौरन पास हो जाये तो अपीलें इसके पास हो जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं जायेंगी और जितनी देरी होगी उतनी देर तक जो कानून इस वक्त है वही जारी रहेगा। इसके अलावा कोई तरमीम ऐसी नहीं हो सकती जो इसके दायरे के बाहर जा सके। जितनी बड़ी बातें लारी साहब ने कहीं उनको सेलेक्ट कमेटी में ले जा सकना भी ना-मुमकिन है। कोई अलहदा बिल इसके ऊपर लाया जाय और तब उस पर गौर किया जाय। मैं यह दरख्वास्त करूँगा कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसको यह हाउस मंजूर करे क्योंकि यह नानकंट्रोवर्शल (अविवादास्पद) चीज है और आप सब इसका इस्तकबाल करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है।

*श्री मुहम्मद असरार अहमद--जनाब स्पीकर साहब, इस एवान की तवज्जह वजीर आजम साहब ने इस तरफ दिलायी है कि इस बिल का मकसद यह है कि जितनी अपीलें वगैरह होंगी उनको सेशन जज वगैरह सुनेंगे। हम तो वजीर आजम साहब की ही तकलीद करना चाहते हैं। इस एवान में आपने खुद यह फरमाया कि जमींदारी अबोलीशन (उन्मूलन) बिल हम एक साथ नहीं लाना चाहते। उसकी अच्छाई और बुराइयों पर अच्छी तरह से गौर व खोज कर लेना चाहते हैं। तब उस बिल को लायेंगे और बजट सेशन खत्म होने से पहले उसकी रिपोर्ट छापी जायगी और हम उस पर गौर कर सकेंगे। लेकिन इस हाउस में जब कि सेल्स टैक्स बिल आया था तो उसको रिकास्ट (पुनर्रचना) करने के लिए मंजूरी दी गयी थी और अगर जल्दी ही इसको पास करना है तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि हम टाइम लिमिट (समयावधि) ३, ४, ५ रोज की रख सकते हैं और हम इसे अच्छी तरह से रिकास्ट करके ला सकते हैं। मैं नहीं समझता कि आजकल जुडीशियल आफिसर जिनका जिक्र वजीर अदल साहब ने फरमाया है कि उनसे बड़े लाभ हैं। मैं समझता हूँ कि उनसे तो सबसे बड़ा नुकसान है। अगर अदादोशुमार गुजिश्ता साल के मुकाबिले में और गुजिश्ता मैजिस्ट्रेटों से आप फराहम करने की कोशिश करेंगे तो अक्वीटल (छूटने) की रिपोर्ट पहले से भी ज्यादा कम होंगी। सेंटेंसेज (सजाओं) की रिपोर्ट पहले से भी ज्यादा बढ़ गयीं। और अगर पहिले मजिस्ट्रेट ४, ४॥ बजे तक काम करते थे तो वह उससे भी ज्यादा करते हैं क्योंकि उनकी तरक्की का दारोमदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है, सेशन जज के हाथ में नहीं और उस पर कहा जाता है कि हम जुडीशियरी (न्याय) को एक्जीक्यूटिव (शासन) से अलहदा कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी भी लगती है लेकिन इसमें डिफाइन नहीं किया गया है और न अलहदा किया गया है। अगर पीसमील लेजिस्लेशन

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री मुहम्मद असरार अहमद]

(आंशिक विधान निर्माण) करके मिनिस्ट्री तमाशा करना चाहे और दुनिया को दिखलाना चाहे कि यह वह कर रही है तब तो ठीक हो सकता है। अपोजीशन (विरोधी दल) का काम है कि वह कोशिश करे कि मिनिस्ट्री जो बिल पास करे वह कंसालीडेटेड (सम्बद्ध) फार्म में बहुत लोगों के लिए और बहुत ज्यादा दिनों के वास्ते हो बजाय इसके कि हम आज एक बिल पास करते हैं। ४ रोज या ६ रोज के बाद दूसरा आता है और इसी तरह से हम ४, ५ रोज का सेशन करके अवामुन्नास के पैसे को जाया करते हैं। हमारा काम होना चाहिए कि जो बिल हम पास करें उसको खूब गौर व खोज के बाद पास करें। जब हम जुडीशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलहदा कर रहे हैं तो हमें ऐसा बिल लाना चाहिए कि जिससे एक्जीक्यूटिव का जुडीशियरी से कोई ताल्लुक न रह जाय। जुडीशियरी की ताकतें अलहदा कर दी जातीं और उनका एक अलहदा माहौल तैयार हो जाता और एक्जीक्यूटिव का अलहदा। मैं नहीं समझता कि सेशन जज के यहां अपील करने से कितने लोगों का लाभ और फायदा हो जायगा, जब कि वह मैजिस्ट्रेट जिनको जुडीशियल आफिसर कहा जाता है उस जहनियत से दूर नहीं है जैसी कि एक्जीक्यूटिव के मैजिस्ट्रेट की। फिर अपील के लिए चन्द रोज का हक देना उससे बेहतर यह है कि जैसा कि उसका नुकसान होता रहा है वैसा ही होता रहे और जो फायदा उनको होगा इस तकलीफ के बाद उस फायदे को वह ज्यादा महसूस करेंगे अगर हम उनको थोड़ा सा फायदा और आराम दें। ऐसी सूरत मे इस हाउस से और वजीर आजम साहब से अपील करूँगा कि कम से कम इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में चन्द रोज के लिए भेज दें और वह तीन रोज में इसको रिकास्ट करने की कोशिश करें। इससे मैं समझता हूँ कि तमाम सूबे को फायदा होगा। जब दूसरे बिलों के सिलसिले में यह किया गया है तो इसके लिए भी हम वादा करते हैं कि कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ऐसी सूरत में इसको जरूर सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जायगा।

माननीय माल सचिव--माननीय स्पीकर महोदय, मेरा यह ख्याल था कि माननीय प्रधान मंत्री के बयान के बाद हमारे लायक दोस्त को जो उस जानिब बैठे हुए हैं मुतमइन हो जायँगे। लेकिन मालूम यह हुआ कि आप घर से तैयार हो कर तशरीफ लाये हैं और चाहे माकूल से माकूल बात कही जाय लेकिन आप उस पर हरगिज राजी नहीं हो सकते। हमारे लारी साहब ने और असरार अहमद साहब ने जितनी तकरीरें कीं वह तो इस बात के पक्ष में थीं कि जुडीशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलहदा कर दिया जाय। जहां तक उस उसूल का ताल्लुक है आपस में कोई मतभेद नहीं है। सवाल यह है कि आया लारी साहब की तरमीम कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय उससे कोई मतलब पूरा होता है या नहीं। जहां तक इस बिल के स्कोप (फैलाव) का ताल्लुक है मैं यह मानता हूँ कि इसमें कोई अलहदगी की पूरी स्कीम नहीं है लिहाजा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट व अन्य मैजिस्ट्रेटों की अपीलेट पावर (अपील सुनने के अधिकार) को लेना है और उसे डिस्ट्रिक्ट जजों के सुपुर्द करना है। इस बिल का स्कोप सिर्फ इसी कदर है और अगर यह सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है तो क्या हमारे लायक दोस्तों की जो राय है कि एक मुकम्मिल स्कीम सेपरे-

शन (विभाजन) को इस बिल में आ सकती है या नहीं, मैं समझता हूँ कि वह बिल के स्कोप (सीमा) के बाहर है। लिहाजा ऐसी हालत में सेलेक्ट कमेटी को रेफर करके एवान का अमूल्य वक्त बरबाद करना मैं किसी तरह से उचित और मुनासिब नहीं समझता। लेकिन चूंकि कुछ साहबान ने ऐसी आवाज लगा दी, बावजूद इसके कि प्रधान मंत्री जी ने साफ तौर से सब बातें बतला दी थीं लेकिन उस पर फिर भी अड़े रहना कहां तक उचित है? हां, यह मैंने माना कि इससे सब को फायदा नहीं पहुँचता लेकिन कुछ को अवश्य पहुँचेगा। जिनके अपील के मामलात होंगे उनको फायदा होगा और उनको उस फायदे से वंचित रखना कहां तक मुनासिब है। आप कहते तो जरूर हैं कि अलहदगी की जाय और अवाम का इससे फायदा है लेकिन आपके दिल में दूसरी बात मालूम होती है। अगर हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आप अड़ंगा डालते हैं, मेहरबानी करके आप उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश न कीजिए। आप इसको पास कीजिए और अभी थोड़े आदमियों को ही फायदा पहुँचने दीजिए और आप बाकी के लिए मुतालबा पेश करते रहिए और हम भी उनको पूरा करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई बदगुमानी पैदा होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे और हम किसी तरह से नहीं। ऐसी सूरत में मैं अर्ज करूँगा कि यह सेलेक्ट कमेटी का मोशन (प्रश्न) नामुनासिब है और लारी साहब को इसको वापिस लेना चाहिए और मैं इसकी मुखालफत भी करता हूँ।

*श्री फखरुल इस्लाम--जनाबवाला, जो बिल हमारे सामने है, उसके स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स में यह बतलाया है कि--

"There has been a general demand for the separation of executive and judicial functions of magistrates."

("यह एक साधारण मांग रही है कि मैजिस्ट्रेटों के पास जो शासन प्रबन्ध तथा न्याय कार्य हैं, वे अलग अलग होने चाहिए।")

अगर वह इस वक्त अपने सामने रक्खें और जो तकरीर वजीर आजम साहब ने की है उसे अपने सामने रखें तो उन्हें यह हकीकत मालूम हो जायगी कि यह कहां तक जायज है। अगर कहा जाय कि इस एवान का यह इरादा था और जिस पर काटजू साहब ने दो साल पहले कहा था कि हम इस तरफ कदम उठाने वाले हैं लेकिन गवर्नमेण्ट आफ इंडिया ऐक्ट की कुछ ऐसी दफात हैं जिनकी वजह से इस काम को नहीं कर सकते और अड़चनें पैदा हो रही हैं। हमने समझा था कि हमारे लायक वजीर साहब इंसाफ अपने उसी तरीके से और जोर से जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है और उन्होंने जमींदारी एबालिशन (उन्मूलन) के सिलसिले में जो तक- रीरें की है कि जमींदार भी और काश्तकार भी उससे मुतमईन हो जायेंगे उसी तरीके से यह ख्याल किया जाता था कि आज जो स्टेटमेंट (वक्तव्य) हाउस के सामने रखा था उससे यह उम्मीद की जाती थी कि इत्मीनान हो जायगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब अलहदगी का मुतालबा उनको तसलीम है लेकिन जब हम उस बिल

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री फखरुल इस्लाम]

को देखते हैं तो उससे हमारी समस्याएँ पूरी नहीं होतीं। एक्जीक्यूटिव (शासन) का और जुडीशियरी (न्याय) का सेपरेशन (अलहदगी) हमारे सामने है और उन्हीं उसूलों को सामने रखकर हम इस बिल को बनाना चाहते हैं और जो इमारत हमारे सामने आयेगी वह मुनासिब होगी। मैं यह समझने से कासिर हूँ कि आज भी जुडीशियल आफिसर और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की अपील सेशन जज के सामने हुआ करती है। आज भी ऐसे मुकदमात हैं जिनकी अपीलों का फैसला सेशन जज करते हैं और वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं जाती है, जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट न्याय करते हैं। ऐसी दफात हैं जिनमें जुर्माने और सजायें होती हैं। हर मसला डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जाता है। यह कदम तो आप ने उठाया है और डिस्ट्रिक्ट जज की अदालतों की हालत तो आपको मालूम है कि उनके पास कत्ल और बलवे के कितने मामलात रहते हैं और आपको एडीशनल जज भेजने पड़ते हैं। मामूली तौर पर ही उनके पास ज्यादा काम रहता है। दस दस, पंद्रह पंद्रह फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हर जिले में हैं वहां पर अगर थर्ड-क्लास के फैसले भी पहुँचेंगे तो काम कितना बढ़ जायगा और उसकी वजह से अपीलें कितनी बढ़ जायगी। आप अपने उसूल को देखें। आप देखें कि इस काम को करके कितना फायदा जनता को या लिटिगेंट (मुकदमा लड़ने वाले) को पहुँचा सकते हैं। देखने में तो आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी मालूम होती है कि कुल फैसला जजों के सामने होगा लेकिन वह छः महीने में नहीं, साल भर, दो साल और ढाई साल तक इस तरह से फैसला होता रहेगा। पहले आप डिस्ट्रिक्ट जजेज से उन तमाम कामों को ले लें, रेवेन्यू अपील के मुकदमों को ले लें, मेट्रीमोनियल (वैवाहिक) और गार्जियनशिप (संरक्षणता) के मुकदमों को ले लें, वक्फ और विल्स के मुकदमों को ले लें, सेशन जज के मुकदमों को ले लें आखिर आप जजों को समझते हैं कि वे कितना अन्जाम अपने कामों का दे सकते हैं और एक्जीक्यूटिव के काम को पूरा कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर ध्यान दें और गौर करें तो मालूम होगा कि सिर्फ जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन (पृथकत्व) करके ही आप अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। आप यह नहीं कह सकते कि आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हां, लेकिन उससे जो जहमतें पैदा होती हैं वह भी अपने सामने रखें। जब कोई लेजिस्लेशन (विधान निर्माण) होता है उसमें जो दिक्कतें, जो जहमतें पैदा होती हैं उनको दूर करना भी आप का फर्ज होता है। मैं तो समझता हूँ कि उसका इलाज सिर्फ जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलहदा करना है ताकि ये जो तमाम झगड़े हैं, ये तमाम दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं वे सब रफा हो जायें। एक बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि सब से ज्यादा दिक्कत इसमें यह है कि इस एक्जीक्यूटिव के हाथ में पूरा काम नहीं रहता है। तमाम मुकदमों में पुलिस का हाथ रहता है। तमाम मुकदमें पुलिस ही चलाती है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास कोई दरख्वास्त देता है चाहे उसका किसी मसले से भी ताल्लुक हो वह लिख देता है कि "पुलिस टु रिपोर्ट" (पुलिस रिपोर्ट दे)। मुमकिन है कि वह जरूरी हो और हो सकता है कि इसको आगे

भी जारी रखा जाय। और मामलात ऐसे हैं जिनको आप ऐसे आफिसरों को देते हैं। आप उसको बिल्कुल अलाहिदा करके मुन्सिफों को क्यों नहीं सुपुर्द कर देते ? उन मुकदमात का "ला (कानून) और फैक्ट (तथ्य)" पर फैसला करना ज्यादा जरूरी है। इस तरह से उन कामों को जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करते हैं उनको आप ले लें तो बहुत सी जहमतें, जो होती हैं वे रफा हो जायँगी। इस हाउस को यह अख्तियार है कि इस तरह के अमेंडमेंट कर सके। अगर आप यह कहते हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में कोई दफा ऐसी है, जैसा कि बिहार में कहा गया कि नहीं है और मैं समझता हूं कि यह ठीक है तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें इतनी देरी क्यों की जा रही है। अब अपनी पापुलर गवर्नमेण्ट (जनता की सरकार) है कोई विदेशी हुकूमत नहीं है। इस लिए हमको चाहिए कि जल्द से जल्द लेजिस्लेशन करें जिससे जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन कर सकें। ऐसे तो आपके इस बिल में बहुत सी अच्छाइयां हैं लेकिन जाहिर है कि एक वक्त आयेगा जब लोग कहेंगे कि यह ठीक नहीं है। हो सकता है कि सेशन जज के यहां अपील हो और एडिशनल सेशन जज उनको जमानत पर छोड़ दे या इस बीच में उसकी मियाद जेल के अन्दर ही खत्म हो जाय या सजा पूरी हो जाय और तब वह जमानत पर छोड़ा जाय। "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड" ("देरका न्याय कोई न्याय नहीं है")। अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी इसको अच्छी तरह से समझ कर ही करें। आप कोई ऐसा काम जल्दबाजी में न करें जिससे आगे चलकर कोई फायदा न हो। इन अल्फाज के साथ मैं मिस्टर जहीरुल हसनैन लारी की इस तजवीज की ताईद करता हूँ कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। इसको जुडीशियरी स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाय जो दोबारा अपनी राय देकर इस पर अपना फैसला कर सकें।

*श्री हसन अहमद शाह--जनाब वाला, इस वक्त जो मसला जेरे गौर है वह सिर्फ इस कदर है कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने एक बिल पेश किया है यहां पास होने के लिए और मिस्टर जहीरुल हसनैन लारी ने यह तजवीज किया है कि यह बिल बजाय यहां पास होने के सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। यही मसला इस वक्त जेरे गौर है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यहां यह बहस नहीं है कि एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को इस वक्त एक साथ रक्खा जाय या नहीं रखा जाय। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। गवर्नमेंट बेंचेज और अपोजीशन बेंचेज के जितने भी साहबान हैं सभी इस बात को मानते हैं कि एक हाकिम के हाथ में दो अख्तियार नहीं रहने चाहिए। इसको अलहदा कर देना चाहिए। इस पर बहुत अरसे से आज से नहीं बल्कि बहुत अरसे से सब लोगों ने इत्तिफाक किया है। लेकिन देखने की बात इस कदर है कि यह बावजूद इस इत्तफाक होने के गवर्नमेंट की तरफ से इतनी मुद्दत के बाद जब पहला कदम एक्जीक्यूटिव जुडीशियरी को अलग करने के लिए लाया गया है तो यही वक्त ठीक है जब कि हम आपको यह बता सकें कि जो कदम आप उठा रहे हैं वह नाकाफी है, वह बहुत छोटा कदम है, इसलिए ठीक इसी वक्त हमें यह तजवीज करना

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हसन अहमद शाह]

चाहिए और बताना चाहिए कि यह बावजूद इसके कि पहले आपने छोटा कदम उठाया, आप अपने कदम को जरा और बड़ा कर दे। लायक वजीर साहब इस तजवीज को बजाय इसके कि कोई इमदाद के तौर पर समझते, उसको उन्होंने रोड़े अटकाने की बात करार दी है। आपके ख्याल में अगर यह तजवीज इस वक्त उनके सामने नहीं रखते हैं तो फिर जब इस तरह का बिल अगली दफा आवेगा तो उस वक्त यह तजवीज पेश की जा सकती है। हम नहीं समझते कि दूसरा बिल एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के बारे में अलग करने के लिए आप कब लाने वाले है। लेकिन जब आप इस तरह के मसले पर कोई कदम उठा रहे हैं तो हम यह कहते है कि यह मसला बहुत अहम है और बहुत मुद्दत से इसका तकाजा था और बराबर गवर्नमेंट इस मसले को अहमियत देती चली आ रही है तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि तजवीज इस वक्त मंजूर न की जाय। लेकिन चूंकि अब इस वक्त उस तकाजे को पूरा किये जाने पर ख्याल किया जा रहा है, अब इतनी मुद्दत के बाद यह कदम उठाया जा रहा है जो कि अपनी जगह पर दुरुस्त और सही है। लेकिन अगर मै यह कहूँ कि यह कदम अपनी जगह पर बहुत छोटा है और उससे एक बड़ा कदम उठाना चाहिए तो इसके मानी यह नहीं हो सकते कि उसमें कोई रुकावट डाली जा रही है। रुकावट का ख्याल हरगिज नहीं होना चाहिए। यह तमाम बातें अगर इस वक्त तजवीज के तौर पर पेश की जावें तो उनको इसी वक्त इसी हालत में ही मंजूर करना चाहिए। लेकिन जब आपका बड़ा बिल आवेगा तो उस वक्त तो और बड़े बड़े मसले होंगे, उससे बड़े बड़े मामले ताल्लुक रखने वाले होंगे तो तब भी गौर किया जायगा। लेकिन मै अर्ज करता हूँ कि इसमें सिर्फ दो बातें दी हुई हैं कि--

"There has been a general demand for the separation of executive and judicial functions of magistrates; and it has been d cided to draw from district magistrates and other magistrates appellate judicial work."

माननीय स्पीकर --यह स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स आपने अंग्रेजी में पढ़ा है हमारे यहां की भाषा हिंदी स्वीकार हो चुकी है। आपके पास हिंदी में लिखा हुआ मौजूद है। बिल हिंदी में है उसके उद्देश्य भी हिंदी में है आप उसको पढ़ सकते हैं। मै इस अंग्रेजी में लिखे हुए को नहीं मान सकता।

श्री हसन अहमद शाह--लेकिन गवर्नमेंट ने पहले खुद यह प्रिन्ट करके हमारे पास भेजा था उसी को मैंने पढ़ा है। हिंदी में जो लिखा है उसे मैं पढ़ नहीं सकता।

माननीय स्पीकर--यह हो सकता है कि कुछ सदस्यों को पढ़ने में दिक्कत हो लेकिन आप अपनी भाषा में उसको पेश कर सकते हैं। वह जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है वह मुझे मान्य नहीं, वह केवल अनुवाद है। इसलिए आप अपने लफ्जों में उस पर बहस करें।

श्री हसन अहमद शाह--यह बिल जो हमारे सामने लाया गया है। उसका मकसद यही है कि एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को अलग अलग कर दिया जाय और जो

डिस्ट्रिक्ट के अख्तयारात हैं उनको डिस्ट्रिक्ट और दूसरे मजिस्ट्रेट्स को जो अपील के अख्तियारात है वह कम कर दिये जायं और बजाय उनके डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज को वह अख्तियारात दिये जायं। तो जब यह गर्ज और यह मकसद इस बिल का मौजूद हैं तो फिर मेरी समझ में यह नहीं आता कि सेलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं इस बात की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह दिलायी जाय। चन्द अख्तियारात डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों से अपील के लिए गये हैं। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड (जाब्ता फौजदारी) में बहुत से ऐसे अख्तियारात डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के पास हैं और जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी में आप जाने देंगे तो उन अख्तियारात की तरफ हम आप की तवज्जह दिला सकेंगे। इस बिल के जरिये से आप जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलहदा करना चाहते हैं और इसलिए अगर यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जायगा तो हम उन अख्तियारात की तरफ भी आप की तवज्जह दिला सकेंगे। आप मेहरबानी करके हमको बतायें कि अगर यह वक्त नहीं है कि सेलेक्ट कमेटी में इस बिल के जाने पर यह सब बातें को जायं तो और कौन वक्त हो सकता हैं। जाहिर है जब यही वक्त हो सकता है तो इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए और इसके यह मानी नहीं है कि हम इसमें कोई रुकावट डालना चाहते हैं, हम तो इसको खुशामदीद करते हैं। और यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजेंगे तो और बहुत से अख्तियारात हैं जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों से लेकर डिस्ट्रिक्ट जजेज को देने चाहिए यह हम सेलेक्ट कमेटी में तय करेंगे। यह काम और किसी मुकाम पर नहीं हो सकता है। तो मै यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो मकसद आप का इस तरमीम बिल को पेश करने का है वह बजाय इसके कि सेलेक्ट कमेटी में इस बिल के जाने से उसमें कोई रुकावट पैदा हो उस मकसद को खास फायदा पहुँचेगा और सही तौर से, ठीक सूरत से वह हाउस के सामने पेश हो सकेगा जिससे कि वाकयतन जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव में अलहदगी हो सकेगी। इससे वाकई फायदा आम तौर पर उन लोगों को पहुँच सकेगा जिनको कि फायदा पहुँचाना आप का मकसद है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह जो रेफरेंस, सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की तहरीक, जो लारी साहब ने की है उसको आप मंजूर करें और उसके बाद एक मुनासिब और माकूल तरमीम किया हुआ बिल हाउस के सामने पेश करेंगे।

(इस समय १ बजकर ६ मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बजकर १० मिनट पर श्री नफीसल हसन, डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चतुर्भुज शर्मा--माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मै प्रस्ताव करता हूँ कि यह बहस अब खत्म कर दी जाय।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि इस मसले पर बहस खत्म की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि दंड विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल, सन् १९४८ ई० को एक निर्वाचित समिति के सुपुर्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि दंड विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल, सन् १९४८ ई० पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

धाराएं २ से ११ तक

संग्रह की धारा ४०६ का संशोधन । १८९८ ई० का ऐक्ट नं० ५

२—दंड-विधि संग्रह, सन् १८९८ ई० (जिसे आगे चलकर "संग्रह" कहा गया है) की धारा ४०६ के स्थान पर नीचे लिखी हुई धारा रक्खी जायगी, अर्थात् :—

"406. Any person who has been ordered under section 118 to give security for keeping the peace or for good behaviour may appeal against such order to the Court of Session :

Provided that nothing in this section shall apply to persons the proceedings against whom are laid before a Session Judge in accordance with the provisions of sub-section (2) or sub-section (3.A) of section 123."

संग्रह की धारा ४०६-ए का संशोधन

३—संग्रह की धारा ४०६-ए में, शब्द "against such order" के पश्चात् 'Comma' और 'dash' के साथ साथ सब शब्द निकाल दिये जायेंगे और उनके स्थान पर शब्द "to the Court of Session" रख दिये जायेंगे ।

संग्रह की धारा ४०७ का निकाला जाना ।

४—संग्रह की धारा ४०७ निकाल दी जायगी ।

संग्रह की धारा ४०८ का संशोधन ।

५—संग्रह की धारा ४०८ के पैराग्राफ १ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा :—

"Any person convicted on a trial held by an Assistant Sessions Judge, a District Magistrate or any other Magistrate, or any person sentenced under section 349 or in respect of whom an order has been made or a sentence has been passed under section 380, by a Sub-Divisional Magistrate of the Second Class or a Magistrate of the First Class or the District Magistrate, may appeal to the Court of Session."

संग्रह की धारा ४०९ का रक्खा जाना ।

६—संग्रह की धारा ४०९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा :—

"409. An appeal to the Court of Session or Sessions Judge shall be heard by the Sessions Judge or the Additional Sessions Judge, or if it is in respect of a conviction, order or sentence, ordered, made or passed by a Sub-Divisional Magistrate of the Second Class or any other

Magistrate of the Second or Third Class, by the Assistant Sessions Judge:

Provided that an Additional Sessions Judge or Assistant Sessions Judge shall hear only such appeals as the Provincial Government may by general or special order direct, or as the Sessions Judge of the Division may make over to him."

संग्रह की धारा ४३५(१) के Explanation का संशोधन

७—संग्रह की धारा ४३५ की उपधारा (१) के अन्त में दिये गये हुए स्पष्टीकरण (explanation) से शब्द "whether exercising original or appellate jurisdiction" निकाल दिये जायेंगे।

संग्रह की धारा ५१५ का संशोधन

८—संग्रह की धारा ५१५ में शब्द "to the Disrtict Magistrate" के स्थान पर शब्द "to the Sessions Judge" रक्खे जायेंगे।

संग्रह के Schedule III की सूची ५ (list V) में संशोधन।

९—संग्रह की परिशिष्ट ३ की सूची ५ (list V of Schedule III) में से मदें 9, 9-A, 10 और 19 निकाल दी जायेंगी।

संग्रह के चौथे परिशिष्ट (Schedule IV) के स्तम्भ ३ (column 3) में से मद १२ (item 12) का निकालना।

१०—संग्रह के चौथे परिशिष्ट (Schedule IV) के स्तम्भ ३ (column 3) में से मद १२ (item 12) निकाल दी जायेंगी।

विचाराधीन अपीलों का निर्णय।

११—धारा २, ३, ५ और ८ म वर्णित प्रकार की सब अपीलें जो इस ऐक्ट के लागू होने की तारीख पर किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सामने विचाराधीन हों इस ऐक्ट के लागू होने की तारीख से ऐसे सेशन के न्यायालय में स्थानान्तरित समझी जायेंगी जिसका वहां अधिकार क्षेत्र हो और ऐसे न्यायालय में उन अपीलों का उसी प्रकार निर्णय होगा जैसे कि वह उसी के समक्ष प्रस्तुत की गई होतीं।

डिप्टी स्पीकर—अब इस पर विचार किया जाता है। इस पर किसी संशोधन का नोटिस नहीं है। अगर कोई एतराज न हो तो एक ही सवाल के जरिए से तमाम दफात पर राय ले ली जाय।

सवाल यह है कि दफा २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० और ११ इस बिल का हिस्सा मानी जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १

छोटा नाम, कहां कहां और कब से लागू होगा।

१—(१) यह ऐक्ट "दण्ड-विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) ऐक्ट, सन् १९४८ ई०" कहलायेगा।

(२) यह सारे संयुक्त प्रान्त में लागू होगा।

(३) यह तुरन्त लागू होगा।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि दफा १ बिल का हिस्सा मानी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

सन् १८६८ ई० का ऐक्ट नं० ५।

क्योंकि यह उचित ओर आवश्यक है कि दण्ड-विधि संग्रह, सन् १८६८ ई० का जहां तक कि वह संयुक्त प्रान्त में लागू होता है, कुछ प्रयोजनों के लिए जिनका आगे चलकर वर्णन किया गया है, संशोधन किया जाय।

इसलिए नीचे लिखा हुआ विधान बनाया जाता है।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि प्रस्तावना इस बिल का हिस्सा मानी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

माननीय माल सचिव--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दण्ड-विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल, सन् १६४८ ई० को मंजूर किया जाए।

*श्री फखरुल इस्लाम--जनाबवाला, जब कि यह कानून हमारे सामने बतौर ऐक्ट आ जाएगा तो इस पर मैं आनरेबिल मिनिस्टर आफ जस्टिस को, जो उन्होंने कदम उठाया है, इस नजरिये से कि इससे थोड़ी बहुत रिलीफ पब्लिक को मिलेगी, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन इसी सिलसिले में, मैं उनसे यह ख्वाहिश रखूंगा कि वह इस मसले पर बहुत संजीदगी के साथ गौर करें और वह इस लिए नहीं कि उन्हें इलेक्शन जीतना है और इलेक्शन की हवा के लिए चन्द बातें कहनी हैं बल्कि उनको बुनियादी तौर पर यह देखना है कि जुडीशियरी (न्याय) और एक्जीक्यूटिव (शासन) के जो फरायज हैं और होने चाहिए जिससे इंसानी सिविल लिबर्टीज (नागरिक स्वतन्त्रता) और इन्सानी हुकूक का सवाल है जो आजकल जुडीशियरी से महफूज हैं उनको और भी ज्यादा ताकत देना चाहिए। और मेरे इस कहने पर वह नाराज न हों कि एक्जीक्यूटिव जुडीशियरी को इंफ्लुएन्स (प्रभावित) किया करती है। मैं इत्तिला के लिए बतलाना चाहता हूँ कि अमरीका जैसे जम्हूरी निजाम के अन्दर एक्जीक्यूटिव की जुडीशियरी के ऊपर काफी ताकत पहुँच रही है और उसके खिलाफ एक आवाज बुलन्द हो रही है कि आया गवर्नमेन्ट के चेन्ज होने पर जजेज का चेन्ज होना भी जरूरी है या नहीं। यह एक ऐसा मसला है जो सियासी दुनिया में खास अहमियत रखता है। इस लिए उन्हें यह गौर करना चाहिए और एक्जीक्यूटिव को जुडीशियरी से बिल्कुल अलहदा होना चाहिए और इसकी तरफ हम जितनी जल्द से जल्द कदम उठायें उतना ही बेहतर है। आज जिस तरीके से एक्जीक्यूटिव के हाथों इंसानी सिविल लिबर्टीज का खून हो रहा था यह मैं नहीं कहता बल्कि हाईकोर्ट के रोजाना के फैसले अगर आप देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि जितने कानून आपने बनाये हैं एक्जीक्यूटिव की बुनियादों पर उनके मुताल्लिक हाईकोर्ट के जजेज की यह राय है कि

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

यह ब्लैक लाज (काले कानून) हैं और उन्होंने इंसानी सिविल लिबर्टीज पर बहुत भारी धक्का लगाया है। वह गवर्नमेण्ट जो अपने को जनता की सरकार कहती है डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) का नारा बुलन्द करती है उसके लिए यह जेबा नहीं देता कि वह ऐसे कवानीन बनाये। आप अपने आपको राय आम्मा का उम्मीदवार कहते हैं। उन्हीं के इशारों पर चलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं और जब यह आप की ख्वाहिश है तो मैं समझता हूँ कि सब से पहले आपका यही फर्ज है कि आप जनता की सिविल लिबर्टीज के जो अख्तियार हासिल हैं उनको एक्जीक्यूटिव के हाथों से इस जुडीशियरी द्वारा सेव करायें (बचायें)। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि इस पर आप एक अमली कदम उठायें। यह कानून सेपरेशन आफ जुडीशियरी फ्राम एक्जीक्यूटिव (न्याय का शासन से पार्थक्य) एक आई-वाश (आंसू पोंछने) के तरीके पर न हो कर हकीकी मानी में हो ताकि यहां के बाशिन्दे महसूस कर सकें कि उनकी लिबर्टीज (स्वतन्त्रता) एक्जीक्यूटिव के हाथों नहीं दबाई जायेंगी और हमारी इतनी स्ट्रांग (मजबूत) है कि वह एक्जीक्यूटिव को सही रास्ते पर ला सकती है। आप मजिस्ट्रेटों की जहमतों को नहीं जानते। उन्हें बहुत सी गैर कानूनी कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं। उन्हें बहुत सी जहमतें उठानी पड़ती हैं। इसके लिए वह सब कुछ करते हैं। चाहे उनका दिल चाहता हो या नहीं लेकिन वह करते हैं। जहां तक ऐसे मसलों का ताल्लुक है उनको उनके हाथों से निकाल कर ऐसे हाथों में दिया जाये जो उनसे बरी हों और सब का उन पर ऐतमाद हो, जैसे आज इस मुल्क की जुडीशियरी पर लोगों का ऐतमाद है। यहां की पब्लिक से पूछिये कि हाईकोर्ट के जजेज पर उसका कितना विश्वास है कितना यकीन है कि उसके साथ किसी तरह की नाइन्साफी नहीं होती। लेकिन एक यह भी डर है, माफ कीजिएगा, जो सलेक्शन जजेज का हो रहा है वह काफी गौर खोज के बाद होना चाहिए। मेरिट इज दि मेन कन्सीडरेशन (योग्यता ही विशेष विचारणीय है।) और कोई कंसीडरेशन (विचार) नहीं होना चाहिए या उसको चीफ जस्टिस के फैसले पर छोड़ दें। अभी हाल ही में पता चला है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ जगहें खाली हुई हैं उनके मुताल्लिक रिकमेन्डेशंस (सिफारिशें) आने वाली हैं।

माननीय माल सचिव--प्वाइंट आफ आर्डर सर (वैधानिक प्रश्न श्रीमान्) मेरे लायक दोस्त बहस कर रहे हैं कि आइन्दा जो जजेज हाईकोर्ट के मुकर्रर हों उनके बारे में यह बात सोच ली जाये कि वह अच्छे से अच्छे हों। वह मसला इस वक्त हाउस के सामने पेश नहीं है। यहां तो इस बिल का ताल्लुक है कि आया यह बिल स्वीकार किया जाय या न किया जाय और जितना वह हिस्सा मेरे लायक दोस्त की तकरीर का है वह आउट आफ आर्डर (अवैधानिक) है।

श्री फखरुल इस्लाम--मैं तो यह कह रहा था कि जुडीशियरी का जो इन्चार्ज हो वह इतना बुलन्द हो कि उसमें कोई कभी बाक न हो। जिस तरह से आप यह फील कर रहे हैं कि जजज को और ताकत दी जाये, चीफ जजेज की रिकमेण्डेशंस (सिफारिशें) मानी जायें और जनता को एक्जीक्यूटिव के जरिये न दबाया जाये, आप भी एक्जीक्यूटिव (कार्यकारिणी) हैं आप सेक्रेटेरियट (सचिवालय) में बैठते हैं मुझे तो आप से भी डर लगता है कि कहीं-कहीं आप से इंसाफ नहीं हो रहा है। आपकी जुडी-

[श्री फखरुल इस्लाम]
शियरी इतनी प्योर (साफ) हो कि उसके मुताल्लिक कोई उंगली तक न उठा सके, बल्कि चीफ जस्टिस की रेकमेंडेशंस (सिफारिश) को अपने सामने रखिये, अपने कंसीडरेशन (विचार) को सामने न लाइये जैसा कि कुछ जगहें जो खाली हुई थीं उनके मुताल्लिक कहा जाता है, अगर नियत आपकी यह है कि एक्जीक्यूटिव को जुडीशियरी से अलहदा करें और उसकी बुनियादें मुस्तहकम करें। इस लिए आखिर में आपसे अपील करूंगा कि आप पार्टी कंसीडरेशन (दलगत भावना) या अपने परसनल लीनिंग्स (व्यक्तिगत झुकावों) का ख्याल मत कीजिए। जो इंसाफ का महकमा होता है वहां इन चीजों का ख्याल छोड़ना पड़ता है। कहा जाता है कि जस्टिस (न्याय) जहां होता है वहां ईश्वर होता है। तो लोगों को कहीं यह शुबहा न हो कि ईश्वर नहीं है। यह सिद्धांत बहुत ऊंचा है। इस दुनिया में ही नहीं इसके बाद भी हमको और आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी - अपने एक्शंस (कार्यों) की। जहां तक जस्टिस का मोहकमा है मैं अपील करता हूं और गुजारिश करता हूं कि जैसे कि आपने यह कदम उठाया है इसी तरह मैं उम्मीद करता हूं कि आपके हाथों कभी इंसाफ का खून नहीं होगा और जो इंसाफ होगा उसमें गरीब व अमीर का इम्तियाज न होगा और न मुंसिफ के ऊपर कोई एतराज किया जायगा बल्कि एतमाद किया जायगा।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स--श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, जुडीशियल और एक्जीक्यूटिव की अलहदगी करना छोटा सा मसला नहीं है जैसा कि समझा जाता है, बल्कि बड़ा अहम मसला है। इस कदम के उठाने पर जैसा कि मुझसे पेश्तर बोलने वाले साहब ने गवर्नमेंट को इसके ऊपर मुबारकबाद पेश की है मैं भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि बहुत सी बातों में अभी तक बेहद दिक्कतें वाकै हुई हैं। मैं आपके सामने अपने तजुर्बे से यह बतलाता हूँ कि जैसा कि पहली रीडिंग (प्रथम वाचन) में एक साहब ने बतलाया था कि एक गवाह रोज लिया जाता है, ऐसा होता है। ऐसा भी होता है कि उसे बहुत दूर ले आया जाता है जिससे मुल्जिम परेशान होकर वकील न करे और इतना परेशान हो कि वह अपने मुकदमे की पैरवी न कर सके। इस जिम्न में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ फरदन फरदन तवज्जह दिलायी जा सकती है। मैं आप को यह बतलाना चाहता हूँ कि यह बात देखने के लिए कि मुकदमों म इतनी देर लगती है कि अगर अदालत की मिसलों से या जेल में जाकर देखा जाय तो पता चलेगा कि ६, ६ महीने के मुल्जिम पड़े हुए हैं और मुकदमात पड़े हुए हैं, खत्म नहीं हो पाते। एक मुकदमे की बाबत मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मामूली दफा १४५ जाब्ता फौजदारी का मुकदमा था। उसमें सरकार इन्टरेस्टेड (दिलचस्पी रखती) थी, आगरे में १४ महीनें चला और फरीकैन खूब परेशान किये गये। इसी तरीके से और भी बहुत से मुकदमे बताये जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि किस तरीके से काम होता है। मुझको मुल्क अमरीका में एक मुकदमा लड़ना पड़ा। एक धोबी ने मेरे कपड़े जला दिये और कम कर दिये। जब मुकदमा मैंने दायर किया तो उसमें आप यकीन कर लीजिये कि १७ दिन के अन्दर फैसला हो गया, डिग्री भी हो गयी। उन्होंने मुझसे

पूछा कि आप कब तक अमरीका में रहेंगे और मैंने बतला दिया। मुकदमा खत्म होकर १७ वें दिन मेरे पास रुपया भी आ गया। आपके यहां का तरीका तो यह है कि १७ महीने में भी ऐसा मुकदमा नहीं खत्म हो सकता था। इस तरफ आपको तवज्जह करनी चाहिए। जब तक आप जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलहदा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहां के हाईकोर्ट में तो फैसला होने में इतनी देर लगती है जिसका कुछ कहना नहीं। मैं आपकी तवज्जह ज्यादातर इसी तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जब मुल्जिमान का चालान होता है तो उसमें हत्तुलवसा इस कदर जल्दी होनी चाहिए कि उनके मुकदमात ६ हफ्ते के अन्दर जरूर खत्म हो जायं क्योंकि वह वक्त काफी है जो सरकार की तरफ से मुकर्रर किया गया है और उम्मीद करते हैं कि उस वक्त में मुकदमा खत्म हो जाय। अगर कोशिश की जाय तो कोई वजह नहीं है कि क्यों न हो। यह तो उन अदालतों पर मुनहसिर है जो उस मुकदमे की समाअत करती हैं और जो उसमें देरी के वजूहात पैदा करती है। अगर सेपरेशन आफ एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी (न्याय और शासन विभागों के पार्थक्य) हो जाय तो उन वजूहात को दूर किया जा सकता है और इस तरह से उनके अख्तियारात महदूद किये जा सकते है ताकि फैसला होने में देर न लगे और अन्याय भी न हो। यह चन्द बातें कहकर मैं फिर से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने यह जो पहला कदम उठाया है खुदा करे कि आप उसी से पूरी सीढ़ी चढ़ जांय।

श्री अब्दुल बाक़ी—जनाब सदर मोहतरिम, एक मरतबा पहले मैं गुजारिश कर चुका हूँ और अब मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि इस बिल को एक्ट न होना चाहिए। उसके चन्द असबाब हैं और उन सबबों को मैं अपनी मुख्तसिर सी तकरीर में जाहिर करना चाहता हूँ। एक सबब तो वह है कि जब इस बिल को आप देखेंगे तो आपको यह फौरन मालूम हो जायगा कि इस बिल का ताल्लुक सिर्फ दो तीन दफात से है। इस बिल से जो शिकायत का दफिया हो रहा है वह निहायत ही महदूद है और ऐसी महदूद हालत में उसके नतायज जो होंगे अच्छे या खराब मैं समझता हूँ कि इस मुख्तसिर सी तरमीम में अगर कोई फायदा है तो इतना नेगलिजिब्लि (नगण्य) और गैरमहसूस है कि मुल्क के मुतालबे के मुकाबले में हमको उसको नजरअन्दाज ही कर देना चाहिए।

दूसरी चीज यह है कि मुल्क का यह मतालबा आज ही से नहीं बल्कि बहुत अर्से से चला आ रहा है कि उम्माल को अदालतों से अलग कर देना चाहिए और जो लोग इंसाफ करने वाले हैं उनको बहुत बुलन्द जगह पर रखना चाहिए। उनको यह मौका देना चाहिए कि उन पर किसी किस्म का दबाव न पड़ सके। आपने चन्द दफात की अपील सुपुर्द की है। सेशन जज, एडीशनल सेशन जज, सबार्डीनेट सेशन जज के सुपुर्द की है और वह भी निहायत महदूद है। मैं समझता हूँ कि हमारे मुसलसल और पैहम मुतालबात का यह तकाजा था कि जितनी अपीलें मजिस्ट्रेट के पास जाती हैं उन सब को आप मुन्तकिल कर देते सिविल सेशन जज को, या असिस्टेंट या सबार्डीनेट जज को और कोई भी फैसला जिसकी अपील मजिस्ट्रेट के यहां होती है उनके कब्जे में न छोड़ते। मैं ऐसी हालत में समझता कि दरहकीकत आप इस बिल को लाये हैं और इसका मकसद यह है कि आपके मुल्क में जो आम मुतालबा था उस

[श्री अब्दुल बार्की]

मतालबे को आपने सही तौर से समझा है और उसी बिना पर इस मुल्क में जो लोगों को अर्से से शिकायत चली आ रही है उसका आप इन्तजाम करना चाहते हैं। मगर यह चीज नहीं है। आपने तो सिर्फ चन्द अपीलों के मुताल्लिक इस बिल के जरिए से तजवीज की है कि उसकी अपील मजिस्ट्रेट के पास न हो बल्कि सेशन जज के पास हो। मगर थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के जो फैसले होते हैं अव्वलन तो जिस तरीके से फैसला होता है वह भी मालूम है। जिन लोगों को अदालतों का तजुर्बा है उनको मालूम है कि मुकदमात में कितनी देर होती है, ऐसा भी होता है कि लोग गिरफ्तार होते हैं और ६-६ महीने गुजर गये और उनका कुछ फैसला नहीं हुआ। मुल्क ऐसी हालत में तो आपसे यह तवक्को नहीं करता कि आप कुछ चीजों को जरा सी तरमीम करके लोगों को खुश कर दें और जाहिर करें कि हमने मुतालबे के तरमीम और कानून में तब्दीली कर दी है। मुल्क का यह मुतालबा है और जिसकी शिकायत चली आती है वह यह है कि मुकदमों में देर लगती है और तमाम फैसले ऐसे करते हैं कि वह अपने सिर से बार उतारते हों और जिस तरीके से शहादतें गुजरती हैं और जैसे उसे सप्रेस (दबाया)और मोल्ड (बनाया) किया जाता है। यह चीजें इस मुल्क से खत्म हो जानी चाहिए। पुराना राज खत्म हो गया, पुरानी बातें खत्म हो गयीं। मेरे ख्याल में यह बिलकुल गैरमुनासिब है कि आप मुख्तसिर तरमीम करके हमें खुश कर दें और कह दें कि साहब एक मुतालबा हमने मंजूर कर लिया है।

तीसरी चीज यह है कि एक निजाम के अन्दर जिसमें मुसलसल कड़ियां हैं और अगर उसकी एक कड़ी बेकार है तो सिर से पैर तक सारा निजाम बेकार है। सिर्फ एक कड़ी की दुरुस्ती से सारा निजाम नहीं सुधर सकता। हमारी यह शिकायत नहीं है कि ११८ या ४०० दफा ही खराब है बल्कि हमारी शिकायत यह है कि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (अपराध विधि संग्रह) में बहुत से नकायस हैं जिनको कम से कम इस हुकूमत के अन्दर खत्म हो जाना चाहिए। हम उम्मीद करते थे और मुल्क को उम्मीद थी कि हुकूमत दफा ११८ और ४०० पर ही निगाह न रखेगी बल्कि जिस निजाम की हमको शिकायत है जिसमें मुल्जिमों को शिकायत है, सही फैसला नहीं किया जाता, सही बर्ताव नहीं होता, कम से कम उन तमाम दफात को आप तरमीम करें जिन पर शिकायत की बुनियाद है। मगर मुझे यह देखकर अफसोस होता है कि आपने पूरी दफात पर पूरे निजाम पर नजर नहीं डाली। मैं यह नहीं कहता कि मुख्तसरन जो यह बिल आप लाये हैं उसमें आपकी कोई बदनीयती है। मेरे कहने का मकसद यह है कि आपको फराखदिल और बुलन्द हौसला होना चाहिए और लोगों की शिकायत का सही मुवाजना करना चाहिए और परखना चाहिए। इसका इलाज आपको जल्द से जल्द करना है, यही हमारा मुतालबा है। आपने तो सिर्फ एक टुकड़े और छोटे से टुकड़े को लेकर कुछ मुन्तखिब कर लिया और उसके बाद आप चाहते हैं कि सिर्फ उतने टुकड़े को तरमीम कर दिया जाय। यह पीसमील लेजिस्लेशन (आंशिक विधान निर्माण) और एमेंडमेंट अच्छा नहीं है उसे मुस्तकिल और देरपा होना चाहिए और जल्द जल्द कानून में तरमीमात न होनी चाहिए। इससे मुल्क में और मुल्क की फिजा

में और हुकूमत में हमवारी पैदा नहीं होगी। अगर आप यह चीज करते हैं तो नहीं मालूम कि आगे कौन सा कदम आप उठाने वाले हैं और आप निजाम की किन किन कड़ियों को दुरुस्त करना चाहते हैं ।

चौथी बात जो इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता था वह यह है कि इसमें आपने जो प्रोवाइजो (शर्त) वगैरह लगाया है कि गवर्नमेंट अगर इजाजत देगी तो सेशन जज फलां फलां केस सुन सकेगा, मेरे ख्याल में इस शर्त की कोई जरूरत नहीं थी । बल्कि आप यह शर्त लगाते कि सेशन जज के यहां अपील होगी और पहली अपील के बाद वह क्रिमिनल अपील का फैसला कर सकता है । इसकी कोई जरूरत नहीं है कि गवर्नर या प्राविंशियल गवर्नमेंट (प्रान्तीय सरकार) इजाजत देगी । उनके अख्तियारात को महदूद करेगी या वसीअ करेगी । यह ऐसी खराबियां हैं जो सभी के सामने हैं । जिस हालत में यह बिल इस एवान के सामने रखा गया है उस हालत में किसी तरीके से भी इसको एक्ट की शक्ल नहीं देनी चाहिए । इन चन्द अल्फाज के साथ मैं इसके पास होने की मुखालिफत करता हूँ ।

श्री जाकिर अली—सदर मोहतरिम, जनाबवाला, जहां तक कानून की इस तरमीम का ताल्लुक है कि मजिस्ट्रेटों के अख्तियारात सेशन जजेज को या डिस्ट्रिक्ट जजेज को मुन्तकिल किये जायें, यह चीज अपनी जगह पर वाकई अहम है और हालांकि यह मामला ऐसा है कि इसमें वकीलों को और लोगों को कहने का मौका ज्यादा होना चाहिए जो कानून पेशा हैं। लेकिन एक खास चीज ऐसी है जो मैं समझा हूँ कि जो वकील नहीं हैं उनको कहने का ज्यादा हक है। बेइन्साफी और तकलीफ सिर्फ खिलाफे इन्साफ फैसलों से ही नहीं होती है बल्कि इससे भी होती है कि तरीके अदल गुस्तरी में वर्षों लग जाते हैं। लोग जिस मकसद से अदालतों में जाते हैं वह मकसद हासिल नहीं होता और व तबाह हो जाते हैं। इलाहाबाद में एक पुराना वाकया मशहूर है कि किसी ने वहां पर सवाल किया कि इलाहाबाद में फकीर ज्यादा क्यों हैं तो जवाब यह मिला कि चूंकि यहां हाईकोर्ट है इस लिए गदागर ज्यादा हैं। फिर सवाल करने वाले ने पूछा कि हाईकोर्ट और फकीरों से क्या ताल्लुक है तो उन्होंने कहा कि जो मुकदमा लड़ते लड़ते हाईकोर्ट में आते हैं और जो जीत जाते हैं वे तो सिर्फ इस काबिल होते हैं कि अपने घर चले जायें और जो हार जाते हैं वे यहीं पर भीख मांगते हैं। तो उस तरीके अदल गुस्तरी से मखलूक को तकलीफ होती है। अब रहा यह कि जो मौजूदा तरमीम है उससे जजेज के पास काम इतना बढ़ जायगा कि जो मुकदमें तीन चार बरस में होते थे वे आठ आठ बरस तक में भी नहीं होंगे। जिस वक्त तक इस मुल्क को आजादी हासिल नहीं हुई थी उस जमाने के जद्दोजहद में कुछ मैंने भी शिरकत की है। और उस जमाने की तकरीरों का जो लबोलुबाब मैंने निकाला वह यही था कि यह इस मुल्क में अंग्रेजों के रायज किये हुए तरीके निहायत तकलीफदेह और हमारी गुलामी का बायस हैं और जब हमें स्वराज्य हासिल होगा, आजादी हासिल होगी तो हम अपनी नेचर (प्रकृति) और मिजाज के मुआफिक अदलगुस्तरी का काम करेंगे। लेकिन मैं यह देखता हूँ कि हमारे लीडर आफ दि आपोजीशन भी एक वकील हैं और वे भी उसी पुराने कानून की तहत में उसी अदल गुस्तरी से

[श्री जाकिर अली]

काम कर रहे हैं जिससे मखलूक को तकलीफ होती है। वे समझते हैं कि चूंकि फलां कानून में दिया हुआ है इस लिए ऐसा होना चाहिए। मै कहता हूँ कि उस कानून को अजसरे नौ ओवरहाल (कायाकल्प) करने की जरूरत है। मखलूक की जो तकलीफें है कि मैजिस्ट्रेट बेइंसाफी करते है और सेशन जज इंसाफ करते हैं ये सब दूर हो जायेंगी। जो आदमी मुकदमा दायर करता है उसकी जान चार चार बरस तक मुसीबत में आ जाती है और जिस मुकदमे का फैसला पहले तीन चार बरस में हो जाता था उसको भी वे लोग आठ आठ बरस तक लटकाये रहेंगे। मेरा अपना तजुर्बा यह है कि इस वक्त जो इंसाफ का तरीका जो अंग्रेजों के जमाने से कायम हुआ है वह यही है कि जो वकील और गवाह मुकदमें को बना कर जज के सामने रखते है वह उसके मुताबिक फैसला कर देते हैं। लेकिन इंसाफ का तरीका जो चला आता है इसको बदलना है और गवाह और वकील के हाथ में जो मुकदमें का दारोमदार रहता है वह गलत तरीका है कि जैसा जज के सामने रख दिया उसके मुताबिक फैसला कर दिया। लेकिन आज गवर्नमेण्ट को यह ताकत हासिल है कि वह यहां की हालत को, यहां की नेचर को समझे। किस सूरत में मुकदमों का फैसला और दायरा होना चाहिए इसकी पूरी तरह से स्टडी (अध्ययन) करना चाहिए। हमारे मुल्क में किस तरह सही तरीके से इंसाफ हो इस पर बखूबी गौर करना चाहिए और इतना अच्छा और मुकम्मल होना चाहिए कि जितनी जल्दी हम उसको यहां पेश करें उतनी जल्दी ही वह पास हो जाये और कोई भी उसकी मुखालिफत न करे। बहस और मुबाहसा तभी होता है जब किसी कानून क अन्दर कमी होती हैं। मेरी राय में यह कानून जो आज पेश किया जा रहा है इलकंसीडर्ड (दुर्विचारित) है। कोई बिल यहां पर लाकर हमें उजलत में कानून नहीं बनाना चाहिए। लेट इट वी वेल कन्सीडर्ड (इस पर अच्छी तरह से विचार कर लिया जाये) ताकि उसको जल्दी से तब्दील करने की जरूरत बाकै न हो। और मखलूक को तकलीफ न हो अगर मखलूक को कोई तकलीफ हो तो हमको उसे दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यहां पर आप बहुत से साहबान वकील हैं और हमारे लीडर साहब भी खुद वकील है इस लिए इस कानून को जल्दी में नहीं बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए। हाउस के सब मेम्बर साहबान को यह मालूम हो कि यह जस्ट (ठीक) होना चाहिए और दुरुस्त होना चाहिए। अगर कोई मखलूक को तकलीफ है तो उसको दूर करना चाहिए। और इस तरीके इन्साफ को हमें शुरू से आखिर तक ओवरहाल (पुनरुद्धार) करना चाहिए ताकि अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वह न रहे। सब वकील लोग जानते हैं कि किसी मुकदमे का तो ५० दफे होना, बजाय ५ दफे के, उनके लिए ज्यादा मुफीद है। पंचायत राज के ऐक्ट से भी आपका मतलब यही है कि मुकदमेबाजी को कम किया जाय। लेकिन जो लोग अदालत के पास जाने के लिए मजबूर हैं उनको कम से कम सही इंसाफ मिलना चाहिए। इस लिए इस पर ज्यादा गौर और फिक्र के साथ कोई कदम उठाना चाहिए। इस पर हमको पूरी तरह से गौर करना चाहिए, कोई कदम उजलत में नहीं उठाना चाहिए। आपको यह नहीं समझना चाहिए कि यहां पर कोई बिल पेश किया जाये और उसकी कोई मुखालिफत न करे और वह

फौरन पास हो जाय। मैं समझता हूं कि आपको इस तजवीज पर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए और उजलत में इसको पास नहीं करना चाहिए। इसलिए जो तजवीज पेश की गयी है उसको मंजूर करना चाहिए।

माननीय मान सचिव--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे मुअज्जिज दोस्त सैयद जाकिर अली साहब से बुजुर्गी की सलाह जो मुझे मिली है उसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ। और उसके सम्बन्ध में सिर्फ मैं इतना अर्ज करना इस मौके पर मुनासिब समझता हूं कि बहुत ठंडे दिल से उनकी बातों पर विचार किया जाय। लेकिन उनसे मेरा एक निवेदन है कि वह बराये मेहरबानी मेरी इस बात में पूरी मदद करें कि मुफ्ती साहब और लारी साहब की सहायता और सहयोग में इन सब मामलों में आसानी से हासिल कर सकूं। जहां तक हमारे दोस्त मुहम्मद बाकी साहब का ताल्लुक है उन्होंने बहुत सी उसली बातें बताई और वह इस सम्बन्ध में थी कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव अलग किये जायें। मैंने शुरू में ही अर्ज कर दिया था कि जहां तक इन दोनों के सेपरेशन (पृथकत्व) का ताल्लुक है इसमें दो रायें नहीं हैं और यह बिल तो इस सम्बन्ध में एक कदम आगे का है और इसी लिए यह बिल इस एवान के सामने लाया गया है।

आज भी उस तरफ से जो तकरीरें हुई वह ऐसी हुई, अगर मैं माफ कर दिया जाऊँ तो अर्ज कर दूं, कि मालूम हुआ कि बजट का जनरल डिस्कशन (साधारण वादविवाद) हो रहा है। बिल में क्या बात और तकरीर में क्या बात। तकरीरों का ज्यादातर हिस्सा उन उन मुख्तलिफ बातों के मुताल्लिक था जिनका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। फखरुल इस्लाम साहब ने जजों की तकर्रुरी के सम्बन्ध में भी बहुत सी बातें कीं, हां इससे कुछ लोग जरूर खुश हो जावेंगे कि बात हाउस में कही गयी, लेकिन इस बिल के सम्बन्ध में उन बातों का कोई असर नहीं होता। यह भी बतलाया गया कि जुडीशियरी को बहुत ही बुलंदाज पैमाने पर रखना चाहिए ताकि एक्जीक्यूटिव का जुडीशियरी पर कोई असर न पड़े। यह बिल्कुल ठीक है। और मैं सोचता था कि मुफ्ती साहब यह कहेंगे कि जुडीशियरी पर एक्जीक्यूटिव का यह असर पड़ा वह असर पड़ा। लेकिन जब उन्होंने, गवर्नमेण्ट ने, जो कानून बनाये उनके बारे में हाईकोर्ट की राय बताई और यह फरमाया कि हाईकोर्ट ने इन कानून को खराब कानून तसव्वर किया तो यह तो इस बात की दलील है कि हमारी जुडी-शियरी बड़ी इंडिपेंडेंट (स्वाधीन) है और उस पर न कोई असर डाला गया, न डाला जा रहा है और न डाला जा सकता है। तो फिर ऐसी सूरत में उसके मुताल्लिक लम्बी लम्बी तकरीरें करने से तो मैं समझता हूं कि पब्लिक का कोई इंटरेस्ट (हित) सर्व नहीं होता। हां, यह तो जरूर समझा जायगा कि एक तकरीर हो गयी और बड़े बड़े उसूल उसमें बतलाये गये लेकिन बीच बीच में जो हमले और इल्जामात आयद करने की कोशिश की गयी उसकी तरदीद तो खुद मुफ्ती साहब की तकरीर से होती है। लिहाजा ऐसी सूरत में मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसके मुताल्लिक काफी बहस मुबाहसा हो चुका है। उसूली बातें भी काफी कही गयी। बार बार उनको दुहरा कर मैं इस एवान का, इस भवन का, वक्त खराब नहीं

[माननीय माल सचिव]
करना चाहता। माननीय प्रधान मंत्री ने भी मुफस्सिल तौर पर कुछ बातें कहीं जिनका कि डाइरेक्ट (सीधा) सम्बन्ध इस बिल से था। उनको भी मै दोहराना नहीं चाहता। लिहाजा यह इस्तदुआ करूँगा कि यह एवान इस बहस मुबाहसे के बाद अब इस बिल को स्वीकार करे ताकि जनता का लाभ हो और जो लोग इससे फायदा पा सकते है उनके पाने में कोई रुकावट न हो। काफी रुकावट, एक दो घण्टे की, लारी साहब ने और मुफ्ती साहब ने डाली है, लेकिन फिर भी हमारे मुफ्ती साहब ने मुझे मुबारकबाद दिया उसके लिए मै मशकूर हूँ। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाय तब भी गनीमत ही है। मुफ्ती साहब को भी अक्ल आगई और आखिर में उन्होंने कहा कि बिल बहुत अच्छा है और मुझको उन्होंने मुबारकबाद दिया, इसके लिए मै उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनमें भी अक्ल आ गई। इसके बाद मै प्रार्थना करता हूँ कि हाउस इस बिल को मंजूर करे।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि दण्ड-विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल, सन् १६४८ ई० को मंजूर किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का (द्वितीय संशोधक) बिल

धारा २१ (जारी)†

डिप्टी स्पीकर—अब संयुक्त प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के (द्वितीय संशोधक) बिल, सन् १६४८ ई० पर, जैसा कि वह विशिष्ट समिति से संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

इससे पहले धारा २० तक मंजूर हो चुकी हैं। धारा २१ पर श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी के संशोधन‡ पर विचार हो रहा था। इस वजह से आइन्दा कार्यवाही नहीं हुई थी कि उन संशोधनों में कुछ गलती थी।

अब इस पर विचार जारी है।

माननीय स्वशासन सचिव—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो संशोधन श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी साहिबा ने पेश किया है, उसके सम्बन्ध में जहां तक उसकी मंशा का ताल्लुक है, वह मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन जिस रूप में संशोधन पेश किया है वह रूप कुछ इस किस्म का नहीं मालूम होता है कि इस कानून में दर्ज किया जा सके। इस वास्ते मैं ठीक रूप में उनके संशोधनों को पेश करना चाहता हूँ। अगर वह इस रूप को पेश करें तो मैं उन संशोधनों को मंजूर कर लूंगा। वह संशोधन इस प्रकार होने चाहिए—

प्रस्तावित बिल की धारा २१ के स्थान में निम्नलिखित धारा रखी जाय :—

"२१ (क) मूल ऐक्ट की धारा ६१ वाक्य-खण्ड (c) में शब्द "dispensaries" के ठीक पहले शब्द "maternity centres, children's clinics" रखे जायँ।

(ख) मूल ऐक्ट की धारा ६१ के वाक्य-खण्ड (d) के बाद निम्नलिखित वाक्य-खण्ड (dd) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

---

† १ अप्रैल, १६४८ की कार्यवाही में छपी है।

‡ १ अप्रैल, १६४८ की कार्यवाही में छपी है।

"(dd) The establishment, management, maintenance and inspection of assistants, assistance to centres of physical culture, cottage industries and other development activities including volunteer corps."

ये संशोधन जो उन्होंने पेश किये थे, उनकी शक्ल इस किस्म की है कि वे ठीक तरह से इस बिल मे चस्पां नहीं हो सकते। इस लिए यह सुधार उनके सुझाव के लिए पेश करता हूं। अगर वह मंजूर करे तो मै उनके संशोधनों को इस रूप मे मंजर कर लूंगा।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी--मुझे स्वीकार है।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि बिल की धारा २१ के स्थान मे निम्नलिखित धारा रखी जाए :--

२१--(क) मूल ऐक्ट की धारा ९१ के वाक्य-खण्ड (६) मे शब्द "dispensaries" के ठीक पहले शब्द "maternity centres and children's clinics" रखे जाये।

(ख) मूल ऐक्ट की धारा ९१ के वाक्य-खण्ड (डी) के बाद निम्नलिखित वाक्यखण्ड (डी डी) के रूप में बढ़ा दिये जायें :--

"(dd) The establishments, management, maintenance and inspection of assistants, assistance to centres of physical culture, cottage industries and other development activities, including volunteer corps."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि बदली हुई धारा २१ इस बिल का हिस्सा मानी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २२

२२--मूल ऐक्ट की धारा १०८ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाये, अर्थात् :--

संयुक्तप्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ई० धारा १०८ का संशोधन।

"108. A board—

(a) shall, by notification in the official Gazette impose a local rate under section 3 of the United Provinces Local Rates Act, 1914 as modified by this Act; and

Boards power to impose and continue a local rate.

(b) may, continue a tax already imposed on persons assessed according to their circumstances and property (hereinafter referred to as the "tax on circumstances and property") in accordance with section 114 :

Provided that the tax on circumstances and property so imposed shall not be abolished or altered without the previous sanction of the Provincial Government."

डिप्टी स्पीकर--धारा २२ में किसी तरमीम की इत्तिला नहीं है।

सवाल यह है कि धारा २२ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २३

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० १०, सन् १६२२ ई० की धारा १०६ का संशोधन।

२३--मूल एक्ट की धारा १०६ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रक्खी जाय, अर्थात्:--

Local Rates U. P. Act, I of 1914.

"109. For section 3 of the United Provinces Local Rates Act, 1914, the following section shall be substituted, namely :

Imposition of local rates.

"3. (1) The district board of any district shall impose in all local areas within the district not subject to the Benares Permanent Regulations, 1795, a rate of 9⅜ per cent. on the annual value of each estate situated therein. Such rate shall be assessed in the manner prescribed and shall be payable by each such estate.

(2) The district board of any district shall impose in all local areas within the district subject to the Benares Permanent Settlement Regulation, 1795, a rate to be levied in respect of each estate within such local area and to be assessed in the following ways :

(a) at a prescribed uniform amount, not exceeding three annas nine pies per acre, upon the area under cultivation at, or within the three years immediately preceding the date of assessment, or

(b) at prescribed differential amounts per acre on the aforesaid area according to the nature or value of the crops grown on, or capable of being grown on, or according to the rent realized or capable of being realized from, the several portions of such area, provided that the rate to be assessed, under this clause on any acre shall not exceed three annas nine pies.

(3) The rates mentioned in sub-sections (1) and (2) shall be levied from such date as may be specified by the Provincial Government in this behalf."

*श्री जगन्नाथ बख्श सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा २३ में मूल ऐक्ट की बदली हुई १०६ की उपधारा ३(१) की पहली पंक्ति में शब्द "shall" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "may by notification in the gazette"

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

रख दिये जायं। इसी की चौथी पंक्ति में शब्द "of" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "not exceeding" लिखे जायं।

श्रीमान, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बिल की इस धारा के अनुसार सरकार को कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त होती है। कर लगाना अथवा कर में वृद्धि करना जो जनता के ऊपर सम्पूर्णतया अवगत हों यह ऐसी बातें हैं जिन पर इस भवन को विशेष रूप से विचार करके आज्ञा देनी चाहिए। कर लगाने की जितनी आज्ञाएं हैं अथवा कर लगाने के जितने अधिकार सरकार को मिले हैं उन पर इस भवन का विशिष्ट रूप से विचार करना आवश्यक है। माननीय सभासदों की पहली और मुख्य जिम्मेदारी है कि जनता पर कोई कर अधिक न लगे। जहां तक उनकी यह जिम्मेदारी है कि जनता सरकार के प्रबन्ध के वास्ते उचित कर दे वहां यह भी उनकी जिम्मेदारी है कि कर अधिक न हो। मेरा विचार है कि सरकार इस कर के द्वारा अपनी शक्ति प्राप्त करती है, टैक्स लगाने के जो अख्तियारात ले रही हैं वह नामुनासिब है। इस वास्ते इस मौसम के सख्त मौके पर भी इस भवन का कुछ अधिक वक्त लेने के लिए मजबूर हूं। गोकि मैंने इस बिल की धारा पर और कोई संशोधन नहीं किया सिवाय उनके जो कर से संबंधित हों। फिर भी इस विषय की महानता को देखते हुए मुझे यह आवश्यक मालूम होता है कि मैं कुछ कर की मीमान्सा विशेष रूप से करूं। इस प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कर लगाने का अधिकार सन् २२ ई० के पहले नहीं था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर का पुराना इतिहास यद्यपि मैं यहां पर दुहराना नहीं चाहता फिर भी उसके लिए थोड़े से शब्द कहूंगा जो मेरे विषय से संगत हैं। इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि मिण्टो मार्लो रिफार्मस् (सुधारों) के समय में जो अधिकार इस धारा सभा को थे उनमें एक रूल १३ के जरिए से ऐसी बातों पर विचार करने का अधिकार होता था। सर जेम्स विलियम के समय में एक रूल १३ कमेटी कायम हुई थी। उसने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टैक्स लगाने के सिद्धांतों को निर्धारित किया। इस रूल १३ कमेटी की रिपोर्ट के बमूजिब उस समय के स्वशासन सचिव ने अर्थात् माननीय श्री जगत नारायण ने सन् २२ ई० में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट बिल यानी कर लगाने का अधिकार पहले पहल प्राप्त किया। वह अधिकार उनके उस रूल १३ कमेटी के अनुसार था। पंडित जी ने जो एक बड़े प्रतिष्ठित और आदरणीय व्यक्तियों में, इस लखनऊ के क्या इस प्रान्त के थे, उस समय उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड १९२२ का ऐक्ट पास किया उसका विशेष विरोध हुआ और कर की धाराओं का भी विशेष विरोध हुआ। मैं यह जरूर कहूंगा कि कर लगाने का जो सिद्धांत १९२२ के एक्ट में कायम किया गया था उन्हीं को इस सरकार ने मंजूर करके कर बढ़ाने का बिल भी रक्खा है। यह जहां तक मुझे याद है मैं माननीय स्वशासन सचिव से यह बात ज्ञात कर चुका हूं कि पंडित जगत नारायण जी के बिल में जो उद्देश्य था जो एम्स एंड आवजेक्ट्स (उद्देश्य और कारण) १९२२ के बिल में थे वह ज्यों के त्यों अब तक मौजूद हैं। इसलिए मुझको यह आवश्यकता हुई कि मैं इस भवन को यह दिखलाऊं कि १९२२ के एक्ट के उद्देश्य और कारण (एम्स एंड आवजेक्ट्स) को लेकर ही यह बिल पेश किया गया है क्योंकि उनका बहुत कुछ

[श्री जगन्नाथ बख्श सिंह]
प्रभाव हमारे इस बिल पर भी है। मैं १९२२ के बिल में जिन शब्दों का हमारे विषय से संबंध है उनको दुहराना चाहता हूँ :—

"The power of local taxation will be wide and subject to few restrictions, and, although Government assistance must perforce continue, the new boards will be expected to look to local taxation rather than to Government for the funds needed for the expansion of their administrations.

("स्थानीय कर लगाने का अधिकार विस्तृत होगा और कुछ प्रतिबन्धों के साथ और यद्यपि सरकार की सहायता जारी रहेगी तथापि नवीन बोर्डों से आशा की जाती है कि वे अपने प्रबन्ध में उन्नति के लिए सरकारी सहायता की अपेक्षा स्थानीय कर लगाने पर विचार करें")

यह तो उन्होंने कर लगाने के सिद्धांत की अपने स्पीच में, जिस समय वह डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड बिल लेजिस्लेटिव कौंसिल में पेश कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने उसकी व्यवस्था व्याख्या की कि कहां तक इन सिद्धान्तों को मानना चाहिए, कहां तक इन सिद्धांतों पर काम करना चाहिए और किन अवस्थाओं में कर लगाना इन सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा और टैक्स नहीं लगाना चाहिए। फिर भी मुझको इसे माननीय भवन के सामने उपस्थित करना है। माननीय पन्त जी ने अपनी स्पीच के शुरू में ही कहा था कि यह बिल जो मैं पेश कर रहा हूं :—

"It has reduced the external control to a minimum; it has given all these bodies the power of taxation—the so-called power of the purse. They will be, in future, masters in their own house............"

('इससे वाह्य नियन्त्रण काफी कम हो गया है इससे उन सब संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार दे दिया गया है——यानी तथाकथित व्यय करने का अधिकार भविष्य में वे अपने घर के स्वामी बन जायेंगे ....।"

इतने अधिकार देकर अब पन्त जी अपनी स्पीच के मध्य में कहते हैं :—

"Therefore, sums will be required for this purpose also. If it is contended that there should be no future expansion of education, that no improvement is required in sanitation, that it is not the duty of district boards to increase the number of travelling dispensaries, that no steps should be taken by them for the purpose of preventing disease, that even existing schools should be cut down and the number of travelling dispensaries should be diminished, then certainly no money would be required."

("इस लिए इस कार्य के लिए रकमों की आवश्यकता होगी। यदि विवाद के रूप में कहा जाय कि अब शिक्षा का आगे विकास न होना चाहिए; सफाई में सुधार की आवश्यकता नहीं है; यह जिला बोर्डों का कर्तव्य नहीं

है कि वे ट्रैवलिंग डिस्पेंसरियों की संख्या बढ़ावे, उन्हे बीमारियों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही न करनी चाहिए, वर्तमान स्कूलों की संख्या भी घटा देनी चाहिए, और ट्रैवलिंग डिस्पेंसरियों की संख्या बिल्कुल कम कर देनी चाहिए तो निःसंदेह रूपये की आवश्यकता न होगी।")

मौलिक ऐक्ट के पास करने के अधिकारी लेजिस्लेटिव कौंसिल के माननीय सचिव जिन्होंने इस बिल को १९२२ में पास किया, उनका विचार यह था कि यह बातें जिनका मैंने निवेदन किया है अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं करता, उससे ऐसी आशा नहीं होती तो बेशक कोई कर, कोई टक्स लागन का अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जनता पर नहीं होगा और न होना चाहिए। अब केवल मुझको यह दिखलाना है कि आया ये बातें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में हैं जिनको उन्होंने कहा, अथवा नहीं है। यह दिखलाने के लिए भी मुझको कुछ अपने शब्द कहने नहीं हैं। मैं सरकार के अनेक विभागों की उन रिपोर्टों का हवाला भी नहीं देना चाहता जिनमें सरकार ने बार बार प्रान्त के शासन और म्यूनिसिपलबोर्ड के प्रबन्ध को कुप्रबन्ध बतलाया है। कितने ही बोर्ड्स को स्थगित कर दिया। आदि से अन्त तक लेकर उनके अधिकारों को न्यून कर दिया, अख्तियारात में कमी कर दी। मैं इस विषय में भी कोई अपना मत प्रकट नहीं करना चाहता। मैं इस भवन के माननीय सदस्यों के विचार प्रकट करना चाहता हूँ। सेलेक्ट कमेटी (विशेष समिति) में जब यह बिल पेश हुआ था, सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों ने इसके ऊपर क्या राय दी। मैं केवल दो वाकयात आप के सन्मुख रखना चाहता हूँ। रिपोर्ट के पांचवे वाक्य में यह लिखा है कि धारा १३ पर विचार करते समय श्रीकृष्णचन्द्र व श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी जी ने सरकार की शिक्षा नीति का विरोध किया और उन्होंने आग्रह किया कि डिस्ट्रिक्ट-बोर्डों के स्कूल केवल बोर्डों के ही अधिकार में किये जायँ और स्कूलों के डिप्टी इन्स-पेक्टर बोर्डों के प्रेसीडेण्ट के अधीन रहें। कुछ और सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया। ऊपर केन्द्रीय शासन द्वारा कार्य करने की सरकारी नीति के विरुद्ध भी आवाज उठाई। माननीय शासन सचिव के विश्वास दिलाने पर कि सरकार इन सब प्रश्नों पर पूर्णतया विचार करेगी और समयानुसार उन्हें अधिक अधिकार मुहकमों की ओर से दे दिये जायंगे, विरोध वापस लिया गया।

इससे आगे चलकर धारा २५ के विषय म हमारे माननीय मेम्बर श्री वेंकटेश नारायण तिवारी ने अपने विचार प्रकट किये। उनको मैं स्वशासन पर एक विशेषज्ञ समझता हूँ। उन्होंने पहले से भी इस विषय का परिशीलन किया। तिवारी जी का विचार सुन्दर है।

बिल की २५ वीं धारा पर विचार करते हुए श्री वेंकटेश नारायण तिवारी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि लोकल रेट अथवा और कोई टैक्स बोर्ड उस समय तक न बढ़ावे जिस समय तक कि सरकार बोर्डों को अनुदान देने की नीति के सम्बन्ध में कोई समयानुकूल नियम न बना ले। उन्होंने सरकार की नीति की घोर आलोचना की और कहा कि उसकी नीति से बोर्डों की उन्नति रुक गयी है और जिसने बोर्डों को शक्तिहीन बना दिया है। लेकिन माननीय स्वायत्त शासन सचिव

[श्री जगन्नाथ बख्श सिंह]
के आश्वासन दिलाने पर कि इसके लिए एक कमेटी नियुक्त कर दी जायगी उन्होंने अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया था। यद्यपि श्री वेंकटेश नारायण को अपने विचार प्रकट करने का मौका नहीं मिला। सम्भव है कि वह अब अपने विचार प्रकट करें परन्तु प्रो० कृष्णचन्द्र जी नें वृहत् रूप में सरकार के शासन पर अपना विचार प्रकट किया था। उनका विशेष स्मरण दिलाने की आश्वश्यकता मुझे नहीं है क्योंकि माननीय स्वायत्त शासन सचिव ने स्वयं स्वीकार कर लिया था कि यह खामियां सरकार के ख्याल में हैं और उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि हम कमेटी मुकर्रर करेंगे जो टैक्स को पॉलिसी पर सरकार के सामने अपने विचार रखेगी। सरकार नहीं मानती है और उसने उसको डयोढ़ा कर दिया है तथा उन्होंने ५० फीसदी टैक्स बढ़ाने का इरादा किया है।

कुछ दूसरे मेम्बरान ने इस भवन में जब कि पहली अप्रैल को बहस हो रही थी, वह तारीख तो मौजूं नहीं थी। मगर एक के बाद दूसरे मेम्बर नें इस बिल पर सरकार की नीति का घोर विरोध किया। शिक्षा मे, सफाई में, ट्रैवलिंग डिस्पेंसरी के मामले में स्कूलों के मामले मे कितने अधिकार डि० बोर्डों के कम कर दिये गये और कर लगाने में उनको विशेष अधिकार देने की आवश्यकता बतलाई गई और मुख्यत: इस कारण से मै कहता हूँ कि अगर कोई भी धारा असंगत है तो वह कर लगाने की धारा है । जब उनको सेलेक्ट कमेटी की राय पर चलना है और उसकी राय हासिल करना है तब क्या कारण है कि वह इस कदर जल्दी कर बढ़ाने का बिल यहां पेश करते रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि सरकार उस कमेटी में उस विषय को टालना चाहती है। मै भवन क सब सभासदों से निवेदन करूँगा कि सरकार की इस युक्ति को दृष्टांतरित न करें । माननीय सभासदों को स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अभी तक केवल टैक्स बढ़ाने की बात की ही आलोचना कर रहा था और उसके नामुनासिब होने पर बहस कर रहा था। आप तो कर को अनिवार्य करना चाहते हैं। मेरा तो निवेदन यह है कि कर का बढ़ाना ही उचित नहीं है उसको कम्पलसरी बनाना तो आगे की बात है। इस धारा का दूसरा रूप यह है कि सरकार इसके द्वारा अगर हमारे संशोधन स्वीकार नहीं करती तो यह धारा डि० बोर्ड को मजबूर करती है कि वह कर बढ़ायें। और साढ़े ६ के मियार तक उसको बढ़ा दें।

श्रीमान्, मैं पुन: इस भवन के सामने निवेदन करूँगा और उसमें माननीय स्वायत्त शासन सचिव के वक्तव्य का, उनकी स्पीच का हवाला दूंगा। जब उनसे प्रश्न किया गया था कि साढ़े ६ फीसदी की मियार इस ऐक्ट में है क्या वह कुल डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड से पूरी कर ली है तो उन्होंने इन्कार किया था, और किसी बोर्ड ने साढ़े ६ फीसदी तक कर नहीं लगाया। सब से ज्यादा कर लगाने की तादाद जो हुई है वह ५ फीसदी है। यह आंकड़े साबित करत हैं कि संयुक्त प्रान्त के बोर्ड ६ फीसदी ही लगाना जरूरी नहीं समझते और सरकार उनको मजबूर करती है कि ६$\frac{1}{2}$ कर लगायें। यह कहां तक उचित है और संगत है? मुझे इसका विशेष खण्डन करने की आवश्यकता इस भवन में प्रतीत नहीं होती।

माननीय सचिव ने एक विषय की ओर और भवन का ध्यान दिलाया था

और उन्होंने अपने भाषण में बतलाया था कि बोर्डों का उद्देश्य स्वावलंबन हो और सरकार का उद्देश्य देहात में डिसेण्ट्रलाइजेशन (विकेन्द्रीयकरण) है। मै इस विषय की ओर थोड़ा सा ध्यान आप के द्वारा दिलाना चाहता हूँ और सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे माननीय सचिव जब इस विभाग के पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी (सभा सचिव) थे और उन्होंने पंचायत राज बिल को पेश किया था और उसके विषय में उन्होंने अपने अनेक भाषण इस भवन में दिये थे और उन्होंने बतलाया था कि हम हर गांव में एक यूनिट स्थापित करेंगे। उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने यह विचार प्रकट किया था कि हमारा सिद्धांत यह है कि हम गांव को एक यूनिट बना दें, और इसके अनुसार गांव एक यूनिट स्थापित किया जाता। प्रत्येक प्रान्त मे एक प्रान्तीय सरकार का होना आवश्यक है जो केन्द्र के नाम से होगी। प्रत्येक गांव का एक यूनिट होगा जो विकेन्द्र होगा और उसको विशेष अधिकार दिये जायेंगे। ऐसी अवस्था मे मै नहीं समझता कि डि० बोर्ड का क्या स्थान होगा जब गांव एक यूनिट होगा और केन्द्र की सरकार दूसरा, तो डि० बोर्ड मेरे विचार से डाकखाने का काम करेंगे। और डि० बोर्ड को विशेष अधिकार देना या तो गांव के अधिकारों पर आघात करना है या डि० बोर्ड और गांव के प्रबन्ध को सम्मिलित करके खराब करना है। इस तरह विकेन्द्रीयकरण का सिद्धान्त डि० बोर्ड पर लागू नहीं होता। मैंने दो तरह से निवेदन किया, एक तो बोर्डो को अधिकारहीन करने से और पं० वेंकटेश नारायण के शब्दों में उनको शक्तिहीन करने से दूसरा कोई स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। इन विचारों को लेकर मेरा निवेदन है कि सरकार अपने कर बढ़ाने की नीति पर पुनः विचार करे। हमने माना कि उनको अधिकार है और उनको वोट भी मिल सकते हैं और वह इस मामले में जीत सकते है परन्तु महोदय, फौजों और वोटों से राज कायम होते है मगर चल नहीं सकते। इस लिए छोटी छोटी बातों में सरकार को वोटों के बलपूर नहीं बल्कि अपने सिद्धान्तों और धाराओं के औचित्य और अनौचित्य पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से इस कसौटी पर कसने से यह धारा खोटी है। मै फिर यह नहीं कहना चाहता कि सरकार को अपने वोट पर पूरा विश्वास है और उसने यदा कदा बल्कि बहुधा इस भवन में दिखलाया भी है कि इस लिए फिर इस बिल की उस धारा को उड़ाने का, हटाने का प्रयत्न नहीं किया। बल्कि मैंने सिर्फ यही कहा कि "शैल" लफ्ज न रखा जाय, अर्थात् बोर्ड को कम्पलसरी (अनिवार्य रूप से) कर लगाने का अधिकार न दिया जाय। बोर्ड को अधिकार दीजिए कि वे साढ़े छः फीसदी कर लगावें, साढ़े नौ फी सदी कर लगावें, १० फी सदी कर लगाने का अधिकार दे दीजिए। मगर जब आप विकेन्द्रीयकरण का अधिकार देते हैं तो यह भी अधिकार दीजिए कि वे चाहें तो कर लगावें और चाहें तो कर न लगावें। कुछ बोर्ड ऐसे होंगे जिनके पास ऐसी आमदनी होगी जो किसी कर को लगाने की विशेष आवश्यकता नहीं समझेंगे, दूसरे बोर्ड ऐसे होंगे जिनके पास बाजारों और उद्योगों की आमदनी होगी और उनको जमींदारों और काश्तकारों पर कर लगाने की जरूरत होगी। तो क्यों आप कहते हैं, किस सिद्धान्त के अनुसार आप कहते है कि इस बिल के अनुसार ६,३/८ प्रतिशत इन बोर्डो को कर लगाना अनिवार्य होगा।

[श्री जगन्नाथ बख्श सिंह]

यह शासन सिद्धान्त के अत्यन्त विरुद्ध है। मैं समझता हूं कि कम से कम सरकार अगर इस बिल पर कुछ विचार न करे तो उसे मेरे संशोधन को मान लेना चाहिए। आप केवल इस बिल में इस धारा को "अनविलिंग प्रोविजन" (अनिच्छित व्यवस्था) रखें। उसे कम्पलसरी (अनिवार्य) नहीं रखना चाहिए। आप उन्हीं टैक्सों का जो आज लगे हुए हैं, समर्थन करते हैं और एक प्रोजिशन (व्यवस्था) रखते हैं। सरकार का विश्वास है कि सन् १९२२ ई० से लेकर सन ४८ ई० तक साढ़े छः प्रतिशत कर लगाने का जो अधिकार बोर्ड को था जब वह कर नहीं लगा सके तो साढ़े नौ प्रतिशत कर भी नहीं लगावेंगे और यही समझ कर आप उनको मजबूर करते हैं। वे चाहते हैं कि उनका खर्चा कम न हो जाय और उनको और अनुदान भी न देना पड़े। श्री वेंकटेश-नारायण तिवारी ने इस चीज को सेलेक्ट कमेटी में दिखलाया था। इस वास्ते मेरा विचार है और मैं भवन से भी निवेदन करता हूँ कि वह मेरे इस संशोधन को यह न समझें कि मैं इसको एक जमींदार की हैसियत से पेश कर रहा हूँ। जमींदारों और काश्तकारों पर भी वैसा ही कर लग रहा है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ज्यादा कर लगाने के लिए सरकार के पास कोई उपयुक्त कारण नहीं है, कोई उप-युक्त प्रमाण नहीं है। इस लिए हमको इसके ऊपर विचार करना आवश्यक है। महो-दय, मैं इन वाक्यों के साथ निवेदन करता हूँ कि भवन मेरे इस संशोधन को स्वीकार करे।

माननीय स्वशासन सचिव—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, राजा साहब जगन्नाथ बख्श सिंह ने जो संशोधन इस भवन के सामने पेश किया है और साथ ही साथ इस संशोधन को पेश करते हुए उन्होंने जो कारण बतलाये उनको सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जो सिद्धांत टैक्स लगाने के वे बतलाते हैं उनके अनुसार यही होना चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो कार्य हैं उनके विकास होने के लिए जितने रुपये की आवश्यकता हो उतने रुपये वे टैक्स के जरिये से प्राप्त कर सकें। यह पुराना सिद्धांत उन्होंने बतलाया। इसके बाद वह यह अंदाजा लगाते हैं बिला किसी सबूत को पेश किये हुये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को किसी किस्म के रुपये की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने चूंकि अब तक साढे पांच प्रतिशत टैक्स लगाया है जब कि उसको साढ़े छः प्रति-शत तक टैक्स लगाने का अधिकार था और उस अधिकार के मौजूद रहते हुये भी इसका इस्ते-माल नहीं किया। इससे नतीजा यही निकलता है कि उसको रुपये की जरूरत नहीं है। इसलिये उनको टैक्स लगाने की इजाजत न दी जाय। इससे वह यह समझते हैं कि उनको जरूरत नहीं मालूम होती। लेकिन अगर परिस्थिति को पूरी तरह से जांचा जाय और जांचने की कोशिश करें तो वह इस बात को समझ लेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पुराने जमाने में जिन लोगों के हाथ में था उन लोगों को अपने उपर टैक्स लगाना जरूरी था या नहीं। यह जाहिर बात है कि उसका ज्यादा बोझ जमींदार तबके पर पड़ता, यह स्पष्ट है और जमींदार तबका चाहे दुनिया की तरक्की हो या न हो अपने ऊपर टैक्स लगाने के लिए कभी तैयार न होता। यह इससे जाहिर है कि जब वह इस बात को कबूल करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरक्की नहीं हुई है, हालत खराब है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों की हालत खराब है, उनकी इमारत गिरती चली जाती है। बार-बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से तकाजा यहां पर आता है कि हमको स्कूलों के लिये मुकामी एड और ज्यादा दी जावे। हरएक

काम में गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर रहने के दृष्टिकोण डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने रक्खा है और आज यह हालत दिखाई देती है कि करीब-करीब बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब है कि वह किसी किस्म की तरक्की की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। अपने नौकरों को तनख्वाह देने के लिए उनके सामने बड़ी मुश्किल आती है। प्रांतीय सरकार उनको महंगाई के संबंध में ओर कुछ रुपया दिया करती है। यह हालत है डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की और यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वह टैक्स नहीं लगा सकते हैं। इसकी वजह केवल उनका स्वार्थ ही हो सकता है, क्योंकि वह अपने ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहते। यह परिस्थिति देखकर और सरकार ने इस वजह को समझकर कि अगर स्कूलों की तरक्की होना है और दूसरे विकास के काम होने हैं तो नये बोर्डों का जो चुनाव हुआ है उसमें चैयरमैन का चुनाव भी सब सीधे वोटर ही करें। तो ऐसे बोर्ड के हाथ में एक खाली खजाना मिलना भी उचित नहीं होगा। यदि नया बोर्ड आकर अपना प्रस्ताव शुरू में ही करके नया टैक्स लगाये, डेवढ़ा या दुगना, तो ठीक न होगा अतः हमने यह उचित समझा कि शुरू में ही आकर उसको यह काम न करना पड़े इसके लिये सरकार ने जो पुराने जमाने से रोड़े अटकाये जा रहे थे, जिसकी वजह से तरक्की रुकी हुई थी, वह दूर की। इसलिए हमने इस बात को समझा है कि इसमें कम से कम लोकल रेट लेना चाहिए। उसका संशोधन करके दुगना टैक्स कर दिया जाय यानी साढ़े छः फीसदी के स्थान पर १३ फीसदी कर दिया जाय तो यह जमींदार तबके के ऊपर ज्यादती होगी इस ख्याल से उनके ऊपर भी ज्यादती न हो हमने कम से कम रकम पर टैक्स लगाया। हमको तो वही काम करना चाहिये जिससे बोर्ड की हालत दुरुस्त हो। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को उतना ही टैक्स लेना चाहिये बल्कि किन्हीं सूरतों में गवर्नमेंट आफ इंडिया के रूल के मुताबिक ज्यादा भी नहीं ले सकते हैं ज्यादा उसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लोकल रेटस को बढ़ा सकते हैं। यह मेरा जवाब है उन बातों का जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में कही गई थीं और कुछ मैंने दूसरी बातों का भी जिक्र किया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में कहा। उन्होंने कहा था कि बहुत सी बातों का मैंने वायदा किया। जिन बातों का वायदा किया गया है वह टैक्स के संबंध की बात नहीं थी यह उनको मानना चाहिये। जो धारा १३ है उसमें अधिकारों के संबंध में जिक्र किया गया है। लेकिन यह जरूरी था कि शिक्षा सम्बन्धी अधिकार गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देना चाहिए था।

मैंने यह अर्ज किया कि इसके ऊपर गौर किया जायगा। जब बोर्ड ज्यादा अच्छा काम करना शुरू कर देंगे तो मुमकिन है कि उनके अधिकार बढ़ा दिये जायं।

दूसरा प्रश्न जो वेंकटेश नारायण तिवारी जी ने किया वह तो केवल सरकारके अनुदान की नीति के संबंध में था। वह टैक्स के विरुद्ध नहीं थे। लेकिन एक तरह की नीति यह भी रहती है कि टैक्स लगाते समय कोई न कोई सरकार की नीति के संबंध में आलोचना हो जिसके सम्बन्ध में आपत्ति की जाती है। उसी आपत्ति को उन्होंने प्रकट किया। उन्होंने यह बताया कि अनुदान के संबंध में मैंने विकेंद्रीयकरण की कोशिश की है और पंचायतों का जिक्र किया। पंचायतें तो देहाती आदमियों को अधिकार देने तक महदूद हैं और छोटे-छोटे काम भी पंचायतें किया करेंगी। लेकिन पंचायतों और प्रांतीय सरकार के बीच में कोई भी संस्था नहीं रहेगी यह सिद्धांत मैंने कभी भी अपने भाषण में या व्याख्यान में नहीं बताया। मैं समझता हूं कि अगर विकेंद्रीयकरण होता है तो विकेंद्रीयकरण का सिद्धांत तो यह है कि विकेंद्रीयकरण का अगर कोई प्राइमरी यूनिट हो सकता है, जड़ हो सकती है, तो वह देहात की पंचायतें ही हो सकती हैं। लेकिन

[माननीय स्वशासन सचिव]

पंचायतों और प्रांतीय सरकार के बीच में कोई स्थान किसी और संस्था के लिये नहीं होगा ऐसा नहीं है। उसके लिये भी कोई स्थान जिले के लिये या तहसील के लिये या रीजनल (क्षेत्र-सम्बन्धी) संस्था के लिये मुकर्रर हो सकता है और ऐसी संस्था बन सकती है जिनके द्वारा और बड़े-बड़े काम हो सकते हैं। मसलन मैं आप से जिक्र करना चाहता हूँ कि एक मिडिल स्कूल है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में कुछ मिडिल स्कूल्स हैं। मिडिल स्कूल को पंचायतें नहीं चला सकतीं, यह सब लोग जानते हैं। मिडिल स्कूलों के निरीक्षण का काम या उनको कायम करने का काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही कर सकते हैं। इसी तरह से अस्पताल के सम्बन्ध में भी है। छोटी-छोटी डिसपेंसरीज या औषधालय का काम तो पंचायतें कर सकती हैं, लेकिन एक अस्पताल जो तीन चार बेड्स (खाट) वाला हो, यानी सेकेंडरी यूनिट का अस्पताल हो, उनको कायम करने का इंतजाम, या निरीक्षण का काम पंचायतें कैसे कर सकती हैं, उनका काम या तो प्रांतीय सरकार करेगी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड।

इसके आगे मैंने यह भी जिक्र किया था कि जब विकास का काम आज कल हो रहा है और तेजी से हो रहा है तो बहुत से अधिकार सरकार को अपने हाथ में इसलिये लेने पड़े कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इस संबंध में योग्य नहीं पाये गये कि वह इन कामों को कर सकते। मैंने यह भी कहा था कि जब वे अपनी आर्थिक समस्या को दुरुस्त कर लेंगे और अपनी व्यवस्था को ठीक कर लेंगे तो विकेंद्रीकरण की तरफ आगे झुकाव पैदा हो सकता है। यह बात मैंने अपनी स्पीच में कही थी। उस समय और आज अभी मैंने जो सुधार पेश किये हैं उनमें कोई अंतर नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को हम मजबूत कर देना चाहते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी और व्यवस्था की दृष्टि से भी। आगे चल कर सम्भव है कि पंचायतों के निरीक्षण की भी जिम्मेदारी कुछ अंश में उनके ऊपर पड़े और उस संबंध में भी वह उचित काम कर सकें। इसके लिये मैं समझता हूँ कि टैक्स के विषय में जो रखा गया है वह वाजिब है। अब यह बात दूसरी है कि, जैसा कि राजा साहब ने कहा कि चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स लगावें चाहे न लगावें। इसका तजुर्बा चूंकि पेश्तर का यह है कि पांच प्रतिशत से आगे बढ़ाना नहीं चाहते और वह इसलिये नहीं चाहते कि उसमें बहुत से जमींदार हैं। अब मुमकिन है कि वह लगा सकें। लेकिन उस पर भी टैक्स लेने की जो बदनामी हुआ करती है उससे हमेशा टैक्स बचता रहता है। अगर विकास होना आवश्यक है तो जो लोग विकासमें विश्वास रखते हैं हम लोगों का कर्तव्य है कि उनके रास्ते साफ कर दें, उनके रास्ते में कोई इस तरह की हिचकिचाहट न पैदा हो। इस भावना से यह सुधार मैंने रखा है। राजा साहब ने जो सुधार पेश किया है वह इसलिये वाजिब नहीं। मुझे विश्वास है कि भवन मेरे सुधार को स्वीकार करेगा और राजा साहब का जो सुधार पेश है, उसको नामंजूर करेगा।

*श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—माननीय डिप्टी स्पीकर, मैं अब दोबारा उन्हीं बातों का पिष्टपेषण करके भवन का समय लेना नहीं चाहता। परंतु मैं यह जरूर कहूंगा कि मेरे संशोधन का मुख्य विषय यह है कि इस कर को अनिवार्य न होना चाहिये। जहां तक और बातें मैंने अपने पूर्व भाषण में कहीं हैं, वह इस मुख्य विषय का समर्थन करने के लिये कही हैं। हमारे माननीय मंत्री ने जहां और बातें न्यूनता की मेरे भाषण

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

" बतलाई वहां इसको कोई विशेष रूप से स्पष्ट नहीं किया कि वह अनिवार्य न हो
कहा कि डि० बोर्ड स्थानिक सभासदों से संघटित होता है। वह अपनी जनता पर
नहीं चाहेंगे इसलिये हम उनको मजबूर करते हैं कि वे साढ़े नौ फीसदी कर लगाये
विचार प्रकट नहीं किया। किसी जिले में साढ़े नौ फीसदी की जरूरत होती है और ।
आठ फीसदी की। क्या सरकार हमें यह बतलायेगी कि उसने डि० बोर्डों से यह पूछा ।
जिले में साढ़े नौ फीसदी कर लगाने से तुम्हारा काम चल जायगा? अगर सरकार क
कर देगी तो बेशक कम पड़ेगा। अगर सरकार का यही मतलब है जो साढ़े नौ फीस
है। हमेशा, जरा सी बात जब होती है तो डि० बोर्डों से, कमिश्नरों से दरियाफ्त
है, उनकी राय ली जाती है। क्या सरकार ने डि० बोर्डों से यह पूछा है कि साढ़े नौ फीस
कर लगाना क्या जरूरी है? मैं जानता हूं कि नहीं है। ऐसी हालत में अगर सरकार
हुए भी कि उनको विशेष मजबूरी नहीं है फिर भी उसको बाध्य करना चाहती
भवन का अधिक समय लेना नहीं चाहता। जो कुछ प्रमाण मुझे देने थे दे चुका। सं
कहावत का सारांश है कि अगर देखते हुए भी आदमी नहीं देखना चाहता तो कोई
नहीं सकता। इसलिये मैं यही निवेदन करूंगा कि सरकार की तरफ से माननीय मंत्री ने
प्रकट किये हैं मैं उनको स्वीकार नहीं कर सकता और मैं अब भी समझता हूं
को हमारा संशोधन स्वीकार करना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा २३ में मूल ऐक्ट की बदली हुई
की उपधारा ३ (१) की पहली पंक्ति में शब्द "shall" निकाल दिया जाय और
पर शब्द "may by notification in the' Gazette" रख दिये जायं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा २३ में मूल ऐक्ट की बदली हुई
की उपधारा ३ (१) की चौथी पंक्ति में शब्द "of" निकाल दिया जाय और उसके
"not exceeding" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा २३ इस बिल का हिस्सा मानी

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारायें २४ से २६ तक

२४--मूल ऐक्ट की धारा १११ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित
रक्खी जाये, अर्थात्:--

"(1) Except in a district subject to the Benares Pe
Settlement Regulation, 1795, every tenant in
shall be liable to pay to his landlord $1\frac{1}{16}$ pc
of his rent or of the rental value of the land

संयुक्त प्रांत ऐक्ट नं० १० सन् १९२२ ई० की धारा १६१ का संशोधन।

संयुक्त प्रांत ऐक्ट नं० १ सन् १९२२ की धारा १४ क का बढ़ जाना।

Board to Local Authority under the Local Authorities Loans Act 1914.

Act No. I of 1914

संयुक्त प्रांत ऐक्ट नं० १ सन् १९२२ की धारा १ का संशोधन

him, if the land is held rent-free or if rent in respect thereof is payable in kind or in service, calculated in terms of pies per rupee of the rent or the rental value in accordance with the formula laid down in section 112 of the Principal Act."

२५—मूल ऐक्ट की धारा ११२ में शब्द "Whenever the board imposes under clause (*a*) of section 108 in any local area a local rate assessed at an amount exceeding 5 per cent. on the annual value of the estates in the area or the amount at which such local rate is assessed is subsequently altered, or the settlement of the district" के स्थान पर शब्द "Whenever the settlement of a district" रक्खे जायें।

२६—मूल ऐक्ट की धारा १४४ और १४५ के बीच निम्नलिखित नई धारा 144-A रक्खी जाये, अर्थात् :—

"144-A. (1) A board shall be deemed to be local authority as defined in the Local Authorities Loans Act, 1914 and shall be subject to all its provisions and the rules made thereunder for the purpose of borrowing money under that Act.

(2) The making and execution of any planning, housing or improvement scheme under this Act shall be deemed to be a work which such Local Authority is legally authorized to carry out.

(3) A Board shall be entitled to raise loans in the open market by the issue of debentures, with the prior sanction of the Provincial Government and subject to rules prescribed in this behalf."

२७—मूल ऐक्ट की धारा १४८ में शब्द "Its authority" तथा "and tolls" के बीच निम्नलिखित शब्द रक्खे जायें :—

"or otherwise, to which the public is allowed access and at which the board provides sanitary and other facilities for the public."

२८—मूल ऐक्ट की धारा १६१ के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण (Explanation) बढ़ा दिया जायें :—

संयुक्त प्रांत के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ई० की धारा १६१ का संशोधन।

"*Explanation.*—The word 'approve' occurring in sub-sections (2) and (3) does not include the power to disapprove."

२९—मूल ऐक्ट की धारा १६२ के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायें :—

संयुक्त प्रांत के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ई० की धारा १६२ का संशोधन।

The word "head" or "heads" occurring in sub-sections (1) and (2) does not include "sub-head" or "sub-heads".

डिप्टी स्पीकर—धारा २४ से २९ तक में किसी संशोधन की इत्तिला नहीं है।

सवाल यह है कि धाराएं २४,२५,२६,२७,२८ और धारा २९ इस बिल के हिस्से मानी जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ३०

३०—मूल एक्ट की धारा १६४ की उपधारा (१) में शब्द "may within the limits of his division or district, as the case may be" के स्थान पर शब्द "within the limits of his district" रक्खे जायें।

संयुक्त प्रांत के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ई० की धारा १६४ का संशोधन।

माननीय स्वशासन सचिव—सिलेक्ट कमेटी से जो धारा स्वीकृत होकर आई है उसमें कुछ गल्ती रह गई है इसलिये म धारा ३० के एवज में यह धारा पेश करता हूं। प्रस्तावित बिल की धारा ३० की जगह निम्नलिखित धारा रखी जाय :—

"मूल ऐक्ट की धारा १६४ की उपधारा "१" में शब्द "his division" की जगह शब्द "its or his jurisdiction" रखे जायें।

इस संशोधन के रखने की इसलिये आवश्यकता पड़ी कि धारा ३० जो इस बिल में है उसमें हर जगह पर "Commissioner" की जगह पर "Present Authorities" आ गया है इसलिये 'हिज' की जगह 'इट्स' आ जायेगा, और जहां जिला मजिस्ट्रेट है वहां उसकी जगह 'हिज' शब्द आ जायेगा। अगर हाउस को यह मंजूर हो तो मैं इस धारा को संशोधित धारा के रूप में रखना चाहता हूं। मुझे आशा है कि हाउस इसको मंजूर कर लेगा।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि इस बिल की धारा ३० की जगह निम्नलिखित धारा रखी जाये :—

"मूल ऐक्ट की धारा १६४ की उपधारा (१) में शब्द "his division" की जगह शब्द "its or his jurisdiction" रख जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि बदली हुई धारा ३० इस बिलका हिस्सा मानी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा ३१

३१--मूल ऐक्ट की धारा १६६ की उपधारा (१) में शब्द "may within the limits of his division or district, as the case may be," के स्थान पर शब्द "within the limits of his district" रक्खे जायें।

माननीय स्वशासन सचिव--जिस प्रकार की गलती धारा ३० में थी उसी प्रकार की गलती धारा ३१ मे भी है और श्री मुकुंदलाल जी का प्रस्ताव इसी गलती को सुधारने के लिये था। वह धारा इस प्रकार सुधार करके पास की जाना चाहिये कि बिल की धारा ३१ की जगह निम्नलिखित धारा रक्खी जाये। मूल ऐक्ट की धारा १६६ की उपधारा १ में शब्द "his division" के स्थान पर "its or his jurisdiction" रक्खे जायें।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि बिल की धारा ३१ की जगह निम्नलिखित धारा रक्खी जाये।

मूल ऐक्ट की धारा १६६ की उपधारा में शब्द "his division" के स्थान पर "its or his jurisdiction" रक्खे जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि बदली हुई धारा ३१ इस बिल का हिस्सा मानी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धाराऐं ३२ से ३७ तक

३२--मूल ऐक्ट की धारा १६८ की--

(क) उप-धारा (१) में से शब्द "or the Education-Committee" निकाल दिये जायें, और

(ख) उपधारायें (२) और (३) में शब्द "the District Magistrate" जहां कहीं भी आये हों, के बाद शब्द "or any other person authorised by the Provincial Government in this behalf" बढ़ा दिये जाय।

३३--मूल ऐक्ट की धारा १७४ की उप-धारा (२) के वाक्य-खण्ड (m) में अर्ध विराम के स्थान पर अल्प विराम रक्खा जायगा और तदुपरांत निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :--

"or otherwise, to which the public is allowed access and at which the board provides sanitary and other facilities for the public".

३४--मूल ऐक्ट की धारा १८६ की उप-धारा (१) का प्रतिबंध निकाल दिया जाय।

३५—मूल ऐक्ट की धारा १८८ की उप-धारा (२)—

(क) के प्रतिबंध में शब्द "provided" और "that" के बीच शब्द "first" रख दिया जाय।

(ख) निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबंध बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"Provided secondly, that in case any order or direction referred to in section 186 infringes the civil right of any person, he shall be entitled to question the said order or direction in any civil court having jurisdiction in the matter."

संयुक्त प्रांत के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ई० की धारा१८८ का संशोधन।

३६—मूल ऐक्ट की धारा १८९ में शब्द "against it" और "all proceedings" के बीच शब्द "or a civil suit has been filed concerning the subject matter of any order or direction made under section 186" बढ़ा दये जायें।

संयुक्त प्रांत के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ई० की धारा १८९ का संशोधन।

३७—मूल ऐक्ट की धारायें २०० और २०१ निकाल दी जायें।

संयुक्त प्रांत के ऐक्ट नं० १०, सन्१९२२ई० की धारा२०० और धारा २०१ का सशोधन।

डिप्टी स्पीकर—धारा ३१ से धारा ३७ तक कोई तरमीम नहीं है। सवाल यह है कि धाराएं ३२,३३,३४,३५,३६ और ३७ इस बिल का हिस्सा मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ३८

३८—मूल ऐक्ट के परिशिष्ट १ के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाय :—

संयुक्त प्रांत के ऐक्ट नं० १०, सन् १९२२ई० के परिशिष्ट नं० १ का संशोधन।

SCHEDULE I

[THE POWERS AND FUNCTIONS OF A BOARD]

[*Sections* 67(1) *and* 68(1)(*a*)]

Section	Power or duty	Remarks
6	To co-opt members of the board.	
7	To direct that a casual vacancy be left unfilled till the next ordinary election.	

Section	Power or duty	Remarks
28	To allow remuneration to a member ...	Shall be exercised by the Executive Committee.
31(1)(*a*)	To accept as satisfactory the explanation of a member for absence from meetings.	
33	To institute a suit against a member ...	Shall be exercised by the Executive Committee.
34(2)(*f*)	To fix the amount up to which a member may be interested in occasional sales to the board.	
42	To require the chairman to furnish reports, etc.	
44	To elect or accept the resignation of a vice-chairman.	
55(5)	To modify or cancel a resolution.	
56(1)	To elect three members of the Executive Committee other than the President.	
56(2)*	To appoint and remove members of committees.	
56(3)*	To establish and appoint the members of advisory committees.	
57	To appoint persons other than members of the board to committees.	
58	To fill up vacancies in committees.	
59(1)	To appoint the chairman of a committee.	
61	To call for returns, etc., from a committee.	Shall be exercised by the Executive Committee.
62(1)	To delegate powers and duties to tahsil committees.	Shall be exercised by the Executive Committee.
62(2)	To allot funds to tahsil committees	Shall be exercised by the Executive Committee.
63	To appoint joint committees and to vary or rescind any written instrument by virtue of which a joint committee has been appointed.	Shall be exercised by the Executive Committee.

*Renumbered by *ibid.*

Section	Power or duty	Remarks
64(1)	To sanction contracts for which budget provision does not exist, or involving a value exceeding such amount as may be fixed by rule.	
64(2)&(3)	To empower a committee or officer or servant of the board to sanction other contracts.	Shall be exercised by the Executive Committee.
65(2)(*b*)	To empower a person to execute a contract.	Shall be exercised by the Executive Committee.
68	To delegate powers and duties conferred or imposed on a board.	
70	To appoint a secretary.	
71	To punish or dismiss a secretary.	
72	To appoint officers whose appointment is obligatory.	May be delegated to the Executive Committee.
73	To appoint a person to officiate as an officer to whom section 70 or section 72 applies.	Shall be exercised by the Executive Committee.
77	To require the secretary etc. to furnish returns, etc.	
80	To determine the number and salaries of staff in addition to obligatory minimum.	Shall be exercised by the Executive Committee.
82	(To appoint, and dismiss the engineer and the tax officer of the board.)[1]	
83(*a*)	To prohibit the employment of temporary servants for any particular work.	Shall be exercised by the Executive Committee.
86(2)	To establish a provident fund.	
86(3),(4) & (5).	To grant a gratuity or compassionate allowance or to grant or purchase an annuity.	
92(*j*)	To declare expenditure to be an appropriate charge on the district fund.	
94	To co-operate with other local authoties.	Shall be exercised by the Executive Committee.
95	To issue a notice for the removal or alteration of a projection, when compensation is payable.	Shall be exercised by the Executive Committee.

Section	Power or duty	Remarks
97	To make, alter, divert or close a public road, to provide building-sites thereon, to take steps to acquire land for such purposes, and to sell or dispose of land so acquired.	Shall be exercised by the Executive Committee.
108	To impose a tax.	
115	To frame proposals for a tax ...	Shall be exercised by the Executive Committee.
116	To pass orders on objections and to modify proposals, etc.	May be delegated.
119	To direct the imposition of a tax ...	May be delegated.
121	To abolish or alter a tax.	
124(1) & (2).	To exempt from taxation.	
125	To submit an explanation to the (Provincial Government)[2] and to remove defects in a tax.	Shall be exercised by the Executive Committee.
145	To invest or place any portion of the district fund in deposit.	Shall be exercised by the Executive Committee.
148	To fix fees	Shall be exercised by the Executive Committee.
149	To impose fees or tolls in public markets	May be delegated.
150	To request the (Provincial Government)[3] to acquire land.	Shall be exercised by the Executive Committee.
151	To undertake the management or control of property entrusted to the board.	Shall be exercised by the Executive Committee.
152	To manage, control and administer and hold in trust the funds of public institutions.	Shall be exercised by the Executive Committee.
154	Transfer any property vested in the board.	May be delegated.
155	To make compensation out of the district fund.	May be delegated.

[1]*Subs.* for the words "To appoint, punish or dismiss, etc., any servant of the board" by *s.* 30(2) of *ibid.*

2. The words "May be delegated" *del.* by *ibid.*

3. *Subs.* for "L. G." by A. O.

Section	Power or duty	Remarks
158	(To discuss and pass or reject a budget as a whole or reduce or omit any item or items of expenditure.)1	
173	To make regulations.	
174	To make bye-laws.	
175	To direct that breach of bye-laws shall be punishable with fines.	
General	Any power, duty or function which any rule requires to be exercised, performed or discharged by the board itself by means of a resolution.	

श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल--मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा ३८, परिशिष्ट १ में जिस जिस जगह शब्द 'Chairman' और 'Vice-chairman' आए हैं, उनकी जगह शब्द 'President' और 'Vice-President' क्रमशः कर दिये जाय ।

यह संशोधन वास्तव में जरूरी हैं इसलिये कि अभी नये संशोधित ऐक्ट में हमने 'चेयरमैन' की जगह 'प्रेसीडेंट' और 'वाइस चेयरमैन' की जगह 'वाइस प्रेसीडेंट' रख दिया है इसलिये जहां जहां इस परिशिष्ट में भी यह शब्द आये है उनमें वही शब्द होना चाहिये जो संशोधित प्रस्ताव में हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को भवन की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

माननीय स्वशासन सचिव--मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

डिप्टी स्पीकर--इस में कहीं पर तो 'चेयरमैन' है, कहीं 'चेयरमेन आफ ए कमेटी'। तो उसको भी 'प्रेसीडेंट आफ दी कमेटी' कहेंगे ।

माननीय स्वशासन सचिव--जी हां। पहले इस बिल में यह पास हो चुका है कि जहां शब्द 'चेयरमेन' आया है उसकी जगह, 'प्रेसीडेंट' कर दिया जाय। पहला जो बिल मंजूर हो चुका है उस में यह है।

डिप्टी स्पीकर--तो वही प्रेसीडेंट आफ दि कमेटी कहलायेगा ।

सवाल यह है कि धारा ३८, में दिये हुए परिशिष्ट १ में जिस जिस जगह शब्द 'Chairman' और 'Vice-chairman' आये है, उनकी जगह शब्द 'President' और 'Vice-President' क्रमशः रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1 *Subs.* for the words "To pass a budget and to vary or alter a budget" by s. 15(iv) of U. P. Act XXI of 1934.

(च) स्तम्भ २ के अंतिम इंदराज क सामने शब्द "General", जिसका उल्लेख स्तम्भ १ में शब्द "resolution" के बाद है शब्द

"and which the executive committee is not authorized to exercise, perform or discharge under this Act or any rule framed thereunder" रक्खा जायं

श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल--मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा ३८ के बाद नयी धारा ३८ (क), वाक्य खंड (च) के स्थान में निम्नलिखित रख दिया जाय--

परिशिष्ट के स्तम्भ २ के अंतिम इंदराज के, जो स्तम्भ १ के शब्द "जनरल" के सामने है, अंतिम शब्द "resolution" के बाद शब्द, and which the executive committee is not authorized to exercise, perform or discharge under this act or any rules framed thereunder." बढ़ा दिये जायं।

श्रीमान् जी, जो वाक्य खंड ४ सेलेक्ट कमेटी से पास हुए बिल में आया है उसका मंशा सिर्फ यह था कि परिशिष्ट में जो धारा ३८ में है उसका आखिरी इंदराज स्तम्भ २ के नीचे जो है उसके शब्द "रेजोल्यूशन" के अंत में यह जोड़ दिया जाय यानी "and which the executive committee is not authorized to perform or discharge under this act or any rules framed thereunder." । लेकिन जो शब्द इस वाक्य खंड में दिये गये हैं उनसे यह भाव व्यक्त नहीं होता इसलिये इस सशोधन की आवश्यकता पड़ी, वर्ना कोई नयी चीज मैं पेश नहीं कर रहा हूं। इस संशोधन से बात साफ हो जाती है और सेलेक्ट कमेटी की जो मंशा थी वह पूरी हो जाती है।

माननीय स्वशासन सचिव--श्रीमान डिप्टी स्पीकर साहब, यह सिलेक्ट कमेटी (विशेष समिति) ने जो फैसला किया और उस फैसले के अनुसार जो शब्द अंग्रेजी में (च) में दिये हुये हैं वे परिशिष्ट में शामिल हो जाने चाहिये थे लेकिन चूंकि वह रह गये तो गलती दुरस्त करने के लिये जो सुधार पेश किया गया है उससे भी यह गलती कायम रहती है। इसलिये मैं उसका रूप बदल कर इस रूप में इसको पेश करना चाहता हूं। यदि मुकुंदलाल जी उसको स्वीकार कर लें तो ठीक हो जायगा और वह यह है कि प्रस्तावित बिल की धारा ३८ का जो वाक्यखंड (च) है वह निकाल दिया जाय और धारा ३८ में दिए हुए परिशिष्ट के अंतिम शब्द 'रेजोल्यूशन के बाद "पूर्णविराम" के स्थान पर "कामा", रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जायं-- .

"And which the Executive Committee is not authorised to exercise, perform or discharge under this Act or any rules framed thereunder."

मैं समझता हूं कि यह भवन इस सुधार को अवश्य स्वीकार करेगा।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--श्रीमन्, इस गलती को दूर करने के लिये जो रूप माननीय मंत्री ने इस संशोधन को दिया है मैं उसको स्वीकार करता हूं।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि प्रस्तावित बिल की धारा ३८ के वाक्यखंड (च) को निकाल दिया जाय और धारा ३८ में दिए हुए परिशिष्ट की दूसरी सतर के अंतिम लेख में शब्द "resolution" के बाद 'पूर्णविराम' के स्थान पर 'अल्प विराम' यानी 'कामा' रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:--

"And which the executive is not authorised to exercise perform or discharge under this act or any rules framed thereunder."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि संशोधित धारा ३८ इस बिल का हिस्सा बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा ३९

संयुक्त प्रांत के ऐक्ट नं० १० सन् १९२२ ई० का संशोधन।

३९--मूल ऐक्ट में शब्द "Commissioner" के स्थान पर जहां कहीं भी वह आया हो, शब्द "prescribed authority" रक्खे जाये।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा ३९ इस बिल का हिस्सा मानी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा १

१--(१) इस ऐक्ट का नाम "संयुक्त प्रांत के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का (द्वितीय संशोधक) ऐक्ट, सन् १९४८ ई० [United Provinces District Boards (Second Amendment) Act, 1948.] होगा।

(२) यह ऐक्ट तुरंत लागू होगा।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा १ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

भूमिका

भूमिका संयुक्त प्रांत का ऐक्ट नं० १० सन १९४७ ई०।

चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि कार्यकारिणी कमेटी के निर्माण, शिक्षा-कमेटी के भंग किये जाने, लोकल रेट में वृद्धि करने तथा अन्य बातों की व्यवस्था करने के लिए संयुक्त प्रांत के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के ऐक्ट, सन् १९२२ ई० (United Provinces District Boards Act 1922) के कुछ आदेशों में संशोधन किया जाय।

इसलिये निम्नलिखित कानून बनाया जाता है:--

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि भूमिका इस बिल का हिस्सा बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय स्वशासन सचिव--श्रीमान डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के द्वितीय (संशोधक) बिल, सन् १९४८ ई० को यह भवन स्वीकार करे।

इसके संबंध में अब मुझे कुछ विशेष कहना बाकी नहीं रहा है। इस बिल के संबंध में काफी बहस इस भवन में सेलेक्ट कमेटी के पेश्तर भी और बाद में भी हो चुकी है और जो संशोधन पेश किये गये उनके संबंध में भी काफी बहस हो चुकी है। इसलिये मुझे आशा है कि यह भवन इस बिल को स्वीकार करेगा।

*श्री फखरुल इस्लाम--जनाब वाला, यह बिल अब जिस स्टेज पर पेश किया गया है मैं इस पर अपनी आखिरी राय इस ऐवान के सामने रखूंगा। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि इतना इम्पार्टेंट (महत्वपूर्ण) बिल जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की जिन्दगी में बहुत ही इन्कलाब पैदा करने वाला है और खास तौर से एजुकेशन कमेटी नीज और कमेटियों के सिलसिले में जिस सूरत और ढंग से इस एवान में पेश किया गया है

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री फजलुल इस्लाम]

उससे मालूम होता है कि यह बिल शायद अपने मकासिद को पूरा नहीं करता है। लेकिन हमारे वजीर साहब बहुत बड़ी कोशिशों के साथ इन उम्मीदों पर चल रहे हैं कि शायद इससे लोगों के अन्दर इस मुल्क के अन्दर तालीम आगे बढ़ेगी। मुझे देखना है कि कहां तक यह बिल अपने मकासिद में कामयाब हो सकता है और इस मुल्क की भलाई हो सकती है। आपको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सबसे बड़ा जरूरी और अहम फरायज तालीम के सिलसिले में था, उसका हाथ एजुकेशन कमेटी मे था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मे जिस किस्म के लोग मुन्तखिब हुआ करते हैं वह भी इस एवान को मालूम है, आनरेबिल मिनिस्टर भी जानते हैं। अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो इलेक्शन (चुनाव) हुआ है उनके मुतालिक हमें और आपको मालूम है कि किस तालीम की मियार के लोग कैंडीडेट (उम्मीदवार) रखे गये थे और वे कहां तक एजूकेशन कमेटी के फरायज को सही तौर पर अन्जाम दे सकते है, यह हमें और आपको देखना है। मै यह नहीं कहता कि उसम जितने हजरात हैं वे सबके सब तालीम से दिलचस्पी नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसा कहने की जुर्रत मै रखता हूं और अपनें तजुर्बे की बिना पर कहता हूं कि ऐसे २ चेयरमैन मुन्तखिब होकर आये हैं जिन्होंने आठवे दर्जे तक तालीम हासिल की है, तो उन बोर्डो का हाल क्या होगा। जो मुन्तखिब हुये हैं उनकी तवारीख को आप देखे तो मालूम होगा कि बहरसूरत, जहां तक एजुकेशन कमेटी का ताल्लुक था इसमें चार आदमी ऐसे हुआ करते थे जो एजुकेशनल एक्सपर्ट (शिक्षा विशेषज्ञ) हुआ करते थे और अगर बोर्ड के नुमाइन्दे अपनी तालीम की कमी की बिना पर कमेटी में आते थे तो वे चारों आदमी आया करत थे और सही तौर पर तालीम के मसले पर अपनी राय दे सकते थे। वे कौन लोग थे ? दो तो ऐसे लोग थे जो एजुकेशनल स्टाफ में आया करते थे। डिपार्टमट से उनको दिलचस्पी नहीं होती थी। उन दो आदमियों के हटा देने पर आपने एक आदमी को उस जगह पर रखा है। हमें देखना है आया एक मेम्बर अपने फरायज का सही तौर पर कहां तक अन्जाम दे सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि वह अपने फरायज को पूरा अन्जाम देगा लेकिन में नहीं समझता कि जब दो एजुकेशनल एक्सपर्ट (शिक्षा विशेषज्ञ) सही तौर पर एक काम को पूरा नहीं कर सके तो एक आदमी उसको क्योंकर पूरा कर सकेगा। इसके बाद मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एजूकेशन कमेटी (शिक्षा समिति) के अंदर क वीमेन कमेटी (स्त्री समिति) हुआ करती थी जो यहां इस सूबे में औरतों की तालीम की देखभाल किया करती थी। उस कमेटी को भी आपने अपनी कलम से खत्म कर दिया। इनकी नुमायन्दगी भी आपन इस कमेटी में नहीं रक्खी और अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एजुकेशन कमेटी में कोई औरत औरतों की तालीम की देख भाल करने वाली नहीं होगी और उनकी नुमायन्दगी नहीं कर सकेगी। अगर यह उम्मीद होती कि आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन के सिलसिले में कुछ औरतों को जगह दी हैं। ४८ जिलों के अंदर कहीं भी आपने औरतों को जगह दी होती लेकिन आपने जो ४८ जिलों के कांग्रेस मेम्बरों को जो लिस्ट दी है उसमें कांग्रेस के जरिये किसी औरत को कोई टिकट नहीं दिया गया है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि औरतों को किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी जगह नहीं दी गई है। जब वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मेम्बर भी नहीं हो सकती तो एजुकेशन कमेटी

के अंदर कैसे नुमायन्दगी कर सकती हैं और औरतों के मसले पर इस कमेटी में कैसे रहनुमाई कर सकती हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जिनकी तालीमी हालत गिरी हुई है उनका यह अपना हक था कि वह वहां पर कमेटी में नुमायन्दगी हासिल करते और तालीम के मामले में अपनी कौम की रहनुमाई करते। यह कोई सियासी सवाल नहीं था यह तो एक तालीम का सवाल था सबसे जरूरी सवाल था जो कि इंसानों का एक हक है कि जो लोग तालीम में गिरे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, जिनकी हालत पस्त है जैसा कि आज ही हमारे दोस्त मौर्य साहब ने गिरी हुई जातियों के बारे में एक सवाल इस एवान के सामने पेश किया था यानी ऐसे लोग जो कम तालीम याफ्ता हैं वे लोग इस कमेटी में मेम्बर हो सकें। एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) की हैसियत से नहीं बल्कि देखभाल की वजह से। हम सब जानते हैं कि डिप्रेस्ड क्लास (दलित वर्ग) के लिए जगह वहां पर मौजूद है लेकिन वे मेम्बर कैसे होते हैं उनकी काबलियत क्या होती है। उनकी काबलियत नहीं के बराबर होती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर जो डिप्रेस्ड क्लास के नुमायन्दे आवें वह ऐसे होने चाहियें जो उनकी रहनुमाई कर सकें, उनकी तालीम में तरक्की कर सकें और समझदार हों ताकि वे एजुकेशन कमेटी में अपनी बातों को ठीक तरह से समझा सकें तो इसलिये पढ़े लिखे लोगों का वहां पर होना जरूरी है। मैं समझता हूं कि यह ऐसा सवाल नहीं है कि जिस पर आपको नाराजी हो या एवान को नाराजी हो। ऐसे आदमी एजुकेशन कमेटी में होने चाहियें कि जो तालीम के मसले में वहां पर रहनुमाई कर सकें। इल्म की बाबत हर आदमी को हक हासिल है कि वह इल्म को आगे बढ़ाये इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिये। हर एक को मौका होना चाहिए कि वह अपने ख्यालात का इजहार कर सके। हमें यह अफसोस होता है कि जब कोई माकूल बात आपके सामने रक्खी जाती है तो आप उस पर गौर नहीं करते और उसको मंजूर नहीं फरमाते हैं। आप एवान के सामने जिस बिल को लाये हैं उसमें जो कमियां और कमजोरियां हम लोगों की नजर में आती हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जह दिलाई जाती है। इसलिये कि आप उस पर गौर करें। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि औरतों की तरफ से भी कोई उनकी तालीम की रहनुमाई करने वाले उस कमेटी में होने चाहियें। जिनकी तालीमी हालत गिरी हुई है और इसमें पीछे हैं उनकी तरफ आपको तवज्जह करनी चाहिये। यह मसला ऐसा है जिसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना चाहिये और गौर करना चाहिये तभी यह चीज तरक्की कर सकती है। इसलिये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस पर गौर करें। यह इल्म का सवाल है किसी फिरके या जाति का सवाल नहीं है। इसमें सब की बहबूदी है और देश की हालत को सुधारना है। मैं एक्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में भी कहना चाहता हूं। आपको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की कमेटी की चेयरमैनी क्योंकर तकसीम होती है और कैसे तकसीम की जाती है? वहां पर पार्टियों का सवाल होता है, एक दूसरे के अलायेंसेज (सहयोग) का सवाल होता है। अब तक तो यही रहा है, आयन्दा क्या होगा यह बात आप खुद देखेंगे कि पार्टी अलायेंसेज ज्यादा होंगी या कम होंगी। इसके बाद अगर मुझको ज्यादा मौका होता तो मैं यह भी कहता कि इसमें कुछ ऐसे मेम्बरान भी होने थे जो किसी कमेटी के चेयरमैन

[श्री फखरुल इस्लाम]
न हों। मुमकिन है कि कुछ मेम्बर ऐसे हों जो किसी पार्टी के साथ अपने को न मिला सकें और इसलिये किसी एक्जीक्यूटिव कमेटी से महरूम रहें। आपको इसलिये मौका देना चाहिये था कि तीन ऐसे मेम्बर होंगे जो कि एक्जीक्यूटिव के मेम्बर हो सकें।

माननीय स्वशासन सचिव—सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में ऐसे तीन मेम्बर हैं।

श्री फखरुल इस्लाम—मैं मजबूर था कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ भी नहीं सका। ऐक्ट में ऐसी चीजें नहीं आई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिवोल्यूशनरी चेंजेज आप चाहते हैं और जिस तरह से टैक्स का जो आपने प्रावीजन किया है और आमदनी के सिलसिले में आपने जो आगे बढ़ने की कोशिश की है वह यकीनन ऐसी है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को रुपये की जरूरत है ताकि हमारी सड़कें सुधर सकें, तालीम में तरक्की हो सके और काटेज इंडस्ट्रीज (घरेलू धंधे) का काम आगे चल सके। मैं इस तौर से आपको इस बिल के ऊपर जो कि अब ऐक्ट होने जा रहा है, अपने ख्यालात का इजहार करता हूं।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझे तो सिर्फ एक बात की तरफ गवर्नमेन्ट की तवज्जह दिलाना है। मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट ने वादा भी किया है अगर मैं सही समझा हूँ, कि वक्त आगया है जब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की अपर सर्विसेज सब प्राविंशियलाइज (प्रान्तीयकरण) कर दी जायँ। दुःख यह है कि एक शख्स एक जगह पर दस दस, पंद्रह पंद्रह और बीस बीस बरस तक मौजूद रहता है। न आप उसको बरखास्त कर सकते हैं और न ट्रांसफर (स्थानान्तर) कर सकते हैं। वह खूब रिश्वत लेता है और घर भरता है और चेयरमैन और सेक्रेटरी को खूब तलाता रहता है और वे उससे आजिज भी आ जाते हैं लेकिन अजजह उसकी साजिश मेम्बरान से उसको अलहदा नहीं कर सकते। इस लिए जब तक कि आप इन सब सर्विसेज को प्राविंशियलाइज करके माननीय मिनिस्टर साहब के मातहत न कर देंगे जिससे कि एक शख्स का एक जगह से दूसरी जगह पर तबादला हो सके तब तक यह दुःख दूर नहीं हो सकेगा। मैं इस बात को खुद अपने ही तजर्बे से नहीं बल्कि दीगर लोगों की राय के मुताबिक भी उनसे पूछने के बाद पेश कर रहा हूँ क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि गवर्नमेन्ट के सामने भी यह मसला दूसरी सूरतों में आ चुका है। इस लिए मैं यह मौका समझता हूँ कि जब इस बिल की थर्ड रीडिंग है, मैं गवर्नमेन्ट की तवज्जह इस तरफ दिलाऊँ कि वह उस वादे को भी पूरा कर दे।

श्री अब्दुल बाक़ी—सदरे मोहतरिम, अब यह बिल ऐक्ट होने जा रहा है। इस लिए मैं अपने चन्द ख्यालात इस बिल के मुताल्लिक, जो आखिरी शक्ल इसकी हो रही है, इस ऐवान के सामने पेश करना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो हलका है पहले के निस्बतन अब वह महदूद हो गया है इस लिए कि गांव पंचायतें हर जगह क़ायम होंगी। उनका हलका अलग हो जायगा तो जितना रकबा उनमें शामिल हो जायगा उसका काम निस्बतन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अलग हो जायगा। दूसरी चीज जो इस गांव पंचायत की वजह से पैदा होगी वह यह है कि गांव पंचायत में खुद तालीम का इंतजाम, सड़कों का इन्तजाम, रोशनी का इन्तजाम, जदागाना होगा और

उसका टैक्स भी गांव पंचायत वहां के [illegible] करेंगी। तो जहां तक उस रकबे का ताल्लुक होगा, सड़क, रोशनी, सफाई, पढ़ाई और अस्पताल वगैरह का वह काम तो निस्वतन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हल्का हो जायगा। इन हालतों में मैं उम्मीद करता था कि पहले जो टैक्स, लोकल रेट के मुताल्लिक कानून था कि मुहासबा डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड या तो टैक्स तजवीज कर दे या उसको मंसूख कर दे या उसमें तब्दील कर दे यह तीन अख्तियारात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हासिल थे। मैं समझता हूं कि टैक्स के मुताल्लिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही को ज्यादा वाकफियत होती थी और इस लिए यह चीज उसी के हाथ में रखनी चाहिए मगर इस बिल से वह पहले लफ्ज 'मे' या उसको "शैल" कर दिया गया है। इसके माने यह है कि अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लोकल (स्थानीय) तौर पर यह अख्तियार बाकी नहीं रहा कि लोकल रेट में कोई तरमीम करे या उसको मंसूख कर दे, बल्कि अब लाजिमी तौर पर उसको लोकल रेट इम्पोज करना (लगाना) पड़ेगा। मैं समझता था कि जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अख्तियारात निस्वतन हल्के हो गये है तो इस चीज की भी जरूरत महसूस की जायगी कि इसी ताल्लुक से जो लोकल रेट या टैक्स हों वह भी तख्फीफ कर दिये जायें। मगर मुझे इस तरमीम के पढ़ने के बाद थोड़ा सा इस्तेजाब होता है कि इस तरमीम के जरिये से एक तो लोकल रेट की शरह बढ़ा दी गयी है और दूसरे उसको तख्फीफ करना लाजिम करार दे दिया गया है। मेरी राय में यह दोनों बातें इस वक्त के हालात और फिजा को देखते हुए नामुनासिब हैं। गालिबन वजीर साहब यह समझते होंगे कि इस तरमीम की वजह से वह तालीम में तरक्की करेंगे। जो चीज 'अगराज और मकासिद" में बतलाई गई है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो जरूरतें हैं उनको देखते हुए उसके पास टैक्स की वसूली कम है। इस लिए टैक्स लाजिमी कर दिया गया है। मगर मैं उनकी तवज्जह इस चीज की तरफ खसूसियत से लाना चाहता हूँ कि अगर वह गौर करेंगे तो उनको मालूम होगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में फण्ड कम है तो इस वजह से नहीं है कि वहां का रेट कम है या इस वजह से नहीं कि किसी प्रापर्टी (सम्पत्ति) पर तशखीश नहीं हुई है, बल्कि इस वजह से है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड [illegible] उनका इन्तजाम मुनासिब और सही [illegible] के लिए मौजूं नहीं था। तो जो चीज रफा करने की थी वह यह है कि जिस लोकल रेट की वसूली होती है उस वसूली का सर्फा जायज तौर पर किया जाय। यह चीज अलबत्ता थी जिसकी तरमीम की जरूरत थी। मगर इस तरमीम में यह चीज नहीं आती है। सिर्फ एक चीज पेश-नजर रखी गई है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में टैक्स की वसूली कम है इस लिए वजीर साहब ने यह सोचा कि टैक्स की वसूली लाजिम कर दी जाय और लोकल रेट बढ़ा दिया जाय। मौजूदा जो इन्तखाब हुआ है, जिस तरह से इन्तखाब हुआ है और जिस तौर पर, जिस लाइन पर इन्तजाम हुआ है वह भी ज्यादा तसल्लीबख्श नहीं हुआ है यह तो अब आइन्दा हालात ही बतलायेंगे कि इन्तखाब के जरिये से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इन्तजाम दुरुस्त रहेगा या नहीं रहेगा। सरेदस्त इस पर कोई राय कायम करना कब्लअजवक्त है।

जहां तक हालात मुख्तलिफ हैं उनसे यह मालूम होता है कि आसानी से हालात सुधरेंगे नहीं। बहुत जगह ऐसे लोग रिटर्न हुए (चुनकर आये) है जिनकी जाति अह-

[श्री अब्दुल बाकी]
लिये निस्बितन पहले से भी कम है। पहले के जो चेयरमैन होते थे वह बहुत अह-लियत रखते थे लेकिन अब जो रिटर्न होकर आये हैं वह कुछ भी अहलियत नहीं रखते। इस लिए कि जो बहबूदी और भलाई का मकसद होता था वह नहीं है। इस गवर्नमेन्ट के पहले जो गवर्नमेन्ट थी तब हमें यह शिकायत थी कि बेजा टैक्स लगाये जाते हैं और शरह का इजाफा किया जाता है मगर मालम हुआ कि शिकायत की गरज से की जाती थी हालात पर गौर करने से वह शिकायत नहीं थी। जब लड़ाई खत्म हो चुकी है हालात निस्बतन रूबरां हैं तब मैं नहीं समझता कि एसी कौन सी जरूरत पैदा हो गई कि कब्ल इसके कि हालात पर काबू पाया जाये इस तरह से शरह बढ़ा दी जाये लोकल रेट्स और दूसरे टेक्सेज लाजिमी कर दिये जायें। जब हमारे वतन की हुकूमत हो गई तो हम समझते थे कि यह भार निस्बतन हल्का हो जायगा मगर हल्का नहीं हुआ। चौथी चीज यह है कि जहां तक इस सूबे की तालीम का ताल्लुक है अथवा देश के तमाम सूबों का ताल्लुक है औरतों में बहुत कम है और निस्बतन मर्दों में ज्यादा है। इस तरमीम में इस बात को पेशेनजर रखना चाहिए था कि जो निजाम, जो उसूल और जो जाब्ता आइन्दा मुरत्तब करेंगे उसमें उन लोगों का ज्यादा-से-ज्यादा ख्याल रक्खा जायेगा जिनकी तालीमी हालात ज्यादा कमज़ोर है या जिनमें तालीम नहीं है या जिनको वक्त लगेगा अभी तालीम हासिल करने म। इसका कोई इन्तजाम इस बिल में नहीं किया गया है और इस बिल में इस वक्त मुल्क की हालात के लिहाज से यह चीज निहायत ही जरूरी है तबकों के लिहाज से जिन तबकों में तालीम नहीं है उनको मौका देना चाहिए था इस बिल म एसे कायदे का इजाफा करना चाहिए कि उनको ज्यादा सहूलियत-हो। लेकिन अगर कोई बिल को पढ़न के बाद गौर करेगा तो उसको मालूम होगा कि इस किस्म की सहूलियत ऐसे तबकों को नहीं दी गई है। पूरे बिल को पढ़ने क बाद यह अन्देशा होता है कि या तो इस पर निगाह नहीं की गयी या किसी वजह से इस वक्त मुनासिब नहीं समझा गया कि फोरफ्रन्ट में (आगे) एजूकेशन को लाया जाये और तालीम को वह जगह दी जाये जो उसके लिए मुनासिब हैं। इन चन्द वजहों से मेरी नाकिस राय है कि मौजूदा शक्ल में जो बिल है वह बहुत नाकिस है और मुल्क का जो इस वक्त का तकाजा था फिजा क लिहाज से जो जरूरी था वह बिल में नहीं आया। यह चन्द ख्यालात हैं जो इस बिल के मताल्लिक कब्ल इसक कि यह ऐक्ट बने मैं जाहिर करना चाहता हूं।

माननीय स्वशासन सचिव—श्रीमान जी मैं भवन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बहुत संजीदगी के साथ इस बिल की आलोचना की गई। जहां तक आखिरी वक्त में फखरुल इस्लाम खां साहब नें एजूकेशन कमेटी के संबंध में आलोचना की है उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि जो उन्होंने बात बतलाई कि एजूकेशन कमेटी में बाहर से कोई नहीं लिया जा सका लेकिन अगर उन्होंन दफा ५६ और ५७ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट जो अब भी मौजूद है को देखा होता तो उन्हें मालूम होता कि जो कमेटियां इस ऐक्ट के जरिये से बनती हैं उनमें यह गुंजाइश है कि एक तिहाई मेम्बर बाहर

मे लिए जा सकते हैं। इसके अलावा इस ऐक्ट मे एक बात और रक्खी गई है कि एजूकेशन कमेटी जो बने उसमे एक नुमाइन्दा मास्टरों का भी होना चाहिए। यह तो लाजिमी करार दिया गया है कि एक तिहाई मेम्बर बाहर से लिए जायंगे और वह ऐसे लोग लिये जायेंगे जिनके बारे मे बोर्ड उचित समझेगा।

"One member of the Board who, in the opinion of the Board, possesses special qualifications for serving on such committees.

बोर्ड का एक सदस्य जोकि बोर्ड की सम्मति मे ऐसी कमेटी मे कार्य करने के लिए विशेष योग्यता रखता हो। स्पेशल क्वालिफिकेशन्स (विशेष योग्यताएँ) उनकी कुछ विशेष महत्व रखती है। इस बारे मे वह मालूमात रखते हैं और वह तालीमायाफ्ता लोग होगे इससे यह सिद्ध है कि एजूकेशन कमेटी मे जो बाहर से मेम्बर लिए जायेंगे वह इसी ख्याल से लिए जायेंगे और इस बारे मे इसमे गुंजाइश रक्खी गई है। इस तरह से जहां तक उनके बारे मे कहा गया है अब तक डिस्ट्रिक्टबोर्ड्स मे उनकी तादाद के अनुसार परिगणित जातियों के नुमाइन्दे इन कमेटियों मे मौजूद हैं। मुसलमानों के बारे मे भी यह कहा गया है। इस वक्त ख्याल रखना होगा कि अब संयुक्त निर्वाचन होगा। इस सिलसिले मे इस बात की काफी गुंजाइश रक्खी जायगी कि मुसलमानों की तालीम के वास्ते भी काफी अच्छा इन्तजाम हो। यह ख्याल नहीं होगा कि वह सिर्फ हिन्दू है या मुसलमान हैं ताकि वे यह न समझें कि वे नुमाइन्दे सिर्फ हिन्दुओं के हैं या मुसलमानों के। इस लिए इसके करने की जरूरत महसूस नहीं हुई कि मुसलमानों के लिए कोई खास चीज एजूकेशन कमेटी मे करने के लिए जरूरी थी। इस लिए अगर इस निगाह से इस बिल की तरफ देखा जाय कि संयुक्त निर्वाचन से निर्वाचित डिस्ट्रिक्टबोर्ड के मेम्बर तालीमी कमेटी बनायेंगे तो उन्हे यकीन रखना चाहिए कि तालीमी कमेटी मे लायक से लायक लोग होंगे। जहां उन्होंने यह कहा कि नये चुनावों मे आठवे दरजे तक के लोग मौजूद है तो पुराने चेयरमैनो की जगह जो चेयरमैन मौजूद है उनसे कहीं ज्यादा तादाद मे ग्रेजुएट लोग मौजूद हैं। मै समझता हूँ कि पहले की बनिस्बत ज्यादा तालीमयाफ्ता लोग उसमे है और तजुर्बेकार पब्लिकमैन (जनता) हैं। तो ऐसी हालात मे यह समझना कि तालीमी तरक्की नहीं होगी, यह गलत है। एजूकेशन कमेटी (शिक्षा समिति) मे यह कहा गया कि २,३ मेम्बर होने चाहिए तो सेलेक्ट कमेटी ने इसे मंजूर कर लिया। आप ने, सेलेक्ट कमेटी से जो बिल निकला, उसकी तरफ नहीं देखा, पुराने बिल की तरफ ही देखकर राय कायम कर ली। जहां तक कि अब्दुल बाकी साहब ने टैक्स के बारे में कहा मै राजा जगन्नाथ बख्श सिंह को जवाब दे चुका हूँ कि टैक्स क्यों नहीं लगाया गया और क्यों जरूरत नहीं महसूस हुई। वजह यह थी कि जमींदार लोग बोर्डों मे थे, इस लिए उन्होंने नहीं लगाया जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति बोर्ड की इतनी खराब हो गई कि स्कूलों की इमारतें गिर रही हैं और टैक्स नहीं बढ़ता। ऐसी हालत मे गवर्नमेंट ने लाजिमी टैक्स लगाया जिससे हालत अच्छी हो जाय और विकास का कार्य अच्छी तरह से कर सके। मै समझता हूँ कि जो बिल इस भवन के सामने रखा गया है वह सब पहलुओं पर अच्छी तरह से गौर करके

[माननीय स्वशासन सचिव]

रखा गया है और जल्दबाजी में नहीं किया गया। बल्कि जल्दबाजी तो नुक्ताचीनी करने वालों की तरफ से दिखाई देती है कि वे हर रोज यहां पुराने बिल अपने हाथ में रख कर और यह ध्यान न रखकर कि सेलेक्ट कमेटी की तरफ से कौन सा बिल रखा गया है, आलोचना शुरू कर देते हैं। यहां तो एक गलती जो होती है वह दुरुस्त की जाती है। इस भवन ने देखा कि जो गलतियां रह गयीं थीं उनको हमने सुधार करके पास कर लिया। मुझे आशा है कि अगर यह बिल मंजूर हुआ तो डिस्ट्रिक्टबोर्ड की हालत पहले से कहीं ज्यादा सुधर जायगी। आशा है कि यह बिल स्वीकार किया जायगा।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्त के डिस्ट्रिक्टबोर्डो के द्वितीय (संशोधक) बिल सन् १९४८ को जैसा कि वह विशिष्ट समिति में संशोधित होने के बाद भवन में संशोधित हुआ है, स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिए ऋण देने) का बिल

माननीय प्रधान सचिव--मैं तजवीज करता हूं कि शरणार्थियों को फिर से बसाने के संयुक्त प्रांत के सन् १९४८ ई० के बिल पर विचार किया जाय। इस बिल के जरिये से यह तजवीज की गई है कि शरणार्थियों को बसाने के लिए और उनको फिर से आबाद करने के लिए कर्जा दिया जाय। उनको खास २ कार्यों के लिए ही कर्जा दिया जायगा और आमतौर पर यह कर्जा ५,००० से ज्यादा एक आदमी को न मिलेगा और कर्जे की अदायगी कर्जा देने के एक साल के बाद शुरू होगी। यह अदायगी किश्तबंदी में होगी और जिसको जिस काम के लिए कर्जा दिया जायगा उसी में वह काम में लाया जा सकेगा और कलक्टर वगैरा इस बात को देख सकेंगे कि जिस मतलब के लिए रुपया दिया गया है उसी में वह सर्फ हो रहा है और अगर अदायगी न होगी तो उसकी मालगुजारी की बकाया के तरीके पर वसूल किया जा सकेगा और उन बान्ड्स में जिनसे रुपया लिया जायगा कोई स्टाम्प ड्यूटी न पड़ेगी। उस पर सूद चार आने माहवार से ज्यादा का न लिया जायगा। हमारे बजट में इसके लिए काफी रकम रखी गई है और यह सब इंतजाम गवर्नमेंट आफ इंडिया के मशविरे से हो रहा है। इसके जरिये से हमारे यहां जो शरणार्थी आए हैं और जिन की रजिस्ट्री हो चुकी है उनको यह कर्जा दिया जायगा और जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है या आइन्दा आने-वाले हैं उनको नहीं दिया जायगा। हमारे सूबे में ५ लाख के करीब शरणार्थी आ चुके हैं और इसके अलावा अब और गुंजायश नहीं है। इसलिये मजबूरन यह तय करना पड़ा है कि हम आइन्दा शरणार्थियों को इस सूबे में नहीं बसा सकेंगे और कोई इंतजाम न कर सकेंगे। हमें उम्मेद है कि इस बिल के जरिये से उनकी दिक्कतों को दूर करने में उनका साथ देकर बहुत हदतक कामयाब हो सकेंगे। इसी गरज से यह बिल पेश किया गया है। मैं उम्मेद करता हूं कि सब साहबान इसको मंजूर करेंगे।

*__श्री फखरुल इस्लाम__--जनाब वाला, जो बिल हमारे सामने है वह अपनी एक

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

खास अहमियत रखता है और मुसीबतजदा इंसानों के लिए है इसके लिए मैं आनरेबिल वजीर साहब को काबिले मुबारकबाद समझता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस सिलसिले में मैं उनको खिदमत करना चाहता हूं और उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो कर्जे दिए जाते हैं उनकी बुनियाद पर तवज्जह दिलाना चाहता हूं। हमारे सूबे में जो कर्जे के कवानीन हैं वह ऐसे हैं कि अगर किसी को आज कर्जा लेकर काम शुरू करना है और मशीनरी हासिल करना है तो होता यह कि दरख्वास्तें छ-छ महीने और साल-साल भर तक पड़ी रहती हैं और उन पर कोई सही और खास कार्यवाही नहीं होती। दरख्वास्त कलक्टर के यहां दी जाती है, वह तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी वगैरा के यहां रिपोर्ट के लिए जाती है और इसी तरह से महीनों गुजर जाते हैं इसी तरह से इस मामले में भी तहकीकात होगी कि कौन रिफ्यूजी (शरणार्थी) है, कहां का रहने वाला है और किसलिए कर्जा लेना चाहता है और इन सब बातों में काफी वक्त लग जायगा। जैसा कि एक साहब कहने लगे कि हो सकता है कि इसमें भी रिश्वत चले। मैं नहीं कह सकता कि इसमें यह चीज रहेगी या नहीं। इन सब बातों की रोकथाम के लिए जिसके लिए यह काम किया जा रहा है एक नई मशीनरी सेटअप (तैयार) करनी चाहिए। पुराने तकावी रूल के मुताबिक चले तो मैं समझता हूं कि बहुत जहमत होगी और जिस मकसद के लिए यह कानून बन रहा है वह पूरा न होगा। आप वह तरीके अख्तियार करें जैसे इस सूबे की मिल्क (दूध) सोसाइटी के लिए जारी किए गए हैं और तहसीलदार और डिप्टी कलक्टर साहबान मैदान से निकाल दिए गए हैं और मिल्क सोसाइटी के इंसपेक्टर आसानी के साथ गाय वगैरा खरीदने के लिए लोन दे सकते हैं और वही एक अथारिटी है और जितनी फारमेलिटीज (अनावश्यक गहनताएं) तकावी रूल्स की हैं वह न हों यह ऐक्ट बिल्कुल जदीद होगा और ऐक्ट १९१२ से गवर्न (शासित) न होगा अगर आप इसे ऐक्ट सन् १९ के सिलसिले में विदाउट इन्टेरेस्ट (बिना ब्याज) कर दें तो अच्छा होगा। उसके लिए यह किया जा सकता है कि वह लोग जो चीजें बनायें उनमें से आधी या एक तिहाई सरकार अपने लिए अपने इम्पोरियम वगैरा के लिए हासिल कर ले जैसे जेल में या और महकमों में जहां भी सरकार को जरूरत हो। अगर हमने इतना सूद लिया तो उनकी सही तौर पर खिदमत न हो सकेगी। एक क्लाज (धारा) मोड आफ रिकवरी (वसूली के तरीके) का होना चाहिए कि किस तरीके से वसूली होगी। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूँ।

माननीय प्रधान सचिव--जो बातें फखरुल इस्लाम साहब ने कहीं वह काबिले गौर है। मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से तकावी दी जाती है वह रवैया यहां नहीं बरता जायगा और कोई रिपोर्ट उस तरीके पर नहीं मंगाई जायगी। रिफ्यूजी आफिसर्स करीब-करीब उन तमाम जगहों में जहां वह लोग हैं प्राविंशियल सरविस (प्रान्तीय नौकरी) के स्टेटस (स्तर) के अच्छे आदमी रखे गये हैं और एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होगा वह ऊंचे ओहदे का होगा और बाकी काम कलक्टरों के जरिए से किया जायगा। मैं मानता हूँ कि उस किस्म की दिक्कतें मुसीबतजदा लोगों के सामने नहीं आयेंगी और उनको आसानी और सहूलियत से कर्जा मिलेगा। उनको दर दर जाने की जरूरत न

[माननीय प्रधान सचिव]

होगी। यह सब बातें मुनासिब हैं और इनके मुताबिक अमल होना चाहिए। सूद के मुताबिक जो उन्होंने कहा है हमारा इरादा है कि ४ आने से ज्यादा न ले और अगर जरूरत हो तो वह भी छोड़ा जा सकता है यह कोई बड़ा सूद नहीं है। जहां तक अदायगी की बात है उसके लिए काफी सहूलियत दी जायगी। इस भवन की जो राय है वही इरादा सरकार का है। हम इन तकलीफजदा लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद देना चाहते हैं और उनको कर्जा आराम के साथ दिलाना चाहते हैं और अदायगी की भी सहूलियत देना चाहते हैं। इस बिल के बारे में कोई दो राय नहीं है। उम्मेद है कि हाउस इसको मंजूर करेगा।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि संयुक्तप्रान्त के शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिए ऋण देने) के बिल, सन् १९४८ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २

परिभाषाएं। २--इस ऐक्ट में जब तक कि कोई बात इस विषय या संदर्भ के विपरीत न हो--

(क) "ऋण लेने वाले" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी कम्पनी या ऐसे एसोसियेशन या व्यक्तियों की ऐसी संस्था से है, भले ही वह प्रमाणित हो या न हो, जिसे इस ऐक्ट के अन्तर्गत कोई ऋण दिया गया हो।

(ख) "कम्पनी" से तात्पर्य किसी ऐसी कम्पनी से है जिसकी परिभाषा भारतीय कम्पनियों के ऐक्ट, १९१३ ई० में कर दी गयी है।

(ग) "नियंत्रण अधिकारी (कन्ट्रोलिंग अथारिटी)" से तात्पर्य उस अधिकारी से है जो इस ऐक्ट के अधीन दिये गये अधिकारों के अनुसार ऋण देता है।

(घ) "मुख्य प्रबंधक (चीफ एडमिनिस्ट्रेटर)" से तात्पर्य संयुक्त प्रान्त के प्रान्तीय शरणार्थी कमिश्नर से है और किसी ऐसे अफसर से भी है जिसे प्रान्तीय सरकार ने इस ऐक्ट के अधीन मुख्य प्रबंधक (चीफ एडमिनिस्ट्रेटर) के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया हो।

(ङ) "डिप्टी कमिश्नर" से तात्पर्य किसी ऐसे अफसर से है जिसे इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया हो।

(च) "उद्योग धन्धे में लगे हुए व्यक्ति" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो मालिक या काम करने वाले की तरह, पूर्ण समय के लिए या थोड़े समय के लिए, किसी ऐसे औद्योगिक व्यापार या साहस पूर्ण व्यापार या कारखाने में काम पर लगा हो या जो (अन्य व्यक्तियों को) काम पर

लगाना चाहता हो जिसका संचालन कोई व्यक्ति या कम्पनी या एसोसियेशन या व्यक्तियों की संस्था, भले ही वह प्रमाणित हो या न हो, करती हो ।

(छ) "निर्धारण" से तात्पर्य ऐसे नियमों द्वारा निर्धारित किये जाने से है जो इस ऐक्ट के अधीन बनाये जायं, और

(ज) "शरणार्थी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो उन प्रदेशों से हटाया गया हो जो अब पश्चिमी पाकिस्तान में सम्मिलित हैं, तथा जो इस समय संयुक्त प्रान्त में रहता हो और जो १ फरवरी, १९४८ ई० के पहिले या ऐसी बढ़ाई हुई तारीख के पहले, जिसे प्रान्तीय सरकार इस सम्बंध में सरकारी गजट में प्रकाशित करे, संयुक्तप्रान्तीय शरणार्थियों की रजिस्ट्री के ऐक्ट १९४८ ई० की धारा ४ के अनुसार रजिस्टर्ड किया गया हो

(झ) "प्रान्तीय सरकार" से तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय सरकार से है।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप की आज्ञा से इस बिल की धारा २ (ज) की लाइन दो में लिखे हुए शब्द 'पश्चिमी' निकाल देने का संशोधन पेश करता हूँ। यह जाहिर सी बात है कि हमारे सूबे में पाकिस्तान से बर्बाद हुए और उजड़े हुए लोग आये और बहुत ज्यादा तादाद में बस गये हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ज्यादातर लोग पश्चिमी पंजाब से आये हैं। लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है और जिसको नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए कि हमारे सूबे के अन्दर पूर्वी बंगाल से भी बहुत से लोग आकर बस गये हैं। तो जब हम उनकी भलाई के लिए और उनको बसाने के लिए कर्ज के रूप में और दूसरे तरह से कुछ मदद करना चाहते हैं, उनको फिर से बसाना चाहते हैं, और उनको राहत पहुँचाना चाहते हैं तो कानून में ऐसा शब्द क्यों रहे। पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग आये हैं वे सभी मुसीबतजदा हैं चाहे वे पूरब से आये हों या पश्चिम से आये हों। इसके अलावा मुझे और कुछ निवेदन नहीं करना है। मैं समझता हूं कि यह चीज उचित है और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधान मंत्री इस चीज को कबूल कर लेंगे।

माननीय प्रधान सचिव--इसकी कोई खास जरूरत तो है नहीं क्योंकि जो रजिस्टर्ड हुए हैं उन्हीं के लिए यह रखा गया है। अगर आप को पसन्द है कि इसको हटा दिया जाय तो मुझे कोई खास उज्र भी नहीं है

श्री अर्नेस्ट माईकेल फिलिप्स--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रधान मंत्री की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि अगर यह लफ्ज वेस्ट (पश्चिमी) पाकिस्तान नहीं हटाया जाता तो जितने रिफ्यूजीज हैं (आवाजें वह लफ्ज तो हटा दिया गया) मैं इसकी ताईद कर रहा हूँ अगर वह लफ्ज हटा दिया गया तो मैं आप को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि भरतपुर, अलवर, धौलपुर, ग्वालियर से जो बहुत से रिफ्यूजीज आये हुये हैं उनमें हमको यह नहीं देखना है कि वे किस मत के मानने वाले हैं। चाहे वे किसी मत के मानने वाले हों हमें इन बातों का ख्याल छोड़कर जितने भी

[श्री अर्नेस्ट माईकेल फिलिप्स]

रिफ्यूजीज हैं सब की मदद करनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा २ उपधारा "ज" की पंक्ति २ में से शब्द "पश्चिमी" निकाल दिया जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद भवन ५ बजकर १० मिनट पर दूसरे दिन के ११ बजे के लिए स्थगित हो गया।)

कैलाश चन्द्र भटनागर,
मंत्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त।

लखनऊ,
२९ अप्रैल, सन १९४८।

नत्थी 'क'

(देखिए प्रश्न संख्या २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०० पर)

नं० ५३५०,८

प्रेषक

राजेश्वर दयाल,
मंत्री, संयुक्त प्रान्त।

सेवा में

रिक्लेमेशन अफसर,
संयुक्त प्रान्त,
लखनऊ ५ जनवरी सन् १९४८।

विषय: परिगणित तथा पिछड़ी हुई जातियों का सुधार।

गृह विभाग महोदय,

मुझे आप को यह विदित करने का आदेश हुआ है कि परिगणित और पिछड़ी हुई जातियों के सुधार के लिए एक उचित योजना बनाने के प्रश्न पर सरकार कुछ समय से इस लिए विचार कर रही है कि उक्त जातियों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा के सुधार के लिए पर्याप्त तथा प्रभावपूर्ण कार्य प्रणाली की व्यवस्था की जाय। इस उद्देश्य से सरकार ने पिछड़ी हुई जातियों के उठाने के लिए धन का प्रबन्ध किया है और बेगार की रीति को जड़ से नष्ट कर देने के लिए कठोर आदेश जारी किये है। इसके अतिरिक्त सरकार नें संयुक्त प्रान्तीय सामाजिक अयोग्यताओं को हटाने के ऐक्ट १९४७ ई० (The United Provinces Removal of Social Disabilites Act 1947) को भी लागू कर दिया है जिससे परिगणित जातियां अपने नागरिक स्वत्वों को अबाध्य रूप से प्रयोग मे ला सकती है। परन्तु वर्तमान पक्षपात तथा दीनता के आगे केवल कानून बनाने तथा आदेश जारी कर देने ही से सरकार उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में उस समय तक सफल न होगी जब तक कि केन्द्रीय प्रबन्ध के अधीन किसी योग्य संगठन द्वारा इस पर कार्य न किया जाय। अतएव इस प्रान्त की परिगणित तथा पिछड़ी हुई जातियों के सुधार ओर उठान के लिए सरकार ने निम्नलिखित संगठन स्थापित करने का निश्चय किया है।

१. प्रमुख स्थान (हेडक्वार्टर) (१) एक प्रान्तीय बोर्ड जो हरिजनों के हितों पर प्रभाव डालने वाली समस्त बातों के सम्बन्ध मे परामर्श देगा और उनके उठान से सम्बन्धित समस्त योजनाओं और कार्यो का एकीकरण करेगा। इस बोर्ड में नीचे लिखे हुए सदस्य होंगे।

१. माननीय प्रधान सचिव—— सभापति
२. माननीय शिक्षा सचिव
३. माननीय सचिव, आबकारी विभाग उप सभापति
४. माननीय सचिव, उद्योग विभाग
५. श्री गोविंद सहाय, माननीय प्रधान सचिव के सभा मंत्री
६ डेवलपमेन्ट कमिश्नर

७. पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा (शिक्षा विभाग) के विशेष कार्यो के अधिकारी।
८. रिक्लेमेशन अफसर

रिक्लेमेशन अफसर बोर्ड के सेक्रेटरी का कार्य करेंगे।

अब से आगे कोई भी सरकारी विभाग उक्त जातियों के उठान की किसी योजना को उस समय तक हाथ में न लेगा जब तक कि प्रान्तीय बोर्ड से पहले परामर्श न कर ले।

२. सरकार के प्रमुख स्थान पर हरिजन सहायक विभाग स्थापित किया जायगा जिसमें वर्तमान रिक्लेमेशन विभाग मिला लिया जायगा। यह विभाग फिलहाल प्रान्तीय सरकार के गृह-विभाग के शासन सम्बन्धी अधिकार तथा नियंत्रण में रक्खा जायेगा जो प्रान्तीय बोर्ड के नेतृत्व में उक्त अधिकार का प्रयोग करेगा और ऐसे समस्त विषयों पर कार्य करेगा जो हरिजन सहायक विभाग के कार्य क्षेत्र मे हों। इस विभाग के कर्तव्य ये होंगे।

(१) संयुक्त प्रान्तीय सामाजिक अयोग्यताओं को हटाने के ऐक्ट १९४७ के आदेशों को प्रयोग मे लाना।

(२) इस बात की देख भाल रखना कि परिगणित जातियों के असंतुष्ट व्यक्तियों के साथ अवश्य न्याय किया जाय।

(३) इन जातियों को शिक्षा देकर, उन्नति करके जीवन का ओर अच्छा अनुभव करा कर तथा सहकारिता ओर कला कौशल की शिक्षा (टेक्निकल-ट्रेनिंग) द्वारा उन्नति करना।

सरकार एक पृथक पत्र जारी करेगी जिसके द्वारा हरिजन सहायक विभाग के आवश्यक कर्मचारियों ओर ऐसे अतिरिक्त सचिवालय सम्बन्धी कर्मचारियों के रखने के लिए स्वीकृति दी जायगी जिनकी गृह विभाग में इस लिए आवश्यकता हो कि वे नये विभाग से सम्बन्धित अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। आय व्ययक सम्बन्धी व्यवस्था करने और विभाग के लिए रुपये का प्रबन्ध करने के लिए कार्यवाही की जा रही है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आदेश जारी किये जायेंगे।

२. जिला संगठन १: प्रत्येक जिले में एक जिला हरिजन सुधार सभा बनाई जायगी और उसमें नीचे लिखे हुए सदस्य होंगे :--

(१) सभापति के पद पर प्रान्तीय सर्विस का एक पदाधिकारी चाहे किसी भी विभाग का हो परन्तु जिसे हरिजन उठान के कार्य से रुचि हो और जिसे जिलाधीश चुनेगा।

(२) स्कूलों के जिला इंस्पेक्टर

(३) जिला विकास अधिकारी

(४) जिला प्रचार अधिकारी

(५) आबकारी इन्सपेक्टर

(६) उद्योग धन्धों क जिला सुपरिण्टेण्डेण्ट

(७) तीन गैर सरकारी सज्जन जो परिगणित जातियों के सुधार कार्य में दिलचस्पी लेते हों।

इस सभा के कर्तव्य ये होंगे कि वह ऐसे समस्त प्रश्नों पर जिनका उस जिले मे रहने वाली परिगणित जातियों पर प्रभाव पड़ता हो और ऐसे समस्त विषयों पर जिनका इन जातियों के उठान से संबंध हो अपना परामर्श दे। जिले के शासन संबंधी कार्य का उत्तरदायी सभा का सभापति होगा और इस सम्बन्ध मे जिला हरिजन अधिकारी उसकी सहायता करेगा जो कि जिला सभा का मंत्री होगा। १००० रु० की धनराशि प्रत्येक जिला सभा को केवल प्रचार कार्य के उद्देश्यों के लिए दी जायगी और इस सम्बन्ध मे एक पृथक पत्र जारी किया जायगा। ऐसे अन्य समस्त अनुदानों के सम्बन्ध मे जो प्रान्तीय सरकार परिगणित जातियों के सुधार के लिए नियत करे इस सभा के परामर्श को महत्व दिया जायगा।

२. हरिजन सहायक विभाग का एक जिला संगठन जिला हरिजन अधिकारी के अधीन होगा जिसको एक क्लर्क और एक चपरासी भी दिया जायगा। अतएव प्रान्त के प्रत्येक जिले के लिए एक जिला हरिजन अधिकारी को एक क्लर्क तथा एक चपरासी की जगहों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी जाती है और इनके वेतन का स्केल क्रमानुसार १२० रु०, ६, १८०, १०, २००; ६० रु०, ३, ६०, ४, ११० और २५ रु० १।३, ३० होगा। यह जगह अस्थाई रूप से स्थापित की गई है और अभी ३१ मार्च सन् १९४९ ई० के अंत तक रहेगी। जिला हरिजन पदाधिकारियों की जगहों पर ग्राम सुधार के सहकारी विभाग के व्यक्ति रखे जायेंगे। इस जगह पर नियुक्तियां डेवलपमेन्ट कमिश्नर सरकार की अनुमति से करेगा। जिला हरिजन अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि संयुक्त प्रान्तीय सामाजिक आयोग्यताओं के हटाने के ऐक्ट सन १९४७ ई० के आदेशों का पालन किया जाता है और परिगणित जातियों की आएदिन की शिकायतें जिले अधिकारियों को सूचित की जाती हैं। उनके संबंध में न्याय किया जाय उनको ऐसी सभाओं और ऐसे सम्मेलनों का भी प्रबन्ध करना चाहिए जहां विकास सम्बन्धी सरकारी योजनाओं का प्रचार हो। इस सम्बन्ध में वह ऐसे सामाजिक जन सेवकों की सहायता ले सकता है जिनको हरिजन उठान कार्य से रुचि हो। इन जन सेवकों को आर्थिक सहायता की धन राशि नियत करना चाहिए। जिला हरिजन अधिकारी को जिला विकास बोर्ड में इस लिए सदस्य की हैसियत से सम्मिलित कर लेना चाहिए कि उसकी उपस्थिति और प्रयत्नों से हरिजनों के हित की उन्नति हो तथा वह ऐसी विभिन्न विभाग सम्बन्धी योजनाओं से लाभ उठा सकें जिनको जिला विकास बोर्ड चलाना चाहे।

३. प्रकाशन तथा प्रचार।

हरिजन सहायक विभाग प्रकाशन और प्रचार का कार्य करेगा और पोस्टर्स पैम्फलेट, बुलेटिन और यदि आवश्यकता हो तो एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करेगा। यदि कोई ऐसा पत्र जारी किया जाय तो प्रान्तीय तथा अखिल भारतीय, महत्वपूर्ण समाचारों के अतिरिक्त ऐसे पत्र का यह भी कर्तव्य होगा कि वह सामाजिक तथा आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं को हरिजनों को स्पष्ट रूप से समझाये और अपने लेखों द्वारा अच्छे जीवन के विचार स्वच्छता की दशाओं में सुधार तथा सामाजिक उन्नति की विषयों के सम्बन्ध में सुझाव रखे। प्रकाशन और प्रचार पर जो कि परि-

परिगणित जातियों के सुधार के लिए होना चाहिए अधिक से अधिक १,००,००० रुपये के लिए स्वीकृति दी जाती है। यह प्रचार उन असमर्थताओं को दूर करने के लिए होना चाहिए जिनसे परिगणित जातियों के सदस्य पीड़ित हे और समान रूपी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी होना चाहिए। उस धन राशि की जिसकी उक्त प्रयोजनों के लिए चालू आर्थिक वर्ष के शेष महीनों और १९४७-४९ ई० के वर्ष के लिए आवश्यकता होगी सरकार को रिपोर्ट देनी चाहिए। प्रकाशन तथा प्रचार और आवश्यक कर्मचारियों को रखने के संबंध में ब्योरेवार आज्ञाएं अलग जारी की जायेंगी।

४. कला संबंधी शिक्षा (टेक्निकल ट्रेनिंग)

इस आज्ञा पत्र द्वारा अधिक से अधिक १,५०,००० रु० के निरंतर होने वाले वार्षिक व्यय के लिए इस उद्देश्य से अनुमति दी जाती है कि उससे हरिजन युवकों को चमड़ा कमाने की उन्नति की हुई विधियों की कला सम्बन्धी शिक्षा (ट्रेनिंग) दी जाय और इसकी विद्या पढ़ाई जाय और कारीगरों, कुम्हारों और टोकरी बनाने वालों तथा उपयुक्त अन्य घरेलू उद्योग-धन्धों का शिक्षा दी जाय। हरिजन कारीगरों से और अच्छे माडेल कच्चे घरों के बनवाने का प्रयत्न करना चाहिए और कार्य आरम्भ के रूप में १५० पृथक चमार कारीगरों को माडेल कच्चे घर बनाने की शिक्षा देने का प्रबन्ध करना चाहिए। और शिक्षा की अवधि में उनके खाने पीने और रहन के व्यय का भार सरकार को उठाना चाहिए। उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए एक योजना तुरन्त बनानी चाहिए और सरकार की स्वीकृति के लिए पेश करना चाहिए। सरकार को उस धन राशि की सूचना देनी चाहिए जो चालू वर्ष के शेष महीनों में और अगले वर्ष १९४८-४९ ई० में हरिजनों को टेक्निकल ट्रेनिंग देने के खर्चे के लिए आवश्यक हो। उस अधिकारी के संबंध में भी जिसको उक्त व्यय करने का अधिकार होगा प्रस्ताव किये जाना चाहिए।

५—आर्थिक उत्थान।

इस योजना का मुख्य भाग यह है कि उन आर्थिक दशाओं के सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए जिनमे हरिजन आजकल रह रहा है और उनके हित का काम करना चाहिए। जिला संगठन को इस उद्देश्य के अधीन काम करना चाहिए। अधिक से अधिक १,००,००० रु० के व्यय के लिए अनुमति दी जाती है और यह रुपये ऐसी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, व्यक्तियों और क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिऐ जहां लोगों को उनके विकास में पर्याप्त रुचि हो। यह अनुदान उन क्षेत्रों के व्यक्तियों को दिये जा सकते है जहां वह कोई नया उद्योग धंधा आरम्भ करें या नये कुंयें, गांव की सड़के आदि बनाये। उस धनराशि की सूचना देनी चाहिए जो कि चालू आर्थिक वर्ष और अगले वर्ष सन् १९४८-४९ ई० में इस काम के लिए आवश्यक हो। प्रान्त के विभिन्न जिलों मे उक्त धनराशि के वितरण और उस अधिकारी के संबंध मे सूचना देनी चाहिए जिसके अधिकार में जिले के लिए अलग किया हुआ रुपया उपयोग में लाने के लिए रखना चाहिए। जिला संघ का परामर्श लेने के बाद ही अलग किये हुए रुपये में से खर्च करना चाहिए।

[illegible] का भार ।

प्रकाशन और प्रचार के व्यय हरिजन सहायक विभाग द्वारा । प्रकाशन और प्रचार पर किये जाने वाले १,००,००० रु० के व्यय २५ सामान्य शासन प्रबंध सचिवालय तथा हेडक्वार्टर्स एस्टेबिल्शिमेंट सामान्य शासन प्रबंध अन्य व्यय" की मद से किये जायेंगे और सनम्न अन्य मदो के व्यय जिनके संबंध मे ऊपर अनुमति दी गयी ह ।

"५७, विविध जे० 'विविध तथा आकस्मिक व्यय (जी) हरिजन उद्धार सबधी व्यय" की मद मे किये जायगे चालू आर्थिक वर्ष मे इस मद के अधीन ७५,८०० रु० का प्रबध किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त इस प्रबध के लिए ऐसी और धनराशि रखी जायगी जो उन व्ययो की पूर्ति के लिए आवश्यक हो जिनकी अनुमति अब दी गयी है और इसके साथ साथ ५०,००० रु० की अधिक धनराशि जिला संघो को दी जायगी । जो प्रत्येक जिला सघ १,००० रु० की धनराशि प्रचार के लिए देगे जिसके सबध मे उपरोक्त अनुच्छेद २ (१) मे व्यवस्था की गयी है । चालू वर्ष के आय व्यय मे निर्धारित की हुई धनराशि मे आवश्यक संशोधन के संबंध मे सरकार को सूचना देनी चाहिए और १९४८-४९ ई० के आय व्ययक मे सम्मिलित करने के लिए संशोधित व्योरेवार अनुमान सरकार को तुरन्त भेजे जाने चाहिए ।

आपका परम विनीत सेवक,
राजेश्वर दयाल
गृह-मंत्री ।

नं० ५३५०, १,८

संयुक्त प्रान्त के समस्त जिला मजिस्ट्रेटो को सूचना तथा अनुसरण के लिए प्रतिलिपि प्रेषित की जाती है ।

नं० ५३५०, २,८

डिवीजनो के समस्त कमिश्नरो की सूचना के लिए प्रतिलिपि प्रेषित की जाती है ।

नं० ५३५०, ३, ८

गृह विभाग को प्रतिलिपि इस निवेदन के साथ प्रेषित की जाती है कि हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के सहायता विभाग के लिए उन आवश्यक कर्मचारियों के संबंध मे स्वीकृति देने की तुरन्त कार्रवाई की जाय जो उसके शासनीय नियंत्रण मे रहेंगे । स्वीकृति कर्मचारियों और उनके प्रस्तावित वेतन क्रमों के संबंध मे राजस्व विभाग की सम्मति प्राप्त कर लेना चाहिए ।

नं० ५३५०, ४, ८

सचिवाहक शासन प्रबंध (कर्मचारी) विभाग को प्रतिलिपि इस निवेदन के साथ प्रेषित की जाती है कि कृपया ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों का प्रबंध करने की कार्रवाई की जाय जिनकी गृह विभाग मे नवीन हरिजन सहायक विभाग के संबंध मे जो उसके शासनीय नियंत्रण मे रहेगा कार्य सँभालने के लिए उक्त विभाग को आवश्यकता होगी । चूंकि यह आवश्यक है कि परिगणित जातियों की सामाजिक और आर्थिक दशा सुधारने का सब काम एक ही विभाग मे रखा जाय, इसलिए बेगार का विषय सामान्य शासन प्रबंध विभाग

से गृह विभाग को हस्तान्तरित करने के लिए तुरन्त आदेश जारी किये जायं परि-गणित जातियों की शिक्षा के विषय का कार्य शिक्षा विभाग ही मे किया जायगा। यह नया विभाग जो हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियों के सहायक विभाग का कार्य करेगा माननीय प्रधान सचिव के पोर्टफोलियो मे सम्मिलित किया जाना चाहिए और तदनुसार आदेश जारी किये जाना चाहिए।

नं० ५३५०, ५, ८

सचिवालय शासन प्रबंध (अकाउंटस) विभाग को इस टिप्पणी के साथ प्रतिलिपि प्रेषित की जाती है कि हरिजन सहायक विभाग द्वारा किये जाने वाले प्रचार और प्रकाशन के लिए १९४८-४९ ई० के सचिवालय के आय-व्ययक मे १ लाख रुपया सम्मिलित करने की आवश्यक कार्रवाई की जाय।

नं० ५३५०, ६, ८

सचिवालय के समस्त अन्य विभागों की सूचना के लिए प्रतिलिपि प्रेषित की जाती है।

नं० ५३५०, ७, ८

१ माननीय प्रधान सचिव
२ माननीय शिक्षा सचिव
३ माननीय आबकारी सचिव
४ माननीय उद्योग सचिव
५ श्री गोविन्द सहाय, माननीय प्रधान मंत्री के सभासचिव
६ डेवलपमेंट कमिश्नर, संयुक्त प्रान्त
७ आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी परिगणित जाति शिक्षा विभाग

आज्ञा से
सी० बी० मे० दुबे
डिप्टी सेक्रेटरी संयुक्त प्रान्त सरकार

राजस्व विभाग

नं० ५३५०, ८, ८

अकाउन्टेन्ट जनरल संयुक्त प्रान्त को भी प्रतिलिपि प्रेषित की जाती है।

आज्ञा से
पी० ए० गोपालकृष्णन
सेक्रेटरी संयुक्त प्रान्त।

नत्थी 'ख'

(देखिये प्रश्न संख्या ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०५ पर)

उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें सन् १९४२ ई० के आन्दोलन के सम्बन्ध में क्षति पहुँचने के कारण क्षतिपूर्ति दी गई

क्रम संख्या	व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	धन राशि	न्यायालय
					रु०	
१	नरेश	शिवगुलामगंज	जौनपुर	बरई	१००	एस० डी० एम०, जौनपुर
२	खुरभुर	सराय हरखू	"		३००	"
३	राम नाथ	सराय हरखू	"	केवट	४००	"
४	मुसम्मात रुक्का	घमामन	"		१२५	"
५	बाल करन	बाभनपुर	"		८००	"
६	भोला मिश्रा	"	"		८००	
७	रामतवंकल	मोमदीपुर	"		२,०००	
८	जगन सिंह	गौरी कलां	"	ठाकुर	१,८००	
९	राम अधार	डंडीपुर	"	पांडे	१,२००	
१०	भोला राय यादा	बहार पट्टी	"	अहिर	६००	
११	ठाकुर दीन	वर चौव	"	पंडित	२,०००	
१२	बेचई राम	वर चौव	"	"	१,५००	
१३	दीप नरायन	"	"	"	९००	
१४	मखोधर	माई	"	"	४००	
१५	राजाराम	"	"	"	५,०००	
१६	कुआल अली	माई	"	दरजी मुसलमान	४००	एस० डी० एम० जौनपुर
१७	रामप्रसाद	"	"	लोहार	७००	"
१८	छटंकी	"	"	गोसाईं	२७५	"
१९	राम नरेश	"	"	हिन्दू	८००	"
२०	माता गुलाम	छंगापुर	"	ब्राह्मण	२५०	"
२१	सीताराम	सुल्तानपुर	"	हिन्दू	१,०००	"
२२	बंसराज	दराव गंज	"	अहीर यादव	२,०००	"
२३	रामदेव	अगरौरा	"	ठाकुर	२००	"

क्रम संख्या	व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	धन राशि	न्यायालय
					रु०	
२४	समर जीत	अगरौरा	जौनपुर	चौहान	१,०००	एस० डी० एम० जौनपुर
२५	मेहरबान	,,	,,	हिन्दू	३००	,,
२६	मेवा लाल	,,	,,	भजा	२००	,,
२७	अंबिका प्रसाद	,,	,,	ब्राह्मण	३,५००	,,
२८	जयंत्री प्रसाद	,,	,,	हिन्दू	१,५००	,,
२९	मुसम्मात सुखदेवी	,,	,,	हिन्दू	१,०००	,,
३०	मोलाई	,,	,,	नोनिया	७००	,,
३१	राम पाल सिंह	,,	,,	हिन्दू	१,२००	,,
३२	तालुकदार	,,	,,	हिन्दू	१,०००	,,
३३	जगदेव	,,	,,	चौहान	१,०००	,,
३४	सुमेर	,,	,,	हिन्दू	८००	,,
३५	बाबूराम	,,	,,	,,	८००	,,
३६	बजराज	खानापट्टी	,,	ठाकुर	१५०	,,
३७	राजेन्द्र सिंह	,,	,,	ठाकुर	२५०	,,
३८	रामचन्द्र सिंह	,,	,,	ठाकुर	५००	,,
३९	राम नारायण उपाध्याय	देहजौरी	,,	ब्राह्मण	१,६००	,,
४०	दीनदीन	सिन्दपुर	,,	,,	१५०	,,
४१	राम जिआवन सिंह	देवरिया	,,	ठाकुर हिन्दू	५,०००	,,
४२	माता प्रसाद	बुदौली	,,	मिश्र	२,५००	,,
४३	सहदेव राम	अभनौली	,,	बरई हिन्दू	८००	,,
४४	भागीरथी	,,	,,	कोइरी हिन्दू	३,०००	,,
४५	सूरज प्रसाद	प्रेमराजपुर	,,	ठाकुर	३५०	,,
४६	अमरेज सिंह	बेलसाही	,,	ठाकुर हिन्दू	६००	,,
४७	यदुनाथ सिंह	पीठी	,,	ठाकुर	४,०००	,,
४८	चन्द्रपाल सिंह	बलवारी	,,	,,	१,०००	,,
४९	राज नरायन	पुरावसौल	,,	,,	१,२००	,,
५०	रामखेलावन	देवपुर	,,	कोइरी	४५०	,,
५१	हवदार सिंह	,,	,,	ठाकुर	३००	,,

क्रम संख्या	व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	धनराशि	न्यायालय
					रु०	
५२	राम सुमेर	बेलसारी	जौनपुर	हिन्दू	३२५	एस० डी० एम० जौनपुर
५३	चन्द्रभान सिंह	खपरह	,,	ठाकुर हिंदू	८००	,,
५४	राम रेखा	चानपुर	,,	ब्राह्मण हिन्दू	३००	,,
५५	शिव मूरत	गोनापार	,,	,,	२००	,,
५६	परमानन्द	,,	,,	हिन्दू	८००	,,
५७	राम शंकर सिंह	पांडेपुर	,,	कायस्थ हिन्दू	६००	,,
५८	राम बहाल	पोखरियापुर	,,	अहिर हिन्दू	२५	,,
५९	बाब करन	,,	,,	हिन्दू	३००	,,
६०	जयकरन	पोसरियापुर	,,	हिन्दू	७५	,,
६१	जय श्री मल्लाह	,,	,,	हिन्दू मल्लाह	३००	,,
६२	राम अधार	लाल बजार	,,	हिन्दू मल्लाह	१००	,,
				अग्रहारी		
६३	मुनेशर	गोसाईंगंज	,,	हिन्दू भूजा	३००	,,
६४	मुम्समात नगेसरी	सेकारारा	,,	कलवार	२५०	,,
६५	बेचन	,,	,,	हिन्दू	२२५	,,
६६	रामचन्द्र	खारापट्टी	,,	ठाकुर हिन्दू	३५०	,,
६७	जय मूरत सिंह	तपीरपुर	,,	हिन्दू	२००	,,
६८	माता बदल	,,	,,	हिन्दू	७५	,,
६९	रामदेव सिंह	ताहीरपुर	,,	ठाकुर हिन्दू	३००	,,
७०	शिव मूरत सिंह	,,	,,	,,	४००	,,
७१	चोखई	,,	,,	हिन्दू	५०	,,
७२	मंगरू अहीर	,,	,,	अहीर हिन्दू	७५	,,
७३	नगेसर मौरिया	,,	,,	बरई हिन्दू	५००	,,
७४	भगवती प्रसाद शुक्ल	,,	,,	ब्राह्मण हिन्दू	७५	,,
७५	मोहन	,,	,,	हिन्दू	७५	,,
७६	रामनाथ	,,	,,	हिन्दू	?	,,
७७	शीतल मौरिया	,,	,,	मौरिया हिन्दू	५०	,,

क्रम संख्या	व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	धनराशि	न्यायालय
					रु०	
७८	दाता दीन	ताहरिपुर	जौनपुर	हिन्द	१००	एस० डी० एम०, जौनपुर
७९	शिव रतन	,,	,,	हिन्दू	७०	,,
८०	माता प्रसाद	,,	,,	हिन्दू	१००	,,
८१	राय राज	,,	,,	हिन्दू	५०	,,
८२	अक्षयबर सिंह	,,	,,	हिन्दू	१,५००	,,
८३	दुखरन	,,	,,	हिन्दू	१,२००	,,
८४	मुसई	,,	,,	अहिर हिन्दू	२५०	,,
८५	चन्द्रिका	बांकी	,,	ठाकुर हिन्दू	३००	,,
८६	राजाराम	ताहिरपुर	,,	हिन्दू	३००	,,
८७	हरदेव	रामचौरी	,,	ब्राह्मण	२००	,,
८८	राम शंकर	राम चंदिया	,,	हिन्दू	५००	एस० डी० एम० कराकत
८९	विश्व नाथ	,,	,,	ब्राह्मण हिन्द	५,०००	,,
९०	मुसम्मात रघुराई	पल्हामन	,,	हिन्दू	५००	,,
९१	भगवती सिंह मार्फत शिव बोध ।	,,	,,	ठाकुर	६००	,,
९२	भगवती सिंह मार्फत सरजू ।	पल्हामन खुर्द	,,	हिन्दू	३००	,,
९३	शिवदत्त पांडे	हरदीपुर	,,	ब्राह्मण	६००	,,
९४	राम लखन	कौजा	,,	हिन्दू	१,५००	,,
९५	सुरेश्वर नन्द	धीरपुर	,,	राघू हिन्दू	१,२००	,,
९६	रनबाज सिंह	मउजाधुर	,,	ठाकुर हिन्दू	३००	,,
९७	राजा राम शुक्ला	,,	,,	शुक्ल हिन्दू	५००	,,
९८	अहिबरन	गौर	,,	हिन्दू	४००	,,
९९	दाता दीन	अगरौरा	,,	चौबे हिंदू	१,०००	,,
१००	राम निहोर	,,	,,	बरागी	५०	,,
१०१	कन्हाई	,,	,,	हिन्द	४००	,,

क्रम संख्या	व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	धनराशि	न्यायालय
१	२	३	४	५	६	७
					रु०	
१०२	राम राज	देवकली कला	जौनपुर	हिन्दू	३५०	एस० डी० एम० कराकत
१०३	राम दास	राजेपुर	,,	,,	५००	,,
१०४	परषोत्तम	शिवगुलामगंज	,,	भूजा हिन्दू	३००	,,
१०५	उदयराज सिंह	रन्तपुर	,,	हिन्दू	२५०	एस० डी० एम० जौनपुर
१०६	दुखरन राम	ताहिरपुर	,,	,,	१,२००	,,
१०७	द्वारिका	राम चौरा	,,	,,	३००	,,
१०८	विशेश्वर	देवी गंज	,,	जायसवार हिन्दू	१५०	,,
१०९	जोखई	बौरा	,,	ब्राह्मण हिन्दू	३००	,,
११०	ब्रह्मदेव पांडे	बौरा	,,	ब्राह्मण हिन्दू	४००	,,
१११	जगदीश उपाध्याय	भगौरा	,,	,,	५,०००	,,
११२	बालादीन	बभनेक	,,	हिन्दू	४००	,,
११३	बासुदेव सिंह	रीठी	,,	हिन्दू	५००	,,
११४	जगदेव	मचकाह	,,	,,	८००	,,
११५	राम नरेश	गोपालपुर	,,	,,	१५०	,,
११६	रामदेव	ताहिरपुर	,,	,,	४००	,,
११७	रघू	,,	,,	चमार हिन्दू	१५०	,,
११८	सुमिरन	राम जचौरा	,,	,,	३००	,,
११९	मरवाजू सिंह	बेलसारी	,,	ठाकुर हिन्दू	५००	,,
१२०	राजपत मिश्रा	चांदपर	,,	ब्राह्मण हिन्दू	४००	एस० डी० एम० जौनपुर
१२१	बुद्धू सिंह	बलसारी	,,	ठाकुर हिन्दू	५०	,,
१२२	बेजनाथ	नेवरिया	,,	हिन्दू	१५०	,,
१२३	बाबनन्दन	भेलामपुर	,,	,,	१,०००	,,

क्रम संख्या	व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	धनराशि	न्यायालय
१	२	३	४	५	६	७
					रु०	
१२४	कबचारन सिंह	कुरनीटीह। मछलीशहर	जौनपुर ,,	ठाकुर हिन्दू	६०	,,
१२५	ठाकुर दीन	उतरेजपुर	,	हिन्दू	१,५००	,,
१२६	काशी	मुरादगंज	,,	हिन्दू	१००	एस० डी० एम० जौनपुर
१२७	राम अधार	दरिदापुर	,,	,,	१,२००	,,
१२८	बृजनाथ सिंह	देवपुर	,,	,,	१,०००	,,
१२६	त्रिभुवन	हरीपुर	,,	ब्राह्मण हिन्दू	७५०	,,
१३०	राम नरेश	ओंका	,,	हिन्द	२,५००	,,
		कुल स्वीकृत धनराशि			१,०३,०८०	

जे० ए० के लिए नोट:—नगर कांग्रेस कमेटी तथा जिला कांग्रेस कमेटी के केवल दो आवेदन पत्र हैं जो कि [illegible] सिफारिश की जा चुकी है

हस्ताक्षर (अप्रत्यक्ष) ।
एस० डी० एम०,
जौनपुर ।
७—३—४८

क्रम संख्या	व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	धनराशि	न्यायालय
					रु०	
१	लाल जी	पाली थाना मड़िआहू	मड़िआहू	ब्राह्मण	३००	एस० डी० एम० ए० ए० रिजवी मड़िआहू ।
२	राम गेन	,,	,,	,,	४००	,,
३	भगवती प्रसाद	,,	,,	,,	३,०००	,,
४	केदार	,,	,,	,,	६००	,,
५	राम निहोर	पालीचकताला	,,	अहिर	५०	,,
६	पुरुषोत्तम सिंह	पाली सुवासपुर	,,	,,	१,०००	,,
७	पयाग	पाली	,,	,,	१००	,,
८	बाल किशन	सलारपुर थाना मड़िआहू	,,	ब्राह्मण	२,०००	,,
९	देवराज	,,	,,	अहिर	१५०	,,
१०	राम दास	,,	,,	कोइरी	१५०	,,
११	राम राज	,,	,,	अहिर	६००	,,
१२	रघू	,,	,,	,,	२००	,,
१३	जग्गू	डंगरियांव	,,	,,	२००	,,
१४	कल्लू	मड़िआहू	,,	,,	२५०	,,
१५	राजा राम सिंह	कुरमी	,,	ठाकुर	१,५००	,,
१६	सूरज बली सिंह	,,	,,	,,	२,०००	,,
१७	राम निहोर	भवानीपुर	,,	अहिर	२००	,,
१८	केदार	,,	,,	,,	२००	,,
१९	मोती लाल	अनूपुर	,,	,,	१००	,,
२०	भुल्लन राम	,,	,,	,,	६००	,,
२१	राम अवलक्ष	,,	,,	,,	१००	,,
२२	बाबू लाल	,,	,,	,,	१५०	,,
२३	मेवा	बजार प्रतापगंज	,,	कलवार	२००	,,

क्रम संख्या	व्यक्तियों के नाम जिन्हें क्षतिपूर्ति स्वीकृत हुई	ग्राम	तहसील	जाति	धनराशि	न्यायालय
					रु०	
२४	किसान (हाई स्कूल)	प्रतापगंज	मड़िआहू		५,०००	एस० डी० एम०, मड़िआहू द्वारा स्वीकृत
२५	पयाग	,,	,,	सोनार	२,०००	,,
२६	जै शिवराम	सुदनीपुर	,,	भूजा	१००	,,
२७	गजाधर	चुरारीमड़िआ	,,	कलवार	१००	,,
२८	अयोध्या	,,	,,	कलवार	२००	,,
२९	नरायन दास	,,	,,	,,	२,५००	,,
३०	रघुबीर	,,	,,	हलवाई	१००	,,
३१	शीतला नन्द	राजापुर	,,	ब्राह्मण	३,०००	,,
३२	राम शंकर	,,	,,	,,	१,०००	,,
३३	रामलक्ष्मण सिंह	गोपालपुर	,,	ठाकुर	१००	,,
३४	शरीफ़	चितवार	,,	धोबी	२००	,,
३५	शिव शंकर	शीतलागंज	,,	कलवार	१,२००	,,
३६	सरज	सेडरिया मछली शहर	,,	ब्राह्मण भाट	४००	,,
३७	राम प्रसाद	कठार	,,	कोइरी	५५०	,,
३८	बेजई	मनकापुर	,,	केवट	२००	,,
३९	बुधली	मईडीह, मड़िआहू	,,	ब्राह्मण	३००	
४०	रघुनाथ सिंह	,,	,,	ठाकुर	८००	,,
४१	पंडित शोभनाथ	दशरथपुर मछली शहर	,,	ब्राह्मण	१००	,,
४२	दाताराम	सिधवन	,,	,,	४००	,,
४३	इन्द्रपाल सिंह	मोहम्मदपुर, थाना मड़िआ	,,	ठाकुर	५००	,,
४४	बिंदा रामनरायन	कठार मछली शहर	,,	कोइरी	१,४७८	,,
४५	रघुनाथ	कसनाही	,,	ब्राह्मण	१००	,,

क्रम संख्या	व्यक्तियों के नाम जिन्ह क्षतिपूर्ति स्वीकृत हुई	ग्राम	तहसील	जाति	धनराशि	न्यायालय
					रु०	
४६	रामधीन	बिछोटी जलाल गंज	मड़िआहू	कोइरी	२५०	एस० डी० एम०, मरिआहू द्वारा स्वीकृत
४७	शीतला प्रसाद	,,	,,	,,	४००	,,
४८	राम नेवाज	,,	,,	,,	३५०	,,
४६	राम दौर	कटौनादादपुर	,,	ठाकुर	३,५००	,,
५०	बंस राज	मानापुरपंचवल	,,	ब्राह्मण	२,५००	,,
५१	बंस नरायन सिंह	चीतापुर जलालपुर	,,	ठाकुर	३००	,,
५२	सरदार	सहारमा मीरगंज	,,	ब्राह्मण	१,५००	,,
५३	चौथी	भद्राव	,,	माली	७००	,,
५४	दुबरी राम	,,	,,	कुर्मी	१,२००	,,
५५	सुखई	चुघीपुर जलालपुर	,,	,,	५००	,,
५६	नुज्जू राय	रसुलहा मीरगंज	,,	,,	३,७००	,,
५७	भूसी राम	,,	,,	,,	१००	,,
५८	पंडित धुरुव नरायन	तेजगढ़मड़िआहू	,,	ब्राह्मण	२००	,,
५६	राम कतल	धरनचीपुर, रामपुर	,,	,,	१,००००	,,
६०	राम सिरजन	जमनीपुर, मीरगंज	,,	ब्राह्मण	१,२००	,,
६१	बच्चा	सम्सारा	,,	कोइरी	१,२००	,,

क्रम संख्या	व्यक्तियों के नाम जिन्हें क्षतिपूर्ति स्वीकृत हुई	ग्राम	तहसील	जाति	हर्जाने की धनराशि	न्यायालय का नाम जहां से क्षतिपूर्ति मिली
१	२	३	४	५	६	७
					रु०	
१	सूरजमन मिश्रा	नौभापुर	मछली-शहर	ब्राह्मण	२५०	एस० डी० एम० द्वारा सिफ़ारिश की गयी तथा डी० एम० द्वारा स्वीकृत
२	हरीशचन्द्र शर्मा	ईठा	"	"	२,०००	"
३	शीतला प्रसाद शर्मा	"	"	"	५,०००	"
४	बासदेव नन्द	"	"	"	६००	"
५	श्रीपाल सिंह	सकरा	"	क्षत्रिय	२००	"
६	झुल्लर	जयपालपुर	"	तेली	७५	"
७	राम अधीर	"	"	"	७५	"
८	राम दुलार मिसिर	अचकरी	"	ब्राह्मण	३५०	"
९	पंडित राजपत तिवारी	जिरकपुर	"	"	२७५	"
१०	राम रतन मिसिर	प्रेम का पूरा	"	"	१००	"
११	राम किशोर मिसिर और दूसरे लोग	लमहान	"	"	६००	"
१२	राम प्रसाद	इठा	"	कुर्मी	३००	"
१३	बांसदेव दुबे	कधान	"	ब्राह्मण	१००	"
१४	सूर्य प्रताप सिंह	फरीदाबाद	"	क्षत्रिय	८,३६०	डी० एम० द्वारा सिफ़ारिश तथा कमिश्नर द्वारा स्वीकृत

क्रम संख्या	क्षतिपूर्ति स्वीकृत व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	हर्जाने की धनराशि	न्यायालय का नाम जहां से क्षतिपूर्ति मिली
१	२	३	४	५	६	७
					रु०	
१५	राम जस कोइरी	मुस्तफाबाद	मछली शहर	कोइरी	५०	एस० डी० एम० द्वारा सिफारिश तथा डी० एम० द्वारा स्वीकृत
१६	राम सरन	कुंवर पुर	,,	गड़रिया	५०	,,
१७	रघुराज सिंह	बनगांव	,,	क्षत्रिय	५००	,,
१८	बृजनाथ	बादशाहपुर	,,	केसरवानी	२५	,
१९	दूधनाथ तिवारी	इतहरा	,,	ब्राह्मण	१,३००	,,
२०	पोदाद पांडे		,,	,,	१,३००	,,
२१	राम नरेश पांडे	,,	,,	,,	१,१५०	,,
२२	बासदेव सिंह	गोपालपुर	,,	क्षत्रिय	२५०	,,
२३	दौलत राम	जयपालपुर	,,	कुर्मी	५०	,,
२४	देवराज सिंह	ऊँचागांव	,,	क्षत्रिय	५००	,,
२५	भोला तिवारी	इतहरा	,,	ब्राह्मण	२००	,,
२६	पुदाऊ	चक मलाया	,,	कुर्मी	२७०	,,
२७	सीताराम उपाध्याय	बमानी	,,	ब्राह्मण	१,०००	,,
२८	राज नरायन तिवारी	इतहरा	,,	,,	३००	,,
२९	राम करन	,,	,,	कुर्मी	३००	,,
३०	किशोरी लाल गुप्ता	सराय.बीका	,,	वैश	१००	,,
३१	गिरजा शंकर तिवारी	नीभापुर	,,	ब्राह्मण	५००	,,
३२	बृजनाथ तिवारी	,,	,,	,,	६००	,,

क्रम संख्या	क्षतिपूर्ति स्वीकृत व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	हर्जाने की धनराशि	न्यायालय का नाम जहां से क्षतिपूर्ति मिली
१	२	३	४	५	६	७
					रु०	
३३	दुर्गा प्रसाद तिवारी	बड़ागांव	मछली-शहर	,,	३५०	एस० डी० एम० द्वारा सिफारिश तथा डी० एम० द्वारा स्वीकृत
३४	भगवत प्रसाद पांडे	प्रम का पुरा	,,	,,	२००	,,
३५	भगवती दीन	पकड़ी	,,	हरिजन	५०	,,
३६	गंगा दीन	जयपालपुर	,,	कुर्मी	५०	,,
३७	राम दास	खोजीडीह	,,	कलवार	३००	,,
३८	जगनाथ	पकड़ी	,,	हरिजन	४०	,,
३९	श्रीपाल सिंह	कुंवरपुर	,,	क्षत्रिय	२७५	,,
४०	कालूराम	पकड़ी	,,	हरिजन	५०	,,
४१	महाबीर प्रसाद	बादशाहपुर	,,	मारवाड़ी	१,०००	,,
४२	दामोदर	,,	,,	वैश	५०	,,
४३	यदुनाथ गिर	चकमथिया	,,	गोसाईं	२५	,,
४४	महादेव उपाध्याय	धारिकपुर	,,	ब्राह्मण	३२	,,
४५	राम शिरोमन दुबे	दहेवों	,,	,,	७००	,,
४६	राम औतार	हरवार	,,	चमार	२५	,,
४७	बोलई	मतिआही	,,	कोइरी	१००	,,
४८	राम स्वरूप हरिजन	गहरपारा	,,	चमार	५०	,,
४९	जगरूप	गोलाही	,,	अहिर	१५०	,,

क्रम संख्या	क्षतिपूर्ति स्वीकृत व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	हर्जाने की धनराशि	न्यायालय का नाम जहां से क्षतिपूर्ति मिली
१	२	३	४	५	६	७
					रु०	
५०	लाल बहादुर सिंह	गहारपारा	मछली-शहर	क्षत्रिय	१७५	एस० डी० एम० द्वारा सिफारिश तथा डी० एम० द्वारा स्वीकृत
५१	राम नाथ	,,	,,	अहिर	३५	,,
५२	राम दुलार सिंह	ऊँचगांव	,,	क्षत्रिय	१५०	,,
५३	गंगा प्रसाद सिंह	ऊँचगांव	,,	क्षत्रिय	१२५	,,
५४	राम अधीन	हरवार	,,	कुर्मी	२५०	,,
५५	भुलई	,,	,,	कुर्मी	५०	,,
५६	रामफल	गहारपारा	,,	,,	२००	,,
५७	गंगा दीन	तिलौरा	,,	तेली	५०	,,
५८	यदुवंश और दूसरे लोग	चोजीतपुर	,,	ब्राह्मण	२००	,,
५९	सीताराम सिंह	गहरपारा	,,	क्षत्रिय	३००	,,
६०	नन्द किशोर तिवारी	गोधूपुर	,,	ब्राह्मण	३,५००	,,
६१	राम लखन	अरवा	,,	कुर्मी	३,६२५	,,
६२	नगई राम यादव	नईपुरा	,,	अहिर	२५०	,,
६३	शिवनायक त्रिपाठी	पुरा कुदाई	,,	ब्राह्मण	७००	,,
६४	रूप नारायन	पुरा लाल	,,	,,	३५०	,,
६५	राम निरंजन	नीभापुर	,,	,,	३००	,,
६६	रघुबीर तिवारी	,,	,,	,,	५०	,,
६७	विद्याधर	कौराहा	,,	,,	२५	,,
६८	रामजस मिश्रा	बरबसपुर	,,	,,	२५०	,,

क्रम संख्या	क्षतिपूर्ति स्वीकृत व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	हर्जाने की धनराशि	न्यायालय का नाम जहां से क्षतिपूर्ति मिली
१	२	३	४	५	६	७
					रु०	
६९	राम राज सिंह	अमोरा	मछली-शहर	क्षत्रिय	३००	एस० डी० एम० द्वारा सिफारिश तथा डी० एम० द्वारा स्वीकृत
७०	गोकुल प्रसाद	इटाहा	,,	ब्राह्मण	२५०	,,
७१	सीता राम	मुस्तफाबाद	,,	,,	२००	,,
७२	राजा राम तिवारी	कोलीपुर	,,	ब्राह्मण	३००	,,
७३	सतनरायन पांडे	सेमरिया	,,	,,	२५०	,,
७४	गंगादीन	पनवारा	पट्टी	कलवार	४००	,,
७५	गौरी शंकर मिश्रा	सराय पनवारा	,,	ब्राह्मण	१,६००	,,
७६	बद्री नाथ	नीभापुर	मछली-शहर	,,	३,०००	,,
७७	जगई	जहांसपुर	,,	कुर्मी	१००	,,
७८	जय करन	,,	,,	कुर्मी	१५०	,,
७९	राम सुन्दर कुर्मी	जहांसपुर	,,	कुर्मी	३००	,,
८०	सीताराम उपाध्याय	कोढ़ा	,,	ब्राह्मण	५०	,,
८१	महावीर यादव	,,	,,	अहिर	८००	,,
८२	महावीर	,,	,,	केवट	२५०	,,
८३	बद्री नारायन उपाध्याय	,,	,,	ब्राह्मण	५००	,,
८४	पिरथू	कबीरपुर	,,	केवट	४००	,,
८५	कामता प्रसाद	कुर्निया	,,	कुर्मी	२,०००	,,

क्रम संख्या	क्षतिपूर्ति स्वीकृत व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	हर्जाने की धनराशि	न्यायालय का नाम जहां से क्षतिपूर्ति मिली
१	२	३	४	५	६	७
					रु०	
८६	मुनेश्वर उपाध्याय	अश्रुपुर	मछली-शहर	ब्राह्मण	७५	एस० डी० एम० द्वारा सिफ़ारिश डी० एम० द्वारा स्वीकृत
८७	राजपत सिंह	बटनाबित	,,	क्षत्रिय	६१	,,
८८	श्याम किशोर उपाध्याय	,,	,,	ब्राह्मण	१००	,,
८९	खुरभुर हरिजन	कबीरपुर	,,	चमार	३२५	,,
९०	रघुराज गुप्ता	महराजगंज	,,	कलवार	२००	,,
९१	मानिक चन्द	जरईपुर	,,	कलवार	१००	,,
९२	राम जतन मिश्रा	दऊ	,,	ब्राह्मण	५०	,,
९३	नोखई राम	तिलोरा	,,	तेली	२५०	,,
९४	राम नाथ सिंह	जोरूपुर	,,	क्षत्रिय	५०	,,
९५	गुनई हलवाई	बरईपुर	,,	हलवाई	२००	,,
९६	ग्वालादीन	दऊ	,,	ब्राह्मण	५०	,,
९७	माता प्रसाद पांडे	खिलवार	,,	,,	२५०	,,
९८	बंशीधर गुप्ता	महराजगंज	,,	कलवार	२५०	,,
९९	गमन चौहान	दऊ	,,	नोनियां	५०	,,
१००	चन्द्रदेव सिंह	बतनहित	,,	क्षत्रिय	३०	,,
१०१	भवानी चरन पांडे	खिलवर	,,	ब्राह्मण	१,०००	,,
१०२	जवाहरि शुक्ला	चुंचा	,,	,,	२५०	,,
१०३	बिहारी लाल	बादशाहपुर	,,	मारवाड़ी	४,६००	,,
१०४	चुन्नीलाल गुप्ता	बादशाहपुर	,,	कलवार	१००	,,
१०५	राजाराम गुप्ता उर्फ रामबली	रामगढ़	,,	कलवार	५,०००	,,

क्रम संख्या	क्षतिपूर्ति स्वीकृत व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	हर्जाने की धनराशि	न्यायालय का नाम जहां से क्षतिपूर्ति मिली
१	२	३	४	५	६	७
					रु०	
१०६	भगवान प्रसाद सिंह	जमालपुर	मछली-शहर	क्षत्रिय	३००	एस० डी० एम० द्वारा सिफारिश तथा डी० एम० द्वारा स्वीकृत
१०७	मेवा लाल	मछलीशहर		अहिर	५००	”
१०८	रघुनाथ उर्फ भूखन सिंह	जमालपुर	”	क्षत्रिय	३००	”
१०६	द्वारिका प्रसाद	बादशाहपुर	”	केसरवानी	१,०००	”
११०	बुद्धू सोनार	फरीदाबाद	”	सोनार	३००	”
१११	दुखी तिवारी	भैंसापुर	”	ब्राह्मण	५०	”
११२	भगवती प्रसाद	बैंजा	”	हलवाई	४०	”
११३	जगन्नाथ	कुंवरी	”	कुर्मी	४००	”
११४	मुसम्मात सहदेई	पनवारा	पट्टी जिला प्रताप-गढ़	सुनारिन	३००	”
११५	राम चरन	कुंवरी	मछली-शहर	कुर्मी	१,०००	”
११६	मोतीलाल	बरई पार	”	कलवार	१००	”
११७	सीताराम	जलालपुर	”	कुर्मी	१,०००	”
११८	रामपाल चौबे	अचकारी	”	ब्राह्मण	२,५००	”
११६	राम कृपाल चौबे	”	”	ब्राह्मण	८००	”
१२०	गया प्रसाद और राम नेवाज	”	”	”	२,०००	”
१२१	बिजई	सकरा	”	कुर्मी	१५०	”

क्रम संख्या	क्षतिपूर्ति स्वीकृत व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	हर्जाने की धनराशि	न्यायालय का नाम जहां से क्षतिपूर्ति मिली
१	२	३	४	५	६	७
					रु०	
१२२	रामजस मोरियां	सकरा	मछली-शहर	कोइरी	३५०	एस०डी०एम० द्वारा सिफारिश डी०एम० द्वारा स्वीकृत
१२३	बेचन	रामपुर कलां	,,	कुर्मी	५०	,,
१२४	नन्द किशोर	अचकरी	,,	ब्राह्मण	२,०००	,,
१२५	रमाकान्त	अरईपार	,,	कलवार	२००	,,
१२६	जयनरायन तिवारी	कुशमौल	,,	ब्राह्मण	८००	,,
१२७	रघुबीर	द्वारिका	,,	लोहार	१२५	,,
१२८	मोतीलाल	कुंदरिया	,,	कुर्मी	५००	,,
१२९	राम औतार	चौरा	,,	गदारिया	९००	,,
१३०	राम प्रसाद तिवारी	जमालपुर	,,	ब्राह्मण	५००	,,
१३१	गिरधारी लाल	बादशाहपुर	,,	मारवाड़ी	१,८००	,,
१३२	राम अधार उपाध्याय	दारुनपुर	,,	ब्राह्मण	१,२००	,,
१३३	राम जतन	कुंदरिया	,,	कुर्मी	८००	,,
१३४	शियामू	हिरामनपुर	,,	कुर्मी	३२५	,,
१३५	सुग्रीव गदारिम	पनवारा	पट्टी जिला प्रताप-गढ़	गदारिया	१,०००	,,
१३६	केदार नाथ	कुवारिया	मछली-शहर	ब्राह्मण	२५	,,
१३७	पोदवाई	,,	,,	अहिर	४००	,,
१३८	बिबन	कटाहित	,,	कलवार	१,०००	,,
१३९	लक्मीकान्त	प्रेम का पूरा	,,	ब्राह्मण	१,८००	,,

क्रम संख्या	क्षतिपूर्ति स्वीकृत व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	हर्जाने की धनराशि	न्यायालय का नाम जहां से क्षतिपूर्ति मिली
१	२	३	४	५	६	७
					रु०	
१४०	रामनन्द गुप्ता	बादशाहपुर	मछली-शहर	कलवार	२००	एस० डी० एम० द्वारा सिफारिश तथा डी० एम० द्वारा स्वीकृत
१४१	राम प्रताप पांडे	ग्राम का पूरा	,,	ब्राह्मण	२००	,,
१४२	बाब राम तिवारी	नीभापुर	,,	,,	७००	,,
१४३	सालिकराम गुप्ता	शाहगंज	,,	कलवार	४००	,,
१४४	काशी	कोतली	,,	केवट	१५०	,,
१४५	नानक चन्द्र मिश्रा	अदालत-दीवानी	जौनपुर	ब्राह्मण	२५	,,
१४६	केदार नाथ तिवारी	मलहरा	मछली-शहर	ब्राह्मण	६००	,,
१४७	देव मनि मिसिर	मिश्रान पट्टी	,,		२००	,,
१४८	कंधाई	पवारा	पट्टी, जिला प्रतापगढ़	अहिर	३००	,,
१४९	जीत नरायन सिंह	वऊ	मछली-शहर	क्षत्रिय	२०	,,
१५०	भारत बद्री प्रसाद	उसारपुर	,,	ब्राह्मण	२००	,,
१५१	गुमन चौबे	वऊ	,,	,,	५०	,,
१५२	राम किशोर पांडे	बिलवर	,,	,,	१००	,,
१५३	बूधनाथ पाठक	एतहरा	,,	,,	१०	,,
१५४	राम सुमेर चौहान	वऊ	,,	नोनिया	७५	,,
१५५	पारसनाथ त्रिपाठी	बिलवर	,,	ब्राह्मण	१,६००	,,

क्रम संख्या	क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	हर्जाने की धनराशि	न्यायालय का नाम जहां से क्षतिपूर्ति मिली
१	२	३	४	५	६	७
					रु०	
१५६	राम नरेश	एतहरा	मछली-शहर	ब्राह्मण	५०	एस० डी० एम० द्वारा सिफारिश तथा डी० एम० द्वारा स्वीकृत
१५७	महानन्द पाठक	एतहरा	"	"	१०	"
१५८(अ)	रामकरन पाठक	एतहरा	"	"	२०	"
१५८(ब)	रामदेव	"	"	लोहार	५०	"
१५९	राम नरेश पाठक	अरुआ	"	ब्राह्मण	३२५	"
१६०	जाहन चौहान	दऊ	"	नोनिया	१२५	"
१६१	राम नरायन पांडे	तारा पट्टी	"	ब्राह्मण	४०	"
१६२(अ)	मुसम्मात पचासी	जयपाल पुर	"	तेलिन	६०	"
१६२(ब)	मुसम्मात जलवन्ती	कमारपुर	"	अहिरिन	३००	"
१६३	राम सुमेर तिवारी	बड़ागांव	"	ब्राह्मण	५०	"
१६४	सतनरायन तिवारी	पुरा लाल	"	"	५०	"
१६५	राजा राम मिसिर	रामपुर कताहित	"	"	३५०	"
१६६	किशोरी	जगाही रेलवे स्टेशन	"	हलवाई	१५०	"
१६७	कतवारू तिवारी	सिमाहू	"	ब्राह्मण	२५०	"
१६८	सुखराज हरिजन	रामपुर कलां	"	चमार	५००	"
१६९	जगदंबा प्रसाद सिंह	"	"	क्षत्रिय	१५०	"
१७०	अनन्त प्रसाद पांडे	अश्नुपुर	"	ब्राह्मण	१००	"
१७१	गिरधारी	देहोन	"	हरिजन	३००	"
१७२	संकठा प्रसाद सिंह	बहारपुर	"	क्षत्रिय	४००	"

क्रम संख्या	क्षतिपूर्ति स्वीकृत व्यक्तियों के नाम	ग्राम	तहसील	जाति	स्वीकृत की गई धनराशि	न्यायालय का नाम जहां से क्षतिपूर्ति मिली
१	२	३	४	५	६	७
					रु०	
१७३	शीतला प्रसाद पांडे	तारा पट्टी	मछली-शहर	ब्राह्मण	६००	एस० डी० एम० द्वारा सिफारिश तथा डी० एम० की स्वीकृति
१७४	महादेव	अश्नुपुर	,,	ब्राह्मण	५०	,,
१७५	त्रिवेनी दत्त शर्मा	सलारपुर	,,	ब्राह्मण	२००	,,
१७६	भैयन उर्फ सुखदेव उपाध्याय	बह्मनियां	,,	ब्राह्मण	८००	,,
१७७	फतेह बहादुर सिंह	फरीदाबाद	,,	क्षत्रिय	१,९९०	स्वयं डी० एम० द्वारा स्वीकृत
१७८	अम्बिका प्रसाद सिंह	पन्द्री]	,,	,,	२३,३३५	डी० एम० द्वारा सिफारिश कमिश्नर द्वारा स्वीकृत
१७९	पंडित रामदास शर्मा	जयपालपुर	,,	ब्राह्मण	२५०	स्वयं डी० एम० द्वारा स्वीकृत

तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में सन् १९४२ ई० के आंदोलन में क्षतिग्रस्त होने के कारण व्यक्तियों को दी गयी क्षतिपूर्ति का विवरण-पत्र।

क्रम संख्या	व्यक्तियों के नाम	जाति	निवासस्थान	धन राशि	टिप्पणी
				रु०	
१	ठाकुरदीन	हलवाई	कस्बा शाहगंज,	२,५००	
२	मंजूर हसन और फैजुल हसन	मुसलमान	आदी	२५०	
३	जगमोहन	ब्राह्मण	गोनौली	४,०००	
४	राम सुन्दर सिंह	क्षत्रिय	मुकाम शरिक	१००	
५	दिनेश्वर नाथ	बनिया (कन्दू)	कस्बा शाहगंज	१५०	
६	बजरंगी उर्फ बजरंग लाल	बरनवाल	पट्टी नवेन्दनपुर	४००	
७	बद्री प्रसाद	सोनार	कस्बा शाहगंज	२००	
८	राम दयाल		पट्टी नवेन्दनपुर	२००	
९	रामेश्वर प्रसाद प्रधान	प्रधान	कस्बा शाहगंज	७००	
१०	बाबूराम प्रधान	"	"	२,५००	
११	कमल दुबे	ब्राह्मण	सनाय नसीब	६००	
१२	सीताराम यादव	यादव	कैथाडीह	७००	
१३	ज्वाला प्रसाद	कलवार	कस्बा शाहगंज	५०	
१४	मुसम्मात दुलारी देवी	लोहार	मेवानी	२००	
१५	द्वारिका प्रसाद त्रिगुनायत	त्रिगुनायत	"	१,११०	
१६	राम कृपाल त्रिगुनायत	"	"	१००	
१७	राम दूलन चौहान	चौहान	रानी कलां	३५०	
१८	राम मुनेर	चौहान	"	१००	
१९	अमृत लाल	"	"	४०	
२०	हरि प्रसाद उपाध्याय	ब्राह्मण	भीमपुर	५०	
२१	रामशरण उपाध्याय	ब्राह्मण	बुधौना	९००	
२२	सरजू तिवारी	ब्राह्मण	पट्टी नवे दनपर	२५०	
२३	सनोली	अहिर	मेवानी	५०	
२४	बलदेव त्रिगुनायत	त्रिगुनायत	"	८००	
२५	मुसम्मात इन्द्रावती देवी	ब्राह्मण	पिलकिछा	५०	
२६	भगवान दत्त दुबे	ब्राह्मण	हरकारथर	७५	
२७	भगवान दास	अग्रहनी	कस्बा शाहगंज	१५०	
२८	भगवती दीन चौधरी	कुर्मी	अशोकपुर	२००	
२९	उदयराज पाठक	ब्राह्मण	खालिसपुर	१,०००	
३०	रघुनन्दन प्रसाद	बरनवल	पट्टी नवेन्दनपुर	१,६००	
३१	भोरई राम	अहिर	बरैया गनौली	४००	
३२	भारत दास गुप्ता	बरनवल	कोइरीपुर	५००	
			योग	२०,२७५	

१०—२८ और २९ ने अभी तक वह धनराशि नहीं ली जो उनके लिए स्वीकार की गयी थी।

नत्थी 'ग'

(देखिये पृष्ठ संख्या पीछे ३०९ पर)
(देखिए प्रश्न संख्या ८४-८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०९ पर)

क्रम संख्या	लाइसेंसदार	मैनेजिंग एजेंट	सप्लाई (पहुंचाने) का रकबा	लाइसेंस और मैनेजिंग एजेंसियों की अवधि
१.	यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ	मेसर्स मार्टिन एंड कम्पनी कलकत्ता.	लखनऊ शहर	१७ सितम्बर १९६४ ई० तक
२.	यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी इलाहाबाद	,,	इलाहाबाद शहर	१७ सितम्बर १९६४ ई० तक
३.	आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	,,	आगरा शहर	१८ दिसंबर १९७३ ई० तक
४.	मथुरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	,,	मथुरा शहर	३० जुलाई १९७५ ई० तक
५.	बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एण्ड पावर कम्पनी लिमिटेड	,, ,,	बनारस शहर	६ फरवरी १९७५ ई० तक
६.	बरेली इलेक्ट्रिकसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	,,	बरेली शहर	२५ जनवरी १९७७ ई० तक
७.	अपर यमुना वैली इलेक्ट्रिक सिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	,, ,, ,,	देवबंद शहर, रामपुर, मंगलौर गंगोह, पुरकाजी, खातमपुर, कैराना, शामली, थाना भवन, जलालाबाद, खतौली, मिरानपुर, कांधला, फरीदनगर, हाशिमपुर, गाजियाबाद, मुरादनगर, सारवा पिलखुआ, सेवाना, कलां, और खुर्द, पारीक्षतगढ़, बरौत, छपरौली, खेकरा सरधना, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, और अस्सालत,	२८ जून १९६४ ई० तक
८.	अपर गंगा वैली इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड		नजीबाबाद शहर, नगीना, धामपुर, सिवाहारा, सहसपुर, कांठ, मुरादाबाद, बिलारी, सम्भल अमरोहा, हसनपुर, बछरांव, चांदपुर, कस्बा बिजनौर, मंडावर, शेरकोट और चंदौसी.	

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ संख्या २२० पर)

संयुक्त प्रांतीय श्री बद्रीनाथ टैम्पिल (संशोधक) बिल, १९४८ ई०

THE UNITED PROVINCES SHRI BADRINATH TEMPLE (AMENDMENT) BILL, 1948

(जैसा कि संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली से स्वीकृत हुआ।)

ए

बिल

संयुक्त प्रांतीय श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, सन् १९३९ ई० में और संशोधन करने के लिए।

भूमिका

चूंकि यह उचित और जरूरी है कि संयुक्त प्रांतीय श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, सन् १९३९ ई० में इस प्रयोजन से और संशोधन किया जावे कि उसके आदेश गढ़वाल के श्री केदारनाथ मन्दिर और उसके धर्मादायों पर लागू हों;

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १६, १९३९ ई०

इसलिए नीचे लिखा हुआ ऐक्ट बनाया जाता है:—

१—(१) यह ऐक्ट संयुक्त प्रांतीय श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधक) ऐक्ट सन् १९४८ ई० [The United Provinces Shri Badrinath Temple (Amendment) Act, 1948] कहा जायगा।

(२) यह तुरंत लागू होगा।

छोटा नाम और प्रारम्भ।

२—संयुक्त प्रांतीय श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, सन् १९३९ ई० (जो इसके बाद मूल ऐक्ट (Principal Act) कहा गया है) की धारा २ के प्रतिबंधात्मक वाक्यखंड में शब्द "Shri Badri Nath Temple" के बाद शब्द "or Shri Kedarnath Temple" जोड़ा जाय और शब्द "and" और "endowments" के बीच में आने वाले शब्द "its" के स्थान पर शब्द "their" रक्खा जाय।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १६, १९३९ ई० की धारा २ के प्रतिबंधात्मक वाक्यखण्ड का संशोधन

३—मूल ऐक्ट की धारा ३ के वाक्यखंड (a) में—(१) शब्द "means" के बाद ब्रैकेट और अंक "1" जोड़ा जाय;

(२) शब्द "in the schedule annexed to this Act" के स्थान पर शब्द और अंक "in Schedule I" रक्खा जाय;

(३) स्पष्टीकरण के अंत में फुलस्टाप के स्थान पर कोलन लगाया जाय; और

(४) उसके बाद नीचे लिखा हुआ जोड़ा जाय:—

"and (2) the Temple of Shri Kedarnath in Garhwal and includes the appurtenant and subordinate shrines mentioned in Schedule II."

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १६, १९३९ ई० की धारा ३ का संशोधन

४—मूल ऐक्ट की धारा ४ में शब्द "Shri Badri-nath" के स्थान पर शब्द "Shri Badrinath or Shri Kedarnath Temple, as the case may be," रक्खा जाय।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १६, १९३९ ई० की धारा ४ का संशोधन

५—मूल ऐक्ट की धारा ५ में:—

(१) उपधारा (१) के वाक्य खंड (b) के स्थान स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय:—

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १६, १९३९ ई० की धारा ५ का संशोधन

"(*b*) two persons residing in Garhwal District of whom at least one shall be a resident of Chamoli tahsil, elected by the Hindu members of the District Board of Garhwal;" और

(२) नीचे लिखी हुई उप-धारा, उपधारा (४) के रूप मे जोड़ी जायगी :—

"(4) There shall be only one committee for the administration and the governance of the Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples, including the subordinate and appurtenant temples and the committee as constituted at the date of the commencement of Shri Badrinath Temple (Amendment) Act, 1948, shall be deemed o have been duly appointed under this Act for the purposes of both the temples."

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १६, सन् १९३९ ई० की धारा ७ मे संशोधन।

६—मूल ऐक्ट की धारा ७ में शब्द "Temple" के स्थान पर शब्द "and Shri Kedarnath Temples रक्खे जायं।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १६, सन् १९३९ ई० की धारा २३ (३) मे संशोधन।

७—मूल ऐक्ट की धारा २३ की उपधारा (३) में शब्द "Shri Badrinath" के बाद शब्द "or Shri Kedar- nath" जोड़े जायं।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १६, सन् १९३९ ई०में एक नयी धारा 25-A का जोड़ा जाना।

८—मूल ऐक्ट की धारा २५ के बाद नीचे लिखी हुई धारा 25-A के रूप में जोड़ी जायगी:—

Application of the provisions of the Act to Shri Kedar Nath Temple.

"25-A. The date of the commencement of this Act shall in its application to Shri Kedarnath Temple be deemed to be the date of the commnecenemnet of Shri Badrinath Temple (Amendment) Act, 1948."

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १६, सन् १९३९ ई० में एक द्वितीय परिशिष्ट का जोड़ा जाना।

९—मूल ऐक्ट के अंत मे शब्द "Schedule" के स्थान पर 'Schedule I" पढ़ा जाय और "Schedule I" के बाद नीचे लिखा हुआ परिशिष्ट "Schedule II" के रूप में जोड़ा जाय।

SCHEDULE II

(*See* clause (a) of section 3)

(1) Udak Kund at Kedarnath.
(2) Minor temples within the precincts of Shri Kedarnath temple.
(3) The temple of Shri Vishwanath Ji at Guptakashi.
(4) Minor temples within the precincts of temples of Shri Vishwanath Ji at Guptakashi.
(5) The temple of Shri Usha at Ukhimath.
(6) The temple of Shri Barahi at Ukhimath.
(7) The temple of Shri Madmaheshwar at Madmaheshwar.
(8) The temple of Shri Maha Kali at Kalimath.
(9) The temple of Shri Mahalaxmi at Kalimath.
(10) The temple of Shri Maha Saraswati at Kalimath.
(11) The temple of Shri Gauri Mayi at Gaurikund.
(12) The temple of Shri Narain at Trijuginarain.
(13) Minor temples within the precincts of the temple of Shri Narain at Trijuginarain.
(14) The temple of Shri Tunganath at Tunganath.
(15) The temple of Shri Tunganath at Makku.
(16) The temple of Shri Kalshila at Kalshila.

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

चूंकि श्री केदारनाथ मंदिर के वर्तमान प्रबंध के सम्बन्ध मे असंतोष रहा है और जनता की यह प्रबल मांग रही है कि केदारनाथ मंदिर का प्रबंध श्री बद्रीनाथ मंदिर कमेटी को सौंप दिया जाय, और चूंकि श्री बद्रीनाथ मंदिर कमेटी ने भी एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करके जनता की इस मांग का समर्थन किया है इसलिए वांछनीय परिवर्तनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से यह बिल बनाया गया है । चूंकि दोनों मंदिर जिला गढ़वाल के तहसील चमोली में स्थित है, इसलिए बिल में व्यवस्था की गयी है कि कमेटी के लिए जो सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गढ़वाल द्वारा चुने जायं उनमें से कम से कम एक सदस्य तहसील चमोली का निवासी हो ।

सम्पूर्णानंद,
शिक्षा सचिव ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पृष्ठ संख्या ३२० पर)

संयुक्त प्रान्तीय विद्युत (नियन्त्रण के अस्थायी अधिकार सम्बन्धी संशोधक) बिल, सन् १९४८ ई० ।

एक बिल

संयुक्त प्रांतीय विद्युत (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार सम्बन्धी) ऐक्ट, सन् १९४७ ई० को दो वर्ष तक जारी रखने के लिए।

चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि संयुक्त प्रांतीय विद्युत (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार संबंधी) ऐक्ट, सन् १९४७ ई० को, जिसकी अस्थायी अवधि ३० सितम्बर सन् १९४८ ई० तक सीमित है, दो वर्ष तक और जारी रक्खा जाय।

इसलिए निम्नलिखित कानून बनाया जाता है:—

१—इस ऐक्ट का नाम संयुक्त प्रांतीय विद्युत (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार संबंधी संशोधक) ऐक्ट, सन् १९४८ ई० होगा।

२—संयुक्त प्रांतीय विद्युत (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार संबंधी) ऐक्ट सन् १९४७ ई० की धारा १ के अंतर्गत उप-धारा ४ में आये हुये शब्द तथा संख्या "सितम्बर ३०, सन् १९४८ ई०" के स्थान पर "सितम्बर ३०, सन् १९५० ई०" रक्खे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

यातायात तथा ईंधन संबंधी कठिनाइयों तथा विद्युत-उत्पादन के यन्त्र तथा अन्य साधनों की कमी के कारण, जिनकी मांग यन्त्र निर्माण करनेवाले व्यवसायियों से बहुत अधिक की जा रही है, विद्युत कम्पनियां अपने संस्थापनों में वृद्धि, सुधार और परिवर्तन करने में असमर्थ है, इसके दूसरी ओर युद्धोत्तर कार्यों, स्वतंत्रता-प्राप्ति के फलस्वरूप उद्योगीकरण की प्रवृत्ति तथा जीवन के स्तर में उन्नति होने के कारण विद्युत के नये कनेक्शनों की मांग उनकी पूर्ति करने की वर्तमान क्षमता की उपेक्षा ५-६ गुनी से भी अधिक है और भविष्य में उसके और भी अधिक होने की सम्भावना है।

२—इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, सन् १९१० ई० के अनुसार बिजली पहुंचाने वाले लाइसेंसदारों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन लोगों को कनेक्शन दें, जो उनके लिए मांग करें। उपर्युक्त कारणों से विद्युत कम्पनियों को विद्युत की मांग को बिना किसी नियंत्रण के पूर्ण रूप से पूरा करने में अभी कुछ समय लगेगा। इस बीच में यह आवश्यक है कि इस समय जो कुछ भी विद्युत-शक्ति प्राप्य है उसका उपयोग सम्पूर्ण समाज के अधिक हित के लिए किया जाय। इसलिए यह भी आवश्यक है कि दूसरों की उपेक्षा उनसे कुछ अधिक आवश्यक कार्यों के लिए विद्युत के उपयोग को प्रधानता दी जाय और विद्युत-शक्ति के उपयोग के उद्देश्यों और समय पर भी नियंत्रण रक्खा जाय। युद्ध के समय से उन सब वस्तुओं और साधनों के मूल्य में, जो कि विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए आवश्यक है, वृद्धि होने के कारण कहीं-कहीं बिजली-कम्पनियों को विद्युत-उपभोगियों पर सरचार्ज लगाने के अधिकार देने की आवश्यकता हो गयी है ताकि विद्युत-शक्ति का मूल्य समुचित रह सके। संयुक्त प्रांतीय सरकार के एलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर को कुछ अधिकार अवश्य प्राप्त हैं पर वे उन सब आवश्यक नियंत्रणों के

लिए पर्याप्त नहीं है।

३—उपर्युक्त परिस्थितियों में सरकार अनुभव करती है कि विद्युत की मांग और उसकी पूर्ति की अवधि के अंतर से उत्पन्न असाधारण स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए, ३० सितम्बर, सन् १९४८ ई० को समाप्त होनेवाले संयुक्त प्रांतीय विद्युत (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार संबंधी) ऐक्ट, सन् १९४७ ई० द्वारा दिये गये अधिकारों की अवधि को आगामी दो वर्ष तक के लिए और बढ़ा दिया जाय। सरकार के विचार में संयुक्त प्रांतीय विद्युत (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार संबंधी) ऐक्ट, सन् १९४७ ई० की अवधि के समाप्त होने के उपरांत दो वर्ष तक इस प्रकार का नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। इसलिए यह प्रस्ताव रक्खा जाता है कि प्रांतीय सरकार अक्तूबर १, सन् १९४८ ई० से दो साल तक आवश्यक अधिकारों को हस्तगत कर ले। विद्युत-शक्ति के उत्पादन, मांग-पूर्ति, वितरण तथा उसके व्यापार पर नियंत्रण हेतु यह बिल संयुक्त प्रांतीय विद्युत (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार संबंधी) ऐक्ट, सन् १९४७ ई० के अधिकारों को जारी रखने के लिए तैयार किया गया है।

हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम,
सचिव, यातायात और नहर।

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ संख्या ३२० पर)

सन् १६४८ ई० का दंड-विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन बिल)

सन् १८६८ ई० का ऐक्ट नं० ५।

दण्ड-विधि संग्रह सन् १८६८ ई० का, जहां तक कि वह संयुक्त प्रांत पर लागू होता है, कुछ प्रयोजनों के संबंध में और अधिक संशोधन करने के लिए।

एक

आलेख

प्रस्तावना

सन् १८६८ ई० का ऐक्ट नं० ५

क्योंकि यह उचित और आवश्यक है कि दंड-विधि संग्रह सन् १८६८ का जहां तक कि वह संयुक्त प्रांत में लागू होता है कुछ प्रयोजनों के लिए जिनका आगे चलकर वर्णन किया गया है संशोधन किया जाय।

इसलिए नीचे लिखा हुआ विधान बनाया जाता है।

छोटा नाम, कहां-कहां और कब से लागू होगा।

१—(१) यह ऐक्ट "दंड-विधि संग्रह (संयुक्त प्रांत संशोधन) और कब से लागू होगा। ऐक्ट, सन् १६४८ ई०" कहलायेगा।

(२) यह सरे संयुक्त प्रांत मे लागू होगा।

(३) यह तुरंत लागू होगा।

संग्रह की धारा ४०६ का संशोधन। १८६८ ई० का ऐक्ट नं० ५।

२—संग्रह, सन् १८६८ ई० (जिसे आगे चल कर "संग्रह" कहा गया है) की धारा ४०६ के स्थान पर नीचे लिखी हुई धारा रक्खी जायगी, अर्थात् :—

"406. Any person who has been ordered under section 118 to give security for keeping the peace or for good behaviour may appeal against such order to the Court of Session :

Provided that nothing in this section shall apply to persons the proceedings against whom are laid before a Sessions Judge in accordance with the provisions of sub-section (2) or sub-section (3-A) of section 123."

संग्रह की धारा ४०६-ए का संशोधन।

३—संग्रह की धारा ४०६-ए में, शब्द "against such order" के पश्चात 'Comma' और 'dash' के साथ साथ सब शब्द निकाल दिये जायेंगे और उनके स्थान पर शब्द "to the Court of Session" रख दिये जायंगे।

संग्रह की धारा ४०७ का निकाला जाना।

४—संग्रह की धारा ४०७ निकाल दी जायगी।

संग्रह की धारा ४०८ का संशोधन।

५—संग्रह की धारा ४०८ के पैराग्राफ १ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा:—

"Any person convicted on a trial held by an Assistant Sessions Judge, a District Magistrate or any other Magistrate, or any person sentenced under section 349 or in respect of whom an order has been made or a sentence has been passed under section 380, by a Sub-Divisional Magis-

trate of the Second Class or a Magistrate of the First Class or the District Magistrate, may appeal to the Court of Session."

६—संग्रह की धारा ४०६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा:—

संग्रह की धारा ४०६ का रक्खा जाना।

"409. An appeal to the Court of Session or Sessions Judge shall be heard by the Sessions Judge or the Additional Sessions Judge, or if it is in respect of a conviction, order or sentence, ordered, made or passed, by a Sub-Divisional Magistrate of the Second Class or any other Magistrate of the Second or Third Class, by the Assistant Sessions Judge :

Provided that an Additional Sessions Judge or Assistant Sessions Judge shall hear only such appeals as the Provincial Government may by general or special order direct, or as the Sessions Judge of the Division may make over to him."

७—संग्रह की धारा ४३५ की उपधारा (१) के अन्त में दिये हुए स्पष्टीकरण (explanation) से शब्द "whether exercising original or appellate jurisdiction" निकाल दिये जायेंगे।

संग्रह की धारा ४३५ (१) के Explanation का संशोधन।

८—संग्रह की धारा ५१५ में शब्द "to the District Magistrate" के स्थान पर शब्द 'to the Session Judge' रक्खे जायंगे।

संग्रह की धारा ५१५ का संशोधन।

९—संग्रह की परिशिष्ट ३ की सूची ५ (list V of Schedule III) में से मदे 9, 9-A, 10 और 19 निकाल दी जायंगी।

संग्रहके Schedule III की सूची ५ (list V) मे संशोधन।

१०—संग्रह के चौथे परिशिष्ट (Schedule IV) के स्तम्भ ३ (column 3) में से मद १२ (item 12) निकाल दीजायगी।

संग्रह के चौथे परिशिष्ट (chedule IV के स्तम्भ ३ (column3) में से मद १२ (item 12) का निकालना।

११—धारा २, ३, ५ और ८ में वर्णित प्रकार की सब अपीलें जो इस ऐक्ट के लागू होने की तारीख पर किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सामने विचाराधीन हों इस ऐक्ट के लागू होने की तारीख से ऐसे सेशन के न्यायालय मे स्थानान्तरित समझी जायेगी जिसका वहां अधिकार क्षेत्र हो और ऐसे न्यायालय मे उन अपीलों का उसी प्रकार निर्णय होगा जैसे कि वह उसी के समक्ष प्रस्तुत की गई होतीं।

विचाराधीन अपीलों का निर्णय।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

सर्वसाधारण की यह मांग रही है कि मैजिस्ट्रेटों के शासन और न्याय सम्बन्धी कार्य पृथक कर दिये जायं और यह निश्चय किया गया है कि जिला मैजिस्ट्रेटों और अन्य मैजिस्ट्रेटों से न्याय सम्बन्धी अपील का काम ले लिया जाय।

२—दण्ड-विधि संग्रह (संयुक्त प्रांत संशोधन) आलेख इस उद्देश्य कोपूर्ण करने के लिए बनाया गया है।

हुकुमसिंह विसेन,
माल सचिव।

आज्ञा से,
सी० बी० दुबे,
मंत्री की ओर से।

संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

शुक्रवार, ३० अप्रैल, सन् १९४८ ई०

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ में, ११ बजे दिन में आरम्भ हुई ।

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१५८)

अजित प्रताप सिंह
अदील अब्बासी
अब्दुल गनी अन्सारी
अब्दुल बाकी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद
अलगू राय शास्त्री
असगर अली खां
अक्षयबर सिंह
आत्माराम गोविंद खेर,
  माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
उदयवीर सिंह
ऐजाज़ रसूल
कमलापति तिवारी
कालीचरण टण्डन
कुंजबिहारी लाल शिवानी
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्णचन्द्र
केशव गुप्त
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
खानचन्द गौतम
खुशवक्तराय
खुशीराम
खूबसिंह
गणपति सहाय
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविंद वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविंद सहाय
गंगाधर
गंगा प्रसाद
गंगा सहाय चौबे
चतुर्भुज शर्मा
चरण सिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
जगन्नाथ बख्श सिंह
जगन प्रसाद रावत
जमालुद्दीन अब्दुल वहाब
जवाहर लाल रोहतगी
जाहिद हुसन
जहीरुल हसनैन लारी
जहूर अहमद
जयपाल सिंह

जयराम वर्मा
दयालदास भगत
दाऊदयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु
दीप नारायण वर्मा
धर्मदास, अल्फ्रेड
नफीसुल हसन
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रागनारायण
प्रमकिशन खन्ना
फखरुल इस्लाम
फतेह सिंह राणा
फेथम, आर्चिबार्ड जेम्स
फिलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल
फूलसिंह
फैयाज़ अली
बदन सिंह
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बलभद्र सिंह
बशीर अहमद अंसारी
बादशाह गुप्त
बाबू राम वर्मा
बीरबल सिंह
भगवानदीन
भगवानदीन मिश्र
भगवान सिंह
भारत सिंह यादवाचार्य
भीमसेन
मसुरिया दीन
महमूद अली खां
मिजाजी लाल

मुकुन्द लाल अग्रवाल
मुजफ्फर हुसैन
मुनफैत अली
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इसहाक खां
मुहम्मद इस्माइल (मुरादाबाद)
मुहम्मद रजा खां
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुवीर सहाय
रघुवंश नारायण सिंह
राजकुमार सिंह
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन राय
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री
रामचन्द्र सेहरा
रामचन्द्र पालीवाल
रामजी सहाय
रामधर मिश्र
रामधारी पाण्डे
राममूर्ति
राम शंकर लाल
रामशरण
राम स्वरूप गुप्त
रामेश्वर सहाय सिंह
रुकनुद्दीन खां
रोशनजमा खां
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लाखनदास जाटव
लालबहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन
लुत्फ अली खां

लोटनराम
विजयानन्द मिश्र
विनय कुमार मुकर्जी
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ प्रसाद
विष्णुशरण दुब्लिश
बंशीधर मिश्र
वीरेन्द्रशाह
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकर दत्त शर्मा
शिवकमार पाण्डेय
शिवकुमार मिश्र
शिवदयाल उपाध्याय
शिवदीन सिंह
शिवमंगल सिंह
शिवमंगल सिंह कपूर
शौकत अली खां, मुहम्मद
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द सिंघल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सरवत हुसेन, काजी
सलीम हामिद खां
सिंहासन सिंह
सुदामा प्रसाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सूर्य प्रसाद अवस्थी
सईद अहमद
सैयद जाकिर अली
हबीबुर्रहमान अंसारी
हर प्रसाद सत्यप्रेमी
हसरत मुहानी
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल
त्रिलोकी सिंह

माननीय श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, अर्थ सचिव, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ३० अप्रैल, सन् १९४८ ई०

सूचित ताराङ्कित

शहर और देहात के पुलिसके सिपाहियों के वेतन और भत्ते के सम्बन्ध में जानकारी

*१--- श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी--क्या सरकार पुलिस के सिपाहियों को १ अप्रैल, सन् १६४७ ई० के पहिले २५ रुपया मासिक वेतन तथा १४ रुपया मंहगाई तथा केवल शहरों में रहने वाले सिपाहियों को २ रुपया मासिक शहरी भत्ता इस तरह से कुल मिलाकर देहात के सिपाहियों को ३६ रुपया तथा शहर वालों को ४१ रुपया प्रति मास देती थी ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लालबहादुर)--१ अप्रैल सन् १६४७ से पहले पुलिस के सिपाहियों को २४-२-३० रुपये तनख्वाह १६ रुपया मंहगाई शहरों मे और १४ रुपया देहात मे। शहरी भत्ता ४ रु०, ३ रु०, २ रु०, और १ रु० शहरों के दरजे के हिसाब से मिलता था। इस तरह एक सिपाही को जिसकी तनख्वाह २४ रु० थी, शहर में ४४ रु० और देहात मे ३८ रु० मिलते थ।

*२---श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी--क्या एक अप्रैल, सन् १६४७ ई० के पश्चात् सरकार प्रति सिपाही को ३० रु० मासिक वेतन तनख्वाह का २५ रु० प्रतिशत अर्थात् ७ रु० ८ आ० मासिक भत्ता २ रु० मेस अलाउंस इस तरह कुल ३६ रु० ८ आना मासिक तथा केवल शहरों मे रहने वाले सिपाहियों को २ रु० शहरी भत्ता देती है ?

माननीय पुलिस सचिव---एक अप्रैल से बाद पुलिस के सिपाहियों को ३०-१-४५ रु० तनख्वाह। २५ प्रतिशत मंहगाई ४, ३, २, १, रु० मासिक शहरी भत्ता शहर के दर्जे के हिसाब से और २ रु० मेस अलाउन्स मिलता है। इस तरह एक शहर के सिपाही को जिसकी तनख्वाह ३० रु० है उसको कुल ४३ रु० ८ आना और देहात के सिपाही को ३६ रु० ८ आना मिलता है।

*३---श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी--क्या १ अप्रैल, सन् १६४७ ई० के पूर्व और पश्चात् के वेतन में केवल ८ आना प्रति मास की वृद्धि हुई है ?

माननीय पुलिस सचिव--इस तरह १ अप्रैल १६४७ ई० के बाद देहात के सिपाही का वेतन १ रु० ८ आना बढ़ा है और शहर के सिपाही के वेतन में ८ आना कम हो गया है। ये कमी परसनल पे से पूरी की जाती है। नयी तनख्वाह से विशेष लाभ ये है कि वह अन्त में जाकर ३० से ४५ रु० हो जाती है!

श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी--क्या कारण है कि सरकार ने सिपाहियों की तनख्वाह में बजाय तरक्की के कमी कर दी है ?

माननीय पुलिस सचिव--शहर और देहात की तनख्वाहो मे काफी फर्क था। इसलिए उन दोनों तनख्वाहो को बराबर करने के लिए जहां तक हो सका कोशिश की गई। यह जो कमी हुई है वह परसनल पे के रूप मे मिलती है। दरअस्ल कमी नहीं है। जो आइन्दा नियुक्त होंगे वह नये स्केल के मुताबिक नियुक्त किये जायेंगे।

श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी--क्या सरकार को मालूम है कि पहली अप्रैल सन् १९४७ ई० के बनिस्बत अब चीजों के दाम अधिक हो गये हैं और प्राइस का इंडेक्स ऐसा दिखलाता है ?

माननीय पुलिस सचिव--मै समझता हूँ कि मै जितना जानता हूँ आनरेबिल सदस्य कम नहीं जानते।

पुलिस के सिपाहियों को तबादले के वक्त का सफर खर्च

८--श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी--क्या पुलिस के सिपाहियों को तबादले के समय केवल एक ही टिकट का किराया मिलता है और उसके परिवार तथा बाल बच्चों के लिए सरकार कोई किराया नहीं देती और न सामान ही के लिए उन्हें कोई किराया मिलता है ?

माननीय पुलिस सचिव--जब तबादिला एक ही जिले मे एक थाने से दूसरे थाने को होता है तो रेल से सफर करने के लिए एक तीसरे दर्जे के टिकट का किराया दिया जाता है और सड़क से सफर करने के लिए १ मन तक के जरूरी सामान का किराया दिया जाता है। जब तबादिला एक जिले से दूसरे जिले को होता है तो रेल से सफर के लिए एक तीसरे दर्जे के टिकट का किराया मिलता है और सड़क से सफर के लिए दो आना प्रति मील अलाउंस मिलता है। अगर वे परिवार के साथ सफर करते है तो रेल के सफर के लिए एक तीसरे दर्जे का किराया और मिलता है और सड़क से सफर के लिए दो आना प्रति मील अलाउंस और मिलता है।

सिपाही के बाहर जाने पर जिले के अन्दर और बाहर प्रतिदिन की खुराक

*५--श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी--क्या प्रति सिपाही को नियुक्ति स्थान से सरकारी काम से बाहर जाने पर जिले के अन्दर ३ आना प्रति दिन तथा जिले के बाहर ६ आना प्रति दिन खुराक दी जाती है ? यदि उत्तर नहीं मे है, तो सरकार किस हिसाब से सिपाहियों को, जब वह सरकारी काम से बाहर जाते है, खुराक देती है ?

माननीय पुलिस सचिव--जी नहीं। पुलिस के सिपाहियों को सरकारी काम से बाहर जाने पर पहाड़ी जगहों मे १२ आना, कानपुर, लखनऊ, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, मेरठ और देहरादून मे ८ आ० और दूसरी जगहों मे ६ आ० प्रति दिन भत्ता मिलता है।

कुंभ के मेले पर सिपाहियों को १० दिन और उसके पश्चात् प्रतिदिन की खुराक

*६--श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी--(क) क्या सरकार ने जब कुंभ मेले पर पुलिस के सिपाहियों को प्रयाग भेजा था तो उन्हे पहिले १० दिन ८ आना

प्रति दिन के हिसाब से खुराक दी थी और १० दिन बाद सवा पांच आना प्रति दिन कर दी गयी थी ?

(ख) इस कमी का क्या कारण था ?

माननीय पुलिस सचिव--(क) जी हां ।

(ख) यह दर उन कायदों के अनुसार है जो फाइनेन्शियल हैंड बुक, भाग ३ के परिशिष्ट ३ मे दिये हुए है ।

*७--**श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी**--क्या जो सिपाही कुम्भ मेले पर भेजे गये थे उनको कई सप्ताह तक प्रयाग मे रहना पड़ा था ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां ।

कुम्भ के मेले पर जाने वाले सिपाहियों का पेशगी रुपया लेना और कटना

*८--**श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी**--क्या सरकार को मालूम है कि जो सिपाही कुम्भ मेले के लिये भेजे गये थे उन्हें अपने भरण पोषण के लिये अपने आगामी वेतन से पेशगी रुपया लेना पड़ा था जो वह उनके वेतन से कट रहा है ?

माननीय पुलिस सचिव--सरकार को सूचित किया गया है कि किसी भी सिपाही ने अपने भरण पोषण के लिये अपने आगामी वेतन से पेशगी रुपया नहीं लिया । यह हो सकता है कि कुछ सिपाहियों ने अपने जिले से पेशगी रुपया लिया हो जो उनकी तनख्वाह से बाकायदा कट रहा होगा ।

*९--**श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी**--क्या सरकार को मालूम है कि कुम्भ के मेले पर खाद्य पदार्थों का मूल्य बहुत बढ़ गया था ?

माननीय पुलिस सचिव--जिन चीजों पर कंट्रोल नहीं था वह अवश्य महंगी थीं परंतु खाद्य पदार्थ सिपाहियों को कंट्रोल के भाव पर मिलती थीं ।

*१०--**श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी**--क्या सरकार को मालूम है कि कुम्भ के मेले पर सिपाहियों को साधारणतया अधिक समय तक काम करना पड़ता था ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां । स्थानीय पुलिस और मेला पुलिस को विशेष कर के स्नान के दिनों पर और महात्मा गांधी के पुष्प प्रवाह के दिन अधिक काम करना पड़ा था ।

पी० एम० एस० नम्बर १ केडर में सिविल सर्जनों की जगह

*११--**श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी**--प्रांत मे पी० एम० एस० नम्बर १ केडर में कितनी जगहें सिविल सर्जनों की खाली हैं ?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव के सभा मंत्री (श्री चरणसिंह)--कोई जगह खाली नहीं है, कुछ में पक्के सिविल सर्जन कार्य कर रहे है तथा कुछ में स्थानापन्न।

*१२--**श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी**--यह जगहें कितने दिनों से खाली है ?

श्री चरण सिंह--यह प्रश्न नहीं उठता ।

*१३--**श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी**--इन जगहों को न भरे जाने का क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह--स्थिति जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यह है कि कोई जगह सिविल सर्जन की बिल्कुल खाली नहीं है परंतु ४६

में से ३८ जगहों पर अभी पक्का प्रबंध नहीं हुआ है और उन पर असिस्टेंट सर्जन स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं। जिनके कारण यह हैं:—

(१) १८ जगहे जो आई० एम० एस० के लिये सुरक्षित थीं वह १५ अगस्त सन् १९४७ ई० के बाद जब आई० एम० एम० समाप्त हो गया पी० एम० एस० अफसरों के लिये खुल गई उनमें अभी कुछ कारणों से पक्का प्रबंध नहीं हो सका है।

(२) पुरानी सरकार ने युद्ध में गये हुये पी० एम० एस० अफसरों के लिए ८ जगहें सुरक्षित की थीं; कांग्रेस सरकार ने उक्त फैसले को स्वीकार नहीं किया और यह आज्ञा दी है कि यह आठ जगहे भी जैसे सब जगहे साधारणतः सिविल सर्जनों की भरी जाती हैं उसी प्रकार यह जगहे भी भरी जायं उनका भी अभी पक्का प्रबंध नहीं हो सका है।

(३) १२ जगहे अफसरों के अवकाश ग्रहण करने तथा मृत्यु आदि से हुई हैं। इनमें भी पक्का प्रबंध इस कारण नहीं हो सका कि सब ३८ जगहों के लिये अफसरों की Siniority आदि प्रश्नों पर विचार करना था।

*१४—श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी—पी० एम० एस० नम्बर १ केडर में कितने सिविल सर्जन अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं और वे कब से काम कर रहे हैं?

श्री चरण सिंह—यह १९४१ तथा उसके बाद की विविध तारीखों से कार्य कर रहे हैं।

*१५—श्री कुंजविहारी लाल शिवानी—यह लोग अब तक स्थायी क्यों नहीं किये गये?

श्री चरण सिंह—इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। ११ डाक्टरों के स्थायी करने के लिये आज्ञा पत्र निकल रहा है। शेष के बारे में भी शीघ्र फैसला होगा।

श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी—सरकार कब तक इस विषय में फैसला करेगी।

श्री चरण सिंह—जवाब में कह दिया गया है कि ११ का तो फैसला हो चुका है और आर्डर्स दो एक दिन में जारी हो जायेंगे। बाकी २७ आदमियों की नियुक्ति का सवाल रहा है। उसका फैसला जल्दी हो जायगा।

श्री कुंजबिहारीलाल शिवानी—इन २७ के बारे में फैसला कब तक होगा?

श्री चरण सिंह—बहुत जल्द।

ताराङ्कित प्रश्न

*१-५—श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये]

बरेली सिविल लाइंस में सिनेमा की इमारत बनाने का विरोध

*६—श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि एक बहुत बड़ी सिनेमा की इमारत जिसमें होटल और दुकानें भी बनाने का आयोजन है बरेली की सिविल लाइन्स में बनवाई जा रही है?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव (श्री आत्मा राम गोविन्द खेर)—जी हां।

*७—श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि सिविल लाइन के इस हिस्से के नागरिकों की ओर से इस सिनेमा की इमारत के निर्माण के विरोध में माननीय प्रधान मंत्री के पास प्रार्थना पत्र भेजा गया है ?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव—जी हां ।

*८—श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि ६ अप्रैल, सन १९३६ ई० को सेक्रेटरी आफ स्टेट तथा ए० जी० एटकिन्स, जो बरेली थियोलोजिकल सीमीनरी के प्रिंसिपल थे, उनके बीच यह जो मिशन की जमीन बेचने का समझौता हुआ था, उसके अनुसार इस जमीन के खरीदने वाले और मकान बनाने वालों के लिए यह अनिवार्य है कि वह यहां रहने के लिए या स्कूल आदि के लिए ही मकान बनवा सकते हैं न कि सिनेमा, दुकानों और होटलों के लिए ?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव—जी हां ।

*९—श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि इस सिनेमा भवन से मिशन स्कूल ५० गज की दूरी पर है और गर्ल्स स्कूल और किलारा अस्पताल २०० गज की दूरी पर है ?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव—सिनेमा भवन से मिशन स्कूल ४६ गज और गर्ल्स स्कूल तथा किलारा अस्पताल १७१ गज की दूरी पर है ।

*१०—श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—(क) क्या यह सच है कि इस भवन के निर्माण से और वहां पर सिनेमा होने से सिविल लाइन और मिशन एरिया के स्वास्थ्य और वातावरण के दूषित होने की सम्भावना है ?

(ख) क्या सरकार कृपया बताएगी कि वह इस संबंध में क्या कार्रवाई करने जा रही है ?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव—(क) नैतिक वातावरण दूषित होने की सम्भावना है ।

(ख) कलेक्टर जिला ने मुनासिब कार्यवाही कर ली है और सिनेमा बनानेवालों को खबरदार कर दिया है कि इस भवन में सिनेमा चलाने का लायसेंस नहीं दिया जायेगा । सरकार इस बात पर भी सोच विचार कर रही है कि इस जमीन पर कब्जा कर ले ।

बिना लाइसेंस के हथियारों के लिए तलाशियाँ

*११—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतालाएगी कि पिछले कुछ महीनों के भीतर जो तलाशियां हुई हैं, उनके परिणाम स्वरूप जिन लोगों के यहां से हथियार बिना लाइसेंस निकले हैं उन लोगों का संबंध अधिकतर किस विशेष राजनैतिक संस्था से है ?

माननीय पुलिस सचिव—सरकार को सूचना मिली है कि अधिकतर बिना लाइसेंस के हथियार मुसलमानों के यहां से निकले हैं जिनका संबंध मुसलिम लीग और खाकसारों से है । जिन हिंदुओं के घर ऐसे हथियार निकले हैं, हो सकता है कि उनका संबंध हिंदू महासभा या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हो ।

(प्रश्न संख्या ११ से १६ तक श्री रामस्वरूप गुप्त ने पूछे ।)

१२--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (अनुपस्थित)--जो हथियार निकले हैं, वे किस प्रकार के ह और कहां-कहां से निकले हैं ?

माननीय पुलिस सचिव--नीचे बताये हुए हथियार निकले हैं:--
देसी तोपें, विदेशी और देशी रायफिले, बंदूके और रिवाल्वर, तलवार, चाकू बर्छी, डेगर, फरसा, किरपान, सोर्डस्टिक, खुकरी, भुजाली, कुल्हाड़ी, बम, गोला, बारूद बनाने और भरने की मशीनें ये हथियार इन जगहों से मिले हैं :--

मकान, खेत, कुएँ, बगीचे, मंदिर, मसजिद, कब्रिस्तान रेल, और लारियों से यात्रियों के असबाब से । और, और जगहों से शहरों के करीब गांवों में जहां लोगों ने उन्हें छोड़ दिया था ।

१३--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि ये हथियार इन लोगों के हाथ किस प्रकार लगे ? और इस जांच का क्या परिणाम निकला ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां । पता चला है कि अधिकतर हथियार स्वयं हीं या लुहारों से जगह जगह युक्त प्रांत में ही या रियासतों में बनवाये गये थे । कुछ हथियार मिलिटरी के आदमियों से चुरा लिये गए या मोल लिए गये जान पड़ते हैं, कुछ सामान चोरी का भी हो सकता है।

१४--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि ये हथियार देश में एक बड़े राजनैतिक षड्यंत्र की योजना के लिए इकट्ठा किए गए थे ?

माननीय पुलिस सचिव--इस संबंध में ठीक ठीक से कहना कठिन है पर हथियारों का इकट्ठा करना अच्छा न था ।

१५--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (अनुपस्थित)--जिस राजनैतिक संस्था का इन हथियारों के जमा करने से संबध है, क्या सरकार उसके विरुद्ध कुछ कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

माननीय पुलिस सचिव--गवर्नमेंट ने जहां जैसी जरूरत समझी है कार्रवाई की है ।

श्री रामस्वरूप गुप्त--जो कार्रवाई सरकार ने की है क्या उसको तफ़सील से बताने की कृपा करेंगी ?

माननीय पुलिस सचिव-- कार्रवाई जैसा कि अलग-अलग लिखा गया है की गई । कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया, कुछ लोगों के हथियार जब्त कर लिये गये और कुछ लोग जो एग्जेम्प्टीज थे, उनका वह अधिकार ले लिया गया । इस तरह से कार्रवाई की गई ।

श्री रामस्वरूप गुप्त--क्या कुछ जगहों में उन लोगों को सजायें हुई है जिनके पास से हथियार बरामद हुए हैं ।

माननीय पुलिस सचिव--जी हां, हुई है ।

श्री रामस्वरूप गुप्त--सरकार ने ऐसा क्या इंतज़ाम सोचा है कि वह लोग आइन्दा कोई ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई में शामिल न होंगे ?

माननीय पुलिस सचिव--जो कार्रवाई अभी तक की गई है उसका असर अच्छा पड़ा है और मैं समझता हूं कि लोगों की गैरजिम्मेदारी की भावना कम हो गई है और आशा की जाती है कि जैसा काम वह पहले करते थे अब नहीं करेंगे।

पाकिस्तान जाने और आने के सम्बन्ध में सरकार की नीति

*१६--**श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (अनुपस्थित)**--(क) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि बहुत से लोग जो यहां से पाकिस्तान चले गये थे उनमें से कुछ अब या तो वापस आ गए हैं या आना चाहते हैं? सरकार की ऐसे लोगों के संबंध मे क्या नीति है?

(ख) क्या ऐसे लोगों में कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं ?

(ग) क्या कुछ सरकारी अफसर जिन्होंने पहले पाकिस्तान को जाना पसंद किया था अब हिंद संघ की शरण मे आना चाहते है ? एसे लोगों के संबंध मे सरकार की क्या नीति है ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मंत्री (श्री गोविन्द सहाय)-(क) सरकार को ऐसी रिपोर्टें मिली है जिनसे पता चलता है कि कुछ लोग जो पहिले पाकिस्तान चले गये थे लौट आये है। हिंद और पाकिस्तान के बीच आने जाने पर आजकल कोई रोक नहीं है।

(ख) यह रिपोर्ट मिली है कि केंद्रीय सरकार के कुछ कर्मचारी जैसे रेलवे कर्मचारी लौट आये हैं ?

(ग) इस सरकार के उन कर्मचारियों ने, जो पाकिस्तान चले गये थे, इस सरकार की नौकरी फिर पाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की है।

इस प्रश्न का पिछला भाग इस समय नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप गुप्त--क्या मै यह समझूं कि वापिस आने वालों में से एक आदमी ने भी नौकरी मिलने की दरख्वास्त नहीं दी।

श्री गोविन्द सहाय--इसका उत्तर तो दिया गया है कि किसी आदमी ने दरख्वास्त नहीं दी है।

श्री रामस्वरूप गुप्त--अगर वह लोग दरखास्त दें तो सरकार किस नीति को अमल मे लायेगी ?

श्री गोविन्द सहाय--जब कोई दरख्वास्त आयेगी तो उस पर गौर किया जायगा।

श्री रामस्वरूप गुप्त--क्या मैं यह समझूं कि अब तक कोई भी नीति सरकार इस संबंध में नहीं निश्चित कर पाई है ?

श्री गोविन्द सहाय--ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री केशव गुप्त--जो लोग पाकिस्तान चले गये थे और वहां से आये है लेकिन उस बीच में उनकी जायदादें रिक्वीजीशन (हस्तगत) कर ली गई थीं उनकी वापसी के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—गवर्नमेंट की नीति वही है जिसके बारे में इस हाउस ने फैसला किया ।

*१७—श्री महावीर त्यागी—[त्यागपत्र दे दिया ।]

सरकार का जिलाधीशों को हिन्दी में काम करने का आदेश

*१८—श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार की तरफ से जिलाधीशों को अभी हाल में कोई ऐसा आदेश या हुक्म दिया गया है कि वे अदालतों के काम हिंदी भाषा म कराने का प्रबंध करें ?

श्री गोविन्द सहाय—सरकार के आदेश की एक प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है .

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७५ पर)

*१९—श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—यदि उपरोक्त सवाल का जवाब हां में है, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किन-किन जिलों के अधिकारियों ने उक्त आज्ञा को कार्यरूप में परिणत करने का प्रयत्न अब तक किया है ?

श्री गोविन्द सहाय—जहां तक सरकार को सूचना मिली है प्रायः सब जिलों म काम हिंदी में करने का प्रयत्न हो रहा है । जो सरकारी कर्मचारी हिंदी नहीं जानते वे हिंदी सीख रहे हैं ।

*२०—श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार को इस बात का पता है कि गाजीपुर के जिलाधीश ने सरकार की उक्त आज्ञा की अवहेलना की है ? यदि यह सही है, तो उक्त अधिकारी से अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री गोविन्द सहाय—गाजीपुर के भूतपूर्व जिलाधीश ने स्वयं हिंदी अच्छी तरह न जानने के कारण एक ऐसा आदेश दिया था जो कि पूर्णतः सरकार के उक्त आदेश के अनुसार नहीं था । सरकार ने इस संबंध में उचित आदेश दे दिया है ।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के भूतपूर्व जिलाधीश ने जो आदेश जारी किया था उसका मजमून क्या है ?

श्री गोविन्द सहाय—उसका मजमून तो आपको मालूम है तभी तो आपने सवाल पूछा ।

देवरिया जिला में चोर बाजारी को रोकने के लिए घूसखोर अफसर की नियुक्ति

*२१—श्री रामजी सहाय—क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जिले के बरहज स्थान में एक ऐसा व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा चोर बाजारी रोकने के लिए विशेष अफसर नियुक्त किया गया है जिसने स्वयं ४०० टिन वेजिटेबिल तेल चोर बाजारी में बिकवा दिया है, और जिसके प्रति उक्त अभियोग प्रमाणित भी हो गया है ?

माननीय पुलिस सचिव—जी नहीं । देवरिया में कोई ऐसा अफसर नियुक्त नहीं किया गया जिसके खिलाफ कोई अभियोग प्रमाणित हुआ हो । ४०० टिन वेजिटेबिल तेल इस शर्त पर बेचा गया था कि यदि उसका कंट्रोल दर कम होगा तो शेष वापिस कर दिया जायगा । ऐसा ही किया गया ।

श्री रामजी सहाय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ४०० टीन बनस्पति तेल किस स्थान और किस अधिकारी द्वारा बेचा गया है ।

माननीय पुलिस सचिव--स्थान तो आपको इस वक्त ठीक नहीं बता सकता लेकिन जो यहां के ए० टी० आर० ओ० थे उन्होंने उसके बेचने का इंतजाम किया था।

श्री रामजी सहाय--क्या यह सत्य है कि बचाव के लिए ऐसा हुक्म नहीं दिया गया था कि कंट्रोल का दर कम होने से अतिरिक्त मूल्य लौटा दिया जायगा ?

माननीय पुलिस सचिव--जी नहीं, ऐसी हिदायत पहले से ही दी गई थी।

देवरिया में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंसिंग कमेटीकी स्वीकृत के बिना लाइसेंस देना

*२२--श्री रामजी सहाय--क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जिले मे इधर ५ माह के भीतर बहुत से कपड़े, तेल, नमक इत्यादि के लाइसेस लाइसेंसिंग कमेटी के स्वीकृति के बिना जिला मजिस्ट्रेट देवरिया द्वारा दिये गये है ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां । कुछ लाइसेंस बिना लाइसेंसिंग सब-कमेटी के परामर्श के जारी किये गये थे ।

श्री रामजी सहाय--उन लाइसेंसों को बिना परामर्श देने की क्या आवश्यकता थी ?

माननीय पुलिस सचिव--वैसे तो अब लाइसेंसों का मामला खत्म हो चुका है। मै समझता हूं कि जो बात चीत गई उसके लिए माननीय सदस्य ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। लेकिन यह लाइसेंसेज देने का कारण यह है कि नमक के बारे में खास तौर पर उस वक्त एक क्राइसिस थी यानी नमक की कमी हो गई थी और लाइसेंसी उसका ठीक इंतजाम नहीं कर रहे थे जिससे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने अख्तियार से उनको नमजद करना ठीक समझा जिससे ठीक नमक के वितरण में कोई गड़बड़ी न हो ।

*२३--श्री रामजी सहाय--क्या सरकार कृपया ऐसे कुल लाइसेंसों की संख्या बताएगी ?

माननीय पुलिस सचिव--ऐसे लाइसेंसों की संख्या २३ है । ब्योरा निम्नलिखित है:--

(१) नमक के लिये नामजद १६
(२) कपड़े के आयात करनेवाले १
(३) कपड़े के थोक व्यापारी १
(४) कपड़े के फुटकर बेचनेवाले २
(५) मिट्टी के तेल ३

योग २३

श्री रामजी सहाय--क्या सरकार को ज्ञात है कि कपड़े का लाइसेंस एक अन्य जिले के एक अव्यवसायी को दिया गया था ?

माननीय पुलिस सचिव--इसकी जानकारी तो नहीं है लेकिन एक ऐसे लाइसेंसी को दिया गया था जिसको लाइसेंसिंग कमेटी ने पहले मंजूर कर लिया था लेकिन उस वक्त उसको न दिया जा सका, बाद में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसे दिया।

देवरिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही का न करना

*२४--श्री रामजी सहाय--क्या यह सत्य है कि देवरिया जिले में स्थानीय एम० एल० ए० द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी अनेक लिखित अभियोग जिला मैजिस्ट्रेट के पास प्रेषित करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी न भ्रष्टाचार निवारिणी समिति गत ६ मास से बुलायी गयी ?

श्री गोविन्द सहाय--सरकार को सूचना मिली है कि इन शिकायतों पर जिला मैजिस्ट्रेट देवरिया जिला भ्रष्टाचार विरोधी समिति के परामर्श से उचित कार्यवाही कर रहे हैं। १९४७ ई० की द्वितीय अर्धवार्षिक अवधि में इस समिति की कोई बैठक नहीं हो सकी क्योंकि देवरिया जिले के अधिकारी दूसरे आवश्यक कामों में पहिले से ही फंसे हुये थे।

श्री रामजी सहाय--क्या सरकार को ज्ञात है कि जितने भी अभियुक्त पत्र भेजे गये थे वह सब लुप्त हैं ?

श्री गोविन्द सहाय--ऐसी कोई सूचना नहीं है। जो शिकायत भेजी गई हैं उनके ऊपर गौर हो रहा है।

*२५-३०--श्री श्रीचन्द सिंघल--[स्थगित किये गये।]

बनारस शहर और जिले में मोमिनों की आबादी

*३१--श्री मुहम्मद नज़ीर--(अनुपस्थित) क्या सरकार कृपया बताएगी कि बनारस शहर और ज़िला में अलग-अलग मोमिन बिरादरी की कितनी आबादी है ?

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णानन्द)--सन् १९४१ ई० की जनगणना की रिपोर्ट में मोमिन अनसार बिरादरी के अलग आंकड़े नहीं दिये गये हैं। इसलिए जिला बनारस में रहने वाली मोमिन अनसार बिरादरी की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

बनारस में मोमिनों की शिक्षा के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*३२--श्री मुहम्मद नज़ीर (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बनारस शहर और देहात में मोमिन बिरादरी के कितने व्यक्ति शिक्षा पा रहे हैं ?

माननीय शिक्षा सचिव--१३०० छात्र।

*३३--श्री मुहम्मद नज़ीर (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बनारस शहर और देहात में उनकी शिक्षा के लिए कितने अंग्रेजी स्कूल हैं और सरकार उनको क्या सहायता देती है ?

माननीय शिक्षा सचिव--(क) इस बिरादरी विशेष के लिए कोई पृथक अंग्रेजी स्कूल नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

*३४--श्री मुहम्मद नज़ीर (अनुपस्थित)--क्या सरकार बनारस शहर और

नोट--प्रश्न संख्या ३१ से ३४ तक श्री मुहम्मद शकर द्वारा पूछ गये।

देहात के मोमिन बिरादरी के बच्चों की एक सूची उपस्थित करेंगी जिनको सरकार की ओर से कोई सहायता दी जाती हो ?

माननीय शिक्षा सचिव--मैं आपकी इजाजत से इस सवाल के जवाब में यह जोड़ना चाहता हूं। सूची मे जो दिया गया है उसके अलावा ७७६ रुपया पुस्तको के खरीदने के लिए बांटा गया ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ--पर)

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ--अन्सार बिरादरी के सिलसिले में इस सूबे में पूरी रकम गवर्नमेंट ने कितनी दी है ?

माननीय शिक्षा सचिव--टोटल रकम तो इस वक्त मुझे याद नहीं है लेकिन जहां तक ख्याल है ८० हजार ऐसा ही कुछ है । इस सवाल से यह पैदा भी नहीं होता।

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ--जवाब जो आपने जोड़ दिया है उस सिलसिले में मैं पूछना चाहता हूं कि पुस्तको के खरीदने के लिए खास तौर से किसी एक जिले में दिया है या कुछ अफराद को दिया गया है और उनका नाम आप बता सकते है ?

माननीय शिक्षा सचिव--नम्बर ३१ से ३४ तक सवाल सिर्फ बनारस जिले के मुतालिक है ।

३५--४०--**श्री सर्वजीत लाल वर्मा**--[त्यागपत्र दे दिया ।]

बहराइच में जल देने की योजना-ट्यूबवेल का लगना और सरकार का ऋण देना

४१--**श्री भगवान दीन मिश्र**--बहराइच म्युनिसिपल बोर्ड में जल देने की योजना (वाटर सप्लाई स्कीम) गवर्नमेंट ने कब से स्वीकार की है ?

श्री चरण सिंह--यह योजना पब्लिक हेल्थ विभाग ने सन १९४० ई० में स्वीकृत की थी।

४२--**श्री भगवान दीन मिश्र**--योजना के आधीन नगर मे ट्यूब वेल कब लगाया गया और उसकी परीक्षा कब की जा चुकी ?

श्री चरण सिंह--ट्यूबवेल सन् १९४४ में तैयार हो गया था और उसकी परीक्षा १९४७ में हुई ।

४३--**श्री भगवान दीन मिश्र**--क्या सरकार ने इस योजना के लिए ऋण देने की स्वीकृति दी और क्या उसके अधीन गवर्नमेंट ने कुछ ऋण दे भी दिया है ? अगर हां, तो कब ?

श्री चरण सिंह--जी हां, सन् १९४७ में सरकार ने इस योजना के लिए १,००,५८० रु० ऋण दिया है ।

श्री भगवान दीन मिश्र--क्या सरकार को मालूम है कि शहर के पानी का असर जनता के स्वास्थ्य पर बुरा पड़ने के कारण ही वहां की म्यूनिसिपैल्टी ने कर्जा लेने की योजना मंजूर की थी ?

श्री चरण सिंह--यह भी हो सकता है। लेकिन उनके पास रुपया नहीं था इस लिए कर्जा लेना पड़ा ।

श्री भगवान दीन मिश्र--जो योजना सन् १९४० में स्वीकार की गई थी

और जिनके आधार पर ट्यूब वेल्स सन् १९४४ में तयार हो सके और जिनकी परीक्षा सन् १९४७ में हुई। इस विलम्ब का क्या कारण है?

श्री चरण सिंह--इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री भगवान दीन मिश्र--ट्यूबवेल्स के १९४४ में तयार हो जाने के बाद तीन वर्ष तक इस पर किसी किस्म की कार्रवाई न होने का क्या कोई विशेष कारण है?

श्री चरण सिंह--कोई विशेष कारण अवश्य होगा। मालूम करने के बाद माननीय सदस्य को सूचना दी जा सकती है।

४४--श्री भगवान दीन मिश्र--अब तक इस योजना के आधीन कितना काम पूरा हो चुका है और पूरा काम कब तक हो जाने की सम्भावना है?

श्री चरण सिंह--ट्यूबवेल तयार हो गया है और पानी उठाने की मशीन (Pumping Plant) खरीदने के लिए लिख दिया गया है। बाकी काम हो रहा है। मशीन आ जाने पर काम ६ महीने में पूरा हो जायगा। मशीन विलायत से आ रही है इस लिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह कब तक आ पायेगी।

बहराइच की ड्रेनेज सुधार स्कीम के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

४५--श्री भगवान दीन मिश्र--बहराइच शहर के लिए क्या कोई ड्रेनेज सुधार स्कीम भी रक्खी जा चुकी है? अगर यह सही है, तो कितने रुपयों की स्कीम थी?

श्री चरण सिंह--सन् १९३५ में १,०५,९४१ रु० की एक योजना बनाई गई थी।

४६--श्री भगवान दीन मिश्र--बोर्ड ने इस स्कीम की पूर्ण योजना बनाने के लिए आवश्यक शुल्क कब दाखिल कर दिया है?

श्री चरण सिंह--सन् १९४६ में।

४७--श्री भगवान दीन मिश्र--क्या कोई इसकी पूर्ण योजना तैयार की जा चुकी है और अगर नहीं, तो क्या कारण है?

श्री चरण सिंह--जी नहीं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग अन्य आवश्यक योजना बनाने में व्यस्त रहने के कारण इस काम को शुरू न कर सका।

श्री भगवान दीन मिश्र--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेण्ट किन आवश्यक कामों में व्यस्त रही जिसके कारण यह काम पूरा नहीं कर सका?

श्री चरण सिंह--यह योजना पुरानी थी और नयी स्कीम बनाने की ज्यादा जरूरत थी, उसमें व्यस्त थी।

श्री भगवान दीन मिश्र--क्या गवर्नमेण्ट यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९४० से भी पुरानी योजनायें अभी गवर्नमेंट के पास हैं जो पूरी नहीं की गई हैं?

श्री चरण सिंह--ऐसी कोई सूचना नहीं है। जैसी आप की म्यूनिसिपैल्टी ने सन् १९४० से देर की है वैसे और किसी म्यूनिसिपैलिटी ने भी देर की होगी।

४८--श्री भगवान दीन मिश्र--इस योजना के पूरा करने में कितना समय लगेगा, क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी?

श्री चरण सिंह--लगभग एक वर्ष।

बनारस में खेती योग्य रकबा

*४९--श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया जिला बनारस के खेती योग्य रकबे की संख्या बतायेगी ?

माननीय कृषि सचिव (श्री निसार अहमद शेरवानी)--जिला बनारस के खेती योग्य रकबे की संख्या १९४६-४७ के वर्ष की ८७९६९ एकड़ है।

*५०--श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वहां पिछले पांच वर्षो मे रबी की पैदावार का रकबा कितना था ?

माननीय कृषि सचिव--वहां पिछले पांच वर्षों, (१९४२-४३ से १९४६-४७) तक में रबी की पैदावार का रकबा निम्नलिखित था।

वर्ष	रबी की पैदावार का रकबा सहस्र एकड़ों मे
१९४२-४३	३२४,६०४
१९४३-४४	३३१,२२२
१९४४-४५	३३४,३८९
१९४५-४६	३३६,५४०
१९४६-४७	३५०,९०९

*५१-५२--श्री मुहम्मद नजीर--[स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर के बांध से बनारस को लाभ

*५३--श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायगी कि जिला मिर्जापुर में जो भारी बांध तैयार हो रहा है, उससे जिला बनारस के किस भाग को लाभ पहुँचेगा और क्या लाभ पहुंचेगा ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)--मिर्जापुर के जिले में दो बड़े बांध बनाये जा रहे हैं। एक तो नगवां बांध है जिस पर काम जारी है। इस बांध से जिला बनारस को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा। दूसरा रीहन्द नदी पर पिपरी बांध है। इस बांध से बनारस के सारे जिले में बिजली सिंचाई व कल कारखानों और घरेलू इस्तेमाल के लिए प्राप्त होगी।

जुलाई सन् १९४७ ई० में अलीगढ़ के हिन्दू मुस्लिम झगड़े के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*५४--श्री श्रीचन्द सिंघल--(क) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पार-साल जुलाई के महीने में अलीगढ़ शहर में जब मुस्लिम हिन्दू झगड़ा हुआ था, तो वहां टाउन राशनिंग आफिसर कौन थे ?

(ख) क्या यह सच है कि वे वहां उस लड़ाई के दौरान में स्पेशल मैजिस्ट्रेट बनाये गये थे ?

(ग) क्या सरकार को पता है कि उन स्पेशल मैजिस्ट्रेट ने एक बेगुनाह हिन्दू लड़के के ऊपर बन्दूक की गोली चलाई जिससे वह बाल बाल बचा ?

(घ) क्या सरकार को इस घटना की रिपोर्ट की गई और उसने उसकी जांच की ?

नोट--प्रश्न संख्या ४९-५० और ५३ श्री मुहम्मद शकर द्वारा पूछे गये।

(ङ) क्या सरकार बतलायेगी कि उस जांच का क्या फल रहा ?

माननीय पुलिस सचिव--(क) लेफ्टिनेण्ट ए० डब्लू० खां।

(ख) जी हां।

(ग) यह बिल्कुल निर्मूल है कि लेफ्टिनेण्ट खां ने गोली एक हिंदू बालक पर चलाई जो कि उसके करीब से गुजरी। लेफ्टिनेण्ट खां ने गोली हवा में भीड़ को डराने और भगाने के लिए चलाई।

(घ) इस घटना की रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को की गई और उसकी जांच जिलाधीश मि० बेली ने डिवीजन के कमिश्नर की आज्ञा से की।

(ङ) मि० बेली ने मालूम किया कि लेफ्टिनेण्ट खां ने अच्छे इरादे से यह कार्य किया था और अगर इसमें कोई गलती हुई तो वह उनके अनुभव न होने के कारण हुई।

श्री कृष्ण चन्द्र--क्या सरकार को पता है कि जिस वक्त यह गोली चलाई गयी थी उस वक्त वहां कोई भीड़ नहीं थी ?

माननीय पुलिस सचिव--भीड़ वहां पर उस समय ज्यादा नहीं थी लेकिन कुछ थी और उससे पहले भीड़ ने वहां काफी नुकसान पहुंचाया था और मकान पर हमला किया था और तलवार वगैरह भी चलाई थी।

श्री कृष्ण चन्द्र--जब भीड़ वहां उस वक्त नहीं थी तो गोली चलाना उन्होंने क्यों जरूरी समझा ?

माननीय पुलिस सचिव--भीड़ नहीं थी ऐसा मैंने नहीं कहा। भीड़ थी और जैसा कि कहा गया गोली हवा में चलाई गयी थी। किसी की तरफ नहीं चलायी गयी थी ?

श्री मुहम्मद इसहाक खां--क्या गवर्नमेण्ट यह बतलायेगी कि गोली चलाने के बाद कोई इन्क्वायरी, (जांच), डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने की थी ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां, डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने की थी।

श्री मुहम्मद इसहाक खां--क्या गवर्नमेंट यह बतायेगी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इनक्वायरी करने के बाद उनको जस्टीफाई किया था ?

माननीय पुलिस सचिव--इसका जवाब सवाल के जवाब में दे दिया गया है।

*५५--श्री श्रीचन्द सिंघल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वे अब भी किसी पद पर नियुक्त हैं ? यदि हां, तो किस पद पर और कहां ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां। वे लखनऊ के टाउन राशनिंग अफसर हैं।

*५६-६२--श्री बलभद्र सिंह--[स्थगित किये गये।]

*६३--श्री महावीर त्यागी-- [त्यागपत्र दे दिया।]

चोर बाजार बन्द करने के ऐक्ट के अधीन प्रांत में की गई सरकारी कार्यवाही

*६४--श्री राधा कृष्ण अग्रवाल (अनुपस्थित) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि संयुक्त प्रान्त में चोरबाजार बन्द करने के ऐक्ट के अधीन अब तक क्या क्या कार्रवाइयां हुई ? कितने लोगों को अब तक नजरबन्द किया गया है ? कितने

नोट--प्रश्न संख्या ६४ से ६९ तक श्री रामस्वरूप गुप्त ने पूछे।

लोगों के लाइसेन्स को मुअत्तल या रद्द कर दिया गया है ? और कितने लोगों के व्यवसाय का नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में लिया है ?

माननीय पुलिस सचिव--संयुक्त प्रान्तीय चोर बाजार बन्द करने का बिल (अस्थायी अधिकार) १९४७ ई० अब तक ऐक्ट नहीं बना है। इस कारण सरकार द्वारा इस ऐक्ट के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

श्री मुहम्मद इसहाक खां--सवाल में जनाब वाला तीन बातें पूछी गयी हैं। इसके अलग अलग जवाब क्या हैं।

माननीय पुलिस सचिव--इसका जवाब आप चाहेंगे तो बाद में दिया जायगा।

श्री मुहम्मद इसहाक खां--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतायेगी कि जिस ऐक्ट को बहुत जोरों के साथ इस असेम्बली ने पास किया था अभी तक क्यों नहीं ऐक्ट बन सका ? और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है ?

माननीय प्रधान सचिव--उसके बाद फूड पालिसी बिल्कुल बदल गई है। कन्ट्रोल बिल्कुल हटा लिया गया है। जिस मर्ज के लिए वह दवा थी वह मर्ज ही नहीं रहा।

श्री मुहम्मद इसहाक खां--क्या पालिसी बदल गई है, इसके माने मैं यह समझूं कि ब्लैक मार्केटिंग के बारे में भी पालिसी की तब्दीली कुछ हुई है ?

माननीय प्रधान सचिव--गवर्नमेंट की पालिसी ब्लैक मार्केटिंग के बारे में तो नहीं बदली लेकिन अगर मेम्बरान यह चाहते हैं तो वह कोई तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं।

*६५--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--(अनुपस्थित)--प्रान्तीय सरकार ने अब तक उक्त ऐक्ट के अधीन स्थापित स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने कितने मामले जांच के लिए सुपुर्द किये और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या क्या कार्रवाई की ?

माननीय पुलिस सचिव--यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

पिछले ३ वर्षों में बिजली के लिये आवेदन पत्रों की संख्या

*६६--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले तीन वर्षों में उनके पास बिजली की मांग के लिए कित आवेदन-पत्र आये और इस समय कितने आवेदन-पत्र मौजूद हैं ?

*६७--क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि पिछले तीन वर्षों में किन किन सज्जनों को किस किस काम के लिए बिजली की कितनी कितनी ताकत दी गयी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--मांगी हुई सूचना के इकट्ठा करने में बहुत मेहनत होगी और इससे जो फायदा होगा वह उस पर किये गये खर्च और मेहनत से बहुत कम होगा। इस लिए सरकार को अफसोस है कि यह सूचना नहीं दी जा सकती है !

बिजली के वितरण के सम्बन्ध में नीति

*६८--श्री राधा कृष्ण अग्रवाल (अनुपस्थित)--बिजली की ताकत का वितरण किस नीति के आधार पर किया जाता है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--बिजली के ताकत के वितरण की नीति सरकारी आज्ञा-पत्र संख्या २३० ई- यल- सी- । २३- ४१ सी. ई. यल- १६४८ तारीख १-३-१६४८ में दी है जिसकी एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ.....पर)

*६६--श्री राधा कृष्ण अग्रवाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि जो बिजली घर अभी चालू नहीं हुए हैं उनसे पैदा होने वाली बिजली कब और किस आधार पर दी जायगी और किसके द्वारा ? क्या अभी कुछ लोगों को उसमें से बिजली दी जा चुकी है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--यह बात इस पर निर्भर है कि बिजली मिल सकने के समय क्या हालत होगी । प्रश्न के पिछले भाग का उत्तर न में है ।

श्री कृष्ण चन्द्र--क्या सरकार इस बात का अभी कोई अन्दाजा नहीं लगा सकती है कि कितनी बिजली मुयस्सर होगी और उसको वह किस तरह से वितरण करेगी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--इसका अन्दाजा इस स्टेज पर मुश्किल है इस लिए कि पावर हाउस मुकम्मिल करने में काफी अरसा लगेगा । महमूदपुर स्टेशन के मुताल्लिक अभी पूरी पूरी इत्तला नहीं है । यह तो पावर हाउस पूरा होने के बाद ही मालूम हो सकता है ।

श्री कृष्ण चन्द्र--मैं यह जानना चाहता हूँ कि महमूदपुर पावर हाउस किसी योजना के आधीन बनाया गया होगा और उस योजना के अनुसार कितनी बिजली होगी और उसके वितरण का क्या तरीका है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--हर एक पावर स्टेशन में जितनी बिजली तैयार होने वाली है उसका पूरा हिसाब सही तौर पर मौजूद नहीं है । और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके पर होगा वह इस बात पर मुनहसर है कि जितनी बिजली पैदा होगी और जितनी सरकार की जरूरत होगी ।

*७०--७७--श्री हरगोविन्द पन्त--[स्थगित किये गये ।]

*७८--८५--श्री चन्द्रिका लाल-- [त्यागपत्र दे दिया ।]

*८६-८७--श्री श्रीचन्द सिंघल-- [स्थगित किये गये ।]

छुट्टी पर पाकिस्तान जाने वाले सरकारी तथा अर्धसरकारी अहलकारों के सम्बन्ध में आदेश

*८८--श्री कृष्ण चन्द्र--(क) क्या गवर्नमेन्ट ने उन सरकारी तथा अर्ध सरकारी, अर्थात लोकल संस्थाओं के अहलकारों के बारे में जो छुट्टी लेकर पाकिस्तान चले गये और अभी तक पाकिस्तान ही में छुट्टी पर हैं कोई आदेश जारी किया है ?

(ख) यदि हां,तो क्या सरकार उसकी एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माननीय प्रधान सचिव--(क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कृष्ण चन्द्र--क्या स्थानीय संस्थाओं के किसी ऐसे अहलकार की कोई रिपोर्ट सरकार के पास अभी तक नहीं आई है ?

माननीय प्रधान सचिव--किसी स्थानीय कमेटी ने छुट्टी दी हो तो यह तो उनके अख्तियार की बात है ।

*८९--९१--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--[स्थगित किये गये ।]

पीलीभीत में सेंधे नमक की आवश्यकता

*९२--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या यह सही है कि पीलीभीत जिले के लिए केवल सांभर और पंचभद्रा नमक ही दिया गया है ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां । क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इन्हीं दो साधनों से नमक मिलता रहा है ।

*९३-- श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल--क्या यह सही है कि अब से पहले पीली-भीत जिले के रहने वालों को सेंधा नमक की भी आवश्यकता होती थी और पीलीभीत के व्यापारी सेंधा नमक भी मंगवाया करते थे ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां ।

*९४--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या यह सही है कि बहुधा हिन्दू लोग व्रतों के अवसरों पर केवल सेंधा नमक का ही उपयोग करते हैं ?

माननीय पुलिस सचिव--यह ठीक है कि बहुधा हिंदू व्रतों के अवसरों पर केवल सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करते हैं ।

*९५--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या सरकार पीलीभीत जिले में भी सेंधा नमक भिजवाने का विचार कर रही है ?

माननीय पुलिस सचिव--सरकार को कोई दूसरा उपाय नहीं है क्योंकि भारत के विभाजन के बाद खेबरा से नमक का आना बिल्कुल बंद हो गया है ।

सूबे में सीमेंट की कमी

*९६--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या सरकार को विदित है कि इस सूबे में सीमेण्ट की बहुत कमी है ?

माननीय पुलिस सचिव--हां । लेकिन जहां तक पता चला है इस सूबे में स्थिति और सूबों के मुकाबिले अच्छी रही है ।

*९७--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि इस सूबे में इस समय सीमेंट की क्या स्थिति है--सीमेण्ट कितना है, किस तरह वितरण किया जाता है और परमिट किस प्रकार दिये जाते हैं ?

माननीय पुलिस सचिव--सीमेण्ट की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है । प्रान्त को मार्च में केवल ८,२०० टन का कोटा मिला है । साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया है कि भविष्य में सीमेण्ट पर प्रान्तीय सरकार का कण्ट्रोल रहे। इस निश्चय के अनुसार प्रान्तीय सरकार ने सीमेण्ट वितरण के लिए एक योजना तैयार की है जिस पर प्रान्तीय सरकार विचार कर रही है ।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि वह योजना क्या है?

माननीय पुलिस सचिव—अच्छा हो कि माननीय सदस्य अन्न मंत्री जी से मिल कर इस योजना की पूरी जानकारी कर ले।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—तो जो योजना प्रान्तीय सरकार ने बनाई है वह विचार करके नहीं बनाई है तो क्या गवर्नमेन्ट फिर विचार कर रही है?

माननीय पुलिस सचिव—जो स्कीम बनाई है उसको अन्तिम रूप देने मे विचार करना ही पड़ता है इस दृष्टि से विचार करने की बात इसमें लिखी गयी है।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—कब तक सरकार इस योजना पर विचार करना खत्म कर देगी?

माननीय पुलिस सचिव—मैं समझता हूँ बहुत जल्द समाप्त हो जायगा।

९८—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सही है कि इस समय जिलों के लिए सीमेन्ट का कोटा नियत नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ी-थोड़ी मात्रा मे लेने के लिए भी कानपुर को प्रार्थना-पत्र भेजना पड़ता है और इस प्रकार सीमेंट प्राप्त करने मे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है?

माननीय पुलिस सचिव—नहीं। प्रान्त का कोटा दो हिस्सों मे विभाजित किया जाता है एक हिस्सा सरकारी और गैर-सरकारी नई इमारतों की तामीर के लिए सर्फ किया जाता है और दूसरा हिस्सा मरम्मत वगैरह छोटे कामों के लिए निर्धारित है। मरम्मत वगैरह छोटे कामो का कोटा जिलाधीशो के आधीन होता है और उसका परमिट जिले मे दे दिया जाता है। यदि जिले के सीमेण्ट का कोटा घट जाता है तो जिलाधीश की सिफारिश पर कानपुर से परमिट दे दिया जाता है।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—जो कोटा सरकारी और गैर-सरकारी इमारतों के लिए होता है वह किसके अधीन है और उसकी परमिट कौन देता है और उसका परमिट देने मे किन बातों का लिहाज किया जाता है?

माननीय पुलिस सचिव—सरकारी और गैर-सरकारी कोटा अलग २ दिया जाता है सरकारी कोटे के बारे मे गवर्नमेन्ट बतला देती है कि किस हिसाब से यह बांटा जाय। गैर-सरकारी कोटा का वितरण प्रान्तीय टेक्सटाइल कन्ट्रोलर के हाथ मे होता है।

सीमेंट के वितरण में सरकार की व्यवहारिक प्रणाली

९९—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या सरकार इसके स्थान मे किसी दूसरी अधिक व्यावहारिक और सुविधाजनक प्रणाली चलाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो वह नवीन प्रणाली क्या है?

माननीय पुलिस सचिव—जैसा कहा जा चुका है सरकार ने सीमेण्ट बांटने की एक नई योजना बनवाई है जो कि विचाराधीन है।

प्रान्त में लोहे और इस्पात की कमी

१००—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—(क) क्या यह सत्य है कि इस प्रान्त मे लोहे और इस्पात की बहुत कमी है?

(ख) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रान्त में लोहे और इस्पात की स्थिति क्या है ?

माननीय पुलिस सचिव--(क) जी हां।

(ख) लोहे और इस्पात पर केन्द्रीय सरकार का कन्ट्रोल है। प्रान्तीय सरकार को तो केन्द्रीय सरकार केवल थोड़ा सा लोहा और इस्पात मकान बनाने वालों को बांटने के लिए देती है। प्रान्तीय कोटे की परमिट प्रान्तीय लोहा और इस्पात कंट्रोलर कानपुर जारी करता है।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या सरकार आंकड़े बतलायेगी कि कितना लोहा वार्षिक इस प्रान्त को मिलता है ?

माननीय पुलिस सचिव--इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या सरकार बतायेगी कि लोहे के परमिट देने का क्या नियम है ?

माननीय पुलिस सचिव--साधारणतः यह होता है कि जिसको दरख्वास्त देना है वह पहले डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को देता है और जहां डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर है उनको देता है और उनकी सिफारिश पर प्रान्तीय आइरन कंट्रोलर फैसला करते हैं।

श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल--क्या सरकार को यह मालूम है कि इस प्रबन्ध से जनता को यह कठिनाई हुई कि उनके प्रार्थना-पत्रों के उत्तर विलम्ब से आये और उनको जो परमिट दिये गये दूसरे स्थानों के दिये गये जब कि वह चीजें जो परमिट में थीं स्थानीय व्यापारियों के पास थीं ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां, जहां तक उत्तर देने की बात है कुछ देर जरूर पत्र-व्यवहार में हुई और परमिट दिये जाने के बारे में जो नये कण्ट्रोलर नियुक्त हुए उनको उसको एक नये तरीके पर संगठन करने में देर लगी, लेकिन यह ठीक है कि इसमें कुछ विलम्ब हुआ।

टेक्सटाइल और आयरन कंट्रोलर एक होने से वितरण में कठिनाई

*१०१--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि प्रान्तीय टेक्सटाइल कण्ट्रोलर और प्रान्तीय आयरन ऐण्ड स्टील कण्ट्रोलर दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त करने से कार्य सुचारु-रूप से परिचालित नहीं होता है और उसमें विलम्ब होने लगा है ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां। प्रान्तीय टेक्सटाइल कण्ट्रोलर ने अपने अधीन अधिकारियों की सहायता से लोहा और इस्पात के नियंत्रण के काम को भलीभांति चलाने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की। अब कपड़े पर से नियंत्रण उठा लिया गया है और प्रान्तीय टेक्सटाइल कण्ट्रोलर लोहा और इस्पात के काम में और अधिक समय दे सकते हैं। फिर भी इस कार्यालय के फिर से संगठन करने के प्रश्न पर सरकार तत्परता से विचार कर रही है।

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ--टेक्सटाइल कण्ट्रोलर और आयरन ऐण्ड स्टील कंट्रोलर यह एक ही शख्स को जो जनाब ने मुकर्रर किया है, क्या गवर्नमेण्ट उनको अलहदा करने का इरादा रखती है ?

माननीय पुलिस सचिव—अब तो टेक्सटाइल कंण्ट्रोलर रह ही नहीं जायंगे क्योंकि कपड़े का डिकण्ट्रोल हो गया, वह आयरन कण्ट्रोलर रहेगा।

श्री मुहम्मद इसहाक खां—क्या गवर्नमेंट ने यह तय कर लिया कि बाहर से जो कपड़ा इस प्राविन्स में आता है उसपर जो कण्ट्रोल है वह भी आज की तारीख से मंसूख होगा ?

माननीय पुलिस सचिव—इसके लिए नोटिस चाहिए।

(प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने के कारण शेष प्रश्न अगले दिन के कार्यक्रम में रख दिये गये।)

प्रान्तीय विश्वविद्यालय अनुदान समिति में एक रिक्त स्थान के लिये चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्ताव

माननीय शिक्षा सचिव—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आचार्य नरेन्द्र देव द्वारा प्रान्तीय विश्वविद्यालय अनुदान समिति में रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए लेजिस्लेटिव असेम्बली, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, एक सदस्य चुन ले।

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—जनाबवाला, एक प्वाइंट आफ आर्डर है, आया उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है या नहीं। असेम्बली से इस्तीफा गवर्नर साहब ने मंजूर कर लिया है या नहीं, यह हमको मालूम नहीं है क्योंकि गजट में अभी तक छपा नहीं है।

माननीय शिक्षा सचिव—यह सवाल तो पैदा ही नहीं होता। उन्होंने यूनीवर्सिटी ग्रांट कमेटी से इस्तीफा दिया है, असेम्बली के इस्तीफे से कोई ताल्लुक नहीं है।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि आचार्य नरेन्द्र देव द्वारा प्रान्तीय विश्वविद्यालय अनुदान समिति में रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए लेजिस्लेटिव असेम्बली, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, एक सदस्य चुन ले।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय स्पीकर—मैं इस प्रस्ताव के अनुसार कल १२ बजे तक को नामांकन के लिए नियत करता हूँ और इस कारण से कि एक ही स्थान भरना है साधारण वोट से, यानी परिवर्तनीय वोट से नहीं, साधारण वोट के ढंग से, मैं इसका निश्चय करूंगा।

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिये ऋण देने) का बिल।

धारा—२ (जारी)

माननीय स्पीकर—श्री राधा मोहन सिंह, आप के नाम एक सुधार का प्रस्ताव धारा २ के सम्बन्ध में है। लेकिन आप का प्रस्ताव उपधारा (ग) और (ङ) के बारे में है।

हमने कल उपधारा (ग) और (ङ) के बारे में एक सुझाव स्वीकृत कर लिया है जो पंडित इन्द्र देव त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया था। साधारण नियम तो यह है कि जब एक बात तय कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कभी पीछे नहीं हटते। आपने अपना सुझाव कल सुबह या शाम किसी वक्त दिया होगा। कल तक वह अनियमित था। इस अवस्था में आप कारण बताइए।

माननीय प्रधान सचिव—कल जो अमेण्डमेण्ट मंजूर हुआ था वह आर्डर पेपर मे नहीं था। उसमे कोई विशेष बात नहीं थी इस लिए मैने मान लिया था। लेकिन ऐसी हालत मे वह एडाप्ट नहीं हुआ था। इस लिए मै दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी स्पेशल पावर्स (विशेषाधिकार) से इसे कर दे।

माननीय स्पीकर—इसके लिए तो हमे पीछे जाना पड़ेगा।

माननीय प्रधान सचिव—जी हां। इसमें कोई कंट्रोवर्सी (बहस) की चीज नहीं है। इस लिए मै आशा करता हूँ कि किसी को कोई आब्जेक्शन (विरोध) नहीं होगा।

श्री मुहम्मद इसहाक खां—धारा आगे बढ़ती है पीछे नहीं।

माननीय प्रधान सचिव—जी हां। आगे ही चलती है लेकिन जब एंजिन लग जाता है तो पीछे भी चली जाती है।

माननीय स्पीकर—इस विषय में नियम बहुत स्पष्ट है वह यह है:—

After decision has been given on an amendment to any part of a motion, earlier part shall not be amended.

(किसी प्रस्ताव के किसी भाग पर संशोधन का निर्णय हो जाने के पश्चात् उससे पहले के किसी भाग मे संशोधन नहीं किया जा सकेगा।) लेकिन यदि माननीय सचिव चाहे तो मै इसको हाउस के ऊपर छोड़ दूंगा।

माननीय प्रधान सचिव—दरअसल विषय बहुत ही साधारण है। कोई विषय इसमें ऐसा नहीं है जिसके लिए किसी को कोई आब्जेक्शन (विरोध) हो। यदि यह नहीं होगा तो बिल भद्दा रहेगा। इस लिए मै दरख्वास्त करता हूँ कि इसको कर दिया जाये।

माननीय स्पीकर—क्या इस भवन की यह सम्मति है कि श्री राधा मोहन के प्रस्तावों को जो धारा (२) की उपधारा (ग) और (ङ) के बारे मे है मै ले लूं और उन पर इस भवन की अनुमति लूं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—जनाब वाला, मै अर्ज करूँगा कि रूल्स (नियमों) में यह दिया हुआ है कि अगर तरमीम है तो उसमे वोटिंग नहीं होगी अगर उसमें काफी तवक्कुर्सी हो जो उससे इख्तलाफ रखती हो जैसा कि स्टैंडिंग आर्डर्स (स्थायी-आदेश) में है।

माननीय स्पीकर—यह रूल (नियम) में नहीं है बल्कि आप अपनी कल्पना से कह रहे है। मैने रूल (नियम) पढ़कर सुनाया था। मै अपने को सदा रूल (नियम) से बंधा मानता हूँ। मै उस रूल (नियम) के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मै बीसियों बार कह चुका हूँ कि भवन के अधिकार में है चाहे सफेद करे या काला। इस लिए मैने भवन की राय ली और यह मुनासिब नहीं है कि मै बीच मे अड़चन डालूं। यदि भवन ऐसा चाहता है तो ठीक है। इसमे कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें किसी के अधिकार के ऊपर आक्षेप हुआ हो। इसलिए मैने इसको भवन की राय पर छोड़ दिया और भवन ने उस पर राय दी।

श्री राधामोहन सिंह—धारा २ की उप-धारा (ग) मे शब्द "उस अधिकारी से

है जो इस ऐक्ट के अधीन दिये गये अधिकारों के अनुसार ऋण देता है।" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द लिखे जायँ:—

"सम्बन्धित जिले के कलक्टर से है और उसमें कोई ऐसा अधिकारी सम्मिलित है जिसे प्रान्तीय सरकार ने इस ऐक्ट के आधीन ऋण देने का अधिकार दिया हो।"

इस संशोधन की आवश्यकता यों पड़ी कि पहले जो शब्द दिये गये हैं उनके अनुसार केवल वे ही अधिकारी निर्दिष्ट थे जो प्रान्तीय गवर्नमेंट से मुकरर किये जायंगे। इस धारा के अनुसार उन्हीं को अधिकार दिया जायगा लेकिन इस ऐक्ट की धाराओं के मुताल्लिक जिले का कलेक्टर मुख्य नियन्त्रण अधिकारी माना गया है अतएव अब मैं जो संशोधन पेश कर रहा हूं उससे दोनों ही नियन्त्रण अधिकारी इस परिभाषा में आ जायेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

माननीय प्रधान सचिव—मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा २ की उप-धारा "ग" में शब्द "उस अधिकारी से है जो इस ऐक्ट के अधीन दिये गये अधिकारों के अनुसार ऋण देता है।" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रक्खे जाये "सम्बन्धित जिले के कलेक्टर से है और उसमें कोई ऐसा अधिकारी सम्मिलित है जिसे प्रान्तीय सरकार ने इस ऐक्ट के आधीन ऋण देने का अधिकार दिया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राधामोहन सिंह—माननीय स्पीकर महोदय, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि धारा २ की उपधारा 'ङ' निकाल दी जाय और उप-धारायें (च), (छ), (ज), और (झ) की संख्यायें बदल कर उप-धारायें (ङ), (च), (छ) और (ज) कर दी जायें।

इस संशोधन के पेश करने का मतलब यह है कि (ङ) में डिप्टी कमिश्नर की परिभाषा दी गई है परन्तु इस ऐक्ट की धाराओं के देखने से मालूम होता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है इस लिए इस परिभाषा को निकाल दिया जाये, यही उचित है।

माननीय प्रधान सचिव—मुझे मंजूर है।

श्री मुहम्मद इसहाक खां—मोहतरिम सदर, मुझे एतराज है कि जब हाउस ने एक चीज को पास कर दिया है और उसके ऊपर तहरीक कर दी है कि उसे निकाल दिया जाय ——

माननीय स्पीकर—कहां पास कर दिया? हाउस ने तो पास नहीं किया।

श्री मुहम्मद इसहाक खां—तो मैं उसको वापस लेता हूँ।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा २ की उपधारा (ङ) निकाल दी जाय और उपधारायें (च), (छ), (ज) और (झ) की संख्यायें बदलकर उपधारायें (ङ), (च), (छ) और (ज) कर दी जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा-३

नियन्त्रण करनेवाला अधिकारी

३—(१) शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए उनको ऋण देने के प्रयोजन से प्रान्तीय सरकार प्रान्त के लिए एक मुख्य प्रबन्धक (chief Administrater) नियुक्त कर सकती है, और जिले के कलेक्टर को उनके नाम या पद के नाम से अधिकार दे सकती है, और सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा उस काम का वितरण या निर्धारण किये जाने की व्यवस्था कर सकती है जो उनको इस ऐक्ट या इसके अधीन बनाये हुए नियमों के अन्तर्गत करता हो।

(२) जिले का मुख्य प्रबन्धक या कलेक्टर प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति से अपने किसी कार्य को प्रान्तीय सरकार के किसी पदाधिकारी को उसके नाम या पद से सौंप सकता है।

श्री राधामोहन सिंह—माननीय स्पीकर महोदय, धारा ३ मे मै यह संशोधन पेश करना चाहता हूँ।

धारा ३ के हाशिये के शीर्षक मे शब्द "नियंत्रण करने वाला अधिकारी" के पहले शब्द "मुख्य प्रबन्धक" और बढा दिया जाये।

इसका कारण यह है कि दफा ३ के अन्दर 'चीफ एडमिनिस्ट्रेटर,' मुख्य प्रबन्धक' के सम्बन्ध में नियम बनाये गये है और हाशिये मे से यह छूट गया है। इस लिए मेरा संशोधन है कि "मुख्य प्रबन्धक" 'नियन्त्रण' के पहले जोड़ दिया जाय।

माननीय स्पीकर—हाशिया विधान का अंग नहीं होता, इस लिए मै इसको स्वीकार नहीं करता। यह तो दफ्तर द्वारा आप आसानी से करा सकते है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि यहां असेम्बली मे हाशिये के ऊपर हम बहस करे।

माननीय प्रधान सचिव—आप के दफ्तर से ठीक करा दिया जायगा।

माननीय स्पीकर—हमारे दफ्तर में लिखकर दे दीजिएगा, वहीं से ठीक हो सकता है।

श्री राधामोहन सिंह—माननीय स्पीकर महोदय, धारा ३ की उपधारा (१) की पंक्ति ३ तथा ४ में शब्द "जिले क कलेक्टर को उनके नाम या पद के नाम से अधिकार दे सकती है" के स्थान पर शब्द "ऐसे क्षेत्रों के नियन्त्रण करने वाले अधिकारी जो निर्धारित किये जायँ लिखे जायँ। इस धारा मे केवल कलक्टर को यह अधिकार दिया गया है। यह अधिकार प्रान्तीय सरकार से नियुक्त किये गये अधिकारियों को भी दिया जाना अभीष्ट है इस लिए यह संशोधन आवश्यक है। मै आशा करता हूँ कि यह स्वीकार कर लिया जायगा।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ३ की उपधारा (१) की पंक्ति ३ तथा ४ में शब्द 'जिले के कलेक्टर को उनके नाम या पद के नाम से अधिकार दे सकती है' के स्थान पर शब्द 'ऐसे क्षेत्रों के नियंत्रण करने वाले अधिकारी जो निर्धारित किये जायँ' लिखे जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राधामोहन सिंह—माननीय स्पीकर महोदय, मै आप की आज्ञा से धारा ३ में यह संशोधन पेश करना चाहता हूँ कि धारा ३ में निम्नलिखित उपधारा को उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान उपधारा (२) की संख्या बदल कर उपधारा (३) कर दी जाय।

"(२) मुख्य प्रबन्धक को आम तौर पर इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए नियंत्रण करने वाले अधिकारी के ऊपर निगरानी, संचालन और नियंत्रण के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।"

इस संशोधन का प्रयोजन यह है कि इस धारा के अन्दर चीफ-एडमिनिस्ट्रेटर मुख्य प्रबन्धक के क्या अधिकार होंगे यह नहीं बतलाया गया है। इस लिए उसको यहां स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जो अधिकारी मुकर्रर किये जायेंगे उनको संचालन और निगरानी के अधिकार होंगे। इस लिए मैं समझता हूँ कि यह संशोधन आवश्यक है और इसे मंजूर किया जायगा।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ३ में निम्नलिखित उपधारा को उपधारा (२) के रूप में जोड़ा दिया जाय और वर्तमान उपधारा (२) की संख्या बदल कर उपधारा (३) कर दी जाय—

मुख्य प्रबन्धक को आम-तौर पर इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए, नियंत्रण करने वाले अधिकारी के ऊपर निगरानी, संचालन और नियंत्रण के सभी अधिकार प्राप्त होंगे :—

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ३ संशोधित रूप म इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—४

ऋणों की सीमा

४—केवल उस दशा के जब कि प्रान्तीय सरकार से पहले से स्वीकृति ले ली गयी हो, इस ऐक्ट के अधीन किसी शरणार्थी को ५,००० रु० से अधिक ऋण न दिया जायगा।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ४ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—५

ऋणों के स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।

५—(१) कोई शरणार्थी उस कलेक्टर को जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में वह रहता हो, या अपना कार बार या धन्धा करने का विचार रखता हो, नियत फार्म में प्रार्थना पत्र दे सकता है, जिसके साथ उसको अपना हलफनामा देना पड़ेगा, जिसमें मांगी गयी ऋण की धनराशि, प्रयोजन जिसके लिए ऋण लिया जा रहा हो और यदि ऋण दिया जाय तो वह विधि जिसके अनुसार वह ऋण का भुगतान (repay) करेगा, दी हुई होंगी।

(२) नियन्त्रण अधिकारी (controlling Authority) उस ढंग से और उस सीमा तक ऋण देगा जैसाकि सरकार द्वारा निर्देश किया जाय।

(३) नियन्त्रण करने वाले अधिकारी (Controlling Authority) को यह अधिकार होगा कि वह जब

कोई ऋण देने लगे तो वह उन शर्तों को निश्चित करे जिन शर्तों पर ऋण दिया जायगा और उन किस्तों को निश्चित करे, जिनके द्वारा वह ऋण चुकता किया जायगा।

श्री राधामोहन सिंह—माननीय स्पीकर महोदय, धारा ५ की उप-धारा (१) की पंक्ति १ मे शब्द 'कलक्टर' के स्थान पर शब्द "नियन्त्रण करने वाला अधिकारी" लिखे जाय। इस संशोधन का प्रयोजन यह है कि उसको और व्यापक बना दिया जाय ताकि कलेक्टर के अलावा अतिरिक्त और भी जो अधिकारी सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किये जायँ वह भी इसमे आ जाय। इसी लिए यह आवश्यक है। मै आशा करता हूँ कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

माननीय स्पीकर—मै प्रधान सचिव के ध्यान मे यह लाना चाहता हूँ कि आप के बिल मे "नियन्त्रण अधिकारी" शब्द प्रयुक्त हुआ है। धारा २ की उप-धारा (ग) मे आप देखे कि उसमे आपने "कन्ट्रोलिंग अथारिटी" के लिए "नियंत्रण अधिकारी" का प्रयोग किया है। तो उसको आप कैसे बदलते है।

माननीय प्रधान सचिव—कही "नियन्त्रण अधिकारी" और कही "नियन्त्रण करने वाला अधिकारी" दोनो रखे है।

माननीय स्पीकर—जब आपने एक निश्चित शब्द परिभाषा में लिखा है तो उचित यही है कि उसी का प्रयोग सब जगह किया जाय।

माननीय प्रधान सचिव—तो फिर आप "नियन्त्रण-अधिकारी" ही रख लीजिए।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ५ की उप-धारा (१) की पंक्ति १ मे शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द 'नियन्त्रण अधिकारी' रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राधामोहन सिंह—माननीय स्पीकर महोदय, मै आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि धारा ५ की उप-धारा (२) मे शब्द "नियन्त्रण अधिकारी को" और शब्द "उस ढग" के बीच मे शब्द "मुख्य प्रबन्धक के किसी साधारण या विशेष आदेशों के अधीन" बढ़ा दिये जायँ "सरकार द्वारा निर्देश किया जाय" के स्थान पर शब्द "निर्धारित किया जाय" लिखे जायँ।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ५ की उप-धारा (२) मे शब्द "नियन्त्रण अधिकारी को" और शब्द "उस ढंग" के बीच में शब्द "मुख्य प्रबन्धक के किसी साधारण या विशेष आदशों के अधीन" बढा दिये जायँ और शब्द "सरकार द्वारा निर्देश किया जाय" के स्थान पर शब्द "निर्धारित किया जाय" लिखे जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय प्रधान सचिव—माननीय स्पीकर साहब, मै आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि इस बिल में जहां जहां "नियन्त्रण करने वाला अधिकारी" भूल से लिख दिया गया है उसकी जगह शब्द "नियन्त्रण अधिकारी" लिख दिया जाय। जिस जगह यह भूल होगई हो उस जगह ठीक कर दिया जाय।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि इस बिल मे जहां जहां भूल से "नियन्त्रण करने

वाला अधिकारी" शब्द आया है उसके स्थान पर शब्द "नियन्त्रण अधिकारी" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि संशोधित रूप में धारा ५ बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—६

६—ऋण चुकता करने के लिए जमानत—

(१) ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये जाने के उपरान्त जितनी जल्दी हो सके, प्रार्थी और यदि प्रार्थी कोई फर्म या कम्पनी हो तो, उसका नियमानुसार अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित फार्म में एक तमस्सुक (bond) लिखेगा जिसमें वह यह प्रतिज्ञा करेगा कि जो ऋण उधार दिया गया है उसे वह उसी प्रयोजन या प्रयोजनों और उन शर्तों का पालन करने के लिए ही लगायेगा जिनके लिए या जिन पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया है।

(२) इस ऐक्ट के अधीन लिए गये किसी ऋण के लिए, प्रार्थी यदि नियन्त्रण अधिकारी Controlling Authority) ऐसा आदेश दे दो जमानतें देगा और प्रार्थी तथा प्रतिभू (ज़ामिनदार) संयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से ब्याज और उस खर्च के साथ, यदि कोई हो, जो ऋण देने या उसे वसूल करने में हुआ हो, ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(३) कोई ऐसा स्थिर यन्त्र या मशीन, जो ऋण लेने वाला व्यक्ति उस धन से जो उसे ऋण के रूप में पेशगी दिया गया हो, खरीदे, उस समय तक प्रान्तीय सरकार के अधिकार में रहेगी जब तक कि ऋण की पूरी पूरी धन-राशि का भुगतान नहीं हो जाता, और उसके सम्बन्ध में ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा किसी अधिकार, स्वत्व अथवा हित का हस्तांतरण अथवा समर्पण या उस पर ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कोई बन्धक या कोई अन्य भार जब तक कि ऐसा नियंत्रण अधिकारी की पहिले से लिखित अनुमति लेकर न किया गया हो, प्रान्तीय सरकार के विरुद्ध निष्फल होगा।

(४) भारतीय स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ ई० में किसी बात के आदेशों होते हुये भी इस एक्ट के अधीन लिखे गये किसी बाण्ड पर कोई स्टाम्प का महसूल न लिया जायगा—

श्री राधामोहन सिंह—माननीय स्पीकर महोदय, मैं आप की आज्ञा से धारा ६ में यह संशोधन पेश करता हूँ कि धारा ६ की उप-धारा (४) में शब्द "लिखे गये किसी बाण्ड के बाद शब्द "या दाखिला किया हुआ शपथ पत्र" बढ़ा दिये जायें।

इस संशोधन का कारण यह है कि स्टाम्प, कानून के मुताबिक 'दरख्वास्त' और 'शपथ-पत्र' दोनों पर लगाया जाता है लेकिन यहां स्टाम्प से बरी करने के नियम में 'शपथ-पत्र' शब्द लिखने में भूल से छूट गया है इस लिए मैं आवश्यक समझता हूँ कि यह संशोधन

[श्री राधामोहन सिंह]
कर दिया जाय।

श्री मुहम्मद इसहाक खां--जनाबवाला, इस सिलसिले मे मैं जनाब की तवज्जह जिस तरफ दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि आप यह तहरीक करते है कि बिल के अन्दर लफ्ज A bond ... ...

माननीय स्पीकर--आप बिल नही पढ रहे है। यह तो बिल का अंग्रेजी तर्जुमा है। हम यहां पर बिल के शब्दों पर विचार कर रहे है अंग्रेजी पर नहीं। यहां दफा ६ पर विचार करना है।

श्री मुहम्मद इसहाक खां--मेरे ख्याल में आप इसको दफा ६ के सिलसिले में ही समझ लीजिए। मेरा जो कानूनी एतराज है वह यह है कि जो लफ्ज बिल के अन्दर है वह तो हाउस के सामने मौजूद है --------

माननीय स्पीकर--जो सामने प्रश्न है उसको छोड़कर आप कानूनी एतराज तो कर नहीं सकते है। इस वक्त हमारे सामने जो सवाल है वह यह है कि शब्द "लिखे गये किसी बाण्ड के बाद" शब्द "या दाखिला किया हुआ शपथ-पत्र" जोड़ दिये जायें।

श्री मुहम्मद इसहाक खां--जनाबवाला, जो मसला इस वक्त हाउस के सामने पेश है, उसके सिलसिले मे मुझे यह कहना है कि आया इस हाउस को यह अख्तियार है कि वह इस मसले पर कोई तरमीम कर सके? बात यह है कि गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ऐक्ट के अन्दर स्टाम्प ऐक्ट की जो ड्यूटीज (कर्तव्य) है वह गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की है तो उसको हम यहां पर कैसे लेजिस्लेट (कानून बनाना) कर सकते है।

मेरा एतराज यह है कि जो तरमीम इस वक्त यहां हाउस के सामने पेश है उस पर गौर करने के अख्तियार इस हाउस को है या नही? आप का इन्डियन स्टाम्प ऐक्ट जो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया का है उसके अन्दर आप यह कमी कर रहे है यानी जो फीस चार्ज की गयी है। आप इसके जरिये से उन दरख्वास्त को बरी कर रहे है। तो मैं यह अर्ज करता हूँ इस तरमीम के सिलसिले में हाउस को अख्तियार है या नहीं कि वह इसको लेजिस्लेट करे (कानून बनावे) और कुछ हालत ऐसे है कि जिनमे गवर्नर जनरल की इजाजत लेनी पड़ती है तो आप ने १०७ के अन्दर गवर्नर की इजाजत लेली है या नहीं और उनकी इजाजत स्पीकर साहब के पास आगई है या नहीं। तो इन सब बातों के तहत मे मैं चाहता हूँ कि जनाब लीडर साहब हाउस के सामने बतलाये कि आया यह बातें पूरी की गयी है या नहीं।

माननीय प्रधान सचिव--गवर्नमेंट को पूरा अख्तियार है कि किसी भी दस्तावेज के सम्बन्ध में लगाये गये स्टाम्प को तब्दील कर दे। चाहे कोई भी दस्तावेज हो उसके बारे में गवर्नमेन्ट हमेशा यह हुक्म दे सकती है कि इस दस्तावेज पर कोई स्टाम्प नहीं लगाया जायगा। प्रान्तीय सरकार को इसका पूरा अधिकार है। मैं नहीं समझता कि इशहाक खां साहब की जो दलील है कि यह हाउस इस किस्म के कानून नहीं बदल सकता कैसे ठीक हो सकती है। हमें पूरा अधिकार है। अब तो सब अधिकार गवर्नमेन्ट के हाथ मे आगये है जो भी किया जाता है वह गवर्नर के नाम पर ही किया जाता है।

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि धारा ६ की उप-धारा (४) मे "लिखे गये किसी बाण्ड" के बाद शब्द "या दाखिल किया हुआ शपथ-पत्र" बढ़ा दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा ६ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—७

ऋण का किस प्रकार भुगतान किया जायगा

७—ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा लिखे गये किसी बाण्ड में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त, ब्याज के सहित, यदि कोई हो, ऋण का वार्षिक किस्तों में, जैसा कि निर्धारित किया जाय, भुगतान किया जायगा और किस्तों का भुगतान ऋण के बांटने की तारीख के बारह मास पश्चात् प्रारम्भ होगा।

श्री कुंजविहारी लाल शिवानी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ७ की अन्तिम पंक्ति में शब्द "बारह मास" तथा शब्द "पश्चात" के बीच शब्द "या नियन्त्रण अधिकारी की अनुमति से अधिक समय" जोड़ दिये जायँ।

श्रीमान्, धारा ७ जो इस समय है उसके शब्दों से यह जाहिर होता है कि यदि कोई शख्स व्यक्ति या संस्था ऋण लेगी तो उसके एक वर्ष के पश्चात् उसे अवश्य ही उसे भुगतान करना होगा। और धारा १२ की उपधारा (२) में ऐसा कानून है कि यदि वह इस ऋण को चुका न सके तो लैण्ड रेविन्यू (मालगुजारी) की बकाया की तरह, भू-आगम के बकाये के रूप में वसूल किया जायगा। यह सब इसमें दिया गया है। इससे कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। आजकल निर्माण की आवश्यक वस्तुएँ पाने में कठिनाई हो रही है। इस लिए ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी को एक वर्ष के अन्दर या किसी संस्था को एक वर्ष के अन्दर, लोहा, सीमेंट, आदि आवश्यक वस्तुएँ न मिल सकें और वह एक साल के बाद यह कर्जा अदा न कर सके तो उस समय जो यह बकाया कर्जा होगा वह एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू (बकाया मालगुजारी) की तरह वसूल किया जा सकेगा और उसके साथ सख्ती भी हो सकती है। यद्यपि धारा १३ में यह अधिकार प्रान्तीय सरकार को दिया गया है कि 'भले ही इस ऐक्ट में कोई बात दी हुई हो, [प्रा]न्तीय सरकार या तो स्वयं अपने आप अथवा नियंत्रण अधिकारी अथवा मुख्य प्रबन्धक की सिफारिश पर किसी ऋण अथवा उसकी किस्त की वसूली को स्थगित कर सकती है अथवा उसे बट्टे खाते में डाल सकती है।' यद्यपि यह धारा मौजूद है लेकिन इससे यह परेशानी और दिक्कत हो सकती है कि जिले के अधिकारियों को इस बात के लिए आज्ञा लेनी पड़ेगी और उसमें बहुत समय व्यर्थ में नष्ट हो सकता है। अतः मैं चाहता हूँ कि इस संशोधन के द्वारा जिले के अधिकारियों को अधिकार दे दिया जाय कि वे चाहें तो ऋण की वसूली को स्थगित कर सकें। जिले के अधिकारियों को स्थानीय परिस्थिति का ज्ञान अधिक रहता है और वे जान सकेंगे कि कोई संस्था एक वर्ष के अन्दर ऋण अदा कर सकती है या नहीं। इस लिए मैं इस संशोधन द्वारा यह चाहता हूँ कि कलेक्टर को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह उचित समझे तो यह अनुमति दे दे कि एक साल के बाद वह ऋण अदा किया जाय। मुझे आशा है कि माननीय प्रधान मंत्री इस संशोधन को मंजूर करेंगे।

माननीय प्रधान सचिव—शिवानी जी ने जो बात कही है मैं उससे सहमत हूँ मैं तो समझता था कि इस बिल में इसकी गुंजायश है और यह इरादा बराबर था कि नियंत्रण अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह समय को बढ़ा सके और अगर वह समय बढ़ाया जाता है

[माननीय प्रधान सचिव]

तो जाहिर है कि ऐसी हालत मे देने का वक्त बढ़ जायगा। मगर इसमें ज्यादा सफाई के लिए अगर इस संशोधन की जरूरत है तो यह मुझे मंजूर है। मैं इसे मंजूर करता हूँ।

माननीय स्पीकर---श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी, आप ने जो सुधार रखा है उसमे में "अधिक समय" के बाद 'के' बढ़ा रहा हूँ।

श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी---मुझे स्वीकार है।

माननीय स्पीकर---प्रश्न यह है कि धारा ७ कि अन्तिम पंक्ति में शब्द "बारह मास" तथा "पश्चात" के बीच "या नियंत्रण अधिकारी की अनुमति से अधिक समय के" शब्द बढ़ा दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय स्पीकर---प्रश्न यह है कि संशोधित धारा ७ बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा--८ से १५ तक

निरीक्षण तथा सूचना का पहुँचान

८---ऋण लेने वाला व्यक्ति (क) नियंत्रण करने वाले अधिकारी के किसी सामान्य तथा विशिष्ट आदेश का, जो उन अहातों भवनों, मशीनों तथा भण्डार (स्टाक) के निरीक्षण के सम्बन्ध में हों जिन्हें उसने अग्रिम ऋण की सहायता से खरीदा हो या किराये पर लिया हो पालन करने के लिए और (ख) उक्त अधिकारी को कोई भी ऐसी सूचना देनेके लिए जो वह उस प्रयोजन अथवा प्रयोजनोंके प्रबंध में जिसके लिए ऋण दिया गया था तथा उस ढंग के सम्बन्ध मे जिसके आधार पर ऋण का उपयोग हुआ है, अथवा किया जा रहा है, जानना चाहे, बाध्य होगा।

धारा ८ के अधीन दिये हुए आदेश का उल्लंघन।

६---यदि ऋणी धारा ८ के अधीन जारी की गई किसी आज्ञा का पालन नहीं करता, तो नियन्त्रण-अधिकारी (Controlling Authority) उस आवेदन-पत्र पर विचार करने से पश्चात् जो ऋणी १५ दिनकी अवधिके भीतर दे, यह आज्ञा दे सकता है कि ऋण या उसका कोई ऐसा भाग जो वह उचित समझता है, धारा १२ में बतायी हुई विधि से तुरन्त वसूल कर लिया जाय और ऐसी आज्ञा की एक प्रति-लिपि ऋणी के पास भेज दी जायगी।

ऋणका उचित उपयोग न करने पर दण्ड।

१०---यदि नियन्त्रण अधिकारी को, ऐसी जांच पड़ताल करने के बाद जिसके लिए धारा ६ में आदेश बनाये गये हों, या किसी अन्य प्रकार से, यह सन्तोष हो जाय कि जो धन-राशि कर्ज दी गई थी, वह उस प्रयोजन या उन प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं की जा रही हैं या यह कि उन शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है जिन पर ऋण दिया गया था तो उपर्युक्त नियन्त्रण अधिकारी किसी ऐसी बात के होते हुए भी जो उस लेख पत्र (Document) में दी हुई हो, जिसे कर्ज लेने वाले ने लेख बद्ध (execute) किया हो, आज्ञा देकर, यह आदेश

दे सकता है, कि ऋण या उसका कोई ऐसा भाग जो वह उचित समझे, तुरन्त वसूल किया जा सकता है और ऐसी आज्ञा की एक प्रतिलिपि ऋण लेने वाले के पास भेज दी जायगी।

अपील।

११—धारा ९ या १० के अधीन दी गई आज्ञा के पाने के ३० दिन के भीतर ऋणी प्रान्तीय सरकार के पास अपील कर सकता है और उस पर प्रान्तीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

वसूली का ढंग।

१२—(१) जब कोई ऋण की रकम या उसकी कोई किस्त या सूद की रकम देय हो जाय और उस तारीख पर या उससे पूर्व अदा न की गई हो, जिस पर कि उसे अदा हो जाना चाहिए था जब कि कोई ऋण की रकम धारा १० के अधीन दुबारा देय घोषित कर दी गयी हो तो नियन्त्रण अधिकारी (Controlling Authority) एक नोटिस के द्वारा ऋणी को यह आज्ञा दे सकता है कि वह उस नोटिस में निश्चित अवधि के भीतर देय धनराशियों का भुगतान कर दे।

(२) ऐसा न करने की दशा में, इस ऐक्ट के अधीन प्रान्तीय सरकार को देय समस्त बकाया की रकमें, जिसमें उन पर ब्याज, तथा खर्चे की वह रकमें भी, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं, जो उनके सम्बन्ध में की गयीं हों, भू-आगम (Land Revenue) के बकाये के रूप में वसूल किये जायेंगे।

१३—भले ही इस ऐक्ट में कोई बात दी हुई हो, प्रान्तीय सरकार या तो स्वयं अपने-आप अथवा नियन्त्रण अधिकारी (कन्ट्रोलिंग-अथारिटी) अथवा मुख्य प्रबन्धक (चीफ एडमिनिस्टेटर) की सिफारिश पर किसी ऋण अथवा उसकी किस्त की वसूली को स्थगित कर सकती है अथवा उसे बट्टे खाते में डाल सकती है।

१४—इस सम्बन्ध में कि इस ऐक्ट की शर्तें पूरी की गयी है, अथवा नहीं, प्रान्तीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और इसके अधीन दी गयी किसी आज्ञा को रद्द कराने तथा संशोधित कराने के उद्देश्य से किसी दीवानी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जायगा और न तो उस पर किसी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही में आपत्ति की जायगी।

१५—किसी भी सरकारी अफसर अथवा किसी ऐसे अन्य अधिकारी के विरुद्ध जिसे इस ऐक्ट के अधीन अधिकार प्रदान किये गये हों, किसी ऐसे कार्य के लिए, जो इसके अधीन नेक-नीयती से किया गया हो अथवा किया जाने वाला रहा हो, न कोई मुकद्दमा चलाया जा सकेगा न कोई नालिश की जा सकेगी और न कोई अन्य प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

माननीय स्पीकर—धारा ८ से १५ तक कोई संशोधन नहीं है। मैं सबको आपके सामने एक साथ रखता हूं। अगर किसी को किसी पर विरोध करना हो तो मैं अलग अलग भी रख सकता हूं।

[माननीय स्पीकर]

(कुछ रुक कर)

प्रश्न यह है कि धाराएं ८ से लेकर १५ तक सब बिल का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

धारा—१६

नियम बनाने के अधिकार

१६—(१) प्रांतीय सरकार इसके किसी या सभी प्रयोजनों को पूरा करने के लिए ऐसे नियम बना सकती है, जो इस ऐक्ट के अनुकूल हों।

(२) प्रांतीय सरकार विशेषतया अथवा पूर्वोक्त अधिकार के सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नीचे लिखे किसी एक अथवा सभी विषयों को नियमित करने अथवा उन पर निर्णय करने के लिए नियम बना सकती है:—

(१) शरणार्थियों का वर्ग निर्धारित करने के लिए जिसके संबंध में ऋणों की एक विशेष योजना लागू होगी।

(२) ऐसे उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए जिस के लिए ऋण दिये जायेंगे ।

(३) ऋण संबंधी दिये जानेवाले प्रार्थना पत्र और लिखे जाने वाले ऋण पत्र के फार्म निर्धारित करने के लिए ।

(४) इस ऐक्ट के अधीन ऋण देने के लिए अधिकार प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति निर्धारित करने के लिए ।

(५) ऐसे सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए जिनके अनुसार ऋण दिया जायगा और ब्याज लिया जायगा जो तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक न होगा ।

(६) ऋणों के उचित उपयोग की जांच के लिए व्यवस्था निर्धारित करने के लिए ।

(७) ऋणों की वसूली और किस्तों को नियत करने की विधि निर्धारित करने के लिए ।

(८) नियंत्रण अधिकारी द्वारा दी जाने वाली नोटिसों और घोषणाओं के फार्म निर्धारित करने के लिए ।

(९) उन विषयों को निर्धारित करना, जिनके लिए इस ऐक्ट में व्यवस्था नहीं की गयी है या अपर्याप्त व्यवस्था की गयी है और जिनके लिए प्रांतीय सरकार की राय में व्यवस्था करना आवश्यक है ।

श्री राधामोहन सिंह—माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपकी आज्ञा से धारा १६ में यह संशोधन पेश करता हूं —

धारा १६ की उपधारा (२) में निम्नलिखित को मद संख्या "९" के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान मद संख्या "९" की संख्या बदल कर मद संख्या "१०" कर दी जाय।

"९"—किसी ऐसे मामले को निर्धारित करने के लिए जो इस ऐक्ट के अधीन निर्धारित किया जानेवाला हो या निर्धारित किया जा सकता हो ।"

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि धारा १६ की उपधारा (२) में निम्न-लिखित को मद संख्या "९" के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान मद संख्या "९" की संख्या बदल कर मद संख्या "१०" कर दी जाय ।

(९) किसी ऐसे मामले को निर्धारित करने के लिए जो इस ऐक्ट के अधीन निर्धारित किया जाने वाला हो या निर्धारित किया जा सकता हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि धारा १६ संशोधित रूपमे बिल का अंश मानी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

धारा १

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और आरम्भ । १-- यह ऐक्ट "संयुक्त प्रांत का शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिए ऋण देने) का ऐक्ट, १९४८ ई०" कहलायेगा ।

(२) यह सारे संयुक्त प्रांत पर लागू होगा ।

(३) यह ऐक्ट तुरंत लागू होगा ।

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि धारा १ इस बिल का अंश मानी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रस्तावना

चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि शरणार्थियों को फिर से बसाने के संबंध में ऋण रूप मे धन देने तथा उसे उगाहने के लिए आदेश बनाये जायं ।

इसलिए नीचे लिखा हुआ कानून बनाया जाता है--

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना बिल का अंश मानी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

माननीय प्रधान सचिव--मै प्रस्ताव करता हूं कि "संयुक्त प्रांत के शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिये ऋण देने) का बिल, सन् १९४८ ई० स्वीकार किया जाये । हमलोगों को अभी तक इस बात की दिक्कत रही कि शरणार्थियों की जरूरत होते हुए भी आसानी से कर्जा नहीं दिया जा सका । अब सब कलक्टरों को जहां कि शरणार्थी काफी तादाद मे है उन्हें हिदायत की जायेगी कि वह शरणार्थियों की अर्जी पर गौर करें और उसके मुताबिक काम करे ताकि उनके कष्ट दूर हों । मै आशा करता हूं शरणार्थियों को जिनको इस किस्म की मदद की जरूरत होगी वह अपने अपने जिलों मे कलेक्टरों को दरख्वास्त देंगे ताकि उनको जो कुछ मदद दी जा सके दी जाये । मै आशा करता हूं कि इस बिल को यह हाउस मंजूर करेगा ।

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि संयुक्त प्रांत के शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिए ऋण देने) का बिल, सन १९४८ ई० को जैसा कि भवन मे वह संशोधित हुआ स्वीकार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर भवन जलपान के लिए स्थगित हुआ और २ बज कर १४ मिनट पर डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के मनोरंजन और बाजी लगाने के (संशोधक) बिल

माननीय प्रधान सचिव--मैं संयुक्त प्रान्त के मनोरंजन और बाजी लगाने के (संशोधक) बिल*, सन् १९४८ ई० को उपस्थित करता हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "संयुक्त प्रान्त के मनोरंजन और बाजी लगाने के (संशोधक) बिल, सन् १९४८" पर विचार किया जायगा।

यह एक सादा सा बिल है जिसमें कोई बात नयी नहीं है। सिर्फ इस बात की कोशिश की गयी है कि जो टैक्स मूल ऐक्ट के मातहत लगाया गया है वह वसूल हो जाय और इसके लिए इसमें कुछ तजवीजें की गयी हैं। एक तो कोई भी जोकि किसी इन्टरटेन्मेंट (मनोरंजन) में जावे वह टैक्स को चुरावे नहीं और टैक्स दे दे और टैक्स लेने वाला वसूल करे। अगर दोनों में से कोई इसके खिलाफ कार्रवाई करे तो वह उसका सजावार हो, उसको जुर्माना उसे देना पड़ेगा। दूसरे यह कि अगर किसी पर कोई मुकदमा दायर हो और मुकदमा साबित होने पर वह सजा पावे तो उसका लाइसेन्स रिवोक (रद्द) हो जायगा। इसके अलावा और बातें इसमें बेटिंग (बाजी) के बारे में हैं। चूंकि कोई नयी बात इसमें नहीं है बल्कि सिर्फ यह है कि बेटिंग टैक्स, जैसा कि पहले भी किया गया था, हर बेट (बाजी) पर १० फीसदी तक टैक्स लगाया जायगा। हर आदमी को जो कि बेट (बाजी) लगावे तो उस घेरे के अन्दर जाकर लगावे और उसके खिलाफ न लगावे। और अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो वह भी जुर्माने का देनदार होगा। उसूली बातें इसमें कोई नहीं है, सिर्फ जरूरी प्रोसीजर (ढंग) इस लिए रखा गया है कि जो इस हाउस ने पहले बिल ते किया था उसको लागू करने में आसानी पैदा हो जाय।

*श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैंथम--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी है कि इस एवान के सामने मुझे मौका दिया गया है कि मैं आपके सामने यहां जुआ और रेस के बारे में कुछ बातें रक्खूं। मगर मुझे बड़ा अफसोस और ताज्जुब यह है कि हमारी गवर्नमेंट जो २, २½ साल से चल रही है इस बात की कोशिश नहीं करती कि यह जुआ और रेस बन्द हो जाय।

आपको मालूम होगा कि एक साल से हमारी सरकार ने शराब के ऊपर तवज्जह की है और प्रोहिबीशन (मद्यनिषेध) की स्कीम (योजना) निकाली है और जब वह पूरी हो जायगी तो कम से कम ५ या ६ करोड़ रुपये का इस सूबे का नुकसान होगा। मगर रेस अगर बन्द हो जाती तो दस-पंद्रह लाख रुपये से ज्यादा हमारी आमदनी कम न होती। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि जुआ सब से खराब चीज है। एक आदमी अगर शराब पीता है तो अगर एक बोतल भी पी ले तो नशा हो जाता है। और वह गिर जाता है और ज्यादा नहीं पी सकता और इससे वह अपने को ही नुकसान पहुँचा सकता है और किसी दूसरे को नहीं। मगर जुआ बिल्कुल दूसरी किस्म की चीज है, अगर कोई जुआरी रेस खेलना चाहे और ५ हजार रुपया हार जाय तो वह ५ के बजाय दस और दस के बजाय २० और इसी तरह से लाखों रुपया हार सकता है तो आप यह नहीं कह सकते कि जुआ सब से खराब चीज नहीं है। यह मसला अगर प्रोहीबीशन (मद्यनिषेध) से पहले लिया जाता तो बेहतर होता। एक बात यह भी कही गयी कि जुआ तो अमीर लोग खेलते हैं। यहां जो हम इतने लोग बैठे हैं अगर पूछा जाय कि

(*देखिये नत्थी घ' आगे पृष्ठ ४०३ पर)

कौन खेलता हूं तो १५ साल से मुझे रेसकोर्स (घुड़दौड़) का तजुर्बा है और मैं जानता हूँ कि वहां गरीब आदमियों का गला काटा जाता है। रईस जैसे महाराजा बड़ौदा और मैसूर घोड़े रखते हैं और उनको स्टेक (बाजी के रुपये) मिलता है और इस तरह से १० हजार का घोड़ा ५ लाख का हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि महाराजा बड़ौदा इंगलैण्ड गए थे और उनका भाई बाबू घोड़ा २ हजार गिनी जीता और उसका दाम दस लाख होगया। महाराजा बड़ौदा ने घोड़े पर ज्यादा से ज्यादा ८० हजार या एक लाख दिया होगा और वह बैटिंग (बाजी) नहीं करते बल्कि घोड़े पालते हैं और एक लाख का घोड़ा दस लाख का हो जाता है। इस तरह से अमीर आदमियों का ही फायदा होता है और गरीब लोग रेस में मरते हैं। वह लोग २०, ३० या सौ रुपये की नौकरी करते हैं और वहां हार जाते हैं और उनके पास इतना रुपया नहीं होता कि वे बाजी पर लगाये जाये। लेकिन जो अमीर लोग हैं वे एक बार अगर हारे तो दूसरी बार और लगाये और फिर हारे तो फिर ज्यादा लगाये और आखिर तक कहीं न कहीं जीत ही जाते हैं और डबलिंग की सूरत में वह जीत जाते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है कि रेस अमीरों के लिए है।

अब मैं आप की तवज्जह रेसकोर्स (घुड़दौड़ के स्थान) की तरफ दिलाना चाहता हूं हमारे सूबे में मेरठ और लखनऊ के दो रेसकोर्स हैं। लखनऊ में दुनिया का सब से बड़ा जुआ हफ्ते में दो बार होता है और साल में ११ महीने होता है। दुनियां में कोई जगह ऐसी नहीं जहां इतनी मर्तबा रेस होती हो। अगर यह कोशिश की जाती कि रेस बन्द हो जाय तो एक ऐक्ट पास किया जाता जिससे यह फौरन बन्द हो जाती। प्रोहीबीशन का जहां तक सवाल है उसमें तो कोई शख्स चुपके से अपने घर में शराब पी सकता है लेकिन रेस के मामले में ऐसा नहीं है अगर आप रेसकोर्स बन्द कर देंगे तो वह लोग अपने घर पर रेसकोर्स नहीं बना सकते। आपको इस प्रोहीबीशन (मद्यनिषेध) से ज्यादा कामयाबी होगी।

अब मैं जरा रेसकोर्स की हिस्ट्री (इतिहास) बतलाना चाहता हूं। यह शायद १८८० या ९० में खोले गए थे, जब अंग्रेजी राज था और तब से सन् १९४५ तक इन रेसकोर्स का इंतजाम अंग्रेजों के हाथ में रहा और उन्हीं के फायदे के लिए मिलिटरी के लोगों के लिए चलता था। अब जब मैंने सन् ४०-४१ में लिखा था कि अंग्रेज लोग ही इस को क्यों चलाते हैं और जब लिखापढ़ी और झगड़ा किया तो कुछ हिंदुस्तानी भाइयों को भी स्टीवार्ड बनाया। एक कमेटी के अंडर (अधीन) इसका इंतजाम है। इसमें ६-७ आदमी होते हैं जिनका नाम स्टीवार्ड होता है वही रेसकोर्स के मुलाजिम मुकर्रर करते हैं। और वही जीत हार का फैसला करते हैं। आपको लखनऊ का किस्सा बतलाऊं कि यहां के सीनियर स्टीवर्ड एक अंग्रेज मि० ईगान थे और वह बीस साल के थे और वह जो चाहे करते थे। उनके पास एक अंग्रज सेक्रेटरी है जिसकी तनख्वाह एक हजार रुपया है वह अब तक मौजूद है और वह २५० रु० के काबिल भी नहीं है क्योंकि उसने अंग्रेजी जमाने में एक एग्रीमेंट (एकरारनामा) बनवा लिया था जो सन् ५२ में खत्म होगा। उसने ५ या ६ हिंदुस्तानी भाइयों को स्टीवार्ड बना रखा है उनको न तो रस की कोई तमीज है और न उन्होंने कभी रेस में एक पैसा स्टेक किया है

[श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैथम]

और न उनको फुर्सत है। जब मैंने देखा कि बड़े बड़े सरकारी नौकर हर बुधवार और शनिश्चर को बिला इजाजत वहां जाते हैं और कर्नल ओबराय इंस्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स उसके स्टीवर्ड हैं और एक जज और डिप्टी कमिश्नर और मिलिटरी के कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल वहां जाते हैं और उनको फुरसत है। मैंने वजीर आजम को भी लिखा था। उनको वहां जाने की और वक्त खराब करने की फुरसत न मालूम कैसे मिल जाती है। अब मैं सेक्रेटरी का हाल पेश करूंगा। मैंने सन् ४७ में एक एमेंडमेंट (संशोधन) पेश किया था जिससे उस वक्त का बैटिंग (बाजी) टैक्स ५ फीसदी से बढ़कर १० फीसदी हो गया। उस वक्त बड़ा बलवा हुआ कि रेस मर जायगी, मैं कहता हूं कि यहां रेस को कौन पालना चाहता है? वह रेस जिंदा है तो आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स लीजिए। जैसे आपने बिला वजह गरीब आदमी पर भी सेल्स टैक्स लगा दिया तो आप रेस से भी जितना ले सकें लीजिए और जब तक वह जिन्दा है तब तक लीजिये और अगर वह मर जाय तब भी आपको खुश होना चाहिए। इस टैक्स के बढ़ने से अब करीब ३ लाख की रकम जो मेरठ और लखनऊ से मिलती थी वह करीब ८ या दस लाख के हो गई है। अगर १० फीसदी के हिसाब से वह ८० लाख हो जाता है तो क्या वजह है कि हम इस टैक्स को न बढ़ाएं? फर्ज कीजिए कि कोई आदमी १०० रु० लेकर जुआ खेलने जाता है तो वह सोच लेता है कि मैं सौ रुपया हारने जा रहा हूं। तो क्या वह १० या २० रुपया टैक्स नहीं दे सकता? वह २० रुपया टैक्स दे देगा और ८० वहां बेट कर देगा। मैं एक और एमेंडमेंट (संशोधन) पेश करूंगा कि यह टैक्स बजाय १० फीसदी के २० फीसदी हो जाय और यह सिर्फ यहीं नहीं होगा बल्कि कलकत्ते में यह २० फीसदी है, मद्रास में १५ फीसदी है और बंबई में १० फीसदी है और साढ़े बारह फिर बढ़ेगा। बम्बई में एक और सिफत है कि वहां पर गवर्नमेंट ने जब रेसकोर्स पर सवाल पूछा तो रेसकोर्स ने २५ लाख रुपया रिनियूवल आफ लाइसेंस फी (लाइसेंस नवीनीकरण फी) दिया। मैंने यह भी एमेंडमेंट पेश किया है कि यह जो रेसकोर्स के प्राइवेट बाडी (निजी संस्थायें) चलाते हैं सरकार का फर्ज है कि उसका इंतजाम करे और उनको चलावे। मेरा अमेंडमेंट यह है कि हर साल अगर रेस चलाना चाहें तो कम से कम ५० हजार रुपया सालाना लाइसेंस फी देना चाहिए और तब सरकार उसको चलाने की इजाजत दे। इससे एक दूसरी बात भी हम लोगों के सामने पेश होती है कि जब ये रिन्यूयल लाइसेंस (लाइसेंस नवीनीकरण) के लिए दरख्वास्त देंगे तो हमारी गवर्नमेंट इस पर तवज्जह कर सकती है कि आया इसको जारी रखे या नहीं रखे। उस वक्त अगर आप बंद करना चाहेंगे तो कह देंगे कि साहब आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा और यह बंद हो जायगा।

तीसरी बात यह है कि रेसकोर्स में दो किस्म के जुआड़ी होते हैं एक तो टोटेलाइजेटर और दूसरे बुकमेकर। बुकमेकर जो आदमी होते हैं वे रेस में खड़े होते हैं और आम पब्लिक के साथ बाजी लगाते हैं कि घोड़ा जीता या नहीं जीता। अब ये बुकमेकर लखनऊ में १२ हैं और मेरठ में १५ हैं। इन बुकमेकरों को १५०. रुपये रोजाना फीस लखनऊ रेस कोर्स क्लब म इसलिये देनी होती है कि लखनऊ रेसकोर्स

की अथारिटी, (अधिकारी) इजाजत दे कि बुकमेकर खड़े हों और आम पब्लिक से बाजी लगावें । तो इन १२ बुकमेकरों को १५० रुपये रोजाना फीस देनी पड़ती है तो हफ्ते में दो रेस होती है तो तीन सौ रुपये हफ्ता यानी बारह सौ रुपये माहवार एक बुकमेकर रेसकोर्स को देता है । इस हिसाब से १२ बुकमेकरों की आमदनी आप खुद समझ लीजिये । यह आमदनी रेसक्लब खुद हजम कर लेता है । तो मैंने यह तजवीज रखी है और लायक वजीर आजम साहब ने भी तजवीज पेश की है कि बिला डिप्टी कमिश्नर की इजाजत के और उसकी रजामंदी के कोई बुकमेकर रेस में खड़ा नहीं हो सकता है । उसमें मैंने एक और तरमीम भी रखी है कि जब तक वह १२ हजार रुपये ट्रेजरी में लाइसेंस फी के तौर पर दाखिल न करे तब तक उसको रेस में खड़े होने की इजाजत न मिले । जब उनको १५० रुपये रोजाना मिलता है तो इस तरह से हर बुकमेकर को ५०, ६० और ७० हजार तक की सालाना आमदनी होती है । जो छोटे से छोटे बुकमेकर्स हैं उनको भी २०, २५ हजार सालाना आमदनी होती है । उस पर वे सिर्फ इन्कमटैक्स पे (देना) करते हैं । फिर क्या वजह है कि वे भी गवर्नमेंट के जरिये से लाइसेंस न लें ? उनको तो एक हजार रुपये माहवार देना चाहिये।

टोटेलाइजेटर एक हिस्सा है । वहां जितना रुपया लोग बाजी लगाते हैं वह सब टोटेलाइजेटर में डाल दिया जाता है और जो घोड़ा जीतता है उसके बीच बांट दिया जाता है । उस पर भी १० परसेंट टैक्स हो जाता है । अगर उस १० परसेंट या ५ परसेंट को निकाल भी दिया जाय तो भी लखनऊ और मेरठ रेसकोर्स की आमदनी कम से कम सालाना दो तीन लाख रुपये की होती है । सन् १९४७ में जब मैंने एक सवाल पूछा था कि गवर्नमेंट मेहरबानी करके हमें रेसकोर्स से पूछकर यह बतलावे कि उसकी क्या आमदनी है और क्या रिजर्व फंड (सुरक्षित निधि) है तो वकीलों से सलाह मशविरा करके यह जवाब दिया गया कि यह प्राइवेट कंसर्न (निजी व्यवसायिक संस्था) की चीज है इसलिए हम इसको नहीं बतलायेंगे । हम मानते हैं कि यह प्राइवेट (निजी) कारोबार है, आप न बतलाइये । लेकिन मैं गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब रेसकोर्स का यह ऐटिच्यूड (रुख) है तो या तो उसके कारोबार में गड़बड़ी है या वे अपनी आमदनी को छिपाना चाहते हैं, जिसमें इस हाउस को उसके बारे में कुछ मालूम न हो । तो यह बात भी आपके सामने है कि रेसकोर्स की आमदनी काफी है, मगर वे आमदनी को जाहिर करना नहीं चाहते हैं । उस आमदनी में से भी हमलोगों को हिस्सा लेना चाहिए । मैंने एक अमेंडमेंट (संशोधन) और मूव (प्रस्तुत) किया है कि ५० हजार रुपये सालाना लाइसेंस फी ली जाय। इन तीनों अमेंडमेंट (संशोधन) के पास हो जाने पर गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो ढाई तीन लाख तक सन् ४७ से पेश्तर थी वह आठ दस लाख तक हो जायेगी । अब मैं स्टीवार्ड जो हैं उनकी हरकत आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि वे कैसे हैं । जैसा मैंने कहा कि यह सन् १८६० ई० में रायज हुआ । सन् ४०, ४१ में मैंने खतोकिताबत शुरू की कि पब्लिक डिमांड (मांग) करती है कि क्या वजह है कि एक लिमिटेड क्लब में जो कि पब्लिक क्लब है उसके आम लोग मेम्बर न हों । वहां पर जो सालाना एलेक्शन (चुनाव) होता है उसमें प्रेसीडेंट

[श्री आर्जिबाल्ड जेम्स फेथम]

सेक्रेटरी भी होता है वह स्टाफ मुकर्रर करता है। उसमें गड़बड़ी होती है। वह क्लब सन् ४५ ई० में रजिस्टर्ड भी हो गया। वहां के रजिस्ट्रेशन करानेवाले कहने लगे कि साहब हम तो रजिस्टर्ड बाडी हैं, हम जिसको चाहें लेंगे, जिसको चाहें नहीं लेंगे। उनका आर्टिकिल एंड मेमोरेन्डम आफ एसोसियेशन (संघ स्मृति पत्र और लेख) मेरे पास है। उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स रेस क्लब का मेम्बर (सदस्य) होना चाहे तो वह एक हजार रुपया सब्सक्रिपशन (चंदा) देकर अप्लीकेशन (प्रार्थनापत्र) पर साइन (हस्ताक्षर) करके उसका मेम्बर (सदस्य) हो सकता है। मैंने जब यह देखा तो एक चिट्ठी लिखी कि साहब यह मैं एक हजार रुपया आपके पास भेजता हूं, आप मुझे मेम्बर (सदस्य) बना लिजिये। जब मैं वहां पर गया तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप मेम्बर (सदस्य) बन जाइये और आपको एक हजार रुपया फीस का भी देने की जरूरत नहीं है तो मैंने कहा कि आप ६ स्टीवार्ड तो है हीं, तीन और हमारे भाइयो को ले लीजिये ताकि कभी तो हमारी मेजारिटी (बहुमत) हो और कहने को भी हो जायगा कि पब्लिक के आदमी लिये गये। और इससे तो हम मैनारिटी (अल्पमत) में ही रहेंगे, इसलिये हमारे तीन आदमी ले लीजिये। अब कोई उनका झगड़ा नहीं है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हू कि कुछ को तो १००० रुपया देकर मेम्बर बनना पड़ता है लेकिन जो वहां पर स्टीवार्ड है उन्होंने आज तक एक पैसा भी नहीं दिया है। ७, ८ स्टीवार्ड वहां पर काम करते हैं, और उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया है। ऐसे नाजायज तरीके से रेस कोर्स पर कब्जा किये बैठे है, न उसका सब्सक्रिप्शन (चंदा) देते है और न कोई और ही पैसा देते हैं। तो वह मेम्बर एक तरह से फाल्टी (दोषी) मेम्बर हैं और वह सब बातें अभी तक चली आ रही है। गवर्नमेंट को लिखा गया कि साहब यह ज्यादती हो रही है। वहां से जवाब आया कि खत आपका मिल गया है उस पर तहकीकात हो रही है। फाइनल (अंतिम) जवाब अभी तक नहीं आया। बाद में सुना कि डिप्टी कमिश्नर साहब को भेजा गया है। वे लोग गलत तरीके से बेटिंग (बाजी) कर रहे है और नाजायज तरीके से बेटिंग (बाजी) चलाकर स्टीवार्ड बन गये है और यह सब गड़बड़ी हो रही है। जो रुपया आता है उसको बुरी तरह से खर्च कर दिया जाता है इसलिए इन लोगों को हटाना लाजिमी है। जब मैंने यह बातें गवर्नमेंट के सामने रखीं और उनको समझाया कि वे यह सब काम नाजायज तरीके से कर रहे है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इन्क्वायरी (जांच) करेंगे। मुझे उम्मेद थी कि गवर्नमेंट इन्क्वायरी (जांच) करेगी और जो यह गलत तरीके से स्टीवार्ड बने हुए हैं उनको हटाया जायगा मगर अभी तक कोई बात मेरे सामने इसके मुताल्लिक नहीं आई है।

जब आम पब्लिक चिल्ला रही है कि बिल्कुल नाजायज तरीके से कब्जा किया तो गवर्नमेंट ने कोई इनक्वायरी (जांच) नहीं की। मै पूछता हूं कि इससे बढ़ कर और क्या स्कैंडल (तमाशा) हो सकता है? एक मिनट में हुक्म हो जाता कि इनक्वायरी (जांच) हो और ५ मिनिट में पूरी कलई खुल जाती है। मगर कुछ नहीं हुआ। मैंने सुना है कि बड़े-बड़े लोग उसमें है, इस वास्ते कुछ नहीं हुआ।

तो दो कानून हैं, एक बूढ़ों के लिए और दूसरा छोटों के लिए । एक आदमी बेचारा एक बोतल शराब पी लेगा तो उसे प्रोहीबीटेड एरिया (निषिद्ध क्षेत्र) में सजा हो जायगी और यहां पर जो आदमी लाखों रुपयों की बेईमानी करते हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होता ।

अब इसके बाद एक बात और हुई । दो चार आदमी वहां घोड़ों पर सवारी करते हैं। तो वहां चार सवारों ने मिल कर यह फैसला कर लिया कि उन्होंने बुक-मेकर्स से मिल कर घोड़ा खींचा है । स्टीवार्ड लोगों को जिनको कोई तमीज नहीं होती, सेक्रेटरी ने मिल कर समझा दिया और यह लोग ससपेंड (मुअत्तल) कर दिये गये । फिर ३० जनवरी को बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ । जब महात्मा जी का इंतकाल हो गया तो उन लोगों को कहा गया कि १४ दिन के लिये रेसकोर्स बंद कर दिया जाय । उसको तो उन्होंने बंद कर दिया लेकिन उन्होंने कहा कि बुकमेकर लोग वगैरह बेचारे गरीब आदमी हैं और उनके लिये इसे दो चार दिन बाद खोल दिया जाय । हम तो कहते हैं कि ऐसी बड़ी हस्ती से कोई मतलब रेसकोर्स का नहीं होना चाहिये । मगर सुनता कौन है । जब गवर्नमेंट में कुछ भी इस मामले में ख्याल नहीं किया तो उसके बाद पिकेटिंग (धरना) शुरू हुआ । हम लोग वहां गये तो सेक्रेटरी साहब ने दो चार से कह दिया कि हम आपकी सब ग्रीवंसेज (मांगे) पूरी कर देंगे और आप लोग चले जायं। हम लोगों ने कहा कि ये भी आदमी हैं, इनकी जुबान है, हम चले आये । यह वाकया शनिश्चर का है । वह खत्म हो गया इतवार खत्म हो गया और पीर को पांच बजे जब मैं म्यूनिसिपल बोर्ड में बैठा था तो मुझे इत्तिला आई कि हमारे जो तीन पिकेटर्स (धरना देने वाले) थे वह पीर को ढाई बजे बंद कर दिये गये हैं । जब मैंने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि यह पब्लिक न्यूसेंस (सार्वजनिक उत्पीड़क) थे। अब यह पब्लिक न्यूसेंस (सार्वजनिक उत्पीड़क) हुए तो शनिवार को शुरू में क्यों नहीं हुए इसकी वजह मैं बताता हूं कि यह नाजायज क्लब हमारे सूबे में है । यह हम सबको मालूम है और गवर्नमेंट को भी मालूम है । लेकिन हम गवर्नमेंट को लिखते भी हैं तो भी वह कुछ नहीं करती है । तो जैसा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमको पहले पिकेटिंग करना और नानवायलेंट सिविल डिसओबीडियेंस (अहिंसात्मक भद्र अवज्ञा आंदोलन) करना सिखाया वह हमने किया । नतीजा यह हुआ कि तीन आदमी बंद कर दिये गये । यह भी एक सोचने वाली बात है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो वहां का स्टीवार्ड है उन्होंने वारंट निकाल दिया और पुलिस को कह दिया कि इनको बंद कर दो । मैं कहता हूं कि इनमें अभी बहुत से आदमी ऐसे हैं जो अंग्रेजों की जूतियां चाटते हैं। मैं पचीसों ऐसे एक्जाम्पुल्स (उदाहरण) दे सकता हूं वह बेचारे पिकेटर्स बंद कर दिये गये और जेल भेज दिये गये । वहां कौन अफसर है ? वह है इंसपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स । उसने कहा, मारो इन सालों को और उनको डिस्ट्रिक्ट जेल, लखनऊ में मारा गया । उसके ऊपर मैं वहां जेल गया क्योंकि मेरे पास इत्तिला आई कि वह जेल में मारे गये हैं और उनमें से एक आदमी हंगर स्ट्राइक (भूख-हड़ताल) पर है । मैंने कहा कि मैं उनको देखना चाहता हूं तो जेल के सुपरिंटेंडेंट ने और इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स ने, चूंकि वे तो स्टीवार्ड हैं उन्होंने

[श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फेंथम]

कहा कि डिप्टी कमिश्नर से पूछिये । इस पर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने कहा कि आप हंगर स्ट्राइकर (भूख हड़ताली) से नहीं मिल सकते । मैने इस पर वजीर आजम को लिखा, उनके नोटिस में लाया, चिट्ठी लिखी और खुद जाकर कहा तो उन्होंने कहा कि हो जायगा मगर कुछ भी नहीं हुआ और तब मजबूर होकर हमको बेल अप्लीकेशन (प्रतिभूति का प्रार्थनापत्र) देनी पड़ी और उन आदमी को छुड़ाया ।

श्री मुहम्मद इसहाक खां--वजीर आजम ने क्या किया ?

श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फेन्थम--कुछ नहीं, साहब । हमारे वजीर आजम ने कुछ नहीं किया । नाजायाज जेल भेजने के लिए मैं दावा करता हूं, तो वहां कौन बैठा है ? चीफ कोर्ट के जजसाहबान, तो हमको गुंजायश कहां है । डि० मजिस्ट्रेट जेल भेजता है, जेल में हम इंस्पेक्टर आफ प्रिजन्स के जूते खाते हैं, और चीफ कोर्ट में जाने की गुंजायश नहीं है क्योंकि वहां स्टाबार्ड बैठा है और हमारे वजीर आजम साहब सुनते नहीं, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें ? इसी वजह से मैंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि पूरे एवान के सामने मैं यह बातें कहूं । शायद वजीर आजम साहब बहुत बिजी (व्यस्त) रहते हैं । मैं जानता हूं कि वह २४ घंटे काम करते हैं । यह बिल्कुल छोटा मामला है, खानसामों और बैरों का । मैं अब से दावे के साथ कहता हूं कि मैं दस पंद्रह साल लखनऊ में ही नहीं, बल्कि हर रेसकोर्स में सफर कर चुका हूं । लखनऊ रेसकोर्स में पांच सौ, एक हजार आदमी आते हैं, वहां खानसामे और बैरे जिनकी आमदनी बहुत कम है । रईस आदमी को इसकी फिक्र नहीं है कि रुपया बनाएं । कौन लालच में फंस जाता है ? जिसकी तनख्वाह बीस रुपया है । एक खानसामा बीस रुपया पाता है, उसका इतने में क्या भला होता है, सोचता है कि आज रेस कोर्स चले जायं, शायद बीस के चालीस हो जायं, और वहां वह बीस भी खो बैठता है, तो यह कहना कि यह रईसों के लिए है, इस वजह से हम लोग इसको जारी रखें, और रईसों के मामले में हम न पड़ें, क्योंकि जब वह हार जायेंगे तो खुदकशी कर लेंगे, तो यह बिल्कुल गलत है । वहां बिलकुल गरीब पब्लिक जाती है, और अपनी खुदकशी कर लेती है । मैं आपसे बहुत अदब से कहूंगा कि अब यह बिल पेश हुआ है, मेरे अमेंडमेंड (संशोधन) पेश हुए हैं, इससे बीस पच्चीस हजार रुपये की आमदनी हो जायगी । वह रुपया चैरिटेबिल डिस्पेन्सरीज (धर्मार्थ औषधालय) और स्कूलों में सर्फ हो जायगा, अगर आप लखनऊ रेसकोर्स को नहीं लेते हैं तो कोई प्राइवेट क्लब उसको ले लेगा । अब मैं सेक्रेटरी साहब के बारे में कुछ बातें बयान करना चाहता हूं । वह सेक्रेटरी साहब जो अंग्रेज हैं, कहते हैं कि उनके पास सन् १६५२ ई० तक का एग्रीमेंट (इकरारनामा) है। अंग्रेजों का एग्रीमेंट तो चौदह अगस्त को खत्म हो गया । वह यहां रहना तो चाहते थे लेकिन कांग्रेस के प्रोपेगेंडा (प्रचार) ने उनको निकाल दिया तो फिर हमारे सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं जा सकते ? अब जरा उनकी हिस्ट्री सुनिये । वह सन् १६४२ ई० में लेफ्टिनेंट थे । उसके बाद सन् १६४४ ई० में वह वापस आये और सेक्रेटरी हो गये । यह दस साल का एग्रीमेंट उनका कहां गया ? दूसरी बात यह है कि अब तक बेटिंग टैक्स के जरिये से आठ लाख रुपया जमा होता है । सेक्रेटरी साहब की तनख्वाह एक हजार

है। अब बेटिंग टैक्स के कलेक्शन (एकत्रित) का जरिया यह है कि जब कोई शख्स बाजी लगाता है, फर्ज कीजिये कि दस रुपये की बाजी है, तो दस फीसदी उस पर टैक्स लगेगा। ११ रुपया बुकमेकर ले लेता है। दस रुपया रेस के हिसाब में डाल देता है और एक रुपया गवर्नमेंट के हिसाब में। शाम को बुकमेकर टोटल करके फेहरिस्त तैयार कर और रुपया जमा करके सेक्रेटरी साहब को दे देता है। और सेक्रेटरी साहब एक डाकखाने की हैसियत से रुपया हमारे घर भेज देते हैं मगर उसमें क्या हुआ। हमारी गवर्नमेंट सेक्रेटरी साहब को ढाई परसेंट टैक्स कलेक्शन (एकत्रित) के लिए देती है। अफसोस है कि वह आमदनी कम हो गई है। मैं तो उनके खिलाफ था। इस तरीके से सेक्रेटरी साहब जिनको एक हजार रुपया तनख्वाह मिलती है अब ढाई तीन हजार रुपये मिलते हैं। बजाय इसके कि वह गालियां दे, वह तो दुआ देते हैं कि रोज ऐसे बिल बना करें। जो सेक्रेटरी काबिल नहीं है उसको एक तो १००० रुपये तनख्वाह दी जाती है और ढाई तीन हजार रुपया टैक्स कलेक्शन का दिया जाता है यह हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, वरना चाहिए तो यह था कि लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन का २५०/३०० रुपये और यही रुपया मेरठ के लिए भी दिया जाता।

इसके बाद जो नई सूरत पैदा हुई वह यह है कि बेटिंग और टैक्स का जो रुपया जमा होता है वह बुध की शाम को ट्रेजरी के क्लोजिंग (बंद) टाइम के बाद ट्रेजरी को खुलवाकर के जमा किया जाता है। यह बेकायदा है। रूल तो यह है कि क्लोजिंग टाइम (बंद) के बाद फिर ट्रेजरी नहीं खुल सकती है। लेकिन रेस-कोर्स के खजान्ची उसे खोलते हैं और रुपया जमा होता है और फिर वह शनिवार की शाम को भी खोली जाती है, बहाना रेसकोर्स के रुपये जमा करने का होता है। टैक्स का रुपया वसूल होता है। यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इजाजत दे दी है। अगर कोई डाकू ट्रेजरी में घुस आए और १०-१५ लाख रुपये का गबन हो जाय तो कौन जिम्मेदार होगा? हमारे खजान्ची जो रुपया जमा करते हैं वह चीफ कोर्ट के भी खजान्ची हैं और जो सरकारी मुलाजिमान उनके नीचे काम करते हैं और जिनको गवर्नमेंट से तनख्वाह मिलती है उनको भी वह अपने साथ ले जाते हैं। यह कैसे हो सकता है? हमारा तो यह कहना है कि शुरू से आखिर तक यह नाजायज चीज है। कोई साहब कहें कि आप उनके खिलाफ हैं क्योंकि आपसे उनसे झगड़ा हो रहा है। मैं तो एक दो साल से बराबर चिल्ला रहा हूं कि एक कमेटी मुकर्रर कर दी जाये, तो जो बातें मैंने अर्ज की हैं तो उनकी भी शहादत हो जायगी। अव्वल तो यह चीज गलत है दूसरे क्लब बोगस (वाहियात) है और किसी स्टीवर्ड ने एक पैसा भी चंदे का नहीं दिया। एक स्टीवार्ड की जगह थी उसके लिए एक साहब ने अपने ५-६ दोस्तों को बुला लिया और दावत वगैरह देकर कहा कि हमारा साथ दो। यह सब रात ही रात में हो गया और वह दूसरे दिन स्टीवार्ड हो गया। अगर आप किताब उठा कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पहले चार ही स्टीवार्ड थे। उनमें से दो सेक्रेटरी के खिलाफ हो गये कि यह बदमाश है इसलिए इसको निकाल देना चाहिये। सेक्रेटरी को जब यह मालूम हुआ तो उसने रातों ही रात

[श्री आर्चिबाल्ड जेम्स पैंथम]
मैनेजर (प्रबंध) करके पांचवां स्टीवार्ड और करवा दिया जिससे उसकी मेजोरिटी (बहुमत) हो गई। ऐसी चीजें ज्यादा नहीं चल सकती हैं।

मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि इन चीजों पर तवज्जह नहीं की जाती है। गवर्नमेंट के पास इन बातों के लिए समय नहीं है। वह तो यू० पी० इलेक्ट्रिक कम्पनी हासिल करने और डाम (बांध) वगैरा बनाने में करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। गरीब आदमियों की उनको कोई फिक्र नहीं है। लखनऊ में बिना ३००० रुपये की पगड़ी दिये एक कोठरी मिलना भी मुश्किल है लेकिन इस पर कोई तवज्जह नहीं हो रही है। डाम (बांध) वगैरा कंस्ट्रक्ट (तैयार) हो रहे हैं, बिजली घर बन रहे हैं। पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट को गरीबों की मुसीबत दूर करनी चाहिये। जवाब यह हो सकता है कि गरीब आदमी वहां मरने क्यों जाते हैं, यह उनका फौल्ट (दोष) है। ढाई बजे के करीब अगर आप रेसकोर्स जायें तो आपको मालूम होगा। एक दफा मैं वहां गया था। जब बाहर ६ बजे आये तो उन लोगों से पूछा तो वे लोग उठा बैठी करने लगे और कसमें खाने लगे कि अब कभी नहीं जायेंगे, दो दिन बाद फिर वही किस्सा शुरू हुआ। जो शख्स जिसको इतनी समझ नहीं, जो २०,३० रुपये का मुलाजिम है, खानसामा और बेरा है अगर वह इस बात को नहीं समझता तो यह हमारी गवर्नमेंट का फर्ज है और हम लोग यहां पर उनके नुमाइंदे बन कर आये हैं उनका फर्ज है कि उनको सीधे रास्ते पर चलायें। ऐसी जगह जिसमें वह जाना चाहते हैं तो हम लोगों का फर्ज है कि उस जगह को हम बंद कर दें। जो शख्स शराबी है और कहे कि मैं शराब नहीं पीऊंगा तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है? आप कहते हैं कि न पीजिये। जो गरीब आदमी है और जुआरी है वह जरूर जुआ खेलेगा। आपका फर्ज है कि उसको रोकें। मेरा खानसामा है २०,३० रुपया तनख्वाह पाता है, तीन चार बजे चला गया, दूसरे दिन बीबी आई, कहने लगी कि तनख्वाह नहीं दी। पता चला है कि वह रेस में हार गया। ऐसे लोग नासमझ होते हैं, हर एक शख्स में समझ नहीं होती। हमारी गवर्नमेंट को चाहिये कि वह उनको ठीक रास्ते पर लावे और ऐसी जगह बंद कर दे। ऐसी जगह पर तहकीकात की जाये। अगर आपको इस लालच से रेस चलाना ही है कि १०,१५ लाख रुपया हम नहीं छोड़ सकते तो मैं कहता हूं शौक से आप टैक्स लगाइये मगर रेसिंग क्लब्स बनाइये उसमें एलेक्शन (चुनाव) हो और कोई नाजायज बात न होने पाये। सब मेम्बर्स सब्सक्रिप्शन (चंदा) दें। आपको इस मसले पर जरूर गौर करना चाहिये और जल्द से जल्द रेसकोर्स को बंद कर देना चाहिये। जब तक यह बंद न हो तब तक के लिए मेरा अमेंडमेंट (संशोधन) मंजूर किया जाये, आप अपनी आमदनी २०,२५ लाख जरूर करिये। यह कहा जाता है कि २० परसेंट (प्रतिशत) रेसकोर्स पर टैक्स लगा दिया जाये तो रेसकोर्स खत्म हो जायगी तो यह कौन कहता है। सेक्रेटरी साहब कहते हैं, स्टीवार्ड साहब कहते हैं मगर उसमें उनका मतलब है। सेक्रेटरी साहब का मतलब है कि १ हजार उनको तनख्वाह मिलती है और दो हजार वैसे मिल जाते हैं। इस तरह तीन हजार की उनको आमदनी हो जाती है। स्टीवार्ड लोगों को

क्या मिलना है ? उनको यह लालच है कि वह लोग जमेज आवस में बैठते हैं। शाम को स्काच विह्स्की बिना दाम पीने को मिलती है। अगर लखनऊ में प्रोहीबीशन होता और आप रेसकोर्स पर रेड (धावा) करते तो आपको कम से कम ५० हजार का स्टाक वहां रक्खा हुआ मिलता। यह आम पब्लिक को पीने के लिए नहीं मिलती, दाम देने पर भी नहीं मिलती। यह सिर्फ स्टीवार्ड लोगों के लिये होती है। एक-एक बोतल आप जानते हैं ५०, ६० रुपये उसकी कीमत ब्लैक मार्केट (चोर बाजार) मे होती है। दो बोतलें एक दिन में कम से कम सर्फ होती हैं और काम वह आनरेरी (अवैतनिक) करते हैं। इन स्टीवार्ड से पूछिये कि आपको क्या तमीज़ है। आपको क्या एक्सपीरियंस (अनुभव) है। यहां १२ बुकमेकर्स होते हैं, एक जगह खड़े होते है, बेटिंग लगाते हैं उसमें ५० जाल होते है एक तो यह कि ५० रुपया आप लगाते है तो उस पर १०० रुपया टैक्स दीजिये। १० के माने हजार इसमें यह फायदा होगा कि ६६ रु० टैक्स बच जायगा, क्योंकि रेस में मुंह जबानी चलती है। मै बुकमेकर के पास गया, कहा हजार का बेट (बाजी) है। उसने लिख लिया। अगर मै हार गया तो दूसरे दिन पेमेंट (देना) करना है। अगर नहीं करता हूं तो रेसकोर्स मुझसे जबरदस्ती कुछ हासिल नहीं कर सकता है। वह सिर्फ यह कर सकता है कि मुझे आयंदा रेसकोर्स में न आने दे। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है। वह तो ऐसी जगह है कि जहां कोई कानून नहीं चल सकता है। जहां आसानी से बेईमानी होती है। स्टीवार्ड का फर्ज यह है कि जो जो स्टीवार्ड हों वह बेटिंग रिंग में खड़े हों और देखें कि कौन कौन बुकमेकर टैक्स इवेजन (टैक्स से पलायन) कर रहा है। मगर उनको तो फुर्सत ही नहीं मिलती। एक दफा एक बेट लगायी गयी। मै भी वहां खड़ा था। बुकमेकर ने समझा कि यह जरूर जीत जायगा और मैं फंस जाऊंगा। उसने कह दिया कि बेट नहीं हुई। उसने कहा कि बेट लेनी पड़ेगी, पर उसने इंकार कर दिया। उसके पास चारा ही क्या था, वह स्टीवार्ड कर्नल कीन के पास गया। उन्होंने कह दिया कि हम क्या तुम्हारे बाप के नोकर हैं कि हम जाकर के देखेंगे। तो जो लोग ऐसे गैर जिम्मेदार है, उनके स्टीवार्ड बनाने की जरूरत क्या है। पहले तो वह आराम कुर्सी से नहीं आना चाहते कि यह तहकीकात करें कि यह बेट हुआ था या नहीं। क्योंकि अगर घोड़ा हार गया तो वह चुपके से चला जायगा वरना बुकमेकर से वसूल कर लेगा। तो अगर रेसकोर्स आप जारी रखते हैं तो आप स्टीवार्ड को दुरुस्त कीजिये। वह यह न कहे कि मै खुद नहीं जाऊंगा, मैं नौकर नहीं हूं। मेरा तो कहना है कि वह एक घसियारे का नोकर है। हर शख्स जो जाता है वह सभी का नौकर है। आपकी पब्लिक जो जाती है उसके साथ इंसाफ से और तहजीब से पेश आना चाहिये और जहां बेइमानी होती है वहां ज्यादा तवज्जह करनी चाहिये। जैसा मैने कहा, यह स्टीवार्ड लोग जानते भी नहीं है मगर न जानते हुए भी सीखने की भी कोशिश नहीं करते। एक आदमी नहीं जानता है तो सीखने की कोशिश करता है, मगर ये इतना भी नहीं करना चाहते, क्योंकि गवर्नमेंट जब परवाह नहीं करती तो वे समझते हैं कि हम आंय बांय, शांय जो भी कर दें वही ठीक है। पब्लिक तो आयेगी ही। पब्लिक रोज जाती है, रोज मरती

[श्री आर्चिबाल्ड जेम्स पैंथम]
है और ताज्जुब यह करती है कि अब हमारी गवर्नमेंट है पर सुननेवाला कोई नहीं है। उनसे अगर पूछा जाय कि तुम जाते ही क्यों हो तो जवाब यह मिलेगा कि यह मेरा खराब फेल है। मगर गवर्नमेंट को तो इंतजाम करना ही चाहिये लेकिन वह भी नहीं होता है। तो मैं आनरेबिल वजीर आजम साहब की नजर में यह बातें पेश करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारा यह एम (उद्देश्य) होना चाहिये कि जल्द से जल्द इस रेसकोर्स को बंद कर दिया जाय। अब तो खैर, साल के बीच में हैं, यह बंद नहीं हो सकता। मगर फिर पहली अप्रैल से सन् १९४९ में यह रेस शुरू होगी, तो मुझे उम्मीद है कि तब लखनऊ और मेरठ दोनों जगह के रेसकोर्स बंद कर दिये जायेंगे। जैसा कहा जाता है कि वन स्ट्रोक आफ दि पेन (एक कलम) से आप बंद कर सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि हर शख्स अपने घर में रेसकोर्स नहीं बना सकता है। ऐसा नहीं है कि चुपके से उसने शराब की बोतल पी ली तो उसे आप बंद नहीं कर सकते लेकिन यह तो सिर्फ ऐसी चीज है कि आसानी से इसे आप बंद कर सकते हैं, सिर्फ आपके दिल होना चाहिये। और अगर आप बंद नहीं करेंगे तो मैंने जो अमेंडमेंट (संशोधन) पेश किया है उसको मानिये, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। मैं कहता हूं कि जब रेसकोर्स से ३ लाख आमदनी है तो उससे ५० हजार ले लीजिये तो गवर्नमेंट से उसका बहुत फायदा होगा क्योंकि रेसकोर्स के फंड तो बढ़ते ही जायेंगे क्योंकि नाजायज तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है।

इन सब बातों के बाद मैं इस्तदुआ करूंगा कि मेरे अमेंडमेंट जब आयेंगे तो उन्हें आप मंजूर कर लें। लेकिन अमेंडमेंट का मतलब यह नहीं कि रेस जारी हो। कोई बड़ा आदमी कहे कि जारी रहे, तो ठीक है, हमें भी शौक है रहे, मगर काम बाकायदा होना चाहिये। आप गवर्नमेंट के दो चार लोगों को चुन कर वहां भेजिये जो जानिबकार हों ऐसे लोग न भेजें। जैसा कि मैंने कह दिया कि अनहोली श्री का एक परचा आप लोगों के सामने पेश किया गया था उसमें लिखा गया था कि "डूइंग्स आफ् दि अनहोली ट्रायो" और डिप्टी कमिश्नर और इंस्पैक्टर जनरल की जो ज्यादती हुई थी वह न होना चाहिए। बाकायदा चंदा हो, मीटिंग हो और फन्ड आडिट (निधि जांच) हुआ करें। उनसे पूछा गया कि रिजर्व फ़न्ड (सुरक्षित निधि) कितना है तो लीगल एडवाइजर (वैधानिक परामर्शदाता) ने कहा कि "दिस इज अवर प्राइवेट प्रिविलेज" (यह हम लोगों का निजी हित है)। अभी वजीर आजम साहब ने बतलाया कि इससे ३ लाख की आमदनी है और जो एमेंडमेंट उन्होंने पेश किया है वह यह है कि सिवाय रेसकोर्स की चहार दीवारी के और कहीं घोड़े का जुआ न हो। यह ठीक है क्योंकि हर शहर में जहां रेस होती है वहां पर इल्लीगल (अवैधानिक) बुकमेकर होते हैं जैसे कि सट्टे में होते हैं। वह कहते हैं कि रेसकोर्स में क्यों जाओ बाहर ही से हजारों का बिला टैक्स विए स्टेक करो। महाराज बड़ौदा प्लेन चार्टर करके इंगलैंड गए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मुकर्रर कर दिया और रेस के लिये चले गए। उनको शौक था कि बादशाह किंग जार्ज के सामने

मेरा घोड़ा जीतेगा तो मैं उसे लीडिंग करूंगा, अंग्रेज पब्लिक खुश होगी, ताली बजेगी। उनका भाई बाबू जीता। हमारे वजीर आजम साहब ने एक अमेंडमेंट (संशोधन) पेश (मूव) किया है कि तमाम बुकेटशाप इल्लीगल (अवैधानिक) हो जायं, यह बिल्कुल ठीक है मगर हमारे वजीर आजम साहब को रेसकोर्स से क्या वास्ता है उन्होंने यह ख्याल नहीं किया कि यह नाजायज चीज बंद कर दी जाय। मैं अदब के साथ कहता हूं कि मेरी समझ में तो वह रेसकोर्स की मदद करना चाहते हैं। रेसकोर्स हमारी सरकार का कौन होता है, जब वह लाइसेंस लेता है और ट्रेजरी में ५० हजार रुपया दाखिल करता है और बाकी बुकेट शाप वाले नाजायज तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वह न टैक्स देते हैं और न लाइसेंस लेते हैं तो हम उनकी तरफ से तजवीज पेश करने वाले कौन होते हैं कि उनका फायदा करें ? हां, हम उनका फायदा तब कर सकते हैं जब वह हमारा फायदा करें। अगर १२ बुकमेकर हैं तो १५० रु० रोजाना देंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी और वह लोग भी बुकेट शाप करते हैं और चहारदिवारी के अंदर करते हैं, वह चहारदिवारी के अंदर जुआ खेल सकते हैं, अगर मैं मालरोड पर घोड़े दौड़ाऊं तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाऊं, अगर यह जायज चीज है और उसका लीगल फंड (वैधानिक निधि) है। हिसाब आडिट (जांच) होता है, क्लब है तो ठीक है। और अगर यह सब नहीं है और आप उसकी सफाई न करेंगे तो काम नहीं चल सकता।

श्री अब्दुल बाकी—जनाबे सदर मोहतरिम, मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है बजुज इसके कि जितनी शिद्दत के साथ इस बिल की मुखालफत हो सकती है वह मैं करूं। शायद इस ऐवान का कोई मुतनफिस ऐसा नहीं है जिसके कान में यह सदा न आई हो कि सिर से पैर तक जुआ एक नजिस चीज है, कौम के लिए मोहलिक हर फर्द के लिए बाइसे हलाकत और जहरे हलाहल है। यह सदा हिंदुस्तान के पूरब के गोशे से पच्छिम के हाशिए से दरम्यान से हर तरफ से उठती है। एक बार नहीं बार-बार यह सदा उठती है कि जल्द से जल्द इसकी तलाफी करो और जिस तरह से मुमकिन हो कानून के जरिये से, जाब्ते के जरिये से, उसूल के जरिए से जल्द से जल्द रेस कोर्स और बेटिंग का खात्मा करो। इसलिए इसमें जहां चंद मुतमौव्विल आदमियों का नफा है वहां पर मुतवस्सिर हाल आदमियों और गरीब तबकों को उससे शदीदतरीन नुकसान होता है। रोजाना की कमाई उसमें बैट कर सर्फ कर देते हैं। मुख्तलिफ पैम्फलेट, (पर्चा) बंबई और कलकत्ते से जारी हुए और उनमें सिफारिश की गई है कि हर लेजिस्लेचर का यह फर्ज है कि सरकार के सामने पेश करे और सरकार के सामने पेश किया जाय कि अपने इलाके और हलके से जिस तरह से भी जल्द मुमकिन हो रेस और जुआ का खात्मा कर दें अभी जब इस बिल को उठाएंगे तो इसके राज और मकासिद में चंद चीजें नजर आवेंगी। पहली चीज शिकायत है कि सरकार को बेटिंग टैक्स और रेस टैक्स के अदा करने में हमेशा लोगों ने एक रवैया ऐसा अख्तियार किया है किजल्द या देर से यह टैक्स सरकार को वसूल नहीं हो सकें। दूसरा सजेशन यह है कि हमने सन् ४७ के अमेंडमेंट (संशोधन) के जरिए से शरह टैक्स को बढ़ा दिया है।

[श्री अब्दुल बाकी]

उनसे इस बात का इमकान है कि वह अदा न हो । पहले तो वह अदा ही नहीं होता और अब जब शहर में इजाफा हो गया तो उसका वसूल होना और भी मुश्किल हो गया है । यह दो चीजें सरकार ने अपने सामने रखी थी उसके बाद बिल को तरतीब दिया फिर उसके बाद बुकमेकर के मुताल्लिक यह मालूम हुआ कि वह हमेशा गड़बड़ी करते है और रकम को दबाते और खयानत करते है और टैक्स की वसूली मे हायल होते है । इसलिए उनका तकर्रुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की इजाजत से होगा और एक शर्त और लगा दी कि किसी शख्स का रेसकोर्स मे दाखिला नहीं हो सकता जब तक कि बुकमेकर इजाजत न दे दे । इसके मुताल्लिक दफा में इजाफा किया है कि अगर कोई खिलाफवर्जी करेगा तो क्या सजा होगी । अभी २ मेरे दोस्त ने जो तकरीर की है उससे मालूम हो गया कि दरहकीकत दुनिया में कोई नाजायज चीज हो सकती है तो वह जुआ है और उसमे भी रेसकोर्स का जुआ। उन्होंने शिकायत की कि आधी सदी गुजर गई लेकिन अभी तक एक पैसा अदा नहीं किया दूसरे स्टीवार्ड का जो तकर्रुर होता है वह भी निहायत पोशीदा तौर से चालाकी और फरेब से होता है ।

तीसरी चीज उन्होंने बतलाई कि अगर किसी ने इसलाह की तरफ कदम उठाया तो इसलाह तो दर किनार खुद ही उसको अन्देशा है कि कहीं पकड़कर जेलखाने न भेज दिया जाय । कसूर किसका और जेलखाने में कौन, न दाद न फरियाद यह भी उन्होंने कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तो कम से कम हमें यह तवक्को थी कि वजीर आजम साहब जिनकी निहायत ही मकबूल हस्ती है और जो हर जगह दाद व फरियाद सुनने के लिए आमादा रहते है उनका दरवाजा खटखटायेंगे तो जरूर कम से कम कुछ न कुछ इन्साफ हो जायगा । मगर मालूम ऐसा होता है कि यह रेसकोर्स ऐसी चीज है कि वजीरे आजम साहब के दरवाजे पर भी उसकी सुनवाई नहीं होती । फारसी की एक मसल मशहूर है कि हरचे दरकाने नमक रफ्त नमक शुद । तमाम पब्लिक को मालूम है कि जुआ बजाते खुद मुफीद चीज नहीं है और इसमें इब्तदा से इन्तहा तक फसाद और खराबियां भरी हुई हैं और मुल्क के बाशिंदों के लिए इसमें सरापा नुकसानात । हैं इसका इलाज यह है कि हम उसमें थोड़ी सी तरमीमात कर दें और तरमीमात के बाद भी उसी नजर से देखें । खुद अगराज व मकासिद मौजूद हैं । एक तरमीम सन् ४७ में की और जुए की शरह बढ़ा दी । इस ख्याल से कि जुए की शरह बढ़ जाने से यह बंद हो जायगा । यही उस वक्त हमारे अगराज व मकासिद थे । मगर दरहकीकत यह बात नहीं हुई । हमने यह सोचा था कि इसके जरिये से रेसकोर्स को, बेटिंग को कम कर सकेंगे और रफ्ता २ इसको बिलकुल खत्म कर देंगे । मगर इससे और अहमतें पैदा हो गई जहां हमने कोशिश करके शरह बढ़ा दी उसके बाद साल भर भी नहीं गुजरा आपको मालूम हो गया कि उसमें नुक्स हैं । जैसा कि मैंने कल भी कहा था और फिर आज कहता हूं कि पीस मील लेजिस्लेशन (आंशिक विधान) मुफीद नहीं होता है । अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा

है इससे कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। अब बिल ऐक्ट बन गया उसके साथ ही साथ जहमतें पैदा हो गई। और वे जहमतें ये थीं कि जब टैक्स कम था तब भी वसूल नहीं होता था और लोग किसी न किसी तरीके से टैक्स देने से बच जाते थे। आज भी आदमी तो वे ही हैं, रेस चलाने वाले वही लोग हैं, जिम्मेदार वही लोग हैं, स्टीवार्ड वही लोग हैं और जहनियत वही बाकी है, तो हम क्या तरक्की कर सकते हैं ? स्टाफ तमाम वही है और उन सब की जहनियत वही है तो जब हमने शरह में इजाफा कर दिया और उनके रवैये में तबदीली नहीं हुई तो फिर इस तजुर्बे की बिना पर हम तवक्को नहीं कर सकते हैं कि टैक्स बढ़ा देने से हम इसको कम कर सकेंगे। जब हर दफा पर बहस होगी और अगर मुझे मौका मिला तो उस वक्त फिर कुछ अर्ज करूंगा उस वक्त वह चीज हमारे सामने नहीं है। हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क में रहनेवालों का यह तकाजा था, यह डिमांड (मांग) थी कि इसको खत्म कर दिया जाय, इसको मन्सूख कर दिया जाय, इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाय, फिर न मालूम क्या सोच कर इसको रायज रखना चाहती है और ऐसी चीज को खत्म नहीं करना चाहती जिसको मुल्क के लोग डिमांड कहते हैं कि इसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाय। अब जो मौजूदा बिल हमारे सामने है वह भी निहायत ही नामुकम्मल और नाकिस है। हमसे पहले जो तकरीर हुई है उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कानून में कहां-कहां तरमीम की जरूरत है और किन-किन दफाओं को बढ़ाने की जरूरत है। वे लोग रेसकोर्स चलानेवाले हैं, जिनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी है अगर उनको टैक्स देने के लिये गवर्नमेंट उन पर काबू हासिल नहीं कर सकती है। तो फिर उनको कैसे काबू में आप ला सकते हैं। दरहकीकत जो बिल तैयार हुआ है उसको इस हाउस से पहले सिलेक्ट कमेटी के सामने लाना चाहिये था। आज तक जिस तरीके से टैक्स की वसूली में आपने काम लिया है और वह तरीका अख्तियार किया कि गिरफ्त से लोग निकल न सकें। वे दरहकीकत इससे आपकी मंशा यह है कि जल्द हमको खत्म नहीं करना चाहिये। हम तवक्के इस बात की करते थे कि इस तरह की चीजें खत्म की जायंगी और उससे कोई फायदा होगा लेकिन अब मालूम होता है कि रेसकोर्स को आप बरकरार रखना चाहते हैं। आपको यह सोचना चाहिये कि आखिर वह कौन सा जरिया है और कौन सा वसीला है कि जिससे हम आइंदा ऐसा इंतजाम कर सकें कि जो रकम गवर्नमेंट को मिला करती थी वह गवर्नमेंट को मिलती जाय। स्टीवार्ड वगैरह जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जेब में पैसा न जाय, वे लोग गबन न कर सकें। मैं समझता हूं कि आपने कुछ दफा इसमें रखी हैं। अगर कोई शख्स रेसकोर्स में जायगा, अगर वह लाइसेंस न लेगा या इसके लिये बेटिंग करेगा तो उसको आप सजा देंगे। आइन्दा क्या तवक्को है कि आप उसे बंद करेंगे, जब कि सौलिड (ठोस) मसला हमारे सामने मौजूद है तो उसकी कोई उम्मेद नहीं की जा सकती है। ऐक्ट तो आप अपनी मेजारिटी (बहुमत) की बिना पर पास कर ही लेंगे। और हमारी आवाज दब जायगी। और यह बिल एक्ट की शक्ल अख्तयार कर लेगा। आप सजा भी देंगे और उनसे जुर्माना भी वसूल करेंगे। मुझे तो पहले हैरत हुई इस बिल के देखने से। यह मसला ऐसा मालूम होता है कि जिस

[श्री अब्दुल बाकी]

वक्त यह बिल तैयार किया गया, जिस वक्त इसको तरतीब दी गई, और जिन लोगो ने इसको मुरतब किया, दरहकीकत उन लोगो को कोई खास वाकफियत नही थी कि रेसकोर्स बेटिंग मे किस तरह की बाते होनी चाहिए। जिन लोगो से टैक्स वसूल नही हुआ वह। यह देखना चाहिये कि यह कैसे वसूल किया जाय। उसकी आपने एक दफा बढाई है कि अगर कोई शख्स अदा नही करेगा तो उस पर मुकदमा चलाया जायगा, आप उसको सजा देगे। आप मुकदमा तो उससे पहले भी चला सकते थे, पर आपने नही चलाया इस कानून के बनाने मे इस ऐक्ट के तैयार करने म कोई ज्यादा होशियारी से काम नही लिया गया। बेटिंग मे किस तरह से कामयाबी होगी इस पर गोर के साथ तवज्जह नही की गई। इसी तरह की हजार मिसाले हो सकती ह ऐसे मसायल ह जो आपकी अरजेट एटेंशन (अवलिम्ब ध्यान) चाहते है। बहुत से मसायल गरीबो के हे जिनका मुदावा आपको फोरन करना चाहिये ओर इनके मुताल्लिक आप कोई बिल नही ला रहे हे। गरीब ही उसमे जाकर फंसते है, बरबाद होते हैं, जो २, ४ पैसे कमाते ह, वही बरबाद कर देते है। हम समझते थे कि यह पब्लिक की गवर्नमेंट हे, जम्हूरी निजाम हे, डिमोक्रेसी हे। इस जमाने मे हमारी तवज्जह गरीबो की तरफ होनी चाहिये थी। हम देखते कि जिन बातों की मुल्क मे सख्त जरूरत है और जिनका ठीक होना निहायत जरूरी है। गवर्नमेंट उनको ठीक करने मे ही अपना कदम उठाती जो लोग मुसीबत मे गिरफ्तार हे, हमको उनकी मदद करनी चाहिये थी। इस तरह के कानून बनाने चाहिये थे कि जो उम्दा होते और जिनकी वजह से इस सूबे की बुलंदी होती। हम यहा पर इस एवान मे ऐसी चीजो के मुताल्लिक कानून लाय, जिससे गरीब आदमियो की मुसीबत घट जाये। इस बिल पर दोबारा गोर किया जाय क्योंकि आपने जो बिल तैयार किया है वह खतरनाक है उससे बहुत ही दुश्वारिया आगे चलकर पैदा होंगी। यह बहुत नाकिस है बहुत पेचीदगिया पैदा होगी। आप उन दुश्वारियो को बढ़ाये नही, आपको तो उनको कम करना चाहिये ताकि खतरा किसी किस्म का पैदा न हो। गरीबों और नादारो की मुसीबत म इजाफा मत कीजिये। उन पर भार और ज्यादा न डालिये, उनके भार को कम करने के लिए आप कोशिश कीजिये आपके सामने ज्यादा अच्छे मसायल है, उन पर आपको तवज्जह करनी चाहिए। अगर आप ऐसे बिल लाये जिनसे और खराबी पैदा हो तो मे समझता हूं कि यह संजीदगी ओर दूरन्देशी से हटना है। ऐसी फिजा मुल्क की नही थी, ऐसा तकाजा मुल्क का नही था कि आप यह बिल लाते। आपको बड़ी-बड़ी बातो पर तवज्जह करनी चाहिये थी। इसके पहले एक कानून आया है जिसमे आपने शिकायत की हे कि बहुत बड़ी तादाद मुल्क में ऐसे लोगो की है कि जो अपने फेल से नहीं बल्कि दूसरों की कार्यवाही के शिकार हुए है। जिनको अपना सामान छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, वतन छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, धन दोलत सब को खैरबाद करना पड़ा। वह सब मसायल आपके सामने है। अभी आपने कहा हे कि हम इंतजाम करने जा रहे हैं कि उनको कर्ज कैसे दें और कैसे उनकी इमदाद करे, उनको कैसे यहां बसावें, किस तरीके से उनकी

खिदमत करें। तो जब अभी कई बड़े-बड़े उम्दा मसायल सामने मौजूद हैं तो आपने ऐसा बिल क्यों सामने ला दिया जिससे कि मुसीबत और ज्यादा हो जाती है। आप खिदमत करने जा रहे हैं उन लोगों की जो वतन तर्क करके यहां आये हैं और जो खुद यहां हैं उनका मसला अभी हमारे सामने है। हमें यह काम करना है जिससे कि उनकी जिन्दगी ज्यादा खुशतर हो सके। आपने बताया है कि बुकमेकर के आलवा कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको मजाज हो कि वह बेटिंग कर सके। इसका मतलब यह है कि आप भी इस बात को समझते हैं कि रेस में बहुत से लोग बेटिंग में मुब्तला हो जाते हैं। आपका इंतजाम ऐसा होता है कि शिकायत होती है और आप कुछ तवज्जह नहीं करते। तो हम कैसे तवक्को करें कि आप ऐसी कड़ी निगाह रखेंगे कि यहां जो नाजायज चीजें हैं वह बंद हो जावेंगी। वह जगह नापाक है कि आप वहां क्या इलाज करेंगे। गन्दगी का इलाज तो सिर्फ यही है कि उसको दूर किया जाय उसको हटा दिया जाय। उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ तरमीम कर दी जाय वह तरमीम करने की चीज नहीं है, वह महज हटाने की चीज है और फिर इतने बड़े किस्म की नापाक जगह आप जिसको भी भेजेंगे मैं समझता हूं, वह इतना पाकदामन नहीं होगा, वह भी एक इंसान ही होगा, और अंदेशा है कि वह भी उसी आबोहवा से मुतास्सिर हो जायगा। तो जो मुसीबतें गरीबों की हैं वह दूर नहीं हो सकेंगी और लोग समझेंगे कि अब तो गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है, कानून पास किया है गोया कहा जा रहा है कि जुआ खेलो। बुरा काम करो, मगर हमसे इजाजत लेकर। हम परमिट और लाइसेंस देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिये। आपको बुरी बात का परमिट नहीं देना चाहिये। आपको इस चीज को खत्म करना चाहिये। मैं फिर आपसे अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि मेरी राय में यह कानून जो आप लाये हैं वह बहुत ही बेवक्त है और निहायत ही गैर मुनासिब है, निहायत ही नामौजूं है और मुल्क का तकाजा है, जो हम इस हुकूमत से उम्मीद करते थे, उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि यह एक ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके मुताल्लिक आप बिल लाते, ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप सजा तजवीज करते, ऐसी चीज नहीं है जिसकी शरह को आप बढ़ाते, ऐसी चीज नहीं है कि परमिट और लाइसेंस देते। यह ऐसी चीज है जिसको जल्द से जल्द जहां तक मुमकिन हो खत्म कर दें आप प्रोहिबिशन करते हैं। आप शराब को बंद कर रहे हैं। आपने अभी सुना है कि अगर शराब कहीं पीने को न मिले अगर, दुनियां में कहीं शराब नसीब न हो तो वह बोतल की बोतल आपको रेसकोर्स में मिल सकती है एक तरफ तो आप प्रोहिबिशन (मद्यनिषेद) करते हैं और दूसरी तरफ कहवा खाने और शराब की भट्ठियां आप खोल दें, जहां जाकर आदमी बोतल की बोतल चढ़ा जाय। मैं कहता हूं कि यह कहां तक इंसानियत का तकाजा है कि आप ऐसा बिल लाएं मैं समझता हूं कि कोई संजीदा आदमी इस बिल की ताईद के लिए कतअन खड़ा नहीं होगा और सबके सब इस की मुखालिफत करेंगे। इन अल्फाज के साथ में इस बिल की मुखालिफत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस ऐवान से यह हटा दिया जायगा।

*श्री मुहम्मद इसहाक खां-- जनाब वाला, मैं यह देख रहा हूं कि गवर्नमेंट की जानिब से हर रोज एक, दो, तीन चार बिल इस एवान में पेश हो रहे हैं। मालूम नहीं होता कि कैबिनेट कब अपनी राय कायम करती है और कब उनके ला आफिसर (वैधानिक अधिकारी) उनके बिल तैयार करते हैं। हमारे लायक वजीर साहब, जो एक कामयाब वकील रह चुके हैं, अगर वह गौर से पुराने ऐक्ट को देखते तो हमारे इस ऐवान का वक्त जाया नहीं होता। इस पुराने ऐक्ट के अंदर वह सब बातें मौजूद हैं, जिन्हें आप इस तरमीम के जरिये से करना चाहते हैं। मैंने खुद अभी पुराने एक्ट को गौर से देखा है और मैं उनकी तवज्जह दिलाऊंगा कि उन्होंने एम्स ऐंड आबजेक्ट्स (उद्देश्य) में तीन बातें रखी हैं, जिनकी वजह से उन्होंने यह मुनासिब समझा कि एक बिल चौबीस घंटे के अंदर तैयार हो जाय और २४ घंटे के बाद इस ऐवान में आ जाय, और मेम्बरान असेम्बली बुलाए जायं और इसे जल्दी से पास कर दिया जाय। वह अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारे भाई जो उधर बैठे हैं, वह तो कुछ बोलेंगे नहीं, वह तो कहेंगे कि इसको गवर्नमेंट लाई है इस वजह से इसको जरूर मंजूर कर दो। अब मैं एवान की तवज्जह दिलाता हूं, अपने उधर के भाइयों की तवज्जह दिलाता हूं कि यह बिल क्यों पेश किया गया है। तीन वजूहात से आप इस बिल को पेश करते हैं। पहली बात टैक्स से बचना बढ़ेगा अगर इसे रोका न जायगा। दूसरी बात हमको बुकमेकरों के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। तीसरी बात आप यह कहते हैं कि प्रवेश टिकटों की दुबारा बिक्रीको रोकना उसको हम पैनेलाइज (दंडित) करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट की यह राय थी किइस किस्म की चीजें की जायं तो अगर पुराने ऐक्ट को गौर से पढ़ा जाता तो उसी में उनको अख्तियार था कि यह सब बातें जो वह करना चाहते हैं, कर सकते थे। अब मैं उस ऐक्ट की तरफ तवज्जह दिलाऊंगा, जो एक्ट इस ऐवान ने पास किया था, यू० पी० एण्टरटेनमेंट ऐंड-बेटिंग टैक्स एक्ट (१९११ का आठवां) इसके अंदर जनाब ने यह रखा है कि गवर्नमेंट को पावर है कि वह रूल्स बनाये। विशेषतया उन्होंने जो बातें कहीं हैं वह सब बातें आ जाती हैं। इस पार्टीकुलर (विशेषतया) से उन्होंने एक सफा भर दिया है। लेकिन मैं सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन (संबंधित भाग) की तरफ तवज्जह दिलाऊंगा।

Government may make rules for obtaining the payment of the entertainment tax and generally for carrying into effect the provisions of this chapter and in particular........

For the use of tickets covering the admission of more than one person and the calculation of the tax thereon, and for the payment of the tax on the transfer from one part of a place of entertainment to another and on payments for seats or other accommodation and; next.

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

for the checking of admissions, the keeping of accounts and the furnishing of returns by the proprietors of entertainments to which the provisions of section 4(2) are applied or in respect of which the arrangements approved by Government for furnishing returns are made.

और आप यह कहेंगे कि सजा देने की गुंजायश नहीं थी फिर हम कैसे सजा देते। आपने रूल में भी अख्तियार रखा है। रूल के सब क्लाज (२) को अगर आप देखें

"If any person acts in contravention of, or fails to comply with, any such rules, he shall, on conviction before a Magistrate, be liable in respect of each such offence to a fine not exceeding Rs. 200."

तो मालूम होगा कि २०० रुपये तक आप जुरमाना कर सकते हैं। आज आप क्या कह रहे हैं। टैक्स अगर वसूल न हुआ तो हमको हक होना चाहिये कि जो टैक्स अदा न करे उसके ऊपर और प्रोपराइटर दोनों पर २०० रुपया जुरमाना कर सकें। आपको तो पूरे अख्तियारात थे और यह अल्ट्रावायर्स (अधिकार-बाहर) था। आप जाब्ते के अंदर कानून बना देते तो इस बिल को इस ऐवान के सामने पेश करने की जरूरत न होती और बिला वजह एवान का वक्त जाया न होता।

आप यह कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अख्तियारात देने थे। लाइसेंस बुकमेकर की डेफीनेशन (व्याख्या) यह है—

It means any person who carries on the business or vocation of, or acts as a book-maker or turf commission agent under a licence or permit issued by the racing club or by the stewards thereof.

आप बिल में बिला किसी एतराज के इजाफा कर सकते थे "with the previous approval of the District Magistrate" कहीं कोई इख्तिलाफ न होता और बिला वजह एवान का वक्त जाया न होता।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आपके डिपार्टमेंट (कार्यालय) का काम गवर्नमेंट किस तरह बढ़ाती है। बिल रोज आते हैं लेकिन फिर भी उनमें कसरत से खामियां होती हैं। अगर आपका डिपार्टमेंट मदद न करे तो तमाम कानून निकम्मे और नाकिस रह जायेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट पास किया है। उसके शिडूल (परिशिष्ट) को अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि वह शुरू से आखिर तक बिलकुल गलत है। रूल ६३ के अंदर अगर कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट्स (वैधानिक संशोधन) न हुए तो हाउस का मजाक होगा कि इस एवान में ऐसे बिल पास कर दिये जाते हैं कि जिनका न तो सिर होता है और न पैर होता है। आपको शिडूल (परिशिष्ट) को अजसरे नौ बदलना पड़ेगा। इतनी जल्दी-जल्दी कानून को बिला देखे और जांचे हुए ऐसे बिलों को इस ऐवान में पेश करने से कोई फायदा नहीं है। मैं वजीरे आजम साहब से पूछूंगा कि अगर मेरा एतराज सही है तो फिर इस बिल की क्या जरूरत है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टैंडिंग आर्डर (स्थायी आदेश) ४६ की रू से गवर्नमेंट से मतालबा करें कि वह कागजात जिनकी वजह से

[श्री मुहम्मद इस्हाक खां]
यह बिल पेश करने की जरूरत आई वह मेज पर रख दे या आपको दे दे और आप उनको हमें पढ़कर सुना दे । स्टैंडिंग आर्डर (स्थायी आदेश) ४६ यह है"

Any member may, at any stage after the introduction of a bill and before it is passed, ask for any paper or returns connected with the bill.

मैं उनसे यह पूंछना चाहता हूं कि उनके पास कोई पेपर्स या रिटंर्न्स (पुनरागम) है भी या नही ? या कैबिनेट के अंदर राय हुई कि रुपया मारा न जाए गड़बड़ी न हो इसलिए फोरन हुआ कि बिल बना दिया जाये । मैं लायक वजीरे आजम से पूछना चाहता हू कि उनके पास कोई पेपर्स है या नही । मैं एक मिनट के लिए खामोश हुआ जाता हूं वह जवाब दे दे ।

गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल खामोशी है इसलिये मैं इस स्टेज (अवसर) पर आप से दरख्वास्त करूंगा कि आप उनसे मतालबा करे कि कागजात को पेश कर दें । इसके बाद मे अपनी तकरीर जारी रखूंगा ।

डिप्टी स्पीकर—आप अपनी तकरीर जारी रखे । आप अपने मतालबे को मेरे पास भेज दे मैं उनके लिये कोशिश करूगा । अगर आप इसी वक्त चाहते है तो आपको पहले से कहना चाहिये था ।

श्री मुहम्मद इस्हाक खां—कानून से मुझे हक है खामोशी का नतीजा यह निकल रहा है कि वजीरे आजम साहब के पास कोई कागजात नहीं है । वहां होते तो वह फौरन अपनी मिसिल मे से निकाल कर ऐवान के सामने रख देते कि हमारे पेपर्स यह है, जिनकी बुनियाद पर यह बिल तैयार किया गया है । लेकिन उनकी खामोशी से यह बात साबित होती है कि गवर्नमेंट के पास कोई कागज नहीं है । अगर कल कागज आ जावे तो दूसरी बात है और कल देखा जायेगा कि वह कौन से कागजात है जिनकी बुनियाद पर यह बिल तैयार किया गया है । अब रहा निफाज का सवाल तो मैंने कहा कि बिल को इस ऐवान मे पेश करने की कोई जरूरत नही थी । जो तरमीमात पेश की गई है उन पर मै मुनासिब समझता हूं कि जब वह सेक्शन वाइज (उपधारावार) आवे तो एक-एक तरमीम ले ली जावे और उस पर मौके से एतराजात किये जावे और गवर्नमेंट को मशविरा दिया जावे और उस मशविरे को ख्याल में रखते हुए गवर्नमेंट मुनासिब तरमीमात करें । मेरे लायक दोस्त फैथम साहब ने काफी तहकीकात की है और वह मुनासिब है । गवर्नमेंट को उससे फायदा होगा और नीयत जो दरअसल है वह यह है कि बेटिंग को जहां तक हो सके खत्म किया जावे । और जो लोग जुआ खेलते है उनकी इस हरकत को बंद कर दिया जावे। वह तरमीमात जो मेरे लायक दोस्त फैथम साहब ने की है, वह निहायत मुनासिब है । यह स्टेज (अवसर) नहीं है कि इस वक्त कुछ बहस की जावे । मै अर्ज करूंगा कि अगर ऐतराजात सही है तो गवर्नमेंट को हर वक्त हक हासिल है कि अपने बिल को वापिस ले ले और जब ऐसा करना जरूरी हो तो रूल्स मेकिंग पावर (नियम निर्माणक अधिकार) के अंदर इन तमाम बातों को इन्कारपोरेट (सम्मिलित) करके इनको जारी कर सकते है और इस ऐवान का वक्त भी नहीं जाया होगा।

माननीय प्रधान सचिव--मुझे खुशी है कि इसहाक साहब को यह ख्याल अपनी तकरीर को खत्म करते वक्त आ ही गया कि इस ऐवान का वक्त बरबाद न हो। मै चाहता हूं कि वह इस बात को याद रक्खे और भूले नही कि यह वक्त बरबाद करने की बात उनको आखिर मे याद आती है जब वह अपनी तकरीर कर चुकते है यह शुरू मे आवे तो ज्यादा फायदा हो। मेरी समझ मे नहीं आता कि इस बिल के बारे मे क्या आप साहबान की तरफ से कहा जा रहा है। जहां तक इस बिल के प्रावीजन्स (व्यवस्था) का ताल्लुक है कोई यह नही कहता कि यह बुरा है। अगर कहा जाता है तो यही कि इस से ज्यादा होना चाहिये। जैसा कि इसहाक खां साहब ने फरमाया कि इसकी जरूरत नहीं है। वह कानून से वाकिफ है, उनकी यह राय हो सकती है। लेकिन हमारी यह राय नहीं है और न हमारे जो कानून के मशविरा देने वाले लोग है उनकी ही यह राय हो सकती है। एक तरफ तो उनकी यह शिकायत रहती है कि हमारे कानून अच्छे नहीं होते, दूसरी तरफ से वे यह कहते है कि कानून यहां क्यों लाया गया, रूल्स (नियम) में ही क्यो नहीं कर देते। आखिर इस हाउस को खुश होना चाहिये कि हालांकि गवर्नमेंट को रूल्स के जरिये यह सब बाते करने का अख्तियार था लेकिन ऐसा करने के बदले हमने यहीं मुनासिब समझा कि ऐवान के सामने और मेम्बरान के सामने इसको रक्खे ताकि हमे सबकी राय मालूम हो ओर जो कुछ करे वह सबके मशविरे से करे। इसके लिये अगर कायदा बना कर हम यह करते और वैसा न करके हम यह बिल लाये तो कोई भी समझदार आदमी यह शिकायत नहीं कर सकता बल्कि कुछ हद तक अगर भलमनसाहत हो तो शुक्रिया ही अदा कर सकता है। लिहाजा इसमें क्या शिकायत है यह मेरी समझ मे नहीं आती। जो रूल इसहाक साहब ने पढ़े उनको जिन्होंने सुना है वह देख चुके होंगे कि इस रूल के अंदर हर्गिज यह प्रावीजन (व्यवस्था) नही आ सकता जो इस रूल में है जिसके लिये इस कानून का बनाना जरूरी है। न सिर्फ नये जुर्म बनाये गये है, बल्कि, बुकमेकर के लिये कैसा कायदा होना चाहिये, लाइसेंस का क्या कायदा होना चाहिये, यह सब चीजें इसमे लाई गई है और इसके लिए यहां भवन के सामने इन सब मसलों को रखना लाजिमी और जरूरी है। अभी उन्होंने कुछ पेपर्स का भी जिक्र किया। मेरी समझ मे नहीं आता कि कोई कायदा वह किसी जगह देख पाते है तो हर जगह उसी को सामने लाने की क्या जरूरत होती है। एक शख्स ने किसी शख्स को कुएं में गिरा हुआ देखा तो उसने रस्सी डाल कर कहा, ऊपर आ जाओ, रस्सी के जरिये जो आदमी गिरा था वह ऊपर आ गया। दूसरा आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ था। उसके उतारने के लिए उसने कहा कि रस्सी फेंक दो और झटका देकर नीचे गिरा लो, तब यह बचाया जा सकता है। तो यह समझना कि कि कुएं से निकालने और पेड़ के ऊपर से उतारने मे एक ही कायदा होता है, यह कहां तक सही है ? यह वही समझ सकते है। आखिर किस बात के लिये कायदे चाहिये। कौन इसमें परसनल (निजी) मामलात का ताल्लुक है जिसके लिये कायदों का सवाल है। सीधी सी बात है। एक जनरल प्रपोजीशंस (साधारण प्रस्ताव) है। इस हाउस ने कुछ टैक्सेज लगाये। उन टैक्सेज को इस हाउस ने एप्रूव (स्वीकार)

[माननीय प्रधान सचिव]

किया और उनको वसूल करना है । एक सीधी सी बात है कि जिस पर टैक्स लगाया जाता है, वह नहीं देता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिये और जो वसूल करनेवाला है अगर वह नहीं वसूल करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिये ।

श्री मुहम्मद इसहाक खां—यह किस प्वाइंट (विषय) पर आप कहते हैं?

माननीय प्रधान सचिव—इस प्वाइंट (विषय) पर कि बहुत सी जगह लोग जानते हैं कि लोग टैक्स नहीं देते हैं । सम्भव है कि बस्ती मे ऐसे लोग न हों जो टैक्स नहीं देते, और जगह ऐसे लोग मौजूद हैं, मगर इसहाक साहब का यह ख्याल है कि सन १६४७ ई० मे एक दिन मे हमेशा के लिए जो हो गया वह हो गया । हम तो "वी लिव टु लर्न (हम सीखने के लिये. जीवित हैं ।) लेकिन इसहाक साहब हि] लिव्स टु अनलर्न (वे न सीखने के लिए जीवित हैं ।) हमको तो लर्न (सीखना) करना है, वह चाहे तो अनलर्न (न सीखना) कर सकते हैं । यह एक सीधी सी बात है । मै नहीं समझता कि इसमे कौन सी ऐसी लम्बी चौड़ी दलीलों का या बहस का सवाल पैदा होता है । कौन नहीं जानता है कि इस किस्म का रिवाज चल गया है कि जहां कोई अच्छा फिल्म आया, लोगों ने टिकट खरीद लिए और तिगुनी और चौगुनी कीमतों पर उनको बेचा और इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग (चोर बाजारी) होने लगी । इसके लिये एक कायदा रखा गया है कि टिकट इस तरह से खरीद कर कोई रोजगार नहीं कर सकता । इसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो लेकिन यह ईविल (पाप) हुई और इसका इलाज जरूरी है। जहां तक कि रेसिंग के कायदों का ताल्लुक है वह विनिंग बेट (जीती हुई बाजी) और लूजिंग बेट (हारी हुई बाजी) और दोनों पर १० परसेंट टैक्स लगाया गया है । फैथम साहब ने तजवीज पेश की थी और उसी को हमने मंजूर किया है और उन्हीं की तजवीज पर यह काम हुआ था कि १० परसेंट टैक्स लगाया जाय। उसकी वसूली के लिए और उसके लिए साफ कायदे बनाने के लिए यह तजवीज इस बिल की शक्ल में यहां रखी गयी है । तो जैसा कि फैथम साहब ने कहा है कि एक बाकेट शाप खुली है जहां कि लोग इस किस्म के काम करते हैं । जब वह खुद मानते हैं कि उसको रोकने की जरूरत है, तो फिर उसमें शिकायत क्या ? उनका खत मौजूद है जिसमें उन्होंने लिखा कि इस किस्म की ईविल (बुराई) बढ़ रही है और उसको रोकना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए । इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको रोकना जरूरी है । फिर क्या शिकायत इस उसूल के बारे में है ? जो शिकायतें बाकी साहब ने और काफी लोगों ने कीं कि जुआ रोकना चाहिए तो यह ठीक है और यह भी ठीक है कि रेसिंग में जितना जुआ होता है वह रोका जाय। उसके लिए १० परसेंट का बेटिंग टैक्स लगाया गया है जो कि बहुत ही हैवी टैक्स है । कोई आदमी अगर १० दफा रेसिंग करने जाय और उसको जीते तब भी रुपया खत्म हो जायगा । १०० रु० म से १० रु० देना पड़ेगा और जीतेगा तो फिर देना पड़ेगा और अगर हारता जाय तब भी १० परसेंट देना पड़ेगा । तो वह तो आगे बेट भी नहीं कर सकता । फैन्थम साहब ने जो कहा कि अगर ८ लाख लगाए जायं तो ८० लाख का ट्रांजेक्शन (लेन देन) होगा, यह अरिथमेटिकली (गणित के हिसाब से) सही नहीं है । यहां इसमें टैक्स आ सकता है तो

यह उसको बन्द करने का एक जरिया है और अगर जुए को बन्द करना है तो बहुत सी बातों की जरूरत होती है। इन्सान में जब तक यह रगबत है कि वह जुआ खेले वह किसी न किसी तरह से खेलता है। जिसकी पहले मक्खी बैठेगी वही जीतेगा और सौ सौ रुपये की या ज्यादा की हार जीत हो सकती है और ऐसे ही जुए के बहुत से तरीके होते है। लेकिन रेसिंग में एक यह भी बात है कि हार्स ब्रीडिंग (घोड़े की नस्ल को तैयार करने का ढंग) को इम्प्रूव (उन्नत) करने में थोड़ा सा असर पड़ता है मगर जैसा कि उस वक्त इसका बुनियादी कानून मंजूर किया गया था और अगर कुछ दिनों के तजुर्बे के बाद जरूरी मालूम हुआ कि बुनियादी तौर पर कानून में तरमीम करने की जरूरत है तो वह की जायगी। मगर अभी तो उसका वक्त ही नहीं है। उसके तजुर्बे के लिए कुछ न कुछ मुद्दत होनी चाहिए। जहां तक इस बिल के उसूलों की बात है किसी ने एक लफ्ज भी इसके खिलाफ नहीं कहा कि यह बेजा है और यह नहीं होना चाहिए बल्कि सबने कहा है कि इसके क्लाजेज (धाराएं) और प्राविजन्स (शर्तें) ठीक है। सवाल यह है कि फिर इसमें दो दो घंटे की तकरीरें कहां तक बजा है। मुझे फैंथम साहब से हमदर्दी है। उनके कई खत मेरे पास रेसकोर्स के बारे में आये और मैंने उन पर काफी तहकीकात की लेकिन मजबूरी और बदनसीबी है कि इस सिलसिले में उनकी राय से बहुतों की राय में इख्तलाफ है। उन्होंने खुद कहा है कि चीफ कोर्ट के जज, मिलिटरी के जनरल और सिविल के डिप्टी कमिश्नर और मि० ईगान जो पहले थे और अब भी हैं उनकी राय इस मसले पर मुख्तलिफ हैं। मै तो रेसकोर्स में नहीं जाता लिहाजा मैं कोई राय कायम नहीं कर सकता लेकिन वहां जो जाने वाले है उनमें कसरत राय फैन्थम साहब के खिलाफ रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि सब इत्तिफाक राय हों तो किसी हद तक हम असर डाल सकते हैं। फरवरी में जो बातें हुई वह भी मैंने पायनियर में पढ़ीं और मीटिंग के हालात भी पढ़े और अवस्थी जी की कार्यवाही की भी मुझे इत्तिला है। उसके बाद फैन्थम साहब ने जो दीवानी का मुकदमा किया था उसकी बाबत भी मुझे मालूम है। लेकिन बदनसीबी से उन्होंने उसे वापस ले लिया। अगर वह उसे कायम रखते तो शायद आखिर तक कोई फैसला हो जाता। और उनके खिलाफ लोगों को नुक्ताचीनी करने का मौका मिल गया कि उन्होंने तो मुकदमा वापस ले लिया। लिहाजा यह सब बातें ऐसी हैं और जहां तक रेसकोर्स का ताल्लुक है उसमें कई बातें ऐसी हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं अब तक आपके खत का जवाब नहीं दे सका। जवाब के लिए सेक्रेटेरियट को हिदायत कर दी गयी है और मैं समझता हूँ कि आपकी तमाम शिकायतों के बारे में तहकीकात और जांच की जाती है क्योंकि आप वैसे भी हमारी असेम्बली के मेम्बर (सदस्य) हैं। दूसरे आप काफी वाकफियत रखते हैं और चूंकि मैं कम जानता हूँ इसलिए जानने की कोशिश करता हूँ। मगर बावजूद इसके मैं कुछ ज्यादा इसमें नहीं कर सका और बहुत से मसले ऐसे आ जाते हैं जिनमें हर एक की दिलचस्पी नहीं होती, उनको फैन्थम साहब आपस में तय कर सकते हैं। बदनसीबी है कि डेढ़ साल से यह झगड़ा चला आता है और तय नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइन्दा शायद तय हो जायगा और इस पर अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

[माननीय प्रधान सचिव]

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसमे कोई चीज किसी को बुरी नहीं मालूम हुई, फैन्थम साहब ने खुद इसे लफ्ज बलफ्ज मंजूर किया है और कहा है कि यह ठीक है और इसे मंजूर करना चाहिए। उम्मीद है कि इस बिल को आप सब मंजूर करेंगे।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्त के मनोरंजन और बाजी लगाने के (संशोधक) बिल, सन् १६४८ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा--२

२--यह ऐक्ट धारा ६ के अतिरिक्त तुरन्त लागू होगा जिसके संबंध में यह 'झा जायगा कि वह उसी तारीख को लागू हो गयी थी जब कि संयुक्त प्रान्त का रंजन और बाजी लगाने के टैक्स का (संशोधक) ऐक्ट, सन् १६४७ ई० लागू हुआ था।

मूल ऐक्ट की धारा २ के वाक्य खण्ड (२) में शब्द "i sued" के बाद एक कामा (comma) लगा दिया जायेगा और नीचे लिखे हुए शब्द जोड़ दिये जायेंगे :--

"With the prior approval of the District Magistrate."

डिप्टी स्पीकर--अब हम दफा २ लेते हैं। जो बिल हिंदी मे है उसमें दफा २ का हिन्दसा "२" छपने से रह गया है। माननीय मेम्बरान देखेंगे कि उसके यह लफ्ज है मूल ऐक्ट की धारा २ के वाक्य खण्ड (२) में शब्द "is-ued" के बाद एक कामा लगा दिया जाय और नीचे लिखे शब्द बढ़ा दिए जायेंगे :--

With the prior approval of the District Magistrate."

दफा २ में एक संशोधन की इत्तिला श्री फैन्थम साहब ने दी है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस बिल के मकसद के अन्दर इसे कैसे लाते है। इस वक्त जो बिल पेश किया गया है यह उसकी तरमीम नहीं है बल्कि आप तो पुराने ऐक्ट की तरमीम करना चाहते हैं।

श्री आर्चिवाल्ड जेम्स फैंथम--जनाब वाला, इसका मकसद यह है कि मै इसको इम्प्रूव (उन्नति) करना चाहता हूँ क्योंकि यह कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की राय ली जाय और जिनका चाल-चलन ठीक है उनको डिप्टी कमिश्नर सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र) दे।

इसके माने यह हैं कि उनके चाल-चलन का सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) हासिल हो जाय और उनकी हैसियत भी हो।

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ--जनाब वाला, आप देखेंगे कि इस वक्त यह है कि

In order that Government may be able to exercise control over book-makers who are responsible for the collection of tax .... District Magistrate should be obtained.

तो यह कंट्रोल ओवर बुक मेकर्स जो है वह किस क्लास का है, कैसा है, इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही फैसला करे।

*श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैथम--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह अमेंडमेंट (संशोधन) मूव (प्रस्तुत) करता हूं कि धारा २ के अन्तर्गत मूल ऐक्ट की धारा २ उप-धारा (११) में शब्द "देअरआफ" के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

Provid d the pe son appl i g to become a licensed book-maker has depos ted in the Gover men . T easu y a sum of Rs. 12000 (Rs. twelve thousa d, by way of his annual fee to stand as a book-maker at racing centres.

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो बातें मुझे कहनी थीं वह तो मैंने फर्स्ट रीडिंग (प्रथम-वाचन) में पहले ही अर्ज कर दीं। अब थोड़ी सी बातें और अर्ज करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि बाजी लगाने का तरीका दो तरह का है। एक तो टोटेलाइजेटर के मार्फत होता है जहां लोग पांच पांच रुपये और दो दो रुपये के टिकट खरीद खरीदकर अपना सब रुपया जमा करते हैं। वह तो एक छोटी सी चीज है। दूसरा बुकमेकर के जरिये होता है जहां लोग रेसकोर्स में बेटिंग (बाजी) लगाते हैं। लखनऊ में जैसा कि मैंने पहले कहा कि १२ बुकमेकर्स हैं और मेरठ में १५ हैं। ये ही दो सेन्टर्स यू० पी० के अन्दर रेस के हैं। ये जो १२ बुकमेकर्स हैं ये लखनऊ में जुआ खेलने के लिए १५० रुपये रोजाना फीस लखनऊ रेसकोर्स को देते हैं और उसके जरिये से लखनऊ रेसकोर्स को एक लाख बहत्तर हजार रुपये की सालाना आमदनी होती है तो जो गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लेते हैं और जो प्राइवेट तौर पर बिजनेस (व्यवसाय) करते हैं। गवर्नमेंट का उनके ऊपर कोई कंट्रोल (नियन्त्रण) नहीं है और वे गवर्नमेंट को इसमें कोई हिस्सा नहीं देते हैं। ये बुकमेकर्स जैसा कि हमारे लायक वजीर आजम साहब ने यह पेश किया है कि बुकमेकर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) हासिल करें, यह बिलकुल ठीक है। क्योंकि ऐसे भी बुकमेकर्स हैं जो गवर्नमेंट को अपना टैक्स तक अदा नहीं करते। एक बुकमेकर ऐसा है जिसने टैक्स का एक पैसा भी नहीं दिया और यहां से भाग गया। तो जब तक वह बारह हजार रुपया जमा न कर दे तब तक उसको लाइसेंस न दिया जाय। क्योंकि अगर वह भाग जायगा और बारह हजार में से कुछ भी छोड़ जायगा तो वह फायदा कुछ तो गवर्नमेंट को होगा ही। अगर सब लेकर भाग जायगा तो क्या फायदा होगा। तो मेरे संशोधन का मंशा यह निकलता है कि बुकमेकर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट हासिल करें। सिर्फ इसीलिए नहीं कि यह शरीफ आदमी है बल्कि यह कि उसकी हैसियत क्या है? इसमें यह भी कहा गया है कि एक हजार रुपये माहवार जो बारह हजार रुपये सालाना होता है वह भी जमा कर दे। इसकी वजह यह है कि बुकमेकर्स का यह पेशा है, बिजनेस (व्यवसाय) है। जब ये लोग बिजनेस (व्यवसाय) करने निकलते हैं तो चाहे छोटा से भी छोटा बुकमेकर हो उसकी आमदनी बीस हजार रुपये सालाना होती है और जो बड़े बुकमेकर्स हैं, जिनके पास कैपिटल (पूंजी) है, जो बड़े जुआड़ी हैं उनकी आमदनी ५० और ६० हजार रुपये तक होती है। फिर कोई वजह नहीं मालूम देती कि जुआ खेलाने वाले

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फंथम]
बुकमेकर्स लाइसेंस क्यों न ले और सर्टिफिकेट हासिल करे ? इसके कोई माने नहीं है। हम यह समझते है कि सर्टिफिकेट ले और रुपया दाखिल न करे। हर शख्स डिप्टी कमिश्नर के पास कोई सिफारिश कर सकता है वो चार आदमियों की सिफारिश और भी वह ले जाता है और उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसकी कोई रुपये की हैसियत नहीं होती है, खुदा जाने उसकी क्या हैसियत है। अगर कोई शख्स ठीक ईमानदारी से पेशा चलाना चाहता है तो उसकी कोई माली हैसियत भी होनी चाहिये। उस शख्स की माली हालत ऐसी होनी चाहिये कि वह १२ हजार रुपया फीस भी गवर्नमेंट को दे सके। मेरा मंशा यह है कि आइन्दा से कोई तारीख मुकर्रर हो जाय पहली जुलाई या और कोई तारीख। उसके बाद कोई बुकमेकर खड़ा होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां से सर्टिफिकेट हासिल करे और उसकी माली हैसियत भी अच्छी हो। अगर वह १२ हजार रुपया फीस के बतौर दाखिल न करे तो उसकी दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किसी तरह की तवज्जह नही करनी चाहिये। इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपने अमेंडमेंट (संशोधन) को हाउस के सामने पेश करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे वजीर आजम साहब इसको एक्सेप्ट (स्वीकार) करेंगे। यह तो सीधी सी बात है जो सब लोगों की समझ में आ सकती है। १२ हजार की फीस से गवर्नमेंट को फायदा होगा। करीब डेढ़ लाख रुपये का फायदा होगा क्योंकि १२ बुकमेकर है और हर एक १२ हजार देगा। इसमें फायदे की बात है और कोई नुकसान नहीं है।

श्री अब्दुल बाकी--मिस्टर मुहतरम, इस बिल मे बताया गया है कि बुकमेकर के ऊपर जो टेक्स होता है वह वसूल नहीं होता है और वह कोशिश करते है कि किसी तरीके से उसको न देना पड़े इसकी शक्लें दो होती हैं एक यह है कि डिफाल्ट (गलती) होने पर मुकदमा चलाया जावे, सजा दी जावे। दूसरा यह कि पहले लाइसेंस के मौके पर कुछ रकम उनसे जमा करा ली जावे। अगर मुकदमा चलाया जायगा तो उसमें वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है देर में उस पर अमल होता है और दूसरे पता नहीं कि अदालत का रुख उसके बारे में क्या हो और क्या अदालत का फैसला हो। उसके बारे में शहादत या गवाही गुजरेगी या नहीं, अदालत की राय किस तरह पर कायम होगी, दरहकीकत ऐसा होता है कि वाकयात सही होते हैं, शहादत बिगड़ने पर केस बदल जाता है और मुआफिक नहीं होता है। और भी ज्यादा दिक्कत की बात हो जाती है इसलिये यह बहुत आसान तरीका है कि कुछ रुपया बुकमेकर से पहले जमा करा लिया जाये तो फिर ज्यादा परेशानी नहीं हो सकती, अगर वह टेक्स वक्त पर अदा भी नहीं करेगा तो जो रुपया जमा रहेगा वह उससे पूरा कर लिया जायगा क्योंकि वह बतौर जमानत के पहले से आपके पास जमा है ही। उसके जरिये से आसानी से टैक्स वसूल किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि फंथम साहब का जो तरमीम है वह निहायत मौजूं है और वह वसूली के लिए निहायत मुनासिब तरीका है। अगर यह तरमीम मंजूर कर ली गई तो गवर्नमेंट को कम से कम तीन लाख रुपये का फायदा होगा। यकीनन मुकदमे के चलाने में गवर्नमेंट का ज्यादा सर्फ होगा। और मुकदमे के दायर हो जाने के बाद

भी खौफ रहेगा कि मुकदमा आपके फेवर (पक्ष) में होता है या नहीं। मैं समझता हूं कि अगर इस बिल को लाने में दरहकीकत सही मकसद है तो इस तरीके से गवर्नमेंट को आसानी हो जायगी। और इस नजरिये और उसूल के मातहत मैं समझता हूं कि फैयम साहब ने जो तरमीम पेश की है वह निहायत ही मुनासिब है और उसको जरूर मंजूर होना चाहिये। इसलिये मैं इन चंद अल्फाज के साथ इस तरमीम की जो इस बिल के मुताल्लिक पेश है ताईद करता हूं।

*श्री मुहम्मद असरार अहमद--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जिस तरमीम का नोटिस फैयम साहब ने दिया है उसमें मैं यह अर्ज करता हूं कि आपने यह कोशिश की है कि सूबे का रेवेन्यू (मालगुजारी) बढ़ जाय और साथ ही साथ उस मुसीबत से जो एक दबा की शक्ल में हमारे सूबे में फैली हुई है और जिससे लोग नाजायज तरीके से बहुत ज्यादा फायदा अभी तक उठाते रहे हैं उनसे काफी रकम हमें मिल सकेगी। उसकी वजह यह है कि हम यह देख रहे हैं कि हम लोगों के पास गनों के लाइसेंस है, रिवाल्वरों के लाइसेंस हैं उसकी कुछ न कुछ फीस लाइसेंस की मुकर्रर है। इसलिये यह समझ में नहीं आता है कि यह बुकमेकर लाइसेंस को फीस से क्यों मुस्तसना किये गये हैं। ऐसी सूरत में हमें अफसोस है कि उन्होंने वार (युद्ध) के जमाने में सब से जबरदस्त रकम बनाई है। जब कि गवर्नमेंट कैपिटलिज्म (पूंजीवाद) को खत्म करने जा रही है तो अगर उनके पास से रकम निकलकर कुछ सोसाइटी के पास जाय और दूसरे लोग उससे फायदा उठा सकें और प्राविंस (प्रांत) के रेवेन्यू वगैरह में कुछ तरक्की हो सके तो यह क्या बुरी बात है? इसलिए ऐसी सूरत में उम्मीद करता हूं कि वजीर आजम साहब इस तरमीम को जो कि बहुत ज्यादा माकूल है और उनके ही फायदे के लिए हैं और उनको इस सूबे की हुकूमत को अच्छे तरीके से चलाना है, वह इसको मंजूर फरमायेंगे। इसके बारे में कोई खास ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं मालूम होती है अगर वह इस १२ हजार की रकम को, जिससे कि तीन चार लाख का फायदा होगा, ज्यादा समझते हैं तो चाहें तो इसको कुछ कम कर दें। यह उनके अख्तियार में है। चाहें तो वह इसको दस हजार कर दें या आठ हजार कर दें, लेकिन रकम ऐसी रखें जिससे कि आमदनी बढ़े और जो रुपया उनकी जेब में जा रहा है, जिसका वह नाजायज फायदा उठा रहे हैं, वह हमको मिले। तो मैं समझता हूं कि वजीर आजम साहब इसको कुछ और मजीद तरमीम के साथ मंजूर करेंगे।

माननीय प्रधान सचिव--मैं फैयम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पहले तजवीज की थी जिसके जरिये १० परसेण्ट हमने सब बेट्स (बाजी) पर गवर्नमेंट का हिस्सा रक्खा था और उसके जरिये हमारी काफी आमदनी रही है। अब भी उन्होंने तजवीज इस तरह की की है कि जिससे गवर्नमेन्ट की आमदनी बढ़े। मगर आमदनी बढ़ाने की भी कोई हद होती है। अगर सोने की मुर्गी को मार दिया जाय तो फिर अण्डे देना बन्द हो जाता है। यह आमदनी बुकमेकर्स के जरिये से होती है। अगर इन बुकमेकर्स का रहना ही गैर-मुमकिन कर दिया जाय तो न रेस ही हो सकती है और न आमदनी ही हो सकती है। बुकमेकर्स इस काम से अपनी गुजर करते हैं। अगर १२ हजार टैक्स इन पर लगा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[माननीय प्रधान सचिव]

अगर १२ हजार रुपये जमा सकते थे तो दुनिया में और भी पेशे थे जो वह करते। मगर इस बात में मुझे ज्यादा बहस नहीं है। वैसे भी मुझे यह तरमीम कुछ कायदे के खिलाफ लगती है। पहले तो यह बात कि कोई टैक्स इस किस्म का लगाया जाय, एक सबस्टेंटिव (ठोस) चीज होनी चाहिए। उसके बाद यह हो सकता है कि इतनी फीस लगाई जाय। इसके लिए कोई सबस्टेंटिव प्रपोजल (ठोस प्रस्ताव) नहीं है कि बुकमेकर्स पर फीस होनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, न लाइसेन्स का प्रावीजन (व्यवस्था) है। तो जब तक इस तरह की चीज नहीं है इस किस्म का अमेंडमेंट (संशोधन) लाना कि——

"Provided the person applying to become a licensed book-maker has deposited in the Government Treasury a sum of Rs. 12,000/-

ठीक नहीं है। पहले तो इसके लिए कम्पलसरी लेवी (अनिवार्य कर) होनी चाहिए, तब टैक्स का सवाल होता है और अब तक, जैसा कि इस हाउस ने पहले तय किया है, १० परसेण्ट की शरह मुकर्रर की है और वह काफी ऊँची शरह है। उससे पारसाल ६५ दिन में तीन लाख की आमदनी हुई थी। पहले ५ साल की औसत आमदनी का करीब-करीब पांच हजार आता है। अब ४० दिन की आमदनी का औसत कोई १३ हजार रोजाना का आता है। तो इस तरह काफी आमदनी बढ़ी है। अब इससे आगे जाना मुनासिब मालूम नहीं होता। मगर इसहाक साहब ने जैसा कहा, रूल्स (नियम) के मुताबिक हम इसको रख सकते हैं। अगर देख-भाल के बाद मालूम हो कि कोई इस किस्म की तजवीज रखी जा सकती है और वह मुनासिब है तो आगे वह रखी जा सकती है। उस पर सोच विचार करके गौर हो सकता है। मगर मैं समझता हूँ कि फौरन ही इस किस्म की तरमीम को मान लेना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि फैन्थम साहब इस तरमीम को वापस ले लेंगे।

श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैंथम——जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें आनरेबिल वजीर आजम साहब को एक थोड़ी सी गलतफहमी हो गयी है, और वह यह है कि हर चीज पर १० परसेंट टैक्स लगता है। इसमें थोड़ी सी गलती है। यह १० परसेंट टैक्स जो रेसकोर्स (घुड़दौड़) से वसूल किया जाता है तो वह सिर्फ आम-पब्लिक से वसूल होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं। आम पब्लिक का आदमी बुकमेकर के पास जाता है और वह १०० रुपये लगाता है। तो बजाय १०० रुपये के उसको ११० रुपये देने पड़ते हैं। तो यह टैक्स आम पब्लिक के आदमी को देना पड़ता है जिसका नाम पंटर है। बुकमेकर को एक पैसा किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ता है। सिर्फ इनकम-टैक्स और लाइसेंसिंग फ़ी देनी पड़ती है; मैं तैयार हूँ जैसा कि वजीर आजम साहब ने कहा है कि जब रूल्स (नियम) फ्रेम होंगे (बनाये जायेंगे) तो यह उसमें कंसीडर (विचार) हो जायगा।

माननीय प्रधान सचिव——मैंने यह नहीं कहा है कि कंसीडर (विचार) हो जायगा। मैंने कहा है कि यह कंसीडर (विचार) करने की बात हो सकती है।

श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैंथम——लेकिन यह लाजिम है। जब पंटर देता है तो क्या वजह है कि बुकमेकर न दे। बुकमेकर की आमदनी काफी है। अगर बुकमेकर को आमदनी नहीं होती तो हर बुकमेकर डूब जाता और रेसकोर्स बन्द हो जाता। फर्ज कीजिए

कि हजार आदमी रेस-कोर्स में जाते हैं और हर आदमी चाहता है कि हम जीत जायें। तो अगर उसका दिमाग ऐसा ठीक न होता, उसको विनिंग चान्स (जीतने का मौका) न होता तो हजार आदमी उसको एक दिन में तबाह कर दें। लेकिन बुकमेकर का तरीका ऐसा है कि वह कभी नहीं हारता है। जैसा कि मैंने कहा है उनके पास २० हजार से लेकर ५० हजार तक आता है, जब गवर्नमेंट ने कहा है कि बुकमेकर को एक लाइसेंस लेना है जैसे कि एक रिवाल्वर वाले को लाइसेंस लेना पड़ता है, तो क्या वजह है कि यह बुकमेकर जिनकी आमदनी बीस हजार से पचास हजार है बारह हजार रुपया लाइसेंस के लिए न दें। दस हजार अप्लीकेशन्स (प्रार्थना-पत्र) आई हैं उनमें से सिर्फ बारह आदमियों को लेना है। कोई और तरीका एलेक्शन (चुनाव) का होना चाहिए। अगर वह ऐसा करते हैं और बेइमानी नहीं करना चाहते हैं तो अपने आप बारह हजार रुपया हासिल करके लाइसेंस खरीदेंगे।

डिप्टी स्पीकर--माननीय प्रधान सचिव देखेंगे कि हिन्दी की जो असली नकल है उसमें धारा २ में यह लिखा है कि "मूल ऐक्ट की धारा २ के वाक्य खण्ड (२) में यह वाक्य-खण्ड "(२)" नहीं है बल्कि उप-धारा "(११)" है। श्री फैथन ने भी उपधारा "(११)" ही लिखा है।

माननीय प्रधान सचिव--मैं आप की इजाजत से यह प्रस्ताव करता हूँ कि "वाक्य-खण्ड "२" के बजाय "११" कर दिया जाय।

डिप्टी स्पीकर--मैं इसी पर पहले राय ले लूं।

प्रश्न यह है कि धारा २ की पहली पंक्ति में जो "वाक्य-खण्ड" (२)" आया है, उसे हटाकर उसके स्थान पर वाक्य-खण्ड "(११)" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा २ के अन्तर्गत मूल ऐक्ट की धारा २ उप-धारा (११) में शब्द "thereof" के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें:--

Provided the person applying to become a licensed book-maker has deposited in the Government Treasury a sum of Rs. 12,000/- (Rupees twelve thousand) by way of his annual fee to stand as a book-maker at racing centres.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि संशोधित धारा २ इस बिल का हिस्सा मानी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ३ से ५ तक

३--मूल ऐक्ट की धारा ६ की उपधारा ३ में से शब्द "of this section and of section 5" निकाल दिये जायेंगे।

संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट नं० ८, सन् १९३७ई० की धारा ४ की उप-धारा (३) का संशोधन।

४--मूल ऐक्ट की धारा ५ के स्थान पर नीचे लिखी हुई धारा रक्खी जायगी अर्थात्:--

संयुक्त प्रांत के ऐक्ट नं० ८, सन् १९३७ ई० की धारा ५ का संशोधन।

"5. (1) No person liable to pay entertainment tax shall enter or obtain admission to an entertainment without payment of the tax leviable under section 3."

"(2) Any person who enters or obtains admission to an entertainment in contravention of the provisions of sub-section (1) shall, on conviction before a Magistrate, be liable to pay a fine not exceeding two hundred rupees and shall in addition be liable to pay the tax which would have been paid by him."

"(3) If any person liable to pay entertainment tax is admitted to a place of entertainment without payment of the tax leviable under section 3, the proprietor of the entertainment to which such person is admitted shall, on conviction before a Magistrate, be liable in respect of every such contravention to a fine not exceeding Rs.500"

५—मूल ऐक्ट की धारा ९ के बाद नीचे लिखी हुई धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात :-

9-A. Notwithstanding anything contained in any other law and without prejudice to the provisions of sub-section (1) of section 5, the District Magistrate may by order revoke or suspend any licence for an entertainment granted under any law for the time being in force, if the proprietor of such entertainment is convicted under the provisions of the Act. A copy of the order shall be communicated to the proprietor within one month, who may appeal to Government within a similar period from the date on which the order is served. The order passed in appeal by Government shall be final and conclusive.

Explanation.—(1) The order of the District Magistrate shall be deemed to be duly served of a copy thereof is delivered to the proprietor in person, or, if the District Magistrate is satisfied that such personal service can not be made, then by a affixation of a copy of the order at a prominent place at the site of the said entertainment.

(2) For the purposes of this section the word "licence" shall be deemed to include a licence or permit granted by any local authority.

"9-B. (1) Norwithstanding anything contained in section 56 of the Indian Easements Act, a ticket for admission to an

entertainment shall not be re-sold for profit by the purchaser thereof."

(2) Whoever re-sells any ticket for admission to an entertainment for profit shall be punishable with fine not exceeding Rs. 200."

डिप्टी स्पीकर—धारा ३, ४ व ५ में किसी तरमीम की इत्तिला नहीं है और मैं समझता हूं कि अगर किसी माननीय सदस्य को एतराज न हो तो तीनों के मुताल्लिक एक ही सवाल के जरिये राय ले लूं।

सवाल यह है कि धारा ३, ४ व ५ इस बिल का हिस्सा मानी जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—६

संयुक्त ऐक्ट १९४ धारा संशो

६—संशोधक ऐक्ट की धारा ३ में से आरम्भ होने वाले और "on behalf of the Government" पर अंत होने वाले शब्द निकाल दिये जायेंगे और मूल ऐक्ट की धारा १४ के स्थान पर, जैसा कि वह समय समय पर संशोधित हुआ है, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी:—

14. (1) There shall be charged, levied and paid to Government on all moneys paid or agreed to be paid as a bet to a licensed book-maker, by a backer, in an enclosure set apart, on any race, a tax on backers (herein after referred to as "the betting tax") at a prescribed percentage not exceeding ten per cent. of all moneys paid or agreed to be paid by backer to licensed book-maker on account of a bet laid by the backer in each race with the book-maker.

(2) The betting tax shall be collected by the licensed book-maker with the money laid by the backer with the licensed book-maker at the time when the bet is laid and in case of credit bets at such time as may be prescribed.

श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैंथम—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित बिल की धारा ६ में जहां कहीं भी शब्द "ten" आया हो इसके स्थान पर शब्द "twenty" रख दिया जाय। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी गवर्नमेंट को इस वक्त रुपये की सख्त जरूरत है। अभी काफी बदनामी हुई जब कि सेल्स टैक्स बिला वजह हम लोगों पर लादा गया। इसमें बड़ी खराबियां है और आम पब्लिक इससे डिसैटिसफाइड (असंतुष्ट) है। अगर हमारी बात गवर्नमेंट मान लेगी तो एक साल के अंदर गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ सकती है और आम पब्लिक को भी बहुत कम शिकायत होगी। इससे हमारी आमदनी १० लाख रुपये के बजाय २० लाख रुपये हो जायगी। ऐसी जगह अगर वह आमदनी बंद कर दी जाये तो जैसा कि हमारे

[श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फंगास]

वजीर आजम ने कहा कि We should not kill the goose that lays the golden eggs (हम लोगों को सोने के अण्डे देने वाली मुर्गी को नहीं मारना चाहिये) लेकिन कभी-कभी हमें इसमें भी डिफरेंशियेट (विभेद) करने की जरूरत पड़ती है। अगर हमें दस लाख रुपया जुआ में मिल जाय तो उसे वसूल करना चाहिये ऐसे तो से ५० जरिये बताया सकता है। जिसके लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों की आमदनी हो सकती है। फर्ज कीजिये कि आप एक भाव (भाग) लगा देते हैं तो वह आपको एक करोड़ रुपये का हासिल होगा। मगर एक करोड़ रुपया राज देगा। तब भी आप यह कहेंगे "Do not kill the goose that lays the golden eggs." 'सोने के अण्डे देने वाली मुर्गी को मत मारिए' तो क्या उसको खत्म नहीं करेंगे? यह बड़े अफसोस की बात है जिस तरह हम गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं और कोशिश करते हैं तो वह भी नहीं मानी जाती। अव्वल तो कहा यह जाता है कि अपोजीशन जिस तरह गवर्नमेंट के खिलाफ

त प्रांत के ११, सन ७ ई० को ३ में षित।

[illegible]) करता है। अभी जो कहा बढ़ाने की तजवीज बताई है उनसे बजाय गवर्नमेंट की आमदनी कम हो जायेगी। कोई शख्स ऐसा अलग वजह अपनी जेब में से रुपया निकाल दे, वह कुछ न कुछ जरूर कहेगा। जायदाद से पब्लिक में रुपया मांगें तो मेरे ख्याल में यह गवर्नमेंट एक [illegible] बैठ जायेगी। जैसा कि मैंने मिसाल पेश की है, फर्ज कीजिये कि एक शख्स जुआरी है और वह घर से १०० रुपये का नोट लेकर चलता है कि या तो इसको हार आऊंगा या इसके दुगने करके रहूंगा। अगर वह हारता है तो इसमें हर्ज हो सकता है कि वह कुल रुपया बजाय बुकमेकर को दे, वह ८० रुपया बुकमेकर को दे और २० रुपया गवर्नमेंट को दे। अगर वह जीतता है तो खुशी से गवर्नमेंट को २० रुपया दे देगा। इसमें नाखुशी की कोई वजह नहीं है। वैसे कोई इन्सान खुशी से रुपया नहीं देना चाहता है। मगर आपका फर्ज है कि आप गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ायें। हम लोग यहां तो रोज सुनते हैं कि ११०० स्कूल खोले जायेंगे, इतने दवाखाने खोले जायेंगे लेकिन म्युनिसिपैलिटीज की हालत बड़ी खराब है, सड़क बहुत ज्यादा खराब है, म्युनिसिपल बोर्ड अगर पांच लाख रुपया मांगती है तो हम देखते हैं कि आप उसको रुपया नहीं देते हैं। एक तरफ तो आप रुपया भी नहीं देते हैं और दूसरी तरफ आमदनी भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं मैं वजीर आजम साहब से कहूंगा कि वह हमारी बात मान ले और १० परसेंट के बजाय २० परसेंट कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वजीरे आजम साहब भी इस बात को मानेंगे कि कोई बुकमेकर टैक्स नहीं देता है और न कोई रेसकोर्स वाला टैक्स देता है लेकिन नाराज होता है रेसकोर्स वाला ही। वजीरे आजम साहब ने अभी कहा है कि मुखालफत करने वालों में चीफ कोर्ट के जजेज थे और आई० सी० और डी० आई० जी० वगैरह थे। जब मैंने ५ परसेंट के बजाय १० परसेंट करने के लिए कहा तो कहा गया कि यह वाहियात बात है इससे रेसकोर्स बंद हो जायेंगे। बल्कि तरक्की ही रेसिंग में हुई और उसने पूरा टैक्स अदा किया और १० या ८ लाख रुपया मिला जब कि आपको पहले ३ या ४ लाख रुपया मिला करता था। इसलिये ६ महीने के लिए, ट्रायल (परीक्षा) लीजिये अगर आप चाहते हैं कि रेसिंग खत्म हो लेकिन अगर हमारी

गवर्नमेंट उसको खत्म नहीं करना चाहती है और उसको उसमें दिलचस्पी है और उसके साथ मुहब्बत रखती है तो ६ महीने के लिए ट्रायल दीजिये फिर आप देखिये कि यह लखनऊ रेसकोर्स के बुकमेकर्स मर रहे हैं। जब आप को यह पावर है कि एक बिल पेश कीजिये और उस वक्त २० परसेंट या आप १० परसेंट कर दीजिये या २ परसेंट या बिल्कुल ही माफ कर दीजिये। मुझे पूरी उम्मीद है कि वजीर आजम साहब इसको कम से कम जरूर मंजूर करेंगे।

श्री अब्दुल बकी--कब्ल इसके कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं मैं बतलाना चाहता हूं कि १० परसेंट के बजाय जो २० परसेंट करने की तरमीम लाई गई है उसका मकसद यह है कि जो वसूल होगा वह १० परसेंट से ज्यादा होगा, यह नहीं है कि लाजुमी २० परसेंट ही होगा। जब १० का अल्फाज हम हटा लेंगे और २० कर देंगे तो इसके मानी यह होंगे कि हमको अख्तियार रहेगा कि हालात के लिहाज से जब हालात मुनासिब हों हम उसको २० परसेंट कर सकते हैं और इस तरह से २० परसेंट तक हम वसूल कर सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट के लिये यह लाजिमी नहीं होगा कि खामख्वाह वह २० परसेंट वसूल ही करे। अभी मेरे लायक दोस्त वजीर आजम साहब ने कहा कि वह इस बात से यानी कि बेटिंग खत्म हो जाने के मुतफिक हैं। अगर इस उसूल से उनको इत्तफाक है तो मैं अर्ज करूंगा कि दो ही शक्ल होती है, या तो कानून बना दिया जावे और एक कलम उसको खत्म कर दिया जाये। दूसरी शक्ल यह है कि ऐसी पाबंदियां लगा दी जावें जो वह खुद ही खत्म हो जावे, उसका चलना दुश्वार हो जावे। अगर यह चीज ठीक है कि बेटिंग को रफ्ता-रफ्ता खत्म होना चाहिये और उसको खत्म हो जाना चाहिये और अगर इस गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है इसको एक कलम खत्म करने की तो मैं अर्ज करूंगा कि कोई जरिया अख्तियार करके उसे धीरे-धीरे खत्म कर दे। और हमारी पापुलर डिमांड (जनप्रिय मांग) को पेशे-नजर रक्खे। दूसरी तरफ आज कल जिस चीज की हमारी गवर्नमेंट बहुत भूखी और प्यासी है वह भी वसूल होता रहे। भूखी और प्यासी इस वजह से कहा कि गवर्नमेंट को आज कल मालूम होता है कि रुपये की बहुत जरूरत है। सेल्स टैक्स के खिलाफ पब्लिक में इतना ज्यादा मजाहरा हो रहा है, नाराजगी जाहिर की जा रही है लेकिन गवर्नमेंट ने उसको पास कर दिया। मैं समझता हूं कि यह तरमीम निहायत ही मुनासिब है। और गवर्नमेंट को इस तरमीम को मंजूर (स्वीकार) कर लेना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा यह कहा जायेगा कि २० परसेंट की शरह बहुत ज्यादा है, इस किस्म के टैक्स का भार बहुत ज्यादा हो जायेगा लेकिन सवाल तो यह है कि हम तो चाहते हैं कि ऐसा बार डालिये कि आप इसको अपनी मर्जी से खत्म न करें लेकिन दूसरे मजबूर होकर जब बार बरदाश्त न कर सकें तो खुद ही इसको तर्क कर दें और बेटिंग अपनी मौत खुद मर जावे। मैं समझता हूं कि जो फैयर साहब का सजेशन (सुझाव) है कि नाट एक्सीडिंग २० परसेंट (२० प्रतिशत से अधिक नहीं) यह बहुत रीजनेबिल (युक्तिसंगत) है। यह आपके ऊपर है कि आप २० परसेंट ही कीजिये या १० परसेंट कीजिये। आप २० परसेंट लिमिट (सीमा) रखिये। मुल्क का तकाजा है तो हर तरफ से आवाज बुलंद होगी कि इस मुकाम की बेटिंग पर ज्यादा से ज्यादा

[श्री अब्दुल बाकी]

वसूल होना चाहिये । तो पापुलर डिमांड के मुकाबले में आपको यील्ड (समर्पण) करना चाहिये जो चीज इस तरमीम में मोतबिर है वह यह है कि आज मुल्क का मुतालिबा है कि बेटिंग खत्म हो जाना चाहिये और उसके खत्म होने का यह एक जरिया है। और गवर्नमेंट का खुद यह एक मंशा है कि इस सूबे में काफी रुपया जमा होना चाहिये। तो अगर यह तरमीम मंजूर होती है तो वह मकसद भी जायज तौर पर आपका पूरा होगा । यह मैं इस बिना पर कह रहा हूं कि आम पब्लिक पर इसका भार नहीं पड़ेगा । अगर आप कोई ऐसा टैक्स लगाते जिस से आम पब्लिक पर बार पड़े तो हर जगह से सदाये एहतिजाज बुलंद होती, जैसा कि सेल्स टैक्स के ऊपर हुआ है कि हर तबके के ऊपर, मुतवस्सितउल हाल, अमीर, गरीब, सब पर उसका बार पड़ा इसलिये तिजारत पेशा और गैर तिजारत पेशा सब लोगों ने उसकी मुखालिफत की । दूसरे आनरेबिल वजीर आजम साहब ने कहा कि मैं खुद ही कभी रेस में नहीं आता तो इस किस्म के बहुत से आदमी हैं। मैंने तो कभी देखा ही नहीं । तो यह टैक्स ऐसा महदूद है कि इसका कोई असर मुल्क पर नहीं होगा बल्कि मुसीबत उन्हीं लोगों पर नाजिल होगी जो रेस में और बेटिंग में शिरकत करते हैं। जहां तक कि रीजन (युक्ति) और माकूलियत का ताल्लुक है तो यह तो करीबकयास बात मालूम होती है कि जो फैयम साहब ने तजवीज पेश की है उसको गवर्नमेंट जरूर मंजूर कर ले । गवर्नमेंट का खुद इसमें फायदा है । और अगर गवर्नमेंट नहीं मंजूर करेगी तो वह जिद के अलावा और कोई बात नहीं है । यानी हम जो बात कहें, वह सही भी हो, जमाना उसका मुक्काजी हो उसको भी आप मंजूर न करें तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है लेकिन जहां तक अक्ल, फ़रासत, दानाई और दूरअंदेशी का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि यह तरमीम निहायत मोजूं है और इसको मंजूर हो जाना चाहिये ।

* श्री मुहम्मद असरार अहमद--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो तरमीम पेश की गयी है वह माकूल भी है दुरुस्त भी है । लेकिन मुझे तो गवर्नमेंट से सिर्फ यह मालूम करना है कि आज कल रुपये की कीमत क्या हो गयी है एक रुपया ४ आने के बराबर है । अगर एक रुपये को एक रुपये की हैसियत देना है, उसी हिसाब से रेवेन्यूज कलेक्ट करने हैं तो मैं तो यह कहता हूँ कि १० परसेंट के बजाय १०० परसेंट होना चाहिये । यहां तो आमदनी बढ़ती जा रही है । लोगों के पास अफरात से पैसा है यहां तक कि लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं, टिकट तक नहीं मिलते । सवाल यह नहीं है कि इंटरटेनमेंट में पैसा खर्च हो, बल्कि यह है कि पैसा कैसे खर्च हो और अगर यह पैसा हमारे पास आए तो उसे गवर्नमेंट नेशन बिल्डिंग के काम में खर्च कर सकती है । तो अगर आप यह तरमीम मंजूर करते हैं कि २० परसेंट तक की शरह से टैक्स लगाया जाय तो यह तो गवर्नमेंट के अख्तियार में होगा कि वह १० परसेंट ही लगाए या ७॥ परसेंट लगाए या १२ परसेंट तक रखे । पर दूसरे सूबों में, बंबई में, कलकत्ते में, १५ परसेंट तक है । लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा आमदनी का सूबा है, ज्यादा सर्के का सूबा है जिसको देखकर दूसरे सूबों को सबक हासिल करना चाहिये वह इसमें पीछे है । यहां तो यह है कि चाहे कम

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

मे कम रेवेन्यू आये मगर सेल्स टैक्स अदा हो जाय । हमे तो ऐसा जरिया पैदा करना चाहिये जिसमे फायदा भी हो और लोगो को तकलीफ भी न हो । आप देखेंगे कि जिस वक्त ५ परसेंट से १० परसेंट किया गया तो कोई एतराज नही किया गया ।

लेकिन आपने देखा कि वह बहुत आसानी से अदा कर दिया गया और उससे हमारा फायदा हुआ और अब भी आपको इस तरमीम से अख्तियार रहेगा कि आप जो चाहें करे और जब चाहे बढ़ा सकते है लेकिन इस तरमीम से आप के कारोबार मे किस तरह से रुपया वसूल होगा उसने कोई गड़बड़ी नहीं होती । लिहाजा इस माकूल तरमीम के मंजूर करने मे कोई गुरेज होना मुनासिब नहीं है । मै अपील करूंगा कि इसको जरूर मंजूर होना चाहिये ।

श्री मुहम्मद शकूर—मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहब, यह तरमीम जो एवान में पेश है यह एक तरह का थरमामीटर है । गवर्नमेंट के उन इरादों को जांचने का जो एवान मे मोहतरिम वजीरे आजम ने अपनी जबाने मुबारक से फरमाया है । जुआ एक लानत है इसको दूर करना चाहिए और अगर इस तरमीम को किसी वजह से बगैर कोई माकूल जवाब दिए हुए रद्द कर दिया गया तो मै यह समझूंगा कि गवर्नमेंट कहती कुछ है और उसका मशा कुछ है । लिहाजा ऐसी सूरत मे इस किस्म की तरमीम को बगर माकूल जवाब दिए हुए रद्द कर देना, वह खुद ही समझे कि किस हद तक हमको सरकार की तरफ से उसकी पालिसी को समझने में बदगुमान कर सकता है । लिहाजा जो तरमीम ऐवान मे पेश है मै उसकी ताईद करता हूं ।

माननीय प्रधान सचिव—जैसा मैंने पहले कहा था कि पहले सिर्फ ५ फीसदी टैक्स लगाया था और वह सिर्फ जीत कर लगता था । अगर कोई १० लगाता था और उस को १०० रुपया मिलता था तो उसे पहले कुछ नहीं देना पड़ता था और जो कुछ वह जीतता था उसको जीत के हिस्से पर टैक्स देना पड़ता था । लिहाजा इस तरह से किसी को अपना रुपया लगाते वक्त कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था । अब जब आखिर मे इस हाउस ने इस मसले पर गौर किया तो यह तै किया कि यह टैक्स बजाय ५ के १० फीसदी हो और वह सिर्फ जीत पर ही नहीं बल्कि हर बेट पर हो । इससे बड़ा भारी फर्क हो जाता है । एक मे तो सिर्फ जीत पर होता था और अब हर रुपए पर १० फीसदी देना पड़ता है । अगर कोई दस रुपया लगाता है और अगर दस दफा हार जाय तो यह एक ऐसा खेल है कि सब रुपया सरकार के पास आ जायगा मै समझता हू कि जहां तक आमदनी का ताल्लुक है यह तरीका बहुत अच्छा है और अगर २० फीसदी या ५० फीसदी हो जाय तो उसका नतीजा यह हो सकता है कि मौजूदा आमदनी भी खत्म हो सकती है । जिस हद तक बोझा बरदाश्त हो सकता है उसी हदतक रखना ठीक है और अगर ज्यादा बोझ रख दिया जायगा तो उससे आमदनी गिर सकती है और दो कदम भी नहीं चल सकता और उससे कोई फायदा नहीं होता । अभी आपको इस का तजुर्बा करना चाहिए । यह सही है कि आप सरकार की आमदनी बढ़ाना चाहते है और उसके लिए आपका शुक्रिया है । इससे आप अपनी दरियादिली और नेकनियती का सबूत देते है । आपकी नियत तो नेक होने के अलावा दूसरी हो नहीं सकती । सरकार को कम से कम

[माननीय प्रधान सचिव]

यह देखना पड़ता है कि जो तरीका बरता गया उसमें नुकसान होने का तो अन्देशा नहीं है । जो मशविरा देनेवाले हैं उनका क्या नुकसान है ; अगर होगा तो वह सरकार को उठाना पड़ेगा । सरकार को जरा एहतिहात से सब बातों को देखना पड़ता है । मै उम्मीद करता हूं कि अभी जो १० रु० का टैक्स लगाया है उसका तजुर्बा हमें देखना चाहिये और अगर यह मालूम हो जाय कि वह बोझा उठाया जा सकता है तो उम्मेद है कि आइन्दा हम उससे अपनी आमदनी बढ़ाने की गुंजायश निकाल सकते हैं । लेकिन इस वक्त तो इसे बढ़ाने की गुंजायश नहीं मालूम होती है।

*श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैंथम--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मै बहुत अफसोस के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी सरकार न तो समझने की कोशिश करती है और न इनफारमेशन गैदर (सूचना एकत्रित) करने की कोशिश करती है । वजीर आजम साहब ने कहा कि जब एक्ट पास किया गया था तो यह ५ फीसदी विनिंग (जीत) पर था । यह बिल्कुल सही है मै इसकी हिस्ट्री बतला दूं, कि जब हमारी कांग्रेस सरकार पावर में आई तो उसने ५ फीसदी बेटिंग पर बना दिया और सन् ३९ में जब सेक्शन ९३ था और अंग्रेज लोग जो रेसकोर्स से फायदा उठाते थे और मानोपाली (एकाधिकार) बनाए हुए थे, उन्होंने सन् ४१ में गवर्नर के पास जाकर कहा कि हम लोग तबाह हो रहे हैं और आमदनी का मौका नहीं है । आप अपनी स्पेशल पावर (विशेषाधकारि) से ५ फीसदी विनिंग (जीत) पर कर दीजिए कांग्रेस सरकार ने सन् ३७ में ५ फीसदी पर टैक्स लगाया था । मै दावे के साथ कहता हूं कि अगर वजीरआजम ऐक्ट को देख लें तो जो मै कहता हूं वहीं ठीक है और फिर सन् ४१ मे गवर्नर साहब ने स्पेशल पावर से उसको तरमीम किया और फिर हमने सन् ४७ में किया और ५ फीसदी बेट्स पर था वह अब १० फीसदी बेटिंग पर कर दिया । कलकत्ते में २० फ़ीसदी है, बंबई में साढ़े बारह है और अब १५ होनेवाला है और मद्रास में १५ फ़ीसदी हैं , तो क्या बजह है कि हम उसको २० फीसदी न कर दें । हम तो सरकार की पावर बढ़ाना चाहते हैं । आप एक टाप लिमिट (आखिरी सीमा) २० फीसदी की रखिए, आप एक साल तक एक हब्बा न बढ़ाइए और बल्कि घटा दीजिए मगर टाप लिमिट (अंतिम सीमा) २० फीसदी तक अपने हाथ में रखिए और अपने अख्तियार में रखिए क्योंकि जब आप इन्क्वायरी (जांच) करेंगे कि क्या-क्या नाजायज तरीके चल रहे हैं तो मालूम होगा कि वह रहम के काबिल नहीं हैं तो आप उस पर १८, २०, १४ या १५ फीसदी तक बढ़ा सकते हैं । मैं यह नहीं कहता कि आप उनको मार डालिए लेकिन आप अपने हाथ में पावर रखिए और २० फीसदी की टाप लिमिट (अंतिम सीमा) कर दीजिए । तीन महीने का ट्रायल दीजिए । वजीरे आजम साहब ने कहा है कि हमें अभी तजुर्बा करना है, क्योंकि ५ फीसदी से १० फीसदी कर दिया है । तो क्या इससे सरकार का फायदा नहीं हो रहा है ; क्या आप दस साल तक इसका इंतजार करेंगे कि यहां जुआ फैले ? क्या एक साल का तजुर्बा काफी नहीं है ? जो टैक्स आपने अभी बढ़ाया है उससे ८, १० लाख की आमदनी बढ़ी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप टाप लिमिट (अंतिम सीमा) कर देंगे तो

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

आमदनी बढ़ती जायगी और रेवेन्यू बढ़ेगा। और ऐसा कहना कि ये सब लोग रोते हैं, टैक्स नहीं देते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऐसा कौन शख्स होगा जो अपनी रजामंदी से अपनी जेब से टैक्स देना चाहता हो ? इस टैक्स में लिफन यह भी है कि यह कम्पलसरी (अनिवार्य) टैक्स नहीं है जैसा कि सेल्स टैक्स (बिक्रीकर) है। जो टैक्स नहीं देना चाहते हैं, वे रेसकोर्स में न जायं। अगर रेस का शौक है और देखने जाना चाहते हैं तो जायं। जबरदस्ती तो कोई टैक्स लिया नहीं जाता है। आप यह भी याद रखें कि जो आम पब्लिक जाती है वही टैक्स अदा करती है। रेसकोर्स और रेस क्लब वाले टैक्स नहीं अदा करते हैं। मगर रेसकोर्स वाले ही चिल्लाते हैं कि इन टैक्स से रेस मर जायगा, जो टैक्स देने वाले हैं उन्होंने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। वे बेचारे गरीब हैं। आप जिस तरह से चाहें उनसे ले लीजिये। जैसा कि मैंने कहा जो टाप लिमिट (अंतिम सीमा) है इनकी तादाद ज्यादा नहीं है। मुझे ताज्जुब होगा अगर गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट (स्वीकार) नहीं करती है। मैं कहता हूं कि आप पावर अपने हाथ में रखिये। आप दो परसेंट ही लीजिये, १० परसेंट न लीजिए, मगर ताकत तो अपने हाथ में रखिये। इससे जिस वक्त जरूरत होगी आप उस ताकत का इस्तेमाल कर सकेंगे। आप आम इन्क्वारी कीजिये और देखिये कि ठीक से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ठीक से काम चल रहा हो तो टैक्स हटाइये, अगर ठीक से नहीं चल रहा हो तो टैक्स को और बढ़ा दीजिये और उसको खत्म कर दीजिये। ये जो आफिशियल (अधिकारी) हैं वे ही गवर्नमेंट के पास लिखते हैं कि टैक्स के बढ़ाने से रेस तबाह हो जायगी, उसके जरिये से जो आमदनी हासिल होती है वह चली जायगी। जैसा मैंने पहले कहा कि ये स्टीवार्ड लोग और बुकमेकर लोग बिल्कुल नाजायज तरीके से रुपये हासिल करते हैं और लाइसेंस भी नहीं लेते हैं। बहुत से मेम्बर तो बाकायदा उसके मेम्बर भी नहीं हैं। वे अपना सब्स्क्रीप्शन (चंदा) तक भी नहीं देते हैं। एक स्टीवार्ड ने अपना सब्स्क्रीप्शन (चंदा) तक भी नहीं दिया है। जैसे बंबई, कलकत्ते वगैरह में एलेक्शन (चुनाव) किया जाता है, उसी तरह से अगर यहां पर भी हो तो आप बजाय १० परसेंट के दो परसेंट ही कर दीजिये, नहीं तो २० परसेंट का लिमिट (सीमा) कर दीजिये और अपने हाथ में ताकत रखिये ताकि जिस वक्त जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें। २० परसेंट टैक्स कर देने का माने यह नहीं है कि रेस तबाह हो जायगा। जो नफा का रोजगार वे लोग करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा मुल्क को भी मिलना चाहिये। मैंने देखा है कि रेस खेलने वाले बहुत से दिवालिया हो गये, तबाह हो गये, खुद वही आदमी नहीं तबाह हुआ, बल्कि उसका खानदान तक तबाह हो गया। इसके खेलने वाले हजारों फकीर हो गये

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि प्रस्तावित बिल की धारा ६ में जहां कहीं भी शब्द "टेन (दस)" आया हो उसके स्थान पर शब्द "ट्वेन्टी (बीस)" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर—माननीय प्रधान सचिव, आप धारा ६ को फिर से देखें—

माननीय प्रधान सचिव—मेरा मतलब है कि for section 3 thereof से आरम्भ होने वाले और on behalf of the Government. पर अन्त होनेवाले शब्द निकाल दिये जायं और मूल ऐक्ट की धारा १४ के स्थान पर जैसा कि वह समय समय पर संशोधित हुआ है, निम्नलिखित धारा रख दी जाय।

डिप्टी स्पीकर—तो आप इसकी तजवीज कर दें।

माननीय प्रधान सचिव—मैं यह तजवीज करता हूं कि धारा ६ में शब्द संशोधित ऐक्ट की धारा तीन में से और शब्द आरम्भ होने वाले के बीच में शब्द "and for section 3 thereof" रख दिये जायं।

डिप्टी स्पीकर—यह एक लफ्जी तरमीम पेश की गयी है जो हिन्दी में छपने से रह गयी है। मैं इसके मुताल्लिक सवाल पेश करूंगा।

सवाल यह है कि धारा ६ में शब्द "संशोधित ऐक्ट की धारा ३ में से" और शब्द "आरम्भ होने वाले" के बीच में शब्द "and for section 3 thereof" को रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर—अब धारा ६ के ऊपर कोई और संशोधन बाकी नहीं है। सवाल यह है कि संशोधित धारा ६ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—७

७—मूल एक्ट की धारा १६ के बाद निम्नलिखित नई धाराएं जोड़ी जायेंगी:—

Restriction on betting (बाजी लगाने पर रोक।)

"16-A. (1) No person shall bet on the result of any race held or conducted by a racing club except with the licensed book-maker and in an enclosure set apart for this purpose by that club.

(2) Any person who bets in contravention of the provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine not exceeding Rs.1,000.

Revocation and suspension of license of a book-maker. (किसी बुकमेकर के लाइसेन्स का रद या स्थगित किया जाना।)

"16-B. Without prejudice to any other provisions of this Act the District Magistrate may, by order, revoke or suspend the licences granted under clause (11) of section 2, if the licensee is guilty of contravention of the provisions of sections 14, 15, sub-section (2) of section 16 or sub-section (1) of section 16-A or of any rule framed under this Act. A copy of every such order shall be communicated to the licensee who may appeal to the Government or any such authority as may be prescribed within one month from the date on which the order is served. The order passed in appeal by the Provincial Government or the authority as the case may be, shall be final and conclusive.

Explanation.—The order of the District Magistrate shall be deemed to be duly served if a copy is delivered to the licensee in person or, if the District Magistrate is satisfied that such personal service cannot be made, then by affixation of a copy of the order at a prominent place at the race course at which the licensee is authorized to carry on his business of a licensed book-maker."

डिप्टी स्पीकर—दफा सात में कोई तरमीम की इत्तिला नहीं है ।

सवाल यह है कि दफा ७ इस बिल का हिस्सा मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

धारा—८

८—शब्द "Entertainments tax" के स्थान पर जहां कहीं ये मूल एक्ट में आय, शब्द "Entertainments taxes" रखिये ।

माननीय प्रधान सचिव—धारा ८ में जो पहला लफ्ज है वह Entertainment है। वह गल्ती से सिंगुलर (एकवचन) रह गया है। इस लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि वह Entertainments कर दिया जाय ।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ८ में शब्द 'entertainment tax" जो पहले आये हैं उनको "entertainments taxes" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि संशोधित धारा ८ इस बिल का हिस्सा मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

धारा—१

१—यह ऐक्ट संयुक्त प्रान्त का मनोरंजन और बाजी लगाने के टैक्स का (संशोधक) ऐक्ट, सन १९४८ ई० कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षक आरम्भ ।

डिप्टी स्पीकर—धारा एक जो है उसमें, हिन्दी की नकल में १ और २ छपा हुआ है। यह धारा के (१) (२) हिस्से हैं। आनरेबिल मेम्बरान अपनी अपनी हिन्दी की नकल में इसे दुरुस्त करलें। इसी के मुताबिक दफ्तर में दुरुस्ती कर ली जायगी ।

सवाल यह है कि धारा १ इस बिल का हिस्सा मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रस्तावना

चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि कुछ प्रयोजनों के लिए संयुक्त प्रान्त के मनोरंजन और बाजी लगाने के टैक्स के ऐक्ट, सन् १९३७ ई० (जिसे आगे चलकर "मूल ऐक्ट" कहा गया है) में और अधिक संशोधन किया जाय और संयुक्त प्रान्त के मनोरंजन और बाजी लगाने के टैक्स के (संशोधक) ऐक्ट, सन् १९४७ ई० में एक भूल का सुधार किया जाय ।

इस लिए नीचे लिखा हुआ कानून बनाया जाता है ।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि बिल की प्रस्तावना इस बिल का हिस्सा मानी जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

माननीय प्रधान सचिव—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि संयुक्त प्रान्त का इंटरटेनमेंट एंड बेटिंग टैक्स (अमेण्डमेंट) बिल, १९४८, (सन् १९४८ ई० का संयक्त प्रान्त का मनोरंजन और बाजी लगाने का (संशोधक) बिल अब पास किया जाय।

श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैंथम—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बहुत अफसोस के साथ चन्द बातें अर्ज करनी हैं। जो बिल गवर्नमेंट लाई है उसमें कोई मुबारकबादी का सवाल नहीं है। यह बिलकुल मामूली बिल है, प्रोसीज्योर (व्यवस्था) है। सिर्फ एक सेक्शन है जिस पर तारीफ या बदनामी का सवाल उठ सकता है। बुकमेकर और रेसकोर्स के फायदे के लिए गवर्नमेंट ने इस बिल के जरिये से यह तरमीम पेश की है।

और यह अफसोस की बात है कि जब हम लोग हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट सड़कों पर देहातो मे प्रीच (प्रचार) करते हैं कि हम गांव के आदमियों की तरफ से हैं और जनता को मदद देने के लिए तैयार हैं और हम प्रोहीबीशन (मद्यनिषेध) करने के लिए भी तैयार है मगर आज मुझे यकीन हो गया हैं कि प्रोहीबीशन के कोई मानी नहीं है। यह बिल्कुल ब्लफ (धोका) की चीज है। एक तरफ आप ७, ८ या ९ जिलों में प्रोहीबीशन (मद्यनिषेध) करते हैं, डेढ़ करोड़ का लास (नुकसान) होता है और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ताड़ीखाना बिकवाते हैं और १ करोड़ का फायदा होता है बैलेन्स शीट प्रोहीबीशन में आपको फायदा होता है आप को रुपये का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तरह से यह जाहिर हो गया है कि आम पब्लिक की तरफ से जो लोग अपना फेल ठीक नहीं कर सकते हैं और जिनका फेल ठीक करना हम लोगों का फर्ज है हमारी गवर्नमेंट का फर्ज है वह भी आज बिलकुल फेल्योर्स (असफल) हो गये हैं। अभी जैसा कि मैंने कहा था कि जो मतलब इस बिल का है वह तो यह है कि रेस घोड़ों पर कोई जुआ खेलना है तो चार दिवारी के अंदर खेला जाये, बाहर न खेला जाय। अभी मैंने बतलाया था कि स्टीवार्ड लोग बेईमानी करते हैं, लोगों से कहते हैं कि हमारे साथ बेटिंग कर लो, इस तरह आपका टैक्स बच जायगा, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी तरमीम लाइये जो बिलकुल सब चीज कवर (ढक) कर ले। लेकिन इस बिल का मंशा तो यह है कि वेस्टेड इंट्रेस्ट्स (निहित हित) जो कैपिटलिस्ट्स (पूंजीपति) हैं उनका फायदा हो। यह बुकमेकर्स क्या है। बुकमेकिंग प्राफिटएबिल (लाभदायक) चीज न होती तो बुकमेकर्स एक दिन भी खड़े नहीं हो सकते थे। मैं बतलाता हूं कि कोई रईस आदमी वहां बेटिंग के लिए नहीं जाते हैं मामूली आदमी जाते हैं। जिन को लालच होता है वह जाते हैं।

खानसामा जो २० रुपये तनख्वाह पाता है वह जाता है। उसकी आमदनी से गुजर नहीं होती। उसने सोचा रेसकोर्स में जाओ, वहां ६० रुपये हो जायेंगे। बेचारा गया और वह भी २० रुपये हार गया। उन लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि ऐसी तरमीमें पेश करूं ताकि थोड़े दिन बाद यह रेस कोर्स खत्म हो जाय। मगर हमारी गवर्नमेंट तो बुकमेकर्स का फायदा चाहती है। मैं चाहता हूं कि इललीगल बेटिंग (अवैधानिक बाजी) जो है वह खत्म हो जावे। यह जो १२ बुकमेकर्स है वह एक पैसा भी लाइसेंस फी नहीं देते, आम पब्लिक के आदमी को पिस्तौल तक के लिए लाइसेंस फी देना पड़ती है लेकिन जिनकी आमदनी ३० हजार से ५० हजार तक की है उनको एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इस तरह से कुछ रुपया वसूल करके गवर्नमेंट को दिया जावे। लेकिन मैं देखता हूं कि रेस कोर्स के बुकमेकर्स की तरक्की के लिए हमारी गवर्नमेंट यह बिल लाई है। कलकत्ते में रेस क्लब

है, बम्बई में है वहां बाकायदा मेम्बर होते हैं अपना सबस्क्रिप्शन (चन्दा) देते है, हर साल मीटिंग होती है, डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) वहां कायम है, एलेक्शन्स (चुनाव) वहां होते हैं। अगर पब्लिक की कोई ग्रीवेन्स (शिकायत) रह जाती है तो स्टीवार्ड लोग एक ही साल ज्यादती कर सकते हैं। साल खत्म होने पर पब्लिक कहेगी कि तुम लोग बेईमानी करते थे, हमारी बात नहीं मुनते थे और इस तरह वह निकाल दिये जाते हैं। हमारे लखनऊ में क्या होता है? स्टीवार्ड लोग सब्स्क्रिप्शन (चन्दा) नहीं देते हैं। सन् ४५ की जुलाई मे यह क्लब रजिस्टर्ड हुआ था। लखनऊ रेस क्लब इसका नाम था। बोगस (वाश्यात) रजिस्ट्रेशन हुआ। आर्टिकिल्स आफ मेमोरेन्डम (स्मृति पत्र लेखा) में यह लिखा गया कि जो शख्स इसका मेम्बर होगा वह हजार रुपया देगा, लेकिन एक पैसा भी किसी ने नहीं दिया और कई मेम्बर इस ख्यालात के हैं। कोई और चुनाव करना चाहता है तो वे नहीं आने देते। पब्लिक कहती है कि हम हजार रुपया देने को तैयार है, हम १० आदमियों को भेजते हैं तो कहा जाता है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के मातहत हमे कोई कम्पैल (बाध्य) नही कर सकता है। तो वह बाहरी आदमियों को आखिर क्यों नही लेते हैं? सिर्फ जो स्टीवार्ड बन गये है वही हमेशा के लिए हो गये..............

डिप्टी स्पीकर—अभी आप और कितना वक्त लेगे?

श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम—मुझे आध घंटा और लगेगा।

डिप्टी स्पीकर—तो आपकी तकरीर कल जारी रहेगी।

शनिवार को असेम्बली होने का प्रश्न

श्री हसरत मुहानी—मै एक बात कहना चाहता हूं। मै सिर्फ यही तहरीक नही करता कि शनिवार को..............

डिप्टी स्पीकर—आप अभी तशरीफ रखिये। मै जब आपको इजाजत दूंगा तब आप बोलें।

पहले भवन ने यह बात कही थी कि शनिवार को बैठक नहीं हुआ करेगी। बाद को इसी बीच मे गवर्नर महोदया ने शनिवार को भी बजट पर बहस के लिए मुकर्रिर कर दिया, इसलिए उनके हुक्म की तामील मे बैठक होती रही। मै जानना चाहता हूं कि भवन उसी पुराने तरीके पर काम करना चाहता है कि शनिवार को बैठक न हो, या यह चाहता है कि शनिवार को भी बैठक हो।

श्री हसरत मुहानी—यह तो एक आम बात है कि जो कहा जाता है कि आपने कायदा तो मुर्कारर किया है कि शनिवार को भी बैठक होनी चाहिये। आजकल इतनी गरमी का जमाना है और कोई ऐसा काम पेश नहीं है कि बगैर उसके आपका काम न चल सके। दूसरी बात यह है कि कल इत्तिफाक से मे डे (मई दिवस) भी वाके हुआ है। मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि मै तो मे डे मनाऊंगा। यह आपके रिहैबिलिटेशन (पुनर्स्थापन) और इन्टरटेनमेट (मनोरंजन) बिलों पर सर मगजनी करने नहीं आऊंगा। आपने मे डे (मई दिवस) पर कोई पाबन्दी तो लगायी नहीं है इस लिए अगर कल के लिए इजलास मुल्तवी रहता है तो आपकी भी नेकनामी होगी।

माननीय प्रधान सचिव—जब शुरू हफ्ते से काम शुरू होता तब तो सवाल यही था कि शनिवार को बैठक हो या न हो। अभी तो २ दिन मिले हैं। अब अगर इसमे भी काम न

हुआ तो ठीक न होगा और इसके अलावा घरों में बैठने मे तो आजकल और भी तकलीफ होती है। मेरी राय यह है कि कल हम मिलें।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि कल इजलास हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद भवन ५ बजकर २० मिनट पर शनिवार १ मई, १९४८ को ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

कैलासचन्द्र भटनागर,
मंत्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त।

लखनऊ
३० अप्रैल, १९४८

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४२१ पर)

शासकीय आदेश जिसका हवाला तारांकित प्रश्न सं० १८ के उत्तर में दिया गया है।

संख्या ४६८६।३-१७०-४७

प्रेषक,

श्री बी० एन० झा, आई० सी० एस०,
चीफ सेक्रेटरी, संयुक्त प्रांतीय सरकार,

सेवा में,

संयुक्त प्रांत के समस्त विभागों के अध्यक्ष, डिवीजनों के कमिश्नर, जिला अफसर तथा अन्य प्रमुख दफ्तरों के अधिकारी।

लखनऊ, तारीख अक्तूबर ८, सन् १९४७।

विषय—देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को संयुक्त प्रांत की राजभाषा स्वीकृत करने का निर्णय।

महोदय,

सामान्य शासन विभाग

मुझे आपको यह विदित करने का आदेश हुआ है कि संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल के पिछले अधिवेशन में स्वीकृत निम्नलिखित गैरसरकारी प्रस्ताव को सरकार ने मान लिया था—

"यह काउन्सिल सिफारिश करती है कि हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि को इस प्रांत की राजभाषा तथा लिपि स्वीकार किया जाय।"

सरकार से इस प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाने से अब इसकी सिद्धि के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी है।

सरकार ने यह निश्चय किया है कि यह कार्रवाई इस प्रकार की जाय कि परिवर्तन काल में बेकार अव्यवस्था न होने पावे और असुविधा भी कम से कम हो। जो कार्रवाई तुरंत करनी है उसका निर्देश आगे के पैराग्राफों में किया गया है।

२—इस पत्र में आगे चल कर "हिंदी" शब्द के प्रयोग से अभिप्राय उस भाषा से है जो संयुक्त प्रांत की जनता की भाषा है और जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।

३—सरकारी नौकरियों में भर्ती—भविष्य में सरकारी नौकरियों में भर्ती करते समय, यदि और बातें समान हों तो, उन उम्मीदवारों को विशेषता दी जायगी जिनको हिंदी में काम करने का ज्ञान होगा। यदि किसी पद के लिये साक्षरता की योग्यता जरूरी है तो उस पद पर कोई ऐसा उम्मीदवार, जो हिंदी नहीं जानता अथवा जो देवनागरी लिपि में काम नहीं कर सकता, नियुक्त न किया जायगा। यदि असाधारण परिस्थिति में किसी ऐसे उम्मीदवार को भर्ती करना अनिवार्य हो जो हिंदी नहीं जानता तो नियुक्त करने वाले अफसर को उस विशेष परिस्थिति को लिपिबद्ध करना होगा और उस उम्मीदवार का चुनाव कच्चे तौर पर होगा। ऐसी दशा में उम्मीदवार को साफ-साफ यह सूचित कर दिया जायगा कि उस पद पर उसकी पक्की नियुक्ति एक अवधि के बाद होगी। यह अवधि ६ महीने से अधिक न होगी, और इस समय

के अंदर उसके लिए यह जरूरी होगा कि वह इतनी हिंदी सीख ले कि उसे सरलता-पूर्वक और बेरोकटोक लिख पढ़ सके। ऐसे उम्मीदवार को उसके पद पर नियुक्ति करने की अनुमति देने के पूर्व उससे इस आशय की एक प्रतिज्ञा लिखा ली जायगी। निर्धारित अवधि के बाद उसकी परीक्षा ली जायगी और यदि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नही की तो उसकी कच्ची भर्ती रद कर दी जायगी, परंतु ऐसा करने के पूर्व अवधि ४ मास तक और बढ़ाई जा सकती है।

सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के लिए जो परीक्षाये अभी तक निर्धारित है, उनमें हिंदी को एक अनिवार्य विषय बनाने के लिए कार्रवाई की जायगी। इसके निमित्त सरकारी विभागों के अध्यक्षों को चाहिये कि जिन-जिन नौकरियों से उनका सम्बन्ध है उनके लिये वह सरकार को अपने निश्चित प्रस्ताव भेज दे।

४—वर्तमान सरकारी कर्मचारी—आपके आधीन वर्तमान सभी सरकारी कर्मचारियों को यह सूचना दे देनी चाहिये कि हिंदी अब प्रांत की राज भाषा स्वीकार हो गई, इससे अन्ततः सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने सरकारी काम में हिंदी ही का प्रयोग करना होगा, तथा जब तक और आदेश जारी नहीं होते तब तक उन कर्मचारियों के लिये, जो इस भाषा को या तो जानते नहीं या कम जानते है, यह अच्छा होगा कि वह अपने खाली समय में इस भाषा को सीखना शुरू कर दें। इस विषय पर आगे चलकर आपको विस्तारपूर्वक संदेश भेजा जायगा, किंतु इस बीच में हर एक दफ्तर के अफसर को चाहिये कि तीन महीने के अंदर अपने दफ्तर के सब सरकारी कर्मचारियों की ऐसी गणना कर लें जिससे यह विदित हो जाय कि उनमें से कितने इतनी काफी हिंदी जानते है कि अपना वर्तमान काम हिंदी में कर सकते है। सूचना-संग्रह का काम फौरन शुरू कर देना चाहिये। इसके लिए हर एक दफ्तर के कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करना चाहिये—

(क) पहिले जो सेक्रेटरी आफ स्टेट की सर्विसेज कहलाती थीं उनके, और प्रथम क्लास सर्विस के सदस्य,

(ख) प्राविंश्यल सर्विसेज के सदस्य

(ग) अपर सबार्डिनेट एक्जीक्युटिव सर्विसेज के सदस्य,

(घ) लोअर सबार्डिनेट एक्जीक्यूटिव सर्विसेज के सदस्य,

(ङ) स्पेशलिस्ट सर्विसेज के सदस्य, और

(च) मिनिस्टीरियल कर्मचारी।

एक सूची में प्रत्येक कर्मचारी का नाम और पद लिखा जायगा और उसके सामने एक कालम में यह बात लिख दी जायगी कि उक्त कर्मचारी को हिंदी का पर्याप्त ज्ञान है या नहीं। यह सूची तीन भागों में होनी चाहिये। पहले भाग में उन कर्मचारियों के नाम होंगे जिन्हें हिंदी का पूर्ण ज्ञान है, दूसरे भाग में उन लोगों के नाम होंगे जिन्हें काम चलाऊ ज्ञान है और तीसरे भाग में उनके नाम होंगे जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते।

सरकारी कर्मचारियों के लिये विभागों की परीक्षाओं के नियमों में हिंदी को अब एक अनिवार्य विषय बनाने की काररवाई की जायगी। विभागों के अध्यक्षों

को चाहिये कि जिन नौकरियों से उनका संबंध हो उनके लिये इसके निमित्त सरकार को अपने निश्चित प्रस्ताव भेज दें ।

५—अदालतों की भाषा—(१) प्रांतीय सरकार हिंदी को इस प्रांत की दीवानी और फौजदारी अदालतों की भाषा घोषित करने के लिए जाब्ता दीवानी की धारा १३७ और जाबता फौजदारी की धारा ५५८ में दिये गये अधिकारों के अनुसार कार्रवाई कर रही है । विज्ञप्तियों की प्रतिलिपि सम्बद्ध है ।

(२) सन १९३९ के संयुक्त प्रांतीय टेनेंसी एक्ट की २४३ वीं धारा के अनुसार उस ऐक्ट की कार्रवाइयों पर जाब्ता दीवानी लागू है, अतएव यह विज्ञप्तियां टेनेंसी ऐक्ट की कार्रवाइयों पर स्वतः लागू होंगी । लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के आधीन कार्रवाइयां हिंदी में कराने के लिये भी कार्रवाई की जायगी ।

(३) मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स प्रथम भाग का प्रेराग्राफ ३८५ संशोधित होकर अब निम्नलिखित रूप में होगा—

"(क) जनता के नाम अदालतों या माल के अफ़सरों की ओर से जारी किये जाने वाले सभी सम्मन, घोषणा और इस प्रकार के अन्य कागज देवनागरी लिपि में होंगे ।

(ख) फौजदारी, दीवानी तथा लगान और मालगुजारी की अदालतों में सब लोग अपने प्रार्थना पत्र अथवा शिकायतें देवनागरी लिपि में, और यदि वह हिंदी न जानतें हों, तो फ़ारसी लिपि में दे सकेंगे ।"

(४) जब तक उपर्युक्त विज्ञप्तियों को वास्तविक और पूर्णरूप से कार्यान्वित करने के लिये व्यापक प्रबंध नहीं कर लिया जाता तब तक हिंदी न जानने वाले विचारपति तथा अन्य कर्मचारी, जब तक दूसरी आज्ञा न निकले तब तक, उसी तरह अदालती कार्रवाइयों को लिख सकते हैं जिस तरह वे अब तक वर्तमान कानून और नियमों के अनुसार लिखते आये हैं । हिंदी के प्रयोग में, सम्प्रति, इस बात की अनुमति रहेगी कि अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द नागरी या रोमन लिपि में लिखे जायं ।

इस उप-पैराग्राफ पर सन् १९०८ के जाब्ता दीवानी की १३८ वीं धारा और सन् १८९७ के अवध लाज ऐक्ट की १९ वीं धारा के प्रतिबंध लागू हैं ।

६—सरकारी दफ्तरों की भाषा—(१) अब से सरकारी कामों और पत्र-व्यवहार के लिये सरकारी दफ्तरों की मान्य भाषा हिंदी होगी ।

जब तक इस आदेश को वास्तविक और पूर्णरूप से कार्यान्वित करने का विस्तृत प्रबंध न कर लिया जायगा तब तक हिंदी न जाननेवाले सरकारी कर्मचारी और वे, जिनके लिये हिंदी प्रयोग करने का प्रबंध पूरा न हो पायेगा, उस भाषा का प्रयोग कर सकेंगे जिसका व्यवहार वे इस आज्ञा के निकलने के पहिले करते रहे हैं ।

(२) सरकारी दफ्तरों को पत्र हिंदी में लिखे जायंगे । जो लोग हिंदी नहीं जानते उन्हें अंग्रेजी या उर्दू में पत्र व्यवहार करने की अनुमति रहेगी ।

७—छपे हुए फार्म—पहिली दिसम्बर सन् १९४७ से सभी फार्म हिंदी में छापे जायेंगे । जो फार्म किसी अन्य भाषा म छपे हुए रखे हैं, उनका प्रयोग होता रहेगा । किंतु हिंदी जाननेवाले कर्मचारी उन्हें हिंदी में परिवर्तित कर लेंगे ।

८--विविध--सरकारी दफ्तरों के सभी साइनबोर्ड, नोटिस इत्यादि जो आज कल हिन्दी में नहीं हैं, यथाशीघ्र हिंदी में कर दिये जायं ।

आपका परम विनीत सेवक,
बी० एन० झा,
चीफ सेक्रेटरी ।

संख्या ४६८६ (१) । ३--१७०-४७

हाई कोर्ट आफ जुडीकेचर, इलाहाबाद,

(१) राजिस्ट्रार,————————

अवध चीफ़ कोर्ट, लखनऊ,

(२) सेक्रेटरी, पब्लिक सर्विस कमीशन,

को यह प्रतिलिपि इस आग्रह के साथ भेजी जाती है कि यदि- (१) माननीय कोर्ट / (२) कमीशन को आपत्ति न हो तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये उपरोक्त प्रकार के उचित आदेश, जहां तक लागू हो सकते हों, कृपया जारी कर दें ।

संख्या ४६८६ (२)।३--१७०-४७

हिज़ एक्सेलेंसी गवर्नर के सेक्रेटरी को यह प्रतिलिपि इस आग्रह के साथ भेजी जाती है कि हिज़ एक्सेलेंसी की अनुमति से उपरोक्त प्रकार के आदेश, जहां तक लागू हो सकते हों, हिज़ एक्सेलेंसी के सेक्रेटेरियट और उनके निजी कर्मचारियों के लिए जारी कर दिये जायें ।

संख्या ४६८६ (३)।३--१७०-४७

प्रतिलिपि सेक्रेटेरियट के सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित ।

संख्या ४६८६ (४)।३--१७०-४७

संयुक्त प्रान्त के एकाउण्टेण्ट जनरल को भी प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित ।

संख्या ४६८६ (५) ।३--१७०-४७

(१) संयुक्त प्रान्त के सभी म्यूनिसिपलबोर्ड, डिस्ट्रिक्टबोर्ड, टाउन एरिया कमटी और नोटीफाइड एरिया कमेटी के चेयरमैनों,

(२) लखनऊ और इलाहाबाद के इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के चेयरमैनों,

(३) कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड के प्रेसीडेण्ट,

को भी एक प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,
बी० एन० झा,
चीफ सेक्रेटरी ।

(इस आज्ञा पत्र का अंग्रेजी अनुवाद सम्बद्ध है ।)

विज्ञप्तियों की प्रतिलिपि
[देखिये पैराग्राफ ५ (१)]

(१)

[संख्या ४६८६ । (६) ३-१७०-४७, तारीख़ अक्तूबर ८, १६४७, सामान्य शासन विभाग]

संयुक्त प्रांत की गवर्नर उन अधिकारों के अनुसार जो उन्हें जाब्ता दीवानी १६०८ (ऐक्ट ५ सन् १६०८ का) की धारा १३७ की उपधाराओं (१) और (२) से प्राप्त हैं, तत्सम्बन्धी अन्य पूर्व घोषणाओंको रद्द करके, यह घोषित करती हैं कि इलाहाबाद स्थित हाई कोर्ट आफ़ जुडिकेचर तथा अवध के चीफ कोर्ट के अधीनस्थ दीवानी अदालतों की भाषा हिंदी होगी और इन अदालतों मे जो आवेदन पत्र दिये जायेंगे और जो कार्रवाइयां होंगी उन्हें देवनागरी लिपि में लिखा जायगा--

प्रतिबंध यह है कि वर्तमान कानून और नियमों के अनुसार ऐसी भाषा या लिपि का प्रयोग, जो इस समय व्यवहार में आ रही है, करते रहने की अनुमति उन शासन आदेशों के अनुसार रहेगी जो प्रांतीय सरकार समय-समय पर जारी करे।

बी० एन० झा,
चीफ़ सेक्रेटरी।

(२)

[संख्या ४६८६ (७) । ३-१७०-४७, तारीख अक्तूबर ८, १६४७, सामान्य शासन विभाग]

संयुक्त प्रांत की गवर्नर उन अधिकारों के अनुसार जो उन्हें जाब्ता फौजदारी १८६८ (ऐक्ट ५, सन् १८६८ का) की ५५८ वीं धारा से प्राप्त हैं, यह घोषणा करती हैं कि तत्संबंधी अन्य पूर्व घोषणाओं को रद्द करते हुए उपरोक्त जाब्ते के प्रयोजन के लिए संयुक्त प्रांत की सरकार द्वारा शासित प्रदेशों के अंतर्गत, संशोधित गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, सन् १६३५ के अर्थ में जो हाई कोर्ट हैं उन अदालतों के अतिरिक्त, प्रत्येक अदालत की भाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी मानी जायगी--

प्रतिबंध यह है कि वर्तमान कानून और नियमों के अनुसार ऐसी भाषा या लिपि का प्रयोग, जो इस समय व्यवहार में आ रही है, करते रहने की अनुमति उन शासन आदेशों के अनुसार रहेगी जो प्रांतीय सरकार समय समय पर जारी करे।

बी० एन० झा,
चीफ सेक्रेटरी

[English translation of the G. O. bearing the same number and date.]

No. 4686/III—170-1947

From

B. N. JHA, Esq., I.C.S.,
Chief Secretary to Government,
United Provinces,

To

All Heads of Departments, Commissioners of Divisions, District Officers and other Principal Heads of offices, United Provinces.

Dated Lucknow, October 8, 1947.

Subject:—**Declaration of Hindi in Devanagri script as the State language of the province.**

Sir,

General Administration Deptt.

I am directed to say that during the last session of the United Provinces Legislative Council the Government accepted the following non-official resolution which was passed by the House :

"This Council recommends that Hindi language and Devanagri script be adopted as the State language and script of this province."

Government having accepted the resolution, necessary steps have now to be taken for its implementation. They have decided that this should be done without causing unnecessary dislocation and with the minimum inconvenience in the transitional stages. The steps to be taken forthwith are indicated in the following paragraphs:

2. The expression "Hindi" used hereafter shall mean the language of the people of the United Provinces written in Devanagri script.

3. *Recruitments to public services.*—In making future recruitments to the public services preference should now be given, other things being equal, to candidates with a working knowledge of Hindi. If literacy is an essential qualification for any post no candidate unacquainted with Hindi, or lacking a working knowledge of the Devanagri script should be appointed to it. If, in exceptional circumstances, which must be recorded in writing by the appointing officer, a candidate unacquainted with Hindi has to be recruited, his selection should be provisional and he should be definitely informed that his final appointment will be made after a period not exceeding

six months within which he shall learn Hindi so as to be able to read and write it with fluency and ease. A written undertaking to this effect should be obtained from him before allowing him to join his post. After the expiry of the stated period, he should be tested and in case he has failed to implement the undertaking his provisional selection should be cancelled unless he is given further time which need not exceed four months.

Steps will be taken to introduce Hindi as a compulsory subject in the examinations which are already prescribed for making recuritments to Government services. Heads of Departments should submit specific proposals in respect of services with which they are concerned to Government.

4. *Existing government servants* :—All government servants already in service under you should be informed that Hindi having been accepted as the official language of the province will eventually have to be used by all officials in their official work and that, pending further instructions, those who are unacquainted or are not sufficiently acquainted with that language would do well to begin to learn it in their spare time. A detailed communication on this subject will issue later. In the meanwhile, however, every Head of office should, within a period of three months, take a census of all government servants employed in his office to find out which of them have a knowledge of Hindi of an adequate standard to be able to carry on their existing duties in that language. The collection of information should be undertaken forthwith by classifying government servants in each office in the following categories :

(*a*) members of what were previously the Secretary of State's Services and Class I Services ;
(*b*) members of the Provincial Services ;
(*c*) members of the upper subordinate executive services ;
(*d*) members of the lower subordinate executive services ;
(*e*) members of specialist services ; and
(*f*) ministerial employees.

The name and designation of each official should be entered in a statement and in one of the columns should be recorded against each officer the fact whether he possesses an adequate knowledge of Hindi or not. The statement should be in three parts—part I should show the names of those who have a thorough knowledge of Hindi, Part II the names of those who have a more or less working knowledge and part III of those who are unacquainted with Hindi.

Steps will be taken to introduce Hindi as a compulsory subject in the departmental examinations prescribed for Government services. Heads of departments should submit specific proposals in respect of services with which they are concerned to Government.

5. *Language of courts.*—(1) In exercise of their powers under section 137 of the Code of Civil Procedure and section 558 of the Code of Criminal Procedure, the Provincial Government are taking steps to declare Hindi as the lanaguage of the civil and criminal courts of this province. Copies of the notifications on the subject are attached herewith.

(2) These notifications will automatically apply to proceedings under the United Provinces Tenancy Act, 1939, by virtue of section 213 of it which applies the Code of Civil Procedure to proceedings under the former Act. Steps will also be taken for proceedings under the Land Revenue Act to be conducted in Hindi.

(3) Paragraph 385 of the Manual of Government Orders, Volume I, will now be modified to read as follows :

(*a*) All summonses, proclamations and the like issuing to the public from the courts or from revenue officials shall be in the Devanagri character.

(*b*) All persons may present their petitions or complaints in criminal, civil and rent and revenue courts in the Devanagri character, and, in case they are not familiar with it, in the Persian character.

(4) Until, however, comprehensive arrangements are made for giving actual and full effect to the notifications, all presiding officers and other officials who may be unacquainted with Hindi may, for the time being, until the issue of final orders, continue to record proceedings in the manner they have been doing so far and which may be permissible, under the existing law and rules. In using the Hindi it will be permissible, for the time being, to use English technical terms written either in the Nagri or the Roman script.

This sub-paragraph is subject to the provisions of section 138 of the Code of Civil Procedure, 1908, and section 19 of the Oudh Laws Act, 1897.

6. *Language of Government Offices.*—(1) Hindi shall henceforward be the recognized language of Government offices to be used in official work and correspondence.

Until, however, comprehensive arrangements are made for giving

actual and full effect to this direction, government servants who may be unacquainted with Hindi or for whom arrangements for the use of Hindi have not been completed, may continue to use the language they have been using previous to the issue of these orders.

(2) Correspondence addressed to Government offices shall be in Hindi except by persons unacquainted with Hindi, for whom it will be permissible to use English or Urdu.

7. *Printed forms*:—With effect from December 1, 1947, all forms shall be printed in Hindi. The forms already printed in any other language will, however, continue to be utilized. But officials acquainted with Hindi shall correct them by hand into Hindi.

8. *Miscellaneous*:—All sign boards, notices, etc., in Government offices which at present are not in Hindi should be changed to Hindi as soon as possible.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
B. N. JHA,
Chief Secretary.

No. 4686(1)/III—170-1947

Copy forwarded to—

(1) the Registrar, High Court of Judicature at Allahabad. / Chief Court of Avadh at Lucknow,

(2) the Secretary, Public Service Commission,

with the request that, if the (1) Hon'ble Court / (2) Commission have no objection, suitable instructions on the above lines, so far as they may be applicable, may kindly be issued in respect of the staff serving under the Hon'ble Court. / Commission.

No. 4686(2)/III—170-1947

Copy also forwarded to the Secretary to Her Excellency the Governor with the request that, with Her Excellency's permission, instructions on the above lines, in so far as they are applicable, may kindly be issued in the case of Her Excellency's Secretariat and Personal staff.

No. 4686(3)/III—170-1947

Copy also forwarded to all Departments of the Secretariat for necessary action.

No. 4686(4)/III—170-1947

Copy also forwarded to the Accountant General, United Provinces, for information.

———

No. 1686(5)/III—170-1947

Copy also forwarded for information to—

(1) the Chairmen, all Municipal Boards/District Boards/Town Area Committees/Notified Area Committees, United Provinces ;

(2) Chairmen, Improvement Trusts, Lucknow and Allahabad, and

(3) the President, Development Board, Kanpur.

By order,

B. N. JHA,

Chief Secretary to Government,

United Provinces.

COPY OF NOTIFICATIONS

[*Vide* Paragraph 5 (1)]

(I)

[*No.* 4686(6)/III—170-1947, *dated October* 8, 1947, *General Administration Department*]

In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 137 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) the Governor of the United Provinces is pleased to declare, in supersession of any previous declarations on the subject, that Hindi shall be the language of the civil courts subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad and the Chief Court of Avadh and that applications to, and proceedings in such courts shall be written in the Devanagri character :

Provided that the continued use of any other language or script already in use under the existing law and rules shall be permissible in accordance with the executive instructions issued by the Provincial Government from time to time.

B. N. JHA,
Chief Secretary.

(II)

[*No.* 4686(7)/III—170-1947, *dated October* 8, 1947, *General Administration Department.*]

In exercise of the powers conferred by section 558 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) the Governor of the United Provinces is pleased to declare, in supersession of any previous declarations on the subject, that, for the purposes of the said Code, Hindi written in the Devanagri character shall be deemed to be the language of each court within the territories administered by the Government of the United Provinces, other than the courts which are High Courts for the purposes of the Government of India Act, 1935, as amended :

Provided that the continued use of any other language or script already in use under th e existing law and rules shall be permissible in accordance with the executive instructions issued by the Provincial Government from time to time.

B. N. JHA,
Chief Secretary.

नत्थी (ख)

(देखिये पीछे पृष्ठ ४२४ पर)

नक्शा जिसका हवाला तारांकित प्रश्न सं० ३४ के उत्तर में दिया गया है।

नाम		क्लास	स्कूल का नाम	रुपया
१. सदरुद्दीन अनसारी		११	क्वीन्स कालेज, बनारस।	१० रु० मासिक
२. गुलाम रसूल	"	११	"	१० रु० मासिक
३. अब्दुल हक	"	६	जयनारायन हाई स्कूल बनारस।	३ रु० मासिक
४. हबीबुर्रहमान	"	६	ई० आई० रेलवे हाई स्कूल मोगलसराय।	३ रु० मासिक
५. अब्दुल रशीद	"	४	नेशनल स्कूल, बनारस	२ रु० "
६. अशफाक अहमद	"	८	क्वीन्स कालेज, बनारस।	४ रु० "
७. मुहम्मद ईसा	"	८	ई० आई० रेलवे हाई स्कूल, मोगलसराय, बनारस।	४ रु० "
८. हफीज उल्लाह	"	१०	जयनारायन हाई स्कूल बनारस।	५ रु० "
६. तजम्मुल हुसैन	"	६	ई० आई० रेलवे, हाई स्कूल, बनारस।	५ रु० "

नत्थी (ग)

(देखिये पीछे पृष्ठ ४२६ पर)

स्मृति पत्र जिसका हवाला प्रश्न सं० ६८ के उत्तर में दिया गया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

स्मृति पत्र

१ मार्च, १६४८

नं० २३० ई. एल. सी. २३, ४१ सी ई० एल. ४८ सार्वजनिक विद्युत वितरण संस्थाओं द्वारा विद्युत शक्ति वितरण पर प्रतिबन्धों तथा नियंत्रण के सम्बन्ध में सरकारी आज्ञा नं० ३५२० ई. एल. सी. २३. ४० सी. ई. एल. १६४७ तारीख ११ जून सन १६४७ ई० में वर्णित निर्देशों की ओर जिला मजिस्ट्रेटों और विद्युत वितरण संस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है। देश भर में बिजली के यंत्रों तथा सामान मिलने की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है फलतः इस प्रान्त में विद्युत वितरण संस्थाएं अपने संस्थापकों को न तो बदल पाई हैं और न उन्हें बढ़ा पाई है और न सुधार ही कर सकी है। किन्तु युद्धोत्तर योजनाओं के कारण जिनसे उद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिला है बिजली की मांग इतनी बढ़ गई है कि भावी उपभोक्ताओं के लिये विद्युत वितरण के सम्बन्ध में वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। गंगा नहर के जल विद्युत ग्रिड की यह दशा है कि जब तक सप्लाई की स्थिति में सुधार न हो जाय किसी भी नये भार अथवा वर्तमान भार के विस्तार को ग्रहण करना सम्भव नहीं है।

गंगा जल विद्युत ग्रिड से बाहर क्षेत्रों में स्थित बहुत सी विद्युत वितरण संस्थाओं में वितरण के लिये उपलब्ध लोड (भार) बहुत ही सीमित है और सरकार का विचार है कि जो भी बिजली उपलब्ध है उसका प्रयोग सारी जनता के सर्वोत्तम हितों में किया जाय।

२. संयुक्त प्रान्तीय बिजली (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार) ऐक्ट सन् १६४७ ई० की धारा ३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके सरकारी आज्ञा नं० ३५२० ई. एल. सी. २३, ४० सी. ई. एल. सी-१६४७ तारीख ११ जून १६४७ ई० का आंशक संशोधन करके, प्रान्तीय सरकार आज्ञा देती है कि गंगा नहर जल विद्युत ग्रिड से बाहर स्थित क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक विद्युत वितरण संस्थाओं द्वारा बिजली सप्लाई करने में निम्नलिखित विधि का उपयोग किया जायगा :—

औद्योगिक कार्यों के लिये विद्युत वितरण संस्थाओं के पास उपलब्ध विद्युत शक्ति तीन मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत है —

(क) लोटेंशन लोड

(ख) फ्रोजेन हाई टेंशन लोड, जो मूल ठेके के आदेशों के अनुसार अधिक मात्रा में उपभोगियों को सप्लाई किया जा सकता था।

(ग) नये उद्योगों के लिये हाईटेंशन सप्लाई। लोटेंशन लोड के वितरण के विषय में सरकार ने यह तै किया है कि सरकार उद्योग विभाग की सम्मति से जिसे पावर कनेक्शनों के विषय में विशेषता देने तथा निश्चित करने का एक मात्र अधिकार होगा, पावर कनेक्शनों की स्वीकृत देगी।

अतएव विद्युत वितरण संस्थायें हर महीने सरकार के पास संयुक्त प्रान्त के उद्योग और

वाणिज्य के सचालक (डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज ऐंड कामर्स) की मार्फत एक नकशा जिसमे उपलब्ध लाड (भार) क्षेत्र जहा लोड उपलब्ध हो, कनेक्शनो की संख्या जिन्हे वे प्रत्येक महीने दे सकती हो, और नये पावर कनक्शनो से सबंधित आवेदनपत्र लोडो (भारो) का विस्तार और उन सस्थानो (इस्टालेशनो) का पुर्नसयोजन (रिकनेक्शन) जो एक महीने से अधिक असयोजित रहे हों, उनके पास पड़े हुए या जिनको उन्होने स्वीकृत कर लिया है किन्तु तारीख १५ मार्च सन् १९४८ ई० तक सयोजित न किये गये हो और साथ ही साथ जो बाद मे उन्हें प्राप्त हुये हो। विद्युत वितरण संस्थाओ को यदि उनके पास पीक भवर्स अथवा आफ० पीक आवर्स मे वितरण के लिए लोड उपलब्ध न हो तो उन्हे उद्योग और वाणिज्य के डाइरेक्टर के पास आवेदन पत्र नही भेजना चाहिये।

उद्योग और वाणिज्य के डाइरेक्टर प्रतिमास सरकार के पास वे आवेदन पत्र इत्यादि, जिनकी स्वीकृति के लिए उन्होने सिफारिश की हो, और क्रमानुगत निश्चित कनेक्शनो की सूची और प्राथमिकता (प्रायर्टी) जिसके अनुसार वे वितरित किये जायगे और साथ ही साथ उन कनेक्शनो का व्योरा जो शरणार्थियो को दिये जायग, भेजेगे। दस प्रतिशत पावर कनेक्शन उन व्यक्तियो के लिये अलग कर दिये गये है। जिन्हे जिला मजिस्ट्रेट शरणार्थी प्रमाणित करे और सिफारिश करे। शेष आवेदन पत्रो को, जिन्हे उद्योग के डाइरेक्टर सरकार के पास न भेजें संबंधित संस्थायें आवेदकों के पास यह सूचना लिखकर भेज देगी कि उनकी प्रार्थनाये उन करणो-वश जिन्हे उद्योग के डाइरेक्टर बतायेगे स्वीकृत नही की जा सकती।

जहा तक फ्रोजन हाईटेंशन लोड का सम्बन्ध है, जो मूल ठेके की शर्तो के अनुसार अधिक मात्रा वाले उपभोगियों को सप्लाई किया जा सकता था, विद्युत वितरण संस्थायें उद्योग के डाइरेक्टरो की मार्फत ऐसे लोडो (loads) की एक सूची भेजेंगी और डाइरेक्टर उद्योग विभाग इस सूची को जाच करके अपनी इस बात की सिफारिश की फ्रोजन हाईटेंशन लोड अधिक मात्रा वाले उपभोगी को दिया जाय या न दिया जाय, लिख भेजेंगे।

उस अवस्था मे जब कि अधिक मात्रा वाले उपभोगी को अतिरिक्त शक्ति की सप्लाई अनावश्यक अथवा अनुचित समझी जाय तो सस्था ही उसके उपयोग का मार्ग ढूढगी।

नये उद्योगो के लिये हाईटेंशन सप्लाई के विषय मे सरकार का विचार है कि स्वीच गिर (switchgear) और कोयले की कमी के कारण विद्युत वितरण सस्थायें अविलम्ब ऐसे कनेक्शनो को नही दे सकती क्यो कि मगवाये गये और मगवाने के लिये प्रस्तावित माल के आने मे पर्याप्त देर लगेगी क्योंकि फैक्ट्रियो के निर्माण मे और आरम्भिक सामान जुटाने मे भी समय लगेगा, इसलिये प्रमुख व्यवसायों के लिए इस शक्ति की सप्लाई पर सरकार विचार कर सकेगी। इस लिये संस्थाओं को चाहिये कि वे ऐसे आवेदन पत्र उद्योग के डाइरेक्टर द्वारा सरकार के विचारार्थ भेजें।

१. गृह सम्बन्धी डोमेस्टिक कनेक्शनों को चार श्रेणियो में विभक्त करना चाहिये था।

(१) गवर्नमेंट इस्टीट्यूशन।

(२) दूसरे इंस्टीट्यूशन और कार्यालय

(३) दूसरे डोमस्टिक कनेक्शन।

(४) गर्म करने वाले और पकाने वाले यन्त्रों के लिये बिजली के रिफ्रेजरेटरों के लिये और अन्य औद्योगिक यन्त्रों के लिये जिनकी रेटिंग २०० वाट से कम न हो।

२. संस्थाओं के पास उपलब्ध गृह सम्बन्धी लोड (load) का २५ प्रतिशत उपर्युक्त (१) और (२) श्रेणियों के लिये और शेष (३) और (४) श्रेणियों के लिये नियत रखा जायगा।

सप्लाई करनेमें किसीको प्राथमिकता (प्रायर्टी) नहीं दी जायगी और संस्थायें आवेदनपत्रों को उपर्युक्त चार श्रेणियों में वर्गयुक्त करके प्राप्त के क्रमानुसार नये कनेक्शन लोडों (loads) के विस्तार के एक्सटेंशन और छः महीने तक असंयोजित कनेक्शनों का पुर्नसंयोजिन करेंगी। कुछ भी हो सरकार के पास सूचनार्थ अपने द्वारा प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत दिये हुये कनेक्शनों की सूची प्रत्येक महीने प्रस्तुत करेंगी।

३. नाटकों, सार्वजनिक बैठकों, विवाहों, धार्मिक पर्वों इत्यादि के लिए प्रकाश तथा पंखे के अस्थायी कनेक्शन जिला मेजिस्ट्रेट स्वीकार करेंगे, किन्तु ये अस्थायी कनेक्शन सिनेमा तथा गश्ती सिनेमाओं के लिये नहीं स्वीकृत किये जायंगे। ऐसे अस्थायी परमिटों की स्वीकृति एक महीने से अधिक अवधि के लिये न होना चाहिये। गंगा नहर जल विद्युत वाले क्षेत्रों में अस्थायी स्वीकृति सार्वजनिक बैठकों, विवाहों, धार्मिक पर्वों और कठिन बीमारी की अवस्थाओं तक ही सीमित रहना चाहिये।

४. इस विज्ञप्ति की आज्ञायें विज्ञप्ति नं० ४१३० ई. एल. सी. २३.४० सी. ई. एल. १९४७, तारीख १८ जुलाई १९४७ और विज्ञप्ति नं० ५४०३ ई. एस. सी, २३. ४० सी. ई.एल. १९४७ तारीख २९ दिसम्बर सन् १९४७ ई० जिनमें गंगा नहर जल विद्युत ग्रिडके लोडों (loads) के नये कनेक्शनों के लिये मनाही की गई है प्रभाव न डालेगी और न इनका प्रभाव कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन कानपुर पर पड़ेगा, जिसके लिये अलग से आज्ञायें जारी की गई हैं।

आज्ञा से,

सिद्दीक हसन सेक्रेटरी।

नत्थी (घ)

संयुक्त प्रांत के मनोरंजन और बाजी लगाने के टैक्स के ऐक्ट, सन् १९३७ ई० (सन् १९३७ ई० के ऐक्ट नं० ८) में और अधिक संशोधन करने के लिए

एक

बिल

भूमिका। चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि कुछ प्रयोजनों के लिए संयुक्त प्रांत के मनोरंजन और बाजी लगाने के टैक्स ऐक्ट, सन् १९३७ ई० (जिसे आगे चलकर "मूल ऐक्ट" कहा गया है) में और अधिक संशोधन किया जाय और संयुक्त प्रांत के मनोरंजन और बाजी लगाने के टैक्स के (संशोधक) ऐक्ट सन् १९४७ ई० में एक भूल का सुधार किया जाय।

इसलिए नीचे लिखा हुआ कानून बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ। १—यह ऐक्ट संयुक्त प्रांत का मनोरंजन और बाजी लगाने के टैक्स का (संशोधक) ऐक्ट, सन् १९४८ ई० कहलायेगा।

२—यह ऐक्ट धारा ६ के अतिरिक्त तुरंत लागू होगा, जिसके संबंध में यह समझा जायगा कि वह उसी तारीख को लागू हो गयी थी जब कि संयुक्त प्रांत का मनोरंजन और बाजी लगाने के टैक्स का (संशोधक) ऐक्ट, सन् १९४७ ई० लागू हुआ था।

संयुक्त प्रांत के ऐक्ट नं० ८, सन् १९३७ ई० की धारा २ के वाक्य खंड (२) का संशोधन। मूल ऐक्ट की धारा २ के वाक्य खंड (२) में शब्द "issue"d के बाद एक कामा (comma) लगा दिया जायेगा और नीचे लिखे हुए शब्द बढ़ा दिये जायेंगे:— "With the prior approval of the "District Magistrate"

संयुक्त प्रांत के ऐक्ट नं० ८, सन् १९३७ ई० की धारा ४ की उपधारा (३) का संशोधन। ३—मूल ऐक्ट की धारा ४ की उपधारा ३ में से शब्द "of this section and of section 5" निकाल दिये जायेंगे।

संयुक्त प्रांत के ऐक्ट नं० ८, सन् १९३७ ई० की धारा ५ का संशोधन। ४—मूल ऐक्ट की धारा ५ के स्थान पर नीचे लिखी हुई धारा रक्खी जायगी, अर्थात्

"5. (1) No person liable to pay entertainment tax shall enter or obtain admission to an entertainment without payment of the tax leviable under section 3."

"(2) Any person who enters or obtains admission to an entertainment in contravention of the provisions of sub-section (1) shall, on conviction before a Magistrate, be liable to pay a fine not exceeding two hundred rupees and shall in addition be liable to pay the tax which would have been paid by him."

"(3) If any person liable to pay entertainment tax is admitted to a place of entertainment without payment of the tax leviable under section 3, the proprietor of the entertainment to which such person is admitted shall, on conviction before a Magistrate, be liable in respect of every such contravention to a fine not exceeding Rs. 500."

५—मूल ऐक्ट की धारा ९ के बाद नीचे लिखी हुई धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

Revocation and suspension of licence for an entertainment.

9-A. Notwithstanding anything contained in any other law and without prejudice to the provisions of sub-section (1) of section 5, the District Magistrate may by order revoke or suspend any licence for an entertainment granted under any law for the time being in force, if the proprietor of such entertainment is convicted under the provisions of this Act. A copy of the order shall be communicated to the proprietor within one month, who may appeal to Government within a similar period from the date on which the order is served. The order passed in appeal by Government shall be final and conclusive.

Explanation:—(1) The order of the District Magistrate shall be deemed to be duly served of a copy thereof is delivered to the proprietor in person, or, if the District Magistrate is satisfied that such personal service can not be made, then by a affixation of a copy of the order at a prominent place at the site of the said entertainment.

(2) For the purposes of this section the word "licence" shall be deemed to include a licence or permit granted by any local authority.

Prohibition against re-sale of ticket.

"9-B. (1) Notwithstanding anything contained in section 56 of the Indian Easements Act, a ticket for admission to an entertainment shall not be re-sold for profit by the purchaser thereof."

(2) Whoever re-sells any ticket for admission to an entertainment for profit shall be punishable with fine not exceeding Rs. 200."

संयुक्त प्रांत के ऐक्ट ११, सन् १९४७ ई० की धारा ३ में संशोधन।

६—संशोधक ऐक्ट की धारा ३ में से आरम्भ होने वाले और "on behalf of the Government" पर अंत होने वाले शब्द निकाल दिये जायेंगे और मूल ऐक्ट की धारा १४ के स्थान पर, जैसा कि वह समय समय पर संशोधित हुआ है, निम्नलिखित धरा रख दी जायगी :—

14. (1) There shall be charged, levied and paid to Go- ment on all moneys paid or agreed to be paid as to a licensed book-maker, by a backer, in an encl set apart, on any race, a tax on backers (herein referred to as "the betting tax") at a prescribed centage not exceeding ten per cent. of all moneys or agreed to be paid by backer to licensed book-m on account of a bet laid by the backer in each race the book-maker.

(2) The betting tax shall be collected by the licensed maker with the money laid by the backer with licensed book-maker at the time when the bet is laid in case of credit bets at such time as may be prescribed

७—मूल ऐक्ट की धारा १६ के बाद निम्नलिखित नई धारायें जोड़ी जायें।

"16-A. (1) No person shall bet on the result of any race or conducted by a racing club except with the lic book-maker and in an enclosure set apart for this pu by that club.

Restriction on betting
बाजी लगाने पर रोक।

(2) Any person who bets in contravention of the prov of sub-section (1) shall be punishable with fine not ex ing Rs.1,000.

Revocation and suspension of license of a book-maker.
किसी बुकमेकर के लाइसेंस का रद्द या स्थगित किया जाना।

"16-B. Without prejudice to any other provisions of this the District Magistrate may, by order, revoke or su the licences granted under clause (11) of section 2, licensee is guilty of contravention of the provisio sections 14, 15, sub-section (2) of section 16 or section (1) of section 16-A or of any rule framed this Act. A copy of every such order shall be commu cated to the licensee who may appeal to the Gov ment or any such authority as may be prescribed wi one month from the date on which the order is ser The order passed in appeal by the Provincial Gov ment or the authority as the case may be, shall be f and conclusive.

Explanation:—The order of the District Magistrate shall be deemed to be duly served if a copy is delivered to licensee in person or, if the District Magistrate is satisf that such personal service cannot be made, then

affixa ... t a copy of the order at a prominent place at the race course at which the licensee is authorized to carry on his business of a licensed book-maker."

८—शब्द "Entertainment tax" के स्थान पर जहां कहीं ये मूल ऐक्ट में आये, व "Eentertainments taxs" रखिये ।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

यह विश्वास करने के कारण हैं कि लोग विभिन्न उपायों से मनोरंजन टैक्स देने से बच निकलते हैं और यदि यह रोक थाम न की गयी तो हो सकता है कि संयुक्त प्रांत के मनोरंजन और बाजी लगाने के टैक्स के (संशोधक) ऐक्ट १९४७ ई० द्वारा लागू की गयी मनोरंजन और बाजी लगाने के करों की दरों में होने वाली बढ़ती के कारण लोग इस कर से और भी अधिक बच निकलने की कोशिश करें। इसलिए नत्थी किये हुए बिल में ऐसे लोगों को सजा देने की जो बिना देय कर दिये हुए मनोरंजन के स्थानों में चले जाते हैं और ऐसे मालिकों की सजा बढ़ाने की जो ऐसे लोगों को जिन्होंने कर न दिया हो मनोरंजन के स्थानों में आने देते हैं और ऐसी दशाओं में ऐसे मनोरंजन के लिए दिये गये किसी लाइसेंस को भी स्थगित या रद्द करने की व्यवस्था की गयी है।

इस उद्देश्य से कि सरकार बुकमेकरों (Book-makers) पर जो बाजी लगाने का कर वसूल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, अपना नियंत्रण रख सके, यह व्यवस्था कर दी गयी है कि उनको काम पर रखने के पहिले जिला मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति ली जाय और जिला मैजिस्ट्रेट को यह आज्ञा दे दी गयी है कि वह इस ऐक्ट के आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर उनके लाइसेंस स्थगित या रद्द कर दें। सरकारी आय को सुरक्षित रखने के लिए यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि किसी रेस (घुड़दौड़) क्लब की घुड़दौड़ों के परिणामों पर, रेस कोर्स, (घुड़दौड़ के मैदान) के हाते के अलवा कहीं और बाजियां न लगायी जायं।

बिल का मसविदा तैयार करने में कुछ ऐसी त्रुटियां भी दूर कर दी गयी हैं जो वर्तमान ऐक्ट में पाई गयीं और लाभ के लिए प्रवेश टिकटों को फिर से बेचने का काम कुछ अवांछनीय लोग करते हैं और इससे उन लोगों को, जो मनोरंजन के स्थानों में जाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचता है।

गोविंद वल्लभ पंत,
प्रधान सचिव।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

शनिवार, १ मई, १९४८ ई०

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१५६)

अजित प्रताप सिंह
अदील अब्बासी
अब्दुल ग़नी अन्सारी
अब्दुल बाकी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल हमीद
अलगूराय शास्त्री
असग़र अली खां
अक्षयबर सिंह
आत्माराम गोविंद खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला श्रीमती
उदयवीर सिंह
ऐजाज़ रसूल
करीमुर्रज़ा खां
कालीचरण टण्डन
कुंजबिहारीलाल शिवानी
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्णचन्द्र
केशव गुप्त
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
खानचन्द गौतम
खुशवक्त राय
खुशीराम
खूब सिंह
गणपति सहाय
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय
गङ्गाधर
गङ्गा प्रसाद
गङ्गा सहाय चौबे
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चरण सिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद, अग्रवाल
जगन्नाथ बख्श सिंह
जमालुद्दीन अब्दुल वहाब
जवाहर लाल
ज़ाहिद हसन
ज़हीरुल हसनैन लारी
ज़हूर अहमद

जाकिर अली
जयपाल सिंह
जयराम
त्रिलोकी सिंह
दयालदास भगत
दाऊ दयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीनदयालु
दीप नारायण वर्मा
धर्मदास, एल्फेरड
नफ़ीसुल हसन
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रागनारायण
प्रेमकिशन खन्ना
फ़खरुल इस्लाम
फ़जलुर्रहमान खां
फ़तेह सिंह राणा
फैन्थम, आर्चिबाल्ड जेम्स
फ़िलिप्स, अनस्ट माइकेल
फूल सिंह
फैयाज़ अली
बंशीधर मिश्र
बदन सिंह
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बलभद्र सिंह
बशीर अहमद
बादशाह गुप्त
बाबूराम वर्मा
बिजयानन्द
बीरबल सिंह
भगवानदीन
भगवानदीन मिश्र
भगवान सिंह
भारत सिंह
भीमसेन
मंगला प्रसाद
महमूद अली खां
मिजाजी लाल
मुकुन्द लाल अग्रवाल
मुकर्जी, विनय कुमार
मुजफ्फर हसन
मुन.फैत अली
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इसहाक़ खां
मुहम्मद इस्माइल (मुरादाबाद)
मुहम्मद नबी
मुहम्मद फ़ारूक़
मुहम्मद रज़ा खां
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुबीर सहाय
रघुवंश नारायण सिंह
राजकुमार सिंह
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन राय
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री
रामधर मिश्र
रामचन्द्र सेहरा
रामचन्द्र पालीवाल
रामजी सहाय
रामधारी पांडे
राममूर्ति
रामशंकर लाल

रामशरण
राम स्वरूप गुप्त
रामेश्वर सहाय सिनहा
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसन
लाखन दास जाटव
लाल बहादुर , माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन
लुत्फ़ अली खां
लोटन राम
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ प्रसाद
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
विष्णु शरण दुब्लिश
वीरेन्द्र शाह
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकर दत्त शर्मा
शिव कुमार पांडे
शिव दयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिव मङ्गल सिंह
शिव मङ्गल सिंह कपूर
शौकत अली खां, मुहम्मद
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द सिंघल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सरवत हुसैन
सिंहासन सिंह
सुदामा प्रसाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सुचेता कृपलानी, श्रीमती
सूर्य प्रसाद अवस्थी
सईद अहमद
हबीबुर्रहमान खां
हरप्रसाद सत्य प्रेमी
हरप्रसाद सिंह
हसरत मुहानी
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल

प्रश्नोत्तर

शनिवार, १ मई, सन् १९४८ ई०

[शुक्रवार, ३० अप्रैल, सन् १९४८ ई० के शेष प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

नगरों के मध्यम और निम्न श्रेणी के लोगों का ऋण

* १०२—श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि शहरों और कस्बों में रहने वाले निम्न और मध्यम श्रेणी के लोग अत्यन्त ऋणी हैं ?

माननीय माल सचिव (श्री हुकुम सिंह)—

युद्ध के दिनों में रुपये की वृद्धि के कारण नियत आय के निम्न तथा मध्यम श्रेणी के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। मजदूरी की दर बढ़ गई है और सरकारी अथवा गैर सरकारी जगहों पर काम करने वाले मध्यम श्रेणी के लोगों के वेतन में भी वृद्धि हुई है। यह कदाचित सत्य है कि निम्न तथा मध्यम श्रेणी के लोगों का ऋण कुछ बढ़ गया है किन्तु यह वृद्धि बहुत नहीं हो सकती।

* १०३—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—

क्या यह सही है कि इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ ऐक्ट और डेट रिडम्पशन ऐक्ट से उपरोक्त वर्गों को कोई सहायता नहीं मिल सकी, क्योंकि उपरोक्त ऐक्ट ग्रामीण जनता पर ही लागू थे ?

माननीय माल सचिव—

जी हां।

* १०४—श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल—

क्या सरकार को विदित है कि शहरों में रहने वाले ऋणियों को इससे बहुत निराशा और दुख हुआ है कि आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी को, ग्रामीण ऋण के सम्बन्ध में ही जांच करने का आदेश दिया गया है ?

माननीय माल सचिव—

सरकार को सूचना नहीं है।

* १०५—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—

क्या सरकार का यह विचार है कि वह किसी अन्य कमेटी द्वारा शहरों में रहने वाले ऋणियों के सम्बन्ध में भी जांच करावे, निर्धन तथा मध्य और उच्च वर्ग के ऋणियों को पूरी सहायता देने के हेतु उपयुक्त कानून बनावे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

माननीय माल सचिव—

सरकार शहर में रहने वाले लोगों के ऋण के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक कमेटी नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल—

सरकार इस विषय पर कब से विचार कर रही है और कब तक अन्तिम फैसला कर सकेगी ?

माननीय माल सचिव—

यह निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता है लेकिन बिला वजह देरी नही की जायगी।

मोटर, लारी और ट्रक चलाने की परमिटें

* १०६—श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल—

क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि बरेली और अन्य इलाकों की रीजनल ट्रांसपोर्ट के अधिकारी मोटर, लारी और ट्रक चलाने की परमिट किन शर्तों पर देते हैं ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लाल बहादुर)—

मोटर, लारी और ट्रक चलाने के सारे परमिट मोटर विह्विकिल्स ऐक्ट की धारा ४७-६२ के अनुसार रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी द्वारा दिये जाते हैं। यह नियम बरेली और अन्य इलाकों में भी लागू हैं, परन्तु हाल ही में एक प्रेस नोट द्वारा एलान किया जा चुका है कि सरकार रोड ट्रान्सपोर्ट का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है, इसलिये जो आपरेटर मोटर विह्विकिल्स ऐक्ट की ४७ वीं धारा के अनुसार उचित परमिट रखते हैं और अब सरकारी गाड़ियों के कारण अपने रास्तों पर से हटा दिये गये हैं उनका जहां तक हो सकेगा दूसरे रास्तों पर उस समय तक अपना काम करते रहेंगे जब तक सरकार वह रास्ते भी न ले ले, केवल कच्ची सड़कों के लिये योग्य लोगों ही को प्रान्तीय ट्रान्सपोर्ट अथारिटी की आज्ञा से निम्नलिखित शर्तों पर अस्थायी परमिट दिये जा सकते हैं।

१—यदि गाड़ियों की कमी हो।

२—यदि प्रार्थी के पास कोई गाड़ी उसके नाम की रजिस्टर्ड हो या वह पहिले आपरेटर था, परन्तु उसका परमिट लड़ाई या सन १९४२ ई० के आन्दोलन के कारण जब्त कर लिया गया हो।

* १०७—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—

क्या सरकार उपरोक्त सम्बन्धित सब नियम और उपनियम की एक प्रति मेज़ पर रखने की कृपा करेगी ?

माननीय पुलिस सचिव—

मोटर व्हिकिल्स ऐक्ट की धारा ५७-६२ की प्रतिलिपि नत्थी है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ..पर)

गन्ने की सहयोग समितियो का जाँच

* १०८—श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल—

क्या यह ठीक है कि सरकार ने सन १९४६ ई० में गन्ने की सहयोग समितियों के विषय में जांच करने के हेतु एक जांच-समिति नियुक्त की थी ?

माननीय उद्योग सचिव (श्री केशव देव मालवीय)—

जी हां।

* १०९—श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल—

(क) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि उस कमेटी के सदस्य कौन-कौन थे और सरकार ने किन-किन बतों पर कमेटी की रिपोर्ट मांगी थी ?

(ख) क्या इस कमेटी ने कोई रिपोर्ट सरकार को दी ? यदि दी, तो कब ?

(ग) उस कमेटी की खास सिफारिशें क्या थीं ? क्या सरकार उस रिपोर्ट की एक प्रति इस सभा के समक्ष उपस्थित करने की कृपा करेगी ?

माननीय उद्योग सचिव—

मांगी हुई सूचना माननीय सदस्य की मेज़ पर रख दी गई है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ पर)

श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल —

समिति की दूसरी सिफारिशों पर विचार करने में कितना समय और लगेगा ?

माननीय उद्योग सचिव—

जो बुनियादी सिफारिशें थीं वह तो मान ली गई हैं और उनके मुताबिक काम भी शुरू हो गया है। कुछ तफसीली बातें रह गई हैं जिनके ऊपर विचार हो रहा है और आशा की जाती है कि दो-एक हफ्ते के भीतर ही उन पर फैसला हो जायगा।

*११०—श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसे उपरोक्त कमेटी की कौन-कौन सी सिफारिश मान्य हैं और उनको कार्यरूप में परिणित करने के लिये उसने अभी तक क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—

सरकार ने समिति की इस सिफारिश को मान लिया है कि गन्ना विकास विभाग स्थायी बना दिया जाय।

सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि (क) विभाग के मंडिन (मार्केटिंग) और विकास (डेवलपमेंट) के कामों को अलग-अलग कर दिया जाय, (ख) गन्ने को विकास के लिये एक योजना बनाई जाय, और (ग) हर कारखाने से लगे क्षेत्र (फैक्टरी ज़ोन) के लिये अलग-अलग बढ़ाव परिषदें (डेवलपमेंट कौंसिल्स) बनाई जायं। समितियों (कमेटीज) की दूसरी सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

नागरिकों को फायर आर्म्स के लाइसेंस

*१११-श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल —

नागरिकों को फायर आर्म्स और अन्य हथियारों के लाइसेन्स देने के विषय में सरकार की क्या नीति है? क्या इस नीति का अनुसरण पीलीभीत ज़िले में हो रहा है?

माननीय पुलिस सचिव —

व्यक्ति की मर्यादा और हैसियत के आधार पर हथियारों के लाइसेंस दिये जाते हैं। इसके अलावा जो वास्तविक सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं उन्हें भी लाइसेंस दिये जाने की आज्ञा थोड़े समय पहले गवर्नमेंट ने दी। सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत अभी नहीं आई है कि इस नीति का पालन जिला पीलीभीत में नहीं हो रहा है।

*११२—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल —

क्या इस विषय में सरकार ने कोई गुप्त आदेश जिलाधीशों को भेजें हैं? यदि एसा है, तो क्या सरकार इस भवन के सदस्यों को उन गुप्त आदेशों की प्रतिलिपियां देने की कृपा करेगी?

माननीय पुलिस सचिव —

जी हां, उन आदेशों की प्रतिलिपियां सभा भवन के सामने रखना उचित न होगा।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल —

क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गुप्त आदेश देने की और उनको इस भवन के सदस्यों से गुप्त रखने की क्या आवश्यकता है?

माननीय पुलिस सचिव —

सरकारी काम बहुत से ऐसे होते हैं जिनको गुप्त रखना मुनासिब होता है और खास तौर से इस विभाग में ऐसी बातें हो सकती हैं जिनको जन-हित में गुप्त रखना ठीक होता है। हथियारों का लाइसेंस किनको दिया जाय और किनको न दिया जाय यह आदेश भी ऐसे हैं जिनको सार्वजनिक हित की दृष्टि में गुप्त रखना ठीक है।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—

क्या इस भवन के सदस्यों को इन आदेशों को जानने के लिये और कोई साधन है ?

माननीय पुलिस सचिव—

इन आदेशों के जानने की मैं समझता हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं है, काम के नतीज को देखना चाहिए और अगर उसमें कोई कमी मालूम हो, तो उस तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहिए।

*११३–श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—

क्या सरकार की यह नीति है कि जिलाधीश हथियारों के लाइसेंस देने के विषय में इस भवन के सदस्यों से परामर्श किया करें ? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार को विदित है कि जिलाधीश इस विषय पर इस भवन के सदस्यों से परामर्श नहीं करते हैं और कुल कार्यवाही गुप्त रखते हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—

लाइसेंस देने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही है, परन्तु यदि जिला मजिस्ट्रेट किसी एम० एल० ए० से परामर्श करना चाहें, तो उसके लिये कोई रोक नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

पीलीभीत में फायर आर्म्स के लाइसेंसों के लिए प्रार्थना-पत्र

*११४—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—

क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि—

(अ) पीलीभीत में फायर आर्म्स के लाइसेंसों के कितने प्रार्थना-पत्र ऐसे हैं जिन पर अभी तक आदेश नहीं हुए ?

(ब) उन प्रार्थियों के नाम और पूरे पते क्या हैं, उनकी योग्यता और माली स्थिति क्या है और उनके प्रार्थना-पत्रों की तारीखें क्या हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—

(अ) ऐसे प्रार्थना-पत्र, जिन पर अभी तक कोई आदेश नहीं हुए हैं, लगभग ८८ हैं। ठीक संख्या बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि अभी जांच जारी है।

(ब) प्रार्थियों के नाम, पते और प्रार्थना-पत्रों की तारीखों की एक सूची मेरी मेज पर रक्खी है, माननीय सदस्य देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। प्रार्थियों की योग्यता अथवा माली हालत के बारे में सरकार की जानकारी नहीं है, क्योंकि जिलाधीश अभी जांच कर रहे हैं।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—

यह जाच कब से जारी है और कब तक खत्म होगी ?

माननीय पुलिस सचिव—

मुझे आशा तो है कि बहुत जल्द खत्म होगी।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—

क्या माननीय सचिव एक प्रतिलिपि मुझे भी देने की कृपा करेंगे ?

माननीय पुलिस सचिव—

अगर माननीय सदस्य नक़ल करके लेना चाहें तो मै खुशी से दे सकता हूँ।

*११५—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—

[स्थगित किया गया।]

*११६-११७—श्री जगमोहन सिंह नेगी —

[स्थगित किये गये।]

आ० तारीख
सं० १८-३-४८
*२०
२१

ग्रामसुधार लाइब्रेरियाँ

*११८—श्री मुहम्मद असरार अहमद —

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वर्तमान ग्रामसुधार लाइब्रेरियों के नाम क्या हैं ? वे किन स्थानों पर स्थापित की गई हैं ? स्टाक में कितनी पुस्तकें हैं और वे किन तारीखों में खोली गई हैं ? सन् १९३७ ई० से लेकर सन् १९४७ ई० तक हर वर्ष इन लाइब्रेरियों पर अलग-अलग कितना रुपया खर्च किया गया है। *२३ १८-३-४८

*११९—इन लाइब्रेरियों के लिये किताबें किस नियम के आधार पर चुनी जाती हैं ? *२४ १८-३-४८

*१२०—उन सब प्रकार के समाचार-पत्रों यानी दैनिक, साप्ताहिक, अर्द्ध-साप्ताहिक या अन्य पत्रिकाओं के, जो इन लाइब्रेरियों को दिये जाते हैं, क्या नाम हैं ? सन १९३७ ई० से लेकर सन् १९४७ ई० तक इन पर हर वर्ष कितना खर्चा हुआ है ? *२५ १८-३-४८

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णानन्द)—

इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने में अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और श्रम के अनुरूप लाभ नहीं होगा। परन्तु अगर माननीय सदस्य किसी विशेष संख्या के बारे में सूचना चाहते हैं, तो सरकार सहर्ष ऐसी सूचना देने को प्रस्तुत है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

स्पीकर महोदय, मुझे कुछ आपसे इन सवालों के सिलसिले में अर्ज करना है। यह सवालात जिनकी नोटिस दी गई है इस गरज से दी गई है कि उनका जवाब मिल सके और आप हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिये हैं कि हमें इन सवालात के ठीक जवाब मिलें। इस तरह से कह देना कि इससे कोई लाभ नहीं होगा, यह मेम्बर बेहतर जानते हैं कि लाभ होगा कि नहीं। दूसरी असेम्बलियों में भी यह रूलिङ्ग हो चुकी है कि गवर्नमेंट को जवाब के लिये मजबूर कर सकते हैं कि सवालात का जवाब सही दें और इस तरह का जवाब नहीं दिया जाय। मुझे आपकी खिदमत में सिर्फ यह अर्ज करना है कि मैं इस जवाब से मुतमइयन नहीं हूं।

माननीय स्पीकर—

कुछ हद तक मैं गवर्नमेंट को मजबूर कर सकता हूं कि आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाय, परन्तु गवर्नमेंट को यह समझना पड़ता है कि किस सवाल का जवाब देना उचित होगा। कभी-कभी जब मैं देखता हूं कि सवाल के उत्तर देने में बहुत मेहनत लगेगी तो मैं उनको रोक देता हूं। लेकिन कभी-कभी मैं कुछ ऐसे सवालों को गवर्नमेंट के पास जाने भी देता हूं कि गवर्नमेंट उनका जवाब स्वयं देखे कि क्या दे सकती है अगर गवर्नमेंट यह देखती है कि उनके उत्तर देने में बहुत मेहनत लगेगी और कोई लाभ नहीं होगा तो वह इस तरह के जवाब देती है। आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसमें पुस्तकों की संख्या पूछी गई है। यह पूछा गया है कि स्टाक में कितनी पुस्तकें हैं आदि, यह सब तफ़सील के सवाल हैं और गवर्नमेंट यह समझती है कि उनके जवाब देने में बहुत मेहनत लगेगी। इसलिये इन सवालों के जवाब के लिये मैं गवर्नमेंट को मजबूर करना मुनासिब नहीं समझता।

[शनिवार, १ मई सन् १९४८ ई० के प्रश्न]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद में साम्प्रदायिक दंगा

*१—श्री शिवकुमार पांडे—

क्या यह सच है कि १७ जनवरी सन् १९४८ ई० को सिक्खों के जुलूस के सिलसिले में इलाहाबाद शहर में एक साम्प्रदायिक दंगा हो गया?

माननीय पुलिस सचिव—

जी हां।

श्री शिवकुमार पांडे—

इस दंगे का मुख्य कारण क्या था?

माननीय पुलिस सचिव—

मुख्य कारण बतलाना तो मुश्किल है। झगड़े जिस वक्त होते हैं तो कैसे होते हैं और किस कारण से होते हैं यह तो कहना मुमकिन नहीं होता। लेकिन एक जुलूस निकला और जब जुलूस निकला उस वक्त कुछ लोगों ने उद्दंडता दिखलाई और एक दो जगहों पर आग लगाने की बात शुरू हुई। इससे झगड़ा और बढ़ा।

श्री शिवकुमार पांडे—

जुलूस को शान्ति के साथ निकालने के लिये पुलिस और मैजिस्ट्रेट ने क्या प्रबन्ध किया था ?

* २—माननीय पुलिस सचिव—

जुलूस को शान्ति के साथ निकालने के लिये यह प्रबन्ध किया गया था। सिविल पुलिस के ४ सब-इन्सपेक्टर, ६ हेड कान्सटेबिल और ४० कान्सटेबिल चार हिस्सों में, और घुड़सवार पुलिस के २ हेड कान्सटेबिल और ६ कान्सटेबिल जुलूस के साथ थे। एक हेड कान्सटेबिल और ३ कान्सटेबिल के २५ आर्म्ड पिकेट जुलूस के रास्ते में और शहर में खास-खास जगह नियुक्त कर दिये गये थे और साथ में एस० ए० सी० के पिकेट भी ड्यूटी पर थे, एक मैजिस्ट्रेट और एक डी० एस० पी०, २ हेड कान्सटेबिल और ८ कान्सटेबिल, आर्म्ड गार्ड के साथ जुलूस के आगे चल रहे थे। एक डी० एस० पी० आर्म्ड गार्ड के साथ जुलूस के पीछे चल रहे थे। जुलूस की आम निगरानी सिटी डी० एस० पी० के हाथ में थी। जिलाधीश और सीनियर पुलिस कप्तान कोतवाली में थे।

* ३—श्री शिवकुमार पांडे—

क्या यह सच है कि उस दिन किसी एक सम्प्रदाय के लोगों के लिये करफ्यू लगा दिया गया था ?

माननीय पुलिस सचिव—

जी हां !

* ४—श्री शिवकुमार पांडे—

क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य सड़क (ग्रैंड ट्रंक रोड) से जो गलियां मुहल्लों की तरफ़ जाती हैं उन पर पुलिस का क्या प्रबन्ध था ?

माननीय पुलिस सचिव—

हर एक गली के प्रवेश पर कान्सटेबिल नियुक्त कर दिये गये थे कुछ जगह आर्म्ड पिकेट भी मौजूद थे।

* ५—श्री शिवकुमार पांडे—

क्या यह सच है कि जुलूस के कुछ लोग सरायगढ़ी की गली में दाखिल हो गये और अन्दर जा कर कुछ लोगों को जान से मार डाला ?

मानीय पुलिस सचिव—

सरकार को सूचना मिली है कि जुलूस के कुछ लोग ने गढ़ी की सराय वाली गली में घुसकर दो आदमियों को जान से मार डाला और चार को सख्त चोट पहुंचाई, जिनमें से दो अस्पताल में मर गये।

श्री शिवकुमार पांडे—

जिन लोगों ने सराय गढ़ी के अन्दर घुस कर दो आदमियों को मारा और दो-तीन को घायल किया, क्या पुलिस ने बाद में उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की?

माननीय पुलिस सचिव—

जहां तक सराय गढ़ी का ताल्लुक है उस वक्त जो वहां फ़ोर्स लगा हुआ था उसमें जिन-जिन के कामों में कमी नजर आई या मालूम हुई और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक नहीं निभाई उनके बारे में कार्रवाई की गई थी।

*६—श्री शिव कुमार पांडे—

अगर यह सही है, तो पुलिस ने उन लोगों के रोकने का क्या प्रबन्ध किया था?

माननीय पुलिस सचिव—

पुलिस ने आक्रमणकारियों का पीछा किया परन्तु वह बच कर भाग गये।

*७—श्री शिवकुमार पांडे—

क्या यह सही है कि पुलिस और मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इस जुलूस के लोगों ने मुख्य सड़क पर कई दूकानों में आग लगाई?

माननीय पुलिस सचिव—

सरकार को सूचना मिली है कि जुलूस के कुछ लोगों ने सड़क की कुछ दूकानों को जलाया।

श्री शिव कुमार पांडे—

क्या श्री टण्डन उस वक्त सिटी मैजिस्ट्रेट थे?

माननीय पुलिस सचिव—

जी हां, थे। एक और भी सिटी मैजिस्ट्रेट थे वह 'एडिशनल' सिटी मैजिस्ट्रेट का काम करते थे।

श्री शिवकुमार पांडे—

क्या पारसाल जिस वक्त दंगा हुआ था उस वक्त भी यही श्री टण्डन सिटी मैजिस्ट्रेट थे?

माननीय पुलिस सचिव—

जी हां, उस वक्त भी यही सिटी मैजिस्ट्रेट थे।

श्री शिवकुमार पांडे—

क्या सरकार ने इस मामले की कोई डिपार्टमेंटल जांच करवाई है ?

माननीय पुलिस सचिव—

डिपार्टमेंटल जांच की कोई जरूरत नहीं हुई। लेकिन चन्द बातें थीं वह वहां के अफसरान ने भी देखी और मुझे और माननीय प्रधान मन्त्री को भी देखने का मौका मिला। इसलिये किसी जांच की आवश्यकता मालूम नहीं हुई।

श्री शिवकुमार पांडे—

क्या किसी पुलिस अफसर को दंगे के सिलसिले में मुअत्तल किया गया और उसके ग्रेड को घटाया गया ?

माननीय पुलिस सचिव—

जी हां, घटाया गया।

श्री शिवकुमार पांडे—

क्या गवर्नमेंट की राय में उस पुलिस अफसर की इस दंगे में अपनी ड्यूटी में लापरवाही हुई थी ?

माननीय पुलिस सचिव—

इसका कारण यह भी हो सकता है और अगर काम में कमी देखी गई या अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने ठीक से नहीं निभाया, इन्हीं कारणों से कोई मुअत्तल हो सकता है।

श्री फखरुल इस्लाम—

क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि पारसाल भी इसी जुलूस के सिलसिले में इन्हीं मैजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरों की मातहती में इसी सड़क के ऊपर और इसी तारीख पर लड़ाई-दंगा हुआ था, आग लगाई गई थी और लोग मारे गये ?

माननीय पुलिस सचिव—

कुछ हिस्सा तो सही है कि इसी सड़क पर और इसी मौके पर, लेकिन पुलिस अफसर दूसरे थे। एक-दो जो तब थे वह अब भी थे, लेकिन बड़े-बड़े बदल गये और कुछ और भी अफसरान बदल गये।

श्री फखरुल इस्लाम—

क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि पुलिस के वही अफसरान और मैजिस्ट्रेट, जिनकी निगरानी में जुलूस निकाला गया, वह वही थे जिन्होंने पारसाल इन्तजाम किया था, जैसे कि सिटी मैजिस्ट्रेट और डी० एस० पी०, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० पी० नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—

जी हां, यह तो मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ।

श्री फखरुल इस्लाम—

क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि जिस पुलिस अफसर की तब्दीली की गई है इन्क्वायरी करने के बाद सिर्फ उन्हीं को मुजरिम क़रार दिया गया था ?

माननीय पुलिस सचिव—

मैंने कहा कि अबतक कोई इन्क्वायरी या जांच नहीं की गई। कोई कमीशन नहीं बिठाया गया लेकिन अफसरान ने इस मामले को देखा और देखने के बाद जब उन्होंने यह फैसला किया कि किसी के काम में कमी थी तो उसके बाद उसकी तब्दीली की गई या उसको मुअत्तल किया गया या नीचे किसी दरजे में लाया गया।

श्री फखरुल इस्लाम—

क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि जब सरायगढ़ी के नुक्कड़ पर एक आर्म्ड पिकेट और पुलिस मौजूद थी, तो लोग कैसे उस गली के अन्दर दाखिल हुये, और दाखिल हुए तो उन लोगों के, जो पुलिस पिकेट में थे, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने क्या कार्रवाई की ?

माननीय पुलिस सचिव—

जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो उस हालत में यह कहना कि किसी जगह पर पुलिस उसको रोकने में हमेशा कामयाब हो जायगी, नामुमकिन है। वहां गली में जाने के लिये कई रास्ते हैं। दूसरी तरफ से भी लोग जा सकते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि अगर उन्होंने रोकने में कामयाबी हासिल नहीं की तो यह उनकी कमी थी। जहां तक कार्यवाही की बात है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। वह सब मामलात देखे गये और मुनासिब कार्यवाही की गई।

श्री फखरुल इस्लाम—

क्या गवर्नमेंट इस मसले पर कोई अपनी नीति का इज़हार करेगी कि जिन लोगों की दूकानें जलाई गई या जिनकी जानें जाया हुई हैं उनके लिये कोई मुनासिब मुआविजा दिया जाय ?

माननीय पुलिस सचिव—

आम तौर पर मुआविजे की बात गवर्नमेंट ने पहले मानी थी और दिया भी था, लेकिन इस बड़े दर्जे और पैमाने पर यह झगड़े हुए कि उसके बाद यह सोचना लाज़िमी हो गया कि गवर्नमेंट किस हद तक मुआविजे की नीति पर अमल कर सकती है। लेकिन फिर भी जहां तक कि इलाहाबाद का सवाल है इसमें कोई फैसला नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने जवाब में भी कहा है यह सवाल अब भी विचारणीय है।

* ८—श्री शिवकुमार पांडे—

क्या यह सच है कि कोतवाली के सामने चन्द क़दम के फासले पर कई दूकानों में आग लगाई गई और वे लूट ली गईं ?

माननीय पुलिस सचिव—

सरकार को सूचना मिली है कि नखास कोना और मुख्य मारकेट की कुछ दूकानों में आग लगाई गई और उनको लूटा गया।

* ९—श्री शिवकुमार पांडे—

क्या यह सच है कि इसी प्रकार के जुलूस के सिलसिले में पारसाल भी इन्हीं स्थानों पर लूट-मार हुई थी व आग लगाई गई थी ?

माननीय पुलिस सचिव—

सरकार को सूचना मिली है कि सन १९४६ ई० में २६ दिसम्बर को नखास कोना में कुछ दूकानों को लूटा और जलाया गया।

* १०—श्री शिवकुमार पांडे—

क्या सरकार, जिनकी जानें गई हैं और जिनकी दूकानें लूटी व जलाई गई उनके घरवालों को या उनको मुआविजा देने की बात सोच रही ?

माननीय पुलिस सचिव—

सरकार ने आदेश दे दिया है कि मसजिदों की मरम्मत के लिए, जिनको इस दंगे में नुकसान हुआ था, १,३४० रु० दिया जाय। दूसरों के प्रश्न विचारणीय हैं।

बिजली सप्लाई कम्पनी हरदोई का कुप्रबन्ध

* ११—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि हरदोई की बिजली सप्लाई कम्पनी बराबर बिजली नहीं दे पाती है ?

माननीय निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)—

जी हां।

* १२—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—

क्या यह सत्य है कि उक्त कम्पनी कभी कोई कोई दिन बिजली नहीं देती है और प्रतिदिन कई-कई बार बिजली बन्द हो जाती है ?

माननीय निर्माण सचिव—

जी हां, यह बात ज्यादातर बाजार के फीडर में होती है जिसका कारण यह है कि इस फीडर को बिजली का ज्यादा भार उठाना पड़ता है जब यह भार मशीन की ताक़त से ज्यादा बढ़ जाता है, तो कुछ समय के लिये भार (बोझा) कम करने के लिये एक हिस्से की बिजली काटनी ही पड़ती है।

*१३—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—

क्या यह सत्य है कि यह कम्पनी सिनेमा को और आटे की चक्कियों को बराबर बिजली देती है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

जी नहीं।

*१४—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—

क्या यह सत्य है कि चक्कियों और सिनेमा को बिजली देने के कारण साधारण जनता को बिजली मिलने में और भी कष्ट होता है ?

*१५—क्या यह सही है कि पिछले ३ वर्षों से उक्त बिजली की कम्पनी की हालत बराबर खराब हो रही है और कई बार महीनों बिलकुल बिजली नहीं मिली ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

प्रश्न सं० १३ के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उठता ही नहीं। उस बिजली की कम्पनी की हालत कुछ समय से अवश्य खराब चली आ रही है, परन्तु बिजली केवल एक बार लगभग एक महीने के लिये बन्द रही।

*१६—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—

यदि ऐसा विचार नहीं है, तो जनता के कष्ट-निवारण के लिये सरकार क्या किसी प्रकार के प्रबन्ध की योजना कर रही है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

कम्पनी को लिखा गया था कि वह अपना इन्तजाम जल्दी ठीक कर ले नहीं तो उसका लाइसेन्स रद्द कर दिया जायगा। कम्पनी ने एक पुराना इन्जन खरीद कर लगा लिया है और दूसरे इन्जन की मरम्मत की जा रही है। वह नया इन्जन खरीदने का भी प्रबन्ध कर रही है। असेम्बली के कुछ माननीय सदस्यों ने पिछली बैठक में कम्पनी के प्रबन्ध के बारे में असंतोष प्रकट किया था। इसलिये एलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर से कहा गया है कि वह इन सदस्यों से मिलकर और मौके को देख कर सरकार को वहां की वर्तमान स्थिति बताये। उसकी रिपोर्ट आ जाने पर यथासम्भव उस स्थिति को पूरी तरह से सुधारने का प्रबन्ध किया जायगा।

*१७—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—

क्या सरकार पिछले २ वर्षों का एक नक्शा मेज पर रखेगी जिससे पता चले कि प्रति दिन कितने घण्टे इन्जन चालू रहा ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

इस बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिये काफी वक्त और मेहनत चाहिये। इस सूचना की उपयोगिता को देखते हुए इतनी मेहनत करना और इतना समय लगाना उचित नहीं मालूम होता।

तारांकित प्रश्न

संयुक्त प्रांत में कृषि-सम्बन्धी बीमे

*१—श्री वंशीध मिश्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संयुक्त प्रान्त में उसका कृषिसम्बन्धी बीमों (एग्रीकल्चरल इन्श्योरेंस) के जारी करने का विचार है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय कृषि सचिव (श्री निसार अहमद शेरवानी)—

इस समय कृषि-सम्बन्धी बीमों के जारी करने की कोई भी योजना सरकार के सामने नहीं है। सरकार इस पर सोचेगी।

श्री मुहम्मद इसहाक़ खां—

क्या एग्रीकल्चरल इन्श्योरेन्स के सिलसिले में गवर्नमेंट के सामने कोई स्कीम पेश भी हुई है?

माननीय कृषि सचिव—

मुझे इसका इल्म नहीं है।

संयुक्त प्रांतीय आर्थिक सलाहकार की योजनायें

*२—श्री वंशीधर मिश्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रान्त में सरकार के आर्थिक सलाहकार (एकोनामिक ऐडवाइजर) द्वारा कौन-कौन सी योजनायें जारी की जाने वाली हैं?

माननीय शिक्षा सचिव—

इस प्रान्त के अर्थ परामर्शदाता तथा संख्या संचालक एकनामिक ऐडवाइजर और डाइरेक्टर आफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा निम्नांकित योजनायें आयोजित की जाने वाली हैं—

१—जोतने-बोने के व्यय की जांच।

२—कृषकों के जीवन-निर्वाह के खर्च तथा पौष्टिक स्तर की जांच

३—देहातों में कृषकों के अतिरिक्त अन्य काम करने वालों के जीवन निर्वाह के खर्च की जांच।

४—घरेलू उद्योगों में काम करने वालों के पारिवारिक आय-व्यय की जांच

५—प्रान्त की आय की जांच।

श्री मुहम्मद इसहाक़ खां—

क्या इकोनामिक एडवाइज़र ने इन तमाम चीज़ों की जो जांच की है इसके सिलसिले में कोई रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी है?

माननीय शिक्षा सचिव—

इस सवाल में तो यह पूछा गया है कि कौन कोन सी जांच होने वाली है और मैंने यह बतला दिया है।

श्री मुहम्मद इसहाक़ खां—

क्या एग्रीकल्चरल इन्श्योरेंस जिसके बारे में जवाब दिया गया है उसके बारे में गवर्नमेंट गौर कर रही है कि इकोनामिक ऐडवाइजर से कोई राय ली जाय और जांच कराई जाय ?

माननीय शिक्षा सचिव—

इसका जवाब तो कृषि सचिव अभी दे चुके हैं।

संयुक्त प्रान्त में राज-द्रोहियों की ब्लैक लिस्ट

*३—श्री वंशीधर मिश्र—

क्या यह सच है कि १५ अगस्त, सन १९४७ ई० के पूर्व संयुक्त प्रान्त में सरकार राजद्रोही लोगों की ब्लैक लिस्ट रखती थी ? क्या अब भी ऐसी ब्लैक लिस्ट रक्खी जाती है ?

माननीय पुलिस सचिव—

जी नहीं।

श्री मुहम्मद इसहाक़ खां—

क्या सन १९४७ ई० के बाद गवर्नमेंट कोई ब्लैक लिस्ट रख रही है ?

माननीय पुलिस सचिव—

ब्लैक लिस्ट नाम की चीज़ पहले भी नहीं थी, अगर थी भी, तो वह दूसरे नाम से थी।

श्री मुहम्मद इसहाक़ खां—

क्या मेहरबानी फ़रमा के गवर्नमेंट बतलायेगी कि कौन सा दूसरा नाम रक्खा है ?

माननीय पुलिस सचिव—

इस वक्त तो कोई नाम है ही नहीं। पहले जो नाम था वह दूसरा था।

संयुक्त प्रान्त के कुछ अस्पतालों के संबन्ध में सूचना

*४—श्री वंशीधर मिश्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त प्रान्त में नीचे लिखे प्रकार के अस्पताल कितने-कितने हैं और उनमें प्रत्येक में कितने बेडस (Beds) हैं:—

(क) क्षय (ट्युबरकुलोसिस) अस्पताल,

(ख) आंख (आपथेल्मिक) अस्पताल,

(ग) जच्चा-बच्चा (मैटरनिटी) अस्पताल,

(घ) मेन्टल (मेन्टल) अस्पताल,

(ङ) सैनोटोरिया (सैनेटोरिया)

माननीय स्वशासन सचिव के सभा मन्त्री (श्री चरण सिंह)—

(क) क्षय अस्पताल—

इस प्रान्त में कोई क्षय अस्पताल नहीं है, किन्तु १७ टी० बी० क्लिनिक हैं और वे निम्नलिखित जिलों में हैं —

(१) आजमगढ़, (२) इलाहाबाद, (३) बरेली (४) बनारस, (५) बुलन्दशहर, (६) देहरादून (७) गोरखपुर, (८) हरदोई, (६) झांसी (१०) कानपुर (११) किंग जार्ज अस्पताल, लखनऊ (१२) मेरठ, (१३) मुरादाबाद, (१४) मथुरा (१५) मुजफ्फरनगर, (१६) सहारनपुर, (१७) सीतापुर इन क्लिनिक्स में कुल १२ मनुष्यों के लिए रहने का स्थान है।

(ख) आँख का अस्पताल—

आंखों के अस्पताल ७ हैं और निम्न प्रकार हैं। प्रत्येक अस्पताल के सामने यह अंकित कर दिया गया है कि उसमें कितने रोगियों के रहने का स्थान है—

१.—मनोहर दास आई हास्पिटिल, इलाहाबाद ... २४

२—अलीगढ़ आई हास्पिटिल, अलीगढ़ १४४

किन्तु यह संख्या १७० तक बढ़ाई जा सकती है।

३—सीतापुर आई हास्पीटल २२६

४.—झींझक आई हास्पिटिल, कानपुर ५०

५—सर सुन्दरलाल आई हास्पिटिल, बनारस ... ६६

किन्तु यह संख्या १२६ तक बढ़ाई जा सकती है।

६. टामसन हास्पिटल आगरा ... ६०

किंतु यह संख्या १२० तक बढ़ाई जा सकती है।

७—किंग जार्ज हास्पिटिल लखनऊ—आंख विभाग मर्दों के लिए अधिक से अधिक ६० और स्त्रियों के लिए ४० स्थान तक हो सकते हैं।

(ग) जच्चा बच्चा अस्पताल—

इस प्रान्त में जच्चा-बच्चा अस्पताल नहीं हैं ३०५ जच्चा-बच्चा केन्द्र व ३० शिशु-पालन केन्द्र हैं। इन सब केन्द्रों में मिलाकर कुल ६६ स्त्रियों के रहने का प्रबन्ध है।

(घ) मेंटल अस्पताल—

इस प्रान्त में तीन मेंटल अस्पताल हैं और उनमें से प्रत्येक में कितनों के रहने का प्रबन्ध है यह नीचे दिया गया है—

(१) मेंटल अस्पताल, आगरा ... ५४५

(२) मेंटल अस्पताल, बरेली ... ४०८

(३) मेंटल अस्पताल, बनारस ... ६७३

(ङ) सैनेटोरिया—

इस प्रान्त में ५ सैनेटोरिया हैं और उनमें कुल २९१ मनुष्यों के रहने का प्रबन्ध है जो निम्न प्रकार है:—

१—भुवाली सैनेटोरियम	१८१
२—हिल क्रेस्ट सैनेटोरियम गेठिया, नैनीताल	४२
३—मिशन सैनेटोरियम, अल्मोड़ा	३६
४—श्री मंगलाप्रसाद सैनेटोरियम, सारनाथ बनारस	१२
५—करेलाबाग सैनेटोरियम, इलाहाबाद	२०
कुल	२९१

*५—श्री वंशीधर मिश्र—

क्या सरकार बतायेगी कि विविध प्रकार के विशेषज्ञ (स्पेशलिस्ट) डाक्टर संयुक्त प्रान्त में कितने-कितने हैं ?

श्री चरण सिंह—

इस प्रान्त में विविध प्रकार के कुल कितने विशेषज्ञ हैं इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है। वे विशेषज्ञ जो कि सरकारी नौकरी, लखनऊ मेडिकल कालेज व आगरा मेडिकल कालेज में हैं, इस प्रकार हैं—

१—मेडिकल कालेज, लखनऊ	...	३७
२—मेडिकल कालेज, आगरा	...	२४
३—सरकारी नौकरियों में	...	८

इसके अलावा इस प्रान्त में ४ आंखों के विख्यात विशेषज्ञ भी हैं, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं।

*६—श्री वंशीधर मिश्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संयुक्त प्रान्त से विविध मेडिकल विषयों में विशेषता प्राप्त करने के लिये विदेशों को भेजे जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उनमें से प्रत्येक पर कितना सरकारी खर्च होता है ?

श्री चरण सिंह—

संयुक्त प्रान्त से सन १९४६-४८ ई० में विशेषता प्राप्त करने के लिये ५ डाक्टर विदेशों में भेजे गये। प्रत्येक डाक्टर पर निम्नलिखित खर्चा होता है—

स्थान	एक मुश्त खर्चा (रेल व जहाज का भाड़ा व जेब खर्च आदि)	सालाना वजीफा
(अ) विलायत जाने के लिये	२,००० रु० लगभग	५,००० रु० से ६,००० रु० लगभग
(ब) अमरीका जाने लिये	४,००० रु० लगभग	६,५०० रु० लगभग ।

गैर कानूनी हथियारों के लिये तलाशियाँ

*७—श्री वंशीधर मिश्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त प्रान्त में पिछले ६ मास में गैर कानूनी हथियारों के लिये किस-किस जिले के कौन-कौन से स्थानों में तलाशियां ली गईं और वहां क्या-क्या सामान मिला और कितनी गिरफ्तारियां इससिलसिले में हुई ?

माननीय पुलिस सचिव—

सरकार को सूचना मिली है कि बिना लाइसेंस के हथियार प्रान्त के सभी जिलों से निकले हैं।

ये हथियार इन जगहों से मिले हैं:—

मकान, खेत, कुयें, बगीचे, मस्जिद, कब्रिस्तान, रेल, मन्दिर और लारियों के यात्रियों के असबाब और व्यक्तियों की तलाशी से तथा दूसरी जगहों से जैसे शहरों के करीब और गांवों में, जहां लोग उन्हें छोड़ या फेंक आये थे, नीचे बताये हथियार मिले:-

देशी तोपें, विदेशी और देशी रायफलें, बन्दूकें और रिवाल्वर, तलवार, चाकू, भाले, डैगर, फरसा, कृपाण, गुप्ती, खुकरी, भुजाली, कुल्हाड़ी, बम, गोला-बारूद बनाने और भरने की मशीनें।

१ अगस्त सन् १९४७ ई० से ३१ जनवरी सन् १९४८ ई० तक कुल गिरफ्तारियां ४३२९ हुईं।

गोबर का खाद के लिये प्रयोग

*८—श्री वंशीधर मिश्र—

क्या सरकार जानती है कि गोबर जो खाद के काम आता है, अधिकतर जलाया जाता है ?

माननीय कृषि सचिव—

जी हां !

युक्त प्रान्त में ईंधन बढ़ाने की योजना

*९—श्री वंशीधर मिश्र—

क्या सरकार गोबर का जलाना रोकने के लिये जल्द उगने वाले ईंधन की लकड़ी का काम देने वाले वृक्षों की उत्पत्ति को प्रोत्साहन देने की सोच रही है ?

मानननीय माल सचिव-

जी हां।

हिन्दुस्तान स्काउट असोसियेशन और बैडन पावेल स्काउट असोसियेशन को सरकारी सहायता

* १०—श्री वंशीधर मिश्र—

क्या सरकार बतायेगी कि वह हिन्दुस्तान स्काउट असोसिएशन और बैडन पावेल स्काउट असोसिएशन को पृथक-पृथक कितनी वार्षिक सहायता देती है?

मानननीय शिक्षा सचिव— रु०

	रु०
१—हिन्दुस्तान स्काउट असोसियेशन	२०,०००
२—ब्वाय स्काउट असोसियेशन संयुक्त प्रान्त	१०,०००
३—संयुक्त प्रान्त गर्ल गाइडस असोसियेशन	५,०००
४—सेवा समिति गर्ल गाइडस असोसियेशन	४,०००

श्री फखरुल इस्लाम—

क्या यह रुपया आनरेबिल मिनिस्टर ने जो एक लाख रुपया रक्खा है उसमें से दिया गया है या अलग से दिया गया है?

मानननीय शिक्षा सचिव—

जी नहीं, बजट आप देखें तो यह अलग लिखा हुआ है।

श्री अदील अब्बासी—

क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतायेगी कि बैडन पावेल असोसियेशन की मदद बन्द करने के मसले पर गौर हो रहा है?

मानननीय शिक्षा सचिव—

बैडन पावेल असोसियेशन तो बाजब्ता कोई है नहीं। उसका नाम ब्वाय स्काउट असोसिएशन, यू० पी० है, जो कि बैडन पावेल असोसियेशन का वारिस है। उसकी मदद पहले से कम हो गई है। और इस वक्त तो जहां तक मुझको इल्म है दोनों असोसियेशनों के एक में मिल जाने का सवाल उनके खुदजेरे गौर है। और अगर यह चीज हो गई तो हमको गौर करने की जरूरत ही नहीं होगी, अगर ऐसा न हुआ तो हम गौर करेंगे कि क्या करना चाहिये।

कराची से आये हुए हवाई जहाज़ की तलाशी

* ११—श्री वंशीधर मिश्र—

(क) क्या यह सच है कि कराची से खास तौर से चार्टर किया हुआ एक हवाई जहाज लखनऊ को १४ नवम्बर, सन् १९४७ ई० को या उसके आस-पास २६ यात्रियों के साथ आया और पुलिस को उनके सामान की तलाशी लेने पर ऐसे कागज मिले जिनमें गुप्त हिदायतें थीं?

(ख) क्या यह वाकया है कि वही हवाई जहाज २४ यात्रियों के साथ अमौसी हवाई अड्डे से उड़ने को था कि पुलिस ने तलाशी ली और कुछ काग़ज़ पुलिस को मिले ?

(ग) क्या यह सच है कि पुलिस के तलाशी लेते समय उन काग़ज़ों को सीटों के नीचे छिपाने का असफल प्रयास किया गया ?

(घ) क्या सरकार बतायेगी कि उन काग़ज़ों के लिखने वाले कौन हैं, और उनमें क्या लिखा हुआ था ?

(ङ) क्या यह सच है कि उन काग़ज़ों के लिखने वाले संयुक्त प्रान्त के निवासी मुस्लिम लीगी लीडर लोग और सरकारी अफ़सर हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्र के प्रति वफ़ादार रहने की शपथ ली है ?

(च) क्या यह भी सच है कि एक उच्च ब्रिटिश अफ़सर और अन्य मुस्लिम अफ़सरों ने, जिन्होंने कि काग़ज लिखे हैं, पाकिस्तान सरकार को उन काग़ज़ों के द्वारा यह विश्वास दिलाया है कि वे उचित अवसर पर पाकिस्तान सरकार की हर प्रकार से सहायता करेंगे ?

(छ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? कोई गिरफ्तारी की या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ज) क्या वह हवाई जहाज वापस जाने दिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

माननीय पुलिस सचिव—

(क) एक हवाई जहाज जिसे मोहम्मद यासीन अली नाम के एक व्यक्ति ने इन्डियन यूनियन से पश्चिमी पाकिस्तान तक यात्री के आने के लिये चार्टर किया था, २६ यात्रियों को लेकर प्रातःकाल ११ बजकर ३२ मिनट पर अमौसी हवाई अड्डा पर उतरा। उन यात्रियों की तलाशी ली गई कोई ख़ास हिदायतें तो नहीं पाई गई पर कुछ पत्रों में इस बात का जिक्र अवश्य था कि इन्डियन यूनियन में काम करने वाले कुछ लोग पाकिस्तान में काम करना पसन्द करते हैं। कई पत्रों में कुछ लोगों को, जिनके पते उनमें दिये थे, यह हिदायत दी गई थी कि वे इन्डियन यूनियन में अपना कारोबार समेट कर पाकिस्तान चले जाय।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम बताना उचित नहीं होगा।

(ङ) पत्र लिखने वालों में अधिक से अधिक एक या दो सरकारी नौकर थे, और उनमें से कुछ तो मुस्लिम लीगी थे और कुछ ऐसे लोग थे जो इन्डियन यूनियन से पाकिस्तान चले गये हैं।

(च) सरकार को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।

(छ) पुलिस के पास सम्बन्धित लोगों पर किसी विशेष अपराध का अभियोग लगाने के लिये कोई सबूत नहीं था।

[माननीय पुलिस सचिव]

(ज) जी हां, हवाई जहाज को रोके रखने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

प्रान्तीय सरकार के मुस्लिम कर्मचारियों का पाकिस्तान जाना

* १२—श्री वंशीधर मिश्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त प्रान्त के कितने प्रान्तीय सरकार के मुस्लिम कर्मचारियों और कितने भारतीय सरकार के मुस्लिम कर्मचारियों ने पाकिस्तान जाने का निश्चय प्रकट किया था और उनमें से कितने पाकिस्तान गये ?

माननीय प्रधान सचिव के सभामन्त्री (श्री गोविन्द सहाय)—

युक्त प्रान्तीय सरकार के अधीन काम करने वाले सेक्रेटरी आफ स्टेट की सर्विसों के बीस मुसलमान अफसरों ने पाकिस्तान में नौकरी करने की इच्छा प्रकट की थी और वे सब अन्त में पाकिस्तान चले गये। प्राविंशियल, सबार्डिनेट औ इन्फीरियर सर्विसों के लोगों को ऐसी इच्छा प्रकट करने का अधिकार नहीं था। संयुक्त प्रान्त में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के मुसलमान कर्मचारियों के बार में इस स कार को कोई सूचना नहीं है।

अधिक अन्न उपजाओ योजना

* १३—श्री वंशीधर मिश्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों में संयुक्त प्रान्त में "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के सम्बन्ध में प्रति वर्ष कितना कितना रुपया खर्च किया गया ?

माननीय कृषि सचिव—

कुल खर्च जो पिछले वर्षों में संयुक्त प्रान्त में "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अमले और बीज गोदामों पर प्रति वर्ष में खर्च किया गया, वह नीचे लिखा है।

वर्ष	रु०
१९४३–४४	१,७२, ३२२
१९४४–४५	७,२४,५५४
१९४५–४६	१५,५५, २५४
१९४६–४७	१०,८७,६१९

* १४—श्री वंशीध मिश्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के परिणाम स्वरूप कितनी अधिक जमीन जोती और बोई गई और कितना अधिक अन्न उपजाया गया ?

मानननीय कृषि सचिव—

वर्ष	रकबा जो जोता व बोया गया (एकड़ों में)	बढ़ी हुई उत्पत्ति (मना में)
१६४४-४५ ...	१,३०,१५८	१३,.१,५८०
१६४५-४६ ..	१,३७,२५२	१४,७२,५२०
१६४६-४७ ...	४७,४२३	४,७४,२३०

*१५—श्री वंशीधर मिश्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संयुक्त प्रान्त में खेतिहर को विविध प्रकार की खादों को बाजार शरह से कम कीमत पर देने की व्यवस्था की गयी या नहीं ? यदि की गयी, तो सरकार ने इस मद में कितना रुपया खर्च किया ?

माननीय कृषि सचिव—

जी हां। सहायता रूप में जो रुपया दिया गया वह इस प्रकार है:—

वर्ष		रुपया
१६४४-४५	...	१,२०,८४२
१६४५-४६	...	२,५१,८११
१६४६-४८	...	६३,६३,७८४

खाद के साधन बढ़ाने के लिये नीचे लिखा रुपया खाद बनाने के काम में खर्च किया गया :—

वर्ष		रुपया
१६४३-४४	...	१,७२,३३२
१६४४-४५	...	७८,७३६
१६४५-४६	...	१,०२,४०८
१६४६-४७	...	१,२२,१२८

प्रान्त में सीमेंट की कमी

* १६—श्रीवंशीधर मिश्र—

क्या सरकार को मालूम है कि संयुक्त प्रान्त की जनता में सीमेंट की बड़ी मांग है और सर्वसाधारण को सीमेंट अप्राप्य हो रहा है ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

माननीय उद्योग सचिव—

हां, केन्द्रीय सरकार ने सीमेंट का कन्ट्रोल सब प्रान्तीय सरकार को देना निश्चित किया है। प्रान्तीय सरकार सीमेंट वितरण की आयोजना तैयार कर रही है।

* १७—श्री वंशीधर मिश्र—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त प्रान्त में सीमेंट की फैक्टरी कहां-कहां हैं और संयुक्त प्रान्त में सीमेंट की वार्षिक उपज क्या है ?

माननीय उद्योग सचिव—

संयुक्त प्रान्त में सीमेंट बनाने की कोई फैक्टरी नहीं है।

* १८—श्री बन्शीधर मिश्र—

सीमेंट की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

माननीय उद्योग सचिव—

सरकार ने नेशनल माइन्स ऐन्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को एक माइनिंग लोन दी है, जिसके अनुसार यह कम्पनी एक फैक्टरी लखनऊ के आस पास लगायेगी। इसके अलावा सरकार स्वयं ही मिर्जापुर के पास जहां लाइम-स्टोन पाया जाता है, सीमेंट फैक्टरी बनाने जा रही है।

श्री खुशवक्त राय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीमेंट बनाने के लिए प्राइवेट कम्पनीज को कोई प्रोत्साहन दिया जायगा ?

माननीय उद्योग सचिव—

अभी तो सरकार की नीति यह है कि वह स्वयं अपने इन्तजाम में सीमेंट का काम अपने प्रान्त में जारी करेगी।

* १९-२६—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—

[स्थगित किये गये।]

* २७-३०—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—

[वापस लिये गये।]

शारदा बिजली घर निर्माण कार्य

* ३१—श्री श्यामलाल वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया सूचित करेगी कि "शारदा बिजली-घर निर्माण कार्य" में लगे हुए किन्हीं ठेकेदारों (ईंट के भट्ठे के ठेकेदार या अन्य) को निश्चित दर से अतिरिक्त मांगें वहां के इंजीनियरों द्वारा स्वीकार की गई हैं ?

* ३२—अगर की गई है, तो कब, किन किन ठेकेदारों की ओर इस प्रकार कुल कितना रुपया अधिक निश्चित दर से बढ़ा कर सरकार से ठेकेदार व ठेकेदारों को देना पड़ा है ?

* ३३—क्या सरकार कृपया यह भी सूचित करेगी कि ठेकेदारों की इन अतिरिक्त मांगों को स्वीकार करने में शारदा बिजली घर निर्माण कार्य से सम्बन्धित सभी इंजीनियरों तथा जंगल विभाग के अधिकारियों की सम्मिलित सम्मति थी ? यदि नहीं तो किन अधिकारी व अधिकारियों की सम्मति से यह अतिरिक्त मांग स्वीकार हुई और इन अधिकारियों का सम्बन्ध इस कार्य से कब से रहा है।

* प्रश्न सं० ३१ से ३३ तक श्री खुशीराम ने पूछे।

मानननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

इस मामले में जांच की जा रही है।

श्री खुशीराम—

यह जांच कब तक की जायगी?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

मेरे ख्याल में इस जांच में दो तीन महीने लगेंगे।

* ३५-३६—श्री श्यामलाल शर्मा (अनुपस्थित)—

[स्थगित किये गये।]

कृषि-भूमि को उचित किसानों को देना

* ३७—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—

क्या सरकार के पास ऐसी कोई स्कीम है कि ऐसे किसानों से जो स्वयं हल नहीं जोतते, जमीन लेकर उन किसानों को दी जावे जिनके पास जमीन नहीं है और जो अपने हाथ से हल चला कर अधिक अन्न पैदा कर सकते हैं?

माननीय माल सचिव—

जी नहीं।

* ३८-४०—श्री मिजाजी लाल—

[स्थगित किये गये।]

पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत वर्क्स सुपरवाइजर

* ४१—श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि कितने वर्क्स सुपरवाइजर मुहकमे पी० डब्ल्यू० डी० ने अब तक मुकर्रर किये हैं?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

५६८ किये हैं।

* ४२—श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)—

इनको कितने अर्से के लिए मुकर्रर किया गया है और इन्हें किस हिसाब से तनख्वाह, भत्ता और महंगाई दी जाती है?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

वह आरजी तौर पर रखे जाते हैं और उनकी मौजूदा तनख्वाह नीचे लिखे हुए तरीके पर शुरू होती है:—

अव्वल दर्जे के पास किये हुए			७०) महीना
दोयम	”	”	४५) ”
तीसरे	”	”	६०) ”

[माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव]

उनको असल सफर खर्च मिलता है, महगाई उनकी तनख्वाह की २० फी सदी मिलती है और साथ ही उसके इनको कुछ जाती तनख्वाह भी मिलती है। ताकि जो तनख्वाह वह पहली अप्रैल सन् १९४७ को पा रहे थे उससे कम तनख्वाह उनको न मिलने पाये। पहाड़ पर उनको १०) माहवार बतौर पहाड़ी अलाउन्स के मिलता है।

*४३—श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इन जगहों को मुस्तकिल करने के सवाल पर सोच-विचार कर रही है?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

अभी कोई तजवीज नहीं है।

*४४—श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इनमें से कुछ लोगों को कम करना चाहती है? अगर ऐसा है, तो अलहदगी के मामले में क्या-क्या उसूल लागू होंगे?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

इन जगहों की तादाद में कमी की कोई तजवीज नहीं है।

*४५—श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)—

वर्क्स सुपरवाइजरों के मुख्य कार्य क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

उनको कोई जाती अख्तियार नहीं है बल्कि वह ओवरसियर और इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर की जिम्मेदारी में अपने काम पर मौजूद रहते हैं और उनकी निगरानी करते हैं।

*४६—श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इनके अधिकार बढ़ाना चाहती है। अगर हां, तो कौन से?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

जी नहीं।

उन्नाव जिला कांग्रेस कमेटी तथा मंडल कमेटी के सदस्यों पर आक्रमण

*४७—श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने उन्नाव जिला कांग्रेस कमेटी तथा मण्डल कमेटी के कुछ मेम्बरों पर हमला करके उन्हें घायल किया था?

माननीय पुलिस सचिव—

जी हां।

*४८—श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि मारने वालों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की गई, परन्तु पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कोई क़दम नहीं उठाया ?

माननीय पुलिस सचिव—

जी हां, मारने वालों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की गई, परन्तु यह ग़लत है कि पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की, पुलिस ने जांच की और ८६ मुलजिमों का चालान किया। मुकदमा अभी अदालत में चल रहा है।

*४६—श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल (अनुपस्थित)—

क्या गवर्नमेंट उन कांग्रेसजनों के नाम, जिन पर हमला हुआ और जो घायल हुये थे, बतलाने की कृपा करेगी ?

माननीय पुलिस सचिव—

उन कांग्रेस-जनों के नाम, जिन पर हमला हुआ और जो घायल हुए, निम्न-लिखित हैं:—

१—छोटेलाल	गांव मकूर	थाना अजगैन
२—रामदत्त	"	"
३—रामप्रसाद	"	"
४—गङ्गासागर	"	"
५—अमृतलाल	"	"
६—मन्ना	गांव मकूर	"
७—रामपाल	"	"
८—केवल	"	"
९—मदारी	"	"
१०—सोहनलाल	"	"
११—सुखलाल	"	"
१२—गङ्गाराम	"	"

*५०—श्री महावीर त्यागी—

[स्थगित किया गया]

*५१-५२—श्री सर्वजीत लाल वर्मा—

[स्थगित किया गया]

अल्मोड़ा ज़िले में जड़ी-बूटियों से औषधि तैयार करने का विचार

*५३—श्री हरगोविन्द पन्त (अनुपस्थित)—

(क) क्या सरकार के पास अल्मोड़े से किसी विशेषज्ञ ने वहां की जड़ी-बूटियों से दवा तैयार करने की कोई तजवीज उद्योग विभाग में भेजी है ?

(ख) क्या सरकार ने उस तजवीज़ पर विचार कर लिया है ?

(ग) यदि विभाग का लिखा है, तो क्या अब और सरकार कुछ करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

माननीय स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

*५४ श्री हर गोविन्द पन्त (अनुपस्थित) ।

क्या कुमायूं विकास सभा (कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड) ने भी इस विषय में प्रान्तीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ?

माननीय स्वशासन सचिव—

जी नहीं ।

*५५. श्री हरगोविन्द पन्त (अनुपस्थित)

[स्थगित किया गया ।]

सरकारी कर्मचारियों में स्टेनोग्राफरों का वेतन

*५६—श्री लाल बिहारी टण्डन—

क्या सरकार को पता चला है कि प्रान्तीय वेतन कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने जिलाधीश, जिला जज तथा सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के स्टेनोग्राफरों का वेतन पहले १०० रु० से १५० रु० निश्चित किया था, परन्तु बाद को यू० पी० स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन की प्रार्थना पर उसे १०० से २०० रु० कर दिया ?

माननीय माल सचिव—

जी हां, गवर्नमेंट ने पहले प्रान्तीय वेतन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार उनके पहले जिलाधीशों, जिला जजों और पुलिस सुपरिन्टेंडेंटों के स्टेनोग्राफरों का संशोधित वेतन १००-१५० रु० नियत किया था, परन्तु बाद में और अधिक संशोधन करके वेतन १००—२०० रु० कर दिया गया। वेतन में और अधिक संशोधन इसलिए किया गया कि पुनः विचार करने पर गवर्नमेंट ने समझा कि जो वेतन की दरें पहले नियत की गई थीं, वह समुचित न थीं ।

श्री लाल बिहारी टण्डन

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वेतन का नया दर सब स्टेनोग्राफर को दिए हैं या सिर्फ उन्हीं को ?

माननीय माल सचिव—

जिनको दिए गए हैं उनका हवाला उसमें दिया है ।

*५७-६३—श्री अजित प्रसाद जैन—

[स्थगित किये गये ।]

वेतन के रिवाइज्ड स्केल में तरक्कियाँ

६—श्री अनस्ट माइकेल फिलिप्स—

(क) क्या यह ठीक है कि जो तरक्कियां पुराने मुलाजिमीन को नये वेतन-क्रम पर मार्च, सन १६४७ ई० में दी गई थीं, वह अभी तक मुख्तलिफ मुहकमों के पुराने अहलकारों को नहीं मिली हैं ?

(ख) क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतायेगी कि तनख्वाह का नया पैमाना कब मन्जूर हुआ था ?

(ग) क्या यह सही है कि कलेक्टरों और कमिश्नर के दफ्तरों के कार्यकर्त्ताओं को बढ़ी हुई तनख्वाह के नक्शे बोर्ड आफ रेवेन्यू की खिदमत में भेज गये थे ? अगर ऐसा है, तो क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि वह नक्शे बोर्ड आफ रेवेन्यू के दफ्तर में कब पहुंचे और वहां से लौटने की कब तक उम्मीद की जा सकती है ?

(घ) क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि बोर्ड आफ़ रेवेन्यू के दफ्तर में उन नक्शों में इतनी देर क्या हुई ?

मानतीय पुलिस सचिव—

(क) जी हां यह सच है कि संशोधित वेतन-क्रम के अनुसार वेतन, जो १ अप्रैल सन् १६४७ ई० से स्वीकृत किये गये थे कुछ ऐसे कार्यालयों और संस्थापनों में, जिनके प्रस्तावित विवरण-पत्र (प्रोपोजीशन स्टेटमेंट्स) अभी तक स्वीकृत नहीं हुये हैं, नहीं दिये गये हैं।

(ख) संशोधित वेतन क्रम फरवरी सन् १६४७ ई० के अन्त में घोषित किये गये थे और उनको उसी वर्ष की पहली अप्रैल से लागू होना था।

(ग) प्रस्तावित विवरण-पत्र (प्रोपोजीशन स्टेटमेंट्स) जो विभिन्न कलेक्टरी के सम्बन्ध में कलेक्टरों द्वारा संयुक्त प्रान्तीय वेतन समिति की रिपोर्ट पर सरकारी प्रस्ताव के आधार पर बनाये गये थे; एकाउन्टेंट जनरल के पास भेज दिये गये थे और एकाउन्टेंट जनरल ने उनको पहले वर्ष जुलाई के माह में विभिन्न तारीखों पर सरकार के पास भेज दिया था, क्योंकि यह आवश्यक था कि बोर्ड आफ़ रेवेन्यू भी उन विवरण पत्रों की जांच करे। इसलिये सरकार ने इस प्रयोजन के लिये उनको उसी वर्ष के जुलाई और अगस्त माह की विभिन्न तारीखों पर बोर्ड को भेज दिये। इसके बाद ही सरकार ने यह निश्चय किया कि संशोधित श्रेणियों में जो जगहें रखी गई थीं उनमें कुछ परिवर्तन किये जांय और यह भी निश्चय किया गया कि जिलों को भी "बड़े" और "छोटे" जिलों की श्रेणियों में फिर से विभाजित किया जाय। इसका परिणाम यह हुआ कि फिर से नये प्रस्तावित विवरण-पत्र (प्रोपोजीशन स्टेटमेंट्स) बनाना पड़ा। इनमें से कुछ

[माननीय पुलिस सचिव]

संशोधित किये गये प्रस्तावित विवरण-पत्र (प्रपोजीशन स्टेटमेंट्स) अब स्वीकृत हो चुके हैं और यह आशा की जाती है कि शेष विवरण-पत्र भी शीघ्र ही स्वीकृत हो जायेंगे। फिर भी कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों और उम्मेदवारों को अन्तरिम सहायता इस प्रकार दे दी गई है कि प्रस्तावित विवरण-पत्र (प्रोपोजीशन स्टेटमेंट्स) के स्वीकृत किये जाने की प्रतीक्षा किये बिना ही उन्हें संशोधित वेतन-क्रम के अनुसार कम से कम वेतन और महंगाई का भत्ता अस्थायी रूप से दे दिया गया है।

डिवीजनों के कमिश्नर के कार्यालयों की दशा में भी कुछ ऐसी बातें थीं जिनका स्पष्टीकरण होना था और नये प्रस्तावित विवरण-पत्र (प्रपोजीशन-स्टेटमेंट्स) बनाये जाने को थे। ये प्रस्तावित विवरण-पत्र (प्रपोजीशन-स्टेटमेंट्स) अब बन कर तैयार हो गए हैं और यह आशा की जाती है कि वे बहुत शीघ्र ही स्वीकृत हो जायंगे।

देर लगने का कारण प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में पहिले ही बताया जा चुका है।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—

क्या यह सही है कि जो तब्दीली आपने की है उसके सम्बन्ध में सरकार ने एक फेहरिस्त बनवाई है जिसमें कि कुछ मुलाजिमान बगैर तरक्की पाये पेंशन पर चले जायंगे ?

माननीय माल सचिव—

इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

एक काम रोको प्रस्ताव की सूचना

माननीय स्पीकर—

मेरे पास मुफ्ती फखरुल इस्लाम साहब का एक प्रस्ताव आया है कि "मैं यह तहरीक पेश करने की इजाजत चाहता हूं कि भवन की कार्यवाही एक खास अहम और अवामी अमर पर बहस करने के लिये मुल्तवी की जाय यानी गवर्नमेंट का गैर जम्हूरी रवैया कि वह मुफीद फारसी, अंग्रेजी, हिंदी कतबों और कदीम तहरीरों को, जो आसरे क़दीमा के नमूने थे, मिटा रही है।"

मैं इसके पेश करने की इजाजत नहीं देता।

स्थायी समितियों के लिए चुने गये सदस्यों के नामों की घोषणा

माननीय स्पीकर—

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि स्थायी समितियां यानी स्टैंडिंग कमेटीज के चुनाव के लिये नाम भेजने के लिये मैंने ३० अप्रैल सन् १९४८ ई०

के १२ बजे दिन तक समय दिया था। कुछ कमेटियों के लिये १० नाम आये हैं और वे दसो चुन लिये गये। मैं उनके नाम सुना देता हूँ। ऐसी ११ कमेटियां हैं, जिनमें सिर्फ १० नाम आये हैं, वे नाम ये हैं—

सार्वजनिक निर्माण विभाग समिति

१—श्री मुहम्मद फारुक
२—श्री मुहम्मद असरार अहमद
३—श्री सलीम हामिद
४—श्री बादशाह गुप्त
५—श्री खानचन्द गौतम
६—श्री मुहम्मद इस्माइल
७—श्री रामकुमार शास्त्री
८—श्री दाऊदयाल खन्ना
९—श्री लुत्फअली
१०—श्री फखरुल इस्लाम

श्रम समिति

१—श्री हसन मुहम्मद शाह
२—श्री फखरुल इस्लाम
३—श्री हसरत मोहानी
४—श्री विनय कुमार मुकर्जी
५—श्री सूरज प्रसाद अवस्थी
६—श्री राजाराम शास्त्री
७—श्री हरिहरनाथ शास्त्री
८—श्री गंगासहाय चौबे
९—श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी
१०—श्री भीमसेन

बन समिति

१—श्री हबीबुर्रहमान खां
२—श्री मुहम्मद रजा खां
३—श्री हाजी हैदर बख्श
४—श्री हरगोविन्द पन्त
५—श्री जगमोहन सिंह नेगी
६—श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा
७—श्री दयाल दास भक्त
८—श्री सरवतहुसेन
९—श्री भगवानसिंह
१०—श्री फखरुल इस्लाम

न्याय विधान समिति—

१—श्री मुहम्मद शमीम
२—श्री फजलुर्रहमान खां
३—श्री इसहाक खां
४—श्री गणपति सहाय
५—श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा
६—श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल
७—श्री सीताराम अस्थाना
८—श्री वंशगोपाल
९—श्री फखरुल इस्लाम

जेल समिति—

१—श्री अम्मार अहमद
२—श्री रुकनउद्दीन खां
३—श्री निहाल उद्दीन
४—श्रीमती अब्दुल वाहिद
५—श्री अक्षयवर सिंह
६—श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी
७—श्री रामचन्द्र पालीवाल
८—श्री शिवमंगलसिंह कपूर
९—श्री हरप्रसाद सिंह
१०—श्री फखरुल इस्लाम

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति—

१—श्री करीमुर्रजा खां
२—श्री असगर अली खां
३—श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम
४—श्री भगवानदीन मिश्र
५—श्री अचलसिंह
६—श्री प्राणीलाल
७—श्री कालीचरण टण्डन
८—श्री शंकरदत्त शर्मा
९—श्री होतीलाल अग्रवाल
१०—श्री फखरुल इस्लाम

स्वशासन समिति—

१—श्री ऐजाज रसूल
२—श्री मोहम्मद यूसुफ
३—श्री वीरेन्द्र शाह

४—श्री कृष्णचन्द्र
५—श्री गोपाल नारायण सक्सेना
६—श्री बनारसी दास
७—श्री श्यामसुन्दर शुक्ल
८—श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
९—श्री जाहिद हसन
१०—श्री फखरुल इस्लाम

श्री मुहम्मद इसहाक़ खां—

जनाब वाला, एक मुश्तरका फेहरिस्त कल दाखिल की गई थी, उसमें कुछ और भी नाम थे।

मानननीय स्पीकर—

उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे पास इन कमेटियों के लिये १० से ज्यादा नाम आये ही नहीं हैं, इसलिये सब चुने गये हैं। मैं उनकी सूची पढ़ रहा हूं—

सूचना समिति

१—श्री जमालुद्दीन अब्दुल वहाब।
२—श्री अली जरीर जाफरी
३—श्री जयकृष्ण श्रीवास्तव
४—श्री महमूद अली खां
५—श्री लाखन दास
६—श्री बृज मोहन लाल शास्त्री
७—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय
८—श्री रघुवीर सहाय
९—श्री नारायण दास
१०—श्री फखरुल इस्लाम

रसद समिति (सप्लाइ)

१—श्री राम नारायण
२—श्री मुनफैत अली
३—श्री सुल्तान आलम खां
४—श्री श्रीचन्द सिंघल
५—श्री लोटन राम
६—श्री भीम सेन
७—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य
८—श्री बाबू राम वर्मा
९—श्री दाऊ दयाल खन्ना
१०—श्री मुफ्ती फखरुल इस्लाम

पुलिस समिति

१—श्री मुहम्मद इसहाक खां
२—श्री अर्नस्ट माइकेल फिलिप्स
३—श्री जहीरुल हसनैन लारी
४—श्री विष्णु शरण दुब्लिश
५—श्री त्रिलोकी सिंह
६—श्री शिव कुमार पांडे
७—श्रीमती लक्ष्मी देवी
८—श्री जवाहर लाल रोहतगी
९—श्री जुगुल किशोर
१०—श्री फखरुल इस्लाम

उद्योग समिति

१—श्री जमशेद अली खां
२—श्रीमती इनाम हबीबुल्ला
३—श्री अब्दुलगनी अन्सारी
४—श्री शिवदयाल उपाध्याय
५—श्री छेदालाल गुप्त
६—श्री विश्वनाथ प्रसाद
७—श्री रामस्वरूप गुप्त
८—श्री राधेश्याम शर्मा
९—श्री कुंज बिहारी लाल शिवानी
१०—श्री फखरुल इस्लाम

अब मैं उन कमेटियों के प्रस्तावित सदस्यों के नाम पढ़ता हूं जिनमें ११ की संख्या है यानी १० से एक ज्यादा। और जिनमें मुझे चुनाव करना पड़ेगा, अगर ११ में से कोई एक सज्जन अपना नाम वापस नहीं ले लेते हैं। मेम्बरों को मौका है जिनको कि बहुत ज्यादा कमेटियां सुपुर्द कर दी गई हैं, वे अपना नाम वापस कर लें।

हरिजन समिति

१—श्री जयपाल सिंह
२—श्री राजाराम मिश्र
३—श्री खुशी राम
४—श्री भगवान दीन
५—श्री चेत राम
६—श्री जगन्नाथ दास
७—श्री गङ्गाधर जाटव

८—श्री जगन्नाथ सिंह
९—श्री मिजाजी लाल
१०—श्री रामचंद्र सेहरा
११—श्री फखरुल इस्लाम

श्री मुफ्ती फखरुल इस्लाम—

मैं अपना नाम वापस लेता हूँ।

माननीय स्पीकर—

मैं इस वापसी को मंजूर करता हूँ और जिन १० सदस्यों के नाम मैंने पढ़े हैं, श्री फखरुल इस्लाम को छोड़ कर, वे सब चुने गये।

शरणार्थी समिति

१—श्री जाकिर अली
२—श्री कृष्ण चन्द्र
३— श्री रिजवानउल्लाह
४—श्रीमती सुचेता कृपलानी
५—श्री राम सहाय
६—श्री भारत सिंह यादवाचार्य
७—श्री बदन सिंह
८—श्री फूल सिंह
९—श्री अब्दुल हकीम
१०—श्री श्रीचन्द सिंघल
११—श्री फखरुल इस्लाम

श्री फखरुल इस्लाम—

मैं अपना नाम वापस लेता हूँ।

माननीय स्पीकर—

मैं इस वापसी को ंजूर करता हूँ। शेष १० सज्जन जिनके नाम अभ मैंने पढ़े हैं, वे चुने गये।

सिंचाई समिति

१—श्री कृष्ण चन्द्र पुरी
२—श्री शौकत अली खां
३—श्री निहालुद्दीन
४—श्री चतुर्भुज शर्मा
५—श्री अब्दुल हमीद
६—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल
७—श्री केशव गुप्त
८—श्री प्रेम कृष्ण खन्ना

९—श्री खुशवक़्त राय
१०—श्री रामधारी पांडे
११—श्री फख़रुल इस्लाम

श्री फख़रुल इस्लामः—

मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

माननीय स्पीकर—

श्री फख़रुल इस्लाम ने अपना नाम वापिस ले लिया है। इस तरह से जो दस नाम रह गये, वे सब चुने गये।

शिक्षा समिति

१—श्री प्राग नारायण
२—श्री मुहम्मद असरार अहमद
३—श्री मुहम्मद शकूर
४—श्री बीरबल सिंह
५—श्री रामधर मिश्र
६—श्री रामशरण
७—श्री जयराम वर्मा
८—श्री अल्फ्रेड धर्मदास
९—श्री रामेश्वर सहाय सिनहा
१०—श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स
११—श्री फख़रुल इस्लाम

श्री फख़रुल इस्लाम—

मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

माननीय स्पीकर—

श्री फख़रुल इस्लाम ने अपना नाम वापिस ले लिया। इस तरह से जो दस नाम बाकी रह गये, वे सब चुने गये।

माल समिति

१—श्री अब्दुल बाक़ी
२—श्री राजकुमार सिंह
३—श्री फ़ैयाज़ अली
४—श्री राम शंकर लाल
५—श्री लाल बिहारी टण्डन
६—श्री कमलापति त्रिपाठी
७—श्री लाल सुरेन्द्र बहादुर सिंह
८—श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी
९—श्री सुदामा प्रसाद

१०—श्री बलदेव प्रसाद
११—श्री फखरुल इस्लाम

श्री फखरुल इस्लाम—

मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

माननीय स्पीकर—

श्री फखरुल इस्लाम ने अपना नाम वापस ले लिया। इसलिए जो दस नाम बच रहे वह सब चुने गये।

कृषि-विभाग समिति

१—श्री नवाजिश अली
२—श्री शौकत अली खां
३—श्री जगन्नाथ बख्श सिंह
४—श्री श्रीपति सहाय
५—श्री शिवदान सिंह
६—श्री द्वारका प्रसाद
७—श्री मुहम्मद नबी
८—श्री बलभद्र सिंह
९—श्री मङ्गला प्रसाद
१०—श्री शिव मंगल सिंह चौधरी
११—श्री फखरुल इस्लाम

श्री फखरुल इस्लाम—

मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

माननीय स्पीकर—

श्री फखरुल इस्लाम ने अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह से जो १० नाम बाकी रहे, वह सब चुन लिये गये।

आबकारी समिति

१—श्री सआदत अली
२—श्री इबादुर्रहमान
३—श्री मुहम्मद नजीर
४—श्री रघुवंश नारायण सिंह
५—श्री आदिल अब्बासी
६—श्री जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल
७—श्री पूर्णमासी
८—श्री बशीर अहमद अंसारी
९—श्री गंगा प्रसाद
१०—श्री लौटन राम
११—श्री फखरुल इस्लाम

श्री फखरुल इस्लाम—

मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

माननीय स्पीकर—

श्री फखरुल इस्लाम ने अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह से जो दस नाम बाकी रहे, वह सब चुने गये।

यातायात समिति—

१—श्री सैयद अहमद
२—श्री सलीम हामिद खां—
३—श्री मुहम्मद असरार अहमद
४—श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा
५—श्री राम मूर्ति
६—श्री मुजफ्फर हसन
७—श्रीमती सज्जन देवी महनोत
८—श्री अलगू राय शास्त्री
९—श्री श्यामलाल वर्मा
१०—श्री कुशालानन्द गैरोला
११—श्री फखरुल इस्लाम

श्री फखरुल इस्लाम—

मैं अपना नाम वापिस लेता हूं।

माननीय स्पीकर—

श्री फखरुल इस्लाम ने अपना नाम वापस ले लिया है। जो दस नाम बचे, वह चुने गये।

विकास समिति—

१—श्री साजिद हुसेन
२—श्री मुहम्मद याकूब
३—श्री सलीम हामिद खां
४—श्री दीप नारायण वर्मा
५—श्री राधा मोहन सिंह
६—श्री फतेह सिंह राणा
७—श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर
८—श्री लीलाधर अस्थाना
९—श्रीमती विद्यावती राठौर
१०—श्री जगन्नाथ बख्श सिंह
११—श्री फखरुल इस्लाम

श्री फखरुल इस्लाम—

मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

माननीय स्पीकर—

श्री फखरुल इस्लाम ने अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह जो दस नाम बचे, वह सब चुने गये।

सहकारी समिति

१—श्री अजित प्रताप सिंह

२—श्री ऐजाज रसूल

३—श्री सालिगराम जायसवाल

४—श्री दीन दयाल

५—श्री वंशीधर मिश्र

६—श्री जगन्नाथ दास

७—श्री मुसुरिया दीन

८—श्री फ़खरुल इस्लाम

श्री फ़खरुल इस्लाम—

मैं अपना नाम वापिस लेता हूं।

माननीय स्पीकर—

श्री फखरुल इस्लाम ने अपना नाम वापिस ले लिया। कुल मिलाकर ८ नाम थे। अब ७ नाम बचे। यह ७ नाम चुने गये। अगर हाउस चाहेगा तो ३ और चुने जा सकते हैं। अगर अभी कोई मेम्बर चाहें और तीन नाम मुझे दें, तो मैं अभी इसका चुनाव करा दूं। जो मेम्बर साहब नाम प्रस्तावित करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मैं श्री मुहम्मद नजीर साहब का नाम पेश करता हूं।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

मैं श्री विष्णु शरण दुब्लिश का नाम पेश करती हूं।

माननीय पुलिस सचिव—

मैं श्री मिजाजीलाल का नाम पेश करता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं श्री कुवर हर प्रसाद सिंह का नाम पेश करता हूं।

श्री महमूद अली खां—

मैं कुवर असगर अली खां का नाम पेश करता हूं।

श्री जगन्नाथबख्श सिंह—

मैं श्री अर्नेस्ट माइकेल फ़िलिप्स का नाम पेश करता हूँ।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—

मैं श्रीमती प्रकाशवती सूद का नाम उपस्थित करती हूं।

श्री रामधारी पाण्डे—

श्री रामजी सहाय।

माननीय स्पीकर—

हमारे सामने कुल ८ नाम आये हैं जिनमें से ३ चुनने हैं।

मैं अवसर देता हूं कि जो अपने नाम वापस करना चाहें वे कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर मैं इसी वक्त चुनाव करूंगा। नाम यह हैं—

श्री मुहम्मद नजीर, श्री विष्णु शरण दुब्लिश, कुंवर हरप्रसाद सिंह, श्री गिरधारी लाल, कुंवर असगर अली खां, श्री अर्नेस्ट माइकेम फिलिप्स, श्रीमती प्रकाशवती सूद, श्री रामजी सहाय। (कुछ ठहर कर)

तो मैं राय लेता हूं और राय लेने के लिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे हाथ उठायेंगे।

माननीय पुलिस सचिव—

क्या यह सम्भव है कि इन नामों का चुनाव लन्च के बाद हो जाय। नाम भी वापिस हो जाय और चुनाव की नौबत न आये।

माननीय स्पीकर—

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। काम आपस के मेल से हो, यह मैं चाहता हूं। इसलिये मैं ४ बजे तक नामों की वापसी का समय रखता हूं और उसके बाद यदि जरूरत होगी तो हाथ उठाकर चुनाव होगा और जिनके लिये अधिक वोट आयेंगे, वही चुने जायेंगे।

नम्बर ३, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में ११ नाम आये हैं—

श्री हसन अहमद शाह, श्री सुल्तान आलम खां, श्री रोशन जमा खां, श्री कृपा शंकर लाल, श्री हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्रीमती प्रकाशवती सूद, श्री खूब सिंह, श्री विजयानन्द मिश्र, श्री सिहामन सिंह, श्री फखरुल इस्लाम और श्री करीमुर्रजा खां।

श्री करीमुर्रजा खां के नाम में प्रस्तावक तो हैं लेकिन अनुमोदक (सेकेंडर) नहीं हैं, इसलिये मैं इसको खारिज करता हूं। मैं शेष दसों नामों को चुना हुआ घोषित करता हूं।

सन १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त पशु उन्नति बिल

माननीय कृषि सचिव—

जनाब वाला, मैं संयुक्त प्रान्तीय, पशु उन्नति बिल, सन १९४८ ई० की प्रतिलिपि, जैसा कि वह संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल से स्वीकृत हुआ है, मेज पर रखता हूं।

सन १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का मनोरंजन और बाजी लगाने का (संशोधन) बिल

माननीय स्पीकर—

अब माननीय प्रधान सचिव के प्रस्ताव पर कि सन् १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का मनोरंजन और बाजी लगाने का (संशोधन) बिल, जैसा कि वह लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा संशोधित हुआ है, स्वीकार किया जाय, अब इस प्रस्ताव पर विचार जारी रहेगा।

*श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम—

जनाब स्पीकर साहब, कल से मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि मेरे ३ अमेंडमेंट कैसे खारिज हो गये जबकि मैं उनके जरिये से सरकार की १५ लाख की रेवेन्यू बढ़ा रहा था मैं सोच रहा था और मुझे मालूम है कि आप में से ६६ फीसदी मेम्बर कभी रेस कोर्स नहीं गये हैं, और वह लोग वहां के हालात से वाकिफ़ नहीं हैं और दूसरी वजह यह है कि जो इनफ़ारमेशन (सूचना) हमारे लायक वजीर आज़म साहब को दी गई थी, वह भी ६६ फीसदी गलत थी और वह उनको बड़े बड़े अफसरों ने दी है और मुझे अफसोस है कि वह गलतियां मैं हाउस में आपके सामने पेश करूंगा। लायक वजीर आज़म साहब ने कल कहा था कि पहले जब हमने सन् ४७ में ५ फीसदी से १० फीसदी बढ़ाया था, और अपने अमेंडमेंट (संशोधन) से वह ५ फीसदी विनिंग (जीत) पर था और पारसाल तक और उसके बाद १० फीसदी बेटिंग (बाजी) पर होगा और इसमें बड़ा फर्क होता है। विनिंग के माने हैं कि अगर कोई जुवा खेलने जाता है और वह बेट करता है तो सन् ४७ से पहले वह कोई टैक्स नहीं देता था, मगर इत्तफ़ाक से वह अगर जीतता था तो ५ फीसदी सरकारी खजाने में दाखिल करता था और वह बुकमेकर के जरिये से दाखिल हो जाता था। और उसके बाद मेरी तरमीम से वह ५ फीसदी से १० फीसदी हो गया और इसके अलावा जो शख्स बेटिंग करता है उसको भी उस वक्त १० फीसदी ज्यादा देना पड़ेगा, हर सूरत में चाहे कोई जीते या हारे १० फीसदी देना पड़ेगा। हमारे लायक वजीर आज़म साहब ने कहा कि इस अमेंडमेंट से, जो खारिज हुआ है कि १० फीसदी बेटिंग पर चाहे कोई हारे या जीते, ले लिया जाय, तो लायक वजीर आज़म साहब ने कहा कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि ५ फीसदी विनिंग (जीत) पर १० फीसदी होगा और वह बहुत ज़्यादा है। हमारे वजीर आज़म साहब ने कहा कि इस वक्त यह टैक्स सिर्फ विनिंग पर है और जीत में से ही रेवेन्यू देता है, यह बिल्कुल गलत है। सन् ३७ में जब हमारी सरकार पावर में आई तो उसने बेटिंग (बाजी) और इंटरटेनमेंट (मनोरंजन) टैक्स इस हाउस में पेश किया और उसका नाम इंटरटेनमेंट और बेटिंग टैक्स नम्बर २ सन् ३७ था और दफा १४ से ज़ाहिर होता था कि हमारी

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम]

कांग्रेस सरकार की यह मंशा है कि यह ५ फीसदी बेटिंग पर हो, चाहे कोई हारे या जीते। उसके बाद जैसा कि मैंने कल कहा था कि यह रेस-कोर्स अंगरेजों ने चलाया और यह उनके फायदे के लिए था और उन्हीं की तफरीह के लिए था। सन् ३९ में जब कांग्रेस सरकार हट गई और सेक्शन ९३ आया, तब आप जानते हैं कि मारिसहैलेट का जमाना था। आप और मैं सब इस बात को जानते हैं, सन ४१ में यही अंगरेज लोग उनके पास गये और कहा कि हम लोगों की आमदनी घट रही है और हार-जीत से पब्लिक मर रही है और उसको टैक्स देना पड़ता है। इस पर मारिसहैलेट ने यह अमेंडमेंट कर दिया कि जीत पर ५ फीसदी होगा।

तो फिर सिर्फ जीत में ५ परसेंट सन १९४१ से होने लगा। अब जो सने १९४७ में फिर हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आई, तो मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया कि नहीं साहब, चाहे हारे या जीते, उनको यह टैक्स जरूर देना चाहिये। टैक्स के क्या माने हैं? किसी दूसरे के रुपये में से या जीत में से रुपये देने का कोई मतलब नहीं है। मगर जिसको शौक है, जो रेस में जाता है और रेस खेलता है और इतने रुपये से जुवा खेलता है तो कोई वजह नहीं है कि ५ या १० परसेंट हमारी गवर्नमेंट को न दे।

(इस समय १ बजे भवन नहीं स्थगित हुआ और २ बजकर १० मिनट पर डिप्टी स्पीकर के सभापतित्व में फिर भवन की कार्यवाही आरम्भ हुई)

भारत के नये विधान के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—

माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं गवर्नमेंट के और हाउस के इल्म में यह बात लाना चाहता हूं, और वह यह है कि जिस तरीके से मद्रास में बहस हुई, उस नये ऐक्ट के मुताल्लिक जो दिल्ली में बना है, वह इस असेम्बली के सामने भी बहस के लिये लाया जायगा या नहीं? मेरा ख्याल है कि आनरेबिल प्रीमियर साहब इस बात को बतला सकेंगे।

माननीय प्रधान सचिव *श्री गोविन्द वल्लभ पन्त*—

कोई खास जरूरत इस बात की अभी तक तो नहीं मालूम हुई, क्योंकि यहां के रेप्रिजेंटेटिव (प्रतिनिधि) काफी तादाद में जो इस असेम्बली के जरिये ही चुने गये हैं, वह वहां कांस्टीट्यूएंट असेम्बली (विधान निर्मात्री परिषद्) में मौजूद हैं और उनकी राय की हम सब लोग यहां काफी कद्र करते हैं।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—

मैं यह जानना चाहता था..............

डिप्टी स्पीकर—

आपने जो सवाल किया था उसका जवाब दे दिया गया

सन १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का मनोरंजन बाजी लगाने का संशोधन बिल

श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम—

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज कर रहा था कि गवर्नमेंट को ग़लतफ़हमी है, जिसकी वजह से यह हमारा अमेंडमेंट खारिज कर दिया गया। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा था कि रेस-कोर्स के आफिशियल्स ही इंटरेस्टेड नहीं हैं, गवर्नमेंट के भी अफिशियल हैं जो इनमें इंटरेस्टेड (रुचि) हैं उन्होंने ही किसी तरीके से ग़लतफहमी पैदा करके हमारा यह अमेंडमेंट खारिज करा दिया। अव्वल तो जैसा कि मैंने कहा था कि ५ परसेंट पर लगाया गया है।

डिप्टी स्पीकर—

आप जिन बातों को कह चुके उनको दोहराइये नहीं।

श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम—

इसके बारे में दूसरी ग़लतफहमी यह कही गई है कि १० परसेंट (प्रतिशत) टैक्स हर चीज़ पर रेस-कोर्स में लगाया गया है। मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल ग़लत है। रेस कोर्स में तीन किस्म के महकमे हैं। पहले तो रेस स्टुअर्ड है, दूसरा पेन्टर है और तीसरा बुकमेकर है। इसके अलावा जो पब्लिक वहां देखने जाती है उस पर यह १० परसेंट टैक्स लगाया जाता है। रेस क्लब पर हब्बा भर भी टैक्स नहीं लगाया जाता है और इससे क्लब को क्या आमदनी होती है, जैसा कि मैंने कल अर्ज़ किया था कि

डिप्टी स्पीकर—

जो तरमीम आपकी नामंजूर कर दी गई है, आप उसके बारे में कोई बहस न करें, क्योंकि जब वह नामंजूर की जा चुकी है तो उस पर बहस करना बेकार है।

श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम—

मैं गवर्नमेंट के सामने यह बात लाना चाहता हूँ कि मेरी जो तरमीम खारिज कर दी गई है, उसमें मैं यह दिखाना चाहता हूँ और इस्तदुआ करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसके बारे में जल्द से जल्द दूसरा बिल लाये और इस ग़लतफहमी को दूर करे। इस वास्ते मैं यह तक़रीर करना चाहता था।

मैं यह कह रहा था कि रेस-कोर्स में आम लोग काफी रुपये देते हैं, काफी लोग वहां जाते हैं। कभी-कभी ५०० आदमी वहां पर जाते हैं। ५ रुपया हर एक आदमी

[आर्चिबाल्ड जेम्स फेन्थम]

से एंटरेंस फी (प्रवेश-कर) ली जाती है, तो उनको २, ०० रुपया रोजाना महज एंटरेंस (प्रवेश) की ही फीस आ जाती है और १५ रुपया और तरह से वह चार्ज करते हैं। इस तरह पर ३.५ लाख रुपये की आमदनी उनको होती है और उसमें से एक पैसा भी हमारी गवर्नमेंट को नहीं मिलता है। वे लोग कुछ उसमें से गवर्नमेंट को नहीं देते हैं और वह एक प्राइवेट क्लब है। जैसा मैंने कहा उनको क्या हक़ है कि हमारी गवर्नमेंट के पास आकर कुछ मदद चाहें।

तीसरी बात यह कही गयी है कि यह जो मुर्गी है, या वनक है, जो सोने का अंडा देती है, इसको क्यों मार डाला जाय ? तो इसको मार डालने का कोई सवाल नहीं है।

डिप्टी स्पीकर—

देखिये, यह कल जो बात कही गयी थी उसका जवाब देने का आपको कल मौका था, इसलिए कि माननीय प्रधान सचिव ने जो कल तकरीर की थी उसके बाद मैंने आपको मौका दिया था कि आप उसका जवाब दें। उसका जवाब देने का अब यह मौका नहीं है। मैंने आपकी पहले भी तवज्जह दिलाई है कि यह तीसरी बार सवाल किया जा रहा है कि बिल मंजूर किया जाय या नहीं, इसलिए जो कल गुजर गया उसके मुताल्लिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसा मैंने अभी आप को कहा, बिल के इस सूरत में पास होने से पब्लिक को क्या नुकसान होगा या फायदा होगा, मेहरबानी करके आप इसी पर अपनी तकरीर करें।

श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम—

जैसा हमारे लायक़ दोस्त, मुहम्मद इसहाक़ खां साहब ने कहा था इस बिल को लाना बिल्कुल फिजूल था। इस बिल से कोई फायदा किसी को नहीं पहुंचेगा। जो आफिसर्स लोग इस बिल में इंटरेस्टेड थे उनकी मंशा के मुताबिक यह बिल लाया गया है। जैसा मैंने कल कहा था, एक ही दफा इस बिल में देखने के क़ाबिल है और वह दफा यह है, जिसमें कहा गया है कि रेस-कोर्स के अलावा घोड़ों पर और कहीं चहारदीवारी के बाहर रेस नहीं की जायगी। तो यह तो तरमीम आपके गैम्बलिंग (जुआ) ऐक्ट में भी थी और अगर गैम्बलिंग ऐक्ट पर आपकी तवज्जह जाती तो, इसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस बिल को लाने में हमारा टाइम बिल्कुल फिजूल खर्च हुआ है और इससे कोई मतलब सर्न (प्राप्त) नहीं होगा मैं आनरेबिल प्रीमियर साहब से इस्तदुआ करूंगा कि मेहरबानी करके आयन्दा वह ऐसा बिल लावें, हाउस के सब मेम्बरों की सलाह मशविरे के बाद और उसमें सिर्फ ऐसे आफिशियल्स की सलाह न हो, जो उसमें इंटरेस्टेड हों, कि जिससे वाक़ई सबका फायदा हो और उसको जल्द से जल्द पास करा लिया जाय। चूंकि यहां अब प्राहीबिशन (मद्य निषेध) चल रहा है तो शराब और जुवा एक साथ ही जाते हैं। तो जब मंशा है कि शराब दूर कर दी जाय, तो जुवा भी क्यों न

दूर कर दिया जाय ? मैं आनरेबिल वजीर आजम साहब से यह इस्तदुआ करूंगा कि वह हमको यह बतावें कि गवर्नमेंट की क्या राय है और क्या पालिसी है कि आया यह जुवा रेस के जरिए से बन्द कर दिया जाय चन्द अरसे में, या जारी रखा जाय।

माननीय प्रधान सचिव—

इस थर्ड रीडिंग (तृतीय वाचन) के सिलसिले में जो स्पीच श्री फैन्थम ने की, वह करीब-करीब उन्हीं बातों को दोहराने की थी, जो कि उन्होंने पहले कही थीं। उनमें कोई नई बात नहीं आई। उन्होंने कहा कि यह जो मैंने कहा था, कि उनकी तरमीम के मुताबिक यहां ५ परसेंट पहले से सिर्फ विनिग बेटस (जीत की बाजी) पर टैक्स लगता था और अब वह हमने १- परसेंट सब बेटस पर लगा दिया है, उन्होंने कहा कि मैंने जो यह कहा, वह सही नहीं था। मगर आखिर में माने यह कि था सही, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया वह यह था कि सन ३७ में जो कानून बना था, वह सब बेटस के ऊपर एप्लीकेबुल (लागू) था। मगर सन ४७ में जब यह कानून बदला गया उसमें सिर्फ विनिग बेटस पर ५ परसेंट लगता था और उस वक्त विनिग बेटस (जीत की बाजी) पर ५ परसेंट के बजाय १० परसेंट सब बेटस पर लगा दिया गया। मैंने भी यही बात कही थी। इसमें कहीं कोई गलतफहमी की गुंजायश नहीं थी।

इसके अलावा एक भी बात उन्होंने नहीं कही कि इस बिल में जो प्राविजन्स (व्यवस्थायें) हैं, उनसे किसी को शिकायत है। जहां तक यह बिल जाता है उसमें एक लफ्ज उनको ऐसा नहीं लगा जो वह पसन्द न करते हों या जो बेजा हो। उनकी ख्वाहिश थी कि टैक्स और ज्यादा बढ़ा कर लगाया जाय। उसके बारे में हमारे और उनके अन्दाजे में फर्क है। वह समझते हैं कि ऐसा करने से आमदनी बढ़ेगी। हम लोगों का ख्याल है कि ऐसा करने से आमदनी बिल्कुल घट जायेगी और किसी को भी फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर वह यह समझते कि वही २० परसेंट ठीक है तो वह शुरू में ही २० परसेंट की तरमीम लाते। इसको थोड़े ही महीने हुए हैं, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। अगर इस तरीके पर दो चार महीने में १० से २० परसेंट और २० से ४० और ४० से ८० किया जाय तो साल में ही हम १०० परसेंट पर पहुंच जावेंगे। यह तो किसी तरह मुनासिब नहीं हो सकता। कुछ वक्त हर एक चीज को मिलना चाहिये, वह देखने के लिये कि इसका असर कैसा होता है। और पहले के मुकाबिले में काफी आमदनी रेस-कोर्स से बढ़ रही है। उन्होने गरीबों से बड़ी हमदर्दी जाहिर की। मुझे खुशी है कि वह इस बात को करना चाहते हैं, जिससे गरीबों को फायदा पहुंचे। रेस-कोर्स में आमतौर पर गरीब आदमी जाया करते हैं। उन्हें वहां घुसने नहीं दिया जाता, उनकी हिम्मत ही नहीं होती। वह खुद ही कहते हैं कि वह तो अंग्रेजों के लिए प्रिजर्व (सुरक्षित) रहा

[माननीय प्रधान सचिव]

है, जिसमें खास तबके के आदमी जाते हैं। ऐसी हालत में गरीबों पर इसका असर नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि कुछ लोगों को वहां गुजर का काम मिल जाता है। कोई घोड़ों के लिए घास काटता है, कोई साईसी का काम करता है और कोई जैकी का काम करता है। यह तो ठीक बात है लेकिन जहां तक दांव लगाने का सवाल है, वह तो मालदार आदमी ही लगाते हैं। और इसको फैन्थम साहब खुद मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह १५ साल तक मुख्तलिफ रेस-कोर्सों में गये हैं। तो वह खुद मंजूर करेंगे कि जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए रेस-कोर्स में गुंजायश नहीं। तो इसमें कैपिटलस्ट (पूंजी) का सवाल कैसे आता है, मेरी समझ में नहीं आता। अगर कोई कैपिटलिस्ट (पूंजीपति) से पैसा लेता है, यह तो सही है कि लेते होंगे, मगर कोई बुकमेकर कैपिटलिस्ट हो, तो यह तो कैपिटलिस्ट के एक नये माने मालूम होते हैं। आज कल बाज लोग समझते हैं, चाहे वह किसी तबके के हों, अगर किसी दूसरे पर कोई बौछार करनी हो तो लफ्ज कैपिटलिस्ट किसी न किसी तरह से डाल दीजिये, और चाहे गरज कुछ न हो, गरीबों का नाम किसी न किसी तरह से अपनी तकरीर में डाल दिया जाय। मगर जहां तक हमारा यह बिल है, इसका असर यह है कि गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा मिलेगा जिससे पब्लिक की खिदमत हो सकेगी और यह बिल सिर्फ उन बातों को अमल में लाता है जो हाउस पहले तसलीम कर चुका है। इसको पूरे तौर से किसी तरह से निफाज किया जायगा। इसका मकसद है कि गवर्नमेंट को जो रुपया मिलना चाहिये, उसको किसी चालबाजी से कोई अपनी जेब में न डाल सके। लिहाजा जहां तक बिल है, उसके बारे में कोई शिकायत फैन्थम साहब को नहीं है। यह उन्होंने कल भी मंजूर किया था और आज भी मंजूर किया है। तो फिर ऐसी हालत में यह बिल इत्तिफाक राय से मंजूर हो जाना चाहिये। आइन्दा के लिए आप और हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। मुझे अजहद अफसोस है कि उनके और यहां के रेसिंग क्लब के बीच में खींचातानी चली जा रही है। मैं चाहता हूँ कि यह तय हो जाय ताकि उनकी राय पर और गौर करने पर इस खींचातानी की वजह से जो असर पड़ता है, वह न रहे और वह बिला किसी लगाव के इन बातों पर अपनी राय कायम कर सकें। वह रेसिंग के मामले के एक्सपर्ट हैं। हम उनकी राय से फायदा उठाना चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम फायदा उठायेंगे, लेकिन, ताकि हम फायदा उठा सकें इस बात की जरूरत है कि रेसिंग क्लब के और उनके बीच में इस तरह की कोई मुखालिफत न रहे जो कि डेढ़-दो साल से बराबर चली आ रही है, जिसकी वजह से बहुत कुछ फौजदारी और दीवानी के मुकद्दमात की नौबत आई। मैं उम्मीद करता हूं कि आइन्दा अगर किसी किस्म की कोई बात आयेगी तो फैन्थम साहब हमें मदद देंगे और बगैर किसी बात से मुतास्सिब हुए उस पर गौर करेंगे कि सही तरीके पर क्या काम करना चाहिये और जो बिल आयेगा, जो सुधार हो वह सही सुधार हो और उसमें

किसी की जाती बातों का असर न हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बिल को मंजूर करने में फैन्थम साहब भी शरीक होंगे क्योंकि इसके प्राविजन से उनको कोई मुखालिफत नहीं है।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्त का मनोरंजन और बाजी लगाने का (संशोधक) बिल सन् १६४८ ई० जैसा कि वह इस भवन में संशोधित हुआ है, स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १६४८ ई० का उत्तरी भारत के घाटों (संयुक्त प्रान्त) का (संशोधक) बिल

माननीय स्वशासन सचिव—

मैं उत्तरी भारत के घाटों (संयुक्त प्रान्त) का (संशोधक) बिल सन् १६४८ ई० को उपस्थित करता हूं।

मैं डिप्टी स्पीकर साहब की इजाजत से इस बिल को थोड़े से सुधार के साथ इस भवन में पेश करना चाहता हूं। जो बिल पहले पेश किया गया है उसमें जो शब्द दिये हुये हैं कि जहां तक इसका संबन्ध संयुक्त प्रान्त से है, उत्तरी भारत के घाटों का ऐक्ट सन् १८७८ ई० में पास हुआ था उसे मैं दुरुस्त करके इस तरह पेश करता हूं। उत्तरी भारत के घाटों का ऐक्ट सन् १८७८ नादर्न इंडिया फैरीज ऐक्ट सन १८७८ ई० जहां तक इसका संबंध संयुक्त प्रान्त से है कुछ और संशोधन करने के लिये, इस तरह से किया जाये। इसतरह से मैं इस बिल को भवन में पेश कर रहा हूं।

(कुछ रुक कर)

श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरी भारत के घाटों का (संशोधक) बिल, सन् १६४८ ई० पर विचार किया जाये।

श्रीमान जी, यह बहुत स्वल्प-सा सुधार इस बिल के द्वारा मैं उत्तरी भारत के घाटों का ऐक्ट सन १८७८ ई० के बारे में पेश कर रहा हूं। इस ऐक्ट की धारा ११ में जो पट्टीदार घाट का हुआ करता था, अगर वह अपने घाट को वापिस करना चाहता था तो उसको एक महीने का नोटिस देना आवश्यक था। इस एक महीने के नोटिस देने में घाट का इंतज़ाम करने में मुश्किलें आती हैं। इसलिये इस सुधार के द्वारा मैं यह तजवीज करता हूँ कि नोटिस की एक महीने की मियाद के एवज में तीन महीने की मियाद रख दी जाये, जिसमें घाटों का समुचित प्रबंध किया जा सके। मैं समझता हूं कि इस संशोधन में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जिसमें किसी को कोई आपत्ति हो सके। इसलिये मैं समझता हूं कि भवन इसको स्वीकार कर लेगा।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि उत्तरी भारत के घाटों (संयुक्त प्रान्त) का (संशोधन) बिल सन १९४८ ई० पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २

एक्ट नं० १७, सन १८७८ ई०

एक्ट नं० १७, सन १८७८ ई० की धारा ११ में संशोधन

२—उत्तरी भारत के घाटों के एक्ट, सन १८७८ ई० [The Northern India Ferries Act, 1878] की धारा ११ में शब्द "one month's" के स्थान पर शब्द "three months" रक्खे जायंगे।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि धारा २ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा १

छोटा नाम शीर्षक, विस्तार तथा लागू होना एक्ट नं० १७, सन १८७८ ई०

१—(१) यह एक्ट उत्तरी भारत के घाटों (संयुक्त प्रान्त) के (संशोधन) एक्ट, सन १९४८ ई० [The Northern India Ferries (United Provinces) (Amendment) Act, 1948] कहलायेगा।

(२) यह समस्त संयुक्त प्रान्त में लागू होगा।

(३) यह तुरन्त लागू होगा।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि धारा १ इस बिल का हिस्सा बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

प्रारम्भिक बातें

यतः यह उचित और आवश्यक है कि सरकारी घाट के महसूल का समर्पित करने के लिये नोटिस देने की अवधि बढ़ाई जाय,

अतः निम्नलिखित विधान बनाया जाता है:—

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि प्रस्तावना इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मानतीय स्वशासन सचिव—

श्रीमान डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरी भारत के घाटों (संयुक्त प्रान्त) का (सशोधक) बिल, सन १९४८ ई० स्वीकार किया जाय।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि उत्तरी भारत के घाटों (संयुक्त प्रान्त) का (संशोधक) बिल, सन १९४८ ई० पास किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधक) बिल

माननीय प्रधान सचिव—

मैं संयुक्त प्रान्तीय श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधक) बिल, सन १९४८ पर जैसा कि वह संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल से स्वीकृत हुआ है, यह प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

यह बिल एक टेकिनकल-सा है और फार्मल-सा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई विरोध हो, इख्तलाफ राय हो और लेजिस्लेटिव कौंसिल से यह पास हो चुका है। मैं तजवीज करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

डिप्टी स्पीकर

सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्तीय श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधक) बिल, सन १९४८ ई० जैसा कि वह संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल से पास हो चुका है, उस पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा—२

२—संयुक्त प्रान्तीय श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, सन १९३९ ई० (जो इसके बाद मूल ऐक्ट, (Principal Act) कहा गया है) की धारा २ के प्रतिबन्धात्मक वाक्यखण्ड में शब्द "Shri Badrinath Temple" के बाद शब्द "or Shri Kedarnath Temple" जोड़ा जाय और शब्द "and" और "endowmen's" के बीच में आने वाले शब्द "its" के स्थान पर शब्द "their" रक्खा जाय।

संयुक्त प्रान्तीय एक्ट नं० १६, सन १९३९ ई० की धारा २ के प्रतिबन्धात्मक वाक्यखंड का संशोधन

डिप्टी स्पीकर—

अब इस पर विचार किया जाता है। सवाल यह है कि धारा २ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा—३

संयुक्त प्रान्तीय एक्ट नं० १६ सन् १९३९ ई० की धारा ३ में संशोधन

३—मूल ऐक्ट की धारा ३ के वाक्यखण्ड (a) में—

(१) शब्द "means" के बाद ब्रैकेट और अंक "(1)" जोड़ा जाय,

(२) शब्द "in the schedule annexed to this Act" के स्थान पर शब्द और अंक "in Schedule I" रक्खा जाय ;

(३) स्पष्टीकरण के अन्त में फुलस्टाप के स्थान पर कोलन लगाया जाय ; और

(४) उसके बाद नीचे लिखा हुआ जोड़ा जाय:—

"and (2) the Temple of Shri Kedarnath in Garhwal and includes all appurtenant and subordinate shrines mentioned in Schedule II."

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि धारा ३ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—४

संयुक्तप्रांतीय ऐक्ट नं० १६, सन् १९३९ ई० की धारा ४ में संशोधन

४—मूल ऐक्ट की धारा ४ में शब्द "Shri Badrinath" के स्थान पर शब्द "Shri Badrinath or Shri Kedarnath Temple, as the case may be," रक्खा जाय।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि धारा ४ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—५

संयुक्तप्रान्तीय ऐक्ट नं० १६ सन् १९३९ ई० की धारा ५ में संशोधन

५—मूल ऐक्ट की धारा ५ में:—

(१) उपधारा (१) के वाक्यखण्ड (b) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय:—

"(b) two persons residing in Garhwal District of whom at least one shall be a resident of Chamoli tahsil, elected by the Hindu members of the District Board of Garhwal;" और

(२) नीचे लिखी हुई उपधारा (४) के रूप में जोड़ी जायगी:—

"(4) There shall be only one committee for the adminis r and the governance of the Shri Badrinath and Shri Keda Temples, including the subordinate and appurtenant, te and the committee as constituted at the date of the comm men of Shri Badrina h Temple (Amendment) Act,1948, be deemed to have been duly appointed under this Act fo purposes of bo h t e Templ s."

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि धारा ५ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—६

६—मूल ऐक्ट की धारा ७ में शब्द "Temple" के स्थान पर शब्द Shri Keda nath Temples" रक्खे जायं।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि धारा ६ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारायें ७, ८ और ९

७—मूल ऐक्ट की धारा २३ की उपधारा (३) में शब्द Shri nath के बाद शब्द "or Shri Kedarnath" जोड़े जायं।

८—मूल ऐक्ट की धारा २५ के बाद नीचे लिखी हुई धारा 25-A के रूप में जोड़ी जायगी—

Application of the provisions of the act to Shri Kedarnath Temple.

"25--A. The date of the commencement of this Act shall in its application to Shri Kedarnath Temple be deemed to be the date of the commencement of Snri Badrinath Temple (Amendment Act, 1948

संयुक्त प्रान्तीय एक्ट नं० १६, सन् १६३६ ई० में एक द्वितीय परिशिष्ट का जोड़ा जाना

६—मूल ऐक्ट के अन्त में शब्द "Schedule" के स्थान पर Schedule I" पढ़ा जाय और "Schedule I" के बाद नीचे लिखा हुआ परिशिष्ट Schedule II" के रूप में जोड़ा जाय:—

डिप्टी स्पी र—

सवाल यह है कि धारायें ७, ८ और ६ इस बिल का हिस्सा मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

परिशिष्ट २

SCHEDULE II

[See clause (a) of section 3]

(1) Udak Kund at Kedarnath.

(2) Minor temples within the precincts of Shri Kedarnath temple

(3) The temple of Shri Vishwanath Ji at Guptakashi.

(4) Minor temples within the precincts of temples of Shri Vishwanath Ji at Guptakashi.

(5) The temple of Shri Usha at Ukhimath.

(6) The temple of Shri Barahi at Ukhimath.

(7) The temple of Shri Madmaheshwar at Madmaheshwar.

(8) The temple of Shri Maha Kali at Kalimath.

(9) the temple of Shri Mahalaxmi at Kalimath.

(10) The temple of Shri Maha Saraswati at Kalimath.

(11) The temple of Shri Guari Mayi at Guarikund.

(12) The temple of Shri Narain at Trijuginarain.

(13) Minor temples within the precincts of the temple of Shri Narain at Trijuginarain.

(14) The temple of Shri Tunganath at Tunganath.

(15) The temple of Shri Tunganath at Makku.

(16) The temple of Shri Kalshila at Kalshila.

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि परिशिष्ट, (शेड्यूल) २, जो इसमें दिया हुआ है, इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—१

१—(१) यह ऐक्ट संयुक्त प्रान्तीय श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधक) ऐक्ट, सन् १९४८ ई० [The United Provinces Shri Badrinath Temple Amendment Act. 1948] कहा जायगा। — छोटा नाम और प्रारम्भ

(२) यह तुरन्त लागू होगा।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि धारा १ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

भूमिका

भूमिका संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १६, सन् १९३९

क्योंकि यह उचित और ज़रूरी है कि संयुक्त प्रान्तीय श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, सन् १९३९ ई० में इस प्रयोजन से और संशोधन किया जाये कि उसके आदेश गढ़वाल के श्री केदारनाथ मन्दिर और उसके धर्मादायों पर लागू हों;

इसलिये नीचे लिखा हुआ ऐक्ट बनाया जाता है:—

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि भूमिका इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय शिक्षा सचिव—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधक) बिल, सन् १९४८ ई०, जिस रूप में वह लेजिस्लेटिव कौंसिल, युक्त प्रान्त से स्वीकृत हुआ है, स्वीकार किया जाय।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्तीय श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधक) बिल, जैसा कि वह संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल से स्वीकृत हुआ है, मंजूर किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय विद्युत (नियन्त्रण के अस्थायी अधिकार सम्बन्धी संशोधक) बिल

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त प्रान्तीय विद्युत (नियन्त्रण के अस्थायी अधिकार-सम्बन्धी (संशोधक) बिल, सन् १९४८ ई० पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल से स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय।

जनाब वाला, आज सूबे में बिजली की सप्लाई और उसकी डिमाण्ड की जो हालत है और जो कुछ पावर रेस्ट्रिक्शंस (प्रतिबन्ध) और चीज़ों के मुताल्लिक

हो रहा है, उसके मुताल्लिक पूरी तफसीलात छपवा कर आनरेबिल मेम्बर साहबान की टेबिल्स पर परसों रक्खी जा चुकी है। इसलिये मैं यह जरूरी नहीं समझता कि अब हाउस का वक्त जाया करूं।

* श्री फखरुल इस्लाम—

जनाब वाला, जिस बिल के लिये आनरेबिल मिनिस्टर ने इस एवान के सामने ख्वाहिश जाहिर की है और इस सिलसिले में बहुत ही मुख्तसिर तकरीर उन्हों ने अभी की है, उसके सिलसिले में आज ३ रोज हुए कि इस एवान के सामने उन्होंने एक मेमोरेण्डम, जो मौजूदा हालत बिजली की है, उसके मुताल्लिक रखा था। उसको हमने बहुत गौर से पढ़ा और इस बात को समझने की कोशिश की कि आया मौजूदा सूरत में सरकार को यह हक दिया जाय या नहीं कि बिजली पर वह बदस्तूर कंट्रोल जारी रखे। कंट्रोल अपनी जगह पर बहुत ही मुनासिब और जरूरी चीज है और हुआ करती है। मुल्क के अन्दर किसी चीज की कामयाबी हो, दिक्कतें और दुश्वारियां हैं और मैं समझता हूँ कि पब्लिक ओपीनियन भी यही है कि उस पर से कंट्रोल हट जाना चाहिये और मजीद कंट्रोल जारी न रखे जायं। इसलिये मैं किसी तरह से नहीं समझ सकता कि यह एवान मिनिस्टर साहब को यह हक दे कि वह इस बिल को २ वर्ष हमारे सिर पर रक्खें। हो सकता है कि हम उनको हक दे देते जैसा कि उनके मेमोरेन्डम से जाहिर होता है। हमारे सामने दुश्वारियां हैं लेकिन असली दुनिया में हम देखते हैं कि बिजली की कम्पनियां आज भी बहुत आसानी से ऐसे लोगों को, जिन्होंने अपना कनेक्शन हासिल करना चाहा, वह बहुत आसान तरीके अख्तियार करके, जो उन्हें अख्तियार करना न चाहिए, बिजली हासिल कर लेते हैं और मुस्तहिक लोग रह जाते हैं और गैर मुस्तहिक लोगों को मिल जाता है। मैं नहीं समझता कि कंट्रोल के होते हुये चोरबाजारी जारी है तो क्या हासिल होता है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से और चीजों पर से कंट्रोल के हटने के बाद सब चीजें एक कीमत पर पहुंच चुकी हैं जैसा कि कपड़े के सिलसिले में आप देख चुके हैं कि कितनी कीमत बढ़ चुकी है और कितनी तकलीफ पब्लिक को है। आप बिजली को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे भी मौका दीजिए। अगर वह कम्पनियां ब्लैक मार्केट करके रुपया लेती हैं, तो आप उसका भी ओपेन मार्केट (खुला बाजार) कर दीजिये ताकि एक कीमत आ जाय। वह यह कार्यवाही कैसे करते हैं, यह तो एक बड़ा मुश्किल सवाल है। फर्जी नामों पर रुपया लेकर बिजली दे देते हैं, ऐसी सूरत में जब कि आप देख रहे हैं कि तेल का मुल्क में कहत है और वह यहां पैदा नहीं होता और ज्यादातर बड़े शहरों में लोग बिजली पर गुजारा करते हैं और जो हालत है वह काबिले रहम है, उससे यह तो न होगा कि वह उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो चोरबाजारी करते हैं और जो ऐसा काम नहीं करना

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

चाहते उनको न मिले, इसलिये इस कानून में, जब कि कंट्रोल के खिलाफ आवाज बुलन्द है, आप बिजली की कम्पनियां को भी हक दें कि वह भी सही तौर से बिजनेस लाइन पर आयें और ठीक तौर से चलें।

श्री अब्दुल बाकी—

सदरे मोहतरिम, यह बिजली के कंट्रोल की मियाद सितम्बर सन् ४८ में खत्म हो जाती है, इसलिये वजीर साहब यह चाहते हैं कि २ साल के लिये कंट्रोल की तौसीय कर दी जाय। सब से पहले हमको यह देखना है कि आया कंट्रोल की वजह से मुल्क में बिजली जिस तरीके से लोगों को दस्तयाब होना चाहिये थी, दस्तयाब हुई या नहीं। इसके बाद फिर राय दी जा सकती है कि इस बिल की मियाद में, इस ऐक्ट की मियाद में तौसीय की जाय या न की जाय। कंट्रोल का हमको और आपको और पूरे मुल्क को तजुर्बा है कि लोगों को कंट्रोल की वजह से यकीनन एक महदूद हल्के में थोड़ी सहूलियत और आसानी हो जाती है और जो दाम बहुत चढ़े हुए होते हैं उनसे कुछ कम दाम पर चीजें मिल जाती हैं। मगर उसका हल्का निहायत ही महदूद है, चुनांचे तेल, कपड़े और शकर के मुताल्लिक आप देखेंगे कि कंट्रोल के जमाने में कपड़ा नायाब था। अब कंट्रोल उठ गया है, बाजार में हर किस्म का, हर डिजाइन का कपड़ा मौजूद है, कीमत अलबत्ता बढ़ गई है। एक तरफ कीमत का बढ़ना और दूसरी तरफ दस्तयाब न होना है। कंट्रोल का मतलब यह होना चाहिए कि चीजें दस्तयाब हों मगर कम दामों पर, मेरा जाती मुशाहिदा कंट्रोल का यह है कि चीजें दस्तयाब हुईं, मगर एक खास हल्के और दायरे में वरन जो महदूद इलाके के बाहर थे वह हमेशा तकलीफ में रहे और उनको चीजें दस्तयाब न हुई। बिल्कुल यही हाल है कंट्रोल का। दूसरे जो कंट्रोल के बड़े नुकसानात हमलोगों ने देखे हैं, वह यह हैं कि जहां चन्द मखसूस अफराद को उससे कुछ फायदा होता है, दूसरी तरफ रिश्वत और करप्शन (भ्रष्टाचार) का दरवाजा इस तरह से खुल जाता है कि न वह पब्लिक के रोके रुकता है और न गवर्नमेंट ही उस पर काबू पाती है। ऐसी हालत में अब आज हम देखते हैं कि जिन-जिन चीजों पर से कंट्रोल उठा लिया गया है, उनकी कीमत चाहे बढ़ गई हो मगर उनकी सप्लाई हर तरह से बढ़ गई है और किस्म-किस्म की चीजें बाजार में आने लगी हैं, और हर जगह एवेलेबुल (प्राप्य) हैं। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि एलेक्ट्रिसिटी पर से कंट्रोल उठा लिया जाय और दिसम्बर के बाद कंट्रोल न रहे तो यकीनन चाहे इसकी कीमत बढ़ जाय मगर वह दस्तयाब होने लगेगी। और कोई वजह नहीं मालूम होती कि गवर्नमेंट इसको इस तरह से अपने पंजे में पकड़े और इस परसे कंट्रोल न हटावे। प्राइवेट इन्टरप्राइज का भी मौका देना जरूरी है ताकि खुद ब खुद इसकी कीमत गिर जाय। इससे दो शक्ल हो सकती है। या तो बिजली नेशनलाइज कर दी जाय जिससे वे तमाम चीजें खतम हो जायं और दूसरी शक्ल यह है कि अगर यह नहीं होता है और कंट्रोल को आप नहीं हटाते

[श्री अब्दुल बाकी]

हैं और करप्शन के ऊपर काबू नहीं पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि कम्पटीशन (प्रतियोगिता) का मौका दीजिए ताकि कम्पटीशन के जरिये से चीजों की कीमत गिरे और तमाम चीजों को हासिल करने में सहूलियत हो। अब आप देखें कि तौसीय जो मांगी गयी है वह कम नहीं है बल्कि दो साल की मांगी गई है। सितम्बर सन् १९४८ ई० में इसकी मियाद खत्म होती है और सितम्बर सन १९५० ई० तक मियाद मांगी जाती है। अव्वलन तो यह कि इस पर कंट्रोल के लिये इस बिल के जरिये से गवर्नमेंट जो वक्त मांग रही है, वह बहुत ज्यादा है। दो साल के जमाने में मालूम नहीं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच जाय। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस किस्म की तौसीय न दी जाय बल्कि और जो जराये इसको सहूलियत से दस्तयाब होने के हो सकते हों वे जराये अख्तियार किये जायं। तमाम मुल्क में हर तरह के कंट्रोल की मुखालिफत की जाती है, जिन चीजों पर कंट्रोल अब तक है आज नहीं तो कुछ दिनों में उन सब पर से कंट्रोल हट जायगा। फिर कोई वजह नहीं मालूम होती कि गवर्नमेंट इस ऐवान से क्यों इस तरह की इजाजत मांगती है कि दो साल तक अभी बिजली पर कंट्रोल जारी रखा जाय। इसलिये जाती तौर पर मेरी राय तो यह है कि गवर्नमेंट को इसके लिये तौसीय न दी जाय और इस ऐवान के किसी आदमी को भी बिजली पर दो साल तक कंट्रोल रखने के लिये तौसीय का मौका नहीं देना चाहिये।

*श्री मुहम्मद इसहाक खां—

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे इस बिल के सिलसिले में कुछ ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन इस बिल को जो मैंने अभी देखा तो मालूम हुआ कि बिल तो शायद आठ लाइन में ही है लेकिन स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स, एण्ड रीजन्स (उद्देश्य और कारणों की व्याख्या) २५,३० सफे में है। इस २५,३० सफे में स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स पढ़ने से यह मालूम होता है

डिप्टी स्पीकर—

२५, ३० सफे में है कि २५, ३० लाइन में है ?

श्री मुहम्मद इसहाक खां—

२५, ३० लाइन में है। लेकिन स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्सी के बाद जो मैंने कागजात देखे तो मुझे अफसोस है कि मैं उसकी ताईद नहीं कर सकता हूँ। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह कहा गया है कि—

Owing to transport and fuel difficulties and heavy demands for generating plants and other equipments by manufacturers, electric supply undertakings have not been able to increase their output

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

or to make improvements or alterations. On the other hand, demand for new electric connections has increased more than 5-6 times the present capacity on account of postwar activities, industrialisation of the country as a result of the achievement of independence and rise in the standard of living and there is the possiblity of its rising further in the future.

यह बिल्कुल सही और बजा है लेकिन आपने क्या किया है। इसको इंडस्ट्रीयलाइज (राष्ट्रीयकरण) करने के लिये या इलेक्ट्रिक के जेनरेटर को बढ़ाने के लिये गवर्नमेंट ने अब तक क्या कार्यवाही की है। मैं उस जिले से आ रहा हूँ जो बदकिस्मती से आज तक हमेशा से उन तमाम बातों से महरूम रहा है जिसको गवर्नमेंट ने हमारे सूबे के और अजला के फायदे के लिये किया है। यह हमारी हमेशा शिकायत रही है कि पुरानी गवर्नमेंट ईस्टर्न (पूर्वी) अजला को बिल्कुल नजरअन्दाज करती रही और आज भी हम पा रहे हैं कि यह गवर्नमेंट भी वैसा ही कर रही है। अगरचे बाज मिनिस्टर साहब अपने बयानात में यह बराबर कहते हैं कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिये हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यह सिर्फ बयान ही बयान होता है। उस पर कोई अमल नहीं किया जाता है। मैं मिनिस्टर साहब से पूछता हूँ कि वे भी पछांह से आये हैं। क्या उनको कोई खबर है कि पूरब वालों की क्या हालत है? अभी तक बस्ती जिला में इलेक्ट्रिसिटी के लिये गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्तजाम नहीं किया गया है कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कायम की जाय।

मैंने इसका वजीर आजम साहब से जिक्र किया था और उन्होंने इसके मुताल्लिक अपनी रजामन्दी भी जाहिर की थी कि बस्ती में इलेक्ट्रिक सप्लाई होना जरूरी है और होना चाहिए लेकिन यह काम गवर्नमेंट का है। मैं गवर्नमेंट से यह उम्मीद करता हूँ कि बस्ती में वह इलेक्ट्रिक सप्लाई करेगी। आज मैं इस बिल के जरिये से यह मौका पा रहा हूं कि जनाब वजीर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाऊँ। दूसरे मुझे यह बात भी जानने की ख्वाहिश है कि इन कम्पनियों के कंट्राल के मुताल्लिक गवर्नमेंट की पालिसी क्या है, उस पालिसी की गवर्नमेंट वजाहत करे। गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर साहब ने बजट के दौरान में यह कहा था कि हमारी पालिसी यह है कि इन कम्पनियों को नेशनलाइज कर लिया जाय। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपने दो कम्पनियों का जिक्र किया था। एक तो कानपुर की कम्पनी थी और दूसरी आजमगढ़ की थी जो कि गवर्नमेंट ने अपने इन्तजाम के मातहत में ली थी। उनमें क्या काम किस तरीके पर अब हो रहा है? बहैसियत इकानामिक स्टुडेंट होने के मैं यह जानना चाहता था कि जब से गवर्नमेंट ने इन कम्पनियों को अपने हाथ में लिया है तब से क्या तरक्की की है। मजदूरों की हालत क्या है, अब वहां पर काम करने वालों के घण्टे और काम क्या है और किस तरह से काम चल रहा है? आया गवर्नमेंट ने वैसा ही

[श्री मुहम्मद इसहाक खां]

इन्तजाम किया है जो कि कैपिटलिस्ट (पूंजीपति) करते थे या उससे बेहतर बनाया है ? मैंने इसके मुताल्लिक एक चिट्ठी गवर्नमेंट के पास लिखी थी लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसकी वही ब्यूरोक्रेटिक रिप्लाई दी गई जैसे कि पुराने जमाने में दी जाती थी कि इनफारमेशन इकट्ठा की जा रही है। पूरे कागजात गवर्नमेंट के पास नहीं हैं इस वास्ते पूरा जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं यह मालूम करना चाहता था कि गवर्नमेंट वहां पर किस तरह से इन्तजाम कर रही है और गवर्नमेंट की पालिसी इन कम्पनियों के इन्तजाम के बारे में क्या होगी ? मैं भी अपनी सलाह उस बारे में उनको देना चाहता था कि आया इनका इन्तजाम उसी तरह से हो रहा है या कुछ तब्दीली हुई है। या उसी तरह से इन्तजाम हो रहा है कि गवर्नमेंट ने किसी अपने आफिसर या कलेक्टर के जिम्मे कर दिया और वहीं उनका इन्तजाम कर रहा है जैसा कि ब्यूरोक्रेटिक जमाने में इन्तजाम चला करता था। आप अगर कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं तो क्या हर मामले में हुक्म देंगे। अगर आप ही कोई हुक्म दिया करेंगे तो कोई उसूल की बात हो सकती है । मिनिस्टर साहब पर सिफारिश के लिये तब जोर डाला जायगा। मिनिस्टर साहब पब्लिक के नुमायन्दे हैं, उनकी पोजीशन बड़ी अजीब सी हो जायगी। उनके ऊपर दबाव डाला जायगा तो उस हालत में मिनिस्टर की हालत बहुत खराब हो जायगी और अगर मिनिस्टर साहब खुद हुक्म नहीं करेंगे तो फिर मैं यह मालूम करना चाहता था कि उसके कंट्रोल का अख्तियार किसको देंगे और उसका इन्तजाम किस तरह से होगा। मिनिस्टर साहब ने शायद अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया हो लेकिन मैं यहां पर मौजूद न था कि आया इस कंट्रोल से कोई फायदा पहुंचा है या नहीं। मेरे लायक दोस्त अब्दुल बाकी साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि बहुत ज्यादा फेवरिटिज्म (पक्षपात) और जाबरी शुरू हो गई है। मुझे जाती इल्म नहीं है मेम्बर साहब की जबानी मालूम हुआ कि अब फेवरिटिज्म और जाबरी शुरू हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वजीर आजम साहब इस मसले के मुताल्लिक बतायेंगे कि क्या वाकई यह चीजें हो रही हैं या नहीं। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो यह देखना चाहिये कि वे लोग जिले में ठीक तरह से बिजली कनेक्शन देते हैं या सिफारिश के मुताबिक देते हैं ? गवर्नमेंट को इसको पूरी तरह से देखना चाहिये कि यह काम ठीक तरह से चल रहा है या नहीं, लेकिन अगर वह खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर मिनिस्टर साहब खुद कंट्रोल नहीं करते हैं। कंट्रोल का अख्तियार इस हाउस से लेकर दे रहे हैं उन हाकिमों को, जिनके बारे में अभी तक यह राय रही है कि वह सिफारिश के आदी हैं, रिश्वत के आदी हैं, नई हुकूमत के हुक्म और पालिसी के मुताबिक सीधे रास्ते पर नहीं आये हैं, वही अपनी पुरानी हरकतें कर रहे हैं। यहां के नये निजाम को नहीं

समझा है, अगर गवर्नमेंट उनके हाथ में दे रही है तब तो हम नहीं समझते कि हाउस की तरफ से यह अख्तियार ऐसे शख्सों के हाथ में दिया जाय । मैं उम्मीद करता हूँ कि मिनिस्टर साहब इस पर अपनी स्पीच में रोशनी डालेंगे। पे:तर इसके कि मैं अपनी स्पीच को खत्म करूँ मैं मिनिस्टर साहब से यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वह बस्ती के मुताल्लिक बिजली का इन्तजाम करने में जल्दी ही कदम उठायें ताकि हम लोग भी मुस्तफीद हो सकें और हम लोग: को इस बिजली का फायदा उठाने का मौका मिल सके ।

* श्री मुहम्मद शौकत अली खां—

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह समझ में नहीं आता कि इस बिल का जो कंट्रोल के तौर पर है, मुखालफत करूँ या ता:द करूँ । पावर कम है डिमांड ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली भी कम पैदा हो रही है, माग ज्यादा है, इसलिये कंट्रोल होना चाहिये। पिछले सालों में कंट्रोल का जो तजुर्बा है वह कुछ ऐसा ग़ैर तशफीबख्श रहा है, ऐसा तकलीफदेह रहा है कि उससे बाज़ वक्त यह ख्याल होता है कि इस बिजली के मुताल्लिक कोई कंट्रोल न हो तो अच्छा है। जब बिजली पहले पहल देहाती रकबे में रायज़ हुई तो पूर्वी अजला के साहबान ने तो अपनी शिकायतें बयान कीं। उनके ख्याल से उन्हें यह अन्दाज़ा है कि पश्चिमी अजला के लोग बहुत ज्यादा इससे आराम पा रहे हैं। लेकिन मैं उनको यक़ीन दिलाता हूं कि पुरबुलन्द दावे तो बहुत थे लेकिन देहाती रकबे को जैसा फ़ायदा पहुंचाना चाहिये था वह नहीं पहुंचा। बेशक गवर्नमेंट ने बहुत कुछ काम किया और इस पर गवर्नमेंट बजा तौर पर एक हद तक फ़ख कर सकती है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बिजली का फैलाव होना चाहिये था। अब यह तो कहा गया बिजली के फैलाव के बारे में। उसके बाद डिस्ट्रिब्यूशन (बांटने) का सवाल आता है। जितना माल आपके पास है, उसको किस तरह से तकसीम किया जाय। अब तक यह नहीं मालूम कि आया इसकी तकसीम आनरेबिल मिनिस्टर साहब के अख्तियार में है या उनके दफ्तर के अख्तियार में है या यह कि जो हाइडल के डेवलपमेंट के जो दूसरे इंजीनियर हैं, उनके हाथ में है या जो रेजीडेंट इंजीनियर कम्पनियों के दरमियान में आ जाते हैं, लौंद की तरह दरमियान में आ जाते हैं, उनके अख्तियार में है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो नीचे की सीढ़ी से लेकर ऊपर तक पहुंच सके और सबको खुश कर सके तब तो उसके लिये कनेक्शन मिल जायगा, सब कुछ हो जायगा। लेकिन अगर कोई भला आदमी ऐसा है जो यह समझता है कि उसकी जरूरत ऐसी है कि उसका मतलब उससे पूरा हो जाना चाहिये तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे खुद ऐसा मौका हुआ है। मेरे फार्म पर बिजली का कनेक्शन है। दो-दो, तीन-तीन साल तक काग़ज़ पड़े रहे और कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने कहा था कि एक चैफ-

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया

[श्री मुहम्मद शौकत अली खां]

कटर के लिये मुझे डेढ़ हार्स पावर का कनेक्शन दे दिया जाय, कुट्टी जानवरों के काटने के लिये। मज़दूरों की मजदूरी से मजबूर होकर मैंने यह दरख्वास्त दी थी। मैं मजबूर होकर यह हाउस में कह रहा हूँ। मैं सबसे पहला काश्तकार हूं कि जिसने बिजली ली और बिजली मेरे यहां मौजूद है। एक ट्रांसफारमर लगा है जो २५ हार्स पावर का लोड ले सकता है। लेकिन दो मर्तबा दरख्वास्त देने पर भी कुछ नहीं हुआ। एक जमाना तो ऐसा आ गया कि जब एडवाइजरी रिजीम (सलाहकारी शासन) थी। हमने कहा यहां तो कुछ नहीं चलेगी। जब हमारी कौमी हुकूमत आयेगी तब कहेंगे। फिर उसके बाद कौमी हुकूमत के आने के बाद हमने कहा कि सबसे पहले यही काम करें। दरख्वास्त देने पर कोई जवाब नहीं आया। दो साल हो गये तब जवाब पहुंचा कि मजबूरी है, कनेक्शन नहीं मिल सकता। उसके बर खिलाफ मेरे यहां से दो मील का दूरी पर एक १० हार्स पावर का कनेक्शन दिया गया, महज चक्की के लिये और ऐसी जगह कि जहां दो डीजल आयल के इंजिन मौजूद थे और ज़रूरत नहीं थी। यह महज इस बिना पर दिया गया, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि उस शख्स ने ६ महीने तक जबरदस्त कोशिश और मेहनत की।

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

कहां, गांव का नाम क्या है ?

श्री मुहम्मद शौकत अली खां—

बिलासपुर, जिला बुलन्दशहर में, मुझसे दो मील के फासले पर।

श्री मुहम्मद इसहाक खां—

क्या आपने खुद पैरवी की थी ?

श्री मुहम्मद शौकत अली खां—

मुझे नहीं मालूम कि उस शख्स ने क्या कोशिश की, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप एक ऐसी प्रायरिटी लिस्ट बना दीजिये कि जो वाकई हाजतमन्द हो, चाहे वह हुक्काम को सलाम करे या न करे, चाहे वह उनको खुश कर सके या न कर सके, लेकिन अगर वाकई उसको ज़रूरत है तो उसको बिजली मिलनी चाहिये। मैंने एक पैम्फलेट में देखा था कि एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी (प्राथमिकता) दी जायगी। और वाकई में एग्रीकल्चर को (प्रायरिटी) प्राथमिकता देने की जरूरत है और उसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी प्रायरिटी (प्राथमिकता) देनेकी जरूरत है। मैं इस वक्त किसी शिकायत या ऐतराज के लहजे में नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि इतने बड़े काम के डिस्ट्रीब्यूशन (बांटने) में ऐसे भी मौके हो सकते हैं कि गैर मुस्तहक को मिल जाय और मुस्तहक रह जाय। मैं मानता हूं इस चीज को और मुझे यह मंजूर है कि मुस्तहक रह जाय और

ग़ैर मुस्तहक को मिल जाय। लेकिन ज़रिया यह रखिये कि कोई बोर्ड बना दीजिये कि जो वाकई में देख-भाल करे कि किसको मिलने का हक़ है और किसको नहीं

आप हुकूमत पर हैं। इस वक्त अगर कोई यह कहे कि मिनिस्टर साहब से जाकर कहिये, उनसे जाकर इल्तजा कीजिये तो, आप बाअख्तियार हैं। अगर किसी को गरज होगी तो आप की खुशामद करेगा, लेकिन मुश्किल तो यह है कि रेजीडेंट इंजीनियर के बेशुमार नखरे होते हैं। वह जिसको चाहेंगे बिजली दिलायेंगे और जिस को नहीं चाहेंगे नहीं दिलायेंगे। अगर मेरे अख्तियार में होता तो मैं सिर्फ बिजली के प्रोडक्शन को ही नेशनलाइज न करता बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन को भी नेशनलाइज करता। दरमियान में कोई कम्पनी नहीं होनी चाहिये। मैं शहरों के लिये तो नहीं कह सकता लेकिन देहाती रकबे के लिये वह कुछ नहीं करते और एक आने में से शायद आनरेबिल वज़ीर साहब तशरीह करेंगे, पांच पाई वह ले जाते हैं। और करते क्या हैं कि सिर्फ आने वाले महीने में एक मर्तबा मीटर देखवा लिया करते हैं। इस के सिवा वह कोई काम नहीं करते, तो यह कम्पनी मोनोपलाइज किए हुए हैं। मैं अर्ज करूंगा यह उस ज़माने की विरासत है। सारे ज़िले में जेटले कम्पनी है। वहां सबसे बड़ी सीढ़ी यही है कि रेज़ीडेण्ट इंजीनियर साहब को खुश कीजिए, उसके बाद काम होगा। मुझे बदनसीबी से एक जगह मिल गए। मैंने कहा कि मुझे एक चेफकटर की ज़रूरत है। अगर आप मुनासिब समझें तो एक हार्स पावर का दे दीजिए। मेरी दरख्वास्त पर वह कैसे सिफारिश लिखते? उनके ख्याल में शायद मैं काश्तकार नहीं था या मेरे बैलों को कुट्टी की ज़रूरत नहीं थी। उस का जवाब किसी तरीके से पौने दो साल में पहुंचा। इससे पहले भी मैंने एक दरख्वास्त दी थी। उस का जवाब मुझे तीन साल के बाद मिला था। छपा हुआ था, उसमें लिखा था कि कमी की वजह से नहीं दिया जा सकता। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप देहाती रक़बे में थोड़ा सा दे सकते हैं, क्योंकि आप का जो वेस्टेज होगा वह थोड़े से कनेक्शन्स में, उस पर असर नहीं पड़ता। सुना करते थे कि छोटे-छोटे देहातों को बुक़्क़येनूर बना दिया जायेगा। जिन अज़ला में बिजली काफी है, उन में भी देहातों में कमी महसूस की जा रही है। इसलिये डिस्ट्रीब्यूशन का कोई तरीका ऐसा कीजिये जो तसल्ली बख्श हो।

श्री अर्नस्ट माइकेल फिलिप्स—

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बिल बिजली के मुताल्लिक इस वक्त पेश है उसका पास होना तो निहायत ज़रूरी है और इस पर जो, अमेंडमेंट पेश है वह भी निहायत मौके का है और ज़रूरी है। लेकिन यह दुख जो बिजली के मुताल्लिक़ हैं उन की तरफ कुछ तवज्जह होने की बहुत ज़रूरत है। इस वजह से मैंने यह मुनासिब समझा कि मैं सरकार की ख़िदमत में यह बात अर्ज करूं कि मुकामी सूरत क्या है? पहली बात तो यह है कि यह जितनी बिजली की कम्पनियां

[श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स]

हैं, वह सब अंग्रेजों के हाथ में हैं। अंग्रेजों के हाथ का लफ्ज मैंने इसलिये कहा कि इन अंग्रेजी कम्पनियों को बहुत पहले से लम्बा ठेका दे दिया गया है। जैसे आगरे की इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, और वही लखनऊ में भी है। बहरसूरत ऐसी कम्पनियां जितनी हैं, उनका यह शेवा रहा है कि वह बहुत तकलीफ के साथ बिजली देती हैं। उन कम्पनियों का कंट्रोल अगर किसी तरीके से किया जाय तो बहुत सी तकलीफ जाती रहे। इस वक्त वह कम्पनियां ऐसे लोगों को बिजली देती हैं जिन से उनका निजी समझौता हो जाता है और यह बात मैंने पेश्तर भी अर्ज की थी, उस वक्त यहीं बतलाया गया था कि मैजिस्ट्रेट जिला के हाथ में अख्तियारात दिये गये हैं। अब दो महीने के अन्दर ऐसे वाकयात पेश आ गये कि वह अख्तियारात मैजिस्ट्रेट जिला से ले लिये गए। छोटी से छोटी इंडस्ट्रीज के लिए भी कनेक्शन के लिए डायरेक्टर के जरिए से गवर्नमेंट से मंजूरी होता है। लिहाजा बहुत अरसे से बहुत सी जेर तजवीज दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। अब तो शरणार्थियों और गैर दोनों किस्म के आदमियों को परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस कुछ नहीं किया जा रहा है। बिजली इतनी जरूरी चीज है कि गवर्नमेंट भी इसकी सप्लाई में इम्दाद करने के लिये कोशां है, लेकिन अब जब कि यह मामला गवर्नमेंट के सामने आ गया है, तो वह और भी ज्यादा कोशिश करेगी। मैं इस मामले को गवर्नमेंट के सामने इसलिए लाना चाहता हूं ताकि यह दुःख दूर हो जाए।

*माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो तकरीर इस बिल पर हुई है उनसे यह नतीजा नहीं निकलता है कि बिजली पर कंट्रोल नहीं होना चाहिये, बल्कि इसके खिलाफ और बिलखसूस मुफ्ती फखरुल इस्लाम साहब की तकरीर से जिन्होंने गालिबन अपनी तकरीर में यह अल्फाज अदा किये कि ऐसी हालत में इस किस्म के अख्तियारात गवर्नमेंट को देना मुनासिब नहीं समझते। इस तकरीर से और भी कंट्रोल की ज्यादा जरूरत साबित होती है। यह बात साफ है, ऐसी जो आसानी से समझी जा सकती है। फर्ज कीजिये कि कंट्रोल नहीं हुआ और जो कुछ बिजली है उसकी तकसीम उन्हीं लोगों और उन्हीं कम्पनियों के हाथ में रहे और उन्हीं पर बिजली देना न देना मुनहसिर रहे, जिनके खिलाफ शिकायतें की गई हैं और जिनकी बदआमाली हमारी जबान पर आती है, तो मैं समझता हूं कि वह मुनासिब न होगा। इस किस्म की शिकायतें होने के बावजूद जब कि बिजली कम हो और मांग बहुत ज्यादा हो, तो उनके ऊपर यह छोड़ देना कि जिसको चाहें बिजली दें, जिसको चाहें न दें, जिस जरूरत के लिये समझें बिजली दें, किसी दूसरी जरूरत के लिये न दें, तो समझता हूँ कि कोई साहब इसको अच्छा नहीं समझ सकते हैं।

* माननीय सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

जहां तक कंट्रोल का ताल्लुक है कोई साहब इसमें इख्तिलाफ नहीं करेंगे। कंट्रोल जरूर रखा जाये और कंट्रोल है भी। सिर्फ यह सवाल है कि कंट्रोल किस तरह एक्सरसाइज किया जाये। मेरे लायक दोस्त मुहम्मद इसहाक साहब ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) के तरीके को जानना चाहा था। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जब जङ्ग हो रही थी तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने बिजली पर कंट्रोल लगाया था और उसने अपने हाथ में यह अख्तियार रखे थे कि ५० किलोवाट से ज्यादा अगर किसी को जरूरत हो तो वह गवर्नमेंट आफ इण्डिया से मंजूर होगी, अगर ५० किलोवाट से कम की जरूरत हो तो प्राविंशियल गवर्नमेंट से मंजूर होगी। प्राविंशियल गवर्नमेंट से मंजूर होने की शर्त यह थी और यह मेम्बरान को भी मालूम है कि यहां बिजली दो किस्म की है। एक तो वह जो गवर्नमेंट के हाइड्रोइलेक्ट्रिक ग्रिड में बनती है। जहां तक इसका ताल्लुक था वह बिजली के चीफ इंजीनियर के हाथ में था और कोई दूसरा वह बिजली नहीं दे सकता था। बाकी जो कम्पनीज लोकली जनरेट करती थीं शहरों के अन्दर, लखनऊ में, आगरा में या इलाहाबाद में, इन कम्पनीज की बनाई हुई बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन का अख्तियार सेक्रेटरियट में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी को था और हाइड्रोएलेक्ट्रिक चीफ इंजीनियर से मिलती है। जब मौजूदा गवर्नमेंट आई, उसने जो हालात देखे तो उसने गुजिश्ता तजुर्बे की बिना पर जो उस दौरान में सामने आ चुके थे और जो उस वक्त से कंट्रोल में हैं जिस पर गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने कंट्रोल इम्पोज लागू किया था उस की रोशनी में इस सिस्टम को रिवाइज किया और गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने भी दो-तीन महीने के अन्दर अपने कंट्रोल को रिलैप्स कर दिया और प्राविंशियल गवर्नमेंट पर छोड़ दिया कि वह जिस तरह से चाहे उस के मुताल्लिक सूरत अख्तियार करे। चुनांचे प्राविंशियल गवर्नमेण्ट ने इस कंट्रोल को जारी रक्खा यानी जहां तक हाइड्रो एलेक्ट्रिक की सप्लाई का ताल्लुक है चीफ इंजीनियर बिजली को दे, जहां और एरियाज का ताल्लुक है वहां गवर्नमेंट मंजूरी दे।

श्री मुहम्मद इसहाक खां—

यानी डिप्टी सेक्रेटरी पर यह छोड़ दिया था?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

जी हां, चन्द महीनों तक उन्हीं पर छोड़ दिया गया। इस के बाद मौजूदा गवर्नमेंट ने इस तरीके में कुछ तब्दीली की और वह उस तजुर्बे की बिना पर, मेरा जाती तजुर्बा भी इस में शामिल था, गांव के आदमी, कस्बे के आदमी, शहरों के आदमी सैकड़ों की तादाद में लखनऊ आया करते थे, महज बिजली लेने के लिये। किसी को दो किलोवाट की जरूरत है, किसी को आधे की, किसी को ५ की और किसी को ४ की जरूरत है। इसलिये यह जरूरत महसूस की गई कि इस का डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) लोकली (स्थानीय) कर दिया जावे। वहीं लोकली इसकी तकसीम

[माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव]

हो गया कर। इससे यह फायदा तो कम से कम होगा ही कि इतने आदमी रोज लखनऊ न आया करेंगे, क्योंकि उन में से ९५ फीसदी लोगों को बिजली नहीं मिलती थी, क्योंकि बिजली थी ही नहीं और इस वजह से बहुत कम मौका मिलता था कि किसी को बिजली दे दी जाये। इसलिये जरूरी समझा गया कि इसको लोकली तौर पर कर दिया जावे। जुलाई सन ४७ में उन एरियाज के लिये जहां कि हाइड्रो एलेक्ट्रिक नहीं है, वहां के लिये बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट से निकाल कर कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया और उसको यह अख्तियार दिया गया कि वह ५० किलोवाट तक बिजली तकसीम कर सकता है और ५० के ऊपर अगर किसी का जरूरत हो तो वह गवर्नमेंट से उसका सेंक्शन ले जावे।

श्री मुहम्मद इसहाक खां

कब तय हुआ था?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव

जुलाई सन ४७ में यह तय किया गया था। अखबारों में भी इसके मुतालिक छपा था और बजट के मौके पर भी मैंने इस हाउस में और अपर हाउस में इस सिलसिले में कुछ जिक्र किया था कि इस किस्म का चेंज होगा।

श्री मुहम्मद इसहाक खां—

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास कोई एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई है या अकेला ही करेगा।

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव -

जी तनहा ही करेगा।

श्री मुहम्मद इसहाक खां—

आपका ६ महीने का क्या तजुर्बा हुआ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

आप कोई सवाल न करेंगे और मेरी अर्ज को सुनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि गालिबन आपके दिमाग में जो सवालात आ रहे हैं, उनके करने की जरूरत महसूस आप न करेंगे। लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश करने के बाद भी आप अगर कुछ पूछना चाहें उस वक्त आप सवाल कर सकते हैं। तो यह सिस्टम था जो मैंने अर्ज किया। आपसे और जहां तक कि हाइड्रोएलेक्ट्रिक का ताल्लुक है उसकी हालत उस जमाने में आ करके ऐसी होगई थी कि वहां इसकी जरूरत महसूस की जाने लगी कि हाइड्रोएलेक्ट्रिक से बिजली दिया जाना बिल्कुल बन्द कर दिया जाय, डिस्ट्रीब्यूशन ही वहां बन्द कर दिया जाय और गवर्नमेंट कम्यूनिक भी शाया हो चुका था कि हाइड्रोएलेक्ट्रिक में

जा उसका लोड बियरएबिल है उस से ५ हजार किलोवाट का लोड ज्यादा है और वह ऐसी रिस्की और डेंजर्स (भयावह) पोजीशन है कि उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं क्यों कि उसकी मशीनरी का ब्रेक डाउन हो जायगा। जहां तक हाइड्रोएलेक्ट्रिक का ताल्लुक है, इस वक्त बिजली नहीं है, ८-६ महीने से नहीं है और बिजली की तक्सीम बन्द कर दी गयी है और यह सवाल नहीं उठता है कि किस तरह से तकसीम की जाय। अब इस किस्म के सवाल सिर्फ उस एरिया के रहते हैं जहां हाइड्रोएलेक्ट्रिक नहीं है, और किस्म की बिजली वहां पर है। इस तजुर्बे की बिना पर कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तकसीम में यह इम्तियाज ठीक तरीके से नहीं हो सका कि किस इंडस्ट्री को कि इंडस्ट्री के ऊपर प्राफरेंस दिया जाय। इस बात का इम्तियाज लोकली तकसीम करते वक्त नहीं कर सकते हैं तो उसका हवाला गवर्नमेंट के उस पर्चे में दिया है जो मेम्बरान की मेज पर मैंने रखवाया था। अब डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को यह अख्तियार दिया गया है कि जहां इंडस्ट्रीज के लिये कोई लोड मांगा गया, बिजली मांगी गई, तो डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज तय करेगा कि उनको दी जानी चाहिये या नहीं दी जानी चाहिये। इस वास्ते कि वह इंडस्ट्री इस काबिल है या नहीं कि उसको कोइ प्रायरटी (प्राथमिकता) या प्रिफरेंस (विशेषता) दिया जाय, इसका फैसला ठीक तरह से हो सके। एग्रीकल्चर के लिये डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर को मुकर्रर कर दिया गया है। बाकी डोमेस्टिक ऐसे है कि उनके वास्ते किसी मुकाबिले की जरूरत नहीं होती है। उसके लिये तो परसेंटेज मुकर्रर कर दिया जाता है, तो जहां इंडस्ट्रीज के लिये डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के लिये डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर होगा और उसका फाइनल सेक्शन, फाइनल मंजूरी गवर्नमेंट के हाथ में है। जहां तक कि रेजीडेंट इंजीनियर्स का ताल्लुक है, जब से सिस्टम कंट्रोल का कायम हुआ, उनको कतअन अख्तियार नहीं रहा कि वह दे सकें। एक सवाल शौकत अली साहब के बयान से मालूम हुआ कि जिस शख्स ने पहले दरख्वास्त दी थी, उसको बिजली नहीं मिली और जिसने बाद को दरख्वास्त दी थी उसको बिजली मिल गयी। मै इस केस को देखना चाहता हूँ और इस लिये देखना चाहता हूँ कि मेरे नोटिस में इस किस्म के केसेज लाये गये हैं और मैंने पर्सनली तमाम कागजात दफ्तर से मंगवा कर के देखे हैं और मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि देखने के बाद मालूम हुआ कि वह चीज गलत थी और झूठ निकली। बजाहिरा ऐसे केसेज होते हैं कि मै ऐसी मिसाल आप को दूं। एक साहब को सन् १६४५ में गवर्नमेंट आफ इण्डिया से सेंक्शन हुआ था और उसको अभी तक नहीं मिला था। लिया नहीं, इसलिए कि सामानों के मिलने में दिक्कत होती है, तो उन्हें वह नहीं मिला और उसके लिये उन्होंने लिखा। इसके बाद सेंक्शन हो गया और वहां लग भी गई गालिबन। लेकिन सन १६४५ के बाद अब सन १६४८ में वह मेरे पास आये और कहने लगे कि कनेक्शन लगवा

[माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव]

दीजिए। मैंने कहा कि अब नहीं लग सकेगी, इसलिए कि हाइड्रोएलेक्ट्रिक एरिया से सप्लाई होती है और हाइड्रोएलेक्ट्रिक दे नहीं सकता। इस किस्म में इस किस्म का हेरफेर है कि असली हालत लोगों को मालूम नहीं होती और बज़ाहिरा लोगों को ऐसा मालूम होता है कि हमने पहले दरख्वास्त दी थी, लेकिन हमें संक्शन नहीं हुई और फलां ने बाद में अप्लाई किया था उसको संक्शन हो गयी। जहां तक शौकत अली साहब के मामले का ताल्लुक है मैं खुद देखूंगा और जहां तक और मामलात का ताल्लुक है, जहां इस किस्म की शिकायतें थीं मैंने उनको पर्सनली देखा लेकिन मुझे कोई ऐसे कागज नहीं मिले जिनमें किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता। जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है वह तो प्राविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में थी और है, वह रेजीडेण्ट इन्जीनियर और किसी लोकल आफिशियल के हाथ में नहीं है। अगर कुछ गलती हो सकती है तो वह मेरी हो सकती है।

श्री मुहम्मद शौकत अली खां—

उनकी रिकमेंडेशंस (सिफारिश) पर दिये जाते हैं।

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

नहीं उनके रिकमेंडेशंस का कोई सवाल नहीं था। वह तो डाइरेक्ट (सीधे) प्राविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में था। हां अब जरूर डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर और डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को यह अख्तियार दे दिये गये हैं कि वे रिकमेंड कर सकते हैं। संक्शन तो प्राविंशियल गवर्नमेंट ही करेगी लेकिन उनके रिकमेंडेशंस पर दी जायगी। हमने यह समझा कि डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज और डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर में कांफीडेंस (विश्वास) रखा जा सकता है और रिकमेंडेशंस (सिफारिश) पर बिजली दी जा सकती है। लेकिन डिसट्रीब्यूशन (वितरण) की बात को अगर आप देखेंगे तो आप खुद इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि प्रिफरेबिल पोजीशन यही होती है कि कंट्रोल रहे और कंट्रोल के खिलाफ बतौर दलील हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते।

दूसरी बात हमारे दोस्त रफीक साहब ने यह फरमाई थी कि जो मशरकी अजला हैं उनके साथ हम वादा खिलाफी करते हैं और उनको भूल जाते हैं। लेकिन हमारे दोस्त मशरकी अजला के जो नुमायन्दे हैं शौकत अली साहब, वे उनकी बगल में तशरीफ फरमा हैं। वे मशरकी अजला की तरफ से वहां डिस्ट्रीब्यूशन की शिकायत करते हैं। तो जहां तक मशरकी अजला का ताल्लुक है उसकी निस्बत तो कई दफा पोजीशन मैं हाउस के सामने बयान कर चुका हूँ। उसको अब मैं इस वक्त दोहराना नहीं चाहता। लेकिन खास तौर से बस्ती के मुताल्लिक मैं अर्ज़ करता हूँ। जो ग्रैंड स्कीम गोरखपुर और बस्ती के मुताल्लिक बनाई गई थी उसकी पोजीशन मैं पहले बतला चुका हूँ। उसमें देरी हो गई, सिर्फ

इसलिए कि हमें सेटस नहीं मिले। लेकिन अब सेट्स मिल गये हैं और बस्ती और गोरखपुर का अब एलेक्ट्राफिकेशन होगा। उसके जरिये से रूरल एरियाज में जो दिक्कतें हैं वह दूर हो जायेंगी और सारी कमी पूरी हो जायेंगी।

श्री मुहम्मद इसहाक खां—

कब तक हो जायेगा ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

यही डेढ़ दो सालमें हो जायगी। वहां ट्रांसमिशन लाइन बैठाई जायेगी बिजली फैलाने के लिये और उसके बाद बिजली लग जायेगी और जब हमारे दोस्त उसकी हवा खायेंगे और उनका दिमाग सही होगा तो वह जरूर फरमावेंगे कि हां, हाफिज ठीक कहता था।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है संयुक्त प्रान्तीय विद्युत नियंत्रण के अस्थायी अधिकार सम्बन्धी (संशोधक) बिल सन १९४८ ई० पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल से स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—२

२—संयुक्त प्रान्तीय विद्युत (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार सम्बन्धी) ऐक्ट, सन १९४७ ई० की धारा १ के अन्तर्गत उपधारा (४) में आये हुये शब्द तथा संख्या "सितम्बर ३०, सन १९४८ ई०" के स्थान पर "सितम्बर ३०, सन १९५० ई०" रक्खे जायेंगे।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि दफ़ा २ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—१

१—इस ऐक्ट का नाम संयुक्त प्रान्तीय विद्युत (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार सम्बन्धी संशोधक) ऐक्ट, सन १९४८ ई० होगा।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि दफ़ा १ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

संयुक्त प्रान्तीय विद्युत (नियन्त्रण के अस्थायी अधिकार सम्बन्धी) ऐक्ट, सन १९४७ ई० को दो वर्ष तक जारी रखने के लिये।

चूँकि यह उचित और आवश्यक है कि संयुक्त प्रान्तीय विद्युत (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार सम्बन्धी) ऐक्ट, सन् १६४७ ई० को, जिसकी अस्थायी अवधि ३० सितम्बर, सन् १६४८ ई० तक सीमित है, दो वर्ष तक और जारी रक्खा जाय।

इसलिए निम्नलिखित कानून बनाया जाता है:—

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि प्रस्तावना इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संयुक्त प्रान्तीय विद्युत नियंत्रण के अस्थायी अधिकार सम्बन्धी (संशोधक) बिल, सन १६४८ ई. पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में स्वीकृत हुआ है, उसको स्वीकार किया जाय।

*श्री फजलुल इस्लाम—

अब यह बिल हमारे सामने थर्ड रीडिंग के सिलसिले में आया है। अभी आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वह कनेक्शन रेजीडेण्ट इंजीनियर की मंजूरी पर दें।

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

मैंने यह अर्ज किया कि पहले पावर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी गई थी और अब डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को दी गई है।

श्री फजलुल इस्लाम—

इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के तजुर्बे के बारे में मैं अर्ज कर दूं यह हमारी बदकिस्मती है कि इस सूबे में हम उसको खुदा समझते हैं, और उसको दुनिया के हर काम के लिए मौजूं समझते हैं। चाहे एजूकेशन कमेटी हो तो उस का चेयरमैन भी वही, कोई पुलिस का काम हो तब भी उसी पर, यानी हर मुहकमे का तमाम काम आप उसी पर डाल देते हैं। आखिर वह भी तो इंसान हैं, उसको आप इतना काम दे देंगे तो वह कैसे कामयाबी के साथ कर सकता है ? आप कहते हैं कि बिजली का काम अब डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के पास भेज दिया है; उसका क्या हल होगा ? वह खुद अपने कामों में मशगूल होगा, रेजीडेण्ट इंजीनियर दरख्वास्तें भेज देगा और वहीं मंजूर होंगी, जिनमें कुछ दिलचस्पी होगी। वहां भी अहमतें होंगी, इस तरीके से ६ महीने के बाद आपको तजुर्बे होते रहेंगे और वह शिकायतें और गड़बड़ी बनी रहेंगी। दुनिया का काम आप उनको दिये जाते हैं, वह बेचारे रोज कमेटियों में जाते-जाते परेशान हैं। डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज भी कानपुर में हैं, नतीजा यह होगा कि जहमतें बढ़ेंगी, तमाम लोग वहां दौड़ेंगे और

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

बपेंगे और कोई उसूल नहीं है कि किस की प्रायरटी होगी या सिफारिश पर होगा या कैसे क्या होगा ? फिर इन सबका क्या इलाज होगा। और पब्लिक को जो शिकायत है कि शहरों में कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, नयों को तो मिल रहे हैं लेकिन पुरानों को नहीं मिलता, म्युनिसिपैलिटी की सड़कों पर अंधेरा है, रोशनी नहीं है और जो म्युनिसिपैलिटी की सड़कों के लिये कुछ फासले के अन्दर फ्री रोशनी का कानून है वह भी नहीं लग रही है और सबको तकलीफ है। आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिये कि यह कैसे इंतजाम हो और सबको आराम मिले और बेहतर तरीके अख्तियार किये जायं।

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—

मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका था, वही बातें आपने दोहरा दीं। अगर उनका कोई कंक्रीट सजेशन (ठोस सुझाव) होता, तो मैं उस पर जरूर गौर करता।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्तीय विद्युत नियंत्रण के अस्थायी अधिकार सम्बन्धी (संशोधक बिल) सन १९४८ ई० को जैसा कि वह संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल से स्वीकृत हुआ है, स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय प्रधान सचिव—

अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि नीचे के आइटम्स ले लिये जायं तो अच्छा है। मेरा मतलब यह है कि अगर यह सब बिल खत्म हो जाते हैं तब तो इसे भी खत्म कर देंगे और अगर खत्म न हों, तो मैं चाहूँगा कि यह एक दिन के लिए सेलेक्ट कमेटी में चला जाय वर्ना मुझे भाषा के कारण एमेंडमेंट करना पड़ेगा, वह भी फारमल है।

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का शुद्ध खाद्य आलेख (बिल)

माननीय स्व-शासन सचिव—

श्रीमान डिप्टी स्पीकर साहब, मैं संयुक्त प्रान्त का शुद्ध खाद्य आलेख (बिल) सन १९४८ ई० को उपस्थित करता हूँ।

श्रीमान डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाज़त से यह चाहता हूँ कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और उस निर्वाचित कमेटी के निम्नलिखित सदस्य हों:—

मिनिस्टर इन्चार्ज

श्री चरणसिंह

श्री होतीलाल अग्रवाल

श्री सिहासन सिंह
श्री भगवानदीन वैद्य
श्री रघुवीर सहाय
श्री कृष्णचन्द्र
श्री गनपत सहाय
श्री बलभद्र सिंह
श्री जयपाल सिंह
श्री ख्वाजा अब्दुल मजीद
श्री अदील अब्बासी
श्री भगवानदीन
श्री विष्णु शरण दुब्लिश
श्री कुञ्जबिहारीलाल शिवानी
श्री फखरुलइस्लाम
श्री ऐजाज रसूल
श्री धर्मदास
श्री मुहम्मद असरार अहमद
श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स
श्री जगन्नाथ बख्श सिंह
इन लोगों की एक कमेटी बना दी जाय।

डिप्टी स्पीकर—

यह नाम जो आपने तजवीज किए हैं उनकी फेहरिस्त मेरे पास नहीं आई है।

माननीय स्वशासन सचिव—

मैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल इस ऐवान के सामने पेश कर रहा हूँ। इस के सम्बन्ध में अब तक जो कानून मौजूद है वह फूड एडल्टरेशन ऐक्ट सन १२ है, जिसका संशोधन बार-बार सन १६, ३० और ३२ में हुआ है और इस प्रकार का एक ऐक्ट मौजूद है जिस के जरिए से यह तय किया है कि जहां तक शुद्ध खाद्य बेचने वालों के सम्बन्ध में नियंत्रण करने की आवश्यकता है, शुद्ध खाद्य खाने को नहीं मिलते। दूसरी चीज यह है कि विशेषकर दूध और घी के सम्बन्ध में मिलावट होती है और उसके नियन्त्रण के बारे में काफी तादाद में कोई विशेष रोक-टोक नहीं दिखाई देती। खासतौर से घी के सम्बन्ध में यह अनुभव है कि शुद्ध घी बाजार में नहीं मिलता और बनस्पति और चर्बी व तेलों की मिलावट होती है और उसको रोकने के लिए बहुत कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रयत्न पर भी कामयाबी नहीं होती, क्योंकि ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं कि यह नहीं कहा जा सकता कि उनके जरिए से स्वास्थ्य पर कोई विशेष दुष्परिणाम होने वाला है। लोग चाहते हैं कि बाजार में शुद्ध घी प्राप्त हो और इसी तरह

स दूध के सम्बन्ध में भी परिस्थिति हमारे सूबे में मौजूद है। इसलिए इस बिल के द्वारा यह विचार किया गया कि जितने खाद्य पदार्थ हैं वह शुद्ध रूप में बाजार में प्राप्त हो सकें। इसके लिए ऐसा कानून बनाया जाय जिसमें पुराने कायदों का संशोधन करके नए तरीकों से कार्यवाही कर सकें। हेल्थ डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपैलिटियों को यह अख्तियार हो कि खाद्य पदार्थों में मिलावट न की जा सके। अब दो तरह से इस पर विचार किया गया है। एक तो वह अन्न जिससे स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम होता है और दूसरा वह जिससे स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम नहीं होता। यह हो सकता है कि बहुत-सी खाने की चीजें हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें छोड़ दी जायं जिनकी वजह से वजन बढ़ जाने से लोग ठग लिए जाते हैं। कुछ इस किस्म की चीजे होती हैं, जो उपलब्ध नहीं होतीं, जिस किस्म की चीज लोग खरीदना चाहते हैं। तीसरी चीज यह हो सकती है कि बहुत से खाद्य पदार्थों में बहुत-सी ऐसी चीजें घटाई जा सकती हैं जिससे बेहतर दर्जे की और अच्छे किस्म की चीजे न रहें जिसको लोग हासिल करना चाहते हैं। उनके लिए इसमें विशेष करके प्रबन्ध रखा गया है। उसके लिए भी तजवीज है कि ऐसे इंसपेक्टर्स मुकर्रर किये जायं जिनके जरिये से बार-बार जांच की जायगी सब किस्म के खाद्यपदार्थों की ताकि कोई किसी को धोखा न दे सके। इसी प्रकार से जिसमें लोगों को अच्छे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों उसके लिए यह तजवीज है कि म्युनिसिपल ऐक्ट में जो दर्जा उनके सम्बन्ध में है, उसके ऊपर भी विचार करना है। म्युनिसिपैलिटियों में जहां पर स्लाटर हाउस हैं, जहां पर जानवर काटे जाते हैं उनके नियन्त्रण के सम्बन्ध में विचार करना है कि किस किस्म के जानवर काटे जायं, किस प्रकार काटे जायं और उनके मांस किस प्रकार बेंचे जायं, इसके सम्बन्ध में भी म्युनिसिपल ऐक्ट में से जो कानून है वह निकाल कर इस बिल में पेश कर दिया गया है, ताकि जनता को अच्छे किस्म के खाद्य पदार्थ मिल सकें। इस तरह के एक कानून बनाने की आवश्यकता थी जिसके बारे में बहुत-सी बातों पर विचार करना है। सब तरह के खाद्य पदार्थों पर नियन्त्रण रखने के सम्बन्ध में विचार करना है जिसमें सबों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। यही इस बिल का मूल सिद्धान्त है। मुझे आशा है कि इस मूल सिद्धान्त को यह भवन स्वीकार करेगा और सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करेगा।

*श्री फखरुल इस्लाम—

जनाबवाला, हमारे सूबे में इससे पहले एक बिल एडल्टरेशन (मिलावट) के सिलसिले में मौजूद था लेकिन वह इस क़दर नाकाफ़ी था कि जिसकी तरफ बराबर मैं समझता हूँ कि इस एवान ने, पब्लिक ने और प्रेस ने भी पब्लिक ओपीनियन की बात को दोहराया कि कोई बहुत जल्द ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे हम इस सूबे के बाशिन्दों की सेहत को अच्छा बना सकें। अच्छा खाना सप्लाई करने के सिलसिले में हमारे आनरेबिल वजीर साहब ने, जो आज इस बिल

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री फखरुल इस्लाम]

को पेश किया है उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं कि देर से सही लेकिन एक मुनासिब और बेहतर कदम, जिससे यहां की जनता की सेहत बेहतर हो सके, उठाया है। इस सिलसिले में जो जहमत हमको और आपको अच्छे अन्न के मिलने में पैदा हुई है उसमें कुछ न कुछ रुकावट पैदा होगी। अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के रहने वाले अवाम के खाने की चीजों में मिलावट करते हैं जिससे इंसान की सेहत खराब होती है और जब इंसान की सेहत खराब होती है तो उसका नतीजा जाहिर है कि इस मुल्क के बसने वालों की सेहत उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी कि होनी चाहिए। हमारा, आपका और गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि इस बिल के मुआफिक पब्लिक ओपीनियन करें और खास तौर से उन लोगों की तरफ तवज्जह करें जो इस तरह की गड़बड़ी करते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी धर्म हो चाहे कोई किसी मजहब का भी मानने वाला हो उसका मजहब यह नहीं सिखाता कि खाने की चीजों में धोका देकर दूसरे से नफा हासिल करें। यह तरीका बिल्कुल गलत है और इसकी तरफ जितनी भी पुरजोर अल्फाज राय-आम्मा हासिल की जाय, करें। इस ऐवान में और इस ऐवान के बाहर भी हमारा और आपका यह फर्ज है कि जब तक इस तौर पर ये चीजें नहीं होतीं हमारा और आपका कोई भी फायदा नहीं हो सकता। अफसोस की बात है कि आजकल अच्छे मक्खन का मिलना भी मुश्किल है। मक्खन की हालत यह है कि शहर के अन्दर टीनों के अन्दर जो मक्खन मिलते हैं वे तो बेहतर होते हैं लेकिन आम बाजार में, हमारे सूबे के शहर में जो मक्खन मिलते हैं उनकी हालत बहुत खराब होती है। उसमें तरह-तरह की चीजें मिलाई जाती हैं। इसी तरह से खोवा की हालत है। खोवा भी अच्छी हालत में नहीं मिलता है। दूध के अन्दर भी मिलावट होती है आयल के अन्दर भी बहुत एडल्टरेशन (मिलावट) है, जिनकी तरफ हमको और आपको तवज्जह करनी चाहिए। इस बिल के जरिये जो कदम उठाया गया है वह बहुत बेहतर है लेकिन उसी के साथ-साथ हमारा और आपका यह भी फर्ज है कि पब्लिक ओपीनियन इस तरह से मजबूत करें और व्यापारियों को भी इस तरह से मजबूर करें कि वे इंसान की जिन्दगी के साथ कम से कम धोका और फरेब न कर सकें। लोग सचाई और ईमानदारी के साथ काम लें। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हाउस इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजेगा और जब तरमीमों के साथ हाउस के सामने फिर पेश होगा तो उससे यहां की जनता को फायदा पहुंचेगा।

डिप्टी स्पीकर--

सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्त का शुद्ध खाद्य आलेख (बिल) सन् १६४८ ई० को निर्वाचित समिति के सुपुर्द किया जाय। कमेटी के मेम्बरों के नाम इस तरह से हैं:—

१—माननीय स्वशासन सचिव
२—श्री चरण सिंह
३—,, होतीलाल अग्रवाल
४—,, सिंहासन सिंह
५—,, भगवान दीन वैद्य
६—,, कृष्णचन्द्र
७—,, रघुवीर सहाय
८—,, गणपति सहाय
९—,, बलभद्र सिंह
१०—,, जयपाल सिंह
११—,, अब्दुल मजीद ख्वाजा
१२—,, अदील अब्बासी
१३—,, भगवान दीन
१४—,, धर्मदास
१५—,, विष्णु शरण दुब्लिश
१६—,, कुंजबिहारी लाल शिवानी
१७—,, फखरुल इस्लाम
१८—,, ऐजाज़ रसूल
१९—,, मुहम्मद असरार अहमद
२०—,, अर्नेस्ट माइकल फिलिप्स
२१—,, जगन्नाथ बख्श सिंह

मै समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को किसी और नाम को पेश करना नहीं है। इसलिए भवन के माननीय सदस्य, जिनके नाम मैंने आपके सामने पढ़ कर सुनाये हैं, निर्वाचित समिति के सदस्य चुने गये।

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय पशु उन्नति बिल

*माननीय कृषि सचिव—

मैं यह प्रस्ताव करता हू कि संयुक्त प्रान्तीय पशु-उन्नति बिल सन १९४८ ई० पर जैसा कि वह लेजिस्लेटिव कौंसिल से स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय।

इस बिल में कुछ पाबन्दियां सांड रखने वालों पर लगाई थीं। बड़ा अफसोस है कि इस सूबे में जो उम्दा नस्ल के जानवर, सौ दो सौ की तादाद में नज़र आते हैं, वह सब वह हैं कि जिनके लिये हम दूसरे सूबों के ममनून एहसान हैं। यहां इस सूबे में, जहां तक कि इस सूबे का ताल्लुक है, सिवाय चन्द अजला के, मसलन मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर और अलीगढ़ के, जहाँ पर कि कुछ मवेशी ऐसे पाये जाते हैं कि जिनको देख कर दिल खुश हो, बाकी और तमाम

*माननीय सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[माननीय कृषि सचिव]

अजला में, जो कुछ मवेशियों की हालत है वह निहायत ही अबतर है। दूसरे मुल्कों में जो खेती-बारी होती है तो वहां तो घोड़ों से भी मदद ली जाती है। मगर हमारे मुल्क में बैल ही ऐसे हैं कि जिनके जरिये से यहां काश्त होती है। मगर वह बैल, जिस नस्ल के इस सूबे में होते हैं, वह ऐसे होते हैं कि जिनको छोटे से छोटा हल भी खींचना बहुत मुश्किल होता है। उसका नतीजा यह है कि हमारी खेती में पैदावार बराबर कम होती चली जाती है। जहां तक कि इस मसले पर ग़ौर किया गया है, एक बड़ी वजह तो इसकी यह नजर आती है कि हमारे जो सांड हैं, वह पिछले कई बरसों से गवर्नमेंट ने दूसरे सूबों से ला लाकर यहां रखे हैं, उन सांडों की तादाद थोड़ी है। मगर उसके साथ ही बहुत से सांड इस किस्म के हैं कि जिनको नस्ल कोई अच्छी नहीं हो सकती। इसलिये यह जरूरी मालूम होता है कि दूसरे सूबों से जो सांड हम यहां लाते हैं उनका पूरा-पूरा फ़ायदा हासिल करने के लिये जो सांड इस वक़्त हमारे सूबे में हैं, उनको कम से कम कैस्ट्रेट (बधिया) कर दिया जाय ताकि वह नस्ल के काम में न लाये जा सकें। इस बिल का मतलब यह है कि जितने भी बुरे नस्ल के सांड, हैं उनको इस काबिल न रखा जाय कि उनसे नस्ल ली जा सके। इसलिये यह तजवीज की गई है कि आयन्दा जो शख्स भी बुल रखे वह एक लाइसेंस के जरिये से रखे और लाइसेंस उन्हीं लोगों को दिया जाय, जो कि उम्दा नस्ल के सांड रखना चाहते हों। एक मक़सद तो इस बिल का यह है।

दूसरा हिस्सा इस बिल का यह है कि गवर्नमेंट को चूंकि यह मुनासिब मालूम हुआ कि कारआमद मवेशी, जो इस सूबे में हैं, वह स्लाटर हाउस (बधगृह) न जायं, इसकी पाबन्दी आयद की गयी है। पिछली लड़ाई के जमाने में, लड़ाई के ५ साल के जमाने में जो बाहर से अमरीकन और अंग्रेज फौजें यहां आई थीं, उनके यहां रहने की वजह से अच्छी नस्ल के मवेशी, बैल भी और गाय भी, बहुत ज्यादा जाया हो चुके हैं और अब हमारे यहां अच्छी नस्ल के मवेशियों की तादाद बहुत ही कम रह गयी है। इसलिये इस बात की जरूरत महसूस हुई है कि पाबन्दी आयद की जाय कि मवेशी जो कारआमद हैं वे स्लाटर हाउस न जा सकें। यही दो मक़सद इस बिल के हैं और सीधे सादे हैं और मैं समझता हूं कि इसमें कोई उलझाव की बात नहीं है।

श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय—

डिप्टी स्पीकर महोदय, आज इस असेम्बली के सामने बड़े महत्व का बिल उपस्थित किया गया है। मवेशियों की नस्ल के सम्बन्ध में जितना कुछ कहा जाय थोड़ा ही है। इस देश में विशेष कर हमारे प्रान्त के पूर्वी भाग में मवेशियों की नस्ल इतनी बिगड़ गयी है कि इसकी उन्नति के लिये बहुत से महानुभावों ने संगठित रूप से कार्य आरम्भ कर दिया है। स्वर्गवासी मालवीय जी ने भारतीय गोरक्षा

प्रचारक मण्डल स्थापित किया था। उसका उद्देश्य यही था कि पशुओं और विशेष कर गाय बैलों की नस्ल की उन्नति की जाय। जब तक नस्ल दुरुस्त नहीं होगी तब तक कृषि में वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती। क्योंकि मिनिस्टर साहब ने कहा कि लड़ाई के जमाने में अंग्रेज और अमेरिकंस बड़ी अच्छी-अच्छी नस्ल के जानवरों को खा गये। इससे अच्छी नस्ल के जानवरों की कमी होती जा रही है। पश्चिम से गाय अच्छी नस्ल की आती थी, खासकर पंजाब से कुछ गायें उधर के हिस्सों में आती थीं। अब पंजाब और सिंध के पाकिस्तान में चले जाने की वजह से उधर से गायें नहीं मिल रही हैं। जितनी गायें मथुरा की या हरियाना वग़ैरह की हैं, उनमें से बहुत थोड़ी सी गायें आती हैं। इस वजह से दूध का बहुत ज्यादा अभाव है और कृषि के लिये अच्छे बैल नहीं मिल रहे हैं। इस सम्बन्ध में जितना ही ज्यादा काम किया जाय उतनी ही ज्यादा इस देश की उन्नति हो सकती है। इस सम्बन्ध में तरह-तरह के प्रस्ताव हम लोग उपस्थित करते हैं। इस समय हमारे देश में घी-दूध की बहुत कमी है। एक रुपये का डेढ़ सेर भी दूध अच्छा नहीं मिलता, और एक रुपये का ढाई छटांक घी मिल रहा है। इससे हम लोगों की तन्दुरुस्ती बहुत गिर रही है। अतः इस मसले पर गवर्नमेंट को पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिये और हम तो कहेंगे कि अपनी पूरी शक्ति लगा कर घी-दूध के मसले को हल करना चाहिये। मवेशियों के लिये दो चीजें परमावश्यक हैं। अंग्रेजी में कहावत है, फीडिंग ऐन्ड ब्रीडिंग। एक तो उनके खिलाने का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये, उनके खिलाने के लिये अच्छी वस्तुओं को प्रस्तुत करना है। इसके साथ-साथ यह भी देखना होगा कि उनके नस्ल की भी ठिकाने की उन्नति होनी चाहिये। खेत जोतने वाले अच्छे बैल उचित मूल्य पर मिलने का समुचित प्रबन्ध सरकार की ओर से होना चाहिये।

इस बिल में एक बात ऐसी दिखलाई दे रही है, जिस पर अच्छी तरह विचार करना होगा। जैसे कि यह कहा गया है कि अच्छी नस्लों के जो सांड न हों तो उन को कैस्ट्रेट (बधिया) करना चाहिये। गवर्नमेंट ने अब तक कितने सांड दिये हैं। जिस जिले में पांच लाख या दस लाख गायें हैं, उनमें दो-चार या दस सांड आपने मुश्किल से दिये हैं। एक तरफ आप अच्छे सांड नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो हैं उनको कैस्ट्रेट (बधिया) करना चाहते हैं। पहले आपका कर्तव्य यह है कि अच्छी नस्ल के सांड दीजिये। मैं कहता हूं। कि इन सांडों को आप मिर्ज़ापुर या लखीमपुर, खीरी आदि जिलों के चरागाहों में छोड़ दीजिये। वहां वे अच्छी तरह से रहेंगे और खाद देंगे जिससे कृषि की उन्नति होगी। दूसरी चीज लाइसेंस की है। वह भी जरा मुश्किल मालूम पड़ती है। जब तक आप अच्छे सांड नहीं देंगे तब तक आप लाइसेंस की प्रथा कैसे शुरू करेंगे। तीसरा मसला स्लाटर हाउसेज (वधगृह) के बारे में है। यह भी बड़ा पेचीदा मसला है। मुझे याद है कि जब गवर्नमेंट आफ इण्डिया में सर जोगेन्द्र सिंह खाद्य सदस्य थे; तो वह मालवीय

[श्री यज्ञनारायण उपाध्याय]

जी से मिले थे। उन्होंने कहा कि दस और पांच वर्ष के गाय, बैल कत्लखाने में न जाने दिये जायें, तो श्री मालवीय जी ने कहा था हमें तो इस देश में गो-वध बन्द करना है। आपने मसला रक्खा है कि बारह वर्ष के ऊपर के बैल कत्ल खाने में जा सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है। मेरा तो यह कहना है कि अगर गवर्नमेंट गाय-बैलों की व्यवस्था ठीक करना चाहती है तो इस सूबे में गाय का वध बिल्कुल बन्द होना चाहिये। इसके बिना इस देश में पशु की उन्नति नहीं हो सकती। मैं गवर्नमेंट से यह प्रार्थना करूँगा कि आप इसमें एक कदम आगे बढ़ाइए।

मैं जानता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज ने भी प्रस्तावों द्वारा गवर्नमेंट को लिखा है कि इस प्रांत में गो-वध बंद होना चाहिए। इसका कारण यह है कि हमारे प्रान्त के कोने-कोने में तीर्थ हैं। मथुरा तथा काशी आदि में उपद्रव होते रहते हैं और हर जगह कसाईखाने हैं जिससे लोगों में बदअमनी फैलती है और लोग परेशान होते हैं। गायों के घट जाने से और दूध कम हो जाने से यह विचित्र मसला बन गया है। अंग्रेज जिन्होंने गो-वध जारी किया था अब नहीं रहे। मुसलमान भी किसी खास मौके पर ही कुरबानी करते हैं, वैसे तो वह बकरे का गोश्त खाते हैं। इसलिये मेरा जोरदार प्रस्ताव है और बड़ी नम्रता से कहता हूं कि जैसे भी हो इस सूबे में गो-वध बंद कर दिया जाय ताकि यहां के लोग सुखी, समृद्ध और तन्दुरुस्त हों और अपनी मान-मर्यादा रख सकें। मैं जानता हूं कि हमारे देश में वेदों से लगाकर जितने ग्रंथ हैं, उन सब ने कहा है कि "अघन्या इति गवा नाम करनां हन्तुम् हृति" वेदों में कहा कि गाय को नहीं मारना चाहिए। यह हिन्दुओं का देश है। अगर गाय मारना है तो पाकिस्तान में इसे जारी कर सकते हैं। मैं इस भवन के सामने दृढ़ता से कहूंगा कि गो-वध बन्द किया जाये। किसी भी दशा में हमारे सूबे में गाय नहीं मारी जानी चाहिए। इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि वह इस पर विचार करें और यह तय हो जाना चाहिए कि गो-वध इस प्रान्त में नहीं होगा, आप जानते हैं और मैंने कहा है, म्युनिसिपैलिटियों ने भी कहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने भी कहा है कि गो-वध बंद हो और स्वयं पंत जी ने भी कई जगहों पर लोगों को गोवध बंद करने का आश्वासन दिया है। इस मसले को हल कर देना इस समय परमावश्यक है। यही मेरा कहना है।

* श्री फखरुल इस्लाम—

जनाबवाला, आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने जो बिल हमारे सामने रखा उसे गौर से देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे सामने दो सवाल हैं, एक तो यह है कि यह मुल्क काश्तकारों का मुल्क है और इसलिए हमें अच्छे

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

बैलों की जरूरत है और इसके लिये हमारी गवर्नमेंन्ट और पब्लिक दोनों को कोशिश करना चाहिए कि अच्छे बैल इस मुल्क के अन्दर सप्लाई हो सकें। मैं इस सिलसिले में बिल की दफा (७) के चंद अल्फाज पढ़ना चाहता हूं वह यह हैं कि No person shall keep a bull other than a stud supplied by the Department of Animal Husbandry. यह एक ऐसी दफा है कि जिसके शुरू के अल्फाज यह हैं कि कोई शख्स चाहे जो सांड पालेगा तो उसको वही सांड रखने पड़ेंगे जो एनीमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट की तरफ से सप्लाई किये जायेंगे, जिनकी अच्छी नस्ल होगी जिससे अच्छे जानवर पैदा किये जा सकें। मैं नहीं जानता कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ एग्रीकल्चर को यह इल्म है या नहीं कि साल गुजिश्ता में उनकी यह एक स्कीम थी कि सूबे के अंदर हर जिले में रेशियों के लिहाज से ५-५, १०-१० बुल सप्लाई किये जायेंगे और गायें भी सप्लाई की जायेंगी ताकि अच्छी नस्ल हो सके। मुझे अपने जिले का हाल मालूम है कि डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से एक रिकमेण्डेशन (सिफारिश) भेजी जा चुकी है। कानून के मुताबिक जो रुपया बुल के लिये जमा किया जाना चाहिये था वह जमा कर दिया गया है लेकिन आज तक बावजूद एक साल का अर्सा गुजर जाने के सप्लाई नहीं हो सकी। मैंने डायरेक्टर जनरल आफ एनीमल हसबैण्डरी से पूछा कि एक साल का अर्सा गुजर चुका है। डेवलपमेंट बोर्ड ने बुल की सप्लाई के लिये एक दरख्वास्त दी थी और रुपये भी कानून के मुताबिक जमा कर दिये थे। ऐसी एक नहीं बल्कि कई दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। एक जिले के अन्दर कितने बुल सप्लाई हो सकते हैं यह आप साहेबान ही बेहतर जानते होंगे लेकिन आज तक इसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर ऐण्ड एनिमल हस्बैण्डरी साहब यह कहते हैं कि मेरे पास जानवर नहीं हैं, मैं कहां से सप्लाई करूँ। मेरे पास ब्रेडिंग सेण्टर भी एक है। इससे ज्यादा जानवर नहीं पैदा हो सकते। मेरी समझ में नहीं आता जब यह कि कानून बना देंगे। No person shall keep a bull other than a stud supplied by the department of Animal Husbandry, तो इसके क्या माने होंगे। कानून हमेशा ऐसे बना करते हैं, जब आपके पास ५० हजार बुल्स मौजूद हैं तो इस सूबे में आप हर देहात में उनको कैसे पहुंचा सकते हैं, उनकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, तब तो आप ऐसा कानून बना सकते हैं। मगर आपका डिपार्टमेंट इससे मजबूर है और ऐसा नहीं कर सकता तो ऐसी दफा रखने से क्या फायदा। यह दफा तो मजहका खेज सी हो जाती है। जो बुल रक्खे जावें और जब डिपार्टमेंट सप्लाई (देना) करे उसके बाद आप यह कहते हैं कि अच्छी नस्ल का बुल होगा, सांड होगा उसको हम एक सार्टीफिकेट देंगे उन्हीं को मंजूरी देंगे। आप गौर कीजिये कानून का पेश करना आसान होता है लेकिन जब अमली दुनिया में जायेंगे तो आप देखेंगे कि यह कानून बिल्कुल बेकार सा कानून है। आप मुकदमा कायम कीजिये और उनको सजा दीजिये या कानून

श्री फखरुल इस्लाम—

बना कर उस पर आप अमल न करें और मुकदमा न चलायें। दो ही सूरतें आप के कानून में हो सकती हैं, दूसरा नजरिया इसमें मुरत्तिब नहीं हो सकता। यह दफा बिल्कुल बेकार सी दफा है जो लाईसेंसिंग का तरीका आपने रक्खा है कि हरएक आदमी जो ऐसे सांड रक्खे वह लाइसेंस हासिल करे। यह जरूर है कि आपने कोई लाईसेंस भी नहीं रक्खा है लेकिन आपके स्टाकमैन कितने हैं। हर जिले में जब कहा जाता है कि स्टाक्समैन को बढ़ाया जाये तो गवर्नमेंट कहती है कि फंड नहीं हैं। हर एक आदमी ८-१० मील के फासले पर आपका स्टाकमैन जहां हो वहां पर वह जावेगा और जगह आपके डिपार्टमेंट का आदमी ही तजवीज करेगा इससे पब्लिक के आदमी को बहुत सख्त तकलीफ होगी। अगर एक मील, दो मील के फासले पर वह जगह हो तो मुनासिब है लेकिन देहातों से ८ या १० मील के फासले से चलकर आना कहां तक मुनासिब होगा। ऐवान के और दोस्त इस पर सोचें और गौर करें कि हमें इसके लिये क्या करना चाहिये। और कौन सा तरीका अख्तियार करना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल आपके बिल का यह है कि जिन सांडों को आप बेकार समझेंगे उनको आप पकड़ कर एक जगह रक्खें या आक्शन (नीलाम) कर देंगे। एक रिवाज-धर्म की बिना पर यहां चला आ रहा है कि सांडों को दाग कर छोड़ दिया जाता है और अगर आप उनको पकड़ कर आक्शन (नीलाम) करने की सोचेंगे तो इस मुल्क के रहने वालों के रिलीजस सेंटीमेंट्स (धार्मिक भावना) का क्या होगा। मेरे ख्याल में तो यही मुनासिब होगा कि आप ऐसे बैलों को पकड़ कर कहीं जमा कर दें जहां आप दूसरे सांडों को जमा करते हैं बजाय इसके कि आप उनको आक्शन (नीलाम) करें। क्योंकि जहां तक बेच देने का ताल्लुक है वह मुनासिब नहीं है। जहां तक जानवरों के जबह न करने का सवाल है, जो जानवर कारामद हैं वह न जबह किये जायें तो यह बहुत मुनासिब और सही है।

हमारा आपका यही फर्ज है कि खास तौर से वह जानवर जो हमारे मुल्क के लिये, हमारी काश्त के लिये जरूरी हैं उनकी हिफाजत की जाय और उनकी तरफ खास तौर से तवज्जह की जाय। लेकिन मैं जनाब वजीर की खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि इस मुल्क का आज यह सवाल नहीं है कि यह जानवर आज क्यों बेचे जाते हैं, हमारी पावर्टी (गरीबी), फाडर (चारा) की कमी का सवाल है। एक इकानमी का क्वेश्चन (प्रश्न) है। हर एक आदमी ब्रीडिंग करने के बाद, १० रुपया हासिल करने के बाद जानवर बेच देता है। न उस के पास अनाज न पैसा है, जो उसे खिला सके। आप सोचिये कि अगर आपने फाडर को इकट्ठा नहीं किया, तरक्की नहीं की, तो यह जितने जानवर मरेंगे इसकी हत्या किस पर होगी। इसकी जिम्मेदारी जनाब मिनिस्टर साहब आप पर होगी। भूखों मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, उनके लिये भी आप मुनासिब और बेहतर इन्तजाम

उनसे मुल्क और काश्तकारों का फायदा होता है तो वह होना चाहिए, और अधिकता से होना चाहिये। उनपर अमल होना चाहिये। आखिर में मैं यह अर्ज करूंगा कि यह बहुत मुश्किल और अहम सवाल है कि आपने दफा में यह रख दिया है कि जो शख्स ऐसे जानवर के सिलसिले में जिसकी एज (अवस्था) लिखी हुई है उसके खिलाफ कार्यवाही करेगा तो वह सजा का मुस्तहक होगा। जानवर के मुताल्लिक हर एक आदमी सही तरीके से नहीं कह सकता कि कितनी एज का है। इसमें आप यह तरमीम कर दें कि जो जानते हैं कि यह ५ बरस की है, २ बरस की बकरी है तो वह सजा का मुस्तहक होगा। क्योंकि मेलाफाइडी मुस्तहक का आपको यकीन कर लेना है। जो नोइंगली जो ऐसा करे, यानी मैं जाऊं और आप जाय, आप नहीं जानते हैं कि यह बकरी ५ बरस की है या २ बरस की है। वह कहता है कि यह १० बरस की है। यह एक लेमैन का सवाल है। वह भी एक ऐसी जरूरी तरमीम है जो मेलाफाइडी सजा के मुस्तहक नहीं हैं, उसके लिए भी रोकथाम हो जायगी। आखिर में मैं आप से यह अर्ज करूंगा कि जो आपने मुद्दत सजा की ३ साल रखी है यह बहुत ज्यादा रखी है। जैसा कि मैंने पेश्तर कहा आप पब्लिक ओपीनियन क्रियेट (उत्पन्न) कीजिए। ३ बरस नहीं, इसको ६ महीने कर दें। यह ऐसी चीज है कि यह बड़ा प्वायंट नहीं है कि जुर्म करने वाले के लिये इतनी लम्बी सजा दी जाय। ३ बरस की सजा मुनासिब नहीं होगी। यह जरूर है कि आपने रेंजिग कर दिया है लेकिन आप डिस्क्रेशन (विशेषाधिकार) मैजिस्ट्रेट को दे रहे हैं कि वह ३ बरस तक कर सकता है, यह तो एक बहुत मामूली सी बात है। तो अगर ३ साल के बजाय ६ महीने कर दें तो बेहतर और मुनासिब होगा। इस तरह से इन तमाम चीजों को देखने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह अपनी जगह पर एक निहायत मुनासिब और बेहतर कदम है लेकिन जो दिक्कतें और दुश्वारियां हमारे सामने हैं। उनके एकानोमिक बेसिज पर हम और आप गौर करें और सोचें कि कहां तक हम उनका इलाज कर सकते हैं और उससे कहां तक मुल्क का फायदा होगा और इसमें कहां तक हमारे मुल्क की और काश्त की तरक्की होगी और हमारी भलाई होगी। इन अल्फाज के साथ मैं आपके इस बिल का दिल से समर्थन करता हूं।

*श्री फूल सिंह

कांग्रेस की सरकार ने एक तो खाने की चीजों के, दूसरे मवेशियों के मुताल्लिक बिल पेश करके एक नया कदम उठाया है। पशुओं का मसला बहुत ही कठिन मसला है और यह बात शायद कहने की जरूरत नहीं है कि पशु किसान की सबसे बड़ी दौलत है। जो पशु मरते हैं उनकी हड्डियों और खालों से जितनी आमदनी होती है वह आमदनी शुगर इंडस्ट्री की सालाना आमदनी से ज्यादा है। इससे पता लगाया

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री फूलसिंह]

करें। रिस्ट्रिक्शन्स (प्रतिबन्ध) अपनी जगह पर बहुत मुफीद हैं, अगर जा सकता है कि पशुओं का मसला किसानों के लिये कितना जरूरी मसला है। इस मसले का हल भी बड़ा पचीदा है। हिन्दुस्तान में पशुओं की तादाद और मुल्कों के मुकाबिले में ज्यादा जरूर है लेकिन हमारे पशु और मुल्कों के पशुओं के मुकाबिले में बहुत ज्यादा कमजोर हैं। जितने ज्यादा कमजोर पशु होंगे उतने ही ज्यादा पशुओं की जरूरत होगी, यह बिल्कुल सही है। और जितने ही ताकतवर पशु होंगे उतने ही कम पशुओं की आवश्यकता होगी। यह एक विशास सरकिल (विलुप्त-परिधि) सा है अब सांडों के मुताल्लिक जो मुझे अर्ज करना है, वह यह है कि अच्छा करने के लिये जो पशु होते हैं, उनके लिये इस काम को किस तरह से शुरू किया जाय। इस मसले पर मुझे चन्द जरूरी बातें अर्ज करनी है।, मैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी तक पशुओं की उन्नति में हमारे मुल्क में तादाद की तरफ तवज्जह नहीं दी गई है, महज पशुओं से खेती करने की तरफ तवज्जह की गई है। होना यह चाहिये कि पशुओं की तरक्की हो और उनकी तादाद की भी तरक्की हो और उनके जरिये से काम करने के तरीकों में उन्नति की जाय। इसके साथ ही पशुओं के मसले के साथ चारे, का बड़ा सम्बन्ध है। पिछले सालों की तमाम कोशिशों के बावजूद चारे का मसला बढ़ता ही आ रहा है। इसका बहुत बड़ा सम्बन्ध गन्ने से है। गन्ना पारसाल सरकार की मेहरबानी से काफी महंगा बिका लेकिन फिर भी लोगों को वह लाभ नहीं मिल सका है। और गन्ना जिसका असल मकसद शुगर बनाना है, वह काफी फायदेमन्द न साबित हो सका। चारे के बनाने में उसकी वजह से कमी हुई। आम तौर पर यह गन्ने वाली दिक्कत सरकार के सामने रही है। दूसरी दिक्कत यह है कि उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि उनकी चिकित्सा की तरफ पूरी तरह से ध्यान दिया जाय।

इसके साथ ही हमारी सरकार की पालिसी अक्सर को तोड़ कर खेती में लाने की है। लेकिन अगर पशुओं की उन्नति की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तो खेती की उन्नति नहीं हो सकती और उनकी उन्नति नहीं हो पायेगी। यह एक खेती प्रधान मुल्क है, लेकिन अफसोस यह है कि पशुओं का इलाज करने के लिए काफी शफाखाने नहीं हैं, काफी डाक्टर्स नहीं हैं। एक बात और कही जा सकती है कि खेती बाड़ी और सभी काम जारी हैं लेकिन जब तक कि पशुओं का इंश्योरेंस न जारी किया जायगा तब तक पशुओं की हिफाजत कभी नहीं हो सकती। किसी किसान की फसल कितनी ही ज्यादा क्यों न हो लेकिन अगर उसकी भैंस मर जाय तो उसका तमाम साल भर का गल्ला बेचने के बाद भी भैंस नहीं मिल सकती। लेकिन अगर पशुओं का इंश्योरेंस हो जाय तो दिक्कत दूर हो जायगी। इसलिए यह मसला निहायत जरूरी मसला है और बहुत ही अहम मसला

है इस मसले को हल किये बग़ैर इस मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। इसके लिए आप को आंकड़े भी रखने होंगे। जब वह आंकड़े रखे जायंगे तभी तरक्की हो सकती है। अगर इस तरीके से बिला हिसाब और बही खाते के रहेगा तो वह कोई फायदा नहीं हो सकता लेकिन जब आप सोचेंगे कि हम को क्या करना चाहिए तो बहुत से ऐसे मसले सामने आवेंगे जिनका सरकार को इलाज करना चाहिए और उनका इलाज किये बिना कोई तरक्की नहीं हो सकती। सवाल यह है कि आया सारे पशुओं को आख्ता कर दिया जाय और एक भी सांड न रहे तो ऐसी हालत में बहुत दिक्कत होगी। सरकार की नज़र में यह भी है और उसकी मंशा भी यह नहीं है कि हर पशु को आख्ता कर दे बल्कि सरकार की यह कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे सांड सप्लाई करें और जो खराब पशु हैं उनको आहिस्ता २ खत्म किया जाय। अब रही कसाई खाने वाली बात, कि मवेशी फलां उम्र के न जबह हों। उसमें ऐसा उसूल होना चाहिए कि जिससे दिक्कतें पेश न आवें। मैं समझता हूं कि अभी सरकार को बहुत सी दिक्कतें हैं और उसको सब बातों पर पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल पशुओं की उन्नति के लिए आज हमारे सामने पेश है वह अपने तरीके का एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। मुल्क की आजादी हासिल करने के बाद देश का पुनर्निर्माण हम को करना है। मेरा ख्याल है कि पुनर्निर्माण के मसले को हल करने के लिए पशुओं की उन्नति पर ध्यान देना हमारे लिए जरूरी है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसमें ७ लाख गांव हैं। अगर गांव के किसानों क उन्नति पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हमारे देश की उन्नति कभी भी और किसी हालत में भी नहीं हो सकती। किसानों की उन्नति के मसले को लेने पर सब से पहले पशुओं की उन्नति पर गौर करना होगा। पशुओं की उन्नति के सम्बन्ध में माननीय खनारायण उपाध्याय जी ने सबसे पहले जो प्रकाश डाला उसके लिए मैं उनका ऋणी हूं और उन्हें मुबारकबाद देता हूं।

सबसे पहले मैं पशुओं की दशा सुधारने की बाबत आपकी तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश में पशुओं की उन्नति का मसला लेकर जब हम यह विचार करें कि इस उम्र तक का पशु, गाय, भैंस, पड़िया, बछड़ा और बैल वध के योग्य नहीं है तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस दायरे के बाहर जितने पशु हैं उनका वध होना लाजिम है। ऐसी हालत में मैं आपके जरिये माननीय कृषि मन्त्री का ध्यान हिन्दुओं के दिल व दिमाग की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जो आशा लगाये हुए बैठे हैं कि अंगरेजी सरकार के खत्म होने के बाद अब हमारी गौमाता की भी रक्षा होगी। वह चाहते हैं कि जितनी भी तरक्की हो और जितना उसमें खर्च हो, और मैं तो काफी जिम्मेदारी के साथ यह कहने के लिए तयार हूं कि इसके लिए हमारे किसान अधिक से अधिक टैक्स देने के लिए

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

तैयार हैं, बशर्ते आप उनको यह इत्मिनान दिला दें कि पशुओं की उन्नति में आप यह सवाल भी हल करना चाहते हैं कि पशुओं की और खास तौर से गौ माता का वध बन्द कर दिया जायगा, बल्कि कतई तौर पर बन्द कर दिया जायगा। जिस चीज को लेकर आज सरकार परेशान है और जिस मसले को हमारी सूबे की सरकार हल करना चाहती है और जिस मसले को लेकर मि० लिनलिथगो गवर्नर जनरल यहां आये थे, और देश की उन्नति के लिए अच्छे सांड़ों का मसला पेश किया था और कहा था कि अगर हिन्दुस्तान के सांड़ों की नस्ल सुधार दी जाय तो इस देश की तरक्की हो सकती है और यहां के किसानों को बड़ा जबर्दस्त फायदा होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हजारों वर्ष पहले हिन्दुस्तान के साधुओं ने, हिन्दुस्तान के महात्माओं ने, हिन्दुस्तान के ऋषियों ने सांड़ों की जो प्रथा जारी की थी वह भी दुनिया में बेनजीर है। वह चीज आज तक कायम है। कोई भी आदमी मर जाता है तो उसके श्राद्धकर्म पर उसके मुताल्लकीन, उनके लड़के इस बात की कोशिश करते हैं कि उनके श्राद्धकर्म पर एक सांड़ छोड़ देना बहुत जरूरी है। इसका खास मकसद वही था जिसको हम आज सुधारना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से और गुलामी की वजह से वह हमारी अच्छी से अच्छी चीज भी आज खराब हो गई। आज सांड़ छोड़ने का रिवाज तो कायम है, लेकिन यह विचार करने को हम भूल गये कि सांड़ किस किस्म का हमको छोड़ना चाहिए। जो बिल आज हमारे सामने पेश है उसमें एक धारा यह भी दी हुई है कि धार्मिक कृत्य पर और शुद्ध हृदय से समर्पित किये जाने वाले सांड़ों पर इस बिल की पाबन्दियां आयद न होंगी। इस पर मैंने एक संशोधन दिया है जिसकी मंशा यह है कि धार्मिक कृत्य पर समर्पित किये जाने वाले सांड़ों की जांच, समर्पित करने के पहले कराना लाजिम हो ताकि अच्छी नस्ल का सांड़ छोड़ा जा सके जिससे पशुओं की उन्नति हो सके। मैं समझता हूं कि चाहे सांड़ भले ही अधिक तादाद में न छोड़े जायं लेकिन जो छोड़े जायं वे अच्छी नस्ल के और होनहार हों, जिनसे पशुओं का सुधार हो और देश के खेतिहरों की भी भलाई हो, इस बिल की दूसरी धाराओं पर गौर करने से साफ-साफ पता चलता है कि दुधार गायें वध के योग्य नहीं हैं यानी जब तक गायें दूध देती हैं उनका वध नहीं किया जायगा। जिसका मतलब साफ-साफ यही है कि जहां दूध देना बन्द हुआ वे गायें वध के योग्य हो गईं और इसके बाद उनको मार डाला जा सकता है। मैं आपसे कहूंगा कि यह चीज हमारे देश के किसानों और खास कर हिन्दुओं के दिल व दिमाग पर बड़ा बुरा असर डालेगी। इसे पास करने के पहले बिल की इन धाराओं पर आपको गौर करना होगा और इन्हें हटाना होगा। आपने यह भी उसमें रखा है कि तीन वर्ष से कम उम्र वाली बछिया, तीन वर्ष से कम उम्र वाला बछड़ा और तीन वर्ष से कम उम्र वाली पड़िया वध के योग्य नहीं है यानी इनको नहीं मारा जा

सकता है। इसके साफ माने यह हो सकते हैं कि तीन वर्ष की उम्र पूरी होने पर इनका वध किया जा सकता है।

जब आप गाभिन गाय का वध रोक रहे हैं, तीन वर्ष से कम उम्र वाली बछिया का वध रोक रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि तीन वर्ष की उम्र की बछिया गाभिन हो जायगी? अगर आपके ख्याल में ऐसा आता है तो यह गलत है। अगर आपको यह बिल पास करना है और जल्द से जल्द पास करना चाहते हैं तो उम्र की पाबन्दियां तीन वर्ष से पांच वर्ष करना होगा। पांच वर्ष की उम्र के अन्दर मेरा ख्याल है कि वह बछिया गाभिन हो जायगी और उसकी जान बच जायगी और जब तक वह दूध देती रहेगी तब तक वह नहीं मारी जायगी। इसके बाद जब वह दूध देना बन्द कर देती है और तुरन्त गाभिन नहीं हो जाती तो फिर बिल की धाराओं के अनुसार वह कत्ल करने के काबिल होती है। कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े शहरों में लोग जो दूध का व्यापार करते हैं, वह ब्याई हुई गाय को खरीद कर उसके दूध से ही सारा दाम निकाल देते हैं और जब उनका दूध बन्द हो जाता है तो उन गायों को कसाई के हाथ बेच देते हैं। जब तक वह गाय गाभिन होकर फिर दूध देने वाली होती है, तब तक उसकी परवरिश करते रहना उन दूध के व्यापारियों को नुकसानदेह मालूम होता है। ऐसी हालत में अगर आप कानून बनाना चाहते हैं कि दूध देने के बाद गाय मारी जा सकती है, तो मैं समझता हूँ और साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि यह एक बड़ा गलत कदम होगा और आपको इसमें एक जबरदस्त ठेस पहुंचेगी। अगर आप इसे पास करना ही चाहते हैं तो मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं। वह यह कि आपको यह भी सुधार इसमें करना होगा कि जब तक गाय की या भैंस की, प्रजनन शक्ति कायम रहेगी यानी जब तक वह गाभिन होती रहेगी, बार-बार बच्चा पैदा करती रहेगी तब तक वह गाय या भैंस वध के योग्य नहीं मानी जायगी। इन शब्दों के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप पशु उन्नति सम्बन्धी बिल को मंजूर करें। महज प्रोपेगेण्डा करने की कोशिश बेकार है। अंग्रेजी सरकार इन चीजों का प्रोपेगेण्डा करने में बड़ी माहिर थी। अब आपसे जनता यह नहीं चाहती है कि आप भी उसी तरह से स्कीम बनाने में और प्रोपेगण्डा करने में कमाल हासिल करें। जनता तो आज भी यह चाहती है कि आप शुद्ध हृदय से उसके लिए कोई ठोस काम करें, जिसमें आम जनता का लाभ हो, चाहे पास होने में देर ही क्यों न लगे। यह बिल बड़ा महत्वपूर्ण है। दो-चार घंटे के अन्दर ही इस बिल को पास करने में शायद आपको धोखा हो।

* माननीय कृषि सचिव—

जनाब वाला, इस बिल के मुताल्लिक जो बहस हुई है, उसमें उपाध्याय जी ने जिन जजबात का इजहार किया है, उन जजबात से मुझे जाती तौर पर और

---

* माननीय सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[माननीय कृषि सचिव]

मैं समझता हूँ कि पूरी गवर्नमेंट को पूरी हमदर्दी है। गवर्नमेंट को यह पूरा-पूरा अहसास है कि जो कुछ भी हिन्दू लोगों का एतमाद इस मामले में है, उसका अहसास पूरी तरह से गवर्नमेंट को है। अगर गवर्नमेंट इस मामले में जिस तरीक़े से उपाध्याय जी चाहते हैं, उस तरीक़े से क़दम नहीं उठा रही है तो उसकी कुछ वजहें हैं, गवर्नमेंट के सामने कुछ दुश्वारियां हैं। अव्वल तो यह है कि यह सोचने की बात है कि महज़ इस सूबे में इस क़िस्म का क़ानून पास कर देने से जो मक़सद उपाध्याय जी हासिल करना चाहते हैं, वह मक़सद इस तरीक़े से हासिल नहीं कर सकते। यह एक ऐसा मसला है कि जिस पर काफी बहस हो सकती है। अगर कोई क़ानून बनना चाहिए तो वह सारे सूबे के लिए ही बनना चाहिए। अगर गायों पर पाबन्दी होनी चाहिये तो वह सारे सूबे के लिये ही पाबन्दी होनी चाहिये। और अगर यहां से कोई क़ानून बनता है और गायें बच जाती हैं तो इसका असर यह होगा कि दूसरे सूबे में जाकर उनका वध होगा। मैं समझता हूँ कि जितनी तादाद इन मवेशियों की पहले थी, उतनी ही तादाद इन मवेशियों की आज भी है। यह चीज़ सूबे की तरफ से पेश करने से जो मक़सद त्रिपाठी जी ने बयान किया है वह हासिल होता नज़र नहीं आता है। एक चीज़ और है जिस पर आपको ग़ौर करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि गौ-रक्षा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और ऐसे सूबे में कि जहां हिन्दुओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। मगर मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप मुक़ाबिला करें तो आस्ट्रेलिया में आज भी फी मील दाई आदमी बसते हैं, इंगलैंड में फी मील ४६० आदमी बसते हैं। मगर हमारे इस सूबे में बहुत से ज़िलों में तो फी मील एक हज़ार आदमी बसते हैं। उसका नतीजा यह है कि बावजूद इस बात के कि बहुत काफी प्रपोर्शन हमारी आराज़ी का इस वक़्त काश्त में है, हमारे यहां इन्सान भी भूखे मरते हैं और जानवर भी भूखे मरते हैं। यह सही है और अगर इस वक़्त आप इस मसले को महज़ जज़्बे से या सेंटीमेंट से ग़ौर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप इसका हल नहीं निकाल सकते। आपने यह देख लिया कि बावजूद इस बात के कि यहां इतनी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि जो गौ-वध को बहुत बुरी चीज़ समझते हैं, फिर भी आप अपने मवेशियों की हालत को देख लीजिए। आप हमारे यहां एक्सरेज़ गाय को देखें तो उसमें सिवाय हड्डी और चमड़ी के कोई चीज़ नज़र नहीं आती। चारे की हालत, जैसा कि हमारे माननीय फूलसिंह जी ने फ़रमाया, यह है कि आज अगर गन्ने को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाय तो ४ रुपए मन क़ीमत मिलती है और इसको शक्कर के लिये इस्तेमाल किया जाय तो गवर्नमेंट ने उसकी दो रुपया मन क़ीमत मुक़र्रर की है। चारे की हालत यह क्यों है ? इसकी वजह यह है कि इन मवेशियों की तादाद हमारे सूबे में कम नहीं है, बल्कि हमारे गवर्नमेंट आफ इंडिया के फूड मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया था

कि सारी दुनिया में जितने मवेशी हैं, उसके एक तिहाई मवेशी हिन्दुस्तान में हैं। तो यह तो जाहिर है कि हमारे यहां तादाद की कमी नहीं है। मगर उसके साथ ही यह भी जाहिर है कि हमारे यहां इस किस्म की गायें हैं कि जहां फी साल फी गाय का औसत डेनमार्क में और दूसरे मुल्कों में ८७ मन दूध का आता है, वहां हमारे यहां फी गाय, फी साल ६ मन का औसत है। इसी तरीके से अगर आप यहां रक़बे के एतबार से देखें तो उस लिहाज से भी मवेशियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जिनका पालना हमारे लिये बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। तो इन सब बातों का भी ख्याल रखना है और इसको भी सोचना है। और जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि अगर आप महज इस सूबे में ऐसी पाबन्दी लगा दें कि जिससे गोवध बन्द हो जाय, तो उससे काम नहीं चल सकता। यह एक आल इंडिया बेसिस पर चीज होनी चाहिये।

दूसरे यह बिल जो आप के सामने आया है, इस पर काफी तौर पर कौंसिल में बहस हो चुकी है और इस बहस को भी मैं समझता हूं कि करीब एक महीने के हो गया है और इस पर काफी जोशो-खरोश से बहस हो चुकी है। यह बिल वहां से पास होकर यहां आया है और इसलिये हम मजबूर हैं, यानी गवर्नमेंट से मेरा मतलब है कि हम इस बिल को इसी शक्ल में पास करें।

एक बात मुफ्ती फखरुल इस्लाम साहब ने कही है। उसके बारे में मैं यह अर्ज कर दूं कि यह रखा गया है कि जो लोग बुल्स रखें, वह लाइसेंस लेकर रखें और वह इसीलिये रखा गया है कि गवर्नमेंट को यह मौक़ा हो कि जो बुल्स वह रखते हैं, उसकी वह जांच कर सकें कि इस बुल से नस्ल की तरक्की होना मुमकिन है या नहीं। यह उनका ख्याल कि इस बिल के पास होते ही जितने भी बुल्स यू० पी० में हैं वह सब कैस्ट्रेट (बधिया) कर दिये जायेंगे, यह मैं समझता हूं कि उनकी गलतफहमी है। यहां जितने सांड हैं, सांडों की उस तादाद को गवर्नमेंट को पूरा करना है। गवर्नमेंट को इसका पूरा एहसास है और गवर्नमेंट बुल्स को किसी जगह उसी हालत में कैस्ट्रेट (बधिया) करेगी, जब वह समझेगी कि उम्दा नस्ल के बुल्स मुहैया किये जा चुके हैं। अब मसलन मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर और अलीगढ़ का हल्का ऐसा है कि जहां मैं समझता हूँ कि हर मुकाम के ऊपर गवर्नमेंट के दिये हुए बुल मौजूद हैं।

वहां सांड अगर काफी तादाद में मौजूद हैं तो उस जगह अगर दूसरे सांडों को आख्ता कर दें, तो मैं समझता हूं कि कोई तकलीफ वहां के लोगों को नहीं होगी।

इसमें जो नस्ल मखलूत हो जाती है वह भी नहीं होगी। इसलिए इस पर अमल करने के पहले इसका पूरा पूरा ख्याल रखा गया है कि वही सांड आख्ता किए जायं, जहां उनकी इफरात है। इसलिये जो खतरा उन्हें नजर आता है, वह मुझे नजर नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बिल को जैसा है वैसा ही मंजूर किया जायगा।

(श्री फखरुल इस्लाम बोलने के लिये खड़े हुए।)

डिप्टी स्पीकर

अब आनरेबिल मिनिस्टर साहब अपनी आखिरी तक़रीर कर चुके हैं, इस-लिये मैं नहीं समझता कि आनरेबिल मेम्बरान क्यों बोलने की ख्वाहिश करते हैं ?

श्री फखरुल इस्लाम—

आनरेबिल मिनिस्टर साहब के खड़े होते वक्त मैं और ख्वाजा साहब भी खड़े हुये थे। लेकिन बदकिस्मती से आपकी नजर हम पर नहीं पड़ी और आपने मिनिस्टर साहब को काल कर लिया। तो क्या हम लोगों की बहस इस पर खत्म हो गई ? कल भी ऐसा वाकया हुआ था। आनरेबिल स्पीकर साहब ने इजाज़त दे दी थी।

श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा—

मैं यह कहना चाहता था कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सपुर्द कर दिया जाय और मैं कोई तक़रीर करना नहीं चाहता था।

डिप्टी स्पीकर—

मुझे सख्त अफसोस है कि मेरी नजर आनरेबिल मेम्बरान के ऊपर नहीं पड़ी और मैंने माननीय सचिव को काल कर लिया। लेकिन अब चूंकि इनकी आखिरी तक़रीर हो गई, इसलिये कोई मौक़ा नहीं है कि अब किसी दूसरे की तक़रीर हो।

श्री मुहम्मद इसहाक़ खां

आपकी तवज्जह दिलाई गई है कि आनरेबिल स्पीकर साहब ने इजाज़त दी थी कि मिनिस्टर साहब की तक़रीर के बाद भी दूसरे मेम्बरान तक़रीर करें ?

डिप्टी स्पीकर—

उन्होंने इस वजह से वह किया था कि बावजूद दूसरे मेम्बरान के खड़े देखते हुये उन्होंने मिनिस्टर साहब को पुकार लिया था, इस वजह से उन्होंने मौक़ा दिया था। जो तरीका बहस का है, उसको जारी रखने पर मैं मजबूर हूं। वह तो इत्तिफाक से हो गया था।

ख्वाजा साहब, आपको भी वह तरमीम पेश करने का मौक़ा नहीं है, क्योंकि मिनिस्टर साहब अपना जवाब दे चुके हैं।

(कुछ रुक कर)

सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्तीय पशु-उन्नति बिल सन् १९४८ ई०, जैसा कि वह लेजिस्लेटिव कौंसिल में स्वीकृत हुआ है, पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री श्रीकृष्ण चन्द्र—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल के सम्बन्ध में जो संशोधन हों, वह सोमवार तक ले लिये जायें, क्योंकि यह बिल आज ही बांटा गया है, इसलिये मेम्बरान को संशोधन भेजने का मौक़ा नहीं मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्न-मेंट इसको स्वीकार करेगी।

डिप्टी स्पीकर—

क्या आप यह चाहते हैं कि उस बिल पर फिर से संशोधन भेजने के लिये मौका दिया जाये ?

श्री श्रीकृष्ण चन्द्र—

मैं यह चाहता हूं कि परसों भी जो संशोधन आयें, उनको भी ले लिया जाये।

माननीय प्रधान सचिव—

जो अमेण्डमेंट्स हैं उनको परसों ले लिया जाये यदि आप किसी अमेंडमेंट के लेने की खास वजह समझें तो परसों ले ले।

डिप्टी स्पीकर—

वह अलग चीज है।

माननीय प्रधान सचिव—

कन्सीडरेशन (विचार) के लिये परसों के लिये रख दिया जाये।

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय भूमि प्राप्ति (शरणार्थियों को बसाने का) बिल

माननीय प्रधान सचिव—

मैं संयुक्त प्रान्तीय भूमि प्राप्ति (शरणार्थियों को बसाने का) बिल सन् १९४८ उपस्थित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि संयुक्त प्रान्तीय भूमि प्राप्ति (शरणार्थियों को बसाने का) बिल सन १९४८ ई० सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाये। सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों के नाम मैं बतलाये देता हूं।

डिप्टी स्पीकर—

आप यह चाहते हैं कि परसों तक कमेटी की रिपोर्ट आ जाये।

माननीय प्रधान सचिव—

जी हां और परसों इस पर कन्सीडरेशन भी हो जाये। इसमें कोई सब्स्टेंशियल चेंज नहीं करना है। सिर्फ इसकी हिन्दी ईडियोमेटिक ठीक करना है।

इसको इम्प्रूव करने के लिए मैं चाहता हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी में चला जाय, बजाय इसके कि बारबार यहां अमेंडमेंट आवें। इसमें निम्नलिखित व्यक्तियों की एक सेलेक्ट कमेटी बनाई जाय और यह सेलेक्ट कमेटी कल साढ़े १२ बजे यहां हम रूम नं० ८ में करेंगे।

श्री वेंकटेश नारायण तिवारी

श्री फूल सिंह

श्री दीप नारायण वर्मा

श्री लाल बिहारी टंडन

श्री होती लाल अग्रवाल

प्रोफेसर कृष्ण चन्द्र
सरदार शिवमंगल सिंह
श्री राधा मोहन सिंह,
श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा
श्री गोविन्द सहाय
राजा जगन्नाथ बख्श सिंह
श्री मुहम्मद इसहाक खां
श्री मुहम्मद असरार अहमद
श्री शौकत अली खां
श्री राम शंकर लाल
श्री मुहम्मद इसहाक खां

जनाब की इजाजत हो तो मुफ्ती फखरुल इस्लाम मेरे बदले आ जायें।

मानतीय प्रधान सचिव—

बजाय इसहाक खां साहब के मुफ्ती फखरुल इस्लाम खां साहब का नाम जोड़ दिया जावे।

डिप्टी स्पीकर—

सवाल यह है कि संयुक्त प्रांतीय भूमि प्राप्ति (शरणार्थियों को बसाने का) बिल सन १६४८ ई० सेलेक्ट कमेटी के निर्णय के लिए भेजा जावे, जो परसों तक अपनी रिपोर्ट पेश करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर—

इस बिल की निर्वाचन कमेटी में जो नाम पेश हुए हैं, वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं—

श्री वेंकटेश नारायण तिवारी
श्री फूल सिंह
श्री दीप नारायण वर्मा
श्री लाल बिहारी टण्डन
श्री होतीलाल अग्रवाल
श्री कृष्ण चन्द्र
सरदार शिवमङ्गल सिंह
श्री राधा मोहन सिंह
श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा
श्री गोविन्द सहाय
राजा जगन्नाथ बख्श सिंह
श्री फखरुल इस्लाम
श्री मुहम्मद असरार अहमद

श्री शौकत अली खां
श्री राम शंकर लाल।
कोई और नाम किसी माननीय मेम्बर (जरा ठहर कर) को पेश करना है ?
मैं एलान करता हूं कि यह निर्वाचन कमेटी के लिए चुन लिए गये।

असेम्बली के ३ मई, सन १९४८ ई० के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

माननीय प्रधान सचिव—

इसहाक खां साहब ने पूछा कि परसों इन बिलों के अलावा और कौन होंगे। २ बिल और हैं। एक तो रूरल डेवलपमेंट बिल है, जिसका खास प्रावीजन यह है कि टैक्स जो हैं उनकी इमदाद करना है। दूसरा सेल्स टैक्स बिल है, जो रिप्रेजेंटेशंस इस बारे में आए हैं, उनके मुताबिक इसमें अमेंडमेंट करने की गुंजाइश रक्खी गई है।

श्री मुहम्मद इसहाक खां—

यह बिल्स परसों रक्खे जायगे ?

माननीय प्रधान सचिव—

जी हां, परसों यह रक्खे जायेंगे।

संयुक्त प्रान्तीय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के रिक्त स्थान के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा

डिप्टी स्पीकर—

मुझे एलान करना है कि आचार्य नरेन्द्र देव जी ने प्रान्तीय यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी से जो इस्तीफा दिया है, माननीय स्पीकर साहब ने उनकी जगह पर नामांकन पत्र प्राप्त होने के लिए आज १२ बजे दिन का समय निधारित किया था। उस जगह के लिये एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है और वह श्री वेंकटेश नारायण तिवारी के लिये है, और किसी माननीय सदस्य की नामजदगी नहीं है, क्योंकि एक ही सदस्य की नामजदगी है। इसलिये मैं श्री वेंकटेश नारायण तिवारी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी का सदस्य घोषित करता हूँ।

(इसके बाद भवन ५ बजकर २ मिनट पर सोमवार ३ मई सन् १९४८ ई० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलाशचन्द्र भटनागर,
मंत्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त

लखनऊ,
१ म[illegible], सन् १९४८ ई०

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड ४८

इ

प्रश्नोत्तर

ल

व्यक्तिगत प्रश्न

श

स्थानिक प्रश्न

पी० एस० यू० पी०--६१ एल० ए०--१९५०--६२०